

द्वयन्यांलोकः



समर्पण

जिनके चरणोंमें बैठकर विविध शास्त्रोंके अध्ययन एवं सूक्ष्म विवेचनका
सौभाग्य प्राप्त हुआ
जिनके शुभ आशीर्वादिने इतत दुरूह ग्रन्थके परिष्कारकी
क्षमता प्रदान की
उन प्रातः स्मरणीय गुरुरनाके कर्कमलौम,
या पुण्य स्मृतिमें,
गुरुभूषिमा सवत २००९ की यह
विनम्र भेंट
सादर समर्पित

ध्वन्यालोकः

[श्री आनन्दवर्धनाचार्य-विरचित ध्वन्यालोककी हिन्दी व्याख्या]

व्याख्याकार

आचार्य विद्मेश्वर सिद्धान्तशिरोमणि

अध्यक्ष 'श्रीधर अनुसन्धान विभाग' एवं 'श्री रामदास दर्शनपीठ'

गुरुकुल विश्वविद्यालय वृन्दावन तथा सम्मान्य

सदस्य 'हिन्दी अनुसन्धान-परिषद्'

दिल्ली-विश्वविद्यालय

सम्पादक

डॉ० नगेन्द्र, एम ए, डी लिट्

घाराणसी

ज्ञानमण्डल लिमिटेड

मूल्य पचास रुपये

प्रथम संस्करण, धावण, संवत् २०१९ वि०

द्वितीय संस्करण, फाल्गुन, संवत् २०२८ वि०

तृतीय संस्करण संवत् २०४२ वि०

© ज्ञानमण्डल लिमिटेड, वाराणसी

प्रकाशक—ज्ञानमण्डल लिमिटेड, वाराणसी (बनारस)

मुद्रक—ज्ञानमण्डल लिमिटेड, सन्तकबीर मार्ग वाराणसी (बनारस)

समर्पण

जिनके चरणोंमें बैठकर विविध शास्त्रोंके अध्ययन एवं सूक्ष्म विवेचनका
सौभाग्य प्राप्त हुआ

जिनके शुभ आशीर्वादिने इत दुस्तर ग्रन्थके परिष्कारकी
श्रमता प्रदान की

उन प्रात स्मरणीय गुरुजनाके कर्मकर्मलोमं,
या पुण्य स्मृतिमें,

गुरुशुणिमा सवत २००९ की यह

दिनस्र भेंट

सादर समर्पित

विषय-सूची

भूमिका

१-३६

प्रथम उद्योत

[पृ० १-६८]

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
मङ्गलाचरण	१	'अभिधा' शक्तिमे व्यङ्ग्याथशोधका	
१ प्र-धारम्भका प्रयोजन [का० १]	२	निराकरण	१९
कारिकाकार और वृत्तिकारका अभेद	२	'तात्पर्या' शक्तिसे व्यङ्ग्यशोधका	
ध्वनिविषयक तीन विप्रतिपत्तियाँ	२	निराकरण	२०
'समाभ्यातपूर्व'का समाधान	३	'अन्विताभिधानवाद' और व्यङ्ग्यार्थ	
विप्रतिपत्तियोंका विरलेपण	३	शोध	२०
अभाववादी (प्रथम) पक्षके तीन भेद	५	जुमारिलभट्ट और प्रभाकर	२१
मत्तिवादी (द्वितीय) पक्षका निरूपण	७	भट्टलोल्लटके मतकी आलोचना	२१
अलक्षणीयतावादी (तृतीय) पक्ष	०	धनञ्जय तथा धनिकके मतकी आलोचना	२४
ध्वनिनिरूपणका प्रयोजन	०	लम्पणावादका निराकरण	२५
२ ध्वनिविद्वान्तकी भूमिका [का० २]	११	विशिष्ट लक्षणावादका निराकरण	२६
३ ग्रन्थमें वाच्य (अलङ्कारादि) के प्रति		अलक्ष्यार्थतावादी वेदा-तमत	२७
पादनका अभाव	१२	अलक्ष्यार्थतावादी वैयाकरण मत	२७
४ प्रतीयमान अर्थका वाच्यव्यतिरिक्तत्व		वाच्यार्थ तथा व्यङ्ग्यार्थके भेदके हेतु	२८
[का० ४]	१३	महिमभट्टका अनुमितिवाद	२९
सस्तुध्वनिका वाच्यार्थसे स्वरूपकृत भेद	१३	५ प्रतीयमान रस ही काव्यका आत्मा	
सस्तुध्वनिका वाच्यार्थसे विषयकृत		[का० ५]	२९
भेदसे भेद	१७	६ महाकवियोंकी प्रतिभाका चोतक	
अलङ्कारध्वनिका वाच्यार्थसे भेद	१७	[का० ६]	३१
रसध्वनिका वाच्यार्थसे भेद	१८	७ प्रतीयमान अर्थका सहृदयसवेद्यत्व	
		[का० ७]	३२

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
८ व्यङ्ग्य व्यञ्जनकी पहचान आवश्यक [का० ८]	२३	अलङ्कारोंमें ध्वनिके अन्तभाववादके खण्डनका उपग्रह	७०
प्रत्यभिज्ञापरिचय	३५	ध्वनिसिद्धांतका आदि मूल	५३
९ व्यङ्ग्यप्राध्यायम वाच्यमाचरुका उपादान क्यों [का० ९]	४४	ध्वनिने अभाववादका खण्डनका उपग्रह	७३
१० व्यङ्ग्यार्थकी प्रतीति वाच्यार्थप्रतीतिपरक रसचिनिकी अमलभ्यत्रम व्यङ्ग्यता [का० १०]	४	ध्वनिके दो मुख्य भेद रीचम ध्वनिभेद दिग्गलानका प्रजाजन	७७
११ १० वाच्यकी प्रथमप्रतीति होनेपर भी व्यङ्ग्यार्थके प्राधान्यका उपपादन [का० ११, १२]	६	१४ भातवादाक द्वितीय विकल्प लक्षणा वादका खण्डन [का० १४]	१८
योग्यता, अकाशा, आसक्तिके लक्षण	२६	१७ ध्वनिविषयका निर्देश [का० १५]	६१
१३ ध्वनिका यका लक्षण [का० १३]	२७	१६ रुद्रि लक्षणास्थलमें भक्ति या लक्षणाके होते हुए भी व्यङ्ग्यप्रयोजनका अभावप्रदर्शन [का० १६]	६२
अलङ्कारोंमें ध्वनिके अन्तभावका खण्डन	२८	१७ प्रजाजनवती लक्षणामें व्यङ्ग्यप्रयोजन होनेपर भी उस फलका लक्षणा म अगम्यत्वप्रदर्शन [का० १७]	६२
समासोक्तिम ध्वनिके अन्तभावका निषेध	३९	१८ भक्तिको ध्वनिका लक्षण माननेमें अयासि दोष [का० १८]	६५
आक्षेपालङ्कारमें ध्वनिके अन्तभावका निषेध	४०	लक्षणा और गौणीवृत्तिका भेद	६७
चारुत्वोत्पत्ति ही प्राध्यायका नियामक है	४०	१९ भक्तिके कही उपलक्षण होनेपर भी ध्वनि उसने अन्तर्गत नहीं [का० १९]	६७
चारुत्वोत्पत्तिमूलक दीपक और अपद्धति खवहार	४२	भातवादाक तृतीय विकल्प उपलक्षण पक्षका खण्डन	६७
विशेषोक्तिम ध्वनिने अन्तभावका निषेध	४२	ध्वनिविरोधी तृतीय पक्ष अलक्षणी यतावादका खण्डन	६८
पद्यायोक्तमें ध्वनिने अन्तभावका निषेध	४८		
अपद्धति और दीपकम ध्वनिके अन्त भावका निषेध	४६		
सङ्करालङ्कारमें ध्वनिके अन्तभावका निषेध	४६		
अप्रस्तुतप्रशंसाम ध्वनिके अन्तभावका निषेध	४९		

द्वितीय उद्योत

[पृ० ६९-१५३]

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
१ अविवक्षितवाच्य [लक्षणामूल] ध्वनिके अथान्तरसङ्क्रमितवाच्य और अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य दो भेद [सा० १]	६०	१ भट्टोल्लोत्का 'उत्पत्तिवाद' भट्टोल्लोत्कानी आलोचना	१० ८०
२—अविवक्षितवाच्य [लक्षणामूल] ध्वनिके दो भेद इन भेदोंका आधार लक्षण	९० ६९	२ श्री शङ्खुफका 'अनुमितिवाद' शङ्खुफके 'अनुमितिवाद'की आलोचना	८० ११
१ अथान्तरसङ्क्रमितवाच्यध्वनिके दो उदाहरण	७१	३ भट्टनायकका 'मुक्तिवाद'	१२
२ अत्यन्ततिरस्कृतवाच्यके दो उदाहरण	७०	४ अभिनवगुप्तपादाचायका 'अभि व्यक्तिवाद'	८०
३ विवक्षितवाच्य [अभिधामूल] ध्वनिके असंलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य और संलक्ष्य क्रमव्यङ्ग्य दो भेद [का० २]	७४	५ अन्यमत नान्यरस काव्यरस भाव	८३ ८३ ८३ १४
ख—विवक्षितान्यपरवाच्य [अभिधा मूल] ध्वनिके दो भेद	७४	६ रसाभास और भावाभास	१४
३ असंलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यध्वनि [का० २] रसप्रतिया स्थायिभाव आलम्बन और उद्दीपन विभाव अनुभाव व्यभिचारिभाव रगास्वाद और रससंज्ञा रसानुभवकालीन चतुर्विध चित्तवृत्ति रसचतुष्टयवाद काव्य और नाटकके रसोत्पत्तिविषयक विविध मत	७ ७६ ७६ ७७ ७७ ७७ ७८ ७० ७९ ८०	४ रसवदलङ्कारके भिन्न ध्वनिका विषय [का० १] ५ रसवदलङ्कारोंका विषय [का०] शुद्धरसवदलङ्कारका उदाहरण सङ्कीर्ण रसवदलङ्कारका उदाहरण रसाका परस्परविरोधाविरोध विरोधी रसोंके अविरोधसम्पादनका उपाय खण्डरस या सञ्चारिरस रसवदलङ्कारविषयक मतभेद	८४ ८५ ८६ ८७ ८९ १९ १९ ९० ९०

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
रस-र तथा गुणीभूतव्यङ्ग्यनी	१६	अलङ्कारप्रयोगनी कसौटी [का० १६]	१०७
व्यवस्था	११	शृङ्गारादिम समीक्ष्य विनिवेशित रूप	
गनि, उपमादि तथा रसजदलङ्कार	११	कादि ही वस्तुत अलङ्कार होते हैं [का० १७]	१०८
६ गुण ओर अलङ्कारका भेद [सिद्धान्त			
पत्र] [का० ६]	१४	१८ १९ रूपकादि अयालङ्काराने प्रयोगने	
वामनमत	१४	छ नियम [का० १८, १९]	१०९
भामहमत	१७	ससष्टि या नरसिंहवत् अलङ्कारान्तर	११०
नयमत	१५	२० सलम्प्यक्रमयङ्गयने दो भेद [का० २०]	११८
७ माधुय गुणका आश्रय [का० ७]	१५	२१ शब्दशक्त्युद्भव ध्वनि [का० २१]	११९
'एवकारस्त्रिधा मत'	१६	शब्दशक्तिमूल विरोधाभास अलङ्कार	
८ सम्मोह-शृङ्गार, विप्रलम्भशृङ्गार और		ध्वनि	१२८
करुणरसमें माधुयका उत्तरोत्तर उत्कृष्ट		१२ अथशक्त्युत्थ ध्वनि [का० २०]	१३१
[का० ८]	१७	२३ व्यङ्ग्यार्थकी स्वशब्दोक्ति होनेपर	
दस गुणोंका अन्तर्भाव	१७	ध्वनि नहीं [का० २३]	१३४
९ शीघ्रादि रसोंमें ओजकी स्थिति [का० ९]	१८	२४ अर्थशक्त्युद्भव ध्वनिके भेद [का० २४]	१३६
ओज गुणके आश्रय [क-श-द]का		२५ अर्थशक्त्युद्भव अलङ्कारध्वनि	
उदाहरण	१८	[का० २५]	१३९
ओज गुणके आश्रय [ख-अर्थ]का		२६ अलङ्कारध्वनिका विषय बहुत है	
उदाहरण	१८	[का० २६]	१३९
१० प्रसाद गुणका आश्रय [का० १०]	१९	२७ अलङ्कारध्वनिमें अलङ्कारकी प्रधानता	
११ अनित्यदोषोंकी व्यवस्था [का० ११]	१००	[का० २७]	१४०
१२ असलम्प्यक्रमयङ्गयध्वनिके भेद		रूपकध्वनि	१४०
[का० १२]	१०१	२८ अलङ्कारध्वनिका प्रयोजन [का० २८]	१४०
१३ दिङ्मात्र प्रदर्शन [का० १३]	१०२	२९ वस्तुसे अलङ्कार यङ्गय होनेपर	
१४ शृङ्गारमें शब्दालङ्कारका अधि- प्रयोग अनुचित [का० १४]	१०२	ध्वनित्व [का० २९]	१४९
१५ शृङ्गारमें और विशेषत विप्रलम्भ शृङ्गारमें यमकादिका प्रतिपथ		३० अलङ्कारसे अलङ्कार व्यङ्गय होनेपर	
[का० १५]	१०३	ध्वनित्व [का० ३०]	१५०
		३१ अभिधामूल ध्वनिका गुणीभूतव्यङ्ग्यत्व	
		[का० ३१]	१५१

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
३२ लक्षणांमूल ध्वनिका गुणीभूतयद्गद्यत्व [का० ३०]	१५३	३३ केवल व्यङ्ग्यप्राधाय ही ध्वनिका लक्षण [का० ३३]	११३

तृतीय उद्योत

[पृ० १५४-३३५]

१ ध्वनिके पदप्रकाश्य तथा वाक्यप्रकाश्य भेद [का० १]	१५४	१० १४ प्रबन्धव्यञ्जकता [का० १०-१४]	११८
२ असलक्ष्यक्रम यद्गद्यत्वं चार भेद [का० २]	१६४	११ सलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्ययुक्त प्रबन्ध भी रसादिव्यञ्जक [का० १५]	११६
३ ४ १ वणोक्ती रसप्रोक्तता [का० ३, ४]	१६४	१६ मुसिडादि पदार्थांकी व्यञ्जकता [का० १६]	११०
२ पदद्योत्य असलक्ष्यक्रमध्वनि	१६६	१७ १९ रसके विरोधी और उनका परि हार [का० १७ १९]	२१२
३ रपदाद्योत्य असलक्ष्यक्रमध्वनि	१६६	२० विरोधी रसाङ्गोंके निबन्धनके नियम [का० २०]	२१८
३ वाक्यद्योत्य असलक्ष्यक्रमध्वनि	१६६	१ विरोधी रसाङ्गोंके बाध्यत्वेन अवि रोधके उदाहरण	२२२
५ सङ्घटनाके व्यञ्जनत्वने प्रसङ्गम सङ्घ टनाके तीन भेद [का० ५]	१६८	२ विरोधी रसाङ्गोंकी अङ्गरूपताके अविरोधने उदाहरण	२२३
६ सङ्घटनाका व्यञ्जनत्व [का० ६]	१६९	२१ काव्यादिमें एक ही रसकी मुख्यता होनी चाहिये [का० २१]	२३०
गुण और सङ्घटनाक सम्बन्धत्रिपयक तीन पन्थ	१७०	२२ २३ एक रसकी मुख्यताका उपपादन [का० २२ २३]	२३१
गुणोंको सङ्घटनाश्रित या सङ्घटनारूप माननेमें दोष	१७०	२४ वष्य पातक विरोधमें अङ्गिताका उप पादन [का० २४]	२३२
गुणोंका वास्तविक आश्रय	१७२	२५ एकाश्रयमें विरोधी रसाका अविरोध सम्पादन [का० २५]	२३६
सङ्घटनाका नियामक तत्त्व	१७८		
७ काव्यप्रकारोंका [त्रिपयगत] औचित्य सङ्घटनानियामक [का० ७]	१८१		
८ गद्यकाव्योंम भी उक्त औचित्य आव श्यक है [का० ८]	१८६		
९ रसगन्धका औचित्य सर्वत्र आवश्यक [का० ९]			

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
२६ नैरन्तयविरोधी रसोंका अविरोध सम्पादन [का० २६]	२३७	आभयभेदसे व्यञ्जकत्वकी सिद्धि	२६०
गान्तरसङ्गी स्थिति	२३८	मीमांसकमतमें व्यञ्जकत्व अपरिहाय	२७२
२७ विरोधी रसामें व्यवधान द्वारा अविरोधसम्पादन [का० २७]	२४०	वैयाकरणमत अनिसिद्धान्तके अनुकूल	२७६
२८ रसोंके विरोधाविरोधना उपसहार [का० २८]	२४१	न्यायमत व्यञ्जकत्वके अनुकूल	२७६
२९ शृङ्गारम विरोधी रसादिका परिहार अनिवाय [का० २९]	२४२	अनुमितिवादका निराकरण	२७८
३० विरोधी रसाम भी शृङ्गारका पुट [का० ३०]	२४२	३४ ध्वनिका उपसहार [का० ३५]	२८६
३१ विरोधाविरोधके ज्ञानसे यामोहाभाव [का० ३१]	२४३	३५ गुणीभूत यङ्गयका निरूपण [का० ३५]	२८७
३२ रसानुगुण शब्दार्थयोजना क्रिया मुरय क्रम [का० ३२]	२४४	३६ गुणीभूत यङ्गयनी उपात्तयता [का० ३६]	२८७
३३ वृत्तियाका विवेचन [का० ३३]	२४४	३७ व्यङ्गयने सस्पृशते वाच्यका चारुत्व [का० ३७]	२८७
रसकी आत्मरूपताका उपपादन	२४४	३८ प्रतीयमान अथ काव्यका भूषण [का० ३८]	२८७
रसम अन्नमता नहीं, अल्पस्यक्रम व्यङ्गयताका उपपादन	२४६	३९ कान्वाक्षित गुणीभूतव्यङ्गय [का० ३९]	२९७
सल्पस्यक्रम शब्दशक्तिमूलमें क्रम	२५०	४० गुणीभूतव्यङ्गयमें ध्वनियोजनाका निषेध [का० ४०]	३००
सल्पस्यक्रम अथशक्तिमूलमें क्रम	२५१	४१ गुणीभूतव्यङ्गयका ध्वनिरूपमें पर्यवसान [का० ४१]	३०२
अविचक्षितवाच्य [लभ्यामूल ध्वनि]में भी क्रम	२५२	४२ ४३ चिन्तकायका निरूपण [का० ४२ ४३]	३००
पुन व्यङ्गय व्यञ्जकभावकी सिद्धि रूपकभेद भी व्यञ्जकत्वसाधक	२५३	४४ सङ्घट तथा ससृष्टि [का० ४४]	३१४
भट्टादिके पदार्थवाक्यार्थन्यायका खण्डन	२५६	लोचनकारके अनुसार ध्वनिके ३, भेदोंकी गणना	३१६
सिद्धान्तपरामें घट प्रदीपन्याय	२५७	काव्यप्रकाशकृत ५१ ध्वनिभेद	३१९
		'लोचन तथा 'काव्यप्रकाश'के ध्वनि भेदोंकी तुलना	३१६
		ससृष्टि तथा सङ्घटभेदसे लोचनकारकी गणना	३१७
		'लोचन'की एक और चिन्त्य गणना	३१८

विषय

पृष्ठ

विषय

पृष्ठ

‘काव्यप्रकाश’ तथा ‘साहित्यदर्पण’ की

४६ सत्काव्यके करने या समझनेके लिए

गणना

३१८

ध्वनितत्त्वका परिज्ञान आवश्यक है

‘नाट्यप्रकाश’की गुणनप्रक्रिया

३१९

[का० १६]

३

‘नाट्यप्रकाश’में अन्यत्र सङ्कलनप्रक्रिया

३१९

३७ ध्वनितत्त्वको स्पष्टरूपमें न समझनेके

‘साहित्यदर्पण’की सङ्कलनप्रक्रियाकी

नैली

३२०

कारण ही पूवाचार्योंके ‘रीतियों’

प्रवृत्त थीं [का० ४७]

३३०

सङ्कलनकी लघुप्रक्रिया

३२०

ध्वनितत्त्वके गान् रीतियोंकी अनुप

योगिता

३१

‘काव्यप्रकाश’की द्विविधनैलीका कारण

३२१

ध्वनितत्त्वके गान् वृत्तियोंकी अनुप

योगिता

३१

४ ध्वनिके भेद प्रभेदोंकी गणना अशक्य

होनेसे यह दिखाना प्रदर्शन है

[का० ४८]

३२०

४८ ध्वनिमें ही वृत्तियोंका अन्तमाव

[का० ४८]

३२०

चतुर्थ उद्योत

[पृ० ३३६-३६३]

१ ध्वनि तथा गुणीभूत यद्गद्यसे प्रतिभाका

आनन्द [का० १]

३३६

७ वाच्यार्थसे भी अथवा आनन्द

[का० ७]

२११

२ ध्वनिसंस्पर्शसे पुरातन विषयोंमें

नूतनताका सञ्चार [का० २]

३३६

८ १० अवस्था, देश, कालादि भेदसे

रसानुकूल रचनाका आनन्द

[का० १०]

३५८

३ इसी प्रकारसे रसादिका अनुसरण

[का० ३]

३४०

११ अन्त्योंके साथ विषयोंका सादृश्य ध्वनिके

लिए दोषाघायक नहीं [का० ११] ३५९

४ रसके सत्यशसे अधोंकी अपूर्वता

[का० ४]

३४१

१२ प्रतिबिम्बवत्, आलेख्यवत्, तुल्य

देहिवत् त्रिविध सादृश्य [का० १२] ३५९

५ अनेक प्रकारसे व्यङ्ग्योंसे रसकी

प्रधानता [का० ५]

३४४

१३ प्रथम दो सादृश्य हेय, तृतीय उपादेय

[का० १३]

३०

६ ध्वनि तथा गुणीभूत यद्गद्यके सम्बन्धसे

काव्याधिकी अनन्तता [का० ६] ३०

१४ चन्द्रके सादृश्ययुक्त मुखके सौन्दर्यके

समान सादृश्य होनेपर भी काव्य

सौन्दर्य सम्भव [का० १४] ३६०

३६०

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
१५ अक्षरयोजनासे विविध याद्वयके समान परिमित अर्थोंसे अपरिमित काव्य [का० १५]	३६७	१७ स्वयं सरस्वती कविकी सहायक [का० १७]	३६३
१६ पूर्वच्छायासे अनुगत होनेपर सुन्दर रसुन्नी रचना अनुचित नहीं [का० १६]	३६२	प्रथम परिशिष्ट—ध्वन्यालोककी कारिकासूची	३६५
		द्वितीय परिशिष्ट—ध्वन्यालोककी उदाहरणादि सूची	३६९

भूमिका ध्वनिसिद्धान्त

[लेखक—डा० नगेन्द्र, एम० ए०, डी० लिट्०]

पूर्ववृत्त—अथ सम्प्रदायोंकी भौति ध्वनिसम्प्रदायका जन्म भी उसने प्रतिष्ठापकने जन्मसे बहुत पृथ ही हुआ था। “काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति बुधेय समाग्नातपूर्व” [ध्व यालोक १, १] अथात् “काव्यकी आत्मा ध्वनि है ऐसा मने पूर्ववर्ती विद्वानोंका भी मत है”। वास्तवमें इस सिद्धान्तके मूल सङ्गत ध्वनिकारने समयसे बहुत पहले वैयाकरणोंने सूत्रामें स्फोट आदिके त्रिवेचनम मिलते हैं। इसके अतिरिक्त भारतीय दशनम भी व्यञ्जना एव अभिव्यक्ति [दीपनसे घर] की चचा बहुत प्राचीन है। ध्वनिकारनेसे पूर्व रस, अलङ्कार और रीतिवाणी आचार्य अपने अपने सिद्धान्तोंका पुष्ट प्रतिपादन कर चुके थे, और यद्यपि वे ध्वनिसिद्धान्तस पृणत परिचित नहीं थे, फिर भी आनन्दवधनना कहना है कि वे कमसे कम उसन सीमान्ततक अग्रय पहुँच गये थे। अभिनवगुप्तने पूर्ववर्ती आचार्योंमें उद्भट्ट और वामनना सांगी माना है। उद्भट्टना प्रथम ‘भामहविवरण’ आज उपलब्ध नहीं है, अतएव हमें सत्रसे प्रथम ध्वनिसङ्केत वामनक वक्तोक्तित्रिवेचनमें ही मिलता है। वहाँ “सादृश्याल्लक्षणा वक्तोक्ति” लक्षणाम जहाँ सादृश्य गमित होता है, वहाँ वह वक्तोक्ति कहलाता है। सादृश्यकी यह व्यञ्जना ध्वनिने अन्तगत जाती है, इसीलिए वामनकी साक्षी माना गया है।

‘ध्वयालान’ एन युगप्रवर्तन प्रथ था। उसक रचयिताने अपना असाधारण मेधाके उल्पर एन ऐसे सार्वभौम सिद्धान्तकी प्रतिष्ठा की जो युग युगतक सर्वमाय रहा। अवतरु जो सिद्धान्त प्रचलित थे वे प्राय सभी एकाङ्की थे। अलङ्कार और रीति तो का यके उद्भिरङ्का ही छूकर रह जाते थे, रससिद्धान्त भी ऐद्रिय आनन्दका ही सर्वत्र मानता हुआ बुद्धि और कल्पना न आनन्दर प्रति उदासीन था। इसने अतिरिक्त दूसरा दोष यह था कि प्रन धना यक साथ तो उसका सम्य ध टीक पैठ जाता था, परन्तु स्फुट उ दाक विषयमे निभाव, अनुभाव, यमिचारी आदिका सङ्घटन सर्वत्र न हा सन्नेन कारण कठिनाट पट्टी थी और प्राय अत्य त मुद्गर पदानो भी उचित गौरव न मिल पाता था। ध्वनिकारने इन त्रुटियोंने पहिचाना और समीक्षा उचित परिहार करते हुए शदकी तीसरी शक्ति यञ्जनापर जाश्रित ध्वनिको नाव्यकी आत्मा धापित किया।

ध्वनिकारने अपने सामने दो निश्चित लभ्य ररु हैं—/ ध्वनिसिद्धान्तकी निभ्रान्त शब्दानमें स्थापना करणा, तथा यह सिद्ध करना कि पूर्ववता किसी भी सिद्धान्तन अन्तगत उसका समाहार नहीं हो सन्ता, २ रन, अलङ्कार, रीति, गुण और दापविषयक सिद्धा तोंका सम्यक् परीक्षण करते हुए ध्वनिने साथ उनना सम्य ध स्थापित करना और इस प्रकार काव्यने सवाङ्गपूर्ण सिद्धान्तकी एक रूपरेखा बाधना। कहनकी आवश्यकता नहा कि इन दोनों उद्देश्याकी पूर्तिम ध्वनिकार सर्वथा सफल हुए हैं। यह सन हात हुए भी ध्वनिसम्प्रदाय इतना लोकप्रिय न हाता यदि अभिनवगुप्तकी प्रतिभाका वरदान उसे न मिलता। उनने ‘लोचन’का वही गौरव है जो महामाष्यका। अभिनवने

अपनी तल्लरपिनी प्रहा और प्रौढ विवेचनने द्वारा ध्वनिविययन समस्त भ्रातियाँ और आक्षेपोंको निर्मूल कर दिया और उधर रसकी प्रतिष्ठाको अनाय्य शब्दांमें स्थिर किया ।

ध्वनिका अर्थ और परिभाषा

ध्वनिकी व्याख्याके लिए निरुगत सबसे उपयुक्त ध्वनिकारने ही शब्द हो सकते हैं

यत्रार्थं शब्दो वा तमर्थमुपसर्जनीकृतस्वार्थौ ।

व्यङ्क्त कायविशेष स ध्वनिरिति सूत्रिभिः कथित ॥

जहाँ अर्थ स्वयको तथा शब्द अपने अभिधय अर्थको गौण करके 'उस अर्थको' प्रकाशित करते हैं, उस काव्यविशेषको विद्वानोंने ध्वनि कहा है ।

उपर्युक्त कारिकाकी स्वय ध्वनिकारने ही और आगे व्याख्या करते हुए लिखा है "यत्रार्थो वाच्यविशेषो वाचकविशेष शब्दो वा तमर्थे व्यङ्क्त, स काव्यविशेषो ध्वनिरिति ।"

अर्थात् जहाँ विशिष्ट वाच्यरूप अथ तथा विशिष्ट वाचकरूप शब्द 'उस अर्थको' प्रकाशित करत हैं वह काव्यविशेष ध्वनि कहलाता है ।

यहाँ 'तमर्थम्' 'उस अर्थ का' वर्णन पूर्वकथित दो श्लोकोंमें किया गया है

प्रतीयमान पुनरन्यदेव घस्त्वस्ति चाणीषु महाकधीनाम् ।

यत्तत्प्रसिद्धाययवातिरिक्त विभाति लाघण्यमिमाङ्गनासु ॥

प्रतीयमान कुछ और ही चीज है जो रमणियोंके प्रसिद्ध [सुख, नेत्र, श्रोत्र, नासिकादि] अवयवोंसे भिन्न [उनने] लाघण्यसे समान महाकवियोंकी सूक्तियोंमें [वाच्य अर्थसे अलग ही] भासित होता है ।

अर्थात् 'उस अर्थ'से तात्पर्य है उस प्रतीयमान स्वादु [चर्वणीय, सरस] अथवा जो प्रतिभा जन्य है, और जो महाकविर्षाकी वाणीन वाच्याप्रित अलङ्कार आदिसे भिन्न, खियोंम अवयवोंसे अति रिक्त लाघण्यकी भाँति कुछ और ही वस्तु है । अतएव वह विशिष्ट अथ प्रतिभाजन्य है, स्वादु [सरस] है, वाच्यसे अतिरिक्त कुछ दूरी ही वस्तु है, और प्रतीयमान है ।

स्तरस्वती स्वादु तदर्थघस्तु नि प्यन्द्रमाना महता कधीनाम् ।

अल्लोरुसामान्यमभि यनक्ति परिस्फुरत प्रतिभाविशेषम् ॥

उस स्वादु अर्थवस्तुको विदेरती हुई नद बड़े कवियोंकी सरस्वती अलौकिक तथा अतिभास मान प्रतिभाविशेषको प्रकट करती है ।

इसपर लोचनकारनी टिप्पणी है—

"सर्वत्र शब्दाययोरुभयोरपि ध्वननव्यापारः । । स [काव्यविशेष] इति । अर्थो वा शब्दो वा, व्यापारो वा । अर्थोऽपि वाच्यो वा ध्वनतीति शब्दाऽप्येव व्यङ्ग्यो वा ध्व यत इति । व्यापारो वा शब्दार्थयोर्ध्वननमिति । कारिकया तु प्राध्यायेन समुदाय एव वाच्यरूपमुखतया ध्वनिरिति प्रतिपादितम् ।"

अर्थात् सबत्र शब्द आर अर्थ दोनोंना ही ध्वननव्यापार होता है । यह 'काव्यविशेष' का अर्थ है अर्थ, या शब्द या व्यापार । वाच्य अर्थ भी ध्वनन करता है और शब्द भी, इसी प्रकार व्यङ्ग्य [अर्थ] भी ध्वनित होता है । अथवा शब्द अर्थना व्यापार भी ध्वनन है । इस प्रकार कारिका

के द्वारा प्रधानतया समुदाय शब्द, अथ—वाच्य [व्यञ्जन] अर्थ और व्यङ्ग्य अर्थ तथा शब्द और अर्थका व्यापार ही ध्वनि है ।

अभिनवगुप्तने कहनेका तात्पर्य यह है कि कारिनाथे अनुसार ध्वनि सहा केवल वाच्यका ही नहीं दी गयी वरन् शब्द, अर्थ और शब्द अथवा व्यापार इन सबको ध्वनि कहते हैं ।

ध्वनि शब्दके 'युत्पत्ति' अर्थात् भी ये पाँच भेद सिद्ध हो जाते हैं

१ ध्वनति ध्वनयति वा य स व्यञ्जक शब्द ध्वनि—जो ध्वनित करे या कराये वह व्यञ्जक शब्द ध्वनि है ।

२ ध्वनति ध्वनयति वा य ग व्यञ्जकोऽर्थ ध्वनि—जो ध्वनित कर या कराये वह व्यञ्जक अर्थ ध्वनि है ।

३ ध्वयते इति ध्वनि—जो ध्वनित किया जाय वह ध्वनि है । इसमें रग, अलङ्कार और वस्तु—'यङ्ग्य' अर्थक ये तीनों रूप जा जाते हैं ।

४ ध्वयते अनन्त इति ध्वनि—जिसके द्वारा ध्वनित किया जाये वह ध्वनि है । इससे शब्द अर्थका व्यापार—व्यञ्जना आदि शक्तियोंका बोध होता है ।

५ ध्वन्यतेऽस्मिन्निति ध्वनि—जिसमें वस्तु, अलङ्कार, रसादि ध्वनित हा उस वाच्यको ध्वनि कहते हैं ।

इस प्रकार ध्वनिना प्रयोग पाँच भिन्न भिन्न परतु परस्पर सम्बद्ध अयाम होता है १ व्यञ्जक शब्द, २ व्यञ्जक अर्थ ३ 'यङ्ग्य' अर्थ, व्यञ्जना [व्यञ्जना व्यापार] और व्यङ्ग्यप्रधान वाच्य ।

सक्षेपम ध्वनिका अर्थ है व्यङ्ग्य, परतु पारिभाषिक रूपमें यह व्यङ्ग्य वाच्यातिशायी होना चाहिये वाच्यातिशायिनि व्यङ्ग्ये ध्वनि [साहित्यदर्पण] । इस आतिशय्य अथवा प्राधान्यका आधार है चाकल्य अथात् रमणीयताका उत्कण्ठ, 'चाकल्यत्कर्पणिव धना हि वाच्यव्यङ्ग्ययो प्राधान्य त्रिवक्षा' [ध्वन्यालोका] । अतएव वाच्यातिशायीका अर्थ हुआ वाच्यसे अधिक रमणीय—आर ध्वनि का सन्निव लक्षण हुआ "वाच्यसे अधिक रमणीय व्यङ्ग्यको ध्वनि कहते हैं ।"

ध्वनिकी प्रेरणा—स्फोटसिद्धान्त

ध्वनिसिद्धान्तकी प्रेरणा ध्वनिस्वरना वैयाकरणोंने स्फोटसिद्धान्तसे मिली है । उन्होंने स्पष्ट स्वीकार किया है कि 'सुरिभि कथित' में सुरिभि [विद्वानां द्वारा] से अभिप्राय वैयाकरणोंसे है क्योंकि वैयाकरण ही पहले विद्वान् हैं और वाकरण ही सब विद्याओंका मूल है । ये श्रूयमाण [मुने ज्ञात हुए] वर्णोंम ध्वनिका व्यवहार करते हैं ।

लोचनकारने इस प्रसंगसे और स्पष्ट किया है । उन्होंने वैयाकरणोंसे स्फोटसिद्धान्तक साध आलङ्कारिकोंने इस ध्वनिसिद्धान्तका पृथक् सामञ्जस्य स्थापित करते हुए तद्विषय पृथक्पृथक् साक्षात्प्राप्त 'वाच्य' की है । ध्वनिक पाँच रूप—व्यञ्जक शब्द, व्यञ्जक अर्थ, यङ्ग्य अर्थ, व्यञ्जना व्यापार तथा व्यङ्ग्य वाच्य—सभीके लिए वाकरणम निश्चित एव स्पष्ट सङ्केत हैं ।

लोचनकारकी टिप्पणीका व्याख्यान करने के लिए मैं अपने भिन्न श्री विश्वभरप्रसाद डराराल की ध्वन्यालोका टीकासे दो उद्धरण देता हूँ ।

"अत्र मुख्य किसी वाक्यका उच्चारण करता है तो श्रोता उसी उच्चरित शब्दका नहीं

पास ही अपने दूसरे शब्दको उत्पन्न करता है। दूसरा शब्द तीसरेको, तीसरा चौथेको और इस प्रकार क्रम चलता रहता है जबतक कि मेरे कानके पास शब्द उत्पन्न न हो जाय। इस प्रकार सन्तान रूपमें आये हुए शब्दज शब्दको ही मैं सुन सकता हूँ। यह शब्दज शब्द ध्वनि कहलाता है। भगवान् भन्वहरिने भी कहा है “य सयोगवियोगाभ्या करणैरुपजयते। स स्फोट शब्दज शब्दो ध्वनिरित्युच्यते बुधै ॥” कर्णा (vocal organs) के सयोग और वियोग [क्योंकि उनके खुलने और बन्द होना ही आवाज पैदा होती है] से जो स्फोट उपज्जित होता है वह शब्दज शब्द विद्वानों द्वारा ध्वनि कहलाता है। वक्तव्य मुरसे उचरित शब्दोंसे उत्पन्न शब्द हमारे मस्तिष्कमें नित्य वर्तमान स्फोटको जगा देते हैं। यही वैयाकरणोंकी ध्वनि है। इसी प्रकार आलङ्कारिकाके अनुसार भी घण्टानादके समान अनुरणरूप, शब्दसे उत्पन्न, ‘यद्भव अर्थ ध्वनि है।

वैयाकरणोंने अनुसार ‘गौ’ शब्दका उच्चारण होनेपर हम ‘गू, औ और (विसर्ग)’ इनकी पृथक् पृथक् प्रतीति करते हैं। इनकी एक साथ तो स्थिति हो नहीं सकती। यदि ऐसा हो तो पौवा पयका अक्षकाश ही नहीं रहेगा। तीन भिन्न शब्द एक साथ हो ही नहीं सकते। ‘गौ’ शब्दके सुननेपर हमारे मस्तिष्कमें नित्य वर्तमान स्फोटरूप ‘गौ’की प्रतीति होती है। किन्तु इसक पहले ही जबल ‘गू’ शब्दको सुनते ही हम प्रतीतिन साथ स्फोटरूप ‘गौ’की अस्पष्ट प्रतीति भी होती है जो ‘औ’ और ‘’ तक आ जानेपर पूणतया स्पष्ट हो जाती है। — श्री विश्वभारप्रसाद डबराळ

इसको आचार्य मम्मटकी ‘यात्प्राये नाधारपर और स्पष्ट रूपसे समझ लीजिये गौ शब्दमें ‘गू’, ‘औ’, और ‘ ’ य तीन वण्ड हैं। इन तीन वर्णोंमेंसे गां वा अथवाध कसके द्वारा होता है ? यदि यह कहें कि प्रत्येक उच्चारण द्वारा तो एक वर्ण ही पयात होगा, शेष दो व्यर्थ हैं। और यदि यह कहें कि तीनों वर्णोंक समुदायक उच्चारण द्वारा तो यह असम्भवाय है, क्योंकि काह भी वर्णध्वनि दो क्षणसे अधिक नष्ट टट्टर सकती अथात् दिसगतक आत आते ‘गू’की ध्वनिका लोप हो जायगा जिसके कारण बीना वर्णोंके समुदायकी ध्वनिवा एक साथ होना सम्भव न हो सकेगा। अतएव अवन्त यूसम विवेचाके बाद वैयाकरणोंने स्थिर किया कि अथवाध शब्दके ‘स्फोट’ द्वारा होता है अथात् पूर्वं पूर्ण वर्णोंक संस्कार अर्थात् अंतिम वर्णक उच्चारणके साथ संयुक्त होकर शब्दका अथवाध करात है।

‘मर्तुहरि भी यही कहत है ‘प्रत्ययैरनुपात्वेयैर्ग्रहणाजुग्रहैस्तथा। ध्वनिप्रकाशिते श दे स्वरूप मवधायतं ।’ ग्रहणक लिए अनुगुण [अनुसृल, अनुपास्वयेव [जिह्व स्पष्ट शब्दाम ध्यक्त गही किया जा सकता] प्रत्ययों (o GUILLEJUS) द्वारा ध्वनिरूपमें प्रकाशित शब्द [स्फाट] में स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। यहा वैयाकरणाक अनुसार, नाद कहलानवाले, अत्रनुदिस प्राप्त स्फाटव्यञ्जन वर्ण ध्वनि कहलाते हैं। इसक अनुसार व्यञ्जक शब्द और अर्थ भी ध्वनि कहलात है—यह आलङ्कारिकोंका मत है।

हम एक श्लोकको कई प्रकारसे पढ़ सकते हैं। कभी धीरे धीरे, कभी बहुत शीघ्र, कभी मध्यम, कभी गाते हुए तथा कभी सीध-सीधे। किन्तु सभी समय यद्यपि हम भिन्न भिन्न ध्वनियों का प्रयोग करते हैं, अथ वेदल एक ही प्रतीति हाता है। यह क्या ? वैयाकरणोंका कहना है कि शब्द दो प्रकारका हाता है। एक जो स्फाटरूपमें वर्तमान प्राकृत शब्द, दूसरा विकृत। हम जिन शब्दोंका प्रयोग करते हैं वे उस स्फाटरूप प्राकृतकी अनुकृतिमात्र हैं। प्राकृत शब्दका एक नित्यस्वरूप होता है, उसकी अनुकृतियों (models) में विभिन्नता हो सकती है। विकृत शब्दोंका उच्चारणरूप यह विभिन्न व्यापार भी वैयाकरणोंक अनुसार ध्वनि है। आलङ्कारिकोंके अनुसार भी प्रसिद्ध शब्द

व्यापारोंसे भिन्न व्यञ्जकत्व नामका शब्द-यवहार ध्वनि है। इस प्रकार व्यङ्ग्य अर्थ, 'यञ्जक शब्द, व्यञ्जक अर्थ और व्यञ्जकत्व-यापार—यह चार तरहकी ध्वनि हुई। इन चारोंके एक साथ रहनेपर समुदाय रूप काय भी ध्वनि है। इस प्रकार लोचनकारने वैयाकरणोंका अनुसरण करके पाँचोंमें ध्वनित्व सिद्ध कर दिया।"—श्री विश्वनाथप्रसाद डगराल

इस विवेचनका सारांश यह है—

१ जिसने द्वारा अर्थका प्रस्तुत हो उसे स्फोट कहते हैं।

२ शब्दके दो रूप होते हैं—एक यत्त अथात् विवृत रूप, दूसरा अव्यक्त अथात् प्राकृत [नित्य] रूप। 'यत्तका सम्बन्ध वैतरी और अव्यक्तका सम्बन्ध मय्यमा वाणीसे है जो वैतरीनी अपेक्षा समतर है। पहला स्थूल ऐन्द्रिय रूप है, यह उच्चारणकी विधि अनुसार बदलता रहता है। दूसरा सूक्ष्म मानस रूप है जो नित्य तथा अरुण्ड है। यह हमारे मनमें सदैव बतमान रहता है और शब्द अर्थात् वणोंके सद्भावविशेषको सुनकर उद्बुद्ध हो जाता है। इसको शब्दका स्फोट कहते हैं। स्फोट का दूसरा नाम 'ध्वनि' भी है।

३ जिस प्रकार घृथक् घृथक् वगैरोंके सुनकर भी शब्दका रोध नहीं होता है, वह केवल स्फोट या ध्वनिके द्वारा ही होता है, इसी तरह शब्दोंका वाच्यार्थ ग्रहणकर भी वाच्यके सौदयकी प्रतीति नहीं होती, वह केवल यङ्गवाच्य या ध्वनिके द्वारा ही होती है।

४ व्याकरणमें व्यञ्जक शब्द, यञ्जक अर्थ, व्यङ्ग्य अर्थ, व्यञ्जना-यापार तथा व्यङ्ग्य काव्य—ध्वनि इन पाँचों रूपोंके लिए निश्चित संज्ञेत मिलते हैं। यह स्फोट शब्द, वाक्य आर प्रबन्ध तकका होता है।

इस प्रकार शब्दसाम्य और यापारसाम्यके आधारपर ध्वनिकारने याकरणके ध्वनि सिद्धान्तसे प्रेरणा प्राप्त कर अपने ध्वनिसिद्धांतकी उद्घाटना की।

ध्वनिकी स्थापना

आगे चलकर ध्वनिका सिद्धान्त यद्यपि सर्वसामान्य सा हो गया परन्तु आरम्भमें इसे घोर विरोधका सामना करना पड़ा। एक तो ध्वनिकारने ही पहलेसे बहुत कुछ विरोधना निराकरण कर दिया था, उसने साद मगमटने उसका अत्यन्त योग्यतापूर्वक समर्थन किया जिसपरिणामस्वरूप प्रायः सम्पूर्ण विरोध शांत हो गया।

ध्वनिकारने तीन प्रकारके विरोधियाकी स्थापना की थी—एक अभाववादी, दूसरे लक्षणमें ध्वनि [यञ्जना] का अतत्त्वात् करनेवाले, और तीसरे वे जो ध्वनिका अनुभव तो करते हैं, परन्तु उसकी व्याख्या असम्भव मानते हैं।^१

सबसे पहले अभाववादियोंको लजिये। अभाववादियोंके विवरण इस प्रकार है १ ध्वनिको आप काव्यकी आत्मा [सौ दय] मानत ह—पर काय शब्द और अर्थका सम्बन्ध शरीर ही तो है। स्वयं शब्द और अर्थ तो ध्वनि ही नहीं सन्ते। अब यदि उनके सौ दय अथवा चारुत्वको आप

१ शब्दव्याप्त्या ध्वनिरिति बुद्धेयं समाम्नातपूर्व
स्तस्थामाह तन्मन्तरे भास्वमाहुस्तमये।
वेचिद् वाता दिनममिषये तत्स्वमृत्तुम्नाय
तेन मूम सद्भयमन प्रातये तत्स्वरूपम् ॥—ध्वनिकीव

ध्वनि मानते हैं, तो वह पुनरावृत्तिमात्र है, क्योंकि शब्द और अर्थ के चाक्षुष्यके तो सभी प्रकारोंका विवेचन किया जा चुका है।

शब्दका चारुत्व तो शब्दालङ्कार तथा शब्दगुणने अन्तर्गत आ जाता है, और अर्थका चारुत्व अथालङ्कार तथा अर्थगुणमें। इनके अतिरिक्त वैदर्भी आदि रीतियों और इनसे अभिन्न उपनागरिका आदि वृत्तियों भी हैं जिनका सम्बन्ध शब्द अर्थके साहित्य [मिश्र शरीर] से है। सभी प्रकारके शब्द और अर्थगत सौन्दर्यका अन्तर्भाव इनमें ही जाता है। अतएव ध्वनिसे आशय यदि शब्द और अर्थगत चारुत्वसे है तो उसका तो सम्यक् विवेचन पहले ही किया जा चुका है— फिर ध्वनिकी क्या आवश्यकता है? यह या तो पुनरावृत्ति या अधिकसे अधिक एक नवीन नामकरण मात्र है, जिसका कोई महत्त्व नहीं।

२ दूसरे विकल्पमें परम्पराकी दुहाइ दी गयी है। यदि प्रसिद्धपरम्परासे आये हुए मार्गसे भिन्न काव्यप्रकार माना जाय तो काव्यत्वकी ही हानि होती है। इनकी युक्ति यह है कि आखिर ध्वनिकी चर्चासे पहले भी तो काव्यका आस्वादन होता रहा है, यदि काव्यकी आत्माका अन्वेषण आप अब कर रहे हैं तो अबतक क्या लोग मूर्खोंकी भौति अभावमें भावकी कल्पना करते रहे हैं। ध्वनि प्रसिद्ध काव्यपरम्परासे भिन्न कोई मार्ग है तो अबतकके काव्यने काव्यत्वका क्या हुआ? वह तो इस प्रकार रह ही नहीं जाता। इसके कहनेका तात्पर्य यह है कि ध्वनिसे पूव भी तो काव्य था और सहृदय उसके काव्यत्वका आस्वादन करते थे। यदि काव्यकी आत्मा ध्वनि आपने अब ढूँँ निकाली है तो पूर्ववर्ती काव्यका काव्यत्व तो असिद्ध हो जाता है।

कुछ लोग ध्वनिके अभावको एक और रीति से प्रतिपादित करते हैं। वे कहते हैं कि यदि ध्वनि कमनीयताका ही कोई रूप है तो वह कथित चाक्षुषकारणोंमें ही अन्तर्भूत हो जाता है। हाँ, यह हो सक्ता है कि वाक्के भेद प्रभेदोंकी अनन्तताके कारण लक्षणार्थने किसी प्रभेदविशेषकी समाख्या न की हो और उसीको आप खोज निकालकर ध्वनि नाम दे रहे हों। परन्तु यह तो कोई बड़ी बात न हुई। यह तो झूठी सहृदयतामान है।

ध्वनिने अस्तित्वना निषेध करनेवालोंकी युक्तियाँका शारांग यही है। ये एक प्रकारसे अभिधाया वाच्यायमें ही व्यञ्जना या ध्वनिका अन्तर्भाव करते हैं।

ध्वनिविरोधियोंका दूसरा वग उसको लक्षणाके अन्तर्गत मानता है, इन लोगोंको भान्त गदी कहा गया है।

तीसरा वग ऐसे लोगोंका है जो ध्वनिको सहृदयसंश्लेष मानते हुए भी उसे वाणीने लिए अगोचर मानते हैं, अर्थात् उसकी परिभाषाको असम्भव मानते हैं। इनको ध्वनिकारने 'लक्षण करनेमें अप्रगल्भ' कहा है।

इन विरोधियोंकी कल्पना तो ध्वनिकारने स्वयं कर ली थी—परन्तु उसने बाद भी तो इस सिद्धान्तका विरोध हुआ। पूर्ववर्ती विरोधियोंमें सबसे अधिक पराक्रमी थे—भट्टनायक, महिममट्ट तथा कुन्तल। भट्टनायकने रसास्वादनने हेतुरूप शब्दकी भावत्रय और भोजन्य दो शक्तियोंकी उद्भानना की और व्यञ्जनाका निषेध किया। महिममट्टने ध्वनिको अनुमितिमान मानते हुए व्यञ्जनाका निषेध किया और अभिधाको ही पयत्न माना। कुन्तलने ध्वनिकी वनोक्तिके अन्तर्गत माना। भट्टनायकका उत्तर अभिनवगुप्तने तथा अयना मम्मटने दिया, और व्यञ्जनाकी अतकथता सिद्ध करते हुए ध्वनिको अकारण माना।

वास्तवमें ध्वनिका विद्याल भवन व्यञ्जनाके आधारपर ही खडा हुआ है और ध्वनिकी स्थापनाका अर्थ व्यञ्जनाकी ही स्थापना है ।

सबसे पहले अभाववादियोंके विकल्प लीजिये । उनका एक तक यह है कि ध्वनिप्रतिपादनके पूर्व भी तो काव्यमें काव्यत्व था, और सहृदय निबाध उसरा आस्वादन करते थे । यदि ध्वनि काय की आत्मा है तो पूववर्ती काव्यमें काव्यत्वकी हानि हो जाती है । इसका उत्तर ध्वनिकारने ही दिया है—और वह यह है कि ध्वनिका नामकरण उस समय नहीं हुआ था, परन्तु उसकी स्थिति तो उस समय भी थी । उदाहरणके लिए पद्यावोक्त आदि अलङ्कारोंमें व्यङ्ग्य अथ अत्यन्त स्पष्ट रूपसे वतमान रहता है—उसका महत्त्व गौण है, परन्तु उसका अस्तित्व तो असदिग्ध है । इस व्यङ्ग्याथके लिए केवल 'व्यञ्जना ही उत्तरदायी है । इसने अतिरिक्त रस आदिकी स्वीकृतिमें भी स्पष्ट व्यङ्ग्यकी स्वीकृति है क्योंकि रस आदि अभिवेय तो होते नहीं । उधर लभ्य ग्रंथोंमें भी काव्यके निबाधक इस तत्वकी प्रतीति निश्चित है, चाहे निरूपण न हो ।

अभाववादियोंकी सबसे प्रबल युक्ति यह है कि व्यञ्जनाका पृथक् अस्तित्व माननेकी आवश्यकता नहीं है । वह अभिधाके या फिर लक्षणाके अन्तगत आ जाती है ।

इसका एक अभाववात्मक उत्तर तो यह है कि ध्वनिने जो दो प्रमुख भेद किये गये हैं उन दोनोंका अन्तभाव अभिधा या लक्षणामें नहीं किया जा सकता । अविवक्षितवाच्यध्वनि अभिधाके आश्रित नहीं है । अभिधाके विफल हो जानेके बाद लक्षणाकी सामर्थ्यपर ही उसका अस्तित्व अवलम्बित है । उधर विवक्षिता-परवाच्यमें लक्षणा गीचम आती ही नहीं । अतएव यह सिद्ध हुआ कि ध्वनिका एक प्रमुख भेद तथा उसने उपभेद अभिधाके अन्तगत नहीं समा सकते और दूसरा भेद तथा उसके अनेक प्रभेद लक्षणासे रहित हैं । अर्थात् ध्वनि अभिधा और लक्षणामें नहीं समा सकती । भावात्मक उत्तर यह है कि अभिधाय और लक्षणाथका ध्वयर्थसे पार्थक्य प्रकट करनेवाले अनेक अतक्य तथा स्वयसिद्ध प्रमाण हैं ।

अभिधार्थ और ध्वन्यर्थका पार्थक्य

बोधा, स्वरूप, सरया, निमित्त, काय, ऋल, आश्रय और विषय आदिके अनुसार व्यङ्ग्यार्थ प्राय वाच्यार्थसे भिन्न हो जाता है—

योद्घृष्टस्वरूपसख्यानिसिद्धार्थप्रतीतिकालानाम् ।

आश्रयविषयादीना भेदाद्भिन्नोऽभिधेयतो व्यङ्ग्य ॥—स्य० द०

योद्धाके अनुसार पार्थक्य—वाच्यार्थकी प्रतीति बोध व्याख्यादिने प्रत्येक शाताको हो सकती है, परन्तु ध्वन्यर्थकी प्रतीति केवल सहृदयको ही हो सकती है ।

स्वरूप—कहीं वाच्यार्थ विधिरूप है तो व्यङ्ग्यार्थ निषेधरूप । कहीं वाच्यार्थ निषेधरूप है, पर व्यङ्ग्यार्थ विधिरूप । कहीं वाच्यार्थ विधिरूप है, या कहीं निषेधरूप है, पर व्यङ्ग्यार्थ अनुमयरूप है । कहीं वाच्यार्थ सशयात्मक है, पर व्यङ्ग्यार्थ निश्चयात्मक ।

सखया—सरयाके अतगत प्रकरण, वक्ता और श्रोताका भेद भी आ जाता है । उदाहरणके लिए 'सुर्गाहा हो गया' इस वाक्यका वाच्यार्थ तो सर्भके लिए एक है, पर व्यङ्ग्यार्थ वक्ता, श्रोता तथा प्रकरणके भेदसे अनेक होंगे ।

निमित्त—वाच्यार्थका बोध सादरतामात्रसे हो जाता है, परन्तु व्यङ्ग्यार्थकी प्रतीति प्रतिभा दाय ही सम्भव है । वास्तवमें निमित्त और बोधाका पार्थक्य बहुत कुछ एव ही है ।

कार्य—वाच्यार्थसे वस्तुज्ञानमात्र होता है परन्तु यद्वाच्यार्थसे चमत्कार—आनन्दका आस्वादन होता है।

काल—वाच्यार्थकी प्रतीति पहले और यद्वाच्यार्थकी उसके बाद होती है। यह क्रम लक्षित हो या न हो, परन्तु इनका अस्तित्व असन्दिग्ध है।

आश्रय—वाच्यार्थ केवल शब्द या पदके आश्रित रहता है, परन्तु व्यद्वाच्यार्थ शब्दमें, शब्दके अर्थमें, शब्दके एक अक्षरमें, वर्ण या वर्णरचना आदिमें भी रहता है।

विषय—वहा वाच्य और व्यद्वाच्यका विषय ही भिन्न होता है

वाच्यार्थ एक व्यक्तिके लिए अभिप्रेत होता है, और यद्वाच्यार्थ दूसरेके लिए।

पर्याय—इसके अतिरिक्त, पर्याय शब्दोंके भी यद्वाच्यार्थमें अन्तर होता है। स्पष्टतः सभी पर्यायोंका वाच्यार्थ एक सा होता है, परन्तु यद्वाच्यार्थ भिन्न हो सकता है। उपयुक्त विशेषणका चयन बहुत कुछ इसी पार्थक्यपर निर्भर रहता है।

आधुनिक हिन्दी का यमें तथा विदेशके साहित्यशास्त्रमें विशेषणचयन का यशिल्पका विशेष गुण माना गया है और उसका अत्यन्त सूक्ष्म निवेदन भी किया गया है।

अनन्वित अर्थकी व्यञ्जना—अभिधा केवल अनन्वित अर्थका ही बोध करा सकती है परन्तु कहीं कहीं अनन्वित अर्थके अतिरिक्त किसी अनन्वित अर्थकी भी व्यञ्जना होती है। इस प्रकरणमें मम्मटने 'कुच रुचि' और 'रुचि कुच'का उदाहरण दिया है। अनन्वित अर्थकी दृष्टिसे 'रुचि कुच' सवथा निर्दोष है, परन्तु इसमें 'चि'कु'के द्वारा, जो सर्वथा अनन्वित है, अश्लील अर्थका बोध होता है। चि'कु कम्पनीकी भाषामें अश्लील अर्थका बोध है। पण्डित रामदहिन मिश्रने पन्तकी निम्नलिखित पत्तियोंमें भी यही उदाहरण घटाया है—

'सरल्पन ही था उसका मन'से सरलपनही (जूटा) था उसका मन' इस अनन्वित अर्थकी व्यञ्जना भी हो जाती है।

यह अनन्वित अर्थ अभिधाका व्यापार तो हो नहीं सकता। जैसे भी यह वाच्य न होकर व्यद्वाच्य ही है, अतएव व्यञ्जनाका ही व्यापार सिद्ध हुआ।

रसादि भी अभिधाश्रित ध्वनिभेदके अन्तर्गत आते हैं। ये विवक्षितान्यपरवाच्यके शास्त्रमय भेदके अन्तर्गत हैं। ये रसादि भी व्यञ्जनाके अस्तित्वके प्रबल प्रमाण हैं। क्योंकि ये कहीं भी वाच्य नहीं होते सदा वाच्य द्वारा आश्रित व्यद्वाच्य होते हैं। शृङ्गार शब्दके अभिधेयाधने द्वारा शृङ्गार रसकी प्रतीति असम्भव है। इस प्रकार यह सिद्ध हो जाता है कि कम्बसे कम रसादिकी प्रतीति अभिधाकी सामर्थ्यसे बाहर है। इस प्रसङ्गको लेकर संस्कृतके आचार्योंमें बड़ा शास्त्रांध हुआ है। सबसे पहले तो भग्नायकने व्यञ्जनाका निषेध करत हुए शब्दकी भावकत्व और भोजकत्व दो शक्तियों मानीं और प्राक् अर्थका भावन तथा रसका आस्वाद उर्ध्विके द्वारा माना। परन्तु अभिनवगुप्तने भावकत्व और भाजनत्वकी कल्पनाको निराधार और अपावश्यक माना, तथा याकरण आदिके आधारपर व्यञ्जनाकी ही स्थापना की।

शास्त्रमें भग्नायक अपने सिद्धान्तको अधिक वैज्ञानिक रूप नहीं दे सके। शब्दकी भावकत्व और भोजकत्व जैसी शक्तियोंके लिए न तो व्याकरणमें और न भोमाभा आदिमें ही कहीं कोई आधार मिलता है, और इकर मनोविज्ञान तथा भाषाशास्त्रकी दृष्टिसे भी इसकी सिद्धि नहीं हो सकती। भावकत्वका वाय भावन करानेमें महायत्न होना है, और भावन बहुत कुछ कल्पनाकी प्रिया है। अतएव भावकत्वका काय हुआ कल्पनाको उद्बुद्ध करना। उधर भोजकत्वका काय है साधारणीकृत

अर्थके भावन द्वारा रसकी चवणा कराना। भट्टनायकके कहनेका तात्पर्य आधुनिक शब्दावलीमें यह है कि वाच्यगत शब्द पहले तो पाठकको अर्थरोध कराता है, फिर उसकी कल्पनाको जाग्रत करता है और तदनन्तर उसने मनमें वासनारूपसे स्थित स्थायी मनोविकारोंको उद्बुद्ध करता हुआ उसको आनन्दमग्न करा देता है। उनका यह सम्पूर्ण प्रयत्न इस तथ्यको स्पष्ट करनेके लिए है कि शब्द और अर्थने द्वारा वाच्यगत 'उस विचित्र आनन्द'की प्राप्ति कैसे होती है। जहाँतक कायानन्दके स्वरूपका प्रश्न है, भट्टनायकको उसके विषयमें कोई भ्रान्ति नहीं है। वे जानते हैं कि यह आनन्द वासनामूलक तो अवश्य है, परन्तु केवल वासनामूलक आनन्दके अन्य रूपोंसे इसका वैनिय स्पष्ट है। वास्तवमें, जैसा कि मैंने अन्यत्र स्पष्ट किया है, कायानन्द एक मिश्र आनन्द है—इसमें वासनाजन्य आनन्द और बौद्धिक आनन्द दोनोंका समावेश रहता है। उसने मिश्र स्वरूपको एटीसनने कल्पनाका आनन्द कहा है जो मनोविज्ञानकी दृष्टिसे ठीक भी है क्योंकि कल्पना चित्त और बुद्धकी मिश्रित क्रिया ही तो है। इसी मिश्र रूपकी व्याख्यामें [यद्यपि भट्टनायकने स्वयं इसको अपने शब्दोंमें यत् नहीं किया है और इसका कारण परम्परासे चला आया हुआ 'अनिवचनीय' शब्द था] भट्टनायकने भावकत्व और भोक्तृत्वकी कल्पना की है—भावकत्व उसने बौद्धिक अशका हेतु है और भोक्तृत्व उसके वासनाजन्य रूपका व्याख्यान करता है। अभिनवने ये दोनों विशेषताएँ अनेकी व्यञ्जनामें मानी हैं। व्यञ्जना ही हमारी कल्पनाको जगाकर हमारे वासनारूप स्थित मनोविकारोंकी चरम परिणतिके आनन्दका आस्वादन कराती है। इस प्रकार मूलतः भावकत्व और भाजकत्व दोनोंका उद्देश्य भी वही टहरता है जो अकेली व्यञ्जनाका। व्याकरण और भीमांशा आदिके सहारे व्यञ्जनाका आधार चूंकि अधिक पुष्ट है, इसलिए अततो गत्वा वही सर्वमाय हुइ। भट्टनायककी दोनों शक्तियों निराधार घोषित कर दी गयीं।

इस प्रकार अभिधावादियोंका यह तर्क लण्डित हो जाता है कि अभिधाका अर्थ ही तीरकी तरह उत्तरोत्तर शक्ति प्राप्त करता जाता है।

बादमें महिमभट्टने व्यञ्जनाका प्रतिषेध किया और कहा कि अभिधा ही शब्दकी एकमात्र शक्ति है, जिसे व्यङ्ग्य कहा जाता है वह अनुमेयमात्र है, तथा व्यञ्जना पूर्वविद्ध अनुमानके अतिरिक्त और कुछ नहीं। वे वाच्यार्थ और व्यङ्ग्यार्थमें व्यङ्ग्य-व्यङ्ग्यसम्बन्ध न मानकर लिङ्ग लिङ्गी सम्बन्ध ही मानते हैं। परन्तु उनके तर्कोंका मग्नने अत्यन्त युक्तिपूर्वक लण्डन किया है। उनकी युक्ति है कि सर्वत्र ही वाच्यार्थ और व्यङ्ग्यार्थमें लिङ्ग लिङ्गीसम्बन्ध होना अनिवार्य नहीं है। लिङ्ग लिङ्गीसम्बन्ध निन्द्ययात्मक है अर्थात् जहाँ लिङ्ग [साधन या हेतु] निश्चय रूपसे वर्तमान होगा, वहाँ लिङ्गी [अनुमेय वस्तु] का अनुमान किया जा सकता है। परन्तु ध्वनिप्रसङ्गमें वाच्यार्थ सदा ही निश्चयात्मक हेतु नहीं हो सकता—वह प्रायः अनैकान्तिक होता है। ऐसी स्थितिमें उसे व्यङ्ग्यवार्थरूप स्वत्कारके अनुमानका हेतु कैसे माना जा सकता है? मनाविज्ञानकी दृष्टिसे भी महिमभट्टका तर्क अधिक सद्गत नहीं है क्योंकि अनुमानमें साधनसे साध्यकी सिद्धि तत्र या बुद्धिके द्वारा होती है, पर ध्वनिमें वाच्यार्थसे व्यङ्ग्यार्थकी प्रतीति तर्कके सहारे न होकर सहृदयता [भासुकता, कल्पनाओं आदि] के द्वारा होती है।

अत्र भासु [लज्जा] वादियोंको लीजिये। उनका कहना है कि वाच्यार्थके अतिरिक्त यदि कोई दूसरा अर्थ होता है तो वह ल्यार्थके ही अन्तगत आ जाता है। व्यङ्ग्यार्थ ल्यार्थका ही एक रूप है, अतएव लक्षणासे भिन्न व्यञ्जना जैसी कोई शक्ति नहीं है। इस मतका खण्डन अधिक सरल है।

इसके विरुद्ध पहली प्रयत्न युक्ति तो स्वयं ध्वनिकारने प्रस्तुत की है। वह यह कि वाच्याथकी तरह लक्ष्यार्थ भी नियत ही होता है और वह वाच्याथने प्रथम ही होना चाहिये, अर्थात् लक्ष्याथ वाच्याथसे निश्चय ही सम्बद्ध होगा। “गङ्गापर घर’ वाच्यमें गङ्गा नाम जो प्रवाहरूप अथ है वह तटको ही लक्षित कर सक्ता है, सबको नहीं, क्योंकि प्रवाहका तटने साथ ही नियत सम्बन्ध है।” [—वाच्यालोक]। इसने विपरीत ‘यङ्गथाथका वाच्याथके साथ नियतसम्बन्ध अनिश्चय नहीं है—इस दोनोंका नियतसम्बन्ध, अनियतसम्बन्ध और सम्बन्धसम्बन्ध भी होता है। ध्वनिकारने इसकी विस्तृत व्याख्या की है। कहनेका तात्पर्य यह है कि लक्ष्यार्थ एक ही हो सकता है और वह भी सर्वथा सम्बद्ध होगा, परन्तु व्यङ्ग्याथ अनेक हो सकते हैं और उनका सम्बन्ध अनियत भी हो सकता है।

दूसरी प्रयत्न युक्ति यह है कि प्रयोजनवती लक्षणाका प्रयोग सबदा किसी प्रयोजनसे किया जाता है। उदाहरणके लिए ‘गङ्गाके किनारे घर’के स्थानपर ‘गङ्गापर घर’ कहनेका एक निश्चित प्रयोजन है और वह यह है कि ‘पर’के द्वारा अति नैऋत्य और तत्सम्य शैत्य और पावनत्व आदिकी सूचना अभिप्रेत है। लक्षणाका यह प्रयोग सर्वत्र सप्रयोजन होगा अथवा यह केवल वितण्डामान रह जायगा। यह प्रयोजन सर्वत्र व्यङ्ग्य रहता है और इसकी सिद्धि व्यञ्जनाके द्वारा ही हो सकती है।

तीसरा तर्क पहले ही उपस्थित किया जा चुका है और वह यह है कि रसादि सीधे वाच्याथसे व्यङ्ग्य होते हैं, लक्ष्याथके माध्यमसे उनकी प्रतीति नहीं होती। अतएव उनका लक्ष्यार्थसे कोई सम्बन्ध नहीं। इस प्रकार लक्षणाके व्यञ्जनाका अतमान सम्भव नहीं है।

इसके अतिरिक्त कुछ और भी प्रमाण हैं जिनसे ध्वनि की सिद्धि होती है। उदाहरणके लिए दोष दो प्रकारके होते हैं नित्यदोष जो सबत्र ही काव्यकी हानि करते हैं, और अनित्यदोष जो प्रसङ्गभेदसे काव्यके साधक भी हो जाते हैं—जैसे श्रुतिकटुत्वादि जो शृङ्गारमें बाधक होते हैं वे भी वीर तथा रौद्रके साधक हो जाते हैं। दोनोंकी यह नित्यानित्यता ‘व्यङ्ग्याथकी स्वाहृतिपर ही अलम्बित है। श्रुतिकटु वर्ण वीर अथवा रौद्रके साधक इसीलिए हैं कि वे कर्कशताकी ‘व्यञ्जना कर उत्साह और मोक्षकी कठोरतामें योग देते हैं। इनके द्वारा कर्कशता व्यङ्ग्य रहती है, वाच्य नहीं, इत्यादि। ध्वनिने अथ विरोधियोंमें कुत्तनकी गणना की जा सकती है। कुत्तनके ध्वनिको उन्मोक्तिके अन्तर्गत ही माना, और प्रतिहारके दुराजने उस अलङ्कारोंसे पृथक् मानना अनावश्यक समझा।

काव्यत्पका अधिवाम : वाच्याथमें या व्यङ्ग्याथमें ?

आचार्य गुरुने इस प्रसङ्गसे सम्बद्ध एक अत्यन्त महत्वपूर्ण तथा रोचक प्रश्न उठाया है काव्यत्व वाच्याथमें रहता है या व्यङ्ग्याथमें ? अपने इंदीर भाषणमें उन्होंने कहा है

“वाच्याथके अयोग्य और अनुपपन्न होनेपर योग्य और उपपन्न अथ प्राप्त करनेके लिए लक्षणा और व्यञ्जनाका सहारा लिया जाता है। अथ प्रश्न यह है कि काव्यकी रमणीयता किसमें रहती है ? वाच्याथमें अथवा लक्ष्याथमें या व्यङ्ग्याथमें ? इसका सघटक उत्तर यही है ‘वाच्याथमें,’ चाहे वह वाच्य हो वा उपपन्न हो अथवा अयोग्य और अनुपपन्न।”

इसके आगे उन्होंने सन्नेतसे दो उदाहरण दिये हैं—

१ “जीन्ट हाथ पतङ्ग मरे फया ?’ इसमें भी यही बात है। जो कुछ वचनिय या चमत्कार है वह इन अयोग्य और अनुपपन्न वाक्य या उसके वाच्याथमें ही है। इसके स्थानपर यदि

इसका यह लक्ष्याथ कहा जाय कि 'जीनर पतङ्ग क्या रूप भागे' ता को 'वैचित्र्य या चमत्कार नहीं रह जायगा ।'

अथवा

० 'आप अपि उन सङ्ग कहीं तो क्या कुछ रेर लगाऊँ ।
मैं अपनेको आप मिटाकर जाऊँ उनको लाऊँ ॥'

इसका वाच्याथ बहुत ही अत्युक्त, यादत तथा बुद्धिना सवथा अग्राह्य है । उर्मिला आप ही मिट जायगी, तब आपो प्रियतम लम्पणना पाये लायेगी क्या ? पर सारा रस, सारी रमणीयता आ व्याहत और बुद्धिको अग्राह्य वाच्याथम ही है, इस योग्य और बुद्धिग्राह्य व्यङ्ग्याथम नहा कि सामला को अत्यन्त ओत्सुक्य है । 'ससे स्पष्ट है कि वाच्याथ ही काय होता है, 'यङ्गनाथ या लक्ष्याथ नहा ।'

शुक्लजीने मुखसे यह उक्ति मुनरर साधारणत हिंदीका विचारार्थ आच्यचरित्त हा मरता है । ऐसा लगता है मानो जीवनभर चमत्कारना उग्र विग्राध करनक याद जन्तम जाचायन उससे समझौता कर लिया हा ।

स्वयं शुक्लजीने ही अपने लेखोसे अनेक ऐसे वाक्य उद्धृत किये जा मरत ' तिम इसने विपरीत मन्तव्य प्रकट किया गया है । पणित गमरणि मिरो उनका हजाला दो हुए, तथा अनेक शास्त्रसम्मत युक्तियां द्वारा शुक्लजीके अभिमतना निषेध किया है, और जन्तम इस शास्त्रोक्त मतकी ही स्थापना की है कि काव्यत्व व्यङ्ग्याथम है—वाच्याथम नहा ।

परन्तु शुक्लजी द्वारा उठाया गया यह प्रश्न इतना सरल नहा है । शान्दम शुक्लजी प्रतिभाका सबसे बड़ा गुण यही था कि उहोंने परम शास्त्रनिष्ठ होते हुए भी प्रमाण रण अपनी बुद्धि और अनुभूतिको ही माता । वे किमी प्राच्य अथवा पाश्चात्य सिद्धान्तको स्वीकार करनेसे पूर्व उने अपने विवेक और अनुभूतिकी कसौटीपर कसर देग लेते थे । किसी रमात्मक वाक्यना पत्रर हम जो आन दानुभूति होती है, उसके लिए उस वाक्यना कौन सा तत्त्व उत्तरदायी है ? उस वाक्यका वाच्यार्थ, जिसमें शब्दार्थगत चमत्कार रहता है ? अथवा यङ्गनाथ, जिसम प्रत्यय या प्रत्यय रूपसे भावकी रमणीयता रहती है ? उदाहरणने लिए उपर्युक्त दोनों उद्हरणानो ही लीजिये । उनमे प्राप्त आन दके लिए उनका कौन सा तत्त्व उत्तरदायी है ? 'जीनर हाय पतङ्ग मरे गया ?' 'मग 'मर' शब्दका लाक्षणिक प्रयोग 'जी कर'के साथ नैटनर विरोधाभासका चमत्कार उत्पन्न करता है । अतएव जहाँतक इस चमत्कारका सम्बन्ध है, उसका अधिप्रास वाच्याथम ही है, न तथा अथवा उपपन्न करकर इस चमत्कारकी सिद्धि अनश्य करता है, परन्तु उठका कारण वाच्याथ ही है, लक्ष्याथ देनेसे चमत्कार ही नहीं रह जाता । परन्तु अर प्रश्न यह है कि क्या उक्तिना सम्पूर्ण मौरम इस 'मरे' और 'जी कर' के उपपन्न या अनुपपन्न अथपर ही आश्रित है ? यदि ऐसा है, तो 'म उक्तिम रमणीयता नहीं है क्योंकि यह विरोधाभास अपने आपम कोई सूत्र या गहरी आन दानुभूति उत्पन्न नहीं करता । इसमें जो रमणीयता है [और यह यहाँ मग कर देना चाहिये कि 'मग रमणीयता वारतवमें पयास मात्रामें नहा है] वह प्रेमरी उक्तता [आतिउच्च] पर निर्भर है जो यहाँ लक्ष्याथना प्रयोजनरूप व्यङ्ग्य है, और जो अन्तमें जाकर वक्ता, बोद्धा आदिने प्रकरणने उर्मिलानी अपनी रतिजन्य व्यप्रताकी अभिवक्ति करती है । इस प्रकार इस उक्तिकी धाम्बिक रमणीयताना मगध रतिजन्य व्यप्रतासे ही है जो व्यङ्ग्य है—और स्पष्ट शब्दमें जो उपयुक्त लक्ष्याथना प्रयोजनरूप व्यङ्ग्यका भी व्याहृथ है ।

दूसरे उद्धरणमें यह तथ्य और भी स्पष्ट हो जायगा क्योंकि इसमें रमणीयता वास्तवमें अधिक है।

आप अवधि यन सफ़ूँ कहीं तो क्या कुछ धेर लगाऊँ ।
मैं अपनेको आप मिटाकर जाकर उनको लाऊँ ॥

उर्मिला और लक्ष्मणके बीच अवधिका व्यवधान है। मिलनेके लिए इस व्यवधान कायात् अवधिको मिटाना आवश्यक है। अवधि साधारणतः तो अपने समयपर ही मिटेगी, तुरन्त मिटना उसका सम्भव नहीं। उर्मिला उसके एक उपायकी कल्पना करती है—वह स्वयं यदि अवधि यन जाय तो उसका अन्त करना उसके अपने अधिकारकी बात हो जाय। अपनेको तो वह तुरन्त मिटा ही सकती है और जब अवधि उसका अपना रूप हो जायगी, तो उसके अन्तन साथ अन्धविना अन्त भी हो जायगा। इस तरह व्यवधान मिट जायगा और लक्ष्मणसे मिलन हो जायगा। परन्तु जब उर्मिला ही मिट जायगी तो फिर मिलनसुलका भोक्ता कौन होगा, अतएव अपनेको मिटानेका अथ यहाँ अपने जीवनका अन्त पर लेना न होकर लक्ष्मणकी सहायतासे 'बड़ेसे बड़ा कष्ट भोगना' या 'बड़ेसे बड़ा बलिदान करना' आदि ही हो सकता है। परन्तु यह लक्ष्याथ देते ही उत्तिम कोई चमत्कार नहीं रह जाता। चमत्कार तो अर्थकी बाह्य अनुपपन्नता परन्तु आन्तरिक उपपन्नताके विरोधाभासमें है। किन्तु क्या उत्तिकी रमणीयता इसी चमत्कारतक सीमित है! वास्तवमें बात इतनी नहीं है, जैसा कि शुक्लजीने स्वयं लिखा है, इससे उर्मिलाका 'अत्यन्त औत्सुक्य' व्यञ्जित होता है। इस 'अत्यन्त औत्सुक्य'की व्यञ्जना ही उत्तिकी रमणीयताका कारण है—यही पाठके मन्त्र इस 'अत्यन्त औत्सुक्य'के साथ तादात्म्य कर उसमें एक मधुर अनुभूति जगाती है। यही उत्तिकी रमणीयता है जो हृदयको आनन्द देती है। शुक्लजीका यह तर्क बड़ा विचित्र लगता है कि सारी रमणीयता इसी व्याहृत और बुद्धिको अग्राह्य वाच्यायमें है, इस योग्य और बुद्धिग्राह्य व्यङ्ग्यायमें नहीं कि उर्मिलाको अत्यन्त औत्सुक्य है। इसमें दो त्रुटियाँ हैं एक तो उर्मिलाको 'अत्यन्त औत्सुक्य' यह व्यङ्ग्यार्थ नहीं रहा—वाच्याय हो गया। औत्सुक्यकी व्यञ्जना ही चित्तकी चमत्कृतिका कारण है, उसका कथन नहा। दूसरे जिस अनुपपन्नतापर वे इतना बल दे रहे हैं वह रमणीयताका कारण नहीं है, उसका एक साधनमात्र है। उसका यहाँ वही याग है जो रसकी प्रतीतिमें अलङ्कारका। उपयुक्त विधेचनसे ऐसा प्रतीत होता है मानो विरोध करते-करते अनायास ही किसी दुर्बल क्षणमें शुक्लजीपर श्लोकेका जादू चल गया हो। श्लोकेका यह मत अय्यय है कि 'उत्ति' ही काय है, और इसने प्रतिपादनमें उनकी उत्ति यह है कि 'व्यङ्ग्यार्थ और वाच्याय दोनोंका पाथक्य असम्भन है—एक प्रतिनिय्याकी केवल एक ही अभिव्यक्ति सम्भव है। श्लोकेके अनुसार 'आप अवधि यन सफ़ूँ' आदि उत्ति और 'उर्मिलाको अत्यन्त औत्सुक्य है' यह उत्ति सबका पृथक् हैं—ये दो सबका भिन्न प्रतिनिय्याओंकी अभिव्यञ्जनाएँ हैं। अतएव 'आप अवधि यन सफ़ूँ' आदिका सौन्दर्य [काव्यत्व] उसका अपना है जो केवल उसीने द्वारा अभिव्यक्त हो सकता है, 'उर्मिलाको अत्यन्त औत्सुक्य है' यह एक दूसरी ही बात है।

वास्तव में रमणीयताका अर्थ है हृदयको रमानेकी योग्यता और हृदयका सम्यक् भावसे है—यह भावमें ही रम सरता है क्योंकि उसका समस्त व्यापार भावों द्वारा ही होता है। अतएव वही उत्ति वास्तवमें रमणीय हो सकती है जो हृदयमें कोई रम्य भाव उद्बुद्ध करे और यह तभी हो सकता है जब वह स्वयं इसी प्रकारके भावकी वाहिका हो। यदि उसमें यह शक्ति नहीं है तो वह बुद्धिको

चमत्कृत कर सकती है चित्तको नहीं, और इसलिए रमणीय नहीं कही जा सकती। स्वयं शुक्लजीने अत्यन्त सफल शब्दोंमें इस सिद्धान्तका प्रतिपादन किया है, और चमत्कार शब्दकी भ्रान्तिको दूर करनेके लिए ही रमणीयता शब्दके प्रयोगपर जोर दिया है।

निष्पर्यं यह है कि यदि गुल्जीकी प्रोचेका सिद्धांत स्वीकार कर लेते तब तो स्थिति बदल जाती है। तब तो अभिधा, लक्षणा, व्यञ्जना, वाक्यार्थ, लक्ष्यार्थ, 'यद्वायथ आदिका प्रपञ्च ही नहीं रहता है। सार्थक उक्ति केवल एक ही हो सकती है। उससे अर्थको उससे पृथक् करना सम्भव नहीं है। परन्तु यदि वे उसको स्वीकार नहीं करते हैं,—और वे याम्बवम उसे स्वीकार नही करते—तो वाच्यार्थ में रमणीयताका अधिवास नहीं माना जा सकता, व्यङ्ग्यार्थमें ही माना जायगा—लक्ष्यार्थमें भी नहीं क्योंकि वह भी वाच्यार्थकी तरह माध्यममात्र है। रमणीयताका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सम्बन्ध अनिवाच्य रहके साथ है और रस कथित नहीं हो सकता, व्यञ्जित ही हो सकता है। गुल्जीने शब्दोंसे ऐसा मालूम होता है कि वे लक्ष्यार्थ और व्यङ्ग्यार्थको अपुपन्न अर्थको उपपन्न करनेका साधन मानते हैं। परन्तु वास्तवमें स्थिति इससे विपरीत है। वाच्यार्थ स्वयं ही अपने चमत्कारोंसे साथ 'यद्वाय [रस] का साधन या माध्यम है। मैं उपर्युक्त विवेचनको गुल्जीका एक हल्का सा दिशा-तरभ्रमण मानता हूँ, यह उनमें अपने काव्यसिद्धान्तके ही विरुद्ध है।

ध्वनिके भेद

ध्वनिके मुख्य दो भेद हैं—१ लक्षणा मूला ध्वनि और २ अभिधामूला ध्वनि।

लक्षणा मूला ध्वनि—लक्षणा मूला ध्वनि स्पष्टतः लक्षणाके आश्रित होती है, इसे अविश्रितवाच्यध्वनि भी कहते हैं। इसमें वाच्यार्थकी विवेधा नहीं रहती, अर्थात् वाच्यार्थ बाधित रहता है, उसका द्वारा अर्थकी प्रतीति नहीं होती। लक्षणा मूला ध्वनिके दो भेद हैं—(अ) अर्थात्तरसङ्गमित वाच्य और (आ) अर्थात्तरिरसङ्गतवाच्य। अर्थात्तरसङ्गमितवाच्यसे अभिप्राय है 'जहां वाच्यार्थ दूसरे अर्थमें सङ्गमित हो जाये' अर्थात् जहां वाच्यार्थ बाधित होकर दूसरे अर्थमें परिणत हो जाय। ध्वनिकार ने इसका उदाहरणस्वरूप अपना एक दलाक दिया है जिसका स्थूल हिन्दी रूपान्तर इस प्रकार है—

तय ही गुन सोभा लहै, सहृदय जवाई सराहिं।

कमल कमल हैं तराहिं, जय रचिकर सौं विकसाहिं ॥^१

यहाँ कमलका अर्थ हो जायगा 'मकरन्दधी एव विकचता आदिसे युक्त'—अर्थात् यह निरर्थक ही नहीं बरन् पुनरुक्तदोषका भागी भी होगा। इस प्रकार कमलका साधारण अर्थ उपयुक्त व्यङ्ग्यार्थमें सङ्गमित हो जाता है।

अत्यन्ततिरसङ्गतवाच्य—अत्यन्ततिरसङ्गतवाच्यमें वाच्यार्थ अत्यन्त तिरसङ्गत रहता है—उसको लगभग छोड़ ही दिया जाता है। यह ध्वनि पदगत और वाक्यगत दोनों ही प्रकारकी होती है। ध्वनिकारने पदगत ध्वनिका उदाहरण दिया है—

रविसङ्गा तसोभाग्यस्तुगारावृतमण्डल।

निर्द्रयासान्व द्वाद्दशच्चन्द्रमा न प्रकाशते ॥

"साँस सौं आँधर दर्पन है जस यादर ओट लखात है चन्द्रा ।"

१ ताला जाग्रन्ति गुणा जाला दे सदिअएदि कल्पन्ति।

२२ किरणानुगदिआहँ द्योतित कमलारँ कमलारँ ॥

यहाँ 'अथ वा ओंभर शब्दका अर्थ नेत्रहीन न होकर लक्षणाकी सहायतासे 'पदायोंको स्फुट करनेमें अशक्त' होता है। इस प्रकार वाच्यार्थका सर्वथा तिरस्कार हो जाता है। इसका व्यङ्ग्यार्थ है "असाधारण विच्छायात्व, अनुपयोगित्व तथा इसी प्रकारके अन्य धर्म।"

वाक्यगत ध्वनिका उदाहरण 'ध्वन्यालोक'में यह दिया गया है—

सुवर्णपुष्पा पृथिवीं चिन्वन्ति पुरुषास्त्रय ।

शुग्ध कृतविद्यश्च यश्च जानाति सेचितुम् ॥

"सुवर्ण पुष्पा भूमि कौं, चुनत चतुर नर तीन ।

सूर और विद्या निपुन, सेवा मोंहि प्रवीन

('काव्यकल्पद्रुम'की सहायतासे)

यहाँ सम्पूर्ण वाक्यका ही सुवर्ण सर्वथा असमर्थ है क्योंकि न तो पृथ्वी सुवर्णपुष्पा होती है और न उसका चयन सम्भव है। अतएव लक्षणाकी सहायतासे इसका अर्थ यह होगा कि तीन प्रकारके नरश्रेष्ठ पृथ्वीकी समृद्धिका अर्जन करते हैं।

इस ध्वनिमें लक्षणलक्षणा रहती है।

लक्षणामूला ध्वनि अनिवायत प्रयोजनवती लक्षणाने ही आश्रित रहती है क्योंकि लक्षणलक्षणामूला तो 'यज्ञ' होता ही नश।

अभिधामूला ध्वनि—जैसा कि नामसे ही स्पष्ट है, यह ध्वनि अभिधापर आश्रित है। इसे विवक्षिता-अपरवाच्य भी कहते हैं। विवक्षितान्यपरवाच्यका अर्थ है जिसमें वाच्यार्थ विवक्षित होनेपर भी अन्यपरक अर्थात् व्यङ्ग्यनिष्ठ हो। अर्थात् यहाँ वाच्यार्थका अपना अस्तित्व अवश्य होता है, परन्तु वह अतन्त व्यङ्ग्यार्थका माध्यम ही होता है। अभिधामूला ध्वनि दो भेद हैं असलक्ष्यक्रम और सलक्ष्यक्रम। असलक्ष्यक्रममें पूवापरका नम सम्यक् रूपसे लक्षित नहीं होता, यह क्रम होता अवश्य है और उसका आभास भी निश्चय ही होता है, परन्तु पूवापर अर्थात् वाच्यार्थ और व्यङ्ग्यार्थकी प्रतीतिका अन्तर अत्यन्तान्यन्त रूप होनेके कारण 'शतपत्र भेदन्याय'से स्पष्टतया लक्षित नहीं होता। समस्त रसप्रपञ्च इसका अन्तर्गत आता है। सलक्ष्यक्रममें वह पौवापयक्रम सम्बन्ध रूपसे लक्षित होता है। वही यह शब्दके आश्रित होता है, वहाँ अर्थने आश्रित और वहाँ शब्द और अर्थ दोनोंके आश्रित। इस प्रकार इसका तीन भेद हैं—

शब्दशक्ति उद्भूत, अर्थशक्ति उद्भूत और शब्दाथ उपयशक्ति उद्भूत। वस्तुध्वनि और अलङ्कारध्वनि सलक्ष्यक्रमने अन्तर्गत ही आती हैं क्योंकि इनमें वाच्यार्थ और व्यङ्ग्यार्थका पौवापय क्रम स्पष्ट लक्षित रहता है।

ध्वनिने मुरय भेद ये ही हैं। इनने अन्तर्गत भेदोंकी सहायता ही नहीं। मम्मटन अनुसार कुल १०४७७ तक पहुँचती है ५१ शुद्ध और १०४७४ मिश्र। इधर पण्डित रामदहिन मिश्रने ४-१०-२० का हिसाब लगा दिया है।

ध्वनिकी व्यापकता

उपपुक्त प्रकारसे ही ध्वनिकी व्यापकता सिद्ध हो जाती है। वैसे भी काव्यका कोट भी ऐसा रूप नहीं है जो ध्वनि काहर परता हो। ध्वनिकी व्यापकता दूसरा प्रमाण यह है कि उसकी सत्ता उपसर्ग और प्रत्ययमें लेकर सम्पूर्ण मंगलान्तरक है। पदविभक्ति, नियाविभक्ति, वचन, सग्न घ,

कारक, इत् प्रत्यय, सद्धित प्रत्यय, समास, उपसर्गनिपात, काल आदिसं लेखन वर्ण, फल, वाक्य, मुक्तक पद्य और महाकाव्यतक उसके अधिनारथेप्रका विस्तार है। जिन प्रकार एउ उपसर्ग या प्रत्यय या पदविभक्तिमात्रसे एक विशिष्ट रमणीय अथवा ध्वनन होता है, इसी प्रकार सम्पूर्ण महाकाव्यसे भी एक विशिष्ट अथवा ध्वनन या स्फोट होता है। प्र, परि, सु, या, हा आदि जहाँ एक रमणीय अर्थको व्यक्त करते हैं, वहाँ 'समायण' और 'महाभा त' जैसे विशालकाय प्रथका भी एक ध्वन्यर्थ होता है जिसे आपुनिक शब्दावलीमें सङ्केत, मूलार्थ आदि अनेक नाम दिये गये हैं।

ध्वनि और रस

भरतने रसकी परिभाषा की है विभाव, अनुभाव, सञ्चारी भाव आदिके स्यागते रसकी निर्वाचि होती है। इससे स्पष्ट है कि काव्यम केवल विभाव अनुभाव आदिका ही ध्वनन होता है—उनके सयोगके परिपाकरूप रसका गह, अथात् रस वाच्य नहीं होता। इतना ही नहीं, रसका वाचक शब्दों द्वारा ध्वनन एक रसदोष भी माना जाता है—रस केवल प्रतीत होता है। दूसरे, जैसा कि अभी व्यञ्जनाके नियममें कहा गया है, किसी उन्निका वाच्याध रसप्रतीति नहीं कराता, बल्कि अथबोध कराता है। रस सहृदयके हृदयस्थित वाचनाकी आनन्दमय परिणति है जो अथबोधसे भिन्न है अतएव उक्ति द्वारा रसका प्रत्यक्ष वाचन नहीं होता, अप्रत्यक्ष प्रतीति होती है—पारिभाषिक शब्दोंम यञ्जना या ध्वनन होता है। इसी तर्कसे ध्वनिकारने उस केवल रस ग मानकर रसगती माना है।

ध्वनिके अनुसार काव्यके भेद

ध्वनिवादियोंने काव्यके तीन भेद किये हैं—उत्तम, मध्यम और अधम। इस वर्गक्रमका आधार शक्यत ध्वनि अथवा व्यञ्जनकी सापेक्षिक प्रधानता है। उत्तम काव्यम व्यञ्जनकी प्रधानता रहती है अथात् उसमें वाच्याधकी अपेक्षा व्यञ्जनार्थ प्रधान रहता है, उसीको ध्वनि कहा गया है। ध्वनिके भी अथात् उत्तम काव्यके भी तीन भेदक्रम हैं रसध्वनि, अलङ्कारध्वनि और वस्तुध्वनि। इनमें रसध्वनि सर्वश्रेष्ठ है। मध्यम काव्यका गुणीभूतव्यञ्जन भी करते हैं। इसमें व्यञ्जनाथका अस्तित्व तो अवश्य होता है, परन्तु वह वाच्याधकी अपेक्षा अधिक रमणीय नहीं होता—बल्कि समास रमणीय या कम रमणीय होता है, अथात् उसकी प्रधानता नहीं रहती। अधम काव्यक अन्तर्गत चित्र आता है जो वास्तवमें काव्य है भी नहीं। उसमें व्यञ्जनाथका अस्तित्व ही नहीं होता और न अर्थगत चारुत्व ही होता है। ध्वनिकारने उसकी अधमता स्वीकार करते हुए भी काव्यकी कोटिम उसे स्थान दे दिया है—परन्तु रसका सर्वथा अभाव होनेके कारण अभिनवने और उनके बाद विश्वनाथने उसको काव्यकी श्रेणामें पृथक् चर्चित कर दिया है। इस प्रकार ध्वनिके अनुसार काव्य का उत्तम रूप है ध्वनि और ध्वनिमें भी सर्वोत्तम है रसध्वनि। पण्डितराज जगन्नाथन इसे उत्तमोत्तम भेद कहा है, अथात् रस या रसध्वनि ही काव्यका सर्वोत्तम रूप है। दूसरे शब्दोंमें रस ही काव्यका सर्वश्रेष्ठ तत्त्व है। शास्त्रीय दृष्टिसे रस और ध्वनिका यही सम्बन्ध एवं तारतम्य है।

ध्वनिमें अन्य सिद्धान्ताका समाहार

ध्वनिकार अपने सम्मुख दो उद्देश्य रखकर चले थे एक ध्वनिसिद्धान्तकी निम्नान्त स्थापना, दूसरा अन्य सभी प्रचलित सिद्धान्तोंका ध्वनिमें समाहार। वास्तवमें ध्वनिसिद्धान्तकी सर्वमायताका मुख्य कारण भी यही हुआ। ध्वनिको उन्होंने इतना प्रायक बना दिया कि उसमें न केवल उनके

पूर्ववर्ती रस, गुण, रीति, अलङ्कार आदिका ही समाहार हो जाता था वरन् उनके परवर्ती वक्रोक्ति, औचित्य आदि भी उससे बाहर नहीं जा सकते थे। इसकी सिद्धि दो प्रकारसे हुई—एक तो यह कि रसकी भांति गुण, रीति, अलङ्कार, वक्रता आदि भी व्यङ्ग्य ही रहते हैं। वाचक शब्द द्वारा न तो माधुय आदि गुणोंका फयन होता है, न वैदर्भी आदि रीतियोंका, न उपमा आदि अलङ्कारोंका और न वक्रताका ही। ये सब ध्वनिरूपम ही उपस्थित रहते हैं। दूसरे गुण, रीति, अलङ्कार आदि तत्त्व प्रत्यक्षत अथात् सीधे वाक्यार्थ द्वारा मनको आह्लाद नहीं देते। अतएव ये सब ध्वन्यथके सम्बन्धसे, उसीका उपकार करते हुए, अपना अस्तित्व साधक करते हैं। इसने अतिरिक्त इन सबका महत्व भी अपने प्रत्यक्ष रूपसे कारण नहीं है वरन् ध्वयर्थके ही कारण है। वगैरि जहाँ ध्वन्यथ नहीं होगा वहाँ ये आत्माविहीन पञ्चतन्त्रों अथवा आभूषणों आदिके समान ही निरर्थक होंगे। इसीलिए ध्वनिकारने उन्हें ध्वन्यर्थरूप अङ्गीके अङ्ग ही माना है। इनमें गुणोंका सम्बन्ध चित्तकी द्रुति, दीप्ति आदिसे है, अतएव वे ध्वयर्थके साथ [जो मुख्यतया रस ही हाता है] अन्तरङ्ग रूपसे सम्बद्ध हैं जैसे कि शौर्यादि आत्माके साथ। रीति अथात् पदसङ्घटनाका सम्बन्ध शब्द अर्थसे है इसलिए वह वाक्यके शरीरसे सम्बद्ध है। परन्तु फिर भी जिस प्रकार कि सुन्दर शरीरस्थान मनुष्यके बाह्य व्यक्तित्वकी शोभा बढ़ाता हुआ वास्तवमें उसकी आत्माका ही उपकार करता है इसी प्रकार रीति भी अन्ततः वाक्यकी आत्माका ही उपकार करती है। अलङ्कारोंका सम्बन्ध भी शब्द अर्थसे ही है। परन्तु रीतिका सम्बन्ध स्थिर है, अलङ्कारका अस्थिर—अथात् यह आवश्यक नहीं है कि सभी काव्यसूत्रोंमें अनुप्रास या किसी अथवा शब्दालङ्कारका, और सभी प्रकारके कायाथोम उपमा या किसी अन्य अथालङ्कारका चमत्कार नित्यरूपसे वर्तमान ही हो। अलङ्कारोंकी स्थिति आभूषणोंकी सी है जो अनित्यरूपसे शरीरकी शोभा बढ़ाता हुआ अन्ततः आत्माके सा दयम ही वृद्धि करते हैं। क्योंकि शरीरसा दयकी स्थिति आत्माके पाना सम्भव नही है—शवक लिए सभी आभूषण व्यर्थ होते हैं। [यद्यपि यह स्पष्ट कर देना उचित होगा कि ध्वनिकारने अलङ्कारका अत्यन्त सजुचित अर्थमें ग्रहण किया है। अलङ्कारका व्यापक रूपमें ग्रहण करनेपर, अथात् उसके अन्तगत सभी प्रकारके उचित चमत्कारका ग्रहण करनेपर चाहे उसका नामकरण हुआ या नही, चाहे वह लक्षणाका चमत्कार हो अथवा व्यञ्जनाका, जैसा कि कुन्तकन वनात्कि (वपयम किया है, उसका न ता शब्द अर्थका अस्थिर धर्म सिद्ध करना ही सरल है, और न अलङ्कार अलङ्कारयम इतना स्पष्ट भेद ही किया जा सकता है।]

ध्वनि और पाश्चात्य साहित्यशास्त्र

सबसे पहले मनोविज्ञानकी दृष्टि ध्वाने आधार और स्वरूपपर विचार कीजिये। मनोविज्ञान के अनुसार कविता यह चीज है जिसके द्वारा कवि अपनी रागात्मक अनुभूतिका सद्दयके प्रति संवेद्य बनाता है। संवेद्य बनानेका अर्थ यह है कि उसको इस प्रकार अभिप्रेत करता है कि सद्दयको केवल उसका अर्थसाध ही नहीं होता वरन् उसने सद्दयमें समान रागात्मक अनुभूतिना संचार भी हा जाता है। इस रीतिसे कवि सद्दयका अपने सद्दयकेसका बोध न करारकर संवेदन करता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि सद्दयकी दृष्टि रस संवेद्य है, बोधय अर्थात् वाक्य नहीं। यह सिद्ध हो जानने बाद, अब प्रश्न उठता है कि कवि अपने सद्दयकेसको सद्दयके लिए संवेद्य किस प्रकार बनाता है? इसका उत्तर है भाषाके द्वारा। परन्तु उस भाषाका साधारण प्रयोग न कर [क्योंकि हम देख चुके हैं कि साधारण प्रयोग ता केवल अर्थसाध ही करता है] विशेष प्रयोग करण पड़ता है अथात् शब्दोंको साधारण 'वाचक'रूपमें प्रयुक्त न कर विशेष 'चित्र'रूपमें प्रयुक्त करना पड़ता है।

चित्ररूपसे तात्पर्य यह है कि वे श्रोताके मनमें भावनाका जो चित्र जगाने का काम कर गिरे, होकर पुष्ट और भास्वर हो, और यह कार्य उनकी कल्पनाशक्तिनी अपेक्षा करता है क्योंकि कवि कल्पनाकी सहायताके बिना सदृश्यकी कल्पनामें यह चित्र साकार कस होगा ? उसने लिए कविना निश्चय ही अपने शब्दोंको कल्पनागर्भित करना पड़ता। दूसरे शब्दोंमें हम यह कह सकते हैं कि यह 'विशेष प्रयोग' भाषाका कल्पनात्मक प्रयोग है। अपनी कल्पनाशक्तिना नियोजन करके कवि भाषा शब्दोंको एक ऐसी शक्ति प्रदान कर देता है कि वह मुनकर सदृश्यका जेबल अथवा प्रथम ही नही होता बरन् उसके मनमें एक अतिरिक्त कल्पना भी जग जाती है जो परिणतिनी अपेक्षामें पहुँचकर समुपवेदनमें विशेषतया सहायक होती है। शब्दकी इस अतिरिक्त कल्पना जगानाली शक्तिको ही ध्वनिकारण "योजना" और रखने इस सचेय रूपका ही रस उक्ति" कहा है। अनिश्चयनाम द्वारा साक्षात् ध्वनिकारण काव्यमें कल्पनात्मकने महत्त्वकी प्रतिष्ठा की है।

पाश्चात्य साहित्यशास्त्रमें ध्वनिना सीधा विवेचन दृष्टान्तों से असम्भव हुआ क्योंकि पश्चिमकी अपनी पृथक् जीवनदृष्टि एक सदृशति और उसके अनुसार साहित्य, कला, दर्शन, विज्ञान आदिन प्रति अपना पृथक् दृष्टिकोण रहा है। परन्तु मानवजीवनकी मूलभूत एकताका कारण जिस प्रकार जीवनके अन्य मालिन तत्त्वोंमें अनेक प्रकारकी प्रत्यक्ष अपेक्षा समागतताएँ मिलती हैं, इसी प्रकार साहित्य और कलाके क्षेत्रमें भी मूल तत्त्व अत्यन्त भिन्न नहीं हैं।

जैसा कि उपर्युक्त विवेचनसे स्पष्ट है, ध्वनिना सिद्धान्त मूल कल्पनाकी महत्त्वस्वीकृतिनी है और कल्पनाका प्रभुत्व पश्चिमी काव्यशास्त्रमें आरम्भ हुआ रहा है। पश्चिममें आचार्य प्लेटो हैं, उन्होंने अप्रत्यक्ष विधिसे काव्यमें सत्यता जाधारकी प्रतिष्ठा की। परन्तु वे विज्ञानकी सत्यता और साधन सत्यता अन्तर स्पष्ट नहीं कर सके—उन्होंने बुद्धिके [दर्शनके] सत्यता और कल्पना सत्यता एक मानते हुए काव्य और कविने साथ घोर अथाय किया। प्लेटोने काव्यका अनुकृति माना—यह भौतिक पदार्थों या घटनाओंका अनुकरण करता है, आर भातिक पदार्थ एक घटनाएँ आध्यात्मिक (ideal) पदार्थों और घटनाओंकी प्रतिकृतिमान हैं। और चूँकि वास्तविक सत्यता आध्यात्मिक घटनाएँ ही हैं, अतएव कविकी रचना सत्यनी भौतिक प्रतिकृतिनी प्रति-ति है। आर प्रतिकृतिरूपमें भी यह सर्वथा शुद्ध नहीं है, क्योंकि उसमें अनेक विकृतिथी हैं। अतएव निष्पत्त यह निष्कर्ष कि काव्य सत्यसे दूर है। एक तो यह सत्यकी प्रतिकृतिनी प्रतिकृति है आर उभयकी विकृति है। भरतय काव्यशास्त्रनी शब्दावलीमें उन्होंने वाच्यार्थको ही वाच्यमें मुख्य मान लिया, "वदन्ताथनी प्रतीति व नहीं कर सके। और, इसीलिए व काव्यनी आत्मानो यत्त तदा वर पाय। दामनिन धरतलपर प्लेटोके उपर्युक्त सिद्धान्तमें बहुत-बहुत भारतीय दर्शनके अभिप्रायोंके और "वाचरणन स्रोतनादना आभास मिलता है जिनसे भारतीय आचार्योंको ध्वनिसिद्धान्तनी प्रेरणा मिली थी। यह एक विचित्र संयोग है कि इनकी दार्शनिक अनुभूति होनेपर भी प्लेटो काव्यका सम्यक् गणनेमें असमर्थ रहे।

प्लेटोकी पुष्टिका समाधान अरस्तूने किया। उन्होंने भी प्लेटोनी भौतिक काव्यको अनुकृति ही माना। परन्तु उन्होंने अनुकृतिका अर्थ प्रतिकृति न करते हुए पुनर्निमाण अथवा पुन सृजन किया। प्लेटोकी धारणा थी कि काव्य वस्तुनी विषयगत प्रतिकृति है, परन्तु अस्तूने उस वस्तुना कल्पनात्मक पुनर्निमाण अथवा पुन सृजन माना। कवि कथन कहा करता प्रभुत्व करता है, आर भोता या पाठक तदनुसार वस्तुके प्रत्यक्षरूपका प्रमाण नहीं करता, बरन् कविमानसगत रूपका ही प्रमाण करता है, शुक्लजीव शब्दोंमें वह कविनी उक्तिका अर्थ प्रमाण नहीं करता, विषय द्रव्य अर्थात्

१। इस प्रकार अस्तुने त्रिंशत् या यद्वा तानि शब्दाका प्रयोग करत हुए भी न यायका राज्य न मानवर व्यवस्था माता है। २। 'मिमेन्सि'—तुम्हारेकी शरणागत "अस्तुन क पनामन पुन सुजन"का जय विभाव, अनुभाव जाति द्वारा [अस्तुम उस्तुद] भावकी यचना हा है। इस प्रकार अस्तुन सिद्धा तम प्रकारा तम वनिना स्थापित असिदिग्ध है।

अस्तुने उपरात यूनान, गम तथा मध्य द्वापरे आलोचनान् काव्यन स्वरूप आर उपादानाका विवरण किया। इन आलाचनेमस प्रायः एक रात ता सर्भाका स्थथी त्रिंशत् का यम शब्द अपने साधारण—काग आर यरहारगत—अथवा आतरित्त असाधारण अथवा विशेष अर्थको व्यक्त करत है। इस तन्त्रको अनेक प्राचाग जाचावान् यान् स्थानपर यक्त किया है। रामन जालोचकवि हारतो शब्दाके प्रयोगपर प्रकाश डालत हुए एतन् स्थानपर लिखा है, "त्रिको अपन शब्दोंन मगुम्पनम त्वन्त मावधानी और मृगम श्वात्म काम लेना चाहिण यदि एतन् त्रिंशत् विदग्ध प्रसङ्गकी उद्भावना कर किंसा प्राचीन शब्दा गीन अत्र द सन्, ता आप युगत मफल हागे। प्रसङ्गन द्वारा साधारण [प्राचीन] शब्दम [नवीन] अथवा उद्भास ध्वनिवादियोंकी अत्यन्त परिचित्त युक्ति है। इसी प्रकार क्लिप्तियनान् शीम चमत्कार लानक लिए कलाग गोपन आवश्यक माता है। अत्रलाका मूल रहस्य यह मात है त्रिंशत् "अपना त्वात् अतिरित्त आर सर्भीन लिए अ यन् र्" कलाग अ यत् शब्दा यह स्थापना भी ध्वनिकी प्रकारा तमसे स्वीकृति है।

यूनान आर रोमके साहित्यन ऐ अये अनन्तर यूरोपमें अ धनारयुग आता है वा ज्ञान विज्ञान आर कला साहित्यके चरम हासना युग था। इस अधकारम केवल एत ही उज्ज्वल नभय है और यह है दौत। ताने विपय और भाषा यानाकी गरिमापर बल दिया। भाषाके विषयमें उ हान प्राचीण भाषाका वचान और आन्वयमयी मातृभाषाका प्रयोगका समर्थन किया है। उ हान शब्दाक विषयम विस्तारमे लिखा है। उदात्त शैलीन लिए उ हान ल'ज्ञानसकी भौति उदात्त शब्दाक प्रयोगका अनिवाय माना है। शब्दाना उ हाने अनेक वगाम विभक्त किया है—कुछ शब्द ल'च्चाकी तरफ (chilid h) तुलनात है—ये अत्यन्त सरल-सामान्य नित्य प्रतिके हलन् पुलक शब्द हाते है। कुछ शब्दाम गतिका जन्म आर बल स्त्रिया जैसे (womanish) ल'च ल'चकमात्र होता है, उनन् उपरात कुछ शब्दाम पारुप हाता है। इस तीसर वगम भी दो प्रकारन शब्द हाते है—प्राचीण आर नागरिक, नागरिक शब्दाम भी कुछ मसृण (combined) और चिक्ण (-lipped) हात है और कुछ प्रकृत (-shad) और अनगन् (unmpled) है। इनमें चिक्ण अथ अनगन् बल नात्र प्रभावमात्र हाता है। उदात्त शैलीके अथय बल मसृण और प्रकृत शब्द ही है। शब्दाम इस प्रकारन गुणाका कल्पना असिदिग्ध शब्दाम उनकी यन्त्रमाकी स्वीकृति है—यचनागतिका गीतार त्रिय त्रिंशत् शब्दाकी उपयुक्त विशेषता आ और वर्गोंकी उद्भावना सम्मन हा गय हा सरती।

अ धन रयुगन अनन्तर यूरोपम पुनजागरण कालका जाग्म हुआ। यह काल आर कलाक लिए मध्ययुगीन यचनास मुक्तिका युग था। इस युगक काव्य और साहित्यम जहाँ जीवनके निरन्तरपन और उसकी दृणताकी अभिपक्ति मिलती है, वहा का यनासमें प्राय प्राचीन आदशाकी ही स्थापना है। परन्तु धारे धीर नया जीवन आरम्भ उसम भी प्रतिफलित हाने लगे आर सर विलिप मिश्रीन। स्वाकार करना पला कि शिंण आर प्रमादनक अतिरित्त काव्यका एक आर मत्तर प्रयाजन है आन्वित्त करना। इस साथ हा प्राचान कायकलाग मानमें भी परिवर्तन हाने लगा—परिमा आर निवर्णन स्थानपर यचना आर प्रकृत भाषाचारका महत्त्व यन्म लगा। जसा

नि मत्र आरम्भम हा कहा है, कल्पनाका यच्चाम शक्तिमात्र सम्यक्, आर यत्र तत्र विलुप्त भव्य है। कल्पनाका कार्य है मनि नि ता या चित्र विधान आर कवि जवन मनसा इन मतिमा या चित्रा का पाठक मनतत्र प्रेषित करनन लण निसगत चित्रभाषाका हा प्रवाग करता ॥ चित्रभाषाका कलेवर साङ्केतिक तथा प्रतीका मत्र गद्गाम रनता ॥ आर य राना रञ्जनाका विभूतियों ॥ अठारहवीं शताब्दीम ग्राड्डनने अपनी स्पष्ट प्रकाश दृष्टिम इस रहस्यका निम्नान्त रूप उद्घाटन कर दिया था "कविने लिए चित्र जानकर है, परन्तु कल्पना [अथात् मतिविधाधिना शक्ति] का मनी कविताका जीवन स्पष्ट आर ज्यक्त उचियों प्रदान करता है।" कहनका आशययता नहीं कि न अथक्त छवियों यचनाकी ही उचियों है। पोपन 'एम आन निरिजिमम कूउ पचियों है चिनका आन दखनन अनिचिपयक इलाकन साथ चित्रिच साम्प्र ॥ --

In wit, is nature, what affects our hearts
Is not the exactness of peculiar parts,
'T is not a lip, or eye, we beauty call
But the joint force and full result of all

अथात् प्रकृतिही भाति का म भी जगोंका समुचित अनुभव एव अनुपात हमार मनसा अनुरक्त नहा करता। नारायण गगम अधर अथवा ननका हम सौन्दर्य नहा कहत परन्तु मभी गान मयुक्त गान सम्पूर्ण प्रभावका नाम न सो द्य है। तुलना राजिज

प्रतीयमान पुनरन्वद्वय वस्तुस्ति तार्णीषु महार्वीनाम् ।
यस्तत्प्रसिद्धावयवातिरिक्त विभाति लावण्यमिवाङ्गनाषु ॥

अथात् मणिकविताकी वापाम प्रतीयमान कुछ और हा वस्तु है जा विश्राम उनर प्राप्त [अधर, नन आदि] अवयवासे जतिरिक्त लावण्य समान गामित हाता है—अथवा जा अलङ्कारादि का न-अन्यास भिन्न उमी प्रकार गामित होता है जिस प्रकार विश्राम प्रसिद्ध [ननादि] अनयनाम भिन्न लावण्य ।

उपर्युक्त उद्धरणाना मूल भाव ता स्पष्ट एव हा है, जवला अवधानका अन्तर है। आनन्द बंधनने लावण्य शब्दके द्वारा इस गोदयना जयतता अथवा अधयनतापर थोडा अधिक रल किया है। पोपने इसका इतना स्पष्ट नहा किया पर तु वह उनकी अपनी परिगामा थी। सादयसी इस अनिर्वचनीयताका गुण उत्तम रामाना सुगम हुआ। जम १८ १९वीं शताब्दीक दाशनिदान और इधर एन्ग्लैण्डम ब्रेन, वल्सवथ, डेली आदिने वाच्यम देवी प्रणा और कल्पाने रहस्यमयोंका मुक्त हृदयसे गुणगान किया है। वास्तवम रोमती वाच्य मूल धनिका र हा है। उसरी सात्य चिन्तनामें रहस्य भावनाका अनिनाय वाग है आर इस रहस्य भावनाकी अभिव्यक्ति लिए भाषाकी साङ्केतिकता [रञ्जना]का स्वीकृति अनिवार्य हा जाती है। तट स्वबधक लिए सामान्य वस्तुनाम आप्यात्मिक अथकी प्रतीति करना का वाजुभूतिकी चम साधनता थी, एक और डेलीन लिए भा, प्रकाशान्तरे, सामान्यमें असामान्यकी प्रतीति का वाचकत्व थी। रामानी कवि आलाचनान कविताम जिस 'रहस्यमय अनिर्वचनीय तत्त्व' (Mysterious Something) का वाचकत्व माना वह आनन्दबधेनक 'प्रतीयमान पुनरन्वद्वय वस्तु'स भिन्न नहा है।

वीथीय 'उताब्दीमें यूरोपम आलाचनाशास्त्रम मनाविज्ञानका आवरण हुआ। इन्वीन दासनिक क्रोचन भिन्न-जनादादका प्रयतन किया और इधर जगनीय प्रतीकादका उद्व हुआ।

नोचन अनन्तर नाच महानुभूति है भाग सहजानुभूति निरायत अभिव्यञ्जना है— तदप्य नाच मूलतः अभिव्यञ्जना है। नाच के जाभिव्यञ्जना का जगत्स्वरूपी मानते हैं— अभिव्यञ्जनाका एक ही रूप होता है, उसमें अभिधा, लिंगा, व्यञ्जना जयना रास्य और यद्गयना भद्र नहा हाता। परन्तु फिर भी नोचने की सहजानुभूति व्यञ्जनाकी निरा है। नाचन की अनुमात्र ना चेतनाकी अरूप स्वरूपतिथाना एक समन्वित निम्नरूप हाती है। स्पष्टत ही यह निम्नरूप सहजानुभूति यतिव गहा हा सजती, ध्वनि ही हा सजती है। कहनेना अभिप्राय यह है कि नाचन लिए वाच्य व्यङ्गयना भेद ता सयथा अनमल, परन्तु उ हाने व्यङ्गयना कहीं निषेध नहा सिया। उहाने अभि व्यञ्जनाका अय ट जार एकरूप मागा है, उसने प्रकार आर जवयव भेद नहा माने यह टीर है। परन्तु निम्नरूप सहजानुभूतिना यह अभि यचना कथनरूप तो हा नहा सजती, यथा ता यह अनिरूप ही। नाचन लिए सिद्धान्तरूपम ध्वनि अप्रासङ्गिक थी—परन्तु व्यवहाररूपम ता वे भी हमना सचा नहीं सज। वाच्यम नाच जागजादो दार्शनिक थे। उहाने अभि व्यञ्जनाका जात्माना निर्यान रूपम निरचन सिया है, उसने मूल शब्द अथरूपम उह अभिव्यञ्जि नहा थी। परन्तु नोचन नाद उनक अनुगामियाने अभि व्यञ्जनाय स्थूल रूपम अधिक प्रष्टण सिया है और अभि व्यञ्जनाक चमत्कारका ही यलाना सार-सत्य माना है। स्वभावत ही इन लोगाना वनिस निरुत्तर सभ्य ध *। प्रतिनियानाद ता स्वीकृत रूपस प्रलानात्मन तथा साङ्केतिक अभिव्यक्तिने ही आश्रित है। उसकी तो सम्पूर्ण निर्या प्रनिय ध्वनि [साङ्केतिक अथ] ना लय ही हाती *।

इस शताब्दीने नाच्य और कला सम्यही निरारोंपर प्रायडना गहरा प्रभाव है परन्तु प्रायडन कलाक मूल दानना ही विवेचन सिया है—उसकी मत अभि यक्तिने लिए उहाने चिन्ता नहा की। न ना य और कलाना ग्वयना समात्री मानते हुए उस मूलत स्वप्नचित्र (Phantasy) रूप जानते *। यहननी आवदरफता गहा कि य स्वप्नचित्र भी अनियायत यद्गयने ही आश्रयस यक्त हो सजते हैं। फिर अपन मनन पुण्यालय स्वप्नचित्रका स्पष्ट व्यञ्जना ही कर सजता है, कथन नहीं। नाच आर प्रायडवा उल्लेख मन नरल इसलिए सिया है कि आधुनिक कला विवेचनपर इनना गाना और सादभाम प्रभाव है तथा सिया भी नाच सिद्धान्त की समागम इनकी उपेता नहा की जा सजती। उसे इनना सीधा सभ्य ध प्रस्तुत विषयसे नहा है [यद्यपि इनने सिद्धांतोंम ध्वनिनी अत्र यथ स्वीकृति सयथा जसदिभ्य है]। इनकी अय आ उल्लेखे 'से कलाशादी (Aesthete-) तथा सी रीड जम सिनरुवादी (Samuelson) जा चर्चोंना यनिमिदातसे अधिक कहु सभ्यव है। कलानासियाना 'नाचमनानुभवका निरानुभवता' का सिद्धान्त भी आन द यनने "प्रतीयमान पुर नाच का ना रूपांतर है। प्रसङ्ग अतिरस्तुवादी आर उनक अमेज प्रस्ता श्री रीड आर उधर सिगार्ने जैसे प्रभाववादी (Impressionists) ता यद्गयन ही नहा, मूल यद्गयने भी समथर है। प्रभाववादी ता एक शब्दस कल एक यथना ही गहा, सार प्रररणीकी व्यञ्जनाका दुप्पर नाच लेते है। देगिये सिगार्नेकी कविताना गुल्लाकृत निरलेण [चिन्तामणि भाग, २]।

उपयुक्त प्राय सभी का यमिदान्ताम अतिवाद है। इंग्लैण्ड मेधारी जालोचन रिचड्सने मनोविज्ञाननी यमानिक कमात्रीपर यसरर इन सजको सागा टहराया आर का यानुभूतिना वैमानिक विवेचना प्रस्तुत करनेका प्रयन सिया। उहाने 'अपन प्रियिपि स जाद लिखस प्रियिपि-म' [का या लोचनन सिद्धांत] और 'ध्वनिग जाद मागिग' [अर्थना जय] नामक प्रियिड य थोम स दाका यनन शक्ति आर कविताका ध्वनामजतान विषयम ना सगानापर उद्गम्य निचार प्ररर किने

है। शब्दानुभूतिनी प्रक्रियामें वे उल्लेख्य मानते हैं—^१ शब्दको पत्र या सुनकर उत्पन्न होने वाले दृष्टिगोचर संवेदन अथवा रणगाचर संवेदन, २ समग्र मूर्ति विधान, ३ स्वतंत्र मूर्ति विधान ४ विचार, ५ भाव और ६ रागात्मक दृष्टिगोचर।

शब्दको पत्र या सुनकर पहले तो सत्ता भावित, दृष्टिगोचर या रणगाचर संवेदन उत्पन्न होते हैं, उनका बाद उनमें समग्र वाक्चित्र (Verbal images) उत्पन्न हो जाते हैं, फिर यह प्रक्रिया आरंभ आगे बढ़ती है और एक स्वतंत्र चित्रजाल मनकी आँतों में सम्पुन जग जाता है। तदनन्तर उनमें समग्र विचार और फिर भाव आरंभ तब इस क्रिया पर फलस्वरूप विशेष रागात्मक दृष्टिगोचर बन जाता है। जैसा कि रस रित्गुण ही स्पष्ट किया है 'जामसे' अथवा 'राजचित्रा' सम्बन्ध शब्दसे है और ३ का शब्दसे अर्थसे।^१ रहनेकी आवश्यकता नहीं कि इस विवेकपूर्ण ध्वनि सिद्धान्तका स्पष्ट आभास है। २ म रिचर्ड्स प्रसारात्तरसे वणध्वनिनी चर्चा कर रहे हैं और ३ आगे उसमें आगे ४, ५, ६ म शब्द और अर्थध्वनिनी (of things or to stand for) आगे चलकर भाषाके विवेकपूर्ण उद्धान अपना मत और स्पष्ट किया है। भाषाके ये दो प्रयोग मात है एक वैज्ञानिक (Scientific) प्रयोग, दूसरा रागात्मक (Emotive) प्रयोग। वैज्ञानिक प्रयोग जिसा वस्तुका ज्ञानभर कर देनेके लिए किया जाता है, रागात्मक प्रयोग भाव जगानके लिए किया जाता है। गुणकी शब्दोंमें पहलेसे अर्थका ग्रहण होता है, दूसरेमें विभक्ति।—भारतीय काव्यशास्त्र की शब्दावलीमें, पहले प्रयोगका आधार शब्दकी अभिधात्मिक है और दूसरेका आधार व्यञ्जना अथवा लक्षणा आश्रित यज्ञना।

अतएव मैंने जिन पश्चिमीय आचार्याका उल्लेख किया है, उनमें प्रायः अधिकांश प्रसारात्तरमें ही ध्वनिसिद्धान्तकी स्वीकृति मिलती है। उन अन्तर्गत में एक ऐसे पश्चिमीय आलोचकका उद्धरण देकर इस प्रसङ्गको समाप्त करता हूँ जिन्होंने काव्यमें ध्वनिसिद्धान्तका दीक्षा प्रतिपादन किया है। ये हैं अमेरीके के विद्वान् आल्बर्ट एम्सवर्थी। उनका मत है, "साहित्यका वाक्य है अनुभूति का प्रेषण—परन्तु अनुभूति भाषामें तो घटित होना नही। [अतएव] कविनी अनुभूति इस प्रसङ्गकी प्रतीक भाषामें अनूदित होनी चाहिये जिसका महदय फिर अपनी अनुभूतिमें अनुवाद कर सके—जाना अन्वयाम ही अनुभूति भावित तो हागा ही।

" इस प्रकार, अनुभूति जैसी अत्यन्त उच्च [परिपक्व] वस्तुका अनुवाद भाषामें करना पड़ता है जिसकी शक्ति स्वभावसे ही अत्यन्त सीमित है। अतएव काव्यका सदा ही किमी न किसी अंशमें ध्वनिरूप होती है। पर काव्यका उच्च स्तर है भाषाकी इस वञ्जनाशक्ति की अभिव्यक्ति अथवा वापक, प्रभावपूर्ण, प्रत्यक्ष, स्पष्ट तथा सूक्ष्म बनाना। यह वञ्जनाशक्ति भाषाकी साधारण अर्थव्यवधिनी (अभिधा) शक्तिनी सहायक होती है।"

'भाषाका इसी शक्ति का परिधान कविना का मातृ-व्यक्तिसे प्रयत्न करता है। इस वञ्जनाशक्तिसे प्रति संवेदनशीलता सहृदयकी पहचान है। [अतएव] कवयिणी प्रक, जोर भोगामें प्राह्व रूपसे प्रतमान यही वह विशेष गुण है जिससे काव्यकी आत्मा मानना चाहिये।"

उपरोक्त उद्धरण पर प्रसारात्तरनेकी आवश्यकता नहीं। हमें पत्र पर ऐसा लगता है मान प्रो० एम्सवर्थी भारतीय ध्वनिसिद्धान्तका अग्रणी व्याख्यान कर रहे हैं।

पाश्चात्य काव्यशास्त्रके अलङ्कारविधानमें ध्वनिकी स्वीकृति और भी प्रत्यक्ष है। हमारा यहाँ

^१ They differ from those to which we are now proceeding (i.e. 3) in being images of words not (things) words stand for.

लक्षणा 'यज्ञनामो शब्दानी शक्तियों मानकर उनसे चमत्कारका पृथक् विवेचन किया गया है, परन्तु पश्चिमम उनसे चमत्कार अलङ्काररूपम ग्रहण किये गये हैं। उदाहरणके लिए ब्रह्मामूलक इनुएण्डों और आयरनीमें व्यञ्जनाना प्रत्यय आधार है। इन दोनोंने अनेक उदाहरण गुद् ध्वनिसे उदाहरण रूपम प्रस्तुत किये जा सकते हैं। भारतीय कायशास्त्रने अनुमार उनका समावेश अलङ्कारने अतगत नही किया जा सकता क्योंकि उनमें वाच्यायना चमत्कार नहीं, प्राय व्यङ्ग्यार्थका ही चमत्कार होता है। यूप्यमिज्जम कट्टुतानो उचानेने लिए अप्रिय बातको प्रिय शब्दोंम लपेटकर कहा जाता है— गस्तृत्तके पयायकी भाँति उसका भी आधार निश्चय ही व्यञ्जना है।— इत्यादि।

हिन्दीमें ध्वनि

माधारणत हिन्दीका आदिकवि चन्द और आदिनाय 'पृथ्वीराज रासो' माना जाता है, परन्तु इससे पूर्ववर्ता पुरानी हिन्दीका काव्य भी आज उपलब्ध हो गया है—जिसके अतगत अनेक प्रबन्धनाय तथा स्फुट नीतिसाहित्य मिलता है। प्रबन्धनायकारोंमें सबसे प्रसिद्ध थे स्वयमुदेव ऋविराज, जिनका समय च'दसे द्वादशशताब्दी पूर्व सन ७९० ई० के आसपास था। उनका रामायण ग्रंथ अनेक रूपोंमें तुलसीके रामचरित मानसका प्रेरणास्रोत था। स्वयमुदेवने तुलसीदासकी तरह ही अपनी विनम्रता का वर्णन किया है अथवा यो कहिये कि तुलसीदासने ही उनसे प्रेरणा ग्रहण करते हुए अपनी दीनता आदिका उल्लेख किया है। स्वयमुदेवने कुछ स्वल्पेपर काव्यमिद्वान्त-सम्बन्धी दो एक सङ्केत दिये हैं

बुहयण स्वयभु पर्द विणवर्द । महु सरिसउ अण्ण णाहि कुकई ॥
 वायरणु क्यारण जणियउ । सउ विसि सुत्त उप्पाणियउ ॥
 णा णिसुणियउ पच्च महायग्धु । णउ भग्गण लक्खणु उडु म्पु ॥
 णउ पुज्जउ पिगल पच्छाण । णउ भामह दडियलकार ॥

पुधजनोंने प्रति स्वयभु विनम्र करता है कि मेरे सरिस अन्व पुत्रनि नही है। मन्वाकरण विशिष्ट भी नही जानता। वृत्तिसूत्रका वर्णन भी नही कर सकता। मैं पञ्च महाकाव्य नहीं सुने हैं और न भरत [के नायकशास्त्र] का अध्ययन किया है, मैं सब उपायों का वर्ण भी नहीं जानता। न मैं पिगल प्रस्तावने अभिप्राय और न मैंने भामह तथा पच्छाण अलङ्कारों का ही पद है।

रसने अतिरिक्त एक और स्थानपर स्वयभुने लिखा है —

अक्खण मास जलोह मणोहर । सुयलङ्कार छन्द मच्छोहर ॥
 दीह-समासा पवाहा यन्त्रिय । सङ्घ पायय पुलिणालङ्कनिय ॥
 देसी भासा उभय तडुज्जल । कपि दुक्क घम मद्द सिट्ठायल ॥
 अथ्य उहुल कट्टोण णिट्ठिय । आसा सय मम ऊह णिट्ठिय ॥

इसमें [रामनाथामें]

अथ मणोहर जलोह इ मु अलङ्कार और छन्द मच्छोहर हैं। दीप समान उद्दिप्त प्रवाह है। गस्तृत्त प्राकृत पुलिन हैं। देसी भाषाने उभय उच्चाल तडु हैं। कवियोंके लिए सुधर घने गच्छ गिलातल है। अथ उहुला कट्टोण हैं। शत शत जाशायें सरङ्ग। आदि।

प्रबन्धनायकार होनेके नाते स्वयमुदेवका रसने प्रति आग्रह हाना चाहिय था। परन्तु उपयुक्त सङ्केतोंम रसना उल्लेख नही है ध्वनिना ता प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि स्वयमुदेव आनन्दवधने

पूर्ववर्ती कवि थे। वास्तवमें उनपर पूर्वध्वनिकालीन प्रभाव था, इसीलिए उन्होंने भामह और ऋषीने अलङ्कारनिरूपण और वामनकी सूत्ररत्न [रीतिनिर्णय] का ही उल्लेख किया है। उन्होंने दीघसमास और घनी शब्दावली [रीति, वृत्ति], अलङ्कार, छन्दप्रसारको अधिक महत्त्व दिया है। 'अर्थबहुलता'में भी रसवादी कवियोंको छोड़ भारवि और माघ आदि शब्द अथ गिल्पी कवियोंकी ओर ही सङ्केत है। परन्तु यह समयका प्रभाव था।

हिन्दीके आरम्भिक काल—वीरगाथाकाल—में मुख्यतः वीरगाथाओं और वीरगीता तथा माधारणतः नीतिपरक पुटकर कविताओंकी रचना हुई थी। इनके अतिरिक्त सम्भव है कुछ पण्डित गौड़ियोंमें साहित्यशास्त्रकी भी चर्चा होती रही हो जिसमें रस, ध्वनि, अलङ्कार आदि शास्त्रसिद्धान्तोंका स्पष्ट मण्डन, अध्ययन अध्यापन होता रहा होगा। परन्तु उसका कोई लिखित प्रमाण या परिणाम आज उपलब्ध नहीं है। वीरगाथाकार कवि विशेषतः चन्द निश्चय ही शास्त्रमग्न कवि थे। उन्होंने छ भाषाओंका तथा विभिन्न शास्त्र पुराण आदिना विधिवत् अध्ययन किया था।

उनके काव्यमें व्यापक धमनीति और राजनीतिना समावेश तथा नमस्सना परिभाषा है

उक्ति धर्म विसालस्य । राजनीति नम रस ॥

षट्भाषा पुराण च । कुराण कथित मया ॥

वृषभराज रासो'में जिस प्रचुरताय साथ अलङ्कार, गुण, रीति तथा रससामग्री आदिना प्रयोग किया गया है उससे स्पष्ट है कि कवि चन्दो काव्यशास्त्र अथ उपाङ्गाना सम्यक् अध्ययन किया था। परन्तु यह सब होते हुए भी सिद्धांतविवेचन उनके काव्यके लिए अप्रासङ्गिक था। जैसे इनके काव्यका अध्ययन करनेपर उपरान्त यही निष्कर्ष निरलता है कि वीर और शृङ्गारना परिष्कार करने वाले ये कवि रसवादी ही थे। प्रत्येककाव्यकार होनेके नाने में ध्वनिही अपेक्षा रससम्प्राप्तसे ही इनका धनिष्ठतर सम्भव था। चन्दन लिखा भी है, "राजनीति नम रस।"

वीरगाथाकालके अनंतर निगुण काव्यधारा प्रवाहित हुई। ये कवि सिद्धांत और व्यवहार, दोनोंकी दृष्टिसे शास्त्रीय परम्परासे दूर थे। इनके तो काव्यके लिए भी काव्यसिद्धांतोंका ज्ञान भा अप्रासङ्गिक था, विवेचन तो दूरकी बात रही। फिर भी इनका काव्यका ध्वनिसिद्धान्तसे अनिवाय तथा प्रत्यक्ष सम्बन्ध था। जैसा कि मने पाश्चात्य का शास्त्रज्ञ प्रसङ्गमें स्पष्ट किया है, रहस्यवादना अनिवाय अनिवाय सम्बन्ध है क्योंकि रहस्यानुभूतियोंका कथन नहीं हो सकता, व्यञ्जना ही हो सकती है। इसीलिए कभीगन जपन रहस्यानुभवना गैंगका गुड उतावत हुए सैना सेनाके द्वारा ही उसकी अभिव्यक्ति सम्भव मानी है। सैना सेनाना स्पष्ट अर्थ है साङ्केतिक भाषा अथात् व्यञ्जना प्रधान भाषा। इसी प्रकार प्रेमाश्रयी कवियोंकी रचनाएँ भी ध्वनिकाव्यके अतगत ही जाती हैं। ज्ञायनीने अपने काव्यको अन्योक्ति कहा है। प्रथमगत अन्योक्ति जयवा समासाक्ति या रूपक गूढ व्यञ्जयपर आश्रित रहता है। उसका मूलार्थ सर्वथा ध्वनित होता है। परन्तु चूंकि इस प्रकारक अन्योक्ति या रूपकवाच्यके द्वारा रसकी व्यञ्जना न होकर अन्ततः सिद्धान्त [वस्तु] की ही व्यञ्जना जाती है इसलिये यह उत्तमोत्तम [रसध्वनि] काव्य अतगत नहीं आता। रूपकवाच्य जहाँतक कि उमक रूपकत्वका सम्बन्ध है, मूलतः रसुध्वनि ही अतगत आता है और यह वस्तु भी गूढ व्यञ्जय होती है, अतएव इसकी श्रेणी रसध्वनिमें निम्नतर टहरती है। यही कारण है कि शास्त्रज्ञने पद्यावतको मूलतः प्रथमकाव्य ही माना है, उसके अन्योक्तिरूपका आनुपङ्गिक माना है।

और यह ठीक भी है। इसमें सन्देह नहीं कि जायसीने अपने काव्यमें सूफी सिद्धान्त [वस्तुकी] व्यञ्जना की है, परन्तु व प्रवृत्त रससिद्ध कवि थे। अतएव उनका सिद्धान्त पीछे रह गया है और प्रीतिमें दृग्ना हुआ रगमय काव्य ही प्रमुग्ध हो गया है। जायसीने स्वयं कहा भी है—

जोगी लाह रक्त रँ लेई । गाढ़ि प्रीति नयनहि जल भेई ॥
में जिय जानि गीत अस कीन्हा । मगु यह रहे जगत महुँ चीन्हा ॥

प्राणान रक्तने लिग्नी हुई गाढी प्रीतिमें उद्भूत, नयनोंने जलमें भीगी हुई कविता वस्तु [सिद्धान्त] की ही व्यञ्जना करके कैसे रह जाती ? उसमें रसकी व्यञ्जना निस्सन्देह है।

कबीर जायसीने युगने राद मूल तुलसीका युग आता है। रामभक्त और कृष्णभक्त कवि प्राय सभी शास्त्रनिष्ठ थे, उनका दान और काय दोनों शास्त्रोंसे सम्पर्क था, परन्तु फिर भी सिद्धान्तरूपमें ये भक्तिको शास्त्रसे अथात् भावनाको बुद्धिसे अधिष्ठ महत्त्व देते थे। तुलसीने काव्यके दो उद्देश्य माने हैं। प्रत्यक्ष रूपसे तो स्वान्त मुग्धाय खुनामगायाका वर्णन करना, और अप्रत्यक्ष रूपसे उसके द्वारा लोकधर्मकी प्रतिष्ठा करना। दूसरे शास्त्रमें तुलसीके काव्यमें आत्मरक्षण और लोकरक्षणका पृथ समन्वय है, व्यक्तिपरक और समुत्परक दृष्टिकोणोंका सामञ्जस्य है। उच्च भावतत्त्वके साथ ही उनमें बुद्धितत्व और कल्पनातत्त्व भी उचित सम्मेलन है, फिर भी तुलसी मिलाकर तुलसी और उनके अनुयायी रामभक्तोंको समसम्प्रदायके अंतगत ही मानना पड़ेगा।

सायबरचनाने अतिरिक्त कल्मीके सैदातिन सङ्केतोंसे भी इस तथ्यकी पुष्टि हो जाती है। सायके उपकरणोंके विषयमें उन्होंने लिखा है—

आपत अरथ अट्टति नाना । छन्द प्रबन्ध अनेक विधाना ॥
भाव भेद रस भेद अपारा । कविता दोष गुण निश्चिध प्रकारा ॥

उपर्युक्त उद्धरणमें उन्होंने शब्दाय, अलङ्कार, छन्द, दोष, रस और भावका काव्यके उपकरण माना है—ध्वनिका उल्लेख भी नहीं किया।

परन्तु ये उपकरण तो मधनमात्र हैं—साध्य है रामभक्ति।

भक्ति निश्चिन् मकनिहत जोऊ ।

राग नाग गिन सोन न मोउ ॥

अतएव तुलसीके मतमें भक्ति रस ही सायका प्राण है। और स्या शब्दाम—

हृदय निधु मनि सीप मगाना । स्वाति साग्दा फरति मुजाना ॥
जो थरसद ग गानि विचारू । दोष कविन मुहुनाप्रनि चारू ॥

जुगुनि रेधि पुनि पोहिदहि, रातचरित पर तान ।

पहिरि सज्जन विमल उग, सोभा अति अनुगग ॥

काव्यकी मूल सामग्री है भाव [हृदय निधु], उसकी सहायिनी है मति [कारविनी प्रतिभा] जिसको सम्प्रतीति प्रेरणा प्राप्त होती है—अथात् यह प्रतिभा इ वरप्रदत्त है। श्रेष्ठ विचार वषाका जल अथात् पापक त त है। परन्तु इस प्रकार उद्भूत सायमणियों सार्चना हृदयपर तभी पनती है तब रामचरितके मुद्गर तारम युक्तिपवन उह विरा दिया जाय। अथात् श्रेष्ठ काव्यके लिए निम्न लिखित उपररणा और तत्पानी आवश्यकता होती है—भाज-ममृद्धि, कारविनी शरप्रदत्त प्रतिभा, गे विचार [वृत्त जीवन्तनी] और रामभक्ति जो न नरना प्राणतय है।

उन्होंने आरम्भमें ही कहा है “गणाना अर्थसङ्घाता रसाना छ दसामपि । मङ्गलाना च कतारौ व दे वाणीविनायकौ ।”

वृष्णभक्त कवियोंमें तो रागतत्पका और भी अधिक प्राधान्य है । इसका अभिप्राय यह नहीं है कि इन कवियोंके काव्योंमें ध्वनिकी किसी प्रकार उपेक्षा की गयी है । वास्तवम तुलसी, सुर और अन्य सगुण भक्त कवियोंकी रचनाओंमें रसध्वनि, वस्तुध्वनि तथा अलङ्कारचनिके अगणित उत्कृष्ट उदाहरण मिलते हैं । सुर तथा अन्य वृष्णभक्त कवियोंका भ्रमरगीतनाय जो मूलतः उपालम्भकाय है, रसध्वनिका उत्कृष्ट नमूना है । फिर भी इन अतिशय रागी कवियोंको रसवादी न मानना इनके काव्यकी आत्माके प्रति अन्याय करना होगा ।

इन कवियोंके अनन्तर हिन्दी साहित्यम रीतिप्रियोंका आविर्भाव हुआ । ये सभी कवि मूलतः काव्यसिद्धान्तके प्रति जागरूक थे । इन्होंने काव्यशास्त्र और उसके विभिन्न सम्प्रदायोंका विधिवत् अध्ययन किया था, और अनेकने अपने काव्यम उनका विवेचन भी किया । व्यवहाररूपम भी यह युग मुक्तक कायका युग था—और जैसा कि अत्र कहा गया है, ध्वनिसिद्धान्तका आविष्कार ही वास्तवम मुक्तक काव्यको उचित स्वीकृति देनेके लिए हुआ था । अतएव हिन्दी साहित्यके इतिहासमें ध्वनिसिद्धान्तकी वास्तविक महत्त्वमीकृति इसी युगमें हुई । जैसे तो इसमें सदेहके लिए अवकाश नहीं है कि रीतियुगपर रसवाद और उसम भी शृङ्गारवादका ही आधिपत्य रहा, फिर भी अन्यवादोंकी भी पूर्णतः उपेक्षा नहीं की गयी—अलङ्कार और ध्वनिने सम्प्रदायोंका स्वर भी मन्द नहा रहा । सबसे पहले तो सेनापतिने ही अपने काव्यकी स्थापना करते हुए उसका अन्यात्मकतापर विशेष उल्लेख दिया है—‘सरस अनूप रस रूप यामें धुनि है ।’ उनका रीतिग्रन्थ ‘काव्यकल्पद्रुम’ आज अप्राप्य है, अतएव इसके विषयमें कुछ कहना असंभव होगा । उनके बाद हिन्दीके अनेक जाचार्योंने मम्मटके अनुसरणपर काव्यका सवाङ्ग विवेचन किया है जिनमेंसे सुरज—‘तुलपति, श्रीपति, दाम और प्रताप साहि । इन कवियोंकी प्रवृत्ति अपेक्षाकृत बौद्धिक थी और ये मम्मटकी ही भाँति ध्वनि अथवा रस ध्वनिवादी थे । इनके काव्यकी पद्धति और रीतिसिद्धान्त दोनों ही इससे प्रमाण हैं । तुलपतिने स्पष्ट ही ध्वनिको काव्यकी आत्मा माना है—

व्यग्य जीव ताको कहत, शब्द अर्थ हे देह ।

गन गुन, भूपन भूपन, दूपन दूपन देह ॥ (रस-रहस्य)

दासने यद्यपि आरम्भमें रसकी कविताका अद्भुत उपात् प्रथम अद्भुत भाषा है—

रस कविता को अग, भूपन हैं भूपन सक्क,

गुन सरूप और रग दूपन करे एरूपता । (काव्य निर्णय)

परन्तु फिर भी उनके ग्रन्थमें इस प्रकारके स्पष्ट सङ्केत हैं कि रसमें उनका तात्पर्य रसध्वनिका ही है ।

भिन्न भिन्न यद्यपि सक्कल, रस भाषादिय दास,

रस्यं व्यगि सयको कही, ध्वनि को जहाँ प्रकास । (काव्य निर्णय)

इससे अतिरिक्त मम्मटकी ही तरह इन्होंने अलङ्कारको भी बहुत महत्त्व दिया है—

अलकार त्रिनु रसहु है, रसों अलङ्कति छडि,

सुफयि घचन रचनान सों, देत दुहनको मडि । (काव्य निर्णय)

प्रतापसाहि तो स्वीकृत रूपमें ध्वनिवादी थे ही—

‘यग जीव है कथित मैं, शब्द, अर्थ गति अग ।

सोई उत्तम काय है, उगने व्यग्य प्रसग ॥ (वृद्धचार्यसौमरी)

उन्होंने व्यङ्ग्यपर एक स्वतंत्र ग्रंथ ही रचा है जिसमें सारे रसप्रगङ्गाका व्यङ्ग्य [ध्वनि]के द्वारा उगन किया गया है ।

हिन्दी रीतिकार्यम ध्वनिवादका सर्वोत्कृष्ट रूप बिहारी और प्रतापसाहिमें मिलता है । बिहारीने यद्यपि लक्षणग्रंथोंकी रचना नहीं की परन्तु उनके काव्यकी प्रवृत्ति सर्वथा ध्वनिवादके ही अनुकूल थी । उनके दोहोंके काव्यगुणका विदलेपन करनेपर यह सादेह नहा रह जाता कि वे रसवादके शुद्ध मानसिक प्राकृतिज्ञानदकी अपेक्षा ध्वनिवादके बौद्धिक ज्ञानदकी ही अधिक महत्त्व दते थे । उन्होंने [अथवा उनके किसी अन्तरङ्ग समकालीनने] ‘सतसद’की ध्वन्यात्मकतापर ही उल दिया है—

सतसैयाके दोहरे, ज्यों नाजरुके तीर ।

देखनमें छोटे लगें, घाव करें गम्भीर ॥

यह निश्चय ही उसका व्यङ्ग्य गुणकी प्रशस्ति है ।

इस युगम ध्वनिका प्रचल विरोध दो आचार्योंने किया— केशवदास और दधने । केशवदासने अलङ्कारवादकी निघ्रान्त स्थापना की, साथ ही ‘रसिकप्रिया’में शृङ्गारवादको भी मान्यता दी, परन्तु ध्वनिका उन्होंने सर्वथा बहिष्कार किया । उन्होंने भामह-दण्डीकी ध्वनिपूर्व अलङ्कारवादी परम्पराको तो मूलत अपनाया ही, इसके साथ ही ध्वनि उत्तर शृङ्गारवादको भी ग्रहण किया, परन्तु ध्वनिकी उन्होंने सवथा उपेक्षा की । दूसरे आचार्य रसमूर्ति दध रसवादके प्रचल पृष्ठभोपक थे । उन्होंने तो व्यञ्जनाको अधम ही कह दिया

अभिधा उत्तम काय है, मध्य लच्छना लीन ।

अधम व्यञ्जना रस कुटिल, उलटी कहत नरीन ॥

उपर्युक्त दोहका मूल प्रसङ्गके विच्छिन्न कर जानाच्य गुकलने अपनी अमोघ शैलीमें उसकी आवश्यकतास अधिक हीउल्लेख कर डाली है, और उसके लोग भी मूल प्रसङ्गको दग विना ही उनका अनुकरण करते गये ह । उपर्युक्त दोहा पात्रवर्णनप्रसङ्गका है देखने शुद्धस्वभावा स्वकीयाको नाच्य वाचक पात्र माना है, गरस्वभावा स्वकीयाको लय लाभणिक पात्र, और शुद्ध परकीयाको व्यङ्ग्य वाचक पात्र । इस प्रकार शुद्धस्वभावा मुग्धा स्वकीयाका सम्बन्ध अभिधामे है यथा वह मुग्धस्वभावा होनके कारण अभिधाका प्रयोग करती हुई सीधी सादी बात करती है । गवम्बभावा प्रीति परकीयास स्वभाव और वार्णीम मुग्ध सारस्वका कमी हो जाती है, और उसका अभिव्यक्तिना साधन लभणा हा जाती है । परकीयाक स्वभाव और वार्णीमें वनता होना अनिवाय है अतएव उसकी अभिव्यक्तिका मायम होती है व्यञ्जना । इसी कारण देवका मत है कि,

स्वीय मुग्ध मूरति सुधा, प्राढ सिता पय सिक्त ।

परकीया करकस सिता, मरिच परिचयनि तिक्त ॥

कहनासा तात्पर्य यह है कि दयन अभिधाको शुद्धस्वभावा स्वकीयासे और व्यञ्जनाको परकीयास स्वरूप कर देता है, अतएव उपर्युक्त दोहमें व्यञ्जनाकी भन्सनाका लक्ष्य बहुत-बुद्ध परकीयाका रमाभिव्यक्ति ही है । उपर्युक्त व्याख्याने साद भी देखने काव्य विवेचनना सवाङ्गरूपमे पर्येषण

करनेपर हसमें सदेह नहीं किया जा सकता कि दक्को रसने प्रति अत्यन्त प्रबल आग्रह था और उन्होंने ध्वनिका बहिष्कार ही किया है। उन्होंने कायके सभी अङ्गोंका—यहाँतक कि विद्वलना भी यत्किञ्चित् विस्तारसे विवेचन किया है, परन्तु ध्वनिका उल्लेखमात्र भी नहीं किया। वास्तवम देव हृदयकी रागात्मक अनुभूतियोंकी ही वाक्यना सर्वस्य मानते थे, अतएव उह स्वभावोक्ति और अभिधासे ही ममता थी—व्यञ्जनाको पहेली बुझौवल माननेकी मृत्ता तो उहाने नहीं की, परन्तु उनकी रसयोजनामें उसका स्थान गौण ही है।

सङ्कृतमें ध्वनिके समर्थ प्रवक्ता मम्मटने ध्वनिका वाक्यकी आत्मा मानत हुए रस आदिका अलङ्कारमध्वनिने अन्तगत घर्षण करनेकी परिपाटी चला दी थी, जिसका पण्डितराज जगन्नाथने भी अनुसरण किया। परन्तु विद्वानाथने रसको अङ्गी घोषित करते हुए मम्मटकी पद्धतिमें सशोधन किया। उन्होंने रसका स्वतन्त्र विवेचन करते हुए ध्वनिकी एक पृथक् परिच्छेदम यारया की। रीतिकालीन आचार्योंने रस और ध्वनिके सम्बन्धम प्राय विचिन्नायका ही मार्ग ग्रहण किया है।

रीतियुगके अनन्तर आधुनिक युगका आरम्भ होता है। इस युगन तीन सण्ड क्रिये जा सक्ते हैं—भारतेन्दु काल, द्विवेदी काल, वतमान-काल। इनमेंसे भारतेन्दु काल प्रयोगशाल था, उसम मुख्यत गद्यकी रूपरेखाका निमाण हुआ। कविताके प्रति दृष्टिकोण भी बदलना आरम्भ हो गया था और वह कभी पीछे मत्तियुगकी ओर देखती हुई और कभी आगे जीवनरती वास्तविकताओंपर दृष्टि डालती हुई अपने नूतन पथका निमाण कर रही थी। यह दृष्टिकोण द्विवेदी कालतक आने आते स्थिर हो गया। हिन्दी कविताने अपना माग चुन लिया था—उमने जीवनरती गन्तविकताको अपना सवेय मान लिया था। व्यवहाररूपमें हिन्दीके किसी युगम ध्वनिना इतना तिरस्कार नहीं हुआ। इस दृष्टिसे यह ध्वनिके चरम पराभवका समय था। इस कालखण्डकी कविता शैलीमें आचार्य गुणने इसीलिए इतिवृत्त कहा है। इतिवृत्तशैली ध्वनिना एवान्त विपरीत रूप है। व्यञ्जनाका वैपरीत्य इतिवृत्तकमन अथवा घाचन है और द्विवेदी युगकी कवितामें इसीका प्राधान्य था।

द्विवेदी युगकी कविता और आलोचनाम एक विचित्र व्यवधान गिलता है। कविताम जहाँ नये युगकी इतिवृत्तात्मन्ता और गद्यमयता है, वहाँ काव्यसिद्धान्तोंम प्राय परम्पराका ही प्रबल आग्रह है। इस युगके प्रतिनिधि आलोचकोंमें मिश्रन धु-पण्डित वृष्णविहारी मिश्र सहित, ल० भगवानदीन तथा पण्डित पद्मसिंह शमासा नाम उल्लेख्य है। इनमें मिश्रन धुओंने काव्यसिद्धान्तकी परिधि व्यापक है—उनमें पूर्व और पश्चिमके सिद्धांतोंका मिश्रण है। पण्डित वृष्णविहारी मिश्रकी दृष्टि अधिन स्थिर है, उन्होंने भारतीय काव्यसिद्धान्तोंको आधिक दृष्ट्य रूपम ग्रहण किया है और स्थान स्थानपर रम, अलङ्कार, ध्वनि आदिनी चचा की है। परन्तु सब मिलाकर ये रसवादी ही हैं—वृष्णविहारीजीनी रसदृष्टि विहारी और शेषरके कायोंकी रूपेण देन, मतिराम और वेनी प्रवीनने रस काव्याम ही अधिन रमी है। उहाने स्पष्ट शब्दोंमें रससिद्धान्तकी मायता घोषित की है।

“रास्तरमें रसात्मक काय ही सत्प्रव्य है।”

“रसात्मक वाक्यमें बड़ी ही सुन्दर कविताना प्रादुभाव हाता है। नीरस एव अलङ्कारप्रधा कविताम गहुत थोड़ी रमणीयता पायी जाती है। शब्दचित्रसे पूर्ण ग्रास्य तो नरल वहनेभरको कविताने अतगत मान लिया गया है।”

“रमणीय वह है जिनम चित्त रमण करे—जो चित्तनी अपने आपम लगा ले। रमणीयता आनन्दनी उत्पत्ति करती है। कविताकी रमणीयतासे जो आनन्द उत्पन्न होता है, वह लोकोत्तर है।”

“कविता बह प्रयोजनोंसे की जाती है। एक प्रयोजन आनन्द भी माना गया है। यह आनन्द

लोकोत्तर होता है। कविताको छोड़कर अन्यत्र इस आनन्दकी प्राप्ति नहीं होती। या तो भूतमात्रकी उत्पत्ति आनन्दसे है, जीवनकी स्थिति भी आनन्दसे ही है तथा उसकी प्रगति और नित्य भी आनन्दमें ही है, फिर भी कविताका आनन्द निराला है। आत्माके आनन्दका प्रकाश कला द्वारा ही होता है।”

“कवितामें सौन्दर्यकी उपासना है। सौन्दर्यसे आनन्दकी प्राप्ति है। कविताके लिए रमणीयता परमावश्यक है। आनन्दने अभावमें रमणीयताका प्रादुर्भाव बहुत कठिन है। सो कविताके सभी प्रयोजनोंमें आनन्दका ही उपाया है।”—मतिराम प्रयावलीकी भूमिका

ल० भगवानदीने इन्द्र कवि थे केशव। निदान उनकी प्रवृत्ति अलङ्कारवादनी ओर ही थी, उधर विहारीकी कविताको उत्तम काव्यका आदर्श माननेवाले पण्डित पद्मसिंह शर्माकी दृष्टान्त स्वमात्र ध्वनिचमत्कारकी ओर अधिक थी। इन जालोचकाने सिद्धान्तविवचन विशेष रूपसे नहीं किया है आलोच्य कायनी चारनामें ही प्रसङ्गवश सिद्धांतकथनमात्र किया है। फिर भी लालाजी अपनी अलङ्कारप्रियताके कारण अलङ्कारवादियोंकी श्रेणीमें और शर्माजी ध्वन्यचमत्कारके प्रति आग्रह तथा साहसपूर्ण और बौद्धिकताके हामी होनेके कारण ध्वनिसम्प्रदायके अंतर्गत आते हैं। शर्माजीने स्थान स्थानपर विहारीके दोहोंके ध्वनिसौन्दर्यपर बल दिया है—

१ “इस प्रकारने स्थलोंमें [जहाँ विहारीपर पूर्ववर्ती महाकवियोंकी छाया है] ऐसा को-अपसर नहीं जहाँ “होंने ‘वातमें बात’ पैदा न कर दी हो।” (विहारी सतगद् पृ० ०)

कहनेकी आवश्यकता नहीं कि यह ‘वातमें बात’ पैदा करना आनन्दबन्धनका रम्य स्फुरित [ध्वन्यालोक ४।१६] का ही अनुवाद है जिसमें वे यह घोषणा करते हैं कि “जिस कवितामें सहृदय भावुकको यह सूझ पड़े कि ‘हाँ, इसमें कुछ नूतन चमत्कार है’ [जो सर्वथा ध्वनि आश्रित ही होगा] फिर उसमें पूर्वकविनी उपाया ही क्या न शक्यती हो तो भी कोढ़ शानि नहीं।”

० “‘विहारीलाल’ पद यहाँ बड़ा ध्वनिपूर्ण है।” (पृ० ६७)

३ “इनने इस वर्णनमें [पिरहवर्णनमें] एक निराला बौद्धिकता है, कुछ विशेष बन्धन है, यद्भवना प्राप्त है।” (पृ० १६०)

४ “कविताकी तरह और भी कुछ चीज ऐसी है जहाँ बन्धन [बौद्धिकता, बन्धन] ही कदर और कीमत पाती है। विहारीने कहा है—

गद्ग रचना करनी अलङ्क चित्तमनि भाह कमान।

आपु परुही ही त्र(च) डे तरुनि तुग्गमि तानि ॥ (पृ० ०००)

और सिद्धान्तकाम—

“मन्त्रमें अलङ्कितता लानेके लिए कविने अमिथास बहुत कम और ध्वनि, व्यञ्जनामें अधिक काम लेना पड़ता है। यही उभय चमत्कारना मुख्य हेतु है। इस प्रकारने कविनाली साक्षात् निमाता ही धान्त्वम ‘महाकवि’ पदके समचित्त अधिकारी है।”

आचार्य रामचन्द्र शुक्ल भी इनके सम सामर्थिक थे—परन्तु सिद्धांतविवचनकी दृष्टिमें वे अपने समयसे बहुत आगे हैं। वास्तवमें वे श्री मध्वीशरणा सुम्वी मौलत द्विवेदी यम और तत्कालीन युगके सद्गमस्थलपर गढ़ थे। निदान भारतमें प्राचीन नाट्यशास्त्र और मूर परने तत्काल आलोचना सिद्धांतका सभ्यक अभ्यसन कर दानाका सातु समन्वय करनेका सफल प्रयत्न किया। मौलत सिद्धांतविवचनकी दृष्टिमें प्राचीन आचार्योंकी श्रेणीमें वेबल उद्द ही प्रतिष्ठित किया जा सकता है। ३ तृतीय नाट्यशास्त्रने विभिन्न सम्प्रदाय शम्भुजीकी ममभेदी दृष्टिकी परिधिमें आये तत्काल

होता, परन्तु वह भाव-यज्ञनाम सहायक अवश्य है। इसी प्रसङ्गम अथवा उद्दान लिंगा है कि वस्तु-यज्ञनाम अभिप्राय वास्तवम 'उपपन्न अर्थ' का है [जा यज्ञनामकी सहायताम उपपन्न होता है] और इसे व का न न मानत हुए 'कायको धारण करनेवाला सत्य मानत है'। [चिन्तामणि भाग २, पृष्ठ ६६७]। कायत्वके विषयम व निम्नान्त रसवादी है। यज्ञना उच्यते यद्येतेक मान्य है ज्योतः उक्तना सम्प्र ध किमी न किमी प्रकार भावसे अवश्य हो उहोन 'नाथ्यम रहस्यवाद'म रूप लिंगा है

“हमारे यहाँ पुराने ध्वनिवादियोंके समान आधुनिक 'यज्ञनावादी' भी भाव-यज्ञना और वस्तु-यज्ञना दोनोंम काव्यतत्त्व मानते हैं। उनके निकट अन्ते तन्त्रसे की हुई 'यज्ञना भी काय ही है। इस सम्प्रथम हमारा यही वक्तव्य है कि अन्तरीम अन्तरी उक्ति काय तभी हो सकती है जब कि उसका सम्प्रथम—सुष्ठु दूरका सही—हृदयके किसी भाव या चित्तिस हागा। मात्र लीजिय कि अन्त मङ्गलतरथ कथित किसी लक्षणापुण उक्तिम सौन्दर्यका वर्णन है। उम उक्तिमें चाह कोई भाव सीरे सीधे व्यङ्ग्य न हा, पर उसकी तहम सौन्दर्यको ऐसे अन्ते दगस करनेका प्रेरणा करनेवाला रतिभाव या प्रेम ठिपा हुआ है। जिस वस्तुकी सुन्दरताके वर्णनम हम प्रवृत्त होंगे वह हमारा रति भावना जालम्ना होगी। आत्मवचनमात्रका वर्णन भी रसात्मक माना जाता है और वास्तवम हाता है।” [चिन्तामणि २, पृष्ठ ९७ ९८]।

यह ध्वनिवादी अपने रसकी असदिग्ध स्वीकृति है। और वास्तवमें आचार्यन सम्प्र काय दगन और जीवनदगनका देपत हुए इसम सदेह भी कौन कर सता है? वे जीवनम लक्षधम और नायम प्रथ धनायका ही अधिक महत्त्व दत थे क्योंकि व लोकधमका पूर्ण अभिपक्ति प्रथ ध कायम ही पा सकत थे। मुक्त और प्रगीतम उनकी रुचि पूरी तरह नहा रमती थी। अतएव ध्वनिवादी अपने रसके प्रति उनका आग्रह स्वभावत ही अधिक था, और वास्तवम इस युगम रसवादका इतना प्रबल प्रनाण्ट व्याख्याता दूसरा नहा हुआ।

सुन्दरीने अतिरिक्त केवल दो काव्यशास्त्रियोंके नाम ध्वनिने प्रसङ्गम उल्लेखनाय है—सेठ व हथालाल पादार तथा पण्डित रामदहिन मिश्र। सेठजीन मम्मटक 'कायप्रकाश'को अपना आधार प्रथ मानत हुए अनिमिद्धातनी हिदीमे विस्तारसे 'वाख्या की है। यह ठाक है कि उनके प्रथम मालिन विवेचनका अभाव है। सेठजी उदाहरण भी हिन्दीसे नहा दे सन हैं, उनव लिए भी उ ह मन्वृत्त छ दाना ही अनुवाद करना पटा है। फिर भी ध्वनि जैसे जलिल विषयकी हिदीम अचतारणा करना ही अपने आपम एक बडा काम है, और हिदी काव्यशास्त्रन अध्येता उनका सदैव आभारी रहगा। इस दृष्टिसे पण्डित रामदहिन मिश्रका काय और भी अधिक स्तुत्य है। उनका का अधिक निद्रा त तथा विवेचन अपने अट्टत मौलिक है। उहाने अपने विवेचनमें सैदातिक प्रेरणा जहाँ सधन ही मन्वृत्त का यगान्मस प्राप्त की है, वहाँ वाचहारिक आधार हिदी काव्यको ही माना है। इसलिए उनका विवेचन अधिक स्पष्ट और ग्राह्य हो सका है। मिश्रजीन हिदी नायमे उदाहरण दून्मम अद्भुत सुन्दर परिचय दिया है। साथ ही आधुनिक सिद्धांतोंसे भी उनका अच्छा परिचय है, और उनका आग्रह व अपने विवेचनका यत्किञ्चित् आधुनिक रूप भी दे सध है। विशुद्ध ध्वनिवादियोंकी परम्पराम सुरयत हिदीके वे दा विद्वान् ही आते हैं। ये लाग हैं कट्टर ध्वनिवादी—इ होंने रसका स्वतन्त्र न माननर ध्वनि अतर्गत ही माना है। और अमलस्यमव्यङ्ग्यन प्रपञ्चरूपम ही उसका दान किया है।

द्विपदी युगक इतिवृत्तनायकी मीपण प्रतिस्त्रियास्य छायावादना जम हुआ। द्विपदी

कविताकी इतिवृत्त शैलीने विपरीत छायावादकी शैली जतिशय व्यञ्जनापूर्ण है। द्विवेदी युगका कवि जहाँ 'व्यञ्जनाके रहस्यसौन्दर्यसे अपरिचित रहा, वहाँ छायावादम लक्षणा व्यञ्जनाका आकर्षण इतना अधिक उत्पन्न गया कि अभिधाकी एक प्रकारसे उपेक्षा हो गयी। छायावादने प्रवक्तृ प्रसादने छायावादके व्युत्पत्ति अर्थने मूलमें ही 'व्यञ्जनाका आधार माना। जिस प्रकार मोतीमें वास्तविक सौन्दर्य उसकी छाया है, जो दानेकी सारभूत छविके रूपम पृथक् ही शलकती है, इसी प्रकार काव्यम वास्तविक सौन्दर्य उसकी ध्वनि है जो शब्दोंके वाच्यार्थसे पृथक् ही 'यञ्जित' होती है। इसकी प्रेरणा प्रसादजीने स्पष्ट सङ्कटने ध्वनिवादी आचार्योंसे ही प्राप्त की है। आनन्दबधने ध्वनिको अङ्गनाशरीरम लावण्यके सहज कहा है। बादम लगभगकी परिभाषा इस प्रकार की गयी

मुक्ताफलेषु छायायास्तरलत्वमिद्यान्तरा ।
मलक्ष्यते यदङ्गेषु तद्वावण्यमिद्वोच्यते ॥

मोतियोंमें कान्तिकी तरलता [पानी] की तरह जा बस्तु अङ्गोंके अंदर निव्यायीं दती है उन लगभग कहा जाता है।

इसी रहस्यको आरंभ करते हुए कवि पन्तन पल्लवना भूमिनाम लिखा

"कविताके लिए चित्रभाषाकी आवश्यकता पडती है, उसने शब्द सस्वर होने चाहिए, जो चलते हों, सेरकी तरह जिनके रसनी मधुर लालिमा भीतर न समा सजनेके कारण बाहर शलक पड, जो अपन भावका अपनी ही ध्वनिमें आँसुके नामने चित्रित कर सक, जो शङ्कारम चित्र, चित्रम चित्र हो ।"

"कविताम शब्द तथा अर्थकी अपनी स्वतन्त्र सत्ता नहीं रहती, व दोना भावकी अभिव्यक्तिम ही ज्ञात है। किसीक कुशल करीका मायायी स्पर्श उनकी निर्जीवताम जायन पूँक देता, व अहत्याकी तरह श्वापसुक हाँ जग उडते, हम उ ह पापाण खण्डोंका समुदाय न कह ताजमहल कहन लगते हैं, वाक्य न कह वाक्य उहने लगते हैं।"

इसी प्रसङ्गमें उन्होंने पथाय शब्दाक 'व्यञ्जनायमेदकी भी बड़ी ही मामिक ख्यालका है "मित्र मित्र पथायवाची शब्द, प्राय सङ्गीतमेदके कारण, एक ही पदार्थके मित्र मित्र स्वरुपाको प्रकट करते ह। जैसे, भूसे क्रीडनी वक्रता, मृदुटिस जगक्षकी चञ्चलता, भाहासे रगभाविक प्रसन्नता, ऋतुताका हृदयमें अनुभव होता है। ऐसे ही हिलारम उठान, लहरम सलिलने वक्ष खलका कामल कम्पन, तरङ्गम लहरोंके समूहका एक दूसरेको धरेलना, उतरर गिर पडना, बनें रनें कहनेका शब्द मिलता है, बीचिसे जैसे निरगाम चमकती, हराय पलनेम हीले हीले झूलती हुइ हँसमुप लहरियोंका, ऊर्मिसे मधुर सुरारित हिलोराना, हिलाल मलालसे उँची उँची गह उठाती हुइ उत्यातपूर्ण तरङ्गोंका आभास मिलता है।"

उपयुक्त विवचन 'विनाग्नि' आर 'ज्वालिन' के प्य यथभेद विवचनना नवीन बलात्मक संस्करणमात्र है।

इधर श्रीमती महादेवी वमान भा छायावादकी अभिव्यक्तिम 'व्यञ्जनाके महत्त्वपर प्रकाश डाला है "व्यापन अर्थम तो यह कहा जा सकता है कि प्रत्येक सौन्दर्य या प्रत्येक सामञ्जस्यका अनुभूति भी रहस्यानुभूति है।" (महादेवी वमानका विवेचनात्मक गद्य, पृ० २६)

१ "स प्रकारकी अभिव्यक्तिमें भाव रूप चाहता है, अतः शैलीका कुछ सङ्केतमयी हो जाना

सहज सम्भव है। इस अतिरिक्त हमारे यहाँके लिए एक सङ्केतात्मक शैली बहुत पहले बा चुकी थी। अरुपदगानसे लेना स्पात्मक कायकलातन सवने एही गैलीका प्रयोग किया है जा परिचितके माध्यमसे अपरिचित आर स्वल्प माध्यमसे सुश्रुतन पहुँचा सने।”

—म० का० वि० ग०, पृ० ९२

छायावादसे आगेकी नयी प्रयोगवादी कविताम व्यञ्जनाका आधार और भी अनिवार्य हो गया है। प्रयोगवादी कविन जन शब्दम साधारण अर्थसे अधिक अथ भरना चाहा तो स्वभावत ही उसे व्यञ्जनाका आश्रय लेना पडा। प्राग्वहमें इस नयी कविताकी भाषा अत्यधिक साङ्केतिक तथा प्रतीकात्मक है। यहाँ शब्दमे इतना अधिक अर्थ भरनेका प्रयत्न किया गया है कि उसकी यथासाध्य जगह दे जाती है—यह व्यञ्जनाके साथ बलात्कार है।

हिन्दीम ध्वनिमिद्वान्तक विकासयुजना यही सभित इतिहास है।

उपसहार

ध्वनिसिद्धान्तकी परीक्षा

अतम, उपसहाररूपम, ध्वनिसिद्धान्तका एक सामान्य परीक्षण और आवश्यक है। क्या ध्वनिसिद्धा त सभया निभ्रा त और काव्यका एकमात्र स्वीकार्य सिद्धान्त है? क्या यह रससिद्धान्तसे भी अधिक मान्य है। इस प्रश्नका दूसरा रूप यह है काव्यकी आत्मा ध्वनि है अथवा रस? जैसा कि प्रसङ्गम कहा गया है अन्ततागत्वा रस आर बनिम कोइ अंतर नहीं रह गया था। यों तो आर दबधनन हा रसको ध्वनिका अनिवाच्य तत्त्व माना था, पर अभिवाचने रसको और भी स्पष्ट करते हुए रस आर ध्वनिसिद्धा ताको एकरूप कर दिया। फिर भी इन दोनोंम सुभ अंतर न हो यह बात नहीं है—इस अंतरका चतना अभिवाचने प्राद भी निस्स दह बनी रही। बिद्वनाथका रसप्रतिपादन और उसका प्राद पण्डितराज जगन्नाथ द्वारा उनकी आलाचना तथा ध्वनिना पुन स्थापन इस सुश्रम अंतरक अस्तित्वना साक्षी है। जहाँतक दोनोंके महत्त्वका प्रश्न है, उसम सदेह नहा किया जा सकता। ध्वनि रसना बिना का य नहीं बन सजती, और रस ध्वनित हुए बिना कबल कथित होकर का न नहा हा सजता। काव्यम ध्वनिना सरस रमणीय होगा पड़गा, और रसना वद्वय हाना पड़गा। ‘सुय अस्त हो गया स एक ध्वनि यह निकलती है कि ‘अन काम न द करो’—परतु ध्वनिनी स्थिति असदिग्ध होनेपर भी रसने अभावम यह ना य नहीं है। इसी प्रकार ‘दुष्यन्त शकु तलास प्रेम करता है’ यह वाक्य रसना कथन करनेपर भी व्यञ्जना अभावम काव्य नहीं है। अतएव दानाकी अनिवायता असदिग्ध है परतु प्रश्न सापेक्षित महत्त्वका है। विधि आर तत्त्व दोनोंका ही महत्त्व है, परतु फिर भी तत्त्व तत्त्व ही है। रस और ध्वनिम तत्त्व पदका अधिकारी कोन है? इसका उत्तर निम्नत है—रस। रस और ध्वनि दानोंम रस ही अधिक महत्त्वपूर्ण है, उसीन कारण ध्वनिम रमणीयता आती है। पर रसना स्थापन अथम ग्रहण करना चाहिये। रसना मूलत परम्परागत सङ्गीण निभावानुभाव यथिचारीक सयोगसे निष्पन्न रमके अथम ग्रहण करना सङ्गत नहा। रसने अतगत समस्त भागविभूति अथवा अनुभूतिरिभव जा जाता है। अनुभूतिनी बाहक [व्यञ्जक] बनकर ही ध्वनिम रमणीयता आती है, अन्यथा वह का य नहा बन सकती। अनुभूति ही

सहृदयके मनमें अनुभूति जगाती है। हाँ, कविकी अनुभूतिको सहृदयके मानसतक प्रकृत करनेके लिए कल्पनाका प्रयोग अनिवार्य है—उसीके द्वारा अनुभूतिना प्रेषण सम्भव है। और, कल्पना द्वारा अनुभूतिका प्रेषण ही तो शास्त्रीय शब्दावलीमें उसकी व्यञ्जना या ध्वनन है। इस प्रकार रस और ध्वनिका प्रतिद्वन्द्व अनुभूति और कल्पनाका ही प्रतिद्वन्द्व टहरता है। और, आठमें जाकर यह निश्चय करना रह जाता है कि इन दोनोंमेंसे काव्यके लिए कौन अधिक महत्त्वपूर्ण है? यह निर्णय भी अधिक कठिन नहीं है—अनुभूति और कल्पनामें अनुभूति ही अधिक महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि काव्यका संवेद्य वही है। कल्पना इस संवेदनका अनिवाय साधन अवश्य है, परन्तु संवेद्य नहीं है। इसीलिए प्रतिद्वन्द्व मनोवैज्ञानिक आलोचक रिचर्ड्सने प्रत्येक कविताका मूलतः एक प्रकारकी अनुभूति ही माना है। और जैसे भी 'रसो वै स' रस तो जीवन चेतनाका प्राण है—वाप्यके क्षेत्रमें या अन्यत्र उसको अपने पदसे कौन च्युत कर सकता है? प्निनिश्चिदातका सबसे महत्त्वपूर्ण योग यह रहा कि उसने जीवनके प्रत्यक्ष रस और काव्यके भावित रसके बीचका अन्तर स्पष्ट कर दिया।

ग्रन्थकार

'ध्वन्यालोक'की रचनाके विषयमें सस्कृतके पण्डितोंमें तीव्र मतभेद है। प्रथमे तीन अंग हैं कारिका, वृत्ति तथा उदाहरण। कारिकामें सिद्धान्तका सूत्ररूपमें प्रतिपादन है, वृत्तिमें कारिकाओंकी व्याख्या है, और फिर उदाहरण हैं। उदाहरण प्रायः सस्कृतके पूर्व ध्वनिशास्त्री कवियोंके दिये गये हैं पर अनेक स्वयं आनन्दवर्धनके अपने भी हैं। जहातः वृत्तिका सभ्य है, यह निर्विवाद है कि उसके रचयिता आनन्दवर्धन ही थे। प्रथम कारिकाआकी रचनाका है। सस्कृतकी प्रचलित परम्पराके अनुसार कारिका तथा वृत्ति दोनोंकी रचना आनन्दवर्धनने ही की है। 'ध्वन्यालोक' एक ही ग्रन्थ है और उसका एक ही रचयिता है। उत्तर ध्वनिशास्त्रके प्रायः सभी आचार्य आनन्दवर्धनको ही ध्वनिकार अर्थात् कारिका और वृत्ति दोनोंका रचयिता मानते हैं। प्रतिहारे द्वारा, कुन्तक, महिमभट्ट, क्षेमेन्द्र, मम्मट सभीके वाक्य इसके प्रमाण हैं। परन्तु शङ्काका बीज अभिनवगुप्तने 'लोचन'में है। कारिकाओं और वृत्तिकी चारया करते हुए अभिनवने अनेक स्थलोंपर कारिकाकार और वृत्तिकारका पृथक्-पृथक् उल्लेख किया है। इसके अतिरिक्त कारिकाकारके लिए मूलप्रसूत [कार] तथा वृत्तिकारके लिए प्रसूत [वार] शब्दका भी प्रयोग 'लोचन'में मिलता है। अतएव डा० सुहृद और उनके पश्चात् प्रो० जेकीकी, प्रो० कीथ और इधर डा० डे तथा प्रो० काणेका मत है कि कारिकाकार अर्थात् मूल ध्वनिकार और वृत्तिकार आनन्दवर्धनमें भेद है। इस श्रेणीके पण्डितोंका अनुमान है कि कारिकाकार का नाम सहृदय था—उसीके आधारपर अभिनवने 'ध्वन्यालोक'का यह स्थानोंपर 'सहृदयालोक' भी लिखा है। सुबुल आदि कुछ कवि आचार्योंने भी ध्वनिकारके लिए सहृदय शब्दका प्रयोग किया है, "तथादि तत्र विवाजतायपरता सहृदये कायवर्त्मनि निरुपिता।" इसके अतिरिक्त प्रो० काणेने प्रथम कारिकाके 'सहृदयमन प्रीतये' अंशकी वृत्तिमें 'सहृदयानामानदो मनसि लभता प्रतिष्ठाम्' आदि शब्दोंके आधारपर इस अनुमानको पुष्ट करनेकी चेष्टा की है। उनकी धारणा है कि आनन्दने ज्ञान बृहत्कर श्लेषके आधारपर इस वृत्तिमें अपने गुरु मूल ध्वनिकार सहृदय और अपने नामका समावेश किया है। परन्तु उधर इनके विपरीत डा० सकरन्का मत है कि 'लोचन'में अभिनवगुप्तने केवल स्पष्टीकरणके उद्देश्यसे ही कारिकाकार और वृत्तिकारका पृथक् उल्लेख किया है। सस्कृतके

अनेक आचार्योंने कारिका और वृत्तिनी शैली अपनायी है। सूत्ररूपमें सिद्धांत कारिका देकर वे स्वयं ही फिर उसका वृत्ति द्वारा व्याख्यान करते हैं—घामन, मग्मट आदिने यही पद्धति ग्रहण की है।

इसके अतिरिक्त स्वयं अभिनवने ही 'अभिनवभारती'में अनेक स्थलोंपर दोनोंका अभेद माना है। अपने प्रसिद्ध ग्रंथ 'सम आसपेकृत्स आप लिटरेरी क्रिटिसिज्म इन संस्कृत'में डा० सकरन्ने अभिनवके उद्धरणों द्वारा ही इस भेदसिद्धांतका स्पष्टन किया है, और संस्कृतकी परम्पराकी ही मान्य घोषित किया है।

डा० सकरन्का तर्क है कि यदि कारिकाकारका व्यक्तित्व पृथक् या तो उनके लगभग एक शताब्दी पश्चात् युक्तक, महिममट तथा अभिनवके शिष्य क्षेमेन्द्रको इस विषयमें प्रातिके लिए अधिक अधिकार नहीं था। इसके अतिरिक्त यह कैसे सम्भव हो सकता है कि स्वयं आनन्द ही उनसे परिचित न हों या उन्होंने जान बूझकर अपने गुरुका नाम छिपाकर अपनेकी ही ध्वनिकार घोषित कर दिया हो। आनन्दने स्पष्ट ही अपनेको ध्वनिका प्रतिष्ठाता कहा है

इति फाड्यार्यविवेको योऽयं चेतश्चमत्कृतविधायी ।

सूरिभिर्गनुसृतमारैरस्मदुपश्लो न विस्मार्थ्य ॥

[इस प्रकार चित्तको चमत्कृत करनेवाला जो काव्यार्थविवेक हमारे द्वारा प्रस्थापित किया गया वह सारग्राही विद्वानों द्वारा विस्मरण योग्य नहीं है।]

यहाँ 'अस्मदुपश'—'हमने उसकी प्रतिष्ठा की है' स्वयं व्यक्त है।

इसके अतिरिक्त अंतिम श्लोक—

सत्यकाव्यतरत्रयिषय स्फुरितप्रसुप्तकल्प मनस्सु परिपक्वधिया यदासीत् ।

तद्द्वयाकरोत्सहृदयोदयलामहेतोरानन्दवर्धन इति प्रथिताभिधान ॥

[पाय (रचना) का तत्व और नीतिका जो मार्ग परिपक्व बुद्धि (सहृदय विद्वानों) के मनमें प्रसुप्त-सा (अयत्त रूपमें) स्थित था, सहृदयोंकी अभिवृद्धि और लाभके लिए, आनन्दवर्धन नामक (पण्डितने) उसको प्रकाशित किया।]

इस प्रश्नकी स्पष्टतायोंके रहते हुए भी यदि कारिकाकारका पृथक् अस्तित्व माना जाय तो यह दूसरे शब्दोंमें आनन्दवर्धनपर साहित्यिक चौयका अभियोग लगाना होगा जो सर्वथा अनुचित है। अतएव यहाँ निष्कर्ष निकलता है कि आनन्दवर्धनने ही कारिका और वृत्ति दोनोंकी रचना की है, और 'ध्वन्यालोक' एक ही ग्रंथ है। जिन सहृदयशिरोमणि आनन्दवर्धनने पहली कारिकामें प्रतिष्ठा की थी कि "तेन ब्रूम सहृदयमन प्रीतये तत्स्वरूपम्" अर्थात् इसलिए अब सहृदयसमाजकी मन प्रीतिके लिए उसका स्वरूप वर्णन करते हैं, उन्होंने ही वृत्तिने अन्तमें "तद्द्वयाकरोत्सहृदयोदयलामहेतोरानन्दवर्धन इति प्रथिताभिधान" अर्थात् उसका सहृदयोंके उदयलाम (व्युत्पत्ति विकास)के लिए आनन्दवर्धनने पाठयान किया।

आनन्दवर्धनका समयनिर्धारण कठिन नहीं है। 'गणतरङ्गिणी'में स्पष्ट लिखा है कि वे अवतारवर्माके राज्यके रघुपतिरूप कवियोंमेंसे थे।

मुक्ताङ्कण शिखरस्वामी कथिरानन्दवर्धन ।

प्रथा रत्नाकरश्चागारस्त्राज्ञोऽवतिवर्मण ॥

अवन्तिवर्मा या वर्मन् कश्मीरके महाराज थे और उनका राज्यकाल सन् ८५५ ई० से ८८३ ई० तक था। दूसरे सूत्रोंसे भी इस निष्कर्षकी पुष्टि सहज ही हो जाती है। उदाहरणके लिए,

एक ओर आनन्दवर्धनने उद्भटका मत उद्धृत किया है, और दूसरी ओर राजशेखरने आनन्दवर्धनका उद्धरण किया है। इसका अभिप्राय यह हुआ कि वे उद्भटके समय अर्थात् ८०० ई० के पश्चात् और राजशेखरके समय अर्थात् १०० ई० के पूर्व हुए थे। अतएव आनन्दवर्धनका समय ९वीं शताब्दी इसका मध्य भाग अर्थात् ८५० ई० के आसपास माना जा सकता है। इनके विषयमें और कोई उपादेय तथ्य उपलब्ध नहीं है। 'देवीशतक' श्लोकसंख्या १०१ से यह सङ्केत मिलता है कि इनके पिताका नाम नोण था, यथे।

आनन्दवर्धनकी प्रतिभा बहुमुखी थी। काव्यशास्त्रने अपूर्व मेधावी आचार्य होनेके अतिरिक्त वे कवि और दार्शनिक भी थे। उन्होंने 'ध्वन्यालोक'के अतिरिक्त 'अर्जुनचरित', 'विषमवाणलीला', 'देवीशतक' तथा 'तत्त्वालोक' आदि ग्रंथोंकी रचना की है। इनमें 'अर्जुनचरित' और 'विषमवाणलीला'के अनेक संस्कृत प्राप्त छन्द 'ध्वन्यालोक'में उद्धृत हैं। 'देवीशतक'में यमक, श्लेष, चित्रनाम आदिका चमत्कार दिखाया गया है—इससे स्पष्ट हो जाता है कि उन्होंने चित्रक्री का यथेष्ट बहिष्कृत क्यों नहीं किया। 'तत्त्वालोक' दशनग्रन्थ है। अभिनवने लोचनमें इन ग्रंथोंका उल्लेख किया है।

ध्वन्यालोक'का प्रतिपाद्य विषय

'ध्वन्यालोक'का प्रतिपाद्य मूलतः ध्वनिसिद्धान्त है। आनन्दवर्धनने इस सिद्धान्तका अत्यन्त सूक्ष्म साङ्गोपाङ्ग विवेचन करते हुए काव्यके एक सार्वभौम सिद्धान्तका प्रतिपादन किया है। ध्वनिके विरुद्ध सम्भाव्य आपत्तियोंका निराकरण करते हुए उन्होंने फिर 'प्रतीयमान की स्थापना और 'वाच्य'से उसकी भेदताका निवारण किया है। हमने उपरोक्त ध्वनिनायकी श्रेणियों और ध्वनि भेदोंका वर्णन है। फिर ध्वनिकी व्यापकता अर्थात् तद्धित, वृद्ध, उपसर्ग, प्रत्यय आदिसंस्कार महाकाव्यतक उसकी सत्ताका प्रदर्शन किया गया है। और, अन्तम काव्यके गुण, राति, अलङ्कारसिद्धान्तोंका ध्वनिम समाहार किया गया है। यह तो हुआ 'ध्वन्यालोक'का मूल प्रतिपाद्य।

मूल प्रतिपाद्यने साथ साथ प्रतङ्गरूपसे 'ध्वन्यालोक'का काव्यके कुछ अन्य महत्वपूर्ण सिद्धान्तोंका भी विवेचन मिलता है—उदाहरणने लिए गुण, सङ्घटना और अलङ्कारका रसके साथ सम्बन्ध। ध्वनिकारने अत्यन्त स्पष्ट शब्दोंमें गुण और रसका सहज सम्बन्ध माना है—करण और शृङ्गारका माधुर्यसे सहज सम्बन्ध है और रौद्रका आलस्य। पर सङ्घटनाका गुण और रसके साथ अनिश्चय सम्बन्ध नहीं है—साधारणतः माधुर्यके लिए अथमासा और आलस्यके लिए मध्यमसमासा या दीर्घसमासा सङ्घटना अधिक उपयुक्त होती है, परन्तु यह कोई अटल नियम नहीं है। इसने विपरीत स्थिति भी हो सकती है—मध्यम या दीर्घसमासा सङ्घटनाके साथ भी माधुर्य गुण तथा शृङ्गार या कर्णरसकी स्थिति सम्भव है, और अथमासा सङ्घटना द्वारा भी आलस्य गुण और रौद्ररसका परिपाक हो सकता है। यही बात अलङ्कारोंके सम्बन्धमें भी है। अलङ्कारोंको भी रसका सहकारी होना चाहिये—उनकी स्वतन्त्र स्थिति, जो रसमें बाधक हो, दृश्य नहीं है। शृङ्गार और कर्ण जैसे कोमल रसोंके लिए यमक आदि अनुकूल नहीं पड़ते, रूपक, पयायोक्त आदिनी उनसे साथ सङ्गति अच्छी तरहसे बैठ जाती है, आदि आदि।

आगे चलकर 'ध्वन्यालोक'में रसके परिपाककी चर्चा है रसोंके विरोध और अविरोधका उल्लेख है। ध्वनिकारने स्पष्ट लिखा है कि सत्त्विको रसके परिपाकपर ही ध्यान केन्द्रित करना चाहिये। प्रतिभाशाली कवि अपने काव्यमें मित्र मित्र रसोंका समावेश करता हुआ एक मूल रसका

सम्यक् परिपाक करता है। इसी प्रसङ्गमें आनन्दने शान्तरसको भी सरल शब्दोंमें मान्यता दी है। शातका स्थायी है शम, जो सासारिक विषयाका निषेध है। यह अपने आपमें परम मुक्त है। अन्य भावान्ना आस्वाद इसकी तुलनामें नगण्य है। यह ठीक है कि इसको सभी प्राप्त नहीं कर सकते, परन्तु इससे शान्तरसकी अगम्यता सिद्ध नहीं होती।

अन्तमें, चौथे उपातमें प्रतिभाके आनन्दनयका घणन है। प्रतिभाशाली कवि ध्वनिके द्वारा प्राचीन भाव, अथ, उक्ति आदिको नूतन चमकार प्रदान कर सकता है। इस प्रकार अनेक प्राचीन कवियोंके रहते हुए भी काव्यक्षेत्र असीम है। प्रतिभाशाली कवियोंमें भावसाम्य या उक्तिसाम्यका पाया जाना कोई दोष नहीं है। यह साम्य तीन प्रकारका होता है—विम्बवत्, चित्रवत् और देहवत्। इनमें विम्ब और चित्रसाम्य स्पृहणीय नहीं हैं, परन्तु देहसाम्यमें कोई दोष नहीं है, यह प्रतिभाका उपकार ही करता है।

—

अथ श्रीपदानन्दार्धनाचार्यप्रणीतो

ध्वन्यालोकः

प्रथम उद्योतः

स्वेच्छकेसरिणः स्वच्छस्वच्छायायासितेन्दवः ।
त्रायन्तां वो मधुरिपोः प्रपन्नार्तिच्छिद्रो नन्वाः ॥

अथ श्रीमदाचार्यविश्वेश्वरमिहिराचार्येण विरचिते
'आलोकदीपिका' द्वितीयाध्यायः

उपहृतो वाचस्वतिरुपास्मान् वाचस्वतिहस्ताम् ।

स ध्रुतेन गमेमहि मा ध्रुतेन विराधपि ॥—अथर्ववेद १११

ध्वन्यमान गुणीभूतस्वरूपाद् विस्वरूपमात् ।

स्वरूप पर ब्रह्म शाश्वत समुपास्मते ॥

ध्याय ध्याय निगमविदित विद्वस्वरूप परश

स्मार स्मार चरणयुगल श्रीगुरास्तत्पदीपम् ।

श्राव श्राव ध्वनिनयनय वर्षनोपश्रमन

ध्वन्यालोक विव्रतिविशदं भाषया स तर्कमि ॥

मङ्गलाचरण

समस्त गुण कायोंके प्रारम्भम भगवान्ना स्मरण मागम जागेराली गणनापर विचर प्राप्त करनेकी शक्ति प्रदान करता है, इसलिए प्रारम्भ जैसे महत्त्वपूर्ण करने प्रारम्भम भी उमका विविध परिस्मात्तिकी भावनासे भगवान्ने स्मरणरूप मङ्गलाचरणकी परिपाटी सदाचारप्राप्त रही है । यद्यपि भगवान्का स्मरण मानसिक साधार है, परन्तु प्रथमर उिम रूपम भगवान्का स्मरण करना है उसको शिक्षाकी शिक्षाक लिए प्रथमे आरम्भम अङ्कित कर देनेकी प्रथा भी महत्त्वसाहित्यकी एक उपाचार प्राप्त परिपाटी है । इसलिए सस्कृतके प्रथम प्राय सयन मङ्गलाचरण पाया जाना १ ।

ध्वन्यालोककार श्री आनन्दार्धनायने अपने प्रारम्भिक प्रथमका निविध समाप्ति और उसका मागम आनेवाले विधोंपर विजय प्राप्त करनेके लिए आशीर्वाद, नमस्त्रिया तथा वस्तुनिर्देशरूप विविध मङ्गलप्रकारमसे आशीर्वाचनरूप मङ्गलाचरण करत हुए नरसिंहान्तारके प्रस्तावित्छेदन नलौका स्मरण किया है ।

एतथ अपनी इच्छासे मिहिर [नृनिह] रूप धारण करिये हुए [मधुरिपु] विष्णु भगवान्के, अपनी निर्मल फातिसे चन्द्रमाकी विप्र [लज्जित] करनेवाले, शरणागतके दुःखनाशनमें समर्थ, नय तुम सय [व्याख्याता तथा धोता] की रक्षा करें ।

काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति बुधैर्यः समाम्नातपूर्व-
स्तस्याभावं जगदुरपरे भाक्तमाहुस्तमन्ये ।
केचिद् वाचा स्थितमविषये तत्त्वमूचुस्तदीयं
तेन द्रूमः सहृदयमनःप्रीतये तत्स्वरूपम् ॥ १ ॥

विशेषिके नाद्य और उनपर विजयप्राप्तिके लिए वीररसके स्थायिभाव उल्लाहकी विशेष उपयोगिताकी दृष्टिसे ही प्रयकारने अपने इष्टदेवके वीररसाभियञ्जक स्वरूपका स्मरण किया है ।

यहाँ एकशेष माननेपर 'व' पद प्रयक्रता, यादयाता और धोता आदि सयका वाचक भी हो सकता है । परतु लोचनकारने एकशेष न मानकर 'व'का सीधा 'युष्मान्' अर्थ किया है और इस प्रकार स्वयं प्रयकारको इस आशीर्वचनसे अलग कर दिया है । इसका कारण बताते हुए उन्होंने "स्वयम युञ्जित्परमेश्वरनमस्कारसम्पत्तिचरिताथोऽपि याख्यातुभ्रूतुणामविष्णेनाभीष्टयाख्याभ्रवणलक्षण परसम्पत्तये समुचिताथी प्रकटनद्वारेण परमेश्वरसाम्भुरय कराति वृत्तिकार स्वेच्छेति ।" लिखा है । अर्थात् मङ्गलाचरणकार स्वयं तो निरन्तर इश्वर नमस्कार करते रहनेके कारण कृताथ ही हैं, अतः व्याख्याता और धोताओंके लिए ही आशीर्वचन द्वारा रक्षाकी प्राथना की है ।

कारिकाकार और वृत्तिकारका अभेद

'लोचन'की इस पक्तिमें 'वृत्तिकार' पदका तथा अन्यत्र कारिकाकार' पदका उल्लेख देखकर कुछ नवीन विद्वानोंने 'ध्वन्यालोक'के कारिकाभागका रचयिता 'सहृदय'को और वृत्तिभाग का रचयिता आनन्दवधनाचायको माना है । किंतु यह मत ठीक नहीं है क्योंकि यहाँपर वृत्तिभाग तथा कारिकाभाग दोनोंने आरम्भमें 'स्वेच्छानेसरिण' यह एक ही मङ्गलाचरणका श्लोक मिलत है । यदि इन दोनों भागोंके रचयिता भिन्न भिन्न व्यक्ति होते तो निश्चय ही दोनों भागोंके मङ्गलाचरणके श्लोक अलग-अलग होने चाहिये थे । फिर जो लोग 'सहृदय'को कारिकाभागका निर्मात मानते हैं वे 'ध्वन्यालोक'के वृत्तिभागके सबसे अन्तिम श्लोकमें आये हुए 'सहृदयोदयलामदेतो पदके आधारपर ऐसा मानना चाहते हैं । परतु यह भी ठीक नहीं है । क्योंकि उस श्लोक 'सहृदय' पद किसी व्यक्तिविशेषका वाचक न होकर काव्यमर्मज्ञोंका वाचक विशेषणपद है । आनन्दवर्धनाचार्यने मङ्गलाचरणके बाद सबसे पहिली कारिकामें 'तेन द्रूम सहृदयमनःप्रीतये तत्स्वरूपम्'में 'सहृदय' पदका प्रयोग किया है । प्रयको समाप्त करते हुए वृत्तिभागके सबसे अन्तिम श्लोकमें भी उसी 'सहृदय' पदसे प्रयका उपसंहार किया है । दोनों जगह 'सहृदय' पद का 'यममर्मज्ञोंका बोधक है । उपक्रम और उपसंहारका यह सामञ्जस्य कारिकाभाग तथा वृत्तिभाग दोनोंके एक ही कताको सूचित करता है । इसलिए जो लोग 'सहृदय'को ध्वनि कारिकाओंका रचयिता मानते हैं वे न्यायसङ्गत नहीं । यदि 'सहृदय' ही कारिकाकार होते तो वे प्रथम कारिका 'सहृदयमनःप्रीतये' कैसे लिख सकते थे ।

ध्वनिविषयक तीन निप्रतिपत्तियाँ

धोताओंने मनको प्रकृत विषयमें एकाग्र करनेके लिए प्रयके प्रतिपाद्य विषय और उसके प्रयोजनका प्रतिपादन करते हुए प्रयकार, प्रयका आरम्भ इस प्रकार करते हैं—

काव्यके आरम्भभूत जिम तत्त्वको विद्वान् लोग ध्वनि नामसे कहते आये हैं, कुछ लोग उसका अभाव मानते हैं । दूसरे लोग उसे भाक्त [गोण, लक्षणागम्य] कहते हैं

और कुछ लोग उस के रहस्यको वाणीका अविषय [अवर्णनीय, अनिर्वचनीय] उतलते हैं। अतएव [ध्वनिके विषयमें इन नाना विप्रतिपत्तियोंके होनेके कारण उनका निराकरण कर, ध्वनिस्थापना द्वारा] सहृदयों [कायमर्मज्ञ जनों] की मनकी प्रसन्नता [हृदयाह्लाद]के लिए हम उस [ध्वनि] के स्वरूपका निरूपण करते हैं ॥ १ ॥

'सामान्नातपूर्वः'का समाधान

इस पद्यम ग्रन्थकारने ध्वनिसिद्धान्तको 'सामान्नातपुत्र' एक प्राचीन सिद्धान्त माना है। परन्तु अहोतक लिखित वाङ्मयका सम्बन्ध है, सस्कृत साहित्यमें ध्वनिसिद्धान्तक विषयमें 'व्ययालोक'स प्राचीन कोट प्रथम उपलब्ध नहीं है। तब आनन्दवधनाचार्यने इसका 'सामान्नातपूर्व' शब्द कहा है यह प्रश्न उपस्थित होता है। इसका समाधान यह है कि यद्यपि 'ध्वयालोक'न पद्य लिखित रूपमें ध्वनिसिद्धान्तका प्रतिपादन नहीं हुआ था, किन्तु भाष्यकारने का शब्द आत्मतत्त्वविषयक विचारके प्रसङ्गम शाब्दादि प्रसिद्ध अवयवासे अतिरिक्त काव्यके जीवनाधायक तत्त्वका लोग स्वीकार करते थे। काव्यके आत्मभूत तत्त्वके नामकरणके विषयमें वे साहित्यमग्नज व्याकरणशास्त्रज्ञ ऋषी हैं। व्याकरणशास्त्रमें श्रोत्रप्राप्त शब्दके लिए 'ध्वनि' पदका प्रयोग होता है। श्रोत्रप्राप्त शब्द अपनेसे परे स्फोरूप नित्य शब्दका व्यञ्जन होता है। वह स्फोरूप शब्द ही प्रधान है। इसी प्रकार काव्यके शब्द अपने वाच्यार्थके परे किसी अन्य अर्थको यत्न करते हैं। यह यद्गद्य अथ ही प्रधान और काव्यका आत्मा होता है। इसी सादृश्यके आधारपर काव्यके आत्मभूत तत्त्वका 'ध्वनि' यह नामकरण किया गया। 'ध्वन्यालोक'के 'बुधैय सामान्नातपूर्व' इन शब्दोंको लेकर ही काव्यप्रमाणकारने "बुधैर्वैवाङ्मये प्रधानभूतस्फोरूपयद्गद्ययञ्जनस्य शब्दस्य ध्वनिरिति व्यवहार कृत तत्तन्मतानुसारिभिरप्येरेपि न्यग्भावितवाच्ययद्गद्ययञ्जनधमस्य शब्दार्थयुगलस्य ।" [मूल ४] यह पक्ति लिखा है। स्वयं आनन्दवर्धनाचार्यने भी आगे वही बात लिखी है। इससे प्रतीत होता है 'सामान्नातपूर्व' यह मौखिक परम्पराका निर्देश है।

विप्रतिपत्तियोंका विश्लेषण

ग्रन्थरूपमें 'ध्वन्यालोक' ध्वनिका प्रतिपादन करनेवाला प्रथम ग्रन्थ है। अलङ्कारशास्त्रमें इसके पहिले भरतमुनिका 'नाट्यशास्त्र', भामहना 'काव्यालङ्कार', उद्भटके इस 'काव्यालङ्कार'पर 'भामह विवरण' नामक टीका, वामनका 'काव्यालङ्कारवृत्त' और रुद्रटका 'काव्यालङ्कार' यही पाँच मुख्य ग्रन्थ लिखे जा चुके थे। इनमें भी 'भाष्यविवरण' असीतक उपलब्ध या प्रकाशित नहीं हुआ है। परन्तु 'ध्वन्यालोक'की लोचन टीकामें उसका उल्लेख बहुत मिलता है। इन पांच आचार्योंने अपने ग्रन्थोंमें ध्वनि नामसे कहा ध्वनिका प्रतिपादन नहीं किया और न उसका चर्चण ही किया है। इसलिए यह अनुमान किया जा सकता है कि ये ध्वनिको नशा मानते थे। ध्वन्यालोककार आनन्दवधनाचार्यने इसीके ग्रन्थके आधारपर सम्भावित तीन ध्वनिनिरोधी पक्ष बनाये प्रतीत होते हैं। एक अभाववादी पक्ष, दूसरा भक्तिवादी पक्ष और तीसरा अलक्षणीयतावादी पक्ष। इन्हीं तीनों पक्षोंका निर्देश इस कारिकामें 'तस्याभावम्', 'भासम्' आर 'वाचा श्रितमविपदे' शब्दोंसे किया है। ये तीनों पक्ष उत्तरोत्तर श्रेष्ठ पक्ष हैं। इनमेंसे प्रथम अभाववादी पक्ष विषयमूलक, दूसरा भक्तिपक्ष सदेहमूलक और तीसरा अलक्षणीयतावाद अज्ञानमूलक है। अर्थात् प्रथम अभाववादी पक्ष प्राचीन आचार्योंके प्रथाको का ध्वनिका अभावनाशक समझा है यह उनका धर्म या विषयज्ञान है। इसलिए वह स्वयंसे ही या निवृत्त पक्ष है। दूसरे भक्तिवादी पक्षने भामहने 'काव्यालङ्कार' और उसपर उद्भटके विवरणमें

गुणवृत्ति शब्दका प्रयोग देकर ध्वनिको भक्तिमात्र कहा है। उनका यह पक्ष सन्देहमूलक होने अथवा ध्वनिका स्पष्ट निषेध न करनेसे मध्यम पक्ष है। भामहने अपने 'कान्यालङ्कार'में लिखा है कि—

“शब्दाश्छन्दोऽभिधानाया इतिहासाश्रया कथा ।
लोको युक्ति कलाश्चेति मन्तव्या काव्यहेतव ॥”

इस कारिकामें भामहने शब्द, छन्द, अभिधान, अर्थ, इतिहासाश्रित कथा, लोक, युक्ति और कला इन कायहेतुओंका समग्र किया है। इनमें शब्द और अभिधानका भेद प्रदर्शित करते हुए विवरणकार उद्भटने लिखा है—

“शब्दानामभिधान अभिधाव्यापारो मुख्यो गुणवृत्तिश्च ।”

इस प्रकरणका अभिप्राय यह है कि शब्द पदसे तो शब्दका ग्रहण करना चाहिये और अर्थ पदसे अर्थका। शब्दका अर्थबोधनपरक जो व्यापार है उसे 'अभिधान' पदसे ग्रहण करना चाहिये। यह अभिधान या अभिधाव्यापार मुरय और गुणवृत्ति या गौण भेदसे दो प्रकारका है।

इस प्रकार भामहने अभिधान पदसे, उद्भटने गुणवृत्ति शब्दसे और वामनने “सादृश्यात् लक्षणा वक्रोक्ति”में 'लक्षणा' शब्दसे उस ध्वनिमार्गका तनिक स्पर्श तो किया है परन्तु उसका स्पष्ट लक्षण नहीं किया है इसलिए यह सन्देहमूलक भक्तिवादी मध्यम पक्ष बना।

जब प्राचीन आचार्य ध्वनिमार्गका स्पर्शमात्र करके बिना लक्षण किये छोड़ गये तो उसका कोई लक्षण हो ही नहीं सकता, यह अभाववादका तृतीय अलक्षणीयतावाला पक्ष है। यह पक्ष प्रथम पक्षकी भाँति ध्वनिका न स्पष्ट निषेध करता है और न द्वितीय पक्षकी भाँति सन्देहने कारण उसका अपह्नव ही करता है। केवल उसका लक्षण करना नहीं जानता है। इसलिए यह पक्ष अज्ञानमूलक और तीनोंमें सबसे कम दूषित पक्ष है।

ध्वनिके विरोधमें सम्भावित इन तीनों पक्षोंमेंसे प्रथम अभाववादी पक्षने भी तीन विचल्य प्रयत्नकारने किये हैं। इनमें पहिले विचल्यका आशय यह है कि शब्द और अर्थ ही कायके शरीर हैं। उनमें शब्दके स्वरूपगत चारुत्वहेतु अनुप्रासादि शब्दालङ्कार, अर्थके स्वरूपगत चारुत्वहेतु उपमादि अथालङ्कार और उनसे सद्भटनागत चारुत्वहेतु माधुर्यादि गुण प्रसिद्ध ही हैं। इनसे भिन्न और काव्यका चारुत्वहेतु नहीं हो सकता। उद्भटने नागरिका, उपनागरिका और ग्राम्या इन तीन वृत्तियोंको और वामनने त्रैदर्भी आदि चार रीतियोंको भी काव्यका चारुत्वहेतु माना है। परन्तु उन दोनोंका अन्तर्भाव अलङ्कार और गुणोंमें ही हो जाता है। उद्भटने वृत्तियोंका निरूपण करते हुए स्वयं भी उनको अनुप्राससे अभिन्न माना है। उद्भटने लिखा है

“सरूपव्यञ्जनयास तिस्रध्वेतासु वृत्तिषु ।

पृथक् पृथगनुप्रासमुदात्ति कवय सदा ॥”

'परुषानुप्रासा नागरिका, मसृणानुप्रासा उपनागरिका, मध्यमानुप्रासा ग्राम्या' ये जो वृत्तियोंके लक्षण किये हैं वे भी उनकी अनुप्रासात्म्यताके सूचक हैं। उद्भटने भी अपने 'कान्यालङ्कार' प्रथममें अनुप्रास की पाँच वृत्तियोंका वर्णन किया है। परन्तु वह सत्र अनुप्रासके ही रूप हैं। 'अनुप्रासस्य पञ्च वृत्तयो भवन्ति । मधुरा, प्रौढा, परुषा, ललिता, भद्रेति वृत्तयः पञ्च ।' [उद्भट 'कान्यालङ्कार' अ० २, का० १९] से भी वृत्तियोंकी अलङ्काराभिन्नता सिद्ध होती है। इसी प्रकार वामन द्वारा जिन त्रैदर्भी प्रभृति रीतियोंको चारुत्वहेतु बताया गया है वे माधुर्यादि गुणोंसे अव्यतिरिक्त हैं। इस प्रकार अलङ्कार और गुणोंके व्यतिरिक्त और कोई काव्यका चारुत्वहेतु सम्भव नहीं है। यह अभाववादका प्रथम विचल्य है। इसीसे आगे लिखते हैं—

बुधै काव्यतत्त्वविद्धि, काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति सहित, परम्परया यः सामान्ना-
तपूर्वं सम्यक् आसमन्ताद् म्नात प्रकटित, तस्य सहृदयजनमन प्रकाशमानस्या-
प्यभावमन्ये जगद् ।

तद्भाववादिना चामी विकल्पा सम्भवन्ति ।

तत्र केचिदाचक्षीरन् शब्दार्थशरीर तावत् काव्यम् । तत्र शब्दगताश्चारुत्वहेतवो-
ऽनुप्रासादय प्रसिद्धा एव । अर्थगताश्चोपमादय । वर्णसङ्घटनाघर्माश्च ये माधुर्यादयस्तेऽपि
प्रतीयन्ते । तदनतिरिक्तवृत्तयो वृत्तयोऽपि या कैश्चिदुपनारिकाद्या प्रकाशिता ता अपि
गता श्रवणगोचरम् । रीतयश्च वैदर्भीप्रभृतय । तद्व्यतिरिक्त कोऽय ध्वनिनामेति ?

अन्ये ब्रूयु नास्त्येव ध्वनि, प्रसिद्धप्रस्थानव्यतिरेकिण काव्यप्रकारस्य काव्य-
त्वहाने । सहृदयहृदयाहादि शब्दार्थमयत्वमेव काव्यलक्षणम् । न चोक्तप्रस्थानातिरेकिणो

‘बुध’ अर्थात् काव्यमर्मज्ञाने काव्यके आधरभूत जिस तत्त्वको ‘ध्वनि’ यह नाम
दिया, और [इसके पूर्व किसी विशेष पुस्तक आदिमें निवेश किये गिना भी] परम्परसे
जिसको चार-चार प्रकाशित किया है । भली प्रकार विशद रूपसे अनेक बार प्रकट किया
है, सहृदय [काव्यमर्मज्ञ] जनोंके मनमें प्रकाशमान [सरलसहृदयसवेद्य] उस
[समत्कारजनक काव्यात्मभूत ध्वनि] तत्त्वका भी [भामह, मट्टोद्भट आदि] कुछ लोग
अभाव कहते हैं ।

उन अभाववादियोंके ये [निम्नलिखित तीन] विकल्प हो सकते हैं ।

१—कोई [अभाववादी] कह सकते हैं कि काव्य शब्दार्थशरीरवाला है ।
[अर्थात् शब्द और अर्थ काव्यके शरीर हैं ।] यह तो निर्विवाद है । [तावत् शब्द ध्वनि
वादी सहित इस विषयमें समझी सहस्रति सूचित करता है । काव्यके शरीरभूत उन
शब्द अर्थके चारुत्वहेतु दो प्रकारके हो सकते हैं । एक स्वरूपगत और दूसरे सङ्घट-
नागत ।] उनमें शब्दगत [शब्दके स्वरूपगत] चारुत्वहेतु अनुप्रासादि [शब्दालङ्कार]
और अथगत [अर्थके स्वरूपगत] चारुत्वहेतु उपमादि [अथालङ्कार] प्रसिद्ध ही हैं ।
और [इन शब्द अर्थके सङ्घटनागत चारुत्वहेतु] वर्णसङ्घटना धर्म जो माधुर्यादि [गुण]
हैं वे भी प्रतीत होते हैं । उन [अलङ्कार तथा गुणों]के अभिन्न जो उपनागिकादि
वृत्तिर्था किन्हीं [मट्टोद्भट]ने प्रकाशित की हैं वे भी श्रवणगोचर हुई हैं और [माधुर्यादि
गुणोंसे अभिन्न] वैदर्भी प्रभृति रीतिर्था भी । [परन्तु] उन समसे भिन्न यह ध्वनि कौन
सा [नया] पदार्थ है ?

अभाववादका दूसरा विकल्प निम्नलिखित प्रकार है—

२—दूसरे [अभाववादी] कह सकते हैं कि ध्वनि [कुछ] है ही नहीं । प्रसिद्ध
प्रस्थान [प्रतिष्ठित परम्परया व्यवहरन्ति येन मार्गेण तत् प्रस्थानम् । शब्द और अर्थ
जिनमें परम्परसे काव्यन्यवहार होता है उस प्रसिद्ध] मार्गको अतिक्रमण करनेवाले
[‘ध्वनि’ रूप किसी नवीन] काव्यप्रकार [को माननेसे उस] में काव्यत्वहानि हांगी

मार्गस्य तत् सम्भवति । न च तत्समयान्त पातिन सहृदयान् काश्चित् परिकल्प्यं
तत्प्रसिद्धया ध्वनौ काव्यव्यपदेश प्रवर्तितोऽपि सकलविद्वन्मनोग्राहितामवलम्बते ।

पुनरपरे तस्याभावमन्यथा कथयेयु । न सम्भवत्येव ध्वनिर्नामापूर्वं कश्चित् ।
कामनीयकमनतिवर्तमानस्य तस्योक्तेष्वेव चारुत्वहेतुष्वन्तर्भावात् । तेषामन्यतमस्यैव वा
अपूर्वसमारयामात्रकरणे^१ यत्किञ्चन कथन स्यात् ।

किं च, वाग्विकरपानामानन्त्यात् सम्भवत्यपि वा कस्मिंश्चित् काव्यलक्षणविधायिभि
प्रसिद्धैरप्रदर्शिते प्रकारलेशे ध्वनिर्धनिरिति यदेतदलीकसहृदयत्वभावनामुकुलितलोचने-
नृत्यते, तत्र हेतु न विद्मः । सहस्रशो हि महात्माभिरन्यैरलङ्कारप्रकारा प्रकाशिता
प्रकाश्यन्ते च । न च तेषामेवा दशा श्रूयते । तस्मात् प्रवादमात्र ध्वनि । न त्वस्य
क्षोदक्षम तत्त्वं किञ्चिदपि प्रकाशयितुं शक्यम् ।

[उसमें काव्यका लक्षण ही नहा वनेगा । क्योंकि] सहृदयहृदयाह्लादक शब्दाध्युक्तत्व
ही काव्यका लक्षण है । आर उक्त [‘श दार्थशरीर काव्यम्’ वाले] मार्गका अतिक्रमण
करनेवाले [ध्वनिकाव्यके] मार्गमें वह [काव्यलक्षण] सम्भव नहीं ह । आर उस
[ध्वनि] सम्प्रदायके [माननेवालोंके] अन्तर्गत [ही] किन्हीं [व्यक्तियोंको स्वेच्छासे]
सहृदय मानकर, उनके कथनानुसार ही [किसी परिकल्पित नारी] ध्वनिमें काव्य
नामका व्यवहार प्रचलित करनेपर भी यह सब विद्वानोंको स्वीकार्य [मनोग्राही]
नहीं हो सकता ।

अभाववादियोंका तीसरा विकल्प निम्नलिखित प्रकारका हो सकता है—

३—तीसरे [अभाववादी] उस [ध्वनि] का अभाव अथ प्रसारसे कह सकते
हैं । ध्वनि नामका कोई नया पदार्थ सम्भव ही नहीं ह । [क्योंकि यदि वह] कमनीयता
का अतिक्रमण नहीं करता है तो उम्मा उक्त [गुण, अलङ्कारादि] चारुत्वहेतुआमें ही
अन्तर्भाव हो जायगा । अथवा यदि गुण, अलङ्कारादिमेंसे किसीका [ध्वनि] यह नया
नाम [भी] रखा दिया जाय तो वह यही तुच्छ-सी बात होगी ।

और [बलीति वाक् शब्द, उच्यते इति वाग अर्थ, उच्यतेऽनया इति वाग् अभिधा
व्यापार । अर्थान् शब्द, अर्थ और शब्दशक्तिरूप घाणी द्वारा] कथनशैलियोंके अनन्त
प्रकार होनेसे प्रसिद्ध काव्यलक्षणकारों द्वारा अप्रदर्शित कोई छोटा मोटा प्रकार
सम्भव भी हो तो भी ध्वनि ध्वनि कहकर और मिथ्या सहृदयत्वकी भावनामें जैसे
उन्द करके जो यह अफण्डताण्डव [नर्तन] किया जाता है इसका [तो कोई उचित]
कारण प्रतीत नहीं होता । अन्य विद्वान् महात्माओंने [काव्यक शोभासम्पादन]
सहस्रों प्रकारके अलङ्कार प्रदर्शित किये ह और प्रकाशित कर रहे हैं । उनकी तो यह
[मिथ्या सहृदयत्वाभिमानमूलक अफण्डताण्डवकी] अवस्था सुननेमें नहीं आती ।

१ परिकल्पित नि० ।

२ प्रकारे नि० ।

३ तदलीक नि० ही० ।

तथा चान्येन कृत एनात्र श्लोक —

यस्मिन्नस्ति न वस्तु किञ्चन मन प्रहादि सालङ्कृत
व्युत्पन्नै रवित न चैव वचनेर्वक्तोक्तिश्चान्य च यत् ।
काव्य तद् ध्वनिना समन्वितमिति प्रीत्या प्रशसन् जडो
नो विद्मोऽभिदधाति किं सुमतिना पृष्ट स्वरूप ध्वने ॥

[फलत ध्वनिवादीका यह अकण्टताण्ट्य सर्वथा व्यर्थ है।] इसलिए ध्वनि यह एक प्रवादमात्र है जिसका प्रिचाग्योग्य तत्त्व कुछ भी नहीं बताया जा सकता है। इसी आशयका अन्य [ध्वन्यालोककार आनन्दवर्धनाचार्यके समकालीन मनोरथ कवि]का श्लोक भी है—

जिसमें अलङ्कारयुक्त, अतएव मनको आह्वानित करनेवाला कोई वर्णनीय अर्थ तत्त्व [वस्तु] नहीं है [इससे अथालङ्कारोंका अभाव सूचित होता है], जो चातुर्यसे युक्त सुन्दर शब्दोंसे विगूचित नहीं हुआ है [इससे शब्दालङ्कारशून्यता सूचित होती है] और जो सुन्दर उक्तिगोंसे शून्य है [इससे गुणराहित्य सूचित होता है। इस प्रकार जो शब्दके चारुत्वहेतु अनुप्रासादि शब्दालङ्कारों, अर्थके चारुत्वहेतु उपमादि अथालङ्कारों और शब्दार्थसङ्घटनाके चारुत्वहेतु माधुर्यादि गुणोंसे सर्वथा शून्य है] उसकी यह ध्वनिसे युक्त [उत्तम] काव्य है यह कहकर [गतानुगतिक, गण्डुलिकाप्रवादसे] प्रीतिपूर्वक प्रशंसा करनेवाला मूर्ख, किसी बुद्धिमानके पूछनेपर मालूम नहीं ध्वनिका क्या स्वरूप बतायेगा।

२ भक्तिवादी पक्ष

यह अभाववादी पक्षका उपपहार हुआ। आगे ध्वनिविरोधी दूसरा भक्तिवादी पक्ष आता है। प्रथम अभाववादी और तृतीय अलङ्कारितावादी ये दाना पक्ष सम्भावित पक्ष हैं अतएव दोनोंका निर्देश 'अगदु' तथा 'ऊचु' इन परोक्ष 'लिट्' लकारके प्रयोगों द्वारा किया गया है। परन्तु बीचके भक्तिवादी पक्षका, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, 'भामह'के 'ध्वन्यालोक' और उद्भटके 'भामहविरण' ग्रंथों द्वारा परिचय प्राप्त हो चुका है, इसलिए उनका निर्देश परोक्षतासूचक लिट् लकार द्वारा न करके, नित्यप्रवर्तमानसूचक लृ लकार 'जाहु' पदसे किया गया है।

'भक्तिवाद'में प्रयुक्त 'भक्ति' शब्दकी व्युत्पत्ति चार प्रकारसे की गयी है। भक्ति शब्दसे आलङ्कारिकोंकी 'लक्षणा' और मीमांसकोंकी 'गौणी' नामक दो प्रकारकी शब्दशक्तियाका ग्रहण होता है। आलङ्कारिकोंकी लक्षणाके मृत्याधयाध, सामीप्यादि सम्बन्ध और शैत्यादिबोधरूप प्रयोजन ये तीन बन्ध हैं। इन तीन लक्षणा बीजोंको बोधन करनेके लिए भक्ति शब्दकी तीन प्रकारकी 'युक्तियाँ' की गयी हैं। 'मुख्यार्थस्य भङ्गा भक्ति' इस भङ्गाधक व्याख्यानसे मृत्यार्थयाध, 'भयते ते यत् पदार्थेन इति सामीप्यादिधर्मो भक्ति' इस स्वयन्तार्थक व्याख्यानसे सामीप्यादि सम्बन्धरूप निमित्तकी सिद्धि और 'प्रतिपाद्ये शैत्यपावनत्वाद् भङ्गातिशयो भक्ति' इस भङ्गातिशयाधक व्याख्यानसे भक्तिपद प्रयोजनका सूचक होता है। 'तत आगत भाक्त'—मुख्यार्थयाधादि तीनों बीजोंसे जा अर्थ प्रतीत होता है उस लक्षणाको भाक्त कहते हैं।

भाक्तमाहुस्तमन्ये । अन्ये त ध्वनिसहित काव्यात्मान गुणवृत्तिरित्याहु ।

यद्यपि च ध्वनिशब्दसर्तस्कीर्णन काव्यलक्षणविधायिभिर्गुणवृत्तिरन्यो वा न कश्चित्

आलङ्कारिकोंने लक्षणाये दो भेद किये हैं, शुद्धा और गौणी । सादृश्येतर सम्बन्धसे शुद्धा और सादृश्य सम्बन्धसे गौणी लक्षणा मानते हैं । पर तु मीमांसकोंने लक्षणासे भिन्न 'गौणी को अलग ही वृत्ति माना है, लक्षणाका भेद नहीं । प्रकृत भाक्त पदसे मीमांसकोंकी उस गौणी वृत्तिका भी समग्र होता है । उसके बोधनके लिए भक्तिपदकी चौथी व्युत्पत्ति 'गुणसमुदायवृत्ते शब्दस्य अथमागस्तैष्यादि [शौर्यनीयादि] भक्ति, तत आगतो भाक्त' तैष्य अर्थात् 'सिद्धो माणवन्' आदि प्रयोगोंमें भी की गयी है । अर्थात् शौर्यनीयादिगुणविशिष्टप्राणिविशेषने वाचक गुणसमुदायवृत्ति 'सिद्ध' शब्दसे उचने अर्थमाव शौर्यनीयादिका ग्रहण भक्ति है, और उससे प्राप्त होनेवाला गौण अर्थ 'भाक्त' है । इस प्रकार 'भाक्त' शब्दके लक्ष्यार्थ और गौणाथ ये दोनों अर्थ हैं । आगे इस भक्तिवादी पूर्वपक्षका निरूपण करते हैं ।

४—दूसरे लोग उसको लक्ष्य या गौण कहते हैं । अन्य लोग उस ध्वनि नामक काव्यको गुणवृत्ति गौण कहते हैं ।

गुणवृत्ति पद काव्यके शब्द और अर्थ दोनोंके लिए प्रयुक्त है । गुण अर्थात् सामीप्यादि और तैष्यादि, उनके द्वारा जिस शब्दका अन्तर्गम वृत्तिबोधकत्व होता है वह शब्द और उनके द्वारा शब्दकी वृत्ति जहाँ होती है वह अर्थ, इस प्रकार शब्द और अर्थ दोनों ही गुणवृत्ति शब्दसे गृहीत हो सकते हैं । अथवा 'गुणद्वारेण वर्तन गुणवृत्ति' अर्थात् अमुख्य अभिधाव्यापार भी गुणवृत्ति शब्दसे बोधित होता है । इसका आशय यह है कि दूसरे लोग ध्वनिको गुणवृत्ति कहते हैं । ध्वनि शब्द 'ध्वनतीति ध्वनि' इस व्युत्पत्तिसे शब्दका, 'ध्वयते इति ध्वनि' इस व्युत्पत्तिसे अर्थका और 'ध्वयतेऽस्मिन्निति ध्वनि' इस व्युत्पत्तिसे काव्यका बोधन होता है । इसी प्रकार गुणवृत्ति शब्द 'गुणे सामीप्यादिमितैष्यादिभिर्गौणायैरभातरे वृत्तियस्य स गुणवृत्ति शब्द' तैष्यायै शब्दस्य वृत्तियत्र सोऽर्थो गुणवृत्ति । गुणद्वारेण वर्तन वा गुणवृत्तिरमुख्योऽभिधाव्यापार', इस प्रकार ध्वनि शब्दक समान गुणवृत्ति शब्द भी शब्द, अर्थ और व्यापार तीनोंका बोधक होता है ।

मूल कारिकामें 'त भाक्तम्' और उसकी वृत्तिमें 'त ध्वनिसहित काव्यात्मानम्' इन पदोंका जो सामानाधिकरण—समानविभक्तिक—प्रयोग हुआ है, उसका विशेष प्रयोजन है । पदोंके सामानाधिकरण्यका अर्थ एकधर्मिबोधकत्व अर्थात् उनके पदार्थोंका अभेदावय ही होता है । जैसे 'नीलमुत्पलम्' इस उदाहरणमें समानविभक्त्यत्त 'नीलम्' और 'उत्पलम्' पदोंसे नील और उत्पलका अभेद या तादात्म्य ही बोधित होता है । उसका अर्थ नीलाभिननुत्पलम्' ही होता है । इसी प्रकार यहाँ भक्ति और ध्वनिका जो सामानाधिकरण्य है उससे उन दोनोंका तादात्म्य ही सूचित होता है । इन दोनोंके तादात्म्यका ही स्पष्टन आगे सिद्धान्तपक्षमें करना है । वैसे अनेक स्थलोंपर लक्षणा और ध्वनि या गौणी और ध्वनि दोनों साथ पायी जाती हैं । परतु अनेक स्थलोंपर लक्षणा या गौणीके अभावमें भी ध्वनि रहती है । इसलिए गौणी या लक्षणा और ध्वनिका तादात्म्य या अभेद नहीं है । आगे चलकर यही सिद्धान्तपक्ष स्थिर करना है इसलिए पूर्वपक्षमें सामानाधिकरण्य द्वारा उन दोनोंका तादात्म्य किया है ।

यद्यपि काव्यलक्षणकाराने ध्वनि शब्दका उल्लेख करके [ध्वनि नाम लेकर] गुणवृत्ति या अन्य [गुण, अलङ्कारादि] कोई प्रकार प्रदर्शित नहीं किया है, फिर भी

प्रकार प्रकाशित, तथापि अमुर्यवृत्त्या' काव्येषु व्यवहार दर्शयता ध्वनिमार्गो मनाक
स्पृष्टोऽपि^१, न लक्षित इति परिकल्प्यैवमुक्तम्, भाक्तमाहुस्तमन्ये इति ।

केचित् पुनर्लक्षणकरणशालीनबुद्धयो ध्वनेस्तत्त्व गिरामगोचर सहृदयहृदयसवेद्यमेव
समाख्यातवन्त । तेनैवविधासु विमतिषु स्थितासु सहृदयमन प्रीतये तत्स्वरूप द्रूम ।

तस्य हि ध्वने स्वरूप सकलसत्कविकाव्योपनिषद्भूतम्, अतिरमणीयम्, अणीयसी-
भिरपि चिरन्तनकाव्यलक्षणविधायिना बुद्धिभिरनुर्नीलितपूर्वम् । अथ च रामायणमहा-
भारतप्रभृतिनि लक्ष्ये सर्वत्र प्रसिद्धव्यवहार लक्षयता सहृदयानाम् आनन्दो मनसि लभता
प्रतिष्ठामिति प्रकाशयते ॥१॥

[भामहके 'शब्दाङ्गोऽभिधातार्थो च' व्याख्याप्रसङ्गमे 'शब्दात्प्रभिधानमभिधा-
व्यापारो मुर्यो गुणवृत्तिश्च' लिखन्] कायोंमे गुणवृत्तिसे व्यवहार दिसावाले
[भट्टोद्धट या उनके उपजीव्य भामह] ने ध्वनिमार्ग का जोडा सा स्पष्ट करके भी [उसका
स्पष्ट] लक्षण नहीं किया [इसलिए अवगत उनके मतमें गुणवृत्ति ही ध्वनि है] ऐसी
कल्पना करके 'भाक्तमाहुस्तमन्ये' यह कहा गया है ।

७—लक्षणनिर्माणमें अग्रगतरबुद्धि किन्हीं [तीसरे वादी] ने ध्वनिने तत्त्वको
[न शक्यते वर्णयितु गिरा तदा स्वय तदत इण्णेन गृह्यते] के समान] केवल सहृदय
हृदयसवेद्य और चाणीके परे [अलक्षणीय, अनिर्वचनीय] कहा है । इसलिए इस
प्रकारके मतभेदोंके होनेसे सहृदयोंके हृदयाह्लादके लिए हम उसका स्वरूप प्रतिपादन
करते हैं ।

काव्यने प्रयोजनम यदा और जयनी प्राप्ति, याशरणान आर सय परनिर्भृति परमानन्द आदि
अनेक फल माने गये हैं । परन्तु उन सबमें सय परनिर्भृति या आनन्द ही सबसे प्रधान फल है ।
अथ यदा और अर्थ आदिकी चरम परिणति आनन्द ही होती है इसलिए यहाँ काव्यात्मभूत ध्वनि
वचने निरूपणका एतन्मात्र आनन्द फल मूल कारिका में 'सहृदयमना प्रीतये' शब्दसे और उसकी वृत्तिमें
'आनन्द' शब्दसे दिखाया है ।

उस ध्वनि का स्वरूप समस्त सत्कवियोंके काव्योंका परम रदस्यभूत, अत्यन्त
सुन्दर, प्राचीन राज्यलक्षणरागकी सूक्ष्मतर बुद्धियोंसे भी प्रस्फुटित नहीं हुआ है ।
इसलिए, और रामायण, महाभारत आदि लक्ष्य ध्वनोंमें सद्यत्र उसका प्रसिद्ध व्यवहार
को परिश्रित करानेके सहृदयोंके मनमें आनन्द [प्रद ध्वनि] प्रतिष्ठाका प्राप्त करे,
इसलिए उसको प्रकाशित किया जाता है ।

उपर जो ध्वनिविराभी पद्य दिताय है उनमें अभासनादी पद्यकी तीन विधाय और अन्तके
दो पद्य मिलानर कुछ फल पत्र मन गये हैं । उपरान्त इन पद्योंमें ध्वनिका जो विशिष्ट रूप प्रदर्शित
किया है उसमें प्रयुक्त विशेषण उन पूर्वपद्योंके नियमकरणसे ध्वनित करनेवाले और सामान्य हैं ।

१ गुणवृत्ति नि० ।

२ मनाक स्पृष्टो लक्ष्यत नि० । स्पृष्ट इति दी० ।

३ अणीयसीभिश्चिरन्तन नि० दी० ।

सकल और सत्कवि शब्दसे 'कसिद्धित् प्रकारलेदो'वाले पद्यका, 'अतिरमणीयम्'से मात्रपद्यका, 'उपनिपद्भूतम्'से 'अपूर्वसमाख्यामाप्रकरणे'वाले पद्यका, 'अणीयसीमिधिरन्तनकाव्यलक्षणविधायिना बुद्धिभिरनु मीलितपूर्वम्' विशेषणसे गुणालङ्कार अन्तर्भूतत्ववादी पद्यका, 'अथ च' इत्यादिसे 'तत्समयान्त पातिन काभित्'वाले पद्यका, रामायणके नामोल्लेखसे आदिकविसे लेकर खने उसका आदर किया है इससे स्वकल्पितत्व दोषका, 'लक्षयताम्' इस पदसे 'वाचा शितमविषये'का निराकरण ध्वनित होता है।

'आनन्दो मनसि लभतां प्रतिष्ठाम्' इस उक्तिसे साधारण अर्थके अतिरिक्त दो बातें और भी ध्वनित होती हैं। पहली बात तो यह है कि आगे चलकर ध्वनिके वस्तुध्वनि, अलङ्कारध्वनि और रसध्वनि ये तीन भेद करेंगे। परन्तु इनमें आनन्दरूप रसध्वनि ही प्रधान है, यह बात इससे सूचित होती है।

दूसरी बात यह है कि इस 'ध्वन्यालोक' ग्रन्थके रचयिता श्री आनन्दवर्धनाचार्य हैं। वह न केवल इस ग्रन्थके रचयिता हैं अपितु वस्तुतः ध्वनिमार्गके संस्थापक भी हैं। इसलिए इस ध्वनिके स्पष्ट स्थापनरूप कायसे उद्धृत्योंके मनमें उनको प्रतिष्ठा प्राप्त हो यह भाव भी अपने नामके आदि भाग 'आनन्द' शब्द द्वारा यहाँ व्यक्त किया है।

'लोचन' और 'बालप्रिया' दोनों टीकाओंके लेखकोंने 'लक्षयताम्' पदकी व्याख्यामें 'लभ्यते अनेन इति लक्षो लक्षणम्। लक्षणे निरूपयति लक्षयति, तेषां लक्षणद्वारेण निरूपयताम्' यह अर्थ किया है। और 'लक्षयतेऽनेन इति लक्ष' इस प्रकार करणमें घञ् प्रत्यय करके लक्ष शब्द बनाया है। साधारणतः ल्युट् प्रत्ययसे बाधित होनेके कारण करणमें घञ् प्रत्यय मुलम् नहीं है। परन्तु महाभाष्यकारने 'उपदेशोऽजनुनासिक इत्' इस सूत्रमें बाहुलकात् करण घञत् उपदेश शब्दका साधन किया है अतः बाहुलकात् करण घञत्वाला मार्ग यहाँ भी निकाला जा सकता है। परन्तु यहाँ तो 'लक्षयताम्'का सीधा 'निरूपयताम्' अर्थ करनेसे उस बाहुलककी विलोपनासे बचा जा सकता है। निरूपणमें, लक्षणादिना निरूपण धात्वर्थात्तरगत हो जानेसे अर्थमें भी अंतर नहीं होता तब उस अगतिकगति बाहुलकका आश्रय लेकर करण घञत् लक्ष पदके 'युगादनका प्रयास क्यों किया, यह विचारणीय है।

'ध्वने स्वरूपम्'में प्रयुक्त 'स्वरूपम्' पद, 'लक्षयताम्'में लभ्य धात्वर्थ और 'प्रकाश्यते'में काश धात्वर्थ दोनोंम आवृत्ति द्वारा कर्मतया अन्वित होता है। और प्रधानभूत काश धात्वर्थक अनुरोधसे उसे प्रथमात्त समझना चाहिये, गुणीभूत लक्षत्रियानुरोधसे द्वितीयान्त नहीं। इसमें 'स्वादुमिणुलु' [पा० सू० ३ ४ २६] इस सूत्रके भाष्यमें स्थित निम्नलिखित कारिका प्रमाण है—

“प्रधानेतरयायत्र द्रव्यस्य त्रिययो पृथक्।

शक्तिर्गुणाश्रया तर प्रधानमनुरुध्यते ॥”

प्रत्येक ग्रन्थके प्रारम्भमें प्रथमा [१] प्रयोजन, [२] विषय, [३] अधिकारी, [४] सम्बन्ध इन अनुबन्धचतुष्टयको प्रदर्शित करनेकी व्यवस्था है।

“सिद्धार्थे सिद्धसम्बन्धे श्रोतुं श्रोता प्रवर्तते।

शास्त्रादौ तन वक्तव्य सम्बन्ध सप्रयोजन ॥” श्लो० वा० १।१७।

अनुबन्धचतुष्टयके ज्ञानसे ही ग्रन्थके अध्ययन अध्यापनादिमें प्रवृत्ति होती है। 'प्रवृत्तिप्रयोजक ज्ञानविषयत्वम् अनुबन्धत्वम्' यही अनुबन्धका लक्षण है। प्रवृत्तिप्रयोजक ज्ञानका स्वरूप 'इदं मदृष्ट साधनम्' या 'इदं मन्वृत्तिसाध्यम्' है। इसमें इदं पदसे विषय, मत् पदसे अधिकारी, इष्ट पदसे प्रयोजन और साधन पदसे साध्यसाधनभावसम्बन्ध सूचित होता है। तदनुसार विषय, प्रयोजन,

'तत्र ध्वनेरेव लक्षयितुमारब्धस्य भूमिका रचयितुमिदमुच्यते—

'योऽर्थः सहृदयश्लाघ्यः काव्यात्मेति व्यवस्थितः ।

वाच्यप्रतीयमानाख्यौ तस्य भेदानुभौ स्मृतौ ॥२॥

काव्यस्य हि ललितोचितसन्निवेशचारुण शरीरस्यैवात्मा साररूपतया स्थित
सहृदयश्लाघ्यो योऽर्थः, तस्य वाच्य प्रतीयमानश्चेति द्वौ भेदौ ॥२॥

अधिकारी और सम्बन्ध ये चार अनुबन्ध माने गये हैं और प्रत्येक ग्रन्थने आरम्भम उनका निरूपण आवश्यक माना गया है ।

अतएव इस 'ध्वन्यालोक'के प्रारम्भम भी ग्रन्थकारने उन चार अनुबन्धोंको सूचित किया है । 'तत्स्वरूपं ब्रूम से ग्रथना प्रतिपाद्य विषय ध्वनिना स्वरूप है, यह सूचित किया । निमित्त निवृत्ति और उससे 'सहृदयमन प्रीतये'से मन प्रीतिरूप मुख्य प्रयोजन सूचित हुआ । ध्वनिस्वरूपजिज्ञासु सहृदय उसका अधिकारी और शास्त्रना विषयने साथ प्रतिपाद्य प्रतिपादकभाव तथा प्रयोजनके साथ साथ साधनभाव सम्बन्ध है इस प्रकार अनुबन्धचतुष्टयकी भी सूचना हुई ॥१॥

यहाँ 'तत्र' पद भाष्यलक्षण सप्तमीने या सति सप्तमीने द्विवचनात्तसे उक्त प्रत्यय करने बना है, इसलिए उसका अर्थ उन दोनों अर्थात् विषय और प्रयोजनने स्थित होनेपर होता है ।

विषय और प्रयोजनके स्थित हो जानेपर, जिस ध्वनिका लक्षण करने जा रहे हैं उसकी आधारभूमि [भूमिरिव भूमिका] निर्माणके लिए यह कहते हैं—

सहृदयों द्वारा प्रशंसित जा अर्थ काव्यके आत्मारूपमें प्रतिष्ठित है उसके वाच्य और प्रतीयमान दो भेद कहे गये हैं ॥२॥

शरीरमें आत्माके समान, सुन्दर [गुणालङ्कारयुक्त], उचित [रसादिके अनुरूप रचनाके कारण रमणीय काव्यके साररूपमें स्थित, सहृदयप्रशंसित जो अर्थ है उसके वाच्य और प्रतीयमान दो भेद हैं ।

'योऽर्थः सहृदयश्लाघ्यः' इत्यादि दूसरी कारिका वैसे सरल जान पड़ती है पर तु उसकी सङ्गति तनिक क्लिष्ट है । उसके आपातत प्रतीत होनेवाले अर्थने साहित्यदण्डकार श्री विश्वनाथना भी भ्रमम डाल दिया, जिसे कारण उन्होंने प्रथम इस कारिकाका टिप्पण करनेकी आवश्यकता समझी । उन्होंने लिखा कि सहृदयश्लाघ्य अर्थ अर्थात् ध्वनि तो सदा प्रतीयमान ही है, वाच्य कभी नहीं होता । फिर, ध्वनिकारने जो उसके वाच्य और प्रतीयमान दो भेद किये हैं वह उनका बदतो व्याघात—स्ववचन निरोध है ।

इस सम्भावित भ्रान्तिका समझकर टीकाकारने इस कारिकाकी व्याख्या विशेष प्रकारसे की है । ध्वनिक स्वरूप निरूपणकी प्रतिष्ठा करके वाच्यना ध्वन करने लगना भ्रमजनक हो सकता है, इसीलिए स्वयं ग्रन्थकारने भी इस कारिकाकी अवतरणिकाम सङ्केत कर दिया है कि यह ध्वनिकी भूमिना [भूमिरिव भूमिका] है । आधारभूमिना निर्माण हो जानेपर ही उसके ऊपर भवन निर्माणका वाक्य आरम्भ होता है उसी प्रकार वाच्यार्थ ध्वनिकी आधारभूमि है, उसीने आधारपर प्रतीयमान अर्थकी ध्वनि होती है ।

१ तत्र पुनर्चने नि० ।

२ अर्थ वाच्यत्वात् यो नि० ।

तत्र वाच्यः प्रसिद्धो यः प्रकारैरुपमादिभिः ।

बहुधा व्याकृतः सोऽन्यैः,

‘काव्यलक्ष्मविधायिभिः ।

ततो नेह प्रतन्यते ॥३॥

केवलमनूद्यते पुनर्यथोपयोगम् ॥३॥

वाच्य'से यहाँ अलङ्कारोंका ग्रहण किया है वाच्यायका नहीं, अतः विश्वनाथकृत राण्डन उचित नहीं है। पूर्वपक्ष प्रदर्शित करते हुए लिखा था, 'शब्दार्थशरीर वाच्यम्'। इनमेंसे शब्द तो शरीरक स्थूलत्वादिक समान सर्वजनसवेष्य हानसे शरीरभूत ही है। परन्तु अथ तो स्थूल शरीरकी भाँति सबजनसवेष्य नहीं है। व्यङ्ग्यार्थ तो सहृदयैकवेष्य है ही पर उससे भिन्न वाच्याथ भी सङ्केतग्रहपूर्वक व्युत्पन्न पुरुषोंका ही प्रतीत होता है, अतएव अर्थ सर्वजनसवेष्य न हानसे स्थूलशरीरस्थानीय नहीं है। जब शब्दको शरीर मान लिया तो फिर उसको अनुप्राणित करनेवाले आत्माका मानना भी आवश्यक है। और यह अर्थ उस आत्माका स्थान लेता है। परन्तु सारा अर्थ नहीं केवल सहृदयश्लाघ्य अर्थ वाच्यात्मा है। इसलिए अथने दो भेद किये हैं, एक वाच्य और दूसरा प्रतीयमान। सहृदयश्लाघ्य या प्रतीयमान अथ कायका आत्मा है। दूसरा जो वाच्य अर्थ [वाच्य प्रसिद्धो य प्रकारैरुपमादिभिः] काव्यका आत्मा नहीं उसे हम इस रूपरूप सूक्ष्म शरीर या अन्तःकरण अथवा मन स्थानीय मान सकते हैं। जिस प्रकार आत्मतत्त्वके विषयमें विप्रतिपन्न चावाक्यादि कोई स्थूल शरीरको और कोई सूक्ष्म मन आदिको ही आत्मा समझ लेते हैं इसी प्रकार यहाँ शब्द, अर्थ, गुण, अलङ्कार, रीति आदिसेमें किसी एक या उनकी समष्टिको काय समझ लेना चावाक्यमतके सदृश है।

कारिकाकारने 'वाच्यप्रतीयमानारथौ' पदमें वाच्य और प्रतीयमान दोनोंका 'द्वन्द्व' समास किया है। 'उभयपदाथप्रधानो द्वन्द्व' अथात् द्वन्द्व समासमें द्वन्द्वपदक समस्तपदोंका समप्राधान्य होता है। इसलिए यहाँ वाच्य और प्रतीयमान दोनोंका समप्राधान्य सूचित होता है, जिसका भाव यह है कि जिस प्रकार वाच्य अथका अपह्वय नहीं किया जा सकता है उसी प्रकार प्रतीयमान अर्थ भी अनपह्वयनीय है। उसका अपह्वय—निषेध नहीं किया जा सकता है। इस प्रतीयमान अर्थक विषयमें की जानेवाली विप्रतिपत्ति आत्मतत्त्वके विषयमें की जानेवाली चावाक्यकी विप्रतिपत्तिके समकक्ष ही है। अतएव सर्वथा देय है ॥२॥

उनमेंसे, वाच्य अर्थ वह है जो उपमादि [गुणालङ्कार] प्रकारोंसे प्रसिद्ध हो और अन्योंने [पूर्व काव्यलक्षणकारोंने] अनेक प्रकारसे उनका प्रदर्शन किया है। इसलिए हम यहाँ उनका विस्तारसे प्रतिपादन नहीं कर रहे हैं ॥३॥

केवल आवश्यकतानुसार उसका अनुवादमात्र करेंगे।

'वाच्यप्रतीयमानारथौ'में 'वाच्य' पदसे घटपटादिरूप अभिधेयार्थका ग्रहण अभीष्ट नहीं है अपितु उपमादि अलङ्कारोंका ग्रहण अपेक्षित है इसलिए दूसरी कारिकामें 'वाच्यपदकी ध्याय्या करते हैं—उसका यहाँ अनुवाद करेंगे। अज्ञात अर्थका शपन यहाँ 'प्रतनन' है और गतार्थका शपन 'अनुवाद' कहलाता है। भट्टवार्तिकम कहा है—

१ नि० दी० ने 'काव्यलक्ष्मविधायिभिः' को कारिकाभाग और 'ततो नेह प्रतन्यते' को वृत्तिभाग मानकर छापा है। परन्तु 'लोचन'के अनुसार हमारा पाठ ही ठीक है।

प्रतीयमानं पुनरन्यदेव वस्तुवस्ति वाणीषु महाकवीनाम् ।

यत् तत् प्रसिद्धावयवान्निरिक्त विभाति लावण्यमिवाङ्गनासु ॥४॥

प्रतीयमानं पुनरन्यदेव वाच्यात् वस्तुवस्ति वाणीषु महाकवीनाम् । यत् तत्
'सदृश्यसुप्रसिद्ध गतिद्वेष्योऽलङ्कृतेभ्यः प्रतातेभ्यो वाच्यवभ्यो व्यतिरिक्तत्वेन प्रकाशते
लावण्यमिवाङ्गनासु । यथा अङ्गनासु लावण्यं पृथक् विवर्ग्यमानं निरालावयवव्यतिरिक्तं
किमप्यन्यदेव सदृश्यलोचनामृतं तत्त्वान्तरं तद्वदेव सोऽर्थः ।

स ह्यर्था वाच्यसामर्थ्याभिन्नं वस्तुमात्रम्, 'अलङ्काररसादयश्चेत्यनेकप्रभेदप्रभिन्नो
दर्शयिष्यते । सद्येपु च तेषु प्रकारेषु तस्य वान्यादन्यत्रम् । तथा हि, आगस्त्यान्
प्रभेदा वान्यात् दूरं विभेत्ताम् । स हि कदाचिद् वान्य विधिरूपे प्रतिपेक्षरूप । यथा—

मग धम्मिअ नीसत्थो मा सुनआ अज्ज मारिआ दण ।

गोलाणइक्कञ्जुग्गवासिणा दरिअसाहेण ॥

[अत्र धार्मिक विरागः स शुकवोऽद्य मारिस्ते ।

'गोदादीकच्छकुञ्जवासिना दत्तमिहे ॥ इति च्छाया]

"यच्च त्नाग प्राथम्यं सिद्धत्वं तावदायम् ।

तच्छब्दयोगो जातौ रसध्वजश्च निवपलः ॥"

* लंकारे पञ्चाङ्गम् 'अनुमात्र' या वाच्यता लक्षणं किया * और उन्नयनमे विधनं ता ॥ ॥

प्रतीयमानं कुञ्ज और ही चीन है जा रमणियाके प्रसिद्ध [मुख, नेत्र, श्रान्त,
गान्धिकादि] अययोसे भिन्न [उत्तरे] लावण्यके समान, मन्त्रकारियोंकी सक्रियोग
[वाच्य अर्थसे] अलग ही भागिन होता है ॥४॥

महानवियोंकी वाणिज्यात् वान्याथसं भिन्न प्रतीयमानं कुञ्ज आर ही वस्तु है ।
जो प्रसिद्ध अलङ्कारों श्रान्त प्रतीत होनेवाले अययोसे भिन्न, सदृश्यसुप्रसिद्ध
अङ्गनासुके लावण्यके समान [अलग ही] प्रकाशित होता है । जिस प्रकार मुन्दरियाका
सामर्थ्य पृथक् दिखायी देनाचला समस्त अवयवोंसे भिन्न सदृश्यनेत्रोंके लक्षण अमृततुल्य
कुञ्ज जोर ही लक्ष्य है इसी प्रकार यह [प्रतीयमान] अर्थ है ।

वस्तुध्वनिना वाच्यार्थसं स्वरूपकृत भेद

यह [प्रतीयमान] अर्थ वाच्य सामर्थ्यसे आक्षिप्त वस्तुमात्र, अलङ्कारों के मारि
भेदसे ओष प्रकाशका दिखाया जायगा । उन सभी भेदोंमें यह वाच्यत्वं अलग ही
है । जैसे पहला [वस्तुध्वनि] भेद वाच्यमे अयवत् भिन्न है । [क्योंकि] यहाँ वाच्यन
निधिरूप होनेपर [भी] यह [प्रतीयमान] निपेक्षरूप होता है । ऐसे—

१ सदृश्यसुप्रसिद्ध गतिद्वेष्योऽलङ्कृतेभ्यः, टी० ।

२ अलङ्कारा रसादयश्च नि० ।

३ विधन्य नि० ।

४ गोदादीनां शुकवोऽद्य मारिस्ते इति च्छाया ।

पण्डितजी महाराज ! गोदावरीने किनारे कुञ्जमें रहनेवाले मद्मत्त सिंहने आज उस कुत्तेको मार डाला है, अब आप सिद्धिचिन्त होकर घूमिये ।

गोदावरीतटका कोह सुन्दर स्थान जिमी कुलटाका सङ्केतरथान है । उस स्थानकी सुन्दरताके कारण कोई धार्मिक पण्डितजी—भगतजी—सध्यापासन या भ्रमणके लिए उधर आ जाते हैं । इसके कारण उस कुलटाके कार्यमें विघ्न पड़ता है और वह चाहती है कि वह उधर न आया करें । वैसे बिना बात उनको आनेका सीधा निषेध करना तो अनुचित और उसकी अनधिकार चेष्टा होती, इसलिए उसने सीधा निषेध न करके उस प्रदेशमें मत्त सिंहकी उपस्थितिनी सूचना द्वारा पण्डितजीको भयभीत कर उसके रोकनेका यह मार्ग निराला है । प्रकृत श्लोकमें वह पण्डितजी महाराजको यही सूचना दे रही है । परन्तु उसके कहनेका एक विशेष ढंग है । वह कहती है, 'पण्डितजी महाराज ! वह कुत्ता जो आपको रोज तग किया करता था उसे गोदावरीके किनारे कुञ्ज रहनेवाले मद्मत्त सिंहने मार डाला है', अर्थात् प्रतिदिन आपने भ्रमणमें बाधा डालनवाले कुत्तेन मर जानेसे आपने मागनी वह बाधा दूर हो गयी है और अब आप निर्भय होकर भ्रमण करें । कुलटा जानती है कि पण्डितजी तो कुत्तेसे ही डरते हैं, जब उन्हें मालूम होगा कि उसे सिहने मार डाला और वह सिंह यहाँ कुञ्जमें रहता है तो निश्चय ही पण्डितजी भूलकर भी उधर आनेका साहस नहीं करेंगे । इसीलिए वह पण्डितजीको निश्चित होकर भ्रमण करनेका निमन्त्रण दे रही है । परन्तु उसका तात्पर्य यही है कि कभी भूलकर भी उधर पैर न रखना, नहीं तो फिर आपकी कुशल नहीं है । श्लोकमें 'धार्मिक' पद पण्डितजी महाराजकी भीड़ताका, 'हस्त' पद सिंहकी भोगताके अतिरेकता और 'वासिना' पद सिंहकी निरन्तर विग्रहान्ताका सूचक है । इस श्लोकका वाच्यार्थ ता विधिरूप है परन्तु जा उससे प्रतीयमान अर्थ [वस्तुष्वनि] है वह निषेधरूप है । इसलिए वाच्यार्थसे प्रतीयमान अर्थ अत्यन्त भिन्न है ।

लिङ् लोट्, तस्यत् प्रत्यय 'विधि प्रत्यय' कहलाते हैं । विधिप्रत्ययात् पदोंको सुननेसे यह प्रतीत होता है कि 'अथ मा प्रवतयति' । विधिप्रत्ययके प्रयागको सुनकर सुननेवाला नियमसे यह समझता है कि यह कहनेवाला मुझे किसी विशेष कार्यमें प्रवृत्त कर रहा है । इसलिए विधि प्रत्ययका सामान्य अर्थ प्रवतना ही होता है । यह प्रवतना वक्ताका अभिप्रायरूप है । भीमासकाने विपर्ययका विशेष रूपसे विचार किया है । उगने मतमें वेद अपौरुषेय है । वेदमें प्रयुक्त 'स्वयकामो यजेत्' आदि विधिप्रत्यय द्वारा जो प्रवतना नाहित होती है वह शब्दनिष्ठ व्यापार होनेसे शाब्दी भावना कहलाती है । लान्नि वाक्योंमें तो प्रवतनत्व पुरुषनिष्ठ अभिप्रायविशेषमें रहता है परन्तु वैदिक वाक्योंका वक्ता पुरुष न होनेसे वहाँ वह प्रवत्कत्वव्यापार बदल जादनिष्ठ होनेसे 'शाब्दी भावना' कहलाता है । और उस वाक्यको सुनकर पुरुषदेव्येन पुरुषकी जो प्रवृत्ति होती है उसे 'आर्था भावना' कहते हैं । 'पुरुषप्रवृत्तनुबुला भावयितु' व्यापारविशेष शाब्दी भावना, 'प्रयागनेच्छाजनितक्रियाविषयो व्यापार आर्था भावना' । साधारणत विधि शब्दका अर्थ प्रवर्तकत्व या भावना आदि रूप होता है परन्तु यहाँ 'क्वचिद् वाच्ये विधिरूपे प्रतिषेधरूपो यथा'म यह अर्थ सङ्गत नहीं होगा । इसलिए यहाँ विधिना अथ प्रतिप्रसव या प्रतिषेधनिवृत्तन माना गया है । कुत्तेकी उपस्थिति धार्मिकने भ्रमणमें प्रतिषेध धार्मिक या बाधारूप थी । कुत्तेके मर जानेसे उस बाधाकी निवृत्ति हो गयी । यही प्रतिषेधनिवृत्ति या प्रतिप्रसव यहाँ 'विधि' शब्दका अर्थ है, न कि नियागादि । भ्रम पदका जो लोट् लकार है वह 'प्रैवर्तिसगमासवालेषु वृत्त्याश्च' [पा० सू० ३,३,१०२] सूत्रस अतिसग अथात् कामवार, स्वच्छाविहार और प्राप्तकाल अथमें हुआ है । प्रेष [प्रमाणान्तरप्रमितेऽर्थं पुरुषनिष्ठा प्रवतना प्रव] अर्थमें नहीं है ।

निष्पत्तिसागरीय सस्करणमें 'विश्रध' पाठ है उसकी अपेक्षा अर्थदृष्टिसे 'विस्रध' पाठ अधिक

क्वचिद् वाच्ये प्रतिषेधरूपे विधिरूपो यथा—

अत्ता एत्थ णिमज्जइ एत्थ अह् दिअसअ पलोएहि ।

मा पदिअ रत्तिअन्धअ सेज्जाए मह् णिमज्जहिंसि ॥

[इन्द्रधरुत्र निमज्जति अत्राह दिवसक प्रलोक्य ।

मा पथिक रात्र्यधक शय्याया मम निमत्स्यसि^१ ॥ इति च्छाया]

क्वचिद् वाच्ये विधिारूपेऽनुभव्यरूपो यथा—

यच्च मह् त्रिअ एकेइ होन्तु णीसासरोइअज्जाइ ।

मा तुज्झ वि तीअ विणा दक्खिण्णह्अस्स जाअन्तु ॥

[त्रज ममेवैकस्या मव तु नि इवासरोदितध्यानि ।

मा तवापि तया विना दाक्षिण्यहतस्य जनिपत ॥ इति च्छाया]

उपयुक्त है। 'सम्भु विश्रासे', 'धम्भु प्रमादे' दन्त्यादि 'सम्भु' धातु विश्रामाथक और ताल्यादि 'धम्भु' धातु प्रमादाथक है। यहाँ विश्रामाथक दन्त्यादि 'सम्भु' धातुसा ही प्रयोग अधिक उपयुक्त है। इसलिए 'विस्त' पाठ अधिक अच्छा है।

यहाँ वाच्यार्थ प्रतिषेधरूप होनेपर [प्रतीयमानार्थ] विधिरूप होता है। जैसे—
हे पथिक ! दिनमें अच्छी तरह देव लो, यहाँ सासजी साती है और यहाँ मैं सोती हूँ। [रातका] रताधीप्रस्त [हामर] कहीं हमारी गोटपर न गिर पडना।

यहाँ वाच्यार्थ निषेधरूप है परन्तु 'यद्वाध' [प्रतीयमानार्थ] विधिरूप है। यहा भी विधिका अर्थ प्रवतना नहीं अपितु प्रतिप्रसव अर्थात् निषेध निवृत्तरूप लेना चाहिये। त्रिणी प्रोषितमृत्वाको देवतर मदनाह्नुस्समत्र पथिक पुरुषका इस निषेध द्वारा उसकी आरस निषेध निवृत्तरूप स्वीकृति या अनुमति प्रदान की जा रही है। अपवृत्त प्रवृत्तरूप निमग्न नहा। विधको निमत्रणरूप माननेपर तो प्रथम स्वानुसंगवशासनसे सामान्यभिमान राण्डित होगा। इसलिए यहा विधि शब्द निषेधमाथरूप अम्भुपगममात्रना सूचक है।

कहाँ वाच्य विधिरूप होनेपर [प्रतीयमान अर्थ] अनुभवात्नक [विधि, निषेध दोनोंसे भिन्न] हाता है। जैसे—

[तुम] जाया, मैं अरली ही इन नि श्वास और रोनेको मोर्छूँ [मो अच्छा है], कहीं दाक्षिण्य [मरे प्रति भी अनुसंग 'अनेकमहिलासमरागा दक्षिण कथित'] के चक्करमें पडकर, उसके पिना तुमका भी यह सत्र न भागना पडे।

१ भाष्योर्माक्षी नि०, ६०। 'गाथासप्तशती'म मूल पाठ भिन है। उसके पाठ और छाया निम्नलिखित है—

एत्थ निमज्जइ अत्ता एत्थ अह् परिणो सभला ।

पथिअ रत्तीअधअ मा मह् सभ्णे निमज्जहिंसि ॥

छाया—अत्र निमज्जति इन्द्रधरुत्रादमत्र परिजन सकल ।

पथिक रात्र्यधक मा मम शयने निमत्स्यसि ॥

कचिद् वाच्ये प्रतिषेधरूपेऽनुभयरूपो यथा—

दे आ पसिअ णिवत्तसु मुहससिजोहाविलुत्ततमणिवहे ।

अहिसारिआणं विघ्न करोसि अण्णाणं वि हआसे ॥

[प्रार्थये तावत् प्रसीद् निवतस्व मुखशशिज्योत्स्नाविलुप्ततमोनिवहे ।

अभिसारिकाणां विघ्नं करोप्यन्यासामपि हताशे ॥ इति च्छाया]

इस श्लोकमें लण्डिता [पाशमेति प्रियो यस्या अन्यसम्मोगचिह्नित । सा लण्डितेति कथिता धीरैरीध्याकपायिता ॥ सा० द० ३, ११७ ॥] नायिकाका प्रगाढ मयु [टु ल] प्रतीयमान है । वह न तो मयाभावरूप निषेध ही है और न अ य निषेधाभावरूप विधि ही है । इसलिए यहाँ प्रतीयमान अथ अनुभयरूप है ।

कहाँ वाच्यार्थ प्रतिषेधरूप होनेपर [भी प्रतीयमान अर्थ] अनुभयरूप होता है । जैसे—

[मं] प्रार्थना करता हूँ मान जाओ, लोट आओ । अपने मुत्तचन्द्रकी ज्योत्स्नासे गाढ अघशरका नाश करके अरी हताशे ! तुम अन्य अभिसारिकाओं [कं फार्य]का भी विघ्न कर रही हो ।

इस श्लोककी व्याख्या कई प्रकारसे की गयी है । पहली व्याख्याके अनुसार नायकने घरपर आयी परंतु नायकक गोत्रस्तलनादि अपराधसे नाराज होकर लोट जानक लिए उग्रत नायिका के प्रति नायककी उक्ति है । नायक चाटुकमपूवक उसको लोटानका यत्न करता है । न केवल अपने और हमारे मुत्तम विघ्न डाल रही हो बल्कि अन्य अभिसारिकाओंन कायम भी विघ्न घन रही हो तो फिर मुह कभी मुख कैसे मिलेगा ! इस प्रकारका बलभाभिप्रायरूप चाटुविशेष व्यङ्ग्य है ।

दूसरी व्याख्यान अनुसार शरीके समझानेपर भी उसकी बात न मान कर अभिसारोद्यत नायिकाक प्रति सलीकी उक्ति है । लघन प्रदर्शन द्वारा अपनका अनादरास्पद करक हे हताशे ! तुम न केवल अपनी मनोरथसिद्धिमें विघ्न कर रही हो अपितु अपन मुत्तचन्द्रनी ज्योत्स्नाके अघकारका नाश करन अथ अभिसारिकाओंके धायमें भी विघ्न डाल रही हो । इस प्रकार सलीका चाटुरूप अभिप्राय व्यङ्ग्य है ।

इस व्याख्याओंमेंसे एकम नायकगत चाटु अभिप्राय और दूसरीमें सलीगत चाटु अभिप्राय व्यङ्ग्य है । सतिपद्यमें नायिकानियमन रतिरूप भाव [‘रतिदेवादिविषया भावो यमिचारी तथाङ्गित ।’ अभात् नायक न यिकासे भिन्नविषयक रति और यज्ञानागम्य यमिचारीना भाव’ कहत हैं] व्यङ्ग्य है और वह अनुभायरूप ‘अयामामपि विघ्नं करोपि हताशे’ आदि वाच्यार्थ द्वारा, ‘निवतस्व’ इस वाक्याभ्य प्रति अङ्गरूप हो जानेसे वस्तुत गुणीभूत व्यङ्ग्यका उदाहरण बन जाता है, ध्वनिका नहीं । इसी प्रकार जहा ‘भाव’ दूसरेका अङ्ग हो उसे ‘प्रय’ कहते हैं वह भी गुणीभूत पद्मम हा है । नायकाक्तिके पद्यम उसी प्रकारसे नायकगत रति उक्त अनुभावरूप अर्थ द्वारा ‘निवतस्व’ इस वाक्यका अङ्ग हा जानसे [‘रसवत्’, जहाँ रस अयका अङ्ग हो जाय वहाँ ‘रसवत्’ अलङ्कार होता है ।] यह भी गुणीभूत व्यङ्ग्यरूप ही है । अतएव इन दोनों व्याख्याओंम यह ध्वनिका यथा उदाहरण न हाकर गुणीभूत पद्ममका उदाहरण बन जाता है इसीलिए यह व्याख्या उचित नहीं है ।

अतएव इसकी तीसरी व्याख्या यह की गयी है कि शीघ्रतासे नायकके घरको अभिसार करती

कचिद् वाच्याद् विभिन्नविषयत्वेन व्यवस्थापितो यथा—

कस्य वा ण होइ रोसो दहूण पियाएँ सत्रण अहरम् ।

सभमरपउमग्घाइणि वारिअवामे सहसु एहिम् ॥

[कस्य वा न भवति रोपो दहूण प्रियाया सत्रणमधरम् ।

सभमरपद्दुमाघ्रायिणि वारितवामे सहस्वेदांम् ॥ इति च्छाया]

अन्ये चैवप्रकारा वाच्याद् विभेदिन प्रतीयमानभेदा सम्भवन्ति । तेषा दिङ्मात्र-
मेतत् प्रदर्शितम् । द्वितीयोऽपि प्रभेदो वाच्याद् विभिन्न सप्रपञ्चमपे दर्शयिष्यते ।

हुए नायिकाके प्रति, रास्तेमें मिले हुए और नायिकाके घरनी ओर आते हुए नायकनी यह उक्ति है । यहाँ 'निवर्तस्व' लोट चलो, यह वाच्याथ है । परन्तु वह लोट चलना नायक, नायिका या किसीके घरनी ओर भी हो सकता है अतः तुम मेरे घर चलो या हम दोनों तुम्हारे घर चलें यह तात्पर्य-यङ्ग्य है । यह तात्पर्य न विधिरूप है और न निषेधरूप । अतएव वाच्य प्रतिषेधरूप होनेपर भी यङ्ग्य अनुभवरूप होनेसे प्रतीयमान अर्थ वाच्याथसे अत्यन्त भिन्न है ।

वस्तुध्वनिका वाच्यार्थसे विषयकृत भेदसे भेद

उपरके चारों उदाहरणाम धार्मिक, पाप, प्रियतम और अभिसारिका ही क्रमशः वाच्य और व्यङ्ग्य दोनोंके विषय हैं । इस प्रकार विषयना ऐस्य होनेपर भी वाच्य और व्यङ्ग्यका, स्वरूपभेदसे भेद दिताया है । जगले उदाहरणम यह दिताते है कि वाच्य और व्यङ्ग्यना विषयभेद भी हो सकता है और उस विषयभेदसे भी वाच्य और व्यङ्ग्य दोनोंको अलग मानना होगा ।

अथवा प्रियाके [इतरनिमित्तक] सत्रण अधरको देनाकर किसको क्रोध नहीं आता । मना करनेपर भी न मानकर भ्रमरसहित कमलको सूँघनेवाली तू अब उसका फल भोग ।

हिंदी अधिनीताक अरम दर्शनजन्य प्रण कहीं चौसरतिने समय हो गया है । उसका पति जब उसको देखेगा तो उसका दुःखचित्रताका समझ जायगा और अप्रसन्न होगा । इसलिए उसकी सर्ती, उसका आस पास कहा विद्यमान पतिना लक्ष्यम रखकर उसको सुनानके लिए, इस प्रकारसे माँ नों उसने पतिना देना है नही है, उस अधिनीतासे उपयुक्त वचन कह रही है । यहाँ वाच्यार्थना विषय तो अधिनीता है पर तु उसका व्यङ्ग्य अर्थ है कि इसका प्रण परपुरुषजन्य नहीं अपितु भ्रमर दगाजय है अतः इसका अन्वय नही है । इस व्यङ्ग्यना विषय नायक है । इसलिए यहाँ वाच्य और व्यङ्ग्यका विषयभेद हास व्यङ्ग्य अर्थ वाच्याथसे अत्यन्त भिन्न है ।

इसम और भी जोर विषय नन सकते है । वाच्याथना विषय तो प्रत्यक्ष दशम अधिनीता नायिका ही रहेगी परन्तु व्यङ्ग्यने विषय अन्य भी हो सकते है, जने आज तो इस प्रकारसे उच गनी, धामे कभी इस प्रकारके प्रण विद्वाना अवसर न आने देना । इस व्यङ्ग्यम प्रतिनायक ।

अलङ्कारध्वनिका वाच्यार्थसे भेद

इस प्रकार वाच्यार्थसे भिन्न प्रतीयमान [वस्तुध्वनि] के ओर भी भेद हो सकते है । यह तो उनका क्षेत्र दिग्दर्शनमात्र करया है । दूसरा [अलङ्कारध्वनिरूप] प्रकार

तृतीयस्तु रसादिलक्षण प्रभेदो वाच्यसामर्थ्याक्षिप्त प्रकाशते, न तु साक्षाच्छब्द-
व्यापारविषय इति वाच्याद् विभिन्न एव । तथा हि, वाच्यत्व तस्य स्वशब्दनिवेदितत्वेन
वा स्यात्, विभावादिप्रतिपादनमुखेन वा । पूर्वस्मिन् पक्षे स्वशब्दनिवेदितत्वाभावे
रसादीनामप्रतीतिप्रसङ्ग । न च सर्वत्र तेषां स्वशब्दनिवेदितत्वम् । यत्राप्यस्ति तत्,
तत्रापि विशिष्टविभावादिप्रतिपादनमुखेनैवैषां प्रतीतिः । स्वशब्देन सा केवलमनूयते, न तु
तत्कृता । विषयान्तरे तथा तस्या अदर्शनात् । न हि केवलं शृङ्गारादिशब्दमात्रमात्रं
विभावादिप्रतिपादनरहिते काव्ये मनागपि रसवत्त्वप्रतीतिरस्ति । यतश्च स्वाभिधान-
मन्तरेण केवलेभ्योऽपि विभावादिभ्यो विशिष्टेभ्यो रसादीनां प्रतीतिः । केवलाद्य
स्वाभिधानादप्रतीतिः । तस्मादवयव्यतिरेकाभ्यामभिधेयसामर्थ्याक्षिप्तत्वमेव रसादीनाम् ।
न त्वभिधेयत्व कथञ्चित् । इति तृतीयोऽपि प्रभेदो वाच्याद् भिन्न एवेति स्थितम् ।
वाच्येन त्वस्य सहेव' प्रतीतिरप्ये दर्शयिष्यते ॥४॥

भी वाच्यायसे भिन्न है । उसे आगे [द्वितीय उद्योतमें] सविस्तार दिखलायेंगे ।

रसध्वनिका वाच्यार्थसे भेद

तीसरा [रसध्वनि] रसादिरूप भेद वाच्यकी सामर्थ्यसे आक्षिप्त होकर ही
प्रकाशित होता है, साक्षात् शब्द-व्यापार [अभिधा, लक्षणा, तात्पर्या शक्ति-व्यापार]
का विषय नहीं होता, इसलिए वाच्यायसे भिन्न ही है । क्योंकि, [यदि उसको वाच्य
माना जाय तो] उसकी वाच्यता [दो ही प्रकारसे हो सकती है] या तो स्वशब्द [अर्थात्
रसादि शब्द अथवा शृङ्गारादि नामों] से हो सकती है अथवा विभावादि प्रतिपादन
द्वारा । [इन दोनोंमेंसे] पहले पक्षमें [जहाँ रस शब्द अथवा शृङ्गारादि शब्दका प्रयोग
नहीं किया गया है परन्तु विभावादिका प्रतिपादन किया गया है वहाँ] स्वशब्दसे
निवेदित न होनेपर रसादिकी प्रतीतिका अभाव प्राप्त होगा । [रसादिका अनुभव नहीं
होगा] और सब जगह स्वशब्द [रसादि अथवा शृङ्गारादि सहा शब्द] से उन [रसादि]
का प्रतिपादन नहीं किया जाता । जहाँ वहाँ [स्वशब्द रसादि अथवा शृङ्गारादि सहा
पदोंका प्रयोग] होता भी है वहाँ भी विशेष विभावादिके प्रतिपादन द्वारा ही उन
[रसादि] की प्रतीति होती है । सहा शब्दोंसे तो वह केवल अनूदित होती है । उसे
जन्य नहीं होती । क्योंकि दूसरे स्थानोंपर उस प्रकारसे [विभावादिके अभावमें केवल
सहा शब्दोंके प्रयोगसे] वह [रसादिप्रतीति] दिखलायी नहीं देती । विभावादिके प्रति-
पादनरहित केवल [रस या] शृङ्गारादि शब्दके प्रयोगमें तनिक भी रसप्रकाश
प्रतीति नहीं होती । क्योंकि [रसादि] सहा शब्दोंके बिना केवल विशिष्ट विभावादिसे
ही रसादिकी प्रतीति होती है, और [विभावादिके बिना] केवल [रसादि] सहा शब्दोंसे
प्रतीति नहीं होती इसलिए अन्वय, व्यतिरेकसे रसादि वाच्यकी सामर्थ्यसे आक्षिप्त ही

होते हैं, किसी भी दशामें वाच्य नहीं होते। इसलिए तीसरा [रस, भाव, रसामास, भावाभास, भावप्रशम, भावोदय भावसन्धि, भावशरत्ता आदि रूप] भेद भी वाच्यसे भिन्न ही है यह निश्चित है। वाच्यके साथ ही [अमलक्ष्यप्रम] इसकी प्रतीति आगे दिखलाई जायगी।

ऊपर अचय व्यतिरेक शब्द आये हैं। साधारणत 'तत्सत्त्वे तत्सत्ता अन्वय', 'तदभावे तदभावो व्यतिरेक' यह अन्वय व्यतिरेकका लक्षण है। परन्तु इससे स्थानपर अन्वयपक्षमें 'तत्सत्त्वे तदितरकारणसत्त्वे कायमत्वमचय', 'तदभावे कायाभापो व्यतिरेक' लक्षण अधिक उपयुक्त है। अन्वयमें सकल कारणसामग्री अपेक्षित है। व्यतिरेक तो एकके अभावम भी हो सकता है। प्रतीयमान वस्तु, अलङ्कार और रसादि रूप अर्थ, लौकिक तथा अलौकिक दो भागोंमें विभक्त किये जा सकते हैं। वस्तु और अलङ्कार कभी स्वयं वाच्य भी होते हैं। इसलिए वे लौकिकके अन्तगम आते हैं और रस सदैव वाच्यसामर्थ्याक्षित ही होता है इसलिए काव्यव्यापारेकगोचर होनेसे अलौकिक माना जाता है। लौकिकके वस्तु और अलङ्कार दो भेद इस आधारपर किये हैं कि इनमें एक [अलङ्कार] भेद ऐसा है जो कभी किसी अन्य प्रधानभूत अलङ्कार रसादिका शाभाधायक होनेसे उपमादि अलङ्कार रूपमें भी व्यवहृत होता है। परन्तु जहाँ यह वाच्य नहीं अपितु वाच्यसामर्थ्याक्षित व्यङ्ग्य है वहाँ वह किसी दूसरेका अलङ्कार नहीं अपितु स्वयं प्रधानभूत अलङ्कार है। फिर भी उसका भूतपूर्वावस्था कारण 'ब्राह्मणभ्रमण याय'स अलङ्कारध्वनि कहते हैं। 'ब्राह्मणभ्रमण याय'का अभिप्राय यह है कि कोई पूर्वावस्थाका ब्राह्मण पीठे गौद या जैन भिक्षु 'भ्रमण' बन गया। उस समय भी उसकी पूर्वावस्थाके कारण उसे भ्रमण न कह कर 'ब्राह्मण भ्रमण' ही कहा जाता है। इस प्रकार उपमादि अलङ्कार जहाँ प्रतीयमान या व्यङ्ग्य होते हैं वहाँ वे प्रधानताके कारण अलङ्कार नहीं अपितु अलङ्कार कहे जाने योग्य होते हैं फिर भी उनकी पूर्वावस्थाने आधारपर उनको अलङ्कार नामसे कहा जाता है। यह अलङ्कारध्वनि प्रतीयमानका एक लौकिक भेद है। और जो अलङ्कार वस्तुमात्र प्रतीयमान है उसको वस्तुध्वनि कहते हैं। प्रतीयमानका तीसरा भेद रसादि रूप ध्वनि कभी वाच्य नहीं होता इसलिए वह अलौकिक प्रतीयमान कहा जाता है। इन तीनों रसादि रूप ध्वनिकी प्रधानता होते हुए भी सबसे पहले वस्तुध्वनिका निरूपण इसलिए किया जाता है कि लौकिक और वस्तुरूप होनेसे वाच्यसे अतिरिक्त उसका अस्तित्व, अलौकिक रसादिके अस्तित्वकी अपेक्षा सरलतासे समझमें आ सकता है।

‘अभिधा शक्तिसे व्यङ्ग्यार्थबोधका निराकरण

इस प्रतीयमान अर्थकी प्रतीति अभिधा लक्षणा और तात्पर्यात्वा तीनों प्रसिद्ध वृत्तियोंसे भिन्न व्यङ्गना नामक वृत्तिसे ही होती है। उसका अतिरिक्त प्रतीयमान अर्थके बोधका और वाङ् प्रसार नहीं है। लोचनरत्ने 'भ्रम धामिक' आदि पत्रकी व्याख्याम इस विषयपर विशद रूपसे विवेचना की है। उसका सारांश इस प्रकार है। शब्दस अथवा वाच्य करानेवाली अभिधा, लक्षणा आदि जो शब्द शक्तियाँ मांगी गयी हैं उनमें सबसे प्रथम अभिधा शक्ति है। इस अभिधा शक्तिसे ही यदि प्रतीयमान अर्थका बोध मानें तो उसने दो रूप हो सकते हैं—या तो वाच्यार्थन साथ ही व्यङ्ग्यार्थका भी अभिधासे ही बोध माना जाय, या फिर पहिले वाच्यार्थन और पीछे प्रतीयमानका इस प्रकार क्रमशः दोनों अर्थोंका अभिधासे ही बोध माना जाय। इनमें वाच्य और प्रतीयमान दोनोंका साथ साथ बोध तो इसलिए नहीं बनता कि उपरके उदाहरणोंमें विधिनिषेधादि रूपसे वाच्य और प्रतीयमानका

भेद दिग्गत्या इ उच्ये रहते हुए दा विधिनियेषरूप विरोधी अर्थ एक साथ एक ही व्यापारसे बोधित नहा हो सकते । अत्र दूसरा पत्र न जाना है यह भी युक्तिमङ्गल नहा है । क्योंकि 'शब्द बुद्धिरगणा विरम्य व्यापाराभाव,' अथवा 'विनोय नामिथा गच्छेत् शीघ्रशक्तिविशेषण' आदि सिद्धा तात्रे अनुसार अमिथा शक्ति एक हा पार व्यापार नर मरती है जार उस व्यापार द्वारा वह वाच्यायना उपमित करा चुकी । अतएव वाच्यायनायम शक्तिवा त्र हा जानस अमिथा शक्तिम प्रतीयमान अरना नाव गण हा मरता । दूसरी बात यह भी है कि अमिथा शक्ति सङ्केतित जयको ही शक्ति कर मरता है । प्रतीयमान जय तो सङ्केतित अथ है नहीं, इसलिए भी वह अमिथा द्वारा बोधित गहा हो मरता है ।

'तात्पर्या' शक्तिमे व्यङ्ग्यमो धका निराकरण

अमिथा शक्ति न द्वारा पद्याभाषितिके बाट 'अभिहिता-ययादा' उन पद्याभाषे परस्पर मर्य वर [त्वय] वा न लिए 'तात्पर्या' नामकी एक शक्ति मानन है । इसत्र द्वारा पद्यायन ससग रूप वाच्यायना नाथ मरता है । 'स [तत्] वाच्यायन पर प्रधानतया प्रतिपाद्य येवा तानि त-परानि पत्यानि, तथा भाव ता त्वयम्, तद्रथा शक्ति तात्पर्या शक्ति ।' इस अभिहिता ययादायात्री जमिमत् 'तात्पर्या' शक्ति न प्रतिपाद्य हा केवल पदायमम्यग्रूप वाक्याय ही है अतएव इस शक्ति विशेषभूत प्रतीयमान अथका मोहन मरनकी क्षमता उमम भी नहा है ।

'अन्विताभिधानपाद' और व्यङ्ग्यार्थमो ध

यम 'तात्पर्या' शक्ति न माननवाला 'अभिहिता-ययादा' मीमामका म कुमारिलभट्टना है । मरना निराी प्रभाकर'ना 'अन्विताभिधानपाद' है । अभिहिता ययादा न अनुसार पहिले पत्रोंसे अनन्वित पद्या न स्थित हात है । पठ 'तात्पर्या' वृत्तिम उनना परस्पर मर्य ध जानस वाक्यायनाय होता है । परन्तु प्रभाकरने 'अन्विताभिधानपाद'म पदांमे, अन्वित पद्या ही उपस्थित होते हैं इसलिए पात्रे अयत्र लिए 'तात्पर्या' वृत्ति माननकी आवश्यकता गहा है । यम 'अन्वित-अभिधानपाद'का प्रतिपादन प्रभाकरन इस आधारर किया है कि पद्यास जा जयत्री प्रवाति हाती है वह शक्तिग्रह या मरतएव हाकेपर ही होती है । इस मद्देनैप्रथम अनन उपाय है [गन्निग्रह वाकरणोपमाननापात वाक्याद्-य-शरतश्च । वाक्यम्य शेपात् शित दति मरानि वत मिडपदस्य दृडा ॥] परन्तु इनम सबसे नाना उपाय व्यपहार है । 'यवहारम उत्तमदृढ [पिता] मयमदृढ [नीरर या मरनके भाइ जालि] वा निरा गाय जादि पद्या न जानना जादण दता है । पामम पैरा मरल न उत्तमदृढके उा 'गामानन' जादि पटाका मुता है आर मयम-दना सरनाममान् मनादम्य पिण्डको लाते हुए देगता है । यम प्रकार प्रारम्भम 'गामानन' इम अन्वित वाक्यम मासनादिमान् पिण्डना आनयनरूप रमिा हत जय मर्य करता है । उनन पाद दूसर वाक्याम गाम् क म्यानपर 'अनय' या आनय क स्थान पर 'यवान' जादि जलग जलग पदाधोना अथ समझा लगता है । इस प्रकार 'यवहारसे जो शक्तिग्रह होमा वह मरल-पद्या म गहा जानतु अन्वित पदायम ही हागा । क्योंकि यवहार अन्वित पदायना ही स मय है, मरतना नहा । इसलिए प्रभाकर अन्वित अथम ही शक्ति मागत है ।

य 'अन्विताभिधानपाद' क अनुसार मरतता ता नहा जा मरता है कि मरल पद्यायम शक्तिग्रह नहीं हाता अन्वित अन्वित जयम हा हाता है । परन्तु यत्र यह प्रत्या हागा कि 'गाम्' पदना व्यपहारतो 'आनय' पदक साथ भी हु म आर 'यवान' पदक साथ भी, ता आनयनान्वित गाम गो पदना

शक्तिग्रह होना या बधनान्वितमें । इसका निर्णय किसी एक पक्षमें नहीं हो सकता क्योंकि वाक्यान्तरमें प्रयुक्त आनन्दनादि पद तो वही हैं । इसलिए सामान्यतः पदार्थान्वितमें शक्तिग्रह होता है और अन्तमें 'निर्विशेष न सामान्यम्' के अनुसार उस सामान्यान्वितता पथवसान अन्वित विशेषमें जाता है । यही 'अन्विताभिधानवाद' का सार है । इस मतमें विशेषपर्यवसित सामान्यविशेषरूप पदार्थ सङ्घटविषय है परन्तु व्यङ्ग्य तो उसके भी बाद प्रतीत होनेसे 'अतिविशेष' रूप है । उस अतिविशेषरूप व्यङ्ग्यपदा ग्रहण अन्विताभिधानवादीके मतमें भी अभिधा द्वारा नहीं हो सकता है ।

'अभिहितान्वयवाद'में अन्वित अर्थ और 'अन्विताभिधानवाद'में पदार्थान्वित अर्थ वाच्यार्थ है । परन्तु वाक्यार्थ तो अन्वितविशेषरूप है इसलिए वस्तुतः दोनों ही पक्षोंमें वाच्यार्थ जगच्च ही है । और जत्र वाक्यार्थ ही अवाच्य है तो फिर प्रतीयमान अर्थको वाच्यकाटिमें रखनेका प्रश्न ही नहीं उठता ।

कुमारिलभट्ट और प्रभाकर

'अभिहितान्वयवाद'के आचार्य कुमारिलभट्ट और 'अन्विताभिधानवाद'के सरथापक प्रभाकर दोनों ही मीमांसक हैं । यों तो प्रभाकर कुमारिलके शिष्य हैं परन्तु दार्शनिक साहित्यमें प्रभाकरका मत 'गुरुमत' नामसे और कुमारिलभट्टका 'तौतातिक' नामसे उल्लिखित हुआ है । इसका कारण यह है कि प्रभाकर बड़े प्रतिभाशाली थे । अपने गुरुके सामने हर एक विषयपर व अपना तर्कसङ्गत नया मत उपस्थित करते थे । इसलिए इन दोनोंके दार्शनिक मतोंमें बहुत भेद पाया जाता है, जिनमेंसे यह 'अभिहितान्वयवाद' और 'अन्विताभिधानवाद'का भेद एक प्रमुख सैद्धांतिक भेद है । एक बार कुमारिलभट्ट अपने विद्यार्थियोंको पला रहे थे । उसमें एक पक्ति इस प्रकारकी आ गयी— 'अत्र तु नात्र तत्रापि नोत्तमिति पौनरुक्त्यम् ।' यहाँ तो नहीं कहा और वहाँ भी नहीं कहा इसलिए पुनरुक्ति है । यह उस पक्तिका अर्थ प्रतीत होता है । परन्तु यह तो पुनरुक्ति नहीं हुई । पुनरुक्ति तो तब होती जत्र दो जगह एक ही बात कही जाती । कुमारिलभट्ट पताते पताते रुक गये । यह पुनरुक्ति उनकी समझमें नहीं आ रही थी । इसलिए पाठ आगेले दिनेके लिए रोक लिया और पुस्तक पढ़ कर रफ दी । प्रभाकर भी पाठ सुन रहे थे । गुरुजीके चले जानपर थोड़ी देर बाद प्रभाकरको यह पक्ति समझमें आ गयी । प्रभाकरने गुरुजीकी पुस्तक उठायी और उस पाठको सचि तोडकर अलग अलग पदोंमें इस प्रकार लिख दिया । 'अत्र तुना उत्तम्, तत्र अपिना उत्तम् ।' यहाँ तु शब्दसे वही बात कही है और वहाँ अपि शब्दसे वही बात कही है इसलिए पुनरुक्ति है । गुप्थी सुलभ गयी । गुरुजीको जत्र मायूम हुआ कि यह प्रभाकरने लिखा तो बहुत प्रमत्त हुए और उसका 'गुरु'की उपाधि प्रदान की । उस दिनसे उसका मत 'गुरुमत' नामसे प्रसिद्ध हुआ और कुमारिल मत 'तौतातिक' मतके नामसे । 'तौतातिक' शब्दका अर्थ है 'दुःशब्द तात शिधको यस्य स तुतात सत्येदं मत तौतातिक मतम् ।'

भट्टलोहटके मतकी आलोचना

'अभिहितान्वयवाद' भट्टके मतानुयायी भट्टलोहट प्रभृतिने 'यत्पर शब्द स शब्दार्थ' और 'सोऽयमिषादिषु दीधदीधत्तरोऽभिधाव्यापार'की सुक्तियाँ देकर व्यङ्ग्यको अभिधा द्वारा ही सिद्ध करनेका प्रयत्न किया है । ['ध्व'यालोक'के टीकाकारने इस मतको 'योऽप्यन्विताभिधानवादी यत्पर शब्द स शब्दाय इति हृदये यदीत्या शस्वदभिधाव्यापारमेव दीन्दीधसिच्छति' लिखकर इस मतको

अन्विताभिधानवादीका मत दिखलाया है परन्तु 'काव्यप्रकाश'के टीकाकारोंने इसे 'मृदमतोपजीविनां लोहटप्रभृतीना मतमाशङ्कते' लिखकर 'अभिहिता वयवादी' मत बतलाया है ।] इस मतका अभिप्राय यह है कि जैसे बलवान् सैनिक द्वारा छोड़ा गया एक ही बाण एक ही व्यापारसे शत्रुघ्न घम [कञ्च]का छेदन, ममभेदन और प्राणहरण तीनों काम करता है इसी प्रकार सुकविप्रयुक्त एक ही शब्दका एक ही अभिधाय्यापारसे पदार्थोपरिचित, अवयवोप और व्यङ्ग्यप्रतीति तीनों कार्य कर सकता है । इसलिए प्रतीयमान अर्थ भी वाच्यार्थ ही है । उसकी उपरिचित अभिधा द्वारा ही होती है, क्योंकि वही तो कविका तात्पर्यत्रिपथीभूत अर्थ है—'यत्पर शब्द स शब्दार्थ' ।

इस मतकी आलोचना करते समय हम उसको उपर उद्धृत किये हुए 'यत्पर शब्द स शब्दार्थ' और 'सोऽयमिगोरिख दीघदीघतरोऽभिधाय्यापार', इन दो भागोंम विभक्त करेंगे । इस मतन प्रतिपादनमें भट्टलोहटने 'अभिहिता वयवादी' मीमांसक होनेके कारण मीमांसके 'यत्पर शब्द स शब्दार्थ' इस प्रसिद्ध नियमका आश्रय लिया है । परन्तु उ दाने उसे ठीक अर्थमें प्रयुक्त नहा किया है । इस नियमका प्रयोग मीमांसकोंने इस प्रकार किया है कि वाक्यके अन्तर्गत पदार्थोंकी उपरिचित होनेपर उपरिचित पदार्थोंमें कुछ त्रियारूप और कुछ सिद्धरूप पदार्थ होता है । उनम साध्यरूप त्रियारूपार्थ ही 'विधेय' होता है । 'आग्नापरय त्रियार्थत्वादानर्थक्यमतदथानाम्' [मीमांसा ६० अ० १ पा० २ सू० १] के अनुसार 'अग्निहोत्र जुहुयात् स्वर्गं काम' आदि विधिवाक्य त्रियारूप होमका ही विधान करते हैं । जहाँ होमादि त्रिया किसी प्रमाणात्तरसे प्राप्त हाती है वहाँ तदुद्देश्येन गुणमात्रका विधान भी करत हैं । जैसे 'दध्ना जुहाति' इस विधिमें होमरूप त्रियाका विधान नहीं है क्योंकि होम तो यहाँ 'अग्निहोत्र जुहुयात्' इस विधिवाक्यसे प्राप्त ही है । इसलिए यहाँ 'वहल' दधि रूप गुणका विधान है । [वैशेषिकदर्शनकी परिभाषाके अनुसार दधि द्रव्य है, गुण नहीं । किसी द्रव्यमें रहनेवाले रूप, रस, ग घ, स्पर्श, ररया, परिमाण आदि धर्मोंको 'गुण' कहत हैं और 'गुणा भयो द्र यम्' गुणोंक आश्रयको 'द्र-य' कहते हैं । इसलिए वैशेषिककी परिभाषाके अनुसार तो दधि 'द्र-य' है । पर तु मीमांसक जहाँ दधि आदि द्रव्योंका विधान होता है उसे 'गुणविधि' या गुणमात्रका विधान कहते हैं । इसका कारण यह है कि यहाँ 'गुण' शब्दका अर्थ 'गौण' है । इनने यहाँ त्रिया ही प्रधान है और द्रव्यादि गौण हैं । इस गौणके अर्थमें 'गुणमात्र विधत्ते'से द्र यादिके विधानको 'गुणविधि' कहा है ।] जहाँ त्रिया और द्रव्य दोनों अप्राप्त होते हैं वहाँ दोनोंका भी विधान होता है । जैसे सोमन यजेत्'म सोम द्र-य और याग दोनोंके अप्राप्त होनेसे दोनोंका विधान है । इस प्रकार 'भूत' [सिद्ध] और 'भ-य' [साध्य]ने सहोच्चारणम 'भूत भव्यायोपदिदयत' सिद्धपदार्थ त्रियाका अङ्ग होता है । और जहाँ जितना अश अप्राप्त होता है वहाँ उसका ही अश 'अदग्धदहनयाय से विहित होता है । वही उस वाक्यका तात्पर्यत्रिपथीभूत अर्थ होता है । इस रूपमें मीमांसकोंने 'यत्पर शब्द स शब्दार्थ' इस नियमका प्रयोग या व्यवहार किया है । भट्टलोहट उस नियमको प्रतीयमान 'व्यङ्ग्य अर्थको अभिधासे बोधित करनेके लिए जिस रूपमें प्रयुक्त करते हैं वह ठीक नहीं है । व या तो उसके तात्पर्यको ठीक समझते नहीं, या फिर जान बूझकर उसकी अथवा 'वाख्या करते हैं । दोनों ही अज्ञानोंम उनकी यह सङ्कति ठीक नहीं है ।

भट्टलोहटने मतका दूसरा भाग 'सोऽयमिगोरिख दीघदीघतरोऽभिधाय्यापार'वाला भाग है । इस वाक्यका अभिप्राय यह हुआ कि शब्दप्रयोगके बाद जितना भी अर्थ प्रतीत होता है उससे रोधाम् शब्दका केवल एक अभिधा वापार होता है । यदि यह ठीक है' तो फिर न 'तात्पर्या' शक्ति की आवश्यकता है और न 'लभणा'की । भट्टलोहट यदि अभिहिता वयवादी हैं तब

तो वह 'तात्पर्या' शक्तिको भी मानते हैं और 'भानान्तरविरुद्धे तु मुरयार्थस्य परिग्रहे । अभिधेया विनाभूतप्रतीतिर्लक्षणोच्यते ॥ लक्ष्यमाणगुणैर्योगाद् वृत्तरिष्टा तु गौणता ।' इत्यादि भ्रूवातिकके अनुसार 'लक्षणा' वृत्ति भी मानते हैं । जब दीर्घदीर्घतर अभिधाया रसे 'तात्पर्या' तथा 'लक्षणा' क भी बादमें होनेवाले प्रतीयमान अथवा ज्ञान हो सकता है तब उसके पूर्ववर्ती वाच्यथ तथा ल्यार्थना बोध भी उसी दीर्घदीर्घतर व्यापार द्वारा अभिधासे ही हो सकता है, फिर इन दोनोंको माननेकी क्या आवश्यकता है ? दीर्घदीर्घतर अभिधाव्यापारके साथ 'तात्पर्या' और 'लक्षणा' शक्तिको भी मानना 'वदतो व्यापात' है ।

इसी प्रकार 'ब्राह्मण पुनस्ते जात' इस पुत्रोत्पत्तिके समाचारको सुनकर हर यत्तिको प्रसन्नता होती है । और 'कया ते गर्भिणी जाता,' कया अथात् अविवाहिता कन्या गर्भिणी हो गयी, इस वाक्यको सुनकर शोक होता है । इन शोक और हर्षके प्रति वह वाक्य कारण है । परन्तु वह कारणता उत्पत्तिके प्रति है, शक्तिके प्रति नहीं । वाक्य हर्ष शोकका उत्पादक कारण है, शपक नहीं । यदि शब्द प्रयोगके बाद सभी अर्थ अभिधा शक्तिके ही बोधित होता है तो ये हर्ष, शोकादि भी वाच्य मानने चाहिये । परन्तु सिद्धान्त यह है कि भाव्योंसे ये हर्ष शोक पैदा होते हैं और मुखविकास आदिसे अनुमान द्वारा ज्ञात होते हैं । 'उत्पत्तिरिथित्यभिव्यक्तिविकारप्रत्ययात्मय । विद्यागान्यत्वधृतय कारण नवधा स्मृतम् ॥' [योग द० ३, २८]के अनुसार उत्पत्ति, स्थिति आदिके भेदसे नौ प्रकारके कारण माने गये हैं । उपर्युक्त 'ब्राह्मण पुनस्ते जात' आदि वाक्य हर्ष शाकादिसे उत्पत्तिमात्रक कारण है । परन्तु उनका ज्ञान शब्द द्वारा न होकर मुखविकासदिसे होता है । यदि शब्दव्यापारन बाद प्रतीत होनेवाला सारा अर्थ अभिधा शक्तिके उपस्थित माना जाय तो हर्ष शोकादिको भी वाच्य मानना होगा, जो कि युक्तिसङ्गत नहीं है और मीमांसक स्वयं भी नहीं मानते ।

एक बात और है । 'श्रुति लिङ्ग-वाक्य प्रकरण स्थान समाख्याना समग्राये पारदौर्गल्य अथविप्र कयात्' यह मीमांसादर्शनका एक प्रमुख सिद्धांत है । यदि उक्त दीर्घदीर्घतर अभिधा-व्यापारवाला सिद्धांत मान लिया जाय तो यह श्रुतिलिङ्गादिका 'पारदौर्गल्य'वाला सिद्धांत नष्ट बन सकता । मीमांसाका विधिवाक्योंन चार भेद माने गये हैं—उत्पत्तिविधि, विनियोगविधि प्रयोगविधि और अधिकारविधि । इनमेंसे 'अङ्गप्रधानसम्बन्धबोधको विधि विनियोगविधि' यह विनियोगविधिका लक्षण किया है । अथात् जिसके द्वारा गुण और प्रधानके संग-घना बोध हो उसे विनियोगविधि कहते हैं । इस विनियोगविधिके सहकारी श्रुति, लिङ्ग, वाक्य, प्रकरण, स्थान और समारया नामक छ प्रमाण माने गये हैं । और जहाँ इनका समावाय हो वहा पारदौर्गल्य अथात् उत्तरोत्तर प्रमाणको दुबल माना जाता है । इसका कारण यह है कि श्रुतिके श्रवणमात्रसे अङ्ग प्रधानभावज्ञान हो जाता है, परन्तु लिङ्ग आदिमें प्रत्यक्ष विनियोजक शब्द, नहीं होते अपितु उनकी कल्पना करनी होती है । जैसे 'मीहिमिद-त्' यहाँ 'मीहिमि' इस तृतीया सिम्बलितसे उत्पन्न ही मीहिमी यागके प्रति करणता रूप अङ्गता प्रतीत हो जाती है । परन्तु लिङ्गादिमें विनियोजककी कल्पना करनी पड़ती है । उक्तक उससे लिङ्गके आधारपर विनियोजक वाक्यकी कल्पना की जायगी उसने पूव ही श्रुतिके उसका साम्नात् विनियोग हो जानेसे लिङ्गकी कल्पकत्वशक्ति व्याहृत हो जाती है । अतएव लिङ्गादिकी अपेक्षा श्रुति प्रबल है । जैसे 'ऐन्द्रया गार्हपत्यमुपतिष्ठते' । यह लिङ्गकी अपेक्षा श्रुतिकी प्रबलताका उदाहरण है । जिन ऋचाओंका देवता इन्द्र है वे ऋचाएँ ऐन्द्री ऋचा कहलाती हैं । ऐन्द्री ऋचाओंमें इन्द्रका लिङ्ग होनेसे उनको इन्द्रश्रुतिका अङ्ग होना चाहिये यह बात लिङ्गने साधित होती है । परन्तु श्रुति प्रत्यक्ष रूपसे 'ऐन्द्रया गार्हपत्यमुपतिष्ठते' इस वचन द्वारा ऐन्द्री ऋचाका गार्हपत्य अग्नि [प्राचीन ऋग्वेदके

अनुसार विवाहके समयके यशकी अग्नि]की स्तुतिने अङ्गरूपमें विनियोग करती है। श्रुतिने प्रबल होनेके कारण ऐद्री ऋचाएँ गार्ग्यपत्यकी स्तुतिका अङ्ग होती हैं, लिङ्गसे दृष्टस्तुतिना अङ्ग नहा होता।

यदि भट्टलोहटके अनुसार 'दीर्घदीर्घतरोऽभिधाव्यापार' वाला सिद्धांत माना जाय तो श्रुति, लिङ्ग आदिसे जो जो अर्थ उपस्थित हाता है वह सब एक ही दीर्घदीर्घतर अभिधाव्यापारसे बोधित हो जायगा। तब फिर उनमें दुर्बल और प्रबलकी कोई बात ही नहा रहेगी। इसलिए भट्टलोहटका यह दीर्घदीर्घतर अभिधाव्यापारवाला सिद्धांत भीमासाके सुप्रतिष्ठित श्रुतिलिङ्गादिषु पारदौःस्वसिद्धांतके विपरीत होनेसे भी अग्राह्य है। इस प्रकार भट्टलोहटका सारा ही सिद्धांत भीमासाकी दाशनिनपरम्परा और साहित्यकी शक्तिपरम्परा दोनोंके ही विरुद्ध और अभाय्य है।

भट्टलोहटके इस सिद्धांतका हा पुच्छभूत भीमासजना ही एकदेशी सिद्धांत 'नैमित्तिका नुसाणेण निमित्तानि कल्प्यन्ते' भी है। इस सिद्धांतका भाव यह है कि व्यङ्ग्य या प्रतीयमान अर्थकी प्रतीति किसी निमित्तसे ही हो सकती है क्योंकि वह जय या नैमित्तिकी है। प्रकृतमें उस प्रतीतिका निमित्त शब्दके अतिरिक्त और कुछ वन ही नहा सकता इसलिए शब्द ही उसका निमित्त है और शब्द अभिधा द्वारा ही उस अर्थको बोधन कर सकता है, अन्य कोई माग है ही नहा, इसलिए अभिधा द्वारा ही प्रतीयमान अर्थकी प्रतीति हो सकती है। इस मतका स्पष्टन तो स्पष्ट ही है। अभिधा द्वारा 'सङ्केतित' अर्थ ही उपस्थित हो सकता है। यदि प्रतीयमानको अभिधा द्वारा उपस्थित माना है तो उसको सङ्केतित अर्थ मानना होगा। यह युक्तिसङ्गत नहा है। यह कहना भी ठीक नहा है कि निमित्त भूत शब्दोंमें तो सङ्केतकी आवश्यकता होती है किन्तु नैमित्तिक यङ्ग्य प्रतीतिके लिए सङ्केतग्रहकी आवश्यकता नहा है उसकी प्रतीति बिना सङ्केतग्रहने ही हो जाती है। अतः यह मत भी युक्तिविरुद्ध होनेसे अग्राह्य है।

धनञ्जय तथा धनिकके मतकी आलोचना

आलङ्कारिकोंमें 'दशरूपक'के लेखक धनञ्जय और उसकी टीकाकार धनिकने भी क्रमशः अभिधा और तात्परा शक्तिके ही प्रतीयमान अर्थका बोध दिखानेका प्रयत्न किया है। धनञ्जयने दशरूपकमें चतुर्थ प्रकाशमें 'वाच्या प्ररणादिभ्यो बुद्धिस्था वा यथा निया। वाक्यार्थे कारकैयुक्ता, स्थायीभाव स्तयेतरे ॥' यह कारिका लिखी है। इसका आशय यह है कि जिस प्रकार वाक्यमें कहा वाच्या अथात् श्रुयमाणा और कहा 'द्वारम्' आदि अश्रुयमाणनियावाले वाक्योंमें प्ररणादिवश बुद्धिस्थ निया ही अर्थ कारकोंसे सम्बद्ध होकर वाक्यार्थरूपमें प्रतीत होती है, उसी प्रकार विभाव, अनुभाव, सञ्चारिभाव आदिके साथ मिलकर रत्यादि स्थायी भाव ही वाक्याश्रयसे प्रतीत होता है। विभागादि पदाश्रयानीय और तत्समुष्ट रत्यादि वाक्याश्रयानीय हैं। अर्थात् पदाश्रयसंग्रहके समान तात्परा शक्तिके ही उनका बोध हो जाता है। इसी कारिकाकी व्याख्यामें टीकाकार धनिकने लिखा है 'तात्परायतिरेकाच्च यङ्ग्यत्वस्य न ध्वनि। यावत्प्रायप्रसारित्यात् तात्पर्ये न तुलाधृतम् ॥' तात्पराका क्षेत्र उदा 'यापक' है। वह कोई नया तुला पदाश्रय नहा है कि इससे अधिष्ठ नहा हो सकता। वह तो यावत्प्रायप्रसारी है। जहाँ जैसी और जितनी आवश्यकता हो चहाँतक तात्पराका व्यापार हो सकता है। ध्वनिवादीने प्रथम कक्षामें वाच्याश्रय, द्वितीय कक्षामें तात्पर्यार्थ, तृतीय कक्षामें लक्ष्यार्थ और चतुर्थ कक्षामें यङ्ग्यार्थको रखा है। परन्तु इस कक्षाविभागसे तात्पराकी शक्ति कुण्ठित नहा होती। उस चतुर्थकक्षानिविष्ट अथवा तात्पराकी पहुँच हो सकती है। इसलिए चतुर्थकक्षानिविष्ट यङ्ग्य अर्थ भी

तात्पर्यकी सीमामें ही है, उससे बाहर नहीं है। धनञ्जय और धनिकके व्यञ्जनाविगोधी मतका यही साराश है।

इसका उत्तर यह है कि आपकी यह तात्पर्या शक्ति 'अभिहितावयवाद'में मानी गयी तात्पर्या शक्ति ही है अथवा उससे भिन्न कोई और ? यदि अभिहितावयवादियोंवाली ही तात्पर्या शक्ति है तो उसका क्षेत्र तो बहुत सीमित है, अधीमित नहीं। उसका काम बसल पदार्थसमर्गबोध करना है, उससे अधिक वह कुछ नहीं कर सकती। इसलिए प्रतीयमान अर्थका बोध करा सकना उसकी सामर्थ्यके बाहर है। वह तो द्वितीयकशानिविष्ट समर्गबोधतन ही सीमित है। चतुर्थकशानिविष्ट व्यञ्जय अर्थतक उसकी गति नहीं है। इसलिए आपको यह तात्पर्या शक्ति, जो यावत्काव्यप्रसारिणी हो— आवश्यकतानुसार हर जगह पहुँच सके—, तो उससे भिन्न कोई अलग ही शक्ति माननी होगी। और उस दशममें ध्वनिवादके साथ उसका नाममात्रा भेद हुआ। जब अभिधा, लक्षणा, तात्पर्यासे भिन्न एक चौथी शक्ति मानी ही गयी तब उसका नाम चाहे व्यञ्जना रखा या तात्पर्या, अथम को भेद नहीं आता।

लक्षणावादका निराकरण

व्यञ्जनानो न मानकर अन्य शब्दशक्तियोंसे ही उसका काम निकालनेवाले मतोंमेंसे एक मत और रह जाता है। 'प्रम धामिक' इत्यादि श्लोकोंमें कुछ लोग विपरीतरक्षणा द्वारा निषध या निधि रूप अर्थकी प्रतीति मानते हैं। इस मतकी आलोचना करते हुए लोचनकारन जो युक्तियाँ दी हैं उनका समग्र श्री मम्मटाचार्यने अपने 'काव्यप्रकाश'में बड़ी अच्छी तरह एक ही जगह चार कारिकाओंमें कर दिया है—

‘यस्य प्रतीतिमाघातु लक्षणा समुपास्यते ।

फले शब्दैकगम्येऽन व्यञ्जनात्परा मिया ॥

नाभिधा समयाभावात्, हेतुभावात् लक्षणा ।

लभ्य न मुख्य नाप्यत्र बाधा योग फलेन नो ॥

न प्रयाजनमेतस्मिन्, तच्च शब्द स्तलद्गति ।

एवमप्यनयस्या स्याद् या भूलभ्यवकारिणी ॥

प्रयाजनेन सन्निह लक्षणीय न युज्यते ।

शानस्य निषयो ह्यन्य पहमयदुदाहृतम् ॥ का० प्र० २, १४ १७

इन कारिकाओंका भावाथ इस प्रकार है—

१ जिस शैल्य पावनत्वके अतिशय आदि रूप प्रयोजनकी प्रतीति करानेके लिए लक्षणाका आश्रय लिया जाता है वह केवल शब्दसे गम्य है और उससे बोधनमें शब्दका यमनाके अतिरिक्त और कोई व्यापार नहीं हो सकता है।

२ उस फल बोधनमें अभिधाव्यापार काम नहीं करता है, क्योंकि फल सङ्केतित अथ नहीं है। इसलिए 'समय' अर्थात् सङ्केतप्रह न होनेसे अभिधासे फलकी प्रतीति नहीं हो सकती है। मुख्याधनाथ और मुरार्यार्थस्य च तथा प्रयोजनरूप लक्षणासे तीन कारणोंमेंसे किसी भी न होनेसे फलका बोध लक्षणासे भी नहीं हो सकता है। यदि शैल्य पावनत्वको लक्ष्याध मानना चाहता तो उससे पहिले उपरिमत होनेवाले तीररूप अर्थको, जो कि इस समय लक्षणासे बाधित माना जाता है, मुख्याध मानना होगा। उसका बाध मानना होगा और उसका शैल्य पावनत्वसे सम्बन्ध एव शैल्य पावनत्वका भी कोई और प्रयाजा मानना होगा। य दोनों बातें नहीं बनती हैं। अर्थात्

तीररूप अर्थ मुख्यार्थ नहीं है, फिर उस तीररूप अर्थका बाध भी नहीं है और उसका शैत्य पावनत्वसे सम्बन्ध भी नहीं है। शैत्य पावनत्वसे तो गङ्गाका सम्बन्ध है तीरका नहीं, इसलिए शैत्य-पावनत्व तीरका लक्ष्याध नहीं हो सकता है।

३ शैत्य-पावनत्वका अतिशय जो इस समय प्रयोजनरूपसे प्रतीत होता है उसको यदि लक्ष्यार्थ मानें तो उसका फिर कोई और प्रयोजन मानना होगा, परन्तु उस शैत्य पावनत्वके अतिशय बोधका कोई दूसरा प्रयोजन प्रतीत ही नहीं होता और न तो गङ्गा शब्द उसके बोधनके लिए स्पष्ट-दृग्गति—बाधितार्थ—ही है। और यदि कथञ्चित् उस शैत्य पावनत्वके अतिशयमें कोई प्रयोजन मानकर उसको लक्ष्यार्थ मान लिया जाय तो फिर वह जो दूसरा प्रयोजन प्रतीत हुआ उसको भी लक्ष्यार्थ माननेके लिए उसका भी एक और तीसरा प्रयोजन मानना होगा। इसी प्रकार तीसरे प्रयोजनका चौथा, चौथेका पाँचवाँ आदि प्रयोजन मानने होंगे और यह प्रयोजनकी परम्परा कहीं समाप्त नहीं होगी। इसलिए 'अनवस्थादाप' होगा जो मूल अर्थात् शैत्य पावनत्वके अतिशयबोधको लक्ष्याध मानने ही नहीं देगा।

त्रिंशष्ट लक्षणात्रादका निराकरण

४ ऊपरकी कारिकाओं में जो दोष दित्वाये गये हैं कि तीर मुख्यार्थ नहीं है, उसका बाध नहीं होता और उसका शैत्य पावनत्वरूप फलके साथ सम्बन्ध नहीं है, ये सब दाप उस अवस्थाम आते हैं जब शैत्य पावनत्वको लक्ष्यार्थ माना जाय। इसलिए पूर्वपक्ष, उस स्थितिको नदल कर यह कहता है कि न बवल तीर लक्ष्यार्थ है और न शैत्य पावनत्वका अतिशय अपितु शैत्यपावनत्वविशिष्ट तीरमें लक्षणा माननी चाहिये। इस प्रकार व्यञ्जनाकी आवश्यकता नहीं होगी। इस पूर्वपक्षका समाधान करनेके लिए अगली कारिका दी है—'प्रयोजनेन सहितं लक्षणीयं न युज्यते'। प्रयोजन सहित अर्थात् शैत्यपावनत्वविशिष्ट तीर लक्षित नहीं हो सकता है। क्योंकि तीर अथ लक्षणाजय ज्ञानका 'विषय' और शैत्य पावनत्व लक्षणाजय ज्ञानका 'फल' है। ज्ञानका 'विषय' और ज्ञानका 'फल' दोनों अलग अलग ही होते हैं। वे कभी एक नहीं हो सकते। इसलिए लक्षणाजन्य ज्ञानका 'विषय' तीर और उसका 'फल' शैत्य-पावनत्व इन दोनोंका बोध एक साथ नहीं हो सकता। उनमें कारणकार्यभाव होनेसे पूर्वोक्त आवश्यक है। पहिले कारणभूत तीरबोध और उसके बाद फलरूप शैत्य-पावनत्वका बोध दोनों अलग अलग ही होंगे, एक साथ नहीं। अतएव शैत्य पावनत्वके बोधके लिए लक्षणासे अतिरिक्त व्यञ्जना माननी ही होगी।

ज्ञानका 'विषय' और 'फल' दोनों अलग अलग होते हैं और यह सभी दार्शनिकोंका सिद्धान्त है। न्यायके मतमें 'अयं घट' इस ज्ञानका 'विषय' घट हाता है और उससे आत्मान एक 'घटज्ञान वानह' या 'घटमह जानामि' इस प्रकारका ज्ञान उत्पन्न होता है। इस ज्ञानको नैयायिक 'अनुभवसाय' कहता है। यह अनुभवसाय 'अयं घट' ज्ञानका फल है। इसलिए नैयायिकमतमें ज्ञानका विषय घट और ज्ञानका 'फल' 'अनुभवसाय' होनेसे दोनों अलग अलग हैं। इसी प्रकार मीमांसकके मतमें भी 'अयं घट' इस ज्ञानका विषय तो घट है और उस ज्ञानका 'फल' 'शतता' नामक धर्म है। इसलिए उसका यहाँ भी ज्ञानका 'विषय' घट और ज्ञानका 'फल' 'शतता' दोनों अलग हानसे दोनोंका ग्रहण एक कालमें नहीं हो सकता।

नैयायिक और मीमांसक दोनों ही 'अयं घट' इस ज्ञानका 'विषय' घटको मानते हैं। परन्तु फलके विषयमें दोनोंमें घोडा-सा मतभेद है। नैयायिक 'अयं घट' इस ज्ञानका फल 'अनुभवसाय'

को और भीमासक 'शतता'को मानता है। 'अनुव्यवसाय' और 'ज्ञातता'के स्वरूपमें अंतर यह है कि नैयायिकके मतमें 'अनुव्यवसाय' आत्मामें रहनेवाला धर्म है। 'घटज्ञानज्ञानहम्' या 'घटमह जानामि' इत्यादि रूप 'अनुव्यवसाय' आत्मामें उत्पन्न होता है। ज्ञानके ज्ञानका नाम 'अनुव्यवसाय' है। 'अय घट' इस व्यवसायात्मक ज्ञानका विषय घट होता है, 'घटज्ञानवानहम्' इस अनुव्यवसायात्मक ज्ञानका विषय 'घटज्ञान' होता है। और वह 'अनुव्यवसाय' आत्मामें रहता है यह नैयायिक सिद्धांत है। दूसरी ओर भीमासककी 'शतता' आत्मामें नहीं अपितु घटरूप पदार्थमें रहने वाला धर्म है। इसी 'शतता'के आधारपर घट और ज्ञानका विषयविषयिभाव बनता है। घटज्ञान घटसे पैदा होता है इसलिए घट उसका विषय होता है पट नहीं, यदि यह कहा जाय तो फिर घट ज्ञान आलोकसे भी पैदा होता है और चक्षु भी उसका कारण है। तब तो फिर आलोक और चक्षु भी उस ज्ञानका विषय होने लगेंगे। इसलिए इस उत्पत्तिके आधारपर विषयविषयिभावका उपपादन नहीं हो सकता। अतः विषयविषयिभावका उपपादन 'शतता'के आधारपर ही समझना चाहिये। 'अय घट' इस ज्ञानसे जो 'शतता' नामक धर्म पैदा होता है वह घटमें रहता है, पटम नहा रहता। इसलिए घट ही उस ज्ञानका विषय होता है, पट नहीं। यह भीमासकका धरना है। इस प्रकार यद्यपि नैयायिक और भीमासक दोनों, ज्ञानका फल अलग अलग 'अनुव्यवसाय' और 'शतता'को मानते हैं, परन्तु वे दोनों ही इस विषयमें एकमत हैं कि ज्ञानका 'विषय' और 'फल' दोनों अलग ही होते हैं। इसलिए यहाँ भी लक्षणाजय ज्ञानका 'विषय' तीर और उसका 'फल' शैत्य पावन्त्वका अतिशय अलग अलग ही मानने होंगे। उन दोनोंका बोध एक साथ नहीं हो सकता है। अतएव शैत्यपावत्त्वविशिष्ट तीरको लक्ष्यार्थ माननेका जो पूर्वपक्ष उठया गया था वह ठीक नहा है। उन दोनोंका बोध अलग अलग क्रमशः लक्षणा तथा व्यञ्जना द्वारा ही मानना होगा। फलिताथ यह हुआ कि अभिधा, तापया और लक्षणा इन तीनोंमेंसे किसी भी शक्तिसे व्यञ्जनाका काम नहा निकाला जा सकता है। इसलिए व्यञ्जनाको अलग वृत्ति मानना ही होगा।

अखण्डार्थतामादी वेदान्तमत

अद्वैतरूप ब्रह्मवादी वेदान्ती तथा स्फोटरूप शब्दब्रह्मवादी वैयाकरण अखण्डवाक्य और अखण्डवाक्यार्थ मानते हैं। वेदान्तमतमें नियाकारकभावकी स्वीकार कर उत्पन्न होनेवाली बुद्धि एखण्डित या सखण्ड और उससे भिन्न क्रियाकारकभावरहित बुद्धि अखण्ड बुद्धि है। उनके मतमें यह सारा सारा ही मिथ्या है अतएव धर्मिधर्मभाव या नियाकारकभाव आदि सब मिथ्या है। इसलिए वाक्योंमें यह वाच्यार्थ है, यह लक्ष्यार्थ है, यह व्यङ्ग्यार्थ है, इस प्रकारका विभाग नहा किया जा सकता। अपितु समस्त अखण्डवाक्य वाच्य, लक्ष्य, व्यङ्ग्य और उससे भी आगे जितना भी अर्थ प्रतीत होता है वह सब अखण्ड रूपमें उपस्थित होता है। अतः व्यञ्जना आदिका माननकी आवश्यकता नहीं है। वेदान्ती अखण्डवाक्य मानते हैं। उसका लक्षण कहीं 'ससगागोचरप्रमितिजन कत्वमखण्डवाक्यम्' अथात् नियाकारकभावादिरूप ससगाविषयक प्रतीतिको पैदा करनेवाला वाक्य अखण्डवाक्यक वाक्य है इस प्रकार किया गया है और कहीं 'अविशिष्टमपयायानेरुशब्दप्रकाशितम्। एकं वेदान्तिष्णातास्तमखण्ड प्रपेदिरे।' इत्यादि रूपमें किया गया है।

अखण्डार्थतामादी वैयाकरण मत

लभगम इसी प्रकार स्फोटरूप शब्दब्रह्मवादी वैयाकरणोंने भी अखण्डवाक्यकी कल्पना की है। उसका उपपादन करते हुए भर्तृहरिने लिखा है—'ब्राह्मणायो यथा नास्ति कश्चिद् ब्राह्मणकम्बले।

'विविधवाच्यवाचकरचनाप्रपञ्चचारुण काव्यस्य स एवार्थ सारभूत । तथा चादिकवेर्वाल्मीकेर्निहतसहचरीविरहकातरक्रीञ्चाक्रन्दजनित शोक एव श्लोकतया परिणत ।

मा निपाद प्रतिष्ठा त्वमगम शाश्वती समा ।

यत् क्रीञ्चमिथुनादेकमवधी काममोहितम् ॥

शोको हि करुणरसस्यायिभाव । प्रतीयमानस्य चान्यभेददर्शनेऽपि रसभाव-
मुखेनैवोपलक्षण प्राधान्यात् ।

नाना प्रकारके शब्द, अर्थ और सङ्घटनाके प्रपञ्चसे मनोहर काव्यका सारभूत [आरमा] वही [प्रतीयमान रस] अर्थ है । तभी [निपादके] धाणसे विद्ध किये गये, मरणासन्न अत] सहचरीके वियोगसे कातर [जो] कोञ्च [तत् कर्तृक, अथवा कोञ्चो हेत्यक क्रोञ्चीकर्तृक]के प्रन्दनसे उत्पन्न आदिकृषि धात्मीकि [धात्मीनिष्ठ करुणरसका स्थायिभाव] का शोक श्लोक [‘मा निपाद’ इत्यादि का-य] रूपमें परिणत हुआ ।

हे व्याध, तूने काममोहित, कोञ्चके जोडेमेंसे एक [कोञ्च] को मार डाला अतएव अनन्त कालतक [कभी] प्रतिष्ठा [सुकीर्ति] को प्राप्त न हो ।

शोक करुणरसका स्थायिभाव है । [यद्यपि] प्रतीयमानके और [धस्तु अलङ्कार ध्वनि] भी भेद दियाये गये हैं परंतु [रसादिके] प्राधान्यसे रसभाव द्वारा ही उनका उपलक्षण [ज्ञापन] होता है ।

क्रीञ्चवधकी जिस घटनाका उल्लेख यहाँ किया गया है वह वाल्मीकिरामायणके प्रारम्भमें मिलती है । उद्धृत ‘मा निपाद’ इस श्लोकमें ‘एवम्’ इस पुल्लिङ्गप्रयोगसे प्रतीत होता है कि उस जोड़मेंसे नर काञ्च ही मारा गया था और उसके वियोगमें क्रीञ्ची रा रही थी । आगेके श्लोक “त शोणितपरीताङ्ग चेष्टमान महीतले । हृष्टा क्रीञ्ची करोदातां करुणं न परिभ्रमा ॥” में इम्प्रा स्पष्ट ही वणन है । परंतु यहाँ ध्व-वालेकफारने अपने वृत्तिभागमें ‘निहतसहचरीविरहकातरक्रीञ्चाक्रन्दजनित’ पाठ दिया है जिससे प्रतीत होता है कि वध सहचरी क्रीञ्चीना हुआ और रोदन करनेवाला नर क्रीञ्च है । इसकी टीकाम लोचनकारन भी ‘सहचरीहननोद्भूतेन, तथा निहतसहचरीति विभाव उक्त’ लिख कर इसीकी पुष्टि की है । न केवल इन दोनोंने अपितु का यमीमाशाकारन भी अपने ग्रथमें निपादनिहतसहचरीक क्रीञ्चयुवानम्’ लिखा है । यह सब वाल्मीकिरामायणके विरुद्ध प्रतीत होता

१ इस स्थलपर निर्णयसागरीय तथा धाराणसेय सस्करणोंके अनङ्क पाठभेद हैं । नि० सा० म विविध और वाक्यके बीचमें ‘विसिष्ट’ पाठ अधिक है । ‘तथा चादिकवेर्वाल्मीके’ इतना पाठ नहीं है । निहतसहचरी के स्थानपर ‘सन्निहितसहचरी’ पाठ है । ‘अ-यभेद’के स्थानपर ‘अ-यप्रभेद’ पाठ है । ‘प्रतीयमान एवेति प्रतिपादितम्’ इतना पाठ बढ़ा हुआ है । धाराणसय बालप्रियावाले सस्करणमें ‘मा निपाद’ इत्यादि श्लोक मूल पाठमें नहीं है । इसका कारण सम्भवत लोचनमें उमकी व्याख्याका अभाव है । दाधितिमें ‘सहचरी’ के स्थानपर ‘सहचर’ और ‘क्रीञ्चा-द’ के स्थानपर ‘क्रीञ्चा-द’ पाठ है । इन पाठभेदोंके अतिरिक्त अ-य दृष्टिसे भी यह स्थल विशेष रूपसे विचारणीय है ।

सरस्वती स्वाद् तदर्थवस्तु निःष्यन्दमाना महता कवीनाम् ।
अलोकसामान्यमभिव्यनक्ति परिस्फुरन्त प्रतिभाविशेषम् ॥६॥

तत् वस्तुतत्त्वं नि ष्यन्दमाना महता कवीना भारती अलोकसामान्य प्रतिभाविशेषं
परिस्फुरन्तम् अभिव्यनक्ति । येनास्मिन्नतिविचित्रकविपरम्पराशाहिनि ससारे कालिदास-
प्रभृतयो द्वित्रा, पञ्चपा एव वा महाकवय इति गण्यन्ते ॥६॥

इदं चापर प्रतीयमानस्यार्थस्य सद्भावसाधन प्रमाणम्—

है । इसलिए दीर्घितिकार आदि कुछ लोग मूल वृत्तिप्रथ और उसने लोचन दोनोंके पाठ बदल कर
उसकी 'यारया करते हैं । दूसरे विद्वानोंका मत यह है कि 'वन्यालोक' ध्वनिप्रधान ग्रन्थ है । इसमें
श्रीश्रीमद्युनसे सीता और रामकी जोड़ी, निपाद पदसे रावण और बधने सीताका अतिशयपीडन
रूप बध अभिव्यक्त होता है । इसलिए ध्वन्यालोककारने सहचरी पदसे सीतारूप अर्थको अभिव्यक्त
करनेके लिए 'निहतसहचर'के न्यानपर 'निहतसहचरी' पाठ रखा है । दूसरे जो लोग 'सहचरी'के
स्थानपर 'सहचर' पाठ परिवर्तन करते हैं वे भी यहाँ व्यङ्ग्यार्थ इस प्रकार निकालते हैं कि
भावी रावणबधने सूचनार्थ सहचर रावणने विरहसे कातर श्रीश्री मदोदरी, उससे आनन्दनसे
जनित शोक 'लोकत्वको प्राप्त हुआ । हमने ऊपर इस अशका का अनुवाद किया है यह इन
संज्ञे भिन्न है । 'वन्यालोक' और लोचनकी सभी प्रतियोंमें सहचरीगाला पाठ ही पाया जाता है इसलिए
हमने उसको प्रामादिक पाठ न मानकर 'स्थितस्य गतिश्चितनीया'के अनुसार उसकी सङ्गति रगानेका
पत्न्य किया है । 'निहत सहचरीविरहकातररचासौ श्रीश्री निहतसहचरीविरहकातरश्रीश्री, तदुद्देश्यक
श्रीश्रीरुतुको य आनन्द, तन्नित शोक ।' इस प्रकारकी 'यारया करनेसे पाठकी कथञ्चित् सङ्गति
लग जाती है । भावार्थ यह हुआ कि 'निहत' पद 'सहचरी'का विशेषण नहीं अपितु 'निहत'
और 'सहचरीविरहकातर' ये दो विशेषण 'श्रीश्री'के हैं । मरते समय जैसे सासारिक पुरुषको अपने
स्त्री-बच्चोंका वियोग दुःखी करता है इसी प्रकार राणविद्ध वह श्रीश्री अपनी सहचरीन विरहसे कातर
था । उसने उद्देश्यमें रचनर जो श्रीश्रीका क्रन्दन उससे समुद्भूत शोक आदि कवि वात्सीयिका
शोक, श्लोकरूपम परिणत हुआ । ऐसा अर्थ करनेसे मूल वृत्तिम जो रामायणका विरोध प्रतीत होता
है उसका परिहार हो सकता है । लोचनम जहाँ 'सहचरीहननोद्भूत' पाठ है वहाँ 'सहचरहननोद्भूत'
यही पाठ होना चाहिये । लोचनके 'निहतसहचरीति विभाव उक्त' इस पक्षिका प्रतीक मानकर
'निहतसहचरी' इत्यादि ग्रन्थसे विभाव कहा है यह अथ माननेसे रामायणका विरोध नहीं रहता है ।
परन्तु काव्यमीमांसानरने जो 'निपादनिहतसहचरीव श्रीश्रीयुवानम्' लिखा है वह ठीक नहा है ॥५॥

उस आस्वादमय [रसभायरूप] अर्थतत्त्वको प्रजाहित करनेवाली महाकवियों
की चाणी [उनके] अलौकिक, प्रतिभासमान प्रतिभा [अपूर्ववस्तुनिमाणश्रमा प्रज्ञा]के
चैशिशयको प्रकट करती है ॥६॥

उस [प्रतीयमान रसभावादि] अर्थतत्त्वको प्रजाहित करनेवाली महाकवियोंकी
चाणी [उनके] अलौकिक, प्रतिभासमान, प्रतिभाविशेषको व्यक्त करती है । जिसके
कारण नानाविध कविपरम्पराशाली इस ससारमें कालिदास आदि दो तीन अथवा
पाँच छ ही महान्वि गिने जाते हैं ॥६॥ -

प्रतीयमान अर्थकी सत्ता सिद्ध करनेवाला यह ओर भी प्रमाण है—

शब्दार्थशासनज्ञानमात्रेणैव न वेद्यते ।

वेद्यते स तु काव्यार्थतत्त्वज्ञैरेव केवलम् ॥७॥

सोऽर्थो यस्मात् केवल काव्यार्थतत्त्वज्ञैरेव ज्ञायते । यदि च वाच्यरूप एवासावर्थं स्यात्, तद् वाच्यवाचकस्वरूपपरिज्ञानादेव तत्प्रतीति स्यात् । अथ च वाच्यवाचक लक्षणमात्रकृतश्रमाणा काव्यतत्त्वार्थभावनाविमुखाना स्वरश्रुत्यादिलक्षणमिवाप्रगीताना गान्धर्वलक्षणविदामगोचर एवासावर्थ ॥७॥

वह [प्रतीयमान अर्थ] शब्दशास्त्र [व्याकरणादि] और अर्थशास्त्र [कोशादि]के प्रामाण्यसे ही प्रतीत नहीं होता, वह तो केवल काव्यमर्मज्ञोंको ही विदित होता है ॥७॥

क्योंकि केवल काव्यार्थतत्त्व ही उस अर्थको जान सकते हैं । यदि वह अर्थ केवल वाच्यरूप ही होता तो शब्द और अर्थके ज्ञानमात्रसे ही उसकी प्रतीति होती । परंतु [केवल पुस्तकसे] गान्धर्वविद्याको सीप लेनेवाले उत्कृष्ट गानको अनभ्यासी [नौसिखिया] गायकोंके लिए स्वरश्रुति आदिने रहस्यके समान, काव्यार्थभाष्यनासे रहित केवल वाच्य वाचक [कोशादि अर्थनिरूपक शास्त्र और व्याकरणादि शब्दशास्त्र] में वृत्तधर्म पुरूपोंने लिए वह [प्रतीयमान] अर्थ अज्ञात ही रहता है ॥७॥

यहाँ शालप्रिया टीकावाले चाराणसे प्रकरणमें 'अप्रगीतानाम्' पाठ आया है । उनका स्थानपर निणयसागरीय तथा दीधितिवाले सस्करणम पद=उद्दकी दृष्टिसे 'प्रगीतानाम्' पाठ भी रखा है । लोचनने दोना ही पाठोक्त अर्थ किया है । दोनों ही दशाओंम उनका अथ नौसिखिया गायक ही होगा । 'अप्रगीतानाम्' पाठ माननेपर 'प्रकृत गीत गान येषां ते प्रगीता न प्रगीता अप्रगीता' अथात् उत्कृष्ट गानविद्याने अनभ्यासी यह अर्थ होगा और 'प्रगीतानाम्' पाठ माननेपर 'आदि कर्मणि च कर्तरि च' [अष्टाध्यायी ३, ४, ७१] इस पणिनिपुत्रसे आदि कर्ममें च प्रत्यय भावकर 'गातु प्रार'वा प्रगीता' जि होने गाना अभी प्रारम्भ किया है ऐसा अर्थ होगा ।

स्वरश्रुति आदि गान्धर्व शास्त्रने पारिभाषिक शब्द हैं । स्वर श दकी 'युत्यति है, 'स्वत सह नारिकारणनिरेश रजयति श्रोत्रुच्चित्तम् अनुरक्त करोतीति स्वर', जो अर्थोंकी सहायताके बिना स्वय ही श्रातान चित्तकी आह्लादित कर उसे स्वर' कहते हैं । सङ्गीतशास्त्रमें पङ्क, ऋषभ, गांधार, म यम, पञ्चम, धैरत और निपाद ये सात स्वर माने गये हैं । इ'होना सक्षित रूप सरगमने स, र, ग, म, प, ध, नि रूप हैं । स्वरने प्रथम अवयवको श्रुति कहते हैं । सङ्गीतरत्नाकर'म उनसे लक्षण इस प्रकार बटे हैं—

“प्रथमश्रवणाच्छब्द श्रूयत हृदयमात्रक ।

स श्रुति सम्परिज्ञेया स्वरवयवल्पणा ॥

जुत्यन्तरभावी य स्निग्धोऽनुरणनात्मक ।

स्वतो रजयति श्रोत्रुच्चित्तं च स्वर उच्यते ॥

१ नि० में 'तु' के स्थानपर 'हि' है ।

२ शब्दार्थशासनज्ञानमात्रेऽपि पर न वेद्यते' इतना पाठ नि० में वाच्यारम्भमें अधिक है ।

३ नि० प्रगीताना ।

एव वाच्यव्यतिरेकिणो व्यङ्ग्यस्य सद्भाव प्रतिपाद्य प्राधान्य तस्यैवेति दर्शयति—

सोऽर्थस्तद्व्यक्तिसामर्थ्ययोगी शब्दश्च कश्चन ।

यत्नतः प्रत्यभिज्ञेयौ तौ शब्दार्थौ महाकवेः ॥८॥

‘स व्यङ्ग्योऽर्थस्तद्व्यक्तिसामर्थ्ययोगी शब्दश्च कश्चन, न शब्दमात्रम्’ । तावेव शब्दार्थौ महाकवे प्रत्यभिज्ञेयौ । व्यङ्ग्यव्यञ्जकाभ्यामेव सुप्रयुक्ताभ्या महाकवित्वलाभो महाकवीनाम्, न वाच्यवाचकरचनामात्रेण ॥८॥

श्रुतिभ्य स्य स्वरा षड्जर्षमगाधारमध्यमा ।

पञ्चमो धैवतश्चाय निषाद इति सप्त ते ॥

तेषा यज्ञा सरिग मप धनीत्यपरा मता ।

द्वाविंशतिं वेचिट्टदाहरन्ति श्रुती श्रुतिज्ञानविचारदत्ता ।

पृष्टपृष्टिभिन्ना एतलु वेचिदासामानन्त्यमेव प्रतिपादयन्ति” ॥७॥

इस प्रकार वाच्यार्थसे भिन्न व्यङ्ग्यकी सत्ताको सिद्ध करके प्राधान्य [भी] उसीका हूँ यह दिखाते हैं—

यह [प्रतीयमान] अर्थ और उसकी अभिव्यक्तिमें समर्थ विशेष शब्द, इन दोनोंको भली प्रकार पहिचाननेका प्रयत्न महाकविने [जो महाकवि बनना चाहे उसने] करना चाहिये ॥८॥

यह व्यङ्ग्य अर्थ और उसकी अभिव्यक्त करनेकी शक्तिसे युक्त कोई विशेष शब्द [ही] है । शब्दमात्र [सारे शब्द] नहीं । महाकवि [बननेके अभिलाषी] को वही शब्द और अर्थ भली प्रकार पहिचानने चाहिये । व्यङ्ग्य और व्यञ्जकने सुन्दर प्रयोगसे ही महाकवियोंको महाकविपदकी प्राप्ति होती है, वाच्य वाचक रचनामात्रसे नहीं ॥८॥

प्रत्यभिज्ञापरिचय

‘प्रत्यभिज्ञा’ शब्दका प्रयोग यहाँ किया गया है । प्रत्यभिज्ञाना लक्षण है, ‘तत्तेदन्तावगाहिनी प्रतीति प्रत्यभिज्ञा ।’ ‘तत्ता’ अथात् तद्देश और तत्काल सम्बन्ध अथात् पूर्वदेश और पूर्वकाल सम्बन्ध तथा ‘इदन्ता’ अथात् एतद्देश और एतत्काल सम्बन्धको अन्गाह्न करनेवाली प्रतीतिको ‘प्रत्यभिज्ञा’ कहते हैं । जैसे ‘सोऽथ देवन्त’ यह वही देवदत्त है जिसे हमने काशीम देता था यह ‘प्रत्यभिज्ञा का उदाहरण है । इसमें ‘स’ पद ‘तत्ता’ अथात् पूर्वदेश और पूर्वकाल सम्बन्धको और ‘अथम्’ पद ‘इदन्ता’ अथात् एतद्देश और एतत्काल सम्बन्धको बोधन करता है । इस प्रकार इस प्रतीतिमें ‘तत्ता’ ‘इदन्ता’ दोनोंका बोध होनेसे यह प्रतीति ‘प्रत्यभिज्ञा’ कहलाती है । अथात् परिचित वस्तुने पुन दानने अवसरपर पूर्ववैशिष्ट्य सहित उसकी प्रतीति ‘प्रत्यभिज्ञा’ कहलाती है । ‘प्रत्यभिज्ञा’ शब्दका ठीक हिन्दी रूप ‘पहिचान’ शब्द हो सकता है । पहिचानन भी पूर्व और वर्तमान दोनोंका सम्बन्ध प्रतीत होता है । प्रत्यभिज्ञेयौ’ पदम अहार्थमें ‘अहे कृत्यतृचच’ [अ० ३, ३, १६९] इस सूत्रने साथ

१ वाच्यप्रियावाले सस्करणमें ‘स’ पाठ नहीं है । -

२ ‘न शब्दमात्रम्’के स्थानपर ‘न सर्वं’ पाठ जि०, डी०, में है ।

इशानीं व्यङ्ग्यव्यञ्जकयो प्राधान्येऽपि यद् वाच्यवाचकावेव प्रथममुपादहते कव-
यस्तदपि युक्तमेवेत्याह—

आलोकार्थी यथा दीपशिखाया यत्नवान् जनः ।

तदुपायतया तद्बुद्धये वाच्ये तदाहृतः ॥९॥

एकवाक्यतापन्न 'अचो यत्' [अ० २, ३, १७] सूत्रसे यत् प्रत्यय हुआ है । और कृत्य प्रत्ययके योगमें 'कृत्याना कतरि वा' [अ० २, ३, ७१] सूत्रन कतामें 'महाकवे' यह पठ्ठी विभक्ति हुई है । शेष पठ्ठी मानकर 'सहृदये महाकवे सम्प्रधिनी ती शब्दार्थी प्रत्यभिज्ञेयौ' ऐसी व्याख्या करनेसे उस प्रतीय मान अर्थके प्राधान्यमें, सहृदयलोकसिद्धत्व प्रमाण है, यह बात भी व्यक्त हाती है और नियोगार्थक कृत्य [यत्] प्रत्ययके द्वारा शिक्षाक्रम अथात् कविशिखाप्रकार भी ध्वनित होता है ।

'ध्वन्यालोक'के टीकाकार श्री अभिनवगुप्तपादाचार्यके परमगुरु श्री उतलपादाचार्यका दार्शनिक सिद्धांत भी प्रत्यभिज्ञादर्शनने नामसे प्रसिद्ध है । यह प्रत्यभिज्ञादर्शन कश्मीरका विख्यात दर्शन है और उसपर बहुत बड़े साहित्यकी रचना हुई है । इस सिद्धान्तने अनुसार, इक्षरके साथ आत्माके अभेदकी 'प्रत्यभिज्ञा' करना ही परमपदका हेतु है । उतलपादाचार्यने लिखा है—

तैस्तैरप्युपयाचितैरुपनतस्तथा स्थितोऽव्यन्तिने
कान्तो लोकसमान एवमपरिज्ञातो न रतु यथा ।
लोकस्यैव तथानवेक्षितगुण स्वात्मापि विश्वेश्वरो
नैवाल निजैभवाय तदिय तत्प्रत्यभिज्ञोदिता ॥

[जिस प्रकार अनेक कामनाओं और प्रार्थनाओंसे प्राप्त और रमणीये पासम स्थित होनेपर भी जबतक वह अपने पतिजी पतिरूपमें जानती नहीं है तबतक अम्ब पुरुषाके समान होनेसे वह उसके सहवासका सुख प्राप्त नहीं कर पाती, उसी प्रकार यह विश्वेश्वर परमात्मा समस्त सृष्टारका आत्मभूत होनेपर भी जबतक हम उसकी पहिचान नहीं उसने आनन्दका अनुभव नहीं कर सकते । इसीलिए उसकी पहिचानके निमित्त यह प्रत्यभिज्ञादर्शन बनाया गया है ।] यही प्रत्यभिज्ञादर्शनका मूल सिद्धान्त है । इसी प्रकार प्रकृतमें 'यचनक्षम शब्दाथकी प्रत्यभिज्ञासे ही महाकविपद प्राप्त होता है ॥१॥

व्यङ्ग्यप्राधान्यमें वाच्यवाचकका उपादान क्यों ?

ऊपर व्यङ्ग्य अथवा प्राधाय प्रतिपादित क्रिया है परंतु कवि तो व्यङ्ग्यके पूर्व वाच्य वाचकको ही प्रहण करते हैं । वाच्यवाचकके प्रथमोपादानसे तो उनकी प्रधानता प्रतीत होती है । इस शब्दाको दूर करनेके लिए अगली कारिका है । उसका भाव यह है कि वाच्यवाचकका प्रथम उपादान उनकी प्रधानताको नहीं अपितु उनकी गौणताको ही सूचित करता है, क्योंकि उनका प्रथमोपादान तां केवल उपायभूत होनेके कारण क्रिया जाता है । उपेय प्रधान और उपाय सदा गण ही होता है ।

अब व्यङ्ग्य और व्यञ्जकका प्राधाय होते हुए भी कविगण जो पहिले वाच्य आर वाचकको ही प्रहण करते हैं यह भी ठीक ही है यह कहते हैं—

जैसे आलोक [प्रकाश अथवा 'आलोकनमात्रेण धनितायदनारविन्दादिविलोकन मित्यथ' पदार्थदर्शन]की इच्छा करनेवाला पुरुष उसका उपाय होनेके कारण दीप शिखा[के त्रियय]में यत्न करता है इसी प्रकार व्यङ्ग्यार्थमें आदरवान् कवि वाच्यार्थका उपादान करता है ॥१॥

यथा आलोकार्थी सन्नपि दीपशिखाया यत्नवान् जनो भवति, तदुपायतया । नहि दीपशिखामन्तरेण आलोक सम्भवति । तद्वद् व्यङ्ग्यमर्थं प्रत्याहतो जनो वाच्येऽर्थे यत्नवान् भवति । अनेन प्रतिपादकस्य कवेर्व्यङ्ग्यमर्थं प्रति व्यापारो दर्शित ॥९॥

प्रतिपाद्यस्यापि त दर्शयितुमाह—

यथा पदार्थद्वारेण वाक्यार्थः सम्प्रतीयते ।

वाच्यार्थपूर्विका तद्वत् प्रतिपत्तस्य वस्तुनः ॥१०॥

यथा हि पदार्थद्वारेण वाक्यार्थावगमस्तथा वाच्यार्थप्रतीतिपूर्विका व्यङ्ग्यस्यार्थस्य प्रतिपत्ति ॥१०॥

जिस प्रकार आलोकाथा होनेपर भी मनुष्य दीपशिखा [के विषय]में, उपायरूप होनेसे, [प्रथम] प्रयत्न करता है, दीपशिखाके बिना आलोक नहीं हो सकता है । इसी प्रकार व्यङ्ग्य अर्थके प्रति आदरवान् पुरुष भी वाच्यार्थमें यत्नवान् होता है । इससे प्रतिपादक [वक्ता] कविका व्यङ्ग्य अर्थके प्रति व्यापार दिखलाया ॥९॥

कारिकामें आलोक शब्द जाया है । उसका सीधा अर्थ प्रनाश होता है, परन्तु लोचनकारने 'आलोकनमालोक । वनितावदनारविन्दादिविलोकनमित्यथ ।' अथात् वनितावदनारविन्दादि किसी पदार्थ अवलोकन अथात् चाक्षुषज्ञानको 'आलोक कहते हैं, यह अर्थ किया है । किसी वस्तुको देखनेकी इच्छावाला व्यक्ति जैसे पहिले दीपशिखाका यत्न करता है । लोचनकारने साधारण प्रसिद्ध प्रनाश अर्थको छोड़कर जो योगिक अर्थ करनेका यत्न किया है उसका अभिप्राय यह है कि दीपशिखा तो प्रकाशरूप ही है इसलिए दीपशिखा और प्रनाशम भेद स्पष्ट न होनेसे उसका उपाय उपेयभाव भी स्पष्ट नहीं है । चाक्षुषज्ञान और दीपशिखाम भेद स्पष्ट है । भेदकी स्पष्टताके कारण उनमें उपाय और उपेयभाव स्पष्ट रूपसे हो सकता है । इस प्रकार वाच्यसे व्यङ्ग्यका स्पष्ट भेद और उनमें स्पष्ट उपाय उपेयभावको व्यक्त करनेके लिए ही इस प्रकारकी व्याख्या की गयी है ॥९॥

अत्र प्रतिपाद्य [वाच्यार्थ]के भी उस [व्यङ्ग्यरोधनके प्रति व्यापार]को दिखलाने के लिए कहते हैं—

जैसे पदार्थ द्वारा [पदार्थोंकी उपस्थिति होनेके बाद पदार्थसमग्ररूप] वाक्यार्थ की प्रतीति होती है उसी प्रकार उस [व्यङ्ग्य] अर्थकी प्रतीति वाच्यार्थ [के ज्ञान] पूर्वक होती है ॥१०॥

जैसे कि पदार्थ द्वारा वाच्यार्थका बोध होता है उसी प्रकार वाच्यार्थकी प्रतीति पूर्वक व्यङ्ग्यार्थकी प्रतीति होती है ।

निर्णयसागरीय सत्करणम 'प्रतिपत्तयवस्तुन पाठ है । लोचनकारने 'प्रतिपत्ति भावे विप् । तस्य वस्तुन यद्गयरूपस्य सारस्येयथ' व्याख्या की है । इसलिए लोचनविच्छेद होनेसे वह पाठ प्रामादिक है । जैसे जिस व्यक्तिको भाषा या वाक्याथपर पूरा अधिकार नहीं होता उसको पहिले पदार्थ समझने होते हैं तब वाक्याथ समझ आता है, परन्तु बिनाका भाषापर अधिकार है वे भी यद्यपि पदार्थग्रहणप्रवृत्त ही वाक्याथ ग्रहण करते हैं फिर भी वह इतनी शीघ्रतासे हो जाता है कि वहाँ कम

इत्थानीं वाच्यार्थप्रतीतिपूर्वकत्वेऽपि तत्प्रतीते, व्यङ्ग्यस्यार्थस्य प्राधान्यं यथा न विलुप्येत' तथा दर्शयति—

स्वसामर्थ्यवशेनैव वाच्यार्थं प्रथयन्नपि ।

यथा व्यापारनिष्पत्तौ पदार्थो न विभाव्यते ॥११॥

यथा स्वसामर्थ्यवशेनैव वाच्यार्थं प्रकाशयन्नपि पदार्था व्यापारनिष्पत्तौ न भाव्यते' विभक्ततया ॥११॥

तद्वत् स्वैतसा सोऽर्थो वाच्यार्थविमुखात्मनाम् ।

बुद्धौ तत्त्वार्थदर्शिन्या छटित्येवावभासते ॥१२॥

अनुभवम नहीं आता । जैसे कल्पन बहुत से पक्षे स्वरूप उभय मुद्र बुझायी जाय ता वह एक एकको क्रमसे ही भेदेगी फिर भी शीघ्रतासे प्रारण वह क्रम लजित नहीं होता, उमी प्रसार जो अत्यंत सहृदय नहीं हैं उपाका वाच्यार्थ और व्यङ्ग्यार्थ क्रमसे ही प्रतीत होते हैं । परन्तु अत्यन्त सहृदय यक्तियोंकी व्यङ्ग्यार्थी प्रतीति तुरन्त हो जाती है । वहाँ प्रतीतिम क्रम रहते हुए भी 'उपलक्ष्यत पत्रव्यतिभेदवन्लापमानं एवाव्यते ।' क्रम अनुभवम नहीं आता । इमील्लिख रसध्वनिको असम्भ्यनम व्यङ्ग्यरूपनि बहा है यह बात भी यहाँ सूचित की है ॥१०॥

अथ व्यङ्ग्यार्थकी प्रतीति वाच्यार्थके वाद् हीनेपर भी व्यङ्ग्यार्थका प्राधान्य जितमसे लुप्त न हो उह [प्रसार] दिखाते हैं—

जैसे पदार्थ अपनी सामर्थ्य [योग्यता, आकाशा, आसक्ति]से [पदार्थससर्गरूप] वाच्यार्थको प्रकाशित करते हुए भी, [अपने वाच्यार्थयोधारूप] व्यापारके पूर्ण हो जानेपर [पदार्थ] जग्य प्रतीत नहीं होता है ॥११॥

जैसे अपनी सामर्थ्य [योग्यता, आकाशा, आसक्तिरूप] से ही वाच्यार्थको प्रकाशित करनेपर भी व्यापारके पूर्ण हो जानेपर पदार्थ त्रिभक्तरूपमें अलग प्रतीत नहीं होते ॥११॥

इमी प्रसार वाच्यार्थसे विमुख [उत्ससे विप्रतिरूप परितोपको प्राप्त न करने वाले] सहृदयार्थी तत्प्रदर्शनसमर्थ बुद्धिमें वह [प्रतीयमान] अर्थ तुरन्त ही प्रतीत हा जाता है ॥१२॥

स्वसामर्थ्यवशेनैव' कारिकां स्वसामर्थ्यं अथात् पदार्थकी सामर्थ्यसे अभिप्राय वाच्यता, आकाश और आसक्तिसे है । 'वाक्यं स्याद् वाच्यताका आसक्तिमुक्त पदोच्चय ।' वाच्यता, आकाशा और आसक्तिसे युक्त पदसमूहका प्राधान्य कहते हैं । 'योग्यता नाम पदाधाना परस्परसम्बन्धे बाधाभावात् ।' पदाधान परस्पर सम्बन्धम प्राधाका अभाव 'योग्यता' है । योग्यतारहित पदसमूह वाक्य नहा होता, जैसे 'रुद्धिना सिद्धति', क्योंकि यहाँ वरिम सिद्धनकी क्षमता बाधित है । पदस्य पदा तत्प्रतिरेकप्रयुक्ता

१ विलुप्येत' वाच्यार्थार्थार्थ ।

२ 'प्रतिवाद्ययम्' वा० प्रि० ।

३ 'विभाषते' नि० ।

४ 'यत्रा(न्ता)वभासते' । (?) नि० म तृप्तिरूपम अधिक दिया है ।

एव वाच्यव्यतिरेकिणो व्यङ्ग्यस्यार्थस्य सद्भाव प्रतिपाद्य प्रकृत उपयोजयताह—

यत्रार्थः शब्दो वा तमर्थमुपसर्जनीकृतस्वार्थो ।

व्यङ्क्तः काव्यविशेषः स ध्वनिरिति सूत्रिभिः कथितः ॥१३॥

यत्रार्थो वाच्यविशेष, वाचकविशेष शब्दो वा, तमर्थं व्यङ्क्त, स काव्य-
विशेषो ध्वनिरिति । अनेन वाच्यवाचकचारुत्वहेतुभ्य उपमादिभ्योऽनुप्रासादिभ्यश्च विभक्त
एव ध्वनेर्विषय इति दर्शितम् ।

न्वयाननुभावकत्वमाकाशा ।' जिन पदोंमें एक पद दूसरे पदके बिना अन्वयबोध न करा सके वे पद
साक्षात् या आकाशायुक्त हैं । उनमें रहनेवाला धम 'आकाश' है । उसके अभावमें 'शौमश पुरुषो
हस्ती शकुनिमृगो ब्राह्मण' आदि पदसमूह वाक्य नहीं कहलाता है । दूसरे लोगोंने आकाशाका यही
लक्षण इस प्रकार किया है, 'यत्पदस्य यत्पदाभावप्रयुक्तमन्वयप्रोधाजनकत्व तत्पदत्रिणिप्रत्ययत्वमाकाशात् ।
वैशिष्ट्य चाव्यवहितपूर्ववृत्तित्वा यवहितोत्तरत्वा यतरसम्भवेन शेषम्' । 'आसत्तिस्तुद्वयनिच्छेद'
अविलम्बित उच्चारणके कारण बुद्धिके अविच्छेदको 'आसत्ति' कहते हैं । घण्टे-दो घण्टेक 'यन्धानसे
बोले गये 'देवदत्त—गाम्—आनय' आदि पद "आसत्ति"के अभावमें वाक्य नहीं कहलाते हैं । इन तीनों
धर्मोंमेंसे योग्यता साक्षात् पदाथका धर्म है, आकाशा मुख्यतः प्रोताकी जिज्ञासारूप होनेसे आत्माका
धर्म है । परन्तु यह पदार्थबोध द्वारा ही आत्मामें पैदा होती है इसलिए परम्परया, अथवा अन्वयाननु
भावकत्वरूप होनेसे 'आकाशा' साक्षात् पदार्थ धम भी है । आसत्ति पद द्वारा पदाथधम है ।

दूसरी 'तद्वत् सचेतसाम्' कारिकाके 'शब्दित्येवावमासते'से यह सूचित किया कि यद्यपि वाक्यायं
और व्यङ्ग्यार्थकी प्रतीतिमें धम अवश्य रहता है परन्तु यह लभित नहीं होता । इसलिए रसादिरूप
ध्वनि असंख्यनमयङ्गयध्वनि है, अक्रमव्यङ्ग्य नहीं ॥१०॥

इस प्रकार वाच्यार्थसे अतिरिक्त व्यङ्ग्यार्थकी सत्ता तथा प्राधान्य [सद्भाव
शब्दका सत्ता तथा साधुभाव अर्थात् प्राधान्य दोनों अर्थ हैं] प्रतिपादन करके प्रकृतमें
उसका उपयोग दिखलाते हुए कहते हैं—

जहाँ अर्थ अपनेकी [स्व] अथवा शब्द अपने अर्थको गुणीभूत करके उस [प्रतीय
मान] अर्थको अभि-यक्त करते हैं, उस वाच्यविशेषको विद्वान् लोग ध्वनि [मा-य]
कहते हैं ॥१३॥

'स्वश्वार्थश्च स्वार्थः । ती गुणीकृतो यस्या यथासख्येन, तेन अर्थो गुणीकृतात्मा, शब्दश्च
गुणीकृताभिधेय ।' 'व्यङ्क्त' यह द्विवचन इस बातका सूचक है कि व्यङ्ग्य अथवा अभि-यक्तिम शब्द
और अर्थ दोनों ही कारण होते हैं, किन्तु एक प्रधान कारण दूसरा सहायकी । 'यत्रार्थ शब्दो वा'म
पठित 'वा' पद, शब्द और अपने प्राधान्यप्रमाणे विस्मयको बोधन करता है । अभि-यक्तिमें कारण
दोनों होते हैं परन्तु प्राधान्य शब्द और अर्थमें एकता ही हाता है । इसीलिए शब्दकी चार आर्थों दो
प्रकारकी 'यज्ञना मानी गयी है और इसीलिए साहित्यदण्णकारने दोनोंकी ध्वङ्कता दिखाने
हुए लिखा है—'शब्दबोधो व्यनक्तयमं शब्दोऽप्यधान्तराथय । एकस्य व्यङ्कत्वत्वे तदन्यस्य
सहायिता ॥' सा० द० २, १८

जहाँ अर्थ वाच्यविशेष, अथवा वाचकविशेष शब्द, उस [प्रतीयमान] अर्थको
अभिधयक्त करते हैं उस काव्यविशेषको 'ध्वनिकाव्य' कहते हैं । इससे वाच्यवाचकके

यदप्युक्तम्—“प्रसिद्धप्रस्थातातिरेकिणो मार्गस्य काव्यत्वदानेर्ध्वनिर्नास्ति”, इति तदप्युक्तम् । यतो लक्षणवृत्तामेव स केवल न, प्रसिद्ध, लक्ष्ये तु परीक्ष्यमाणे स एव सहृदयहृदयाहादकारि काव्यतत्त्वम् । ततोऽन्यच्चित्रमेवेत्यग्रे दर्शयिष्याम ।

यदप्युक्तम्—“कामनीयकमनतिवर्तमानस्य तस्योक्तालङ्कारादिप्रकारेणन्तर्भाव”, इति, तदप्यसमीचीनम् । वाच्यवाचकमात्राश्रयिणि प्रस्थाने व्यङ्ग्यव्यञ्जकसमाश्रयेण व्यवस्थितस्य ध्वने कथमन्तर्भाव । वाच्यवाचकचारुत्वहेतवो हि तस्याङ्गभूता, स त्वङ्गिरूप^१ एवेति प्रतिपादयिष्यमाणत्वात् । परिकरश्लोकश्चात्र—

व्यङ्ग्यव्यञ्जकसम्बन्धनिग्रन्धनतया ध्वने ।

वाच्यवाचकचारुत्वहेत्वन्त पातिता कुत ॥

चारुत्वहेतु उपमादि और अनुप्रासादिसे अलग ही ध्वनिका विषय है यह दिखलाया ।

‘विषय’ ‘शब्द पिन् वाचने’ धातुसे बना है । ‘विशेषणं सिनोति बन्नाति स्वसम्बन्धिन पदार्थ मिति विषय’ इस ‘युत्पत्तिसे ध्वनिको वाच्यवाचकचारुत्वहेतुओंसे पृथक् अनुबद्ध कर दिया है ।

और जो यह कहा था कि ‘प्रसिद्ध [शब्दार्थशरीर काय वाले] मार्गसे भिन्न मार्गमें काव्यत्व ही नहीं रहेगा इसलिए ध्वनि नहीं है’ वह ठीक नहीं है, क्योंकि वह केवल [उन] लक्षणकारोंको ही प्रसिद्ध [ज्ञात] नहीं है, परन्तु लक्ष्य [रामायण, महाभारत प्रभृति] की परीक्षा करनेपर तो सहृदयोंके हृदयोंको आह्लादित करनेवाला काव्यका सारभूत वही [ध्वनि] है । उससे भिन्न [काव्य] चित्र [काय] ही है यह हम आगे दिखलायेंगे ।

अलङ्कारोंमें ध्वनिके अन्तर्भावका स्पष्टन

और जो यह कहा था कि यदि वह ‘रमणीयताका अतिप्रमण नहीं करता है तो उक्त [गुण, अलङ्कारादि] चारुत्वहेतुओंमें ही उस [ध्वनि] का अन्तर्भाव हो जाता है’ यह भी ठीक नहीं है । क्योंकि केवल वाच्यवाचकभावपर आश्रित मार्गके अन्दर व्यङ्ग्यव्यञ्जकभावपर आश्रित ध्वनिका अन्तर्भाव कैसे हो सकता है । वाच्यवाचक [वर्थ और शब्द] के चारुत्वहेतु [उपमादि तथा अनुप्रासादि अलङ्कार] तो उस ध्वनिके अङ्गरूप हैं और वह [ध्वनि] तो अङ्गी [प्रधान] रूप है यह आगे प्रतिपादन करेंगे । इस सम्बन्धमें एक परिकरश्लोक भी है—

ध्वनिके व्यङ्ग्यव्यञ्जकभाव सम्बन्धमूलक होनेसे वाच्यवाचकचारुत्वहेतुओं [अलङ्कारादि] में [उसका] अन्तर्भाव कैसे हो सकता है ।

कारिकामें अनुक्त परन्तु अपेक्षित अर्थको कहनेवाला श्लोक ‘परिकरश्लोक’ कहलाता है—
‘कारिकायस्य अधिकावाप कर्तुं श्लोक परिकरश्लोक । कारिकायामनुक्तस्यापेक्षितस्यायस्य आवाप प्रक्षेप त कर्तुं श्लोक परिकर ।’

ननु यत्र प्रतीयमानार्थस्य वैशद्येनाप्रतीतिः स नाम मा भूद् ध्वनेर्विषय । यत्र तु प्रतीतिरस्ति, यथा समासोक्त्याक्षेपातुक्तनिमित्तविशेषोक्तिपर्यायोक्तापह्नुतिदीपकसङ्कराल-
ङ्कारादौ, तत्र ध्वनेरन्तर्भावो भविष्यति, इत्यादि निराकर्तुमभिहितम् “उपसर्जनीकृत-
स्वार्थौ” इति । अर्थो गुणीकृतात्मा, गुणीकृताभिधेय शब्दो वा यत्रार्थान्तरमभिव्यनक्ति
स ध्वनिरिति । तेषु कथं तस्यान्तर्भावः । व्यङ्ग्यप्राधान्ये हि ध्वनिः । न चैतत् समासो-
क्त्यादिष्वस्ति ।

समासोक्तौ तावत्—

उपोढराणेण विलोलतारक तथा गृहीत शशिना निशामुसम् ।

यथा समस्त तिमिराशुक तथा पुषेऽपि रागाद् गलित न लक्षितम् ॥

यदि कोई यह कहे कि [ननु] जहाँ प्रतीयमान अर्थकी स्पष्ट रूपसे प्रतीति नहीं होती वह ध्वनि [के अन्तर्भावका] का विषय न माना जाय तो न सही, परन्तु जहाँ [उसकी] प्रतीति होती है, जैसे समासोक्ति, आक्षेप, अनुक्त निमित्त विशेषोक्ति, पर्यायोक्त, अपह्नुति, दीपक तथा सङ्कर आदि अलङ्कारोंमें, वहाँ ध्वनिका अन्तर्भाव ही जायेगा । इस मतके निराकरणके लिए पिछली कारिकामें कहा है, “उपसर्जनीकृत स्वार्थौ” । जहाँ अर्थ अपनेको अथवा शब्द अपने अर्थको गुणीभूत करके अर्थान्तर [प्रतीयमान] को अभिव्यक्त करते हैं उसको ध्वनि कहते हैं । उन [समासोक्ति आदि अलङ्कारों] में उस [ध्वनि] का अन्तर्भाव कैसे होगा ? व्यङ्ग्यवार्थकी प्रधानतामें ध्वनि [काय] होता है । समासोक्ति आदिमें यह [व्यङ्ग्यवार्थका प्राधान्य] नहीं है ।

समासोक्तिमें ध्वनिके अन्तर्भावका निषेध

समासोक्तिमें तो—

सन्ध्याकालीन आरुण्यको धारण किये हुए [दूसरे पक्षमें प्रेमोन्मत्त] शशी [अर्थात् चन्द्र, पक्षान्तरमें पुँह्लिङ्ग शशी पदसे व्यङ्ग्य नायक] ने निशा [रात्रि, पक्षान्तरमें स्त्रीलिङ्ग निशा शब्दसे नायिका] के चञ्चल तारोंसे युक्त [तारक नक्षत्र, पक्षान्तरमें नायिकाके चञ्चल कलीनिश्याले] मुख [प्रारम्भिक अग्रभाग प्रदोषकाल, अन्यत्र अन्त] को [सुष्यन करनेके लिए] इस प्रकार ग्रहण किया कि राग [सन्ध्याकालीन अरुण प्रकाश, पश्चात्तरमें नायकके स्पर्शसे समुद्भूत अनुरागातिशय] के कारण सारा तिमिर-
रूप वस्त्र गिर जानेपर भी उसे [निशा तथा नायिकाको] दिखलायी नहीं दिया ।

यह समासोक्ति अलङ्कारका उदाहरण है । भामहने समासोक्ति का लक्षण निम्नलिखित प्रकार किया है—

‘यत्रात्तौ गम्यतऽन्याऽथस्तत्समानैर्विशेषणौ ।

या समासोक्तिरुदिता सन्निताथतया बुधै ॥” भामह २, ७९

जिस उक्तिमें, समान विशेषणोंके कारण प्रस्तुतसे अन्य अर्थकी प्रतीति हो उस उक्तिको [संक्षेपमें] सन्निताथ होनेसे [एक साथ प्रकृत और अपकृत दोनोंका वणन करनेसे] समासोक्ति कहते हैं । उपरके उदाहरणमें सन्ध्याकालमें चन्द्रोदयका वणन कवि कर रहा है । उसमें निशा और शशीका

आक्षेपोक्तिसामर्थ्यादेव ज्ञायते । तथाहि^१ तत्र शब्दोपारूढो^२ विशेषाभिधानेच्छया प्रतिषेध रूपो य आक्षेप स एव व्यङ्ग्यविशेषमाक्षिपन् मुख्य काव्यशरीरम् ।

चारुत्वोत्कर्षनिवन्धना हि वाच्यव्यङ्ग्ययो प्राधान्यविवक्षा । यथा—

अनुरागवती सन्ध्या दिवसस्तपुरःसर ।

अहो दैवगति कीटक तथापि न समागम ॥

अत्र सत्यामपि व्यङ्ग्यप्रतीतौ वाच्यस्यैव चारुत्वमुत्कर्षवदिति तस्यैव प्राधान्यविवक्षा ।

भी वाच्यका ही चारुत् [रुत प्राधान्य] है । क्योंकि आक्षेपवचनके सामर्थ्यसे ही प्रधानत वाच्यार्थ प्रतीत होता है । क्योंकि यहाँ [आक्षेपालङ्कारमें] विशेषके बोधनकी इच्छासे शब्दापात्त प्रतिषेधरूप जो आक्षेप है, यही व्यङ्ग्यविशेषका आक्षेप करता हुआ मुख्य काव्यशरीर है ।

चारुत्वोत्कर्ष ही प्राधान्यका नियामक है

चारुत्वसे उत्कर्षमूलक ही काव्य आर व्यङ्ग्यका प्राधान्य विवक्षित होता है । जैसे—

सन्ध्या [नामक या रूपिणी नायिका] अनुराग [अथात् सन्ध्याकालीन लालिमा, पश्चान्तरमें प्रेम] से युक्त है और दिवस [नामक या रूप नायक] उसके सामने [स्थित ही नहीं 'पुर सरति गच्छति इति पुरःसर'] बड़ रहा है [सामने आ रहा है] । ओह, दैवकी गति कैसी [विलक्षण] है कि फिर भी [उनका] समागम नहीं हो पाता !

यहाँ [नायिकाव्यवहाररूप] व्यङ्ग्यकी प्रतीति होनेपर भी वाच्यका ही चारुत्व अधिक होनेसे उसकी ही प्रधानता विवक्षित है ।

यहाँ वामने मते आक्षेपालङ्कार और भामहके मते समासोक्ति अलङ्कार है इस बातको ध्यानमें रखकर समासोक्ति और आक्षेपका सम्मिलित यह उदाहरण प्रयत्न करने दिया है । वास्तवमें यहाँ समासोक्ति है या आक्षेप यह विचारणीय प्रश्न नहीं है । यहाँ चाहे समासोक्ति हो या आक्षेप, उससे कुछ हानि लाभ नहीं है । प्रकृत बात तो इतनी ही है कि अलङ्कारस्थलमें व्यङ्ग्य सर्वथा वाच्यमें गुणीभूत हो जाता है इसलिए व्यङ्ग्यका प्राधान्य न होनेसे उसे ध्वनिकाव्य नहीं कह सकते हैं अतः ध्वनिसे अलङ्कारोंमें अन्तभूत होनेका प्रश्न ही नहीं उठता ।

चारुत्वोत्कर्षमूलक दीपक और अपह्नुतिव्यवहार

दीपकना लक्षण वाच्यप्रकाशनारने 'सङ्कट्टित्तस्तु धर्मस्य प्रकृताप्रकृतात्मनाम् । सेव त्रियासु यद्दीपु कारकत्वेति दीपकम् ॥' किया है, जिसका अभिप्राय यह है कि प्रकृत और अप्रकृत अनेक पदार्थों में एक धमका सम्बन्ध वर्णन करना अथवा अनेक क्रियाओंमें एक ही कारकका सम्बन्ध वर्णन करना दीपकालङ्कार है । लोचनारने भामह [० १५]के अनुसार 'आदिमव्या' तवियय त्रिधा दीपकमिष्यते ।' दीपकक तीन भेद क्रिय हैं, और उसका निम्नलिखित उदाहरण दिया है—

१ दी०, नि० 'तथाहि' इतना पाठ नहीं है ।

२ 'शब्दोपारूढरूपो' नि० ।

यथा च दीपकापहृत्यादौ व्यङ्ग्यत्वेनोपमाया प्रतीतावपि प्राधान्येनाविवक्षितत्वात्
तथा व्यपदेशस्तद्वदनापि द्रष्टव्यम् ।

‘मणि शानोह्रीढ समरविजयी हेतिदलित
कलाशेषश्च द्र सुतमृदिता बालललना ।
मदक्षीणो नाग, शरदि सरिदाश्वानपुलिना
तनिम्ना शोभन्ते गलितविभवाश्चार्यिषु जना ॥’

यहाँ याचकोंको दान देकर क्षीणविभव पुरुष प्रकृत हैं और शानोह्रीढ मणि, शर्रोंसे दलित युद्धविजयी वीर, कलावशिष्ट च द्रमा, सुतमृदिता बाल ललना, मदक्षीण हाथी, शरत्कालमें क्षीणकाय नदी ये सब अपकृत हैं । उन सबके साथ ‘तनिम्ना शोभन्ते’—‘कृशतासे शोभित होते हैं’, इस एक धर्मका सम्बन्ध बणित होनेसे यह दीपकालङ्कारका उदाहरण हुआ । इस दीपकालङ्कारमें बर्णित प्रकृत और अपकृतम परस्पर उपमेयोपमानभाव व्यङ्ग्य होता है । इस प्रकार उपमा व्यङ्ग्य होनेपर भी दीपनकृत ही चारुत्वके कारण दीपकालङ्कार ही प्रधान होता है । इसलिए वहाँ उपमालङ्कार न कहलाकर, दीपकालङ्कार ही कहलाता है ।

इसी प्रकार अपहृति अलङ्कारका लक्षण भामह्वे अनुसार निम्नलिखित प्रकार है—‘अपहृतिर
भीष्टम्य किञ्चिदन्तगतोपमा ।’ भामह ३, २१ । उसका उदाहरण है—

‘नेत्र विरौति भृङ्गाली मदेन मुखरा जुहु ।

अयमाकृष्यमाणस्य कर्दपधनुषो ध्वनि ॥’ भामह ३, २२

यह मदके कारण वाचाल भ्रमरपत्ति नहीं गँज रही है अपितु यह चढाये जाते हुए कामदेवने धनुषनी ध्वनि है । यहाँ भी भृङ्गजुञ्जन और मदनचापध्वनिमें उपमेयोपमानभाव व्यङ्ग्य होनेसे उपमालङ्कार व्यङ्ग्य है । परन्तु प्राधान्य उपमाका नहीं, अपहृतका ही है इसलिए इसको उपमालङ्कार नहीं अपितु अपहृति अलङ्कार ही कहते हैं । यही बात मूल ग्रन्थम कहते हैं—

और जैसे दीपक तथा अपहृति इत्यादिमें व्यङ्ग्यस्वरूपसे उपमाकी प्रतीति होनेपर भी [उपमाकृत चारुत्वोत्कर्ष न होनेसे] प्राधान्य विवक्षित न होनेसे उपमा नामसे व्यवहार नहीं होता इसी प्रकार यहाँ भी समझना चाहिये ।

अथात् समासोक्ति, दीपक, अपहृति आदिमें व्यङ्ग्यरूपसे उपमाकी प्रतीति होनेपर भी उसका प्राधान्य विवक्षित न होनेसे वहाँ उपमा व्यवहार नहीं होता । अथात्, व्यङ्ग्यकी प्रधानतामें ही ध्वनि व्यवहार होता है । अतः प्रधान होनेपर यह अलङ्कारादिमें अन्तर्भूत नहीं होता है ।

विशेषोक्तिमें ध्वनिके अन्तर्भावका निषेध

साहित्यदणकारने विशेषोक्तिका लक्षण किया है, ‘सति हेतौ फलभावे विशेषोक्ति’ [सा० द० १०, ६७] । काव्यप्रकाशकारने इसी बातको या कहा—‘विशेषोक्तिरसच्छेपु कारणेषु फलावच’ [का० प्र० १०, १०८] अथात् कारणसामग्री होनेपर भी वाच्य न होना विशेषोक्ति कहलाता है । भामहने उसका लक्षण, ‘एकदेशस्य निगमे वा गुणांतरसत्पुति । विद्याप्रथनावासी विशेषोक्तिरिति स्मृता ॥’ [भामह ३, २२] किया है । यह विशेषोक्ति तीन प्रकारकी होती है—उक्तनिमित्ता, अनुवतनिमित्ता और अचिन्त्यनिमित्ता । इन तीनों भेदोंमेंसे अचिन्त्यनिमित्ता और उक्तनिमित्ता भेदोंमें तो व्यङ्ग्यकी सत्ता ही नहीं होती है । अचिन्त्यनिमित्ताका उदाहरण है—

अनुक्तनिमित्तायामपि विशेषोक्तौ—

आहूतोऽपि सहायैः, ओमित्युस्त्वा विमुक्तनिद्रोऽपि ।

गन्तुमना अपि पथिक सङ्कोच नैव शिथिलयति ॥

इत्यादौ व्यङ्ग्यस्य प्रकरणसामर्थ्यात् प्रतीतिमात्रम् । न तु तत्प्रतीतिनिमित्ता काचिच्चरुत्वनिष्पत्तिरिति न प्राधान्यम् ।

‘एकस्त्रीणि जयति जगन्ति कुसुमायुध ।

हरतापि तनु यस्य शम्भुना न हर्त वल्म् ॥”

शिवजीने जिसक शरीरको ‘भ्रम’ करके भी वल्गो हरण नहीं किया वह कामदेव अनेका ही लोनों को नानो जीत लेता है । इस अचिन्त्यनिमित्ता विशेषोक्तिम तो यह्य है ही नहीं । उक्तनिमित्ता का उदाहरण है—

“ऋपूर इव दग्धोऽपि शक्तिमान् यो जने जने ।

नमोऽस्त्वद्यार्यवीयाय तस्मै मन्त्रकेतने ॥”

इस उक्तनिमित्ता विशेषोक्तिम भी व्यङ्ग्यके सद्भावकी शङ्का नहा है । इसलिए प्रथमकारन विशेषोक्तिसे इन दोना भेदोंको छोडकर केवल अनुक्तनिमित्ता विशेषोक्तिका उल्लेख किया है और उसका उदाहरण दिया है । ‘आहूतो’ साधियों द्वारा बुलाये जानेपर भी, हों कहकर जाग जानेपर भी और जानेका इच्छा रहनेपर भी पथिक सङ्कोचको नहा छोड रहा है । यहाँ सङ्कोच न छोडनेका निमित्त उक्त न हानेसे अनुक्तनिमित्ता है । निमित्तके अनुक्त होनेपर भी वह अचिन्त्य नहीं है, उसकी कल्पना की जा सकती है । भट्टाद्भटने शीतके आधिक्यको उसका निमित्त माना है और अन्य रसिक व्याख्याता यह कल्पना करते हैं कि पथिक, गमनकी अपेक्षा भी स्वप्नको प्रियासमागमका सुकर उपाय समझकर स्वप्न लोभसे सङ्कोच नहा छोड रहा है, सिमटे सिमटाये साठगर पडा ही हुआ है । इन दोनोंमेंसे चाहे कोड भी निमित्त कल्पना करो परंतु वह निमित्त चाक्षुषहेतु नहीं है अपितु अभियुक्तमान निमित्तसे उपट्टत विशेषोक्तिभागके ही चमत्कारजनक होनेसे यहाँ भी ध्वनिका अन्तभाव अलङ्कारके अतर्गत माननेका अवसर नहीं है । इस प्रकार भट्टाद्भट और अन्य रसिकजन, दोनोंके अभिप्रायको मनमें रलकर ही प्र यनरने इसपर वृत्ति लिंगी है ।

अनुक्तनिमित्ता विशेषोक्तिमें भी—

साधियों द्वारा पुकारे जानेपर भी, हों कहकर जाग जानेपर भी और जानेकी इच्छा होनेपर भी पथिक सङ्कोचको नहीं छोड रहा है ।

इत्यादि [उदाहरण]में कारणवशा व्यङ्ग्यकी केवल प्रतीति होती है । किन्तु उस प्रतीतिके कारण कोई सौन्दर्य उत्पन्न नहीं होता, इसीलिए उसका प्राधान्य नहीं है ।

पर्यायोक्तम् ध्वनिके अन्तर्भावका निषेध

पयायोक्तका लक्षण भामहन इस प्रकार किया है—

“पयायोक्तं यद येन प्रकारेणामिधीयते ।

वाच्यराचकवृत्तिभ्या शून्येनागमात्मना ॥” भामह ३, ८

कायप्रनाशकार और साहित्यदपणकार आदिने भी पयायोक्तसे इसी प्रकारके लक्षण किये हैं—

पर्यायोक्तेऽपि यदि प्राधान्येन व्यङ्ग्यत्व तद् भवतु नाम तस्य ध्वनावन्तर्भाव ।

‘पयायोक्त यदा भङ्ग्या गम्यमेवामिधीयते ।’ सा० द० १०, ६०

‘पयायोक्त विना वाच्यवाचकत्वेन यद् वच ।’ का० प्र० १०, ११५

पयायेण प्रकारान्तरेण, अवगमात्मना व्यङ्ग्येन उपलक्षितं सद्, यदमिधीयते तदमिधीयमानम् उक्तं सत् पयायोक्तम् ।’ यह पर्यायोक्त शब्दका अर्थ है । इसका अभिप्राय हुआ कि जहाँ प्रकारान्तर अर्थात् व्यङ्ग्यरूपसे अग्रगत अथको ही अभिप्राय कहा जाय वहाँ पयायोक्त अलङ्कार होता है । जैसे—

“गुच्छेददृष्टेच्छस्य मुनेरुत्पयगामिन ।

रामस्यानेन धनुषा देहिता धर्मदेशना ॥”

मुनिके लिए शत्रुभाव रचना ही अनुचित है । फिर उस शत्रुके उच्छेद या विनाशकी बात सोचना और भी अनुचित है । उसकी भी द्रष्टिमा—आग्रह अत्यन्त अनुचित है । इसलिए शत्रुके विनाश के लिए वृत्तसङ्कल्प अतएव उ मार्गागामी परशुराम—भागव—मुनिको भीष्मके इस धनुषने अपने धम पालनकी शिक्षा दे दी । यहाँ भीष्मकी शक्ति मार्गव परशुरामकी शक्तिसे अधिक है । भीष्मने परशुराम को परपलित कर दिया यह व्यङ्ग्य अर्थ है, उसीको ‘देहिता धर्मदेशना’के शब्दोंसे अभिप्राय बोधन किया गया है, इसलिए यह पयायोक्त अलङ्कारका उदाहरण है । यहाँ ‘यङ्ग्य अर्थकी प्रतीति तो है परन्तु वह प्रधान नहीं है अपितु वाच्यको ही अलङ्कृत करती है । अतएव यहाँ ध्वनि नहीं है ।

मामहने पर्यायोक्तका उदाहरण निम्नलिखित दिया है—

“श्रेयध्वमु वा नान भुञ्जते यदधीतिन ।

विप्रा न भुञ्जते तच्च रसदाननिवृत्तये ॥” मामह ३, ९

यह कृष्णकी शिशुपालके प्रति उक्ति है । उसका भाव यह है कि ‘अधीती—ब्राह्मण लोग जिस अनको नहीं खाते उसे हम न घरपर खाते हैं और न मागमें अर्थात् यात्रामें ।’ अर्थात् घरपर ही या बाहर, हम विद्वान् ब्राह्मणको खिलानेके बाद ही भोजन करते हैं । यहाँ विपदाननिवृत्ति व्यङ्ग्य है । जैसा कि उन्होंने स्वयं कहा है—‘तच्च रसदाननिवृत्तये ।’ रस शब्दका अर्थ यहाँ विप है । ‘शृङ्गारादौ विपे धीर्ये गुणे रागे द्रवे रस’ इति कोप । मामहप्रदत्त इस उदाहरणमें रसदाननिवृत्ति व्यङ्ग्य है परन्तु उससे कोई चारुत्व नहीं आता, इसलिए उसका प्राधान्य नहीं है अपितु विप्राको भोजन कराये दिना भोजन न करना यह जो वाच्यार्थ है वही पयाय अर्थात् प्रकारान्तरे उक्त होकर भोजनाथको अलङ्कृत करनेसे पयायोक्त अलङ्कारका उदाहरण बनता है ।

मामहने जो उदाहरण दिया है उसमें व्यङ्ग्यकी प्रधानता न होनेसे ध्वनिका अवसर नहीं है परन्तु पयायोक्त अलङ्कारके इस प्रकारके उदाहरण मिल सकत हैं जहाँ व्यङ्ग्यका प्राधान्य हो । उस दशम उक्त हम ध्वनिवाच्यने दूसरे भेद अलङ्कारध्वनिका उदाहरण मानेंगे । परन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि ध्वनिका अलङ्कारोंमें अन्तर्भाव हो गया अपितु धस्तुत अलङ्कारका ध्वनिमें अन्तर्भाव कहा जा सकता है । क्योंकि ध्वनि ता मगविषय—व्यापक है, इस प्रकारके पयायोक्तके व्यङ्ग्यप्रधान उदाहरणोंको छोड़कर अन्त भी ध्वनि रहता है इसलिए महाविषय—व्यापक होनेसे ध्वनिका अन्त भाव अलङ्कारमें नहा माना जा सकता है । व्यङ्ग्यप्रधान पयायोक्तका उदाहरण ‘भ्रम धार्मिक’ इत्यादि पृवादाहृत श्लोक हो सकता है । मूल ग्रन्थकी पक्षियाका अनुवाद इस प्रकार है—

पर्यायोक्त अलङ्कार [क ‘भ्रम धार्मिक’ सदृश व्यङ्ग्यप्रधान उदाहरणा] में भा यदि व्यङ्ग्यकी प्रधानता हो तो उस [अलङ्कार] का ध्वनि [अलङ्कारध्वनि] में

न तु ध्वनेस्तत्रान्तर्भावः । तस्य महाविषयत्वेन, अङ्गित्वेन च प्रतिपादविषयमाणत्वात् ।
न पुन पर्यायोक्ते भामहोदाहृतसदृशे व्यङ्ग्यस्यैव प्राधान्यम् । वाच्यस्य तत्रो-
पसर्जनीभावेनाविषयित्वात् ।

अपह्नुतिदीपकयोः तुनर्वाध्यस्य प्राधान्यं व्यङ्ग्यस्य चानुयायित्वं प्रसिद्धमेव ।

अन्तर्भाव किया जा सकता है, न कि ध्वनिका उस [अलङ्कार] में । क्योंकि ध्वनि तो महाविषय और अङ्गी अर्थात् प्रधानरूपसे प्रतिपादित किया जायगा ।

परन्तु भामह द्वारा उदाहृत [पृ० ४५ पर दिये हुए 'गृहेष्वध्यसु'] जैसे [पर्यायोक्तके] उदाहरणमें तो व्यङ्ग्यका प्राधान्य ही नहीं है । क्योंकि वहाँ वाच्यका गौणत्व विषयित नहीं है [अर्थात् वाच्य ही प्रधान है । अतः उसे ध्वनि नहीं कहा जा सकता है ।

अपह्नुति और दीपकमें अन्तर्भावका निषेध

अपह्नुति तथा दीपकमें वाच्यका प्राधान्य और व्यङ्ग्यका वाच्यानुगामित्वं प्रसिद्ध ही है ।

अपह्नुति और दीपकके विषयमें प्रथकार रूपसे पूर्व भी लिख चुन हैं । पर वह तो केवल प्रासङ्गिक रूपमें किया गया है कि, दीपकादिमें उपमाकी प्रतीति होनेपर भी उसके द्वारा चारुत्व न होनेके कारण उपमाका व्यवहार वहाँ नहीं होता । वहाँ उनका वर्णन उद्देश्यक्रमसे प्राप्त है । अर्थात् पीछे 'यत्र तु प्रतीतिरस्ति, यथा समासोक्ति आक्षेप अनुक्तनिमित्तविशेषोक्ति पयायोक्ति अपह्नुति दीपक-सङ्करालङ्कारादी' इस पक्षमें पयायोक्तके बाद अपह्नुति और दीपकका नामोल्लेख किया था । अतएव पर्यायोक्तके बाद उनका वर्णन क्रमप्राप्त होनेसे वहाँ उनका उल्लेख करना आवश्यक था ।

सङ्करालङ्कारमें अन्तर्भावका निषेध

आगे सङ्करालङ्कारका वर्णन किया है । सङ्करालङ्कारके नवीन लोगोंने तीन भेद माने हैं— अङ्गाङ्गिमाषसङ्कर, एकाभयानुपवेशसङ्कर और सन्देहसङ्कर । भामह आदिने एकाभयानुपवेशको दो भागोंमें विभक्त कर दिया है— एकवाक्यानुषतन और एकवाक्याशसमावेशरूप । इस प्रकार मट्टोद्भटके अनुसार सङ्करके चार भेद हो गये । इनके लक्षण भामहने और उनके उदाहरण भामह विवरणकार मट्टोद्भटने निम्नलिखित प्रकार दिये हैं—

“विरुद्धालङ्कारियोल्लेखे सम तद्वृत्त्यसम्भवे ।

एकस्य च प्रदे न्यायदोषाभावे च सङ्कर ॥”

विरुद्ध अलङ्कारोंका वर्णन होनेपर, उनकी एक साथ शिति असम्भव होने और किसी एकच माननेमें युक्ति या दोष न होनेपर सन्देहसङ्कर अलङ्कार होता है । इसका उदाहरण लोचनकारने अपना निम्नलिखित श्लोक दिया है—

“शशिवदनाऽखितसरसिम्बनयना शिवकुमुदमदनपक्षिरियम् ।

गगनजलस्थलसम्भवद्वयाकारा शृता विधिना ॥”

चंद्रमुती, कृष्णकमलनयनी और शुभ्रकुमुदमदन्ती इस सुन्दरीको विधाताने गगन, जल और स्थलसे उत्पन्न मनोहर आकारवाली बनाया है । इसमें 'मयूर'पसकादयश्च' [अ० ०, १, ७२] इस

सूत्रसे 'शशी एव वदन यस्या सा शशिवदना' ऐसा समास माननेसे रूपक, और 'उपमित व्याघ्रादिभि सामायाप्रयोगे' [अ० २, १, ५६] इस सूत्रसे 'शशिवद् वदन यस्या' यह समास माननेसे उपमा होती है। श्लोकमें 'शशिवदना' आदि तीन विशेषण दिये हैं। ये तीनों क्रमशः गगन, जल और स्थलसे सम्बद्ध होनेसे 'शशिवदना' पद गगनसम्भवत्व, 'असितसरसिजनयना' पद जलसम्भवत्व और 'सितकुसुमदशन पति' पद स्थलसम्भवत्वको बोधन करते हैं। इस प्रकार मानो विधाताने उस नायिकाको गगन, जल और स्थल तीनोंसे बनाया है, यह श्लोकका भाव है। इसमें उपमा और रूपकमसे क्या माना जाय उसका कोई निगायक विनिगमरू हेतु न होनेसे यहाँ तमूलक सदेहसङ्कर अलङ्कार है। इसलिए यहाँ कौन वाच्य है और कौन व्यङ्ग्य है इसका ही जब निर्णय नहीं है तब उसकी प्रधानता या गौणताका प्रश्न ही नहीं उठता।

सङ्करका दूसरा भेद एनाश्रयानुप्रवेशसङ्कर है। भद्रोऽन्तने इसके दो भेद कर दिये हैं—एक वाक्यानुप्रवेश और एकवाक्याशानुप्रवेश। इन दोनों भेदोंका वर्णन और लक्षण भामहने निम्नलिखित प्रकार किया है—

“गदार्थन्त्यलङ्कारा वाक्य एकत्र वर्तिन ।

सङ्करश्चेकवाक्यानाप्रवेशाद्वाभिधीयते ॥” भामह ३, ४८

जहाँ शब्दवर्ती तथा अर्थवर्ती, अर्थात् शब्दालङ्कार तथा अर्थालङ्कार दोनों एक ही वाक्यमें स्थित हों वहाँ एकवाक्यप्रवेश अथवा एकवाक्याशानुप्रवेश भेदसे दो प्रकारका सङ्कर अलङ्कार होता है। इन दोनोंके उदाहरण निम्नलिखित प्रकार हैं—

“सर सरमिव प्रिय रमयसे यमालिङ्गनात्”

कामदेवके समान जिस प्रियको आलिङ्गनसे रमण कराती हो, उसको सरण-करो। यहाँ 'सर सर' पदकी आवृत्तिसे यमकरूप शब्दालङ्कार और 'सरमिव' इस उपमारूप अर्थालङ्कारका एकाश्रयानुप्रवेशरूप सङ्कर है। यहाँ प्रतीयमानकी शङ्काका भी अवसर नहीं है, उसके गुणप्रधान भावका निणय तो दूर रहा। इसका दूसरा उदाहरण है—

“तुल्योदयावसानत्वाद् गतेऽस्तं प्रति मास्वति ।

वासाय वासर क्लान्तो विशतीव तमोगुहाम् ॥”

सूर्य और वासर [दिन] दोनों तुल्योदयावसान हैं, दोनोंका उदय और अस्त साम-साप होता है। इसलिए जब सूर्य अस्त होने लगा तो मानो खिन्न होकर वासर भी तमोगुहामें प्रविष्ट था हो जाता है। यह इस श्लोकका भाव है। यहाँ 'विशतीव' यह उत्प्रेषा अलङ्कार है और 'तमोगुहाम्' यह एक देशविवर्ति रूपक है। यहाँ सूर्य स्वामी और वासर सेवक है। सूर्यका अस्त स्वामिविपत्ति और वासरका तमोगुहाप्रवेश स्वामिविपत्तिसमुचितव्रतग्रहणरूप है। परन्तु इन सबका आरोप नहीं किया है, केवल तमपर गुहाका आरोप है इसलिए यह एकदेशविवर्ति रूपक है। इस प्रकार यहाँ रूपक और उत्प्रेषा दोनों समान रूपसे वाच्य होनेसे उनमें गुण-प्रधानभाव ही नहीं है।

सङ्करका चौथा भेद अज्ञानिभावसङ्कर है। उसका लक्षण और उदाहरण निम्नलिखित है—

“परस्परारकारेण यत्रालङ्कृतय स्थिता ।

स्वातन्त्र्येणात्मलाभं नो लभन्ते सोऽपि सङ्कर ॥” भामह ३, ८८

जहाँ अनेक अलङ्कार परस्परारोपकारक भावसे स्थित हों, स्वातन्त्र्यसे नहीं, वह भी [अज्ञानिभाव] सङ्कर हाता है जैसे—

सङ्करालङ्कारेऽपि यदालङ्कारोऽलङ्कारान्तरच्छायामनुगृह्णाति, तदा व्यङ्ग्यस्य प्राधान्ये-
नाविबक्षितत्वात् ध्वनिविषयत्वम् । अलङ्कारद्वयसम्भावनायान्तु वाच्यव्यङ्ग्ययो सम
प्राधान्यम् । अथ वाच्योपसर्जनीभावेन व्यङ्ग्यस्य तत्रावस्थानं^१ तदा सोऽपि ध्वनि-
विषयोऽस्तु, न तु स एव ध्वनिरिति वक्तुं शक्यम्, पर्यायोक्तनिर्दिष्टन्यायात् । अपि च
सङ्करालङ्कारेऽपि च क्वचित् सङ्करोक्तिरेव ध्वनिसम्भावना निराकरोति^२ ।

“प्रवातनीलोत्पलनिर्गोप अधीरविप्रेक्षितमायताक्ष्या ।
तथा गृहीतनु मृगाङ्गाभ्यन्ततो गृहीतनु मृगाङ्गाभि ॥”

यह 'नुमारसम्भव' [१, ४६] का लक्षण है। उस आयताभी पावतीने प्रवात—तज हवास
चञ्चल नीलकमलने समान अधीर दृष्टि क्या मृगास ली अथवा मृगोंने उस पावतीसे ली ? यह
कालिदासने इस श्लोकका भाव है। अथात् उसनी दृष्टि हरिणीकी दृष्टिसे समान चञ्चल है। इस
प्रकार यहाँ उपमा अलङ्कार 'यङ्ग्य है और सन्देहालङ्कार वाच्य है। परन्तु 'यङ्ग्य उपमा वाच्य
सन्देहालङ्कारकी ही चारुत्वोत्कर्ष प्रदान कर अनुगृहीत करती है। उसका पर्यवसान स देहकी पुष्टिम ही
होता है इसलिए वह गुणभूत है और उपमाजनित चमत्कृतिम म दह साहाय्य करता है इसलिए
दोनोंका परस्पर अङ्गाङ्गिभाव है।

इस प्रकार सङ्करके चारों भेदोंमेंसे बीचके दो भेदोंम तो 'यङ्ग्यकी सम्भावना ही नहीं है। चतुर्थ
अङ्गाङ्गिभाव सङ्करमें और प्रथम सन्देहसङ्करमें 'यङ्ग्यकी सम्भावना हो सकती है, परन्तु वहाँ भी
व्यङ्ग्यका प्राधान्य निश्चित न होनेसे ध्वनि'यवहार नहीं हो सकता। इसी बातको ग्रन्थकार आगे
कहते हैं—

सङ्करालङ्कारमें भी जहाँ एक अलङ्कार दूसरेकी छाया [सौन्दर्य] को पुष्ट [अनु-
गृहीत] करता है [अर्थात् अङ्गाङ्गिभावरूप चतुर्थ भेदमें] वहाँ व्यङ्ग्यका प्राधान्य
निश्चित न होनेसे वह ध्वनिका विषय नहीं है। [सन्देहसङ्कररूप प्रथम भेदमें] दो
अलङ्कारोंकी सम्भावना होनेपर तो वाच्य ओर व्यङ्ग्य दोनोंका समप्राधान्य होता
है। [अतः वहाँ भी ध्वनिकी सम्भावना नहीं है] और यदि वहाँ [अङ्गाङ्गिभावसङ्कर
लङ्कारमें] व्यङ्ग्य वाच्यके उपसर्जनीभाव [गोणरूप] से स्थित हो तब तो वह भी
ध्वनि [अलङ्कारध्वनि] का विषय हो सकता है, न कि केवल वही ध्वनि है, पर्यायोक्त,
निर्दिष्ट न्यायसे। और एक बात यह भी है कि सङ्करालङ्कारमें सर्वत्र सङ्कर शब्दका
प्रयोग ही ध्वनिसम्भावनाका निराकरण कर देता है।

हैं अनुच्छेदके अन्तमें प्रयुक्त 'सङ्करालङ्कारे पि च क्वचित् इसनी वारंवार करते समय
'क्वचिदपि सङ्करालङ्कारे' इस प्रकार अन्वय करना चाहिये। उसमें भी 'क्वचिदपि'का अर्थ सवन
होगा। 'क्वचिदपि सङ्करालङ्कारे'का अर्थ हुआ कि सङ्करालङ्कारमें सवन अथात् सङ्करालङ्कारने सभा
भेदास सङ्कर शब्दका प्रयोग उनकी सङ्गीतताका प्रतिपादक है। वहाँ यदि किसी एककी प्रधानता
हो जाय तो फिर सङ्कर ही कहाँ रहेगा ? इसलिए सङ्कर शब्दका प्रयोग ही वहाँ 'यङ्ग्यप्राधान्यरूप
ध्वनिका निराकरण कर देता है। फिर भी यदि आप—

१ 'तत्रापि 'यवस्थानम्' नि०, ३।

२ 'सङ्करालङ्कारस्य सङ्करोक्तिरेव ध्वनिसम्भावना करोति' नि० ।

“न भवति गुणानुराग एताना केवल प्राप्तादुत्तरात् ।

क्विल प्रस्नोति शशिमणि चद्रे न प्रियामुखे दृष्टे ॥”

केवल प्रसिद्धि चाहनेवाले दुष्टों को गुणोंसे प्रेम नहीं होता । चन्द्रकान्तमणि चन्द्रमाको देखकर तो द्रवित हो जाता है, प्रियाके मुग्धको देखकर नहा । यहाँ शशिमणि अर्थात् ‘चन्द्रकान्तमणि चन्द्रमाको देख कर द्रवित होने लगता है परन्तु चन्द्रसे भी अधिक सुन्दर प्रियामुखको देखकर द्रवित नहीं होता’ इस विशेष उदाहरणसे ‘प्रसिद्धिमात्र चाहनेवाले दुष्टों को गुणोंसे अनुराग नहीं होता’ इस सामान्य नियमका समर्थन करनेसे अयान्तरन्यास अलङ्कार वाच्य है । और प्रियामुख चन्द्रसे भी अधिक सुन्दर है यह व्यतिरेक अलङ्कार, तथा यह चन्द्र नहीं है प्रियामुख ही चन्द्र है, यह अपह्नुति अलङ्कार व्यङ्ग्य है ।

इस प्रकारके किसी उदाहरणमें व्यङ्ग्यकी प्रधानतापर ही बल दें तो फिर उस स्थानपर अलङ्कारध्वनि हो जायगी । अर्थात् वहाँ सङ्करका अन्तभाव अलङ्कारध्वनिमें हो जायगा, क्योंकि पयायोक्तन्यायमें ध्वनिसे महाविषय और अङ्गी होनेसे उसमें अन्य अलङ्कारादिका अन्तभाव दिताया जा चुका है । उसी न्यायसे यहाँ भी समझना चाहिये ।

अप्रस्तुतप्रशसामें अन्तर्भावका निषेध

अप्रस्तुतके वर्णनसे जहाँ प्रस्तुतका आक्षेप किया जाता है वहाँ अप्रस्तुतप्रशसा नामक अलङ्कार होता है । अप्रस्तुतप्रशसा तीन प्रकारकी होती है—पहिली सामान्यविशेषभावमूलक, दूसरी काय कारणभावमूलक, और तीसरी सादृश्यमूलक । इनमेंसे पहिली और दूसरी प्रकारकी अप्रस्तुतप्रशसाके दो दो भेद हो जाते । इस प्रकार उन दोनोंके दो-दो भेद होकर चार भेद और एक सादृश्यमूलक इस प्रकार पाँच भेद हो जाते हैं । सामान्यविशेषभावमूलकके दो भेद इस प्रकार होते हैं कि एक जगह सामान्य अप्रस्तुत होता है और उससे प्रस्तुत विशेषका आक्षेप होता है और दूसरी जगह अप्रस्तुत विशेष होता है उससे प्रस्तुत सामान्यका आक्षेप होता है । इसी प्रकार कायकारण भावमूलकके भी दो भेद हो जाते हैं । एक जगह कारण अप्रस्तुत होता है, उससे प्रस्तुत कायका आक्षेप होता है और दूसरी जगह अप्रस्तुत कायसे प्रस्तुत कारणका आक्षेप होता है । इस प्रकार चार भेद हुए । पाँचवाँ भेद सादृश्यमूलक होता है । इस भेदके भी श्लेषनिमित्तक, समासोक्तिनिमित्तक और सादृश्यमात्रनिमित्तक इस प्रकार तीन भेद हो जानेसे अप्रस्तुतप्रशसाके सात भेद बन जाते हैं । परन्तु भासहने केवल पहिले तीन भेद ही किये हैं, एक सामान्यविशेषभावमूलक, दूसरा कायकारण भावमूलक और तीसरा सादृश्यमूलक । इनमें पहिले दोनों भेदोंमें प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनोंका सम प्राधान्य होनेसे ध्वनिका अवसर ही नहा है इसलिए उसके अन्तर्भावका विचार ही नहीं हो सकता । तीसरे सादृश्यमूलक भेदमें यदि अभिधीयमान अप्रस्तुतका अप्राधान्य और प्रतीयमान प्रस्तुतका प्राधान्य विवक्षित होगा तो अलङ्कारका ध्वनिमें अन्तभाव हो जायगा अन्यथा अप्रस्तुत अभिधीयमान का प्राधान्य विवक्षित होनेपर अप्रस्तुतप्रशसा अलङ्कार होगा । इसी भावको मनमें रखकर प्रशसनने प्रकृत सन्दर्भ लिखा है ।

भासहृत अप्रस्तुतप्रशसाके लक्षण उदाहरणादि निम्नलिखित प्रकार हैं—

“अधिकारादपेतस्य वस्तुनोऽन्यस्य या स्तुति ।

अप्रस्तुतप्रशसा सा त्रिविधा परिकीर्तिता ॥” भासह ३, - ९

अप्रस्तुत सामान्यसे प्रस्तुत विशेषके आक्षेपका उदाहरण—

“अहो ससारनैर्ष्वप्यम्, अहो दीरात्म्यमापदाम् ।
अहो निरगनिघ्नस्य दुरन्ता गतयो विधे ॥”

यहाँ ‘सर्वत्र दैवका ही प्राधान्य है’ इस अप्रस्तुत सामान्यसे किसी प्रस्तुत वस्तुके विनाशरूप विशेषका आक्षेप होता है । परन्तु यहाँ वाच्य सामान्य और प्रतीयमान विशेष दोनोंका समप्राधान्य है, अतः ध्वनिविषयत्व नहीं है ।

अप्राकरणिक विशेषसे प्राकरणिक सामान्यके आक्षेपका उदाहरण निम्नलिखित है—

“एतत् तस्य मुखात् कियत् कमलिनीपत्रे कण वारिणो
यमुत्तामणिरित्यमसा स जड शृण्वयदस्मादपि ।
अङ्गुल्यमल्लपुत्रियाप्रविलयिन्यादीयमाने शनै
कुत्रोद्गीय गतो ममेत्यनुदिन निद्राति नान्त शुचा ॥”

उस मूर्खने कमलिनीके पत्रपर पड़े पानीके कणको मुत्तामणि समझ लिया, यह उसके लिए कौन बड़ी बात है । इससे भी आगेकी बात सुनो । वह जब अपनी उस मुत्तामणिको धीरेसे उटाने लगा तो अङ्गुलीके अप्रमाणकी मियासे ही उसके कहीं विलुप्त हो जानेपर, ‘न जाने मेरा मुत्तामणि उड़ कर कहीं चला गया’ इस सोचमें उसको नींद नहीं आती है । यह श्लोकका भाव है । यहाँ जलविन्दुमें मुत्तामणित्वसम्भावनारूप अप्रस्तुत विशेषसे मूर्खोंकी अस्थानमें ममत्वसम्भावनारूप प्रस्तुत सामान्यका बोध होता है । यहाँ वाच्य और व्यङ्ग्यका समप्राधान्य होनेसे ध्वनिकी सम्भावना नहीं है । इसी प्रकार निमित्तनिमित्तिभावमें भी समझना चाहिये । उसके उदाहरण यहाँ नहीं दूँगे ।

साहचर्यमूलक अप्रस्तुतप्रशंसामें जहाँ वर्णित अप्रस्तुतसे आक्षिप्यमाण प्रस्तुत अधिक चमत्कारकारी होता है वहाँ वस्तुध्वनि समझना चाहिये । उसे अप्रस्तुतप्रशंसा अलङ्कारका उदाहरण नहीं समझना चाहिये । अप्रस्तुतप्रशंसा अलङ्कार वहीं बनेगा जहाँ व्यङ्ग्य इस अभिधीयमानसे अधिक चमत्कारी न हो । जैसे निम्नलिखित श्लोकमें प्रतीयमान प्रस्तुत अभिधीयमान अप्रस्तुतकी अपेक्षा अधिक चमत्कारी है इसलिए वह वस्तुध्वनिना उदाहरण है, अलङ्कारका नहीं—

“भावमात हटाज्जनस्य हृदयायाक्रम्य यत्तर्पयन्
मङ्गीभिविधाभिरात्महृदय प्रच्छद्य सङ्गीदसे ।
स त्वामाह जड तत सहृदयम्मन्यत्वदु सिञ्चितो
मन्येऽमुष्य जडात्मता स्तुतिपद त्वत्साम्यसम्भावनात् ॥”

हे भावमात अर्थात् पदायसमूह ! समग्र विश्वसौन्दर्यके आकर इस प्राकृतिक जगत्त्रय चन्द्रमा आदि पदार्थसमूह ! तुम विविध प्रकारोंसे अपन आंतरिक रहस्यको छिपाकर और लोगोंके हृदयोंको हठात् अपनी ओर आकृष्ट कर, स्वेच्छापूवक नचाते हुए जो व्रीडा करते हो, उसीसे सहृदयम्मन्यत्वकी भावनासे दुःसिद्धित अपने सहृदय होनेका मिथ्याभिमान करनेवाले लोग तुमको जड कहते हैं । वस्तुतः वे स्वयं जड, मूर्ख हैं । परन्तु उनको जड कहना भी तुम्हागी समानताका सम्पादक होनेसे उनके लिए स्तुतिरूप ही है, यह प्रतीत होता है ।

यह इस श्लोकका भाव है । परन्तु इससे किसी महापुरुषका अप्रस्तुत चरित प्रतीयमान है जो अत्यन्त विद्वान् और गुणवान् होते हुए भी साधारण लोगोंके बीच अपने पाण्डित्य आदिको प्रकाशित नहीं करता इस कारण लोग उसे मूर्ख कहते हैं । यहाँ जो लोकोत्तर चरित प्रतीयमान है वही प्रधान है । यहाँ अप्रस्तुतसे प्रस्तुतकी प्रतीति होनेपर अप्रस्तुतप्रशंसा अलङ्कार नहीं अपितु वस्तुध्वनि है ।

अप्रस्तुतप्रशसायामपि यदा सामान्यविशेषभावान्निमित्तनिमित्तिभावाद्वाभिधीयमानस्याप्रस्तुतस्य प्रतीयमानेन प्रस्तुतेनाभिसम्बन्धस्तदा' अभिधीयमानप्रतीयमानयोः सममेव प्राधान्यम् । यदा तावत् सामान्यस्याप्रस्तुतस्य अभिधीयमानस्य प्राकरणिकेन विशेषेण प्रतीयमानेन सम्बन्धस्तदा विशेषप्रतीतौ सत्यामपि प्राधान्येन तत्सामान्येनाविनाभावात् सामान्यस्यापि प्राधान्यम् । यदापि विशेषस्य सामान्यनिष्ठत्व तदापि सामान्यस्य प्राधान्ये, सामान्ये सर्वविशेषाणामन्तर्भावाद् विशेषस्यापि प्राधान्यम् । निमित्तनिमित्तिभावे' चायमेव न्यायः ।

यदा तु सारूप्यमात्रवशेनाप्रस्तुतप्रशसायामप्रकृतप्रकृतयोः सम्बन्धरतदाप्य-
प्रस्तुतस्य सारूप्यस्याभिधीयमानस्य प्राधान्येनाविवक्षया ध्वनावेवान्त पातः । इतरथा
त्वलङ्कारान्तरमेव ।

लोचनकारने भावमातबाला यह जो श्लोक उदाहरणरूपमें दिया है वह कुछ कठिन हो गया है । वस्तुतः सभी अन्योक्तियाँ इसका उदाहरण हो सकती हैं ।

इस प्रकार अप्रस्तुतप्रशसा अलङ्कारमें यद्भवप्रतीति रहते हुए सामान्यविशेषभावमूलक और कायकारणभावमूलक चार भेदोंमें अभिधीयमान और प्रतीयमान दोनोंका समप्राधान्य होनेसे ध्वनिका अवसर नहीं, और पाँचवें सादृश्यमूलक भेदमें जहाँ प्रतीयमानका प्राधान्य है उस अन्योक्ति रूप भेदमें अप्रस्तुतप्रशसा अलङ्कार ही नहीं अपितु वस्तुध्वनि है । इसलिए ध्वनिका अन्तभाव अप्रस्तुत प्रशसा अलङ्कारमें भी नहीं हो सक्ता । यही प्रस्तुत छन्दर्भका अभिप्राय है । शब्दानुवाद इस प्रकार होगा—

अप्रस्तुतप्रशसामें भी जब सामान्यविशेषभावसे अथवा निमित्तनिमित्तभावसे, अभिधीयमान अप्रस्तुतका प्रतीयमान प्रस्तुतके साथ सम्बन्ध होता है तब अभिधीयमान और प्रतीयमान दोनोंका समान ही प्राधान्य होता है । जब कि अभिधीयमान अप्रस्तुत सामान्यका प्रतीयमान प्रस्तुत विशेषसे सम्यग् होता है तब प्रधानतः विशेषकी प्रतीति होनेपर भी [‘निर्विशेष न सामान्यम्’ इस नियमके अनुसार] उसका सामान्यसे अधिनाभाव होनेके कारण सामान्यका भी प्राधान्य होता है । और जब विशेष सामान्यनिष्ठ होता है [अर्थात् जब अभिधीयमान अप्रस्तुत विशेषसे प्रतीयमान प्रस्तुत सामान्यका आक्षेप होता है] तब भी सामान्यके प्राधान्य होनेपर, सामान्यमें ही समस्त विशेषोंका अन्तर्भाव होनेसे विशेषका भी प्राधान्य होता है । निमित्तनिमित्तभावमें भी यही नियम लागू होता है ।

जब सादृश्यमात्रमूलक अप्रस्तुतप्रशसामें अप्रकृत और प्रकृतका सम्बन्ध होता है तब भी अभिधीयमान अप्रस्तुत तुल्य पदार्थका प्राधान्य अधियक्षित होनेकी वशामें [यस्तु] ध्वनिमें अन्तर्भाव हो जायेगा । अन्यथा [प्राधान्य न होनेपर] ही अलङ्कार होगा ।

१ 'अभिधीयमानस्य अप्रस्तुतस्य प्रतीयमानेन प्रस्तुतेनाभिसम्बन्धस्तदा' इतना पाठ नि०में नहीं है ।

२ 'तस्य' त्रि० दी० ।

३ 'कारणकारणभावे' दी० ।

तद्यमत्र सक्षेप ।

व्यङ्ग्यस्य यत्राप्राधान्य वाच्यमात्रानुयायिन ।

समासोन्त्यादयस्तत्र वाच्यालङ्कृतय स्फुटा ॥

व्यङ्ग्यस्य प्रतिभामात्रे वाच्यार्थानुगमेऽपि वा ।

न ध्वनिर्यत्र वा तस्य प्राधान्य न प्रतीयते ॥

तत्परावेव शब्दार्थौ यत्र व्यङ्ग्य प्रति स्थितौ ।

ध्वने स एव विषयो मन्तव्य सङ्करोञ्जित ॥

तस्मान्न ध्वनेरन्तर्भाव ।

इतश्चान्तर्भाव । यत काव्यविशेषोऽङ्गी ध्वनिरिति कथित । तस्य पुनरङ्गानि अलङ्कारा गुणा वृत्तयश्चेति प्रतिपादयिष्यन्ते । न चावयव एव पृथग्भूतोऽन्यवीति प्रसिद्धः । अपृथग्भावे तु तदङ्गत्व तस्य । न तु तत्त्वमेव । यत्रापि तत्त्व तत्रापि ध्वनेर्महाविषयत्वात् तन्निष्ठत्वमेव ।

‘इतरथा त्वलङ्कारातरमेव’ इस मूलमें एवकार भिन्नक्रम है और इतरथाक बाद उसका अन्वय करना चाहिये । इरथैव अलङ्कारान्तरम् ।

अलङ्कारोंमें ध्वनिके अन्तर्भाववादके सण्डनका उपसंहार

इस सयका साराश यह हे कि—

जहाँ वाच्यका अनुगमन करने [वाला होने]से व्यङ्ग्यका अप्राधान्य ह वहाँ समासोक्ति आदि वाच्य अलङ्कार स्पष्ट है ।

जहाँ व्यङ्ग्यकी केवल प्रतीतिमात्र होती है, अथवा यह वाच्यका अनुगामी [पुच्छभूत] है, अथवा जहाँ उसका स्पष्ट प्राधान्य नहीं है वहाँ भी ध्वनि नहीं है ।

जहाँ शब्द और अर्थ व्यङ्ग्यबोधनके लिए ही तत्पर हैं उसीसे सङ्कररहित ध्वनिका विषय समझना चाहिये ।

इसलिए ध्वनिका [अपत्र अलङ्कारादिमें] अन्तर्भाव नहीं हो सकता ।

इस कारण भी [ध्वनिका अन्यत्र अलङ्कारादिमें] अन्तर्भाव नहीं हो सकता कि अङ्गीभूत [व्यङ्ग्यप्रधान] कायविशेषको ध्वनि कहा है । अलङ्कार, गुण, और वृत्तियाँ उसके अङ्ग हैं यह आगे प्रतिपादित किया जायगा । और [पृथग्भूत] अलग अलग अवयव ही अवयवी नहीं कहे जाते । अपृथग्भूत [मिलकर समुदाय] रूपमें [भी] यह [अवयवरूप अलङ्कारादि] उस [ध्वनि] के अङ्ग ही हैं, न कि अङ्गी [ध्वनि] हैं । जहाँ कहीं [जैसे पर्यायोक्तके ‘भ्रम धार्मिक’ सहश उदाहरणोंमें, अथवा सङ्करके—‘भ्रति न गुणानुराग’ सहश उदाहरणोंमें] व्यङ्ग्यका अङ्गित्व [या ध्वनित्व] होता भी है वहाँ भी ध्वनिके महाविषय [अधिकदेशावृत्ति, अर्थात् उन उदाहरणोंसे भिन्न स्थलोंपर भी विद्यमान] होनेसे [ध्वनि] अलङ्कारादिमें अन्तर्भूत नहा होता ।

१ ये तीनों कारिकाएँ नहीं, समग्र या परिकरश्लोक है । इसीस इनपर वृत्ति भी नहीं है । नि० सा० तथा दी० में इनपर १४, १५, १६ कारिकासव्या ढाल दी गयी है, जो उचित नहीं है ।

‘सूरभिः कथित’ इति विद्वदुपशेषमुक्ति, न तु यथाकथञ्चित् प्रवृत्तेति प्रतिपाद्यते । प्रथमे हि विद्वासो वैयाकरणा, व्याकरणमूलत्वात् सर्वविद्यानाम् । ते च श्रूयमाणेषु वर्णेषु ध्वनिरिति व्यवहरन्ति । तथैवान्यैस्तन्मतानुसारिभिः काव्यतत्त्वार्थदर्शिभिर्वाच्य-वाचकसन्मिश्रः शब्दात्मा काव्यमिति व्यपदेश्यो व्यञ्जकत्वसाम्याद् ध्वनिरित्युक्त । न चैवविधस्य ध्वनेर्वैद्व्यमाणप्रभेदतद्भेदसङ्कलनया महाविषयस्य यत् प्रकाशनं तदप्रसिद्धालङ्कारविशेषमात्रप्रतिपादने न तुल्यमिति तद्भावितचेतसा युक्त एव सरम्भ । न च तेषु कथञ्चिदीर्ष्याकलुषितशेषुपीकत्वमाविष्करणीयम् । तदेव ध्वनेरभाववादिन प्रत्युक्ता ।

ध्वनिसिद्धान्तका आदि मूल

‘सूरभिः कथित’ [कारिका स० १३ के इस वचन] से यह [ध्वनिप्रतिपादन परक] उक्ति [ध्वनिवाद] विद्वन्मतमूलक है, यों ही [अप्रामाणिक स्वकल्पित रूपसे] प्रचलित नहीं हो गयी है यह सूचित किया है ।

[‘विद्वदुपश’, प्रथम उपशमो ज्ञान वा यस्या उक्ते मा’ इस प्रकार बहुव्रीहि समास ही करनेसे तत्पुरुषसमासाश्रित ‘उपशोपक्रम तदावाचिरयासायाम्’ [अ० २, ४, २१] सूत्रसे नपुंसकत्वमा अवकाश नहीं रहता । अन्यथा तत्पुरुष समास करनेपर तो ‘विद्वदुपश’ यह स्त्रीलिङ्गप्रयोग न होकर ‘विद्वदुपशम्’ यह नपुंसकलिङ्ग प्रयोग ही होगा । अतः यहाँ बहुव्रीहि समास ही करना चाहिये ।

प्रथम [संज्ञसे मुख्य] विद्वान् वैयाकरण हैं, क्योंकि ‘व्याकरणस्य रिद्यार्थोका मूल है। वे [वैयाकरण] सुनाई देनेवाले वर्णोंको ध्वनि कहते हैं । उसी प्रकार उनके मत-को माननेवाले काव्यतत्त्वार्थदर्शी अन्य विद्वानोंने भी १ वाच्य, २ वाचक, [सन्मिश्रयते विभायानुभावसवलनयेति सन्मिश्र व्यङ्ग्यार्थ] ३ व्यङ्ग्यार्थ, [शब्दन शब्द- तदात्मा व्यञ्जनरूप- शब्दव्यापार] ४ व्यञ्जनाव्यापार, और ५ काव्य पदसे व्यवहार्य [अर्थात् काव्य, इन पाँचों] को ध्वनि कहा है । [‘ध्वनतीति ध्वनि’ इस व्युत्पत्तिसे वाचकशब्द और वाच्यार्थको, ‘ध्वन्यते इति ध्वनि’ इस व्युत्पत्तिसे व्यङ्ग्यार्थको, ध्वनः ध्वनि इस व्युत्पत्तिसे व्यञ्जनाव्यापारको और ‘ध्वन्यतेऽस्मिन्निति ध्वनि’ इस व्युत्पत्तिसे पूर्वोक्त ध्वनिचतुष्टययुक्त काव्यको ध्वनि कहते हैं । यह व्याख्या लोचनकारके अनुसार है ।]

ध्वनिके अमाननादके खण्डनका उपसंहार

इस प्रकारके और आगे कहे जानेवाले भेद प्रभेदके सङ्कलनसे अत्यन्त व्यापक [महाविषय] ध्वनिका जो प्रतिपादन है वह केवल अप्रसिद्ध अलङ्कारविशेषके प्रति पादनके समान [नगण्य] नहीं है इसलिए उसके समयकोंका उत्साहातिरेक उचित ही है । उनके प्रति किसी प्रकारकी ईर्ष्याकलुषित घृत्ति प्रदर्शित नहीं करनी चाहिये । इस प्रकार ध्वनिके अभावयादियों [१ पृ० पाँचपर कहे हुए ‘तदलङ्कारादि-यतिरिक्त’ कोऽय ध्वनिनामेति’ २ पृ० छपर कहे हुए ‘तत्समयान्त-पातिन सद्दयान्त-काश्चित्परि-वर्ण्य तत्प्रसिद्ध-या ध्वनौ काव्यव्यपदेशा’ प्रयतिर्तोऽपि सकलविद्व-मनोप्रादितामय

१ ‘तदत्र प्रसिद्धा’ नि०, शी० ।

२ ‘ध्वनेत्यापदभाववादिन’ नि०, शी० ।

छन्दते' इत्यादि और ३ पृ० छ पर कहे हुए 'तेयाम'यतमस्यैव याऽपूर्वसमाख्यामात्रकरणे यत्किञ्चन कथन स्यात्' इत्यादि अभाववादी तीनों पक्षों]का निराकरण हो गया।

प्रथम विद्वान् वैयाकरण श्रूयमाण वर्णोंको ध्वनि कहते हैं इसलिए उनके अनुयायी आलङ्कारिकोंने ध्वनि शब्दका प्रयोग किया। यहाँ वैयाकरणोंके साथ जो आलङ्कारिकोंका सिद्धान्तसाम्य प्रदर्शित किया है उसके स्पष्ट रूपसे समझनेके लिए वैयाकरणोंके 'स्फोटवाद' और उसके साथ शब्द तथा उसके अर्थबोधकी सारी प्रक्रियाका समझना आवश्यक है। इसलिए सक्षेपमें उसका उल्लेख यहाँ कर रहे हैं।

शब्द जिसको हम कानासे सुनते हैं उसका तीन कारण वैशेषिकदर्शनमें माने गये हैं—१ सयोग, २ विभाग और ३ शब्द। शब्दका आशय आकाश है, उसका ग्रहण भोजेन्द्रियसे होता है, और सयोग, विभाग अथवा शब्द इनमेंसे किसी एकसे उसकी उत्पत्ति होती है। घण्टा या मेरीके नजानेसे जो शब्द पैदा होता है वह 'सयोगज' शब्द है। उसकी उत्पत्ति घण्टा और मुगरी अथवा मेरी और दण्डके सयोगसे होती है। बाँस या कागज आदिके फाटनेसे जो शब्द उत्पन्न होता है वह 'विभागज' शब्द है, बसाने दलद्वय या कागजसे दोनों पक्षोंके विभागसे उसकी उत्पत्ति होती है। इस प्रकार प्रारम्भिक प्रथम शब्दकी उत्पत्ति तो सयोग या विभाग इन दो ही कारणोंसे होती है। परन्तु वह प्रारम्भिक शब्द हमको सुनाई नहीं देता। घण्टा विद्यालयमें बजता है, हम आश्रममें बैठे हैं। इस देशभेदके कारण उस प्रथमोत्पन्न शब्दको हम साक्षात् नहीं सुनते हैं। उस शब्दसे वायु मण्डलमें क्रमिक शब्दधारा उत्पन्न होते होते जो शब्द हमारे भोजदेशमें आकर उत्पन्न होता है वह शब्द हमको सुनाई देता है। आद्य शब्द या नीचेके शब्द सुनाई नहीं देते। घण्टेका शब्द सुना, यह प्रतीति सादृश्यके कारण होती है।

इस शब्दधारामें प्रथम शब्दके बाद जितने भी शब्द उत्पन्न होते हैं वे सब 'शब्दज' शब्द हैं। इस शब्दधाराकी प्रगतिके विषयमें दो प्रकारके मत हैं, एक 'वीचीतरङ्गन्याय' और दूसरा 'कदम्ब मुकुलन्याय' नामसे कहा जाता है। जिस प्रकार तालम्बम एक ककड डाल देनेसे उसमें लहरें उत्पन्न हो जाती हैं, प्रारम्भमें वह लहर एक बहुत छोटा सा गोलाकार चक्र बनाती है जो बढ़ते-बढ़ते सारे तालम्बम व्याप्त हो जाता है, उसी प्रकार प्रथम शब्दसे उसके उत्पत्तिस्थानके चारों ओर एक शब्द तरङ्गका चक्र उत्पन्न होता है जो बढ़ते बढ़ते सुदूरवर्त आकाशक्षेत्रतक व्यापक हो जाता है। और जहाँ-जहाँ उस शब्दको ग्रहण करनेका उपकरण भोजयत्र अथवा रेडियो आदि अय यत्र होता है वहाँ वहाँ वह शब्द सुनाई देता है। यह 'वीचीतरङ्गन्याय' हुआ, इसमें सब दिशाओंमें उत्पन्न होनेवाली शब्दधारा परस्परसम्बद्ध और एक है।

दूसरा 'कदम्बमुकुलन्याय' है। कदम्बमुकुलन्यायका अर्थ है कदम्बकी कली। इस कलीके केन्द्रशीर्षस्थानमें एक नहीं सी कली जैसी खड़ी रहती है। फिर उस के द्रविन्दुके चारों ओर उसी प्रकारका अवयवोंका एक वृत्त बन जाता है। इसी प्रकार यह वृत्त बढ़ता हुआ सारे कदम्बमुकुलम व्याप्त हो जाता है। यही शब्दकी स्थिति है। इसको 'कदम्बमुकुलन्याय' कहते हैं। इन दोनों न्यायोंमें अन्तर यह पड़ता है कि 'वीचीतरङ्गन्याय'के अनुसार सब दिशाओंमें चलनेवाली शब्दधारा एक है और 'कदम्बमुकुलन्याय'में सब कीलोंके अलग अलग 'यत्तित्वके समान सब ओर उत्पन्न होनेवाले शब्द अनेक हैं।

यह शब्दके सुननेकी प्रक्रिया हुई। इस प्रक्रियासे जिस समय उस शब्दधाराका हमारे भोजस मन्बध होता है उस समय हमको शब्दका ग्रहण होता है। फिर जब शब्दधारा आगे बढ़

अस्ति ध्वनिः । स चाविवक्षितवाच्यो विवक्षितान्यपरवाच्यश्चेति द्विविध
सामान्येन । तत्राद्यस्योदाहरणम्—

जाती है तब हमको शब्दका सुनाइ देना बन्द हो जाता है। इसी को शब्दको अनित्य माननेवाले नैयायिक
आदि शब्दका नाश और नित्यतावादी वैयाकरण आदि तिरोभाव कहते हैं। इसलिए शब्द जाग्रत
विनाशी अथवा तिरोभावी है, ध्वनिक है। ऐसी दशम तीन चार वर्णोंसे मिलकर बने हुए घट, पट
इत्यादि शब्दोंमें प्रत्येक वर्ण सुनाइ देनेके बाद अगले क्षणमें नष्ट या तिरोभूत हो जानेसे समझ एक
समुदायरूपमें इकट्ठा होना सम्भव नहीं है। इसलिए अनेक वर्णोंसे समुदायरूप पद और अनेक पदोंसे
समुदायरूप वाक्य आदिका निमाण भी नहीं हो सकता। फिर उनसे अर्थबोध कैसे होगा, यह एक
प्रश्न है। इसके समाधानके लिए प्राचीन शब्दशास्त्री वैयाकरणोंने 'स्फोटवाद'की कल्पना की है।
'स्फोट' शब्दका अर्थ है 'स्फुटित अथ यस्मात् स स्फोट' जिससे अर्थ प्रस्फुटित होता है, अर्थकी
प्रतीति होती है उसको 'स्फोट' कहते हैं। इस सिद्धान्तके अनुसार अर्थकी प्रतीति सुनाइ देनेवाले
वर्णोंसे नहीं होती, क्योंकि उनके प्रभिक और आश्रित विनाशी अथवा तिरोभावी होनेसे उनसे
समुदायरूप पद ही नहीं बन सकते। इसलिए इन भूयमाण वर्णोंसे ही, जिनको ध्वनि भी कहते हैं और
नाद भी, पूर्वपूर्ववर्णानुभवजनितसंस्कारसहकृतचरमवर्णश्रवणसे सदसद् अथात् विद्यमान और पूर्व
तिरोभूत समस्त वर्णोंको ऽहण करनेवाली सदसदनेकवर्णावगाहिनी पदप्रतीति होती है। अथात् बुद्धिमें
समस्त वर्णोंका समुदायरूप एक नित्य शब्द अभिव्यक्त होता है। इसीको वैयाकरण 'स्फोट' कहते हैं।
इसीसे अर्थकी प्रतीति होती है। वैयाकरण जब शब्दको नित्य कहते हैं तब उसका अभिप्राय इसी
'स्फोट' रूप शब्दकी नित्यतासे होता है। इसी प्रकार अनेक पदोंके समुदायरूप 'वाक्यस्फोट'की
अभिव्यक्ति पदों द्वारा होती है। वैयाकरणोंने १ वर्णस्फोट, २ पदस्फोट, ३ वाक्यस्फोट, ४ अलण्ट
पदस्फोट, ५ अलण्टवाक्यस्फोट, ६ वर्ण, ७ पद, ८ वाक्यगत तीन प्रकारके जातिस्फोट इस प्रकार
आठ तरहके स्फोटोंका वर्णन 'वैयाकरणभूषण' आदि ग्रंथोंमें विस्तारपूर्वक किया है। उन सबका मूल
महर्षि पतञ्जलिका 'महाभाष्य' और भर्तृहरिका 'वाक्यपदीय' ग्रंथ है।

आलङ्कारिकोंने वैयाकरणोंके ध्वनिशब्दका प्रयोग इस आधारपर लिया है कि वैयाकरण उन
वर्णोंको ध्वनि कहते हैं जो 'स्फोट'को अभिव्यक्त करते हैं, अथात् 'ध्वनतीति ध्वनि' इस व्युत्पत्तिसे
आधारपर वैयाकरण 'स्फोट'क अभिव्यक्त वर्णोंको ध्वनि कहते हैं। इसी प्रकार ध्वनिवादियोंने 'ध्वन
तीति ध्वनि' इस व्युत्पत्तिसे आधारपर वाच्यवाचकसे भिन्न 'यद्गद्य अथको बोधन करनेवाले शब्द,
अर्थ आदिके लिए 'ध्वनि' शब्दका प्रयोग किया है। इसी बातका सङ्केत ऊपर ग्रंथकारने किया है
और उसीसे आधारपर का यप्रकाशकारने, 'बुधैर्वैयाकरणे प्रधानभूतस्फोटरूपयद्गद्ययज्ञस्य शब्दस्य
ध्वनिरिति यवहार इत, ततस्तमत्तानुसारिभिर्यैरपि यग्भाजितगा ययद्गद्ययज्ञानभ्रमस्य
शब्दार्थयुगलस्य' लिखा है। [इस प्रकार मुख्य रूपसे १ शब्द, २ अर्थके लिए और फिर ३ 'यज्ञना
व्यापार, ४ 'यद्गद्य अथ, ५ या ६ व्यद्गद्यप्रधान काव्यके लिए 'ध्वनि' शब्दका यवहार होने लगा।
अतएव ध्वनिवाद स्वल्पित नहीं अपितु पाणिनि पतञ्जलिसदृश मुनियाये मतके आधारपर आश्रित है।

ध्वनिके दो मुख्य भेद

[इसलिए] ध्वनि है। यह सामान्यतः अविवक्षितवाच्य [लक्षणा मूल] और विव
क्षितान्यपरवाच्य [अभिधामूल] भेदसे दो प्रकारका होता है। उनमेंसे प्रथम [अवि
वक्षितवाच्य, लक्षणा मूल ध्वनि] का उदाहरण यह है—

सुवर्णपुष्पा पृथिवीं चिन्वन्ति पुरुषास्त्रय ।

शूरश्च कृतविद्यश्च यश्च जानाति सेवितुम् ॥

द्वितीयस्यापि—

शिखरिणि क नु नाम खियच्चिर किमभिधानमसावकरोत्तप ।

सुमुक्ति येन तवाधरपाटल दशति विम्बफल शुक्रशावक ॥१३॥

सुवर्ण जिसका पुष्प हूँ एसी पृथिवीका चयन [अर्थात् पृथिवीरूप लताके सुवर्णरूप पुष्पोंका चयन] तीन ही पुरुष करते हैं—शूर, विद्वान् और जो सेवा करना जानता है ।

इस श्लोकका व्याख्यान लोचनकारन 'सुवर्णानि पुष्पयतीति सुवर्णपुष्पा' यह व्याख्या की है । यह चिन्त्य है । इस विग्रहम कम सुवर्ण उपपन्न रहते नामधानुमे 'कर्मण्यण्' सूत्रसे अण् प्रत्यय और उससे प्रभावसे 'टिष्ठाणञ्' इत्यादि सासे टीप् होकर 'सुवर्णपुष्पी' प्रयोग बनेगा, 'सुवर्णपुष्पा' नहीं । इसलिए उसका विग्रह 'सुवर्णमेव पुष्प यस्या सा सुवर्णपुष्पा' इस प्रकार करना चाहिये । हमने इसी विग्रहको मानकर अध किया है । लोचनग्रन्थको अथप्रदत्तनाम्नमात्र मानकर, न कि विग्रह मान कर कथञ्चित् उपपादन करना चाहिये ।

यहाँ न तो पृथिवी कोई लता है, न सुवर्ण पुष्प और न उसका चयन ही हा शक्यता है अतः 'सुवर्णपुष्पा पृथिवीका चयन' यह वाक्य यथाशुतरूपम अवित नहा हा शक्यता इसलिए मुख्यार्थसाध होनेसे लक्षणा द्वारा त्रिपुल धन और उसका अनायासापाजनसे सुलभ ममृद्धिगम्भारभाजनताक। यत् करता है । लक्षणाका प्रयोजन, शूर, कृतविद्य और सेवकोंका प्राशस्त्य, स्वयम्मे वाच्यन होकर शोष्यमान कामिनीकुचरुलदानत् सौन्दर्यातिशयरूपसे ध्वनित होता है । लक्षणामूल हानेमें इसको 'अविश्रित वाच्यध्वनि' कहते हैं । यहाँ यदि अभिधाका वयवाटियाकी तापया शक्तिको भी माना जाय तो अभिधा, तात्परा, लक्षणा, यज्ञना ये चारा अ यथा तीना वृत्तियों व्यापार करती हैं ।

दूसरे [त्रियक्षितायपरवाच्य, अभिधामूल उनि]का भी [उदाहरण देने हैं]

हे सुमुक्ति ! इस शुक्रशावकने किस पर्यंतपर, कितने दिनोंतक, कान सा तप किया हे, जिसके कारण तुम्हारे अधरके समान रक्तवर्ण विम्बफलोंको वाट [निका भौभाग्य—पुण्यानिशयलभ्य साभाग्य—प्राप्त कर] रहा हे ॥१३॥

श्लोकम 'तवाधरपाटलम्'म 'तव' पदका असमन् स्वान्न पश्यन् पदञ् रूपम प्रयाग क्रिया है । 'त्वदधरपाटलम्' ऐसा समन् प्रयाग नहा किया है । इसे तुल्य लोग नेत्रल उदने अनुरोधन किया हुआ प्रयाग मानत हैं, पर तु यह वास्तवग ठीक नहीं है । यहाँ अधरके साथ त्वन् पदाय अथात् सम्बोधित की जानेवाला नाशिकाना सम्बन्ध साधनेन साधन करना अभीष्ट है । यदि 'तव' पदको समासम डाल दिया जाय तो यह अधरपाटलाका विशेषणमात्र हो जानेसे प्रधान नहीं रहेगा । उसका असमन् रखनेका अभिप्राय यह है कि जैसे 'अकण्ठया विद्वान्या एतदायन्या गता सोम व्रीणाति' इस नैतिन वाक्यम 'अकण्ठया गता' गीके विनेपणीभूत आत्पनका साधनता सम्बन्धसे प्रयत्रियाम भी सम्बन्ध हो जाता है । अथवा 'धनवान् सुवी' इस शक्ति वाक्यम वार् इस मतुप् प्रत्ययाधर्म अवित धाशब्दका प्रयो यत्वसम्बन्धे मुखने साथ भी अन्वय होकर अर्थोप होता है । इसी प्रकार अश्रवित त्वत् पदायका प्रयो अन्वयसम्बन्धने विम्बफलकम

यद्युक्त भक्तिर्ध्वनिरिति, तत् प्रतिसमाधीयते—

भक्त्या विभति नैकत्व रूपभेदादयं ध्वनि ।

अयमुक्तप्रकारो ध्वनिर्भक्त्या नैकत्व विभतिं, भिन्नरूपत्वात् । वाच्यव्यतिरिक्तस्या-
र्थस्य वाच्यवाचकाभ्या तात्पर्येण प्रकाशन यत्र व्यङ्ग्यप्राधान्ये स ध्वनि । उपचार-
मात्रन्तु भक्ति ।

दशने साथ भी अन्यथ होकर तुम्हारे अधरारण्यने लाभसे गवित निम्नपरको तुम्हारे सम्ब धने ही,
मुग्धत तुमने लयमें रग्यर ही दशन कर रहा है, यह अथ विवक्षित है । इसलिए 'तव' इस
असममपदना प्रयोग किया है । 'दशति'का अर्थ औदरिक अथात् पेटके समान ता जाना नहीं
अपितु रसास्वाद करना है । गुक्शावककी उचित तारण्ययालपर उसनी प्राप्ति और रसगता यह
सर पुण्यातिशयलभ्य है यह अथ और इसने साथ अनुरागीना स्वाभिप्रायरथापन व्यङ्ग्य है ।

यहाँ अभिधा, तात्पया और व्यङ्गता इन तीनों वृत्तियोंने ही व्यापार होते हैं । नीचमें मुख्यथ
बाध न होनेसे लक्षणाकी आवश्यकता नहीं होती । अथवा इस आकस्मिक प्रश्नकी वासङ्गति मानकर
यदि लक्षणाका भी उपयोग किया जाय तो फिर यहाँ भी पूर्वश्लोकने समान चार व्यापार हो जायेंगे ।
फिर भी इसको पूर्वलक्षणासूत्र अविबक्षितवाच्यध्वनिसे भिन्न इस आधारपर किया जायगा कि
पूर्व उदाहरणमें फल लक्षणा ही ध्वननव्यापारम प्रधान सहकारिणी थी और यहाँ सौन्दर्यसे ही
व्यङ्ग्यकी प्रतीति होनेसे अभिधा और तात्पया शक्ति मुख्य सहकारिणी हैं । लक्षणाका तो नाममात्रका
उपयोग होता है ।

नीचमें ध्वनिभेद दिखलानेका प्रयोजन

प्रथमप्रथम प्रथम कारिका १ अभाववादी, २ भक्तिवादी और २ अलक्षणीयतावादी ध्वनि
निरोधी तीन पाँच दिखलाये । उनमसे यहाँतक अभी अभाववादी प्रथमपक्षका खण्डन किया गया
है । 'ध्वनेस्तावदभाववादेन प्रत्युक्ता' अभाववादियात्र खण्डनके बाद 'भाक्तमाहुस्तमन्ये' इस
सिद्धान्तका खण्डन करना चाहिये था । उसको न करके प्रथमपर ध्वनिसे अविबक्षितवाच्य और
विचलिताथपरवाच्य भेदका प्रतिभट्टन करनेम लग गये । इसका कारण यह है कि इन उदाहरणोंके
आधारपर भक्तिवाद और अलक्षणीयतावादका खण्डन सुकर होगा । अत इन उदाहरणोंके बाद
उन दोनों मतोंका खण्डन करेंगे ॥१३॥

दूसरे 'भाक्तमाहुस्तमन्ये' इस पक्ष प्रथम विफल अभेदवादका खण्डन—

जो यह कहा था कि भक्ति ध्वनि है उसका समाधान करते हैं—

यह उक्त [शब्द, अर्थ, व्यङ्ग्यता व्यापार, व्यङ्ग्यार्थ और काव्य इन पाँचों भेद
वाला] ध्वनि, [भक्ति या लक्षणास] भिन्नरूप होनेका कारण भक्ति [लक्षणा के साथ
अभेद [एकत्व]को प्राप्त नहीं हो सकता है ।

यह उक्त प्रकारका [पञ्चविध] ध्वनि [लक्षणासे] भिन्नरूप होनेके कारण 'भक्ति'
[लक्षणा]से अभिन्न नहीं हो सकता । वाच्यार्थसे भिन्न अर्थको व्यङ्ग्यका प्राधान्य होते
हुए जहाँ वाच्यवाचक द्वारा तात्पर्यरूपसे प्रकाशित किया जाता है उसको 'ध्वनि'
कहते हैं । और भक्ति तो फल उपचारका नाम है [अत 'ध्वनि' 'भक्ति'रूप नहीं
हो सकता है, उससे भिन्न है] ।

‘अभाक्तवाद’के समान ‘भाक्तवाद’के भी तीन विकल्प करके उसका स्पष्टन करेंगे। उनमें पहिला विन्यय यह है कि जब पूर्णपक्षी ‘भक्ति’को ‘ध्वनि’ कहता है तो क्या भक्ति और ध्वनि शब्दको घम, कलश आदिके समान प्रयायरूप मानकर दोनोंका अभेद प्रतिपादन करना चाहता है? दूसरा विकल्प यह है कि क्या यह भक्तिको ध्वनिका लक्षण कहना चाहता है? अथवा ‘काकवद् देवदत्तस्य गृहम्’क समान भक्तिको ध्वनिका उपलक्षण मानता है? यह तीसरा विकल्प है। इतर यावत्तत्र अथात् अयं समानजातीय और असमानजातीय पदाद्योऽंसे भेद करानेवाले असाधारण धर्मका ‘लक्षण’ कहते हैं। जैसे ग धनत्र पृथिवीका लक्षण है। ‘गधवती पृथिवी’—यह गधवत्त्व घम प्रथिवीम रहता है परन्तु उसको छोड़कर उसके समानजातीय या असमानजातीय और किसी भी पदाथम नहा रहता है इसलिए वह पृथिवीका लक्षण होता है। पृथिवी द्रव्य है। उसने समानजातीय अप, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन ये आठ द्रव्य और ननों पृथिवी, इस प्रकार कुल नौ द्रव्य वैशेषिकदर्शनम माने गये हैं। उनमें पृथिवीको छोड़कर और किसीमें गधवत्त्व नहा रहता [जल या वायुम जो मुगध दुग्ध प्रतीत होता है वह पार्थिव परमाणुओंके सम्बन्धसे ही होता है]। इसी प्रकार पृथिवीने असमानजातीय गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय आदि पदाथ वैशेषिकन माने हैं। उनमें भी ग ध नहा रहता, इसलिए गधवत्त्व पृथिवीको समानजातीय और असमानजातीय पदाद्योऽंसे भिन्न करनेवाला पृथिवीका असाधारण धर्म होता है। इसीको ‘लक्षण’ कहते हैं। ‘लक्षणत्पसाधारणधर्मवचनम्।’ समानासमानजातीयसे भेद करना ही लक्षणका प्रयोजन है—‘समाना समानजातीययवच्छेदो हि लक्षणाथ।’

‘विशेषण’ वतमान यावत्तत्र धर्म होता है और अवतमान व्यावर्तक धर्मको ‘उपलक्षण’ कहते हैं। जैसे ‘काकवद् देवदत्तस्य गृहम्’ यहाँ काकवत्त्व देवदत्तन गृहका लक्षण या विशेषण नहीं अपितु ‘उपलक्षण’ है। इसका अभिप्राय या स्मरना चाहिये कि कभी दो आदमी साथ साथ कहाँ गये। एक मत्तानपर उरु हाने बहुत कौए से तैटे देखे जिसके कारण उन दोनोंका ध्यान उस ओर गया। वह जगन धर चले आये। पीठे किसी दिन उनमेंसे एक आदमीको देवदत्तने घरका परिचय देनेकी आवश्यकता पडी। उस समय यह वाक्य प्रयुक्त किया गया है। उसका अभिप्राय यह है कि जिस घरपर काए बंठ थे वही देवदत्तका घर है। यहाँ जिस समय यह वाक्य देवदत्तने घरका परिचय करा रहा है उस समय उसपर कौए न तैटे होनेपर भी यह ‘काकवद्’ पद देवदत्तने गृहका अन्य गृहासे विभेदवाध करता है। इस प्रकार वर्तमान यावत्तत्र धर्मको ‘विशेषण’ तथा अवतमान यावत्तत्र धर्मको ‘उपलक्षण’ कहते हैं।

‘उपचारमात्र भक्ति’में ‘उपचार’ शब्दका अर्थ गौण प्रयोग है। जो शब्द जिस अर्थमें सङ्केतित है उस अर्थका छोड़कर उससे सम्बद्ध अन्य अर्थको योधन करना ‘उपचार’ कहाता है और व्यङ्ग्यका जहाँ प्राधान्य होता है उसे ‘ध्वनि’ कहते हैं। इस रूपभेदने कारण ‘ध्वनि’ और ‘भक्ति’ अभिन्न नहीं हो सकते। यह प्रथम विकल्पका खण्डन हुआ।

भाक्तवादके द्वितीय विकल्प लक्षणवादका स्पष्टन

ध्वनिका ‘भाक्त’ माननेवाले ध्वने तीन विन्यय करके उनका खण्डन किया गया है। इनमेंसे पहिले भक्ति और ध्वनिका अभेद माननेवाले विकल्पका स्पष्टन ता ‘भक्त्या विमति नैतत्वम्’ इत्यादि कारिकाएँ पृष्ठाद्धस हाँ गया। तीसरे ‘उपलक्षण’ पक्षन विषयमें आगे १९ वीं कारिकामें करेंगे। इस समय भक्तिको ध्वनिका लक्षण माननेवाले द्वितीय [१८-१८ कारिकातक] विकल्पका खण्डन प्रारम्भ करते हैं—

'मा चैतत् स्याद् भक्तिर्लक्षण ध्वनेरित्याह—

अतिव्याप्तेरधाव्याप्तेर्न चासौ लक्ष्यते तथा ॥१४॥

'नैव भक्त्या ध्वनिर्लक्ष्यते । कथम् ? अतिव्याप्तेरव्याप्तेश्च । तत्रातिव्याप्तिर्ध्वनिव्यतिरक्तेऽपि विषये भक्तेः सम्भवात् । यत्र हि 'यद्गुणकृत महत् सौष्ठव नास्ति तत्राप्युपचरितशब्दवृत्त्या प्रसिद्धधनुरोपप्रवर्तितव्यवहारा' कवयो वदन्ते । यथा—

परिम्लान पीनस्तनजघनसङ्गादुभयत,
तनोर्मध्यस्यान्तः परिमिलनमप्राप्य हरितम् ।
इद व्यस्तन्यास 'श्लथभुजलताक्षेपवलनै,
कृशाङ्गया सन्तर्प वदति विसिनीपत्रशयनम् ॥

यह भक्ति ध्वनिका लक्षण भी नहीं हो सकती है, यह कहते हैं—

अतिव्याप्ति और अन्याप्तिके कारण 'ध्वनि' भक्तिसे लक्षित भी नहीं हो सकता है ॥१४॥

'भक्ति' ध्वनिका लक्षण भी नहीं हो सकती है । क्यों ? अतिव्याप्ति और अन्याप्तिके कारण । उसमें अतिव्याप्ति इसलिए है कि ध्वनिसे भिन्न विषयमें भी 'भक्ति' [लक्षणा] हो सकती है । जहाँ व्यङ्ग्यके कारण विशेष सौन्दर्य नहीं होता वहाँ भी कवि, प्रसिद्धियश, उपचार या गोणी शब्दवृत्तिसे व्यवहार करते हुए देखे जाते हैं । जैसे—

कमलिनीपत्रिका यह शयन [सागरिकाके] पीन स्तन और जघनके ससर्गसे दोनों ओर मलिन हो गया है और शरीरके बीचके [कमर] भागका पत्रोंसे स्पर्श न होनेके कारण [शय्याका] वह भाग हरा है । शिथिल भुजाओंके इधर उधर फँकनेके कारण इसकी रचना अस्त व्यस्त हो गयी है । इस प्रकार यह कमलिनीपत्रकी शय्या कृशाङ्गी [सागरिका]के सन्तापको कह रही है ।

यह श्लोक 'रत्नावली' नाटकाम सागरिकाके मदनशय्याको छोड़कर रत्नाकुण्डसे चले जानेके बाद राजा और विदूषकके उस कुण्डमें प्रवेश करनेपर उस मदनशय्याकी अवस्थाको देकर विदूषकके प्रति राजाकी उक्ति है । उसमें राजा शय्याका वर्णन कर रहा है ।

यहाँ 'वदति'का अर्थ प्रकट करना है, यह बात स्पष्ट है । इस अगूठ बातको यदि 'वदति' पदसे लक्षणासे कहनेके बजाय 'प्रकटयति' पदसे अभिधा द्वारा प्रकाशित किया जाता तो भी कोई अप्चारत्व नष्ट होता । और अब लक्षणा द्वारा कहनेसे उसमें कोई अधिक चारुत्व नहीं हो गया । इस प्रकार यहाँ व्यङ्ग्यप्राधान्यरूप ध्वनिके न होनेपर भी 'वदति' पदमें लक्षणारूप भक्तिका आश्रय लिया गया है । अतएव भक्तिके ध्वनिसे भिन्न स्थानपर अतिव्याप्त होनेसे वह ध्वनिका लक्षण नहीं हो सकती है ।

१ तत्रैतत् ।

२ 'न च' नि०, दी० ।

३ 'व्यङ्ग्यकवकृतम्' नि० ।

४ 'प्रशिथिलभुजाक्षेपवलनै' नि० ।

अत्र बोदाहते विषये नोक्त्यन्तराशक्यचारुत्वव्यतिष्ठेत् शब्द ॥१५॥

किञ्च—

रूढा ये विषयेऽन्यत्र शब्दाः स्वविषयादपि ।

लावण्याद्या प्रयुक्तास्ते न भवन्ति पद ध्वनेः ॥१६॥

तेषु चोपचरितशब्दवृत्तिरस्तीति^१ । तथाविधे च विषये क्वचित् सम्भवन्नपि ध्वनिव्यवहार प्रकारान्तरेण प्रवर्तते, न तथाविधशब्दमुखेन ॥१६॥

अपि च—

मुख्या वृत्ति परित्यज्य गुणवृत्त्याऽर्थदर्शनम् ।

यद्बुद्धिः फल तत्र शब्दो नैव स्वलङ्घति ॥१७॥

तत्र हि चारुत्वातिशयविशिष्टार्थप्रकाशनलक्षणे प्रयोजने कर्तव्ये यदि शब्दस्या-
मुख्यता तदा तस्य प्रयागे दुष्टत्वेव स्यात् । न चैवम् ॥१७॥

और यहाँ ऊपर उद्धृत उदाहरणोंमें कोई शब्द उक्त्यन्तरसे अशक्य चारुत्वको प्रकाशित करनेका हेतु नहीं है [इसलिए ध्वनिका विषय नहीं है] ॥१५॥

और भी—

जो 'लावण्य' आदि शब्द अपने विषय [लावण्ययुक्त] से भिन्न [सौन्दर्यादि] अर्थमें रूढ [प्रसिद्ध] हैं, वे भी प्रयुक्त होनेपर ध्वनिके विषय नहीं होते हैं ॥१६॥

लक्षणां रूढि या प्रयोजनमसे एका होना आवश्यक है । इस दृष्टिसे लक्षणाने दो भेद हा जात है । इन दोनों भेदोंमेंसे पहिले रूढिवाले भेदमें भक्ति—लक्षणा तो रहती है, परन्तु प्रयोजनरूप व्यवहार या ध्वनिका अभाव हाता है । दूसरे प्रयोजनवाले भेदमें प्रयोजन यद्बुद्धि तो हाता है परन्तु वह लक्षणासे नहीं, यज्जनासे बोधित होता है । इसलिए भक्ति ध्वनिका लक्षण नग हा सकती । इसी बातका क्रमश प्रतिपादन करनेके लिए १६वीं तथा १७वीं कारिका लिखी हैं।

उन [लावण्य आदि शब्दा] में उपचरित गोणी शब्दवृत्ति तो है [परन्तु ध्वनि नहीं है] । इस प्रकारके उदाहरणोंमें यदि कहीं ध्वनियव्यवहार सम्भव भी हो ता वह उस प्रकारके [लावण्य, आनुलोम्य, प्रातिकूल्य आदि] शब्द द्वारा नहीं अपितु प्रकारान्तरसे हाता है ॥१६॥

और भी—

जिस [शैत्यपावनत्वादि] फलको लक्ष्यम रखकर [‘गङ्गाया घोष’ इत्यादि वाक्योंमें] मुख्य [अभिधाय] वृत्तिका छाडकर गुणवृत्ति [लक्षणा] द्वारा अथगव कराया जाता है उस फलका याधन करनेमें शब्द याधितार्थ [स्वलङ्घति] नहा है ॥१७॥

उस चारुत्वातिशयविशिष्ट अर्थ प्रकाशनरूप प्रयोजनके सम्पादनमें यदि शब्द गोण [याधितार्थ] हो तत्र तो उस शब्दका प्रयाग दूषित हा हागा । परन्तु ऐसा नहीं है ।

इसका अभिप्राय यह है कि शब्दना मुद्रय अर्थबोधन व्यापार अभिधा है। साधारणतः अभिधा द्वारा बाधित मुद्रयार्थमें ही हम शब्दोंका प्रयोग करते हैं। परन्तु कहा-कहाँ मुद्रयार्थको छोड़कर उसमें सम्बद्ध त्रिती अर्थ अर्थमें भी शब्दोंका प्रयोग करते हैं। ऐसे प्रयोगोंने समय कोइ विशेष कारण हमारे सामने अवश्य होता है। ये कारण दो प्रकारके हैं, एक तो रुचि, दूसरा विशेष प्रयोजन। रुचिका अर्थ प्रसिद्धि है। रुचिका उदाहरण लावण्य, आनुलोम्य, प्रातिकूल्य आदि शब्द हैं। लक्षणस्य भावो लावण्यम्, लक्षणने भाव अथवा लक्षणयुक्तत्वको 'लावण्य' कहना चाहिये। यही उसका मुद्रयार्थ है। परन्तु हम 'लावण्य' शब्दका प्रयोग इस अर्थमें न करने सौन्दर्य अर्थमें करते हैं। इसका कारण रुचि या प्रसिद्धि ही है। 'लावण्य' शब्द बहुल प्रयोगके कारण सौन्दर्य अर्थमें रुढ़ हो गया है। इसी प्रकार 'लोम्नामजुल' अजुलामं मदनम्।' शरीरकी रोमोंके अनुकूल मालिश अनुलाम मटन है। पैरमें मालिश करते समय यदि नीचे ऊपरकी ओर मालिश की जाय तो वह अनुलोम नहीं प्रतिलोम मटन होगा। रोमोंके अनुकूल वह 'अजुलोम' शब्दका अर्थ हुआ। इसी प्रकार 'जूलस्य प्रतिपत्तया स्थित स्रोत प्रतिकूलम्।' नतीनी धारा जूल अथात् किनारेको फाट दती है इसलिए जूलके प्रतिपत्तय विरोधीरूप होनेसे 'प्रतिकूल' कहलाती है। यह उनके मुद्रयार्थ हैं। परन्तु उनका प्रयोग उस मुख्यार्थको छोड़कर तत्सदृश अनुकूल और विरुद्ध अर्थमें होता है। ये अर्थ यद्यपि उन शब्दोंके वाच्यार्थ नहीं हैं फिर भी बहुल प्रयोगके कारण वे शब्द उन अर्थमें रुढ़ हो गये हैं। इसलिए रुचि लक्षणाके उदाहरण होते हैं। इनमें भक्ति 'लक्षणा' ता होती है परन्तु व्यङ्ग्यका ही अभाव होनेसे व्यङ्ग्यप्राधान्यरूप ध्वनि नहीं होती। इसका प्रतिपादन १६वीं फारिकामें किया है।

दूसरी प्रयोजनवती लक्षणा होती है। इसमें त्रिती विशेष प्रयोजनसे मुख्यार्थको छोड़कर गौण अर्थमें शब्दका प्रयोग किया जाता है। जैसे 'गङ्गाया घोष ।' गङ्गाका अर्थ गङ्गाकी जलधारा है और घोषका अर्थ आभीरपट्टी—घासियोंकी रस्ती या नगला—है। 'गङ्गाया'म सप्तमी विभक्तिका अर्थ आधारत्व है। इस प्रकार 'जलप्रवाहके ऊपर घोष है' यह वाक्यार्थ होता है। परन्तु जलप्रवाहके ऊपर घासियोंकी रस्ती बन नहा सकती। इसलिए 'गङ्गा' शब्द 'तट'रूप अर्थका बोध कराता है और उसका अर्थ [गङ्गाके] किनारेपर घोष है, यह होता है। इस बातका सीधे 'गङ्गातटे घोष' इन शब्दोंमें भी कह सकते थे और उस दशम अभिधा शक्तिये ही काम चल जाता। परन्तु वक्ताने 'गङ्गातटे घोष' न कहकर जो 'गङ्गाया घोष' कहा है उसका विशेष प्रयोजन है। तटकी सीमा बहुत दूर तक है। इलाहाबाद और कानपुर गङ्गातटके नगर हैं। उनका गङ्गासे सबसे अधिक दूरका भाग भी, जो कई मील दूर हो सकता है, गङ्गातटकी सीमामें आ जाता है। वहातक गङ्गाके शैत्यपावनत्वादि घमोंका वाह प्रभाव नहीं रहता। परन्तु जो स्थान ठीक गङ्गाके तटपर ही है वहा शैत्य भी होगा और पावन भी। यह आभीरपट्टी [घास] बिलकुल गङ्गामें ही है अतः वहा शैत्यपावनत्वका अतिशय है इस बातको बोध करनेके लिए गङ्गाया घोष' इस प्रकारका प्रयोग किया गया है। शैत्यपावनत्व का बोध करना लक्षणाका प्रयोजन है। वहाँ लक्षणा शक्तिस तत्पर अर्थ बाधित होता है और शैत्यपावनत्वके अतिशयरूप प्रयोजनका बोध व्यङ्ग्यनाट्टिस होता है। उसका बाध लक्षणासे नहीं हो सकता। इसी बातका प्रतिपादन १७वीं फारिकामें किया गया है।

'गङ्गाया घोष' इस वाक्यमें पहिले अभिधा शक्तिये वाच्यार्थ उपस्थित होता है, उसका बाध होनेपर लक्षणासे तटरूप अर्थ प्रतीत होता है। यह ल वाच्य होता है। अथात् जिस अर्थको हम लक्ष्यार्थ कहते हैं उससे पूर्व मुद्रयार्थका उपस्थित होना और उसका बाध होना ये दोनों बातें लक्षणा

आवश्यक हैं। अब यदि शैत्यपावनत्वने अतिशयको 'लक्ष्यार्थ' मानना चाह तो उससे पृथ उपस्थित 'तट'रूप अर्थको मुर्यार्थ मानना और फिर उसका 'अवयानुपपत्ति' या 'तात्पर्यानुपपत्ति'रूप बाध मानना आवश्यक है। इसीके लिए कारिकामें बाधितार्थवाचक 'स्वरलद्गति' शब्दका प्रयोग किया गया है। परन्तु शैत्यपावनत्वातिशयबोधक पृथ उपस्थित होनेवाला 'तट'रूप अर्थ न ता 'गङ्गा' शब्दका मुर्यार्थ ही है और न बाधित है। क्योंकि उसका बोधक साथ आधाराधेयभावसम्बन्ध माननेमें कोई बाधा नहीं है। फिर भी 'दुर्जनतोपयाय से उसको बाधितार्थ मानें तो भी फिर उसका बाद उपस्थित हाननाल शैत्यपावनत्वक अतिशयको लक्ष्याध कहना होगा। ऐसी दशामें गङ्गा पदक इस अयम रूढ न हानसे उस लक्षणा का कोई प्रयोजन मानना पड़गा। उस दूसरे प्रयाजनको भी 'लक्ष्यार्थ' कहामे तो फिर उसका भी तीसरा प्रयोजन मानना होगा और इस प्रकार अनवस्था होगी। इसलिए यह भाग ठीक नहीं है। यही १७वां कारिकाका अभिप्राय है। इसी विषयका मम्मटन अपने 'काव्यप्रकाश'में निम्नलिखित शब्दोंमें लिखा है—

“यस्य प्रतीतिमाघातु लक्षणा समुपास्यते ।

फले शब्दैकगभ्येऽन व्यञ्जनात्परा त्रिया ॥

नाभिधा समयाभावात्, हेत्वभावात् लक्षणा ।

लक्ष्य न मुख्य नाप्यन बाधो योग फलेन नो ॥

न प्रयाजनमेतस्मिन्, न च शब्द स्वरलद्गति ।

एवमप्यनवस्था स्याद् या मूलक्षयकारिणी ॥” का० प्र० २, १४, १६

“जिस पदकी प्रतीति करानेके लिए लक्षणाका आश्रय लिया जाता है, शब्दमात्रसे बोध्य उस पदके बोधनमें व्यञ्जनाके अतिरिक्त दूसरा व्यापार सम्भव नहीं है।

“सङ्केत न हानस अभिधा नहीं हो सकती और मुर्यार्थवाधादि हेतुशाने न होनेसे लक्षणा नहीं हो सकती है। लक्ष्याध न तो मुर्यार्थ ही है, न उसका बाध ही होता है, न उसका फलक साथ सम्बन्ध है, न उसमें कोई प्रयोजन है और न शब्द स्वरलद्गति है। और यह सब बात भी तो मूलका ही विनाश कर देनेवाली अनवस्था हो जायगी।”

अधिकारता लागू 'अवयानुपपत्ति'को लक्षणाका बीज मानत है। परन्तु जागेसन 'तात्पर्यानुपपत्ति'को लक्षणाका बीज माना है। इसका कारण यह है कि 'काव्ययो दधि रक्ष्यताम् म अवया नुपपत्ति नहीं है। कोई अपना दही बाहर छाड़कर जरा देखे लिए भीतर गया। उसे डर था कि उतनी दरमें कौए दधिका रसवा कर देगे। इसलिए वह अपने पासके आदमीस कहता गया कि जरा कौओसे दहीको बचाना। इस वाक्यक अयमें कोई बाधा न हानसे लक्षणाका अरण्य नहीं है। परन्तु यहाँ 'काव्य' पदकी लक्षणा 'दध्युपपत्तक' अर्थमें होती है। यहनेस 'काव्य' यह नहीं है कि कबल कौओसे बचाना और यदि कुछ शाये तो उसे रखा ले-दना। उसका अभिप्राय तो दहीके उपघातक संस ही बचानेमें है। इसलिए 'तात्पर्यानुपपत्ति'को लक्षणाका बीज माननेसे ही लक्षणा हो सकती है। अतएव नागस अवयानुपपत्ति न ज्ञाय तात्पर्यानुपपत्तिको लक्षणाका बीज मानत हैं।

इसलिए जिन् शैत्यपावनत्वादिस्वप्न प्रयोजनने बोधनके लिए मुख्यवृत्ति अभिधाना छोड़कर गुणवृत्ति लक्षणासे अधप्रतिपादन किया जाता है वह प्रयाजन लक्षणा नहीं बरिन्तु 'दशमस्य बाधित होता है। इसलिए लक्षणा व्यापार और व्यञ्जना-व्यापार दोनोंका विपरमेद है। 'गङ्गायां घोष'में 'भक्ति' या लक्षणाका विषय तट और ध्वनिका विषय शैत्यपावनत्व है। विषयमेद हानस उन दानामें

तस्मात्—

वाचकत्वाश्रयेणैव गुणवृत्तिर्व्यवस्थिता ।

व्यञ्जकत्वैकमूलस्य ध्वनेः स्याल्लक्षण कथम् ॥१८॥

तस्मादन्यो ध्वनि, अन्या च गुणवृत्ति ।

अव्याप्तिरप्यस्य लक्षणस्य । नहि ध्वनिप्रभेदो विप्रक्षितान्यपरवान्यलक्षण, अन्ये च बहव प्रकारा भक्त्या व्याप्यन्ते । तस्माद् भक्तिरलक्षणम् ॥१८॥

धर्मधर्मभाव नहीं हो सन्ता । धर्मगत फोर् धर्मविशेष ही 'लक्षण' हाता है । ध्वनि और भक्तिम धर्मधर्मभाव न होनेसे भी भक्ति ध्वनिका 'लक्षण' नहीं । वाचक शब्दसे रोहित मुरपायना वाच होनेपर ही लक्षणा प्रवृत्त हाती है इसलिए लक्षणा वाचनान्वित या अभिधामूलभूता है, वह विषयभेद होनेसे यज्ञनामात्राधित ध्वनिका 'लक्षण' नहीं हो सकती । विषयतासम्बन्धसे भक्तिवा अधिस्तरण तीर, और ध्वनिका अधिस्तरण तैत्पपावनत्व है । अत एव विषयघटित स्वविषयविषयस्वरूप परम्परा सम्बन्धेन भक्तिने ध्वन्यवृत्ति होनेसे भक्ति ध्वनिका 'लक्षण' नहीं हो सकती ॥१७॥

इसलिए—

वाचकत्वे आश्रयस्थित होनेवाली गुणवृत्ति--भक्ति केवल व्यञ्जनामूलक ध्वनिका लक्षण कथमे हो सकती है ॥१८॥

इसलिए ध्वनि अलग है और गुणवृत्ति [लक्षणा] अलग ।

१४वीं कारिकामें "अति-यास्तेरथा-यास्तेर्न चासी लभ्यते तथा" कहा था । उमम यहाँ तक अति-यासि ["अलक्ष्यवृत्तित्वमतिव्याप्ति "] दोषना निरूपण किया । आगे 'लभ्यैरदशावृत्तित्वमयासि' रूप अ यासिदापका प्रतिपादन करते हैं । अत्यासि और अति-यासि दोनों 'लक्षण न दाप ई । इनने अतिरिक्त एक 'असम्भर दाप और है, 'लभ्यमात्रावृत्तित्वमसम्भर ।' यहाँ कारिकाकारने अ यासि तथा अति यासिका ही उल्लेख किया है । जो 'लक्षण' लभ्य एक देशम न रहे उसका अयासिदाप प्रश्न कहा जाता है । यहाँ भक्तिको ध्वनिका लक्षण माननेमें अयासिनोप भी आता है । ध्वनिने अभी अ विधितवाच्य तथा विप्रक्षिता-परवाच्य दो भेद बताये थे । अतएव भक्तिको यदि ध्वनिका लक्षण माना जाय तो इन दोनों मेंसे भक्तिका अस्तित्व अभिहित है । किन्तु विप्रक्षिता-परवाच्य अभिधामूल ध्वनिमें लक्षणा नहीं होती है । अत अयासिदाप है । इसी बातको कहते हैं—

इस लक्षणकी अयासि भी है । विप्रक्षितान्यपरवाच्य [अभिधामूल] ध्वनि और ध्वनिके अन्य अनेक प्रकारोंमें भक्ति या लक्षणा व्याप्त नहीं रहती है इसलिए भक्ति ध्वनिका 'लक्षण' नहीं है ॥१८॥

लक्षणा और गौणीवृत्तिका भेद

यहाँ भक्तिको ध्वनिका लक्षण माननेमें अयासिनोप दिखलाया है कि विप्रक्षिता-परवाच्य अभिधामूलध्वनिके उदाहरणोंमें ध्वनि तो रहता है, परन्तु वहाँ भक्ति या लक्षणा नहीं रहती इसलिए भक्ति अयासि है । यह विषय थोड़ा विधादप्रस्त है, इसलिए उसका अधिक स्पष्टीकरण अपेक्षित है । ऊपर विप्रक्षितान्यपरवाच्यध्वनिका उदाहरण 'शिवरिणि' आदि श्लोक दिया था । उसकी व्याख्या करते हुए [प्रश्न ५७ पर] लिखा था कि साधारणतः उसमें अभिधा, तात्परा और व्यञ्जना—इन तीन

वृत्तियोंके व्यापार होते हैं। परन्तु उससे साथ दूसरा विकल्प यह भी दिखलाया था कि “यदि वा आकस्मिकविशिष्टप्रश्नार्थानुपपत्तेर्मर्यादाबाधया सादृश्यालक्षणा भवतु मध्ये। तेन च द्वितीयभेदेऽपि चाचार एव व्यापारा।” [लाचन] अर्थात् इस दलीलमें यह जो प्रश्न किया गया है उस आकस्मिक प्रश्नका कोई अवसर न होनेसे वह अनुपपन्न है। इस प्रकार मर्यादाबाध मानकर नीचमें सादृश्यसे लक्षणा-व्यापार भी माननेसे इस उदाहरणमें भी चार व्यापार ही जाते हैं। परन्तु ध्वननमें लक्षणाके विशेष सटकारी न होनेसे लक्षणामूलध्वनिसे भेद रहेगा। इस सादृश्यमूलक लक्षणाको आलङ्कारिक ‘गौणी’ लक्षणा नामसे व्यवहृत करते हैं। परन्तु भीमासक गौणीसे लक्षणासे भिन्न अलग वृत्ति मानते हैं। उनके मतसे ‘लक्षणा’ और ‘गौणी’का भेद यह है कि “गौणे शब्दप्रयोगो न लक्षणायाम्”। “सिंहो माणवक” यह गौणीका उदाहरण है। इसमें सिंह शब्द गौणी वृत्तिसे श्रियादिविशिष्ट प्राणीका बोधक होता है और उसका माणवक पदने साथ सामानाधिकरण्य होता है। पदोंक सामानाधिकरण्य का अभिप्राय विभिन्नरूपेण एकाध्यायबोधकत्व है। सिंह और माणवक पदने सामानाधिकरण्यका अभिप्राय यही है कि वे दोनों भिन्न भिन्न रूपसे एक माणवक अर्थको ही बोधन करते हैं। इस प्रकार सिंह पद और माणवक पद दोनों सामानाधिकरण्यके कारण एक ही अर्थका बोधन करते हैं। फिर भी दोनों शब्दोंका प्रयोग होता है तबसे यह गौणी है। “गौणे शब्दप्रयोगो न लक्षणायाम्।” ‘गङ्गाया घोष’ इस लक्षणाके उदाहरणमें तत्राधिक बोधक शब्दका प्रयोग नहीं होता यही ‘लक्षणा’ और ‘गौणी’ का भेद है। परन्तु आलङ्कारिकोंके मतमें यह शब्दप्रयोग भी गौणी तथा लक्षणाका भेदक नहीं है। क्योंकि आलङ्कारिकोंने प्रकारांतरसे लक्षणाने सारोपा और साध्यवसाना भेद भी माने हैं—“त्रिपथ स्थानिगीणस्थान्यादात्म्यप्रतीतिवृत्त्। सारोण स्थानिगीणस्य मत्त साध्यवसानिका ॥” जिसमें त्रिपथका निगमन नहीं होता अर्थात् माणवक शब्दका भी प्रयोग होता है उस सारोपा कहते हैं और जहाँ उसका निगमन हो जाता है वहाँ उसे ‘साध्यवसाना’ कहते हैं। इस प्रकार जिसे भीमासक ‘गौणी’ कहता है वहाँ भी लक्षणा व्याप्त रहती है। जब ‘शिल्लरिणि’में सादृश्यसे गौणी लक्षणा मानकर वहाँ भी चार व्यापार मान ही लिये तब यह कैसे कहा जा सकता है कि विवक्षिता-यपरवाच्यध्वनिमें लक्षणा अव्याप्त होनेसे भक्तिका ध्वनिवा लक्षण नहीं माना जा सकता।

इस प्रश्नका उत्तर यह है कि विवक्षिता-यपरवाच्यध्वनिके असलक्ष्यम और सलक्ष्यम यद्गुण यह दो मुख्य भेद आगे किये जायेंगे। इन दोनोंमें रमादि ध्वनिसे असलक्ष्यम-यद्गुणध्वनि करते हैं और सलक्ष्यम-यद्गुणके पद्म भेद किये गये हैं। इनमें विवक्षिता-यपरवाच्यध्वनिके समस्त भेदोंमें रसध्वनि ही सबसे अधिक प्रधान है और उसमें मुख्याबाध आदिका कोई अवसर नहीं है इसलिए उस मुख्य भेदमें लक्षणाका अवसर न होनेसे विवक्षिता-यपरवाच्यध्वनिमें भक्तिकी अ-व्यति प्रदर्शित की है।

पुत्र भीमासक इस रसबाधम शब्द-व्यापारकी आवश्यकता नहीं मानते हैं। वह रसको अनुगमन या स्मृतिका विषय मानते हैं। उनका कर्ना है कि धूमदशनने राद जैसे अग्निकी स्मृति हो आती है इसी प्रकार विभावदिन शानने आन्तर रत्यापि चित्तवृत्तिनी स्मृति हो आती है। इसलिए उसमें शब्द-व्यापारकी आवश्यकता ही नहीं है। तब उसमें भक्ति या लक्षणकी अ-व्यति दिखलाना और उसके आधारपर भक्तिको ध्वनिना अलक्षण कहना गय है।

इस शब्दका समाधान यह है कि क्या दूसरकी वृत्तिने परिज्ञानमात्रको आप रस समझते हैं अथवा स्वानुभवगात्र चवगात्मा अलौकिक जो आनन्दानुभव है उसको रस कहते हैं? यदि आप दूसरोंकी चित्तवृत्तिने परिज्ञानमात्रकी रस समझते हैं तो यह आपका भ्रम है। हम उसे रस नहीं कहते।

कस्यचिद् ध्वनिभेदस्य सा तु स्यादुपलक्षणम् ।

सा पुनर्भक्तिर्वक्ष्यमाणप्रभेदमध्यादन्यतमस्य भेदस्य यदि नामोपलक्षणतया सम्भाव्येत । यदि च गुणवृत्तयैव ध्वनिर्लक्ष्यत इत्युच्यते तदभिधान्यापारेण तदितरोऽलङ्कारवर्गं समग्र एव लक्ष्यत इति प्रत्येकमलङ्काराणां लक्षणकरणवैयर्थ्यप्रसङ्गः ।

किञ्च—

लक्षणोऽन्यैः कृते चास्य पक्षसंसिद्धिरेव न ॥१९॥

कृते वा पूर्वमेवैतन्वैध्वनिलक्षणे पक्षसंसिद्धिरेव न, यस्माद् ध्वनिरस्तीति न पक्ष । स च प्रागेव संसिद्ध इति, अयत्नसम्पन्नसमीहितार्था सम्पन्ना स्म ।

यह अवश्य है कि उसका परिज्ञान अनुमान या स्मृति आदिके हो सकता है परन्तु वह हमारे यहाँ रस नहीं है । हम तो अपने आत्मामें होनेवाली अलौकिक आनन्दकी अनुभूतिको रस कहते हैं । वह अनुमेय नहीं है अतः हमारे यहाँ तो रस अनुमानका विषय नहीं है । उसको अनुमान द्वारा सिद्ध करनेके लिए जा भी हेतु दिया जा सकते हैं वे सब हेत्वाभासमात्र हैं, रस वस्तुतः उससे परे है । इसलिए विध्वनिता यपरवैयर्थ्यध्वनिके प्रधान भेद रसध्वनि और उसके प्रभेद रसाभास, भाव, भावाभास, भावोपगम, भागोदय, भावसिद्धि, भावशयलता आदि ध्वनियोंमें मुख्यार्थवाधे विना ही रसादिकी प्रतीति होनेसे भक्तिके प्रवेशका अवसर नहीं है और इस प्रकार अव्याप्ति होनेसे भक्ति ध्वनिज लक्षण नहीं हो सकती । यह स्पष्ट हो गया ॥१८॥

भाक्तवादके तृतीय त्रिकल्प उपलक्षणपक्षका खण्डन

यह भक्ति ध्वनिके किसी विशेष भेदका [‘काकज् देवदत्तस्य शूद्रम्’के समान अविद्यमान-यावर्तक] उपलक्षण हो सकती है ।

यह भक्ति वक्ष्यमाण प्रभेदोंमेंसे किसी विशेष भेदका ‘उपलक्षण’ हो सकती है । [किन्तु सारे ध्वनिमात्रका उपलक्षण भी नहीं हो सकती है] । और यदि [उर्जनतोप न्यायने यही मान लिया जाय कि] गुणवृत्तिसे [समग्र] ध्वनि लक्षित हो सकता है, [उसी प्रकार यह भी कहा जा सकता है कि] यह कहा जाय तो, अभिधायापारसे ही समग्र अलङ्कारवर्ग भी लक्षित हो सकता है इसलिए [वैयाकरणों और भीमासकों द्वारा अभिधाका लक्षण कर देनेपर और उसके द्वारा समस्त अलङ्कारोंके लक्षित हो जानेसे] अलग अलग अलङ्कारोंके लक्षण करना [अर्थात् भामह आदि आलङ्कारिकोंका प्रयास और सारा साहित्यशास्त्र ही] व्यर्थ हो जाता है ।

और भी— । .

[लक्षणा या भक्तिको ही ध्वनिका लक्षण मान लेनेपर] यदि अन्य लोगोंने ध्वनिका लक्षण कर दिया है तो हमारी पक्षसिद्धि ही होती है ॥१९॥

अथवा यदि पहले ही [भक्तिको ध्वनिका लक्षण माननेवाले] किहींने ध्वनिका लक्षण कर दिया है तो हमारी पक्षसिद्धि ही होती है । क्योंकि ध्वनि ही—यहाँ हमारा पक्ष है । और वह पहिले सिद्ध हो गया इसलिए हम तो बिना प्रयत्नके ही सफल मनोरथ हो गये [हमारी पक्षसिद्धि ही गयी] ।

येऽपि सहृदयहृदयसवेद्यमनाख्येयमेव ध्वनेरात्मानमान्नासिपुस्तेऽपि न परीक्ष्य-
वादिन । यत् उक्तया नीत्या चक्ष्यमाणया च ध्वनेः सामान्यविशेषलक्षणे प्रतिपादितेऽपि
यद्यनारयेयत्व तत् सर्वेषामेव वस्तूना तत्प्रसक्तम् ।

यदि पुनध्वनेरतिशयोक्त्यानया काव्यान्तरातिशायि तै, स्वरूपमाख्यायते तत्तेऽपि
युक्ताभिधायिन एव ॥१९॥

इति धीराज्ञानकान-द्वर्धनाचार्यविरचिते ध्व-यालोके
प्रथम उद्योत ।

ध्वनिविरोधी तृतीय पक्ष अलक्षणीयतावादका खण्डन

उद्योतके प्रारम्भमें अभाववादी, भक्तिवादी आर अलक्षणीयतावादी मत इस प्रकार ध्वनि
विरोधी तीन पक्ष दिरालाये थे । इनमें अभाववादी और भक्तिवादी मतोंका खण्डन विस्तारपूर्वक इस
उद्योतमें किया है । इसी खण्डनप्रसङ्गमें 'यत्रार्थ शब्दो वा' कारिका स० १३] ध्वनिका सामान्य
लक्षण करके ध्वनिके अलक्षणीयतावादका भी निराकरण कर ही दिया है । यह मान कर मूलकारने
अलक्षणीयतावादके खण्डनके लिए अलग कारिका नहा ली । पर तु वृत्तिकार विषयको परिपूर्ण
करनेके लिए 'येऽपि'से प्रारम्भ कर 'युक्ताभिधायिन' तक उस अलक्षणीयतावादका खण्डन करते हैं ।

जिन्होंने सहृदयसवेद्य ध्वनिक आत्माको अचर्णनीय, अलक्षणीय कहा है उन्होंने
भी सोच समझ कर ऐसा नहीं कहा है । क्योंकि अथतक कही हुई तथा आगे कही
जानेवाली नीतिसे ध्वनिके सामान्य और विशेष लक्षण प्रतिपादित कर देनेपर भी
यदि ध्वनिको अलक्षणीय कहा जाय तो फिर ऐसा अलक्षणीयत्व तो सभी वस्तुओंमें
आ जायगा ।

यदि वे [अलक्षणीयतावादी] इस अतिशयोक्ति द्वारा [विदातियोंके अनिर्चनी
यतावादके समान] ध्वनिको अथ काव्योंसे उत्पृष्ट स्वरूपका प्रतिपादन करते हैं तब तो
वे भी ठीक ही कहते हैं ॥१९॥

इति श्रीमदाचार्यविश्वेश्वरसिद्धान्तशिरोमणिविरचितायाम्
आलोकशापिकाख्यायां हिन्दीव्याख्यायां
प्रथम उद्योत ।

द्वितीय उद्योतः

एवमविवक्षितवाच्यविवक्षितान्यपरवाच्यत्वेन^१ ध्वनिद्विप्रकार प्रकाशित । तत्राविवक्षितवाच्यस्य प्रभेदप्रतिपादनायेदमुच्यते—

अर्थान्तरे सङ्क्रमितमत्यन्त वा तिरस्कृतम् ।

अविवक्षितवाच्यस्य ध्वनेर्वाच्य द्विधा मतम् ॥१॥

तथाविधाभ्या च ताभ्या व्यङ्ग्यस्यैव विशेष^१ ।

अथ 'आलोकश्रीपिकाया' द्वितीय उद्योत

क अप्रिवक्षितवाच्य [लक्षणांमूल] ध्वनिके दो भेद

इस प्रकार [प्रथम उद्योतमें] अविवक्षितवाच्य [लक्षणांमूल] और प्रिवक्षितान्यपरवाच्य [अभिधामूल] भेदसे दो प्रकारके ध्वनिका वर्णन किया था । उसमेंसे अप्रिवक्षितवाच्य [लक्षणांमूल]के भेदों [प्रभेद शब्दका अर्थ अवातर भेद और प्रिवक्षितान्यपरवाच्यसे अविवक्षितवाच्यका भेद दोनों किये हैं ।] के प्रतिपादनके लिए यह [कारिका] कहते हैं—

अप्रिवक्षितवाच्य [लक्षणांमूल] ध्वनिका वाच्य कहीं अर्थान्तरसङ्क्रमित और कहीं अत्यन्ततिरस्कृत होनेसे दो प्रकारका माना गया है ॥१॥

उस प्रकारके [अर्थात् अर्थान्तरसङ्क्रमित और अत्यन्ततिरस्कृतस्वरूप] उन दोनों [वाच्यों] से 'व्यङ्ग्यार्थका ही विशेष [उत्कर्ष] होता है । [इसलिए व्यङ्ग्यवाच्यक ध्वनिके प्रभेदके प्रसङ्गमें जो ये वाच्यके दो भेद प्रदर्शित किये हैं वे अप्रासङ्गिक नहीं हैं । क्योंकि उनके द्वारा व्यङ्ग्यार्थका ही उत्कर्ष सम्पादन जाता है ।]

इन भेदोंका आधार लक्षणा

अर्थान्तरसङ्क्रमितमें गिजन्त सङ्क्रमित शब्दका प्रयोग किया है इसलिए उनका प्रयोजक कता अपेक्षित है । इसी प्रकार तिरस्कृतमें 'मी कताकी अपेक्षा है । इन दो दोनों प्रयोगसे यह सूचित किया है कि इस ध्वनिके 'यज्जनायापारमें जो सहायी वर्ग लक्षणा, वक्तविवक्षादि हैं उन्हींके प्रभावसे वाच्यार्थकी दोनों अवस्थाएँ हाती हैं । कही वह अथा तरमे सङ्क्रमित कर दिया जाता है और कहीं अत्यन्त तिरस्कृत । यह 'यज्जनाके सहायी वर्ग मुख्यत लक्षणाका प्रभाव है । इसीलिए इस अविवक्षितवाच्यध्वनिका दूसरा नाम लक्षणांमूलध्वनि भी है । अविवक्षितवाच्यध्वनिमें लक्षणाने प्रभावसे वाच्य अर्थान्तरसङ्क्रमित या अत्यन्ततिरस्कृत क्यों और कैसे हो जाता है इसे समझनेके लिए लक्षणाकी प्रक्रियापर यादा सा ध्यान देना चाहिये ।

१ 'वाच्यत्वे' नि० ।

२ 'इति व्यङ्ग्यप्रकाशनपरस्य ध्वनेरेवाय प्रकार' नि० तथा दी० में अधिक है ।

काव्यप्रकाशकारने लक्षणाका निरूपण करते हुए उसके मुख्य दो भेद किये हैं, उपादान लक्षणा और लक्षणलक्षणा । लक्षणाका लक्षण है—

“सुर्यार्थवाधे तत्रोगे रुदितोऽथ प्रयोजनात् ।

अयोऽर्थो लभ्यते यत्सा लक्षणाऽऽरोपिता क्रिया ॥” का० प्र० २, ९

अर्थात् सुर्यार्थके बाधित होनेपर रुदि अथवा प्रयोजनमसे अन्यतर निमित्तसे सुर्यार्थसे सम्बद्ध अन्य अर्थकी प्रतीति जिस शब्दशक्तिसे हाती है, शब्दम आरापित उस शक्तिका नाम लक्षणा है । इस कारिकामें ‘तत्रोगे’ शब्दसे सुर्यार्थ और लक्ष्याधका सम्बन्ध आवश्यक् बताया गया है । मुख्यार्थसे सम्बद्ध अर्थ ही लक्षणासे बाधित हो सकता है, असम्बद्धार्थ नहीं । असम्बद्ध अर्थमें यदि लक्षणा होने लगे तो किसी पदकी वही भी लक्षणा होने लगेगी, कोई व्यवस्था नहीं रहेगी । इसलिए सम्बन्धका होना आवश्यक है । लक्षणाका नियन्त्रण करनेवाले ये सम्बन्ध मुरयत पाँच प्रकारके माने गये हैं—

“अभिधेयेन सयोगात् सामीप्यात् समवायत ।

वैपरीत्यात् क्रियायोगाल्लक्षणा पञ्चधा मता ॥”

इन पञ्चविध सम्बन्धोंमें सादृश्यसम्बन्ध परिगणित नहीं हुआ है, इसलिए मीमांसक सादृश्य मूलक अर्थार्थप्रतीतिजनक ‘गौणी’ वृत्तिको लक्षणासे अलग मानते हैं । आलङ्कारिक इन पाँचोंको केवल शुद्ध लक्षणाका ही नियामक सम्बन्ध मानकर सादृश्यमूलक लक्षणाको गौणी लक्षणा नामसे लक्षणाका ही अवातर भेद मानते हैं ।

लक्षणाके अवातर भेद करते हुए काव्यप्रकाशकारने उसके उपादानलक्षणा और लक्षण लक्षणा दो मुख्य भेद माने हैं और उनके लक्षण इस प्रकार किये हैं—

“स्वसिद्धये पराक्षेप परार्थे स्वसमपणम् ।

उपादान लक्षण चेत्युक्ता शुद्धैव सा दिधा ॥” का० प्र० २, १०

जहाँ मुख्यार्थ अपनी सिद्धि अथात् अवयानुपपत्तिको दूर करनेके लिए किसी अन्य अथका आक्षेप करा लेता है और उस आक्षिप्त अथकी सहायतासे अपने अन्वयको उपपन्न करा देता है उसको ‘उपादानलक्षणा’ कहते हैं । इसका दूसरा नाम ‘अज्ञहत्त्वाधा’ भी है । जैसे, ‘श्वेतो धावति’ या ‘कुन्ता प्रविशन्ति’ उदाहरणोंमें धावनक्रिया श्वेत गुणमें नहीं, किसी द्रव्यमें ही रह सकती है । श्वेत गुणके साथ धावनक्रियाका साक्षात् अवय बाधित है । इसलिए मुख्यार्थ बाधित होनेसे श्वेत शब्द समवायसम्बन्धसे सम्बद्ध अथका आक्षेप करा लेता है । इस प्रकार लक्षणासे अथ अर्थक आ जानेपर ‘श्वेतगुणवान् अश्वो धावति’ यह अन्वय बन जाता है, उसमें कोई अनुपपत्ति नहीं रहती । इसमें श्वेत पदका अर्थ भी बना रहता है इसलिए इसको ‘उपादानलक्षणा’ कहते हैं । इसी प्रकार ‘कुन्ता प्रविशन्ति’में अचेतन कुन्तों [मारों]में प्रवेशक्रियाका अन्वय अनुपपन्न है । इसलिए कुन्त शब्द, कुन्तके साथ सयोगसम्बन्धसम्बद्ध कुन्तधारी पुरुषका आक्षेप करा लेता है और उसकी सहायतासे अन्वय उपपन्न हो जाता है । ये दोनों उपादानलक्षणाके उदाहरण हैं ।

‘लक्षणलक्षणा’का उदाहरण ‘गङ्गाया घोष’ है । इस वाक्यमें जलप्रवाहरूप गङ्गाके साथ वामीरगृही [घोषियोंकी बस्ती]का आधारार्थभावसे अवय अनुपपन्न होनेपर घोष पदायकी आधेयता सिद्धिके लिए गङ्गा शब्द अपने अथको समर्पित कर देता है । अर्थात् गङ्गा शब्द अपने अर्थको छोड़ कर शब्दरूप अर्थका लक्षणया बोध कराता है । इस प्रकार गङ्गा शब्दने अपने अथको छोड़कर सामीप्य

तत्रार्थान्तरसङ्क्रामितवाच्यो यथा—

स्निग्धश्यामलफान्तिलिप्तवियतो घेत्लह्लाका घना
घाता शीकरिणः पयोदसुहृदामानन्दकेका फला ।
कामं सन्तु दृढ़ फठोरहृदयो रामोऽस्मि सर्वं सहे
घैदेही तु कथ भविष्यति हहा हा देवि धीरा भव ॥

इत्यत्र रामशब्द । अनेन हि व्यङ्ग्यधर्मान्तरपरिणत सङ्गी प्रत्याद्यते, न सङ्क्षिमात्रम् ।

सम्बन्धते तटरूप अर्थका बोध कराय। इसलिए यह 'लक्षणलक्षणा'का उदाहरण है। इसको 'जहत्स्वाया' भी कहते हैं।

इस प्रकार लक्षणाके दो मुख्य भेदोंमेंसे एक 'अजहत्स्वाया' उपादानलक्षणमें शब्द अपने मुख्य अर्थको छोड़ता नहीं, अपितु लक्षणा उसके सामान्य-वाचक अथवा किसी विशेष अर्थमें सङ्क्रामित करा देती है। इसीसे उसको अजहत्स्वाया कहते हैं। यही अर्थान्तरसङ्क्रामितावाच्यध्वनिका मूल है। इसीके प्रभावसे अविवक्षितवाच्यध्वनिके अर्थान्तरसङ्क्रामितवाच्यभेदम वाच्य अर्थ अपनी स्थिति रखते हुए स्व विशेषमें पर्यवसित होता है। इसीलिए उसको अर्थान्तरसङ्क्रामितवाच्यध्वनि कहते हैं। 'नयने तस्यैव नयन' उर्साके नेत्र नेत्र हैं जिनसे, इसमें द्वितीय नयन शब्द भाग्यवत्तादि गुणविशिष्ट नयनका बोधक है। यदि दोनों शब्दोंका साधारण नेत्र ही अर्थ करें तो पुनरुक्ति होगी, इसलिए दूसरा नयन शब्द भाग्यवत्तादिगुणविशिष्ट नेत्रोंका प्रतिपादक होनेसे अर्थान्तरसङ्क्रामित वाच्यध्वनिका उदाहरण होता है।

लक्षणाका दूसरा भेद लक्षणलक्षणा है। इसमें दूसरेकी अन्वयसिद्धिके लिए एक शब्द अपने अर्थको बिल्कुल छोड़ देता है, इसलिए इसको जहत्स्वाया कहते हैं। मुख्याथका अत्यन्त परित्याग ही उसका तिरस्कार है। इसलिए लक्षणलक्षणमें वाच्यार्थके अत्यन्त तिरस्कार—सबथा परित्यागके कारण ही उसको जहत्स्वाया कहते हैं। यही अविवक्षितवाच्यध्वनिके अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य भेदका मूल है। इस प्रकार अथा तरसङ्क्रामितवाच्यध्वनिके नाममें गिजन्त सङ्क्रामित पदका प्रयोग व्यञ्जनाकी सङ्क्षारिणी लक्षणाने प्रभावको चोखित करता है। आगे इन दोनोंके उदाहरण देते हैं—

१ अर्थान्तरसङ्क्रामितवाच्यध्वनिके उदाहरण

अर्थान्तरसङ्क्रामितवाच्य [का उदाहरण] जैसे—

स्निग्ध पद्म श्याम फान्तिसे आकाशको व्याप्त करनेवाले और [घलाका] वक्क पकि जिनके पास विहार कर रही है घेसे सघन मेघ [भले ही उमड़ें], शीकर [छोटे छोटे जलकणों] से रूक्त [शीतलमन्द] समीर [भले ही घड़े] और मेघोंके मित्र मयूरोंकी आनन्दभरी कूकें भी चाहे कितनी ही [श्रवणगोचर] हों, मैं तो फठोरहृदय राम हूँ, सय-कुछ सह लूँगा। परन्तु [अति सुकुमारी, कोमलहृदया, वियोगिनी] घैदेहीकी क्या दशा होगी ? हा देवि, धैर्य रखना।

इसमें 'राम' शब्द [अर्थान्तरसङ्क्रामितवाच्य] है। इससे केवल सङ्क्षिमात्र रामका बोध नहीं होता अपितु व्यङ्ग्यधर्मविशिष्ट [अत्यन्त दुःखसाक्षिण्यरूप सङ्गी] रामका बोध होता है।

यथा च ममैव विपमवाणलीलायाम्—

ताला जाअन्ति गुणा जाला दे सहिअएहिँ धेप्पन्ति ।

रइकिरणानुग्गहिआईँ ह्योन्ति कमलाईँ कमलाईँ ॥

[तदा जायन्ते गुणा यदा ते सहृदयैर्गृह्यन्ते ।

रविकिरणानुगृहीतानि भवन्ति कमलानि कमलानि ॥ इति च्छाया]

इत्यत्र द्वितीय कमलशब्द ।

अत्यन्ततिरस्कृतवाच्यो यथादिकवेर्वाल्मीके —

इस श्लोकक यत्ता राम है । अतएव 'रामो...स्मि'के स्थानपर केवल 'अस्मि' कहनेपर भी 'अहम्' पदकी प्रतीति द्वारा रामका बोध हो जाता । इसलिए प्रकृतिकें रामपदका मुख्याथ अनुपपन्न होकर [अजहत्स्वार्था उपादान] लक्षणा द्वारा, अत्यन्त दुःखसहिष्णुत्वविशिष्ट रामका बोध कराता है । 'मै राम हूँ' अथात् पिताव अत्यन्त वियाग, राज्य याग, यत्नास, जटाचीरधारण, स्त्रीहरण आदि अनेक दुःखाका सहन करनवाला अत्यन्त कठोरहृदय राम हूँ, मैं सब कुछ सहन कर सकूँगा । यहाँ 'हृत् कठोरहृदय' यह पद उक्त लयाधारी प्रतीतिके विशेष सहायक होता है और रामपद अत्यन्त दुःखसहिष्णुत्वविशिष्ट रामका बोधक हानसं अथा तरसङ्क्रमितवाच्यध्वनिका उदाहरण है । उहाँ दुःखसहिष्णुत्व आदि धर्माका अतिशय यद्गुण है ।

यद्यपि प्रथमरत्ने इसे केवल अर्थांतरसङ्क्रमितवाच्यके उदाहरणके रूपमें प्रस्तुत किया है और अत्यन्ततिरस्कृतवाच्यका उदाहरण आगे देंगे, परन्तु यहाँ आकाशके निराकार होनेसे उसका लेपन सम्भव न होनेसे 'लस्य' शब्द अपने अर्थको सबथा छोड़कर, 'यास्य' अर्थका बोध कराता है । इसी प्रकार 'पयोदनुदुदायाम् म सीहाद चेतनका धम ही हो सकता है, इसलिए मेघमें सम्भव न होनेसे 'सुहृद्' शब्द अपने अर्थका छोड़कर लक्षणलक्षणासे 'आनन्ददायक' अर्थका बोध कराता है । इस प्रकार ये दोनों पद अत्यन्ततिरस्कृतवाच्यके उदाहरण भी हो सकते हैं । परन्तु प्रथमरत्ने तिरस्कृतवाच्यका अलग ही उदाहरण देना उचित समझा इसलिए वे आगे इसका उदाहरण देंगे । अभी अगला एक और उदाहरण अर्थांतरसङ्क्रमितवाच्यका ही स्वरचित 'विपमवाणलीला' नामक काव्यसे देते हैं ।

और जैसे मेरे ही 'विपमवाणलीला' [नामक काव्य] में—

[गुण] गुण तभी होते हैं जब सहृदय उनको ग्रहण करते हैं। सूर्यकी किरणोंसे अनुगृहीत कमल ही कमल होते हैं ।

यहाँ द्वितीय कमल शब्द [अर्थांतरसङ्क्रमितवाच्य हे] ।

यहाँ द्वितीय कमल शब्द लक्षणा द्वारा लक्ष्मीभाजनत्वादिधर्मविशिष्ट कमलका बोधक होनेसे अर्थांतरसङ्क्रमित है और चारुत्वका अतिशय यद्गुण है । इसी प्रकार पूर्वार्द्धमें गुण शब्दकी भी आवृत्ति मानकर गुण तभी गुण होते हैं जब सहृदय उनको ग्रहण करते हैं । ऐसा अर्थ करना चाहिये । उस दशमो द्वितीय गुण शब्द उक्तृत्वादिधर्मविशिष्ट गुणका बोधक होनेसे अथान्तरसङ्क्रमितवाच्य होगा और उस उक्तृत्वका अतिशय यद्गुण होगा । ये दोनों श्लोक अथान्तरसङ्क्रमितवाच्यध्वनिके उदाहरण हुए । आगे अत्यन्ततिरस्कृतवाच्यके उदाहरण देते हैं ।

२ अत्यन्ततिरस्कृतवाच्यके दो उदाहरण

अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य [का उदाहरण] जैसे आदिकवि वाल्मीकिका [पञ्चवटीमें हेमन्तवर्षानके प्रसंगमें रामचन्द्रजीका कहा हुआ यह श्लोक]—

रविसह्क्रान्तसौभाग्यस्तुपारावृतमण्डल ।

नि श्वासान्ध इवादर्शश्चन्द्रमा न प्रकाशते ॥ इति

अत्रान्धशब्द'

गण च मत्तमेह धारालुलिअञ्जुणाई अ वणाइ ।

गिरहकारमिअका हरति नीलाओ वि णिसाओ ॥

[गगन च मत्तमेघ धारालुलितार्जुनानि च वनानि ।

निरहङ्कारमृगाहङ्का हरन्ति नीला अपि निशा ॥ इति च्छाया]

अत्र मत्तनिरहङ्कारशब्दौ ॥१॥

[हिमन्तमें सूर्यके चन्द्रमाके समान अनुष्ण और आह्लाददायक हो जानेसे] जिस [चन्द्रमा] की शोभा सूर्यमें सङ्क्रान्त हो गयी है [अथवा सूर्यसे प्रकाशको ग्रहण करने वाला] तुषारसे आच्छादित मण्डलवाला चन्द्रमा निश्वाससे मलिन दर्पणके समान प्रकाशित नहीं हो रहा है ।

यहाँ अन्ध शब्द [अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य है] ।

'अ ध' शब्द नेत्रहीनका वाचक है । चन्द्रमामें नेत्रहीनस्वरूप अ धत्व अनुपपन्न होनेसे 'अ ध' शब्द अपने नेत्रविहीनत्व अर्थको सर्वथा छोड़कर अप्रकाशरूप अर्थको जहत्स्वाया लक्षणलक्षणासे बोधित करता है और अप्रकाशातिशय 'यद्भय हाता है । अ ध शब्द अपने अर्थको सबथा छोड़कर अप्रकाशरूप अर्थका बोधन करता है इसलिए अ ध शब्दका मुख्यार्थ यहाँ अत्यन्ततिरस्कृत हो जाता है । इसीसे इसको 'अत्यन्ततिरस्कृतवाच्यप्यनि'का उदाहरण माना है ।

मठनायकने इस श्लोककी व्याख्यान 'इव' शब्दका यथाश्रुत अन्वय मानकर "इव शब्द योगाद् गौणतात्पर्य न काचित्" लिखकर अ ध पदमें लक्षणा माननेकी आवश्यकता नहीं समझी है । परन्तु उनकी यह व्याख्या सन्नत नहा है । 'इव' शब्द चन्द्रमा और आदर्शके उपमानोपमेयभावका बोधक है । नि श्वासा ध पद आदर्शका विशेषण है । 'नि श्वासा ध आदर्श इव चन्द्रमा न प्रकाशते' इस प्रकार अचय होनेसे 'इव' शब्द भिन्नम है । इसलिए अ ध पदको स्वार्थमें बोधित होनेसे जहत्स्वाया लक्षणलक्षणा द्वारा अप्रकाशरूप अर्थका बोधक मानना ही ठीक और उस दर्शार्थ अप्रकाशातिशयको व्यञ्जना द्वारा बोधित कर वह अत्यन्ततिरस्कृतवाच्यप्यनिका उदाहरण होगा ।

[न केवल ताराओंसे भरा निर्मल आकाश ही अपितु] मदमाते उमड़ते मेघोंसे आच्छादित आकाश [भी, न केवल मन्द मन्द मलय मारुतसे आन्दोलित आभ्रघन ही अपितु वर्षाकी] धाराओंसे आन्दोलित अर्जुनघन [और न केवल उज्ज्वल चन्द्रकिरणोंसे धधलित चाँदनी रातें ही मनको लुभानेवाली होती हैं अपितु सौन्दर्यसे रहित] गर्जहीन चन्द्रमावाली [वर्षाकालकी अन्धकाररथी] फाली रातें भी मनको हरण करनेवाली होती हैं ।

यहाँ मत्त और निरहङ्कार शब्द [अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य हैं] ॥१॥

मत्तके उपयोगसे पैदा हुई क्षीयता 'मत्त' शब्दका और सौन्दर्यादिके कारण उत्पन्न 'दर्प', अहङ्कार शब्दका मुख्यार्थ है । ये दोनों धम चेतनमें ही रह सकते हैं । यहाँ मत्तताका मेघके साथ और निरहङ्कारत्वका चन्द्रमाके साथ जो सम्बन्धवर्णन किया है वह अनुपपन्न है । अत मुख्यार्थ

असंलक्ष्यक्रमोद्योतः क्रमेण द्योतिताः परः ।

विवक्षिताभिधेयस्य ध्वनेरात्मा द्विधा मतः ॥२॥

सुरयतया प्रकाशमानो व्यङ्ग्योऽर्थो ध्वनेरात्मा । स च वाच्यार्थापेक्षया कश्चिद-
लक्ष्यक्रमतया^१ प्रकाशते, कश्चित् क्रमेणेति द्विधा मतः ॥२॥

राधने कारण यह मत्त' श द सादृश्यवश दुनिवास्त्य आदि तथा निरहङ्कार शब्द विन्धायत्वादि धर्मों को व्यक्त करता है । अतएव यहाँ अत्यन्ततिरस्कृतवाच्यध्वनि है ॥१॥

स-विपक्षितान्यपरवाच्य [अभिधामूल] ध्वनिके दो भेद

ऊपर ध्वनि का दो भेद किया है । अविपक्षितवाच्य या रक्षणा मूल ध्वनि और दूसरा विपक्षितान्यपरवाच्य या अभिधामूल ध्वनि । इनमें पहिले अर्थात् आविपक्षितवाच्य [रक्षणा मूल] ध्वनिके अर्थात्तरसदृशमितवाच्य और अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य यह दो अवान्तर भेद और किये । इसी प्रकार अथ विपक्षितान्यपरवाच्य [अभिधामूल] ध्वनिके अवान्तर भेद दिललायेंगे । इसके भी पहिले दो भेद होते हैं—एक असंलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य और दूसरा संलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य । रस, भाव, रसाभाव, भावाभास, भावशक्ति, भावोदय, भावसाध, भावशयल्यारूप आस्वादप्रधान ध्वनिको 'असंलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य' ध्वनि कहते हैं । इसका अवान्तर भेदों का अनन्त विस्तार हो जायगा इस कारण उसका विस्तार नहीं किया गया है, अपितु असंलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यको एक ही भेद माना है । दूसरे संलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यके अनेक भेद किये गये हैं । आगे विपक्षिता यपरवाच्य [अभिधामूल] ध्वनिके असंलक्ष्यक्रम और संलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य का भेद करके पहिले असंलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य विषयमें कुछ विशेष बातें लिखते हैं ।

विपक्षितवाच्य [अभिधामूल] ध्वनिका आत्मा [स्वरूप] असंलक्षित क्रमसे और दूसरा संलक्षित क्रमसे प्रकाशित [हानसे] का प्रकारका माना गया है ॥२॥

प्रधान रूपसे प्रकाशित हानवाला व्यङ्ग्य अर्थ ध्वनिका आत्मा [स्वरूप] है । और वह कोई वाच्यार्थकी अपेक्षासे अलक्षित क्रमसे प्रकाशित होता है और कोई [संलक्ष्य] क्रमसे, इस प्रकार दो तरहका माना गया है ।

कारिकाम विपक्षिताभिधेय और ध्वनि दानोंका समानाधिकरणरूपसे प्रयोग किया गया है । यों अभिधेय अभिधाशक्तिका और ध्वनि व्यञ्जनाशक्तिका विषय हानसे दोनों अलग अलग हैं । परन्तु यहा दानोंका सानिध्य और सामानाधिकरण्य, अभिधेयकी अत्यपरताको यक्त करता है । तदनुसार विपक्षिताभिधेयका अथ विपक्षिता यपरवाच्य करनसे ध्वनिक साथ उसका सामानाधिकरण्य उपपन्न हो जाता है । पहिली कारिकाम आविपक्षितवाच्य [रक्षणा मूल] ध्वनिक जो अर्थात्तर सदृशमितवाच्य और अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य दो भेद दिलाये हैं वे वाच्यार्थकी प्रतीतिके स्वरूपभेदसे दिलाये हैं और इस कारिकाम विपक्षिता यपरवाच्यध्वनिके जो असंलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य और संलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य का भेद दिलाये हैं वे व्यञ्जना वापारके स्वरूपभेदसे दिलाये हैं ॥२॥

असंलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यध्वनि

प्रधान रूपसे प्रकाशित हानवाला व्यङ्ग्य ही ध्वनिका स्वरूप है । अर्थात् जहाँ व्यङ्ग्य अर्थका प्राधान्य होता है वहा ध्वनि वाच्य माना जाता है । इसका अर्थ यह हुआ कि जहाँ व्यङ्ग्यका प्राधान्य

तत्र,

रसभावतदाभासतत्प्रशान्त्यादिरक्रमः ।

ध्वनेरात्माऽङ्गिभावेन भासमानो व्यवस्थितः ॥३॥

रसादिर्यो हि सहेव' वाच्येनावभासते । स चाङ्गित्वेनावभासमानो ध्वनेरात्मा ॥३॥

नहीं होता उसको ध्वनिकाव्य नहीं माना जाता । इसलिए रस आदि यद्गय भी अप्रधान होनेकी दशामें ध्वनि नहीं कहलाते हैं, केवल प्रधान होनेकी दशामें ही ध्वनि कहलाते हैं और जहाँ वे किसी दूसरे अङ्गीके अङ्ग बन जाते हैं वहाँ रसवदादि अलङ्कार कहलाते हैं । अगली दो कारिकाओंमें रसादिकी प्रधानता और अप्रधानतामूलक ध्वनित्व और रसवदलङ्कारत्वका प्रतिपादन करते हैं ।

उनमेंसे—

रस, भाव, तदाभास [अर्थात् रसाभास और भावाभास] और भावशान्ति आदि [आदि शब्दसे भावोदय, भावसन्धि और भावशबलताका भी ग्रहण होता है] अक्रम [असलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य] अङ्गीभावसे [अर्थात् प्राधान्येन] प्रतीत होते हुए ध्वनिके आत्मा [स्वरूप] रूपसे स्थित होते हैं ॥२॥

रसादिरूप अर्थ वाच्यके साथ ही सा प्रतीत होता है । और यह प्रधात रूपसे प्रतीत होनेपर ध्वनिका आत्मा [स्वरूप] होता है ।

निर्णयसागरीय संस्करणमें 'सहेव'के स्थानपर 'सहैव' पाठ है । 'वाच्येन सहैव अवभासते' वाच्यके साथ ही प्रकाशित होता है यह वाक्यार्थ उस पाठके अनुसार होता है । इस पाठ और उसके अर्थमें कइ दाप आ जाते हैं । एवकारके बलसे, रसादिकी प्रतीति वाच्यप्रतीतिके साथ ही होती है यह अर्थ माना जाय तो वाच्य और रसादिकी प्रतीतिमें कोई क्रम न होनेसे रसादिको अक्रमव्यङ्ग्य कहना चाहिये, परन्तु सिद्धांतपक्ष यह है कि रसादिकी प्रतीतिमें क्रम होता तो अवश्य है परन्तु शीघ्रताके कारण [उत्पलशतपत्रव्यतिभेदवत् लाघवात् न सलक्ष्यते] प्रतीत नहीं होता । इसलिए रसादिको असलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य कहा जाता है, अक्रमव्यङ्ग्य नहीं । दूसरी बात 'युगपत्तानानुत्पत्तिर्मनसो लिङ्गम्' [न्यायदर्शन १, १, १६ सूत्र] के अनुसार वाच्य और व्यङ्ग्य दोनोंकी एक साथ प्रतीति हो भी नहीं सकती । तीसरी बात यह है कि लोचनकारने यहाँ 'एव' पाठ न मानकर 'इव' पाठ ही माना है और लिखा है कि "सहेवेति इव शब्देनावभासतया विद्यमानत्वेऽपि क्रमस्य व्याख्याता ।" अर्थात् वाच्य और रस आदि यद्गयकी प्रतीतिमें क्रम होते हुए भी शीघ्रताके कारण प्रतीत नहीं होता यह असलक्ष्यता ही इव शब्दसे सूचित होती है । इसलिए निर्णयसागरीय पाठ असङ्गत है ।

कारिकामें रसके साथ भाव आदिका भी उल्लेख किया है । 'रस्यते आत्वाद्यते इति रस' इस युक्तिके अनुसार रस, भाव, रसाभास, भावाभास, भावशान्त्यादि सभी रसश्रेणीमें आते हैं । परन्तु फिर भी उन सबमें कुछ भेद है ।

"रतिर्देवादिविषया व्यभिचारी तथाङ्गित ।

भाव प्रोच, तदाभासा ह्यनौचित्यप्रवर्तिता ॥" का० प्र० ४, ३५

अर्थात् देवता, गुरु आदिविषयक रति—प्रेम तथा अभि-युक्त व्यभिचारी भावको भाव कहते हैं और रस तथा भावके अनुचित वर्णनको रसाभास एव भावाभास कहते हैं ।

रसप्रक्रिया

“निभाषानुभाव-यभिचारिसयोगाद् रसनिष्पत्तिः” यह भरतमुनिका सूत्र है। इसका आशय यह है कि विभाव, अनुभाव और सञ्चारिभावने सयोगसे परिपुष्ट रत्यादि स्थायिभाव आर्यादावस्थापन होकर रस कहलाते हैं। यह भरतका मूल सूत्र सीधा सा जान पड़ता है परन्तु वह बड़ा विवादप्रस्त रहा है। अनेक आचार्योंने अनेक प्रकारसे उसकी व्याख्या की है। ‘काव्यप्रकाश’में मम्मटाचार्यने उनमेंसे १ भट्टोल्लट, २ श्रीशङ्कर, ३ भट्टनायक, ४ अभिनवगुप्तपादाचार्यके चार मतोंका उल्लेख किया है। ‘लोचन’में भी इस सम्बन्धमें अनेक मतोंका उल्लेख मिलता है। उन सब मतोंको समझनेके लिए पहिले रसप्रक्रियाके पारिभाषिक शब्द विभाव, अनुभाव, सञ्चारिभाव, स्थायि भाव आदिको समझ लेना चाहिये।

स्थायिभाव

मनुष्य जो कुछ देखता, सुनता या अन्य किसी प्रकार अनुभव करता है उस सबका मस्कार उसके मनपर रहता है। वह अनुभव तो क्षणिक हो से नष्ट हो जाता है परन्तु वह अपने पीछे एक स्थायी वस्तु ‘संस्कार’ छोड़ जाता है, जिसे ‘वासना’ भी कहते हैं। ये संस्कार अपने योग्य उद्बोधक सामग्री पाकर उद्बुद्ध हो जाते हैं। उस उद्बोधक सामग्रीसे न केवल इस समय या इस जन्मके अपितु पूर्वकालीन अनेक जन्म जन्मांतरसे व्यवहित अथवा इस जन्ममें भी अनेक देशदेशांतरसे व्यवहित संस्कारोंका उद्बोध हो सकता है। योगदर्शनने इन वासनाओं अथवा संस्कारोंके अनादित्व और अत्यन्त सुदूरवर्ती संस्कारोंकी भी अभिव्यक्तिका वर्णन करते हुए लिखा है—

“तासामनादित्वञ्चाशिषो नित्यत्वात्।” योगसूत्र ४, ९

“जातिदेशकालव्यवहितानामप्यानन्तर्ये स्मृतिसंस्कारयोरेकरूपत्वात्।” यो० ४, १०

यदि हम इन संस्कारोंकी गणना करना चाहें तो वह असम्भव है। एक पुरुषके मनके एक जन्मके संस्कारोंका परिगणन भी सम्भव नहीं है फिर उसके अपरिगणित पूर्वजन्मोंके और ससाराके अपरिमित प्राणियोंके संस्कारोंकी गणना तो सर्वथा असम्भव ही है। फिर भी प्राचीन आचार्योंने उन संस्कारोंका वर्गीकरण करनेका प्रयत्न किया है। साहित्यशास्त्रकी रसप्रक्रियामें स्थायिभाव शब्दसे कहीं चार, कहीं आठ, कहीं नौ और कहीं दस स्थायिभावोंका वर्णन किया गया है। वह उन अनादि कालीन संस्कारों या वासनाओंका वर्गीकृत रूप ही है। मनमें स्थायी रूपसे रहनेवाली वासना या संस्कारका नाम ही स्थायिभाव है। इन संस्कारोंमें सबसे प्रबल और बहुव्यक्त वासनाएँ १ राग, २ द्वेष, ३ उत्साह और ४ जुगुप्सासे सम्बन्ध रखनेवाली होती हैं, क्योंकि वे प्राणीकी सबसे अधिक स्वामाविक प्रवृत्तियाँ हैं और न केवल मानवयोनिमें अपितु पशु, पक्षी, कीट, पतङ्ग आदि सभी योनियोंमें पायी जाती हैं। साहित्यिक आचार्योंने इन स्थायिभावोंका परिगणन इस प्रकार किया है—

“रतिहासश्च शोकश्च क्रोधोत्साहौ भयं तथा ।

जुगुप्सा विस्मयश्चेति स्थायिभावाः प्रकीर्तिता ॥” का० प्र० ४, ३०

रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा और विस्मय ये आठ और कहीं निवेद या वैराग्यको भी मिलाकर नौ स्थायिभाव माने गये हैं।

आलम्बन और उद्दीपनविभाव

इन स्थायिभावोंका उद्बुद्ध करनेवाली सामग्री मुख्यतः दो प्रकारकी है—एक आलम्बन और दूसरी उद्दीपन। नायक और नायिकादिके आलम्बनसे स्थायिभाव उद्बुद्ध होते हैं, इसलिए उनका आलम्बनात्मक सामग्री या आलम्बनविभाव कहते हैं। बाह्य परिस्थिति—उत्थान, प्राकृतिक शो-दय आदि उनसे उद्दीपक होनेसे उद्दीपनसामग्रीमें आते हैं और उद्दीपनविभाव कहलाते हैं। आलङ्कारिकाने स्थायिभावोंकी इस द्विविध उद्बोधक सामग्रीको 'विभाव' नामसे निदिष्ट किया है—

“स्वायुद्बोधका लोके विभावा कायनाश्रयो ।

आलम्बनोद्दीपनाख्यौ तस्य भेदाशुभौ स्मृतौ ॥

आलम्बनो नायकादिस्तमालम्ब्य रसोद्भवात् ॥” सा० द० ३, २०

“उद्दीपनविभावास्ते रसमुद्दीपयन्ति ये ।

आलम्बनस्य चेष्टाया देहाकालादयस्तथा ॥” सा० द० ३, १३१

अनुभाव

मनः भीतर स्थायिरूपसे विद्यमान रत्यादि वासनाया या स्थायिभावोंका इस आलम्बन तथा उद्दीपनसामग्री अर्थात् विभावोंसे उद्बोधनमान होता है, उत्पत्ति नहीं। मट्टोल्लेखने “विभावेर्लनाद्यानादिभिरालम्बनोद्दीपनकारणै रत्यादिको भावो जनित’ लिखा है। यहाँ ‘जनित’का अर्थ ‘उद्बुद्ध’ का करना चाहिये, क्योंकि यदि रत्यादिकी उत्पत्ति मानें तो फिर वह स्थायिभाव ही कहाँ रहा। इस प्रकार जब इस सामग्रीसे रत्यादि वासना उद्बुद्ध हो जाता है तो उन वासनाओंका प्रभाव बाहर निकलना ही देने लगता है। मागत उद्बुद्ध वासनाके अनुसार ही मनुष्यकी चेष्टा, आकारमङ्गी आदि भेद हो जाता है। इसीसे आलङ्कारिक लोग ‘अनुभाव’ कहते हैं। विभाव तो रत्यादिके उद्बोधन कारण है और ‘अनुभाव’ उनका फल है। इसीलिए इनका ‘अनु पश्चाद् भवन्तीति अनु भावा’ ‘अनुभाव’ कहाँ है। ये अनुभाव हर एक वासना या स्थायिभावके अनुसार अलग अलग होते हैं।

“उद्बुद्ध कारणे रस रसवह्निभाव प्रकाशयन् ।

लाभ य कायरूप साऽनुभाव कायनाश्रयया ॥” सा० द० ३, १३०

इस अनुभावात्मक—

“सम्भ स्वेदाऽथ रोमाञ्च स्वरभङ्गाऽथ वपथु ।

धवप्यमश्रु प्रलय इत्यष्टौ सात्त्विका स्मृता ॥” सा० द० ३, १३६

इन आठ सात्त्विक भावोंको प्रधान होनेके कारण ‘शोबलीवर्द-नाय’से अलग भी गिना दिया जाता है।

व्यभिचारिभाव

स्थायिभावसे उल्टा व्यभिचारिभाव है, उसको सञ्चारिभाव भी कहते हैं। स्थायिभावकी स्थायिता ही उसकी विशेषता है, इसी प्रकार व्यभिचारिभावका अस्थायित्व उसकी विशेषता है। स्थायि भावकी उपमा ‘लवणाकर’से दी गयी है। सौंकर हीलर्म जो कुछ डाल दो थोड़े समयमें नमक बन जाता है। इसी प्रकार जो विरह या अविरह भावोंसे विच्छिन्न नहीं होता है वही स्थायिभाव है।

“विरहैरविरहैर्वा भावैर्विच्छिद्यते न य ।

आत्मभाष नयत्यन्यान् स स्थायी लवणाकर ॥” दशरूपक ५, ३४

“अविरुद्धा विरुद्धा वा य तिरोघातुमक्षमा ।

आस्वादाङ्करकन्दोऽसौ भाव स्थायीति सम्मत ॥” सा० द० ३, १७४

इसके विपरीत सञ्चारिभाव या ध्वनिचारिभाव समुद्रकी तरङ्गोंके समान अस्थिर हैं। वे स्थायि भावके परिपोषमें सहकारी होते हैं। उनकी सरया ३३ मानी गयी है—

“विशेषादाभिमुख्येन चरन्तो ध्वनिचारिण ।

स्थायि-यु-मग्ननिर्मग्ना कल्लोला इव वारिधौ ॥” दशरूपक ४, ७

“निर्वेदग्लानिशङ्काश्रमपृथिव्यहृत्वाहर्षदैर्न्यौर्ग्रयचि ता
स्त्रासेर्ष्यामर्षगर्षा स्मृतिमरणमदा सुप्तनिद्राविशेषा ।

ब्रीह्यापस्मारमोहा समतिरलसता वेगतकावक्षिद्या

व्याधु-मादौ विषादोत्सु-चपलयुतास्त्रिदादेते त्रयश्च ॥” दशरूपक ४, ८

रसास्वाद और रसस्ख्या

यही विभाव, अनुभाव और सञ्चारिभाव रसकी सारभूती हैं। आलम्ब्य और उद्दीपनविभाव स्थायिभावको उद्बुद्ध करते हैं। अनुभाव उसको प्रतीतियोग्य बनाते हैं और व्यभिचारिभाव उसको परिपुष्ट करते हैं। इस प्रकार इन सबके संयोगसे स्थायिभाव रसनयोग्य, आस्वादयोग्य हो जाता है। उसका आस्वाद होने लगता है। इसी आस्वादन या रसनको ‘रस’ कहते हैं। उस आस्वादन अवस्था का नाम ही रस है। उससे अतिरिक्त रस कुछ और नहीं है। इसलिए जहाँ कहीं ‘रस आस्वाद्यते’ आदि व्यवहार होता है वहाँ ‘राहो रिर’के समान विकल्पप्रतीतिका विषय अथवा ‘ओदन पचति इतिवद्’ औपचारिक प्रयोगमान समझना चाहिये।

“शृङ्गारहास्यकरुणरोद्रवीरभयानका

बीमत्साद्भुतघणो जेत्यष्टो नाट्ये रसा स्मृता ॥” का० प्र० २९

“निर्वेदस्थापिमावोऽस्ति शान्तोऽपि नयमा रस ।” का० प्र० ३५

काव्यमें शृङ्गारादि आठ और नवम शा तरस इस प्रकार नौ रस माने गये हैं, परन्तु नाटकमें शान्तरसका परिपाक सम्भव न होनेसे उसको छोड़कर आठ ही रस माने गये हैं। शान्तरसके सम्बन्धमें विवेचना करते हुए दशरूपकमें लिखा है—

“शममपि चेचित् प्राहु पुष्टिनाट्येषु नैतस्य ।” दश० ४, २५

“निर्वेदादिरताद्रूप्यादस्थायी स्वदत्त कथम् ।

वैरस्यायैव तत्प्योपस्तनाष्टी स्थायिनो मता ॥” दश० ४, ३६

“इह शान्तरस प्रति वादिनामनेकविधा विप्रतिपत्तय । फेचिदाहु नास्त्येव शान्ता रस,
तस्याचार्येण विभावाद्यप्रतिपादनाहृत्क्षणाकरणात् । अये तु वस्तुतरतस्याभाव वर्णयति । अनादि
कालप्रवाहापातरागद्वेषयोरुच्छेत्तुमशवयत्वात् । अन्ये तु वीरवीमत्सादावन्तभाव वर्णयन्ति । यथा तथा
अस्तु । सवथा नाटकादावभिनयात्मनि स्थायित्वमस्माभि शमस्य निपिप्यते । तस्य समस्तव्यापार
प्रविल्यरूपस्याभिनयायोगात् । यत्तु वैश्रिज्ञागान् दादौ शमस्य स्थायित्वमुपवर्णितं तत्तु मलयवत्यनुरागेण
आप्रव-प्रवृत्तेन, विद्याधरचक्रवर्तित्वप्राप्त्या विरुद्धम् । नक्षेत्रानुकार्यविभावालम्बनो विषयापुराणा
परागावुपलभौ । अतो दयावीरोत्साहस्यैव तत्र स्थायित्वम् ।”

“विरुद्धाविरुद्धानिच्छेदित्वस्य निर्वेदादीगामभावादस्थायित्वम् । अत एव ते चिन्तादिस्वस्वव्य
भिचायन्तरिता अपि परिपोष नीयमाना वैरस्यमानर्हात ।”

इसका भाव यह है कि शमको स्थायिभाव माननेके विषयमें कई प्रकारकी विप्रतिपत्तियाँ पायी जाती हैं । १ भरतने नाट्यशास्त्रमें शान्तरसके विमावादिषा प्रतिपादन भी नहीं किया है और न शमका लक्षण ही किया है, इसलिए कुछ लोग शमको स्थायिभाव नहीं मानते । २ दूसरे लोगोंका कहना यह है कि राग द्वेष आदि दोषोंका सर्वथा नाश हो जानेपर ही शमधी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, परन्तु अनादिकालप्रवाहसे आनेवाले राग द्वेषका सर्वथा अभाव सम्भव नहीं है इसलिए शम हो ही नहीं सकता है । ३ अन्य लोग वीर, भीमत्स आदि रसोंमें उसका अन्तर्भाव करते हैं । इनसे चाहे जो टीका हो, हमारा [‘दशरूपक’ और उसने टीकाकारका] कहना यह है कि समस्त व्यापार विलयरूप शमका अभिनय सम्भव नहीं है इसलिए अभिनयात्मक नाट्यमें शमका स्थायिभावत्व हम नहीं मान सकते । जिन लोगोंने ‘नागानन्द’ नाटकमें शान्तरस माना है उनका वह कथन ‘नागानन्द’में आदिसे अततक पाय जानेवाले मलयवतीके प्रति अनुराग और विद्याधरचक्रवर्तित्वकी प्राप्तिके विषय होनेसे वहाँ शा-तरस नहीं अपितु दयावीरका उत्साह ही वहाँ स्थायिभाव और वीररस है ।

स्थायिभावका लक्षण ‘विरुद्धाविरुद्धाविच्छेदित्व’ ऊपर कहा गया है वह भी शममें नहीं घटता । अतएव शम स्थायिभाव नहीं है । नाटकमें उसका परिपोष वैरस्थापादक ही होगा इसलिए दशरूपककार धनञ्जयके मतमें कमसे कम नाटकमें शम स्थायिभाव नहीं है ।

रसानुभवकालीन चतुर्विध चित्तवृत्ति

विभाव, अनुभाव, सञ्चारिभावेने योगसे स्थायिभावका परिपोष होकर जो आस्वादन होता है उसीको रस कहते हैं । यह आस्वादन या रस वस्तुतः चित्तकी एक अवस्थाविशेष है । ऊपर हमने लिखा था कि हमारे अतः करणमें अनादिकालसे सञ्चित जो वासनाएँ हैं, जिन्हें संस्कार भी कहते हैं, उन्हींकी साहित्यशास्त्र या अलङ्कारशास्त्रके आचार्योंने वर्गीकरण करके स्थायिभाव नाम दिया है । यह वर्गीकरण वस्तुतः रसानुभूतिकालमें चित्तकी जा अवस्था होती है उसीके आधारपर किया गया है और वह उनकी सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक विवचनाशक्तिका परिचायक है । ऊपर जो आठ स्थायि भाव दिखलाये हैं उनको भी सक्षिप्त करके चार प्रकारकी मनोदशाओंका विवेचन दशरूपककारने किया है । रसास्वादके समय चित्तकी जो-जो भिन्न भिन्न अवस्थाएँ होती हैं उन्हें विकास, विस्तार, विमोम और विक्षेप इन चार रूपोंमें विभक्त किया गया है । प्रेमक समय वा शृङ्गाररसके अनुभव-कालमें जो चित्तकी अवस्था होती है उसका नाम ‘विकास’ रखा गया है । इसी प्रकार वीररसके अनुभवकालीन चित्तवृत्तिको ‘विस्तार’, भीमत्सानुभूतिकालीन स्थितिको ‘विक्षोभ’ और रौद्रानुभूति कालिक मन स्थितिको ‘विक्षेप’ नाम दिया गया है ।

रसचतुष्टयवाद

इस प्रकार चित्तकी चार प्रकारकी ही दशा होनेसे शृङ्गार, वीर, भीमत्स और रौद्र इन चार रसोंकी ही इन लोगोंने मौलिक रस माना है और शेष चार कण्ठ, हास्य, अद्भुत और मयानकको उनके आश्रित, क्योंकि इन चारोंमें भी वही चार प्रकारकी मनोदशा होती है । इसलिए हास्यमें शृङ्गारके समान चित्तका ‘विकास’, अद्भुतमें वीररसके समान चित्तका ‘विस्तार’, मयानकरसमें भीमत्सके समान ‘विक्षोभ’ और कण्ठरसमें रौद्ररसके समान चित्तमें ‘विक्षेप’का प्राधान्य होता है । इस प्रकार रसानुभूतिकालमें चित्तकी चार प्रकारकी मनोदशा सम्भ्र होनेके कारण चार ही मौलिक रस हैं और शेष चारकी उनक द्वारा उत्पत्ति होती है ।

“शृङ्गारादि भवेद्वास्या रौद्राच्च कश्चो रस ।
वीराच्चैवाद्भुवोत्पत्तिर्भीमसाच्च भयानर ॥”

इसीलिए भरतके ‘नाट्यशास्त्र’में हास्यका लक्षण करते हुए लिखा है—

“शृङ्गारानुकृतिया तु सा हास्य प्रति कीर्तित ।”

इस सारे विषयका प्रतिपादन ‘दशरूपक’में इस प्रकार किया गया है—

“स्वाद काव्यार्थसम्भेदादात्मानन्दसमुद्भव ।

विकाशविस्तरक्षोभविशेषै स चतुर्विध ॥

शृङ्गारवीरवीमत्सरीद्रेषु मनस प्रमात् ।

हास्याद्भुतभयोत्कर्षकरुणाना त एव हि ॥’ ४, ४ ८४

‘अतस्तज्जयता तेषामत एवावधारणम् ।’

काव्य और नाटकसे रसोत्पत्तिविषयक विविध मत

नाटक और काव्यमें रसोत्पत्तिसे विषयमें भी कुछ थोड़ा भेद सा प्रतीत होता है । नाटक देखते समय रसोत्पत्ति कहाँ होती है और कैसे होती है, इस विषयमें भट्टलोल्लट, श्रीशङ्कर, भट्टनायक और अभिनवगुप्तने मत अलग अलग हैं ।

१ भट्टलोल्लटका ‘उत्पत्तिवाद’

इनमेंसे भट्टलोल्लट रसकी उत्पत्ति मुख्य रूपसे अनुनाय अथात् सीतारामादिनिष्ठ मानते हैं और उनका अनुकरण करनेके कारण नटम भी रसही प्रतीति होती है एसा उनका मत है । उनसे अनुसार ललना और उन्नादि आलम्बन तथा उद्दीपन विभावासे रामादिमें रत्यादिनी उत्पत्ति अथात् उद्बोध होता है । उससे कायभूत कटाक्षादि अनुभावोंमें रामगत रत्यादि म्थाविभावा प्रतीति योग्य बन जाता है और निर्वेदादि यमिचारिभावाकी सहायतासे परिपुष्ट होकर सुरगत रामादिमें और उनसे अनुकरण करनेके कारण गौणरूपसे नटम रसही प्रतीति पाती है । यह भट्टलोल्लट आदिका प्रथम मत है ।

भट्टलोल्लटकी आलोचना

लोल्लटके मतमें मुख्यत अनुनाय रामादिगत और गानरूपसे नटगत रसकी उत्पत्ति माननेसे सामाजिकमें रसोत्पत्तिना कोई अवसर नहा रहता । इसलिए सामाजिकको उस रसका आस्वाद होना सम्भव प्रतीत नहीं होता । यह एक बड़ी त्रुटि रह जाती है । इसलिए शङ्करने इस मतका खण्डन कर अपने ‘रसानुमितिवाद’की स्थापना की है ।

२ श्रीशङ्करका ‘अनुमितिवाद’

इस मत अथात् शङ्करके ‘रसानुमितिवाद’में रस अनुकाय रामादिनिष्ठ नहीं अपितु अनुकृता अथात् नटगत उत्पन्न होता है । नटको राम समझ कर, उससे द्वारा शिक्षाभ्यासचातुर्यसे प्रदर्शित कृत्रिम विभाव, अनुमाध, यमिचारिभाव आदिके द्वारा नटमें रसका अनुमान होता है । इस दशामें नटमें जो रामनुद्धि होती है उसे हम न सम्यग्ज्ञान कह सकते हैं और न मिथ्याज्ञान, न सशय कह सकते हैं और न सादृश्यमात्रप्रतीति । यह इन सब प्रतीतियोंसे विलक्षण ‘चित्रतुरगन्याय’से अनिवचनीय प्रतीति है । जैसे चित्राङ्कित घोड़ेको देखकर जो तुरगकी प्रतीति होती है वह यथार्थ प्रतीति नहीं है, क्योंकि

वास्तविक तुरग वहाँ नहीं है। “तद्वति तत्प्रकारक ज्ञान प्रमा” यह यथार्थज्ञान या प्रमाका लक्षण है, वह नहीं घटता इसलिए चित्रतुरगबुद्धि या नाट्यशालागत रामरूपधारी नटमें रामबुद्धि यथार्थ नहीं है। न वह मिथ्या ही है और न सादृश्य या सशयरूप। इन सबसे विलक्षण अनिर्वचनीय राम प्रतीतिसे नटको रामरूपम ग्रहण करके उस नटके द्वारा प्रकाशित अनुभावादि मी जो वास्तवम कृत्रिम हैं पर उनको कृत्रिम न मानकर उनके आधारपर नटमें रत्यादिका अनुमान होता है। वह अनुमिति प्रतीति भी अन्य अनुमीयमान पदार्थोंसे भिन्न प्रकारकी होती है, क्योंकि साधारणत अनुमिति परोक्ष ज्ञान है और रसकी अनुभूति प्रत्यक्षात्मक होती है। इसलिए रसादिप्रतीतिके अनुमितिरूप होते हुए भी अन्य अनुमितियोंसे विलक्षण होनेसे नटगत रत्यादिका सामाजिकको अनुभव होता है। यह शङ्ककका मत है।

शङ्ककके ‘अनुमितिवाद’की आलोचना

परन्तु यह शङ्कक महोदय वस्तुतः त्रिशङ्ककी भौति अघरमें लटके हुए हैं। उनका सब कुछ कल्पित है। अनुमितिके लिए जिस नटरूपरामको पक्ष बनाया है उसका रामत्व निश्चित नहीं है। उस अनुमानके लिए जिन अनुभावादिकों लिङ्ग या हेतु बनाया वे भी कल्पित—कृत्रिम हैं, पर उनको अकृत्रिम माना जा रहा है। उस हेतुके द्वारा जिस रत्यादि स्यायिभावकी सिद्धि करनी है वह भी सम्भावितमान, अयथार्थ है। उस परोक्ष अनुमितिकी जो अपरोक्षात्मक या साक्षात्कारात्मक अनुभूतिस्वरूप माना है वह भी कल्पित है। यह सब उनका स्वकल्पित मत है। इहाँ सारी कल्पनाओंमें भरतके “विभावा नुभावव्यभिचारिसयोगाद् रसनिष्पत्ति” इस सूत्रमें आये हुए ‘सयोगात्’ शब्दका अर्थ उहाँने ‘गम्य गमकभावरूपात् सम्यग्धात्’ किया है और उस गम्यगमकभावसे “रामोऽय सीताविषयकरतिमान् सीताविषयकविभावादिसम्बन्धित्वाद् सीताविषयककटाक्षादिमत्वाद्वा यो नैव स नैव यथाहम्” यह जो अनुमान किया है उसमें ‘अह’वो व्यतिरिक्ती उदाहरण रनाया है और उसी अह पदबोध्य सामाजिक को रसका चवणाध्य माना है। यह सब कुछ एकदम असङ्गत है। इसलिए भट्टनायकने शङ्ककके मतका खण्डन कर अपने ‘सुक्तिवाद’की स्थापना की है।

भट्टनायक द्वारा इन मतोंकी आलोचना

ठीसरा मत भट्टनायकका ‘सुक्तिवाद’ है। भट्टनायकने लिखा है कि रस यदि परगत अथात् अनुकार्यगत या अनुकर्ता नटगत प्रतीत हो तो दोनों ही दशाओंमें उसका सामाजिक सहृदयसे कोई सम्बन्ध नहीं बन सकेगा और वह सामाजिकके लिए तटस्थके समान निष्प्रयोजन होगा। दूसरी ओर यदि उसकी उत्पत्ति स्वगत अथात् सामाजिकगत मार्गें तो भी सङ्गत नहीं है, क्योंकि उसकी उत्पत्ति सीता आदि विभावोंक द्वारा होती है। वे सीता आदि रामने प्रति तो विभावादि हो सकते हैं, सामाजिक के प्रति नहीं। साधारणीकरण-यापारसे सीता और रामादिका व्यक्तित्व निकलकर उनमें सामान्य का तात्व आदि रूप ही रह जाता है, इसलिए वे सामाजिकके प्रति भी विभावादि हो सकते हैं, यह कहना भी ठीक नहीं है। अथवा बीचमें स्व कान्ताका स्मरण माननेसे भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि देवतादिके वर्णन—जैसे ‘तुमारसम्भव’ आदि—में पार्वती आदिके वर्णनप्रसङ्गमें भी रसास्वाद होता है और उनको भी होता है जिनकी काता न थी, न है। देवतावर्णनसङ्गमें वर्ण्यमान पार्वती आदिमें देवत्वबुद्धि और पूज्यताप्रतीति ही साधारणीकरणमें बाधक है। इसलिए रसकी न स्वगत [सामाजिकगत] उत्पत्ति बनती है और न परगत [अनुकाय रामादिगत अथवा अनुकर्तृ नयादिगत]। इसी

प्रकार स्वयत या परगत न प्रतीति बनेगी और न अभिव्यक्ति । आभिव्यक्तिपक्षमें और भी दोष है । अभिव्यक्ति पूर्वसिद्ध अर्थकी ही होती है । परन्तु रस तो अनुभूतिका नाम है, अनुभवकारके पूर्व या पश्चात् उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है । इसलिए भी अभिव्यक्ति नहीं बनती । यदि यह कहें कि रस वासना या स्थायिभावके रूपमें स्थित है, उसीकी अभिव्यक्ति होती है, तो भी ठीक नहीं है, क्योंकि अभिव्यक्तिस्थलमें दीपकादि अभिव्यञ्जक सामग्रीम उल्लेखता निल्लेखताका तारतम्य भी उपलब्ध होता है । वैसा तारतम्य रसाभिव्यञ्जक सामग्रीमें नहीं बनता है, इसलिए रसकी स्वगततया या परगततया उत्पत्ति, प्रतीति या अभिव्यक्ति कुछ भी नहीं बनती । इसलिए न “ताटस्थ्येन [अनुकायगतत्वेन नटगतत्वेन वा] नात्मगतत्वेन [सामाजिकगतत्वेन] वा रस प्रतीयते, नोत्पद्यते, नाभिव्यज्यते” [का० प्र०] “तेन न प्रतीयते, नोत्पद्यते नाभिव्यज्यते कायेन रस” [लाचन०] ।

भट्टनायकका भुक्तिवाद

यह तो अय मताकी आलाचना हुई, तब भट्टनायकका अपना मत क्या है ? उनका अपना मत यह है कि काव्यात्मक शब्दोंमें अय शब्दोंसे विलक्षण ‘अभिधायकत्व’, ‘भावकत्व’ और ‘भोजकत्व’ रूप तीन व्यापार रहते हैं । अभिधायकत्व-यापार अर्थविषयक, भावकत्व-यापार रसादिविषयक, और भोजकत्व-यापार महत्त्वविषयक होता है । यदि इन तीन व्यापारोंको न मानकर केवल एक [शब्द] अभिधाव्यापार ही माना जाय तो ‘तत्र’ आदि शास्त्रन्याय और श्लेषादि अलङ्कारोंमें कोई भेद न रहेगा । “तत्र नाम अनेकाशयोधेच्छया पदस्यैकस्य सकृदुच्चारणम् ।” अनेक अर्थोंके बोधनकी इच्छासे एक पत्रका एक ही बार उच्चारण करना यह शास्त्रमें ‘तत्र’ नामने प्रसिद्ध है । जैसे पाणिनिने ‘हलन्त्यम्’ सत्रम ‘तत्र-याय’से दो अर्थ होते हैं—‘हलिति सृजे अन्त्यम् नृ स्यात्’ और ‘उपदेने अत्य हल इत् स्यात्’ । यहाँ ‘तत्र-याय’से दो अर्थ तो प्रतीत हो जाते हैं परन्तु सहृदयसत्वेय कोई चमत्कार प्रतीत नहीं होता । इसी प्रकार ‘भावकत्व’ और ‘भोजकत्व’ व्यापारोंमें अभावमें ‘सर्वदा माधव’ आदि श्लेषालङ्कारके स्थलोंमें दो अर्थोंकी प्रतीति तो हो जायगी परन्तु सहृदयसत्वेय कोई चमत्कार अनुभवगोचर नहीं होगा । इसलिए दूसरा भावकत्व-यापार मानना आवश्यक है । इस भावकत्व-यापारके बलसे अभिधाशक्तिमें विलक्षणता हो जाती है । यह भावकत्व-यापार रसके प्रति हाता है और वह विभावादिका साधारणीकरण करता है । उससे साधारणीकरण द्वारा रसादिक भावित हो जानेपर तीसरे भोजकत्व-यापार द्वारा अनुभव और स्मृतिरूप त्रिविध लौकिक ज्ञानमें विलक्षण चित्तके विस्तारविकासादिरूप, रजस्तमोवैचित्र्यानुविद्धसत्त्वमय, निजचतनरूप, जान-रूप, परब्रह्मा स्वादसहोदर अनुभूतिरूप, ‘भोग’ निष्पन्न होता है, यह भट्टनायकका मत है । लाचनकारने उनका मतका इस प्रकार उल्लेख किया है—

“रसो यदा परगततया प्रतीयते तर्हि ताटस्थ्यमेव स्यात् । न च स्वगतत्वेन रामादिचरितमया त्काश्रादसौ प्रतीयते । स्वात्मगतत्वेन च प्रतीतो स्वात्मनि रसस्योत्पत्तिरवाभ्युपगता स्यात् । सा चायुक्ता । सीताया सामाजिक प्रत्यविभावत्वात् । कान्तात्व साधारण वासनाविकासहेतुविभावनाया प्रयोजकमिति चेत्—देवतावर्णनादौ तदपि कथम् । न च स्वकातास्मरण मध्ये सवेद्यते ।

अलोकसामान्यानां च रामादीनां ये समुद्रसेतुवधनादयो विभावास्ते कथं साधारण्य भजेयुः । न चोत्साहादिमान् राम स्मरन्ते, अननुभूतत्वात् । शब्दादपि तत्प्रतिपत्तौ न रसोपजन, प्रत्यक्षादिषु नायकमिथुनप्रतिपत्तौ । उत्पत्तिपक्षे च कृष्णस्योत्सादाद् दुःखित्वे कृष्णरसप्रेक्षासु पुनरुपवृत्ति स्यात् । तन्नोत्पत्तिरपि । नाप्यभिव्यक्ति, शक्तिरूपस्य हि शृङ्गारस्याभिव्यक्तौ विषयाजनतारतम्यप्रवृत्ति स्यात् । तत्रापि किं स्वगतोऽभिव्यज्यते रस परगतो वेति पूर्ववदेव दोषः ।

तेन न प्रतीयते नोत्पद्यते नाभिव्यज्यते काव्येन रस । विन्वन्व्यशब्दवैलक्षण्यं काव्यात्मन शब्दस्य
व्यशताप्रसादात् । तत्राभिधायकत्वं वाच्यविषयम्, भावकत्वं रसादिविषयम्, भागवृत्त्वं सहृदयविषयमिति
त्रयोऽश्वभूता व्यापारः । तत्राभिधायकत्वं यदि शुद्धं स्यात् तत्तन्नादिभ्यश्चास्त्रन्यायेभ्यश्च श्लेषादलङ्काराणां
को भेदः । वृत्तिभेदवैचित्र्यं चाकिञ्चित्करम् । भ्रुतिदुष्टादिष्वजनं च किमर्थम् । तेन रसभावनाख्यो द्वितीयो
व्यापारः । यद्दशादभिधायकत्वैव । तच्चैतद्भाषकत्वं नाम रसान् प्रति यत्काव्यस्य तद्विभावादीनां
साधारणत्वापादनं नाम । भाविते च रसे तस्य भोगो योऽनुभवस्वरूपप्रतिपत्तिभ्यो विरक्षण एव द्रुति
विस्तरविकासात्मा रजस्तमोवैचित्र्याननुविद्धसत्यमयनिजचित्वभाषनिर्दृतिविध्रान्तिरक्षणं परब्रह्मास्वाद-
सविष । स एव प्रधानभूतोऽश्व सिद्धरूप इति । व्युत्पत्तिर्नामाप्रधानमेवेति ।”

४. अभिनवगुप्तपादाचार्यका ‘अभिव्यक्तिवाद’

अगला चौथा मत लोचनकार अभिनवगुप्तका है । महनायकके मतमें जो ‘भावकत्व’ और
‘भोजकत्व’ दो नये व्यापार माने गये हैं उन्हें अभिनवगुप्त अनावश्यक मानते हैं और अप्रामाणिक
भी । वे काव्यसे ‘यज्ञनाट्यापार’ द्वारा गुण, अलङ्कार आदिके औचित्यरूप इतिकर्तव्यतासे रसको सिद्ध
करते हैं । यहाँ साधक काव्य है, साध्य रस । साधन व्यञ्जनाव्यापार है और इतिकर्तव्यतारूपमें
गुणादङ्कारादि औचित्यका अन्वय होता है । इस प्रकार ‘भावकत्व’ और ‘भोजकत्व’ दोनोंको
व्यञ्जनारूप मानकर उस व्यञ्जनासे सामाजिकमें रसकी अभिव्यक्ति मानते हैं । अतः उनका मत
अभिव्यक्तिवाद कहलाता है ।

५. अन्यमत

इसके अतिरिक्त कुछ और भी छोटे-छोटे मत हैं जिनका उल्लेख लोचनकारने बहुत संक्षेपमें
इस प्रकार किया है—

“अग्रे तु शुद्ध विभावम्, अपरे शुद्धमनुभावम्, केचित्तु स्यापिमात्रम्, इतरे व्यभिचारिणम्,
अये तत्संयोगम्, एवे अनुकार्यम्, केचन सफलमेव समुदाय रसमाहू ।”

नाट्यरस

यह सब मत नाट्यरसके सम्बन्धमें हैं । नाट्यरस शब्दका प्रयोग भरतमुनिने किया है । ऊपरके
व्याख्याताओंने नाट्यरस शब्दकी व्युत्पत्ति भी अपने-अपने सिद्धान्तके अनुसार अलग-अलग दृष्टिसे
की है । लोहटके मतमें अनुकार्यगत रसकी उत्पत्ति होती है और ‘नाट्ये प्रयुज्यमानत्वान्नाट्यरस’
यह नाट्यरसका विग्रह होता है । शङ्करके मतमें अनुकायाभिनयनर्तकमें अनुभवीमान रसका सामाजिक
आस्वादन करता है । इसलिए उनके मतमें ‘नाट्ये नाट्याभये नटे रस नाट्यरस’ यह विग्रह
होता है । इसी प्रकार दूसरे मतोंमें ‘नाट्याद्रस’ अथवा ‘नाट्यमेव रस नाट्यरस’ ये विग्रह होते हैं ।

नाट्यके भी दो रूप माने गये हैं—एक लोकधर्मी नाट्य और दूसरा नाट्यधर्मी नाट्य ।
लोकधर्मी नाट्य उसको कहते हैं जिसमें स्वाभाविक अभिनय होता है अथात् स्त्री पुरुषका और पुरुष
स्त्रीका रूप धारण करके अभिनय नहीं करता—‘स्वभावाभिनयोपेतं नानास्त्रीपुरुषाभयम् । यदीदृश
भवेनाट्य लोकधर्मीति सा मृता ॥’ और जहाँ स्वर, अलङ्कार और स्त्री पुरुषादिके वैषम्यपरिवर्तन
आदिकी आवश्यकता होती है वह नाट्यधर्मी नाट्य होता है—‘स्वरालङ्कारसमुत्तमस्वस्यपुरुषाभयम् ।
यदीदृश भवेनाट्य नाट्यधर्मीति सा मृता ॥’

—नाट्यशास्त्र १४/७१, ७३

काव्यरस

काव्यरसकी प्रकिया नाट्यरसकी प्रकियासे तनिक भिन्न है, क्योंकि वहाँ नाटकके समान
आलम्बन और उद्दीपन विभाव दृष्टिगोचर नहीं होते अपितु काव्यशब्दोंसे बुद्धिस्य होते हैं । काव्यमें

विभावादि उपस्थापक लोकधर्मी नाट्यधे स्थानपर स्वभावोक्ति और नाट्यधर्मी नाट्यधे स्थानपर वक्रोक्तिको माना है। इनसे विभावादिकी उपस्थिति हो जानेपर आगे रखी प्रक्रिया प्रायः समान ही है।

भाव

असलक्ष्यप्रमयङ्गय नामक ध्वनिभेदमें रखेके बाद स्थान भावोका है। देवादिविषयक अर्थात् देवता, गुरु, राजा आदिविषयक रति और प्रधानरूपसे व्यञ्जित व्यभिचारिभाव इन दोनोंको 'भाव' कहते हैं—“रतिदेवादि विषया व्यभिचारी तथाञ्जित । भाव प्रोक्त” देवादिविषयक रतिरूप भावके निम्नलिखित उदाहरण हो सकते हैं—

१—“कण्ठकाणविनिविष्टमीश ते कालकृतमपि मे महामृतम् ।

अधुपात्तममृत भवद्रुभेदवृत्ति यदि मे न शक्ते ॥”

२—“हरत्यध सम्प्रति हेतुरप्यत शुभस्य पूर्वाचरितै वृत गुभै ।

शरीरभाना भयदीयदर्शन यनक्ति कालत्रितयेऽपि योग्यताम् ॥”

इनमें पहिलेमें शिवविषयक और दूसरेमें नारदमुनिविषयक रति [प्रेम, भङ्गा] प्रदर्शित की है। अतएव यह 'भाव' है। इसके अतिरिक्त जहाँ व्यभिचारिभाव प्रधानतया पक्ष हाता है वहाँ भी 'भाव' व्यवहार ही होता है।

व्यभिचारिभावकी स्थितिमें उदय, स्थिति और अपाय ये तीन दशाएँ हो सकती हैं। इनसे उदयवाली स्थितिको भावोदय नामसे और अपायवाली दशाको भावप्रशम नामसे अलग कह दिया है। स्थितिवाली दशाके भी तीन प्रकार हो सकते हैं—अकेले एक भावकी स्थिति, अथवा दो भावोंकी स्थिति, अथवा दोसे अधिक भावोंकी स्थिति। इनमें दो भावोंकी स्थितिको 'भावसंधि' और दोसे अधिक भावोंकी स्थितिको 'भावशकलता' कहा जाता है। भावकी ये सभी अवस्थाएँ आस्वाद योग्य होनेसे 'रस्यते इति रस' इस युक्तिके अनुसार रसश्रेणीमें आती हैं, इसलिए कारिकामें 'तद्वशा मादि'में आदि पदसे भावोदय, भावसंधि, भावशकलताका भी ग्रहण किया गया है। (नस्तारभयसे इन सबके उदाहरण यहाँ नहीं दिये जा रहे हैं।)

रसाभास और भावाभास

कारिकाका 'तदाभास' शब्द 'रसाभास' और 'भावाभास'का बोधक है। 'अनौचित्यप्रवर्धिता रसा रसाभासा' और 'अनौचित्यप्रवर्धिता भावा भावाभासा'—अनुचित रूपसे वर्णित रस 'रसाभास' और अनुचित रूपसे वर्णित भाव 'भावाभास' कहलाते हैं। जैसे, पशुपक्षियोंके शृङ्गारका वर्णन अथवा गुरु आदि पूज्य पुरुषोंके सम्बन्धमें शास्यका प्रयोग 'रसाभास' के अन्तगत होता है ॥३॥

रसवदलङ्कारसे भिन्न ध्वनिका विषय

[पिच्छी कारिकामें कहा था कि] 'अङ्गित्वेन' अर्थात् प्राधान्येन प्रतीत होनेवाले रस आदि ध्वनिके आत्मा हैं। इससे यह प्रतीत होता है कि रसादिकी प्रतीति कहीं कहीं अङ्ग अथवा अप्रधान रूपमें भी होती है। जहाँ रस किसी अर्थके अङ्गरूपमें प्रतीत होते हैं वहाँ रसादि ध्वनिरूप न होकर रसवदलङ्कार कहलाते हैं। रसवदलङ्कार चार प्रकारके होते हैं—एक रसवत्, दूसरा प्रेष, तीसरा ऊजस्वि और चौथा भेद समाहित नामसे कहा जाता है। 'रस्यते इति रस' इस युक्तिके रस, दूसरे भाव, तीसरे तदाभास और चौथे भावशान्त्यादि ये चारों रस कहे थे। इन्हीं चारोंकी अङ्गरूपमें

इदानीं रसवदलङ्कारादलक्ष्यक्रमद्योतनात्मनो ध्वनेर्विभक्तो विषय इति प्रदर्शयते ।

वाच्यवाचकचास्त्वहेतूनां विविधात्मनाम् ।

रसादिपरता यत्र स ध्वनेर्विषयो मतः ॥४॥

रस-भाव-तदाभास तत्प्रशमलक्षण मुख्यमर्थमनुवर्तमाना यत्र शब्दाद्यलङ्कारा गुणाश्च परस्पर ध्वन्यपेक्षया विभिन्नरूपा व्यवस्थितास्तत्र काव्ये ध्वनिरिति व्यपदेश ॥४॥

प्रधानेऽन्यत्र वाक्यार्थे यत्राद्गन्तु रसादयः ।

काव्ये तस्मिन्नलङ्कारो रसादिरिति मे मतिः ॥५॥

यद्यपि रसवदलङ्कारस्यान्यैर्दर्शितो विषयस्तथापि यस्मिन् काव्ये प्रधानतयाऽन्योऽर्थो वाक्यार्थो भूतस्तस्य चाद्गन्तुं ये रसादयस्ते रसादेरलङ्कारस्य विषया इति मामकीन पक्ष । तद्यथा चाटुपु प्रयोऽलङ्कारस्य वाक्यार्थत्वेऽपि रसादयोऽद्गन्तुं भूता दृश्यन्ते ।

प्रतीति होनेपर रसवदलङ्कार चार प्रकारके कहलाते हैं । रस किमी अर्थ रसानिना अङ्ग हो जाय तो रसवद्, भाव अन्यका अङ्ग प्रतीत हो तो प्रेय, रसाभास या भाजामास किसीक अङ्ग हों तो उज्ज्वि और भावशान्त्यादि किसीके अङ्ग हों तो समाहित नामका अलङ्कार कहा जाता है । इन रसवदलङ्कार और रसध्वनिके इसी भेदका अगली दो कारिकाओंमें प्रतिपादन है ।

अथ असलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यरूप ध्वनिना विषय, रसवदलङ्कारोंसे पृथक् है यह बात दिखलाते हैं—

जहाँ नाना प्रकारके शब्द [वाचक] और अन्य [वाच्य] तथा उनके चारुतद्देतु [अलङ्कार] रसादिपरक [रसानिके अङ्ग] होते हैं वह ध्वनिका विषय है ॥४॥

रस भाव तदाभास और तत्प्रशमरूप मुख्य अर्थके अनुगामी शब्द, अथ, उनके अलङ्कार तथा गुण, परस्पर और ध्वनिके विभिन्नस्वरूप जहाँ [अनुगामी रूपमें] स्थित होते हैं उसी काव्यको ध्वनिकाव्य कहते हैं ॥५॥

यहाँ 'वाच्य च वाचक च तद्यथास्त्वहेतुश्च' [तयोश्चास्त्वहेतुश्च] इस प्रकार द्वन्द्वसमास करना चाहिये । इसी प्रकार वृत्तम भा पिठले उपातम यह दिखलाया था कि समासात् आदि अलङ्कारोंमें वस्तुध्वनिका अन्तभाव नहीं हो सकता है । यहाँ यह दिखलाया है कि रसवदलङ्कारोंमें रसध्वनिका अन्तभाव नहीं होगा ॥४॥

रसवदलङ्कारोंका विषय

जहाँ अन्य [अर्थात् अङ्गभूत रसानिके भिन्न, रस या वस्तु अथवा अलङ्कार] प्रधान वाक्यार्थ हो, और उसमें रसादि [रस, भाव, तदाभास, भावशान्त्यादि] अङ्ग हों, उस काव्यमें रसादि अलङ्कार [रसान्त, प्रय, उज्ज्वि, समाहित] होते हैं यह मेरी सम्मति है ॥५॥

यद्यपि रसवदलङ्कारका विषय शायने प्रदर्शित किया है फिर भी जिस काव्यमें प्रधानतया कोई अन्य अर्थ [रस, या वस्तु या अलङ्कार] वाक्यार्थ हो उस [प्रधान वाक्यार्थ] के अङ्गभूत जो रसादि [हों] वे रसादि अलङ्कारके विषय होते हैं, यह मेरा

स च रसादिरलङ्कार, शुद्ध सङ्कीर्णो वा । तत्राद्यो यथा—

किं हास्येन न मे प्रयास्यसि पुन, प्राप्तश्चिरादर्शनं
केय निष्करण । प्रवासरुचिता ? केनासि दूरीकृत ।
स्वप्नान्तेष्विति ते षट् प्रियतमव्यासत्तकण्ठप्रहो
बुद्ध्वा रोदिति रिक्त्वाहुवलयस्तार रिपुखीजन ॥

पक्ष है । जैसे चाट्ट [वाक्यों—चापलूसीके वचनों] में प्रेयोऽलङ्कार [भामहने शुद्ध, देव, नृपति, पुत्रविषयक प्रेमवर्णनको प्रेयोऽलङ्कार कहा है उस] के [मुख्य] वाक्यार्थ होनेपर भी रसादि अङ्गरूपमें दिखलायी देते हैं [यहाँ रसादि अलङ्कार होगा यह मेरा मत है] ।

इस गणवृत्तिभागकी व्याख्यामें लोचनकारने बहुत खींचतान की है । यद्यपि मूलवृत्तिप्रयकी रचना यहाँ कुछ अटपटी-सी है फिर भी लोचनकारकृत खींचातानीके बिना भी उसकी सङ्गति लग सकती है । उन्होंने 'तस्य चाङ्गभूता' में 'तस्य' शब्दका अर्थ 'कायस्य सम्बन्धिनो ये रसादय' ऐसा किया है । उसके बजाय 'तस्य वाक्यार्थभूतस्य अङ्गभूता ये रसादय' यह अर्थ अधिक सरल और सङ्गत होगा । 'तद्यथा चाट्टुपु' इस अशकी व्याख्यामें भी 'दो पञ्च दिरललाये हैं । भामहक अभिप्रायसे इस सबको एक वाक्य माना है और उद्धृतक मतानुसार वाक्यभेद मानकर व्याख्या की है ।

“भामहाभिप्रायेण चाट्टुपु प्रेयोऽलङ्कारस्य वाक्याथत्वेऽपि रसादयोऽङ्गभूता दृश्यन्त इतीदमेक वाक्यम् । उद्धृतमतानुसारिणस्तु भङ्क्त्वा व्याचक्षते ।”

'किं हास्येन' इत्यादि उदाहरणरूपमें उद्धृत पद्यम वर्ण्यमान नरपतिप्रभाव ही वाक्याथ है, न कि अलङ्कार । इसलिए मूलके 'प्रेयोऽलङ्कारस्य वाक्यार्थत्वे'का अर्थ बहुव्रीहिसमास मानकर 'प्रेयान लङ्कारो यत्र स प्रेयोऽलङ्कार' अर्थात् प्रेयान् अलङ्कार जिसका है वह वर्ण्यमान नरपतिप्रभावरूप अलङ्कार नहीं, अपितु अलङ्कारणीय वाक्यार्थ है । अथवा 'वाक्याथत्वे'का अर्थ वाक्याथ न मानकर प्राधाय किया जाय इस प्रकारकी द्विविध 'पारया भामहमतसे की है ।

उद्धृतमतानुसार इन दोनोंको अलग वाक्य मानकर पूर्ववाक्यका अर्थ रसवलङ्कारका विषय होता है, यह किया है । और इस उत्तरवाक्यका अर्थ चाट्टुवाक्याके वाक्याथ होनेपर प्रेयोऽलङ्कारका भी विषय होता है । न केवल रसवलङ्कारना अपितु प्रेयोऽलङ्कारका भी विषय होता है इस प्रकार किया है । रसवत् और प्रेय शब्दसे ऊज्जस्वि, समाहित, भावोदय, भावसन्धि, भावशयलता सहित सातों रसवलङ्कारोंका ग्रहण है ।

शुद्ध रसवलङ्कारका उदाहरण

वह रसादि अलङ्कार शुद्ध और सङ्कीर्ण [दो प्रकारका होता है । जो अङ्गभूत अन्य रस या अलङ्कारसे मिश्रित नहीं है अर्थात् जहाँ एक ही रस आदि प्रेयोऽलङ्कार अर्थात् गुरु, देव, नृपति, पुत्रविषयक प्रीतिक आङ्ग है वहाँ शुद्ध रसवलङ्कार] होता है, उनमेंसे प्रथम [अर्थात् शुद्ध रसवलङ्कारका उदाहरण] जैसे—

[इस श्लोकमें किसी राजाकी स्तुति की गयी है । भाव यह है कि तुमने अपने शत्रुओंका नाश कर डाला । उनकी स्त्रियों रातको स्वप्नमें अपने पतिको देखती हैं और उनके गलेमें हाथ डालकर कहती हैं] इस हैंसी करनेसे क्या लाभ है । बहुत दिन बाद दर्शन हुए हैं । अब मैं जाने नहीं दूँगी । हे निष्ठुर ! यताओ, तुम्हारी प्रवासमें

इत्यत्र करुणस्य शुद्धस्याङ्गभावात् स्पष्टमेव रसवदलङ्कारत्वम् । एवमेवविधे विषये रसान्तराणां स्पष्ट एवाङ्गभाव ।

सङ्कीर्णो रसादिरङ्गभूतो यथा—

क्षिप्तो हस्तावलग्न प्रसभमभिहतोऽप्याददानोऽशुकान्त
गृह्णन् केशेष्वपास्तश्चरणनिपतितो नेक्षित सम्भ्रमेण ।
आलिङ्गन्योऽवधृतस्त्रिपुरयुवतिभि साश्रुनेत्रोत्पलाभि
कामीवाद्रांपराध स दहतु दुरितशाम्भवो व शराग्नि ॥

इत्यत्र त्रिपुररिपुप्रभावातिशयस्य वाक्यार्थत्वे ईर्ष्याविप्रलम्भस्य श्लेषसहितस्याङ्ग-
भाव इति ।

एवविध एव रसवदादलङ्कारस्य^१ न्याप्यो विषय । अत एव चेर्ष्याविप्रलम्भकरुण-

[ग्राह्य रहनेकी] रचि क्यो हो गयी है ? तुमको जिसने मुझसे अलग कर दिया है ? स्वप्नमें पतिके कण्ठका आलिङ्गन कर इस प्रकार कहनेवाली तुम्हारी त्रिपुरस्त्रियों उदर [प्रियतमके कण्ठग्रहणके लिए] अपने फेलाये हुए बाहुजल्यको रिक देखकर तारस्वसे गेती हैं ।

इस उदाहरणमें शुद्ध [रसान्तर अथवा अलङ्कारांतरसे असङ्कीर्ण] करुणरस [गजप्रियक प्रीतिका] अङ्ग है इसलिए स्पष्ट ही रसवदलङ्कार है । इसी प्रकार इस तरहके उदाहरणोंमें अन्य रसोंका भी अङ्गभाव स्पष्ट है ।

सङ्कीर्ण रसवदलङ्कारका उदाहरण

सङ्कीर्ण रसादि [भी] अङ्गरूप [ज्ञेता ह] जेमे—

त्रिपुरदाहके समय शम्भुके रागसे समुदभूत, त्रिपुरकी युवतियों द्वारा, आर्द्रा पराध [नरनालकृत पराङ्गनोपभोगादि अपराधयुक्त] कामीके समान, हाथ छूनेपर अटक दिया गया, जोरसे ताडित करनेपर भी वस्त्रके छोरको पकड़ता हुआ, केशोंको पकड़ते समय हटाया गया, पेटोंमें पडा हुआ भी सम्भ्रम [क्रोध अथवा घराहट] के कारण न देखा गया और आलिङ्गन [स्नेहना प्रयत्न] करनेपर आँसुओंसे परिपूर्ण नेत्रकमलवाली [कामीपक्षमें ईर्ष्याके कारण और अग्निपक्षमें उचावकी आशासे रहित होनेके कारण रोती हुई] त्रिपुर सुन्दरियों द्वारा तिरस्कृत [कामीपक्षमें प्रत्यालिङ्गन द्वारा स्वीकृत न करके और अग्निपक्षमें सारे शरीरको अटककर फँका गया] शम्भुका शराग्नि तुम्हारे दुष्टोंको दूर करे ।

इस [श्लोक] में त्रिपुरादि [शिर] के प्रभावातिशयने [मुख्य] वाक्यार्थ होनेपर श्लेषसहित ईर्ष्याविप्रलम्भ [ओर करुण] उसका अङ्ग है [इसलिए यहाँ सङ्कीर्ण रसादि अङ्ग है] ।

इसी प्रकारके उदाहरण रसवदलङ्कारने उचित विषय होते हैं । इसलिए

योरङ्गत्वेन व्यवस्थानात्समावेशो न दोषः ।

यत्र हि रसस्य वाक्यार्थभावस्तत्र कथमलङ्कारत्वं ? अलङ्कारो हि चारुत्वहेतुः प्रसिद्धः । न त्वसावात्मैवात्मनश्चारुत्वहेतुः । तथा चायमत्र सक्षेप —

‘रसभावादित्पयैमाधित्य विनिवेशनम् ।

अलङ्कृतीना सर्वासामलङ्कारत्वसाधनम् ॥

तस्माद्यत्र रसादयो वाक्यार्थभूता ‘स सर्वे न रसादेरलङ्कारस्य ‘विषय, स ध्वने प्रभेदः । तस्योपमादयोऽलङ्काराः । यत्र तु प्राधान्येनार्थांतरस्य वाक्यार्थभावे रसादिभिश्चारुत्वनिष्पत्तिं क्रियते स रसादेरलङ्कारताया विषयः ।

[यहाँ] ईर्ष्याविप्रलम्भ और करुण दोनों [विगोधी रसों] के अङ्गरूपम स्थित होनेसे दोष नहीं है ।

जहाँ रसका वाक्यार्थत्व हे [अर्थात् जहाँ रस ही प्रधान हे वहाँ तो यह अलङ्कार है, अलङ्कार नहीं, अतएव यह ध्वनि होती है, रसवदलङ्कार नहीं] वहाँ उसको [रसवत्] अलङ्कार कैसे मानें ? [अर्थात् नहीं मान सकते हैं] क्योंकि चारुत्वहेतुको ही अलङ्कार कहते हैं । यह स्वयं ही अपना चारुत्वहेतु [अर्थात् प्रधान होनेसे स्वयं ही अलङ्कार्य है और रसवदलङ्कार होनेसे चारुत्वहेतु भी] हो यह ता नहीं हो सकता । इसलिए इसका सारांश यह हुआ कि—

रस, भाव आदिके तात्पर्यसे [अर्थात् रसभावादिको प्रधान मानकर उनके अङ्गरूपमें] अलङ्कारोंकी स्थिति ही सत्र अलङ्कारोंके अलङ्कारत्व [चारुत्वहेतु]का साधक है ।

इसलिये जहाँ रसादि वाक्यार्थभूत [अर्थात् प्रधानतया प्राधित] होते हैं, वह सत्र [स्थल] रसादि अलङ्कारके विषय नहीं [अर्थात्] वे ध्वनि [रसादिध्वनि]के भेद हैं । उसके [रसादिध्वनिके चारुत्वहेतु] उपमादि अलङ्कार होते हैं । और जहाँ प्राधान्येन कोई दूसरा अर्थ वाक्यार्थभूत हो और रसादि उसके चारुत्वका सम्पादन करते हैं वह रसादि अलङ्कारका विषय है ।

‘श्रितो हस्तावलग्न’ इत्यादि पद्यम कविनिष्ठ शिवविपरक भक्ति प्रधानतया ज्यमान है तथा शिवका त्रिपुरदाहक प्रति उल्लाह उमना पोषक है । परतु वह उल्लाह अनुभाष, विभाव आदिसे परिपूर्ण न होनक कारण परिषक रस न होकर ‘भाव’मान रह गया है । पतियाके मर जानेपर अग्निकी इस आपत्तिमें पड़ी हुई त्रिपुर मुन्दरियोंके वणनसे प्रकट होनेवाला करुणरस उस उल्लाहका अङ्ग

१ नि० तथा दी० ने इसपर कारिकाकी सफ़ा दी है । चारुप्रियावाले सस्वरूपमें नहीं ।

२ ‘सर्वे ते’ नि० ।

३ ‘वा’ अधिक है नि० ।

४ ‘विषया’ नि० ।

है। और 'कामीवार्द्रापराम' म प्रदर्शित कामीके साम्यसे उपमा द्वारा प्रतीत होनेवाला शृङ्गाररस उस करुणरसका अङ्ग है। परन्तु वह करुण भी अन्तिम विश्रान्तिधाम नहीं है बल्कि उत्साहका अङ्ग है। इस प्रकार करुण और शृङ्गार दोनों ही उत्साहपोषित शिवविषयक रति-प्रीति-रूप 'भाव'के उपकारक अङ्ग हैं। परन्तु ग्रन्थकारने केवल 'श्लेषसहितस्य इष्याविप्रलम्भस्य अङ्गभाव' कहा है। उस अङ्गभावम करुणको नहीं दितलाया। उनका अभिप्राय यह है कि यद्यपि यहाँ करुणरस है तो, परन्तु चारुत्व निष्पादनमें उसका अधिक योग नहा है इसलिए 'श्लेषसहितस्य इष्याविप्रलम्भस्य' लिखा है।

रसोंका परस्परनिरोधानिरोध

रसोंम परस्पर शत्रु मित्रभाव भी माता गया है। कुछ ऐसे रस हाते हैं जिनका साथ साथ वणन हो सकता है। कुछ ऐसे हैं जिनका साथ साथ वणन नहीं किया जा सकता। इस प्रकारके विरोधी रसोंम शृङ्गाररसका करुण, नीमस, रौद्र, वीर आर भयानकक साथ निरोध माना गया है। 'आय करुणवीमत्सौरौद्रवीरभयानक' इस नीतिमें अनुसार करुण और शृङ्गारका एकत्र वणन नहीं किया जा सकता है। परन्तु इस 'श्लेषा' इत्यादि श्लोकम करुण और शृङ्गार दोनोंका वणन आया है। इसीका समाधान करनेके लिए ग्रन्थकारने "अत एव चेत्याविप्रलम्भकरुणयोरङ्गत्वा व्यवस्थानात् समावेशो न दोष" यह पत्रित लिखा है।

रसोंके इस विरोधन तीन प्रकार हैं। कि हाका विरोध आलम्बन ऐक्यम होता है। कि-हींका आश्रय ऐक्यमें विरोध है और कि-हींका नैरन्तर्य निरोधजनक है। जैसे शृङ्गार और वीररसका आलम्बनैक्यसे विरोध है, एक ही आलम्बन विभागे शृङ्गार और वीर दोनोंका परिपोष नहीं हो सकता। इसी प्रकार हारस, रौद्र और नीमत्सय साथ सम्भागशृङ्गारका तथा वीर, करुण, रौद्रादिक साथ विप्रलम्भशृङ्गारका आलम्बनैक्येन विरोध है।

वीर और भयानकरसका आश्रय ऐक्यमें विरोध है। एका ही जात्य—"वक्तिम एव साथ वीर और भयानकके म्याविभाव—भय आर उत्साह उद्भूत नहा हो सकते। इसी प्रकार शात और शृङ्गार रसका नैरन्तर्य विरोधजनक है। अथात् शृङ्गारसे अयत्नहित शातरसका वणन दोषजनक है। यह रसोंके विरोधकी यवस्था हुई। इस रूपम ये रस एक दूसरेन विरोधी या शत्रु हैं। परन्तु शृङ्गारका अद्भुतके साथ, भयानकका नीम सके साथ, वाररसका अद्भुत और रौद्ररसके साथ किसी प्रकार विरोध नहीं है। न आलम्बनैक्येन, न आश्रयैक्येन और न नैरन्तर्येन इसलिए इनको मित्ररस कहा जा सकता है।

प्रकृत 'श्लेष' इत्यादि श्लोकम पत्रियोंके मरनेमें आश्रयी विपत्तिमें पड़ी त्रिपुर सुन्दरियों कम्पन रसका आलम्बनविभाव हैं। और 'कामीवार्द्रापराम' इस 'कामी' उपमाका सम्बन्ध भी उाके साथ ही होनेसे शृङ्गारका आलम्बनविभाव भी ने हा है। इस प्रकार यहाँ करुण और विप्रलम्भशृङ्गार दोनोंका आलम्बन ऐक्यसे वणन किया है। परन्तु आलम्बनैक्यसे हा इन दोनों रसोंका विरोध है। इसलिए यहाँ अनुचित रसवणन किया गया है। यह शङ्का है जिसका समाधान मूलमें "इष्याविप्रलम्भ करुणयोरङ्गत्वेन व्यवस्थानात् समावेशो न दोष।" लिखकर किया है।

विरोधी रसोंके अनिरोधसम्पादनका उपाय

"विरोधीषी...पि स्मरण, राम्येन वचनेऽपि वा।

भवेद् विरोधा ना योवमन्नि यद्भवमातथो ॥" सा० ८० ७,३०

अर्थात् दो विरोधी रसोंका स्मरणार्थक वर्णनमात्र हो, अथवा दोनोंका समभावसे अर्थात् गुणप्रधान भावरहित वर्णन हो अथवा दोनों यदि किसी तीसरेके अङ्गरूपमें वर्णित हों, तो इन तीन अवस्थाओंमें उक्त विरोधी रसोंका एक साथ वर्णन भी दोषजनक नहीं होता, यह सिद्धान्त माना गया है। यहाँ करुण और विप्रलम्भशृङ्गार दोनों उत्साहपरिपोषित भगवद्विषयक रति—भक्तिके अङ्ग हैं। इसलिए उनका एक साथ वर्णन दोषजनक नहीं है। यही भाव “विप्रलम्भकरणयोरङ्गत्वेन व्यवस्थानात् सम्यग्देशे न दोष” इस समाधानका है।

श्लोकमें जिस त्रिपुरदाहके अग्निकाण्डका वर्णन है वह पौराणिक कथाके आधारपर है। तारकासुर नामका एक प्रसिद्ध असुर था। उसके तीन पुत्र हुए, तारकास, विद्युमाली और कमललोचन। इन तीनोंने महाघोर तप करके ब्रह्माजी और शिवजीको प्रसन्न किया और उनसे अन्तरिक्षके तीनों पुरोंका अधिकार प्राप्त किया। परन्तु पीछे अधिकारमदसे मत्त हो, वे नाना प्रकारके अत्याचार करने लगे। तब सब देवताओंने विष्णुके नेतृत्वमें शिवजीसे मिलकर उनके नाश करनेकी प्रार्थना की। देवताओंकी प्रार्थना मानकर शिवजीने एक ही राण छोड़ा जिससे वे तीनों पुर अग्निसे प्रवृत्त हो उठे और भस्म होकर नष्ट हो गये। तबसे शिवका एक नाम ‘त्रिपुरारि’ भी हो गया है। प्रकृत श्लोकमें उसी समयके इस अग्निकाण्डका वर्णन किया गया है।

खण्डरस या सञ्चाररस

अभी रसोंके अङ्गाङ्गिभाव तथा विरोधकी जो चर्चा की गयी है उसके सम्बन्धमें एक शङ्का यह रह जाती है कि रसको अल्पसमूहालम्बनात्मक, ब्रह्मास्वादसहोदर माना गया है। ऐसे दो रसोंका युगपत् एकत्र समावेश या प्रादुर्भाव ही सम्भव नहीं है, इसलिए उनके विरोध अथवा अङ्गाङ्गिभावका उपपादन कैसे होगा! इसका उत्तर यह है कि आपका कहना ठीक है। इसलिए ऐसे अपूर्ण रसोंको रस न कहकर प्राचीन लोग ‘खञ्जारी’ रस नामसे व्यवहृत करते हैं और चण्डीदासने उनको ‘खण्डरस’ नामसे कहा है।

“अङ्ग बाध्योऽथ ससर्गो यद्यङ्गी स्याद्रसादरे।

नास्वागते समग्र तत्तत खण्डरस स्मृत ॥” सा० द० ७

रसवदलङ्कारविषयक मतभेद

अभी चौथी कारिकामें रसवदलङ्कारोंका वर्णन करत हुए कारिकाकारने लिखा है कि “काव्ये तस्मिन्नलङ्कारो रसादिरिति मे मतिः।” अर्थात् जहाँ अन्य कोई मुख्य वाक्यार्थ हो और रसादि अङ्गरूपमें वर्णित हों वहाँ रसादि अलङ्कार होता है यह मेरी सम्मति है “म मति” शब्द इस विषयमें मतभेदको सूचित करते हैं। इसीकी वृत्तिमें वृत्तिकारन भी “यद्यपि रसवदलङ्कारस्यावैदधितो विषय” लिखकर उस मतभेदकी सूचना दी है। इस मतभेदके दो रूप हैं। कुछ लोगोंका कहना है कि अलङ्कार तो कटककुण्डलके समान हैं, वे साक्षात् वाच्य-वाचकके उपकारक और परम्परया रसके उपकारक होते हैं। जैसे कटककुण्डल साक्षात् शरीरके उपकारक और शरीर द्वारा आत्माके उपकारक होनेसे अलङ्कार कहलाते हैं। इसलिए—

“उपकुर्वन्ति स सन्त येऽङ्गद्वारेण जातुचित्।

हारादिवदलङ्कारास्तेऽनुप्रासोपमादय ॥” का० प्र० ८, २

इत्यादि अलङ्कारके लक्ष्णोंमें अनुप्रास-उपमादिको अङ्ग अर्थात् शब्द और अर्थ द्वारा ही रसोपकारक माना है। परन्तु रसवदलङ्कार वाच्य और वाचक, अर्थ या शब्दके उपकारक न होकर साक्षात्

रसादिके उपकारक होते हैं इसलिए उनमें अलङ्कारका लक्षण ही नहीं घटता है अतः रसवदलङ्कार नहीं होते। ऐसी दशा में जहाँ रसादि अर्थके अङ्ग हैं वहाँ ये लोग रसवदलङ्कार न मानकर उसको गुणीभूतव्यङ्ग्य ही कहते हैं।

रसवदलङ्कारके विषयमें उटायी गयी इस आपत्तिको दूर करनेके लिए कुछ लोग चिरन्तन व्यवहारानुरोधसे रसोपकारकत्वमात्रसे गुणीभूत रसोंमें मात्र अलङ्कारव्यवहार मानकर कथञ्चित् उनके रसवदलङ्कारत्वका उपपादन करते हैं।

दूसरे लोग इस समस्याको हल करनेके लिए अलङ्कारके लक्षणमें शब्दार्थका समावेश व्यर्थ बताकर रसोपकारकत्वमात्रको अलङ्कारका मुख्य लक्षण मानकर गुणीभूत रसों में साक्षात् रसोपकारकत्व होनेसे उनमें रसवदलङ्कारका उपपादन करते हैं। इनके मतमें यह अलङ्कारव्यवहार मात्र नहीं अपितु मुख्य ही है।

इस दूसरे मतमें लोग “उपसृजितं तं सन्त यद्भङ्गद्वारेण जातुचित्” इत्यादि अलङ्कारके लक्षणमें अलङ्कारविशिष्टशब्दाध्यात्मत्वन और चमत्कारत्वनार्थनारणभाव मानकर उस अलङ्कारलक्षणका इस प्रकार परिष्कार करते हैं—

“समवायसम्बन्धवाचच्छिन्नचमत्कृत्तिवाचच्छिन्नजन्यतानिरूपित, समवायसम्बन्धवाचच्छिन्नज्ञानत्वावच्छिन्नजन्यतानिरूपित, विषयसम्बन्धवाचच्छिन्नशब्दाध्यात्मतरनिष्ठावच्छेदकतानिरूपितावच्छेदकतावत्त्वमलङ्कारत्तम्।”

रसवदलङ्कार तथा गुणीभूतव्यङ्ग्यकी व्यवस्था

रसवदलङ्कारोंके साथ ही गुणीभूतव्यङ्ग्यका प्रश्न भी सामने आ जाता है। अलङ्कार साक्षात् शब्दार्थने ही उपकारक होते हैं और गुणीभूत रस शब्दार्थके उपकारक न होकर साक्षात् रसान्तरके उपकारक होते हैं इसलिए उनमें अलङ्कारका सामान्य लक्षण न घटनेसे जो लोग उनको रसवदलङ्कार न कहकर गुणीभूतव्यङ्ग्य कहते हैं उनका मत स्पष्ट हो गया। उनमें मतमें ध्वनि और गुणीभूत व्यङ्ग्य दो ही वस्तु हैं, इनसे भिन्न रसवदलङ्कार नामकी तीसरी वस्तु नहीं है। परन्तु ध्वनिकारने रसवदलङ्कार भी माने हैं और गुणीभूतव्यङ्ग्य भी। इनके मतमें रसाधिध्वनिके अपराङ्ग होनेमें रसवत् तथा प्रेयोऽलङ्कार और वस्तु या अलङ्कारध्वनिके अपराङ्गादि होनेपर गुणीभूतव्यङ्ग्य माननेसे ही दोनोंका समन्वय हो सकेगा।

ध्वनि, उपमादि तथा रसवदलङ्कार

रसवदलङ्कारोंके विषयमें दूसरा मतमें जिसकी ओर कारिका और वृत्तिमें सङ्केत किया गया है उसका स्वरूप यह है कि कुछ लोग १ चेतनके वाक्यार्थीभूत होनेपर रसवदलङ्कार और २ अचेतनके वाक्यार्थीभूत होनेपर उपमादि अलङ्कार मानते हैं। उनका आशय यह है कि अचेतनके वाक्यार्थीभूत होनेपर उसमें चित्तवृत्तिरूप रसादि सम्भव न होनेसे उनके वर्णनमें रसवदलङ्कारकी सम्भावना नहीं है। अतएव उनको उपमादि अलङ्कारका विषय और चेतनके वाक्यार्थीभावमें रसवदलङ्कारका विषय मानना चाहिये। आलोककारने ‘इति मे मति’ लिखकर इसी मतके विरुद्ध अपनी सम्मति प्रदर्शित की है। उनका आशय यह है कि—

१ जहाँ रसादिकी प्रतीति प्रधान रूपसे होती है वहाँ रसध्वनिका विषय समझना चाहिये।

२ जहाँ मुख्य रस अलङ्कार है और कोई दूसरा रस भी अङ्गभूत नहीं है वहाँ उपमादि अलङ्कारका क्षेत्र है।

किञ्च—

तमर्थमवलम्ब्यते येऽङ्गिन ते गुणाः स्मृताः ।

अङ्गाश्रितास्त्वलङ्कारा मन्तव्याः कटकदिवत् ॥६॥

ये तमर्थं रसादिलक्षणमङ्गिन सन्तमवलम्बन्ते ते गुणा शौर्यादिवत् । वाच्यवाचक लक्षणान्यङ्गानि ये 'पुनस्तदाश्रितास्तेऽलङ्कारा मन्तव्याः कटकदिवत् ॥६॥

इस प्रकार आलोककारने रसबदलद्वारेने विषयम परमनरा निराकरण करते हुए अपने मतका उपसंहार किया । इनका भाव यह हुआ कि चेतनवस्तुके वाक्यार्थोभावाके आधारपर रसबदलद्वार और अचेतनवस्तुके वाक्यार्थोभावमें उपमादि अलङ्कार हात हैं यह जो दूसरोंका मत है वह ठाक नहीं है, क्योंकि अचेतनवस्तुके साथ चेतनवृत्ता तथा सम्बन्ध ही जाता है अतः सबत्र रसबदलद्वार ही होगा । उपमादिका विषय बहुत कम या बिल्कुल नष्ट मिलेगा या फिर अचेतनपरक वाक्यको नीरस ठहराना पड़ेगा ॥५॥

गुण और अलङ्कारका भेद [सिद्धान्तपक्ष]

और—

जो उस प्रधानभूत [रस] अङ्गीके आश्रित रहनेवाले [माधुर्यादि] हैं उनको 'गुण' कहते हैं । और जो [उसके] अङ्ग [शब्द तथा अर्थ] में आश्रित रहनेवाले हैं उनका कटकदिके समान अलङ्कार कहते हैं ॥६॥

जो उस रसादिरूप अङ्गीभूतका अवलम्बन करते हैं [तदाश्रित रहते हैं] वे शौर्य आदिके समान 'गुण' कहनाते हैं । और वाच्य तथा वाचकरूप [अर्थ तथा शब्द उस काव्यके] अङ्ग हैं, जो उन [अङ्गों] के आश्रित हैं वे कटक आदिके समान अलङ्कार समझने चाहिये ।

पाँचवीं कारिकाकी व्याख्यामें रसभङ्गि, रसबदलद्वार तथा उपमादि अलङ्कारका विषयविभाग किया था । छठी कारिकामें गुण तथा अलङ्कारोंका विषयविभाग किया है । जो साक्षात् रसके आश्रित रहनेवाले माधुर्य आदि हैं उनको साक्षात् आत्माम रहनेवाले शौर्य आदिसे समान 'गुण' कहते हैं और जो उससे अङ्गीभूत शब्द तथा अर्थम रहनेवाले घम हैं उनको कटकदिके समान 'अलङ्कार' कहते हैं । यह गुण और अलङ्कारका भेद हुआ ।

वामनमत

भामहृद् 'काव्यालङ्कार'की वृत्तिमें मञ्जुविरचना तथा वामनका मत इस विषयमें इससे भिन्न है । वामनने ता 'काव्यशाभाया वक्तारो धमा गुणा तदतिशयत्वेतवस्त्वलङ्कारा' लिखा है । अर्थात् काव्यने शाभाजनक धर्मोंका गुण और उस शाभासे वृद्धिकारक हेतुओंको अलङ्कार कहा है । 'काव्य प्रकाश'ने इसका स्पष्टन करते हुए लिखा है कि जो लय यह लक्षण करत है उनका मतमें 'वि समस्तैर्गुणैः काव्यव्यवहार उत कतिपय'— क्या समस्त गुण मिलकर काव्यव्यवहारका प्रयोजक हात हैं अथवा कुछ ही पर्याप्त होते हैं ? यदि सब गुणोंकी समष्टिका ही काव्यव्यवहारका प्रयोजक मान ता गौडी, पाञ्चाली आदि रीति जिनमें समस्त गुण नष्ट रहत उनका जैसे का यथा आत्मा मानागे ? इस

तथा च—

शृङ्गार एव मधुरः परः प्रह्लादनो रसः ।
तन्मय काव्यमाश्रित्य माधुर्यं प्रनिनिष्ठति ॥७॥

शृङ्गार एव रसान्तरापेक्षया मधुर प्रह्लादहेतुत्वात् । 'तत्प्रकाशनपरशब्दार्थतया काव्यस्य स माधुर्यलक्षणो गुण । श्रव्यत्व पुनरोजसोऽपि साधारणमिति ॥७॥

आधेरका भाव यह है कि वामन तो रीतिसम्प्रदायक प्रवक्तव्य हैं । "रीतिपात्मा काव्यस्य" यह उनका सिद्धान्त है । गोपी, पाञ्चाली आदि रीतियां समस्त गुणोंका समवाय तो हाता नहीं फिर उनको काव्यका आत्मा कैसे मानोगे ? और यदि एक एक गुणकी उपस्थितिको ही काव्य-यवहारके लिए पयाप्त माना तो "अद्रावन्न प्रव्वलत्यनिश्चये, प्राज्य प्राग्गुणस्यप धूम" इत्यादिमें भोज आदि गुण होनेके कारण उनमें भी काव्यव्यवहार क्यों नष्ट होगा ? मम्मटने वामनके पण्डनमें यहाँ जा युक्तिप्रवाह उपस्थित किया है वह कुछ शिथिल सा जान पड़ता है ।

भामहमत

भामहम्प विचरणमें मट्टोद्भटने तो गुण और अलङ्कारक भेदको ही नहीं माना है । उनका कहना है कि लौकिक गुण [शोयादि] और अलङ्कार [फटक, कुण्डलादि] में तो भेद स्पष्ट है । शोयादि गुण आत्मामें समवायसम्बन्धसे रहते हैं और कटक, कुण्डलादि अलङ्कार शरीरमस्योगसम्बन्धसे आश्रित होते हैं । इसलिए लौकिक गुण और अलङ्कारोंमें वृत्तिनियामक सम्बन्ध संयोग तथा समवायके भेदसे भेद हो सकता है । परन्तु भोज प्रभृति गुण और अनुप्रासादि अलङ्कार दोनों ही समवायसम्बन्धसे रहते हैं इसलिए [समवायवृत्त्या शोयादय, संयोगवृत्त्या तु हारदय इत्यस्तु गुणालङ्काराणां भेद भोज प्रभृतीना अनुप्रासोपमादीना चोभयेपामपि समवायवृत्त्या स्थितिरिति गङ्गुलिकाप्रवाहेणैवैवा भेद] इन दोनोंका भेद मानना गड्डलिकाप्रवाह [मेढवाल]के समान ही है । परन्तु आलोक और काव्यप्रकाशादिनारने रसनिष्ठ धर्मोंको गुण और शब्दार्थनिष्ठ धर्मोंको अलङ्कार मानकर दोनोंका भेद किया है । अथात् वृत्तिनियामक सम्बन्धसे भेदसे नहीं, अपितु आश्रयभेदसे गुण और अलङ्कारका भेद है ।

नव्यमत

नव्य लोगोंका यह मत है कि गुणोंको समान धर्म माननेमें कोई हदतर प्रमाण भी नहीं है और वेदात्ममें प्रतिपादित निर्गुण आत्मतत्त्वस्थानीय रसको भी निर्गुण ही मानना चाहिये । अतएव गुणोंको रसधर्म मानना उपहासास्पद ही होगा—'अपि चात्मनो निगुणत्वस्य सर्वप्रमाणमाल्भित्वदान्ती प्रतिपादिततया आत्मभूतरसगुणत्व माधुर्यादीना कथमिव नोपहासास्पदम्' ॥६॥

माधुर्य गुणका आश्रय

इसीसे,

शृङ्गार ही सबसे अधिक आनन्ददायक मधुर [माधुर्ययुक्त] रस है । उन्म शृङ्गारमय काव्यके आश्रित ही माधुर्यगुण रहता है ॥७॥

शृङ्गार ही अन्य रसोंकी अपेक्षा अधिक आह्लादजनक होनेसे मधुर है । उसको प्रकाशित करनेवाले शब्दार्थयुक्त काव्यका यह माधुर्य गुण होता है । श्रव्यत्व

तो ओजका भी साधारणधर्म है। [अर्थात् माधुर्यके समान ओजमें भी श्रव्यत्व रहता है]।

‘एवकारस्त्रिधा मतः’

‘शृङ्गार एव मधुर’ इत्यादि सातवीं कारिकामें ‘एव’ पदका प्रयोग किया गया है। इस ‘एव’का प्रयोग तीन प्रकारसे होता है और उन तीनोंमें उसके अर्थमें भेद हो जाता है। वह कभी विशेषणके साथ प्रयुक्त होता है, कभी विशेष्यके साथ और कभी क्रियाके साथ। विशेष्यके साथ प्रयोग होनेपर वह अन्ययोगका व्यवच्छेदक होता है [विशेष्यसङ्गतस्त्वेवकारो अन्ययोगव्यवच्छेदक]। जैसे ‘पाप एव धनुर्धर’ में पार्थ विशेष्य है, उसके साथ प्रयुक्त एवका अर्थ अन्ययोगका व्यवच्छेद करना है। अर्थात् वह विशेष्य पार्थसे अन्यमें विशेषण धनुर्धरके सम्बन्धका निषेध करता है। ‘पार्थ एव धनुर्धरो नान्य’ यह उसका भावार्थ होता है। विशेषणके साथ प्रयुक्त एव अयोगव्यवच्छेदक होता है [विशेषण सङ्गतस्त्वेवकारो अयोगव्यवच्छेदक] जैसे ‘पार्थो धनुर्धर एव’ यहाँ विशेषण धनुर्धरके साथ प्रयुक्त ‘एव’ विशेष्यमें विशेषणके अयोग अर्थात् सम्बन्धभावका निषेध करता है और उसमें धनुर्धरत्वका नियमन करता है। इसी प्रकार जब ‘एव’ क्रियाके साथ अन्वित होता है तब अत्यन्तायोगव्यवच्छेदक होता है। जैसे ‘नील कमल भवत्येव’ इस वाक्यमें ‘भवति’ क्रियाके साथ अन्वित एवकार कमलमें नीलत्वके अत्यन्त असम्बन्धका निषेध कर किसी विशेष कमलमें नीलके सम्बन्धको नियमित करता है। इस प्रकार एवके तीन प्रकारके प्रयोग होते हैं—‘अयोगमन्ययोग च्वात्यन्तायोगमेव च। व्यवच्छिनत्ति धर्मस्य एवकारस्त्रिधा मतः।’

प्रकृत ‘शृङ्गार एव मधुर’ इत्यादि कारिकामें विशेष्यके साथ अन्वित एवके अन्ययोग व्यवच्छेदक होनेसे उसका अर्थ ‘शृङ्गार एव मधुरो नान्य’ यह होगा। परन्तु अगली ही कारिकामें [शृङ्गारे विप्रलम्भस्यै कश्चे च प्रकर्मवत्] कश्च आदि रसमें भी उसका अस्तित्व ही नहीं माना अपितु सम्भोगशृङ्गारकी अपेक्षा विप्रलम्भमें और उससे भी अधिक कश्चरसमें माधुर्यका उत्कृष्ट माना है। यदि ‘शृङ्गार एव’का एवकार अन्ययोगव्यवच्छेदक है तो इसकी सङ्गति कैसे होगी यह एक प्रश्न है। इस प्रश्नका उत्तर यह है कि अन्यके भीतर दो प्रकार वस्तुएँ आती हैं, विशेष्यकी सजातीय और विजातीय। यहाँ विशेष्य शृङ्गार है। उसके सजातीय अन्य रस कश्चणादि भी अन्यकी श्रेणीमें आते हैं। अन्यव्यवच्छेदक एवकार कहीं सजातीयका व्यवच्छेदक होता है और कहीं विजातीयका व्यवच्छेद करता है। यहाँ यदि उसे सजातीयका व्यवच्छेदक मानें तब तो वह कश्च आदिमें माधुर्यके योगका व्यवच्छेदक होगा और उस दशामें अगली कारिकासे विरोध होगा। परन्तु यदि उसे विजातीय अन्यका व्यवच्छेदक मानें तो वह शब्द तथा अर्थमें माधुर्यका व्यवच्छेदक होगा और इस प्रकार गुणके शब्दधर्मत्व अथवा अर्थधर्मत्वका निषेध करके रसैक धर्मत्वका प्रतिपादक होगा। यही आलोककारका सिद्धांतपथ शृङ्गारके साथ एव पदसे सूचित किया है।

कारिकाकी वृत्तिमें “अव्ययत्वं पुनरोजसोऽपि साधारणम्” लिखा है। यह पक्ति मामहके “अर्थे नातिसमस्तार्थशब्द मधुरमित्येते” [मामह २, २, ३] इस वचनकी आलोचनामें लिखी गयी है। शोचन करने इसकी टीकामें लिखा है कि इस प्रकारका अव्ययत्व तो “यो य शब्द विमर्ति स्वभुजगुरुमद पाण्डवीना चमूना” इत्यादि ओजके उदाहरणमें भी पाया जाता है अतएव यह माधुर्यका लक्षण नहीं हो सकता है ॥७॥

शृङ्गारे विप्रलम्भाख्ये करुणे च प्रकर्षवत् ।

माधुर्यमार्द्रतां याति यतस्तत्राधिकं मनः ॥८॥

विप्रलम्भशृङ्गारकरणयोस्तु माधुर्यमेव प्रकर्षवत् । सहृदयहृदयावर्जनातिशयनिमित्तत्वादिति ॥८॥

विप्रलम्भशृङ्गार और करुणरसमें माधुर्य [गुणका प्रयोग विशेष रूपसे] उत्कर्ष युक्त होता है, क्योंकि उसमें मन अधिक आर्द्रताको प्राप्त हो जाता है ॥८॥

विप्रलम्भशृङ्गार और करुणमें तो सहृदयोंके हृदयोंको अतिशय आकृष्ट करनेका निमित्त होनेसे माधुर्य [गुण] ही उत्कर्षयुक्त होता है ॥८॥

दस गुणोंका अन्तर्भाव

प्राचीन भामह आदि आचार्योंने [श्लेष प्रसाद समता माधुर्य सुकुमारता । अर्थव्यक्तिरुदारत्व मान काविसमाधय ॥] दस शब्दगुण और दस अर्थगुण माने हैं । शब्दगुणों और अर्थगुणोंके नाम तो एक ही हैं परन्तु उनके लक्षण दोनों जगह अलग अलग हो जाते हैं । आलोक, लोचन, काव्य प्रकाशादिने इन दस गुणोंका अन्तर्भाव अपने तीन गुणों—माधुर्य, ओज और प्रसादमें ही कर लिया है । उन गुणोंके अन्तर्भावप्रकारको निम्नाङ्कित चित्र द्वारा दिखलाया जा सकता है ।

शब्दगुणों तथा अर्थगुणोंके नाम	शब्दगुणोंके लक्षण तथा उनका अन्तर्भाव		अर्थगुणोंके लक्षण तथा उनका अन्तर्भाव	
	शब्दगुणदशामें लक्षण	अन्तर्भाव	अर्थगुणदशामें लक्षण	अन्तर्भाव
१ श्लेष	बहूना पदानामेकपदवद्भाषनम्	ओजसि	कमकौटिल्यानुल्वणत्व-योगरूपघटना	विचित्रतामात्रम्
२ प्रसाद	ओजोमिश्रितशैथिल्यात्मा	ओजसि	अथचैम्व्यम्	अपुण्यत्वाभावे
३ समता	मागाभेदस्वरुपिणी [कचिदोष]	यथायथम्	प्रनान्तप्रकृत्यादिनिवाह	प्रकममङ्गदोषाभावे
४ माधुर्यम् उदारता	पृथक्पदत्वम् विकटत्वम्, पदानानृत्यव्यायत्वम्	माधुर्य ओजसि	माधुर्यमुक्तिवैचित्र्यम् अप्राप्त्यत्वम्	अनवीकृतदोषाभावे प्राप्यत्वाभावे
५ अर्थव्यक्ति	पदाना शक्तिरथसमपणम्	प्रसाद	रन्मुम्भभावस्तुटत्वम्	स्वभावोक्त्यलङ्कारे
६ सुकुमारता	अपारुष्यम्	दु श्रवतात्यागे	अपारुष्यम्	अमङ्गलाश्लीलत्यागे
७ ओज	रधनैक्यम्	ओजसि	सामिप्रायत्वम्	अपुण्यत्वाभावे
८ कान्त	औज्वल्यम्	प्राप्यत्वाभावे	दीप्तस्वत्वम्	ध्वनिगुणीभूतव्यथङ्गयो
९० समाधि	धाराहारोद्गम	ओजसि	अर्थदृष्टिरूप अयोनि अन्यन्टायायोनिश्चेति द्विविध	अर्थदृष्टिनि गुण

रौद्रादयो रसा दीप्त्या लक्ष्यन्ते काव्यवर्तिनः ।

तद्व्यक्तिनेत् शब्दार्थावाश्रित्यौजो व्यवस्थितम् ॥०॥

रौद्रादयो हि रसा परा दीप्तिमुज्ज्वलता जनयन्तीति लक्षणा न परा तत्र रिति व्युच्यते । तत्प्रकाशनपर शब्दो दीर्घसमासरचनालङ्कृत वाक्यम् ।

यथा—

चञ्चलुजभ्रमित ण्डगदाभिघातसञ्चुणितोरुयुगलस्य मुयोधनस्य ।

स्त्यानावप्रिद्धघनशोणितशोणपाणिरुनसयिष्यति कचास्तव नेत्र भीम ॥

तत्प्रकाशनपरस्वार्योऽनर्पेक्षतदीर्घसमासरचन प्रसन्नवाचकाभिधेय ।

यथा—

यो य शस्त्र विभक्तिं स्वभुजगुम्भत् पाण्डवीना चमूत्

यो य पाञ्चालगोत्रे शिशुरधिकचया गर्भशय्या गतो वा ।

ओज गुणके आश्रय [क-शब्द] का उदाहरण

काव्यमें प्रियमान गोटानि रस नीति [चिन्तितस्तिाररूप गोटानि रसाम अनुभूयमान चित्तावस्थानिशेष] से लक्षित होते हैं । उस नीतिसे अभिप्रेषक शब्द का अर्थसे आश्रय ओज रहता है ॥१॥

गौत्रादि [आदि पदमे नीर ओर अद्वन] रस अत्यन्त उच्चलताम्भ [चित्तावस्था] दीप्तिको पैदा करते हैं इर्मात्त लक्षणमे ते ही नीतिरूप रहे जान है । [नाताते हृदयके विस्तार या प्रज्वलनस्वभाव जगत्यादिशपना नाम नीति है । यही मु य रूपसे ओज शब्दवाच्य है । उसके सम्य धसे तदास्वादमय गौत्रादि रस भी लक्षणमे दीप्ति शब्दसे गृहीत होते हैं । और उसक प्रकाशक दीर्घसमासरचनासे अलङ्कृत शब्द भी लक्षित लक्षणमे नीति शब्दसे गृहीत बात है ।] उसके प्रकाशक शब्द दीर्घसमासरचनासे अलङ्कृत वाक्य है ।

जैसे—

[रस] फटफटी इह भुजाभोस घुमायी गयी गता भीषण प्रहारस जिम्भका दानों जहाओंको चूर चूर कर दिया गया है उस मुयोधनके जम हुए [स्त्रियान] गते रक्तम रंगे हुए हाथवाला यह भीम है देवि । तेरे देहाका रक्षणा ।

इस लक्षणमे दीर्घसमासरचनासे अलङ्कृत शब्द का अर्थ चिन्तितस्तिाररूप नीतिसे अभिप्रेषक है । अतएव यह आजमा उदाहरण है ।

ओज गुणके आश्रय [र-अर्थका] उदाहरण

उम [ओज] का प्रकाशक अर्थात् दीर्घसमासरचनासे रहित प्रमात्तगुणयुक्त पदोंमे योचित अर्थ [भी] होता है ।

जैसे—

पाण्डवोंकी रचनामें अपने भुवनरत्नो गारत को भी शस्त्रधार है, अथवा पाञ्चाल वशमें गौत्रा यथा अग्रा गर्भस्थ को जो भी शस्त्र [कणादि] जा जा उस कम

यो यस्तत्कर्मसाक्षी चरति मयि रणे यश्च यत्र प्रतीप
क्रोधान्धस्तस्य तस्य स्वयमपि जगतामन्तकस्यान्तकोऽहम् ॥

इत्यादी द्वयोरोजस्त्वम् ॥९॥

समर्पकत्व काव्यस्य यत्तु सर्वरसान् प्रति ।
स प्रसादो गुणो ज्ञेयः सर्वसाधारणक्रिय' ॥१०॥

[द्रोणवध] का साक्षी है [जो जो राडा हुआ उस द्रोणने पधको देखता रहा है] और मेरे युद्ध करते समय जो कोई उसमें थाथा डालेगा आज द्रोणने अन्धा हुआ मैं [अश्वत्थामा] उसका नाश करूँगा फिर चाहे वह मर जगत्का अन्तक स्वयं यमराज ही क्यों न हो ।

इन दोनों उदाहरणोंमें [क्रमशः शब्द और अर्थ] दोनों ओज स्वरूप है ।

ये दोनों श्लोक 'वेणीसहार' नाटकके हैं । इनमेंसे पहिली भीमनी और दूसरा अश्वत्थामाकी उक्ति है । पहिलेमें समासबहुल रचना है, वहाँ शब्द ओजने अभियञ्जक हैं और दूसरे उदाहरणमें दीर्घसमासरचना है, वहाँ अर्थ ओजका अभियञ्जक है ।

कारिकाकी वृत्तिमें 'लक्षणया त एव दीप्तिरित्युच्यते' लिखा है । साधारणतः "विशेषवाचक पदसमानवचनकत्वमाख्यातस्य" यह नियम माना गया है । इसका अर्थ यह है कि आख्यात अथात् त्रिपापदका वचन विशेषवाचक पदके समान होना चाहिये । इसीलिए प्रकृति विकृतिस्थलमें 'वृक्ष पञ्च नौका भवति' और उभयायामेदारोपस्थलमें 'एको द्वौ शायते' इत्यादि प्रयोग उपपन्न माने गये हैं । यहाँ 'त एव दीप्तिरित्युच्यते'में विशेषवाचक तच्छब्दके 'ते' इस बहुवचनान्त रूपके समान आख्यात 'उच्यते'का भी बहुवचनान्त प्रयोग होना उचित था, फिर एकवचनका प्रयोग कैसे माधु होगा ? इसका कथञ्चित् समाधान यह करना चाहिये कि इति शब्दसे उपस्थाप्यमान वाक्यार्थ ही यहाँ वचनान्तरनिर्दिष्ट कर्मताका आश्रय है । और उस सामान्यमें सख्याविशेषनी अविवक्षासे एकवचन का प्रयोग भी अभीष्ट है । यह बात महामाध्यम वचाविधायक [द्वयेकयोर्द्विवचनैकवचने, बहुषु बहुवचनम्] सूत्रोंका 'एकवचनम् द्विवचनोर्द्विवचनैकवचने' इस प्रकारका न्यास करते हुए भाष्यकारने सूचित की है । तदनुसार सामान्यमें एकवचनका प्रयोग है ।

कारिकाके 'रीद्रादयो' पदमें 'आदि' पदसे 'वीराद्भुतयोरपि ग्रहणम्' यह लक्षणकारने लिखा है । अर्थात् यहाँ आदि पदको प्रारम्भाधिक न मानकर प्रकार अथवा सादृश्यवाचक माना है, तभी रीद्ररसके सदृश वीरादिका ग्रहण किया है । अतएव उसमें वीररसके विभावोंसे उत्पन्न अद्भुतरसका भी ग्रहण करना चाहिये ॥९॥

प्रसाद गुणका आश्रय

[शुष्केन्धनमें अग्निके समान अथवा स्वच्छ घरूममें जलके समान] काव्यका समस्त रसोंके प्रति जो समर्पकत्व [योद्धाके हृदयमें शक्ति विद्यापनकर्तृत्व] है और समस्त रसोंमें और रचनाओंमें [सर्वसाधारणी क्रिया वृत्ति, स्थितिर्यस्य स] रहनेवाला है उसे 'प्रसाद' गुण समझना चाहिये ॥१०॥

प्रसादस्तु स्वच्छता शब्दार्थयोः । स च सर्वरससाधारणो गुणः । सर्वरचनासाधारणश्च^१ । व्यङ्ग्यार्थापेक्षयैव मुख्यतया व्यवस्थितो मन्तव्य ॥१०॥

श्रुतिदुष्टादयो दोषा अनित्या ये च दर्शिताः ।

ध्वन्यात्मन्येव शृङ्गारे ते हेया इत्युदाहृताः ॥११॥

अनित्या दोषाश्च ये श्रुतिदुष्टादय सूचितास्तेऽपि न वाच्ये अर्थमात्रे, न च व्यङ्ग्ये शृङ्गारव्यतिरेकिणि, शृङ्गारे वा ध्वनेरत्नात्मभूते^२ । किन्तहि ध्वन्यात्मन्येव शृङ्गारेऽङ्कितया व्यङ्ग्ये ते हेया इत्युदाहृता । अन्यथा हि तेषामनित्यदोषतैव न स्यात् ॥११॥

प्रसाद [का अर्थ] शब्द और अर्थकी स्वच्छता है । यह सब रसोंका साधारण गुण है, और सब रचनाओंमें समान रूपसे रहता है । [फिर चाहे यह रचना शब्दगत हो या अर्थगत, समस्त हो या असमस्त] मुख्य रूपसे व्यङ्ग्यार्थकी अपेक्षासे ही उसे स्थित समझना चाहिये ।

ये गुण मुख्यतया प्रतिपत्ताय आस्वादमय होते हैं, फिर रसम उपनरित होते हैं और फिर लक्षणासे शब्द और अर्थमें भी उनका व्यवहार होता है । साहित्यदर्पणकारने इसी 'प्रसाद'का लक्षण इस प्रकार किया है—“चित्त व्याप्नोति य श्चिप्र शृण्वे धनमिग्नानल । स प्रसाद समस्तेषु रसेषु रचनासु च ॥”

इस प्रकार मैं यकारने यह सिद्ध किया कि जहाँ रसादिका असदिग्ध प्राधा य है वहाँ रस ध्वनि, जहाँ वह किसी अन्यका अङ्ग है वहाँ रसबदलङ्कार और जहाँ रस अलङ्कार है और अर्थ कोइ रसान्तर अङ्गभूत नहीं है वहाँ उपमादि अलङ्कार होते हैं । यह इनका विषयविभाग है । इसी प्रकार अङ्गीभूत रसादिये आश्रित धर्म गुण शब्द या अर्थच चारुत्वहेतु अलङ्कार होते हैं ॥१०॥

अनित्यदोषोंकी व्यवस्था

यह कहते हैं कि हमने जो रसध्वनि आदिका क्षेत्र निधारित किया है उसको माननेपर ही नित्य और अनित्यदोषोंकी व्यवस्था भी बन सकती है ।

श्रुतिदुष्टादि [श्रुतिदुष्ट, अर्थदुष्ट, कल्पनादुष्ट । 'श्रुतिदुष्टार्थदुष्टत्वे कल्पनादुष्टमित्यपि । श्रुतिकष्ट तथैवाहुर्वाचा दोष चतुर्विधम् ॥' भामह] जो अनित्यदोष बताये गये हैं वह ध्वन्यात्मक शृङ्गार [रसध्वनिरूप प्रधानभूत शृङ्गार] में ही त्याज्य कहे गये हैं ॥११॥

जो अनित्य श्रुतिदुष्टादि दोष सूचित किये गये हैं वे न तो वाच्यार्थमात्रमें, न शृङ्गाररसे भिन्न व्यङ्ग्य [रसादि]में और न ध्वनिके अनात्मभूत शृङ्गार [गुणीभूत शृङ्गार] में हेय कहे गये हैं, किन्तु प्रधानतया व्यङ्ग्य ध्वन्यात्मक शृङ्गारमें ही हेय कहे गये हैं । अन्यथा उनकी अनित्यदोषता ही न बनेगी ॥११॥

१ नि०, दी० में 'क्षेति' पाठ है अर्थात् इति पाठ अधिक है ।

२ नि में 'न वाच्यार्थमात्रे, न च व्यङ्ग्ये शृङ्गारे, शृङ्गारव्यतिरेकिणि वा ध्वनेरत्नात्मभावे' पाठ है ।

दी० में 'ध्वनेरत्नात्मभूते'में 'भूते'के स्थानपर 'भावे' पाठ है ।

एवमयमसलक्ष्यक्रमयोतो' ध्वनेरात्मा प्रदर्शित सामान्येन ।

तस्याङ्गानां प्रभेदा ये प्रभेदा स्वगताश्च ये ।

तेषामानन्त्यमन्योन्यसम्बन्धपरिकल्पने ॥१२॥

अङ्कितया व्यङ्ग्यो रसादिर्विधक्षितान्यपरवान्यस्य ध्वनरेक आत्मा य उक्तस्तस्याङ्गाना वाच्यवाचकानुपातिनामलङ्काराणा ये प्रभेदा निरवधयो ये च स्वगतास्तस्याङ्गिनोऽर्थस्य रस-भाव-तदाभास-तत्प्रशमलक्षणा विभावानुभावव्यभिचारिप्रतिपादनसहिता अनन्ता स्वाश्रयापेक्षया नि सीमानो विशेषास्तेषामन्योन्यसम्बन्धपरिकल्पने क्रियमाणे कस्यचिदन्यतमस्याऽपि रसस्य प्रकारा परिसंरयातु न शक्यन्ते किमुत सर्वेषाम् ।

तथा हि—शृङ्गारस्याङ्गिनस्तावदाद्यौ द्वौ भेदौ । सम्भोगो विप्रलम्भश्च । सम्भोगस्य च परस्परप्रेमदर्शनसुरतविहरणादिलक्षणा प्रकारा । विप्रलम्भस्याप्यभिलापेर्ष्याविरह-

असलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यध्वनिके भेद

इस प्रकार यह असलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यध्वनिका स्वरूप नामान्यत प्रदर्शित किया ।

उस [असलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य रसध्वनि] के अङ्गों [अलङ्कारादि] के जो अनेक भेद हैं, और [स्वयं रसादिके] जो स्वगत भेद हैं उनका एक दूसरेके साथ सम्बन्ध [ससृष्टि सङ्कारादि, प्रस्तारविधिसे, विस्तारादि] कल्पना करनेपर उनकी गणना अनन्त हो जायगी ॥१२॥

विधक्षितान्यपरवाच्यध्वनिका अङ्कितया [प्रधानतया] व्यङ्ग्य रसादिरूप जो एक स्वरूप [आत्मा, प्रभेद] कहा है उसके अङ्गभूत अर्थ तथा शब्दके आधित [उपमादि तथा अनुभासादि] अलङ्कारोंके जो अपरिमित भेद हैं, और उस प्रधानभूत [रसादि ध्वनिरूप] अर्थके जो स्वगत भेद रस, भाव, तदाभास, तत्प्रशमरूप विभावानुभाव व्यभिचारिभाव प्रतिपादन सहित अनन्त और अपने आश्रय [स्त्री, पुरय आदि प्रकृतिके भेद]के कारण नि सीमा जो अज्ञान्तर विशेष [भेदोपभेद] हैं उनका एक दूसरेके साथ सम्बन्ध [ससृष्टि, सङ्कार या प्रस्तारार्थ] कल्पना करनेपर, उनमेंसे किसी एक भी रसके भेदोंकी गणना कर सकना सम्भव नहीं है, फिर सचकी तो बात ही क्या है ।

जैसे [उदाहरणके लिए]—प्रधानभूत शृङ्गाररसके, प्रारम्भमें दो भेद होते हैं, सम्भोग [शृङ्गार] और विप्रलम्भ [शृङ्गार] । उनमें भी सम्भोगके परस्परप्रेमदर्शन [दर्शन, सम्भाषणादिका भी उपलक्षणा हैं], सुरत, [और उद्यान] विहारादि भेद हैं । [इसी प्रकार] विप्रलम्भके भी अभिलाष, ईर्ष्या, विरह, प्रयास और विप्रलम्भादि [शापादि निमित्तक वियोगादि भेद हैं] । उनमेंसे प्रत्येक [भेद] के विभाव, अनुभाव, व्यभिचारि

१ 'द्योपध्वने' नि० ।

२ 'शृङ्गारस्यैवाङ्गिन' नि० दी० ।

प्रवासविप्रलम्भादय । तेषा च प्रत्येक विभावानुभावव्यभिचारिभेद^१ । तेषा च देश-
कालाद्याश्रयावस्थाभेद^२ इति स्वगतभेदापेक्षयैकस्य^३ तस्यापरिमेयत्वम् । किं पुनरङ्ग-
प्रभेदकल्पनायाम्^४ । ते ह्यङ्गप्रभेदा^५ प्रत्येकमङ्गिप्रभेदसम्बन्धपरिकल्पने क्रियमाणे सत्या-
नन्त्यमेवोपयान्ति ॥१२॥

दिङ्मात्रं तूच्यते येन व्युत्पन्नाना सचेतसाम् ।
बुद्धिरासादितालोका सर्वत्रैव भविष्यति ॥१३॥

दिङ्मात्रकथनेन हि व्युत्पन्नाना सहृदयानामेकत्रापि रसभेदे सहालङ्कारैरङ्गाङ्गिभाव
परिष्ठानादासादितालोका^६ बुद्धि सर्वत्रैव भविष्यति ॥१३॥

तत्र—

शृङ्गारस्याङ्गिनो यत्रादेकरूपानुबन्धवान्^७ ।
सर्वेष्वेव प्रभेदेषु नानुप्रास प्रकाशक ॥१४॥

भावके [भेदसे] भेद हैं । और उन [विभावादि] के भी देश, काल, आश्रय, अवस्था
[आदिसे] भेद हैं । इस प्रकार स्वगत भेदोंके कारण उस एक [शृङ्गार] का परिमाण
करना [ही] असम्भव है फिर उनके अङ्गोंके भेदोपभेदकल्पना की तो बात ही क्या है ।
वे अङ्गों [अलङ्कारादि] के प्रभेद प्रत्येक अङ्गी [रसादि] के प्रभेदोंके साथ सम्बन्धकल्पना
करनेपर अनन्त ही हो जाते हैं ॥१२॥

[उसका] दिङ्मात्र [कुछ थोड़ा सा, आगे] कहते हैं, जिससे व्युत्पन्न सहृदयोंकी
बुद्धि सर्वत्र प्रकाश प्राप्त कर सकेगी ॥१३॥

[इस] दिङ्मात्रकथनसे अलङ्कारादिके साथ रसके एक ही भेदके अङ्गाङ्गिभावके
परिष्ठानमे व्युत्पन्न सहृदयोंकी बुद्धिको अन्त्य सय स्थानोंपर [स्वयं] ही प्रकाश मिल
जायगा ॥१३॥

शृङ्गारमें शब्दालङ्कारोंका अधिक प्रयोग अनुचित

उसमें—

प्रधानभूत [अङ्गी] शृङ्गारके सभी प्रभेदोंमें यत्नपूर्वक समानरूपसे [निरन्तर]
उपनिबद्ध अनुप्रास [रसका] अभिव्यञ्जक नहीं होता ॥१४॥

१ 'भेदा' नि०, दी० ।

२ 'भेदा' नि०, दी० ।

३ 'अपेक्षयैव' नि०, दी० ।

४ 'कल्पनाया' नि०, दी० ।

५ 'ते हि प्रभेदा' दी० ।

६ 'सहालङ्कारै के स्थानपर 'कतम्येऽङ्कार' पाठ नि०, दी० में है ।

७ 'अनुबन्धवान्' नि०, दी० ।

अङ्गिनो हि शृङ्गारस्य ये उक्ता प्रमेदास्तेषु सर्वेष्वेकप्रकारानुबन्धितया प्रवृत्तोऽनुप्रासो न व्यञ्जक । अङ्गिन इत्यनेनाङ्गभूतस्य शृङ्गारस्यैकरूपानुबन्ध्यनुप्रासनिबन्धने कामचारमाह ॥१४॥

ध्वन्यात्मभूते शृङ्गारे यमकादिनिबन्धनम् ।

शक्तावपि प्रमादित्व विप्रलम्भे विशेषतः ॥१५॥

ध्वनेरात्मभूत शृङ्गारस्तात्पर्येण वाच्यवाचकाभ्या प्रकार्यमानस्तस्मिन् यमकादीना यमकप्रकाराणा निबन्धन दुष्करशब्दभङ्गश्लेषादीना शक्तावपि प्रमादित्वम् ।

प्रमादित्वमित्यनेन एतद्दर्शयते काकतालीयेन कदाचित् कस्यचिदेकस्य यमकादेनिष्पत्तावपि भून्नालङ्कारान्तरवद्रसाङ्गत्वेन निबन्धो न कर्तव्य इति । विप्रलम्भे विशेषत इत्यनेन विप्रलम्भे सौकुमार्यातिशय रयाप्यते । तस्मिन् द्योत्ये यमकादेरङ्गस्य निबन्धो नियमात्र कर्तव्य इति ॥१५॥

प्रधानभूत [अङ्गी] शृङ्गारके जो प्रमेद कहे हैं उन सब [ङ्गी] में एकाकाररूपसे निरन्तर निबद्ध अनुप्रास [रसका] अभिव्यञ्जक नहीं होता । अङ्गिन' इस पदसे अङ्गभूत [गुणीभूत] शृङ्गारमें समानरूपसे [निरन्तर] अनुप्रासकी रचनाका यद्येष्ट उपयोग किया जा सकता हे यह सूचित किया है ॥१४॥

शक्ति होते हुए भी, ध्वन्यात्मक शृङ्गारमें और विशेषरूपसे विप्रलम्भशृङ्गारमें यमकादेका निबन्धन [कविके] प्रमादित्व [का] ही [सूचक] है ॥१५॥

[रसादि] ध्वनिका आत्मभूत शृङ्गार [रस] शब्द और अर्थ द्वारा तात्पर्य[तात्पर्य विपयीभूत, प्रधानतया] रूपसे प्रकाशित होता है, उसमें यमकादि [यहाँ आदि शब्द प्रकारार्थक अर्थात् सादृश्यार्थक है], यमकसदृश दुष्कर शब्दश्लेष या समझश्लेष आदि [और मुरजब'धादि क्लिष्ट अलङ्कारों] का शक्ति होनेपर भी प्रयोग करना [कविके] प्रमादित्वका सूचक है ।

प्रमादित्वसे यह सूचित किया है कि काकतालीयन्यायसे कभी किसी एक यमकादिकी रचना हो जानेपर भी, अन्य अलङ्कारोंके समान बाहुल्येन रसाङ्गरूपमें उनकी रचना नहीं करनी चाहिये । 'विप्रलम्भे विशेषत' इन पदोंसे विप्रलम्भ [शृङ्गार] में सुकुमारताका अतिशय द्योतित किया गया है । उस [विप्रलम्भशृङ्गार] के द्योत्य होनेपर यमकादि [अलङ्कारों]का प्रयोग नियमत नहीं करना चाहिये ॥१५॥

आदिशब्द'तु मेधावी चतुर्थर्थेषु भाषते ।

प्रकारे च व्यवस्थाया सामीप्येऽवयवे तथा ॥

यमकादिमें आदि शब्द प्रकार अर्थात् सादृश्यपरम् है । यमकादिका अथ 'यमकसदृश दुष्कर' है । यमकसदृश दुष्कर अलङ्कारों मुरजब'धादि और समझश्लेष या शब्दश्लेष भी सम्मिलित हैं । 'श्लिष्टे पदैरनेकार्थाभिधाने श्लेष इष्यते'—क्लिष्ट पदोंसे अनेक अर्थोंका रोधन करना श्लेष अलङ्कार कहलाता है । 'पुनस्त्रिधा समज्ञोऽप्याभङ्गन्तदुभयात्मज'—यह समझश्लेष अमङ्गलश्लेष

और 'समयात्मकश्लेष भेदसे तीन प्रकारका है। शब्दश्लेष और अर्थश्लेष भेदसे भी श्लेषके दो भेद हैं। प्राचीन आचार्य समझश्लेष और शब्दश्लेषको तथा अभङ्गश्लेष और अर्थश्लेषको एक ही मानते हैं। 'पापात्स स्वयम'अधकक्षयकरत्वा सर्वदो माधव ।' इस पद्याश्रमं शिव और विष्णु दोनोंकी स्तुति है। 'सर्वद' सप्त कुछ देनेवाले और 'अधकक्षयकर' अ धक अथात् यादवोंके क्षयकर विनाश हेतु अथवा क्षय मान गृहको बनानेवाले यादवोंको बसानेवाले माधव कृष्ण तुम्हारी रक्षा कर। और 'सर्वदा उमाधव' शिव, जो अधकामुरके मारनेवाले हैं, सबदा तुम्हारी रक्षा करें। यह दो अर्थ होते हैं।

'सर्वदो माधव' पदके दोनों पक्षोंमें अलग-अलग पदच्छेद होते हैं। विष्णुपक्षमें 'सर्वद माधव' पदच्छेद होता है और शिवपक्षमें 'सर्वदा उमाधव' पदच्छेद होता है। यह समझश्लेष कहलाता है। और 'अधकक्षयकर'का पदच्छेद दोनों पक्षोंमें एक-सा रहता है। इसलिए वह अभङ्गश्लेष कहलाता है। समझश्लेषमें भिन्नप्रयत्नसे उच्चार्य दो भिन्न भिन्न शब्दोंको जतुकाष्ठन्यायसे— जैसे लकड़ीके बाणादिमें लाख चिपका दी जाय—श्लेष होता है। जतु अर्थात् लाल और काष्ठ दोनों अलग-अलग पदार्थ हैं, वे दोनों एकत्र जुड़ जाते हैं। इसी प्रकार जहाँ दो अलग अलग शब्द एक साथ जुड़ जाते हैं वहाँ समझश्लेष होता है और उसीको शब्दश्लेष कहते हैं, जैसे 'सर्वदो माधव' में। 'अधकक्षयकर'का पदच्छेद या उच्चारण दोनों पक्षोंमें समान ही रहता है इसलिए यह दो शब्द नहीं, एक ही समस्त शब्द है। उस एक ही शब्दमें दो अर्थ 'एकवृन्तगतफलद्वयन्याय'से सम्बद्ध हैं। जैसे वृक्षके एक ही वृष्ठलमें दो फल लग जाते हैं इसी प्रकार जहाँ एक ही शब्दसे दो अर्थ सम्बद्ध हों वहाँ 'एकवृन्तगतफलद्वयन्याय'से अर्थद्वयका श्लेष होता है। यह अभङ्गश्लेष अर्थश्लेष होता है।

प्राचीन आचार्य समझश्लेषको शब्दश्लेष, और अभङ्गश्लेषको अर्थश्लेष मानते हैं। इसीलिए यहाँ मूल ग्रन्थमें 'यमकादीना यमकप्रकाराणा, दुष्करशब्दभङ्गश्लेषादीना' यह शब्दश्लेष और समझश्लेषको एक ही मानकर लिखा है।

नवीन लोग समझ तथा अभङ्ग दोनोंको ही शब्दश्लेष मानते हैं। उनके मतमें गुण, दोष तथा अलङ्कारादिमें उनकी शब्दनिष्ठता या अर्थनिष्ठताका निर्णायक अवयव्यतिरेक ही है। 'तत्सत्त्वे तत्सत्ता अन्वय', 'तदभावे तदभावो व्यतिरेक'—जहाँ किसी विशेष शब्दके रहनेपर ही कोह गुण, दोष या अलङ्कार रहता है और उस शब्दको बदलकर उसका पर्यायवाची दूसरा शब्द रख देनेपर वह गुण, दोष या अलङ्कार नहीं रहता वहाँ यह समझना चाहिये कि उस गुण, दोष या अलङ्कारका सम्बन्ध विशेष रूपसे उस शब्दविशेषसे ही है। इसलिए शब्दनिष्ठ माना जाता है।

इसी प्रकार जहाँ किसी शब्दके होनेपर जो अलङ्कारादि है उस शब्दको बदलकर दूसरा पर्यायवाची शब्द रख देनेपर भी वह अलङ्कारादि क्योंकि त्यों बना रहे तो वह गुण, दोष या अलङ्कार शब्दसे नहीं बल्कि अर्थसे सम्बद्ध या अर्थनिष्ठ माना जायगा। इस कसौटीपर यदि समझश्लेष और अभङ्गश्लेषकी परीक्षा की जाय तो अभङ्गश्लेष भी शब्दनिष्ठ ही निकलेगा, अर्थनिष्ठ नहीं। अभङ्गश्लेषका उदाहरण 'अधकक्षयकर' दिया है। इस शब्दसे एक पक्षमें यादवोंका नाश करनेवाला या बसानेवाला और दूसरी ओर अधकामुरको मारनेवाला ये दो अर्थ निकलते हैं। परन्तु यदि 'अधक' पदको हटाकर 'यादवक्षयकर' आदि पद रख दिये जायें तो दो अर्थ निकलना असम्भव हो जायगा और श्लेष अलङ्कार नहीं रहेगा। इसलिए अन्वयव्यतिरेकसे यहाँ समझश्लेषकी भौति अभङ्गश्लेष भी शब्दनिष्ठ ही ठहरता है। इसलिए नवीनोंके मतमें समझ और अभङ्ग दोनों श्लेष शब्दश्लेष ही हैं।

अत्र युक्तिरभिधीयते—

रसाक्षिप्ततया यस्य बन्धः शक्यक्रियो भवेत् ।

अपृथग्यत्ननिर्वर्त्य सोऽलङ्कारो ध्वनौ मतः ॥१६॥

निष्पत्तावाश्चर्यभूतोऽपि यस्यालङ्कारस्य रसाक्षिप्ततयैव बन्धः शक्यक्रियो भवेत् सोऽस्मिन् अलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्ये ध्वनावलङ्कारो मतः । तस्यैव रसाङ्गत्व मुख्यमित्यर्थः ।

अर्थश्लेषे इन् दोनोंसे भिन्न है और वह वही होता है जहाँ शब्दका परिवर्तन कर देनेपर भावोना अर्थ निकलते रहते हैं । जैसे—

“स्तोत्रनोन्नतिमायाति स्तोत्रेनायात्यधोगतिम् ।

अहा सुसदृशी वृत्तिस्तुलाकोटे सरस्य च ॥”

तराजूकी डण्डी और दुष्ट पुरुषकी वृत्ति एक समान ही है । तनित्र से तोला, माशा, रत्नीम नीचे झरू जाती है और तनिकम ऊपर चढ़ जाती है । यहाँ ‘उन्नतिमायाति’ आदिको उदलकर उसका पर्यायवाची ‘ऊर्ध्वं प्रयाति’ आदि कोई दूसरा शब्द रख दिया जाय ता दानों अर्थ प्रतीत होते रहते हैं । अतएव यहाँ अर्थ श्लेष होता है । अर्थश्लेष ता शृङ्गारमें भी प्रयुक्त हा सकता है । बल्कि मूल प्रथममें जो दुष्कर शब्दभङ्गश्लेषका ग्रहण किया है उससे तो यह सूचित होता है कि क्लिष्ट सभङ्ग श्लेष ही वर्जित है । सरल सभङ्गश्लेष और अभङ्गश्लेषका प्रयोग भी शृङ्गारमें वर्जित नहीं है । जैसे आगे उद्धृत होनेवाले “रक्तस्त्व त्वपलत्रैरहमपि श्लाघ्यै प्रियाया गुणै, सर्वे तुल्यमशोक केवलमह धात्रा सशोक कृत ।” इत्यादि श्लोकमें अशोक पदको एक पक्षमें रुद्ध वृक्षविशेषका वाचक और दूसरे पक्षमें ‘नास्ति शोको यस्य’ इस ‘युत्यत्तिसे योगिन् मानकर और ‘रक्त’ पदम सरल श्लेषका प्रयोग किया गया है ।

‘शक्तावपि प्रमादित्वम्’का भाव यह है कि ‘अव्युत्पत्तिकृतो दोष शक्या सत्रियते कवे’ के अनुसार प्रतिभासम्पन्न कवियोंसे कभी कभी अव्युत्पत्तिमूलक दोष हो जानेपर भी वह उनकी प्रतिभाके प्रभावसे छिप जाता है । इसी प्रकार यमकादिका प्रयोग भी शक्तिके प्रभावसे कुछ दब सकता है परन्तु फिर भी वह कविके प्रमादित्वना सूचक हागा ही । ऐसे रसास्वादमें विघ्नकारक यमकादिका प्रयोग न होना ही अच्छा होता है ॥१-॥

अलङ्कारप्रयोगकी कसौटी

इस विषयमें युक्ति [व्यापक नियम] भी कहते हैं—

[रसादि] ध्वनिम, जिस [अलङ्कार] की रचना रसमें आक्षिप्त [रसके ध्यानसे प्रिमायादिकी रचना करते हुए स्वयं निष्पन्न] रूपमें प्रिना किसी अन्य प्रयत्नके हो सके [ध्वनिमें] वही अलङ्कार मान्य है ॥१॥

[यमकादिकी] निष्पत्ति [रचना] हो जानेपर आश्चर्यजनक होनेपर भी [प्रिना प्रयत्नके इतना सुन्दर यमकादि कसे चन गया, इस प्रकार आश्चर्यका प्रिय होनेपर भी] जिस अलङ्कारकी रचना रसमें आक्षिप्त [प्रिना प्रयत्नके स्वयं अनायाससाध्य] रूपसे हो सके वही इस असलक्ष्यक्रम-व्यङ्ग्य [रसादि] ध्वनिमें अलङ्कार माना जाता है । वही मुख्यरूपसे रसका अङ्ग होता है ।

यथा—

कपोले पत्राली करतलनिरोधेन मृदिता
निर्पातो नि श्वासैरयममृतहृद्योऽधररस ।
मुहु कण्ठे लग्नस्तरलयति चाप्पः स्तनतटां'
प्रियो मन्युर्जातस्त्व निरनुरोधे न तु वयम् ॥

रसाङ्गत्वे च तस्य लक्षणमपृथग्यत्ननिर्वर्त्यत्वमिति^१ । यो^२ रस चन्दुमध्यवसितस्य कवेरलङ्कारस्ता वासनामत्युह्य यत्नान्तरमास्थितस्य निष्पद्यते स^३ न रसाङ्गमिति । यमके च प्रबन्धेन बुद्धिपूर्वक क्रियमाणे नियमेनैव यत्नान्तरपरिग्रह आपतति शब्दविशेषान्वेषणरूप ।

अलङ्कारान्तरेष्वपि सत्सुख्यमिति चेत् नैवम् । अलङ्कारान्तराणि हि निरूप्यमाणदुर्घटनान्यपि रससमाहितचेतस प्रतिभावत कवेरहम्पूर्वकया परापतन्ति । यथा

इसलिए न केवल शृङ्गार या विप्रलम्भशृङ्गारमें अपितु वीर तथा अद्भुतादि रसमें भी प्रयत्नपूर्वक गटक रने गये यमकादि रसविष्णकारी होते हैं । प्रायकारों जो केवल शृङ्गारका नाम लिया है वह इस दृष्टिमें ही कहा है कि शृङ्गार या विप्रलम्भशृङ्गारमें वे रसके विष्णकारी हैं यह बात जो विशेषरूपसे सहृदय नहीं हैं वे साधारण पुरुष भी समझ सकते हैं । उनकी दृष्टिसे शृङ्गारका नाम विशेषरूपसे लिखा दिया है । वास्तवमें तो करुण आदि अन्य रसोंमें भी कृत्रिम यमकादि प्रतिबंधक हाते हैं इसलिए आगे 'रसेऽङ्गत्व तस्मादपा न विप्रते' लिखकर सामान्य रूपसे सभी रसोंमें उनकी रसाङ्गताया निषेध किया है ।

जैसे—

[तुम्हारे] गालपर यनी हुई पत्रायलीको हाथकी रगडने मल डाला, [तुम्हारे] अमृतके समान मधुर अधररसका पान [यह उष्ण] नि श्वास कर रहे हैं, ये अधुबिन्दु बार बार तुम्हारे कण्ठका आलिङ्गन कर स्तनोंको हिला रह हं, अयि निर्दये, यही क्रोध तुम्हें [इतना] प्रिय हो गया और हम [हमारी कहीं पूछ ही] नहीं ।

उस [अलङ्कार] के रसाङ्ग होनेपर अपृथग्यत्ननिर्वर्त्यत्व ही उसका लक्षण है । जो अलङ्कार, रसप्रबन्धमें तत्पर कविकी उस [रसप्रबन्धनाध्यवसाय] वासनाका अतिक्रमण करके [अलङ्कारनिष्पादनार्थ] दूसरे प्रयत्नका आश्रय लेनेपर [ही] यमता है वह रसका अङ्ग नहीं है । और जान बूझकर यमकका निरन्तर प्रयोग करनेपर तो [उसके लिए, उपयुक्त] विशेष शब्दोंकी खोजरूप नया प्रयत्न अवश्य ही करना पड़ता है ।

[पूर्वपक्षी पूछता है कि यह बात आप यमकके लिए ही क्यों कहते हैं, उपयुक्त शब्दोंकी खोजका प्रयत्न तो अन्य अलङ्कारोंमें भी करना पड़ता है ।] यह [घात] तो

१ 'तम्' नि० ।

२ 'लक्षणमक्षुण्णमपृथगरस निर्वर्त्य इति' नि०, डी० ।

३ 'या' यह पद 'कवे' के बाद है डी० । नि० में 'यो' पद है ही नहीं ।

४ स नहीं है नि० ।

कादम्बर्यां कादम्बरीदर्शनावसरे । यथा च मायारामशिरोदर्शनेन विह्वलाया सीतादेव्या मेतौ ।

युक्तश्चैतत् । यतो रसा वाच्यविशेषैरेवाक्षेपत्रय्या । तत्प्रतिपादकैश्च शब्दैस्तत्प्र-
माशिनो वाच्यविशेषा एव रूपकादयोऽलङ्कारा तस्मान्न तेषा वहिरङ्गत्व रसामिव्यक्तौ ।
यमरुदुष्करमार्गेषु तु तत् स्थितमेव ।

यस्तु रसप्रति फानिचिद्यमकार्दानी दृश्यन्ते तत्र रसादीनामङ्गता, यमकादीनान्त्व
द्विर्तेन । रसाभासे चाङ्गत्वमप्यविरुद्धम् । आङ्गितया' तु व्यङ्ग्ये रसे नाङ्गत्व 'पृथक्प्रयत्न-
निर्भर्त्यत्याद् यमकादे ।

अथ अलङ्कारांमं भी समान ही हे—यह कहना ठीक नहीं है । क्योंकि, दूसरे अलङ्कार
रचनामें कटिन दिग्गयी देनेपर भी रसमें दत्तचित्त प्रतिभावान् कविके सामने होठ लगा
कर स्वयं दोहे आते हैं । जैसे कादम्बरी [ग्रन्थ] में कादम्बरी [नायिका] के दर्शनके
असुरपर । अथवा जैसे सेतुबंध [काव्य] में रामचन्द्रने [कटे हुण] सिरको देखकर
सीतादेवीके पिहण होनेपर ।

और यह [अहम्भूमिका परापतन] उचित भी है, क्योंकि रसोंकी अभिव्यञ्जना
वाच्यविशेषसे ही होती है । और उन [वाच्यविशेष] के प्रतिपादक शब्दोंसे उन
[रसादि] के प्रकाशक रूपनादि अलङ्कार [उन शब्दोंसे प्रकाशित] वाच्यविशेष ही हैं ।
रमल्लिण रसकी अभिव्यक्तिमें उन [रूपनादि अलङ्कारों] की वहिरङ्गता नहीं है । यमक
आदिके दुष्कर [सुखिपूर्वक बहुप्रयत्नसाध्य] मार्गमें तो वहिरङ्गत्व [भिन्नप्रयत्ननिष्पाद्यत्व]
निश्चित ही है ।

जहाँ वहाँ कोई-कोई यमनादि [अलङ्कार] रस सहित दिग्गयी देते हैं वहाँ
यमकादि ही [अङ्गी] प्रधान हैं, रसादि उनके अङ्ग हैं । [अर्थात् वहाँ रसध्वनि नहीं है ।]
रसाभाममें [यमनादिको] अरूप माननेमें भी कोई विरोध [हानि] नहीं है । परन्तु
जहाँ रस प्रधानतया [अङ्गितया] व्यङ्ग्य हो, वहाँ तो पृथक्प्रयत्नसाध्य होनेसे [यम
नादि] अङ्ग नहीं हो सकते ।

मूल ग्रन्थके 'निरूप्यमाणदुर्घगनि' पदको 'निरूप्यमाणानि सन्ति दुर्घटनानि', 'बुद्धिपूर्वक
चिकीर्षितायपि कर्तुमशक्यानि' अर्थात् बुद्धिपूर्वक शोध विचारकर रचना करना चाहें तो भी जिनकी
रचना न हो सके इतने कटिन, और साथ ही जय अनायास ही उनकी रचना हो जाय तो 'निरूप्य
माणे दुर्घगानि' यह दगकर आक्षेप हो कि यह रचना सुन्दर अलङ्कार कैसे आ गया । यह दो
प्रकारके अर्थ हो सकते हैं । यह दोनों ही अर्थ प्रकृत विषयको परिपुष्ट करनेवाले हैं । इसलिए लोचन
कारने इस पदकी व्याख्या करते समय दोनों अर्थ दित्तलाये हैं । और यहाँ इन दोनों अर्थोंका विक्ल
नहीं अपितु समुपय ही टीकाकारको अभीष्ट है ।

१ 'अङ्गिता नि०, सी० ।

२ 'पृथक्प्रयत्न' ही० ।

अस्यैवार्थस्य समग्रश्लोका —

‘रसवन्ति हि वस्तूनि सालङ्काराणि कानिचित् ।

एकेनैव प्रयत्नेन निर्धर्त्यन्त महाकवे ॥

यमकादिनिबन्धे तु पृथग्यज्ञोऽस्य जायते ।

शक्तस्यापि रसेऽङ्गत्व तस्मादेवा न विद्यते ॥

रसाभासाद्भवस्तु यमकादेर्न वार्यते ।

ध्वन्यात्मभूते शृङ्गारे त्वङ्गता नोपपद्यते ॥१६॥

इदानीं ध्वन्यात्मभूतस्य शृङ्गारस्य व्यञ्जकोऽलङ्कारवर्ग आरप्यायते—

ध्वन्यात्मभूते शृङ्गारे समीक्ष्य विनिवेशितः ।

रूपकादिरलङ्कारवर्ग एति यथार्थताम् ॥१७॥

अलङ्कारो हि बाह्यालङ्कारसाम्यादङ्गिनश्चारुत्वहेतुरुच्यते । वाच्यालङ्कारवर्गश्च रूपकादिर्यावानुक्तो, वक्ष्यते च कैश्चिद्, अलङ्काराणामनन्तत्वात्, स^१ सर्वोऽपि यदि समीक्ष्य विनिवेशयते तदलक्ष्यकमव्यङ्ग्यस्य ध्वनेरङ्गिन सर्वस्यैव^२ चारुत्वहेतुर्निष्पद्यते ॥१७॥

इसी [उपर्युक्त गद्यस्थ विषय] अर्थके समग्र [आत्मक ये निम्नोक्त] श्लोक हैं—

कोई कोई रसयुक्त वस्तुएँ [रसवन्ति वस्तूनि] महाकविके [रसनिबन्धनानुकूल] एक ही व्यापारसे सालङ्कार [भी] बन जाते हैं [अर्थात् उनमें अलङ्कारनिष्पादनार्थ अलग व्यापार नहीं करना पड़ता] ।

परन्तु यमक आदिकी रचनामें तो प्रतिभावान् [शक्तस्यापि] कविको भी पृथक् प्रयत्न करना पड़ता है इसलिए ये [यमकादि] रसके अङ्ग नहीं होते ।

[हाँ] रसाभासोंमें उनको अङ्ग माननेका निषेध नहीं है, [केवल] प्रधानभूत [ध्वनिरूप] शृङ्गार [आदि रसों]में ही वह अङ्ग नहीं बन सकते हैं ॥१६॥

शृङ्गारादि रसोंमें हेय यमकादिवर्गका वर्णन कर दिया, अब आगे उपादेय अलङ्कार वर्गका निरूपण करेंगे ।

अब ध्वनिके आत्मभूत शृङ्गारके अभि-यञ्जक अलङ्कारवर्गका निरूपण करते हैं—

ध्वन्यात्मक शृङ्गारमें [अग्रिम कारिकाओंमें प्रतिपादित पद्धतिसे] सोच-समझकर [उचित रूपमें] प्रयुक्त किया गया रूपकादि अलङ्कारवर्ग वास्तविक अलङ्कारताको प्राप्त होता है । [अलङ्कार्य प्रधानभूत शृङ्गारादिका चारुत्वहेतु होनेसे अपने ‘अलङ्कार’ नामको चरितार्थ करता है ।] ॥१७॥

वाह्य आभूषणोंके समान प्रधानभूत [अङ्गी] रसके चारुत्वहेतु [रूपकादि ही] अलङ्कार कहे जाते हैं । जितने भी रूपकादि वाच्यालङ्कार प्राचीन [भामहादि] कह चुके हैं अथवा अलङ्कारों [चारुत्वहेतुओं] की अनन्तताके कारण, आगे कहे जायेंगे, उन सबको यदि विचारपूर्वक [का-यमें] निबद्ध किया जाय [अगली कारिकाओंमें प्रदर्शित

१ ‘स’ नि०, दी० में नहीं है ।

२ ‘सव एव’ नि०, दी० ।

एषा चास्य विनिवेशने समीक्षा—

विवक्षा तत्परत्वेन नाङ्गित्वेन कदाचन ।
काले च ग्रहणत्यागौ नातिनिर्वर्णौपिना ॥१८॥
निर्व्यूढावपि चाङ्गित्वे यत्नेन प्रत्यवेक्षणम् ।
'रूपकादिरलङ्कारवर्गस्याङ्गत्वसाधनम् ॥१९॥

रसबन्धेष्व्वाहतमना कविर्यमलङ्कार तदङ्गतया विवक्षति । यथा—
चलापाङ्गा दृष्टि रशसि बहुगो वेपथुमतीं
रहस्याख्यायीव स्नसि मृदु कर्णान्तिकवर^१ ।

नियमोंके अनुकूल प्रयुक्त किया जाय] तो वे, अमलद्वयकमयद्वय प्रधानभूत समी
ध्वनियों [रसों] के चारुत्पद्येत्तु [अलङ्कार] होते हैं ॥१७॥

रूपकादि अर्थालङ्कारोंके प्रयोगके छ नियम

इस [रूपकादि अलङ्कार] के [काया-तर्गत] प्रयोगमें [यह समीक्षा] इन धातोंका
विचार करना आवश्यक है—

१ [रूपकादिकी] नियक्षा [सदेव रसको प्रधान मानकर] रसपरत्वेन ही [वर्ण्य]
हो, २ प्रधान रूपसे किसी भी दशामें नहीं । ३ [उचित] समयपर [उनका] ग्रहण
और ४ त्याग होना चाहिये, ५ [आदिसे अन्ततक] अत्यन्त निर्वाहकी इच्छा
[यत्न] नहीं करना चाहिये ॥१८॥

६ [यदि वहाँ अनायास आद्यन्त निर्वाह हो जाय तो] निर्वाह हो जानेपर भी
[यह] अङ्गरूपमें [ही] हो यह बात साग्रधानीसे फिर देख लेनी चाहिये । यही [समीक्षा]
रूपकादि अलङ्कारवर्गके अङ्गत्वका साधन है ॥१९॥

इन कारिकाओंमें प्रथम कारिकाके चारों चरणों और दूसरी कारिकाके पूर्वार्द्ध इन पाँचोंके
साथ अन्तिम कारिकाके उत्तरार्द्धके 'रूपकादिरलङ्कारवर्गस्याङ्गत्वसाधनम्' का अन्वय होता है । फिर
इन सबको मिलाकर १—[पृ० १०९] 'यमलङ्कार तदङ्गतया विवक्षति, २—[पृ० ११०] नाङ्गित्वेन,
३—[पृ० १११] यमग्रसर गृह्णात, ४—[पृ० ११२] यमग्रसरे त्यजति, ५—[पृ० ११६] यं नात्यन्त
निर्व्यूढमिच्छति, ६—[पृ० ११६] निर्व्यूढमद्यपि य यत्नादङ्गत्वेन प्रत्यवेक्षत, [पृ० ११७] स एव
मुपनिबध्यमानो रसामिष्यति हनु भवति" यह बड़ा लम्बा महावाक्य है । इस महावाक्यके बीचमें उदा
हरणोंके देने, उनकी सङ्गति लगाने और उस सङ्गतिका समर्थन आदि करनेके लिए बीचका शेष
प्रत्यय है । इस विस्तृत महावाक्यका प्रारम्भ अगले वाक्यके हाता है और उसकी समाप्ति आगे चलकर
पृष्ठ ११७ पर होगी ।

१—रसबन्धमें आदरयान् कवि जिम अलङ्कारका उस [रस] के अङ्गरूपमें
कहना चाहता है । [उसका उदाहरण] जैसे—

[कालिदासके 'शकुन्तला' नाटकमें, घाटिकासिञ्जनमें लगी हुई शकुन्तलाको
छिपकर दंपते हुए दुप्यन्त उसके पास मँडराते हुए भ्रमरका देगकर कहते हैं] हे

१ 'रूपकादे' नि०, दी० ।

२ 'गत' नि० ।

करौ व्याधुन्वत्या पित्रसि रतिसर्वस्वमधर
वय तत्त्वान्वेषान्मधुकर हतास्त्व खलु कृती ॥

अत्र हि भ्रमरस्वाभावोक्तिरलङ्कारो रसानुगुण ।

नाङ्गित्वेनेति न^१ प्राधान्येन । कदाचिद्रसादितात्पर्येण विवक्षितोऽपि^२ अलङ्कार
कश्चिदङ्गित्वेन विवक्षितो दृश्यते ।

यथा—

चक्राभिघातप्रसभाद्भयैव चकार यो राहुवधुजनस्य ।

आलिङ्गनोद्दामविलासबन्धय रतोत्सव चुम्बनमात्रशेषम् ॥

अत्र हि पर्यायोक्तस्याङ्गित्वेन विवक्षा रसादितात्पर्ये सत्यपीति ।

मधुकर ! तुम इस शकुन्तलाकी [भयपरिकम्पित] चञ्चल और तिरछी चिनचनका [खुर] स्पश कर रहे हो, परान्तमें या रहस्य निपेदन करनेवालेके समान कानके समीप जानर गुनगुनाते हो, [उछानेके लिए इधर उधर] हाथ झटकती हुई इस [तरुणी शकुन्तला] के रतिसर्वस्व अधर [अमृत] का पान कर रहे हो। हे मधुकर ! हम तो तत्त्वान्वेषण [अर्थात् हमारे प्रहण करने योग्य क्षत्रिया हे या नहीं, इस रोज] में ही मारे गये और तुम वृत्तव्य हो गये ।

यहाँ भ्रमरके स्वभावका वर्णनरूप 'स्वभावोक्ति' अलङ्कार रसके अनुरूप ही है ।

[उपर्युक्त समीक्षाप्रकारमें दूसरी यात थी "नाङ्गित्वेन कदाचन" इसका अर्थ 'न प्राधान्येन' अर्थात् "प्रधान रूपसे नहीं" यह है । कभी-कभी रसादितात्पर्यसे निरुद्ध होनेपर भी अलङ्कार अङ्गी—प्रधान रूपमें दिखलायी देता है इसी यातको आगे कहते हैं ।]

२—नाङ्गित्वेन [का अर्थ] न प्राधान्येन, प्रधान रूपसे नहीं [ऐसा] है । कभी रसादितात्पर्यसे [रसादिका प्रधान मानकर] विरक्षित होनेपर भी कोई अलङ्कार प्रधान रूपसे विरक्षित दिखलायी देता है ।

जैसे—

[विष्णुने] चम्रप्रहाररूप [अपनी] अनुबलघनीय आशासे राहुकी पत्नियोंके सुरतोत्सवको, [आलिङ्गनोपयोगी हस्तादि न रहनेसे] आलिङ्गनप्रधान विलासांसे विहीन, चुम्बनमात्रावशेष कर दिया ।

यहाँ रसादिमें तात्पर्य होनेपर भी पर्यायोक्त [अलङ्कार] प्रधानतया विरक्षित है ।

इस श्लोकमें राहुके कण्ठच्छेदकी घटनाका प्रकारतरसे उल्लेख करनेसे यहाँ पर्यायात् अलङ्कार है । राहुके कण्ठच्छेदकी घटना पौराणिक कथाके आधारपर इस प्रकार है । समुद्रमनक समय जब समुद्रसे अमृत निकला तब देवता और दैत्य दोनों उससे लिए लड़ने लगे । विष्णुने माहिनी रूप धारण कर अमृत-बलशक्तो अपने हाथमें ल लिया । दैत्य उनसे मोहिनीरूपपर माहित हो गये और अमृतना ध्यान भूल गये । विष्णुन दैत्याको अलग पक्तिमें एक ओर, देवताओंको दूसरी ओर

१ नि०, जी० में 'न' पाठ नहीं है ।

२ ही० में 'अपि' नहीं है ।

अङ्गत्वेन^१ विवक्षितमपि यमवसरे गृह्णाति नानवसरे । अवसरे गृहीतिर्यथा—

उद्दामोत्कलिका विपाण्डुररुच प्रारब्धजृम्भा क्षणा-

दायास श्वसनोद्गमैरविरलैरातन्वतीमात्मन ।

गिटापर देवताओंकी ओरसे अमृत बाँटना गुरु क्रिया । उनका आशय था कि पहिले देवताओंमें अमृत बाँटकर वहीं उसको समाप्त कर दिया जाय । राहु इस अभिप्रायको समझ गया और चुपकेसे उठकर देवताओंकी पश्चिम सूय और चन्द्रमाके बीचमें बैठ गया । मोहिनीने उसे भी अमृत पिला दिया और वह अमर हो गया । परन्तु पास बैठे सूय-चन्द्रमाके सङ्केतसे जब मोहिनीरूपधारी गिणुको यह बात मालूम हुई तो उन्होंने अपने चक्रसे राहुके सिरको अलग कर दिया । उसका सिरका भाग 'राहु' और घडका भाग 'कतु' कहा जाता है । अमृतपान कर चुकनेके कारण सिर कट जानेपर भी वह मरा नहीं । तभीसे सूय और चन्द्रमाके साथ राहुका वैर है ।

इस लोकम चक्रप्रहाररूप आशसे राहुकी पत्नियोंके मुरतीत्वको आलिङ्गनप्रधान विलासोंसे विहीन चुम्बनमात्रशेष कर दिया इस कथनपद्धतिसे उसने कण्ठ-छेदका प्रकारांतरसे कथन किया है । इसलिए यह पयायोक्त अलङ्कार है ।

रसादिमें तात्पर्य हाते हुए भी यहाँ पयायोक्त अलङ्कारका प्राधान्य है । यदि इतनी ही व्याख्या इसकी मानी जाय तो यह 'नाङ्गित्वेन कदाचन'के विपरीत होनेसे दोषका उदाहरण होना चाहिये । परन्तु लोचनकारने इसकी व्याख्या प्रकारान्तरसे करके यह सिद्ध किया है कि यह दोषका उदाहरण नहीं है, क्योंकि आगे प्रयकारने महात्माआक दूषणोद्धाटनका अपना ही दोष बताया है । अतएव इस लोकमें उन्होंने दूषणोद्धाटन नहीं किया है यह लोचनकारका कहना है । इसकी रसादिपरता सिद्ध करनेके लिए लोचनकार कहत हैं कि यहाँ वासुदेवने प्रतापका ही मुख्यत वर्णन है इसलिए प्रधान तो वही भाव है किन्तु भावरूप होनेसे वह चाकत्वहेतु नहीं है, चाकत्वहेतु तो पयायोक्त अलङ्कार ही है । यह इस बातका एक उदाहरण है कि कहा-कहीं पीपणीय वस्तु अलङ्कारको भी अङ्गभूत अलङ्कार विरसृत कर देता है ।

किन्तु लोचनकारकी यह व्याख्या असङ्गत और प्रयकारने अभिप्रायके विरुद्ध है । प्रयकारने इस लोककी जो अवतरणिका दी है उसमें इसे अलङ्कारकी प्रधानताका उदाहरण माना है ।

३—अङ्गरूपसे विवक्षित होनेपर भी जिसको अवसरपर ग्रहण करता है, अनवसरमें नहीं । अवसरपर ग्रहणका [उदाहरण] जैस—

आज मदनावेशयुक्त अन्य नारीके समान, [लतापक्षमें मदन नामक वृक्षविशेषके साथ स्थित, उसपर चढ़ी हुई], प्रवल उत्कण्ठास युक्त [लतापक्षमें प्रचुरमात्रामे कलियों से लदी हुई] [नारीपक्षमें उत्कण्ठातिशयन कारण] पाण्डुरवर्ण [और लतापक्षमें कलिकावाहुल्यके कारण ऊपरसे नाचेतक द्योतयण] और उसी समय [नारीपक्षमें मदनावशक प्रभावसे] जमाइ लेती हुई [लतापक्षमें विवक्षित हाती हुई] तथा [नारीपक्षमें] लम्बी साँसोंमें अपन मदनावेश या हृदयक सन्तापको प्रकट करती हुई [लतापक्षमें] पायुक्त निरन्तर श्लोकास काम्पत हुई], समदना [नारीपक्षमें काम विकारयुक्त और लतापक्षमें मदनफलके वृक्षके साथ अधात् उसपर चढ़ी हुई], इस

अद्योद्यानलतामिमा समदना नारीमिवान्या ध्रुव
पश्यन् कोपविपाटलद्युतिमुरतदेव्या करिष्याम्यहम् ॥

इत्यत्र 'उपमाश्लेषस्य ।

गृहीतमपि यमसरे त्यजति तद्रसानुगुणतयालङ्कारान्तरापेक्षया । यथा—

रत्नस्य नवपल्लवैरहमपि श्लाघ्यै प्रियाया गुणै-
स्त्वामायान्ति शिलीमुखा स्मरधनुर्मुक्ता सखे मामपि ।
कान्तापादतलाहतिस्तव मुदे तद्वन्ममाप्यावयोः
सर्वं तुल्यमशोक । केवलमह धारा सशोक कृत ॥

उद्यानलताको देवते हुए निश्चय ही आज में रानीके मुग्धको क्रोधसे लाल कर दूँगा ।
[यहाँ गजा उदयनने भावी सागरिका प्रेममूलक ईर्ष्याप्रिलम्भको अनजाने सूचित
किया ।]

यहाँ उपमाश्लेषका [असरमें ग्रहण है । उसके द्वारा रसका परिपोष हो रहा
है । अतः यह असरपर ग्रहणका उदाहरण है ।]

यह पत्र 'रत्नाली' नाटिकाका है । राजाकी नवमालिना लता दोहदविशेषने प्रयोगसे
अकालम कुमुमित हा उठा है और रानी वासवदत्ताकी नहीं । यह जान कर राजा अपने नर्मसच्चिप
द्विदूषकसे कह रहा है कि आज जग में मदनावेशयुक्त परनारीने समान इस लताको देखेगा तो
रानी वासवदत्ताका मुख इध्यासे लाल हो जायगा । इध्याका मुख्य कारण तो यही है कि प्रस्तुत
विशेषणमें लता कामने आवेशसे युक्त परनारीने समान प्रतीत हो रही है, अतः उसकी ओर
देखना रानीको असह्य होगा । इस कारणसे जग में उद्यानलताको देखेगा तो रानीका मुख क्रोधसे
आरक्तचलित हो जायगा ।

४—ग्रहण करनेपर भी उल रसके अनुगुण होनेसे अलङ्कारान्तरकी अपेक्षासे
[कर्त्रि] क्रिमिको असरपर छोड़ देता है । [उस असरपर त्यागरूप चतुर्थ समीक्षा
प्रकारका उदाहरण] जैसे—

[यह श्लोक भी 'रत्नाली' नाटिकाका है । राजा अशोकवृक्षमें कह रहे हैं] हे
अशोक, तुम अपने नवीन पल्लवोंसे रक्त [लाल हो रहे] हो, मैं भी प्रियाके गुणोंसे
रक्त [अनुरागयुक्त] हूँ । [इस श्लोकमें प्रत्येक चरणका पूर्वार्द्ध, उद्दीपनविभावपरक
समन्वना चाहिये] तुम्हारे पास शिलीमुख [भ्रमर] आते हैं और ह मित्र ! कामदयके
धनुषसे छोड़े गये शिलीमुख [याण] मेरे ऊपर भी आते हैं । ["पादाघातादशोक
विकसति, घटुल योपितामास्यमद्यै वी कपिप्रमिदिके अनुमार] कान्ताका पादप्रहार
तुम्हारे लिए आनन्ददायक है, तो [तुम्हारे विकास द्वारा, अथवा कान्तापादवदतिरूप
सुरतय-व्यशेष द्वारा] यह मेरे लिए भी आनन्ददायक है । [इस प्रकार] हे अशोक ।
[हम तुम] सय प्रसार धरावर हैं फवल [अन्तर यह है कि] पिघाताने मुझे सशोक
[शाक-युक्त] कर दिया [और तुम अशाक—शोकरहित हो ।]

अत्र हि प्रबन्धप्रवृत्तोऽपि श्लेषो व्यतिरेकविवक्षया त्यज्यमानो रसविशेष पुष्पाति ।
नात्रालङ्कारद्वयसन्निपात , किन्तर्हि, अलङ्कारान्तरमेव श्लेषव्यतिरेकलक्षण नरसिंह-
वदिति चेत् ?

न । तस्य प्रकारान्तरेण व्यवस्थापनात् । यत्र हि श्लेषविषय एव शब्दे प्रकारा-
न्तरेण व्यतिरेकप्रतीतिर्जायते, स तस्य विषय । यथा—

“स हरिर्नाम्ना देव सहरिर्बतुरगनिवहेन”

इत्यादी ।

अत्र हान्य एव शब्दः श्लेषस्य विषयोऽन्यश्च व्यतिरेकस्य । यदि चैवविधे

यहाँ [तीन पदोंमें] निगन्तर विद्यमान श्लेष, [अन्तमें] व्यतिरेक [अलङ्कार]की
विवक्षासे छोड़ देनेसे रसविशेषकी परिपुष्टि करता है ।

ससृष्टि या नरसिंहवत् अलङ्कारान्तर

आगे प्रष्ठ १२६ तकने इस लम्बे प्रकरणमें प्रवृत्त 'रक्तस्वम्' इत्यादि श्लेषमें श्लेष और
व्यतिरेककी ससृष्टि है अथवा नरसिंहवत् यह कोई दूसरा ही अलङ्कार है इस विषयका विचार किया
गया है । प्रथम अलङ्कारांतरादियोंका है और सिद्धान्तप्रथममें यहाँ श्लेष और व्यतिरेककी ससृष्टि
मानी है । प्रवृत्त प्रकरणसे प्रथमने ऐसे असरोंपर नया अलङ्कारान्तर माननेका गणन किया है ।

[अलङ्कारांतरव्याप्ति पूर्वगम्भीरी शब्दा यह हे कि]—यहाँ दो अलङ्कार [श्लेष और
व्यतिरेक] नहीं हैं [इसलिए यह कहना ठीक नहीं है कि व्यतिरेककी अपेक्षासे अन्तिम
वर्णमें श्लेषका छोड़ दिया है] । तब क्या है ? नरसिंहने समान [श्लेष और व्यति-
रेकको मिलाकर] श्लेषव्यतिरेकरूप दूसरा ही [सङ्कर] अलङ्कार है ?

[ससृष्टिवादी सिद्धान्तपक्ष]—यह कहना ठीक नहीं है । क्योंकि उम [एका
अथानुप्रवेशरूप सङ्कर] की स्थिति प्रकाशान्तरसे होती है । जहाँ श्लेष अलङ्कारने विषय
भूत [स्मिन्] शब्दमें ही प्रकारांतरसे व्यतिरेककी प्रतीति होती है वही उम [श्लेष और
व्यतिरेकने एकाअथानुप्रवेश सङ्कर] का विषय होता है, जैसे—

यह देव तो नाममात्र सहरि है और यह [राजा] श्रेष्ठ अश्वमूढने काण
सहसि है ।

[ससृष्टिवादी] इत्यादि उदाहरणमें [श्लेष और व्यतिरेक दोनों 'महसि' इस एक
ही पदमें आश्रित हैं । इसलिए यहाँ ता श्लेष और व्यतिरेकका एकाअथानुप्रवेशसङ्कर
यन जाता है] ।

ससृष्टिवादी—[परन्तु यहाँ 'रक्तस्वम्' इत्यादि श्लेषमें] यहाँ तो श्लेषके विषय
अथ [रक्त आदि] शब्द है और व्यतिरेकके विषय [अशोक तथा मशोक] अन्य शब्द
हैं [अतः यहाँ एकाअथानुप्रवेशसङ्कर नहीं दो मरता] । [ससृष्टिवादी सङ्करवादीको

विषयेऽलङ्कारान्तरत्वकल्पना क्रियते 'तत्ससृष्टेर्विषयापहार एव स्यात् ।

श्लेषमुखेनैवात्र व्यतिरेकस्यात्मलाभ इति नाय ससृष्टेर्विषय इति चेत् ?

न । व्यतिरेकस्य प्रकारान्तरेणापि दर्शनात् । यथा^१—

नो कल्पापायवायोरदयरयदलत्स्माघरस्यापि शम्या

गाढोद्गीर्णोऽज्वलश्रीरहनि न रहिता नो तम कज्जलेन ।

प्राप्तोत्पत्ति पतद्गान्न पुनरुपगता मोषमुष्णत्विषो षो

वर्ति सैवान्यरूपा सुखयतु निमित्तद्वीपदीपस्य दीप्ति ॥

ओगसे शङ्का उगता है कि—यद्यपि श्लेष और व्यतिरेकके विषय भिन्न हैं परन्तु यह है तो एक वाक्यके अन्तर्गत । इसलिए श्लेष और व्यतिरेकका विषय शब्दको न मानकर उस वाक्यको ग्रहण जाय तब तो उन दोनोंका एकवाक्यरूप एक आश्रयमें अनुप्रवेशरूप सङ्कर धन जाता है । आगे ससृष्टियाँ उत्तर देता है कि—यदि ऐसे विषयमें [सङ्कररूप] अलङ्कारान्तरकी कल्पना की जाय तब फिर संसृष्टिका विषय ही कहीं नहीं रहेगा । [क्योंकि एकवाक्याश्रयकी सीमा तो बहुत विस्तृत है । ससृष्टिके सभी उदाहरण इस प्रकारके सङ्करकी सीमामें आ जायेंगे । इसलिए यहाँ 'रक्तस्त्वम्' इत्यादिमें सङ्कर मानना उचित नहीं है । ससृष्टि ही माननी चाहिये ।]

सङ्करवादी फिर शङ्का करता है कि—अच्छा यहाँ एकाश्रयानुप्रवेशसङ्कर न सही, फिर भी सङ्करका दूसरा भेद अङ्गाङ्गिभावसङ्कर हो सकता है । क्योंकि 'व्यतिरेक तो उपमागम होता है, किन्हीं दोकी तुलना करके ही उनमें एकका आधिक्य कहा जा सकता है और यहाँ अशोकवृक्ष और नायकका साम्य 'रक्तस्त्वम्' इत्यादि लिख विशेषणके कारण ही प्रतीत होता है । इसलिए श्लेष, व्यतिरेकका अनुप्राहक है । अतएव हम कहते हैं—यहाँ अङ्गाङ्गिभावसङ्कर ही है, ससृष्टि नहीं । जब एक ही सङ्करालङ्कार है तब व्यतिरेकने लिए श्लेषको छोड़ दिया गया यह 'अवसरे त्याग'का उदाहरण ठीक नहीं ।

[सङ्करवादी पूर्वपक्ष]—श्लेष द्वारा ही यहाँ व्यतिरेककी सिद्धि होती है, इसलिए यह संसृष्टिका विषय नहीं है यह शङ्का करो तो [ससृष्टियाँ सिद्धान्तपक्ष] यह कहना ठीक नहीं है । क्योंकि व्यतिरेक [उपमाके ऊपर ही आश्रित नहीं है, उपमा कथनके बिना भी] प्रकारान्तरसे [उपमा या साम्यकथनके बिना] भी देखा जाता है । जैसे—

अखिल विश्वके प्रकाशक [दीपका] सूर्यदेवकी दीप्तिरूप वह लोकोत्तर बत्ती, जो निष्ठुर वेगसे पर्वतोंको विदलित करनेवाले कल्यान्तवायुसे भी घुस सकती, जो दिनमें भी अत्यन्त उज्ज्वल प्रकाश देती है, जो तमोरूप कज्जलसे सर्वथा रहित है, जो पतङ्ग [कीटविशेष] से घुसती नहीं बल्कि, [पतङ्ग = सूर्यसे] उत्पन्न होती है, वह [लोकोत्तर बत्ती] आप सबको सुन्धी करे ।

१ 'तत्र ससृष्टे' दी० ।

२ दी० में 'यथा' पाठ नहीं है ।

अत्र हि साम्यप्रपञ्चप्रतिपादनं विनैव व्यतिरेको दर्शितः ।

नात्र श्लेषमात्राच्चारुत्वनिष्पत्तिरस्तीति श्लेषस्य व्यतिरेकाद्भवेनैव विवक्षितत्वात्^१
न स्वतोऽलङ्कारतेत्यपि^१ न वाच्यम् । यत एवविधे विषये साम्यमात्रादपि सुप्रतिपादि-
त्वाच्चारुत्व इत्यत एव । यथा—

आक्रदा स्तनितैर्विलोचनजलान्यभ्रान्तधाराम्बुभि-

स्तद्विच्छेदमुषश्च शोकशिखिनग्तुल्यास्तद्विद्विभ्रमैः ।

अन्तर्मे दयितामुखं तव शशी वृत्तिं समैवावयो-

स्तत् किं मामनिशं सरो जलधरं त्वं दग्धुमेवोद्यत ॥

इत्यादौ ।^१

यहाँ साम्यकथनके बिना ही व्यतिरेक दिखाया गया है [अत व्यतिरेकके लिए शब्द उपमाकी अपेक्षा न होनेसे 'रक्तस्त्वम्' में श्लेषोपमाको व्यतिरेकका अनुप्राहक माननेकी भी आवश्यकता नहीं। अपितु श्लेष और व्यतिरेक दोनों अलग अलग अलङ्कारोंकी सृष्टि ही माननी चाहिये] ।

[सङ्करवादी पूर्वपक्षी फिर शङ्का करता है कि यद्यपि "नो कल्पापायवायो"वाले इस श्लोकमें व्यतिरेकानुप्राहिणी उपमा नहीं दिखायी देती है, बिना उपमाके भी व्यतिरेक है, परन्तु "रक्तस्त्वम्"वाले उदाहरणमें तो व्यतिरेकके लिए श्लेषोपमा ग्रहण की गयी है। क्योंकि उसके बिना केवल श्लेषोपमासे चारुत्वप्रतीति नहीं होती। इसलिए अगले श्लेषोपमाके स्वतन्त्र अलङ्कार—चारुत्वहेतु—नहीं मान सकते। अतः श्लेषोपमानुगृहीत व्यतिरेकके ही चारुत्वहेतुत्व सम्भव होनेसे यहाँ अङ्गाङ्गिभावसङ्कर ही है, सृष्टि नहीं। इसीको कहते हैं—]

[सङ्करवादीकी ओरसे शङ्का]—यहाँ ["रक्तस्त्वम्"में] केवल श्लेषोपमासे चारुत्वप्रतीति नहीं होती है, इसलिए श्लेष यहाँ व्यतिरेकके अङ्ग [अनुप्राहक] रूपसे ही विवक्षित है अतः वह स्वयं अलङ्कार नहीं है। [यह शङ्का करो तो सृष्टिवादी सिद्धान्तपक्ष] यह भी नहीं कहना चाहिये। क्योंकि इस प्रकार [व्यतिरेकके] विषयमें [श्लेषरहित] साम्यमात्र [उपमागर्भ व्यतिरेक] के सम्यक् प्रतिपादनसे भी चारुत्व दिखायी देता है। जैसे—

[मेरे] चन्दन तुम्हारे गजराके समान हैं, [मेरे] अथु तुम्हारी निरन्तर बहनेवाली जलधाराके समान है। उस [प्रियतमा] के वियोगसे उत्पन्न शोकाग्नि तुम्हारी चिदुच्छटाके समान है, मेरे हृदयमें [अपनी] प्रियतमाका मुख है और तुम्हारे हृदयमें चन्द्रमा है इसलिए हमारी तुम्हारी वृत्ति समान ही है [हम दोनों सद्यर्मा मित्र हैं] हे मित्र जलधर ! फिर तुम रात दिन मुझको जलानेको ही क्यों तैयार रहते हो ?

इत्यादिमें ।

१ विवक्षितत्वम् नि० श्लो० ।

२ 'अलङ्कारत्वेन नि० श्लो० ।

३ अगला रसनियहणैकमानहृदय' यह पाठ नि० म इत्यादिके साथ रखा है ।

'रसनिर्दहणैकतानहृदयो यच्च नात्यन्त निर्वोदुमिच्छति । यथा—

कोपात् कोमललोलगाहुलतिकापाशेन वदध्वा दृढ
नीत्या घासनिकेतन दयितया साय सखीना पुर ।
भूयो नैवमिति स्तलत्कलगिरा ससूच्य दुश्चेष्टित
घन्यो हन्यत एव निहृतिपर प्रेषान् रुदत्या हसन् ॥

अत्र हि रूपकमाश्रितमनिर्व्यूढ पर रसपुष्टये ।'

निर्वोदुमिष्टमपि य यत्नादङ्गत्वेन प्रत्यवेश्यते । यथा—

श्यामास्वङ्ग चकितहरिणीप्रक्षणे दृष्टिपात,
गण्डच्छाया शशिनि शिरिन्ना वर्हभारेषु केशान् ।

यहाँ श्लोकके चतुर्थ पदमें 'युञ्जन्गीटाकारित्वरूपसे जलधरका अपनी अपेक्षा व्यतिरेक दिसलाया है और पूर्वके तीनों चरणोंमें अपना और जलधरका साम्य दिताया है । परन्तु उनमें श्लेष नहीं है । इसलिए यहाँ 'श्लेषके बिना उपमा और व्यतिरेक, 'नो कल्पापाय म विना उपमाके 'व्यतिरेक पाया जाता है, अत 'रत्तसत्वम्'म श्लेष और व्यतिरेकको अलग अलग अलङ्कार मानकर उनकी 'मिथोऽनपेक्षतयैषा स्थिति ससृष्टिश्च्यते' रसप्रि माननमें कोई आपत्ति नहीं हो सकती । अत यहाँ ससृष्टि ही है । इसलिए व्यतिरेककी अपेक्षासे तीन चरणोंमें निरन्तर चलनेवाले श्लेषका परित्याग चतुर्थ चरणमें कर देनेसे 'अवसरे त्याग'रूप चतुर्थ समीक्षाप्रकारका जो यह उदाहरण दिया गया है यह ठीक ही है । यह सिद्धान्तपक्ष स्थित हुआ । आगे पञ्चम प्रकार कहते हैं—

५—रसनियधमें अत्यन्त तत्पर [श्रुति] जिस [अलङ्कार]का अत्यन्त निर्वाह करना नहीं चाहता है । [उसका उदाहरण] जैसे—

प्रोधाघेशमें अपने कोमल तथा चञ्चल बाहुलसाके पाशमें जम्डकर अपने केलि भवनमें ले जाकर सायकालको सखियोंके सामने [पराङ्मनोपभोगजय नयक्षत आदि चिह्नोंसे] उसके दुश्चेष्टितको भले प्रकार सूचित कर, फिर कभी ऐसा न हो [प्रोधके कारण] लड़खड़ाती हुई घाणीसे ऐसा कहकर, रोती हुई प्रियतमाके द्वारा, हँसते हुए [अपने नखक्षतादिको] छिपानेगाला सोभाग्यशाली प्रिय पीटा ही जाता है [सखियोंसे मना करनेपर भी नायिका उसको मारती है ।]

यहाँ [बाहुलतिकापाशेनसे] रूपक [आश्रित] प्रारम्भ किया गया था परन्तु केवल [पर, अथवा अत्यन्त] रसपुष्टिके लिए उसका निर्वाह नहीं किया गया ।

यह पञ्चम समीक्षाप्रकार हुआ । आगे छठे समीक्षाप्रकारका उदाहरण देते हैं ।

६—[अन्ततक] निर्वाह दृष्ट होनेपर भी जिसको सामयानीसे अङ्गरूपमें ही देखता [नियत करनेका ध्यान रखता] है । जैसे—

हे भीरु ! मुझे तुम्हारे अङ्ग [का सादृश्य] प्रियडगुलताओंमें, तुम्हारा दृष्टिपात चकित हरिणियोंकी चञ्चल चित्तवामें, तुम्हारे फपोलकी काचित् चन्द्रमामें, तुम्हारे केश

१ 'इयाशी रसनिर्दहणैकतानहृदयश्च । योऽय च नात्यन्त निर्वोदुमिच्छति यथा' यह पाठ नि० में है ।

२ नि०, दी० में 'पर रसपुष्टये को अगले वाक्यमें जोड़ा है ।

उत्पद्यामि प्रतनुषु नदीवीचिषु भ्रूविलासान्
हृत्कस्थ क्वचिदपि न ते भीरु सादृश्यमस्ति ॥

इत्यादौ ।

स एवमुपनिग्ध्यमानोऽलङ्कारो रसाभिन्न्यक्तिहेतु कवेर्भवति । उक्तप्रकारातिक्रमे तु नियमेनैव रसभङ्गहेतु सम्पद्यते । लक्ष्य च तथाविध महाकविप्रगन्धेऽपि' दृश्यते बहुश । तत्तु सूक्तिसहस्रद्योतित्वात्मना महात्मना दोषोद्धोषणमात्मन एव दूषण भवतीति न विभज्य दर्शितम् ।

किन्तु रूपकादेरलङ्कारवर्गस्य येय व्यञ्जकत्वे रसादिप्रिये 'लक्षणदिग्दर्शिता, तामनुसरन् स्वय चान्यह्यणमुत्प्रेक्षमाणो 'यत्प्रलक्ष्यमप्रतिममनन्तरोक्तमेव ध्वनेरा-
रात्मानमुपनिग्ध्नाति सुकवि समाहितवेतास्तदा तस्यात्मलाभो' भवति महीयानिति ॥ १९ ॥

पाश मयूरपिच्छमें और तुम्हारे भ्रमङ्ग नदीनी पतली पतली तरङ्गोंमें दिखलायी पडते हैं [इसलिए मैं इधर उधर मारा मारा फिरता हूँ ।] परन्तु खेद है कि तुम्हारा सादृश्य कहीं इकट्ठा नहीं दिखलायी देता [नहीं तो मैं उसी एम्से सन्तोष कर लेता । तुम भीरु ही जो ठहरो कदाचिद् इसीलिए तुमने अपनी सागी विभूतियों एक जगह नहीं रखा] ।

इत्यादिमें ।

[यहाँ तद्भावाध्यारोपरूप उत्प्रेक्षाको अनुप्राणित करनेवाले सादृश्यको प्रारम्भसे उठाकर अन्ततक उसका निवाह किया है परन्तु यह अङ्गरूप ही रहे इस बातका पूरा ध्यान रखा गया है । इसलिए वह विप्रलम्भप्रदङ्गारका पापक ही है ।]

वह [रूपनादि अलङ्कारवर्ग] इस प्रकार [उपर्युक्त अङ्गतासाधक पदत्रिध समीक्षाप्रकारको ध्यानमें रखकर] उपनिग्ध अलङ्कार, कविने [अभीष्ट] रसको अभिव्यक्त करनेका हेतु होता है । उक्त पद्धतिना उल्लङ्घन करनेसे तो अत्रय ही रसभङ्गमा हेतु बन जाता है । इस प्रकारने [सभीषा नियमभङ्गमूत्रक रसभङ्गप्रशङ्] उक्त से उदाहरण महाकवियोंके प्रयत्नों [कार्यों] में भी पाये जाते हैं । [परन्तु] महस्रों सक्तियों की रचना द्वारा लक्ष्यप्रतिष्ठ उन महात्माओंके दोषोंका उदाहृत करना अपने ही लिए दोषजनक होता है, इसलिए उस [महाकवियोंके दोषयुक्त उदाहरणभाग]को अलग नहीं दिखलाया है ।

किन्तु [अन्तिम सिद्धान्त यह है कि] रूपनादि अलङ्कारवर्गका रसादिप्रियरूप व्यञ्जकत्वमा जो यह मार्ग प्रदर्शित किया है उसका अनुसरण करते हुए, और स्वयं भी और लक्षणोंका अनुसरण करते हुए यदि कोई सुकवि पूर्वस्थित असलक्ष्यम व्यङ्ग्यसदृश ध्वनिके आत्मभूत [रसादि]को साग्रधानतासे निग्ध करता है तो उसे [यदा आत्मलाभ आत्मपद—कविपदका महालाभ] महाकविपदनी प्राप्ति होती है ॥ १९ ॥

१ नि दी० में 'अपि' शब्दको 'तथाविधमपि यहाँ जोड़ा ।

२ 'लक्षणा' नि०, शी० ।

३ 'यद्यलक्ष्यमप्रतिममनन्तरोक्तमेव' नि० दी० ।

४ 'तदस्यात्मलाभो' नि० ।

क्रमेण प्रतिभात्वात्मा योऽनुस्वानसन्निभः ।

शब्दार्थशक्तिमूलत्वात् सोऽपि द्वेषा व्यवस्थितः ॥२०॥

अस्य विवक्षितान्यपरवाच्यस्य ध्वने सलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यत्वादनुरणनप्रत्यो य
आत्मा सोऽपि शब्दशक्तिमूलोऽर्थशक्तिमूलश्चेति द्विप्रकार ॥२०॥

सलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यके दो भेद

प्रारम्भम ध्वनिषु दो भेद निय गये थे—अविवक्षितवाच्य [लक्षणा मूलध्वनि] और विवक्षितान्य
परवाच्य [अभिधामूलध्वनि] । उसर बाद अविवक्षितवाच्य [लक्षणा मूलध्वनि] के भी अथात्तर
सम्मितवाच्य और अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य दा भेद किये गये । इसने आगे विवक्षिता यपरवाच्य
[अभिधामूलध्वनि]के भी असलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य और सलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य दो भेद किये जा चुन हैं । और
असलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यके सम्ब धम [पृ० ७' से ११७] तीसरीमे उन्नीसवीतक्की सतह कारिकाओंमें पर्याप्त
प्रिवेचना की जा चुकी है । अब आगे सलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यध्वनिके भेद करेंगे ।

सलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यने भी प्रारम्भम दा भेद हाते हैं—एक शब्दशक्त्युत्थ और दूसरा अर्थशक्त्युत्थ ।
प्राय सभी आचार्योंन इन दोनोंके अतिरिक्त उभयशक्त्युत्थ नाममे सलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यका तीसरा भेद
भी माना है । शब्दशक्त्युत्थमें वस्तुध्वनि और अलङ्कारध्वनि दो भेद, अथशक्त्युत्थक १२ भेद
और उभयशक्त्युत्थका एक भेद इस प्रकार सलक्ष्यक्रम कुल १५ भेद और एक असलक्ष्यक्रम मिलकर
१६ भेद विवक्षितान्यपरवाच्य [अभिधामूलध्वनि] और अविवक्षितवाच्य [लक्षणा मूलध्वनि] के दो
भेद इस प्रकार १८ भेद होते हैं । फिर आगे इनका ओर विस्तार चलता है । इस समय सलक्ष्यक्रम
व्यङ्ग्यका निरूपण प्रारम्भ करते हैं । पहिले उसके दो भेद करके फिर उनका विस्तार करगे ।

[विवक्षितान्यपरवाच्यध्वनिका] अनुस्वानसदृश क्रमसे प्रतीत होनेवाला जो
[दूसरा] स्वरूप [आत्मा] है वह भी शब्दशक्तिमूल और अर्थशक्तिमूल होनेसे दो
प्रकारका हाता है ॥२०॥

इस विवक्षितान्यपरवाच्यध्वनिका सलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य होनेसे अनुस्वानतुल्य जो
[दूसरा] स्वरूप है, वह भी शब्दशक्तिमूल और अर्थशक्तिमूल इस प्रकार दो
तरहका है ॥२०॥

श्लेषालङ्कार और शब्दशक्त्युत्थ ध्वनिका भेद

षण्टा उल्लेख कर शब्द कर देनेने बाद भी कुछ ध्वनि नमश कुछ देरतक सुनाइ देती रहती
है । इसीको अनुस्वान अथवा अनुरणन करते हैं । विवक्षितान्यपरवाच्यका दूसरा भेद सलक्ष्यक्रम है
अथात् उसमें वाच्यार्थ व्यङ्ग्यथाथक । प्रतीतिका क्रम अनुस्वानके समान स्पष्ट प्रतीत होता है । वाच्यार्थकी
प्रतीतिके बाद अनुस्वानने समान ही वहाँ व्यङ्ग्यथाथकी प्रतीति हाती है । इसीसे अनुस्वानसन्निभ इस
ध्वनिको सलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य भी कहते हैं ।

इस सलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यने दो भेद निये हैं—एक शब्दशक्तिमूलक और दूसरा अर्थशक्तिमूलक ।
शब्दशक्तिमूलक ध्वनि उसको कहेंगे जहाँ वाच्यार्थकी प्रतीतिके बाद अनुस्वानने समान दूसरे अर्थकी
प्रतीति भी बादमें हो । इस स्थितिम शङ्का यह होती है कि शब्दशक्तिसे दो अर्थोंकी प्रतीति श्लेष
अलङ्कारमें भी होती है । जहाँ दूसरे अर्थकी प्रतीति शब्दशक्तिसे हाती है उसको आप श्लेष न कहकर

ननु शदशक्त्या यत्रार्थान्तर प्रकाशते स यदि ध्वने प्रकार उच्यते तदिदानीं श्लेषस्य विषय एवापहत स्यात् ।

नापहत इत्याह—

आश्लिप्त एवालङ्कारः शब्दशक्त्या प्रकाशते ।

यस्मिन्ननुक्त शब्देन शब्दशक्त्युद्भवो हि स ॥२१॥

यस्मादलङ्कारो न वस्तुमात्र यस्मिन् काव्ये शदशक्त्या प्रकाशते स शब्दशक्त्युद्भवो ध्वनिरित्यस्माक विप्रक्षितम्^१ । वस्तुद्वये च शदशक्त्या प्रकाशमाने^२ श्लेष । यथा—

येन ध्वस्तमनोभयेन वलिजित्वाय पुरास्त्रीकृतो

यश्चोद्बृत्तभुजङ्गहारवलयो गङ्गा च योऽधारयत् ।

शब्दशक्त्युत्पत्त्यस्य सलभ्यकमपद्गन्धनि क्वहना चाह रहे ह । तत्र फिर श्लेषका अवसर कहां रहेगा ? गङ्गाका आशय यह है कि शब्दशक्तिमूलध्वनि और श्लेषकी विषय वस्तुवा कैसे होगी ? इसका समाधान यह है कि जहाँ वाच्यरूपमें वस्तुद्वयी शब्दशक्तिसे प्रतीति होती है वहाँ श्लेष अलङ्कार और उससे भिन्न, जहाँ अलङ्कारकी शब्दशक्तिसे प्रतीति होती है ऐसे स्थलोंमें ध्वनि रहेगा । इसी बातको कहते हैं—

[प्रथम] शब्दशक्तिसे जहाँ अर्थान्तर प्रकाशित होता है यह यदि ध्वनिना भेद [माना जाय] तो फिर श्लेषका विषय ही लुप्त हो जायगा ।

[उत्तर] नहीं लुप्त होगा, यही [गत] कहते हैं—

जहाँ शब्दसे अनुक्त [मात्थात्मज्ञेतिन होनेपर भी] आश्लेषसामर्थ्यसे ही शब्दशक्ति द्वारा अलङ्कारकी प्रतीति होती है वह शब्दशक्त्युद्भव ध्वनि कहलाता है ॥२१॥

फ्योक्ति हमाग यह अभिप्राय है कि अलङ्कार, न कि श्लेष वस्तु जहाँ शब्दशक्तिसे [आश्लिप्त होकर] प्रकाशित होता है वहाँ शब्दशक्त्युद्भव ध्वनि है । आर जहाँ दो वस्तु शदशक्ति [अभिधा] से प्रकाशित हों वहाँ श्लेष है । जैसे—

[‘येन वस्तमनोभयेन’ इत्यादि श्लोकमें श्लेषश शिष्य और त्रिष्णु दोनों अर्थोंकी प्रतीति होती है । सार विशेषण दोनों पक्षोंमें लगते हैं । त्रिष्णुपक्षमें अर्थ इस प्रकार होगा] ‘येन अभयेन’ जिन अजमा त्रिष्णुने ‘अन ध्वस्त’ वालपनमें ‘अन’ अर्थात् शकट अ गत् उच्छोकी गाडी अथवा शम्भुसुरको नष्ट कर डाला, ‘पुरा’ ‘पि ले अमृत हरणके समय ‘वलिजित्’ वलि राजाको अग्रा वलगन् देवियोंको जीतनेवाले शरीरको [मोहिनीरूप] स्त्री बना डाला, और जो मर्यादातिव्रमण करनेवाले ‘कालिय नामको मारनेवाले है जिनमें ‘रव’ वेदका लय हाता है, अथवा, ‘रवे शब्दे लयो यस्य’ अकारो त्रिष्णु’ अकाररूप शब्दमें जिनका लय हाता है, जिन्होंने ‘अग’ गात्रवन पत्र और ‘गा’ वराहावतारमें पृथ्वीको धारण किया । जो ‘शशिन मथनातीति शशिमथ’ राह, उसके शिरको काटनेवाले है इसलिये देवता लोग चिनना ‘शशिमच्छिरोहर’ यह प्रशसनीय

१ विप्रक्षित’ नि० श्लो० ।

२ ‘प्रकाशमाने नि० ।

यस्याहुः शशिमच्छिरो हर इति स्तुत्य च नामामरा

पायात् स स्वयमन्धकक्षयकरस्त्वा सर्वदोमाधवः ॥

नन्वलङ्कारान्तरप्रतिभायामपि श्लेषव्यपदेशो भवतीति दर्शित भट्टोद्भटेन । तत् पुनरपि शब्दशक्तिमूलो ध्वनिर्निर्वकाशः ।

इत्याशङ्क्येदमुक्तम् “आक्षिप्त” इति । तदयमर्थः, यत्र^१ शब्दशक्त्या साक्षादलङ्कारान्तर^२ वाच्य सत् प्रतिभासते स सर्वं श्लेषविषयः । यत्र तु शब्दशक्त्या सामर्थ्याक्षिप्त वाच्यव्यतिरिक्त व्यङ्ग्यमेवालङ्कारान्तर प्रकाशते स ध्वनेविषयः ।

शब्दशक्त्या साक्षादलङ्कारान्तरप्रतिभा यथा—

तस्या विनापि हारेण निसर्गादेव हारिणौ ।

जनयामासतु कस्य विस्मय न पयोधरौ ॥

नाम लेते हैं । अन्धक अयात् यादवों का द्वारिफामें क्षय निवासस्थान जनानेवाले अथवा मौसल पर्वमें यादवोंका नाश करानेवाले और सब मनोकामनाओंको पूर्ण करनेवाले ‘माधव’ विष्णु तुम्हारी रक्षा करें ।

[शिवपक्षमें] ‘ध्वस्त मनोभव कामो येन स ध्वस्तमनोभव’ कामदेवका नाश करनेवाले, जिन शङ्करने ‘पुरा’ त्रिपुरदाहके समय ‘वलजित्काय’ विष्णुके शरीरको ‘अस्त्रीकृत’ वाण बनाया, जो महाभयानक भुजङ्गोंसपोंको द्वार और घल्यके रूपमें धारण करते हैं, जो गङ्गाको धारण क्रिये हुए हैं, जिनका [मस्तक] शिर शशि चन्द्रमासे युक्त है ओर देवना लोग जिनका प्रशसनीय ‘हर’ नाम कहते हैं, अन्धकासुरका विनाश करनेवाले वे ‘उमाधव’ पार्वतीके पति [गोरीपति] शङ्कर रुद्रेय तुम्हारी रक्षा करें ।

[यहाँ दाना अर्थ वस्तुरूप हैं और अभिधाशक्तिसे प्रशंसित हो रहे हैं इसलिए यहाँ श्लेषालङ्कार है । यह शब्दशक्त्युत्पन्न ध्वनि नहीं है ।]

[पूर्वपत्नीकी शङ्का भट्टोद्भटेने [न केवल वस्तुद्वयकी प्रतीतिमें अपितु] अलङ्कारान्तरकी प्रतीति होनेपर भी श्लेषव्यपहार दिखलाया है । इसलिए शब्दशक्तिमूलध्वनिका अक्सर फिर भी नहीं रहता है ।

[उत्तर] इसी आशङ्काके कारण [कारिकाकारने] ‘आक्षिप्त’ यह [पद] कहा है । इसका यह अर्थ हुआ कि जहाँ शब्दशक्तिसे साक्षात् वाच्यरूपमें अलङ्कारान्तरकी प्रतीति होती है वह मन इष्टेयका विषय है ओर जहाँ शब्दशक्तिके बलसे आक्षिप्त वाच्यार्थसे भिन्न, व्यङ्ग्यरूपसे ही दूसरे अलङ्कारकी प्रतीति होती है वह ध्वनिका विषय है ।

शब्दशक्तिसे साक्षात् [वाच्यरूपसे भी] दूसरे अलङ्कारकी प्रतीति [का उदाहरण] है । जैसे—

हारके विना भी स्वभाजत ही [मनो] हारी उसने स्तन किस [के मन] में प्रिस्मय उत्पन्न नहीं करते ।

१ ‘अत्र’ दी० ।

२ ‘अलङ्कार’ नि० ।

अत्र शृङ्गारव्यभिचारी विस्मयाख्यो भाव साक्षाद् विरोधालङ्कारश्च प्रतिभासते, इति विरोधच्छायानुप्राहिण श्लेषस्याय विषय । न त्वनुस्वानोपमव्यङ्ग्यस्य ध्वने । अलक्ष्यकमव्यङ्ग्यस्य^१ तु ध्वनेर्वाच्येन श्लेषेण विरोधेन वा व्यञ्जितस्य विषय एव ।

यथा ममैव—

श्लाघ्याशोपतनु सुदर्शनकर सर्वाङ्गलीलाजित-^१

त्रैलोक्या चरणारविन्दललितेनाक्रान्तलोको हरिः ।

निभ्राणा मुखमिन्दुरूपमखिल चन्द्रात्मचक्षुर्दधत्

स्थाने या स्वतनोरपश्यदधिका सा रुक्मिणी वोऽवतात् ॥

अत्र वाच्यतयैव व्यतिरेकच्छायानुप्राही श्लेष प्रतीयते ।

यथा च—

भ्रमिमरतिमलसहृदयता प्रलय मूर्च्छां तम शरीरसादम् ।

मरण च जलद्भुजगज प्रसह्य कुठ्ठे विप वियोगिनीनाम् ॥

यहाँ शृङ्गार [रस] का व्यभिचारिभाव विस्मय [विस्मय शब्दसे] और [अपि शब्दसे] विरोधालङ्कार [दोनों] साक्षात् [वाच्यरूपमें] प्रतीत होते हैं । इसलिए यह विरोधकी छायासे अनुगृहीत श्लेषका विषय है, अनुस्वानसन्निभ [सलक्ष्यकमव्यङ्ग्य] ध्वनिका नहीं । परन्तु [श्लेषमें श्लेष तथा विरोधका अङ्गाङ्गिभावसङ्कर होनेसे] वाच्य श्लेष अथवा विरोध [अलङ्कार]से अभिव्यक्त असलक्ष्यक्रमध्वनिका [तो यह श्लोक] विषय है ही ।

[अलङ्कारान्तर्गते वाच्यतया प्रतीत होनेका दूसरा उदाहरण] जैसे मेरा ही—

[सुदर्शनकर] जिनका कवल हाथ ही सुंदर है [अथवा सुदर्शनचक्रयुक्त होनेसे सुदर्शनकर विष्णु], जिन्होंने कवल चरणारविन्दके सोन्दरसे [अथवा पादनिक्षेपसे] तीनों लोकोंको आक्रान्त किया है और जो चन्द्ररूप [से कवल] नरको धारण करते हैं [अर्थात् जिनका कवल एक नेत्र ही चन्द्ररूप है] एस विष्णुन अखिल देहव्यापिसो^२ दर्य शालिनी, सदाङ्गसौन्दर्यसे त्रेलोक्यविजय करनेवाली और चन्द्रसदृश सम्पूर्ण मुखको धारण करनेवाली जिन [रुक्मिणी देवी]को उचित रूपसे ही अपने शरीरसे ही उत्कृष्ट देखा वे रुक्मिणी देवी तुम सबकी रक्षा करें ।

यहाँ व्यतिरेकी छायाको परिपुष्ट करनेवाला श्लेष [‘स्वतनोरपश्यदधिकाम्’ इस पदसे] ही वाच्यरूपसे प्रतीत होता है ।

[इसी प्रकारका तीसरा उदाहरण और जैसे—

मेघरूप सपसे उत्पन्न निप वियोगिनीको चक्षर, वेचैनी, अलसहृदयत्व, ज्ञान और चेष्टाका अभाव [‘प्रलय सुखदुःखाभ्या चेष्टानाननिराकृति’], मूर्च्छा, तम, शरीर साद और मरण बलात् उत्पन्न कर देता है ।

१ ‘व्यङ्ग्यप्रतिभासस्य’ नि०, दी० ।

२ ‘जीत’ नि० ।

यया वा—

षमद्विअमाणसकञ्चणपङ्कअणिम्मद्विअपरिमला जस्स ।

अखँद्विअदाणपसारा धाहुप्पलिहा विअ गइदा ॥

[राण्डितमानसकाञ्चनपङ्कजननिर्मथितपरिमला यस्य ।

असण्डितदानप्रसारा धाहुपरिया इय गजेद्रा ॥इति च्चया]

अत्र रूपकच्छायानुप्राही श्लेषो वाच्यतयैवावभासते ।

यहाँ विप शब्दके जल तथा जहर दोनों वाच्याथ होते हैं । वैसे प्रकरणादि द्वारा निर्वाचित हो जानेपर तो अमिधाशक्ति एक ही अर्थका बोधन करती, परन्तु यहाँ मुजग शब्द भी दिया हुआ है इसलिए अमिधाशक्ति केवल जलरूप अर्थको बोधन करके विभ्रान्त न होकर दोनों ही अर्थको बोधन करती है । इसलिए नवीन मतानुसार यहाँ शब्दश्लेष और प्राचीन मतानुसार अभङ्गश्लेष—अयश्लेष— है । नवीन मतानुसार 'प्रमिमरतिम्' आदि पदोंमें 'स्तोकनात्रतिमायाति' आदि ष समान अर्थश्लेष है । और 'जलदमुजग'में रूपक है । इस प्रकार रूपक और रूपकच्छायानुप्राही श्लेष दोनों वाच्यतया प्रतीत होते हैं । यह भी श्लेषका ही स्थल है, शब्दशक्तिमूलध्वनिका नहीं ।

अथवा जैसे

निराश शत्रुओंके मनरूप स्वर्णकमलोंके निर्मथनके कारण यश सौरभको फेलानेवाले, और निरन्तर दानमें लगे हुए जिसके धाहुदण्ड ही मानसरोवरके स्वर्ण कमलोंका तोड़नेसे सुगन्धयुक्त और अनवरत मद् प्रवाहित करनेवाले हाथीके समान है ।

यहाँ [इन दोनों उदाहरणोंमें] रूपकच्छायानुप्राही श्लेष वाच्यरूपसे ही प्रतीत होता है ।

यहाँ गजेद्र शब्दके कारण 'निर्मथित', 'परिमल' और 'दान' शब्द क्रमशः तोड़ना, सौरभ और मदरसरूप अर्थका प्रतिपादन करके भी फैलाने, प्रतापसौरभ अथवा यशपरिमल और दान [स्वस्वत्वनिवृत्तिपूर्वक परस्वत्वोत्पादन दानम्] अर्थको भी बोधित करते हैं । इस प्रकार यहाँ रूपकच्छायानुप्राही श्लेष वाच्यतया ही प्रतीत होता है । अब ये सब श्लेषके विषय हैं, शब्दशक्तिमूलध्वनिके नहीं ।

इस इक्कीसवीं कारिका "आश्रित एवालङ्कार शब्दशक्त्यावभासते । यस्मिन्ननुच शब्देन शब्दशक्त्युद्भवो हि स ।" में शब्दशक्तिमूलध्वनिका विषय निधारित किया है । जहाँ अलङ्कार वाच्य न हो अपितु आश्रित शब्दसामर्थ्यसे यद्बन्ध हो वहाँ शब्दशक्तिमूलध्वनिका विषय है, यह उसका तात्पर्य है । और जहाँ वस्तुद्वय या अलङ्कारान्तर वाच्य हों वहाँ श्लेष का विषय होता है । इस प्रकार यहातक कारिकागत 'आश्रित' शब्दके व्यवच्छेदका प्रदर्शन किया । जहाँ अलङ्कारान्तर आश्रित हो—व्यङ्ग्य हो—वहाँ शब्दशक्तिमूल [अलङ्कार] ध्वनि होगा । जहाँ वाच्य होगा, वहाँ नहीं । इसी प्रकारके उदाहरण 'येन ध्वस्तं'से लेकर 'राण्डितमानं' तक पाँच श्लोकोंमें दिये हैं । इनमेंसे पहिले 'येन ध्वस्तमनो'में वस्तुद्वय वाच्य हैं और शेष उदाहरणोंमें अलङ्कारान्तर वाच्य प्रतीत होते हैं इसलिए ये सब शब्दशक्तिमूलध्वनिके उदाहरण न होकर श्लेषक उदाहरण हैं । आगे कारिकागत 'एव' शब्दका व्यवच्छेद दिखलायेंगे ।

स चाक्षिप्तोऽलङ्कारो यत्र पुन शब्दान्तरेणाभिहितस्वरूपस्तत्र न 'शब्दशक्त्युद्भवा-
नुरणनरूपव्यङ्ग्यध्वनिव्यवहार । 'तत्र यत्रोक्त्यादिवाच्यालङ्कारव्यवहार एव ।

सभी भाषाओं में बहुत से शब्द अनेकथक हात हैं परंतु वे अधिकशः स्थलों पर प्रकरणादिवश एक ही अर्थको बोधन कराते हैं, अनेक अर्थोंको नहा । इसका कारण उनका प्रकरण आदि द्वारा एक अर्थमें नियंत्रण हो जाना ही है । हमारे यहाँ अनेकथक शब्दों में एकाथमें नियंत्रणके विशेष हेतु माने गये हैं । उन हेतुओंका समग्र करनेवाली निम्नांकित फारिकाएँ वस्तुतः भर्तृहरिके 'वाक्यपदीय' नामक 'याकरणप्रथ' की हैं परंतु आलङ्कारिकोंने वैयाकरणोंके 'ध्वनि' शब्दके समान इन फारिकाओंका भी अपना लिया है । इसीसे साहित्यके सभी मुख्य ग्रंथोंमें इनका उल्लेख मिलता है । फारिकाएँ निम्नलिखित प्रकार हैं—

“सयोगो विप्रयोगश्च साहचर्ये विरोधिता ।
अर्थ प्रकरणे लिङ्ग शब्दस्यायस्य सन्निधि ॥
सामर्थ्यमौचित्ये देश कालो व्यक्ति स्वरादय ।
शब्दायस्थानवच्छेदे विशेषरमृतिहेतव ॥”

शब्दार्थका निश्चय न होनेकी दशाओं अर्थात् अनेकार्थशब्दप्रयोगकी अवस्थामें उसका विशेषतया एक अर्थविशेषमें नियमन करनेके हेतु सयोग, विप्रयोग, साहचर्य, विरोध, अर्थ, प्रकरण, लिङ्ग, शब्दान्तरका सन्निधान, सामर्थ्य, औचित्य, देश, काल, यक्ति और स्वर आदि होते हैं ।

जहाँ अनन्वयक शब्दका प्रयोग तो हो परंतु उसके एकाथमें नियंत्रण करनेवाले इन कारणामत्त प्रकरणारूप काइ कारण उपस्थित न हो वहाँ शब्दके दोनों अर्थ वाच्य होते हैं । जैसे 'यन ध्वस्तमनाभवन०' श्लोकमें एकार्थनियामक हेतु न होनेसे दोनों अर्थ वाच्यतया प्रतीत होते हैं । इसलिए स्पष्ट ही श्लोकका विषय माना जाता है, शब्दशक्तिमूलध्वनिका नहीं, क्योंकि वहाँ कोई अर्थ आश्रित नहीं है, दोनों अर्थ वाच्य हैं ।

इसमें अतिरिक्त जहाँ द्वितीय अर्थको अभिधासे बोधन करानेमें कोई साधक प्रमाण उपस्थित है वहाँ द्वितीयार्थकी प्रतीति अभिधासे ही होती है । इस प्रकारके चार उदाहरण 'तस्या विनापि हारण०', 'रत्नाध्याशापतनु०', 'अमिमरति०' और 'खण्डितमानस०' ऊपर दिये गये हैं । इनमें अपि शब्दार्थके प्रयोगबलसे 'हारिणा' आदि शब्द 'हारयुक्ती' और 'मनाहरी' दोनों अर्थोंको अभिधया बोधन कराते हैं । इसलिए इन सब उदाहरणोंमें श्लेषालङ्कार है, शब्दशक्तिमूलध्वनि नहीं । इसका अतिरिक्त जहाँ अभिधाका नियामक हेतु हानपर भी प्रबल साधक हेतुके कारण वह अकिञ्चित्कर हो जाता है वहाँ भी शब्दशक्तिमूलध्वनि नहा होता । यही बात आगे सोदाहरण है—

[स चाक्षिप्तो में च शब्द अपिके अर्थमें भिन्नक्रम हू अत 'आक्षिप्त'के धातु अपि अर्थमें प्रयुक्त होनेसे आक्षिप्तोऽपि] आक्षिप्त हानपर भी अर्थात् आक्षिप्ततया प्रतीत होने पर भी, [प्रयत्नत्रय साधक हेतुके कारण एकाधनियामक हेतुके अकिञ्चित्कर हो जानेसे] जहाँ यह श्लेषालङ्कार दूसरे शब्दमें अभिहितरूप हो जाता है वहाँ शब्दशक्त्युद्भय सलक्ष्य प्रमध्वनिका व्यवहार नहीं होता, वहाँ यत्राक्ति आदि वाच्यालङ्कारका ही व्यवहार होता है ।

१ 'न' नहीं है नि०, दी ।

२ (नय, किन्तु) दी०में अधिक है ।

यथा—

दृष्टया केशव गोपरागहतया किञ्चिन्न दृष्ट मया
तेनैव स्वलितास्मि नाथ पतिता किन्नाम नालम्बसे ।
एकस्त्व विपमेपु खित्रमनसा सर्वात्रलाना गति-
गोप्यैवं गदित सलेशमवताद् गोष्ठे हरिर्विश्रमम् ॥

एवञ्जातीयक सर्व एव भवतु काम वाच्यद्वेषस्य विषयः ।

जैसे—

हे केशव [कृष्ण] गौओंकी [उढायी] धूलिसे दृष्टिहरण हो जानेसे मैं [रान्तेकी विपमता आदि] कुछ नहीं देख सकी, इसीसे [ठाकर खाकर] गिर पड़ी हूँ । हे नाथ, गिरी हुई [मुझ] को [उठानेके लिए आप अपने हाथोंसे] पकड़ते क्यों नहीं हैं ? [हाथका सहारा दकर उठानेमें क्यों सङ्कोच करते हैं ।] विपम [ऊग्र खायड़ रास्ते] स्थलोंमें घबड़ा जानेवाले [न चल सकनेवाले बाल वृद्ध वनतादि] निर्बलजनोंके [अत्यन्त शक्ति शाली] केवल आप ही एकमात्र सहारा हो सकते हैं । गोष्ठ [गोशाला]में द्वयर्थक शब्दोंमें गोपी द्वारा [अथवा सलेश सखनम् । अलीभननम् हि सखनमेव] इस प्रकार कहे गये कृष्ण तुम्हारी रक्षा करें ।

['सलेश' पदकी सामर्थ्यसे दूसरा अर्थ इस प्रकार प्रतीत होता है । इस पक्षमें 'केशवगोपरागहतया'की व्याख्या दो प्रकारसे होती है, एक तरह तो केशव और गोप दोनों सम्बोधनपद हैं । गोपका अर्थ रक्षक, स्वामी ह] । हे स्वामिन् केशव [राग अथात्] आपने अनुरागमें अन्धी होकर मन कुछ नहीं देखा भाला । अथवा [यदि 'केशव' ओर 'गोप' दो अलग अलग सम्बोधनपद न मानकर दोनोंको एक ही पदमें सम्मिलित किया जाय तो उसका अर्थ यह होगा कि—केशव य उपराग केशवगोपराग तेन हतया मुग्धया] हे केशव स्वामिन् ! आपका अनुरागसे अन्धी होकर मैंने कुछ देखा भाला नहीं । सोचा विचारा नहीं [इसलिए] अपने पतियतधर्मसे भ्रष्ट [पतित] हो गयी हूँ । हे नाथ [अथ आप मेरे प्रति] पतिभाव क्यों ग्रहण नहीं करते [मेरे साथ पतिवद् व्यवहार, सम्भोगादि क्यों नहीं करते ।] क्योंकि काम [यासना] से सतत मनवाली [विपमेपु पञ्चत्राण काम] समस्त अवलाओं [गोपियों] की एकमात्र आप ही गति [हर्यादिरहित वृत्तिसाधन] हो । इस प्रकार गोशालामें गोपी द्वारा लेशपूर्वक कहे गये कृष्ण तुम्हारी रक्षा करें ।

इस प्रकारके सत्र उदाहरण भले ही वाच्यद्वेषके विषय हों ।

यहाँ यदि 'सलेश' पदका प्रयोग न होता तो 'केशवगोपरागहतया', 'पतित' आदि शब्दोंके अनेकाय सम्भव होनेपर भी प्रकरणादिवश एकार्थमें नियन्त्रण हो जानेसे वे एक ही अर्थको बोधन करते । परन्तु 'सलेश' पदकी उपस्थितिने प्रकरणादिकी एकार्थनियामक सामर्थ्यको नुष्ट कर दिया है जिससे अभिधा प्रतिप्रसृत ही होकर दोनों अर्थोंको वाच्यतया बाधित करती है । इसलिए यह शब्दशक्ति मूलध्वनिका नहीं अपितु श्लेषका ही विषय है ।

इस प्रकार पृष्ठ ११९ के 'येन वस्तु' से लेकर पृष्ठ १२४ के 'दृष्टया केशव', यहाँतक श्लेषका विषय दिखलाया । अब आगे उससे भिन्न शब्दशक्ति मूलध्वनिका विषय भी है यह आगे दिखलाते हैं—

यत्र तु सामर्थ्याक्षिप्त सदलङ्कारान्तर शब्दशक्त्या प्रकाशते स सर्व एव ध्वनेर्विषय । यथा—

“अत्रान्तरे कुसुमसमययुगमुपसहरन्नजृम्भत ग्रीष्माभिधान फुल्लमल्लिका-
धवलट्टहासो महाकाल ।”

यथा च—

उन्नत प्रोत्सङ्घार कालागुरुमलीमस । १

पयोधरभरस्तन्वया क न चक्रेऽभिलाषिणम् ॥

जहाँ शब्दशक्तिसे सामर्थ्याक्षिप्त होकर अलङ्कारान्तर प्रतीत होता है वह सत्र ध्वनिका ही विषय है । जैसे—

इसी समय पुष्पसमृद्धियुग [अर्थात् वसन्तके चैत्र वैशाख युगल मास] का उपसहार करता हुआ, खिली हुई मल्लिकाओं [जुही] के, अट्टालिकाओंको धवलित करनेवाले हास [विकास]से परिपूर्ण, [दूसरा अर्थ] प्रलयकालमें हृत युग आदिका सहार करते हुए और खिली हुई जुहीके समान धवल अट्टहास करते हुए महाकाल शिवके समान, ग्रीष्म नामक महाकाल प्रकट हुआ ।

और जैसे—

काले अगारके समान कृष्णवर्ण, विद्युद्धारु अथवा जलधारासे सुशोभित, [उस वर्षा ऋतुके उमड़ते हुए] मेघसमूहने [दूसरा अर्थ] काले अगार [के लेप] से कृष्णवर्ण, द्वारोंस अलङ्कृत [उस कामिनीके] उन्नत उरोजोंके समान किस [पथिक या किस युवक]को [उस कामिनी अथवा अपनी दयिताके मिलनके लिए] उत्कण्ठित नहीं कर दिया ।

इस श्लोकका उपलब्ध पाठ ‘पयोधरभरस्तन्वया क न चक्रेऽभिलाषिणम्’ है । उसके अनुसार एक पक्षमें तो तन्वाके स्तनयुगने किसका [उनकी प्राप्तिन लिए] उत्कण्ठित नहीं कर दिया । यह सीधा अर्थ लग जाता है । पयोधर और तन्वाका सम्बन्ध विवक्षित है । परन्तु दूसरे वपा वणनगाले अर्थमें किस पथिकको तन्वा अभिलाषी नहीं बनाया इस प्रश्नका अर्थ करनेसे ही सङ्गत होगी । लचनकी प्रालम्बिया टीकाकारने ‘तन्वा’की जगह ‘तस्या’ पाठ माना है । उस सर्वनाम ‘तस्या’का सम्बन्ध दोनों पक्षोंमें पयोधरक साथ ही रहता है । उस प्रावृत्त वपाके मेघ और उस कामिनीके उराज यह अर्थ दोनों पक्षोंमें लग जाता है ।

उपर दिये हुए इन दोनों गद्य और पद्यात्मज उदाहरणोंमें द्वितीयार्थकी प्रतीति शब्द शक्तिसे वाच्य न होकर, सामर्थ्याक्षितरूपमें यज्ञना द्वारा होती है, इसलिए ये दोनों उदाहरण श्लेषालङ्कारक नहीं अपितु शब्दशक्तिमूलध्वनिक विषय हैं ।

इस श्लेषर ‘शब्दशक्त्या’ जीर ‘सामर्थ्याक्षितम्’ दोनों शब्दोंका प्रयोग हुआ है । शक्ति और सामर्थ्य शब्द समानार्थक होनेसे उन दोनों शब्दाके प्रयोगका प्रयोजन या भेद प्रायः समझमें नहीं आता । इसलिए उसको यों समझना चाहिये कि ‘सामर्थ्य’ शब्दका अर्थ यहाँ ‘सादृश्यादि’ होता है । अर्थात् दूसरे अर्थकी प्रतीति शब्दशक्तिसे सादृश्य आदिक द्वारा होती है । इस द्वितीयार्थप्रतीतिके विषयमें मुख्यतः तीन प्रकारके भेद पाये जाते हैं । उनका सक्षिप्त परिचय हम नीचे दे रहे हैं ।

पहिला मत यह है कि महाकाल आदि शब्दोंकी शिव अथमें अभिधाशक्ति शताको पूर्वसे गृहीत है। महाकाल शब्द शिवरूप अर्थमें रूढ है। और दूसरा 'महान् दीप दुरतिवह काल' यह ग्रीष्म पक्षमें आवित होनेवाला अर्थ यौगिक अर्थ है। साधारणत 'योगाद् रुदिरवलीपथी' इस व्यायके अनुसार यौगिक अर्थकी अपेक्षा रूढ अर्थ मुरयाय होता है। पहिले गणात्मक उदाहरणमें ऋतुवर्णन प्रकृत होनेसे ग्रीष्मविषयक अर्थ प्रकृत अर्थ है। परन्तु यहाँ महाकाल शब्दका रूढ अर्थ प्रकरणमें अन्वित नहीं होता इसलिए उस साधारण नियमका उल्लंघन करके यौगिक अर्थ लिया जाता है। परन्तु भोताको उस शब्दका शिव अर्थमें सङ्केतग्रह है। इसलिए प्रकरणवश अभिधाशक्तिका एकार्थमें नियन्त्रण हो जानेपर गृहीतसङ्केत पदस साह-यादि सामान्यवश ध्वनन-यापार द्वारा अप्राकरणिक शिवरूप अधकी भी प्रतीति होती है। इस प्रकार द्वितीयाथका बोधनसे सङ्केतग्रहमूलक और ध्वनन व्यापारमूलक होनेसे उसको शब्दशक्तिमूलध्वनि कहते हैं। इसमें 'शब्दशक्तिमूल' शब्द उसका अभिधा सहकृत और 'ध्वनि' शब्द उसके व्यञ्जनाव्यापारका बाधक है। अतः उसके नामकरणमें दोनों शब्दोंका प्रयोग विरुद्ध नहीं है।

दूसरा मत "शाब्दी हि आकाशा श-देनैव ध्रुयते" सिद्धा-तके अनुसार गीमासक कुमारिक भट्टके 'शब्दाभ्याहारवाद'पर आश्रित है। इसके अनुसार जहाँ जितने भी अर्थ प्रतीत होते हैं वह सब शब्दसे अभिधा द्वारा ही बोधित होते हैं। उस वाक्यमें शब्द चाहे एक ही सुनायी देता हो परन्तु अर्थबाधके समय प्रत्येक अर्थके बोधनके लिए अलग अलग शब्द अध्याहार द्वारा उपरिचय किये जाते हैं। यह अनेक शब्दोंकी उपस्थिति भी कहीं एकाथम नियन्त्रण न होनेपर अभिधा द्वारा और कहीं एकार्थमें नियन्त्रण हो जानेपर ध्वनन या व्यञ्जना द्वारा होती है, जैसे "लेपके शब्दश्लेष और अर्थ श्लेष दो भेद माने गये हैं। प्राचीन आचार्यों 'स'दोमाधव' [पृष्ठ ११९ दलिये] आदि समझ श्लेषको शब्द श्लेष माना है। इसमें दोनों अर्थोंको बोधन करनेवाले शब्द अलग अलग ही हैं। एक पक्षमें 'सर्वद माधव' शब्द है और दूसरेमें 'सवदा उमाधव' शब्द है। दोनों अर्थबोधक शब्द विद्यमान ही हैं, इसलिए दोनों अभिधाशक्तिसे अपने अपने अर्थको बोधन करा दते हैं। दूसरे अमङ्ग अर्थात् अर्थश्लेषमें यद्यपि 'अधक क्षयकर' यह एक ही शब्द सुनायी देता है परन्तु अर्थबोधके समय समानानुपूर्वीरूप ही श-दकी "प्रत्यर्थ शब्दा भिद्यते" इस व्यायके अनुसार दुबारा कल्पना की जाती है और वह कल्पित हुआ दूसरा शब्द अभिधा द्वारा द्वितीयाथका बोधन करता है।

प्राचीन विद्वद्गोष्ठिम ग्रहेलिकाओंके रूपमें वैदग्ध्यप्रदर्शक प्रश्नोत्तरका एक विशेष प्रकार पाया जाता है। इस सम्बन्धका विशिष्ट ग्रन्थ 'विदग्धमुत्तरमण्डन' है। इस प्रश्नोत्तरप्रकारके अनुसार 'क इतो धावति' और 'किंशुण्विशिष्ट इतो धावति' कौन इधर दौड़ रहा है और किस गुणसे युक्त इधर दौड़ रहा है, दो प्रश्न हैं। इन दोनों प्रश्नोंका एक उत्तर 'इतो धावति' है। पहिले प्रश्न 'क इतो धावति'के उत्तरमें उसके '-वा इतो धावति' यह दो खण्ड किये जाते हैं और द्वितीय प्रश्न 'किंशुण्विशिष्ट इतो धावति'के उत्तरमें 'इवेतो धावति' यह एक पद रहता है। इस प्रकार दो अर्थ बोध करनके लिए दो बार श-दकी कल्पना की जाती है। इन अर्थ-श्लेष और प्रश्नोत्तरादिके प्रसङ्गोंमें द्वितीय शब्दकी उपस्थिति एकार्थमें नियन्त्रण न होनेसे अभिधा द्वारा ही होती है इसलिए यह सब वाच्य श्लेषालङ्कारके उदाहरण होते हैं।

परन्तु 'कुसुमसमययुगमुपसहरन्' [१२५ पृ०] इत्यादि उदाहरणोंमें प्रकरणादिवश अभिधाके नियन्त्रित हो जानेसे द्वितीय बार पदकी उपस्थिति अभिधासे न होकर ध्वनन-यापारसे होती है और ध्वननव्यापारसे उपरिचय होनेके बाद शब्द अभिधाशक्तिसे द्वितीयाथका बोधन करता है। इस

यथा वा—

दत्तानन्दा प्रजाना समुचितसमयाकृष्टष्टै पयोभि
पूर्वाहे विप्रकीर्णा दिशि दिशि विरमत्यहि सहारभाजः ।
दीप्ताशोर्दीर्घदु सप्रभवभवभयोदन्वदुत्तारनावो
गावो व पावनाना परमपरिमिता प्रीतिमुत्पादयन्तु ॥

एषूदाहरणेषु शब्दशक्त्या प्रकाशमाने सत्यप्राकरणिकेऽथान्तरे, वाक्यस्यासम्बद्धार्था-
भिधायित्व मा प्रसाक्षीदित्यप्राकरणिकप्राकरणिकार्थयोरुपमानापमेयभाव कल्पयितव्यः ।
सामर्थ्यादित्यर्थाक्षिप्तोऽय श्लेषो न शब्दोपारूढ इति विभिन्न एव श्लेषादनुस्वानोपम-
व्यङ्ग्यस्य ध्वनेर्विषय ।

प्रकार यद्यपि द्वितीयार्थकी प्रतीति अभिधासे ही होती है परन्तु उस शब्दकी उपस्थिति ध्वनन या
व्यञ्जनाव्यापार द्वारा होनेसे इसको शब्दशक्तिमूलध्वनि ही कहा जाता है ।

तृतीय मतके अनुसार प्रथम प्राकरणिक अर्थ अभिधासे उपस्थित हो जाता है, उसके बाद
प्रकरणादिवश अभिधाका एकाधमें नियंत्रण होनेपर भी जो अर्थसामर्थ्य, सादृश्यादि है उसके
कारण अभिधाशक्ति प्रतिप्रसृत पुनरुज्जीवित-सी हो जाती है । इस प्रकार द्वितीयार्थ अभिधाशक्तिसे
ही बाधित हाता है । द्वितीयार्थका बाधन हो जानके बाद उस अप्राकरणिक अर्थकी प्राकरणिक अथके
साथ अत्यन्त असम्बद्धायकता न हो जाय, इसलिए उन दोनों अर्थोंके उपमानापमेयभाव आदिकी
कल्पना की जाती है । यहा यह कल्पना व्यञ्जनावृत्तिका विषय हाती है । इसलिए वहां उपमालङ्कार
यङ्ग्य कहलाता है । प्रकृत 'कुमुमयुगसमयमुपसहरन्'वाले उदाहरणमें रूपकके व्यञ्जनावृत्तिका
विषय होनेसे रूपकालङ्कार यङ्ग्य है । इसलिए इसका शब्दशक्तिमूलध्वनि कहते हैं ।

आगे शब्दशक्तिमूलध्वनिका तीसरा उदाहरण देते हैं ।

अथवा जैसे—

समुचित समय [सूर्यकिरणपक्षमें ग्रीष्म ऋतु और गायपक्षमें दोहनपूर्वकाल]
पर आकृष्ट [समुद्रादिसे वाष्परूपमें आकृष्ट, पक्षान्तरमें अयनमें चढ़ाये हुए] और प्रदत्त
जल तथा दुग्धोंसे प्रजाको आनन्द देनेवाली, प्रातःकाल [सूर्योदयके कारण, पक्षान्तरमें
चरने जानेके कारण] चारों दिशाओंमें फैल जानेवाली और सूर्यास्तके समय [सूर्यास्तके
कारण, पक्षान्तरमें चरकर लौट आनेके कारण] एकत्र हो जानेवाली, दीर्घकाल यापी
दुग्धके कारणभूत भवसागरको पार करनेके लिए नौकरारूप, त्रिभुवके पवित्र पदार्थोंमें
सर्वोत्कृष्ट गोओंके समान सूर्यदेवकी किरणें तुम्हें अनन्त सुख प्रदान करें ।

इन [१ कुमुमसमययुगमुपसहरन्, २ उद्धत प्राल्लसद्धार, ३ दत्तानन्दा इन
तीनों] उदाहरणोंमें शब्दशक्तिसे अप्राकरणिक दूसरे अर्थके प्रकाशित होनेपर वाक्यकी
असम्बद्धार्थबोधकता न हो जाय इसलिए प्राकरणिक और अप्राकरणिक अर्थोंके उप-
मानोपमेयभावकी कल्पना करनी चाहिये । इस प्रकार शब्दसामर्थ्य [सादृश्यादि] वश
श्लेष आक्षिप्तरूपमें उपास्थित होता है, न कि शब्दनिष्ठरूपमें । इसलिए [इन उदाहरणों
में] श्लेषसे अनुस्वानसन्निभ सलक्ष्यप्रमव्यङ्ग्यका विषय अलग ही है ।

अन्येऽपि चालङ्कारा शब्दशक्तिमूलानुस्वानरूपव्यङ्ग्यध्वनौ सम्भवन्त्येव । तथा हि विरोधोऽपि शब्दशक्तिमूलानुस्वानरूपो दृश्यते । यथा स्याण्वीधराख्यजनपदवर्णने भट्टनाणस्य—

“यत्र च 'मातङ्गगामिन्य शीलवत्यश्च, गौर्यो विभवयताश्च, श्यामा पद्मराणिष्यश्च, धवलद्विजशुचिवदना मदिरामोदश्च' प्रमदा ।”

इसका अभिप्राय यह हुआ कि १ अत्रातरे, २ उन्नत, ३ दत्तानदा इन तीनों उदाहरणों में प्रकरणवश अभिधाका एकाग्र्यमें नियन्त्रण ही जानसे प्रस्तुत अर्थकी प्रतीति अभिधास ही जानक बाद शब्दशक्ति अर्थात् अभिधामूला व्यञ्जनास अप्राकरणक दूसरे अधयी प्रतीति होती है । इन वाच्य और व्यङ्ग्य, प्रस्तुत और अप्रस्तुत अर्थों में यदि किसी प्रकारका सम्बन्ध न हो ता वाक्य में अनवित्ताथशोधनत्व दोष हो जायगा । इसलिए उनक उपमानोपमेयभावसम्बन्धी कल्पना करनी पड़ती है अर्थात् उ हें व्यञ्जनागम्य माना जाता है । इस प्रकार वाच्यार्थ प्रस्तुत होनेस उपमेय आर व्यङ्ग्यार्थ अप्रस्तुत हानस उपमानरूपमें प्रतीति होता है । इस प्रकार द्वितीय अर्थ वाच्य न होनेसे, शब्दापाठ न होनेसे, श्लेषना विषय नहीं है अपितु शब्दशक्तिमूल [अलङ्कार] ध्वनिना विषय है । इस प्रकार श्लेष और ध्वनिना विषयविभाग स्पष्ट हो जाता है । ‘उपमानोपमेयभाव कल्पयित्वा’ से यह सूचित किया है कि अलङ्कारध्वनिमें सर्वत्र व्यतिरेचन, निहव आदि व्यापार ही आस्वादप्रतीति के प्रधान विश्रान्तिस्थान हैं, उपमेयादि नहीं ।

शब्दशक्तिमूल विरोधाभास अलङ्कारध्वनि

शब्दशक्तिमूल सलक्ष्यक्रम-यङ्ग्यध्वनिमें [पूर्वोक्त उपमाके अतिरिक्त] और भी अलङ्कार हो ही सकते हैं । इसीसे शब्दशक्तिमूल सलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यध्वनि विरोध [अलङ्कार] भी दियार्थी देता है । जैसे थानेश्वर नामक नगरके घणन [प्रसङ्ग] में राणभट्टका—

जहाँ गजगामिनी और शीलवती [दूसरे पक्षमें मातङ्गका अर्थ चाण्डाल, मातङ्ग गामिनी अर्थात् चाण्डालसे भोग करनेवाली और शीलवती यह विरोध प्रतीत होता है जो गजगामिनी अर्थ करनेसे नहीं रहता] । गौरवर्ण और विभवनिभग्न [दूसरे पक्षमें गौरी पावती और भव—शिव, विभव शिवभिन्न, से रमण करनेवाली, यह विरोध हुआ जो प्रथम अर्थ करनेपर नहीं रहता ।] ‘श्यामा योवनप्रच्यस्था’ तरुणी और पद्मराग मणियों [के अलङ्कारों] से युक्त [पश्चान्तरमें श्यामवर्ण और कमलसे समान रागयुक्त यह विरोध हुआ जो प्रथम अर्थ करनेपर नहीं रहता ।] निर्मल ब्राह्मणके समान पवित्र मुख वाली और मदिराग युक्त दशासवाली यह विरोध] शुभ्र दन्तयुक्त स्वच्छ मुखवाली [अर्थ करनेसे परिहृत हो जाता है] स्त्रियों हैं ।

आलोककारने ‘हर्षचरित’का यह उद्धरण पूरा नहीं दिया है । अंतिम ‘प्रमदा’ पदके पूर्व चार पक्तियाँ इसी प्रकारके विशेषणाकी और भी हैं । परन्तु इतने ही जगसे उदाहरण पूरा बन जाता है

१ ‘मत्समातङ्ग’ नि० दी० ।

२ ‘चन्द्रका’तवपुत्र शशीपकोमलाङ्ग उश्च, भभुजङ्गगम्या कन्तुकि-यश्च, पृथुक्लत्रघ्नियो दरिद्र मध्यकलिताश्च, लावण्यवत्यो मधुरभाषिण्यश्च, भद्रमत्ता प्रसन्नोज्ज्वलरागाश्च, अक्रीतुका प्रांदाश्च’ इतना पाठ ‘प्रमदा’ के पूर्व और है । नि०, दी० ।

अत्र हि वान्यो विरोधस्तच्छायानुप्राही वा श्लेषोऽयमिति न शक्य वक्तुम्^१ । साक्षाच्छब्देन विरोधालङ्कारस्याप्रकाशितत्वात् । यत्र हि साक्षाच्छब्दावेदितो विरोधालङ्कारस्तत्र हि दिल्लोटौ वाच्यालङ्कारस्य विरोधस्य श्लेषस्य वा विषयत्वम् । यथा तत्रैव^२—

‘समवाय इव विरोधिना पदार्थानाम् । तथाहि, सन्निहितमालान्धकारापि भास्वन्मूर्ति^३ ।’ इत्यादौ ।

इसलिए प्र पकारने शेष भागको छोड़ दिया है । निष्पयसागरीय सस्करणने उस परिल्यक्त भागको भी पृष्ठ १०० पर कोष्ठकके भीतर देकर मूल ग्रन्थने साथही छाप दिया है । परन्तु वह वस्तुतः मूल प्र पका पाठ नहीं है ।

यहाँ विरोधालङ्कार अथवा विरोधच्छायानुप्राही श्लेष वाच्य हे यह नहीं कह सकते हैं, क्योंकि साक्षात् शब्दसे विरोधालङ्कार प्रकाशित नहीं हुआ है । जहाँ विरोधालङ्कार शब्दसे साक्षात् बोधित होता है उस दिल्लोट वाक्यमें ही विरोध अथवा श्लेष [तन्मूलक सन्देहसङ्कर]के वाच्यालङ्कारत्वका विषय हो सकता है । [यहाँ विरोध अथवा श्लेषमें वाच्यालङ्कारत्व कहा जा सकता है] जैसे वहाँ, [‘हृषचरित’के उर्मा प्रसङ्गमें]—

विरोधी पदार्थोंके समुदायके समान [ये] । जैसे, बाल अप्रोढरूप अन्धकारसे युक्त सूर्यकी मूर्ति यह विरोध हुआ, पक्षान्तरमें] अन्धकार [रूप] कृष्णकेशोंसे युक्त भी देदीप्यमान मूर्ति थे ।

इत्यादिमें [शब्दशक्तिमूल विरोधाभास अलङ्कारध्वनि हे] ।

इस प्रकार यहाँ श्लेषानुप्राणित विरोधाभासकी प्रतीति होनेपर भी विरोधाभासके वाचक ‘अपि’ शब्दके अभावके कारण विरोधाभासको वाच्य नहीं कहा जा सकता है । इसी प्रकार प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों अपोंके वाच्य न होकर अप्रस्तुत अथवा प्रतीति अभिधामूला यज्ञनामे होनेके कारण श्लेषका वाच्य नहीं कहा जा सकता है, अपितु यज्ञय ही है । अतएव यह अभिधामूल अलङ्कार ध्वनिका उदाहरण है ।

जिस श्लेषयुक्त वाक्यमें विरोध साक्षात् शब्दसे बोधित होता है वहाँ वाच्य विरोधाभास अलङ्कार अथवा श्लेषालङ्कार वाच्यता विषय होता है । ‘अपि’ शब्द अथवा विरोध शब्द ही विरोधके वाचक शब्द हैं । अगले ‘समवाय इव विरोधिना पदार्थानाम्’ इत्यादि उदाहरणमें विरोध शब्द होनेसे विरोधालङ्कार वाच्य है और उसका उपकारी श्लेष भी उभय अनुरोधसे वाच्य माना जाता है ।

यहाँ प्रश्न यह होता है कि ‘अपि’ शब्द और ‘विरोध’ शब्दों तो आप विरोधका वाचक शब्द मानते ही हैं परन्तु उनसे अतिरिक्त पुनः पुनः प्रयुक्त समुच्चयाथक ‘च’ शब्दका भी विरोधका वाचक शब्द मानना चाहिये । ‘भक्तमातङ्गगामिन्य शीलवत्यश्च, गौथो विभवरत्ताश्च’ इत्यादि उदाहरणोंमें और ‘सन्निहितमालान्धकारा भास्वन्मूर्तिश्च’ इत्यादि उदाहरणोंमें चकारका पुनः पुनः प्रयोग होनेसे विरोधालङ्कारको वाच्य ही मानना चाहिये, व्यङ्ग्य नहीं । इसलिए यहाँ भी ‘भास्वन्मूर्तिश्च’के

१ ‘वदितुम् दी० ।

२ ‘तत्रैव के स्थानपर ‘हृषचरिते’ नि०, दी० ।

३ ‘च’ अधिक है नि० दी० ।

यथा वा ममैव—

सदैकशरणमक्षयमधीशमीश धिया हरिं कृष्णम् ।

चतुरात्मान निष्क्रियमरिमथन नमत चक्रधरम् ॥

अत्र हि शब्दशक्तिमूलानुस्वारूपो विरोध स्फुटमेव प्रतीयते ।

एवविधो व्यतिरेकोऽपि दृश्यते । यथा ममैव—

खं येऽत्युज्ज्वलयन्ति लनतमसो ये वा नलोद्भासिनो

ये पुष्णन्ति सरोरुहश्रियमपि क्षिप्ताब्जभासश्च ये ।

ये मूर्धस्ववभासिन क्षितिभृता ये चामराणा शिरा-

स्युत्कामभ्युभयेऽपि ते दिनपते पादा श्रिये सन्तु व ॥

समान 'शीलवत्यश्च' आदिमें विरोधालङ्कारको वाच्य ही मानना चाहिये इस अर्थको मनमें रखकर अपना बनाया दूसरा उदाहरण भी प्रस्तुत करते हैं ।

अथवा जैसे मेरा ही—

सबके एकमात्र शरण, आश्रयस्थान और अविनाशी [पश्चात्तरमें शरण और क्षय दोनों शब्दोंका अर्थ गूढ़ होता है । इस दशामें सबके गूढ़ और अक्षय अगूढ़ यह विरोध आता है जो प्रथम अर्थमें नहीं रहता ।] 'अधीशम् ईश धिया' जो सबके प्रभु और बुद्धिके स्वामी हैं [पश्चात्तरमें ईश धिया बुद्धिके स्वामी और अधीश जो धीश बुद्धिके स्वामी नहीं है यह विरोध आता है जो प्रथम अर्थसे पण्डित होता है] विष्णु [स्वरूप] कृष्ण [पश्चात्तरमें हरि और कृष्ण वर्णका विरोध प्राप्त होता है उसका परिहार प्रथम अर्थसे होता है] सर्वशस्वरूप निष्क्रिय [पश्चात्तरमें पगक्रमयुक्त और निष्क्रिय] अरियोंका नाश करनेवाले चक्रधारी [विष्णु, पश्चात्तरमें चक्रके अवयव धर्गोंका नाश करनेवाला चक्रधर कैसे होगा यह विरोध प्रथम अर्थसे दूर होता है] को नमस्कार करो ।

इस [उदाहरण]में विरोधालङ्कार शब्दशक्तिमूल सलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यध्वनिके रूपमें स्पष्ट प्रतीत होता है ।

इस प्रकारका [शब्दशक्तिमूल सलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यध्वनिरूप] व्यतिरेकालङ्कार भी पाया जाता है । जैसे, मेरा ही [बनाया निम्नलिखित दलोक इसका उदाहरण है]—

इसमें सूर्यके प्रसिद्ध किरणरूप पाद और विप्रहवहेवताक्षने अनुमार देहधारी सूर्यके चरणरूप पाद इन दोनों प्रकारके पादोंकी स्तुति की गयी है और उनमें व्यतिरेकालङ्कार यद्गद्य है । शब्दार्थ इस प्रकार होगा —

[सूर्यदेवके] अन्धकारका नाश करनेवाले जो [किरणरूप] पाद आकाशको प्रकाशमान करते हैं और जो [चरणरूप पाद] नदोंसे सुशोभित [तथा आकाशको उद्भासित न] करनेवाले हैं, जो [सूर्यकिरणरूपमें] कमलौकी श्रीको भी पुष्ट करते हैं और [चरणरूपसे] कमलौकी शोभाको तिरस्कृत करते हैं जो [पर्वतोंके] शिखरपर शोभित होते हैं अथवा क्षितिभृता राजाओंके शिरोपर अवभासित होते हैं और [प्रणाम कालमें] देवताओंके शिरोका भी अतिव्रमण करते हैं, सूर्यदेवके वे दोनों [प्रकारके] पाद [किरण और चरणरूप] तुम सबके लिए कल्याणकर हों ।

एवमन्येऽपि शब्दशक्तिमूलानुस्वानरूपव्यङ्ग्यध्वनिप्रकारा सन्ति ते सहृदये स्वय-
मनुसर्तव्या । इह तु ग्रन्थविस्तारभयान्न तत्प्रपञ्च कृतः ॥२१॥

अर्थशक्त्युद्भवस्त्व-यो यत्रार्थः स प्रकाशते ।

यस्तात्पर्येण वस्त्वन्वद् व्यनक्त्युक्तिं विना स्वतः ॥२२॥

इस प्रकार शब्दशक्तिमूल सलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यध्वनिके ओर भी [अलङ्कार तथा वस्तुरूप] प्रकार होते हैं । सहृदय उनका स्वय अनुसन्धान कर लें । ग्रन्थविस्तारके भयसे हमने यहाँ उनका प्रतिपादन नहीं किया है ॥२१॥

ग्रन्थकारने इस श्लोकमें नसोदरासी, कमलान्तिनी तिरस्कृत करनेवाले और राजाओंके मस्तकपर शोभित होनेवाले चरणोंकी अपेक्षा आकाशको प्रकाशित करनेवाले, कमलोंको विकसित करनेवाले और देवताओंके शिरोंका अतिक्रमण करनेवाले किरणरूप पदोंका आधिक्य होनेसे यतिरेक अलङ्कार माना है । परन्तु वह सर्वेन्द्रारण आदि पहिले श्लोकरूप समान विरोधालङ्कारका उदाहरण भी हो सक्ता है ।

विवक्षितान्यपरवाच्य [अभिधामूल] ध्वनिके असलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य और सलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य दो भेद किये गे । सलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यके फिर शब्दशक्त्युत्थ, अर्थशक्त्युत्थ और उभयशक्त्युत्थ तीन भेद किये गये हैं । इनमेंसे शब्दशक्त्युत्थ ध्वनिना बहुत विस्तारपूर्वक विचार यहाँ किया गया है । इसीलिए इस २१वीं कारिकाकी इतनी लम्बी व्याख्या हो गयी है कि पाठक ऊरने लगता है । परन्तु फिर भी ग्रन्थकारने इस सारे विवेचनमें वस्तुध्वनिका कहीं नाम नहीं लिया है । बार बार घुमा फिराकर अलङ्कारका ही विस्तार किया है । अलङ्कारध्वनिके स्पष्टीकरणके लिए जो इतना अधिक प्रयत्न ग्रन्थकारने किया है वह सम्भवत उसने विवादास्पद स्वरूप और महत्त्वको ध्यानमें रखकर किया है । वस्तुध्वनिके अधिष्ठ स्पष्ट और विवादास्पद होनेके कारण ही उसका विवेचन नहीं किया है । उत्तरवर्ती आचार्योंने वस्तुध्वनिकी भी सोदाहरण विवेचना कर इस कमीको पूरा कर दिया है ॥२१॥

अर्थशक्त्युत्थ ध्वनि

शब्दशक्त्युत्थके बाद अर्थशक्त्युत्थ सलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यका वर्णन क्रमप्राप्त है । नवीन आचार्योंने उसके स्वत सम्भवी, कविप्रौढोक्तिसिद्ध और तत्रिबद्धवक्तृप्रौढोक्तिसिद्ध ये तीन भेद और उनमेंसे प्रत्येकके वस्तुसे वस्तु, वस्तुसे अलङ्कार, अलङ्कारसे वस्तु, और अलङ्कारसे अलङ्कार व्यङ्ग्य, चार कुल मिलाकर ३ × ४ = १२ भेद किये हैं । आलोचकारने भी ये भेद किये हैं परन्तु उतने स्पष्ट नहीं हुए हैं ।

सलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यध्वनिके प्रथम शब्दशक्त्युत्थ भेदके सविस्तार निरूपणके बाद उसके दूसरे भेद अर्थशक्त्युत्थ सलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यका निरूपण करते हैं—

अर्थशक्त्युद्भव [नामक सलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यध्वनिका] दूसरा भेद [वह] है जहाँ ऐसा अर्थ [अभिधासे] प्रतीत होता है जो शब्दव्यापारके बिना [ध्वननव्यापारसे] स्वत ही तात्पर्यविपर्ययीभूतरूपसे अर्थान्तरको अभिश्यक्त करे ॥२२॥

यहाँ तात्पर्यशब्दको पदाथसर्गारूप वाक्याथबोधमें उपक्षीण तात्पर्याख्या शक्तिका ग्राहक नहीं, अपितु ध्वननव्यापारका ग्राहक समझना चाहिये ।

यत्रार्थ स्वसामर्थ्यादर्थान्तरमभिव्यनक्ति शब्दव्यापार विनैव सोऽर्थशक्युद्भवो
नामानुस्वानोपमव्यङ्ग्यो ध्वनि ।

यथा—

एववादिनि देवर्षीं पार्श्वे पितुरधोमुखी ।

लीलाकमलपत्राणि गणयामास पार्वती ॥

अत्र हि लीलाकमलपत्रगणनमुपसर्जनीवृत्तस्वरूप शब्दव्यापार विनैवार्थान्तर
व्यभिचारिभावलक्षण प्रकाशयति ।

न चायमलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यस्यैव ध्वनेरिषय । यतो यत्र सामान्छब्दनिवेदितेभ्यो
विभावानुभावव्यभिचारिभ्यो रसादीना प्रतीति स तस्य केवलस्य मार्ग ।

जहाँ अर्थ [वाच्यार्थ] शब्दव्यापारके विना अपने [ध्वनन] सामर्थ्यसे अर्थान्तरको
अभिव्यक्त करता है वह अर्थशक्युद्भव अलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य नामक ध्वनि है ।

जैसे—

देवर्षि [सतपिमण्डल] के पेसा पढ़ने [शिवके साथ पार्वतीके विद्याहारी चर्चा
और शिवकी सहमति प्रकट करने] पर पिता [पार्वतराज हिमालय]के पास घेठी हुई
पार्वती मुँह नीचा करके लीलाकमलकी पँखुडियाँ गिनने लगी ।

यहाँ लीलाकमलपत्रोंकी गणना [रूप पार्वतीका ध्यापार] स्वयं गुणीभूतरूप
होकर शब्दव्यापारके विना ही [लोचनकारके मतमें लज्जा और विश्वनाथके मतसे
अवहित्यारूप] व्यभिचारिभावरूप अर्थान्तरको अभिव्यक्त [प्रकट] करती है ।

लोचनकारने इसे लज्जारूप व्यभिचारिभावका अभिव्यक्त माना है परन्तु साहित्यदपणकारने
अवहित्यारूपके उदाहरणमें इस श्लोकको उद्धृत किया है । 'अवहित्यारूपका लक्षण इस प्रकार किया गया
है—'भयगौरवलज्जादेशपात्राकारगुप्तिरवहित्यारूप । व्यापारात्प्रसक्तिरन्यथाभाषणविलोकनादिकरी ।'
भय, गौरव, लज्जा आदिके कारण व्यापारात्, अन्यथाभाषण या अन्यथाविलोकनादि जनक
आकारगोपनका नाम अवहित्यारूप है । इस अवहित्यारूपमें भी लज्जाका समावेश रहता है और भय,
गौरव, लज्जा आदि आकारगुप्तिके हेतुओंमेंसे यहाँ लज्जा ही हेतु है इसलिए विश्वनाथ और लोचन
कारके मतमें तात्त्विक भेद न होनेसे विरोधकी शङ्का नहीं करनी चाहिये ।

यह [एववादिनि] आदि श्लोक] असलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य [रसादि] ध्वनिका ही
उदाहरण [भी] नहीं है । क्योंकि जहाँ साक्षात् शब्दसे घणित विभाव, अनुभाव और
व्यभिचारिभावोंसे रसादिकी प्रतीति होती है वही केवल उक्त [असलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य
ध्वनिका] मार्ग है ।

पहिले यह लिख आये हैं कि व्यभिचारिभावोंका वाचकशब्दोंसे कथन उचित नहीं है और
यहाँ उनसे साक्षात् शब्दनिवेदित होनेसे ही रसादि प्रतीति होते हैं यह कह रहे हैं । ये दोनों बातें
परस्पर विरोध हैं । ऐसी शङ्का उत्पन्न हो तो उसका समाधान यह है कि वाच्यार्थप्रतीतिसे अवहित
व्यभिचारिभावकी प्रतीति होनी चाहिये यही यहाँ साक्षात् शब्दनिवेदितत्वसे अभिप्रेत है । व्यभिचारि
भावका वाच्यत्व इष्ट नहीं है ।

यथा कुमारसम्भवे मधुप्रसङ्गे वसन्तपुष्पाभरण वहन्त्या देव्या आगमनादिवर्णन मनोभवशरसन्धानपर्यन्त शम्भोश्च परिवृत्तधैर्यस्य चेष्टाविशेषवर्णनादि साक्षाच्छब्दनिवेदितम् ।

इह तु सामर्थ्याक्षिप्तव्यभिचारिमुखेन रसप्रतीति । तस्मादयमन्यो ध्वने प्रकार । यत्र च शब्दव्यापारसहायोऽर्थोऽर्थान्तरस्य व्यञ्जकत्वेनोपादीयते स नास्य ध्वनेर्विषय ।

यथा—

सङ्केतकालमनस विट ज्ञात्वा विदग्धया ।

हसन्नेत्रार्पिताकृत लीलापद्म निमीलितम् ॥

जैसे 'कुमारसम्भव'के वसन्तवर्णनप्रसङ्गमें वासन्ती पुष्पोंके आभूषणोंसे अलङ्कृत देवी पार्वती [आलम्बनविभाव]के आगमनसे लेकर कामदेवके शरसन्धानपर्यन्त [अनुभाववर्णन] और धैर्यच्युत शिवकी चेष्टाविशेषवर्णनादि [व्यभिचारिभाव] साक्षात् शब्दनिवेदित है । [अत वहाँ असलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य रसध्वनि है ।]

['कुमारसम्भव'के प्रकृत श्लोक निम्नलिखित प्रकार हैं—

१—निर्वाणभूयिष्ठमथास्य वीर्यं सधुक्षयन्तीत्र वपुर्गुणेन ।

अनुप्रयाता वनदेवताभिरदृश्यत स्थारराजकन्या ॥

२—प्रतिगृहीतु प्रणयिप्रियत्रात् त्रिलोचनस्तामुपचक्रमे च ।

सम्मोहन नाम च पुष्पधन्या धनुष्यमोघ समधत्त सायकम् ॥

३—हरस्तु किञ्चित्परिवृत्तधैर्यश्च द्रोदयारम्भ इधाम्पुराशि ।

उमामुखे रिम्भफलाधरोष्ठे व्यापारयामास विलोचनानि ॥]

यहाँ ['एवघादिनि देवर्षी'में] तो [लीलाकमलके पत्रोंकी गणना द्वारा] सामर्थ्यसे आक्षिप्त [लज्जारूप] व्यभिचारिभाव द्वारा रसकी प्रतीति होती है । इसलिए [रसध्वनिरूप असलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य भेदसे भिन्न अर्थशक्त्युद्भव सलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यरूप] यह दूसरा ही ध्वनिका प्रकार है ।

इससे यह सूचित किया कि यद्यपि रसादि सदा व्यङ्ग्य ही होते हैं वाच्य नहीं, परन्तु उनका असलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य होना अनिवाय नहीं है । वह कभी सलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य अर्थशक्त्युद्भव ध्वनिके द्वारा भी प्रतीत हो सकते हैं । परन्तु उत्तरवर्ती आनाय रसादिध्वनिको असलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य ही मानते हैं । सलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्यने जितने भेद उहाँने किये हैं उन सबने उदाहरण वस्तुध्वनि या अलङ्कारध्वनिमें ही दिये हैं ।

जहाँ शब्दव्यापारकी सहायतासे अर्थ, दूसरे अर्थको अभिव्यक्त करता है वह इस [अर्थशक्त्युद्भव सलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य] ध्वनिका विषय नहीं होता [वहाँ गुणीभूत व्यङ्ग्य हो जाता है] ।

जैसे—

[नायकके शृङ्गारसहायकको भी] विट [सम्मोगहीनसम्पद विटस्तु धूर्त कलैक देशश्च । वेशोपचारकुशलो मधुरोऽथ बहुमतो गोष्ठयाम् ॥] कहते हैं किन्तु यहाँ विटका अर्थ उपपत्ति है । उपपत्तिकी सङ्केतकाल [नायक-नायिकाके मिलनसमय] की शिक्षासाको समझकर चतुरा [नायिका] ने नेत्रोंसे [अपना] अभिप्राय व्यक्त करते हुए हैंसते हुए [अपने हाथके] लीलाकमलको बन्द कर दिया ।

अत्र लीलाकमलनिमीलनस्य व्यञ्जकत्वमुक्त्यैव निवेदितम् ॥२२॥

तथा च—

शब्दार्थशक्त्याक्षितोऽपि व्यङ्ग्योऽर्थः कविना पुनः ।

यत्राविष्कियते स्वोक्त्या सान्यैवालङ्कृतिध्वनेः ॥२३॥

शब्दशक्त्या, अर्थशक्त्या, शब्दार्थशक्त्या वाक्षितोऽपि व्यङ्ग्योऽर्थः कविना पुनर्यत्र स्वोक्त्या प्रकाशीक्रियते सोऽस्मादनुस्वानोपमव्यङ्ग्याद् ध्वनेरन्य एवालङ्कार । अलक्ष्य-
क्रमव्यङ्ग्यस्य वा ध्वने सति सम्भवे स तादृगन्योऽलङ्कार ।

यहाँ लीलाकमलनिमीलन [द्वारा सङ्केतकाल]की व्यञ्जकता [नेत्रार्पिताभूत पदने] शब्द द्वारा ही सूचित कर दी । [अत अर्थशक्त्युद्भव ध्वनिका नहीं, गुणीभूत व्यङ्ग्यपका उदाहरण है ।] ॥२२॥

व्यङ्ग्यार्थकी स्वशब्दोक्ति होनेपर ध्वनि नहीं

और इसीसे [कहा भी है कि—

शब्दशक्ति, अर्थशक्ति, अथवा शब्द, अर्थ उभय शक्तिसे आक्षिप्त [व्यङ्ग्य होने पर भी जहाँ व्यङ्ग्य अर्थको कवि पुन अपने चचन द्वारा प्रकट कर देता है वह [व्यङ्ग्यार्थके वाच्यसिद्धिका अङ्ग होकर गुणीभूत बन जानेके कारण] ध्वनिसे भिन्न अर्थ ही [श्लेष आदि] अलङ्कार है ॥२३॥

शब्दशक्ति, अर्थशक्ति अथवा शब्दार्थोभयशक्तिसे आक्षिप्त होनेपर भी व्यङ्ग्य अर्थको जहाँ कवि फिर अपनी उक्तिसे [भी] प्रकाशित कर देता है वह इस अनुस्वानोपम [सलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य] ध्वनिसे अलग ही [श्लेष आदि] अलङ्कार होता है । अथवा असलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यध्वनिका यदि कोई इस प्रकारका उदाहरण मिल सके तो [वाच्यालङ्कारसे भिन्न] वह उस प्रकारका [विशेष समस्कारजनक] अर्थ ही अलङ्कार होता है ।

इस कारिकासे पूर्व सलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यध्वनिके शब्दशक्त्युद्भव और अर्थशक्त्युद्भव व्यङ्ग्य दो भेद किये थे । परन्तु इस कारिकामें उभयशक्त्युद्भव तृतीय भेद भी सूचित किया है । 'शब्दश्च अर्थश्च इति शब्दार्थो' इतने विग्रहसे शब्दशक्त्युद्भव तथा अर्थशक्त्युद्भव और फिर 'शब्दार्थो च शब्दार्थो चेत्येव शेष' इस प्रकार द्वन्द्वसमासमें एकशेष करके 'शब्दार्थो' पदसे ही उभयशक्त्युत्पन्न तृतीय भेदका भी प्रतिपादन किया है ।

'सान्यैवालङ्कृतिध्वने' की व्याख्या भी वृत्तिकारने दो प्रकारसे की है । एक पक्षमें 'ध्वने' पद को पञ्चम्यत और सलक्ष्यक्रमका बोधक मानकर 'सोऽस्मादनुस्वानोपमव्यङ्ग्याद् ध्वनेरन्य एवालङ्कार' यह व्याख्या की है और दूसरे पक्षमें 'ध्वने'को असलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यध्वनिका बोधक और पञ्चम्यत पद मानकर 'असलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यस्य वा ध्वने सति सम्भवे स तादृगन्योऽलङ्कार' यह व्याख्या की है । 'व्यङ्ग्यार्थके स्वशब्दसे कथन कर देनेपर उसकी प्रधानता नष्ट हो जाती है और श्लेषादि अलङ्कारोंकी प्रधानता हो जाती है । अत वहाँ 'व्यङ्ग्यार्थके गुणीभूत हो जानेसे 'ध्वनि' व्यवहार न होकर श्लेषादि अलङ्कारका व्यवहार होता है ।

तत्र शब्दशक्त्या यथा—

वत्से मा गा विपाद श्वसनमुरुजव सन्त्यचोर्ध्वप्रवृत्त
कम्प को वा गुरुस्ते भवतु बलभिदा जृम्भितेनात्र याहि ।
प्रत्याख्यान सुराणामिति भयशमनछद्मना कारयित्वा
यस्मै लक्ष्मीमदाद् व स दहतु दुरित मन्थमूढा पयोधि ॥

अर्थशक्त्या यथा—

अम्ना शेतेऽत्र घृद्धा परिणतवयसामप्रणीरत्र तातो
नि शेषागारकर्मध्रमशिथिलतनु कुम्भदासी तथात्र ।

उसमें शब्दशक्तिसे [आक्षिप्त, शब्दशत्रुत्पन्न व्यङ्ग्य, श्वशब्दसे कथित होने से गुणीभूत और श्लेगालङ्कारप्रधान हो गया है उसका उदाहरण] जैसे—

[समुद्रमन्थनघेलामें स्वभावतः सुकुमारी होनेके कारण समुद्रकी भीषण तम्झोंको देखकर भयभीत] मन्थनसे भीत लक्ष्मीको [उसके पिता] समुद्रने भय दूर करनेके वहाने [यह कहकर कि] बेटी, घरगर्भो नहीं [‘यद्गृथार्थं विप्रमत्तीति विपाद’ विपको मन्थन करनेवाले भयानक शिवके पास मत जाना] तीव्रगतिसे चलनेवाली लम्बी उन्मासोंको चढ़ करे [‘यद्गृथार्थं तीव्रगतिवाले भयङ्कर चाय और उत्पञ्जलन स्वभावागले भयङ्कर अग्निदेवताकी जात छोड़ो] यह इतना कौप ग्यों गयी हो ओग शक्ति-को मष्ट करनेवाली इन जैभाइयोंको जग उन्द करे [व्यङ्ग्यार्थं ‘क जल पानीति कम्प धरण, क प्रजापति ब्रह्मा, कम्प अर्थात्] वरुणदेव और प्रजापति ब्रह्मा नो तुम्हारे गुरु, पितृ सहश हैं । ‘जृम्भितेन बलभिदा भयतु’ ऐश्वर्यपदमत्त इन्द्रदेवको भी छोड़ो, इस प्रकार भय शमन करनेके वहाने अथ सत्र देवताओं [के साथ विवाह]ना प्रत्याख्यान [निषेध] कराकर और यहाँ [विष्णुके पास] जाओ ऐसा कहकर जिन [विष्णु]को [अपनी पुत्री] लक्ष्मीको [वधरूपमें] प्रदान किया वे [विष्णु] तुम्हारे दु खोंको दूर करें ।

यहाँ देवताओंके प्रत्याख्यानका बोधक अर्थ व्यङ्ग्य होता, परन्तु ‘भयशमनछद्मना’में छद्म शब्द द्राग कविने उसकी ‘यद्गृथार्थ’को वाच्य बना दिया इसीसे कामिनीकुचकलशवत् गोपनकृत चाकल्य भर देनेसे यह सलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यध्वनिवा उदाहरण नहीं है । ‘कारयित्वा’में णिच् प्रत्यय समथनका सूचक है, अप्रवृत्तप्रवतनरा नहीं। अर्थात् देवताओंका प्रत्याख्यान करनेकी प्रेरणा पिताने नहीं की अपितु लम्बी द्वारा किये गये प्रत्याख्यानका समर्थनमात्र किया। यही णिच्का तात्पर्य है । ‘हृन्नोरन्त्यतरस्याम्’ सूत्र लक्ष्मीनी कम सहा हुइ है ।

अर्थशक्तिसे [आक्षिप्त, अर्थशत्रुत्पन्न व्यङ्ग्य जहाँ शब्दसे कथित होनेसे गुणीभूत और श्लेगालङ्कार प्रधान हो गया है उसका उदाहरण] जैसे—

घृद्धी माताजी यहाँ सोती हैं, और घृद्धोंके अग्रगण्य पिताजी यहाँ । सारे घर-का काम करनेसे अत्यन्त थकी हुई दासी यहाँ सोती है । मैं अमागिनी जिसने पति कुछ दिनसे परदेश चले गये हैं, इस [क्रमसे] मैं अकेली पडी रहती हूँ । इस प्रकार

अस्मिन् पापाहमेका कतिपयदिवसप्रोपितप्राणनाथा
पान्यायेत्थ तरुण्या कथितमवसरन्याहृतिव्याजपूर्वम् ॥

उभयशक्त्या यथा—‘दृष्टया केशव गोपरागहृतया’ इत्यादौ ॥२३॥

प्रौढोक्तिमात्रनिष्पन्नशरीरः सम्भवी स्वतः ।

अर्थोऽपि द्विविधो ज्ञेयो वस्तुनोऽन्यस्य दीपकः ॥२४॥

तरुणीने अथसर बतानेके लिए घहानेसे पथिकको यह [सबने सोनेका स्थान और व्यवस्था आदिका पूर्वोक्त विवरण] कहा ।

यहाँ तरुणीकी सम्भोगेच्छा और अनिर्घृष्ट यथेष्ट सम्भोगके अथसरका सूचनरूप जो व्यङ्ग्य है उसको कविने ‘अवसरव्याहृतिव्याजपूर्वम्’से अपने शब्दमें ही कह दिया इसलिए यह सलक्ष्यत्रम अथवा असलक्ष्यत्रम-यङ्गपध्वनिका उदाहरण नहीं रहा, अपितु ‘यङ्गयके गुणीभूत और अलङ्कारके प्रधान हो जानेसे श्लेषका उदाहरण बन गया है ।

[इसी प्रकार] उभय शक्तिसे [आक्षिप्त उभयशक्त्युत्पत्त्य व्यङ्ग्य जहाँ शब्दसे कथित होनेसे गुणीभूत और श्लेषालङ्कार प्रधान हो गया है उसका उदाहरण] जैसे ‘दृष्टया केशव गोपरागहृतया’ इत्यादि [पृष्ठ १२४] पर पूर्ण उद्धृत व्याख्यात श्लोक]में ।

‘दृष्टया केशव गोपराग’ इत्यादि उभयशक्त्युद्भव व्यङ्ग्यध्वनिमें उभयशक्त्युत्पत्ताका समन्वय लोचनकारने इस प्रकार किया है कि गोपरागादि पदोंमें लेष होनेसे उस अशमें शब्दशक्त्युत्पत्ता और प्रकरणवशात् अर्थशक्त्युत्पत्ता आनसे यह उभयशक्त्युद्भवका उदाहरण होता है । परन्तु नवीन आचार्य ऐसे स्थलोंपर उभयशक्त्युत्पत्ताका समन्वय शब्दपरिवृत्तिसहत्व तथा शब्दपरिवृत्ति असहत्वके आधारपर करते हैं । उनके मतसे यहाँ ‘केशव गोपरागहृतया’में ‘केशव गोपराग’ शब्दोंके रहनेपर ही ध्वनिकी सत्ता रहती है और यदि उनको बदलकर रागके पशयवाचक स्नेहादि शब्द रख दें तो ध्वनिकी सत्ता नहीं रह सकती, इसलिए शब्दपरिवृत्तिसह होनेके कारण यह ध्वनि शब्दशक्त्युत्पत्त्य है । परन्तु आगे ‘स्खलितासि’ इत्यादिमें शब्दका परिवर्तन करके ‘पतितासि’ आदि रख देनेपर भी व्यङ्ग्यमें कोई बाधा नहीं पड़ती इसलिए उस अशके परिवृत्तिसह होनेसे अथशक्त्युत्पत्त्य व्यङ्ग्य होता है । अतः एक अंशमें शब्दशक्त्युत्पत्त्य और दूसरे अशमें अथशक्त्युत्पत्त्य होनेसे यह उभयशक्त्युत्पत्तिका उदाहरण है । इस प्रकार शब्दपरिवर्तनको सहन न कर सकनेवाले गुण, अलङ्कार, ध्वनि आदिको शब्दनिष्ठ, तथा शब्दपरिवर्तनको सहन करनेवालेको अर्थनिष्ठ मानकर शब्दपरिवृत्ति असहत्व और शब्दपरिवृत्तिसहत्वके आधारपर ही नवीन आचार्य शब्दनिष्ठता या अर्थनिष्ठताका निर्णय करते हैं ॥२३॥

अर्थशक्त्युद्भवन ध्वनिके भेद

इस प्रकार सलक्ष्यत्रम-यङ्गपध्वनिक शब्दशक्त्युत्पत्त्य, अर्थशक्त्युत्पत्त्य और उभयशक्त्युत्पत्त्य तीन भेद प्रदर्शित किये, उनमेंसे शब्दशक्त्युत्पत्तिका सविस्तर विवेचन हो चुका । इस समय अथशक्त्युद्भवका विवेचन चल रहा है । अब अर्थशक्त्युद्भवके स्वतः सम्भवी और [कविप्रौढोक्तिसिद्ध तथा कविनिबद्धवक्तृ प्रौढोक्तिसिद्ध दोनोंको मिलाकर] प्रौढोक्तिसिद्ध दो कहते हैं ।

अथ वस्तु [अलङ्कार या वस्तु] का अभिव्यञ्जक अर्थ भी स्वतः सम्भवी तथा प्रौढोक्तिमात्रसिद्ध [इसमें कविप्रौढोक्तिसिद्ध तथा कविनिबद्धवक्तृप्रौढोक्तिसिद्ध ये दो भेद सम्मिलित हैं] इस प्रकारसे दो प्रकारका [यास्तवमें तीन प्रकारका] होता है ॥२४॥

अर्थशक्त्युद्भवानुरणनरूपव्यङ्ग्ये ध्वनौ यो व्यञ्जकोऽर्थ उत्तस्तस्यापि द्वौ प्रकारौ,
कवे, कविनिन्द्यस्य वा वक्तु प्रौढोक्तिमात्रनिष्पन्नशरीर एक, स्वत सम्भवी च द्वितीय ।
कविप्रौढोक्तिमात्रनिष्पन्नशरीरो यथा—

सज्जेहि सुरहिमासो ण दाव अप्पेह जुअइजणलक्खमुहे ।

अहिणवसहआरमुहे णवपल्लवपत्तले अणगस्स शरे ॥

[सज्जयति सुरहिमासो न तावदपयति युवतिजनलक्ष्यमुखान् ।

अभिनवसहकारमुखान् नवपल्लवपत्रलाननङ्गस्य शरान् ॥ इति च्छाया]

कविनिन्द्यवक्तृप्रौढोक्तिमात्रनिष्पन्नशरीरो यथोदाहृतमेव—‘शिखरिणि’ इत्यादि^१ ।

ये तीन प्रकारके व्यञ्जक अथ, वस्तु तथा अलङ्कारभेदसे दो प्रकारके होकर $३ \times २ = ६$
व्यञ्जन अथ, और उसी प्रकार ६ व्यङ्ग्यार्थ, कुल मिलानर [६ + ६ = १२] अर्थशक्त्युद्भवके बारह
भेद हो जात है । इन बारह भेदोंका वणन नवीन आचार्योंने अधिक स्पष्ट रूपसे किया है ।

अर्थशक्त्युद्भवरूप सलक्ष्यक्रमयङ्ग्यध्वनिमें जो व्यञ्जक अर्थ कहा है उसके
भी दो भेद होते हैं । एक [तो] कवि या कविनिन्द्यवक्ताकी प्रौढोक्तिमात्रसे सिद्ध और
दूसरा स्वत सम्भवी ।

कविप्रौढोक्तिमात्रसिद्ध [का उदाहरण] जैसे—

[कामदेवका सखा] वसन्त मास युवतिजनौको लक्ष्य बनाने [सिद्ध करने] वाले
मुखौ [अग्रभाग—फलभाग]से युक्त नवपल्लवोंमें पत्र [त्राणके पिछले भागमें लगे पत्तोंसे]
युक्त, सहकार प्रभृति कामदेवके वाणोंका निर्माण करता है [परन्तु] अभी प्रहाराय
उसको देता नहीं है ।

यहाँ वसन्त वाण बनानेवाला है, कामदेव उनका प्रयोग करनेवाला धन्वी या योद्धा है, आम्र
मञ्जरी आदि त्राण हैं और युवतियाँ उनका लक्ष्य हैं इत्यादि अर्थ कविप्रौढोक्तिमात्रसे सिद्ध है ।
लोकमें इस प्रकारका न कोढ़ धानुक् दीखता है, न उसने वाण । इसीसे कविप्रौढोक्तिमात्रसिद्ध वस्तुसे
मदनोमथनना प्रारम्भ और उत्तरोत्तर उसका प्रिजृम्भणरूप वस्तु व्यङ्ग्य है । इस प्रकार यह कवि
प्रौढोक्तिसिद्ध वस्तुस वस्तुयङ्ग्यना उदाहरण है ।

कविनिन्द्यवक्तृप्रौढोक्तिका उदाहरण ‘शिखरिणि’ इत्यादि [श्लोक] पहले ही
[पृ० ५६ पर] दे चुके हैं ।

उसमें जो चमत्कारजनक व्यङ्ग्य अर्थ है उसकी प्रतीति कविनिन्द्य सामिलाय तत्पररूप
वक्ताकी विशेषतासे ही होती है । अन्यथा उसी बातको केवल कविके शब्दमें अथर्वके समान बिम्बकल-
को सीता काट रहा है इस रूपमें कह दिया जाय तो उसमें कोई चमत्कार नहीं आता है । इसलिए
सहृदय पुरुष कविप्रौढोक्तिसिद्धसे कविनिन्द्यवक्तृप्रौढोक्तिसिद्धको अधिक चमत्कारजनक मानते हैं
और उसकी गणना कविप्रौढोक्तिसिद्धसे अलग करते हैं । कविमें स्वत रागाद्याविष्टता नहीं होती परन्तु
कविनिन्द्यमें रागाद्याविष्टता होती है । इसीसे उसका वचन अधिक चमत्कारजनक होता है ।

१ ‘उदाहृतमेव’ पाठ नि० शी० में नहीं है ।

२ ‘इत्यादी’ नि० ।

यथा वा^१—

साअरविइण्णजोव्वणहत्थालम्व समुण्णमन्तेहि ।

अब्भुट्ठाण विअ मम्महस्स दिण्ण तुइ थणेहि ॥

[सादरवितीणयोवनहस्तावल्म्व समुत्तमद्रभ्याम् ।

अभ्युत्थानमिव ममथस्य दत्त तव स्तनाभ्याम् ॥ इति च्छाया]

एत सम्भवी य औचित्येन वहिरपि सम्भाव्यमानसद्भावो न केवल भणितिवशे-
नैवाभिनिष्पन्नशरीर । यथोदाहृतम्—‘एववादिनि’ इत्यादि ।

यथा वा—

सिद्धिपिच्छकर्णपूरा जाआ वाहस्स गव्विरी भमइ ।

मुत्ताफलरइअपमाहणाण मज्झे सन्नत्तीण ॥

[शिखिपिच्छकर्णपूरा जाया व्याधस्य गविणी भ्रमति ।

मुत्ताफलरचितप्रसाधनाना मध्ये सपत्नीनाम् ॥ इति च्छाया ॥२४॥]

अथा जैसे [कृतिनिगद्यवस्तुप्रौढोक्तिसिद्धका दूसरा उदाहरण]—

आदरपूषक सहारा देते हुए योवनके सहारे उठनेगले तुम्हारे स्तन [उठ कर]
कामदग्नी [स्वागतमें] अभ्युत्थान सा प्रदान कर रहे हैं ।

[कृति और कृतिनिगद्यकी कल्पनाके लोकसे] बाहर भी उचित रूपसे जिनके
अस्तित्वकी सम्मानना हो, केवल [कृति या कृतिनिगद्यकी] उत्तिमात्रसे ही सिद्ध न
होता हो वह स्वत सम्भवी [कहलाता] है । जैसे [१३२ पृष्ठपर] ‘एववादिनि देवर्षी’
इत्यादि उदाहरण दे चुके हैं ।

अथवा [कृतिनिगद्यवस्तुप्रौढोक्तिसिद्धका तीसरा उदाहरण] जैसे—

[केवल] भोगपङ्कका कर्णपूर पढ़ने हुए व्याधकी [नवीन] पत्नी मुत्ताफलोंके
आभूषणोंसे अलङ्कृत सपत्नियोंके बीच अभिमानसे फूली हुई फिरती है ।

यहाँ ‘लोकोत्त वस्तु’ केवल कविकल्पनासिद्ध नहीं है, अपितु वास्तवम लोकमें भी उसका
अस्तित्व सम्भव है, अतएव वह स्वत सम्भवी है । गद्यका कारण यह है कि जब सपत्नियोक दिन ये तब
ता याष हाथी आदि मारकर लाता था जिससे मुत्ताभूषण बनते थे । परन्तु अर मेर पाषस तो निक
लनेका अवकाश ही नहीं मिलता है । यह सामान्यातिशय व्यङ्ग्य है ।

इस प्रकार स्वत सम्भवीके ‘एववादिनि०’ तथा ‘शिखिपिच्छ०’ दो, कृतिनिगद्यवस्तुप्रौढोक्ति
सिद्धके ‘शिखरिणि०’ और ‘सादर०’ दो तथा कृतिप्रौढोक्तिसिद्धका एक ‘सज्जयति०’ ये कुल पाँच
उदाहरण दिये । इन चारम वस्तुस वस्तुव्यङ्ग्य है, आगे अलङ्कार अलङ्कारपङ्कका निरूपण
करते हैं ॥२४॥

१ दीधितिये ‘यथा वा’ और उसके आगे उद्धृत उदाहरण नहीं दिया है ।

अर्थशस्तेरलङ्कारो यत्राप्यन्वः प्रतीयते ।

अनुस्वानोपमव्यङ्ग्यं स प्रकारोऽपरो ध्वनेः ॥२७॥

वाच्यालङ्कारव्यतिरिक्तो यत्रान्योऽलङ्कारोऽर्धसामर्थ्यात् प्रतीयमानोऽप्रभासने
सोऽर्धशक्त्युद्भवो नामानुस्वानरूपव्यङ्ग्योऽन्यो ध्वनि ॥२५॥

तस्य प्रविरलविषयत्रमाशङ्क्येदमुच्यते—

रूपकादिरलङ्कारवर्गो यो वाच्यता श्रितः ।

स सर्वो गम्यमानत्व विभ्रद् भृम्ना प्रदर्शितः ॥२६॥

अन्यत्र वाच्यत्वेन प्रसिद्धो यो रूपकादिरलङ्कार सोऽयत्र प्रतीयमानतया बाहु-
ल्येन प्रदर्शितस्तत्र भवद्विभ्रद्भृम्नादिभिः । तथा च सन्देहादिपूपमारूपकाविशयोक्तीना
प्रकाशमानत्व प्रदर्शितमित्यलङ्कारान्तरस्यालङ्कारान्तरे व्यङ्ग्यत्व न यत्नप्रतिपाद्यम् ॥२६॥

इयत् पुनरुच्यत एव—

अर्थशक्त्युद्भव अलङ्कारध्वनि

जहाँ अर्थशक्तिसे [वाच्यालङ्कारसे भिन्न] दूसरा अलङ्कार प्रतीयमान होता है वह
ध्वनि [काव्य] का दूसरा [अलङ्कारसे अलङ्कारव्यङ्ग्य] सलक्ष्यक्रम-व्यङ्ग्य [नामक]
भेद है ॥२५॥

जहाँ वाच्य अलङ्कारसे भिन्न दूसरा अलङ्कार अर्थसामर्थ्यसे व्यङ्ग्यरूपसे प्रतीत
होता है वह सलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यरूप अर्थशक्त्युद्भव ध्वनि [का अलङ्कारसे अलङ्कार
व्यङ्ग्यरूप दूसरा भेद] अन्य है ॥२५॥

अलङ्कारध्वनिका विषय बहुत है

उस [अर्थशक्तिमूल अलङ्कारसे अलङ्कारव्यङ्ग्यध्वनि]का विषय बहुत ही कम
होगा ऐसी आशङ्कासे [ही आगे] यह कहते हैं कि—

[साधारणत] वाच्यरूपसे प्रतीत होनेवाला जो रूपक आदि अलङ्कारसमूह है
वह [दूसरे स्थलापर, दूसरे उदाहरणमें] सत्र गम्यमानरूपमें [भट्टोद्गटादिने] प्रचुर
मात्रामें दिखलाया है ॥२६॥

अन्य उदाहरणोंमें वाच्यरूपसे प्रसिद्ध जो रूपकादि अलङ्कारसमूह है वह अन्य
स्थलोंपर प्रतीयमानरूपसे भट्टोद्गटादिने बहुत [विस्तारसे] दिखलाया है । इसीसे
सन्देहादि [अलङ्कारों]में रूपक, उपमा, अतिशयोक्ति आदि [अलङ्कारान्तरों]का प्रतीय
मानत्व [व्यङ्ग्यत्व] दिखलाया है । इसलिए अलङ्कारका अलङ्कारान्तरमें व्यङ्ग्यत्व
[अलङ्कारसे अलङ्कारव्यङ्ग्य] हो सकता है इसका प्रतिपादन प्रयत्नसाध्य [कठिन]
नहीं है ॥२६॥

अलङ्कारध्वनिमें अलङ्कारकी प्रधानता

[फिर भी वेंधल] इतनी गत [विशेष रूपसे] कहते ही हैं कि—

अलङ्कारान्तरस्यापि प्रतीतौ यत्र भासते ।

तत्परत्व न वाच्यस्य नासौ मार्गो ध्वनेर्मत ॥२७॥

अलङ्कारान्तरेषु त्वुरणनरूपालङ्कारप्रतीतौ सत्यामपि यत्र वाच्यस्य व्यङ्ग्य-
प्रतिपादनोन्मुख्येन चारुत्व न प्रकाशते नासौ ध्वनेर्मार्ग । तथा च दीपकालङ्कारे^१
उपमाया गभ्यमानत्वेऽपि तत्परत्वेन चारुत्वस्याव्यवस्थानान्न ध्वनिव्यपदेश । यथा^२—

चन्द्रमरुणहिं गिषा णलिनी कमलेहिं कुसुमगुच्छेहिं लता ।

ह्रसेहिं सरअसोहा कव्वफहा सज्जनेहिं परइ गरइ ॥

[चन्द्रमरुणैर्निशा नलिनी कमले कुसुमगुच्छैर्लता ।

ह्रसैश्शारदशोभा काव्यकथा सज्जने कियते गुर्वी ॥ इति च्छाया]

इत्यादिपूपमागर्भत्वेऽपि सति वाच्यालङ्कारमुख्येनैव चारुत्व व्यवतिष्ठते न व्यङ्ग्या-
लङ्कारतात्पर्येण । तस्मात्तत्र वाच्यालङ्कारमुख्येनैव काव्यव्यपदेशो न्याय्य ।

यत्र तु व्यङ्ग्यपरत्वेनैव वाच्यस्य व्यवस्थानं तत्र व्यङ्ग्यमुख्येनैव व्यपदेशो युक्त ।

यथा—

[एक वाच्य अलङ्कारमे दूसरे] अलङ्कारान्तरकी प्रतीति होनेपर भी जहाँ वाच्य
[अलङ्कार] तत्पर नहीं [प्रतीयमान अलङ्कारको प्रधानतया बोधित नहीं करता] है [हमारे
मतमें] वह ध्वनिका विषय नहीं माना जा सकता है ॥२७॥

[दीपक आदि] दूसरे अलङ्कारमें सलक्ष्यप्रमथङ्ग्य [उपमादि] दूसरे अलङ्कारकी
प्रतीति हानपर भी जहाँ वाच्य [दीपक आदि अलङ्कार]की व्यङ्ग्य [उपमादि] प्रतिपादन
प्रवणताम ही चारुत्वका प्रतीति नही हाती है वह ध्यानका मार्ग नहीं है । इसीसे दीप
कादि अलङ्कारमें उपमाका गभ्यमान हानपर भी उस उपमा]के प्राधान्यसे चारुत्वकी
व्यवस्था न होनेसे [वहाँ उपमालङ्कारमें] ध्वनि-व्यवहार नही होता है । जैसे—

चन्द्रमाकी किरणोंसे रात्रि, कमलपुष्पासे नलिनी, पुष्पस्तवकोंसे लता, ह्रसोंसे
शरदूके सौन्दर्य, आर सज्जनासे काव्यकथाकी गारववृद्धि हाती है ।

इत्यादि [दीपक अलङ्कारके उदाहरण]में [गुह्यकरणरूप एकधर्माभिसम्बन्ध
साहचर्यके कारण] उपमाका मध्यपतित हानपर भी वाच्य [दीपक] अलङ्कारके कारण ही
चारुत्व स्थित हाता है, व्यङ्ग्य [उपमा] अलङ्कारके तात्पर्य [प्राधान्य]न नहीं । इसलिए
यहाँ वाच्य [दीपक] अलङ्कारके द्वारा ही काव्यव्यवहार करना उचित है ।

और जहाँ वाच्य [अलङ्कार] की स्थिति व्यङ्ग्य [अलङ्कार] परतया [व्यङ्ग्यकी
प्रधानतापरक] ही हा वहाँ व्यङ्ग्य [अलङ्कार]के अनुसार ही व्यवहार [नामकरण]
करना उचित है । जैसे—

१ अलङ्कारान्तरस्य रूपकादेरलङ्कारप्रतीतौ नि०, २० ।

२ दीपकादावलङ्कार' नि०, २० ।

३ 'तथा' दी० ।

प्राप्तश्रीरेष कस्मात् पुनरपि मयि त मन्थ्य द विदध्या-
 मिद्रामप्यस्य पूर्वामनलसमनसो नैव सम्भावयामि ।
 सेतु बध्नाति भूय किमिति च सकलद्वीपनाथानुयात-
 स्त्वग्यायाते वितर्कानिति दधत इवाभाति कम्प पयोधे ॥

यथा वा ममैव—

यहाँसे आगे व्यङ्ग्य अलङ्कारके अनुसार नामकरण जथात् व्यवहार हाना चाह्ये इसना स्पष्ट करनेके लिए अलङ्कारध्वनिक ११ उदाहरणाना दत्त वस्तुपर्यन्त इस विषयकी चिन्तना का है । ऐसे अलङ्कारध्वनि प्रसङ्गम जहाँ वाच्य अलङ्कार यद्ग्य अलङ्कारको यत् करता है वहा अलङ्कारसे अलङ्कारव्यङ्ग्य हाता है । कहा रहा वाच्य अलङ्कार रहता ता है परन्तु वह व्यङ्ग्य नहा हाता और कहा वाच्यालङ्कार हाता ही नहा । इन दाना स्थितयाम अलङ्कारस मि न, वस्तुमान अभि यत्न ह ता है । अतएव उन उदाहरणम वस्तुम अलङ्कार यद्ग्य माना जाता है । जाग दिय गये अलङ्कारध्वनिक ग्यारह उदाहरणाम दाना प्रत्येक उदाहरण है । फिर उस यत्न सामग्राम स्वत मग्गम, कवि प्रौढात्तिसिद्ध और कविनिपुणत्वकृतप्रौढात्तिसिद्धता भा भेद हाता है । आलोककारन उदाहरणाना सम वय करत समय इन भेदाका सम वय नहा गिया है । पर तु फिर भी समान करते समय उनना ध्यान रखना अच्छा ही हागा । इसी आधारपर नीचे आचार्यान अभशक्तुद्भवक १२ भेद किये ह ।

१ इसका [ता पहल ही] लक्ष्मी प्राप्त ह फिर यह मुझे बह पूजानुभूत मन्थन [जन्म] दु ग कयों दगा । [इस समय] आलस्यरहित मनक कारण इसका पहिल जैसे [दीर्घकालीन] निद्राकी भी कोई सम्भावना नहीं जान पहती । सार हीपात्र राजा [ता] इसके अनुचर हा रह ह फिर यह दुजारा सतुत्र प्रत क्या करेगा । हे राजन्, तुम्हार [समुद्रतटपर] जानेसे मानो इस प्रकारके सद्दहान धारण करनेस ही समुद्र काँप रहा ह ।

यहाँ समुद्रके स्वाभाविक वा चन्द्रान्यादनिमित्तक जलचाञ्चल्यरूप कम्पम, गिगाल सेना समेत समुद्रतटपर आय हुण राजाका देखकर मथन वा सतुत्र धादि स दहननिमित्तक भयाद्भूत वेपथुरूप कम्पतया उन्मेषा की गरा है । इसलिए रहा स दह जार उपेक्षाका अङ्गाङ्गिभावसङ्करालङ्कार [कविप्रौढात्तिसिद्ध] वाच्यालङ्कार है, उसस राजाकी वासुत्ररूपता जवात् राजाम वासुदेवका आराप मूलक रूपक अलङ्कार व्यङ्ग्य है । इस प्रकार यह कविप्रौढात्तिसिद्ध अलङ्कारसे अलङ्कारव्यङ्ग्य रूपक ध्वनिका उदाहरण है ।

यहाँ यह शङ्का हो सकती है कि वासुदेवकी अपे वा राजाम प्राप्तश्रीकत्व, अनलसमनस्त्वत्व, और द्वीपनाथानुगत व आदि धर्मोका आधिक्य प्रतीत हानम वासुदेवाभेदरूप रूपकालङ्कार नहा अपितु व्यतिरेकालङ्कार व्यङ्ग्य हो सकता है । पर तु यह व्यतिरेक वाच्य नहा है । वासुदेवका जो स्वरूप वतमानमें प्रसिद्ध है उसम उनके साथ भी प्राप्तश्री आदि यह सब धम विद्यमान ही हैं, अत व्यतिरेकके अवास्तव होनेसे और अभेदारोपम काइ बाधक न होनस यहा रूपकध्वनि ही है । व्यतिरेकालङ्कार व्यङ्ग्य नहीं है ।

अथवा जैसे मेरा ही—

लावण्यकान्तिपरिपूरितत्विहमुनेऽस्मिन्
स्मेरेऽधुना तव मुग्ध तरलायताक्षि ।
श्लोभ यदेति न मनागपि तेन मन्य
सुव्यक्तमेव जलराशिरय पयोधि ॥

इत्येवप्रिये प्रियेऽनुरणनरूपरूपकाश्रयेण' काव्यचारत्रव्यवस्थानाद् रूपकध्वनि
रिति व्यपदेशा न्याय्य ।

उपमाध्वनिर्यथा—

वीरगण रमइ घुसिणरणमिमि ण तहा पिआथणुच्छङ्गे ।
दिट्ठी रिउगअनुभत्यलम्मि जह वहलसिन्दूरे ॥
[वीरगणा रमने घुसुणारण न तथा प्रियास्तनोत्तङ्गे ।
ट्ठी रिपुगज्जुम्भस्थले यथा वहलसिन्दूरे ॥ इति च्छाया]

- [प्रसन्नता कारण चञ्चलता आशयकासम युक्त अतएव] हे चञ्चल और
नीचनम्रभ्रारिणी [प्रिय], अत्र [कोपकाश्रयत्राद प्रमादो-मुग्ध मुखक] लावण्य [सस्थान
साष्टत्र] आर कान्तिम् दिट्ठिगन्तवका [पूर्णमात्र चन्द्रक समान] परिपूर्ण कर देनेवाले
तुम्हार मुखक मद्दमुम्भकानयुक्त होन [स्मर] पर भी इस [समुद्र] में तनिक भी चञ्चलता
निय्यायी नहीं पडती है, इसस यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि यह पयावि [निरा] जलराशि
[जाडपुत्र त आ जलममूढमात्र] है ।

यदि यह उद्ग नम, सत्तर न ता तो एणच उगट्टण तुम्हारे मुखको देपरर उसमें मदनविकार
रूप लाभ आर समुद्रम याद च द्रम आर तुम्हार मयन ग दयगत तारतम्यका समझनेकी बुद्धि होती
तो उमम च द्रम भी जाधर मु दन तुम्हार मुखका दपरर जलचाञ्चल्यरूप लाभ अब य होता ।

यह कविनिबद्ध नायकता उक्ति है । जगत्सिंहापालद्वारा वाच्य है, उमम नायिकाय मुत्तपर
गुणमाच द्रम आशयरूप रूपरालङ्कार उद्गय है । इसलिए यह कविनिबद्धवक्त्रप्रीडोक्तिसिद्ध
अलङ्कारमे अलङ्कार यद्ग रका उदाहरण है ।

रूपकध्वनि

इस प्रकारके उदाहरण [प्रिय], में सत्प्रियमम-यद्गय रूपकके आश्रयमे ही
काव्यका चारत्र व्ययस्थित होता है, इसलिए [यहा] रूपकध्वनि व्यवहार [नामकरण]
ही उचित है ।

उपमाध्वनि [त्रे उदाहरण] जैसे—

३ वीरोंकी दृष्टि प्रियतमात्रे तुङ्कुमरजित उगेजामें उतनी नहीं रमती जितनी
सिन्दूरसे पुते हुए शत्रु हावियाके तुम्भस्थलामें [रमती है] ।

यहापर उदाहरण प्रियाय स्तनात्सङ्गम रमगती अपे त रिपुगजाके कुम्भस्थलरमण करनेमें
अतिशय प्रतिप्रादनस रसत सम्भवी उदिकालङ्कारसे गजकुम्भस्थलम [गजकुम्भस्थलानुयागिक] प्रियाके

यथा वा ममैव विषमप्राणलीलायामसुरपराक्रमणे' कामदेवस्य—

त ताण सिरिसहोअररअणाहरणम्मि दिअअमेक्करसम् ।

विम्बाहरे पिआण णिवेसिअ कुसुमवाणेन ॥

[तत्तपा श्रीसहोदररत्नाहरणे हृदयमेकरसम् ।

विम्बाधरे प्रियाणा निवेशित कुसुमप्राणेन ॥ इति च्छाया]

तुच्छान् [प्रियाकुचकुण्डमलप्रतियागिन्] साहचर्यरूप उपमा यद्गत है। उसके कारण उन कुम्भस्थलाके मदनम धात्रिणा अरिण आन द जाता है। इस प्रकार व्यङ्ग्य उगमामूलक वीस्तातिशयके चमत्कारजन्य हान्य यह स्वतः सम्भवी अलङ्कारस अलङ्कारव्यङ्ग्य उपमाध्वनिका उदाहरण है।

अथवा जन्म 'विषमप्राणलीला [नामक स्वर्चित्त काव्य] में [त्रैलोक्यविजयी] कामदेव [असुरविषयक पराक्रम] पणन [प्रसङ्ग]में मेरा ही [पनाया निम्नलिखित श्लोक उपमा प्रनिका दूसरा उदाहरण] है।

४ लक्ष्मीक सहोदर [अत्यन्त उत्कृष्ट] रत्नके आहरणमें तत्पर उन [असुरों]के उन्म [सदृश युद्धोद्यत] हृदयका कामदेव प्रियाआर अधरविम्ब [के रसास्वाद] में तत्पर कर दिया।

यहा अतिशयान्ति अलङ्कार वाच्य है और उससे प्रियाका अधरविम्ब सफलरत्नसाररूप कौस्तुभ मणिज समान है यह उपमालङ्कार यद्गत है। अतः कविनाटकसिद्ध अलङ्कारस अलङ्कारसम्बन्ध उपमाध्वनिका उदाहरण है।

का यप्रना नान पयाय अलङ्कारके उदाहरणरूपम इस श्लोकको उद्धृत किया है और उसके टाकाकारान् इसका जथ भी अन्य प्रकारस किया है। 'श्रीसहोदररत्नाहरणे क स्थानपर उद्दाने 'श्रासहोदररत्नाभरणे' यह उपायानुवाद किया है, पर तु मूल प्रावृत्त श्लोकम 'रअणाहरणम्मि' यही पाठ रपा है। इस प्रावृत्त पाठका उपायानुवाद ता रत्नाहरण हा हा सकता है, 'रत्नाभरणे' नहीं। इसलिए 'ना यप्रनाश के टीकाकारोंका उपायानुवाद ठाक नहा है। इसालए उसक आधारपर जा याख्या उद्दाने की है वह भी टीका प्रतात नहीं हाती। उद्दाने श्लोकका अर्थ इस प्रकार लगाया है कि 'श्रीसहोदररत्न अथात् कौस्तुभमणि जिनका आभरण है ऐस विष्णुम एकरस एकाग्र दैत्योंका मन, मोहिनीरूप [अरणी प्रियाय अधरविम्बके पानम कामदेवन प्रवृत्त कर दिया]। यह अर्थ भी ठीक नहीं है। मूलम 'प्रियाणाम् यह रूप ही उद्भवचन है, उससे एक मोहिनीक साथ उसकी सङ्गति नहीं हो सकती है। वह रूप ही उननी अपना प्रियाओका वाचक है, मोहिनीका नहा। फिर विष्णुमें असुराक हृदयकी एकाग्रता एकरसता भी असङ्गत है। टीकाकाराने यह सब अनथ पयायात्तका लक्षण समन्वित करनेके लिए किया है। असुरोंका हृदय पहिले विष्णुम एकरस था, कामदेवने उसका प्रियाओक अधरविम्बम लगा दिया। इस प्रकार 'एक क्रमेण अनकग क्रियत' इस पयाय अलङ्कारक लक्षणका समन्वय करनेका प्रयत्न उद्दान किया है। पर तु उनका और स्वयं क यप्रनाशकार मम्मटाचायकका यह प्रयत्न लाचन कार और इस पद्य निमाता स्वयं ध्वन्यालोककार—जि हान् इसे उपमाध्वनिका उदाहरण माना है—क अभिप्राय विरुद्ध है। लाचनकारकी प्रामाणिक ध्यारया सामन रहते हुए भी इन लोगोंने अपने दृष्टिकोणस इस प्रकारका भिन्न अर्थ किया है।

आश्लेषध्वनिर्यथा—

स वस्तुमखिलान् शक्तो ह्यप्रतीवाश्रितान् गुणान् ।

योऽम्बुकुम्भं परिच्छिद्य ज्ञातुं शक्नोति महोदधे ॥

अत्रातिशयोक्त्या ह्यप्रतीवगुणानामवर्णनीयताप्रतिपादनरूपस्यासाधारणतद्विशेष प्रकाशनपरस्य आश्लेषस्य प्रकाशनम् ।

अथान्तरन्यासध्वनि शब्दशक्तिमूल्यानुरणनरूपव्यङ्ग्योऽर्थशक्तिमूल्यानुरणनरूपव्यङ्ग्यश्च सम्भवति । तत्राश्लेषोदाहरणम्—

द्वै पाण्त्तम्मि फल कि कीरइ ण्तिअ पुणा भणिमो ।

कक्किण्णपट्टया पट्टवाण अण्णाण ण मरिण्ण्डा ॥

[द्वयायत्त फ कि क्रियतामेतावत् पुत्रभगाम ।

रक्ताशोरपरत्तया पट्टवानामन्धपा न मत्त्या ॥ इति 'त्राया']

पदप्रकाशध्वन्यध्वनिरिति वाच्यस्याथा तत्रतात्पर्यस्य सति च विराध ।

आश्लेष ध्वनि [उदाहरण] त्रस—

५ जा पानीय प्रथम [नायक] समुद्र परमाणुना जान सक्ता ह वनी ह्यप्रतीव समस्त गुणानां गुणन करनेम स ॥ १ ॥ सक्ता ॥

यथा अतिशयोक्त [उदाहरण] स ह्यप्रतीव समस्त गुणानां अवर्णनीयता प्रतिपादनरूप [गुणानां] साधारण आशयताप्रकाशनपरस्य आश्लेष अलङ्कार-व्यङ्ग्य ह [अन यत् प्रतिपादात्कि- अलङ्कारम अलङ्कारव्यङ्ग्य आश्लेष ध्वनिका उदाहरण ह] ।

अथान्तरन्यास ध्वनि शब्दशक्तिमूल्यानुरणनरूपव्यङ्ग्योऽर्थशक्तिमूल्यानुरणनरूपव्यङ्ग्यश्च सम्भवति । तत्राश्लेषोदाहरणम्—

६ फल भाग्यं जरीन ह [इसमें हम] क्या कर [कुछ भी नहीं कर सकते ह] । फिर भी इतना [ता] कहत है कि रक्ताशास्त्र [वृष]के पहलुय अन्य पहलुयके समान नहीं हाते ।

यह ध्वनि पदप्रकाशध्वन्यध्वनिरिति वाच्यस्याथा तत्रतात्पर्यस्य सति च विराध ।

यथा अथांतरयास आश्लेष ध्वनिरुदाहरणम्—

“सामा य वा विशेषण विनापस्तौ वा यदि ।

समर्थस्त सामान्तरयास ॥”

“अन्वय विशेष सामा यात् सामा य वा विशेषत ।

द्वितीयस्योदाहरण यथा—

हिअअट्टाविअमण्णु अवरुण्णमुह् हि म पसाअन्त ।

अवरद्धस्स वि ण ह्नु दे पट्टजाणअ रोसिउ सक्कम् ॥

[हृदयस्थापितमन्युमपरोपमुखीमपि मा प्रसादयन् ।

अपराद्धस्यापि न खलु ते बहुज्ञ रोपितु शक्यम् ॥ इति च्छाया]

अत्र हि वान्यविशेषेण सापराधस्यापि बहुज्ञस्य कोप कर्तुमशक्य इति समर्थक
'सामान्यमन्यितमन्यत्तात्पर्येण प्रकाशते ।

व्यतिरेकध्वनिरप्युभयरूप सम्भवति । तत्राद्यस्योदाहरण प्राक् प्रदर्शितमेव ।

द्वितीयस्योदाहरण यथा—

जाएज्ज वणुहेसे खुज्ज विअ पाअओ' गडिअवत्तो ।

मा माणुसग्गि लोण ताण्णरसो दरिदो अ ॥

अप्रस्तुतात् प्रस्तुत चेद् गम्यते पञ्चधा तत ।

अप्रस्तुतप्रसासा स्यात्^१

यह अथा तरयास तथा अप्रस्तुतप्रसासाके लक्षण है ।

अप्रस्तुत रक्ताशोऽन वृध्ने वृत्तात्से लाकात्तर प्रयत्न करनेपर भी विफल होनेवाले किसी व्यक्तिकी प्रशंसारूप प्रस्तुतकी प्रतीति हानसे अप्रस्तुतप्रसासा अलङ्कार होता है । परन्तु फल शब्दसे भाग्यरत्न होनेवाली विफलताका समर्थक पहिने ही प्राप्त हो जाता है । इसलिए यहाँ फलरूप शब्दकी शक्तिसे सामा यसे विनाप ममधनरूप अथान्तर यास अलङ्कार यद्गय होता है और उसकी पत्से प्रथम प्रतीति हो जानेसे यह अथान्तरन्यासध्वनिका ही उदाहरण^२, वाक्यगम्य अप्रस्तुतप्रशंसाध्वनिका नहीं । ध्वनिक जितन भेद त्रिये गये हैं वे पदप्रकाश्य और वाक्यप्रकाश्य हात हैं यह आगे कहेंगे—यहाँ अथान्तर यासध्वनि पदप्रकाश्य आर अप्रस्तुतप्रसासा वाक्यप्रकाश्य है, इसलिए विरोध नष्ट है ।

दूसरे [अवशक्तिमूल सलक्ष्यक्रम यद्गय]का उदाहरण—

७ हृदयमें क्रोध भरा हानपर भी मुख्यपर उसका [क्रोधका] भाग प्रकट न करनेवाली मुझसे भी तुम मना रहे हो इसलिए [प्रकट भागमें अधिक हृदयस्थित भावको भी जाननेवाले] हं बहुज्ञ, तुम्हारे अपराधी होनेपर भी तुमसे रूठा नहीं जा सकता ।

यहाँ वान्या [विशेषसे, बहुज्ञके सापराध होनेपर भी [उसपर] क्रोध करना सम्भव नहीं है यह समर्थक अर्थ सामान्य तात्पर्यसे सम्बद्ध अर्थ विशेषको अभिनयक करता है [अन अर्थान्तर-यासध्वनि है] ।

व्यतिरेकध्वनि भी [शब्दशक्त्युत्थ और अर्थशक्त्युत्थ] दोनों प्रकारका हो सकता है । उनमेंसे प्रथम [शब्दशक्त्युत्थ]का उदाहरण [य येऽस्त्युज्ज्वल्यति० इत्यादि पृष्ठ १३० पर] पहिले दिया ही चुके हैं । दूसरे [अवशक्त्युत्थ]का उदाहरण जैसे—

८ [एकान्त निर्जन] घनमें पत्ररहित कुण्डा वृक्ष वनकर भले ही पैदा हो जाऊँ परन्तु दानकी रचियुक्त और दरिद्र होकर मनुष्यलोकमें पैदा न होऊँ ।

१ 'अथयामाय' नि०, दी० ।

२ 'वटिअवत्तो' = 'वटितपत्र' नि०, दी० ।

[जायेय वनोदेशे कुञ्ज एव पादपो गलितपत्र ।

मा मानुषे लोके त्यागैकरसो दरिद्रश्च ॥ इति च्छाया]

अत्र हि त्यागैकरसस्य दरिद्रस्य जन्मानभिनन्दनं पुटितपत्रकुञ्जपादपजन्मानभिनन्दनं च साक्षाच्छब्दवाच्यम् । तथाविधादपि पादपात् तादृशस्य पुंस उपमानोपमेयत्वप्रतीतिपूर्वकं शान्ततायामाधिक्यं तात्पर्यं प्रकाशयति ।

उत्प्रेक्षाध्वनिर्यथा—

चन्दनासक्तभुजगनि श्वासानिलमूर्च्छित ।

मूर्च्छयत्येष पथिकान् मर्धा मलयमारुत ॥

अत्र हि मर्धा मलयमारुतस्य पथिकमूर्च्छाकारित्वं मनमथोन्माथदायित्वेनैव । तच्च चन्दनासक्तभुजगनि श्वासानिलमूर्च्छितत्वेनोपेक्षितमित्युत्प्रेक्षा साक्षादनुत्तापि वाक्यार्थसामर्थ्यादनुरणनरूपा लभ्यते । न चैत्रविधे विषये इत्यादिशब्दप्रयोगमन्तरेणासम्बद्धनैवेति शक्यते वक्तुम् । गमकत्वादप्यत्रापि तदप्रयोगे तदर्थानुगतिदर्शनान् । यथा—

यहाँ दानकी रचिगले दरिद्र [पुरुष] के जन्मकी निदा आर पत्रविहान कुञ्ज वृक्षके जन्मका अभिनन्दन शब्दोंसे साक्षात् वाच्य है । और वह [वाच्य] उस प्रकारके वृक्षसे भी उस प्रकारके पुरुषकी शोचनीयताके आधिक्यको वाच्यसे उपमानोपमेयभाव [सादृश्य] प्रतीतिपूर्वकं तात्पर्यरूपसे व्यञ्जना द्वारा प्रकाशित करता है [अतएव यहाँ अर्थशक्तिमूल व्यतिरेकध्वनि है । यहाँ वाच्य कोई अलङ्कार नहीं है अतएव स्वतः सम्भवी वस्तुसे व्यतिरेकालङ्कारध्वनि व्यङ्ग्य है] ।

उत्प्रेक्षाध्वनि [का उदाहरण] जैसे—

१ चन्दन [वृक्ष]में लिपटे हुए साँपोंके निश्वासवायुसे [मूर्च्छित] वृद्धिहृत यह मलयानिल वसन्त ऋतुमें पथिकोंको मूर्च्छित करता है ।

यहाँ, वसन्त ऋतुमें कामोद्दीपन द्वारा पीडाकारी होनेसे ही मलयानिल पथिकोंको मूर्च्छाकारी होता है । परन्तु यह वह [मूर्च्छाकारित्वं] चन्दनमें लिपटे हुए साँपोंके निश्वासवायुसे मूर्च्छित—वृद्धिहृत—हानेक कारण उत्प्रेक्षित किया गया है । [पिपाक वायुके मिल जानेसे मलयानिल मूर्च्छाकारी हाता है । अथवा पथिकोंसे एककी मूर्च्छा अर्थोंकी भी धैर्यच्युति द्वारा उनके मूर्च्छाका कारण बन सकती है] इस प्रकार उत्प्रेक्षा साक्षात् [उत्प्रेक्षावाचक इवादि शब्दोंसे] कथित न हानपर भी वाच्यार्थ सामर्थ्यसे सलक्ष्यरूपमङ्ग्यरूप प्रतीत होती है । [इसलिये यहाँ कविप्रोढान्तिसिद्ध वस्तुसे उत्प्रेक्षालङ्कारध्वनि व्यङ्ग्य है ।] इस प्रकारके उदाहरणों [विषयों]म [उत्प्रेक्षा वाचक] 'इव' आदि शब्दोंके प्रयोगक बिना [उत्प्रेक्षा] आदिवा सम्बन्ध नहीं हो सकता यह नहीं कहा जा सकता है । [गोष्ठाकी प्रतिभाक सहयोगसे चन्दनासक्त इत्यादि विशेषणके उत्प्रेक्षा] बोधक हानेस अथवा उदाहरणोंमें भी उन [इवादि]के प्रयोगके बिना भी उस [उत्प्रेक्षा]की प्रतीति देगी है । जैसे—

१ 'असम्बद्धेव नि०, दी० ।

२ 'शक्यम् नि०, दी० ।

ईसा कलुसस्स वि तुह मुहस्स ण एस पुण्णिमाचन्दो ।

अज्ज सरिसत्तण पाविउण अह्म रिअ ण माइ ॥

[ईर्ष्याकलुपस्यापि तव मुम्बस्य नन्वेप पूर्णिमाचद्र ।

अद्य सदृशत्व प्राप्य अह्ग एव न माति ॥ इति च्छाया]

यथा वा—

त्रासाकुल परिपतन परितो निकेतान्

पुम्भिर्न कैश्चिदपि धन्विभिरन्वयन्धि ।

तस्थौ तथापि न मृग क्वचिदङ्गनाभि-

राकर्णपूर्णनयनेपुहृतेक्षणध्री ॥

शब्दार्थव्यवहारे च प्रसिद्धिरेव प्रमाणम् ।

आज यह पूर्णिमाचद्र तुम्हारे ईर्ष्यासे मलिन मुखकी भी समानता पाकर मानों अपने शरीरमें समाता ही नहीं है ।

यहा पूर्णिमाचद्रका सब दिशाओंका प्रकाश भर देना जो एक स्वाभाविक काय है वह सुखसादृश्यप्राप्तिहेतुकत्वन उत्प्रेक्षित है । यहाँ प्राकृत श्लोकमें 'विअ' पाठ है । उसका छायातुवाद एव किया गया है । वैसे उसका इव अनुवाद भी हो सकता है पर तु यहा इस श्लोकका इमी बातक सिद्ध करनेके लिए तो उदाहरणरूपम प्रस्तुत किया गया है कि यहाँ 'इअ' शब्दका प्रयोग न हानर भी उपेक्षा है । 'विअ' व 'एव' अनुवाद करनेसे अथवा सद्गति अधिन बलवती हो जाती है । फिर भी यदि काइ आपत्ति करे ता उसन स तापक लिए प्रथकार इसी प्रकारका ठसरा उदाहरण भी देते हैं—

अथवा [वाचकके अभावमें भी उपेक्षाका दूसरा उदाहरण] जैसे—

भयसे याकुल, घरोंके चारों ओर घूमते हुए इस हरिणका किन्हीं धनुर्धारी पुरुषोंने पीछा नहीं किया, फिर भी छियाँक कानोंतक फैले हुए नयनोंके राणोंसे [अपनी सबस्वभूत] नयनश्रीके नष्ट कर दिये जानेके कारण ही मानों वहाँ ठहर नहीं सका ।

शब्द और अर्थके व्यवहारमें [सहृदयानुभवरूप] प्रसिद्धि ही [अर्थप्रतीतिमें] प्रमाण है ।

यहाँ भी 'इव' शब्दके अभावमें हेतुप्रेक्षा प्रतीत होती है । इसलिए इत्यादि शब्दके अभावम असम्बद्धाधिकता नहीं कही जा सकती । यहाँ फिर यह शङ्का की जा सकती है कि 'च'दनासत्' इत्यादि श्लोकमें इव शब्दक अभावम उपेक्षाकी असम्बद्धाधिकताकी जो शङ्का हमने की थी उसका खण्डन करनेके लिए आपने यह उदाहरण दिया है, परतु यह उदाहरण भी तो उर्सा प्रकारका है । इसलिए यहाँ असम्बद्धाधिकता नहीं है इसम ही क्या विनिगमक होगा । इस शङ्काक समाधानके लिए प्रथकारने 'शब्दाथ यवहारे च प्रसिद्धिरेव प्रमाणम्' यह पत्ति लिपी है । इसका अभिप्राय यह है यहाँ इवादिके अभावम भी सहृदय लोग उपेक्षाका अनुभव करते हैं । अतएव शब्दाथयवहारम प्रसिद्धि अथात् सहृदयोंका अनुभव ही प्रमाण है । उस अनुभवसे वहाँ इत्यादिने अभावम भी प्रतीति होनेसे असम्बद्धाधिकता नहीं हो सकती ।

श्लेषध्वनिर्यथा—

रम्या इति प्राप्तवती पताका राग^१ विविक्ता इति वर्धयन्ती ।

यस्यामसेवन्त नमद्वलीका सम वधुभिर्वलभीर्युवान ॥

अत्र वधुभि सह बलभीरसेयन्तति वाक्या प्रतीतेरनन्तर वध्व इव बलभ्य इति श्लेषप्रतीतिरशाब्दाप्यर्थसामर्थ्यान्मुरयत्वेन वर्तते^१ ।

यथासख्यध्वनिर्यथा—

अङ्कुरित पल्लवित कोरकित पुष्पितश्च सहकार ।

अङ्कुरित पल्लवित कोरकित पुष्पितश्च हृदि मदन ॥

अत्र हि यथादेशमनूद्देशे यथास्त्वमनुरणनरूप मदनविशेषणभूताङ्कुरितादिशब्दगत तन्मदनसहकारयोस्तुल्ययोगितासमुच्चयलक्षणाद् वाक्यादतिरिच्यमानमालक्ष्यते ।

एवमन्येऽप्यलङ्कारा यथायोग याजनीया ॥२७॥

श्लेषध्वनि [का उदाहरण] जैसे—

१० जिस [नगरी]में नगयुधमगण, अपनी सुन्दरताके लिए प्रसिद्ध [अमुक सुन्दर है इस प्रकारकी प्रसिद्धिके प्राप्त] एकांत अथवा शुद्ध उज्ज्वल [विषभूयादि] होनेसे अनुरागमें बढ़ानेवाली, त्रिघलीयुक्त [अपनी] वधुओंके साथ, रमणीयताके कारण पताकाओंसे अलङ्कृत, पत्रान्त होनेसे कामोद्दीपक और हुके हुए छज्जोंसे युक्त, अपने फूटागारों [गुप्त निजी कमरों]का सेवन करते थे ।

यहाँ वधुओंके साथ [वलभियों] फूटागारोंका सेवन करते थे इस वाक्यार्थ प्रतीतिके गान वधुओंके समान फूटागार इस श्लेषकी प्रतीति भी अर्थसामर्थ्यसे मुख्य रूपमें होती है [अत यहाँ स्वत सम्भवी वस्तुमें अलङ्कारव्यङ्ग्यरूप श्लेषध्वनि है] ।

यथासख्य [अलङ्कार] ध्वनि [का उदाहरण] जैसे—

११ आमके धूममें जैसे पत्रिले [पत्तोंके] अङ्कुर निम्ले, फिर वह पहलु बन गये, फिर थोरकी कली जायी और वह पिल गयी, इसी क्रमसे [उसीके साथ-साथ] हृदयमें कामदेव अङ्कुरित, पहलित मुकुलित और विकसित हुआ ।

यहाँ [यथा उद्देश्य] प्रथम गान्यपठित क्रमके अनुसार अङ्कुरित आदि शब्दों को उसी क्रमसे [अनूद्देश] दुगण करनेसे मदन विशेषणरूप अङ्कुरितादि शब्दोंमें जो सङ्घट्टप्रमथङ्घट्टप्रमथप्रतीति होता है वह कामदेव और आम्नृक्षके तुल्ययोगिता या समुच्चयलक्षण वाक्यवाक्यरूपसे उत्प्रेष्ट दिपलायी देता है । [अतएव यहाँ स्वत सम्भवी अलङ्कारसे अलङ्कारव्यङ्ग्यरूप यथासख्य अलङ्कारध्वनि स्पष्ट है ।]

इस प्रकार अन्य [ध्वनिरूप] अलङ्कार भी यथोचितरूपसे [स्वय] समझ लेने चाहिये ॥२७॥

१ 'कामम् नि० ।

२ 'विवतत' नि०, दी० ।

एवमलङ्कारध्वनिमागं व्युत्पाद्य तस्य प्रयोजनरत्ना म्प्रापयितुमिच्छन्त्यन्तः

शरीरीकरण येषा वाच्यत्वे न व्यर्थम् ।

तेऽलङ्कारा परा त्रया यान्ति ध्वन्यङ्गता गता ॥२८॥

ध्वन्यङ्गता चोभाभ्या प्रकाराभ्या व्यञ्जकत्वेन व्यङ्ग्यत्वेन च । नत्र

व्यङ्ग्यत्वेनेत्यवगन्तव्यम् । व्यङ्ग्यत्वेऽलङ्काराणा प्राधान्यत्रिवन्तायामेव सत् । तत्रान
पात । इतरथा तु गुणीभूतव्यङ्ग्यत्व प्रतिपादयिष्यते ॥२८॥

अङ्गित्वेन व्यङ्ग्यत्वायामपि अलङ्काराणा द्वयी गति । क्वाचिद् वस्तुमात्रेण
व्यज्यन्ते कदाचिदलङ्कारेण । नत्र—

व्यज्यन्ते वस्तुमात्रेण यदालङ्कृतयस्तदा ।

ध्रुव ध्वन्यङ्गता तासाम्,

अत्र हेतु —

काव्यवृत्तेस्तदाश्रयात्' ॥२९॥

अलङ्कारध्वनिमा प्रयोजन

इस प्रकार अलङ्कारध्वनिसे मागंसा [विस्तारपूर्वक] प्रतिपादन करके [अत्र]
उस [व्युत्पादन]की सा प्रता निद्व करनेन लिए यह करते हैं—

[कट्टर कुण्डलस्थानीय] जिन अलङ्कारकी प्राधान्यप्राप्तिमें शरीररूपताप्राप्ति
[भी] निश्चित नहीं है, 'व्यङ्ग्यरूपताको प्राप्तकर वे अलङ्कार भी [न केवल साधारण
शरीरको अपितु] पर चाह्यको प्राप्त हो जाते हैं ॥२८॥

अथवा 'वाच्यत्वेन'को एक एक मानकर, वाच्यरूपसे अंगीकृत कट्टर कुण्डलस्थानीय जिन
अलङ्कारका शरीरतापानरूप शरीरीकरण मुकप्रियाके लिए जयन्तसम्पाद्य होनेमें] समिन्चित है वे
अलङ्कार भी 'व्यङ्ग्यरूपताको प्राप्त कर अत्र त सा व्यक्त प्राप्त हो जाते हैं । यह अर्थ भी हो सकता है ।

[अलङ्कारकी] ध्वन्यङ्गता व्यञ्जरूप और -व्यङ्ग्यरूप दोनों प्रकारसे हो
सकती है । उनमेंसे यहाँ प्रकरणपक्ष 'व्यङ्ग्यत्वया ही [ध्वन्यङ्गता] समझनी चाहिये ।
अलङ्कारोंके व्यङ्ग्य होनेपर भी [व्यङ्ग्यकी] प्राधान्य त्रिवक्षा होनेपर ही ध्वनिमें अन्त
माद्य हो सकता है, नहीं तो [अप्रधान होनेकी दशामें] गुणीभूत व्यङ्ग्यत्व ही [प्रतिपादन
क्रिया] माना जायगा ॥२८॥

अलङ्कारोंके प्रधानरूपसे व्यङ्ग्य होनेमें भी दो प्रकार हैं । कभी वस्तुमात्रसे
व्यक्त होते हैं और कभी अलङ्कारसे । उनमेंसे—

जब अलङ्कार वस्तुमात्रसे व्यङ्ग्य होते हैं तब उनकी ध्वन्यङ्गता [प्राधान्य]
निश्चित है ।

इसका कारण [यह है कि]—

[यहाँ] का 'व्यक्त व्यापार ही उस [अलङ्कार]के आश्रित है ॥२९॥

1 'काव्यवृत्तिस्तदाश्रया' बालप्रियास० ।

यस्मान् तत्र तथात्रिध्वयङ्ग्यालङ्कारपरत्वेन काव्य प्रवृत्तम् । अन्यथा तु तद्-
वाक्यमात्रमेव स्यात् ॥२९॥

तासामेवालङ्कारानाम्—

अलङ्कारान्तरव्यङ्ग्यभावे,

ध्वन —

ध्वन्यङ्गता भवेत् ।

चास्त्वोत्कर्षता यङ्ग्यप्राधान्य यदि लक्ष्यते ॥३०॥

इति तत्र चास्त्वोत्कर्षनिबन्धना वाच्यव्यङ्ग्यो प्राधान्यत्रिभवा इति ।
अनुमत्त यङ्ग्यत्र अलङ्काराणामनन्तरापत्तिभ्य एवोदाहरणेभ्यो त्रिपय उच्यते ।
तत्रम मात्रगत, १। उदाहरणवत्, अन्तरस्यालङ्कारस्य वा प्रकाशने चास्त्वोत्कर्ष-
यत्न सति प्राधान्येऽर्थशक्त्युद्भवानुरणनरूपव्यङ्ग्यो ध्वनिरगन्तव्य ।

यथाहि महा उस प्रमात्र व्यङ्ग्यालङ्कारके प्रोधनरूपेण ही काव्य प्रवृत्त हुआ
ह । यथा ना वह [वस्तुमात्रप्रतिपादक चमत्कारशून्य] कवल वाक्यमात्र रह जायगा ।
[मात्र ही नहीं रहगा ।] ॥२९॥

उत्तर अलङ्कारोंकी—

दूसरे अलङ्कारोंसे व्यङ्ग्य होनेपर

आकर—

[व्यङ्ग्य अलङ्कार] ध्वनिरूपता [ध्वन्यङ्गता] होती है ।

यदि चास्त्वके उत्कर्षसे व्यङ्ग्यका प्राधान्य प्रतीत होता है तो ॥३०॥

यह कह चुके हैं कि वाच्य और व्यङ्ग्यके प्राधान्यकी त्रिभवा [उनके] चास्त्वके
उत्कर्षके कारण ही होती है । वस्तुमात्रसे व्यङ्ग्य अलङ्कारों [उदाहरण अलग नहीं
दिखलाये हैं इसलिए उन]का त्रिपय पूर्वप्रदशित उदाहरणोंमेंसे ही सम्झ लेना चाहिये ।
[हमने 'आलोकदीपिका' व्याख्यामें यथास्थान वस्तुव्यङ्ग्य अलङ्कारोंको प्रदशित कर
दिया है ।] इस प्रकार वस्तुमात्रसे अथवा अलङ्कारविशेषरूप अत्रसे दूसरे वस्तुमात्र
अथवा अलङ्कारके प्रकाशनमें चास्त्वोत्कर्षके कारण प्राधान्य होनेपर अर्थशक्त्युद्भव
रूप मल्लयममव्यङ्ग्यध्वनि समझना चाहिये ।

यहा यह स्पष्ट कर दिया है कि वस्तु और अलङ्कार दोना व्यङ्ग्य और दोनों यङ्ग्य हो सकते
हैं । इसलिए १ वस्तुसे वस्तुव्यङ्ग्य, २ वस्तुसे अलङ्कारव्यङ्ग्य, ३ अलङ्कारसे वस्तुव्यङ्ग्य और
४ अलङ्कारसे अलङ्कारव्यङ्ग्य ये चार भेद हो जाते हैं । पहिले स्वतः सम्भवी कविप्रौढात्तिदिद आर
जायानुदप्रौढात्तिदिद ये तीन भेद अथवाक्युद्भव ध्वनिके किये थे । उन तीनोंमेंसे प्रत्येक भेदके १
प्रकार २५ २५में अलङ्कार, ३ अलङ्कार से वस्तु ४ अलङ्कारसे अलङ्कार व्यङ्ग्य ये चार भेद
मात्र [१ ४] कुल बारह भेद अथवाक्युद्भव ध्वनिके हो जाते हैं । इसके अतिरिक्त शब्द

एव च न प्रभेदान प्रतिपाद्य तदाभासत्रिवेक कर्तुमुच्यते—

यत्र प्रतीयमानोऽर्थ प्रस्मिन्पृथ्वेन भासते ।
वाच्यस्याङ्गतया वापि नास्यासौ गोचरो ध्वने ॥३१॥

द्विविधोऽपि प्रतीयमान स्फुटोऽस्फुटश्च । तत्र य एव स्फुट शब्दशक्त्या र्थ-
गत्या वा प्रभासते स एव ध्वनेमार्गा नेतर स्फुटोऽपि योऽभिधेयस्याङ्गतवन प्रतीयमानोऽ-
भासते सोऽस्यानुरणनरूपव्यङ्ग्यस्य ध्वनेरगापर । यथा—

कमलाअरा ण मलिआ हमा उड्ढायिआ ण अ पिउच्छा ।
केण नि गामतडाण अभ उत्ताणअ फलिहम् ॥

[स्मृताङ्ग न मलिना हमा उड्ढायिना न च पिताङ्गम् ।

स्नापि ग्रामतडाग, अभ्रमत्तानित धितम् ॥ इति उग्रा]

अत्र हि प्रतीयमानस्य सुव्यङ्ग्या जलधरप्रतिस्मिन्दर्शनस्य वाच्य्याङ्गत्वमेव ।

ए विधे विषयेऽन्यत्रापि यत्र व्यङ्ग्यत्वापेक्षया वाच्यस्य चारुत्वोत्कर्षप्रतीत्या प्राधान्य

गर्भ १ इत् स्फुट तथा अलङ्काररूप दा भेद उभयवर्गेषु एता एव आर अमल यत्रम यद्वा एव एव
प्रकार जल माला भेद एव प्रतीतितायपरवाच्य अभिधामूल रनित्र गार दा भेद विविधित्तया य जानक
गामतडागमितया य गार अथ ततिरश्चतवाच्य । सपना मन्वाकर रनित्र जल जगरह भेद
हुण ॥२०॥

अभिधामूल ध्वनिना गुणीभूत-व्यङ्ग्यत्व

इस प्रकार ध्वनिके प्रभेदोंका प्रतिपादन करते उस [रनि]के आभास [ध्वया
भास गुणीभूत-व्यङ्ग्य]को समझाने [प्रथम ज्ञान भेदज्ञान कराने]के लिए करते हैं—

जहां प्रतीयमान र्थ अस्फुट [प्रस्मिन्] रूपसे प्रतीत होता है अथवा वाच्यका
अङ्ग बन जाना है वह इस ध्वनिका विषय नहीं होता ॥३१॥

[अविश्लिष्टवाच्य या अक्षणामूल आर विविधितायपरवाच्य या अभिधामूल
ध्वनि] दोनों ही प्रकारका व्यङ्ग्य अर्थात् स्फुट आर अस्फुट [दो प्रकारका] होता है ।
उनमेंसे शब्दशक्ति अथवा अर्थशक्तिम जो स्फुटरूपसे प्रतीत होता है वही ध्वनिना
विषय है । दूसरा [अस्फुटरूपसे प्रतीत होना] ध्वनिना विषय नहीं [अपितु ध्वया
भास] होता है । स्फुट [व्यङ्ग्य]में भी जो वाच्यके अङ्गरूपमें प्रतीत होता है वह इस
सलक्ष्यव्यङ्ग्यव्यङ्ग्यध्वनिका विषय नहीं होता । जैसे—

अरी बुआजी [पिताङ्गम्] ! [रगो ता] न तागार ही मेला हुआ आर न हम
ही उठे । [फिर भी] इस गाएर तालागमें किसीने गदलको उठटा करर [कितनी
सफाईसे] रख दिया है ।

यहाँ भोली भागी [ग्राम]उधका मंत्रप्रतिस्मिन्दर्शनरूप व्यङ्ग्य वाच्यका अङ्ग
ही [रना हुआ गुणीभूत-व्यङ्ग्य] है ।

इस प्रकार उदाहरणमें आर जगद भा जना चारुत्वोत्कर्षके कारण व्यङ्ग्यकी
अपेक्षा वाच्यका प्राधान्य फलित होता है वही व्यङ्ग्यकी अङ्ग [अप्रधान] रूपमें प्रतीति

भवसीयते, तत्र व्यङ्ग्यस्याङ्गत्वेन प्रतीनेर्ध्वनेरविषयत्वम् । यथा—

वाणीरहुडगोटडीणसउणिकोलाहल सुणतीण ।

घरकम्मपाउडाए उहुण सीअति अगाइ ॥

[वाणीरकुञ्जोड्डीनशकुनिकुलकोलाहल शृण्व त्या ।

गृहकर्मव्यापृताया वध्या सीदत्यङ्गानि ॥ इति उट्टाया]

अप्रविधो हि विषय प्रायेण गुणीभूतव्यङ्ग्यस्योदाहरणत्वेन निर्देयते ।

यत्र तु प्रकरणादिप्रतिपत्त्या निधारितविशेषो वाच्योऽर्थं पुन प्रतीयमानाङ्गत्वेनैवा भासते सोऽस्यैवानुरणनरूपव्यङ्ग्यस्य ध्वनेर्मागं । यथा—

उच्चिणसु पडिअ कुसुम मा धुण सेहालिअ हालिअसुहे ।

अह दे विपमविराधो ससुरेण सुओ थलअसदो ॥

[उच्चिनु पतित कुसुम मा धुनीहि शेफालिका हालिकस्तुपे ।

एप ते विपमविराव श्वशुरेण श्रुतो वलयशब्द ॥ इति च्छया]

अत्र अविनयपतिना सह रममाणा सखी उहि श्रुतवलयकलकलया संग्या प्रति

होनेके कारण [यह] ध्वनिका विषय नहीं होता । [अपितु वाच्यसिद्धयङ्ग नामक गुणी भूतव्यङ्ग्यका भेद होता है ।] जैसे—

[जपने प्रणयसे मिलनेका स्थान आर समय नियत करने भी समयपर नियत स्थानपर न पहुँच सकनेवाली नायिकाके] उतसलताकुञ्जके उडते हुए पक्षियोंके कोलाहलको सुनकर घरके काममें लगी हुई यहाँ अङ्ग शिथिल हुए जाते हैं ।

इस प्रकारका विषय प्रायः गुणीभूतव्यङ्ग्यके उदाहरणमें दिखलाया जायगा ।

इसी कारण काव्यप्रकाशकार तथा साहित्यदर्पणकारने इस श्लोकको गुणीभूत व्यङ्ग्यके असुन्दर व्यङ्ग्य नामक भेदका उदाहरण दिया है । यहाँ दत्तसङ्केत पुष्पलताग्रहमें पहुँच गया यह व्यङ्ग्य अर्थ है । परन्तु उसकी अपेक्षा वध्या सीदत्यङ्गानि' यह वाच्यार्थ ही अधिक चमत्कारजनक प्रतीत होता है । अतएव यह ध्वनिका विषय नहीं, अपितु ध्वन्याभास अर्थात् असुन्दर व्यङ्ग्यरूप गुणीभूतव्यङ्ग्यका उदाहरण है ।

जहाँ प्रकरण आदिमें प्रतीतिसे विशेष अर्थका निर्धारण करके वाच्यार्थ फिर प्रतीयमान अर्थके अङ्गरूपसे भासता है वह इसी सलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यध्वनिका विषय होता है । जैसे—

हं ग्यम् [की पुत्र] वधु ! [नीचे] गिरे हुए फूलोंको ही धीन, शेफालिका [हर सिङ्गारकी डाल]को मत हिला । जोरसे बोलनेवाले तेरे बङ्गणकी आवाज इनसुरजीने सुन ली है ।

यहाँ किसी जाग [अविनयपति]के साथ सम्भोग करती हुई सखीको यादरसे उसके वलयकी आवाज सुनकर सखी सावधान करती है । यह [व्यङ्ग्यार्थ] वाच्यार्थ

प्रोध्यते । एतदपेक्षणीय वान्यार्थप्रतिपत्तये । प्रतिपन्ने च वान्येऽर्थे^१ तस्याधिनयप्रत्यादन-
तात्पर्येणाभिधीयमानत्वात् पुनर्व्यङ्ग्याङ्गत्वमेवेत्यस्मिन्नुरणरूपव्यङ्ग्यध्वनायन्तर्भाव ॥३॥

एव विप्रथितवाच्यस्य ध्वनेस्तदाभासत्रिवेके प्रस्तुते सत्यविप्रक्षितवाच्यस्यापि त
कर्तुमाह—

अव्युत्पत्तेरशक्तेर्वा निवन्धो यः स्पलद्गतौ ।

शब्दस्य स च न ज्ञेय सूरिभिर्विषयो ध्वने ॥३०॥

स्पलद्गतेरुपचरितस्य शब्दस्य अव्युत्पत्तरशक्तेर्वा निवन्धा य स च न
ध्वनेर्विषय ।

यत —

सर्वेष्वेव प्रभेदेषु स्फुटत्वेनावभासनम् ।

यद् व्यङ्ग्यस्याङ्गिभूतस्य तत् प्रण ध्वनिलक्षणम् ॥३१॥

तद्योदाहर्ताविषयमेव ।

इति श्रीराजानकानन्ददर्शनाचार्यविरचिते ध्वन्यालोके द्वितीय उद्योत ।

की प्रतीतिके लिए अपेक्षित है । [उस] वाच्य की प्रतीति हा जानकर उस [वाच्य की]
के [सखीने परपुरुषोपभोगरूप] अत्रिनयको छिपानेके अभिप्रायसे ही कथित होनेसे
फिर [अत्रिनयप्रच्छादनरूप] व्यङ्ग्यका अङ्ग ही हो जाता है अतएव यह स्पलद्गति
व्यङ्ग्यध्वनिमें ही अ तभूत हाता है ॥३१॥

लक्षणांमूल ध्वनिः गुणीभूतव्यङ्ग्यत्व

इस प्रकार विप्रथितवाच्य [अभिप्राय] ध्वनिसे ध्व यामान [गुणीभूतत्व]
त्रिवेकके प्रसङ्गमें [उसके निरूपणके बाद] अविप्रथितवाच्य [लक्षणांमूल] ध्वनिकी भी
आभासता [गुणीभूतत्व] त्रिवेचन करनेके लिए कहते हैं—

प्रतिभा या शक्तिक अभावम जा लक्षणिक या गौण [स्पलद्गति—वाचित
विषय—] शब्दा प्रयाग हा उसको भी विद्वानाको ध्वनिका विषय नहा समझना
चाहिये ॥३२॥

स्पलद्गति अर्थात् गौण शब्दका प्रतिभा या शक्तिसे अभावमें जो प्रयोग है वह
भी ध्वनिका विषय नहीं हाता ॥३२॥

धर्माणि —

[ध्वनिक] सभी भेदोंमें प्रधानभूत ध्वनिकी जो स्फुटरूपसे प्रतीति होती है वही
ध्वनिका पूर्ण लक्षण है ।

उसके विषयमें उदाहरण दे ही चुके हैं ।

इति श्रीभद्राचार्यविरचिता तत्त्वसंग्रहसिद्धा तत्त्वसंग्रहसिद्धायां 'आलोकदीपिकायां'

द्वितीय उद्योत ।

१ नि० म 'अर्थे' पाठ नहीं है ।

२ 'यतश्च नि०, दी० ।

तृतीय उद्योतः

एष व्यङ्ग्यमुपेनेनैव ध्वने प्रदर्शिते सप्रभेदे स्वरूपे पुनर्व्यञ्जकमुपेनेतत् प्रकाश्यते—

अविवक्षितवाच्यस्य पदवाक्यप्रकाशता ।

तदन्यस्यानुरणनरूपव्यङ्ग्यस्य च ध्वने ॥१॥

अथ आलोकदीपिकायां तृतीय उद्योत

इस प्रकार [गत उद्योतमें] व्यङ्ग्य द्वारा ही [-यङ्ग्यकी दृष्टिसे] भेदों सहित ध्वनिका स्वरूपनिरूपण करनेके बाद व्यञ्जक द्वारा [व्यञ्जककी दृष्टिसे यहाँ] फिर [उसके भेदोंका] निरूपण करते हैं—

ध्वनिके पदप्रकाश्य तथा वाक्यप्रकाश्य भेद

अविवक्षितवाच्य [लक्षणागमूल ध्वनि] और उससे भिन्न [विवक्षितान्यपरवाच्य का भेद] सलक्ष्यक्रम-यङ्ग्यध्वनि [अर्थात् ध्वनिके १८ भेदोंमेंसे एक असलक्ष्यक्रमको छोड़कर शेष १७ भेद] पद और वाक्यसे प्रकाश्य होता है ॥१॥

द्वितीय उद्योतम 'आलोकदीपिका' टीकाक पृष्ठ १५१ पर अविवक्षितवाच्य अथात् लक्षणागमूल ध्वनिने १ अथा तरुक्रमितवाच्य तथा २ अत्य ततिरस्कृतवाच्य ये दो भेद, और विवक्षितान्य परवाच्य अथात् अभिधामूलध्वनिका असलक्ष्यक्रम-यङ्ग्य एक + सलक्ष्यक्रम-यङ्ग्यके शब्दशक्त्युत्पत्तयो दो भेद + अधशक्त्युत्पत्तय १२ भेद + उभयशक्त्युत्पत्तयका एक भेद, इस प्रकार २ अविवक्षितवाच्य + [१ + २ + १२ + १] १६ विवक्षितवाच्य कुल मिलाकर ध्वनिक १८ भेदोंकी गणना करा चुके हैं। इस तृतीय उद्योतम उन भेदोंका आर अधिक विचार करगे। उसमें एक उभयशक्त्युत्पत्तयोको छोड़कर शेष सत्रहने पद-यङ्ग्यता आर वाक्य-यङ्ग्यताभेदसे दो प्रकारके भेद और होते हैं। अतएव ध्वनिने कुल जो १७ × २ = ३४ भेद बन जाते हैं उनमें विवक्षिता-परवाच्यके अधशक्त्युत्पत्तयोके जो बारह भेद वहे हैं वे प्रथम यङ्ग्य भी हात है। उनकी प्रथम-यङ्ग्यताके बारह भेद और मिला कर ३४ + १२ = ४६ और एक उभयशक्त्युत्पत्तयो, जो केवल वाक्यमात्र व्यङ्ग्य हो सकता है, उसको मिलाकर ४६ + १ = ४७, आर असलक्ष्यक्रम-यङ्ग्य १ पदाश, २ वर्ण, ३ रचना, और ४ प्रथमगत ४ भेद और मिलाकर ध्वनिक कुल ४७ + ४ = ५१ भेद शुद्ध होते हैं। इस प्रकार ध्वनिके इक्यावन भेदोंकी गणना की गयी है। इस उद्योतम उहाँ पिछले भेदोंके प्रकारान्तरेसे पद और वाक्य-यङ्ग्यत्वभेदसे भेद प्रदर्शित करते हैं। गत उद्योतमें जो ध्वनिविभाग किया गया था वह 'यङ्ग्यकी दृष्टिसे किया गया था, यहाँ पद वाक्य यङ्ग्यत्वके भेदसे जो विभाग इस उद्योतमें किया जा रहा है वह 'यङ्ग्यभेदकी दृष्टिसे किया गया विभाग है। इस प्रकार गत उद्योतके साथ इस उद्योतके विषय का सम-वय करते हुए प्रथमकारने नवीन उद्योतका प्रारम्भ किया है।

१—अविवक्षितवाच्यस्यात्यन्ततिरस्कृतवाच्ये प्रभेदे^१ पदप्रकाशता यथा महर्षे-
व्यासस्य—

‘सत्तैता समिध श्रिय ।’

यथा वा कालिदासस्य—

‘क सन्नद्धे विरहविधुरा त्वय्युपेक्षेत जायाम् ।’

यथा वा^२—

‘किमिव हि मधुराणा मण्डन नाकृतीनाम् ।’

एतेपूदाहरणेषु ‘समिध’ इति ‘सन्नद्धे’ इति ‘मधुराणाम्’ इति च पदानि व्यञ्जक-
त्वाभिप्रायेणैव कृतानि ।

१—अविवक्षितवाच्य [लक्षणामूलध्वनि]के अत्यन्ततिरस्कृत वाच्य [नामक]
भेदमें पद-यङ्ग-य [का उदाहरण] जैसे महर्षि व्यासका—

‘सत्तैता समिध श्रिय’ । यह सात लक्ष्मीकी समिधाएँ है ।

अथवा जैसे कालिदासका—

‘क सन्नद्धे विरहविधुरा त्वय्युपेक्षेत जायाम् ।’

तेरे आये विरहविधुरा कौन जाया न सेवे ?

अथवा—

‘किमिव हि मधुराणा मण्डन नाकृतीनाम् ।’

‘मधुराणाम्’के जननको कौन विभूषण नाहि’

इन उदाहरणोंमें ‘समिध’, ‘सन्नद्धे’ और ‘मधुराणाम्’ पदव्यञ्जकत्वके अभि-
प्रायसे ही [प्रयुक्त] किये गये हैं ।

महर्षि व्यासका पूरा श्लोक निम्नलिखित प्रकार है—

भृति क्षमा दया शौच कारण्य वाग्निधुरा ।

मित्राणा चानभिद्रोह सत्तैता समिध श्रिय ॥

इस श्लोकमें आये ‘सत्तैता समिध श्रिय’ इस चरणमें ‘समिध’ शब्द अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य है । ‘समिध’ शब्द मुरयत यज्ञकी समिधाओंके लिए प्रयुक्त होता है । ये समिधाएँ यशोय अग्निको बढ़ानेवाली—प्रज्वलित करनेवाली होती हैं । ‘तन्त्वा समिद्धिरङ्गिरो घृतेन वधयामसि’ इत्यादि मन्त्र प्रतिपादित वधनसाधनसे यहाँ ‘समिध’ शब्द लक्ष्मीकी अचानपेक्ष वृद्धिहेतुताको बोधित करता है । अतएव अत्यन्ततिरस्कृतवाच्यध्वनिका उदाहरण होता है ।

‘क सन्नद्धे विरहविधुरा त्वय्युपेक्षेत जायाम्’ यह दूसरा उदाहरण कालिदासके ‘मेघदूत’से लिया गया है । पूरा श्लोक इस प्रकार है—

त्वामारूढ पवनपदवीमुदृष्टहीतालकान्ता

प्रेक्षिष्यन्ते पथिकवनिता प्रत्ययादाश्वसन्त्य ।

१ ‘स्वप्रभेद’ नि० ।

२ ‘तस्यैव’ नि, श्लो० में अधिक है ।

०—तस्यैवार्थान्तरसङ्गमितवाच्ये यथा—

‘रामेण प्रियजीवितेन तु कृत प्रेम्ण प्रिये नोचितम् ।’

अत्र रामेण इत्येतत् पद साहसैकरसत्वादिष्यङ्गधाभिन्नमितवाच्य व्यञ्जकम् ।

५ सनद्रे विरहविपुला तस्युपेक्षित जायां

७ स्याद वाऽयमिदं जनो य पराधीनवृत्ति ॥

अथात् “ मम ” वायुमागस जात इष तुमना पथिनामी प्रापितभर्तुका स्त्रियो बालाको हाथस धाम कर अत्र उक्त पति आन हाग दम विश्वासमे धेय धारण करती हुइ दसगी । क्योकि मेरे समान पराधीनता छोडकर तुम्हारे जा जानपर अपना विरहपीडिता पत्नीकी जैन उषेधा करेगा ।

इस श्लोक ‘सनद्रे’ शब्द जय ततिरस्फुतवाच्यध्वनिना उदाहरण है । सनद्रे शब्द ‘णह र धने’ धानुस बना है । उमना मर्यादा नमर कस हुण, नवनादि धारण किये हुए होता है । यहाँ उसका यह मर्यादा अहित गहा हाता है, अतएव यहा अपने मुरवाधनो छोडकर वह उग्रतत्वका वाधन करता है इस प्रकार अत्यन्ततिरस्फुतवाच्य है ।

तामसा उदाहरण ‘शकुन्तला’स लिया है । पूरा श्लोक निम्नलिखित प्रकार है—

मरमिजमनुविद्ध गीरन्नापि रम्य

मलिनमपि निमगार्त्तं म ल मी तनाति ।

इयमधिजमनाया रञ्जलेनापि त वी

किमिदि मपुराणा मण्डन नाङ्गीनाम् ॥

कमलना फूल सिपारम लिये हानपर भी सु दर लगता है । चद्रमाका काल कलङ्क भी उमना शाभा गता हा है । यह त मी शकु तला रस बल्लभमरका धारण किये हुए होनेपर भी ओर अधिज मु त्री दीस पवती है । मपुर जाइतिगलाक लिये कोन सा वस्तु आभूषण नहीं है ।

इस श्लोक मपुररसना जानक ‘मपुर’ शब्द अपने उस अथवा छोडकर ‘सु दर’ अर्थका वाधन हानसे अय ततिरस्फुतवाच्यध्वनिना उदाहरण है ।

२—उत्सी [अप्रियमितवाच्य लक्षगामूलध्वनि]के अर्थान्तरसङ्गमितवाच्य [नामक भेदके उदाहरण]में जैसे—

ह प्रिये येइहि ! अपने जीवनके लोभी रामने प्रेमके अनुरूप [कार्य] नहीं किया ।

इस [श्लोक]में ‘राम’ यह पद साहसैकरसत्त्व [मरयसत्त्व] आदि ‘यङ्गय [विशिष्ट रामरूप अथा तम्]में सङ्गमित वाच्य [रूपसे अथा तरसङ्गमितवाच्य] व्यञ्जक है ।

पूरा श्लोक इस प्रकार है—

प्रत्यारयानघ्न कृत समुचित नूरेण ते रक्षसा

सोढ तच्च तथा तस्या कुलनो धत्ते यथोच्चै गिर ।

यथै सम्प्रति विभ्रता धनुर्दि त्वद् वापद साक्षिणा

रामेण प्रियजीवितेन तु कृत प्रेम्ण प्रिये नोचितम् ॥

कू राक्षस रावणने तुम्हारे अस्वीकार करनेपर उस निवेदनय क्रोधके अनुरूप ही तुम्हारे साथ यवहाग किया और तुमने भी उसने कर यवहारकी इस प्रकार वीरतापूर्वक सहन किया कि आज भी कुलधुएँ उसका कारण अपना सिर ऊँचा उठाये हैं । इस प्रकार तुम दोनोंने अपने अपने

यथा वा—

एमेअ जणो तिस्सा देउ कवोलोपमाइ ससिद्विबम् ।

परमत्थविआरे उण चदो चदो विअ वराओ ॥

[एवमेष जनस्तस्या ददाति कपोलोपमाया शशिविम्बम् ।

परमार्थविचारे पुनश्चन्द्रश्चन्द्र एव वराक ॥ इति ष्छाया]

अत्र द्वितीयश्चन्द्रशब्दोऽर्थान्तरसङ्घमित्वाच्य ।

३—अविवक्षितवाच्यस्यात्यन्ततिरस्कृतवाच्ये प्रभेदे वाक्यप्रकाशता यथा—

या निशा सर्वभूताना तस्या जागर्ति सयमी ।

यस्या जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने ॥

अनेन वाक्येन निशार्थो न च जागरणार्थं कश्चिद् विवक्षितः । किं तर्हि ? तत्त्वज्ञानाबहितत्वम् अतत्त्वपराङ्मुखत्व च मुने प्रतिपाद्यत इति तिरस्कृतवाच्यस्यास्य व्यञ्जकत्वम् ।

४—तस्यैवार्थान्तरसङ्घमित्वाच्यस्य वाक्यप्रकाशता यथा—

अनुरूप काय जिना परन्तु तुम्हारी विपत्तिने साक्षा बनकर भी आज यय ही इस धनुषको धारण करनेवाले—अपने जावनक लोभी इस रामने हे प्रिये वैदेहि ! अपने प्रेमके योग्य कार्य नहीं किया ।

अथवा जैसे—

उमके गालोंकी उपमामें लोग [उपमानरूपम] चन्द्रविम्बको यों ही रख देते हैं । वास्तविक विचार करनेपर तो विचारा 'चन्द्रमा' चन्द्रमा ही है ।

यहाँ दूसरा 'चन्द्र' शब्द [क्षयित्य, तिलासशून्यत्व, मलिनत्वादिविशिष्ट चन्द्र अर्थमें] अर्थान्तरसङ्घमित्वाच्य है ।

३—अविवक्षितवाच्य [लक्षणामूलध्वनि]के अत्यन्ततिरस्कृतवाच्यभेदमें वाक्य प्रकाशता [का उदाहरण] जैसे—

जो अन्य सब प्राणियोंकी रात्रि हे उसमें सयमी [तत्त्वज्ञानी जितेन्द्रिय पुरुष] जागता [रहता] हे । और जहाँ सब प्राणी जागते हैं, वह तत्त्वज्ञानी मुनिकी रात्रि है ।

इस वाक्यस निशा [पद] ओर जागरण [बोधक 'जागति' तथा 'जाग्रति' शब्द] का वह काई अर्थ [मुख्यार्थ] विवक्षित नहीं है । तो [फिर] क्या [विवक्षित] है ? [तत्त्वज्ञानी] मुनिकी तत्त्वज्ञाननिष्ठता ओर अतत्त्वपराङ्मुखता प्रतिपादित है । इसलिये अत्यन्त तिरस्कृतवाच्य [निशा तथा जागति, जाग्रति आदि अनेक शब्दरूप वाक्य]की ही व्यञ्जकता है ।

४—उसी [अविवक्षितवाच्यध्वनि अर्थात् लक्षणामूल ध्वनि]के अर्थान्तरसङ्घमित्वाच्य [भेद]की पदप्रकाशता [का उदाहरण] जैसे—

१ '(न) निशार्थो न (वा) जागरणार्थं' ही० । 'न जागरणार्थं' नि० ।

विसमद्भ्रओ' काण वि काण वि यालेइ अमिअणिम्माओ' ।
 काण वि विसामिअमओ काण वि अविसामओ फालो ॥
 [विपमयित 'केपामपि केपामपि यात्यमृतनिर्माण' ।

केपामपि विपामृतमय केपामप्यविपामृत काल ॥ इति च्छाया]

अत्र हि वाक्ये 'विपामृत' शब्दाभ्यां दु रसुरूपसङ्क्रमितवाच्याभ्यां व्यवहार इत्यर्थान्तरसङ्क्रमितवाच्यस्य व्यञ्जकत्वम् ।

१—विवक्षिताभिधेयस्यानुरणनरूपव्यङ्ग्यस्य शब्दशक्त्युद्भवे प्रभेदे पदप्रकाशता यथा—

किन्हींका समय विपमय [दु खमय], किन्हींका अमृतरूप [सुखमय], किन्हींका विप ओर अमृतमय [सुखदु खमिश्रित] ओर किन्हींका न विप और न अमृतमय [सुखदु ख रहित] व्यतीत होता है ।

इस वाक्यमें विप ओर अमृत शब्द दु ख और सुखरूप अर्थान्तरसङ्क्रमितवाच्य रूपमें व्यवहारमें आये हैं । इसलिए अर्थान्तरसङ्क्रमितवाच्य [अनेकपदरूप वाक्य]का ही व्यञ्जकत्व है ।

'या निशा०' और 'वेपामपि०' इन दोनों श्लोकोंमें अनेक पदोंके यञ्जक होनेसे वे वाक्यगत यञ्जकत्वके उदाहरण हैं । विपमयित 'विपमयता प्राप्त', विपमयित शब्दका अथ विपरुपताको प्राप्त है । इस श्लोकमें फालकी चार अवस्थाएँ प्रतिपादित की हैं । एक विपरुप, दूसरी अमृतरूप, तीसरी उभयात्मक अथात् विपामृतरूप और चौथी अनुभवात्मक अविपामृतरूप । पापी और अतिविवेकियोंके लिए काल विपरुप अथात् दु खमय, किन्हीं पुण्यात्माओं अथवा अत्यन्त अत्रिवेकियोंके लिए अमृतमय अथात् सुखरूप, किन्हीं मिश्रकर्म ओर निर्दोषाविवेकरूप मिश्रज्ञानवालोंके लिए उभयात्मक सुख दु खरूप और किन्हीं अत्यन्त मूढ़ अथवा यागभूमिकाको प्राप्त लोगोंके लिए अनुभवात्मक अथात् सुख दु खसे रहित हैं । प्रत्येक अवस्थाके साथ उत्तम-न आर निवृण्णताकी चरम सीमा सम्बद्ध है । अत्यन्त पापीके लिए पापोंके फलरूप दु खरसभोगके कारण काल दु खमय है और अत्यन्त विवेकी भी पूण वैराग्ययुक्त होनेसे कालको दु खरूप मानता है । यहाँ विप और अमृत शब्द दु खसुखमयताको बोधन करते हैं, इसलिए अर्थान्तरसङ्क्रमितवाच्यके उदाहरण हैं ।

अविवक्षितवाच्य अथात् लभ्यामूलध्वनिक अर्थान्तरसङ्क्रमितवाच्य और अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य रूप दोनों भेदोंके पदप्रकाशता तथा वाक्यप्रकाशताभेदसे सुल चार भेद हुए । उन चारोंके उदाहरण देकर अब विवक्षितवाच्य अथात् अभिधामूलध्वनिसे सलक्ष्यप्रकाशताके १७ अर्थान्तर भेदोंमें कुछ उदाहरण आगे देते हैं—

१—विपक्षितान्यपरवाच्य [अथात् अभिधामूलध्वनि]के [अन्तगत] सलक्ष्य प्रकल्प्यङ्ग्यके शब्दशक्त्युद्भवे [नामक] भेदमें पदप्रकाशता [का उदाहरण] जैसे—

१ 'विसमद्भ्रआ विभ' नि० ।

२ 'अमिअमओ' नि० ।

३ 'विपमय ह्व' नि० ।

४ 'अमृतमय' नि० ।

प्राप्तु घनैरर्थिजनस्य वाञ्छा दैवेन सृष्टो यदि नाम नास्मि ।

पथि प्रसन्नाम्बुधरस्तडाग कूपोऽथवा किन्न जड कृतोऽहम् ॥

अत्र हि 'जडः' इति पद निर्विण्णेन वक्त्रात्मसमानाधिकरणतया प्रयुक्तमनुरणन-
रूपतया कूपसमानाधिकरणता स्वशक्त्या प्रतिपद्यते ।

२—तस्यैव वाक्यप्रकाशता यथा हर्षचरिते सिंहनादवाक्येषु—

'दृत्तेऽस्मिन् महाप्रलये धरणीधारणायाधुना त्व शेषः ।'

यदि दैवने मुझे धनोंसे याचकजनोंकी इच्छा पूर्ण करने योग्य नहीं बनाया तो
स्वच्छ जलसे परिपूर्ण रास्तेका तालाब या जड [परदु पानभिक्ष, किसको किस वस्तुकी
आवश्यकता है इसके समझनेकी शक्तसे रहित अतएव जड और शीतल अर्थात् निर्दे-
स-तापादिसे रहित] कुआँ क्यों न बना दिया ।

यहाँ चिह्न [ह्रण] वक्ताने 'जड' शब्दका प्रयोग [आत्मसमानाधिकरणतया, अर्थात्
अपनेको बोध करानेवाले 'अहम्' पदके साथ 'जडोऽहम्' इस रूपमें समानविभक्ति,
समानवचनमें] अपने लिए किया था परन्तु सलक्ष्यक्रमरूपसे [स्वशक्ति शब्दमें 'शक्ति'
अर्थात् अभिधामूलव्यञ्जना] द्वारा वह [कूपसमानाधिकरण] कूपका विशेषण बन
जाता है ।

वृत्तिकारका आशय यह है कि वक्ताने जड शब्दको 'जडोऽहम्' इस प्रकार अपनेको बोध
करानेवाले 'अहम्' पदके साथ समानाधिकरण समानविभक्ति, समानवचनमें प्रयुक्त किया था ।
समानविभक्त्यत समानाधिकरण पदोंका परस्पर अभेदसम्बन्ध धरे ही अवयव होता है । क्योंकि "निपाता
तिरिक्तस्य नामाधत्तस्य अभेदातिरिक्तसम्बन्धेना वयोऽयुत्तरं" इस सिद्धान्तानुसार विशेष्य
विशेषणना अभेदावयव ही होता है । जैसे 'नीलम् उत्पलम्' इन दोनों प्रातिपदिकाथोंना अभेदसम्बन्ध धरे
अवयव होकर 'नीलाभिरम् उत्पलम्' 'नीलगुणवदभिरमुत्पलम्' इस प्रकारका शाब्दबोध होता है । इसी
प्रकार यहाँ 'जड' पदका 'अहम्' और 'कूप' के साथ अमदा वय होगा । दरिद्रताके कारण याचक
जनोंकी इच्छापूर्तिमें असमय अतएव लिन हुए वक्ताने, मुझमें जड अर्थात् याचकाकी आवश्यकता
समझनेमें असमय अतएव निर्देसतापसे रहित अर्थमें जड शब्द अपने लिए प्रयुक्त किया था
परन्तु शब्दशक्ति [अभिधामूल व्यञ्जना]से वह 'जड' पद कुआँका विशेषण बन जाता है ।
और जड अर्थात् शीतल जलसे युक्त, अतएव तृपित पथिकोंके हितसाधक, परापकार समय, इस
अर्थको यत्न करता है ।

२ उसी [विवक्षितान्यपरवाच्य अर्थात् अभिधामूलध्वनिके अन्तर्गत सलक्ष्यक्रम
व्यङ्ग्यके शाब्दशान्त्युत्पत्त्यभेद]की वाक्यप्रकाशता [का उदाहरण] जैसे [धाणभट्टकृत]
हर्षचरित [क पष्ठ उच्छ्वास]में [सेनापति] सिंहनादके वाक्योंमें—

इस [अर्थात् तुम्हारे पिता प्रभाकरचर्चन और ज्येष्ठ भ्राता राज्यवर्धनकी मृत्यु
रूप] महाप्रलयके हो जानेपर पृथिवी [अर्थात् राज्यभार]को धारण करनेके लिए अथ
तुम 'शेष' [शेषनाम] हो ।

एतद्धि वाक्यमनुरणनरूपमर्थान्तर शब्दशक्त्या स्फुटमेव प्रकाशयति ।

३—अस्यैव कविप्रौढोक्तिमात्रनिष्पन्नशरीरस्यार्थशक्त्युद्भवे प्रभेदे पदप्रकाशता यथा हरिविजये—

चूअङ्कुरावअस 'छणमप्सरमहध्वमणहरसुरामोअम् ।

असमप्पिअ पि गहिअ कुसुमसरेण भहुमासलच्छिसुहम् ॥

[चूताङ्कुरावतस 'क्षणप्रसरमहार्धमनोहरसुरामोदम् ।

असमपितमपि गृहीत कुसुमशरेण मधुमासलक्ष्मीमुखम् ॥ इति च्छाया]

अत्र ह्यसमर्पितमपि कुसुमशरेण मधुमासलक्ष्म्या मुप गृहीतमित्यसमर्पितमपीत्ये-
तदवस्थाभिधायि पदमर्थशक्त्या कुसुमशरस्य यत्कार प्रकाशयति ।

यद् वाक्य [इस महाप्रलयके हो जानेपर पृथिवीने धारण करनेके लिए अकेले
शोपनागने समान] सलक्ष्यप्रमन्यङ्गय [शोपनागरूप] अथांतरको स्वशक्तिसे स्पष्ट ही
प्रकाशित करता है ।

विवक्षितवाच्य अथात् अभिधामूलध्वनिसे १ शब्दशक्त्युत्थ, २ अर्थशक्त्युत्थ और ३
उभयशक्त्युत्थ ये तीन भेद किये थे । उनमें शब्दशक्त्युत्थ प्रथम भेदक पदप्रकाशता और वाक्य
प्रकाशताके दो उदाहरण ऊपर दिए गए हैं । अब दूसरे अर्थशक्त्युद्भवभेदके उदाहरण
दियायेंगे । इस अर्थशक्त्युद्भवध्वनि भी १ स्वतः सम्भवी, २ कविप्रौढोक्तिसिद्ध और
३ कविनिर्दिष्टप्रौढोक्तिसिद्ध ये तीन भेद होते हैं । इनमेंसे कविनिर्दिष्टप्रौढोक्तिसिद्धको कविप्रौढोक्ति
सिद्धमें अंतर्भूत मानकर उसने अलग उदाहरण नहीं दिये हैं । आगे कविप्रौढोक्तिसिद्धकी पदप्रकाशता
और वाक्यप्रकाशताके उदाहरण दते हैं—

३—इसी [त्रिवक्षितान्यपरयाच्य अथात् अभिधामूलध्वनि]ने कविप्रौढोक्ति
मात्रसिद्ध अर्थशक्त्युद्भवभेदमें पदप्रकाशता [का उदाहरण] जैसे [प्रवरसेनवृत्त प्राकृत
रूपक] 'हरिविजय'में—

आम्रमञ्जरियोंसे निर्भूषित, क्षण [अर्थात् वसन्तोत्सव]के प्रसारसे अत्यन्त मनो
हर, मुर [अर्थात् कामदेव]के चमत्कारसे युक्त, [पक्षान्तरमें बहुमुख्य सुन्दर सुराकी
सुगन्धिसे युक्त] वासन्ती लक्ष्मीके मुख [प्रारम्भको] कामदेवने त्रिना दिये हुए भी
[यत्कार जनरदस्तीमें] पकड़ लिया ।

यहाँ कामदेवने त्रिना दिये हुए भी वसन्तलक्ष्मीका मुख पकड़ लिया इसमें त्रिना
दिये हुए भी इस [नरोडा नायिकाकी] अवस्थाका सूचक शब्द, अर्थशक्तिसे कामदेवने
[हृष्ट कामुरु व्ययहाररूप] यत्कारको प्रकाशित करता है [इसलिए यह कविप्रौढोक्ति
सिद्ध वस्तुसे वस्तु यङ्गय अर्थशक्त्युद्भवध्वनिना उदाहरण है] ।

१ 'छणमप्सरमह धणमपुरामोअम्' नि० ।

२ 'तद्दधनमधुरामोदम्' नि०, दा० ।

४—अत्रैव प्रभेदे वाक्यप्रकाशता यथोदाहृत प्राक्—

“सज्जेहि सुरभिमासो” इत्यादि ।

अत्र सज्जयति सुरभिमासो न तावदर्पयत्यनङ्गाय शरानित्यय वाक्यार्थं कवि-
प्रौढोक्तिमात्रनिष्पन्नशरीरो 'मन्मथोन्माथकदनावस्था वसन्तसमयस्य सूचयति ।

५—स्वत सम्भविशरीरार्थशक्त्युद्भवप्रभेदे पदप्रकाशता यथा—

वाणिअअ हृत्तिदन्ता कुतो अल्लाण वाचकित्ती अ ।

जाव लुलिआलअमुही घरम्मि परिसफए सुहा ॥

[वाणिजक हस्तिदन्ता कुतोऽस्माक व्याघ्रवृत्तयश्च ।

यावत्ललितालकमुसी गृहे परिव्वक्कते स्नुपा ॥ इति च्छाया]

अत्र 'लुलितालकमुसी' इत्येतत् पद व्याधवध्वाः स्वत सम्भावितशरीरार्थशक्त्या
सुरतक्रीडासक्तिं सूचयत्तदीयस्य भर्तुं सततसम्भोगक्षमता प्रकाशयति ।

६—तस्यैव वाक्यप्रकाशता यथा—

सिहिपिच्छकण्णऊरा बहुआ वाहस्स गन्विरी भमइ ।

मुक्ताफलरइअपसाहणाण मज्झे सवत्तीणम् ॥

४—इसी [विश्रितान्यपरवाच्य अर्थात् अभिधामूलध्वनिने अर्थशक्त्युद्भव
सलक्ष्यप्रमध्यङ्ग्य] भेदमें वाक्यप्रकाशता [का उदाहरण] जैसे “सज्जयति सुरभिमासो”
इत्यादि पहिले [पृ० १३७ पर] उदाहरण दे चुके हैं ।

यहाँ वसन्त मास [चेन्न मास] राणीको बनाता है परन्तु कामदेवको दे नहीं रहा
है यह कविप्रौढोक्तिमात्रसिद्ध वाच्यार्थ वसन्तसमयकी कामोद्दीपनातिशयजन्य
[निरहिजनौकी] दुरवस्थाको सूचित करता है ।

आगे विवक्षितवाच्य अर्थात् अभिधामूलध्वनिने अर्थशक्त्युद्भवभेदके अन्तर्गत स्वत सम्भवी
भेदके पदप्रकाशता और वाक्यप्रकाशताके दो उदाहरण देते हैं ।

५—[विश्रितान्यपरवाच्य अर्थात् अभिधामूलध्वनिने] स्वत सम्भवी अर्थ
शक्त्युद्भवभेदमें पदप्रकाशता [का उदाहरण] जैसे—

हे वाणिज, जतक चञ्चल बलकां [लटों]से युक्त मुत्तली पुत्रवधू घरमें धूमती
है ततक हमारे यहाँ हाथीदाँत और व्याघ्रचर्म कहाँसे आये ।

यहाँ 'लुलितालकमुसी' यह पद स्वत सम्भवी अर्थशक्तिसे व्याधवधू [पुत्रवधू]
की सुरतकी प्रीडासक्तिको सूचित करता हुआ उसके पति [व्याधपुत्र]की निरन्तर
सम्भोगसे उत्पन्न दुर्बलताको प्रकाशित करता है ।

६—इसी [सलक्ष्यप्रमध्यङ्ग्यके अर्थशक्त्युद्भव स्वत सम्भवी वस्तुसे वस्तु
व्यङ्ग्यकी वाक्यप्रकाशता [का उदाहरण] जैसे—

१ 'मन्मथोन्माथकतापादनावस्थानम्' नि०, दी० ।

२ 'सूचयत्तदीयस्य' नि०, दी०, वा० ।

[शिखिपिच्छकणपूरा भार्या व्याधस्य गर्विणो भ्रमति ।

मुक्ताफलरचितप्रसाधनाना मध्ये सपत्नीनाम् ॥ इति च्छाया]

अनेनापि वाक्येन व्याधवध्वाः शिखिपिच्छकणपूराया नवपरिणीताया कस्याश्चित् सौभाग्यातिशय प्रकाश्यते ।

'तत्सम्भोगैकरतो मयूरमात्रमारणसमर्थ पतिर्जात इत्यर्थप्रकाशनात् । तदन्यासा चिरपरिणीताना मुक्ताफलरचितप्रसाधनाना दौर्भाग्यातिशय रयाप्यते ।

तत्सम्भोगकाले स एव व्याध करिवरवधव्यापारसमर्थ आसीदित्यर्थप्रकाशनात् ।

ननु ध्वनि काव्यविशेष इत्युक्तं तत्कथं तस्य पदप्रकाशता ? काव्यविशेषो हि विशिष्टार्थप्रतिपत्तिहेतुः शब्दसद्वर्धविशेष । तद्भावश्च पदप्रकाशत्वे नोपपद्यते । पदाना स्मारकत्वेनावाचकत्वात् ।

[केवल] मोरपङ्कजा कर्णपूर पहिने हुए व्याधकी [नवपरिणीता] पत्नी, मुक्ता फलोंके आभूषणोंसे अलङ्कृत सपत्नियोंके बीच अभिमानसे फूली हुई फिगती है ।

इस वाक्यसे मोरपङ्कजा कर्णपूर धारण किये हुए नवपरिणीता किसी व्याधपत्नी का सौभाग्यातिशय सूचित होता है । [रात दिन हर समय] उसके साथ सम्भोगमें रत उसका पति [अथ] केवल मयूरमात्रके मारनेमें समर्थ रह गया है इस अर्थके प्रकाशनसे । पहिलेकी व्याही हुई मोतियोंके आभूषणोंसे सजी अन्य पत्नियोंके सम्भोगकालमें तो वही व्याध यद्ये-यद्ये हाथियोंके मारनेमें समर्थ था इस अर्थके प्रकाशनसे उनका दौर्भाग्यातिशय प्रकाशित होता है ।

इस तृतीय उद्योतकी प्रथम कारिकाम अविबक्षितवाच्य और विवक्षितवाच्यम सलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य नामक भेदके अन्तर्गत पदप्रकाश और वाक्यप्रकाशरूपसे दो भेद किये थे । और तदनुसार अविबक्षितवाच्यके अथान्तरसङ्कमितवाच्य तथा अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य दोनों भेदोंके और विवक्षितवाच्यके अत्यन्तसुलक्ष्यभेदके तथा अथशक्युत्थके कविप्रौत्तिकसिद्ध तथा स्वतः सम्भवी भेदोंके उदाहरण दिये गये हैं । अथ व्यञ्जकमुद्रासे किये गये पदप्रकाश और वाक्यप्रकाश इन दो भेदोंके विषयमें पूर्वपक्षकी यह शङ्का है कि ध्वनिकी वाक्यप्रकाशता तो ठीक है परन्तु ध्वनिकी पदप्रकाशता नहीं माना जा सकता क्योंकि ध्वनि तो काव्यविशेषका नाम है । जैसा प्रथम उद्योतकी "यन्मार्थ शब्दा वा तमधनुपसजनी कृतस्वार्था । यदुक्तं काव्यविशेषे स ध्वनिरिति सुरिभि कथित ॥११३॥" में कहा गया है । इसका समाधान करनेके लिए पूर्वपक्ष उद्योत है—

[प्रश्न 'काव्यविशेषे स ध्वनि' इत्यादि फारिकाशमें] काव्यविशेषको ध्वनि कहा है तो यह [काव्यविशेषरूप ध्वनि] पदप्रकाश कैसे हो सकता है । [वाच्य और व्यङ्ग्यरूप] विशिष्ट अर्थकी प्रतीतिके हेतुभूत शब्दसमुदायको काव्य कहते हैं । [ध्वनिके] पदप्रकाशरूप [पक्ष]में [विशिष्टार्थप्रतिपत्तिहेतु] शब्दार्थसद्वर्धरूप काव्यत्व नहीं जन सकता । क्योंकि पदोंके स्मारक होनेसे उनमें वाचकत्व नहीं रहता । [पद केवल पदार्थस्मृतिके हेतु हो सकते हैं । इसलिए यह पदार्थनसर्गरूप वाक्यार्थके वाचक नहीं होते हैं । तब ध्वनिकायमें पदप्रकाशत्व कैसे रहेगा ?]

उच्यते । स्यादेव दोषो यदि वाचकत्व प्रयोजक' ध्वनिव्यवहार स्यात् । न त्वेवम् । तस्य व्यञ्जकत्वेन व्यवस्थानात् ।

किञ्च काव्याना शरीरिणामिव सस्थानविशेषावच्छिन्नसमुदायसाध्यापि चारुत्व-प्रतीतिरन्वयव्यतिरेकाभ्या भागेषु कल्प्यत इति पदानामपि व्यञ्जकत्वमुग्रन त्र्यवस्थितो ध्वनिव्यवहारो न विरोधी' ।

अनिष्टस्य श्रुतिर्येद्वदापादयति दुष्टताम् ।
श्रुतिदुष्टादिषु व्यक्त तद्वदिष्टस्मृतिर्गुणम् ॥
पदाना स्मारकत्वेऽपि पदमात्रावभासिन ।
तेन ध्वने प्रमेतेषु सर्वेऽप्येषास्ति रम्यता ॥
विच्छित्तिशोभिनेकेन भूपणेनेव कामिनी ।
पदद्योत्येन मुकवेर्ध्वनिना भाति भारती ॥

[उत्तर] कहते हैं । आपका कहा दोष [पदोंके अवाचक होनेसे ध्वनिमें पद प्रकाशताकी अनुपपत्ति] तब आता यदि वाचकत्वको ध्वनि-व्यवहारका प्रयोजक माना जाय । परन्तु ऐसा तो है नहीं । ध्वनि-व्यवहार तो व्यञ्जकत्वसे व्यवस्थित होता है ।

सात्य यह है कि यदि वाचकत्वेन कारण ध्वनिव्यवहार होता तब तो यह कहा जा सकता था कि पदोंके वाचक न होनेसे ध्वनि, पदप्रकाश नहा हो सकता । परन्तु ध्वनिव्यवहारका नियामक तो वाचकत्व नहीं, व्यञ्जकत्व है । इसलिए पद भले ही स्मारकमात्र रह, वाचक न हा तो भी वह ध्वनिके व्यञ्जक तो हो ही सकते हैं । इसलिए आपका दोष ठीक नहीं है । यह यथार्थ उत्तर नहा अपितु प्रतिबन्धी उत्तर है । लोचननारन इसे 'छलात्तर' कहा है । अतः दूराय यथाथ उत्तर देते ह—

इसके अतिरिक्त जैसे शरीरधारियों [नायक-नायिकादि]में सो-दर्यकी प्रतीति अवयवसङ्घटनारिंशपरूप समुदायसाध्य होनेपर भी अन्य-यतिरेकसे [मुक्तादिरूप] अवयवोंमें मानी जाती है । इसी प्रकार व्यञ्जकत्वमुखसे पदोंमें ध्वनिव्यवहारकी व्यवस्था माननेमें [कोई] विरोध नहीं है ।

जैसे [‘पाणिपल्लवपेलव’ इत्यादि उदाहरणोंमें पेलव आदि शब्दाने असभ्यार्थके वाचक न होनेपर भी व्यञ्जकमात्र होनेसे] श्रुतिदुष्टादि [दोषस्थलों]में अनिष्ट अर्थका व्यवणमात्र [अनिष्ट अर्थकी सूचनामात्र]से [कायमें] दुष्टता आ जाती है । इसी प्रकार [ध्वनिस्थलमें] पदोंसे इष्टार्थकी स्मृति भी गुण [ध्वनिव्यवहारप्रयत्न] हो सकती है ।

इसलिए पदाके स्मारक होनेपर भी परपदमात्रसे प्रतीति होनेवाले ध्वनिक सभी प्रमेदोंमें सम्भ्रता रह सकती है ।

[धोर] विशेष शोभाशाली एक [ही अङ्गमें धारण किये हुए] आभूषणसे भी जैसे कामिनी शोभित होती है इसी प्रकार पदमात्रसे द्योतित होनेवाले ध्वनिस भी सुकामिनी भारती शोभित होती है ।

१ 'प्रयोजक न' नि० ।

२ 'विरोधि' नि०, 'वालप्रिया' ।

इति परिकरश्लोका ॥१॥

यस्त्वलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यो ध्वनिर्वर्णपदादिषु ।

वाक्ये सङ्घटनाया च स प्रबन्धेऽपि दीप्यते ॥२॥

तत्र वर्णानामनर्थकत्वाद् द्योतकत्वमसम्भवि इत्याशङ्क्येदमुच्यते ।

शपौ सरैफसयोगौ ढकारश्चापि भृयसा ।

विरोधिनः स्यु शृङ्गारे तेन वर्णा रसच्युतः ॥३॥

त एव तु निवेश्यन्ते वीभत्सादौ रसे यदा ।

तदा त दीपयन्त्येव ते न वर्णा रसच्युतः ॥४॥

श्लोकद्वयेनान्वयव्यतिरेकाभ्या वर्णाना द्योतकत्व दर्शित भवति ।

ये परिकरश्लोक ह ॥१॥

असलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यके चार भेद

अविवक्षितवाच्यध्वनिके दोनों अवांतर भेदोंप और उसके बाद विवक्षितवाच्यध्वनिने सलक्ष्य क्रमव्यङ्ग्यके अवांतर भेदोंके 'यङ्ग्यमुखसे पदप्रकाश और वाक्यप्रकाश दोनों भेद सोदाहरण प्रदर्शित कर दिये । अब विवक्षितवाच्यध्वनिके दूसरे भेद असलक्ष्यक्रम-यङ्ग्यके १ वर्णपदादि, २ वाक्य, ३ सङ्घटना और ४ प्रबन्धाश्रित चार भेद दिखाते हैं । यहाँ 'वर्णपदादिषु' को एक ही भेद माना है । जैसे प्रकृतिप्रत्यय आदि भेदसे इसने अनेक भेद हो सकते हैं । परन्तु सम्प्रदायके अनुसार इन पदपदाशकी गणना एक ही भेदमें की जाती है । अत असलक्ष्यक्रम-यङ्ग्यके चार भेद ही परिगणित होते हैं । इस उद्योतने प्रारम्भमें ध्वनिके ५१ भेदोंकी गणना कराते हुए हमने इन चारोंको दिखा दिया था । मूल कारिकाकार इन चारोंको दिखाते हैं—

और जो असलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य [अभिधामूलध्वनिका भेद] है यह १ वर्णपदादि, २ वाक्य, ३ सङ्घटना और ४ प्रबन्धमें भी प्रकाशित होता है ॥२॥

१. वर्णोंकी रसद्योतकता

उनमेंसे वर्णोंके अनर्थक होनेसे उनका ध्वनिद्योतकत्व असम्भव है इस आशङ्कासे [सम्भव है कोई ऐसी आशङ्का करे इसलिए] यह कहते हैं—

रेफके सयोगसे युक्त श, प और ढकारका बहुलप्रयोग रसच्युत [रसापनर्पक] होनेसे शृङ्गाररसमें विरोधी होते हैं । [अथवा लोचनमें 'ते न' को दो पद और 'रसच्युत' पाठ मानकर, वे वर्ण रसको प्रवाहित करनेवाले नहीं होते, यह व्याख्या भी की है] ॥३॥

और जय वे ही वर्ण वीभत्सादि रसमें प्रयुक्त किये जाते हैं तो उस रसको दीप्त करते ही हैं । वे वर्ण रसहीन नहीं होते । [अथवा 'तेन' को एक पद और 'रसच्युत' पाठ मानकर, इसलिए यह वर्ण रसके क्षरण करनेवाले प्रवाहित करनेवाले होते हैं, यह व्याख्या भी लोचनमें की है ।] ॥४॥

यहाँ इन दोनों श्लोकोंसे पदोंकी द्योतकता अन्वय-व्यतिरेकसे प्रदर्शित की है ।

पदे चालक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यस्य द्योतन' यथा—

उत्कम्पिनी भयपरिस्खलिताशुकान्ता
ते लोचने प्रतिदिश विधुरे क्षिपन्ती ।

क्रूरेण दारुणतया सहसैव दग्धा

धूमान्घितेन दहनेन न वीभ्रितासि ॥

अत्र हि 'ते' इत्येतत् पद रसमयत्वेन स्फुटभेदावभासते सहृदयानाम् ।

इन दो श्लोकोंमें अन्वय-व्यतिरेकसे बणोंकी द्योतकता सिद्ध है। अन्वय-व्यतिरेकमें साधारणतः पहिले अन्वय और पीछे व्यतिरेकका प्रदर्शन होता है परन्तु यहाँ प्रथम श्लोकमें व्यतिरेक और दूसरेमें अन्वयका प्रदर्शन किया गया है। इसलिए वृत्तिकारने श्लोकाभ्याम् न कहकर श्लोकद्वयेन कहा है। इसका अभिप्राय यह हुआ कि यहाँ अन्वय व्यतिरेकका यथासंख्य अन्वय न करके यथायोग्य अन्वय करना चाहिये। कारिकामें 'वर्णपदादिपु' यह निमित्त सप्तमी वर्णादिकी सहकारिता द्योतनके लिए ही है। रसामिव्यक्तिमें वण तो केवल सहकारिमात्र हैं। मुख्य कारण तो विभावादि हैं।

२ पदद्योत्य असलक्ष्यक्रमघञि

पदमें असलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यके द्योतनका [उदाहरण] जैसे—

—[वलराज उदयन अपनी पत्नी वासवदत्ताके आगमें जलकर मर जानेका सामाचार सुनकर विलाप कर रहे हैं, उसी पसङ्गमेंसे यह श्लोक है। राजा कह रहे हैं—]

[भागके डगसे] काँपनी हुई, भयसे विगलितवसना, उन [फातर] नेत्रोंको [रक्षा की आशामें] सय दिशाओंमें फँकती हुई, तुझको, अत्यन्त निष्ठुर एव धूमान्घ अग्निने [एक घाग] देखा भी नहीं और निर्दयतापूर्वक एकदम जला ही डाला।

यहाँ 'ते' यह पद सहृदयोंको स्पष्ट ही रसमय प्रतीत होता है।

यहाँ 'उत्कम्पिनी' पदसे वासवदत्ताके भयानुभावोंका उत्प्रेक्षण है। 'ते' पद उसके नेत्रोंके स्वसवेद्य, अनिर्वचनीय, विभ्रमैकायतनत्वादि अनन्त गुणगणकी स्मृतिका द्योतक होनेसे रसामिव्यक्तिका असाधारण निमित्त हो रहा है। और उसका स्मयमाण सौंदर्य इस समय अतिशय शोकावेशमें विभावरूपताको प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार 'ते' पदसे विशेष रूपसे रसामिव्यक्तिक होनेसे यहाँ शाक रूप स्वायिभाववाला करुणरस प्रधानतया इस 'ते' पदसे अभिव्यक्त हो रहा है। रसप्रतीति यद्यपि मुख्यतः विभावादिसे ही होती है परन्तु ये विभावादि जब किसी विशेष शब्दसे असाधारण रूपसे प्रतीत होते हैं तब वह पदद्योत्यघञि कहलाता है।

निगयसागरीय सस्करणम, इसके बाद यह श्लोक भी पाया जाता है—

ज्ञगिति कनकचित्रे तत्र दृष्टे कुरङ्गे
रभसविकसितास्ते दृष्टिपाता प्रियाया ।
पवनविलुलितानामुत्पलाना पलाश
प्रवरमिन् किरन्त स्मयमाणा दहन्ति ॥

उस विचित्र कनकमृगको वहाँ देखते ही वेगसे तिल उठनेवाले और पवनविकम्पित उत्पलोंके पत्रसमूहसे चारों ओर बिखरते हुए प्रिया [सीता]के ये दृष्टिपात याद आकर आज जलते हैं।

पदावयवेन द्योतन यथा—

प्रीडायोगान्नतवदनया सन्निधाने गुरूणा
वद्वोत्कम्प कुचकलशयोर्मन्युमन्तर्निगृह्य ।
तिष्ठेत्युक्त किमिव न तथा यत् समुत्सृज्य वाष्प
मप्यासत्तश्चकितहरिणीहारिनेत्रत्रिभाग ॥

इत्यत्र 'त्रिभाग' शब्दः ।

वाक्यरूपश्चालक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यो ध्वनि शुद्धोऽलङ्कारसङ्कीर्णश्चेति द्विधा मत । तत्र शुद्धस्योदाहरण यथा रामाभ्युदये—“कृतककुपितै” इत्यादिश्लोक ।

यहाँ भी 'ते' शब्द अलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यका द्योतन है । लोचनकारने इस श्लोकपर कोई टिप्पणी नहीं की है । अतः यह मूलपाठ ग्राह्य जान पड़ता । इससे हमन मूलपाठमें उसको स्थान नहीं दिया है ।

पदाशद्योत्य असलक्ष्यक्रमध्वनि,

पदाशसे [असलक्ष्यक्रमके] द्योतन [का उदाहरण] जसे—

गुरुजनों [साम श्वसुग आदि]ने समीप होनेके कारण लज्जासे सिर झुकाये, कुचकलशोंके निम्नस्थित करनेवाले मन्यु [दुःखावेग]को हृदयमें [ही] दबाकर [भी] आँसू टपकाते हुए चम्कित हरिणी [के दृष्टिपात]के समान हृदयाकर्षक नेत्रत्रिभाग [से जो मृदाश्च] जो मुझपर पँजा साँझ्या उससे 'तिष्ठ' उहरो, मत जाओ—, यह कहा कहा ?

यहाँ 'त्रिभाग' शब्द । [गुरुजनानी उपेक्षा करने भी जैसे तेसे अभिलाष, मन्यु, देय, मनादिसे मन्युग जो मेरी आर देखा था उसने स्मरणसे, प्रवास विप्रलम्भका उद्दीपन मुरयत लम्प समस्तपदने अत्रयस्वरूप 'त्रिभाग' शब्दके सहयोगसे होता है । अतः यह [पदाशद्योत्य ध्वनि है] ।

२ वाक्यद्यात्य अमलक्ष्यक्रमध्वनि

वाक्यरूप अमलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य ध्वनि शुद्ध और अलङ्कारसङ्कीर्ण दो प्रकारका होता है । इनमें शुद्धता उदाहरण जेस रामाभ्युदयमें “कृतककुपितै” इत्यादि श्लोक ।

एष श्लोक इस प्रकार है —

कृतककुपितैराप्पाभ्योभि मदैयविलोकितै,
वामपि गता यस्य प्रीत्या भूतापि तथाऽम्भया ।
नवजलधरश्यामा प यन् शिशो भवती विना,
मृदिनदृढयो जीवत्येव प्रिये म तत्र प्रिय ॥ [रामाभ्युदय]

माता [कौसल्या]ने उम पत्तार रोदनपर भी जिन [राम]ने प्रेमके कारण तुम [सीता]ने या आत्मा कण भी उठाया । हे प्रिय ! तुम्हारा वह कुरीरदृष्टय प्रिय [राम] अभिनव जलधरोके रामपण दिङ्मण्डलमे बनावगी मोधुशुक्त, अनुपूषण और रैन ननोंमे देगता हुआ जी ही रहा है ।

दीधितिमान्न प्रथम चरणत्रिगोपकाकी 'वामपि गता'य गाथ जोदा है । अथात् पनावती माध जादि इतुगोम बनका भी गाथ — यत् अथ किया है ।

एतद्धि वाक्य परस्परानुराग परिपोषप्राप्त प्रदर्शयत् सर्वत एव पर रसवत्त्वं प्रकाशयति ।

अलङ्कारान्तरसङ्कीर्णा यथा “स्मरनवनदीपूरेणोदा” इत्यादिश्लोकः ।

अत्र हि रूपकेण यथोक्तव्यञ्जकलक्षणानुगतानुगतेन प्रसाधितो रस सुतराम-
भिन्व्यज्यते ॥४॥

अलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य सङ्घटनायां भासते ध्वनिरित्युक्तम्, तत्र सङ्घटनास्वरूपमेव
तावन्निरूप्यते—

यह वाक्य परिपुष्टिको प्राप्त [सीता ओर रामके] परस्परानुरागको प्रदर्शित
करता हुआ सब ओर [सब शब्दोंसे, सम्पूर्ण वाक्यरूप]से ही रसत्रयको अभिन्व्यक्त
कर रहा है ।

अलङ्कारान्तरसे सङ्कीर्ण [मिश्रित वाक्यप्रकाश्य असलक्ष्यक्रम-व्यङ्ग्यध्वनिका
उदाहरण] जैसे—‘स्मरनवनदीपूरेणोदा’ इत्यादि श्लोक ।

पूरा श्लोक इस प्रकार है—

स्मरनवनदीपूरेणोदा पुनगुरुसेतुभि,
यदपि विधृतास्तिष्ठन्त्यारादद्गमनोरथा ।
तदपि लिखितप्रप्येरेङ्गै परस्परमुमुखा,
नयननलिनीनालानीत पिबति रस मिया ॥ [अमरकशतक, १०४]

‘काम’रूप अभिनवनदीनी बाढम बहुते हुए [परतु गुरु अथात् माता पिता, सास श्वसुर
आदि गुरुजन और पक्षान्तरम विनाल] गुरुजनरूप विशाल बाँधोंसे रोक गये अपुणकाम प्रिय
[मिया और प्रिय] यद्यपि दूर दूर [अलग अलग या पास पास । ‘आराद् दूरसमीपयो’ आरात् पद
दूर और समीप दोनों अर्थोंका बोधक होता है ।] बैठे रहते हैं परतु चित्रलिखित सट्टा [निश्चल] अङ्गोंसे
[उपलक्षणे तृतीया] एक-दूसरेको निहारते हुए नेत्ररूप कमलनाल द्वारा लाये गये [प्राच जाते हुए]
रसका पान करते हैं ।

यहाँ व्यञ्जक [अलङ्कार] के यथोक्त [दूसरे उद्योतकी १८वीं कारिकामें कहे हुए
धिज्जातत्परत्वेन—नाति निर्ग्रहणैपिता इत्यादि] लक्षणोंसे युक्त, [अनिर्युद्ध] रूपक
[अलङ्कार] से अलङ्कृत [त्रिभावादिके अलङ्कृत होनेसे रसको भी अलङ्कृत कहा है]
रस भली प्रकार अभिन्व्यक्त होता है ।

यहाँ ‘स्मरनवनदी’से रूपक प्रारम्भ हुआ ओर ‘नयननलिनीनालानीत पिबति
रस’से समाप्त । परतु बीचमें नायकयुगलपर हसादिका आरोप न होनेसे रूपक
अनिर्युद्ध रहा ॥४॥

सङ्घटनाव्यञ्जकत्रयके प्रसङ्गमें सङ्घटनाके तीन भेद

असलक्ष्यक्रम-व्यङ्ग्यध्वनि सङ्घटनामें [भी] अभिन्व्यक्त होता है यह [पृ० १६४,
का० २ में] कहे चुके हैं । उसमें [से ९ कारिकातक] सङ्घटनाके स्वरूपका ही सत्यसे
पहिले निरूपण करते हैं—

असमासा समासेन मध्यमेन च भूपिता ।
तथा दीर्घसमासेति त्रिधा सङ्घटनोदिता ॥५॥
कैश्चित् ॥५॥

१ [सर्घधा] समासरहित, २ मध्यम [श्रेणीके, छोटे छोटे] समासोंसे अलङ्कृत, और ३ दीर्घ समासयुक्त [होनेसे] सङ्घटना [रीति] तीन प्रकारकी मानी है ॥ ५॥

[वामन, उद्धृत आदि] कुछ [विद्वानों] ने ।

रीतिसम्प्रदाय साहित्यका एक विशेष सम्प्रदाय है । इस सम्प्रदायके मुख्य प्रतिपाक वामन हैं । उन्होंने अपने 'काव्यालङ्कारसूत्र'में 'रीति'को काव्यका आत्मा माना है । 'रीतिरात्मा काव्यस्य' [का० अ० २, ६] यह उनका प्रसिद्ध सूत्र है । 'रीति'का लक्षण 'विशिष्टपदरचना रीति' [का० अ० २, ७] और विशेषणार्थ 'विशेषो गुणात्मा' [का० अ० २, ८] किया है । अर्थात् विशिष्ट पदरचनाका नाम 'रीति' है । पदरचनाका वैशिष्ट्य उसकी गुणात्मकता है । इस प्रकार गुणात्मक पदरचनाका नाम 'रीति' है । यह 'रीति'का लक्षण हुआ ।

'सा त्रिधा, वैदर्भी, गौडीया, पाञ्चाली चेति' [का० अ० २, ९] यह रीति तीन प्रकारकी मानी गयी है—१ वैदर्भी, २ गौडी और ३ पाञ्चाली । 'विदर्भादिषु दृष्टत्वात् तत्समास्या' [का० अ० २, १०] विदर्भादि प्रदेशोंके कवियोंमें विशेषरूपसे प्रचलित होनेसे कारण उनसे वैदर्भी आदि देशसंज्ञामूलक नाम रख दिये गये हैं । उनमेंसे 'समप्रगुणा वैदर्भी' [का० अ० २, ११] ओज प्रसादादि समप्र गुणोंसे युक्त रचनाको वैदर्भी रीति कहते हैं । 'ओज कान्तिमती गौडी' [का० अ० २, १२] ओज और कान्ति गुणोंसे युक्त रीति गौडी बनी जाती है । इसमें माधुय और सौमुमायका अभाव रहता है, समासबहुल उग्र पदांका प्रयोग होता है । 'माधुयसौमुमायोपना पाञ्चाली' [का० अ० २, १३] माधुर्य और सौमुमायसे युक्त रीति पाञ्चाली कहलाती है । 'सापि समासाभावे शुद्धा वैदर्भी', जिसमें सर्वथा समासका अभाव हो उसे विशेषरूपसे शुद्धा वैदर्भी कहते हैं । इस प्रकार वामनने रीतियोंका विवेचन किया है ।

वामनसे पूर्व इस 'रीति' शब्दका प्रयोग नहीं मिलता है । दण्डीने इसीको 'माग' नामसे व्यवहृत किया है परन्तु अधिक प्रचलित न होनेसे उसका लक्षण नहीं किया है । और दण्डीके पूर्ववर्ती साहित्यशास्त्रने आद्य आचार्य भामहने तो न 'माग' अथवा 'रीति' शब्दका उल्लेख ही किया है और न काइ लक्षण आदि । इस प्रकार रीतिसम्प्रदायके आदि प्रतिष्ठापक वामन ही उदरते हैं । रचनाकी विशेष पद्धतिना नाम 'रीति' है । दण्डी उसको 'माग' नामसे कहते हैं । आधुनिक हिन्दीमें उसको 'शैली' कहते हैं । आनन्दवधनाचार्यने उसीको 'सङ्घटना' नामसे निर्दिष्ट किया है । वामनने तीन रीतियों मानी थीं । आनन्दवधनाचार्यने भी १ 'असमासा'से वैदर्भी, २ 'समासेन मध्यमेन च भूपिता'से पाञ्चाली और ३ 'दीर्घसमासा'से गौडीका निरूपण करते हुए तीन ही सङ्घटनाप्रकार या रीतियों मानी हैं । राजशेखरने यत्रपि 'कूर्परमञ्जरी'की नादीमें 'मागधी रीति'का भी उल्लेख किया है परन्तु जैसे तीन ही रीतियों मानी हैं । फिर भी चौथी मागधी रीतिने निर्देशक उसने माने जानेकी प्रवृत्ति परिलक्षित होती है । भोजराजने उन चारोंमें एक 'अवतिका रीति'का नाम और जोड़ दिया और इस प्रकार पाँच रीतियों मानी हैं । या हर देशकी रतियोंमें कुछ वैलक्षण्य हो सकता है । उस दृष्टिसे विभाग करें तो अनन्त विभाग हो जायेंगे । इसलिए मुख्यतः तीन ही रीतियों मानी गयी हैं, उर्हाँका निर्देश यहाँ भी किया है ।

सा केवलमनूगेदमुच्यते—

गुणानाश्रित्य तिष्ठन्ती माधुर्यादीन् व्यनक्ति सा ।
रसान्,

यद्यपि आनन्दवर्धनाचाय रीतिसम्प्रदायके माननेवाले नहा ह अपितु व ध्वनिसम्प्रदायक सस्यापक हैं, वे 'रीति' को नहीं अपितु ध्वनिको कायका जात्मा मानते हैं फिर भा उ हान रीतियाना विवेचन बढ़े विस्तारके साथ किया है । 'रीति का रससे धनिष्ठ सम्बन्ध रहता है इस तथ्यका विवेचन आनन्दवधनेने ही सबसे पहले किया है । प्रकृत प्रसङ्गम 'सङ्घ' तास्वरूपमेव तावन्निरूप्यते'से सङ्घटना अथवा 'रीति'क विवेचनका आरम्भ करनेकी प्रतिज्ञा कर, उद्धृत विस्तारपूर्वक उसका विवेचना प्रारम्भ करते हैं ॥५॥

४ सङ्घटनाका व्यञ्जकत्व

उस [पूर्ववर्ती वामन आदि प्रतिपादित रीति अथवा सङ्घटना]का केवल अनुवाद करके यह कहते हैं—

माधुर्यादि गुणोंको आश्रय करके स्थित हुई वह [सङ्घटना] रसोंको अभिव्यक्त करती है ।

'गुणानाश्रित्य' कारिकाके इन शब्दोंसे सङ्घटना और गुणोंका सम्बन्ध प्रतीत होता है । इस सम्बन्धके विषयमें तीन विकल्प हो सकते हैं । वामनने 'विशिष्टपदरचना रीति' और 'निरोधो गुणात्मा' लिखा है । इससे 'विशिष्टपदरचना'रूप रीतिका गुणात्मकत्व अथात् गुणोंसे अभेद वामनको अभिप्रेत प्रतीत होता है । इसलिए पहिला पक्ष, गुण और रीतिका 'अभेद' पक्ष बनता है । इस पक्षमे कारिकाके 'गुणानाश्रित्य' आदि भागकी व्याख्या इस प्रकार होगी—'गुणान्, आत्मभूतान् माधुर्यादीन् गुणान्, आश्रित्य तिष्ठन्ती सङ्घटना रसादीन् व्यनक्ति' अर्थात् अपने स्वरूपभूत माधुर्यादि गुणोंके आश्रित स्थित सङ्घटना रसोंको व्यक्त करती है । इस पक्षमें गुण आर सङ्घटनाके अभिन्न होनेपर भी होनेवाला आश्रितत्वव्यवहार गौण है ।

दूसरे पक्षम गुण और रीति भिन्न भिन्न मानी गयी हैं । इन भिन्नतावादियोंमें भी दो विकल्प हो जाते हैं । एक 'सङ्घटनाश्रया गुणा' अथात् सङ्घटनाके आश्रित गुण रहते हैं और दूसरा 'गुणाश्रया वा सङ्घटना' सङ्घटना गुणोंके आश्रित रहती है । इन दोनों भेदोंमेंसे 'सङ्घटनाश्रया गुणा' यह पक्ष भट्टोज्ज्वल आदिका है । उन्होंने गुणको सङ्घटनाका धर्म माना है । धर्म उदा धर्मान् आश्रित रहता ह इसलिए गुण सङ्घटनाके आश्रित रहते हैं । अथात् गुण आधेय और सङ्घटना आधाररूप है । इस पक्षम 'गुणानाश्रित्य तिष्ठन्ती' इस कारिकाकी 'आधयभूतान् गुणान् आश्रित्य अथात् आधयरूप गुणोंके आश्रयसे, सहयोगसे सङ्घटना रसादिको व्यक्त करती है—इस प्रकार व्याख्या होगी ।

तीसरा 'गुणाश्रया सङ्घटना' अथात् 'सङ्घटना गुणान् आश्रित रहती है' यह सिद्धांतपक्ष ह । यही आनन्दवर्धनाचायका अभिमत पक्ष है । इसम 'गुणानाश्रित्य तिष्ठन्ती' अथात् आधारभूत गुणोंके आश्रित स्थित होनेवाली सङ्घटना रसादिको व्यक्त करती है । इस प्रकार यद्यपि अंतिम पक्ष ही आलाककारका अभिमत पक्ष है फिर भी उन्होंने तीनों पक्षोंम कारिकाकी सङ्गति लगाने और तीनों मतोंके अनुसार सङ्घटनाका रसाभिव्यक्तिके साथ धनिष्ठ सम्बन्ध दिखलानेका यत्न किया है । यहाँ ऊपरकी मूल पक्तियोंका साराश है । उनका शब्दानुवाद इस प्रकार है—

१ नि० सा० संस्करण में 'रसान्' की जगह 'रस' पाठ है और पूरी कारिका एक साथ छपी है ।

'सा सङ्घटना रसादीन् व्यनक्ति गुणानाश्रित्य तिष्ठन्तीति । अत्र च विकल्प्यम्, गुणानां सङ्घटनायाश्चैक्यं व्यतिरेको वा । व्यतिरेकेऽपि द्वयी गति । गुणाश्रया सङ्घटना, सङ्घटनाश्रया वा गुणा इति ।

तत्रैक्यपक्षे सङ्घटनाश्रयगुणपक्षे च गुणानात्मभूतान्, आधेयभूतान् वाश्रित्य तिष्ठन्ती सङ्घटना रसादीन् व्यनक्तीत्ययमर्थः । यदा तु नानात्वपक्षे गुणाश्रयसङ्घटना-पक्षे, तदा गुणानाश्रित्य तिष्ठन्ती गुणपरतन्त्रस्वभावा न तु गुणरूपैवेत्यर्थः ।

किं पुनरेव विकल्पनस्य प्रयोजनमिति ?

अभिधीयते । यदि गुणा सङ्घटना चेत्येकं तत्र च सङ्घटनाश्रया वा गुणाः, तदा सङ्घटनाया इव गुणानामनियतविषयत्वप्रमङ्ग । गुणानां हि माधुर्यप्रसादप्रकर्षं करुण-विप्रलम्भशृङ्गारविषय एव । रौद्राद्भुतादिविषयमोज । माधुर्यप्रसादां रसभावतदाभास

गुण और सङ्घटनाके सम्बन्धविषयक तीन पक्ष

यह सङ्घटना गुणोंसे आश्रित होकर रसादिको अभिव्यक्त करती है । यहाँ [इस प्रकार] विकल्प करने चाहिये । गुणोंका और सङ्घटनाका [एक] अभेद है अथवा भेद [व्यतिरेक] । [व्यतिरेक] भेदपक्षम दो मार्ग हैं । गुणाश्रित सङ्घटना [है] अथवा सङ्घटनाश्रित गुण [है] ।

इनमेंसे १ 'अभेदपक्ष'में ओर २ 'सङ्घटनाश्रित गुणपक्ष' आत्मभूत [अभेद पक्ष]में अथवा आधेयभूत [सङ्घटनाश्रित पक्ष]में गुणोंके आश्रयसे स्थित होती हुई सङ्घटना रसादिको व्यक्त करती है—यह अर्थ होता है । जब [गुण और सङ्घटनाके] भेदपक्षम 'गुणाश्रित सङ्घटनापक्ष' [सिद्धांतपक्ष] है तब गुणोंके आश्रित स्थित [अथवा] गुणोंसे अधीन स्वभाववाली—गुणस्वरूप ही वहाँ—[सङ्घटना रसोंको अभिव्यक्त करती है] यह अर्थ होगा ।

गुणोंसे सङ्घटनाश्रित या सङ्घटनारूप माननेमें दोष

[प्रश्न] इस प्रकार विकल्प करनेका क्या प्रयोजन है ?

[उत्तर] उताते है । यदि गुण और सङ्घटना एक तत्र है [इनका अभेद है यह मानें ता] अथवा सङ्घटनासे आश्रित गुण रहते हैं, [यह पक्ष मानें] तो सङ्घटनाके समान गुणोंका भी अनियतविषयत्व हो जायगा । गुणोंका [विषय नियत है 'विषय नियमो व्यवस्थित' इन आगेसे शब्दासे अन्यत्र है] तो विषयनियम निश्चित है । जैसे, करुण और विप्रलम्भशृङ्गारमें ही माधुर्य ओर प्रसादका प्रकर्ष [होता है], भोज, रौद्र और अद्भुत विषयमें [ही प्रधानत रहता है], माधुर्य ओर प्रसाद, रस, भाव

१ 'सा ति० तथा वा० म नहीं है ।

२ 'यदा तु नानात्वपक्षो ति०, दी० ।

३ 'गुणाश्रय सङ्घटनापक्षश्च ति० । गुणाश्रयसङ्घटनापक्षश्च दी० ।

४ 'गुणानामनियतविषय वप्रमङ्ग' दी० ।

विषयावेव, इति विषयनियमो व्यवस्थित । सङ्घटनायास्तु स विघटते । तथाहि शृङ्गारेऽपि दीर्घसमासा दृश्यते^१, रौद्रादिष्वसमासा^२ चेति ।

तत्र शृङ्गारे दीर्घसमासा यथा,—“मन्दारकुमुमरेणुपिञ्जरितालका” इति ।

यथा चा—

अनवरतनयनजललयनिपतनपरिमुपितपत्रलेखे ते ।

करतलनिपण्णमत्रले षदनमिष क न तापयति ॥

इत्यादौ ।

तथा रौद्रादिष्वप्यसमासा दृश्यते^३ । यथा—“यो य शस्त्र विभर्ति स्वभुजगुरुमद”^४ इत्यादौ ।

तस्मान्न सङ्घटनास्वरूपा, न च सङ्घटनाश्रया गुणा^५ ।

और तदाभासविषयक ही होते हैं । [इस प्रकार गुणोंका विषयनियम बना हुआ है । परन्तु] सङ्घटनामें यह रिगड़ जाता है । क्योंकि शृङ्गारमें भी दीर्घसमासा [रचना-सङ्घटना-] पायी जाती है और रौद्रादि रसोंमें भी समासरहित [रचना पायी जाती है] ।

उनमेंसे शृङ्गारमें दीर्घसमासवाली [रचना-सङ्घटनाका उदाहरण] जैसे-‘मन्दार-कुमुमरेणुपिञ्जरितालका’ यह पद । [यह उदाहरण शृङ्गारमें दीर्घसमासवाली रचनाका दिया है । परन्तु पूर्ण प्रकरण सामने न होनेसे यहाँ शृङ्गारकी कोई प्रतीति नहीं होती । इसलिए यह उदाहरण ठीक नहीं है, यदि कोई ऐसी आशङ्का करे तो उनके सन्तोषके लिए दूसरा उदाहरण देते हैं ।]

अथवा जैसे—

हे अवले, निरन्तर अधुविन्दुओंके गिरनेसे मिटी हुई पत्रावलीवाला आग हवेलीपर गखा हुआ [दुःखका अभियञ्जन] तुम्हारा मुख किसको सन्तप्त नहीं करता । इत्यादिमें ।

और रौद्रादिमें भी समासरहित [रचना—सङ्घटना] पायी जाती है ।

जैसे—‘यो य शस्त्र विभर्ति स्वभुजगुरुमद’ इत्यादि [पृ० ९८ पर पूर्व उदाहृत श्लोक]में [समासरहित सङ्घटना है] ।

यदि गुणोंका सङ्घटनासे अभिन्न या सङ्घटनापर आश्रित मानें तो जैसे असमास और दीर्घ समास रचनाकी विषयव्यवस्था नहीं पायी जाती है उसी प्रकार गुणोंको भी विषयनियमसे रहित मानना होगा । परन्तु गुणोंका विषयनियम व्यवस्थित है ।

इसलिए गुण, न तो सङ्घटनारूप है और न तो सङ्घटनाश्रित है ।

१ ‘दृश्यन्ते’ नि०, दी० ।

२ ‘असमासाश्चेति’ नि०, दी० ।

३ ‘पत्रलेखान्तम्’ नि०, दी० ।

४ ‘दृश्यन्ते’ दी० ।

५ नि० तथा दी० म इस ‘गुणा’ पदको ‘तस्मान्न’के बाद रखा है ।

अभ्युपगते वा वाक्यव्यङ्ग्यत्वे रसादीना न नियता काचित् सङ्घटना तेषामाश्रयत्वं प्रतिपद्यते इत्यनियतसङ्घटना शब्दा एव गुणाना व्यङ्ग्यविशेषानुगता आश्रयाः ।

ननु माधुर्ये यदि नामैवमुच्यते तदुच्यताम् । ओजसः पुनः कथमनियतसङ्घटन-
शब्दाश्रयत्वम् । नह्यसमासा सङ्घटना कदाचिदोजस आश्रयता प्रतिपद्यते ।

मतानुसार शृङ्गाररसाभिव्यञ्जक वाच्य प्रतिपादनक्षमता ही शब्दका माधुर्य है । इसलिए रसामि-
यत्तिके लिए अथकी अपेक्षा है । और यह वाचकत्व, सङ्घटित शब्दरूप वाक्यमें ही रहता है, अकेले
गुणों या पदोंमें नहीं, क्योंकि केवल वण तो अनर्थक हैं और केवल पद स्मारकमात्र हैं, वाचक
नहीं । इसलिए वाचकत्व केवल सङ्घटित शब्दों अर्थात् वाक्यमें ही रह सकता है । और जहाँ वाचकत्व
रह सकता है वहीं उपचारसे माधुर्यादि गुणोंकी स्थिति हो सकती है । इसलिए वाचकत्वके शब्दरूप
वाक्यनिष्ठ होनेसे माधुर्यादि गुण भी उपचारसे सङ्घटनाधम ही हुए । इसलिए सङ्घटनाभित गुणवादका
सर्वथा गण्डन नहीं किया जा सकता है । वह भट्टोद्भट्टने मतका सार है ।

इस मतसे अनुसार भट्टोद्भट्ट भी पदोंको अथाचक केवल स्मारकमात्र मानते हैं । इस
स्मारकवादकी चर्चा इसी उत्रोत्तमें हो चुकी है । परन्तु वहाँ भी पदोंके 'स्मारकत्व' और 'वाचकत्व'
पक्षके निगमको प्रथकारने टाल दिया था । अब वही प्रश्न यहाँ फिर उपस्थित हो जाता है । परन्तु
यहाँ भी प्रथकारने उसका निर्णय करनेका प्रयत्न नहीं किया है । इसका अभिप्राय यह है कि पदोंका
वाचकत्व है, या श्रोतकत्व, अथवा स्मारकत्व, यह एक अलग प्रश्न है । उसके निगमको छोड़कर भी
गुणोंके रसधर्मत्व और उपचारसे शब्दधर्मत्वका निश्चय किया जा सकता है । अतएव उस रत्न और
गौण प्रश्नको यहाँ भी छोड़ दिया है ।

अब रह जाता है भट्टोद्भट्टके सङ्घटनाश्रय गुणवादके औचित्य या अनौचित्यके निर्णयका
प्रश्न । उसके विषयमें प्रथकार यह कहते हैं कि यदि 'दुर्जनतोपन्याय'से भट्टोद्भट्टके अनुसार
शब्दोंके स्मारकत्व और केवल वाक्यके वाचकत्वको भी मान लिया जाय तो भी नियत सङ्घटनावाले
सभी शब्द अर्थात् वाक्य, अथवा वाचक हो सकते हैं । परन्तु असमासा रचनासे शृङ्गारके समान
ओजस आश्रय रौद्रादिकी भी अभिव्यक्ति हो सकती है और समासबहुला या दीर्घसमासा सङ्घटनासे
रौद्रादिके समान शृङ्गारकी भी अभिव्यक्ति हो सकती है । इसलिए शृङ्गारादिकी अभिव्यक्तिके लिए
किसी नियतसङ्घटनाका नियम न होनेसे माधुर्यादि गुणोंको नियतसङ्घटनाभित धर्म नहीं माना जा
सकता है । इसी बातको आगे कहते हैं—

[दुर्जनतोपन्यायसे] यदि रस आदिको वाक्यव्यङ्ग्य ही मान लिया जाय
[अर्थात् वर्णपदादिको रसाभिव्यञ्जक न माना जाय] तो भी कोई नियतसङ्घटना [जैसे
असमासा या दीर्घसमासा आदि] उन [रसों]का आश्रय नहीं होती, इसलिए व्यङ्ग्य
विशेषसे अनुगत [शृङ्गारादि] अनियतसङ्घटनावाले शब्द ही गुणोंके आश्रय हैं [अर्थात्
गुण सङ्घटनाधम नहीं हैं] ।

[प्रश्न—अनियतसङ्घटनावाले शब्द ही गुणोंके आश्रय होते हैं] यह बात यदि
आप माधुर्यके विषयमें कहें तो कह सकते हैं परन्तु ओज तो अनियतसङ्घटनाभित
कैसे हो सकता है ? क्योंकि [ओजकी प्रकाशक तो दीर्घसमाससङ्घटना नियत ही हैं]
असमासा [अर्थात् समासरहित] सङ्घटना कभी ओजका आश्रय नहीं हो सकती है ।

उच्यते । यदि न प्रसिद्धिमात्रमहृषित चेतस्तदपि न न' ब्रूम । ओजसः
क्यमसमासा सहटना नाश्रय । अतो रोद्रादीन हि प्रकाशयत काव्यस्य दीप्तिरोज इति
प्राक् प्रतिपादितम् । तच्चीजा यत्समासायामपि सहटनाया स्यात्, तत्को दोषो भवेत् ।
न चाचारुत्त सहृदयहृदयसवेगमस्ति । तस्मादनियतमहृटनशब्दाश्रयत्वे गुणाना न
काचिन् क्षति । तेषा तु चक्षुरादीनामिव यथास्व विषयनियमितस्य स्वरूपस्य न
कदाचिद् व्यभिचार । तस्मादन्ये गुणा अन्या च सहटना । न च सहटनाश्रिता
गुणा, इत्येक दर्शनम् ।

अथवा सहटनारूपा एव गुणा । यत्तूक्तम् 'सहटनावद् गुणानामप्यनियतविषयत्व
प्राप्नोति लक्ष्ये व्यभिचारदर्शानात्' इति । तत्राप्येतदुच्यते—यत्र लक्ष्ये परिकल्पितविषय-
व्यभिचारस्तद् विरूपमेवास्तु ।

अथमचारत्व तादृशे विषये सहृदयाना नावभातीति चेत् ?

[उत्तर] कहते हैं यदि केवल प्रसिद्धिमात्रके आग्रहसे [आपका] मन दूषित न हो
तो उहा भी हम [ओजकी प्रतीति असमासा रचनासे] नहां [होती यह] नहीं कह सकते
हैं [अर्थात् केवल प्रसिद्धिकी बात छोड़कर विचारों तो असमासा रचनासे ओजकी
प्रतीति होती है] । असमासा रचना ओजका आश्रय क्यों नहीं होती [अर्थात् अश्रय
होती है] क्योंकि रोद्रादि रसोंको प्रकाशित करनेवाली काव्यकी दीप्तिका नाम ही तो
ओज है । यह बात पहिले कह चुके हैं । और यह दीप्तिरूप ओज यदि समासरहित
रचनामें भी रहे तो क्या दोष है ? [अर्थात् कोई दोष नहीं है । उस समासरहित रचना
से ओज प्रकाशनमें] किसी प्रकारका अचादत्व सहृदयहृदयके अनुभवमें नहीं आता ।
इसलिए गुणोंके अनियतसहटनावाले शब्दोंका धर्म यदि [उपचारसे] मान लिया जाय
तो कोई हानि नहां है । और चक्षुरादि इन्द्रियोंके समान उनके अपने अपने विषय
नियमित स्वरूपका नही व्यभिचार नहीं होता । इसलिए गुण अलग है, सहटना अलग
है और गुण सहटनाके आश्रित नहीं रहते यह एक निष्कर्ष है [यह स्वामित्त
सिद्धान्तपक्षका उपसहार किया] ।

अथवा [व्याप्तमानुसारी प्रथम पक्षमें] सहटनारूप ही गुण हैं । [अर्थात्
गुणोंको सहटनारूप माननेवाले इस व्याप्तमानमें भी कोई हानि नहीं है । इस पक्षमें जो
दोष दिया था उसका समाधान करते हैं] और जो यह कहा था कि लक्ष्य [अर्थात् 'यो
य शख' तथा 'अनघरतनयनजलत्व' आदि उदाहरणों] में [सहटनानियमका]
व्यभिचार पाये जानेसे सहटनाके समान गुणोंमें भी अनियतविषयत्व प्राप्त होगा
उसका भी समाधान यह है कि जिस उदाहरणमें [सहटनाके] परिकल्पित विषयनियम
का व्यभिचार पाया जाय उसकी [सहटना]को [विरूप] दूषित ही मानना चाहिये ।

[प्रश्न—यदि 'यो य शख विभक्ति' इत्यादिही सहटना दूषित है तो] उस
प्रकारके विषयोंमें सहृदयोंको अचादत्वकी प्रतीति क्यों नहीं होती ? [यह शक्य हो तो]

१ नि० दी० में केवल एक ही 'न' है ।

२ 'तादृशविषये' नि०, दी० ।

३ 'प्रतिभाति' नि०, (न) प्रतिभाति, दी० ।

कविशक्तितरोहितत्वान् । द्विविधो हि दोष , कपेरव्युत्पत्तिकृतो, अशक्तिकृतश्च । तत्राव्युत्पत्तिकृतो दोष शक्तितिरस्कृतत्वान् कदाचिन लक्ष्यते । यस्त्वशक्तिकृतो दोष स शटिति प्रतीयते । परिकरदलोकश्चात्र—

अव्युत्पत्तिकृतो दोष शक्त्या सप्रियते करे ।

यस्त्वशक्तिकृतस्तस्य स शटित्यवभासते ॥

तथाहि — महाकवीनामप्युत्तमदेवताविषयप्रसिद्धसम्भोगशृङ्गारनिगन्धनाद्यनौचित्य शक्तितिरस्कृतत्वाद्^१ प्राम्यत्वेन न प्रतिभासते । यथा कुमारसम्भवे देवीसम्भोगवर्णनम् । एवमादौ च विषये^२ यथौचित्यात्यागस्तथा दर्शितमेवात्रे ।

[उत्तर] कविनी प्रतिभा [शक्तिके ग्ल]से द्र जानने [तिरोहित हो जानेसे वह अचार्य्य रूपसे प्रतीत नहीं होता]। दो प्रकारके दोष [कायमें] हो सकते हैं—१ [कविकी] अव्युत्पत्तिकृत और २ [कविनी] अशक्तिकृत । [कविकी नग्नजोमेपशालिनी—वर्णनीय घस्तुके नये-नये ढगसे घणन कर सकनेकी प्रतिभाको 'शक्ति' कहते हैं। और उसके उपयुक्त समस्त वस्तुओंके पोंपपर्यके विवेचनकाशरको व्युत्पत्ति कहते हैं। इहाँ शक्ति या व्युत्पत्तिकी न्यूनतासे कायमें दोष आ सकते हैं] उनमेंसे अव्युत्पत्तिकृत दोष शक्ति [प्रतिभाके प्रभाव]से द्र जानेके कारण कभी कभी अनुभवमें नहीं आता । परन्तु जो अशक्तिकृत दोष है वह तुरन्त प्रतीत हो जाता है । इस विषयमें परिकर-दलोक भी है—

अव्युत्पत्तिके कारण होनेवाला दोष कविकी शक्तिके घटने छिप जाता है । परन्तु कविकी अशक्तिके कारण जो दोष होता है वह तुरन्त प्रतीत हो जाता है ।

जैसे कि [कालिदास आदि] महाकवियाके उत्तमदेवताविषयक प्रसिद्ध सम्भोग शृङ्गारादिके वर्णनका [माता पिताके सम्भोगगणनके समान अत्यन्त अनुचित होते हुए भी] अनौचित्य भी शक्तिसे द्र जानेके कारण प्राम्यरूपसे प्रतीत नहीं होता है । जैसे कुमारसम्भवमें देवी [पार्वती] के सम्भोगका वर्णन ।

इस प्रकारके उदाहरणों ओचित्यके अत्यागका [उपादान] कैसे किया जाय यह आगे [इसी उद्योतमें १० से १४ कारिकातक] दिखलाया ही है ।

यहाँ कवि कालिदासने प्रतिभाग्लसे शिव और पार्वतीके सम्भोगशृङ्गारका वर्णन इस सु दरता से किया है कि पाठकका हृदय उसने रसास्वादमें ही मग्न हो जाता है और उसके ओचित्य अनौचित्यके विचारका अवसर ही नहीं पाता है । जैसे महयुद्ध या रोल आदिकी किसी प्रतिद्विताम साधुवादके स्थानपर आशीर्वादके योग्य किसी छोटे चत्तिके कौशलको देखकर प्रेक्षकके मुँहसे हठात् साधुवाद निकल पड़ता है और उसका अनौचित्य प्रतीत नहा जाता, उसी प्रकार कविकी प्रतिभावश सहृदय

१ 'यस्त्वशक्तिकृतस्तस्य' नि० ।

२ 'शक्तितिरस्कृत' नि० ।

३ 'यथौचित्यात्याग' नि० ।

शक्तिरिस्कृतत्व चान्वयव्यतिरेकाभ्यामवसीयते । तथाहि शक्तिरहितेन कविना एवविधे विषये शृङ्गार उपनिबध्यमान स्फुटमेव दोषत्वेन प्रतिभासते ।

नन्वस्मिन् पक्षे 'यो य शस्त्र विभर्ति' इत्यादौ किमचारुत्वम् ?

अप्रतीयमानमेवारोपयामः ।

उस शृङ्गारमें इतना तमय हो जाता है कि उसे औचित्य अनौचित्यकी भीमासाका अवसर नहीं मिलता । यही शक्तिबलसे दोषका तिरस्कृत हो जाना अथवा दब जाना है ।

यहाँ वृत्तिकार लिख रहे हैं 'दशितमेवाग्रे', अर्थात् आगे दिखलाया जायगा, परन्तु भूतार्थक 'क' प्रत्ययका प्रयोग कर रहे हैं । इसकी सङ्गति इस प्रकार लगानी चाहिये कि ग्रथकार वृत्तिके पूर्व कारिकाओंका निमाण कर चुके थे । इसी आशयसे वृत्तिमें 'दशितम्' इस पदसे भूतकालका निर्देश किया है ।

[अव्युत्पत्तिकृत दोषका] शक्तिरिस्कृतत्व अन्वयव्यतिरेकसे सिद्ध होता है । क्योंकि शक्तिरहित कवि यदि ऐसे [उत्तम देवतादिके] विषयमें शृङ्गारका चर्चन करे तो [माता पिताके सम्भोगवर्णनके समान] स्पष्ट ही दोषरूपसे प्रतीत होता है [और महाकवि कालिदास जैसे प्रतिभावान्नका किया हुआ पार्वतीका सम्भोगवर्णन दोषरूपमें प्रतीत नहीं होता, अतः अन्वयव्यतिरेकसे दोषका शक्तिरिस्कृतत्व सिद्ध होता है] ।

[प्रश्न—गुणोंको सङ्घटनारूप माननेमें, विषयनियमका अतिक्रमण करनेवाली सङ्घटनाको दूषित सङ्घटना ठहरानेका जो मत आपने म्यिर किया है उसके अनुसार] इस पक्षमें 'यो य शस्त्र विभर्ति' इस उदाहरणमें क्या अचारुत्व है ?

[उत्तर—वास्तवमें कोई अचारुत्व अनुभवमें नहीं आता फिर भी] हम लोग [व्यर्थ ही] अविद्यमान अचारुत्वका आरोप करते हैं ।

अविद्यमान अप्रतीयमान अचारुत्वके भी आरोप करनेका भाव यह है कि सङ्घटना और गुणको अभिन्न माननेवाले वामनके पक्षमें 'यो य शस्त्र विभर्ति' इत्यादि उदाहरणोंमें रौद्रादि रसमें भी समासरहित अतएव ओजोविहीन रचनाके पाये जानेके कारण सङ्घटनाके विषयनियमकी अनुपपत्ति आती है और उसके कारण 'माधुयप्रसादप्रकप कर्षणविप्रलम्भशृंगारविषय एव । रौद्राद्भुतादि विषयभोज ।' इत्यादि गुणोंका जो निर्धारित विषय है वह भी अयवस्थित होने लगता है, तब गुणोंके विषयनियमकी रक्षाके लिए इस प्रकार उदाहरणोंको दोषग्रस्त मानना ही अच्छा है । इस प्रकारके अपवादस्थलोंके हट जानेसे गुण और सङ्घटना दोनोंका विषयनियम व्यवस्थित हो सकता है । गुण और सङ्घटना दोनोंके विषयनियमको अवस्थित करनेका यह एक प्रकार है ।

इस प्रकारमें व्यवस्थाका नियामक रसतत्त्वको माना है । फिर भी इस प्रकारमें, 'यो य शस्त्र विभर्ति' इत्यादि कुछ उदाहरणोंको दोषकी प्रतीति न होनेपर भी दूषित मानना पड़ता है । वह कुछ अच्छी रचिक्कर बात नहीं है । इसीलिए ग्रथकार विषयनियमके व्यवस्थापक अन्य तत्त्वोंकी चर्चा आगे कर रहे हैं जिससे उन नियामक तत्त्वोंकी दृष्टिसे गुण और सङ्घटनाको एक माना जाय या अलग प्रत्येक दशामें विषयनियमका उपपादन किया जा सके । इसी दृष्टिसे रसातिरिक्त नियामक तत्त्वोंकी चर्चा प्रारम्भ करते हैं ।

तस्माद् गुणव्यतिरिक्तत्वे गुणरूपत्वे च सङ्घटनाया अन्य वञ्चिन्नियमहेतुर्नक्तव्य ।
इत्युच्यते—

‘तन्नियमे हेतुरौचित्यं वस्तुवाच्ययोः ॥६॥

तत्र वक्ता कवि, कविनिपट्टो वा^१ । कविनिपट्टश्चापि रसभावरहितो रसभाव
समन्वितो वा । रसोऽपि कथानायकाश्रयस्तद् विपक्षाश्रयो वा । कथानायकश्च धीरोदात्ता-
दिभेदभिन्न पूर्वस्तदनन्तरो वेति विकल्पा ।

वाच्य च ध्वन्यात्परसाङ्ग रसाभासाङ्ग वा, अभिनेयार्थमनभिनेयार्थ वा, उत्तम
प्रकृत्याश्रय तदितराश्रय वेति बहुप्रकारम् ।

सङ्घटनाका नियामक तत्त्व

इसलिए [सङ्घटनाके गुणव्यतिरिक्त माननेपर सङ्घटनानियामक कोई हेतु ही न
होने और सङ्घटनारूप माननेमें रसको ठीक तरहसे नियामक नहीं माना जा सकता है,
क्योंकि ‘यो य’ इत्यादिमें उसका व्यभिचार दिनाया जा चुका है । अतएव] गुणव्यति-
रिक्तत्व और गुणरूपत्व [दोनों ही पक्षों]में सङ्घटनाके नियमनार्थ कोई और ही हेतु
यतलाना चाहिये । इसलिये कहते हैं—

उस [सङ्घटना] के नियमनका हेतु वक्ता तथा वाच्यका औचित्य [ही] है ॥६॥

उनमेंसे वक्ता कवि या कविनिपट्ट [दो प्रकारका] हो सकता है । और
कविनिपट्ट [वक्ता] भी रसभाव [आदि] रहित अथवा रसभाव [आदि] युक्त [दो प्रकार
का] हो सकता है । [उसमें] रस भी कथानायकनिष्ठ अथवा उसके विरोधी [प्रतिनायक]
निष्ठ [दो प्रकारका] हो सकता है । कथानायक भी धीरोदात्तादि [धमयुद्धवीरप्रधाना
धीरोदात्त । धीरोत्तप्रधानो धीरोद्भूत । वीरशृङ्गारप्रधानो धीरगलित । दानधर्मवीर
शांतप्रधानो धीरप्रशान्त । इति चत्वारो नायका क्रमेण सात्त्वती आग्नेयी वैशिकी
भारतीलक्षणवृत्तिप्रधाना ।—‘दशरूपक’ टीका] भेदसे भिन्न, मुख्य नायक अथवा उसके
प्रादक्षा [उपनायक—पीठमर्द] हो सकता है । इस प्रकार [वक्ताके अनेक] विस्मय हैं ।

वाच्य [अर्थ ही] ध्वनिरूप [प्रधान] रसका अङ्ग [अभिव्यञ्जक] अथवा रसा
भासका अङ्ग [अभिव्यञ्जक] अभिनेयार्थ, या अनभिनेयार्थ, उत्तम प्रकृतिमें आश्रित,
अथवा उससे भिन्न [मध्यम, अधम] प्रकृतिमें आश्रित इस तरह नाना प्रकारका
हा सकता है ।

अभिनेयाथ और अनभिनेयाथ य ताना वाच्यन भेद है, अतएव यहा उसक विशेषण है ।
साधारणत बहुमीहि समास ‘अभिनेय जथो यस्य सोऽभिनेयार्थ’ न अनुसार अर्थ करनेमें ‘यस्य’
पद तो वाच्यका ही परामर्श हागा । उस दशम ‘वाच्य’ और ‘अर्थ’ दोनोंन एन ही जानने ‘साहो
दिर’ इत्यादि प्रयोगन समान ‘यपदेशिवद्ग्रायत्री कल्पना करनी हागी । अतएव इसकी ‘यारया

१ नि० में इस कारिकाभागको यहाँ वृत्तिरूपमें छापा है और पहिल कारिका एक साथ रखी है ।

२ ‘कविनि’ नि० ही० में अधिक है ।

तत्र यदा कविरपगतसमाधौ षक्ता तदा रचनाया कामचार । यदा हि कवि-
नियद्धौ षक्ता रसभावरहितस्तदा स एव । यदा तु कविः कविनियद्धौ वा षक्ता रस-
भावसमन्वितो, रसश्च प्रधानाश्रितत्वाद्^१ ध्वन्यात्मभूतस्तदा^२ नियमेनैव तत्रासमासमध्य-
समासे एव सङ्घटने । करुणविप्रलम्भशृङ्गारयोस्त्वसमासैव सङ्घटना ।

कथमिति चेत्, सृज्यते । रसो यदा प्राधान्येन प्रतिपाद्यस्तदा तत्प्रतीती व्यवधायका
विरोधिनश्च सर्वात्मनैव परिहारायाः । एव च दीर्घसमासा सङ्घटना, समासानामनेक-
प्रकारसम्भावनया, कदाचिद् रसप्रतीतिं व्यवधायतीति तस्या नारत्यन्तमभिनवेश शोभते ।
विशेषतोऽभिनेयार्थे काव्ये । ततोऽन्यत्र च विशेषतः करुणविप्रलम्भशृङ्गारयो । तयोर्हि
सुकुमारतरत्वात् स्वल्पायामप्यस्वच्छताया शब्दार्थयोः प्रतीतिर्मन्वरीभवति ।

‘अभिनेयो वागङ्गसत्त्वाहार्ये अभिमुख्यं साक्षात्कारमाय नेयोऽर्थो व्यङ्ग्यरूपो ध्वनिस्वभावो यस्य तद
भिनेयार्थं वाच्यम्’ इस प्रकार करनी चाहिये । इसका भाव यह हुआ कि वाचिक, आङ्गिक, सात्विक
और आहार्य आरोपित चेष्टादि द्वारा अभिमुख्य अर्थात् साक्षात्काररूपताको निषका व्यङ्ग्य या
ध्वनिरूप अर्थ नेय हो उस वाच्यको अभिनेयार्थ वाच्य कहना चाहिये । इस प्रकार सङ्घटनाके नियमके
नियामक षक्ता तथा वाच्यके अनेक भेद प्रदर्शित कर अब उनके औचित्यके सङ्घटनाके नियमका
निरूपण करते हैं—

उन [अनेकविध-षक्ताओं] मेंसे जय रसभावरहित कवि [शुद्ध कवि] षक्ता हो तब
रचनाकी स्वतन्त्रता है । और जय रसभावरहित कविनियद्ध षक्ता हो तब भी यही
[कामचार] स्वतन्त्रता है । जब कि कवि अथवा कविनियद्ध षक्ता रसभावसमन्वित हो
और रस भी प्रधानाश्रित होनेसे ध्वन्यात्मभूत हो तब वहाँ नियमसे ही असमास अथवा
मध्यमसमासघाटी रचना ही करनी चाहिये । करुण और विप्रलम्भशृङ्गारमें तो
समासरहित ही सङ्घटना होनी चाहिये ।

क्यों ? यदि यह प्रश्न हो तो, उत्तर यह है कि जब रस प्रधानरूपसे प्रतिपाद्य
है तब उसकी प्रतीतिमें विघ्न डालनेवाले और उसके विरोधियोंका पूर्ण रूपसे परिहार
ही करना चाहिये । इस प्रकार [एक सम्स्त पदमें] अनेक प्रकारके समास [विग्रह]
की सम्भावनना होनेसे दीर्घसमासघाटी रचना रसप्रतीतिमें कदाचिद् बाधक हो इसलिए
उस [दीर्घसमासरचना]के विषयमें अत्यन्त आप्रह अच्छा नहीं है । विशेष रूपसे
अभिनेयार्थक काव्यमें । [क्योंकि दीर्घसमासवाले पदोंको अलग किये बिना उनका
अभिनय ठीक तरहसे नहीं हो सकता है । और न काकुसे चोत्थ अर्थ, ओर धीच-बीचमें
प्रसादार्थक हास्य, गान आदिकी सङ्गति ही ठीक होती है इसलिए अभिनेय व्यङ्ग्य
काव्यमें भी दीर्घसमासा रचना ठीक नहीं होती] और उससे भिन्न [काव्य] में विशेषतः
करुण तथा विप्रलम्भशृङ्गारमें [दीर्घसमासरचना उचित नहीं है । क्योंकि] उनके

१ ‘प्रधानभूतत्वाद्’ नि० धी० ।

२ ‘तदापि’ नि० ही ।

रसान्तरे पुन प्रतिपाद्ये रौद्रादौ मध्यमसमासापि सङ्घटना कदाचिद् धीरोद्धतनायक सम्बन्धव्यापाराश्रयेण, दीर्घसमासापि वा तदाश्लेषाविनाभाविरसोचितवाच्यापेक्षया न विगुणा भवतीति सापि नात्यन्त परिहार्या ।

सर्वासु च सङ्घटनासु प्रसादारयो गुणो व्यापी । स हि सर्वरससाधारण सर्व-सङ्घटनासाधारणश्चेत्युक्तम् । प्रसादातिश्रमे ह्यसमासापि सङ्घटना करुणविप्रलम्भशृङ्गारौ न व्यनक्ति । तदपरित्यागे च मध्यमसमासापि न न' प्रकाशयति । तस्मात् सर्वत्र प्रसादोऽनुसर्तव्य ।

अत एव च 'यो य शस्त्र विभर्ति' इत्यादौ यद्योजसः स्थितिर्नेष्यते तत् प्रसादाख्य एव गुणो न माधुर्यम् । न चाचारुत्वम् । अभिप्रेतरसप्रकाशनात् ।

अत्यन्त सुकुमार [रस] होनेने शब्द ओर अर्थकी तनिक-सी भी अस्पष्टता होनेपर [रसकी] प्रतीति शिथिल हो जाती है ।

ओर रौद्रादि दूसरे रसोंके प्रतिपादनमें तो धीरोद्धत नायकके सम्बन्ध या व्यापारादिके सहारे मध्यमसमासा सङ्घटना अथवा दीर्घसमासा रचना भी उस [दीर्घ समासा रचना]के बिना प्रतीत न हो सकनेवाले किन्तु रसोचित वाच्यार्थप्रतीतिकी आवश्यकतापश्चात् [इस पदका समास इस प्रकार करना चाहिये, 'तस्या दीर्घसमास सङ्घटनाया य आश्लेष', तेन विना यो न भवति व्यङ्ग्याभिव्यञ्जक, तादृशो रसोचितो रसव्यञ्जकतयोपादीयमानो वाच्यस्तस्य यासावपेक्षा दीर्घसमाससङ्घटना प्रति सा अवैगुण्ये हेतु'] प्रतिकूल नहीं होती है, इसलिए उसका भी अत्यन्त त्याग नहीं करना चाहिये ।

प्रसाद नामक गुण सब सङ्घटनाओंमें व्यापक है । यह समस्त रसों और समस्त रचनाओंमें समान रूपसे रहनेवाला साधारण गुण है यह [प्रथम उद्योतमें] कहा जा चुका है । [यह कथनमान कदाचित् पर्याप्त न समझा जाय इसलिए अन्य व्यतिरेकसे भी प्रसाद गुणकी सघरस और सर्वसङ्घटनासाधारणता सिद्ध करते हैं] प्रसादके बिना समासरहित रचना भी करुण तथा विप्रलम्भशृङ्गारको अभिव्यक्त नहीं करती है [यह व्यतिरेक हुआ—'तद्भावे तद्भावो व्यतिरेक'] और उस [प्रसाद गुण]के रहनेपर मध्यमसमासवाली रचना भी [करुण या विप्रलम्भशृङ्गारको] नहीं प्रकाशित करती है यह बात नहीं है । [अथात् प्रकाशित करती ही है यह अन्वय हुआ] इसलिए प्रसादका सर्वत्र [सब रसों और सब रचनाओंमें] अनुसरण करना चाहिये ।

इसलिए 'यो य शस्त्र विभर्ति' इत्यादि [उदाहरण] में [दीर्घसमासा रचना न होनेके कारण] यदि शोच गुणकी स्थिति अभिमत नहीं है तो [उसमें] प्रसाद गुण ही है, माधुर्य नहीं । और [सघरससाधारण उस प्रसाद गुणके रहनेसे] किसी प्रकारका असादर्य नहीं होता है । क्योंकि [प्रसाद गुणसे भी] अभिप्रेत [रौद्र] रसकी अभिव्यक्ति हो सकती है ।

तस्माद् गुणान्वयतिरिक्तत्वे गुणान्वयतिरिक्तत्वे वा सङ्घटनाया यथोक्तानौचित्याद् विषयनियमोऽस्तीति तस्या अपि रसव्यञ्जकत्वम् । तस्याश्च रसाभिव्यक्तिनिमित्त भूताया योऽयमनन्तरोक्तो नियमहेतु स एव गुणाना नियतो विषय इति गुणाश्रयेण व्यवस्थानमप्यविरुद्धम् ॥६॥

विषयाश्रयमप्यन्यदौचित्यं ता नियच्छति ।

काव्यप्रभेदाश्रयतः स्थिता भेदवती हि सा ॥७॥

वक्तृवाच्यगतौचित्ये सत्यपि^१ विषयाश्रयमन्यदौचित्यं सङ्घटना नियच्छति । यत् काव्यस्य प्रभेदा मुक्तक^२ सस्मृतप्राकृतापभ्रशनिद्वयम्, सन्दानितक विगणक कलापक-

इसलिए [सङ्घटनाके] गुणोंसे अभिन्न मान या भिन्न [दाना जगस्थानामें] उक्त [यत्ता तथा वाच्यके] औचित्यसे सङ्घटनाका विषयनियम [उन ही जाना] है इसलिए यह भी रसकी अभिव्यञ्जक होती है । रसकी अभिव्यक्तिम हेतुभूत उस [सङ्घटना] का नियामक जो यह [यत्ता ओर वाच्यका औचित्यरूप] हेतु अभी [ऊपर] रहा है वही गुणोंका नियत विषय है । इसलिए [सङ्घटनाकी] गुणाश्रयरूपम व्यवस्थामें भी विरोध नहीं है ।

इस प्रकार यदि गुण और सङ्घटना एकरूप अर्थात् अभिन्न हैं तो गुणाका जो विषयनियम है वही सङ्घटनाका भी विषयनियम होगा इसलिए वामनाथ अभेदपरम काइ दाप नही है । इसी प्रकार गुणाधीन सङ्घटनापक्ष अर्थात् स्वाभिमत सिद्धांतपरम भी गुणाका विषयनियम हेतु ही सङ्घटनानियामक होंगे अतएव वह भी निदुष्ट पक्ष है । अब रहा तीसरा भेदाश्रयता सङ्घटनाश्रित गुणपर उसमें भी यत्ता वाच्यका औचित्य सङ्घटनाका नियामक उन करता है, इसलिए इस परकी सङ्घति भी लग सकती है । इस प्रकार इस कारिकाके प्रारम्भम उगये गये तीना विगणकारी सङ्घति हो जानेम सङ्घटनाकी रसाभिव्यञ्जकता भी बन जाती है ॥६॥

काव्यप्रकारोंका [विषयगत] औचित्यं सङ्घटनानियामक

[यत्ता तथा वाच्यके औचित्यके अतिरिक्त] विषयाश्रित औचित्य [अर्थात् काव्य वाक्यकी समुदायरूपमें स्थिति आदि, जैसे सेनारूप समुदायरूपे अन्तगत कापुरय भी उस सेनिक मर्यादाका पालन करता हुआ उचित रूपमें स्थित रहता है उसी प्रकार सन्दानितक आदि आगे कहे गये समुदायात्मक काव्यवाक्यका औचित्य] भी उस [सङ्घटना] का नियामक करता है । वाक्यके [मुक्तक आदि] भेदात्म भी उस [सङ्घटना] के भेद हो जाते हैं ॥७॥

यत्ता तथा वाच्यगत औचित्यके [सङ्घटनानियामक] होनेपर भी दूसरा विषयाश्रित औचित्य भी उस सङ्घटनाका नियामक करता है । क्योंकि काव्यके सस्मृत, प्राकृत, अपभ्रंशमें नियत १ मुक्तक [स्वयमें परिपूर्ण स्फुट श्लोक जैसे अमरकशतक,

१ 'सत्यपि' पाठ ही० में नहीं है ।

२ 'मुक्तकं श्लोक एवैकश्रमत्कारक्षम सताम्' ।

कुलकानि^१, पर्यायबन्धः, परिकथा, खण्डकथासकलकथे^२, सर्गबन्धो, अभिनेयार्थ, आख्यायिकाकथे^३ इत्येवमादयः । तदाश्रयेणापि सङ्घटना विशेषवती भवति ।

(१) तत्र मुक्तकेपु रसबन्धाभिनिवेशिन कवेस्तदाश्रयमौचित्यम् । तच्च दर्शितमेव । अन्यत्र कामचारः । मुक्तकेपु^४ प्रबन्धेष्विव रसबन्धाभिनिवेशिन कवयो दृश्यन्ते । यथा ह्यमरुकस्य कवेर्मुक्तकाः शृङ्गाररसस्यन्दिन प्रबन्धायमानाः प्रसिद्धा एव । सन्दानित-कादिषु तु विकटनिबन्धनौचित्यान्मध्यमसमासादीर्घसमासे एव सङ्घटने । प्रबन्धाश्रयेषु यथोक्तप्रबन्धौचित्यमेवानुसर्तव्यम् ।

गाथासप्तशती, आर्षासप्तशती, आदिके श्लोक], (क) सन्दानितक [दो श्लोकोंमें क्रियाका अन्यय होनेवाले युग्म], (ख) विशेषक [तीन श्लोकोंमें क्रिया समाप्त होनेवाले], (ग) कलापक [चारका एक साथ अन्यय होनेवाले श्लोक], कुलक [पाँच या पाँचसे अधिक एक साथ अन्वित होनेवाले श्लोक], २ पर्यायबन्ध [सन्तादि एक विषयका घर्णन करनेवाला प्रकरण पर्यायबन्ध कहलाता है], ३ परिकथा [धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन पुरुषार्थचतुष्टयमेंसे एकके सम्वन्धमें बहुत सी कथाओंका समूह परिकथा कहलाता है], ४ खण्डकथा [किसी बड़ी कथाके एक देशका घर्णन करनेवाली कथा], ५ सकलकथा [फलपर्यन्त सम्पूर्ण इतिवृत्तकी कथा सकलकथा कहलाती है । खण्डकथा और सम्पूर्ण कथा, दोनोंका प्राकृतमें अधिक प्रयोग होनेसे द्वियचनान्त द्वन्द्वसमासका रूप दिया है], ६ सर्गबन्ध [महाकाव्य], ७ अभिनेयार्थ [नाटक, प्रकरण भाण, प्रहसन, डिम, व्यायोग, समवकार, धीधी, अङ्क आदि दशविध रूपक], ८ आख्यायिका [उच्छ्वासादि भागोंमें नियत यक्ता प्रतिवक्ता आदि युक्त कथा आख्यायिका और उससे रहित कथा, कथा कहलाती है] और ९ कथा आदि अनेक प्रकार [काव्यके] हैं । इनके आश्रयसे भी सङ्घटना [रचना] में भेद हो जाता है ।

उनमेंसे (१) मुक्तकोंमें रसनियन्धमें आप्रहवान् कविके लिए [जो] रसाश्रित औचित्य [नियामक और] हे उसे दिखला ही चुके हैं । अन्यत्र रसाभिनिवेशरहित काव्य में कवि चाहे जैसी रचना करें] कामचार [स्वतन्त्रता] है । प्रबन्ध [काव्यों] के समान मुक्तकोंमें भी रसका अभिनिवेश करनेवाले कवि पाये जाते हैं । जैसे अमरुक कविके शृङ्गाररसको प्रवाहित करनेवाले प्रबन्धकान्यसदृश [विभावादिसे परिपूर्ण] मुक्तक प्रसिद्ध ही हैं । [हम भी पृष्ठ १६७ पर उद्धृत कर चुके हैं] । सन्दानितक आदिमें तो विकट बन्धके उचित होनेसे मध्यमसमासा और दीर्घसमासा सङ्घटना ही [होती] है । प्रबन्ध [काव्यमें] आश्रितों [सन्दानितकसे कुलकपर्यन्त भेदों] में प्रबन्ध [काव्य] के यथोक्त [पूर्ववर्णित यक्ता और वाच्यादिगत] औचित्यका ही अनुसरण करना चाहिये ।

१ द्वाभ्यान्तु युग्मक ज्ञेय त्रिभि श्लोकैर्विशेषकम् ॥

चतुर्भिस्तु कलापं स्यात् पञ्चभि कुलक मतम् ॥—अग्निपुराण

२ 'सकलकथाखण्डकथा' नि०, दी० ।

३ 'आख्यायिका कथे येवमादयः' । नि०, दी० ।

४ नि० दी० में 'हि' अधिक है ।

(२) पर्यायबन्धे पुनरसमासामभ्यमसमासे एव सङ्घटने । कदाचिदर्थोचित्याश्रयेण दीर्घसमासायामपि सङ्घटनानां परुषा ग्राम्या च वृत्तिः परिहर्तव्या ।

(३) परिक्रयायां कामचारः । तत्रेतिवृत्तमात्रोपन्यासेन नात्यन्त रसबन्धा-
भिनिवेशात् ।

(४) रण्डकथासकलकथयोस्तु^१ प्राकृतप्रसिद्धयोः कुलकादिनिबन्धनभूयस्त्वाद्

यहाँ प्रबन्धकाव्यके अन्तगत मुक्तक भी समझ लेने चाहिये । भ्रष्टकाव्यक प्रबन्धकाव्य और मुक्तक तथा प्रबन्धकाव्यके महाकाव्य और रण्डकाव्य भेद किये जाते हैं । इनमेंसे प्रबन्धकाव्य और मुक्तकभेद तो रच या रचनाके आधारपर किये गये हैं और महाकाव्य तथा रण्डकाव्यभेद विषयके आधारपर हैं । 'पूर्वापरनिरपेक्षेणापि हि येन रसचयणा त्रियते तमुक्तकम्', मुक्तकका प्रत्येक श्लोक परिपूर्ण स्वतंत्र होता है । 'अमरकशतक'का प्रत्येक पद्य स्वयम् परिपूर्ण है । विहारीव दारे भी रस्यंमे परिपूर्ण हैं । 'गाथासप्तशती' और 'आर्षासप्तशती'क पद्य भी स्वतः परिपूर्ण हैं । ये सब मुक्तक काव्य हैं । प्रबन्धकाव्यके पद्य मुक्तक पद्योंकी भांति स्वतंत्र नहीं हैं । उनका पूर्वापरसम्बन्ध होता है । उस पूर्वापरसम्बन्धके बिना जाने उनके रसकी अनुभूति नहीं हो सकती । यह प्रबन्ध और मुक्तक काव्योंका भेद हुआ । अब रह जाते हैं महाकाव्य और रण्डकाव्य । ये दोनों पूर्वोक्त प्रबन्धकाव्यके अन्तर्गत हैं और उनका परस्पर भेद विषयकी व्यापकताके आधारपर किया जाता है । जो जीवनके किसी एक भागका निरूपण करे वह रण्डकाव्य कहलाता है, 'रण्डकाव्यं भवेत् काव्यस्यैकदेशानुमारि च' [शा० द० ३, १३*] और महाकाव्य एक व्यक्ति अथवा एक वंशदिशे समस्त जीवितिको प्रस्तुत करनेवाला, शास्त्रीय मयादाये अनुसार भिन्न भिन्न पञ्चम निमित्त कमस कम आठ सर्गोंसे अधिक, शृङ्गार, धीर अथवा शान्तरसमेंसे एक रसको प्रधान बनाकर, सत्या, सत्य, रजनी, चन्द्रमा, प्रभात, मर्यादा आदिके प्रकृतिवर्णनोंसे युक्त काव्य महाकाव्य कहलाता है । रण्डकाव्य और महाकाव्य दोनों प्रबन्धकाव्यक अन्तर्गत हैं । मुक्तक उनसे अलग स्वतंत्र स्वतः परिपूर्ण नया है । लोचनकारने यहाँ प्रबन्धकाव्योंके भीतर भी 'त्वामालिख्य प्रणयकुपिता धानुरागै शिलायाम्' [उत्तरमघ, ४२] को मुक्तक माना है ।

(२) पर्यायबन्धे [यस्यतयर्णनादिकेवर्णनीयोद्देशेन प्रवृत्त पर्यायबन्धे] पसन्तादि किसी एक ही विषयके वर्णनके उद्देश्यसे प्रवृत्त काव्यविशेषको पर्यायबन्ध कहते हैं । इस पर्यायबन्ध नामक काव्यभेद में [साधारणतः] असामासा तथा मध्यमसमासा सङ्घटना ही होनी चाहिये । [परन्तु] कभी अर्थके औचित्यके कारण दीर्घसमासा सङ्घटना होनेपर भी परुषा और ग्राम्या वृत्तिको यचना ही चाहिये ।

(३) परिक्रया [एकः धर्मादिपुरुषाद्यमुद्दिश्य प्रकारयैचित्र्येणानन्तवृत्तात्तयर्णन प्रकार परिक्रया, धर्म, अर्थ आदि किसी एक पुरुषार्थको लेकर अनेक प्रकारसे बहुत-सी कथाओंका वर्णन परिक्रया कहलाता है । उस परिक्रया नामक काव्यभेद में कामचार [स्वतन्त्रता] है । क्योंकि उसमें केवल कथाश [इतिवृत्त—आख्यानयस्तु] का वर्णन [मुख्य] होनेसे रसबन्धका विशेष आग्रह नहीं होता ।

(४) प्राकृत [मापा] में कुलकादि [तदूर्ध्वं कुलक स्मृतम्], चारसे अधिक

दीर्घसमासायामपि न विरोध । धृत्त्वौचित्यन्तु यथारसमनुसर्तव्यम् ।

अर्चित श्लोक] का एक साथ बहुल प्रयोग होनेसे दीर्घसमासा सङ्घटनामें भी विरोध नहीं है [परन्तु वृत्तियोंका रसके अनुसार औचित्य अवश्य अनुसरण करना चाहिये] ।

इस प्रसङ्गम वृत्ति शब्दका प्रयोग किया गया है । अलङ्कारशास्त्रम वृत्ति नामसे अनेक काव्य तत्त्वाका उल्लेख मिलता है । १ शब्दकी अभिधा, लक्षणा, तात्पर्या और यजना शक्तिशाको भी वृत्ति नामसे कहा जाता है । २ 'वर्तत अनुप्रासभेदा आसु इति वृत्तय' इस विग्रहके अनुसार अनुप्रासप्रकारोंको भी वृत्ति कहा जाता है । भट्टोज्जटने इन्हीं अनुप्रासप्रकारोंको परया, उपनागरिका और ग्राम्या तीन वृत्तियोंके रूपम माना है और उनके लक्षण इस प्रकार किये हैं—

गाम्या रेपसयागैष्टवर्णेण च योजिता ।

परया नाम वृत्ति स्यात् हुद्दह्यात्रैश्च संयुता ॥

सरूपमयोगयुता मृन्नि वगान्तयोगिभि ।

स्पर्शयुता च मन्यन्ते उपनागरिका बुधा ॥

शेषैर्वर्णयथायोग रथिता कोमलाख्या ।

ग्राम्या वृत्ति प्रशसन्ति काव्येष्व्यादृतनुदय ॥—उद्भट, का० १, ५, ३, ७

नाट्यशास्त्र आदिम नाट्योपयागी कैशिकी आदि चार प्रकारकी वृत्तियोंका निरूपण किया गया है ।

तद् [नायक] व्यापारात्मिका वृत्तिश्चतुधा तत्र कैशिकी ।

गीतवृत्त्यविलासायैर्मृदु शृङ्गारचेष्टितै ॥

—दशरूपक २, ४७

विशोका सात्वती सत्त्वशयत्यागदयाजवै ।

एमिरङ्गैश्चतुर्थय सात्वत्यारभटी पुन ॥

मायेद्रजालसङ्ग्रामत्राषोद्भ्रातादिचेष्टितै ।—द० २, ५६

भारती सङ्कृतप्रायो वाग्यापारो नटाश्रय ॥—द० ३, ५

शृङ्गारे कैशिकी धीरे सात्वत्यारभटी पुन ।

रसे रौद्रे च धीमत्ते वृत्ति सर्वत्र भारती ॥—दश० २, ६२

इस प्रकार साहित्यशास्त्रका 'वृत्ति' शब्द अनेकानेक परिभाषित होनेसे बड़ा सदेहजनक है । उसकी यह सदेहजनकता रीति और सङ्घटना शब्दोंके साथ मिलकर और भी अधिक बढ़ जाती है । प्रकृत प्रसङ्गम आनन्दवधनाचायने जो 'वृत्ति' शब्दका प्रयोग किया है वह भट्टोज्जट की परया, उपनागरिका और ग्राम्या, जिसका दूसरा नाम कोमला भी है, के लिए ही किया है यह तो स्पष्ट है । परन्तु यहाँ उसका सङ्घटनाने साथ सम्बन्ध निरूपित होनेसे वृत्ति, सङ्घटना और रीति इन तीनोंके भेदका प्रकाश सामने आ जाता है । आलोककारने यहाँ 'पर्यायबन्ध'में दीर्घसमासा रचना होनेपर भी ग्राम्या वृत्तिका व्यवहार वर्जित बताया है । इस वचनसे ऐसा प्रतीत होता है कि रचनाको वर्ण और पदकी दृष्टिसे दो भागोंमें विभक्त किया जा सकता है । पदोंकी दृष्टिसे रचनाएँ असमासा, मध्यम समासा और दीर्घसमासा ये तीन भेद किये जा सकते हैं । आलोककारने इन्हीं तीनों भेदोंको सङ्घटना शब्दसे कहा है । परन्तु वर्णोंके प्रयोगकी दृष्टिसे रचनाके परया, उपनागरिका और ग्राम्या या कोमला ये तीन विभाग भट्टोज्जट आदिने किये हैं और उनको 'वृत्ति' कहा है । इसका अर्थ यह हुआ कि

(५) सर्गबन्धे तु रसतात्पर्यं^१ यद्यारसमौचित्यम्, अन्यथा तु कामचार । द्वयोरपि मार्गयोः सर्गबन्धविधायिना दर्शनाद् रसतात्पर्यं साधीय ।

(६) अभिनेयार्थे तु सर्वथा रसबन्धेऽभिनिवेश कार्य ।

(७) आख्यायिकाकथयोस्तु गद्यनिबन्धनगुह्यत्वाद् गये च च्छन्दोबन्धभिन्न प्रस्थानत्वादिह नियमहेतुरकृतपूर्वोऽपि मनाक् क्रियते ॥७॥

पदस्थितिप्रधान रचनाके लिए सङ्घटना शब्द तथा वर्णस्थितिप्रधान रचनाके लिए वृत्ति शब्दका प्रयोग किया गया है। वामनने रचनाप्रकारके प्रसङ्गम रीति शब्दका प्रयोग किया है। उन्होंने अपनी रीतियोंका सम्बन्ध माधुर्य आदि गुणोंसे जोड़ा है। गुणोंकी अभिव्यक्तिम पद और वण दोनोंकी विनियोग उपयोगिता है। अतएव वामनकी रीतिमें सङ्घटना तथा वृत्ति दोनोंका अन्तर्भाव हो जाता है। इसलिए वामनने बाद जो रीतियोंका विवेचन किया गया है उसमें रीतियोंके प्रत्येक भेदमें रचनाका एक वणगत और एक पदगत भेद स्पष्ट रूपसे जुड़ा हुआ है। जैसे रुद्रने रीतियोंके लक्षण इस प्रकार किये हैं—

असमस्तैकसमस्ता युक्ता दशभिर्गुणैश्च वैदर्भी ।

वगद्वितीयगुह्य स्वल्पप्राणाक्षरा च सुविधेया ॥

इसमें 'असमस्तैकसमस्ता' पद आनन्दवर्धनकी सङ्घटनाके प्रथम भेद असमासाका प्राक्क है और यह रचनाके पदगत वैशिष्ट्यसे सम्बन्ध रखता है। इस वैदर्भीका दूसरा भाग 'वगद्वितीयगुह्य स्वल्पप्राणाक्षरा' है। यह भट्टोज्ज्वलकी वृत्तिका स्थानीय प्रतीत होता है। रचनाके इन दोनों भागोंका सम्बन्ध गुणोंके स्वरूपसे है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि वृत्ति और सङ्घटना ये दोनों रीतिके अङ्ग हैं और उन दोनोंकी समष्टिका नाम रीति है।

(५) सर्गबन्ध [महाकाव्य] में रसप्रधान होनेपर उसके अनुसार आचित्य होना चाहिये अन्यथा [केवल इतिवृत्तप्रधान महाकाव्य, जैसे भट्टजयन्तका कादम्बरीकासाधार होनेपर] तो कामचार [स्वतन्त्रता] है। [रसप्रधान और इतिवृत्तमात्रप्रधान] दोनों प्रकार के महाकाव्यनिर्माता देखे जाते हैं, [उनमेंसे] रसप्रधान [महाकाव्य] श्रेष्ठ है।

(६) अभिनेयार्थ [नाटकों] में तो सर्वथा रसयोजनापर पूर्ण रल देना चाहिये।

(७) आख्यायिका और कथामें तो गद्यरचना की [ही] प्रधानता रहने और गद्यम च्छन्दोबद्ध रचनासे भिन्न मार्ग होनेसे उसके विषयमें कोई नियामक हेतु इसके पूर्व निर्मित न होनेपर भी कुछ थोड़ा सा [निर्देश] करते हैं।

'द्वयोरपि मागयो' की व्याख्या कुछ लोगोंने 'संस्कृतप्राकृतयोर्द्वयो' की। परन्तु यह व्याख्या उचित नहीं है क्योंकि उनमेंसे 'रसतात्पर्यं साधीय' रसप्रधानको श्रेष्ठ ठहराया गया है। इसकी सङ्गति तो तभी ठीक लगती है जब 'द्वयो' से रसप्रधान और इतिवृत्तिमात्रप्रधान इन दो भेदोंका ग्रहण किया जाय। उन दोनोंमें रसप्रधान महाकाव्य अधिक श्रेष्ठ है। इसलिए 'द्वयो मागयो' का 'संस्कृतप्राकृत मागयो' यह अर्थ करना ठीक नहीं है ॥७॥

एतद् यदोक्तमौचित्यमेव तस्या नियामकम् ।

सर्वत्र गद्यबन्धेऽपि 'छन्दोनियमवजिते ॥८॥

यदेतदौचित्यं वक्तृवाच्यगतं सङ्घटनायां नियामकमुत्तमेतदेव गद्ये छन्दोनियमवजितेऽपि विषयापेक्षं नियमहेतुः । तथाह्यत्रापि यदा कविः कविनियद्धो वा वक्ता रसभावरहितस्तदा कामचारः । रसभावसमन्विते तु घत्तरि पूर्वाक्तमेवानुसर्तव्यम् । तत्रापि च^१ विषयौचित्यमेव । आख्यायिकायान्तु भूम्ना मध्यमसमासादीर्घसमासे एव सङ्घटने । गद्यस्य विकटबन्धाश्रयेण^२ छायावत्त्वात् । तत्र च तस्य प्रकृष्यमाणत्वात् । कथायान्तु विकटबन्धप्राचुर्येऽपि गद्यस्य रसबन्धोक्तमौचित्यमनुसर्तव्यम् ॥८॥

रसबन्धोक्तमौचित्यं भाति सर्वत्र सञ्चिता ।

रचना विषयापेक्षं तत्तु किञ्चिद् विभेदवत् ॥९॥

अथवा पद्यवद् गद्यबन्धेऽपि रसबन्धोक्तमौचित्यं सर्वत्र सञ्चिता रचना भाति^३ तत्

गद्यकान्वयोर्मे भी उक्त औचित्य आवश्यक है

यह पूर्ववर्णित औचित्य ही, छन्दके नियमसे रहित गद्यरचनामें भी सर्वत्र उस [सङ्घटना] का नियामक हाता है ॥८॥

सङ्घटनाका नियामक वक्तृगत और वाच्यगत जो यह औचित्य पताया है, छन्दोनियमरहित गद्यमें भी विषयगत [औचित्य] सहित यही नियामक हेतु होता है । इसलिए जब यहाँ [गद्यमें] भी कवि या कविनियद्ध वक्ता रसभावरहित होता है तब स्वतन्त्रता [कामचार] है । और वक्ताके रसभाषयुक्त होनेपर तो पूर्वोक्त [नियमों] का ही पालन करना चाहिये । उसमें भी विषयगत औचित्य होता ही है । आख्यायिकामें तो अधिकतर मध्यसमासा और दीर्घसमासा सङ्घटना ही होती है क्योंकि कठिन रचनासे गद्यमें सौन्दर्य आ जाता है । और उस [विकटबन्ध] में रचनासौन्दर्यका प्रकर्ष [विशेषता] होनेसे । कथामें गद्यकी कठिन [विकट] रचनाका याहुल्य होनेपर भी रसबन्ध सम्यन्धी औचित्यका पालन करना ही चाहिये ।

रसबन्धका औचित्य सर्वत्र आवश्यक

रसबन्धमें उक्त [नियमनार्थ प्रतिपादित] औचित्यका आश्रय करनेवाली रचना सर्वत्र [गद्य और पद्य दोनोंमें] शोभित होती है । विषयगत [औचित्य] की दृष्टिसे उसमें कुछ [थोड़ा] भेद हो जाता है ॥९॥

अथवा पद्य [रचना] के समान गद्यमें भी रसबन्धोक्त औचित्यका सर्वत्र आश्रय

१ 'छन्दोनियम' नि० ।

२ 'वा' नि०

३ 'निबन्धाश्रयेण छाया' नि० ।

४ 'भवति' शालमिया ।

विषयापेक्ष किञ्चिद् विशेषवद् भवति । न तु सर्वाकारम् । तथा हि गद्यबन्धेऽपि अति-
दीर्घसमासा रचना न विप्रलम्भशृङ्गारकरुणयोरारयायिकायामपि शोभते । नाटकादावप्य-
समासैव सङ्घटना । रौद्रवीरादिवर्णने विषयापेक्ष त्वौचित्य प्रमाणतोऽपकृत्यते प्रकृत्यते
च । तथा ह्यारयायिकाया नात्यन्तमसमासा स्वविषयेऽपि, नाटकादौ नातिदीर्घसमासा
चेति सङ्घटनाया दिगनुसर्तव्या ॥९॥

लेनेवाली रचना शोभित होती है । यह [औचित्य] विषय [गत औचित्य] की दृष्टिसे
कुछ विशेष हो जाता है [परन्तु] सर्वथा नहीं । उदाहरणार्थ गद्यरचनामें भी करुण और
विप्रलम्भशृङ्गारमें आख्यायिकातकमें भी अत्यन्त दीर्घसमासवाली रचना अच्छी नहीं
लगती । नाटकादिमें भी असमासा सङ्घटना ही होनी चाहिये । [नाटकादिमें] रौद्र, वीर
आदिके वर्णनमें विषयकी अपेक्षा करनेवाला औचित्यप्रमाण [रसयन्धोक्त औचित्यरूप
प्रमाण] के तलसे घट गड़ जाता है । जैसे आख्यायिकामें स्वविषय [करुण विप्रलम्भ
शृङ्गार] में भी अत्यन्त समासहीन और नाटक आदिमें [स्वविषय रौद्रवीरादिमें] भी
अत्यन्त दीर्घसमासा रचना नहीं होनी चाहिये । सङ्घटनाके इसी मार्गका [सर्वत्र]
अनुसरण करना चाहिये ॥९॥

निगयमागरीय तथा णीधितिटीकावाले संस्करणम इसके बाद निम्नलिखित एक श्लोक भी
मिलता है । परन्तु लोचनकारने उसकी चारथा नहीं की है, अतएव उसकी प्रामाणिकता सन्दिग्ध
हानेसे बालप्रियायुक्त चारणसेव संस्करणम उसको मूल पाठमें नहीं रखा है । इसीलिए हमने भी उसे
मूल पाठम स्थान नहा दिया है । फिर भी अ य संस्करणोंम पाया जाता है अतएव हम उसको नीचे
दे रू ह ।

इति काव्यायविवेको योऽय चेतश्चमत्कृतिविधायी ।

सुरिभिरनुसृतसारसदुपमो न विस्माय ॥ इति ।

यह श्लोक रज और उमके अन्तमें प्रयुक्त 'इति' शब्द वस्तुतः प्रायसमाप्तिके अवसरपर
अधिक उपयुक्त होते हैं । यहाँ भी यद्यपि एक अवान्तर प्रकरणकी समाप्ति हो रही है परन्तु फिर भी
यह स्थान उसने लिए उपयुक्त नहीं है । सम्भवतः इसीलिए लोचनकारने इसे अप्रामाणिक मानकर
उसकी चारथा नहीं की है ।

५ प्रबन्धव्यञ्जकता

दूसरी कारिकामें असलस्यङ्गमध्वनिके पाँच यञ्जक बतलाये थे । उनमें १ वर्ण, २ पदादि,
३ वाक्य और ४ सङ्घटनाका विवेचन यहाँतक हो चुका है । अब आगे ५ प्रबन्धकी व्यञ्जकताका
निरूपण प्रारम्भ करते हैं—

प्रबन्धान्तर्गत रसाभिव्यक्तिके लिए निम्नलिखित पाँच बातोंका ध्यान रखना आवश्यक है—

(१) सबसे पहले एक सुन्दर मूलकथाका निधारण, (२) दूसरे उस कथाका रसानुसूल संस्करण,
(३) तीसरे कथाविस्तारमें अपेक्षित सच्चि तथा सध्यङ्गकी रचना, (४) चौथे (अ) बीचमें यथास्थान
रसका उद्दीपन प्रशमन और (ब) प्रबन्धमें प्रधान रसका आदिसे अन्ततक अनुसन्धान अर्थात्
अविस्मरण, (५) पाँचवें उचित मात्रामें ही और उचित स्थानोंपर ही अलङ्कारोंका सन्निवेश । इन्हीं

नैतदस्ति । न वयं ब्रूमो यत् प्रभावातिशयवर्णनमनुचितं राक्षाम् । किन्तु केवल-
मानुपाश्रयेण चोत्पाद्यवस्तुकथा क्रियते तस्या दिव्यमौचित्यं न योजनीयम् । दिव्यमानुष्या-
यान्तु^१ कथायामुभयौचित्ययोजनमविरुद्धमेव । यथा पाण्डुवादि कथायाम् । सातवाहना-
दिषु तु येषु यावदपदान^२ श्रूयते तेषु ताजन्मात्रमनुगम्यमानमनुगुणत्वेन प्रतिभासते ।
व्यतिरिक्तं तु तेषामेवोपनिर्ग्रह्यमानमनुचितम् ।

तदयमत्र परमार्थ —

‘अनौचित्यादृते नान्यद् रसभङ्गस्य कारणम् ।

प्रसिद्धौचित्यग्रन्धस्तु रसस्यापनिपत् परा ॥’

अत एव च भरते प्ररतातवस्तुविषयत्व प्ररयातोदात्तनायकत्व च नाटकस्यावश्य
कर्त्तव्यतयोपन्यस्तम् । तेन हि नायकौचित्यानौचित्यत्रिपये कविर्न व्यामुहति^३ । यस्तु-
त्पाद्यवस्तु नाटकादि कुर्यात्, तस्याप्रसिद्धानुचितनायकरभारवर्णने महान प्रमाद ।

ननु यद्युत्साहादिभारवर्णनं कथञ्चिद् दिव्यमानुष्यागौचित्यपरीक्षा क्रियते तत्

[उत्तर] यह गत नहीं है । हम यह नही रहते कि राजाआने प्रभावातिशयका
घणन करना अनुचित है । किन्तु जेवल मनुष्य [प्ररति]के आधारपर जो कथा कल्पित
की जाय उसमें दिव्य [प्ररति]के औचित्यको नही जाहना चाहिये । दिव्य आर मानुष
[उभयप्ररति] कथामें तो दोना प्रकारके औचित्यान्तरणन अरिहृद है । जैसे पाण्डु
आदिनी कथामें । सातवाहन [की कथा] आदिम तो जिन [के विषय]में जितना पूर्व
वृत्तांत [दिव्यप्ररतिसम्पन्नी] सुना जाना है उन [स्थान]में जवल उतने [अश]का
अनुसरण तो उचित प्रतीत होगा ह [परतु] उनका ही उससे अधिकका वर्णन अनुचित
है । [याद्यपदान अयते] इस मूलमें ‘अपदान शब्द आया है । अमरकोषमें उसका
अर्थ ‘अपदान कथञ्चुत्तम्’ अर्थात् प्राचीन प्ररस्त चारत क्रिया ह ।]

इसलिए इस सबका माराश यह हुआ कि—

अनौचित्यके अतिरिक्त रसभङ्गका आर कारण नही ह और प्रसिद्ध
औचित्यका अनुसरण ही रसका परम रहन्य ह ।

इसीलिए भरतके [नाट्यशास्त्र] में नाटकमें प्ररयात वस्तु [कथा]के त्रिपय ओर
प्ररयात उदात्त नायकका ररना अनिचार्य [अवश्यकत य] प्रतिपादित क्रिया ह । इससे
नायकके औचित्य अनौचित्यके विषयमें अरि भ्रम नही पडता ह । ओर जो कल्पित
कथामें आधारपर नाटकादिका निमाण करता ह उससे अनिहृद आर अनुचित नायक
स्वभावादिघणनमें बड़ी भूल हो सकती ह ।

[प्ररन] उत्साह आदि [स्थायी] भावोंन घणनमें यदि दिव्य, मानुष्य आदि

१ ‘दिव्यमानुषायाम्’ नि०, दी० ।

२ ‘अपदान कथञ्चुत्तम्’ अमरकोष ।

३ ‘प्रबन्धप्ररयात’ नि०, दी० ।

४ ‘विमुहति’ नि० दी० ।

क्रियताम् । रत्यादी तु किन्तया प्रयोजनम् । रतिर्हि भारतवर्षोचितेनैव व्यवहारेण दिव्यानामपि वर्णनीयेति स्थितिः ।

नैयम् । तत्रौचित्यातिक्रमेण सुतरा दोष । तथा हाधमप्रकृत्यौचित्येनोत्तमप्रकृतेः शृङ्गारोपनिबन्धने का भवेन्नोपहास्यता ।

'त्रिविधं प्रकृत्यौचित्यं भारते वर्षेऽप्यस्ति शृङ्गारविषयम् ।

यत्तु' दिव्यमौचित्यं तत्' तत्रानुपकारकमेवेति चेत् ?

न वयं दिव्यमौचित्यं शृङ्गारविषयमन्यत्किञ्चिद् नृम ।

किं तर्हि ?

भारतवर्षविषये यथोत्तमनायकेषु राजादिषु शृङ्गारोपनिबन्धस्तथा दिव्याश्रयोऽपि शोभते । न च राजादिषु प्रसिद्धग्राम्यशृङ्गारोपनिबन्धन प्रसिद्ध नाटकादी, तथैव देवेषु तत् परिहर्तव्यम् ।

[प्रकृति]के औचित्यकी परीक्षा करते हैं तो करें, परन्तु रत्यादि [स्वाधिभावके वर्णन]में उस [परीक्षा]से क्या लाभ ? रति तो भारतवर्षोचित व्यवहारसे ही [दिव्यो] देवताओं की भी वर्णन करनी चाहिये यह [भारतके नाट्यशास्त्र २०, १०१ का] सिद्धांत है ।

[उत्तर] यह बात नहीं है । घट्टों [रतिविषयमें] भी औचित्यका उल्लङ्घन करनेमें दोष ही है । क्योंकि उत्तमप्रकृति [के नायक नायिका]ने अयमप्रकृतिके उचित शृङ्गारादि के वर्णनमें फोन सी उपहास्यता नहीं होगी ?

[प्रश्नकर्ता—] भारतवर्षमें भी तीन प्रकारका शृङ्गारविषयक प्रकृतिका औचित्य पाया जाता है । [उनसे भिन्न] जो [कोई और] दिव्य औचित्य है वह उस [रसाभिव्यक्ति] में अनुपकारक ही है [क्योंकि उस दिव्य रति आदि विषयक संस्कार न होनेसे प्रेक्षकको उससे रसानुभूति नहीं होगी] ।

[उत्तर] हम शृङ्गारविषयक दिव्य औचित्य [भारतवर्षोचित औचित्यसे] अलग कुछ और नहीं ढतलाते हैं ।

[प्रश्नकर्ता—] तो फिर [आप क्या कहते हैं] ?

[उत्तर] भारतवर्ष[के] विषयमें उत्तम नायक राजा आदिम जिस प्रकारके शृङ्गारका वर्णन होता है वह दिव्य [नायक आदि] आश्रित भी शोभित होता है । [और जैसे] राजा आदि [उत्तम नायकादि]में प्रसिद्ध ग्राम्य शृङ्गारका वर्णन नाटकादिमें प्रचलित नहीं है उसी प्रकार देवोंमें भी उसको पचना चाहिये [यह हमारे कहनेका अभिप्राय है] ।

१ 'त्रिविध' नि० ।

२ 'दशवन्द्य' नि० ।

३ 'उत्तर' नि० ।

नाटकादेरभिनेयार्थत्वादभिनयस्य^१ च 'सम्भोगशृङ्गारविषयस्यासभ्यत्वात् तत्र परिहार इति चेत् ?

न । यद्यभिनयस्यैवविषयस्यासभ्यता तत् काव्यस्यैवविषयस्य सा केन निवार्यते । तस्मादभिनेयार्थेऽनभिनेयार्थे^२ वा काव्ये यदुत्तमप्रकृते राजादेरुत्तमप्रकृतिभिर्नायिकाभि सह प्राम्यसम्भोगवर्णनं तत् पित्रो सम्भोगवर्णनमिव सुतरामसभ्यम् । तथैवोत्तमदेवता-विषयम् ।

न च सम्भोगशृङ्गारस्य सुरतलक्षण एवैक प्रकार, यावदन्येऽपि प्रभेदा परस्पर-प्रेमदर्शनादय सम्भवन्ति, ते कस्मादुत्तमप्रकृतिविषये न वर्ण्यं ते । तस्मादुत्साहवद् रतावपि प्रकृत्याचित्यमनुसर्तव्यम् । तथैव विस्मयादिषु । यत्त्वेवविधे विषये महाकवीना-मप्यसमीक्ष्यकारिता लक्ष्ये ऋश्यते स दोष एव । स तु शक्तिरिस्कृतत्वात् तेषा न ल-यते, इत्युक्तमेव ।

[प्रश्नकता—] नाटकादि अभिनेयार्थं होते ह । सम्भोगशृङ्गारविषयक अभिनयके असभ्य [ता पूर्ण] होनेसे नाटकादिमें उसका परिहार किया जाता है [परन्तु काव्यमें तो अभिनय न होनेसे उसके परिहारकी आवश्यकता नहीं है ।] यदि ऐसा कहें तो ?

[उत्तर] उचित नही है । यदि इस प्रकारका [सम्भोगशृङ्गारविषयक] अभिनय असभ्यतापूर्ण है तो इस प्रकारके [सम्भोगशृङ्गारविषयक] काव्यमें उस [असभ्यता दोष]को कौन निवारण कर सकता है ? [यहाँ भी वह दोष होगा ही] इसलिए अभिनेयाय [सभी प्रकारके] काव्यमें उत्तम प्रकृति राजा आदिका उत्तम प्रकृतिनी नायिकाओंके साथ जो प्राम्यसम्भोगका वर्णन [करता] है, वह माता पिताके सम्भोगवर्णनके समान अत्यन्त [अनुचित और] असभ्यतापूर्ण है । उसी प्रकार उत्तम देवताविषयक [सम्भोग शृङ्गारवर्णन अनुचित और असभ्य] है ।

सम्भोगशृङ्गारका केवल सुरतवर्णनरूप एक ही प्रकार तो नहीं है । अपितु उसके परस्पर प्रेम, दर्शन आदि और भी भेद हो सकते हैं । उत्तम प्रकृतिके [नायकादि] के विषयमें उनका वर्णन क्यों नही करते । [अर्थात् उर्हीना वर्णन करना चाहिये] इसलिए उत्साहके समान रतिमें भी प्रकृत्याचित्यका अनुसरण करना ही चाहिये । इसी प्रकार विस्मयादिमें भी । इस प्रकारके विषयमें जो [कालिदासादि] महाकवियोंकी असमीक्ष्यकारिता [कुमारसम्मवादि] लक्ष्यद्रव्योंमें दृष्टी जाती है वह दोषरूप ही है । कथल उनकी प्रतिभासे अभिभूत हो [न] जानेस प्रतीत नहीं होती यह कह ही चुके हैं ।

१ 'अभिनेयत्वाद्' अभिनेयस्य नि०, दी० ।

२ सम्भोगशृङ्गारविषयत्वात् नि०, दी० ।

३ 'असद्गता नि० दी० ।

४ 'अभिनेयार्थं च' नि०, दी० ।

५ असद्गम् नि०, दी० ।

अनुभावोचित्य तु भरतादौ प्रसिद्धमेव । इयत्तूच्यते । भरतादिविरचिता स्थिति^१
चानुवर्तमानेन महाकविप्रबन्धाश्च पर्यालोचयता स्वप्रतिभा चानुसरता कविनाऽवहित
चेतसा भूत्वा विभावाद्यौचित्यध्रशपरित्यागे पर प्रयत्नो विधेय ।

औचित्यवत् कथाशरीरस्य वृत्तस्योत्प्रेक्षितस्य वा ग्रहो व्यञ्जक इत्येतेनैतत् प्रति
पादयति यदितिहासादिषु कथासु रसवतीषु^२ विविधासु सतीष्वपि यत्तत्र विभावाद्यौचित्य-
वत् कथाशरीर तदेव ग्राह्य नेतरत् । वृत्तादपि च कथाशरीरादुत्प्रेक्षिते विशेषतः प्रयत्न-
वता भवितव्यम् । तत्र ह्यनवधानात् स्फुल्ल कवेरव्युत्पत्तिसम्भावना महती भवति ।

परिकरश्लोकश्चात्र—

कथाशरीरमुत्पाद्य वस्तु कार्यं तथा तथा ।

यथा रसमय सर्वमेव तत्प्रतिभासते ॥

तत्र चाभ्युपाय सम्यग् विभावाद्यौचित्यानुसरणम् । तच्च दशितमेव ।

किञ्च—

अनुभावात् औचित्य तो भरतादि [त्रे नाट्यशास्त्रादि]में प्रसिद्ध ही ह । केवल
इतना तो [विशेष रूपसे] कहना ह कि भरतादि मुनिया डाग निधारित मर्यादाका
पालन करते हुए, महाकवियोंके प्रबन्धा [कथा]का पयालाचन करते हुए आर अपनी
प्रतिभाका अनुसरण करते हुए, कविने साग्रधान हाकर विभावादि औचित्यसे पतित
होनेसे उचनेके लिए पूण प्रयत्न करना चाहिये ।

ऐतिहासिक अथवा कल्पित औचित्ययुक्त कथाशरीरका ग्रहण करना [रसका]
अभिव्यञ्जक होता है, इससे [साग्रधान] यह प्रतिपादन करते ह कि इतिहासादिमें
[साधारण जनाके अभिप्रायसे] रसवती नाना प्रकारकी रसाश्रके होनपर भी उनमें जो
विभावादि औचित्यसे युक्त कथास्तु ह उसीका ग्रहण करना चाहिये, अन्यको नहीं ।
आर ऐतिहासिक कथास्तुमें भी अधिक उत्पित कथास्तुमें [साग्रधान रहनेका]
प्रयत्न करना चाहिये । वहाँ [कल्पित कथास्तुमें] असाग्रधानीस भूल कर जानेपर
कविनी अव्युत्पत्ति [प्रदर्शन]की बहुत सम्भावना रहती ह ।

इस नियममें परिकरश्लोक [यह] ह—

कल्पित कथास्तुका इस प्रकार निमाण करना चाहिये कि जिससे यह सजका
सब रसमय ही प्रतीत हो ।

उसका उपाय विभावाद्यौचित्यका भगी प्रकार अनुसरण करना [ही] है ।
आर उसे दिखला ही चुके ह ।

आर भी [यह] ह—

१ भरतादि'स्थिति' नि० दी० ।

२ 'रसवतीषु कथासु नि०, दी० ।

३ 'सर्वमेव' नि०, दी० ।

सन्ति सिद्धरसप्ररया ये च रामायणादय ।

कथाश्रया न तैर्योग्या स्वेच्छा रसविरोधिनी ॥

तेषु हि कथाश्रयेषु तावत् स्वेच्छैव न योग्या । यदुक्तम् “कथामार्गे न चात्पोऽ-
प्यतिक्रमः” स्वेच्छापि यदि योग्या तद्रसविरोधिनी न योग्या ।

(२) इदमपर प्रबन्धस्य रसाभिव्यञ्जकत्वे निबन्धनम् । इतिवृत्तवशायाता कथञ्चि-
द्रसानुगुणा स्थितिं त्यक्त्वा पुनन्तरेक्ष्याप्यन्तराभीष्टरसोचितकथोन्नयो विधेय । यथा
कालिदासप्रबंधेषु । यथा च सर्वसेनविरचिते हरिविजये । यथा च मदीय एवार्जुनचरिते
महाकाव्ये । कविना काव्यगुणनिबन्धता सर्वात्मना रसपरतन्त्रेण भवितव्यम् । तत्रेतिवृत्ते
यदि रसानुगुणा स्थितिं पश्येत् तदेवा भङ्क्त्वापि स्वतन्त्रतया रसानुगुण कथान्तर-
मुत्पादयेत् । नहि कवेरितिवृत्तमात्रनिर्वहणेन किञ्चित् प्रयोजनम्, इतिहासादेव
वत्सिद्धे ।

सिद्ध रसोंके समान [सद्य आस्वादमात्र योग्य न कि भावनीय या परिकल्पनीय]
कथाओंके आश्रय जो रामायणादि [इतिहास] हैं उनके साथ रसविरोधिनी स्वेच्छाका
प्रयोग नहीं करना चाहिये ।

पहिली बात तो यह कि उन कथाओंमें स्वेच्छा लगानी ही नहीं चाहिये । जैसा
कि कहा है—‘कथामें थोडा भी हेर फेर न करे’ । और यदि [प्रयोजनवशा] स्वेच्छाका
प्रयोग करे भी तो रसविरोधिनी स्वेच्छाका प्रयोग न करे ।

(२) प्रबंध [काव्य] के रसाभिव्यञ्जकत्वका यह भी [दूसरा] और कारण है कि
ऐतिहासिक परम्परासे प्राप्त [होनेपर भी] किसी प्रकार [से भी] रसविरोधिनी स्थिति
[कथाश]को छोड़कर और बीचमें कल्पना करके भी अभीष्ट रसोन्नित कथाका निमाण
करना चाहिये । जैसे कालिदासकी रचनाओंमें [रघुवंशमें अजादि राजाओंका प्रियाह
घर्षण और ‘अभिज्ञानशाकुन्तलम्’ नाट्यमें शकुन्तलाका प्रत्याप्यान आदि इतिहासम
उस रूपमें वर्णित नहीं है किन्तु कथाको रसानुगुण और राजा दुष्यंतको उदात्तचरित
घनानेके लिए उनकी कल्पना की गयी है] । और जैसे सर्वसेनविरचित ‘हरिविजय’
[महाकाव्य]में [कान्ताके अनुभवके लिए परिज्ञातहरणका वर्णन] । और जैसे मेरे ही
घनाये ‘अर्जुनचरित’ महाकाव्यमें [अर्जुनका पातालविजयादि, उस रूपसे इतिहासमें
वर्णित न होनेपर भी कथाको रसानुगुण घनानेके लिए कल्पित किया गया है] । काव्यका
निर्माण करते समय कविको पूर्णरूपसे रसपरतन्त्र बन जाना चाहिये इसलिए यदि
इतिहासमें रसके विपरीत स्थिति देखे तो उसको तोड़कर स्वतन्त्र रूपसे रसके अनुरूप
दूसरी [प्रकारसे] कथा बना ले । इतिवृत्तका निर्वाह कर देनेमात्रसे कविका कोई लाभ
नहीं है, क्योंकि यह प्रयोजन तो इतिहाससे ही सिद्ध है ।

१ ‘न चातिक्रमः’ नि०, दी० ।

२ ‘प्रबन्धम्’ नि० ।

३ ‘तात्’ नि०, दी० ।

(३) रसादिव्यञ्जकत्वे प्रयन्धस्य चेदमन्यन्मुख्य निबन्धनम्, यत् सन्धीना मुखप्रति-
मुखगर्भावमर्शनिर्गहणारयाना तदङ्गाना चोपक्षेपादीना घटन रसाभिव्यक्त्यपेक्षया ।
यथा रत्नावल्याम् । न तु केवल शास्त्रस्थितिसम्पादनेच्छया यथा वेणीसहारे विलासाख्यस्य
प्रतिमुखसन्ध्यङ्गस्य प्रवृत्तरसनिवन्धनाननुगुणमपि द्वितीयेऽङ्के भरतमातानुसरणमात्रेच्छया
घटनम् ।

(४) इदं चापर प्रयन्धस्य रसव्यञ्जकत्वे निमित्तं यदुद्दीपनप्रशमने यथावसर-
मातरा रसस्य, यथा रत्नावल्यामेव । पुनरारन्धविधान्ते रसस्याङ्गिनोऽनुसन्धिश्च, यथा
तापसवत्सराजे ।

(५) प्रयन्धविशेषस्य नाटकादे रसव्यक्तिनिमित्तमिदं चापरमवगन्तव्यं यदलङ्क-
कृतीना शक्तानुप्यानुष्णायैण योजनम् । शक्तो हि कवि कदाचित् अलङ्कारनिबन्धने तदा-

इमी नियमके अनुसार कालिदासन 'शकुतला' नाटकम दुवासाक शाप, मत्स्यावतारम अँगूठी
का गिरना, शापप्रसन्नविस्मृतिमूल्य शकुतलाप्रकारयान आदिनी कल्पना कर इतिहास [महाभारत]
न भ्रमरवृत्ति दुष्यन्तको उदात्त नायक बना दिना है । और इसीके अनुसार महाकवि भवभूतिने
'उत्तररामचरित'के तृतीय अङ्कम 'उयासीता नी कल्पना कर पत्थरोंको रत्नन और बज्रको गलानेमें
समय बर्णन रसकी सृष्टि की है—'अपि प्राया रोदित्यपि दलति बज्रस्य हृदयम् ।'

(३) प्रयन्ध [माय]के रसान्वियञ्जकत्वका यह आर [तीसरा] मुख्य कारण है
कि [नाट्यशास्त्रोक्त] मुग्ध, प्रतिमुग्ध, गर्भ, निमर्श, ओग निगहण नामक [पञ्च] सधियों
आर उनक उपभेदादि [६४] अङ्गोंका रसाभिव्यक्तिनी सृष्टिसे जोडना । जैसे 'रत्नावली'
[नाटिका]में । न कि केवल शास्त्रमयादाका पालन करनेमात्रकी इच्छासे, जैसे 'वेणी
सहारे' [नाटक]में, 'प्रतिमुग्ध' सर्वाङ्के 'विलास' नामक अङ्कको, प्रवृत्तरस [वीररस]के
विद्युद्ग होनेपर भी भरतमतसे अनुसरणमात्रकी इच्छासे द्वितीय अङ्कमें [दुर्योधन और
भानुमतीके शृङ्गारवर्णनके रूपमें] जोडना है ।

(४) (अ)—प्रयन्ध [माय]के रसान्वियञ्जकत्वका यह और [चाथा] कारण है
कि यौच-वीचमें यथावसर रसका उद्दीपन आर प्रशमन करना । जैसे 'रत्नावली'में ही ।
आर (ब)—प्रधान रसके विधान्त [निच्छिन्न सा] होनेपर उसको फिर संभाल लेना ।
जैसे 'तापसवत्सराज'में ।

(५) प्रयन्धविशेष नाटकादिकी रसाभिव्यक्तिका यह आर [पाँचवाँ] निमित्त
समयना चाक्षिपे कि [अलङ्कारोंके यथेष्ट प्रयोगकी पूर्ण] शक्ति रहनपर भी [रसके]
अनुरूप ही अलङ्कारोंकी योजना करना । [अलङ्काररचनामें] समय कवि कभीकभी
अलङ्काररचनामें ही मग्न होकर रसप्रयन्धकी परवाह न करके ही प्रयन्धरचना करने

१ निघण्टुसं० सं०—'ये यथावसर रसस्य के बीचमें पाठ एता हुआ है । दीक्षितिकरने 'निब
धेयाताम् निबद्धर उमकी पूर्ति की है । बा० वि० म 'अन्तगा' पाठ रसा है ।

२ 'शावगास्तम्प' नि०, शी० ।

क्षिप्ततयैवानपेक्षितरसबन्ध प्रबन्धमारभते तदुपदेशार्थमिदमुक्तम् । दृश्यन्ते च कवयोऽ-
लङ्कारनिबन्धनैकरसा अनपेक्षितरसा प्रबन्धेषु ॥१४॥

किञ्च—

अनुस्वानोपमात्मापि प्रभेदो य उदाहृतः ।

ध्वनेरस्य प्रबन्धेषु भासते सोऽपि केपुचित् ॥१५॥

अस्य विवक्षितान्यपरवान्यस्य ध्वनेरनुराणरूपव्यङ्ग्याऽपि य प्रभेद उदाहृतो
द्विप्रकार सोऽपि प्रबन्धेषु केपुचिद् द्योतते । तस्या मधुमथनविजये पाञ्चजन्योक्तिपु ।

लगता है । उसके उपदेशके लिए यह [पञ्चम हेतु] कहा है । का-योंमें रसकी चिन्ता न
कर अलङ्कारनिरूपणमें ही जानन्द लेनाले कवि भी पाये जाते हैं ॥१४॥

संलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्ययुक्त प्रबन्ध भी रसादिव्यञ्जक

इस १५ वा कारिकाके पूर्व यहा १४वा कारिकातक असलक्ष्यक्रम-व्यङ्ग्यध्वनिना प्रकरण चल
रहा है और आगे १६वीं कारिकाम भी असलक्ष्यक्रम-व्यङ्ग्यना ही बणन है परन्तु नीचनी १५वीं
कारिकामें अनुस्वानोपमा अर्थात् सलक्ष्यक्रम-व्यङ्ग्यका बणन प्रतीत होता है । यदि इस कारिकाकी
सीधी व्याख्या करें तब तो बीचम इस सलक्ष्यक्रम-व्यङ्ग्यकी चर्चा अप्रानुराणन और असङ्गत प्रतीत
होगी । अतएव इस कारिका आर उसनी वृत्तिम 'व्यङ्ग्यतया' और 'व्यञ्जकतया' पदोंका अव्याहार
करके कारिकाके पदोंका अन्वय 'अनुस्वानोपमात्मा यो ध्वने प्रभेद उदाहृत केपुचित् प्रबन्धेषु
[व्यञ्जकेषु सन्तु] व्यङ्ग्यतया स्थिता भवति सोऽपि, अस्य असलक्ष्यक्रमस्य रसादिव्यने व्यञ्जकतया
भासते' अर्थात् सलक्ष्यक्रम-व्यङ्ग्यका जा भेद, प्रबन्धम साक्षात् व्यङ्ग्य प्रतीत होता है वह भी इस
असलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्यका व्यञ्जक होता है—इस प्रकार करना चाहिये । अर्थात् प्रबन्धसे साक्षात् ता
संलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यध्वनि अभिव्यक्त होता है परन्तु पीठ उसीना प्रकृत रसादिरूप असलक्ष्यक्रम-व्यङ्ग्यध्वनि
के रूपमें पयबसान हो जाता है ।

अथवा 'अनुस्वानोपमात्मा ध्वनेऽदाहृता य प्रभेद केपुचित् प्रबन्धेषु भासते' इस प्रकारका
अन्वय करके अन्तमें कारिकास्थ 'अस्य' पदका सम्बन्ध अगली १६वा कारिकाके 'द्योत्योऽसलक्ष्यक्रम
कचित्'के साथ करके 'अस्य सलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्यस्यापि द्योत्यो असलक्ष्यक्रम कचिद् भवति' कहीं कहीं इस
सलक्ष्यक्रमका भी द्योत्य असलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य होता है इस प्रकार सङ्गति लगानी चाहिये । तदनुसार इस
कारिकाकी व्याख्या निम्नलिखित दो प्रकारकी होगी—

१ सलक्ष्यक्रम-व्यङ्ग्यरूप ध्वनिना जो प्रभेद कि-हा का-योंमें [साक्षात्] व्यङ्ग्य-
रूपसे स्थित [वर्णित] होता है वह भी [पर्यवसानमें] इस असलक्ष्यक्रम-व्यङ्ग्यध्वनिके
व्यञ्जकरूपमें भासता है ।

२ अथवा, अनुस्वानोपमा सलक्ष्यक्रम-व्यङ्ग्यध्वनिना जो उदाहृत भेद नि ही
का-योंमें प्रतीत होता है, उस सलक्ष्यक्रम-व्यङ्ग्यका भी द्योत्य असलक्ष्यक्रम-व्यङ्ग्य
कहीं-कहीं होता है ।

इस विवक्षितान्यपरवान्य [अभिधामूल] ध्वनिना [शब्दशक्त्युत्थ और अर्थ
शक्त्युत्थभेदसे] दो प्रकारका जा सलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य-प्रभेद वर्णित किया है यह भी

यथा वा मनैव कामदेवस्य सहचरसमागमे विपमवाणलीलायाम् । यथा च गृध्रगोमायु-
सवादादौ महाभारते ।

किन्हीं कार्योंमें व्यङ्ग्य होता है [और असलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य रसादि ध्वनिका व्यञ्जक
भी होता है] जैसे 'मधुमधनविजय' [नामक महाकाव्य] में पाञ्चजन्यकी उक्तियोंमें ।
अथवा जैसे मेरे ही 'विपमवाणलीला' [नामक महाकाव्य] में कामदेवके सहचर [यौवन]
के समागम [के प्रसङ्ग]में । और जैसे 'महाभारत'में 'गिद्ध और शृगालके सवाद'
आदिमें ।

१ 'मधुमधनविजय'की पाञ्चजन्योक्तिमें—

लीलादादोऽप्युक्त्वासलमहिमण्डलसदिचअ अञ्ज ।

कीरममुणालाहर तुञ्जआइ अङ्गमि ॥

[लीलादद्याप्रोद्भूतसकलमहीमण्डलस्यैवाय ।

कस्मान्मृणालाभरणमपि तव गुरु भवत्यङ्गे ॥—इति च्छाया]

वासुदेवके प्रति यह 'पाञ्चजन्य'की उक्ति है । इसका अभिप्राय यह है कि वराहावतारके
समय जिन वासुदेवने अपनी दाढके अग्रभागपर सारी पृथिवीका भार उठा लिया था, आज [रुक्मिणी
के वियोगमें] मृणालके आभरण धारण कर सकना भी उनके लिए क्यों भारी हो गया है ! यहाँ
रुक्मिणीके विरहमें रुक्मिणीके प्रति वासुदेवका अभिलापरूप अभिप्राय सलक्ष्यवमरूपसे व्यङ्ग्य होकर
विप्रलम्भशृङ्गाररूप असलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्यको अभियुक्त करता है ।

२ 'विपमवाणलीला'में कामदेवके सहचर यौवनके समागमप्रसङ्गमें—

हुमि अवहरियअरेहो गिरट्कुसो अह विवेअरहिओवि ।

सिविणेवि तुममि पुणो भत्ति ण पमुमरामि ॥

[भवाम्यपहस्तितरेखो निरट्कुशाऽय विवेकरहितोऽपि ।

स्वप्नेऽपि तव पुनर्भक्ति न प्रस्तरामि ॥—इति च्छाया]

यह कामदेवके प्रति यौवनकी उक्ति है । इसका आशय यह है कि मैं मर्यादाका अतिक्रमण
करनेवाला [अपहस्तिला रेखा मर्यादा येन स', रेखा अथाः मयादाका विगाढनेवाला] भले ही हूँ ।
रोग चाहे भले ही कहें कि यह यौवन निरट्कुश है या विवेकरहित है परन्तु मैं [यौवन] स्वप्नमें
भी तुम्हारी [कामदेवकी] भक्तिको नहीं भूलता हूँ । इस यौवनकी उक्तिमें यौवनका कामोपासक
स्वभाव व्यक्त होता है और उसका पर्यवसान प्रकृत शृङ्गाररूप असलक्ष्यवमरूपव्यङ्ग्यध्वनिकी
अभिन्वयित्वमें होता है ।

३ महाभारतके 'गृध्रगोमायुसवाद'में कुछ लोग भरे हुए बालकको लेकर दमशानमें आते
हैं । दमशानचारी गिद्ध और शृगाल दोनों उस समय वहाँ उपस्थित हैं । रगमग सभ्याका समय है ।
गिद्ध चाहता है कि ये लोग इस भरे बालकको छाड़कर अभी चले जायें ता मुझे खानेका मित्र ।
शृगाल चाहता है कि ये लोग जरा देर और रुकें, जिससे सुर्पास हो जाय तो फिर रातमें गिद्ध तो
बला जायगा और हम निर्विघ्न रूपसे उसका भक्षण करेंगे । इस प्रकार दोनोंकी इच्छा एक-दूसरेमें
मिश्र है । वह दोनों भरे बालकको खानेवालोंको अपने अपने स्वार्थमें समझते हैं । यही सवाद
'गृध्रगोमायुसवाद' नामसे प्रसिद्ध है । उसके दशक निम्नश्रितित है—

सुप्-तिङ्-वचन-सम्यन्धैस्तथा कारकशक्तिभिः ।

कृत-तद्धित-समासैश्च द्योत्योऽलक्ष्यक्रमः क्वचित् ॥१६॥

शुभ्र उवाच—

अल् स्थित्वा इमशानेऽस्मिन् शुभ्रगोमायुसद्वकुले ।
कङ्कालबहले घारे सर्वप्राणिभयङ्करे ॥
न चेह जीवित कश्चित् कालधर्ममुपागत ।
प्रियो ऽ यदि वा द्वेष्य प्राणिन, गतिरीदृशी ॥

गिद्ध बोला—‘गिद्ध और शृगालों से ‘याम, कङ्कालोंसे भरे हुए, सब प्राणियोंको भयभीत करनेवाले इस भयङ्कर इमशानमें बैठनेसे क्या लाभ ? जो मर गया वह जी तो सनता नहीं । फिर चाहे वह अपना प्रिय हो अथवा शत्रु हो । जो मर गया सो तो मर ही गया । सन प्राणियाफी यही हालत होती है । इसलिए अब आप लोग अपने घर जाओ ।’ यही गिद्धका अभिप्राय असलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य है और उससे प्रवृत्त शान्तरसरूप असलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्यध्वनि अभिव्यक्त होता है ।

तब शृगाल बोला—

आदित्योऽय स्थितो मूढा रोह कुस्त साम्प्रतम् ।
बहुविघ्नो महूर्तोऽय जावेदपि कदाचन ॥
अमु कनकवर्णां बालमप्राप्तयौवनम् ।
शुभ्रवान्पयात् व य मूढास्त्यजध्वमविशङ्किता ॥

‘अरे अभी सूर्य निकला हुआ है, इस बच्चेको प्यारें करो । यह मुहूत बड़ा विघ्नमय है, सम्भव है यह बालक जी ही उठे । अरे मूर्खा, साने जैसे रङ्गके और अप्राप्तयौवन इस सुन्दर बालकका इस गिद्धके कहनेसे निना किसी शङ्काके छोड़ कर कैसे चले जाना चाहते हो ।’

रात्रिम अपना काम साध करनेवाले शृगालकी यह उक्ति उसके अभिप्रायको व्यक्त करती है । और उसका भी पर्यवसान प्रवृत्त शान्तरसरूप असलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्यकी अभिव्यक्तिम होता है ।

इस प्रकार ‘मधुमयन्विजय’, ‘विषमबाणलीला’ और ‘महाभारत’क इन तीनों उदाहरणोंम प्रबन्धसे साक्षात् तो असलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्यध्वनि व्यक्त होता है परन्तु उसका पर्यवसान प्रवृत्त सरूप असलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्यकी अभिव्यक्तारूपार्थ होता है । अतः असलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्यध्वनि भी असलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्यध्वनिका अभिव्यक्तक होता है, यह अभिप्राय हुआ ॥१५॥

सुप्तिङादि पदांशोंकी व्यञ्जकता

द्वितीय कारिकामें वण, पदादि, वाक्य, सङ्घटना और प्रबन्ध इन पाँचको असलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्यका व्यञ्जक कहा था । इन पाँचोंकी व्याख्या हो गयी । इनमेंसे पदादि पदाशद्योत्य ध्वनिका केवल एक उदाहरण पृष्ठ १६६ पर दिया था । उसकी विशेष व्याख्या सुवादिकी व्यञ्जकता दिखला कर यहाँ करते हैं—

सुप् [अर्थात् प्रथमा आवि विभक्तियों], तिङ् [अर्थात् क्रिया विभक्तियों], वचन [एक, द्वि, बहुवचन], सम्यन्ध [पद्यो विभक्ति], कारकशक्ति, कृत [धातुसे विहित तिरस् भिन्न प्रत्यय], तद्धित [प्रातिपदिकसे विहित सुप् भिन्न प्रत्यय] और समाससे भी कहीं कहीं असलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्यध्वनि अभिव्यक्त होता है ॥१६॥

अलक्ष्यक्रमो ध्वनेरात्मा रसादि^१ सुब्बिशेषै, तिङ्विशेषै, वचनविशेषै, सम्यन्ध-
विशेषै, कारकशक्तिभि, वृद्दविशेषै, तद्धितविशेषै, समासैश्चेति । च शब्दान्निपातोप-
सर्गाकालादिभिः प्रयुक्तैरभिव्यज्यमानो दृश्यते । यथा—

न्यकारो ह्ययमेव मे यदरयस्तत्राप्यसौ तापस

सोऽप्यत्रैव निहन्ति राक्षसकुल जीवत्यहो रावण ।

धिग् धिक् शक्रजित प्रबोधितवता किं कुम्भकर्णेन वा

स्वर्गामाटिकाविलुण्ठनवृथोच्छूने किमेभिर्भुजै ॥

लोचनकारने पूर्वकारिकामें दिखलायी इस कारिकाके साथ सङ्गितकी ध्यानम रवते हुए यहाँ भी “सुबादिभि योऽनुस्वानोपमो भासते वक्त्रभिप्रायादिरूपोऽस्यापि सुबादिभियत्स्यानुस्वानोप मस्य असलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यो द्योत्य कचिदिति पूर्वकारिकया सह सम्मोत्य सङ्गतिरिति” यह पंक्ति लिखी है । अर्थात् सुबादिसे अभिव्यक्त जो असलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य वक्त्राभा अभिप्रायादिरूप ध्वनि है उससे भी असलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य रसादिध्वनि अभिव्यक्त होता है इस प्रकार पूर्वकारिकाके साथ मिलाकर इसकी सङ्गति लगायी है । पर वह कुछ खींच तान-सी जान पड़ती है । वृत्तिप्रथमे अनुवृत्त भी नहीं है । सुबादिसे भी असलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य योतित होता है यह अर्थ अधिक सीधा और अच्छा है ।

ध्वनिका आत्मभूत [प्रधानभूत] अलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य रसादि, सुनविशेष, तिङ् विशेप, वचनविशेष, सम्यन्धविशेष, कारकशक्तियों, वृत्तविशेष, तद्धितविशेष और समासविशेषसे [व्यक्त होता ह] । च शब्दसे [सङ्गृहीत] निपात, उपसर्ग, फालादिसे प्रयोगसे अभिव्यक्त होता देखा जाता है । जैसे—

मेरे शत्रु हों यही [यद्वा भारी] अपमान है । उनमें भी यह [विचारा भिभुक्] तापस ! वह भी यहाँ [लङ्कामें मेरी नाकके नीचे] ही राक्षसकुलका नाश कर रहा है और [यह देखकर भी] रावण जी रहा है ! यह वद्वा आश्चर्य है ! इन्द्रको विजय करनेवाले मेघनादको धिक्कार है ! कुम्भकर्णको जगानेसे भी क्या लाभ हुआ ? और [दूसरोंकी बात छोड़ो] स्वर्गकी उस छोटी सी गँउटियाको लूटकर अभिमानसे ध्यर्थ ही फूट्टी हुई मेरी इन भुजाओंसे ही क्या लाभ है ?

अपने शीरोंकी मर्तना करने और शत्रुकी तुच्छता आदि सूचित करते हुए अपने सैनिकोंको उत्तेजित करनेके लिए यह रावणकी गर्वपूर्ण श्लोक्ति है जो प्रतिपद-व्यङ्ग्यसे परिपूर्ण है । पहिल तो शत्रुओंका होना ही मेरे लिए अपमानजनक है । जिसने इन्द्र जैसे देवोंको भी वैद कर लिया हो, यमराज भी मिथे फाँपते हों उसके शत्रु हों और जीते रहें । कितना आश्चर्य और अनौचित्य है ! यह भाव ‘मे’ परसे व्यक्त होता है । ‘अस्मद्’ शब्दसे वक्त्राभा वचनके पूर्वकृत इन्द्रविजयादि लोकोत्तर चरित, तथा सम्बन्धबोधक पठो विभक्तिसे शत्रुओंके साथ ध्वने सम्बन्धना अनौचित्य योतित होता है । और उससे रावणके हृदयका क्रोध अभिव्यक्त होता है । ‘अरय’का बहुवचन उसी सम्बन्धानी चित्यके अतिशयकी बोधन करता है । ‘तत्रापि’ इस निपातसमुदायसे असम्भवनीयता और ‘तापस’ शब्दके मत्वर्थाय अणु प्रत्ययसे पुरुषार्थादिका अभाव सूचित होता है । पुरुषार्थहीन, शीणदेह, तापस

अत्र हि श्लोके भूयसा सर्वेषामप्येषा स्फुटमेव व्यञ्जकत्व दृश्यते । तत्र 'मे यदरयः' इत्यनेन सुप्तसम्बन्धवचनानामभिध्यञ्जकत्वम् । 'तत्राप्यासौ तापस' इत्यत्र तद्धित-निपातयो । 'सोऽप्यत्रैव निहन्ति राक्षसकुल जीवत्यहो रावण,' इत्यत्र तिङ्कारकशक्तीनाम् । 'धिग् धिक् शकजितम्' इत्यादौ श्लोकार्धे कृततद्धितसमासोपसर्गाणाम् ।

एवविधस्य व्यञ्जकभूयस्त्वे च घटमाने काव्यस्य सर्वातिशायिनी बन्धच्छाया समुमीलति । यत्र हि व्यङ्ग्यावभासिन पदस्यैकरथैव तावदाविर्भावस्तत्रापि काव्ये कापि बन्धच्छाया किमुत यत्र तेषा वहना समवाय । यथात्रानन्तरोदितश्लोके । अत्र हि 'रावण' इत्यस्मिन् पदे, अर्थान्तरसङ्क्रमितवाच्येन ध्वनिप्रभेदेनालङ्कृतेऽपि पुनरनन्तरोक्ताना व्यञ्जकप्रकाराणामुद्भासनम् ।

लोकरावण मसारको भयभीत करनेवाले रावणका शत्रु हो यह कैसी असम्भव सी बात इस समय प्रत्यक्ष हो रही है । 'असौ'से विशेष हीन अवस्था सूचित होती है । यह मिरामङ्गा जिसे पिताने घरसे निकाल दिया है, जिसको न पेटफो रोगी न तनकाकपडा छुता है, और जो वन वन मारा माघ फिरता है वह [असौ] मेरा शत्रु है । यह और भी अनुचित है । फिर वह कहीं दूर नहीं [सोऽप्यत्रैव] मरे सिरपर राडा है । और है ही नश, [निहन्ति राक्षसकुल] राक्षसवश नाश कर रहा है । फिर भी यह रावण जी रहा है । 'रावण' 'रावणतीति रावण' सदवामुर समस्त जगतको कम्पित करने वाले रावणने जीते जी यह सब हो रहा है । 'शत्रु जितवान् दति शकजित्' इन भूतकालिक 'विषप्' प्रत्ययसे मेघनादका इन्द्रविजयमें अनास्था सूचित होती है । 'ग्रामटिका' का 'क' रूप तद्धित स्वगकी अत्यंत तुच्छताका और 'एभि', 'वृथा', 'उच्छृने' आदि पद वैयर्थ्यातिशयको अभिव्यक्त करते हैं । प्रतिपद यज्ञनायुक्त इस श्लोकसे रावणने हृदयका गनसहकृत शोधरूप स्याविभाव अभिव्यक्त होता है, परन्तु सामग्रीके अभावमें रौद्ररसरूपमें परिणत नहीं हो पाता है ।

इस श्लोकमें प्रायः इन सब ही पदोंका व्यञ्जकत्व स्पष्ट प्रतीत होता है । उनमेंसे 'मे यदरयः' इससे सुप्, सम्बन्ध और वचनका अभिव्यञ्जकत्व [प्रदर्शित होता है] । 'तत्राप्यासौ तापस' यहाँ तद्धित ['तापस' पदका अण् प्रत्यय] शोर निपात [तत्र अपि], का, 'सोऽप्यत्रैव निहन्ति राक्षसकुल जीवत्यहो रावण' यहाँ [निहन्ति और जीवति पदोंके] तिङ् शोर [राक्षसकुल तथा रावण पदोंमें कम तथा कर्तारूप] कारकशक्तियों का, 'धिग् धिक् शकजितम्' इत्यादि श्लोकार्धमें कृत [शकजित्का विप् प्रत्यय], तद्धित [ग्रामटिकाका 'क' प्रत्यय], समास [स्वग्रामटिका], और उपसर्गों [विलुण्ठनका वि उपसर्ग] का [व्यञ्जकत्व] है ।

और इस प्रकारका व्यञ्जकवाहुल्य ही जानेपर काव्यका सर्वोत्कृष्ट रचनासौन्दर्य अभिव्यक्त होता है । जहाँ व्यङ्ग्यसे प्रकाशमान एक भी पदका आविर्भाव हो सके उस काव्यमें भी कुछ अनिवचनीय सौन्दर्य आ जाता है तो फिर जहाँ ऐसे बहुतसे पदोंका एकत्र सन्निवेश हो जाय उसका तो कहना ही क्या । जैसे इसी ऊपर कहे श्लोकमें । इसमें 'रावण' इस पदके अर्थान्तरसङ्क्रमितवाच्य [लक्षणा मूल] ध्वनिभेदसे अलङ्कृत होनेपर भी [उसमें] अनन्तरोक्त व्यञ्जकप्रकारोंका [भी] उद्भासन होता है ।

दृश्यन्ते च महात्मना प्रतिभाविशेषभाजा ब्राह्मण्येनैवविधा बन्धप्रकारा । यथा
पहर्षेर्व्यासस्य—

अतिक्रान्तसुरता कालाः प्रत्युपस्थितदारुणाः ।

उव श्व पापीगदिवसा पृथिवी गतयौवना ॥

अत्र हि कृतद्वितवचनैरलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य', 'पृथिवी गतयौवना' इत्यनेन चात्यन्त-
तिरस्कृतवाच्यो ध्वनि प्रकाशित ।

एषा च सुवादीनामेकेश, समुदिताना च व्यञ्जकत्व महाकवीना प्रब'धेषु प्रायेण'
दृश्यते ।

सुवन्तस्य व्यञ्जकत्व यथा—

तालं शिञ्जद्वलयसुमगौ कान्तया नर्तितो मे

यामध्यास्ते दिवसविगमे नीलकण्ठः सुहृद् वः ॥

विशेष प्रतिभाशाली महात्माओं [महाकवियों] की इस प्रकारकी रचनाशैलियाँ
पहुतायतसे पायी जाती हैं । जैसे महर्षि व्यासका—

[अत्र] समय सुपरिद्वित और दु खपरिपूरित हो गये हैं और गतयौवना
पृथिवीके उत्तरोत्तर पुरे दिन आ रहे हैं ।

इस [उदाहरण]में ['अतिक्रान्त' और 'प्रत्युपस्थित' पदोंमें 'क्त' प्रत्ययरूप] कृत्,
['पापीय'में 'छ' प्रत्ययरूप] तद्धित, [और 'काला'का बहुवचनरूप] वचन [इन सब]से
[निर्देशको सूचित करते हुए शान्तरसरूप] असलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य [रसध्वनि] और
'पृथिवी गतयौवना' इस [में 'गतयौवना' पद]ने अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य [अविश्रित
वाच्य] ध्वनि प्रकाशित होता है ।

इस सुवादिका अलग अलग और मिलकर [दोनों तरहसे] व्यञ्जकत्व महा
कवियाकी रचनाओंमें पाया जाता है ।

सुवन्तका व्यञ्जकत्व [का उदाहरण] जैसे—

यजते हुए कङ्कणों [की मधुर ध्वनि]से मनोहर तालियोंसे मरी प्रिया द्वारा
नचाया जानेवाला तुम्हारा मित्र नीलकण्ठ [मयूर] दिनके समाप्त होनेपर [रात्रिको]
जिसपर घैठता है ।

यह श्लोकका उत्तराद्वभाग ही यहाँ उद्धृत किया गया है । 'मेघदूत'के उत्तरभागका १६ वाँ
श्लोक है । उसका अर्थपूर्व पूर्वार्थ इस प्रकार है—

तमप्ये च स्फटिकफलदा काञ्चनी वासयति

मूले यदा मणिभिरनतिप्रौढ्यशप्रभायै ।

उस [मीठा श्लोक] के बीचम स्फटिककी लकीरवाली और नीचे जटम कच्चे गोंधक समान
[हरिद्वर्ण] मादम पडती हुई, [मरकत] मणियोंसे लदी हुई, सोनेकी छतरी ई निधपर यजते हुए

तिङन्तस्य यथा—

अवसर रोउ चि अणिम्मिआइ मा पुंस मे ह अच्छीई ।
 दसणमत्तुम्भत्तेहिं जहिं हिअअ तुह ण णाअम् ॥
 [अपसर रोदितुमेव निर्मिते 'मा पुसय हते अक्षिणी मे ।
 दशनमानो मत्ताम्या याभ्या तथ हृदयमेवरूप न ज्ञातम् ॥

—इति च्छाया]

यथा वा—

मा पन्ध रन्धीओ अपेहि बालअ अहोसि अहिरीओ ।
 अम्हेअ णिरिच्छाओ सुण्णघर रक्खिदव्वं णो ॥
 [मा पयान म्ध अपेहि बालक अहो असि अहीक ।
 वय निरिच्छा शून्यगृह रक्षितव्यं न ॥

बहूणों [की मधुर ध्वनि] स मनोहर तालियोंसे मेरी प्रिया द्वारा नचाया जानेवाला तुम्हारा मित्र मयूर दिनभर समाप्त होनेपर [गत्रिका] बंटता है। यहाँ 'तालै' यह बहुवचन प्रियतमाके बहुविध वैदग्ध्य सूचन द्वारा विप्रलम्भना उद्दीपक होता है। अतः यह 'सुवत्'के व्यञ्जकत्वा उदाहरण है।

निष्कृतका [व्यञ्जकत्वा उदाहरण] जैसे—

दटो, रोक्नेके ही लिए घने हुए इन दुष्ट नेत्रोंको [अपने दर्शनसे फिर] विकसित [करनेका प्रयास] मत करो। जिन्होंने तुम्हारे दर्शनमात्रसे उन्मत्त होकर तुम्हारे ऐसे [निष्ठुर] हृदयको भी न जाना।

यहाँ 'अपसर' और 'मा पुसय' ये तिङन्त पद मुख्यतः अभिव्यञ्जक हैं। अन्य पदोंके सहकार से मुख्यतः तिङन्त पदा द्वारा, उन्मत्त कुछ समझ नहीं सकता इसलिए नेत्रोंका कोई अपराध नहीं है। हमारे भाग्यम यही तुम्हारी निष्ठुरता भोगना लिखा था, उसे कौन बदल सकता है। इस अर्थके सूचन द्वारा इर्ष्याविप्रलम्भ अभिव्यक्त होता है।

अथवा [तिङन्तक व्यञ्जकत्वाका दूसरा उदाहरण] जैसे—

अरे [नासमझ] लडके, रास्ता न रोको। आश्चर्य है तुम [अथ भी नहीं मानते] इतने निरञ्ज हो। हम [तो] परतन्त्रा हैं [क्योंकि] हमको तो [अच्छेले बैठकर] घने घरकी रत्नधाली करनी पड़ती है [मन हो तब उस शून्य घरमें आ जाना, यहाँ रास्तेमें क्यों छेड़ते हो]।

यहाँ 'अपेहि' और 'मा पध' यह तिङन्त पद सम्भोगेच्छाके प्रकाशन द्वारा सम्भोगशृङ्गारको अभिव्यक्त करते हैं। पहिले 'लोकम विप्रलम्भशृङ्गार' व्यञ्जय था इसलिए यह सम्भोगशृङ्गारका दूसरा उदाहरण दिया है।

१ 'मोपुसय' नि०, दी० ।

१ 'हृदय तथ न ज्ञातम्' दी० ।

२ 'वयं परतन्त्रा यत शून्यगृह मामकं रक्षणीय वर्तते।' बालप्रिया, नि० ।

सम्बन्धरय यथा—

अण्णत्त बन्ध बालक अन्हाअन्ति किं म पुलोएसिएअम् ।

हो जाआभीरुआण तड विअ ण होई ॥

[अन्यत्र ब्रज बालक स्नान्ती किं मा 'प्रलोकयस्येतत् ।

भो जायाभीरुकाणा तटमेव न भवति ॥ —इति च्छाया]

कृत—'क'—प्रयोगेषु प्राकृतेषु तद्धितविषये व्यञ्जकत्वमावेद्यत एव । अवज्ञातिशये 'क' । समाप्ताना च वृत्तयौचित्येन विनियोजने ।

निपाताना व्यञ्जकत्व यथा—

अयमेकपदे तथा वियोग प्रियया चोपनत सुदु सहो मे ।

नववारिधरोदयादहोभिर्भवितव्य च निरातपत्वरम्यै ॥

इत्यत्र 'च' शब्द ।

सम्बन्धका [व्यञ्जकत्वका उदाहरण] जैसे—

अरे लक्ष्मणे, तूम कहीं और जाओ, नदाती हुई मुझको [सस्पृह] क्यों देख रहे हो ।

[अपनी] पत्नीसे डरनेवालोंके मतलबका यह तट नहीं है ।

यहाँ अलाशयने तटपर नदाती हुई किसी स्त्रीकी सस्पृह नेत्रोंसे देखनेवाले विवाहित युवक व प्रति उसका चाहनेवाली स्त्रीकी यह उक्ति है । उसमें 'जायाभीरुकाणा' इस सम्बन्धपट्टीसे उस प्रकृतन कामुकीका इंध्यातिशय सूचित होता है । और वह इंध्या विप्रलम्भशृङ्गारको अभिव्यक्त करती है । साथ ही भीरक पदमें जो अवज्ञाथक 'क' प्रत्यय तद्धितका है वह भी अवज्ञातिशय द्वारा इंध्याविप्रलम्भको परिपुष्ट करता है ।

'क' प्रत्ययके प्रयोगसे युक्त प्राकृत पदोंमें तद्धितविषयक व्यञ्जकत्व भी सूचित होता ही है । [जैसे यहाँ] अयम्नातिशयमें क प्रत्यय [इंध्याविप्रलम्भका व्यञ्जक] है । वृत्तिके अनुरूप [समाप्तौ] योजन होनेपर समाप्तौका [व्यञ्जकत्व] होता है । उसके उदाहरण यहाँ नहा दिये हैं ।

निपातोंका व्यञ्जकत्व [का उदाहरण] जैसे—

एक साथ ही उस [हृद्येश्वरी] प्रियाके साथ यह असह्य वियोग आ पट्टा और उसपर नये बादलोंने उमड़ आनेसे आतपरहित मनोहर [वषाके] दिन होने लगे [अथ यह सन कैसे सहा जायगा] ।

यहाँ 'च' शब्द [व्यञ्जक] है ।

यहाँ दो बार 'च' का प्रयोग किया गया है । वह इस बातको सूचित करता है कि उसके वियोगक साथ काकतालीयन्यायस जा ये वषाक दिन आ पद व जलेपर नमकके समान प्राणहरणके

१ 'अन्यत्र ब्रज बालक नृणापमान कथमालोकयस्येतत् ।

भो जायाभीरुकाणां युष्माकं सम्बन्ध एव न भवति' ॥—श्री०

२ 'अवज्ञातिशये क' यह पाठ नि०, शी० में नहीं है ।

यथा वा—

मुहुरङ्गुलिसवृताधरोष्ठ प्रतिपेधाक्षरविकलवाभिरामम् ।
मुसमसविवर्तिपदमलाक्ष्या कथमप्युन्नमित न चुम्बित तु ॥

अत्र तु शब्द ।

निपातानां प्रसिद्धमपीह द्योतकत्व रसापेक्षयोक्तमिति द्रष्टव्यम् ।

उपसर्गाणां व्यञ्जकत्व यथा—

नीवारा शुक्गर्भकोटरमुखभ्रष्टास्तरुणामध ,
प्रस्निग्धा, क्वचिदिङ्गुदीफलभिद सूच्यन्त एवोपलाः ।
विश्वासोपगमादभिन्नगतय' शब्द सहन्ते मृगाः,
तोयाधारपथाश्च चल्कलशिखानिष्यन्दरेखाङ्किता' ॥

इत्यादी ।

लिए प्रयात ई । अतएव 'रम्य' पदसे उद्दीपनविभावत्व सूचित होना है । इस प्रकार निपातद्वयका प्रयोग विप्रलम्भशृङ्गारको अभि-यक्त करता है । यह 'विक्रमोवशीय' नाटकम पुरुरवाकी उक्ति है ।

अथवा [निपातके व्यञ्जकत्वका दूसरा उदाहरण] जैसे—

[मेरे जवरदस्ती चुम्बनका प्रयत्न करनेपर] बार बार अँगुलियोंसे ढके हुए अधगोष्ठगाला और [मान जाओ, जाने दो इत्यादि] निपेधपरक शब्दोंकी विकलताने मनोहर तथा कन्धेकी ओर मुखा हुआ, सुन्दर पलकोंवाली [प्रियतमा शकुन्तला]-का मुख किसी प्रकार ऊपर उठा तो लिया पर 'तु' चूम नहीं पाया ।

यहाँ 'तु' यह शब्द [पश्चात्ताप-यज्ञक और उस चुम्बनमात्रसे कृतकृत्यताका सूचक होनेसे शृङ्गाररसको अभि-यक्त करता है] ।

निपातोंका द्योतकत्व [हमारे उपजीव्य धेयाकरण मतमें] प्रसिद्ध होनेपर भी यहाँ रसकी दृष्टिसे [फिरसे] कहा है यह समझना चाहिये ।

वैयाकरण सिद्धा तमें निपात अपने द्योतक ही होते हैं, वाचक नहीं । 'द्योतका प्रादयो केन निपाताद्वाद्यो यथा' [वै० भू०] । उनको वाचक न मानकर केवल द्योतक माननेका कारण यह है कि उनका स्वतंत्र प्रयोग नही होता । इस प्रकार द्योतकत्व प्रसिद्ध होनेपर भी वह द्योतकत्व केवल अर्थोंके प्रति विवक्षित है । इसलिए यहाँ विधेय रूपसे रसोंके प्रति द्योतकत्व प्रतिपादन किया गया है ।

उपसर्गोंका व्यञ्जकत्व [का उदाहरण] जैसे—

शुभ्युक्त कोटरोंके मुखसे गिरे हुए नीवारकण वृक्षोंके नीचे विखरे पड़े हैं । कहीं कहीं चिकने पत्थर हैं जो इस गतकी सूचना देते हैं कि उनसे इङ्गुदीफल तोड़ने का काम लिया जाता है । सर्वथा आश्वस्त होनेसे, आनेगालोंके शब्दको सुनकर भी मृगोंकी गतिमें कोई परिवर्तन नहीं होता है और जलाशयोंके मार्ग [स्नानोत्तर गीले] चल्कल-पत्तोंसे टपकती हुई बूँदोंकी रेखाओंसे अङ्कित हैं ।

इत्यादिमें ।

यहाँ 'प्रस्निग्धा' में 'प्र' उपसर्ग 'प्रकपेण स्निग्धा प्रस्निग्धा' इस प्रकार-प्रकर्षको सूचित

द्वित्राणां चोपसर्गाणामेकत्र पदे य प्रयोग सोऽपि रसव्यक्त्यनुगुणतयैव निर्दोष । यथा—

“प्रभ्रश्यत्युत्तरीयत्विति तमसि समुद्वीदय वीतावृतीन् द्राग् जन्तून्”—

इत्यादी ।

यथा वा—

“मनुष्यवृत्त्या समुपाचरन्तम् ।”

इत्यादी ।^१

करता हुआ दृग्गुदीपलेंगी ससताका घातक होकर जाश्रमन सौ न्यातिगपको व्यक्त करता है । कोइ काइ यहा तापसस्य पलविपय अभिलापातिरना ध्व यत तापसना पलविपयक अभिलापका अतिशय यहा ध्वनित हाता है यह व्याख्या करत ह । पर नु उनना यह व्याख्या सङ्गत नहीं है क्योंकि ‘अभिज्ञानशाकुन्तल’ नाटकम यह राजा दुष्यन्तक उक्ति है । तापसनी नहा । जालाकरारने यहाँ ‘शुक्वगभकाटरमुत्तम्रथा’ यह पाठ रता है । परन्तु दूसरी जगह ‘शुक्वनागराभकमुत्तम्रथा’ पाठ पाया जाता है । यह पाठ अधिक अच्छा जान पड़ता है ।

दो तीन उपसर्गोंका जा एक पदमें प्रयोग होता है वह भी रसाभिव्यक्तिके अनुसूल हानसे ही निर्दोष ह । जैसे—

उत्तरीय [दुपट्टा]क समान अधिकारके गिर जाने [रात्रिके अधिकारके दूर हो जाने]पर आधारणहित जन्तुओंको देखकर [मृशशतक] ।

इत्यादि [‘समुद्वीक्ष्य’ पदमें एक साथ ‘सम्, उत् और त्रि’ इन तीन उपसर्गोंका प्रयोग सूर्यदयकी वृषाक अतिशयका व्यञ्जन और रसानुसृत होनेसे निर्दोष है] ।

अथवा जैसे—

मनुष्यरूपसे आचरण करते हुएको ।

इत्यादिमें ।

‘मनुष्यवृत्त्या समुपाचरन्तम् ।’ यहाँ सम्, उप और आड् इन तीन उपसर्गोंका प्रयोग भगवान्के लोकानुप्रेक्षाके अतिशयना अभिव्यञ्जक है ।

निर्णयसागराय तथा दीक्षितयुक्त संस्करणम इह लोकाय जाद एक लोक और दिया है । परन्तु लोचनम उसना उल्लेख नहीं है । अतएव जालियावाले संस्करणम उसे मूल पाठमें नहीं रखा है । इसीलिए हमने भी उस यहाँ मूल पाठम नहीं रता है । फिर मी उठकी व्याख्या टिप्पणी रूपमें कर रहे ह—

मदमन्वरनपोतमुमयूर प्रविरलत्रामनवृभसत्रिवेशम् ।

वनमित्प्रवशाहमानमीम व्यसनमिबोपरि टाग्णत्वमेति ॥

इत्यादौ प्रशस्त्य, औपच्छदतिकक्ष्य च यञ्जकत्वमधिक व्योत्यते ।

मदमन्वर कपोतों और ऊपरको मुख उठाये मयूरी अथवा उमत्त मयूरीसे युक्त, बहुत छोटे छोटे और विरल वृशोंसे युक्त यह वन आपत्तिसे समान या रागसे समान प्रवेश करते समय [प्रारम्भ-] भयानक [लगता है] और आगे चलकर दारुण दुःखदायक वन जाता है ।

१ नि० सा० स० में ‘य स्वप्ने सदुपाचरन्तस्य इत्यादी च ।’ इतना अधिक पाठ है ।

निपातानामपि तथैव । यथा—

‘अहो वतासि स्पृहणीयवीर्ये ।’

इत्यादौ ।

यथा वा—

ये जीवन्ति न माति ये स्ववपुषि प्रीत्या प्रनृत्यन्ति ये
प्रस्यन्दिप्रमदाश्रव पुलकिता दृष्टे गुणियुजिते ।

इत्यादिमि [प्रविरलका] ‘प्र’ [उपसर्ग] ना आर ‘ओपञ्चदसिक’ [वृत्त] का ‘यञ्जनत्व अधिक सूचित हाता है । ‘पय त र्या तयेव शेष त्वोपञ्च दसिक सुधीभिरुत्तम’ यह ‘ओपञ्च दसिक’ छन्दका लक्षण है । यहाँ वम्बु-यञ्जन द्वारा वह भयानक रमका ‘यञ्जन हाता है ।

इनमस पहिला उदाहरण मयूरभङ्ग ‘स्युशतक स लिया गया है । पूरा श्लोक इस प्रकार है—

प्रभ्रयत्सुत्तरीयविपि तमसि समुद्रीभ्य वीतावृतीन् द्राम,
जन्दा तन् यथा यानतनु वितनुते तिग्मराचिर्मरीचीन् ॥
त सा द्रीभूय सत्र क्रमविशददशादादशालीविशाल,
शश्वत् सप्पादय ताऽऽपरममलमल मङ्गल वो दिशतु ॥

दूसरे उदाहरणका पूरा श्लोक निम्नलिखित प्रकार है—

मनुष्य वा ममुपाचरत स्वबुद्धिसामान्यकृतानुमाना ।
यागीश्वरैर्यसुगोघमीश त्वा वाद्बुभित्ठयबुधा कुतरे ॥

यहाँ एत जार तीसरा ‘य स्वप्ने सदुपानतस्य’ इत्यादि उदाहरण कुछ पुस्तकोंमें पाया जाता है । पर तु उसका पूरा पाठ नहा मिलता है । लोचनकारन इसपर धारया आदि नहीं दी है अतएव वह पाठ प्रामाणिक नहा है ।

निपातोंके त्रिपथमें भी घेम्ना ही है [अथात् दो तीन निपातोंका एक साथ प्रयोग होनापर भी रस-यक्तिने अनु रूप हानेसे कोई दाप नहीं होना] । जस—

ओहो ! तुम वदे स्पृहणीय पराधमवाले हा ।

इत्यादिम ।

‘अहो वतासि स्पृहणीयवीर्ये’ इत्यादिम क्रमस आश्रय और खेद आदिके बोधक ‘अहो’ और ‘वत’ ये दाना निपात मदनर पराक्रमर जलौकिकत्वसूचन द्वारा रसका प्रकाशित करते हैं अत निरुप है । यह उद्धरण तुमारमभव क तृतीय सगसे लिया गया है । कामदेवक प्रोत्साहनार्थ इन्द्रकी उक्ति है । पूरा श्लोक इस प्रकार है—

मुसा समभ्यधयितार एत वार्ये त्रयाणामपि विपानाम् ।
चापन ते म न चातिद्विहमहो वतासि स्पृहणीयवीर्ये ॥

—कु० सं० ३, २० ।

अथवा [अनेक निपाताने रसानुगुण सहप्रयोगका दूसरा उदाहरण] जैसे—

गुणी जनोऽपी वृद्धि देयम्पर जो जीते है, जो अपने शरीरमें फूले नहीं समाते और जा आनन्दस नाचन लगते हैं, जिनके आनन्दाश्र उहने लगते हैं और जिनका

हा धिक् कष्टमहो क्व यामि शरणं तेषां जनानां कृते
नीतानां प्रलयं शठेन विधिना साधुद्विषं पुष्यता ॥
इत्यादौ ।

पदपौनरुक्त्यं च व्यञ्जकत्वापेक्षयैव कदाचित् प्रयुज्यमानं शोभामावहति । यथा—
यद् वञ्चनाहितमतिर्वहुवाटुगर्भं
कार्योन्मुखं सलजनं कृतकं प्रसीति ।
तत् साधवो न न विदति, विदति किन्तु
कर्तुं वृथा प्रणयमस्य न पारयन्ति ॥
इत्यादौ ।

शरीर [आनन्दमे] गोमाञ्जित हो उठता है, हा धिक्कार ह, मञ्जन पुर्योने द्विषियोंका पोषण करनेवाले दुष्ट देवने उनका अत्यन्त विनाश कर दिया यह वक्ते दुःखकी बात है, उनसे [प्राप्त करने] लिए मैं किन्तकी शरणमें जाऊँ ।

इत्यादिमें—

यहाँ 'हा धिक्' इस निपातद्वयम गुणियोंकी अभिन्नद्विसे प्रसन्नता अनुभव करनेवाले महापुरुषोंका श्लाघातिशय और दैवकी असमीप्यकारिताके कारण निर्देहातिशय ध्वनित होता है ।

इस स्थानी लोचन टीकाका पाठ निणयसागरीय जीर वाराणसेय दोनों संस्करणोंमें भ्रष्ट है । निर्णयसागरीय संस्करणम तो 'हा धिक्' के बाद कुछ पाठ छूटा होनेकी सूचक विदियों दी हुई हैं । वहाँका पाठ इस प्रकार छापा है । 'हा धिगिति तिगया निवदातिशयश्च ध्वन्यते ।' वाराणसेय संस्करणम पाठ इस प्रकार छापा है— श्लाघातिशयो निर्देहातिशयश्च अहा नतात हाधिगिति च ध्वन्यते । यह पाठ भी भ्रष्ट है । इसम 'अहो रते' यह अश इसस पूर्व उदाहरण 'अहो नताति स्पृहणीय धीय'से सम्बन्ध रखता है । उस उदाहरणम नाच दिखे हुए 'इत्यादा'की व्याख्यामें 'अहो रतेति' लिखा गया है । जिसका अभिप्राय यह है कि उस उदाहरणम 'अहो रते' इन दो निपातोंका प्रयोग यञ्जक है । इस प्रकार सबसे पहिले 'अहा रते' पाठ, और उसका अन्तम विरामचिह्न छापना चाहिये था । उसके बाद 'हा धिगिति च श्लाघातिशयो निवदातिशयश्च ध्वन्यते' यह पाठ देना चाहिये । इस अशका सम्बन्ध प्रकृत उदाहरणम है । अर्थात् इस उदाहरणम 'हा' और 'धिक्' ये निपात क्रमशः श्लाघातिशय और निर्देहातिशयको प्रकृत हैं । अतएव सशोधित पाठ इस प्रकार होना चाहिये—

'अहो रतति । हा धिगिति च श्लाघातिशयो निर्देहातिशयश्च ध्वन्यते ।' यह सशोधन दोनों संस्करणोंके पाठकी त्रुटियोंको पूर्ण कर देता है ।

कभी-कभी व्यञ्जनस्त्वकी दृष्टिसे ही प्रयुक्त पदाकी पुनरक्ति भी शोभाजनक होती है । जैसे—

[सूत्रोंको] धोखा देनेवाला [और अपना] काम निभा देनेवाला दुष्ट पुरुष जो खुशामदकी बनावटी बातें करता है उसको सञ्जन पुरुष नहीं समझते यह [जात] नहीं है, रतु समझते हैं, किन्तु उसके आग्रहका अस्वीकार करनेमें समर्थ नही होते ।

इत्यादिमें ।

कालस्य व्यञ्जकत्वं यथा—

समप्रिसमणित्रिमेसा समन्ततो मन्दमन्दमआरा ।
अइरा हाहिनित्ति पहा मनोरहाण पि दुल्लथा ॥
[समविपमनिर्विशेषा समन्ततो मद् म दसञ्जारा ।
अचिराद् भविष्यन्ति पन्थानो मनोरथागामपि दुर्लङ्घ्या ॥
—इति च्त्रया]

अत्र ह्यचिराद् भविष्यन्ति पन्थान इत्यत्र भविष्यन्तीत्यस्मिन् पदे प्रत्यय काल-
विशेषाभिवायी रसपरिपापहेतु प्रकाशते । अयं हि गाथार्थं प्रवासविप्रलम्भशृङ्गारविभाव-
तया विभाव्यमाना रमयान् ।

यथात्र प्रत्ययाशो व्यञ्जकस्तथा क्वचित् प्रकृत्यशोऽपि दृश्यते यथा—

यदा पठित् 'न न विदति' गहा जानत हैं ऐसी बात नहा है अथात् जानत ही हैं । इस नञ्
द्वयत्री प्रनात्तमे 'विदति' इस अथवा सूचन किया है । और दुबारा फिर सा गत् 'विदन्ति'का प्रयोग
किया है । यह 'न न विदति'की वक्तोक्ति और उससे प्राप्त 'विदति' पदत्री पुनरुक्ति उनर शाना
तिशयका अभिव्यक्त करती है ।

यदापर "पदग्रहण च वाक्यादेरपि यथासम्भारमुपलक्षणम्" लिखकर लोचनकारने पदको
वाक्यना भी उपलक्षण माना है । अथात् वाक्यना पुनरुक्ति भी यञ्जक हाती है । इसका उदाहरण
'रत्नावली' नाटिकाका निम्नलिखित श्लोक दिया है—

द्वीपादन्यस्मादपि मध्यादपि जलनिर्घेदशोऽप्यन्तात् ।

आनीय क्षणिति घटयति विधिरभिमतमभिमुत्सीवृत् ॥

क स देह । द्वीपादन्यस्मादपि इत्यादि ।

यहा इस श्लोककी आगति दृष्टान्तकी अवश्यम्भाविताको व्यक्त करती है ।

कालका व्यञ्जकत्वं [का उदाहरण] जैस—

[यथाकालमें सत्र रास्तोंम पानी भर जानेसे]सम विपम [ऊँचे खाले]की विशेषता
से रहित, चारों ओरसे अत्यंत मन्दसञ्चारयुक्त [अत्यंत न्यून सरया बार मद्गतिके
सञ्चारसे युक्त] तारे मार्ग शीघ्र ही मनोरथमे भी अगम्य हो जायेंगे ।

यहाँ "अचिराद् भविष्यन्ति पन्थान " मार्ग शीघ्र ही [अगम्य] हो जायेंगे इसमें
'भविष्यन्ति' इस पदमें कालविशेष [भविष्यत्काल]का वाचक [स्य] प्रत्यय [यथाकालकी
फलपना भी विरही जनोमें कम्प पैदा कर देती है, साग्यात् उसका तो कहना ही क्या
इस व्यङ्ग्यार्थक बोधन द्वारा] रसना परिपोषक हेतु प्रतीत होता है । गाथाका यह
अर्थ प्रगासविप्रलम्भशृङ्गार [उद्दीपन] विभावरूपसे प्रतीत होकर [विशेष रूपसे] रसयुक्त
प्रतीत होता है ।

जैसे यहाँ प्रत्यय अश व्यञ्जक है ऐसे ही प्रकृतिभाग भी [व्यञ्जकरूपमें] देखा
जाता है । जैसे—

सद् गेहं नतमिति मन्दिरमिदं लज्जावकाश दिव.
सा धेनुर्जरती चरन्ति करिणामेता घनाभा घटा ।
स क्षुद्रो मुमलध्वनिः कलमिव सङ्गीतकं योषिता-
माश्रयं दिवसैर्द्विजोऽयमियती भूमिं समारोपित ॥

अत्र श्लोके 'दिवसै'रित्यस्मिन् पदे प्रकृत्यशोऽपि शोतक ।

सर्वनाम्ना च व्यञ्जकत्व यथानन्तरोक्ते' श्लोके । अत्र च सर्वनाम्नामेव व्यञ्जकत्व इति व्यवस्थाप्य कविना केत्यादिशब्दप्रयोगो न कृत ।

अनया दिशा सहृदयैरन्येऽपि व्यञ्जकविशेषा स्वयमुत्प्रेक्षणीया । एतच्च सर्वं पदराक्षररचनाद्योतनोक्त्यैव गतार्थमपि वैचित्र्येण व्युत्पत्त्ये पुनरुक्तम् ।

[कहाँ] यह टूटी फूटी दीवारोंका घर, ओर [कहाँ आज] यह आकाशचुम्बी महल, [कहाँ इसकी] यह सुदिया गाय [और कहाँ आज] ये मेघोंके समान [काली काली और ऊँची] हाथियोंकी पत्तियाँ झूम रही है । [कहाँ] यह मूमलकीं श्रुद्ध ध्वनि, ओर [कहाँ आज सुनाई देनेवाला] यह सुन्दरियोंका मनोहर सङ्गीत । आश्रयं ह, इन [घाटेसे] दिनोंमें ही इस [दरिद्र] ब्राह्मण [सुदामा]की इतनी अच्छी ढालत हो गयी ।

इस श्लोकमें 'दिवसै' इस पदमें प्रकृत्यश [दिग्ग शब्द] भी [इस प्रतिपादित अर्थकी अत्यन्त असम्भाव्यमानताका] अभि-यञ्जक ह ।

सर्वनाम भी अभि-यञ्जक होते हैं जैसे अभी कहे गये [नद् गेह] श्लोकमें । यहाँ सर्वनामोंके व्यञ्जकत्वको मनमें रखकर ही कविने 'व' इत्यादि शब्दका प्रयोग नहीं किया है ।

यहाँ तद् गेह नतमिति' में 'तत्' यह सवनाम 'नतमिति'क प्रकृत्यशके साथ मिलकर घरकी अत्यन्त दरिद्रताका सूचक, मूषराक्षणीय दुदशाका चित्र करता है । यहाँ केवल 'तत्' सर्वनाम ही व्यञ्जक नश है । क्योंकि अकले सवनामस ता घरका उत्कृष्ट भी प्रकृत हो सकता था । परन्तु 'नतमिति' च सहकारस बह, घरकी हीन अवस्थाका अभि यञ्जक होता है । इसी प्रकार 'सा धेनुर्जरती' इत्यादिमें भी प्रकृत्यश सहकृत सवनामस ही व्यञ्जक मानना चाहिये, केवल सर्वनामसो नहीं । यहाँ 'तत्' का अनुभूताथस्मारकत्वेन यञ्जक है । इसलिये प्रमग स्मृति और अनुभवने सूचक 'तत्' और 'इद' शब्दक द्वारा स्मृति और अनुभवकी अत्यन्त निरुद्धविपयताके सूचनस आश्रयका उद्दीपन प्रतीत होता है । 'तत्' और 'इद' शब्दस जमावस यह विशय अर्थ प्रतीत नही हो सकता है इसलिये वे सवनाम पद ही प्रधानतया व्यञ्जक ह ।

इसी प्रकारसे अन्य व्यञ्जकोंको भी सहृदय पुरस स्वय समझ लें । यह सप [सुप, तिङ्, आदिकी व्यञ्जकता जो १६वीं कारिकामें कही ह, दूसरी कारिकामें कहे हुए] पद, वाक्य, रचना आदिकी द्योतनोक्तिस ही गताय हो सकता ह फिर भी मिश्र प्रकारसे व्युत्पत्ति [दानवृद्धि या बुद्धिवंशघ]ने लिप ही दुगारा कहा ह ।

ननु^१ चार्थसामर्थ्याक्षेप्या रसादय इत्युक्तम्, तथा च सुवादीना^२ व्यञ्जकत्ववैचि-
त्र्यकथनमनन्वितमेव ।

उक्तमत्र पदानां व्यञ्जकोक्त्यवसरे ।

किञ्च, अर्थविशेषाक्षेप्यत्वेऽपि रसादीनां तेषामर्थविशेषाणां व्यञ्जकशब्दाधिनाभा-
वित्वाद् यथा प्रदर्शित व्यञ्जकस्वरूपपरिज्ञान विभक्त्योपयुज्यत एव । शब्दविशेषाणां
षान्यत्र^३ च चारुत्व यद् विभागनोपदर्शित तदपि तेषां व्यञ्जकत्वेनैवावस्थितमित्य-
वगन्तव्यम् ।

यत्रापि^४ तत् सम्प्रति न प्रतिभासते तत्रापि व्यञ्जके रचनातरे यद् दृष्ट सौष्टव

सुवादिकी व्यञ्जकताका उपपादन

[प्रश्न] अर्थकी सामर्थ्यसे ही रसादिका आक्षेप हो सकता है यह पहले कहा जा
चुका है। उस दशमों [नेत्रल सुगादिके वाचक न होनेसे] सुवादिका नानाप्रकारसे
व्यञ्जकत्व वर्णन करना अमङ्गल ही है।

[उत्तर] पदोंकी व्यञ्जकतासे प्रतिपादनके अन्तरपर इस विषयमें [उत्तर]
कह चुके हैं ।

इसका यह उत्तर दे चुन है कि ध्वनि-यवहारमें वाचकत्व प्रयोजन नहीं है अपितु व्यञ्जकत्व
प्रयोजक है। पदोंकी व्यञ्जकता प्रसङ्गम यह शङ्का उठायी थी कि पद तो कबल अक्षरारूढ़ है वाचक
नहीं, तब अवाचक पदोंसे व्यञ्जककी प्रतीति कैसे होगी? वहा उसका समाधान यह किया था कि
व्यञ्जकताका प्रयोजक वाचकत्व नहीं है इसलिए अवाचक पदोंमें भी व्यञ्जकता रहनेमें कोई बाधा नहीं
है। इस प्रकार एक बार इस विषयका निगम हो चुका था, पर तु रघूणानिखननन्यायसे दृढ करनेके
लिए फिर दुबारा यहा कहा है।

साथ ही [यह हेतु भी है] अर्थविशेषसे ही रसकी अभिव्यक्ति माननेपर भी
उतकी अर्थविशेषके व्यञ्जक शब्दोंके बिना प्रतीति नहीं हो सकती है। अतएव जैसा
कि दिखलाया गया है [उस प्रकार] व्यञ्जकके स्वरूपका अलग अलग करके ज्ञान
[रसादीनी प्रतीतिमें] उपयोगी है ही। और अर्थ [‘भामहधिवरण’में भट्टोद्घरणे] शब्द
विशेषोंका जो चारुत्व अलग अलग प्रदर्शित किया है वह भी उनके अर्थव्यञ्जकत्वके
कारण ही व्यवस्थित होता है यह समझना चाहिये।

और जहाँ [जिस शब्दमें] वह [चारुत्व] इस समय [गृहकारादिव्यतिरिक्त स्थल
में प्रयोगकालमें] प्रतीत नहीं होता वहाँ [उस शब्दमें] भी व्यञ्जक दूसरी रचनामें
समुदायमें प्रयुक्त उन शब्दोंका जो सौष्टव [चारुत्व] देता था उन शब्दोंके उस [व्यञ्जक]

१ 'न तु' नि०, दी० ।

२ 'व्यञ्जकत्वकथनम्' दी० ।

३ 'तत्रान्यत्र च' नि०, दी० ।

४ 'न तद् प्रतिभासते' नि०, दी० ।

तेषां प्रवाहपतितानाम्, तदेवाभ्यासादपोद्धृतानामप्यवभासत इत्यवसातव्यम्^१। कोऽन्यथा तुल्ये वाचकत्वे शब्दानां चारुत्वविषयो विशेष स्यात् ।

अन्य एवासौ सहृदयसवेद्य इति चेत्, किमिदं सहृदयत्व नाम । किं रसभावान-
पेक्षकाद्याश्रितसमयविशेषाभिहितत्वम् उत रसभावादिमयकाव्यस्वरूपपरिज्ञाननैपुण्यम् ।
पूर्वस्मिन् पक्षे तथाविधसहृदयव्यवधापितानां शब्दविशेषाणां चारुत्वविषयो न स्यात् ।
पुनः समयान्तरेणान्यथापि व्यवस्थापनसम्भवात् ।

द्वितीयस्मिन्तु पक्षे रसज्ञतैव सहृदयत्वमिति । तथाविधैः सहृदयैः सवेद्यैः रसादि-
समर्पणसामर्थ्यमेव नैसर्गिकं शब्दानां विशेष इति व्यञ्जकत्वाश्रयैव^२ तेषां मुख्य
चारुत्वम् । वाचकत्वाश्रयणान्तु^३ प्रसाद एवायापेक्षया तेषां विशेषः । अर्थानपेक्षायां^४
त्वन्तुप्रसादिगैव ॥१६॥

समुदायसे अलग हो जानेपर भी अभ्यासवश वह चारुत्व प्रतीत होता रहता है यह समझना चाहिये । अन्यथा [मभी शब्दोंमें] वाचकत्वके समानरूप होनेसे [निर्द्दी विशेष शब्दोंमें] चारुत्वत्रिपयक भेद कहाँसे आयेगा ।

सङ् चन्दनादि शब्द शृङ्गाररसमें चारुत्वयञ्जक होते हैं परन्तु गीतस आदिमें व ही अचारुत्व यञ्जक होत हैं । इसलिए शीभलादि रसमें प्रयुक्त होनेपर ये सङ् च दनादि शब्द शृङ्गारादि के समान चारुत्वके यञ्जक नहा होते । फिर भी अनेक गार सुन्दर अथक प्रतिपादनस अधिवासित होनेके कारण उनमें उस अथको अमि यच करनेकी सामर्थ्य माननी ही चाहिये यहा चारुत्व यञ्जक शब्दोंका अन्य शब्दोंसे भेद है ।

यदि यह कहें कि [शब्दोंके चान्त्रविशेषका नियामक] सहृदयसवेद्य कोई अन्य ही [विशेषता] है, तो [यह पूछना चाहिये कि] यह सहृदयत्व [आपके मतमें] क्या है ? १ क्या रसभावकी अपेक्षाके बिना ही कायाश्रित सङ्केतविशेषका ज्ञान रचना ही सहृदयत्व है ? अथवा रसभावमय काव्यके स्वरूपपरिज्ञानका कुशलता [सहृदयत्व है] ? यदि पहिला पक्ष मानें तो इस प्रकारके सहृदयों द्वारा निर्धारित शब्दविशेषोंके चान्त्र का नियम नहीं बन सकता क्योंकि [दूसरी गार अन्य प्रकारसे ही उन शब्दोंका सङ्केत किया जा सकता है [इसलिए पहिला पक्ष ठीक नहीं है] ।

दूसरे [‘रसभावादिमयकाव्यस्वरूपपरिज्ञाननैपुण्यमेव सहृदयत्वम्’ इस] पक्षमें रसज्ञताका नाम ही सहृदयत्व हुआ । इस प्रकारके सहृदयोंसे सवेद्य [शब्दविशेषोंके चारुत्वका नियामक] शब्दोंकी रससमर्पण [रसाभिव्यक्ति] की स्वाभाविक सामर्थ्य ही शब्दोंकी [चारुत्वद्योतनकी नियामक] विशेषता है । इसलिए मुख्यतया व्यञ्जकत्व [शक्ति]के आश्रित ही शब्दोंका चारुत्व [निर्धारित होता] है । वाचकत्वाश्रय [चारुत्व

१ ‘इत्यवसातव्यम्’ नि०, दी० ।

२ ‘व्यञ्जकत्वाश्रय एव नि०, दी० ।

३ ‘वाचकत्वाश्रयस्तु’ नि०, दी० ।

४ ‘अर्थानपेक्षायां’ नि०, ‘अर्थानपेक्षायाः’, दी० ।

एव रसादीना व्यञ्जकस्वरूपमभिधाय तेषामेव विरोधिरूप लक्षयितुमिदमुपक्रम्यते—

प्रयन्धे मुक्तके वापि रसादीन् बन्धुमिच्छता ।

यत्नः कार्य. सुमतिना परिहारे विरोधिनाम् ॥१७॥

प्रबन्धे मुक्तके वापि रसभावनिबन्धन प्रत्याहतमनाः कविर्विरोधिपरिहारे पर यत्नमादधीत । अन्यथा त्वस्य रसमय श्लोक एकोऽपि सम्यह् न सम्पद्यते ॥१७॥

कानि पुनस्तानि विरोधीनि यानि यत्नत कवे परिहर्तव्यानीत्युच्यते—

विरोधिरससम्बन्धिविभावादिपरिग्रहः ।

विस्तरेणान्वितस्यापि वस्तुनोऽन्यस्य वर्णनम् ॥१८॥

हेतु] उन [शब्दों] के अर्थकी अपेक्षा होनेपर प्रसाद [गुण] ही उनका भेदक है । और अर्थकी अपेक्षा न होनेपर अनुप्रासादि ही [अन्य साधारण शब्दोंसे विशेष—भेदक है] ।

अथात् जहाँ व्यञ्जक शब्दों का उपयोग नहीं होता केवल वाचक शब्दोंसे ही चारुत्व प्रतीत होता है वहाँ चारुत्वके बोधक शब्दोंमें अन्य शब्दोंसे जो विशेषता होती है वह वाचनके आश्रित ही रहती है और उससे भी दो रूप हाते हैं । १ जहाँ केवल शब्दनिष्ठ चारुताकी प्रतीति हो और उसमें अर्थज्ञानकी कोई आवश्यकता न हो ऐसे शब्दनिष्ठ चारुताद्योतक शब्दोंका अर्थ शब्दसे भेद करने वाला विशेष धर्म अनुप्रासादि शब्दालङ्कार हैं । और २ जहाँ चारुत्वप्रतीतिमें अर्थज्ञानकी सहायता भी अपेक्षित होती है वहाँ 'प्रसाद गुण' चारुताद्योतक शब्दोंको अर्थ शब्दोंसे भिन्न करता है ।

इस उदात्तकी दूसरी कारिका १ वर्ण, २ पदादि, ३ वाक्य, ४ सङ्घटन आर ५ प्रबंध द्वारा अलङ्कारमन्त्रिणि अभि यक्त हो सकता है यह बात कही थी । उसीका विस्तारपूर्वक विवेचन इस १६वीं कारिकातक किया गया है । इस प्रकार वर्णादिकी व्यञ्जकताका यह प्रकरण समाप्त हुआ ॥१६॥

रसके विरोधी ओर उनका परिहार

इस प्रकार रसादिके अभिव्यञ्जकोंके स्वरूपका प्रतिपादन करके [अथ] उन्हीं [रसादि]के विरोधियोंके स्वरूपका प्रतिपादन करनेके लिए यह [अगला प्रकरण] प्रारम्भ करते हैं ।

प्रयन्धकाय अथवा मुक्तक [काय]में रसादिके निम्नलिखितकी इच्छा रखनेवाले शुद्धिमान् [कवि]ने [रसध] विरोधियोंके परिहारके लिए प्रयत्न करना चाहिये ॥१७॥

प्रयन्ध [काय] अथवा मुक्तक [काय]में रसधके लिए समुत्सुक कवि विरोधियोंके परिहारके लिए पूर्ण प्रयत्न करे । अन्यथा उसका एक भी श्लोक रसमय नहीं हो सकता है ॥१७॥

रसके विरोधी पाँच प्रकारके होते हैं । कारिकाके आधे आधे भागमें एक एकका वर्णन किया गया है । इस प्रकार यह ढाह कारिका इस विषयकी होती है । परन्तु सख्या देते समय इनपर २८ तथा १९ दो ही कारिकाओंकी सख्या दी गयी है जिससे १९ कारिकाका क्लेशर तीन पत्रिका हो गया है । एक विषयसे सम्बद्ध होनेसे और आगेकी कारिकाओंमें गडबड न हो इसलिए यह सख्याक्रम रखा गया है । अथ सब संस्करणोंमें ऐसा ही क्रम है ।

अकाण्ड एव विच्छित्तिरकाण्डे च प्रकाशनम् ।
परिपोष गतस्यापि पौन पुन्येन दीपनम् ।
रसस्य स्याद् विरोधाय वृत्त्यनौचित्यमेव च ॥१९॥

(१) प्रस्तुतरसापेक्षया विरोधी यो रसस्तस्य सम्बन्धिना विभावभावानुभावाना परिग्रहो रसविरोधहेतुकः^१ सम्भावनीय ।

तत्र विरोधिरसविभावपरिग्रहा यथा, शान्तरसविभावेषु तद्विभावतथैव निरूपितेष्वनन्तरमेव शृङ्गारादिविभावरर्णने^२ ।

विरोधिरसभावपरिग्रहो यथा प्रिय प्रति प्रणयकलहकुपितासु कामिनीषु वैराग्य-
क्याभिरनुनये ।

[रसाधिके] वे विरोधी, जिनको यत्नपूर्वक कपिको उचाना चाहिये, कोन से है, यह यतलाते हैं—

१ विरोधी रसके सम्बन्धी विभावाधिकी ग्रहण कर लेना ।

२ [रससे] सम्बन्ध होनेपर भी अन्य यन्तुना अधिक विस्तारसे वर्णन करना ।

३ असमयमें रसको समाप्त कर देना अथवा अनसमयमें उसका प्रकाशन करना ।

४ [रसका] पूर्ण परिपोष हो जानेपर भी बार बार उसका उद्दीपन करना ।

५ और व्ययहारका अनौचित्य ।

[ये पाँचों] रसके विभावाधिकी होते = ॥१८, १९॥

रसोंका विरोध तीन प्रकारसे होता है—^१ निर्दोष आलम्बन ऐक्यम्, ^२ निर्दोषका आश्रय ऐक्यम्, और ^३ निर्दोषका नैर तयसे ।

१ (क) बीर और शृङ्गारका (ग) हास्य, रौद्र और भीमत्तने साथ सम्भोगशृङ्गारका, और (ग) बीर, कण तथा रौद्रादिसे साथ विप्रलम्भशृङ्गारका विरोध आलम्बन ऐक्यस ही होता है ।

२ आश्रय ऐक्यसे बीर आर भयानकता तथा

३ नैरन्तय तथा विभाव ऐक्यस शान्त आर शृङ्गारका विरोध हाता है ।

(१) प्रस्तुत रसकी दृष्टि, जा विरोधी रस हा उससे सम्बन्ध रखनेवाले विभाष, अनुभाव तथा व्यभिचारी भावोंका वर्णन [सबसे पहिला] रसविरोधी हेतु समझना चाहिये ।

क उक्त विरोधी रसके विभावपरिग्रह [का उदाहरण] जैसे शान्तरसके विभावोंका उसके विभावरूपमें ही वर्णन करनेके बाद तुरन्त ही शृङ्गारके विभावका वर्णन करने लगना [शांत आर शृङ्गारका नैरन्तयैण विरोध होनेसे ऐसा वर्णन दोषाभायक है] ।

ख विरोधी रसके भाष [व्यभिचारी भाव]के परिग्रहका [उदाहरण] जैसे, प्रियके प्रति प्रणयकलहमें कुपित कामिनियोंके वैराग्यचर्चा द्वारा अनुनयवर्णनमें ।

विरोधिरसानुभावरिग्रहो यथा प्रणयकुपिताया प्रियायामप्रसीदन्त्या नायकस्य कोपापेशविवशस्य रौद्रानुभावरणने ।

(२) अय चान्यो रसभङ्गहेतुर्यत् प्रस्तुतरसापेक्षया यस्तुनोऽन्यस्य कथञ्चिदन्वितस्यापि विस्तरेण कथनम् । यथा विप्रलम्भशृङ्गारे नायकस्य कस्यचिद् वर्णयितुमुपक्रान्ते^१, कवेर्यमकाद्यालङ्कारनिबन्धनरसिकतया महता प्रयत्नेन पर्यतादिवर्णने ।

(३) अय चापरो रसभङ्गहेतुरवगन्तव्यो यदकाण्ड एव विच्छिन्ती^२ रसस्याकाण्ड एव च प्रकाशनम् ।

ग विरोधी रसके अनुभायके परिग्रह [का उदाहरण] जैसे प्रणयकलहमें कुपित मानिनीने प्रसन्न न होनेपर कापाविष्ट नायकके रौद्रानुभावोंका वर्णन करना ।

यहाँ भाव शब्दसे व्यभिचारी भावका ही ग्रहण करना चाहिये, स्थायी भावका नहीं । क्योंकि पृवस्थायी भावका विच्छेद हुए बिना विरोधी स्थायी भावका उदय सम्भव ही नहा है । इसलिए 'भाव' शब्दको सामान्यवाचक होते हुए भी यहाँ व्यभिचारिभावपरक ही समझना चाहिये ।

इस प्रकारका उदाहरण यह है—

प्रसादे वतस्व प्रकटय मुद सन्त्यज रूप
प्रिये शुष्यत्यङ्गायमृतमिव ते सिञ्चतु वच ।
निधान सौख्याना क्षणमभिमुत्त स्थापय मुख
न मुग्धे प्रत्येतु प्रभवति गत कालहरिण ॥

[प्रसन्न हो जाओ, आनंद प्रकट करो और क्रोधको छोड़ दो । प्रिये मेरे अङ्ग सूखे जा रहे हैं, उनपर अपने वचनामृतकी वर्षा करो । समस्त सुखोंका आधारस्वरूप अपने मुखको जहाँ सामने करो । अपि सरले । कालरूप हरिण एक बार चले जानेपर फिर नहीं लौट सकता ।]

इस प्रकार वैराग्यकथासे प्रणयकलहकुपित कामिनीका अनुनय शृङ्गारविरोधी होनेसे परित्याज्य है । क्योंकि वैराग्यकथासे तत्त्वज्ञान हो जानेपर तो फिर शृङ्गारमें प्रवृत्ति ही नहीं हो सकती, अतएव वह हेय है ।

(२) यह [दूसरा] रसभङ्गका हेतु और है कि प्रस्तुत रससे किसी प्रकार सम्बद्ध होनेपर भी [रससे भिन्न] किसी अन्य यस्तुका विस्तारपूर्वक वर्णन । जैसे किसी नायक के विप्रलम्भशृङ्गारका वर्णन प्रारम्भ कर कविका यमकादि रचनाके अनुरागसे अत्यन्त विस्तारके साथ पर्यतादिका वर्णन करने लगना [जैसे 'किरातार्जुनीय' काव्यमें सुराङ्गनाविलासादि अथवा हयग्रीववध^३में हयग्रीवका अति विस्तृत वर्णन] ।

(३) अकाण्ड [अनवसर] में रसको विच्छिन्न कर देना अथवा अनवसरमें ही उसका विस्तार [करने लगना] यह भी और [तीसरा] रसभङ्गका हेतु है ।

१ 'उपक्रान्तस्य' नि० दी० ।

२ 'विच्छिन्ति' वा० प्रि० ।

३ 'प्रथमम्' नि०, दी० ।

तत्रानवसरे विरामो यथा नायकस्य कस्यचित् सृष्टृणीयसमागमया नायिकया कयाचित् परा परिपोषपदवीं प्राप्ते शृङ्गारे, विदिते च परस्परानुरागे, समागमोपाय विन्तोचित व्यवहारमुत्सृज्य स्वतः प्रतया व्यापारान्तरवर्णने ।

अनवसरे च प्रकाशन 'रसस्य यथा प्रवृत्ते' प्रवृद्धत्रिभिधनीरमभये कल्पमश्रयकल्पे सङ्ग्रामे 'रामदेवप्रायस्यापि तावत्रायकस्यानुपगन्तविप्रलम्भशृङ्गारस्य तिमित्तमुचित मन्तरेणैव शृङ्गारकथायामवतारवर्णने ।

नचैवविधे विषये दैवव्यामोहितत्व कथापुरुषस्य परिहार', यतो रसग्रन्थ एव कवे प्राधान्येन 'प्रवृत्तिनिग्रन्थन युक्तम् । इतिवृत्तवर्णन तदुपाय एवेत्युक्तं प्राक् "आलोकार्थी यथा दीपशिखाया यत्नवान् जन" इत्यादिना ।

अत एव चेतिवृत्तमात्रवर्णनप्राधान्येऽङ्गाङ्गिभावरहितरसभावनिग्रन्थेन च कवीनामेव-

क उसमें अकाण्डमें विराम [का उदाहरण] जैसे किसी नायकका, जिसके साथ समागम उसको अभीष्ट है ऐसी नायिकाके साथ [किसी प्रकार] शृङ्गार [रति] के परिपुष्ट हो जाने और [उनके] परस्पर अनुगमका पता लग जानपर उनका समागमके उपायके चिन्तनयोग्य व्यापारको छोड़कर स्वतन्त्र रूपसे किसी अन्य व्यापारका वर्णन करने लगना [जैसे 'रत्नावली' नाटिका में राधे पर आनपर सागरिकाकी विस्मृति] ।

ख अनवसरमें रसके प्रकाशन [का उदाहरण] जैसे नागा वीरोंके विनाशक कल्पप्रलयके समान भीषण सन्नामके प्रारम्भ हो जानेपर विप्रलम्भशृङ्गारके प्रसङ्गके विना और विना किसी उचित कारणके रामचन्द्र सर्गमें देवपुरुषका भी शृङ्गारकथामें पड़ जानेका वर्णन करनेमें [भी रसभङ्ग होता है जैसे 'वेणीमंहार'के द्वितीय अङ्कमें महाभारतका युद्ध प्रारम्भ हो जानेपर भी भानुमती और दुरोधनके शृङ्गारवर्णनमें] ।

इस प्रकारके विषयमें [यहाँ दुरोधनने दैवप्रद व्यामोहमें पड़कर यह सब कुछ किया इस प्रकार] कथानायकके दैवी व्यामोहसे उस दोषका परिहार नहीं हो सकता है, क्योंकि रसग्रन्थ ही कविकी प्रवृत्तिका मुख्य कारण है और इतिहासवर्णन तो उसका उपायमात्र ही है । यह बात "आलोकार्थी यथा दीपशिखाया यत्नवान् जन" इत्यादिसे [प्रथम उद्योतकी नवम कारिकामें] पहिले ही [पृ० २४ पर] कह चुके हैं ।

इसलिए केवल इतिहासके वर्णनका प्राधान्य होनेपर अङ्ग और अङ्गी भावका विचार किये बिना ही रस और भावका निग्रन्थन करनेसे कवियोंसे इस प्रकारके [सब] दोष हो जाते हैं अत रसादिरूप व्यङ्ग्यनत्परत्व ही उनका लिए उचित है ।

१ 'रसस्य' नि० में नहीं है ।

२ 'प्रवृत्त' बा० प्रि० ।

३ 'देवप्रायस्य' नि०, वी० ।

४ 'स्वप्रवृत्ति' नि०, 'स्ववृत्ति' वी० ।

विधानि स्फुलितानि भवन्तीति रसादिरूपव्यङ्ग्यतात्पर्यमेवैषा युक्तमिति यत्नोऽस्माभिर-
ररब्धो न ध्वनिप्रतिपादनमात्राभिनवेशेन ।

(४) पुनश्चायमन्यो रसभङ्गहेतुरवधारणीयो यत् परिपोष गतस्यापि रसस्य
पौन पुन्येन दीपनम् । उपभुक्तो हि रस स्वसामग्रीलब्धपरिपोष पुन पुन परामृष्य-
माण परिम्लानकुसुमकल्प कल्पते ।

(५) क तथा वृत्तेर्ध्वन्यहारस्य यदनीचित्य तदपि रसभङ्गहेतुरेव । यथा नायकं
प्रति नायिकाया कस्याश्चिदुचिता भङ्गिमन्तरेण स्वय सम्भोगाभिलापकथने ।

ख यदि वा वृत्तीना भरतप्रसिद्धाना कैशिक्यादीना काव्यालङ्कारान्तरप्रसिद्धाना-
मुपनागरिकागाना वा यदनीचित्यमविषये निग्रन्धन तदपि रसभङ्गहेतु ।

इसी दृष्टिसे हमने यह [ध्वनिनिरूपणका] यत्न प्रारम्भ किया है, केवल ध्वनिके प्रति
पादनके आग्रहके कारण ही नहीं ।

(४) फिर यह [चोथा] आर रसभङ्गका हेतु समझना चाहिये कि रसके परिपुष्टि
को प्राप्त हो जानेपर भी वार वार उसको उद्दीप्त करना । अपनी [गिभागादि] सामग्रीसे
पग्निपुष्ट और उपभुक्त रस वार वार स्पर्श करनेसे मुरझाये हुए फूलके समान मलिन
हो जाता है ।

(५) क और व्यग्रहारका जो अनौचित्य है वह भी रसभङ्गका ही [पाँचवाँ] हेतु
होता है । जैसे नायकके प्रति किसी नायिकाका उचित हाव भावके बिना स्वय [शब्दत]
सम्भोगाभिलाप कहनेमें [व्यग्रहारका अनौचित्य हो जानेसे रसभङ्ग होता है] ।

ख अथवा भरतप्रसिद्ध कैशिकी आदि वृत्तियोंका अथवा दूमरे [भामहकृत]
'काव्यालङ्कार' [और उसपर भट्टोज्जटकृत 'भामहविषयण'] में प्रसिद्ध उपनागरिका
आदि वृत्तियोंका जो अनौचित्य अर्थात् अधिपयमें निग्रन्धन है वह भी रसभङ्गका
[पाँचवाँ] हेतु है ।

भरतने नाट्यशास्त्रमें कैशिकी सा बती, भारती तथा आरमटी चार वृत्तियोंका वर्णन किया
गया है । उनके लक्षण इस प्रकार दिये गये हैं—

कैशिकीलक्षणम्—

या लक्षणनेष्यविशेषनित्रा स्त्रीयुता या नहुत्तगीता ।
वामोपभोगप्रमवोपचारा सा कैशिकी वृत्तिमुदाहरति ॥

सात्त्वतीलक्षणम्—

या सत्त्वजेनेह गुणेन युक्ता यायेन वृत्तेन समपिता च ।
हर्षोत्कटा सहृदयशोकभावा सा सात्त्वती नाम भवत्तु वृत्ति ॥

भारतीलक्षणम्—

या वाक्प्रधाना पुङ्गवप्रयोज्या स्त्रीवर्जिता सङ्कृतवाक्ययुक्ता ।
स्वनामधयैर्भरतै प्रयुक्ता सा भारती नाम भवत्तु वृत्ति ॥

एवमेवा रसविरोधिनामन्येषाञ्चानया दिशा स्वयमुत्प्रेक्षिताना परिहारे सत्कविभिर-
हितैर्भवितव्यम् । परिकरश्लोकाश्चान्—

मुख्या व्यापारविषया सुकवीना^१ रसादय ।

तेषा निग्रन्धने भाव्य तै सदैवाप्रमादिभि ॥

नीरसात्तु प्रग्रन्धो य सोऽपशन्ते महान् कवे ।

स तेनाकपिरेव स्यादन्येनास्मृतलक्षण ॥

पूर्वे विशृङ्खलगिर कवय प्रातर्कार्तय ।

तान् समाश्रित्य न त्याजा नीतिरेषा मनीषिणा ॥

वाल्मीकिव्यासमुरयाश्च ये प्रख्याता कवीश्वरा ।

तदभिप्रायग्राह्योऽय नास्माभिर्दर्शितो नय ॥ इति ॥ १८, १९ ॥

आरभटीलक्षण शृङ्गारतिलक—

या चित्रमुद्रभ्रमशस्त्रपातमाये द्रजाल्पतिलङ्घितात्या ।

आजस्विगुणशरधगाढा जेषा बुधे सारभटीत वृत्ति ॥

इनकी उत्पत्ति भरतमुनिन चारो वदास इस प्रकार रतनाथी है—

शृङ्खेदाद् भारती वृत्ति ययुर्वेदात्तु शरत्पती ।

कौशिकी सामन्दाच्च शेषा चाथरणी तथा ॥

इन वृत्तियाके अनुचित प्रयोगसे, अथवा भ्रष्टाद्वयप्रतिपादित उपनागरिका आदि वृत्तिया—

जिनका कि वणन हम पीछे पृष्ठ १८४ पर कर चुके हैं—के अनुचित प्रयोगसे भी रसभङ्ग हाता है, यह अभिप्राय है ।

इस प्रकार इन रसविरोधियों [पौर्चो हेतुओं] का ओर इसी मार्गसे स्वय उत्प्रेक्षित अन्य रसभङ्गहेतुआका परिहार करनेमें सत्कवियोंका सावधान रहना चाहिये । इस विषयक सप्रदश्लोक [इस प्रकार] है—

१ सुरुवियाके व्यापारके मुख्य विषय रसादि हैं, उनके निग्रन्धनमें उन सत्कवियोंका सदैव प्रमादरहित [जागरूक] रहना चाहिये ।

२ कविका जो नीरस काव्य हैं वह [उसके लिए] महान् अपशब्द है । उस नीरस काव्यसे वह कवि ही नहीं रहता । [कविरूपमें] कोई उसका नाम भी याद नहीं करता ।

३ [इन नियमाका उल्लङ्घन करनेवाले] स्वच्छन्द रचना करनेवाले जो पूर्वकवि प्रसिद्ध हो गये हैं उनके [उदाहरणको] लेकर बुद्धिमान् [नयेकवि] का यह नीति नहीं छोड़नी चाहिये ।

४ [कवियोंके] धार्मिक, व्यास इत्यादि जो प्रसिद्ध कवीश्वर हुए हैं उनके अभिप्रायके विरुद्ध हमने यह नीति निर्धारित नहीं की है ।

१ 'सुकवीनाम्' दी० ।

विवक्षिते रसे लब्धप्रतिष्ठे तु विरोधिनाम् ।

वाध्यानामङ्गभाव वा प्राप्तानामुत्तिरच्छला ॥२०॥

स्वसाम्या^१ लब्धपरिपोषे तु विवक्षिते रसे विरोधिनां विरोधिरसाङ्गानां वाध्यानामङ्गभाव वा प्राप्तानां सतामुत्तिरदाय^२ । वाध्यत्व हि विरोधिनां शक्याभिमवत्वे सति, नान्यथा ।^३ तथा च तेषामुक्तिः प्रस्तुतरसपरिपोषायैव सम्पद्यते ।

अङ्गभाव प्राप्तानां च^४ तेषां विरोधित्वमेव निवर्तते ।^५ अङ्गभावप्राप्तिर्हि तेषां

महाभाष्यम-व्याकरणशास्त्रके प्रयोजनाका प्रतिपादन करते हुए महर्षि पतञ्जलिने 'तेऽसुय' प्रतीकसे 'अपशब्द'से बचना भी एक प्रयोजन बतलाया है । 'तेऽसुया हेल्यो हेल्य इति कुवन्त परानभूतु । तस्माद् अशब्दो न श्लेच्छित्तयै नापभाषितने । श्लेच्छा इ वा एष यदपशब्द । श्लेच्छा मा भूमेत्यभ्यय-व्याकरणम् ।' [म० भा० पदशास्त्रिक] । जिस प्रकार वैयाकरणके लिए अपशब्दका प्रयोग श्लेच्छतापादक होनेसे अत्यन्त परिवर्जनीय है उसी प्रकार कविके लिए नीरस कायकी रचना अपशब्द सदृश हानिसं अत्यन्त गहित है । यह भाव यहाँ 'शो-पश दो महान् कवे'से अभिप्रेत होता है ।

अपितु ये नियम मनया उनक अभिप्राय अनुकूल ही हैं । इसलिए यदि कोई पूर्वकवि स्वच्छ द रचना करन भी प्रतिद्व हो गये ह तो कवि वननेक इच्छुक नवकविकी उनकी इस स्वच्छ-दताका अनुसरण नहीं करना चाहिये ॥१८,१९॥

विरोधी रसाङ्गोंके निग्रन्धनके नियम

इस प्रकार सामान्यतः विरोधियोंक परिहारका निरूपण करके उस नियमके अपनादरूप जहाँ विरोधियोंका साथ साथ वणन भी हो सकता है उन स्थितियोंका निरूपण करते हैं—

विवक्षित [प्रधान] रसके परिपुष्ट हो जानेपर तो १ वाध्यरूप अथवा २ अङ्गरूपताको प्राप्त विरोधियोंका कथन दोषरहित है ।

प्रधान रसके अपनी [विभागादि] सामग्रीके आधारपर परिपुष्ट हो जानेपर विरोधियों [अर्थात्] विरोधीरसके अङ्गोंका, १ वाध्य अथवा २ अङ्गभावको प्राप्त रूपमें वर्णन करनेमें कोई दोष नहीं है । [क्योंकि] विरोधियों [विरोधी रसाङ्गों] का वाध्यत्व, उनका अभिन्न सम्मन होनेपर ही हो सकता है अन्यथा नहीं । अतएव उनका [वाध्यरूप] वर्णन प्रस्तुत रसका परिपोषक ही होता है [इसलिए विरुद्ध रसोंके अङ्ग भी प्रकृत रससे अभिभूत अर्थात् वाधित होकर उस विवक्षित [प्रधान] रसके परिपोषक ही हो जाते हैं, अतः ऐसी दृशामें उनका वणन करनेमें कोई हानि नहीं है] ।

अङ्गभावको प्राप्त हो जानेपर तो विरोध ही समाप्त हो जाता है । [इसलिए

१ स्वसामग्री नि०, दी० ।

२ 'अदोषा' नि०, निर्दोषा दी० ।

३ नि० दी० में 'तथा च' नहीं है ।

४ तदुक्तविरोध एव नि० ।

५ 'अङ्गभावप्राप्तिर्हि तथा स्वाभाविकी समारोपकता वा । तत्र तेषां नैवर्गिकी तेषां तावदुक्तविरोध एव' इत्या पाठ नि० में नहीं है ।

स्वाभाविकी समारोपकता वा तत्र तेषा नैसर्गिकी तेषा तावदुक्तावविरोध एव । यथा विप्रलम्भशृङ्गारे तदज्ञाना व्याध्यादीनाम् । 'तेषा च तदज्ञानामेवादोषो नातदज्ञानाम् ।

अङ्गभावको प्राप्त विरोधी रमके वर्णनम भी नार्द हानि नहा हे] उन [विरोधी रमाङ्गों] का अङ्गभाव भी स्वाभाविक अथवा समारोपित [ता] रूपस हा सक्तता ह । उनमें जिनका स्वाभाविक अङ्गभाव ह उनके वर्णनमें तो अतिराध ही ह । जैसे विप्रलम्भशृङ्गारमें [उसके अङ्गभूत] 'याधि आदिका [अतिरोध ह] । उन [याधि आदि व्यभिचारी भावों] में उम [विप्रलम्भशृङ्गार] के अङ्गभूत [यभिचारिया] का वर्णन ही दोषरहित ह, उससे भिन्न [जा] उस [विप्रलम्भमें शृङ्गार] क अङ्ग नहीं ह, उनका नहा ।

'विप्रलम्भशृङ्गारे तदज्ञाना व्याध्यादीनाम् । तथा च तदज्ञानामेवात्प्यो नातदज्ञानाम् ।' इस पक्षिका आशय यह है कि रसोंक 'यभिचारी भाव सम्मिलित रूपस ३३ माने गय ह । साहित्य दर्पणकारने उनका समझ इस प्रकार किया है—

निर्देशागदैयश्रममदजडता औद्यमोहो विरोध
स्वप्नापस्मारगवा मरणमलसतामपनिद्रावहिथा ।
औत्सुक्या मादशङ्का स्मृतिमत्तिसहिता याधिसत्रासलज्जा
दृषासूयाविपादा स्पृतिचपलता श्लानिचिन्तावितना ॥

—सा० द० ३, १४१

तयस्त्रिशदमी भाषा समारोपातास्तु नामत,

विषेया 'यभिचारिण ।

—का० प्र० ४, ३४

इनमसे उग्रता, मरण, आलस्य और जुगुप्साको छोड़कर शेष सब शृङ्गाररसके यभिचारी भाव होते हैं । 'त्यक्त्यौद्यमरणालस्यजुगुप्सा यभिचारिण' [सा० द० ३, १८६] और करुणरसमें निर्वेद, मोह, अपस्मार, 'याधि, श्लानि स्मृति, श्रम, विपाद, जडता, उ माद और चिन्ता ये व्यभिचारी भाव हाते हैं । 'निर्वेदमोहापस्मारयाधिश्लानिस्मृतिश्रमा । विपादजडतोमादचित्ताद्या 'यभिचारिण ।' [सा० द० ३, २२७] इस प्रकार याधि आदि शृङ्गार और करुण दोनोंके समान 'यभिचारी भाव हैं । करुण और विप्रलम्भशृङ्गारका आलम्बनैक्येन विरोध ऊपर पृष्ठ २१३ पर दिखाया जा चुका है । 'याधि आदि 'यभिचारी भाव' दोनोंक अङ्गोंम पठित है अत दोनोंक अङ्ग हो सकते हैं और दोनोंके साथ उनका स्वाभाविक अङ्गाङ्गभावसम्बन्ध ह । इसलिए जो 'याधि आदि विप्रलम्भशृङ्गारके विरोधी करुणरसक अङ्ग ह वे विप्रलम्भशृङ्गारके विरोधी हैं । परन्तु उन 'याधि आदिका शृङ्गारक साथ भी स्वाभाविक अङ्गाङ्गभाव है । इसलिए विप्रलम्भशृङ्गारमें भी याधि आदिका वर्णन करनेमें कोई दोष नहीं है । परन्तु आलस्य, उग्रता, जुगुप्सा आदि जिन 'यभिचारियोंका शृङ्गारमें अङ्गभाव नहीं है परन्तु करुणरसमें है, उनका विप्रलम्भशृङ्गारमें वर्णन दाषाघायक ही होगा । यह उक्त पक्षिका अभिप्राय है । 'विप्रलम्भशृङ्गारे तदज्ञाना व्याध्यादीनाम् ।' का भाव यह हुआ कि व्याधि आदि करुणरसक अङ्ग होनेसे विप्रलम्भशृङ्गारक साथ उनका विरोध हो सकता है परन्तु वह शृङ्गारक भी अङ्ग हैं इसलिए तदज्ञाना अर्थात् 'विप्रलम्भशृङ्गाराज्ञाना व्याध्यादीनामविरोध' । परन्तु 'व्याध्यादि' से सभी 'यभिचारी भावोंका ग्रहण न कर लिया जाय इसलिए आगे 'तथा च तदज्ञानामेवादोषो

तदङ्गत्वे च सम्भयत्यपि मरणस्योपन्यासो न ष्यायात्^१ । आश्रयविच्छेदे रसस्या-
त्यन्तविच्छेदप्राप्ते । करुणस्य तु तथाविधे विषये परिपोषो भविष्यतीति चेत्, न ।
तस्याप्रस्तुतत्वात्, प्रस्तुतस्य च विच्छेदात् । यत्र तु 'करुणरसस्यैव काव्यार्थत्वं
तत्राविरोध'^२ ।

शृङ्गारे वा मरणस्यादोर्षकालप्रत्यापत्तिसम्भवे कदाचिदुपनिबन्धो नात्यन्तविरोधी ।
दीर्घकालप्रत्यापत्तौ तु तस्यांतरा प्रवाहविच्छेद एवेत्येवविधेत्युक्तोपनिबन्धनं रसबन्ध-
प्रधानेन कविना परिहर्तव्यम् ।

नातदङ्गानाम् ।' लिखकर यह सूचित किया कि जो स्याधि आदि शृङ्गारक भी अङ्ग हैं उर्षीका
वर्णन ही स्वता है, जो शृङ्गारक अङ्ग नहीं केवल करुणके अङ्ग हैं, उनका वर्णन तो दापजनक ही
होगा । अतएव उनका वर्णन नहीं करना चाहिये ।

मरणके उस [विप्रलम्भशृङ्गार] का अङ्ग हो सकनेपर भी उसका वर्णन करना
उचित नहीं है । क्योंकि आश्रय [आलम्बन(विभाव)] का ही नाश हा जानस रसका
अत्यन्त विनाश हो जायगा । यदि यह कहो कि ऐसे स्थानमें करुणरसका प्रविष्टापन
होगा [रसका स्वथा नाश तो नहा हुआ ता] यह कहना उचित नहीं है, क्योंकि
करुणरस प्रस्तुत रस नहीं है और जो [विप्रलम्भशृङ्गार] प्रस्तुत है उसका अत्यन्त
विच्छेद हो जाता है । [हाँ] जहाँ करुणरस काव्यका मुख्य रस है वहाँ तो [मरण
वर्णनमें भी] विरोध नहीं है ।

अथवा शृङ्गारमें जहाँ शीघ्र ही उनका समागम फिर हो सके ऐसे स्थानपर
मरणका वर्णन भी अत्यन्त विगधी नहीं है । [परन्तु जहाँ] दीर्घकाल बाद पुनः
सम्मिलन हो सके वहाँ ता बीचमें रसप्रवाहका विच्छेद हो ही जाता है अतएव रस-
प्रधान कविको इस प्रकारके इतिवृत्तक वर्णनका यचना ही चाहिये ।

यहा आलोककारन लिखा है कि मरण विप्रलम्भशृङ्गारका अङ्ग हो सकता है परन्तु ऊपर
'त्यक्वौप्रथमरणालस्यजुगुप्ता यमिचारिण'^३ [सा० द० ३, १८६] जो उद्धृत किया है उसमें मरणको
शृङ्गारका अङ्ग या व्यभिचारिभाव नहा माना है ।

आलस्यौप्रथमजुगुप्तायमिचारिणस्तु परिवर्जिता ।

उद्गाथयन्ति शृङ्गार सर्वे भावा स्वसशया ॥—ना० शा० ७।१०८

भरतमुनिके नाट्यशास्त्रके इस श्लोकमें मरणको भी शृङ्गारमें वर्जित नहीं किया है । अत
प्रतीत होता है कि नवीन आचार्योंने नायिका या नायकमसे किसीकी मृत्यु हो जानेपर विप्रलम्भकी
सीमा समाप्त होकर करुणकी सीमा आ जानेसे प्रवाहक विच्छिन्न हो जानेसे मरणको विप्रलम्भका अङ्ग
नहीं माना है । परन्तु उनकी यह कल्पना भरतमुनिक अभिप्रायक विरुद्ध प्रतीत होती है । आलोक
कारने भरतके नाट्यशास्त्र आधारपर ही अपना यह प्रकरण लिखा है । भरतमुनिने जो मरणको
विप्रलम्भशृङ्गारमें भी व्यभिचारिभाव माना है वह इसी अदी-कालीन प्रत्यापत्तिक आधारपर माना

१ 'न्याय्य' नि०, दी० ।

२ 'करुणस्यैव' नि०, दी० ।

और उसका वर्णन भी उस रूपमें कालिदास आदिके ग्रन्थोंमें मिलता है। कालिदासने 'रघुवंश'में ऐसा है—

“तीर्थे तोयव्यतिकरभवे जङ्घुकन्यासरय्वो
देहन्यासादमरणनालेलमासाद्य सद्य ।
पूर्वाकाराधिकचतुरया सङ्गत कान्तयासौ,
लीलागारेष्वरमत पुनर्नन्दनाम्यन्तरेषु ॥”

‘अत्र स्फुटैव रत्यन्नता मरणस्य’ लिखकर लोचनकारने उसकी रत्यङ्गताका पोषण किया है। यह श्लोक ‘रघुवंश’के आठवें सर्गका अन्तिम श्लोक है। इन्दुमतीके मर जानेपर आठ वर्षकी बीमारीके बाद अलने गङ्गा और सरयूके सङ्गमपर शरीर त्यागकर देवभावको प्राप्त किया और उस देवलोकमें रहिले ही पहुँची हुई, पहिलेसे अधिक चतुर कान्ता इन्दुमतीके साथ नदनवनके भीतर बने लीलावनोंमें रमण किया। यह श्लोकका भाव है। यहाँ वर्णित मरण इसी श्लोकमें वर्णित रतिका अङ्ग है। इस रूपमें मरणको शृङ्गारका अङ्ग माना गया है।

परन्तु मूल प्रश्न तो विप्रलम्भशृङ्गारसे चला था, मरण विप्रलम्भशृङ्गारका अङ्ग हो सकता है या नहीं। इस उदाहरणसे उसकी विप्रलम्भशृङ्गारके प्रति अङ्गता सिद्ध नहीं होती है। सम्भोगशृङ्गारके प्रति अङ्गता प्रतीत होती है और वह भी मिलकुल काल्यनिक है।

पण्डितराज जगन्नाथने अपने ‘रसगङ्गाधर’ नामक ग्रन्थमें शृङ्गारके प्रसङ्गमें ‘जातप्रायमरण’ अर्थात् मरण जैसी स्थिति और ‘चेतसा आकाशित मरण’, दो रूपसे मरणके वर्णनका विधान किया है। जैसे—

“दयितस्य गुणाननुस्मरन्ती शयने सम्प्रति सा विलोकितासीत् ।
अधुना खलु हन्त सा वृच्छाद्गी गिरमङ्गीकुरुते न भाषितापि ॥”

इसमें ‘जातप्राय मरण’ जैसी स्थितिका और निम्नलिखित श्लोकमें मनसे आकाशित मरणका वर्णन किया है।

“रोल्म्बा परिपूरयन्तु हरितो शङ्करकोलाहले,
मन्द मन्दमुपैतु चन्दनवनीजातो नमस्वानपि ।
माद्यन्त कलयन्तु चूतशिशरे केलीपिका पञ्चमम्,
प्राणा सत्वरमदमसारकठिना गच्छन्तु गच्छन्त्वमी ॥”

इस प्रकार जातप्राय, मनसा आकाशित तथा अचिर प्रत्यापत्तियुक्त इन तीन रूपोंमें शृङ्गाररसमें भी मरणका वर्णन प्राचीन कविपरम्पारामें पाया जाता है और भरतमुनिको भी अभिप्रेत जान पड़ता है। परन्तु वास्तविक आत्यन्तिक मरण किसीको अभिप्रेत नहीं अतएव साहित्यदपणकार आदि जिन आचार्योंने मरणको शृङ्गारमें व्यभिचारिभाव नहीं माना है उनका अभिप्राय वास्तविक या आत्यन्तिक मरणके निषेधसे ही है—ऐसा समझना चाहिये।

इस प्रकार नैसर्गिक अङ्ग भावका निरूपण किया। नैसर्गिकसे मित्र अङ्गता समारोपित अङ्गता समझनी चाहिये, इसलिए उसका बक्षण यहाँ नहीं किया है। उदाहरण आगे देंगे। विरोधी रसाङ्गोंके १ बाध्यरूप तथा अङ्गाङ्गीभावमें २ नैसर्गिक अङ्गाङ्गीभाव तथा ३ समारोपित अङ्गाङ्गीभाव इस प्रकार तीन रूपोंमें निरूपणमें दोष नहीं है यह ऊपरका सारांश हुआ। इन तीनोंके उदाहरण आगे देते हैं।

तत्र लब्धप्रतिष्ठे तु विवक्षिते रसे विरोधिरसाङ्गाना बाध्यत्वेनोच्चावदोष । यथा—

काकार्यं शशलक्ष्मण क च कुल भूयोऽपि दृश्येत सा
दोषाणा प्रशमाय मे श्रुतमहो कोपेऽपि कान्त मुखम् ।
किं वक्ष्यन्त्यपकल्मषा कृतधियः स्वप्नेऽपि सा दुर्लभा
चेत स्वास्थ्यमुपैहि क खलु युवा धन्योऽधर पास्यति ॥

यथा वा पुण्डरीकस्य महाश्वेता प्रति प्रवृत्तनिर्भरानुरागस्य द्वितीयमुनिकुमारो-
पदेशवर्णने ।

विरोधी रसाङ्गोंके बाध्यत्वेन अविरोधके उदाहरण

उनमें प्रधानरसके लब्धप्रतिष्ठ [परिपुष्ट] हो जानेपर बाध्यरूपसे विरोधी रसाङ्गों
के वर्णनमें दोष नहीं होता [इसका उदाहरण] जैसे—

अ य अस्मराभाक साथ उवशीने स्वग चले जानपर विरहोत्कण्ठित राजा पुरुषवाचे मनमें
उठते हुए अनेक प्रकारके विचारोंका इस पद्यमें यथाक्रम वर्णन है । अर्थ इस प्रकार है—

- १ कहाँ यह अनुचित कार्य आर कहाँ उज्ज्वल चन्द्रवश । [वितर्क]
- २ क्या वह फिर कभी दानको मिलगी ? [औत्सुक्य]
- ३ अरे ! मने तो [कामादि] दोषोंका दमन करनेके लिए शाखोंका धवण
क्रिया है । [मति]
- ४ क्रोधमें भी केसा सुन्दर [उसका] मुख [लगता था] । [स्मरण]
- ५ [मेरे इन् द्यवहारका देखकर] धर्मात्मा विद्वान् लोग क्या कहेंगे ? [शङ्का]
- ६ वह ता अत्र स्वानमें भी दुर्लभ हो गयी । [द्वैय]
- ७ अरे चित्त, धीरज धरो । [धृति]
- ८ न जाने कान सोभाग्यशाली युवक उसने अधरामृतका पान करेगा । [चिन्ता]

यथा विषम सत्पावाले अथात् १ वितर्क, २ मति, ५ शङ्का, ७ धृति ये शान्तरसके स्वभि-
चारी भाव ह और मम सत्पावाले अथात् २ औत्सुक्य, ४ स्मरण, ६ द्वैय और ८ चिन्ता ये
शृङ्गाररसक 'यभिचारी भाव हैं । शान्त और शृङ्गाररसका नैरन्तर्य तथा आलम्बन ऐक्यमें विरोध
होता है । वहाँ इन द्वा शान्त और आलम्बन ऐक्य भी है । इसलिए सामान्य नियमके
अनुसार उनका एकत्र वर्णन रसत्रिराधी होना चाहिये था । परन्तु उसमें विषम सत्पावाले शान्तरसके
'यभिचारी भाव'ना सम सत्पावाले शृङ्गाररसके 'यभिचारी भाव' बांधनेवाले हैं । अर्थात् वितर्कका
औत्सुक्यसे, मतिकका स्मृतिसे, शङ्काका द्वैयसे और धृतिका चिन्तासे बाध हो जाता है । इसलिए
'बाध्यत्वन कथन' होनेका कारण दाप नहीं है ।

'कायप्रशश'वी टाकाजोम कमलाकर, भीमसेन आदिने इस पद्यको देवयानीका देखनेपर
राजा यथातिकी उत्ति माना है किंतु वह ठीक नहीं है ।

अथवा जैसे ['कादम्बरी'में] महाश्वेताके ऊपर पुण्डरीकके अत्यन्त मोहित हो
जानेपर दूसरे मुनिकुमारके उपदेशवर्णनमें [प्रदर्शित शान्तरसके अङ्ग, मुख्य शृङ्गार
रसके अङ्गोंसे बाधित हो जाते हैं और रति स्थिर रहती ह । इसलिए 'बाध्यत्वेन' उनका
प्रतिपादन दोष नहीं है] ।

स्वाभाविक्यामङ्गभावप्राप्तावदोषो यथा—

(१) भ्रमिमरतिमलसहृदयता प्रलय मूर्च्छा तम शरीरसादम् ।

मरण च जलदभुजगर्जं प्रसह्य कुण्ठते विष वियागिनीनाम् ॥

इत्यादी ।

समारोपितायामप्यविरोधो यथा—‘पाण्डुक्षाममित्यादी’ ।

यथा चा—‘कोपात् कोमललोलबाहुलतिकापाशेन’ इत्यादी ॥

२. विरोधी रसाङ्गोंकी अङ्गरूपतामें अविरोधके उदाहरण—

[विरोधी रसाङ्गोंकी] स्वाभाविक अङ्गरूपताप्राप्तिमें अदोषता [का उदाहरण]

जैसे—

१ भ्रममरति [इसकी व्याख्या पृष्ठ १२१ पर भी कर चुके हैं] ।

क मेघरूप भुजङ्गसे उत्पन्न विष [जल तथा विष] वियोगिनियोंको चक्रर, त्रैचैनी, अलसहृदयता, प्रलय [चेतनारूप ज्ञान और चेष्टाका अभाव], मूर्च्छा, मोह, शरीरसन्नता और मरण उत्पन्न कर देता है । इत्यादिमें ।

यहाँ करणरसोचित व्याधिअनुभाव भ्रम आदिका विप्रलम्भमें भी सम्भव होनेसे नैसर्गिकी अङ्गता होनेसे अविरोध है ।

समारोपित अङ्गतामें भी अविरोध [होता है उसका उदाहरण] जैसे—‘पाण्डुक्षामम्’ इत्यादिमें ।

२ अथवा जैसे ‘कोपात् कोमललोलबाहुलतिकापाशेन’ इत्यादिमें ।

‘पाण्डुक्षाम’ आदि पूरा श्लोक इस प्रकार है—

पाण्डुक्षाम वदन हृदय सरस तवाल्स च वपु ।

आवेदयति नितान्त क्षेणियरोग सखि हृदन्त ॥

हे सखि, तेरा पाण्डुवर्ण मुखआवाहण, सरस हृदय और अल्स देह तेरे हृदयमें स्थित नितान्त असाध्य रोगकी सूचना देते हैं [क्षेणिय रोग उसको कहते हैं जिसकी इस शरीरमें चिकित्सा सम्भव न हो अथात् अत्यन्त असाध्य]—[क्षेणियच परक्षेत्रे चिकित्स्य ।] ।

इस श्लोकमें करणोचित व्याधिका वर्णन है परन्तु श्लेषवश वहाँ विप्रलम्भशृङ्गारमें भी नायिकाम उपाका आरोप कर लिया है । अतएव उनकी शृङ्गारके प्रति समारोपित अङ्गता होनेसे शृङ्गारमें करणोचित व्याधिका वर्णन दोष नहीं है ।

दूसरा ‘कोपात् कोमल’ इत्यादि पूरा श्लोक और उसका अर्थ पृष्ठ ११६ पर दिया जा चुका है । यहाँ ‘कोपात्’, ‘वदुष्या’, ‘हृदयते’ इत्यादि रौद्ररसके अनुभावोंको रूपकवल्के शृङ्गारमें आरोपित कर और रूपकका ‘नादिनिवहणैपिता’के अनुसार अत्यन्त निवाह न करनेसे ही उसके अङ्गोंकी शृङ्गारके प्रति समारोपित अङ्गता होती है । इस समारोपित अङ्गताके कारण ही शृङ्गारमें उनका वर्णन निर्दोष है ।

एक प्राच्यरूपता और नैसर्गिक तथा समारोपित रूपसे दो प्रकारकी अङ्गता, इस प्रकार विरोधी रसाङ्गोंके अविरोधमग्यादक तीन हेतु उपर बतलाये हैं । अब एक प्रधानतः अन्तर्गत अङ्गभूत दो विरोधी रसाङ्गोंके अविरोधका चौथा उपाय अथवा अङ्गरूपताका तीसरा भेद और दिखलाते हैं ।

इय चाङ्गभावप्राप्तिरन्या यदाधिकारिकत्वात्^१ प्रधान एकस्मिन् वाक्यार्थे रसयोर्भावयोर्वा परस्परविरोधिनोर्द्वयोरङ्गभावगमनम्, तस्यामपि न दोष । यथोक्त “क्षित्तो हस्तावलग्न” इत्यादी ।

कथ तत्राविरोध इति चेत्, द्वयोरपि तयोरन्यपरत्वेन व्यवस्थानात्^२ ।

अन्यपरत्वेऽपि विरोधिनो कथ विरोधनिवृत्तिरिति चेत्, उच्यते—विधौ विरुद्धसमावेशस्य दुष्टत्व 'नानुवादे । यथा—

एहि गच्छ पतोत्तिष्ठ वद मौन समाचर ।

एवमाशाग्रहप्रस्तैः क्रीडन्ति धनिनोऽर्थिभिः ॥

इत्यादी ।

अत्र हि विधिप्रतिषेधयोरनूद्यमानत्वेन समावेशे न विरोधस्तयोहापि भविष्यति ।

यह [आगे चक्ष्यमाण] अङ्गभावप्राप्ति दूसरे प्रकारकी है कि जहाँ आधिकारिक होनेसे एक प्रधान वाक्यार्थमें परस्पर विरोधी दो रसों या भावोंकी अङ्गरूपता प्राप्त हो । उस [प्रकारकी अङ्गतामें भी विरोधी रसाङ्गोंके वर्णन] में दोष नहीं है । जैसे कि—

३ पहिले [पृष्ठ ८७ पर] 'क्षित्तो हस्तावलग्न' इत्यादिमें कद चुके हैं ।

यहाँ कैसे अविरोध होता है ? यह पूछें, तो उत्तर यह है कि उन [ईर्ष्या विप्रलम्भ और करुण] दोनोंके अन्य [शिवप्रभावातिशयमूलक भक्ति]के अङ्गरूपमें व्यवस्थित होनेसे [अविरोध है] ।

[प्रश्न] अन्यके अङ्ग होनेपर भी उन विरोधी रसोंके विरोधकी निवृत्ति कैसे होती है, यह पूछते हो तो, समाधान यह कि विधि अशमें दो विरोधियोंका समावेश करनेमें दोष होता है, अनुवादमें नहीं । जैसे—

४ आशारूप ग्रहके चक्रमें पड़े हुए याचकोंके साथ धनी लोग 'जाओ, जाओ, पढ़ जाओ, खड़े हो जाओ, खोलो, चुप रहो', इस प्रकार [कहकर] खेल करते हैं [अर्थात् कभी कुछ, कभी कुछ, मनमानी बात कहकर उनसे खिलवाड़ करते हैं] ।

इत्यादि [उदाहरण] में [विरोधी बातें अनुवादरूपमें कही गयी हैं । अत दोष नहीं है] ।

यहाँ [एहि गच्छ आदिमें जैसे] विधि और प्रतिषेधके केवल अनुद्यमानरूपमें सन्निवेश करनेसे दोष नहीं है इसी प्रकार यहाँ ['क्षित्तो हस्तावलग्न' इत्यादिमें] भी समझना चाहिये । इस श्लोक [क्षित्तो हस्तावलग्न इत्यादि] में ईर्ष्याविप्रलम्भ और करुण विधीयमान नहीं है । त्रिपुरारि शिवके प्रभावातिशयके मुख्य वाक्यार्थ होने और

१ 'अधिकारिकत्वात्' नि० ।

२ 'व्यवस्थापनात्' नि०, वी० ।

३ 'नानुवादे' नि०, शाळग्रिवा ।

श्लोके हस्मिन् ईर्ष्याविप्रलम्भशृङ्गारफरुणवस्तुनोर्न विधीयमानत्यम् । त्रिपुररिपुप्रभावा-
विशयस्य वाक्यार्थत्वात् तदङ्गत्वेन च तयोर्व्यवस्थानात् ।

[ईर्ष्याविप्रलम्भ तथा फरुण] इन दोनोंके उसके अङ्गरूपमें स्थित होनेसे [उनका परस्पर
विरोध नहीं है] ।

यहाँ 'एहि' और 'गच्छ' ये दोनों विरोधी हैं । इसी प्रकार 'पत' और 'उत्तिष्ठ' तथा 'वद'
और 'मौन समाचार' ये विरोधी बातें हैं । परन्तु यहाँ इनका विधान नहीं किया गया है अपितु
घनिकोंके याचकोंके साथ इस प्रकारके व्यवहारका अनुवादमात्र किया गया है । विधि अशमें यदि
इस प्रकार विरोधियोंका समावेश होता तो वह दोष होता परन्तु यहाँ अनुवाद अशमें उनका समावेश
दोषाघायक नहीं है ।

एक प्रधानभूत अर्थने अन्तर्गत अनेक अप्रधान अथात् गौण अर्थोंका परस्पर सम्बन्ध किस
प्रकार होता है इसका विचार मीमांसके 'आरुण्याधिकरण'में किया गया है । ज्योतिषोम यागके
प्रकरणमें 'अरुण्या पिङ्गाद्या एकहायन्या गवा सोम मीणाति' यह वाक्य आता है । इस वाक्यमें
ज्योतिषोम यागमें प्रयुक्त होनेवाले सोम अथात् सोमलताके ऋय करनेके लिए अरुणवर्णकी, पिङ्गलवणके
नेत्रवाली और एक धर्षकी गौ देकर सोम ऋय करनेका विधान किया गया है । शब्दबोधकी
प्रक्रियामें नैयायिकोंने 'प्रथमान्तार्थमुख्यविशेष्यक', वैयाकरणोंने 'धात्वर्थमुख्यविशेष्यक' और मीमा
ंसकोंने 'भावनामुख्यविशेष्यक' शब्दबोध माना है । तदनुसार यहाँ मीमांसकमतसे भावनामुख्य
विशेष्य है अतएव आरुण्यादिका प्रथम भावनाके साथ अवयव होता है । अरुण्या, पिङ्गाद्या,
एकहायन्या, इन सत्रमें तृतीया विभक्ति करणत्व-बोधिका है । अतएव तृतीयाश्रुति बलात् इन सत्रका
ऋयकरणक भावनामें प्रथम अवयव होता है । और पीछे वाक्यमयादासे उनका परस्पर सम्बन्ध होता
है । इसी प्रकार 'एहि गच्छ' इत्यादि मुख्य मीडार्थके अङ्गरूपसे 'एहि', 'गच्छ' आदिका अन्वय
'राजनिकटव्यवस्थित आत्ताधिद्वय' न्यायसे प्रथम मुख्याश्रुत साथ होता है । जतक प्रधानके साथ
उनका सम्बन्ध नहीं हो जाता है ततक उनका दूसरेके साथ सम्बन्धका अवसर ही नष्ट आता और
पीछे परस्पर सम्बन्ध होनेपर भी, मुख्यार्थसे प्रभावित होनेके कारण, उनका विरोध अकिञ्चित्कर
रहता है ।

इसी प्रकार 'धिसो हस्तावलम्न' इत्यादि करुण और विप्रलम्भशृङ्गार दोना शिवके प्रभावाति/
शयके अङ्गरूपमें अन्वित होते हैं, इसलिए उनमें विरोध नहीं आता ।

विधि भाग अर्थात् प्रधान अशमें विरोध होनेपर ता दोष होता है । जैसे उपर्युक्त ज्योतिषोमके
ही प्रकरणमें 'अतिरात्रे षोडशिन गृह्णाति' और 'नातिरात्रे षोडशिन गृह्णाति' ये दो विरुद्ध वाक्य
मिलते हैं । यहाँ विधि अशमें ही दोनोंका विरोध होनेसे उनका विकल्प मानना पडता है । यही दोष
हो जाता है । परन्तु गौण अश अर्थात् अनुवादभागमें जैसे 'एहि गच्छ' इत्यादि श्लोकमें अनुवाद
भाग गौण अशमें विरोध रहनेपर भी कोई दोष नहीं होता । इसी प्रकार 'धिसो हस्तावलम्न' इत्यादि
का विरोध प्रधान अशमें नहीं अपितु अङ्गभूत अथात् गौण अनुवाद अशमें होनेसे दोषाघायक
नहीं है ।

[प्रश्न] विधि और अनुवाद मीमांसके पारिभाषिक शब्द हैं । उनमें यहाँ 'अज्ञातार्थशापको
षेदभागो विधि' अज्ञात अर्थका शापक वेदभाग विधि कहलाता है । और उनके मतमें 'आम्नायस्य
क्रियार्थत्वादानर्थक्यमतदर्थानाम्' [मी० अ० १ पा० २ सू० १] में निघारित सिद्धान्तके अनुसार

न च रसेषु विध्यनुवादव्यवहारो नास्तीति शक्यं वक्तुम्, तेषां वाक्यार्थत्वेनाभ्युपगमात् । वाक्यार्थस्य वाच्यस्य च यौ विध्यनुवादी तौ तदाक्षिप्तानां रसानां फेन धार्यते ।

यैर्वा साक्षात् काव्यार्थता रसादीनां नाभ्युपगम्यते तैस्तेषां तन्निमित्तता तावदवश्यमभ्युपगन्तव्या । तथाप्यत्र श्लोके न विरोधः । यस्मादनूयमानाङ्गनिमित्तोभयरसवस्तु-

यागादि क्रिया ही मुरयत विधिरूप हाती है । उस दशममें रसोंमें तो विधि अनुवादरूपता सम्भव नहीं हो सकती है । तब फिर आपने विधि और अनुवादकी शरण लेकर सङ्गति लगानेका जो प्रयत्न किया है वह कैसे बनेगा ?

[उत्तर] इसका समाधान यह है कि यहाँ विधि और अनुवाद शब्दको [लक्षणया] मुरय और गौण अर्थका बोधक समझना चाहिये । इस प्रधान और गौणके साथ भी वाच्य नहीं जोड़ना चाहिये । अर्थात् जो प्रधानतया वाच्य हो वह विधि और जो गौणतया वाच्य हो वह अनुवाद, ऐसा नहीं कहना चाहिये । क्योंकि उस दशममें रसोंके वाच्य न होकर व्यङ्ग्य होनेके कारण वे विधिरूप नहीं हो सकेंगे । अतएव विधि शब्द लक्षणया केवल प्रधान अर्थको और अनुवाद शब्द अप्रधान अर्थको सूचित करता है । इस प्रकारका प्रधान और गौणभाव रसोंमें भी हो सकता है । इसलिए विधि और अनुवादरूपमें जो समन्वय ऊपर किया गया है उसमें कोई दोष नहीं है । यही प्रश्न और उत्तर मूलप्रश्नकी अगली पत्तियोंमें निम्नलिखित प्रकार किये गये हैं—

रसोंमें विधि और अनुवादव्यवहार नहीं होता है, यह नहीं कहा जा सकता है । क्योंकि उन [रसों] को वाक्यार्थरूपमें स्वीकार किया जाता है । वाच्यरूप वाक्यार्थमें जो विधि और अनुवादरूपता रहती है उसको उस [वाच्यार्थ] से आक्षिप्त [व्यङ्ग्य] रसादिमें कौन रोक सकता है ? [जब वाच्यार्थमें विधि अनुवादरूपता रह सकती है तो व्यङ्ग्य रसादिमें नहीं रह सकती है यह कैसे कहा जा सकता है । उनमें भी अवश्य रह सकती है ।]

अथवा अनुग्रहमानरूपसे विरुद्ध रसोंके एकत्र समावेशकी जो बात कही है, उसे आप नहीं मानना चाहते हैं तो उसे छोड़िये । दूसरी तरहसे सहकारीरूपमें भी उनके अवरोधका उपपादन किया जा सकता है । किसी तीसरे प्रधानके साथ मिलकर दो विरुद्ध सहकारी भी काम कर सकते हैं । जैसे जल अग्निको बुझा देता है इसलिए ये दोनों परस्पर विरुद्ध हैं, परन्तु तीसरे प्रधानरूप तण्डुल [चाबूत] या दाल आदि पाक्य वस्तुके साथ सहकारीरूपमें मिलकर ये दोनों पक्व ओदन, भातको सिद्ध करते हैं । अथवा शरीरमें विरुद्ध स्वभाववाले वात, पित्त, कफ भी मिलकर शरीरधारणरूप अर्थक्रिया सम्पादन करते हैं । इस प्रकार 'भित्तो हस्तावलग्न' में भी सहकारिभूत शृङ्गार और कर्णरस प्रधानभूत श्यामवशराग्निजल्य दुरितदाहके साथ मिलकर शिवके प्रतापातिशयरूप 'भाव'का घोटनरूप काय कर सकते हैं । यही बात अगली पत्तियोंमें निम्नलिखित प्रकार कहते हैं—

अथवा जो रसादिको साक्षात् काय [कायवाक्यों] का अर्थ हाँ मानते उनको भी उन [रसादि] की तन्निमित्तता [वाक्यार्थ-यङ्ग्यता] अवश्य स्वीकार करनी होगी । तब भी इस श्लोक [भित्तो हस्तावलग्न] में विरोध नहीं रहता है । क्योंकि अनुग्रहमान जो अङ्ग [अर्थात् रसाङ्गभूत हस्ताक्षेपादि त्रिभाव] तन्निमित्तक जो उभयरसवस्तु [अर्थात् उन हस्ताक्षेपादिके प्रतीत होनेवाले जो उभय अर्थात् कर्ण और विप्रलम्ब-

सहकारिणो विधीयमानाशाब्दावविशेषप्रतीतिरुत्पद्यते । ततश्च न कश्चिद् विरोध । दृश्यते हि विरुद्धोभयसहकारिणः कारणात् कार्यविशेषोत्पत्ति ।

विरुद्धफलोत्पादनहेतुत्व हि युगपदेकस्य कारणस्य विरुद्ध न तु विरुद्धोभयसहकारित्वम् ।

'एषविधविरुद्धपदार्थविषय कथमभिनय प्रयोज्य इति चेत् ? अनूद्यमानैवविध वाच्यविषये या वार्ता सात्रापि भविष्यति । एव विध्यनुवादनयाश्रयेणात्र श्लोके परिहृतत्वावद् विरोध ।

शृङ्गाररूप रसयन्तु रसजातीय तत्त्व] यह जिसका सहकारी है ऐसे विधीयमान अश [शाम्भवशरान्निजन्म्य दुरितदाह] से भावविशेष [रतिर्देवादिविषया भाव — प्रेयोलङ्कार विषय — शिरके प्रतापातिशयमूल्य भक्ति] की प्रतीति उत्पन्न होती है । इसलिए कोई विरोध नहीं है । दो विरुद्ध [जल और अग्निरूप शीतोष्ण] जिसने सहकारी हैं ऐसे [मुख्य] कारणसे कार्यविशेष [ओदन, भात आदि]की उत्पत्ति देखी जाती है ।

[तय तो फिर विरोधका कोई अर्थ ही नहीं रहा, यह सर्वथा अशुद्धिक्तर हो जाता है । यह नहीं समझना चाहिये क्योंकि] एक कारणका एक साथ [युगपत्] विरुद्ध फलोंके उत्पादनका हेतुत्व [मानना यही] विरुद्ध है, वो विरोधियोंको उसका सहकारी माननेमें कोई विरोध नहीं हो ।

अच्छा इस प्रकार आपने काव्यमें तो करुण और शृङ्गारके विरोधका परिहार कर दिया । परन्तु प्रश्न यह रह जाता है कि यदि अभिनय नाटकम इस प्रकारका वाक्य आ जाय तो उसका अभिनय करते समय इस प्रकारके विरुद्ध पदार्थका अभिप्राय कैसे किया जाय ? इसका उत्तर यह है कि अनूद्यमान गौण वाच्यार्थके विषयमें 'एहि, गच्छ, पत, उत्तिष्ठ' आदिके अभिनयम जो प्रकार अवलम्बन किया जाय वही 'क्षिप्तो हस्तावलग्न' आदिके विषयमें भी अवलम्बन करना चाहिये । इसका अर्थ यह हुआ कि 'क्षिप्तो हस्तावलग्न' इत्यादिमें गिजके प्रभावका द्योतन करनेमें करुणके अधिक उपयोगी होनेसे वह अधिक प्राकरणीक अर्थ है । विप्रलम्भशृङ्गार तो 'कामीवाद्वापराध' इत्यादि उपमाबलसे आता है और प्रभावातिशयद्योतनमें उसका काह उपयोग नहीं है इससे वह दूरस्थ अर्थ है । अतएव अभिनय करते समय करुणरसका प्रधान मानकर पहिले 'साश्रुनेत्रात्पलाभि' तकका अभिनय करुणोपयोगी अग्निसे श्लेष्के समान मय, धरागड, विप्लव दृष्टि, अश्रु आदिका प्रदर्शन करते हुए, 'कामीवाद्वापराध' पर तनिक सा प्रणयकोपोचित अभिनय करके फिर 'स दहतु दुरित'पर उपमापूर्ण साटोप अभिप्राय करके महेदवरके प्रभावातिशयके द्योतनमें अभिनयको समाप्त करना चाहिये । इन्ही विषयका अगली पत्तियोंमें स्पष्ट करते हैं—

इस प्रकारका विरुद्धपदायत्रिययक अभिनय कैसे करना चाहिये ? यह प्रश्न हो तो इस प्रकारके [विरुद्ध] अनूद्यमान वाच्य [एहि, गच्छ, पत, उत्तिष्ठ इत्यादि]के विषयमें जो बात है वही यहाँ भी होगी । [अर्थात् एहि, गच्छ, पत, उत्तिष्ठ आदिका अभिनय जिस प्रकार किया जायगा उसी प्रकार 'क्षिप्तो हस्तावलग्न' में भी करुण और शृङ्गारका अभिनय किया जा सकता है] इस प्रकार त्रिधि और अनुवादकी नीतिका आश्रय लेकर इस श्लोक [क्षिप्तो हस्तावलग्न] में विरोधका परिहार हो गया ।

किञ्च, नायकस्याभिनन्दनीयोदयस्य कस्यचित् प्रभावातिशयवर्णने तत्प्रतिपक्षाणा यः करुणो रसः स परीक्षकाणा न वैकल्यमादधाति प्रत्युत प्रीत्यतिशयनिमित्त्वा प्रतिपद्यते । इत्यतस्तस्य कुण्ठशक्तिकत्वात् तद्विरोधविधायिनो न कश्चिद् दोष । तस्माद् वाक्यार्थभूतस्य रसस्य भावस्य वा विरोधी 'रसविरोधीति' धक्तु न्याय्य न त्वङ्गभूतरय कस्यचित् ।

अथवा वाक्यार्थभूतस्यापि कस्यचित् करुणरसविषयस्य तादृशेन शृङ्गारवस्तुना भङ्गिविशेषाश्रयेण सयोजन रसपरिपोषार्थं जायते । यतः प्रकृतिमधुराः पदार्थाः शोचनीयता प्राप्ताः प्रागवस्थाभाविभि सस्वर्यमाणैर्विलासैरधिकतर शोकावेशमुपजनयन्ति । यथा—

अथ स रशनोत्कर्षी पीनस्तनविमर्दनः ।

नाभ्यूरुजघनस्पर्शी नीवीविस्रसन करः ॥

इत्यादौ ।

और किसी प्रशसनीय उत्कर्षप्राप्त नायकके प्रभावातिशयके वर्णनमें उसके शत्रुओंका [शत्रुओंसे सम्बन्ध रखनेवाला] जो करुणरस [होता है] वह विवेकशील प्रेक्षकोंको विकल नहीं करता अपितु आनन्दातिशयका कारण बनता है अतएव विरोध करनेवाले उस [करुण] के कुण्ठित शक्ति [चित्तद्रतिरूप स्वकार्योत्पादनमें असमर्थ] होनेसे कोई दोष नहीं होता । इसलिए वाक्यार्थभूत [प्रधान] रस अथवा भावके विरोधीको ही रसविरोधी कहना उचित है । किसी अङ्गभूत [गौण] के [विरोधीको रसविरोधी कहना उचित] नहीं [है] ।

'क्षितो हस्तावल्ग्व' में करुण और शृङ्गारके विरोधका दो प्रकारसे परिहार दिखला चुके हैं । अब तीसरे प्रकारसे उसी विरोधका परिहार दिखलाते हैं । पहिले समाधानोंमें करुण और विप्रलम्भ शृङ्गार दोनोंको अन्यथा अङ्ग मानकर उनके अवरोधका उपपादन किया था । अब इस तीसरे समाधानमें शृङ्गारको करुणका ही अङ्ग बताकर समाधान करते हैं—

अथवा वाक्यार्थरूप किसी करुणरसके विषयको उसी प्रकारके वाक्यार्थरूप शृङ्गारविषयके साथ किसी सुन्दर ढगसे जोड़ देनेपर वह रसका परिपोषक ही हो जाता है । क्योंकि स्वभागत सुन्दर पदार्थ शोचनीय अवस्थाको प्राप्त हो जानेपर पूर्व अवस्थाके [अनुभूतचर] सौन्दर्यके स्मरणसे और भी अधिक शोकावेगको उत्पन्न करते हैं । जैसे—

५ [सम्मोगावसरमें] करधनीको हटानेवाला, उधत उरोजोंका मर्दन करनेवाला, नाभि, जघा और नितम्बका स्पर्श करनेवाला और नारेको खोलनेवाला यह [प्रियतम का] घड़ी हाथ है ।

इत्यादिमें ।

१ 'यो रस स' इतना पाठ' नि०, दी० में अधिक है ।

२ 'शोकावेग' नि०, दी० ।

तदत्र त्रिपुरयुवतीना शाम्भवः शरानिद्राद्रापराध कामी यथा व्यवहरति^१ तथा व्यवहृतवानित्यनेनापि प्रकारेणास्त्येव निर्विरोधत्वम् । तस्माद् यथा यथा निरूप्यते तथा तथात्र दोषाभावः ।

इत्थं च—

कामन्त्य क्षतकोमलाङ्गुलिगलद्रक्तं सदर्भा स्थली
पादैः पातितयावकैरिव पतद्वाष्पाम्बुधौतानना ।
भीता भर्तृकरावलम्बितकरास्त्वद्वैरिनार्योऽधुना
दावारिनि परितो भ्रमन्ति पुनरप्युगद्विवाहा इव ।

इत्येवमादीना सर्वेषामेव निर्विरोधत्वमवगन्तव्यम् ।

महाभारतके युद्धमें भूरिभवाके मर जानेपर युद्धक्षेत्रमें उसके कटे हुए अलग पड़े हाथको देखकर उसकी पत्नीके विलापके प्रसङ्गमें यह श्लोक आया है । यहाँ भूरिभवाके मर चुबनेसे नायिका गत करुणरस प्रधान है । पूर्वावस्थानुभूत शृङ्गारका वह स्मरण कर रही है । अतः सस्यमाण वह शृङ्गार यहाँ करुणरसका और अधिक उद्दीपक हो जाता है । इसी प्रकार 'भित्तो हस्तावलम्ब' में अग्निसे प्रसन्न त्रिपुरयुवतियोंका करुण, प्रधानरूपसे वाक्यार्थ है । परन्तु शाम्भव शरानिकी चेष्टाओंके अवलोकनसे पूर्वानुभूत प्रणयकलहके वृत्तान्तका स्मरण शोकका उद्दीपनविभाव बनकर उसको और परिपुष्ट करता है ।

इसलिए यहाँ आर्द्रापराध कामी जैसा व्यवहार करता है, शाम्भव शरानिने त्रिपुरयुवतियोंके साथ उसी प्रकारका व्यवहार किया । [अतएव स्मर्यमाण कामी व्यवहार वर्तमान करुणरसका परिपोषक होता है] इस प्रकारसे भी निर्विरोधत्व ही ही । अतः इसपर जितना जितना अधिक विचार करते हैं उतना ही उतना अधिक दोषाभाव प्रतीत होता है ।

और इस प्रकार—

६. घायल हुई कोमल अँगुलियोंसे रक्त टपकाती हुई, अतएव मानो महावर लगे हुए पैरोंसे, कुशाङ्कुरयुक्त भूमिपर चलती हुई, गिरते हुए आँसुओंसे मुखको धोये हुए, भयभीत होनेसे पतियोंके हाथमें हाथ पकड़ाये हुए, तुम्हारे शत्रुओंकी स्त्रियाँ इस समय फिर दुबारा विवाहके लिए उद्यत-सी दावाग्निके चारों ओर घूम रही हैं ।

इस प्रकारके सभी [उदाहरणोंमें विरुद्ध प्रतीत होनेवाले रसादिकों] का अधिरोध समझना चाहिये ।

यहाँ विवाहकी स्मृति शत्रुस्त्रियोंके वर्तमान विपत्तिमूलक शोकरूप स्थायिभावका उद्दीपन विभाव बनकर शोकातिशयको व्यक्त करती है । यहाँ 'वाष्पाम्बुधौतानना' में विवाहकालमें वाष्पाम्बुका सम्बन्ध होमाग्निके धूमसे अथवा परिवार और घरसे स्वागजन्य दुःखके कारण समझना चाहिये ।

१ 'स्म' पाठ वा० प्रि० में अधिक है ।

एष तावद्रसादीना विरोधिरसादिभि समावेशासमावेशयोर्विषयविभागो दर्शितः ॥२०॥

इदानीं तेषामेकप्रबन्धविनिवेशने न्याय्यो य क्रमस्त प्रतिपादयितुमुच्यते—

प्रसिद्धेऽपि प्रबन्धाना नानारसनियन्धने ।

एको रसोऽङ्गीकर्त्तव्यस्तेषामुत्कर्षमिच्छता ॥२१॥

प्रबन्धेषु महाकाव्यादिषु नाटकादिषु वा विप्रकीर्णतया अङ्गाङ्गिभावेन 'बहुवो रसा उपजिगृध्यन्ते' इत्यत्र प्रसिद्धौ सत्यामपि य प्रबन्धाना छायातिशययोगमिच्छति' तेन तेषां रसानामन्यतमः कश्चिद् विवक्षितो रसोऽङ्गित्वेन विनिवेशयितव्य इत्ययं युक्ततरो मार्गः ॥२१॥

ननु रसान्तरेषु बहुषु प्राप्तपरिपोषेषु भत्सु कथमेकस्याङ्गिता न विरुध्यत इत्याशङ्क्येदमुच्यते—

इस प्रकार रमादिका विरोधी रसादिके साथ समावेश और असमावेशका विषयविभाग प्रदर्शित कर दिया ॥२०॥

काव्यादिमें एक ही रसकी मुख्यता होनी चाहिये

अत्र उन [रसों] के एक प्रबन्धमें सन्निवेश करनेके विषयमें जो उचित व्यवस्था है उसका प्रतिपादन करनेके लिए कहते हैं—

प्रबन्धों [महाकाव्य या नाटकादि] में अनेक रसोंका समावेश प्रसिद्ध [भरत मुनि आदिसे प्रतिपादित तथा प्रचलित] होनेपर भी उनके उत्कर्षको चाहनेवाले [कवि] को किसी एक रसको अङ्गी [प्रधान] रस [अवश्य] बनाना चाहिये ॥२१॥

महाकाव्यादि [अभिनेय] अथवा नाटक आदि [अभिनेय] प्रबन्धोंमें [नायक, प्रतिनायक पताभानायक, प्रकरीनायक आदि निष्ठत्वेन] विखरे [विप्रकीर्ण] रूपमें अङ्गाङ्गिभावसे अनेक रसोंका निबन्धन किया जाता है, इस प्रकारकी प्रसिद्धि [परिपाटी] होनेपर भी जो [कवि] प्रबन्धके सौन्दर्यातिशयको चाहता है उसे उन रसोंमेंसे किसी एक प्रतिपादनाभिमत रसको ही प्रधानरूपसे समाविष्ट करना चाहिये। यही अधिक उचित मार्ग है ॥२१॥

एक रसकी मुख्यताका उपपादन

प्रबन्धमें अनेक रस रहते हुए भी एक रसको अङ्गी बनाना चाहिये यह ऊपर कहा है। परन्तु प्रश्न यह है कि वह अथ रस यदि परिपोषण प्राप्त हैं तब तो वे अङ्ग नहीं हो सकते, प्रधान ही होंगे और यदि परिपोषण प्राप्त नहीं हैं तब वे रस नहीं बने जा सकते। ऐसी दशामें रसत्व और अङ्गत्व ये दोनों बातें विरुद्ध हैं। अतः अथ रसोंके होनेपर वह अङ्ग रहें और एक रस अङ्गी बन जाय यह कैसे हो सकेगा ? इस प्रश्नका समाधान करते हैं—

अन्य अनेक रसोंके [एक साथ] परिपोषण प्राप्त होनेपर [उनमेंसे किसी] एकका अङ्गी होना विरोधी कथों नहीं होगा इस बातकी आशङ्का करके यह कहते हैं—

१ 'वा' पाठ अधिक है नि०, दी० ।

२ 'छायातिशयमिच्छति' नि० ।

रसान्तरसमावेशः प्रस्तुतस्य रसस्य यः ।

नोपहन्त्यङ्किता सोऽन्य स्थायित्वेनावभासिनः ॥२२॥

प्रबन्धेषु प्रथमतर प्रस्तुतः सन् पुन पुनरनुसन्धीयमानत्वेन स्थायी यो रसस्तस्य
न कलत्रन्धव्यापिनो^१ रसान्तरैरन्तरालवर्तिभि समावेशो य स नाद्वितामुपहन्ति ॥२२॥

एतदेवोपपादयितुमुच्यते—

कार्यमेक यथा व्यापि प्रबन्धस्य विधीयते ।

तथा रसस्यापि विधौ विरोधो नैव विद्यते ॥२३॥

सन्ध्यादिमयस्य प्रबन्धशरीरस्य तथा कार्यमेकमनुयायि व्यापक कल्प्यते न च तत्
कार्यान्तरैर्न सङ्कीर्यते, न च तै सङ्कीर्यमाणस्यापि तस्य प्राधान्यमर्पचीयते, तथैव रस-
स्याप्येकस्य सन्निवेशे क्रियमाणे विरोधो न कश्चित् । प्रस्तुत प्रत्युदितविवेकानामनुस-
न्धानवत्ता सचेतसा तथाविधे विषये प्रह्लादातिशय प्रवर्तते ॥२३॥

[अप्रधान] अन्य रसोंके साथ प्रस्तुत [प्रधान] रसका जो समावेश है वह
स्थायी [प्रबन्ध-यापी] रूपसे प्रतीत होनेवाले इस [प्रस्तुत प्रधानरस] की अङ्किता
[प्राधान्य] का विघातक नहीं होता है ॥२२॥

प्रबन्धों [काय या नाटकानि] में [अर्थात् अपेक्षा] प्रथम प्रस्तुत और तब तब
उपलब्ध होनेसे जो स्थायी रस है, सम्पूर्ण प्रबन्धमें [आद्यत] वतमान, उस रसका
बीच बीचमें आये हुए अन्य रसोंके साथ जो समावेश है, वह [उसने] प्राधान्यका
विघातक नहीं होता है ॥२२॥

इसीके उपपादन करनेके लिए कहते हैं—

जैसे प्रबन्धमें [आद्योपान्त] व्यापक [प्रासङ्गिक अवान्तर कार्य] अथवा आख्यान
वस्तुसे परिपुष्ट एक प्रधान कार्य [विषय आख्यान वस्तु] रखा जाता है [आर अवा-
न्तर अनेक कार्य उसको परिपुष्ट करते हैं] इसी प्रकार रसके विधान [एक प्रबन्धव्यापी
अङ्गी रसके साथ अङ्गभूत अवान्तर रसोंके समावेश] में भी विरोध नहीं है ॥२३॥

सन्धि आदिसे युक्त प्रबन्ध [मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श तथा निर्गहण सन्धि
रूप पञ्चसन्धियुक्त प्रबन्ध अथात् नाटकानि] शरीरमें जैसे समस्त प्रबन्धमें व्यापक
निरन्तर विद्यमान एक [आधिकारिक वस्तु] कायकी रचना की जाती है। वह आधि-
कारिक वस्तु [कार्य] अन्य [प्रासङ्गिक] कार्यों से सङ्कीर्ण नहीं होती हो सो ग्यात नहीं है।
[अन्य प्रासङ्गिक वस्तुओंसे आधिकारिक वस्तुका सम्बन्ध अग्रय होता है] परन्तु उनसे
सम्बन्ध होनेपर भी उस [आधिकारिक मुख्य कथावस्तु] का प्राधान्य कम नहीं होता
है। इसी प्रकार [अङ्गभूत रसोंके साथ प्रधानभूत] एक रसका [अङ्कित्वेन] सन्निवेश
करनेमें कोई विरोध नहीं होता। अपितु विवेकी और पारखी सहृदयोंको इस प्रकार
के विषयोंमें और अधिक आनन्द आता है ॥२३॥

१ 'सकलरस यापिन' नि०, 'सकलसन्धिव्यापिन' की० ।

ननु येषा रसाना 'परस्परविरोधः यथा धीरशृङ्गारयोः, शृङ्गारहास्ययोः, रौद्र-
शृङ्गारयो', धीराद्भुतयो', धीररौद्रयो, रौद्रकरुणयो, शृङ्गाराद्भुतयोर्वा तत्र भवत्वङ्गा-
ङ्गिभावः । तेषा तु स कथं भवेद् येषा परस्पर वाध्यबाधकभावो यथा शृङ्गारभीमत्सयोः,
वीरभयानकयो, शान्तरौद्रयो, शान्तशृङ्गारयोर्वा इत्याशङ्कयेवमुच्यते—

अधिरोधी विरोधी वा रसोऽङ्गिनि रसान्तरे ।

परिपोष न नेतव्यस्तथा स्यादविरोधिता ॥२४॥

वध्य घातकविरोधमें अङ्गिताका उपपादन

विरोध दो प्रकारका हो सकता है—एक 'सहानवस्थान विरोध' और दूसरा 'वध्य-घातकभाव
विरोध' । 'सहानवस्थान विरोध'में दो पदार्थ समान रूपसे बराबरकी स्थितिमें एक अगह नहीं रह
सकते हैं और 'वध्य घातकभाव' विरोधमें तबतक वध्यका वध नहीं हो सकता जबतक घातकका
उदय नहीं होता । अर्थात् घातक उदय हो जानेके बाद ही अगले क्षणमें वध्यका नाश हो सकता
है । इन दोनों प्रकारके विरोधोंमें वध्य घातक विरोध ही मुख्य विरोध है । सहानवस्थान फल गौण
होनेसे अविरोधकल्प है । रसोंमें भी कुछ रसोंका परस्पर सहानवस्थानमात्रमें विरोध है अर्थात् वे समान
स्थितिमें एक साथ नहीं रह सकते हैं और कुछका वध्य घातक विरोध है । तो किनका केवल
सहानवस्थान विरोध है उनका तो परस्पर अङ्गाङ्गिभाव हो जानेमें कोई कठिनाई नहीं है परन्तु किनका
वध्य घातक विरोध है उनमें परस्पर अङ्गाङ्गिभाव नहीं बन सकता है । इस दृष्टिसे यहाँ आशङ्क्य करके
उसके समाधानके लिए अगधी कारिका लिखी गयी है । इसी भावको लेकर अवतरणिका करते हैं—

जिन रसोंका परस्पर अधिरोध है [वध्य घातकभाव विरोध नहीं है] जैसे धीर
और शृङ्गारका [युद्धनीति, पराक्रम आदिसे, धन्यारत्नके लाभमें], शृङ्गार और हास्य
का [हास्यके स्वयं पुरुषार्थ न होने और अनुरञ्जनात्मक होनेसे], रौद्र और शृङ्गारका
[भरतके नाट्यशास्त्रमें 'शृङ्गारद्वय तै प्रसभ सेव्यते' में, तै रौद्रप्रभृतिभिः रशोदान-
घोडतमनुच्यै सेव्यते' इस व्याख्यासे रौद्र और शृङ्गारका कथञ्चित् अधिरोध है ।
केवल नायिकाविषयक उग्रता यचानी चाहिये], धीर और अद्भुतका [धीरस्य चैव
यत्कर्म सोऽद्भुत, भ० ना०], रौद्र और करुणका [रौद्रस्यैव च यत्कर्म स श्रेय करुणो
रस], अथवा शृङ्गार और अद्भुतका [जैसे 'रत्नावली'में पेट्रजालिकके वर्णनप्रसङ्गमें,
यहाँ अङ्गाङ्गिभाव भले ही हो जाय, परन्तु उनका वध [अङ्गाङ्गिभाव] कैसे होगा किन्तु
वाध्यबाधकभाव [विरोध] है । जैसे शृङ्गार और भीमत्सका [आलम्बनरूप नायिकामें
अनुरक्तिसे रतिकी, और आलम्बनसे पलायमान रूपसे जुगुप्साकी उत्पत्ति होती है
इसलिए आलम्बनेक्यमें रति और जुगुप्सा दोनोंका वध्य घातकभाव विरोध है], धीर
और भयानकका [भय और उत्साहका आश्रयैक्यमें वध्य घातकभाव विरोध है],
शान्त और रौद्रका [नैरन्तर्य और विभायैक्य दोनों रूपमें वध्य घातकभाव विरोध है],
अथवा शान्त तथा शृङ्गारका [विभावैक्य तथा नैरन्तर्यमें विरोध है, इनमें अङ्गाङ्गिभाव
कैसे बनेगा] इस आशङ्कासे यह कहते हैं—

दूसरे रसके प्रधान होनेपर उसके अधिरोधी अथवा विरोधी [किसी भी] रसका
[अत्यन्त] परिपोष नहीं करना चाहिये । इससे उनका अधिरोध हो सकता है ॥२४॥

अङ्गिनि रसान्तरे शृङ्गारादौ प्रपञ्चव्यङ्ग्ये सति, अविरोधी विरोधी वा रस-
परिपोष न नेतव्यः ।

तत्राविरोधिनी^१ रसस्याङ्गिरसापेक्षयात्यन्तमाधिक्यं न कर्तव्यमित्ययं प्रथम
परिपोषपरिहारः । उत्कर्षसाम्येऽपि तयोः विरोधासम्भवात् ।

यथा—

एकतो रुइअ पिआ अण्णतो समरतूरणिग्घोसो ।

णेहेण रणरसेण अ भट्ठस्स दोलाइअ द्विअअम् ॥

[एकतो रोदिति प्रिया अयत् समरतूर्यनिर्घोष ।

स्नेहेण रणरसेन च भट्टस्य दोलायित हृदयम् ॥—इति च्छाया]

यथा वा—

कण्ठाच्छित्वाक्षमालावलयमिव करे हारमावर्तयन्ती

कृत्वा पर्यङ्कबन्ध विपधरपतिना मेखलाया गुणेन ।

मिध्यामन्त्राभिजापस्फुरदधरपुटव्यञ्जिताव्यक्तहासा

देवी सन्ध्याभ्यसूयाहसितपशुपतिस्तत्र दृष्टा तु बोद्धव्यात् ॥

इत्यत्र ।

प्रधानभूत शृङ्गारादि रसके प्रपञ्चव्यङ्ग्य होनेपर उसके अविरोधी अथवा
विरोधी रसका परिपोषण नहीं करना चाहिये [उस परिपोषणके तीन प्रकारके परि-
हार क्रमसे कहते हैं] ।

१ उनमेंसे अविरोधी रसका अङ्गी प्रधानभूत रसकी अपेक्षा अत्यन्त आधिक्य
नहीं करना चाहिये यह प्रथम परिहार है । उन दोनोंका समान उत्कर्ष हो जाने [तक]
पर भी विरोध सम्भव नहीं है ।

जैसे—

एक ओर प्रियतमा रो रही है और दूसरी ओर युद्धके बाजेका घोष हो रहा है ।
अतः स्नेह और युद्धोत्साहसे धीरका हृदय दोलायमान हो रहा है ।

[यहाँ धीर और शृङ्गारका साम्य होनेपर भी अविरोध है ।]

अथवा [दो रसोंमें साम्य होनेपर भी अविरोधका दूसरा उदाहरण] जैसे—

गलेमेंसे हारको तोड़ [निकाल] कर हाथमें जपमालाके समान उसको फेरती
हुई, नागराजके स्थानपर मेखलासूत्रसे पर्यङ्कबन्ध आसन बाँधकर झूठमूठ मन्त्र
जपके कारण हिलते हुए अधरपुटसे अभिव्यक्त हासको प्रकट करती हुई, सन्ध्या
नामक [सपत्नी] के प्रति ईर्ष्यावशा, महादेवका उपहास करती हुई देखी गयी, देवी
पार्वती तुम्हारी रक्षा करें ।

इसमें [प्रवृत्त ईर्ष्याविप्रलम्भ और तद्विरोधी मन्त्रजपादिसे व्यङ्ग्य ज्ञान्त, इन
दोनों रसोंका साम्य होनेपर भी विरोध नहीं है] ।

अङ्गिरसविरुद्धाना व्यभिचारिणा प्राचुर्येणानिवेशनम्, 'निवेशने वा क्षिप्रमेवाङ्गिरस-
व्यभिचार्यनुवृत्तिरिति द्वितीय ।

अङ्गत्वेन पुन पुन प्रत्यवेक्षा परिपोषं नीयमानस्याप्यङ्गभूतस्य रसस्येति तृतीयः ।
अनया दिशान्येऽपि प्रकारा उत्प्रेक्षणीया । विरोधिनस्तु रसस्याङ्गिरसापेक्षया कस्यचिन्म्यु-
नता 'सम्पादनीया, यथा शान्तेऽङ्गिनि शृङ्गारस्य, शृङ्गारे वा शान्तस्य ।

परिपोषरहितस्य रसस्य कथं रसत्वमिति चेत्, उक्तमत्राङ्गिरसापेक्षयेति । अङ्गिनो
हि रसस्य यावान् परिपोषस्तावास्तस्य न कर्तव्यः । 'स्वतस्तु सम्भवी परिपोषः केन
वार्यते ।

२ अङ्गिरसके विरुद्ध, व्यभिचारी भावाका अधिक निवेश न करना, अथवा
निवेश करनेपर शीघ्र ही अङ्गिरसके व्यभिचारी रूपमें परिणत कर देना यह [परिपोषके
परिहारका] दूसरा [प्रकार] है ।

विरोधी रसके व्यभिचारिभावोंका यदि निवेश न किया जाय तो उसका परिपोष ही नहीं होगा
और न यह रस कहा जा सकेगा । अतएव 'वा' से दूसरे विकल्पकी प्रबलता सूचित होती है और
ये दोनों विरुद्ध अलग अलग नहीं हैं यह भी सूचित होता है । अन्यथा तीनके स्थानपर चार परिहार
पक्ष बन जायेंगे । दूसरा पक्ष यह है कि विरोधी रसके व्यभिचारिभावका निवेश करनेपर भी उसको
शीघ्र ही अङ्गी रसने व्यभिचारिभावरूपमें परिणत कर देना चाहिये । जैसे पृष्ठ ११६ पर दिये हुए
"कोपात् कोमललोलगाहलतिनापाशेन" इत्यादि "लोकम अङ्गीभूत रतिमें अङ्गरूपसे जो रौद्रक रसायि
भाव क्रोधका निवेश किया है उसमें 'बद्ध्वा दृढ' इस पदसे उपनिबद्ध रौद्ररसके व्यभिचारिभाव [क्रोध]
का, 'दृढत्या' और 'दृढन्' द्वारा शीघ्र ही रतिने व्यभिचारिभाव इर्ष्या, औत्सुक्य और हर्षरूपमें पर्य-
वसान हो जाता है अतएव रौद्रका परिपोष नहीं हो पाता । यह विरोधी रसने परिपोषपरिहारका
द्वितीय प्रकार हुआ । उगम विरोधी व्यभिचारियाँके अनिवेशकी अपेक्षा अङ्गिरस व्यभिचारितया
अनुसंधान अधिक प्रबल समझना चाहिये यह उत्तरविकल्पका दाढय, प्रथकारने 'वा' पदसे सूचित
किया है ।

३ अङ्गभूत रसका परिपोष करनेपर भी धार-धार उसकी अङ्गरूपताका ध्यान
रखना यह [परिपोषके परिहारका] तीसरा [प्रकार] है । [इस विषयमें 'तापस्य यत्स
राज'में यत्सराजने पद्मपतीविषयके सम्भोगशृङ्गारको उदाहरणरूपमें रखा जा सकता
है ।] इस शैलीसे अत्र प्रकार भी [स्वयं] समझ लेने चाहिये । [जैसे] किसी विरोधी
रसकी अङ्गी रसकी अपेक्षा न्यूनता कर लेनी चाहिये । जैसे शान्तरसके प्रधान होनेपर
शृङ्गारकी अथवा शृङ्गारके प्रधान होनेपर शांतकी ।

परिपोष प्राप्त हुए बिना रसका रसत्व ही कैसे बनेगा ? यदि यह पूछा जाय तो
[इसके उत्तरमें] 'अङ्गिरसापेक्षया' कहा गया है । [अर्थान्] अङ्गिरसका जितना
परिपोष किया जाय उतना परिपोष उस [विरोधी रस] का नहीं करना चाहिये । स्वयं
होनेवाले [साधारण] परिपोषणको कौन मना करता है ।

१ 'निवेशनम्' नि० ।

२ 'न सम्पादनीया' नि० ।

३ 'स्वगतस्तु सम्भवि' नि०, सू० ।

एतच्चापेक्षिक प्रकर्षयोगित्वमेकस्य रसस्य बहुरसेषु प्रबन्धेषु रसानामङ्गाङ्गिभावमन-
भ्युपगच्छताप्यशन्यप्रतिक्षेपमित्यनेन प्रकारेणाविरोधिना विरोधिना च रसानामङ्गाङ्गिभावेन
समावेशे प्रबन्धेषु स्यादविरोध ।

एतच्च सर्वं येषां रसो रसान्तरस्व व्यभिचारी भवति इति दर्शन^१ तन्मतेनोच्यते ।
मतान्तरं 'तु रसानां स्थायिनो भावा उपचाराद् रसशब्देनोक्तास्तेषामङ्गत्व निर्विरोधमेव'^२ ।

अनेन रसावाले प्रयत्नोंमें रसोंके परस्पर अङ्गाङ्गिभावको न माननेवाले भी इस
आपेक्षिक [प्रधानरसमें अधिक और शेष रसको कम] प्रकर्षका खण्डन नहीं कर
सकते हैं । इस प्रकारसे भी प्रयत्नोंमें अविरोधी और विरोधी रसोंके अङ्गाङ्गिभावसे
समावेश करनेमें अविरोध हो सकता है ।

जो लोग रसोंका अङ्गाङ्गिभाव या उपकार्योपकारकभाव नहीं मानते हैं उनका कहना यह
है कि रस तो उभीना नाम है जो स्वयं स्वचमत्काररूप है । यदि उसकी स्वचमत्काररूपमें विश्रान्ति
नहीं होती है तो वह रस ही नहीं है । अङ्गाङ्गिभाव अथवा उपकार्योपकारकभाव माननेमें तो अङ्गभूत
या उपकारक रसकी स्वचमत्कारमें विश्रान्ति नहीं हो सकती है अतः वह रस नहीं कहना सकता है ।
रस वह तभी होगा जब स्वचमत्कारमें ही उसकी विश्रान्ति हो जाय । उस दृष्टांमें वह किसी दूसरेका
अङ्ग नहीं हो सकता है । इसलिए रसोंमें अङ्गाङ्गिभाव सम्भव नहीं है । जिनका यह मत है उनको भी
अनेक रसवाले प्रयत्नोंमें किसी तारतम्यको मानना ही होगा । इसी तारतम्यका दूसरा रूप अङ्गाङ्गिभाव
है । इसलिए नामसे वे भले ही अङ्गाङ्गिभाव न मानें परन्तु तारतम्यरूपसे मानते ही हैं । अन्यथा
क्यावस्तु [इतिवृत्तसङ्घटना] का निमाण ही नहीं हो सकेगा ।

यह सब ज्ञात उनके मतसे कही गयी है जो एक रसको दूसरे रसमें व्यभिचारी
[अङ्ग] होनेका सिद्धान्त मानते हैं । दूसरे [रसका रसान्तरमें व्यभिचारित्व अर्थात्
अङ्गत्व न माननेवाले] मतमें रसने स्थायिभाव उपचारसे रस शब्दसे कहे गये हैं [एसा
समाधान समझना चाहिये] । उन [स्थायिभावों] का अङ्गत्व तो निर्विरोध है [अर्थात्
स्थायिभावोंको अङ्ग माननेमें उनको भी कोई आपत्ति नहीं है जो रसोंका अङ्गत्व स्वीकार
नहीं करते हैं] ।

रसोंके परस्पर अङ्गाङ्गिभावके विषयमें ऊपर जिन दो मतोंका उल्लेख किया गया है उनका
आधार भरत नाट्यशास्त्रके 'भावपङ्कज' नामक सप्तम अध्यायके लगभग अन्तमें पठित निम्नलिखित
श्लोक है—

बहूना समेताना रूप यस्य भवेद् बहु ।

स मन्तव्यो रस स्थायी शेषा सञ्चारिणा मत ॥

—भ० ना० ७, ११९

उक्त दोनों मतवाले इस श्लोककी भिन्न भिन्न प्रकारसे व्याख्या करते हैं । रसोंमें अङ्गाङ्गिभाव
या स्थायी सञ्चारिभाव माननेवालोंके मतमें इसका अर्थ इस प्रकार होता है कि, चित्तवृत्तिरूप अनक

१ 'निदर्शन' नि० ।

२ 'मतान्तरेऽपि' नि० ।

३ 'तेषामङ्गित्वे' निर्विरोधित्वमेव' नि०, 'तेषामङ्गित्वे निर्विरोधित्वमेव' दी० ।

एवमविरोधिनां विरोधिना च प्रयन्धस्येनाङ्गिना रसेन समावेशे साधारणमविरोधो-
पाय प्रतिपाद्येदानीं विरोधिविषयमेव^१ तं प्रतिपादयितुमिदमुच्यते—

भावोंमेंसे जिसका रूप बहु अर्थात् अधिक प्रबधव्यापक हो उसको स्थायी रस मानना चाहिये और शेषको व्यभिचारी रस । इस मतमें 'रस स्थायी' यह अलग अलग पद हैं । वह रस स्थायी अर्थात् अङ्गी रस होता है शेष रस सञ्चारी अथवा अङ्गरस होते हैं । किसी किसी जगह 'रस स्थायी' इस प्रकारके विसर्गयुक्त पाठके स्थानपर 'रस स्थायी' ऐसी विसर्गरहित पाठ है । उस दृष्टामें इस मतवाले 'खर्दरे शरि' इस वातिकसे विसर्गका वैकल्पिक श्लेष मानकर सङ्गति लगाते हैं । इस प्रकार इस मतसे भरतमुनिने रसोंके स्थायी अर्थात् अङ्गीरूप और सञ्चारी अर्थात् अङ्गरूप दोनों स्वीकार किये हैं । लोचनकारने भागुरिमुनिको रसोंके स्थायी सञ्चारी माननेवाले पक्षका समर्थक बताने हुए लिखा है कि "तथा च भागुरिरपि, कि रसानामपि स्थायिसञ्चारितास्तीति आक्षिप्याभ्युपगमेनैवोत्तरमवोचद् बादमिति ।" अत रसोंका स्थायी सञ्चारी भाव अथात् अङ्गाङ्गिभाव होता है यह भागुरिमुनिको भी अभिमत है । अतएव इस मतको ही प्रधान मानकर आलोककारने भी विस्तारपूर्वक उसके उपपादनका प्रयत्न किया है ।

दूसरे मतवाले रसस्थायीको एक समस्त पद मानते हैं और उसमें "द्वितीयाभितातीतपतितगता त्यस्तप्राप्तापन्नै" इस पाणिनिसूत्रमें स्थित "गमिगम्यादीनामुपसरथानम्" वातिकसे रुमास मानकर 'रसाना रसेषु वा स्थायी रसस्थायी' ऐसा विग्रह करते हैं । वह रसोंका नहीं उनके स्थायिभावका अङ्गाङ्गिभाव अथवा स्थायिसञ्चारिभाव मानते हैं । एक रसमें स्थायिभाव होनेपर भी वह दूसरे रसका सञ्चारिभाव हो सकता है । जैसे क्रोध रौद्ररसका स्थायिभाव होनेपर भी वीररसमें व्यभिचारिभाव होता है । अथवा एक रसमें जो 'व्यभिचारिभाव है वही दूसरे रसमें स्थायिभाव हो सकता है, जैसे तत्त्वज्ञानविषयक निर्वेद, शान्तरसमें स्थायिभाव होता है यद्यपि अन्य जगह वह व्यभिचारिभाव ही है । अथवा कहीं एक व्यभिचारिभाव भी दूसरे व्यभिचारिभावकी अपेक्षा स्थायी हो जाता है जैसे 'विक्रमोद्देशीय' नाटकमें चतुथ अङ्कमें उमाद । इस प्रकार भावोंकी स्थायिता और सञ्चारिताको प्रतिपादन करनेके लिए भरतमुनिने यह श्लोक लिखा है । यह इस मतवालोकका कहना है । व श्लोकके पदोंका समन्वय इस प्रकार करते हैं कि चित्तवृत्तरूप अनेक भावोंमेंसे जिसका अधिक विस्तृत रूप उपलब्ध होता है वह स्थायी भाव होता है और वही रसिकरण योग्य होता है, इसीसे उसको रसस्थायी कहते हैं । शेष सब व्यभिचारी होते हैं । अत एक रसका स्थायिभाव दूसरेका व्यभिचारी अथवा एक रसका व्यभिचारिभाव दूसरेका स्थायिभाव हो जाता है ।

इस प्रकार पहिले मतमें साक्षात् रसोंका और दूसरे मतमें उनके स्थायी भावोंका साक्षात् और परम्परा या लक्षणासे रसोंका अङ्गाङ्गिभाव या उपकार्योपकारकभाव हो सकता है । इसलिए दोनों ही मतोंमें विरोधी रसोंके अवरोधका उपपादन किया जा सकता है ॥२४॥

एकाश्रयमें विरोधी रसोंका अवरोधसम्पादन

इस प्रकार प्रयन्धस्थ प्रधान रसके साथ उसके अवरोधी तथा विरोधी रसोंके समावेशमें साधारण अवरोधोपायका प्रतिपादन करके अब [विशेष रूपसे] विरोधी रसके ही उस [अवरोधापादक उपाय] का प्रतिपादन करनेके लिए यह कहते हैं—

विरुद्धैकाश्रयो यस्तु विरोधी स्यायिनो भवेत् ।

स विभिन्नाश्रयः कार्यस्तस्य पोषेऽप्यदोषता ॥२५॥

एकाधिकरणविरोधी नैरन्तर्यविरोधी चेति द्विविधो विरोधी । तत्र प्रग्रन्थस्थेन स्यायिनाङ्गिना रसेनौचित्यापेक्षया विरुद्धैकाश्रयो यो विरोधी यथा वीरेण भयानक स विभिन्नाश्रय कार्य । तस्य वीरस्य य आश्रय कथानायकस्तद्विपक्षविषये सन्निवेशयितव्य । तथा सति च तस्य विरोधिनोऽपि च परिपोष ' स निर्दोष । विपक्षविषये हि भयातिशयवर्णने नायकस्य नयपराक्रमादिसम्पत् सुतरामुत्थिता भवति । एतच्च मदीये-
ऽर्जुनचरितेऽर्जुनस्य पातालावतरणप्रसङ्गे वैशद्येन प्रदर्शितम् ॥२५॥

एवमैकाधिकरणविरोधिन प्रग्रन्थस्थेन स्यायिना रसेनाङ्गभावगमने निर्विरोधित्व यथा तथा दर्शितम् । द्वितीयस्य तु तत्प्रतिपादयितुमुच्यते—

स्थायी [प्रधान] रसका जो विरोधी ऐकाधिकरण्य रूपसे विरोधी हो उसको विभिन्नाश्रय कर देना चाहिये, [फिर] उसके परिपोषमें भी कोई दोष नहीं है ॥२५॥

विरोधी [रस] दो प्रकारके होते हैं, १ ऐकाधिकरण्यविरोधी और २ नैरन्तर्य विरोधी । [ऐकाधिकरण्यविरोधीके भी फिर दो भेद हो जाते हैं, आलम्बनके ऐक्यमें विरोधी और आश्रयके ऐक्यमें विरोधी] इनमेंसे प्रवृत्तिके प्रधानरसकी दृष्टिसे जो एकाधिकरणविरोधी रस हो, जैसे वीरसे भयानक, उसको भिन्न आश्रयमें कर देना चाहिये । [अर्थात्] उस वीरका जो आश्रय कथानायक, उसके विपक्ष [प्रतिनायक] में [उस भयानकरसका] सन्निवेश करना चाहिये । ऐसा होनेपर उस विरोधी [भयानक] का परिपोषण भी निर्दोष है । [क्योंकि] विपक्ष [शत्रु] विषयक भयके अतिशयके वर्णनसे नायककी नीति और पराक्रम आदिका याहृल्य प्रकाशित होता है । यह बात मेरे 'अर्जुनचरित' [नामक काव्य] में अर्जुनके पातालगमनके प्रसङ्गमें स्पष्टरूपसे प्रदर्शित की गयी है ।

ऐकाधिकरण्यविरोधीना अथ यह है कि समान अधिष्ठाण या आश्रयमें दोनों रस न रह सकें, जैसे वीर और भयानक । ये दोनों रस एक आश्रय अर्थात् एक नायकमें एक साथ नहीं रह सकते हैं । वीरका स्यायिभाव 'उत्साह' और भयानकका स्यायिभाव 'भय' ये दोनों एक जगह सम्भव न होनेसे इन दोनोंका आश्रय के ऐक्यमें विरोध है । इसका परिहार करनेका सीधा उपाय यह है कि वीरको नायकनिष्ठ और भयानकको प्रतिनायकनिष्ठरूपसे उपनिबद्ध किया जाय । ऐसा करनेसे उस वीर विरोधी भयानकका परिपोष न केवल निर्दोष होगा अपितु वीररसना उत्कथाधायक होगा ॥२५॥

नैरन्तर्यविरोधी रसोंका अविरोधसम्पादन

प्रग्रन्थस्य प्रधानरसके साथ ऐकाधिकरण्यरूप विरोधीका, अङ्गभाय होकर जिस प्रकार अविरोध हो सकता है यह प्रकार दिखला दिया । अथ दूसरे [अर्थात् जिनके निरन्तर समावेशमें विरोध होता है उन नैरन्तर्यविरोधियों] के भी उस [अविरोधोपपादक प्रकार] को दिखलानेके लिए यह कहते हैं—

एकाश्रयत्वे निर्दोषो नैरन्तर्ये विरोधवान् ।

रसान्तरव्यवधिना रसो व्यङ्ग्यो^१ सुमेघसा ॥२६॥

य पुनरेकाधिकरणत्वे निर्विरोधो नैरन्तर्ये तु विरोधी स रसान्तरव्यवधानेन प्रबन्धे निवेशयितव्य यथा शान्तशृङ्गारौ नागानन्दे निवेशितौ ।

जिस [रस] के एक आश्रयमें निगन्धनमें दोष नहीं है [परन्तु] निरन्तर [पास पास अव्यवहितरूप] समावेशमें विरोध आता है, उसको [दोनोंके] बीचमें अविरोधी रसके वणनसे व्यवहित करके बुद्धिमान् कविको घर्षण करना चाहिये ॥२६॥

और जो [रस] एक अधिकरणमें अविरोधी है परन्तु नैरन्तर्यमें विरोधी है उसका दूसरे रसके व्यवधानसे प्रबन्धमें समावेश करना चाहिये । जैसे 'नागानन्द'में शांत और शृङ्गार का [बीचमें दोनोंके अविरोधी अद्भुतरसके समावेशसे व्यवहित करके] समावेश किया गया है ।

शान्तरसकी स्थिति

'नागानन्द'में "रागस्यास्पदमित्यथैमि न च मे ध्वसीति न प्रत्यय" इत्यादिसे लेकर परार्थ शरीरवितरणरूप निर्बहणपथत शांतरस है । और उसका विरोधी मलयवतीविषयक शृङ्गार है । इन दोनोंके बीचमें दानात्र अविरोधी अद्भुतरसका "अहा गीतमहो वाग्निम्" आदिसे समावेश और उसीकी पुष्टिसे लिए "यत्ति यज्ञनघातुना" आदिका समावेश किया गया है । इस प्रकार नैरन्तर्य विरोधी रसोंके बीचमें अविरोधी रसका समावेश कर देनेसे उनका विरोध हो सकता है ।

यहाँ प्रथकारने नागानन्द'क शांत और शृङ्गाररसका उदाहरण दिया है । परन्तु कुछ लोग शांतरसको अलग रस ही नहीं मानते हैं और न 'नागानन्द'को शांतप्रधान नाटक मानते हैं, अपितु उसका मुख्य रस दयाधीर मानते हैं । इस निषयना विशय रूपसे उपपादन श्री धनञ्जयके 'दशरूपक' और उसकी धनिकविरचित टीकामें पाया जाता है । यहाँ आलोककारने इस मतका खण्डन करके शांतरसको अलग रस सिद्ध करनेका प्रयत्न किया है । शांतरसको न माननेवाले धनिकके लेखका कारण यह है कि—

कुछ लोग कहते हैं कि भरतमुनिने शांतरसके विभावादिका प्रतिपादन नहीं किया है अतएव शान्तरस नहीं है । दूसरे लोग कहते हैं कि उ नादिकालीन रागद्वयके प्रवाहका सर्वथा उच्छेद असम्भव होनेसे रागद्वयोच्छेदात्मक शांतरस सम्भव नहीं है । तीसरे लोग बीर आदि रसमें शान्तरसका अतन्मात्र करते हैं । इनमें कोई पक्ष माना जाय या न माना जाय इसमें धनिकको कोई आपत्ति नहीं है । उनका कहना ता यह है कि नाट्यम शांतरसकी पुष्टि नहा हो सकती है । क्योंकि शान्तकी स्थितिमें समस्त यापारोंका विलय हो जाता है । उस समस्त यापारशून्यतारूप शान्तरसका अभिनय ही ही नहीं सन्तता है, अतएव धनिक और धनञ्जय नाटकमें शमके स्थायिभावत्वका निषेध करते हैं—

"शममपि केचित् प्राहु पुष्पिनैतस्य नाम्येषु ।"

"निर्वदादिरतादूरुप्यादस्थायी स्वदते कथम् ।

वैरस्यायैव तत्पापन्तेनाष्टी स्थयिनो मता ॥"—दशरू० ४, ३६

शान्तश्च तृष्णाक्षयसुखस्य य परिपोषस्तद्व्यभणो रस प्रतीयत एव । तथा चोक्तम्—

यद्य कामसुख लोके यद्य दिव्य महत् सुखम् ।

तृष्णाक्षयसुखस्यैते नार्हत षोडशा कलाम् ॥

यदि नाम सर्वजनानुभवगोचरता तस्य नास्ति नैतावताऽसावलोकसामान्यमहानुभाव-
चित्तवृत्तिविशेष' प्रतिभेत्तु शक्य । 'न च धीरे तस्यान्तर्भाव कर्तुं युक्त । तस्याभिमा-
नमयत्वेन व्यवस्थापनान् । अस्य चाहङ्कारप्रशमैकरूपतया स्थिते । तयोश्चैवविधविशेष-
सद्भावऽपि यत्रैस्य परिकल्प्यते तद्वीररौद्रयोरपि तथा प्रसङ्ग । दयावीरादीना तु चित्त-
वृत्तिविगणना सत्कारमहङ्काररहितत्वेन शास्त्ररसप्रभेदत्वम्, इतरथा तु वीररसप्रभेदत्व-

अथात् स्थानभावना जो यह लक्षण किया गया है कि—

विरुद्धैरविरुद्धैर्वा भावैर्विच्छिद्यते न य ।

आत्मभाव नयत्यायान् स स्थायी लवणाकर ॥—दशरु० ४, ४८

यह निवृत्त नशा घटता है । इसलिए वह स्थायिभाव नशा, केवल अभिचारिभाव है और सर्व याधारारितरूप होना उसका परिपोष भी नाट्यमें नशा हो सकता है । यदि क्रिया जायेगा तो वह नारम ही होगा । अतः निवेद स्थायिभाव नहीं है और न शास्त्ररस ही कोइ रस है । रही 'नागानन्द'की बात, भा उमम शास्त्ररस उताना ठीक नहीं है क्योंकि उसमें मलयवतीके प्रति अनुगम और अतम त्रिशाधरचक्रवर्तित्वकी प्राप्तिना जो वणन है वह शास्त्ररसके सर्वथा प्रतिकूल है । अतएव उसमें शास्त्ररस नशा अर्थात् दयावीररसे अनुरूप उल्लाह उसका स्थायिभाव होनेसे वीररस है । इस प्रकार शास्त्ररसका आत्मभाव वीररसमें करते हैं । इन्हीं सब पणोंका स्पष्ट करने शास्त्ररसकी सिद्धि करनेके लिए अलंकारने जगला प्रसंग उठाया है ।

तृष्णानाशसे उत्पन्न सुखका जो परिपोष तत्स्वरूप शान्तरस प्रतीत होता ही है [अर्थात् उमका अपलाप, निषेध नहीं किया जा सकता है] इसीसे कहा है—

ससारमें जो काम-सुख है और जो अलोपिक महान् सुख है ये दोनों तृष्णाक्षय [सन्तोषजय] सुखकी सोलहवीं कलाके वरावर भी नहीं हैं ।

यदि [शान्तरस] सर्वसाधारणके अनुभवका विषय नहीं है तो इससे असाधारण महापुरुषोंके चित्तवृत्तिविशेषरूप शान्तरसका निषेध नशा किया जा सकता है । और न वीररसमें उसका अन्तर्भाव करना उचित है । क्योंकि वीररस अहङ्कारमयरूपसे स्थित होता है और इस शास्त्ररसकी स्थिति अहङ्कारप्रशमरूपसे होती है । उन [शान्त और वीर] दोनोंमें इस प्रकारका भेद होते हुए भी यदि ऐक्य माना जाय तो फिर वीर और रोद्रको भी एक ही मानना होगा । दयावीर आदि चित्तवृत्तिविशेष यदि सब प्रकारके अहङ्कारसे रहित हो तब तो उसको शान्तरसका भेद कह सकते हैं अन्यथा [अहङ्कारमय

१ विशेषवत्' नि०, दी० ।

२ 'धारे च तस्यान्तर्भाव कर्तुं युक्त' नि० ।

मिति व्यग्रस्थाप्यमाने न कश्चिद् विरोध । तन्प्रेममि शान्तो रस । तस्य चापिन्द्र-
रसव्यग्रमानेन प्रग्रन्धे पिरापिरमममापेशे सत्यपि निर्विरोधत्वम् । यथा प्रदर्शिते
विषये ॥२६॥

एतदेव स्थिरीकर्तुमिच्छन्त्यते—

रसान्तरान्तरितयोरेकवाक्यस्थयोरपि ।

निवर्तते हि रसयोः समावेशे विरोधिता ॥२७॥

रसान्तरव्यवहितयोरेकप्रबन्धस्थयोर्विरोधिता निवर्तते इत्यत्र न काचिद् भ्रान्ति ।
यस्मात्तेकवाक्यस्थयोरपि रसयोस्तथा नीत्या विरुद्धता निवर्तते । यथा—

भूरेणुदिग्धान्नवपारिजातमालारजोवासितनाहुमध्या ।

गाढ शिवाभिः परिरभ्यमाणान् सुराङ्गनाडिलष्टभुजातराला ॥

सशोणितैः क्रयभुजा स्फुरद्भिः पत्नैः रगगानामुपवीज्यमानान् ।

सवीजिताध्वन्दनवारिमैकैः सुगन्धिभिः फल्पलतादुकूलैः ॥

विमानपर्यङ्कतले निषण्णा धुतूहलाविष्टतया तदानीम् ।

निर्दिश्यमानान् ललनाडगुलीभिर्गिरा स्वदेहान् पतितापश्यन् ॥

चित्तवृत्ति होनेपर] वीररसना भेद होगा, वसी व्यवस्था करनेसे उनमें कोई विरोध
नहीं होगा । इस प्रकार शान्तरस है । और विरोधी रसका समावेश रहनेपर भी
अविरुद्ध रसके व्यवधानसे प्रग्रन्धमें उनका समावेश करनेसे विरोध नहीं रहता, जैसा
ऊपर दिखलाये हुए [‘नागान-द’के] विषयमें है ॥२६॥

विरोधी रसोंमें व्यवधान द्वारा अविरोधसम्पादन

इसीको स्थिर करनेके लिए यह कहते हैं—

एक वाक्यमें स्थित होनेपर भी दूसरे [दोनाके अविरोधी] रससे व्यवहित हुए
दो [विरोधी] रसोंका समावेश होनेपर उनका विरोध समाप्त हो जाता है ॥२७॥

दूसरे रससे व्यवधान हो जानेपर एक प्रग्रन्धमें स्थित [विरोधी] रसोंका विरोध
[भी] मिट जाता है इसमें किसी प्रकारका भ्रम नहीं है, क्योंकि उपर्युक्त नीतिसे एक
वाक्यस्थ रसोंका भी विरोध नहीं रहता है । जैसे—

नवीन परिजातमालाये परागसे सुरभित वक्ष स्थलवाले, सुराङ्गनाओंसे आलि-
ङ्गित उर स्थलवाले, चन्दनजलसे सिक्त सुगन्धित फल्पलताके [यने] दुकूलों [घट्टों]
द्वारा पद्या किये जाते हुए, विमानके पलंगोंपर बैठे हुए, [युद्धमें मारे गये] वीरोंने,
कोतूहलवश ललनाओं, [अप्सराओं स्वदेहाओं] द्वारा अङ्गुली [के सङ्केत] से
दिखलाये जाते हुए, पृथ्वीकी धूलमें सने हुए, शृगालियोंसे गाढ आलिङ्गित और
मासाहारी पक्षियोंके रक्तमें सने हुए तथा हिलते हुए पक्षोंसे दया किये जाते, आर
[युद्धभूमिमें] पड़े हुए अपने शरीरोंको देना ।

इत्यादी । अत्र हि शृङ्गारबीभत्सयोस्तदङ्गयोर्वा वीररसन्यवधानेन समावेशो न विरोधी ॥२७॥

विरोधमविरोध च सर्वत्रैतत्थं निरूपयेत् ।

विशेषतस्तु शृङ्गारे सुकुमारतमो ह्यसौ ॥२८॥

यथोक्तलक्षणानुसारेण विरोधाविरोधी सर्वेषु रसेषु प्रवन्वेऽन्यत्र च निरूपयेत् सहृदय* । विशेषतस्तु शृङ्गारे । स हि रतिपरिपोषात्मकत्वाद्, रतेश्च स्वल्पेनापि निमित्तेन भङ्गसम्भवात्, सुकुमारतम* सर्वेभ्यो रमेभ्यो मनागपि विरोधिसमापेन न सहते ॥२८॥

अवधानातिशयवान् रसे तत्रैव सत्कवि* ।

भवेत् तस्मिन् प्रमादो हि क्षणित्येवोपलक्ष्यते ॥२९॥

तत्रैव च रसे सर्वेभ्योऽपि रसेभ्यः सौकुमार्यातिशययोगिनि कविरवधानवान् प्रयत्नवान् स्यात् । तत्र हि प्रमाद्यतस्तस्य सहृदयमध्ये क्षिप्रमेवावज्ञानविषयता भवति ॥२९॥

इत्यादिमें । यहाँ शृङ्गार और बीभत्सरस अथवा उनके अङ्गों [स्थापिभावो—रति तथा जुगुप्सा]का वीररसने व्यवधानसे समावेश विरुद्ध नहीं है ।

यहाँ 'वीरा' कता और 'स्वदेहान्' कम है । सारे वाच्यम अनुगतरूपसे उनकी प्रतीति होती है और समस्त वाक्यमें ही शृङ्गार तथा बीभत्स अथवा उनके स्थापिभाव, रति और जुगुप्सा, 'यापक' हैं । इसलिए वीररसके बीचमें 'व्यवधानकी प्रतीति नहीं जान पड़ती है फिर भी 'भूरेणुदिग्धान्' इस विशेषणसे बोधसे बीभत्स, और 'नवपारिजातमालारजोवासितबाहुमभ्या' इस विशेषणके बोधसे शृङ्गार, और इन दोनोंके बीच विशेष्य बोधके रूपम वीररसकी प्रतीति होती है । इस प्रकार यहाँ शृङ्गार तथा बीभत्सके बीचमें वीरका 'व्यवधान' होनेसे उनका समावेश उचित है ॥२७॥

विरोध तथा अविरोधका सर्वत्र इसी प्रकार निरूपण करना चाहिये । विशेषकर शृङ्गारमें, क्योंकि यह सबसे अधिक सुकुमार होता है ॥२८॥

उपर्युक्त लक्षणोंके अनुसार प्रवचकायमें और अन्यत्र [मुक्तमें] सहृदयोंको सब रसोंमें विरोध अथवा अविरोधको पहिचानना चाहिये । विशेषकर शृङ्गारमें । क्योंकि यह रतिके परिपोषरूप होनेसे, और रतिके तनिकसे भी कारणसे भङ्ग हो जानेसे, सब रसोंसे अधिक सुकुमार है और विरोधीके तनिकसे भी समावेशको सहन नहीं कर सकता है ॥२८॥

सत्कविको उसी [शृङ्गार] रसमें अत्यन्त सावधान रहना चाहिये [क्योंकि] उसमें [तनिकसा भी] प्रमाद नुस्त प्रतीत हो जाता है ॥२९॥

सब रसोंसे अधिक सुकुमार उसी रसमें कविको सावधान [और] प्रयत्नशील होना चाहिये । उसमें प्रमाद धरनेवाला वह [कवि] सहृदयोंके बीच शीघ्र ही तिरस्कार का पात्र हो जाता है ॥२९॥

१२ 'सुकुमारतर' नि०, दी० ।

१ 'क्षणित्येवावभासते' दी० । 'क्षणित्येवोपलक्ष्यते' नि० ।

शृङ्गाररसो हि सासारिणा नियमेनानुभवविषयत्वात् सर्वरसेभ्य फमनीयतया प्रधानभूतः । एव च सति—

विनेयानुन्मुखीकर्तुं काव्यशोभार्थमेव वा ।

तद्विरुद्धरसस्पर्शस्तदद्धाना न दुष्यति ॥३०॥

शृङ्गारविरुद्धरसस्पर्श शृङ्गाराङ्गानां य स न केवलमविरोधलक्षणयोगे सति न

विरोधी रसोंमें भी शृङ्गारका पुट

शृङ्गाररस समस्त सासारिक पुरुषोंके अनुभवका विषय अवश्य होता है अतः सो-दर्यकी दृष्टिसे प्रधानतम है । ऐसा होनेसे—

शिष्योंको [शिक्षणीय विषयमें] प्रवृत्त करनेकी दृष्टिसे अथवा काव्यकी शोभाके लिए उस [शृङ्गार]के विरोधी [शांत आदि] रसोंमें उस [शृङ्गार]के अङ्गों [व्यभिचारि-भावादि]का स्पर्श दृष्टित नहीं होता ॥३०॥

जैसे, लेखनकारनिर्मित स्तोत्रमें—

त्वा च द्रचूड सहसा सृशती प्राणेश्वर गाढवियोगतता ।

सा च द्रकान्तावृत्तिपुत्रिन सतिद्विलीयापि विलीयते मे ॥

इस श्लोकमें चद्रचूड शिवकी स्तुति है । शृङ्गारकी पद्धतिमें चद्रचूड शिवको पति, और अपनी बुद्धिबलिको चद्रकान्तमणिसे निमित्त पुतलीक समान सुन्दर, अपनी अथात् स्तोत्ररचयिताकी पुत्री तथा शिवकी पत्नीरूप माना है । वह बुद्धिवृत्ति अपने प्रियतम शिवसे बहुत कालके वियुक्त होनेके कारण अत्यन्त वियोगसन्तप्त है । शिवने ध्यानमें तनिक देरने लिए चित्त एकाग्र होनेसे चद्रचूड शिवका स्पर्श पाकर वह तदाभारापन्न होनेसे स्वरूपविहीन, पतिसे आलिंगनमें सवात्मना विलीन-सी होकर चद्रचूडके स्पर्शसे द्रवित होकर चद्रकान्तपुत्तलिकासे समान विलीन हो जाती है ।

यहां शांतिमें विभाव, अनुभाव आदिना भी शृङ्गाररसकी पद्धतिसे निरूपण किया गया है । यदि सीधी शांतिरसकी शैलीमें इस बातको कहा जाय तो वह, सन सहृदयोंको उतनी रुचिकर नहीं होगी, जितनी इस प्रकार हो जाती है । यहाँ शृङ्गाररसके विरोधी शान्तरसमें भी शृङ्गारका पुट लग जानेसे प्रायः चमत्कार आ गया है इसलिए काव्यशोभा इस प्रकारसे पुटका एक प्रयोजन है ।

दूसरा मुख्य प्रयोजन शिष्याकी शिक्षणाय विषयमें प्रवृत्ति करना है । इसीलिए उपदेशप्रद उदादिना शांतिप्रधान होनेसे 'प्रभुवाद', इतिहासपुराणादिको अथतात्पर्यप्रधान होनेसे 'सुहृच्छब्द' तथा काव्यनाटकादिको रसतात्पर्यप्रधान होनेसे 'काताशब्द'के समान माना है । जिनमें 'कान्ता शब्दसम्मित' काव्यनाटकादिसे शिष्योंका रसास्वादनपूर्वक शिक्षा प्राप्त होनेसे विनेयोंना उन्मुखीकरण उनका मुख्य प्रयोजन है ।

शृङ्गारके अङ्गोंना जो शृङ्गारविरुद्ध रसोंके साथ स्पर्श है वह केवल पूर्वोक्त अङ्गोंना प्रलक्षणांसे होनेपर ही निर्दोष हो यह बात नहीं है अपितु शिष्योंको उन्मुख

दुष्यति, यावद् विनेयानुसूरीकर्तुं काव्यशोभार्थमेव वा क्रियमाणो न दुष्यति । शृङ्गार-
रसाङ्गैरुन्मुसीष्टता सतो हि विनेया सुख विनयोपदेशान् गृह्णन्ति । सदाचारोपदेश-
रूपा हि नाटकादिगोष्ठी, विनेयजनहितार्थमेव मुनिभिरवतारिता ।

किञ्च शृङ्गारस्य सकलजनमनोहराभिरामत्वात्^१ तदङ्गसमावेश काव्ये शोभातिशय
पुष्यतीत्यनेनापि प्रकारेण विरोधिनि^२ रसे शृङ्गाराङ्गसमावेशो न विरोधी । ततश्च—

सत्य मनोरमा रामा सत्य रम्या विभूतय ।

किन्तु मत्ताङ्गनापाङ्गभङ्गलोल हि जीवितम् ॥

इत्यादिषु नास्ति रसविरोधदोष ॥३०॥

विज्ञायेत्थ रसादीनामविरोधविरोधयोः ।

विषयं सुकविः काव्य कुर्वन् मुह्यति न क्वचित् ॥३१॥

इत्थमनेनान्तरोक्तेन प्रकारेण रसादीना रसभावतदाभासाना परस्पर विरोधस्या-

करने अथवा काव्यशोभाकी दृष्टिसे किया जानेपर [भी] दूषित नहीं होता है । शिष्य
गण शृङ्गाररसके अङ्गों द्वारा प्रवृत्त कराये जानपर सदाचारके उपदेशोंको आनन्दपूर्वक
ग्रहण कर लेते हैं । [भरतारि] मुनियोंने शिक्षणीय जनोंके हितके लिए ही सदाचारो
पदेशरूप नाटकादि गोष्ठी [मण्डली] की अग्रतारणा की है ।

और शृङ्गारके सत्र लोगोंके मनको हरण करनेगला और सुन्दर होनेसे उसके
अङ्गोंका समावेश काव्यमें सोन्दर्यके अतिशयकी वृद्धि करनेगला होता है, इस प्रकारसे
भी विरोधी रसमें शृङ्गारका समावेश विरोधी नहीं है । इसलिए—

यह ठीक है कि स्त्रियों वही मनोरम होती हैं, यह ठीक है कि [पेश्वर्य] विभूति
वही सुन्दर होती है, किन्तु [उनका भोग करनेगला यह] जीवन [तो] मत्त स्त्रीके
कटाक्षके समान अत्यन्त अस्थिर है ।

इत्यादिमें [शान्तमें शृङ्गार द्वारा] रसविरोधका दोष नहीं है ॥३०॥

यहाँ सब जगत्प्री अनित्यतारूप शान्तरसके विभायका वणन करते हुए 'त्वा चद्रचूट'
इत्यादिके समान किसी विभावना शृङ्गारपद्धतिसे वणन नहीं किया है । किन्तु 'सत्य' शब्दसर्गानो
परहृदयमें प्रवेश कर कवि कहना चाहता कि हम मिथ्या ही वैराग्यकी बात नहीं करते अपितु यह
'रामा' और 'रम्या विभूतय' जिसके लिए हैं वह जीवन ही इतना अस्थिर है । 'मत्ताङ्गनापाङ्गभङ्ग'
शृङ्गाररसका विभावरूप अङ्ग है । मत्ताङ्गनाके सर्वाभिलषणीय कटाक्षकी अस्थिरतासे विश्वने
'विभूति' और 'रामा' आदि विषयोंकी अस्थिरताकी उपमा देनेसे वैराग्यना विषय सरलतासे समझ
लिया जाता है ॥३०॥

इस प्रकार रस आदिके अविरोध और विरोधके विषयको समग्ररूप काव्य
रचना करनेवाला कवि कहीं भ्रममें नहीं पड़ता है ॥३१॥

इस प्रकार अभी कही रीतिसे, रस आदि अर्थात् रस, भाव और तदाभासाके

१ 'सकलजनमनोहराभिरामत्वात्' दी० ।

२ 'विरोधिरस' नि०, दी० ।

विरोधस्य च विषय विज्ञाय सुकवि काव्यविषये प्रतिभातिशययुक्त काव्य कुर्वन् न कचिन्मुह्यति ॥३१॥

एव रसादिषु विरोधाविरोधनिरूपणस्थोपयोगित्व प्रतिपाद्य व्यञ्जकवाच्यवाचक-
निरूपणस्यापि तद्विषयस्य तत्प्रतिपाद्यते—

वाच्याना वाचरूाना च यदौचित्येन योजनम् ।

रसादिविषयेणैतत् कर्म मुख्य महाकवेः ॥३२॥

वाच्यानामितिवृत्तविशेषाणा वाचकाना च तद्विषयाणा रसादिविषयेणौचित्येन
यद् योजनमेतन्महाकवेर्मुख्यं कर्म । अयमेव हि महाकवेर्मुख्यो व्यापारो यद्रसादीनेव
मुख्यतया काव्यार्थोद्घृत्य तद्ब्यक्तयनुगुणत्वेन शब्दानामर्थाना चोपनिबन्धनम् ॥३२॥

एतच्च रसादितात्पर्येण काव्यनिबन्धन भरतादावपि सुप्रसिद्धमेवेति प्रतिपादयि-
तुमाह^१—

रसाद्यनुगुणत्वेन व्यपहारोऽर्थशब्दयोः ।

औचित्यवान् यस्ता एता वृत्तयो द्विविधाः स्थिताः ॥३३॥

परस्पर विरोध और अविरोधके विषयको समझकर काव्यके विषयमें अत्यन्त निपुण
[प्रतिभाधान्] हुआ सत्कवि काव्यरचना करते हुए कहीं व्यामोह [भ्रम] में नहीं
पड़ता है ॥३१॥

इस प्रकार रस आदिमें विरोध और अविरोधके निरूपणकी उपयोगिताका प्रति
पादन करके, उस [रसादि] विषयके व्यञ्जक, वाच्य [कथावस्तु] तथा वाचक शब्दादिके
निरूपणकी भी उपयोगिताका प्रतिपादन करते हैं—

वाच्य [कथावस्तु] और [उसके] वाचक शब्दादिकी रसादिविषयक औचित्यकी
दृष्टिसे जो योजना करना है यही महाकविका मुख्य कर्तव्य है ॥३२॥

वाच्य अर्थात् इतिवृत्त [कथावस्तुविशेष] और उसके सम्बन्धी वाचक शब्दादि
की रसादिविषयक औचित्यकी दृष्टिसे जो योजना करना है यह महाकविका मुख्य कर्म
है। रसादिको मुख्यरूपसे काव्यका विषय बनाकर उसके अनुरूप शब्द और अर्थोंकी
रचना करना यही महाकविका मुख्य कार्य है ॥३२॥

वृत्तियोंका विवेचन

रसादिको प्रधान मानकर यह काव्यरचना भरत [के नाट्यशास्त्र] आदिमें भी
प्रसिद्ध है यह प्रतिपादन करनेके लिए कहते हैं—

रस आदिके अनुकूल शब्द और अर्थका जो उचित व्यवहार है वही ये दो
प्रकारकी वृत्तियों मानी जाती हैं ॥३३॥

१ 'प्रतिपादयितुमिदमुच्यते' दी० ।

२ 'विविधाः स्मृता' नि० ।

व्यवहारो हि वृत्तिरित्युच्यते । तत्र रसानुगुण औचित्यवान् वाच्यश्रयो यो व्यवहारस्ता एता कौशिकाद्या वृत्तय । वाचकाश्रयाश्रोपनागरिकाद्या वृत्तयो हि रसादितात्पर्येण सन्निवेशिता कामपि नाट्यस्य काव्यस्य च छायाभावहन्ति । रसादयो हि द्वयोरपि तयोर्जावभूता । इतिवृत्तादि तु शरीरभूतमेव ।

अत्र केचिदाहु 'गुणगुणियवहारो रसादीनामितिवृत्तादिभि सह युक्तो, न तु जीवशरीरव्यवहार । रसादिमय हि वाच्य प्रतिभासते, न तु रसादिभि पृथग्भूतम्' इति ।

अत्रोच्यते, यदि रसादिमयमेव वाच्य यथा गौरत्वमय शरीरम्, एव सति यथा शरीरे प्रतिभासमाने नियमेनैव गौरत्व प्रतिभासते सर्वस्य तथा वाच्येन सहैव रसादयोऽपि सद्दयस्यासद्दयस्य च प्रतिभासेरन् । न चैवम् । तथा चेतत् प्रतिपादितमेव प्रथमोद्योते ।

व्यवहारको ही 'वृत्ति' कहते हैं । उनमें रसानुगुण औचित्ययुक्त जो वाच्यका व्यवहार है वे कैशिकी आदि वृत्तियों हैं । और वाचक [शब्द]के आश्रित जा व्यवहार है वे उपनागरिकादि वृत्तियों हैं । रसादिपरतया [रसादिसे अनुकूल, रसादिको प्रधान मानकर] प्रयुक्त की गयी [कैशिकी आदि तथा उपनागरिकादि] वृत्तियों नाटक और काव्यमें [प्रथम] कुछ अनिर्वचनीय सोदर्य उत्पन्न कर देती हैं । रसादि उन दोनों प्रकारकी वृत्तियोंके आत्मभूत हैं और कथावस्तु आदि शरीरभूत हैं ।

जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, 'वृत्ति' शब्द साहित्यम अनेक अर्थम प्रयुक्त होता है । यहाँ भरतके नाट्यशास्त्रकी कैशिकी आदि और भट्टोद्भट आदिकी अभिमत उपनागरिका आदि वृत्तियाका अथव्यवहार और शब्दव्यवहाररूपसे सुदर और सुगंध भेद किया है । शब्द व्यवहारम भी शब्द रचनाकी दृष्टिसे उपनागरिकादि और अध्याधानुगुण व्यापारकी दृष्टिसे अभिधा, लक्षणा आदिना 'वृत्ति' कहा जाता है । इस प्रकारकी व्यवस्थासे वृत्ति शब्दके तीन अर्थ त्रिलकुल अलग अलग और स्पष्ट हो जाते हैं ।

रसकी आत्मरूपताका उपपादन

[पूर्वपक्ष] कुछ लोगोंका कहना है कि इतिवृत्त [कथावस्तु] के साथ रसादिना गुण गुणीयवहार ही युक्त है, जीव और शरीरव्यवहार नहीं । [क्योंकि] वाच्य [कथावस्तु गुण, रसादिरूप गुणीसे युक्त होनेसे] रसादिमय प्रतीत होता है, [आत्मासे भिन्न शरीरके समान] रसादिसे पृथक् [प्रतीत] नहीं [होता है] ।

[सिद्धान्तपक्ष] इसपर हम यह कह सकते हैं कि यदि वाच्य [कथावस्तु] गौरत्वमय शरीरके समान रसादिमय ही होता तो जैसे शरीरकी प्रतीति होनपर [हर एक व्यक्तिके] गौरत्वकी प्रतीति अथयदय हाती है इसी प्रकार वाच्यके साथ ही सद्दय, असद्दय सबको रसादिकी प्रतीति भी होनी चाहिये । परन्तु ऐसा होता नहीं है, इसका प्रथम उद्योतमें ['शब्दार्थशासन' इत्यादि कारिका ७ पृष्ठ ३२ में] प्रतिपादन कर चुके हैं ।

स्यान्मतम्, रत्नानामिव जात्यन्व्य प्रतिपत्तृविशेषतः^१ सवेद्य वाच्याना रसादि रूपत्वमिति ।

नैवम्, यतो यथा जात्यन्वयेन प्रतिभासमाने रत्ने रत्नस्वरूपाऽनतिरिक्तत्वमेव तस्य लक्ष्यते, तथा रसादीनामपि विभावानुभावादिरूपवाच्याव्यतिरिक्तत्वमेव^२ लक्ष्यते । न चैवम् । नहि विभावानुभावव्यभिचारिण एव रसा इति कस्यचिद्वगमः । अत एव च विभावादिप्रतीत्यविनाभाविनी रसादीना प्रतीतिरिति तत्प्रतीत्यो कार्यकारणभावेन व्यवस्थानात् क्रमोऽवश्यम्भावी । स तु लाघवात् प्रकाश्यते^३ 'इत्यलक्ष्यक्रमा एव सन्तो व्यङ्ग्या रसादयः' इत्युक्तम् ।

ननु शब्द एव प्रकरणाद्यवच्छिन्नो वाच्यव्यङ्ग्ययो सममेव प्रतीतिमुपजनयतीति

[पूर्वपक्ष] जिस प्रकार रत्नोंका उत्पन्न [जात्यत्व, उत्पृष्टजातीयत्व] विशेषण [जौहरी] ही जान सकता है [हर एक व्यक्तिको वह प्रतीत नहीं होता] इसी प्रकार वाच्य [कथावस्तु] का रसादिरूपत्व [रसादिमयत्वरूप गुणोत्कर्ष] विशेषण [सहृदय] को ही प्रतीत होता है [सर्वसाधारणको नहीं] यदि यह अभिमत हो तो, [उत्तर यह है कि]—

[सिद्धांतपक्ष] यह ठीक नहीं है । क्योंकि जैसे उत्पृष्टजातीयरूपसे प्रतीत होनेवाले रत्नमें वह [उत्कर्ष] रत्नके स्वरूपसे अभिन्न [रत्नस्वरूपभूत] ही प्रतीत होता है । इसी प्रकार रसादिकी भी विभावानुभावादिसे अभिन्न [विभावादिरूप] में ही प्रतीति होनी चाहिये । परन्तु ऐसा नहीं है । विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव ही रस है ऐसा किसीको अनुभव नहीं होता । अतएव विभावादिप्रतीतिके अविनाभूत [परन्तु उससे पृथक्] रसादिप्रतीति होती है । अतः उन दोनों [विभावादि तथा रसादिकी] प्रतीतियोंके कार्यकारणभावसे स्थित होनेसे [उनमें] क्रम अवश्यम्भावी है । परन्तु [उत्पलशतपत्र व्यतिरेकघट्ट, जैसे कमलके सौ पत्तोंमें सुई चुभोनेसे पह प्रत्येक पत्रको क्रमसे ही छेदेगी परन्तु प्रतीत ऐसा होता है कि एक साथ सा पत्तोंको पार कर गयी । इसी प्रकार] शीघ्रताके कारण वह [क्रम] दिखलाई नहीं देता है । इसीलिए रसादि असलक्ष्य क्रमरूपसे ही व्यङ्ग्य होते हैं यह कहा गया है ।

रसकी अक्रमता नहीं, अलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यताका उपपादन

[पूर्वपक्ष] प्रकरणादिसदृहत शब्द ही वाच्य और व्यङ्ग्य दोनोंकी एक साथ ही प्रतीति उत्पन्न कर देता है, उसमें क्रमकी कल्पना करनेकी क्या आवश्यकता है । शब्दके वाच्य [अर्थ] की प्रतीतिका [सम्बन्ध] परामर्श ही व्यङ्ग्यत्वका कारण हो सो तो ही नहीं । इसीसे [वाच्यार्थके सम्बन्ध या ज्ञानके बिना षेधल स्वरामादिके अनुसार ही] गीत आदिके शब्दोंसे भी रसादिकी अभिव्यक्ति होती है । [आदि शब्दसे याद्य या

१ 'प्रतिपत्तृविशेष' [न] रसानां' नि०, दी० ।

२ 'वाच्यानतिरिक्तमेव लक्ष्यते' दी० । 'वाच्यव्यतिरिक्तत्वमेव लक्ष्यते' नि० ।

३ 'प्रकाशने' दी० ।

किं तत्र द्रमकल्पनया । नहि शब्दस्य वाच्यप्रतीतिपरामर्श एव व्यञ्जकत्वे निबन्धनम् ।
तथा हि गीतादिशब्देभ्योऽपि 'रसाभिव्यक्तिरस्ति । न च तेषामन्तरा वाच्यपरामर्श ।

अत्रापि द्रम । प्रकरणाद्यवच्छेदेन व्यञ्जकत्व शब्दानामित्यनुमतमेवैतदस्माकम् ।
किन्तु तद् व्यञ्जकत्व तेषा कदाचित् स्वरूपविशेषनिबन्धन कदाचिद् वाचकशक्ति-
निबन्धनम् । तत्र येषा वाचकशक्तिनिबन्धन तेषा यदि वाच्यप्रतीतिमन्तरेणैव स्वरूप-
प्रतीत्या निष्पन्न तद्भवेन्न तर्हि वाचकशक्तिनिबन्धनम् । अथ तन्निबन्धन तन्नियमेनैव
'वाच्यवाचकभावप्रतीत्युत्तरकालत्व व्यङ्ग्यप्रतीते प्राप्तमेव । स तु क्रमो यदि लाघवात्
लक्ष्यते तर्हि क्रियते ।

यदि च वाच्यप्रतीतिमन्तरेणैव प्रकरणाद्यवच्छिन्नशब्दमात्रसाध्या रसादिप्रतीतिः
स्यात्, तदनवधारितप्रकरणाना वाच्यवाचकभावे च स्वयमव्युत्पन्नाना प्रतिपत्तृणा

विलापादिके शब्दका ग्रहण होता है। उन [गीतशब्दोंके श्रवण और रसाभिव्यक्ति] के
बीचमें वाच्य अर्थका ज्ञान [परामर्श] नहीं होता है [एत शब्द बिना किसी क्रमके
वाच्य और व्यङ्ग्यकी प्रतीति एक साथ ही करा सकते हैं] ।

[सिद्धान्तपक्ष] १ इसमें हमारा कहना यह है कि प्रकरण आदिके सहस्रत शब्द
अर्थके व्यञ्जक होते हैं यह बात हमें अभिमत ही है । परन्तु वह व्यञ्जकत्व उन [शब्दों]
में कभी स्वरूपविशेषके कारण और कभी वाचकशक्तिके कारण होता है । उनमेंसे जिन
[शब्दों] में वाचकशक्तिमूलक [व्यञ्जकत्व] है उनमें यदि वाच्यप्रतीतिके बिना ही
स्वरूपकी प्रतीतिमात्रसे ही वह [व्यञ्जकत्व] पूर्ण हो जाय तो वह वाचकशक्तिमूलक
नहीं हुआ । और यदि वाचकशक्तिमूलक है तो व्यङ्ग्यप्रतीति अर्थात् ही वाच्यवाचक
प्रतीतिके उत्तरकालमें ही होगी यह सिद्ध ही है । वह क्रम शीघ्रताके कारण यदि प्रतीत
नहीं होता तो क्या किया जाय ।

व्यङ्ग्यप्रतीति भन्ने ही वाच्यप्रतीतिके बाद हो परन्तु वाच्यप्रतीति उस व्यङ्ग्यप्रतीतिमें
उपयोगिनी नहीं है, जैसे गीतादि शब्दोंमें बिना वाच्यप्रतीतिके उपयोगके ही रसादिप्रतीति हो जाती
है इसी प्रकार यहाँ होगी । इस पूर्वपक्षकी शङ्काको मनन रम र सिद्धान्तपक्षी फिर कहता है—

[सिद्धान्तपक्ष] २ यदि वाच्यप्रतीतिके बिना ही प्रकरणादिसहस्रत शब्दमात्रसे
रसादिप्रतीति साध्य हो तो [किसी वाच्यविशेषमें] वाच्य वाचक न समझने [और स्वयं
प्रकरण भी नहीं जानने] परन्तु [किसीके द्वारा] प्रकरणया ज्ञान कर लेनेवाले श्रोताको
भी काव्यके श्रवणमात्रसे रसादिप्रतीति होनी चाहिये [जैसे गीतादि शब्दसे बिना
वाच्यआदिके ज्ञानके प्रकरण आदि सहस्रत श्रवणमात्रसे रसादिप्रतीति होती है । वाच्य
और व्यङ्ग्यप्रतीतिके] साथ होनेपर [व्यञ्जकत्वमें] वाच्यप्रतीतिका कोई उपयोग

१ 'रसाभिव्यक्तिरस्ति' नि०, दी० ।

२ 'वाच्यवाचकप्रतीत्युत्तरकालत्व' दी० ।

३ 'क्रियताम्' दी० ।

काव्यमात्रश्रवणादेवासौ भवेत् । सहभाषे च वाच्यप्रतीतेरनुपयोगः, उपयोगे वा न सद्भावः ।

नहीं है । और यदि उपयोग है तो सहभाष नही हो सकता [इसलिए जिन शब्दोंमें वाच्यशक्तिमूलक व्यञ्जकत्व रहता है उाँमें वाच्य और व्यङ्ग्यप्रतीतिमें प्रथम अवश्य रहता है] ।

यहाँ 'अनवधारितप्रकरणानां' यह पाठ अटपटा और सदिग्ध सा प्रतीत होता है परन्तु निर्णय सागरीय तथा बनारसके दोनों, अथात् मुद्रित तीना संस्करणोंमें यही पाठ पाया जाता है । इसलिए मूल पाठ तो यही मानना चाहिये । परन्तु उसकी व्याख्या विशेष ध्यानसे समझनी चाहिये ।

जैसे गीत आदिमें अन्धाम वाच्यार्थकी प्रतीतिसे बिना भी केवल प्रकरण आदिमें सहकारमे रसादिकी अनुभूति हो जाती है उसी प्रकार काव्यमें भी वाच्यप्रतीतिके बिना भी प्रकरण आदिके सहकारसे रसादिकी प्रतीति हो सकती है । इसलिए रसादिकी प्रतीतिमें वाच्यप्रतीतिका काह उपयोग नहीं है । इस शब्दाके समाधानका प्रयत्न इस प्रसङ्गमें किया जा रहा है । प्रकृत पक्षियाणां भाव यह है कि यदि वाच्यप्रतीतिके बिना ही प्रकरण आदि सहकृत शब्दमात्रसे रसादिकी प्रतीति सिद्ध हो तो 'अनवधारितप्रकरण' अथात् प्रकरणको न जाननेवाले और स्वयं वाच्यवाच्यभावना न समझनेवाले श्रोताओंको भी काव्यके शब्दोंके श्रवणमात्रसे रसादिकी प्रतीति होनी चाहिये ।

शब्दामें वाच्यप्रतीतिके बिना केवल प्रकरण आदिकी सहायतासे रसप्रतीति दिरलगायी थी इसलिए उत्तर करते समय प्रकरणसहकारको सूचित करनेसे लिए 'अवधारितप्रकरणानां' पाठ होना चाहिये था । उस दशामें जिनका स्वयं वाच्यवाच्यभावना ज्ञान नहीं है परन्तु प्रकरणका ज्ञान है ऐसे श्रोताओंको भी काव्यशब्दोंसे रसादिकी प्रतीति होनी चाहिये यह समाधानना सङ्गति ठीक लग जाती है । 'अनवधारितप्रकरणानां'की सति सरलतासे नहीं लगी है । इसीलिए 'नालप्रिया' टीकामें 'अवधारितप्रकरणानां' यही पाठ मानकर इस प्रकरणकी व्याख्या की है । 'तदनुवर्तितेति । तत्तर्हि, अवधारित ज्ञात प्रकरण यैतैषाम्', इस वाक्यास स्पष्ट प्रतीत होता है कि नालप्रिया टीकाकार 'अवधारितप्रकरणानां' यही पाठ मान रहे हैं ।

दीधितिकारने प्रकरणको ज्ञातसत् नहीं अपितु स्वरूपसत् उपयोगी मानकर सङ्गति लगानेका प्रयत्न किया है । अथात् शब्दापभ्रमें प्रकरणकी स्वरूपसत्ताको ही रसादिप्रतीतिमें उपयोगी माना है, ज्ञानको नहीं । काव्यशब्दोंमें प्रकरण स्वरूपसत् तो विद्यमान है ही, और उस ज्ञानकी आवश्यकता नहीं है, इसलिए 'अनवधारितप्रकरणानां' अथात् जि होंने प्रकरणको ग्रहण नहा किया है और स्वयं 'वाच्यवाच्यभाव'को भी नहीं जानते उनको भी काव्यशब्दोंके 'श्रवण' प्रत्यक्षमात्रसे रसादिकी प्रतीति होनी चाहिये । इस प्रसङ्गमें दीधितिकारना लेख इस प्रकार है—

“यदि सर्वस्य रसादियङ्ग्यप्रतीतौ शब्दश्रवणप्रत्यक्षस्यैः कारणत्वं स्यात् तर्हि ये काव्यशब्दा धृता किन्तु तेषां प्रकरणादिप्रदेशे वाच्यशब्दनिष्ठाभिधाप्रदेशश्च न जात तेषां वाच्यार्थप्रतीत्यभावेन व्यङ्ग्यार्थप्रतीतिया न भवति सा मुतो न स्यात् । भवन्ते वाच्यार्थप्रतीनेस्तत्कारणात्त्वानुद्गीतार्यात् तद्विरहस्याविश्लिखत्वात्, भवदाभमतशब्दः त्यक्षमात्रकारणस्य तत्रापि जागरूकत्वाच्च । न च प्रकरणा दिशानामाभावात् भवेदिति वाच्यम् । प्रकरणादिज्ञानस्य भवन्तं कारणत्वाकथनात्, स्वरूपसत् प्रकरणा देस्तत्रापि सत्वाच्च । तस्मात् काव्ययङ्ग्यप्रतीतौ वाच्यप्रतीते कारणत्वमन्यमूरीकणीयमिति भावः ।”

येषामपि स्वरूपविशेषप्रतीतिनिमित्त व्यञ्जकत्वस्य गीतादिशब्दानां तेषामपि स्वरूपप्रतीतेर्व्यङ्ग्यप्रतीतिश्च नियमभावी^१ क्रमः । तत्तु^२ शब्दस्य क्रियापूर्वापर्यन्तन्यसाध्यतत्फलघटनास्वाशुभाविनीषु वाच्येनाविरोधिन्वभिधेयात्तरविलक्षणे रसादौ न प्रतीयते ।

इस प्रकार दीधितिकारने मूलके 'अनवधारितप्रकरणानां' पाठकी सङ्गति लगानेके लिए यह कल्पना की है कि पूर्वपक्षी गीत आदि शब्दोंमें केवल प्रकरणकी स्वरूपसत्ताका उपयोग मानता है, उसके ज्ञानका नहीं । परन्तु दीधितिकारकी यह कल्पना निश्चितरूपसे 'याव्य कल्पना नहीं कही जा सकती । पूर्वपक्षी प्रकरणको स्वरूपसत् ही उपयोगी मानता है इसका विनिगमक कोई युक्ति या प्रमाण नहीं है । दीधितिकारने केवल 'अनवधारितप्रकरणानां' पाठकी सङ्गति लगानेके लिए ऐसी कल्पना कर ली है ।

लोचनकारकी इस स्थलकी व्याख्या भी बहुत स्पष्ट नहीं है । उन्होंने लिखा है—

“ननु गीतशब्दवदेव वाचकशक्तिरनाप्यनुपयोगिनी, यत्तु क्वचिच्छ्रुतेऽपि वाच्ये रसप्रतीतिर्न भवति तत्रोचित प्रकरणावगमादि सङ्घारी नास्तीत्याशङ्क्याह—यदि चेति । प्रकरणावगमो हि क उच्यते, किं वाक्यात्तरसहायत्वम्, अथ वाक्यात्तराणां सम्बन्धवाच्यम् । उभयपरिज्ञानेऽपि न भवति प्रकृतवाक्याथावदनं रसोदयः । स्वयमिति । प्रकरणमात्रमेव परेण केनचित्त्रेया व्याख्यातमिति भावः । न चान्वयव्यतिरिक्तवर्ती वाच्यप्रतीतिमपह्नुत्य, अदृष्टसद्भावभावौ शरणत्वेनाश्रितौ मात्स्यादधिकं किञ्चित् पुष्पीत इत्यभिप्रायः ।”

इस 'यारयामे' लोचनकारने मूलके 'रस्य' पदको भिन्नक्रम मानकर उसे 'अनवधारितप्रकरणानां' के साथ जोड़कर सङ्गति लगानेका प्रयत्न किया है । अर्थात् जिनको रस्य काव्यशब्दोंके वाच्यवाचकभावका ज्ञान नहीं है, जो का शब्दोंके अर्थको नहीं समझते, और अथ न समझनेके कारण स्वयं प्रकरण भी नही समझ सकते परन्तु किसी दूसरने उनको प्रकरण बता दिया है—'प्रकरणमात्रमेव परेण केनचित्त्रेया यारयात', उनको अथ न समझनेपर भी रसकी प्रतीति होनी चाहिये । परन्तु होती नहीं है । इसलिए रसप्रतीतिम वाच्यप्रतीतिमा भी उपयोग है । इस प्रकारकी व्याख्या लोचनकारने की है । उहाके अभिप्रायके अनुसार हमने अनुवाद किया है । क्योंकि अथ सय व्याख्याओंकी अपेक्षा यह व्याख्या अधिक सरल और स्वारसिक व्याख्या है ।

और [दूसरे प्रकारके शब्दोंमें] जहाँ [गीतादिमें] स्वरूपविशेषप्रतीतिमूलक व्यञ्जकत्व है, जैसे गीतादि शब्दोंमें, उनके यहाँ भी स्वरूपविशेषकी प्रतीति और व्यङ्ग्य की प्रतीतिमें क्रम अवश्य रहता है । किन्तु शब्दकी [वाचकत्व और व्यञ्जकत्वरूप अथवा अभिधायजन्यरूप] क्रियाजोम पूर्वपर्य [क्रम], प्रकारात्तरसाध्यफलक क्षिप्रभाषिणी रचनाओंमें वाच्यके अतिरिची तथा अन्य वाच्योंसे विलक्षण रसादि [रूप व्यङ्ग्यके घोघन]में [बहु क्रम] प्रतीत नहीं होता है ।

'तत्तु'से लेकर 'प्रतीयत'पर्यंत पक्षिणी व्याख्या लोचनकारने इस प्रकार की है । ननु

१ 'नियमभावनम' नि० ।

२ 'तत्र तु' नि० ।

कचित्तु लक्ष्यत एष । यथानुरणनरूपव्यङ्ग्यप्रतीतिषु । तत्रापि कथमिति चेदुच्यते । अर्थशक्तिमूलानुरणरूपव्यङ्ग्ये^१ ध्वनौ तावदभिधेयस्य तत्सामर्थ्याक्षिप्तस्य चार्थस्य, अभिधेयान्तरविलक्षणतया, अत्यन्तविलक्षणे ये प्रतीती तयोरशक्यनिष्पत्तौ

सश्वेत क्रम किं न लक्ष्यते इत्याशङ्क्याह । तत्त्विति । क्रियापूर्वापयमित्यनेन क्रमस्य स्वरूपमाह । यदि क्रम है तो मालूम क्यों नहीं पड़ता, एसी शङ्का करके कहते हैं 'तत्तु' इति । 'क्रियापूर्वापर्यं' से क्रमका स्वरूप कहते हैं । 'त्रियेते इति त्रिये वाच्यव्यङ्ग्यप्रतीती, यदि वाभिषायापारो व्यञ्जनापर पयायो ध्वानयापारश्चेति त्रिये ।' 'त्रियेते इति त्रिये' यह 'त्रिये' शब्दकी 'युत्पत्ति है । 'लो की जायें' वे दोनों त्रियाएँ 'त्रिये' हुई । इसमें वाच्य और व्यङ्ग्यप्रतीतिरूप दो त्रियाएँ अथवा अभिषायापार और व्यञ्जना नामक ध्वननयापार ये दो 'त्रिये' शब्दसे ग्रहण की जा सकती हैं । 'तयो पूर्वापर्यं न प्रतीयते ।' उनका पूर्वापर्यक्रम प्रतीत नहीं होता है । 'क ? रसादौ त्रिये । कींश्चि, अभिधेयान्तराद् अभिधेयविशेषाद् विलक्षणे सर्वधैवानभिधेये अनेन भवित य तावत् क्रमेणेत्युत्तम् । तथा वाच्येना विराधिनि, विराधिनि तु लक्ष्यत एवत्यर्थ ।' वहाँ प्रतीत नहीं होता ? रसादि विषयमें । कैसे रसादि म ? अभिधेया तर अथात् अभिधेय विशेषसे भिन्न, अथात् सर्वथा अनभिधेय रसादिमें । इससे यह सूचित किया कि क्रम अवश्य होना चाहिये । तथा वाच्यसे अविरोधी रसादिमें क्रम लक्षित नहीं होता । इसका अर्थ हुआ कि विरोधीमें लक्षित होता है । 'युतो न लक्ष्यते इति निमित्तसप्तमीनिर्दिष्ट हेत्वन्तरगर्भ हेतुमाह । आशु भाविनीष्विति । क्यों नहीं लक्षित होता है इस विषयमें निमित्त सप्तमीसे निर्दिष्ट हेत्वन्तरगर्भ हेतु कहते हैं—'आशुभाविनीषु ।' 'अनन्यसाध्यतत्सल्लसङ्घटनासु, सङ्घटना पूर्वं माधुर्यादिलक्षणा प्रतिपादिता गुणनिरूपणावसरे । ताश्च तत्पला, रसादिप्रतीति फल यासा तथा अनन्यत् तदेव साध्य यासा नहि भोजोपटनाया करुणादिप्रतीति साध्या ।' घटनासे माधुर्यादिका प्रदण करना चाहिये यह बात पहिले गुणनिरूपणके अन्तरपर कह चुके हैं । 'तत्पला' का अर्थ रसादि प्रतीति जिनका फल है यह करना चाहिये । 'अनन्यसाध्य से वही विशेष फल जिनका है अर्थात् ओमके अनुगुणघटनासे करुण आदिकी प्रतीति नहीं हो सकती, यह सूचित किया । 'ननु भवत्वेवं सङ्घटनाना स्थिति, क्रमस्तु किं न लक्ष्यते ? अत आह—आशुभाविनीषु । वाच्यप्रतीतिकालप्रतीक्षणेन विनैव श्रुतिता रसादीन् भावयन्ति तदारवाद् विदधतीत्यथ ।' सङ्घटनाओंकी स्थिति जैसे आप कहते हैं वैसी हो परन्तु क्रम क्यों नहीं मालूम होता ? इसका उत्तरके लिए 'आशुभाविनीषु' कहा है । वाच्यप्रतीतिकी प्रतीक्षा किये बिना ही वह शीघ्रतासे रसादिका आस्वाद करा देती है ।

सलक्ष्यक्रम शब्दशक्तिमूलमें क्रम

कहाँ [सलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यध्वनिके भेदोंमें वाच्य और व्यङ्ग्यका क्रम] दिखलाई देता ही है, 'जैसे अनुरणनरूप [सलक्ष्यक्रम] व्यङ्ग्यध्वनी प्रतीतियोंमें ।' वहाँ भी [अर्थात् सलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यध्वनिमें] कैसे प्रतीत होता है यह प्रश्न करो तो उत्तर यह है कि [सलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यध्वनिके शब्दशक्त्युत्थ और अर्थशक्त्युत्थ दो मुख्य भेद हैं, उन दोनोंमें क्रम लक्षित होता है इस बातको अलग-अलग प्रतिपादन करते हैं] अर्थशक्तिमूल सलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यध्वनिमें अभिधेय [अर्थात् वाच्यार्थ] और उसकी सामर्थ्यसे आक्षिप्त [अर्थात् व्यङ्ग्य] अर्थके अन्य वाच्यार्थोंसे विलक्षण होनेसे यह दोनों जो अत्यन्त

निमित्तनिमित्तिभाव इति स्फुटमेव तत्र पौर्वापर्यम् । यथा प्रथमोद्योते प्रतीयमानार्थ-
सिद्धयर्थमुदाहृतासु गाथासु । तथाविधे च विषये वाच्यव्यङ्ग्ययोरत्यन्तविलक्षणत्वाद्
यैव एकस्य प्रतीति सैवेतरस्येति न शक्यते वक्तुम् ।

शब्दशक्तिमूलानुरणरूपव्यङ्ग्ये तु ध्वनौ—

“गावो व पावनाना परमपरिमिता प्रीतिमुत्पादयन्तु ।”

इत्यादावर्थद्वयप्रतीतौ शाब्द्यामर्थद्वयस्योपमा उपमेयभावप्रतीतिरूपमवाचकपद-
विरहे सति, अर्थसामर्थ्यादाक्षिप्तेति, तत्रापि 'सुलक्ष्मभिधेयव्यङ्ग्यालङ्कारप्रतीत्योः
पौर्वापर्यम् ।

पदप्रकाशशब्दशक्तिमूलानुरणरूपव्यङ्ग्येऽपि ध्वनौ विशेषणपदस्योभयार्थसम्बन्ध-
योग्यस्य योजक पदमन्तरेण योजनमशाब्दमप्यर्थादयस्थितमित्यत्रापि पूर्ववदभिधेयवत्सा-

विलक्षण [वाच्य और व्यङ्ग्यरूप] प्रतीतियों हैं । उनके कार्यकारणभावको छिपाया
नहीं जा सकता है, इसलिए उनमें पौर्वापर्य [क्रम] स्पष्ट ही है । जैसे प्रथम उद्योतमें
प्रतीयमान अर्थकी सिद्धिके लिए उदाहृत ['भ्रम' धामिक' इत्यादि] गाथाओंमें । ऐसे
स्थलोंमें वाच्य और व्यङ्ग्यके अत्यन्त भिन्न होनेसे जो एक [वाच्य या व्यङ्ग्य] की
प्रतीति है वही दूसरे [व्यङ्ग्य या वाच्यकी] प्रतीति है यह नहीं कहा जा सकता है
[अतएव अर्थशक्तिमूल सलक्ष्यक्रम-व्यङ्ग्यध्वनिमें क्रम अवश्य ही मानना होगा] ।

सलक्ष्यक्रम अर्थशक्तिमूलमें क्रम

[सलक्ष्यक्रम-व्यङ्ग्यध्वनिके दूसरे भेद] शब्दशक्तिमूल सलक्ष्यक्रम-व्यङ्ग्यध्वनिमें
“गावो व पावनाना परमपरिमिता प्रीतिमुत्पादयन्तु” इत्यादि [पृष्ठ १२७ पर उदाहृत]
उदाहरणमें, शब्द दो अर्थोंकी [गाव्दी] प्रतीति होनेपर भी, उस अर्थद्वयके उपमानो
पमेयभावकी प्रतीति उपमायाचक पदके अभावमें [वाच्यार्थकी प्रतीतिके बाद] अर्थ
सामर्थ्यसे व्यङ्ग्य ही होती है । इसलिए वहाँ भी अभिधेय [वाच्य] और व्यङ्ग्य
[उपमा] अलङ्कारकी प्रतीतिमें पोषापय [क्रम] स्पष्ट दिखलाई देता है ।

[सलक्ष्यक्रम-व्यङ्ग्यध्वनिके शब्दशक्तिमूल प्रमेदके अतर्गत वाच्यप्रकाश्यके
'गावो व' इत्यादि उदाहरणमें वाच्य और व्यङ्ग्यका क्रम स्पष्ट होनेके अनिश्चित] पद
प्रकाश्य शब्दशक्तिमूल सलक्ष्यक्रम-व्यङ्ग्यध्वनिमें भी [जिसका उदाहरण "प्रातु
घनेरथिजनस्य वाच्छा देवेन सृष्टो यदि नाम नास्ति । पथि प्रसन्नाम्बुधरस्तडाग
कूपोऽयत्र किञ्च जड इतोऽहम् ।" पृष्ठ १५९ पर दिया जा चुका है, उसमें] दोनों अर्थों
[कूप और अहम्] के साथ सम्बन्ध योग्य विशेषण [जड] को, जोटनवाले शब्दके
रिना भी [दोनों और] योजना अशाब्द होते हुए भी अर्थशक्तिसे निश्चित होती है ।
इसलिए वहाँ भी पूव [अथात् वाच्यगत शब्दशक्तिमूलके उदाहरण 'गावो व'] के समान
वाच्य अर्थ [यहाँ जडत्वका दोनों ओर अन्यय दानसे दीपकालङ्कार वाच्य है । 'अभाभि-

मध्याक्षिप्रालङ्कारमात्रप्रतीत्योः सुस्थितमेव पौर्वापर्यम् । आर्ष्येपि च प्रतिपत्तिस्तयाविधे
विषये 'उभयार्थसम्बन्धयोग्यशब्दसामर्थ्यप्रसाधितेति शब्दशक्तिमूला फलप्यते ।

अविवक्षितवाच्यस्य तु ध्वनेः प्रसिद्धस्वविषयवैमुख्यप्रतीतिपूर्वकमेवार्थन्तरप्रकाशन-
मिति नियमभावी क्रम । 'तत्राविवक्षितवाच्यत्वादेव वाच्येन सह व्यङ्ग्यस्य क्रमप्रतीति
विचारो न कृत । तस्मादभिधानाभिधेयप्रतीत्योरिव वाच्यव्यङ्ग्यप्रतीत्योर्निमित्तनिमित्त-
भावान्नियमभावी क्रम । स तूक्तयुक्त्या क्वचिद्व्यस्यते क्वचिन्न लक्ष्यते ।

धेयालङ्कारो दीपकम् जडन्योभयत्रात्रयात् । तत्सामर्थ्याक्षिता चोपमा] और उसकी
सामर्थ्यसे आक्षिप्त अलङ्कारकी प्रतीतियोंमें पौर्वापर्य [क्रम] निश्चित ही है । ऐसे स्थलों
पर [व्यङ्ग्य अलङ्कारादिकी] प्रतीति आर्थी होनेपर भी दोनों ओर सम्बन्धके योग्य
शब्दकी सामर्थ्यसे उत्पन्न होती है, इसलिए शब्दशक्तिमूला मानी जाती है ।

यहाँ निगमसागरीय सस्करणम 'शब्दसामर्थ्यप्रतिप्रसवभूता' और बनारसके सस्करणमें
'प्रसाधिता' पाठ है । इनमें निगमसागरीय सस्करणम 'प्रति' शब्द अधिक जान पड़ता है । उससे तो
अर्थ भी उल्टा हो जाता है । 'प्रसव'का अर्थ उत्पत्ति और 'प्रतिप्रसव'का अर्थ प्रलय होता है ।
इसलिए 'प्रतिप्रसव' पाठ तो असङ्गत है । उमम तो प्रसवपृता पाठ ठीक हो सकता है । वाराणसेय
पाठमें 'प्रसूता'की जगह 'निज'त 'प्रसविता' प्रयोग भी सुसङ्गत नहीं है । परन्तु 'प्रतिप्रसवभूता' जैसा
असङ्गत भी नहीं है । 'प्रसाधिता' पाठ उन दोनोंमें अच्छा है अतः यहाँ मूलम उसी पाठको स्थान
दिया है ।

इस प्रकार विवक्षिता यपरवाच्य [अभिधामूल] ध्वनिसे सम्बन्धमयव्यङ्ग्यभेदके अवान्तर भेद
शब्दशक्तिमूल तथा अशब्दशक्तिमूल दोनोंम क्रम संलक्षित होता है और असलक्ष्यक्रम रसादिम नहीं,
यह दिखला चुके । अब अविवक्षितवाच्य [लक्षणामूल] ध्वनिमें भी क्रम संलक्षित होता है यह
दिखलते हैं—

अविवक्षितावाच्य [लक्षणामूल ध्वनि] में भी क्रम

अविवक्षितवाच्यध्वनि [के अत्यन्ततिरस्कृतवाच्यके उदाहरण 'नि श्यामा'त्र
इवादर्श' और अर्थान्तरसङ्गमितवाच्यके 'रामोऽसि सर्वे सहे' उदाहरण पहिल द्ये
जा चुके हैं उन] में अपने प्रसिद्ध अर्थकी प्रतीतिस विमुख होकर ही अर्थान्तरका
प्रकाशन होता है अतएव क्रम अवश्यम्भावी है । परन्तु वाच्यके अविवक्षित होनेसे ही
वाच्यके साथ व्यङ्ग्यके क्रमकी प्रतीतिका विचार नहीं किया गया है । इसलिए वाचक
ओर वाच्य [शब्द और अर्थ]की प्रतीतियोंके समान वाच्य और व्यङ्ग्यकी प्रतीतियोंमें
कारणकार्यभाव होनेसे क्रम अवश्यम्भावी है । [किन्तु] उक्त प्रकारसे यह [क्रम] कहीं
लक्षित होता है और कहीं [असलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यरसादि ध्वनियोंमें] संलक्षित नहीं
होता है ।

१ 'उभयार्थसम्बन्धयोग्यशब्दसामर्थ्यप्रतिप्रसवभूतेति' नि, दी० । प्रसविता वा० नि० ।

२ 'तत्र स्वविवक्षितवाच्यत्वादेव, दी० । 'तत्रापि विवक्षितवाच्यत्वादेव' नि० ।

तदेवं व्यञ्जकमुखेन ध्वनिप्रकारेषु निरूपितेषु कश्चिद् मूल्यात्, किमिदं व्यञ्जकत्वं नाम ? व्यङ्ग्यार्थप्रकाशनम् ? नहि व्यञ्जकत्व व्यङ्ग्यस्य चार्थस्य^१ । व्यञ्जकसिद्धयधीनं व्यङ्ग्यत्वम्, व्यङ्ग्यधापेक्षया च व्यञ्जकत्वसिद्धिरित्यन्योन्यसंश्रयादव्यवस्थानम् ।

ननु वाच्यव्यतिरिक्तस्य व्यङ्ग्यस्य सिद्धिः प्रागेव प्रतिपादिता । तत्सिद्धयधीना च व्यञ्जकत्वसिद्धिरिति कः पर्यनुयोगावसरः ?

सत्यमेवैतत् । प्रागुक्तयुक्तिभिर्वाच्यव्यतिरिक्तस्य वस्तुन सिद्धिः कृता, स त्वयौ व्यङ्ग्यत्वतयैव कस्माद् व्यपदिश्यते ? यत्र च प्राधान्येनावस्थानं तत्र वाच्यतयैवासा व्यपदेष्टुं युक्तं । तत्परत्वाद् वाक्यस्य^१ । अतश्च तत्प्रकाशिनो वाक्यस्य वाचकत्वमेव व्यापारः, किन्तस्य व्यापारात्तरकल्पनया ? तस्मात् तात्पर्यविषयो योऽर्थः स तावन्मु-

पुनः व्यङ्ग्यव्यञ्जकभावकी सिद्धिः

इस उद्योतके प्रारम्भमें "एव यङ्ग्यमुग्नेनैव ध्वने प्रदर्शिते सप्रभेदे स्वरूपे, पुनर्व्यञ्जकमुखेन प्रकाश्यते" यह प्रतिज्ञा की थी, तदनुसार यहाँतक व्यञ्जकमुखे ध्वनिप्रभेदोंका निरूपण किया। अब उपसंहार करते हुए प्रथम उद्योतमें समर्थित व्यङ्ग्य यञ्जकभावको 'स्थूणांनिखननन्याय' से दृढ़ करनेके लिए फिर पुनराश्रय करते हैं।

[पूर्वपक्ष] इस प्रकार व्यञ्जककी दृष्टिसे ध्वनिके भेदोंका निरूपण करनेपर कोई कह सकता है कि यह व्यञ्जकत्व क्या पदार्थ है ? 'व्यङ्ग्य अर्थका प्रकाशन [ही व्यञ्जकत्व है] ? [सो ठीक नहीं है, क्योंकि] अर्थका व्यञ्जकत्व अथवा व्यङ्ग्यत्व [सिद्ध] नहीं हो सकता। व्यञ्जककी सिद्धिके अधीन व्यङ्ग्यकी [सिद्धि] और व्यङ्ग्यकी दृष्टिसे व्यञ्जककी सिद्धि [हो सकती] है इसलिए अन्यो-याथय होनेसे [दोनों ही] सिद्ध नहीं हो सकते हैं।

[व्यञ्जकत्ववादी उत्तरपक्ष] वाच्यसे अतिरिक्त व्यङ्ग्यकी सिद्धि पहले ही [प्रथम उद्योतमें] प्रतिपादित कर चुके हैं। उसकी सिद्धिके द्वारा व्यञ्जककी सिद्धि हो जायगी इस प्रकार प्रश्न करने [पर्यनुयोग] का कोन सा अवसर है ? [अथात् कोई अवसर नहीं है] ।

[व्यञ्जकत्वप्रतिषेधक भीमासक आदिका पूर्वपक्ष] ठीक है, पहिले कही हुई युक्तियोंसे वाच्यसे भिन्न अर्थकी सिद्धि [आप प्रथम उद्योतमें] कर चुके हैं। [परन्तु प्रश्न यह है कि] उस अर्थको व्यङ्ग्य ही क्या कहते हैं ? [वाच्य क्यों नहीं कहते या फिर वाच्यका भी व्यङ्ग्य क्यों नहीं कहते ? अर्थात् वे दोनों अर्थ समान ही हैं] जहाँ [यह अर्थ] प्रयानरूपसे स्थित है वहाँ उसको वाच्य कहना ही उचित है क्योंकि वाच्य मुख्यतः उसीका प्रतिपादन करता है। इसीलिए उस [अर्थ] के प्रकाशक वाच्यका [उस अर्थके बोधनमें] अभिधा [वाचकत्व] व्यापार ही होता है। [तब] उसके [व्यञ्जकत्व

कृतया वाच्यः । या त्वन्तरा तथाविधे विषये वाच्यान्तरप्रतीतिः सा तत्प्रतीतेरुपायमात्रम्, पदार्थप्रतीतिरिव वाक्यार्थप्रतीतेः ।

अत्रोच्यते—यत्र शब्द स्वार्थमभिधानोऽर्थान्तरमवगमयति तत्र यत्तस्य स्वार्थाभिधायित्वं यच्च तदर्थान्तरावगमहेतुत्वं तयोरविशेषो विशेषो वा ? न तावदविशेषः । यस्मात्तौ द्वौ व्यापारौ भिन्नविषयौ भिन्नरूपौ च प्रतीयेते एव । तथाहि वाचकत्वलक्षणो

नामक] अलग व्यापारकी कल्पना करनेकी क्या आवश्यकता है । इसलिए [वाच्यका] तात्पर्यविषयीभूत जो अर्थ है वह मुख्यार्थ होनेसे वाच्य अर्थ है । और इस प्रकारके स्थलोंमें बीचमें जो दूसरे वाक्यार्थकी प्रतीति होती है वह उस [मुख्य] प्रतीतिका उपायमात्र है, जैसे पदार्थप्रतीति वाक्यार्थप्रतीतिकी [उपायमात्र होती है] ।

यहाँ कुमारिलभट्ट तथा वैयाकरण आदिकी ओरसे यह सामान्य पूर्वपक्ष किया जा सकता है । इस विषयमें 'श्लोकवार्तिक'क 'वाक्याधिकरण'में दी हुई निम्नलिखित कारिकामें 'भट्टमत' इस प्रकार दितलाया है—

“वाक्यार्थमित्ये तेषा प्रवृत्तौ नान्तरियकम् ।

पाके ज्वालके काशाना पदार्थप्रतिपादनम् ॥”

पाके लिए इंधनके ज्वालारूप अवान्तर व्यापार नांतरीयक उपायमात्र है । अर्थात् शब्दोंसे उपस्थित होनेवाले पदार्थोंसे, तात्पर्यरूपसे जिस अथवा प्रतिपादन होता है वही वाक्यार्थ है और वह वाच्य ही है । प्रमाकरके मतमें भी पदार्थ और वाक्यार्थमें 'निमित्तनिमित्तिभाव' है । और "सोऽयमिषोरिव दीधदीघतराऽभिधायापार"के सिद्धान्तके अनुसार एक ही अभिधायापारसे वाच्य और व्यङ्ग्य दोनों अर्थोंकी प्रतीति हो जाती है । विशेष बात यह है कि प्रमाकर 'अन्विताभिधानवादी' हैं इसलिए उनक मतमें पदार्थ और वाक्यार्थका निमित्तनिमित्तिभाव केवल उत्पत्तिकी दृष्टिसे ही है, शक्तिकी दृष्टिसे तो प्रथम वाक्यार्थकी ही प्रतीति हाती है, पदार्थकी नहीं, क्योंकि उनके अविताभिधानवाद की सङ्गति इसमें लग सकती है । प्रमाकर जिस प्रकार उत्पत्तिमें पदार्थ और वाक्यार्थका कारण कायभाव मानते हैं उसी प्रकार वैयाकरण भी मानते हैं । परन्तु प्रमाकरमतका वायकरणभाव पारमार्थिक है और 'स्फोटवादी' वैयाकरणक यहाँ वह अपारमाधिक है । इस प्रकार इन तीनों मतोंकी आरसे यह व्यञ्जकत्वविरोधी सामान्य पूर्वपक्ष किया जा सकता है । आगे इसका उत्तर दत है ।

[सिद्धान्तपक्ष]—इस [पूर्वपक्षके होने] पर यह [सिद्धान्तपक्ष] कहते हैं । जहाँ शब्द अपने अर्थका अभिधासे बोधन करके, दूसरे अर्थका बोध कराता है, वहाँ उस [शब्द] का जो स्वाधका अभिधान करना और परार्थका बोध कराना है, उन दोनोंमें अमेद है अथवा भेद ? अमेद तो कह नहीं सकते हैं । क्योंकि वे दोनों व्यापार विभिन्नविषयक और भिन्नरूप [अलग] प्रतीत हाते ही हैं, जैसे कि शब्दका वाचकत्वरूप व्यापार अपने अर्थक विषयमें और गमकत्वरूप व्यापार दूसरे अर्थके विषयमें हाता है । वाच्य और व्यङ्ग्य अर्थके विषयमें [शब्दक] स्व और पर [अर्थ विषयक] व्यवहारका छिपाया नहीं जा सकता है । [क्योंकि] एक [वाक्यार्थ]की [शब्दक] साथ साक्षात् सम्बन्धित रूपसे प्रतीति होती है और दूसरेकी [शब्दक] सम्बन्धी

व्यापार शब्दस्य स्वार्थविषय, गमकृत्यलक्षणतु अर्थान्तरविषयः । 'न च स्वपरव्यवहारो वाच्यव्यवहारोपपन्नोऽपि शक्यः । एकस्य सम्बन्धित्वेन प्रतीतेरपरस्य सम्बन्धिसम्बन्धित्वेन । वाच्यो ह्यर्थ साक्षाच्छब्दस्य सम्बन्धी, तदितरस्त्वभिधेयसामर्थ्याक्षिप्त सम्बन्धिसम्बन्धी । यदि च स्वसम्बन्धित्व साक्षात्तस्य स्यात् तदार्यान्तरव्यवहार एव न स्यात् । तस्मात् विषयभेदस्तावत् तयोर्न्यापारयो सुप्रसिद्ध ।

रूपभेदोऽपि प्रसिद्ध एव । नहि यैवाभिधानशक्ति सैवावगमनशक्ति । अवाचकस्यापि गीतशब्दादे रसादिलक्षणार्थावगमदर्शनात् । अशब्दस्यापि चेष्टादेरर्थविशेषप्रकाशनप्रसिद्धे । तथाहि "ब्रीह्यायोगान्नतवदनया" इत्यादिश्लोके चेष्टाविशेष सुकविनार्थप्रकाशनहेतु प्रदर्शित एव । तस्माद् भिन्नविषयत्वाद् भिन्नरूपत्वाच्च स्वाधाभिधायित्वमथान्तरावगमहेतुत्व च शब्दस्य यत्, तयो स्पष्ट एव भेद ।

विशेषश्चेत्, न तर्हीदानीमवगमनस्य, अभिधेयसामर्थ्याक्षिप्तस्यार्थान्तरस्य

[अर्थ] के सम्बन्धी [परम्परा-सम्बन्धित] रूपसे प्रतीति होती है । वाच्यार्थ साक्षात् शब्दका सम्बन्धी है और उससे भिन्न दूसरा अर्थ तो वाच्यार्थकी सामर्थ्यसे आक्षिप्त सम्बन्धि-सम्बन्धी [परम्परा या शब्दसे सम्बद्ध] है । यदि उस [वाच्यार्थसे भिन्न अर्थ] का [शब्दके साथ] साक्षात् स्वसम्बन्धित्व [शब्दसम्बन्धित्व] हो तो उसमें [अर्थान्तर, वाच्यार्थसे भिन्न] दूसरा अर्थ, यह व्यवहार ही न हो । इसलिए [स्वाध्यायविषयमें वाच्यव्यवहार और पराध्यायविषयमें व्यङ्ग्यव्यवहार होनेसे] उन दोनों व्यापारोंका विषय भेद प्रसिद्ध ही है ।

स्वरूपभेद भी व्यञ्जकत्वसाधक

[वाच्य और व्यङ्ग्यका स्वरूपभेद भी प्रसिद्ध ही है ।] जो [शब्दकी] अभिधान [वाचक] शक्ति है वही अग्रगमन [व्यञ्जक] शक्ति नही है । क्योंकि जो गीत आदिके शब्द वाचक नहीं [अभिधाशक्ति रहित] है, उनसे भी रसादिरूप अर्थकी अग्रगति होती है । और [न केवल अभिधारहित अपितु] शब्दप्रयोगरहित केवल चेष्टादिसे भी अर्थविशेषका प्रकाशन प्रसिद्ध है । जैसे 'ब्राह्म्यागात्रतवदनया' [पृष्ठ १५०] इत्यादि श्लोकमें सुकविने चेष्टाविशेषको अर्थप्रकाशनका हेतु दिखलाया ही है । इसलिए भिन्न विषय और भिन्नस्वरूप होनेसे शब्दके जो 'अर्थाभिधायित्व' और 'अर्थांतरावगमहेतुत्व' हैं उनका भेद स्पष्ट ही है [इसलिए शब्दके स्वाधीन्यायित्व और अर्थांतरावगमहेतुत्वको अविशेष भिन्न नहीं मान सकते हैं] ।

[स्वाधीन्यायित्व तथा परार्थावगमहेतुत्वरूप शब्दधर्ममें] यदि विशेष [भेद]

१ 'यत् स्वपरव्यवहारो वाच्यव्यवहारोपपन्नोऽपि शक्यः' दी० । 'तत् स्वपरव्यवहारो वाच्यव्यवहारोपपन्नोऽपि शक्यः' नि० । -

२ 'अवगमनीयस्य' दी० ।

वाच्यत्वव्यपदेश्यता । शब्दव्यापारगोचरत्वं तु तस्यास्माभिरिष्यत एव, तत्तु व्यङ्ग्यत्वे-
नैव, न वाच्यत्वेन । प्रसिद्धाभिधानान्तरसम्बन्धयोग्यत्वेन च तस्यार्थांतरस्य^१ प्रतीतेः
शब्दान्तरेण स्वार्थाभिधायिना यद्विपर्ययकरणं तत्र प्रकाशनात्तिरेव युक्तम् ।

है तो फिर अथगमन [अर्थात् व्यङ्ग्य] और रूप, अभिधेय सामर्थ्यसे आक्षिप्त दूसरे
अर्थको वाच्य नामसे कहना उचित नहीं है । [उस वाच्यसामर्थ्याक्षिप्त] अथका शब्द-
व्यापारका विषय होना तो हमें अभिमत ही है, परन्तु व्यङ्ग्यरूपसे न कि वाच्य
रूपसे । क्योंकि उस दूसरे [वाच्यव्यतिरिक्त] अर्थकी प्रतीति [जिस व्यञ्जक अथावक
शब्दसे इस समय उसका बोध कराया गया है उससे भिन्न, अन्य] प्रसिद्ध वाचक
शब्दके सम्बन्धसे भी हो सकती है । इसलिए [किसी अर्थको अपने वाचक शब्दसे न
कहकर] अभिधाशक्तिसे अपने दूसरे अर्थके वाचक [अर्थात् जिसका मुख्यार्थ कुछ
और हो इस प्रकारके किसी] दूसरे शब्द द्वारा जो [व्यङ्ग्यवार्थको] बोधका विषय
यनाना है उसके लिए 'प्रकाशन' कहना ही उचित है [वाच्य या वाचक आदि कहना
उचित नहीं है । इसलिए व्यङ्ग्य और व्यञ्जक शब्दका प्रयोग ठीक ही है ।] ।

भट्टादिके पदार्थवाक्यार्थन्यायका खण्डन

अभी ऊपर पृष्ठ २५४ पर "लोकवातिककी 'वाक्यार्थमितये' इत्यादि कारिका उद्धृत करके
वाच्य और 'यद्ग्य अथवा पदार्थवाक्यार्थ' याय' दिखलाया था । जैसे पाकके उत्पादनमें काष्ठोका
ज्वालारूप अवांतर व्यापार होता है उसी प्रकार और तथाकथित व्यङ्ग्या^२ का बोध तात्पर्याख्या शक्ति
द्वारा हो सकता है । पदोंसे वाक्याभोध होनेमें पदाभोध अवांतर व्यापारमात्र है । तात्पर्याख्या
शक्तिको माननेवाले अमिहितायवादी भट्टमतमें इस मतका खण्डन करनेके लिए पूर्वोक्त पदार्थ-
वाक्यार्थन्यायका ही आगे खण्डन करते हैं । खण्डनमें पहिली बात तो यह है कि 'स्वोत्वादी'
वैचारण तो इस पदपदार्थ और वाक्याथविभागको ही असत्य—अपारमार्थिक मानते हैं—

पदे न वणा विप्रते वर्णेष्ववयवा न च ।

वाक्यात् पटानामत्यन्तप्रविशेको न कश्चन ॥—वै० भू०

यह सब पदपदार्थकल्पना असत्य है, केवल बालकोंके शिक्षणके लिए ही उसका उपयोग है ।
अखण्ड 'स्फाट' ही सत्य है । इसलिए वैचारणमतके अनुसार 'पदार्थवाक्याथयाय' नहीं बन
सकता है । जो कुमारिभट्ट आदि इस पदपदार्थ आदि 'यवहारको असत्य नहीं मानते हैं उनके
मतम भी घट और उनसे उपादान अथवा समवायिकरणका न्याय यहाँ लागू होगा । घटके उपादान
कारण या समवायिकरण कपाल है । जब घट बन जाता है तब उसके उपादान या समवायिकरण
कपाल अलग प्रतीत नहीं होते । इसी प्रकार वाक्य बन जानपर पदोंकी, और वाक्याथप्रतीतिमें
पदार्थकी प्रतीति अलग नहीं होगी । यह भी अभीष्ट नहीं है इसलिए भट्ट, नैयायिक, प्रमाकर
आदिक मतम भी 'पदार्थवाक्याथयाय' नहा बन सकता है । बौद्धदयान क्षणभङ्गवादी है । उसमें
पदोंका अस्तित्व ही नहीं बनता है जोर सारयसिद्धात्मम भी वाक्यार्थप्रतीतिकालमें पदार्थ विरोहित
हो जाते हैं । इस प्रकार किछा दार्शनिक मतमें 'पदाथवाक्याथयाय' नहीं बन सकता है यह
बात कहते हैं—

१ 'तस्यार्थांतरस्य च प्रतीते' दी०, नि० ।

न च पदार्थवाक्यार्थन्यायो वाच्यव्यङ्ग्ययो । यत पदार्थप्रतीतिरसस्यैवेति^१
 कैश्चिद् विद्वद्भिरास्थितम् । यैरप्यसत्यत्वमस्या ताभ्युपेयते तैर्वाक्यार्थपदार्थयोर्घटतदुपादान-
 कारणन्यायोऽभ्युपगतव्य । यथा हि घटे निष्पन्ने तदुपादानकारणानां न प्रथगुपलम्भस्त-
 यैव वाक्ये तदर्थे वा प्रतीते पदतदर्थानाम् । तेषां तथा विभक्तयोपलम्भे वाक्यार्थबुद्धिरेव
 दूरीभवेत् । न त्वेष वाच्यव्यङ्ग्ययोर्न्याय । न हि व्यङ्ग्ये प्रतीयमाने वाच्यबुद्धिर्दूरी-
 भवति । वाच्यावभासाविनाभावेन तस्य प्रकाशनानि ।

तस्माद् घटप्रदीपन्यायस्तयो । यथैव हि प्रदीपद्वारेण घटप्रतीतावुत्पन्नाया न
 प्रदीपप्रकाशो निवर्तते तद्वद् व्यङ्ग्यप्रतीती वाच्यावभास ।

यत्तु प्रथमोद्योते “यथा पदार्थद्वारेण” इत्याद्युक्तं तदुपायत्वमात्रात् साम्य-
 विवक्षया ।

वाच्य और व्यङ्ग्यका पदार्थ वाक्यार्थ न्याय भी नहीं है । क्योंकि कुछ विद्वान्
 [वैयाकरण] पदार्थप्रतीतिको असत्य ही मानते हैं । जो [भट्ट, नैयायिक आदि] इसको
 असत्य नहीं मानते हैं उनको वाक्यार्थ तथा पदार्थमें घट और उसके उपादान [समवायि
 कारण] का न्याय मानना हागा । जैसे घटके बन जानेपर उसके उपादानकारणों
 [समवायिकारण कपालों] की अलग प्रतीति नहीं होती इसी प्रकार वाक्य अथवा
 वाक्यार्थके प्रतीति हो जानेपर [कमल] पद और पदार्थकी अलग प्रतीति नहीं होती ।
 [तय पदाथ वाक्याथ न्याय कैसे बनेगा ?] उस समय [वाक्यप्रतीतिकालमें पदों, और
 वाक्यार्थप्रतीतिकालमें पदार्थोंकी] उनकी पृथक् रूपसे प्रतीति माननपर वाक्यार्थबुद्धि
 ही नहीं रहेगी । [क्योंकि एक सम्पूर्ण अर्थको बाधन करनेवाले पदसमुदायका ही
 वाक्य कहते हैं । ‘अर्थकत्वाद्वाक्यम’ इत्यादि जैमिनीय सूत्रके अनुसार अर्थका
 एकत्व होनेपर ही वाक्यत्व होता है । इसलिए पदार्थ और वाक्यार्थकी अलग प्रतीति
 नहीं मानी जा सकती है । और जब अलग प्रतीति नहीं होती है तब पदार्थ वाक्यार्थ
 न्याय’ भी नहीं उन सकता है] वाच्य और व्यङ्ग्यमें यह बात नहीं है । व्यङ्ग्यकी
 प्रतीति होनेपर वाच्यबुद्धि दूर हो जाय सो नहीं है । व्यङ्ग्यप्रतीति वाच्यप्रतीतिकी
 अविनाभाविनी [वाच्यप्रतीतिके बिना व्यङ्ग्यप्रतीति हो नहीं सकती है] रूपमें
 प्रकाशित होनी है ।

सिद्धान्तपक्षमें घट प्रदीपन्याय

इसलिए उन दोनों [वाच्य और व्यङ्ग्यप्रतीतियों]में घट प्रदीपन्याय लागू
 होता है । [अथात्] जैसे प्रदीप द्वारा घटकी प्रतीति हो जानेपर भी प्रदीपकी प्रतीति
 नष्ट नहीं हो जाती [यह भी होती रहती है] इसी प्रकार व्यङ्ग्यकी प्रतीति हो जानेपर
 भी वाच्यकी प्रतीति होती रहती है ।

[यहाँ प्रश्न यह होता है कि “यथा पदार्थद्वारेण वाक्यार्थ सम्प्रतीयते ।
 वाक्यार्थपूर्विका तद्वत् प्रतिपत्तस्य घस्तुन ।” प्रथम उदात्तकी इस दसवीं कारिकासे

१ ‘अस्यवति’ नि०, सू० ।

२ ‘तदुपायावभासस्य विवक्षया’ नि०, सू० ।

नन्वेव युगपदर्थद्वययोगित्व वाक्यस्य प्राप्तम्, तद्भावे च तस्य वाक्यतैव विघटते । तस्या ऐकार्थ्यलक्षणत्वात् ।

नैप दोष । गुणप्रधानभावेन तयोर्व्ययस्थानात् । व्यङ्ग्यस्य हि क्वचित् प्राधान्य वाच्यस्योपसर्जनभाव । क्वचिद्वाच्यस्य प्राधान्यमपरस्य गुणभाव । तत्र व्यङ्ग्यप्राधान्ये ध्वनिरित्युक्तमेव । वाक्यप्राधान्ये तु प्रकारांतर निदक्ष्यते । तस्मात् स्थितमेतत् व्यङ्ग्यपरत्वेऽपि काव्यस्य न व्यङ्ग्यस्याभिधेयत्वमपितु व्यङ्ग्यत्वमेव ।

किञ्च व्यङ्ग्यस्य प्राधान्येनाविधक्षाया वाच्यत्व तावद् भवद्विर्नाभ्युगन्तव्यमतत्परत्वान्छब्दस्य । तदस्ति तावद् व्यङ्ग्य' शब्दाना कश्चिद् विषय इति । यत्रापि तस्य प्राधान्य तत्रापि किमिति तस्य स्वरूपमपह्नूयते । एव तावद् वाचकत्वादन्यदेव व्यञ्जकत्वम् ।

वाच्य और व्यङ्ग्यमें पदार्थवाक्यार्थ-याय आपके मतसे भी प्रतीत होता है । फिर यहाँ उसीका स्पण्डन कैसे किया है । इसका समाधान करते हैं] प्रथम उद्योतमें जो 'यथा पद्माथद्वारेण' इत्यादि कहा है वह फेवल [जैसे पदार्थबोध, वाक्यार्थबोधका उपाय होता है इसी प्रकार वाच्यार्थबोध, व्यङ्ग्यार्थप्रतीति का उपाय होता है इस] उपायत्वरूप सादृश्यता कथन करनेकी इच्छासे ही लिखा था [वैसे पदार्थ वाक्यार्थ न्याय हमको यहाँ अभिमत नहीं है] ।

यह 'पद्माथ-वाक्याथ न्याय'का पूर्वपक्ष तात्पराशक्तिसे व्यङ्ग्यबोधने निराकरणके अभिप्रायसे उपाय है । इसके पूर्व अभिप्राशक्तिसे व्यङ्ग्य अथवा बोधना निराकरण किया था । पदार्थसे वाक्यार्थबोध तात्पराशक्तिसे होता है, उसका निराकरणत्र लिए इस पक्षको उठाकर निरूपण किया है ।

[प्रश्न—पूर्वपक्ष यदि घटप्रदीप-यायसे वाच्यार्थ और व्यङ्ग्यार्थ दोनोंकी प्रतीति मानेंगे तो] इस प्रकार वाक्यके एक साथ दो अर्थ होने लगेंगे और ऐसा होनेपर उसका वाक्यत्व ही नहीं रहेगा, क्योंकि एकार्थत्व ही उस [वाक्य] का लक्षण है ।

[उत्तर] यह दोष नहीं आता है, क्योंकि उन [वाच्य तथा व्यङ्ग्य अर्थ] की गुण और प्रधानरूपसे व्यवस्था है । वहाँ व्यङ्ग्यका प्राधान्य और वाच्यार्थ उपसर्जन [गोण] रूप होता है और वहाँ वाच्य अर्थका प्राधान्य तथा व्यङ्ग्य अर्थका गुणभाव होता है । उनमेंसे व्यङ्ग्यका प्राधान्य होनेपर ध्वनि [वाच्य] होता है यह कह ही चुके हैं । और वाच्यका प्राधान्य होनेपर दूसरा प्रकार [गुणीभूत-व्यङ्ग्य] होता है यह आगे कहेंगे । इसलिए यह सिद्ध हो गया कि काव्यके व्यङ्ग्यप्रधान होनेपर भी व्यङ्ग्य अर्थ अभिधेय नहीं अपितु व्यङ्ग्य ही होता है ।

इसके अतिरिक्त जहाँ व्यङ्ग्यका प्राधान्य प्रिवक्षित नहीं है वहाँ शब्दके तत्पर [गुणीभूतव्यङ्ग्य] प्रतिपादनपरक न होनेसे उस [गुणीभूत-व्यङ्ग्य अर्थ] को आप वाक्यार्थ नहीं मानेंगे । उस दशामें [यह मानना ही होगा कि] शब्दका कोई व्यङ्ग्य अर्थ भी है [जो शब्दके तत्पर न होने, अर्थात् गुणीभूत होनेसे, वाच्य नहीं है अत व्यङ्ग्य है] और जहाँ उस [व्यङ्ग्य] का प्राधान्य है वहाँ उसके स्वरूपना निषेध किस लिए करते हैं । इस प्रकार वाचकत्वसे व्यञ्जकत्व अलग ही है ।

इतश्च वाचकत्वाद् व्यञ्जकत्वस्यान्यत्वम्, यद्वाचकत्वम् शब्दैकाश्रयमितरत्तु शब्दाश्रयमर्थाश्रय च । शब्दार्थयोर्द्वयोरपि व्यञ्जकत्वस्य प्रतिपादितत्वान् ।

गुणवृत्तिस्तूपचारेण लक्षणया चोभयाश्रयापि भवति । किन्तु ततोऽपि व्यञ्जकत्व स्वरूपतो विषयतश्च भिद्यते । रूपभेदस्तावदयम्, यदमुख्यतया व्यापारो गुणवृत्ति प्रसिद्धा । व्यञ्जकत्व तु मुख्यतयैव शब्दस्य व्यापार । नह्यर्थाद् व्यङ्ग्यत्रयप्रती-
तिर्या तस्या अमुख्यत्वं मनागपि लक्ष्यते ।

आश्रयभेदसे व्यञ्जकत्वकी सिद्धि

इसलिए भी वाचकत्वसे व्यञ्जकत्व भिन्न है, क्योंकि वाचकत्व केवल शब्दके आश्रित रहता है और व्यञ्जकत्व शब्द और अर्थ दोनोंमें रहता है । [क्योंकि] शब्द और अर्थ दोनोंका व्यञ्जकत्व प्रतिपादन किया जा चुका है ।

लक्षणा तथा गौणीवृत्तिसे व्यञ्जकत्वका भेद

इस प्रकार यहाँतक यह सिद्ध किया कि अभिधाशक्ति और तात्पयाशक्तिसे भिन्न व्यञ्जकत्व या ध्वनन व्यापार अलग ही है । आग लक्षणा और मीमांसकाभिमत गौणीवृत्तिसे उसके भेदका प्रतिपादन करते हैं ।

मुख्य वाचक शब्दसे व्यञ्जक शब्दका भेदनिरूपण करके अब अमुर्यार्थक शब्दसे भी व्यञ्जक शब्दका भेद दिखलाते हैं । अमुर्य शब्द यवहार, मुर्यार्थ बाधित होनेपर साहच्येतर सम्बन्धसे लक्षणा द्वारा, अथवा साहच्यसम्बन्धसे उपचार द्वारा, दो प्रकारसे होता है । अतएव अमुख्यसे भेद दिखलानेमें लक्षणा और गौणीवृत्तिसे भेद दिखलाना अभीष्ट है । अभिधा और तात्पयाख्यावृत्तिसे इसके पूर्व भेद दिखला चुके हैं । इस प्रकार अब सब वृत्तियोंसे व्यञ्जकत्वका भेद सिद्ध हो जानेसे व्यञ्जकत्वको अलग मानना ही हागा यही प्रयोज्य अभिप्राय है ।

वाचकत्वसे व्यञ्जकत्वका भेद दिखलाते हुए जो अंतिम युक्ति दी थी कि वाचकत्व केवल शब्दाश्रित रहता है और व्यञ्जकत्व शब्द तथा अर्थ दोनोंमें आश्रित रहता है वहीसे गुणवृत्तिका सम्बन्ध जोड़कर प्यपत्त उठाते हैं कि गुणवृत्ति या लक्षणा तो शब्द और अर्थ दोनोंमें रहती है तब उससे व्यञ्जकत्वका क्या भेद है ? उसका उत्तर यह कहते हैं कि उपचार तथा लक्षणसे शब्द तथा अर्थ उभयमें आश्रित होनेपर भी स्वरूपभेद तथा विषयभेदसे व्यञ्जकत्व उनसे भिन्न ही है ।

प्रथमी 'गुणवृत्तिस्तूपचारेण लक्षणया चोभयाश्रयापि भवति' इस पक्षके अधर्म थोड़ी भ्रांति हो सकती है । उसका अनुसार 'उभयाश्रया'के अर्थका उपचार और लक्षणा इन दोनोंका ग्रहण उभय शब्दसे किया जा सकता है । परंतु वास्तवमें 'उभय' शब्दसे 'शब्द' और 'अर्थ'का ग्रहण अभीष्ट है । इसलिए लोचनकारने 'उभयाश्रयापि वा दयाश्रया' लिखकर उसकी व्याख्या की है ।

गुणवृत्ति तो उपचार [साहच्यसम्बन्धसे अमुर्यार्थमें प्रयोग] तथा लक्षणा [साहच्येतर सम्बन्धसे अमुर्यार्थमें प्रयोग]से दोनों [शब्द तथा अर्थ उभय]में आश्रित होती है किन्तु उससे भी स्वरूपभेद और विषयभेद व्यञ्जकत्वका भेद है । स्वरूपभेद तो यह है कि अमुर्यतया [अथवा वीरन करानेवाला] शब्दव्यापार गुणवृत्ति [नामस] प्रसिद्ध है, और व्यञ्जकत्व मुख्यतया [अर्थबोधक] व्यापार है, जो तीन प्रकारके

अयं चान्यः स्वरूपभेद, यद् गुणवृत्तिरमुख्यत्वेन व्यवस्थित^१ वाचकत्वमेवोच्यते । व्यञ्जकत्व तु वाचकत्वादत्यन्त विभिन्नमेव । एतच्च प्रतिपादितम् ।

अयं चापरो रूपभेदो यद् गुणवृत्तौ 'यदार्थोऽर्थान्तरमुपलक्ष्यति, तदोपलक्षणीया र्थात्मना परिणत एनासी सम्पद्यते । यथा 'गङ्गाया घोष' इत्यादी । व्यञ्जकत्वमार्गे तु यदार्थोऽर्थान्तर द्योतयति तदा स्वरूप प्रकाशयन्नेवासावन्यस्य प्रकाशक प्रवीयते प्रदीपयत् । यथा "लीलाकमल्पत्राणि गणयामास पार्वती" इत्यादी ।

यदि च यत्रातिरस्मृतस्वप्रतीतिरर्थोऽर्थान्तर लक्ष्यति तत्र लक्षणाव्यवहार

[रसाधिष्मिन्, चस्तुध्वनि तथा अलङ्कारध्वनि] व्यङ्ग्योक्ती प्रतीति होती है उसका अर्थ [वान्यार्थ]से किसी प्रकार तनिक भी अमुख्यत्व नहीं दिखलाई देना है ।

और दूसरा स्वरूपभेद यह है कि अमुख्य रूपसे स्थित वाचकत्व ही गुणवृत्ति है और व्यञ्जकत्व वाचकत्वसे अत्यन्त भिन्न होता है । यह कह चुके हैं ।

और [तीसरा] रूपभेद यह है कि 'गुणवृत्ति'में जब एक अर्थ [का वाचक शब्द] दूसरे अर्थको लक्षणा द्वारा बोधित करना है तब [जहत्स्वार्था या लक्षण लक्षणामें] लक्षणीय अर्थरूपमें परिणत होकर ही लक्ष्यार्थ होता है । जैसे 'गङ्गाया घोष' में [गङ्गा पद अपने अर्थको छोड़कर तटरूपमें परिणत होकर ही तट अर्थको बोधन करता है ।] व्यञ्जकत्वकी पद्धतिमें जब अर्थ दूसरे अर्थको अभि-यत्त करता है तब प्रदीपके समान वह अपने स्वरूपको प्रकाशित करता हुआ ही अन्य अर्थका प्रकाशक होता है । [अर्थात् जहत्स्वार्था लक्षणामें गङ्गा पद अपने मुख्य अर्थको सत्रधा छोड़कर तटरूप अर्था-तरका बोधक होता है, व्यञ्जक शब्द अपने सत्राधको भी प्रकाशित करता हुआ अर्था-तरका बोधक होता है यह तीसरा भेद है जिससे व्यञ्जकत्व गुणवृत्तिसे अलग है ।] जैसे 'लीलाकमल्पत्राणि गणयामास पार्वती मं [पहिले मुख्यार्थका बोध होता है और उसके बाद वह वाच्यार्थ, व्यङ्ग्य लज्जा अथवा अपहित्यारूप शृङ्गाराह को अभि-यत्त करता है] ।

लक्षणामें भी अजहत्स्वार्था अथवा उपादानलक्षणा नामक एक ऐसा भेद होता है कि जिसमें शब्द अपने मुख्यार्थका तिरस्कार या परित्याग किये बिना ही अर्था-तरका बोधक होता है । इसलिए जहत्स्वार्था अथवा उसपर आश्रित अत्यन्ततिरस्मृतवाच्यध्वनिम गुणवृत्ति और व्यञ्जकत्वके स्वरूपका अभेद भले ही न हो पर तु अजहत्स्वार्था लक्षणा और उसपर आश्रित अर्था-तरसङ्घमित वाच्यध्वनिम तो गुणवृत्ति और व्यञ्जकत्व अमिन्न या एक ही हैं । इस पूर्वक्षरों उठाकर उसका स्पष्टन करते हैं—

और यदि जहाँ [अजहत्स्वार्था उपादानलक्षणा अथवा अर्था-तरसङ्घमित वाच्यध्वनिमें] अर्थ, अपनी प्रतीतिका परित्याग किये बिना अर्था-तरको लक्षित करता है वहाँ लक्षणा-व्यवहार [ही] करें तब तो फिर [अभिधाने भी स्थानपर] लक्षणा ही

१ 'व्यवहित' नि०, दी० ।

२ 'पदार्थो' नि०, दी० ।

क्रियते, तदेव सति लक्षणैव मुख्य शब्दव्यापार इति प्राप्तम् । यस्मात् प्रायेण^१ वाक्यानां वाच्यव्यतिरिक्ततात्पर्यविषयाथावभासित्वम् ।

ननु त्वत्पक्षेऽपि यदार्थो व्यङ्ग्यत्रय प्रकाशयति तदा शब्दस्य कीदृशो व्यापार ?

उच्यते—प्रकरणाद्यच्छिन्नशब्दवशेनैवार्थस्य तथाविध व्यञ्जकत्वमिति शब्दस्य तत्रोपयोग । अस्त्रलङ्घित्व समयानुपयोगित्व पृथगवभासित्वञ्चेति त्रय कथमप-
ह्यते ।

शब्दका मुख्य व्यापार हे यह आ जाता है । क्योंकि अधिकांश वाक्य [स्वार्थका परित्याग किये विना भी] वाच्यसे भिन्न तात्पर्यत्रिणीभूत अर्थके प्रकाशक होते हैं ।

[प्रश्न] आपके मतमें भी जब अर्थ [रस्मात्, अलङ्कार तथा वस्तुरूप] व्यङ्ग्यत्रय को प्रकाशित करता है तो शब्दका किस प्रकारका व्यापार होता है ।

[उत्तर] प्रकरण आदि सहज शब्दकी सामर्थ्यसे ही अर्थमें उस प्रकार [रसादि] का व्यञ्जकत्व होता है, इसलिए उसमें शब्दका उपयोग होता है । [और उसमें] अस्त्रलङ्घित्व, समय अर्थान् सङ्केतग्रहके अनुपयोगित्व और पृथगवभासित्वको किस प्रकार छिपाया जा सकता है ?

प्रश्नकर्त्ताका आशय है कि शब्दके, अर्थके राधानमें, दो ही प्रकारके व्यापार ही सकते हैं, एक तो मुख्य और दूसरा अमुख्य । आपने मतम जब 'अथ' व्यक्त होता है वहाँ भी शब्दका या तो मुख्य या अमुख्य इनमेंसे ही कोई एक व्यापार होगा । जब अर्थके प्रकाशनमें मुख्य व्यापार होता है उसीको वाचकत्व कहते हैं और जब अमुख्य व्यापार होता है उसीको गुणवृत्ति कहते हैं । इसलिए आपके अभिमत अर्थके प्रकाशनमें भी या तो वाचकत्व अथवा गुणवृत्ति इन दोनोंमेंसे ही कोई एक प्रकारका व्यापार मानना होगा । इनके अतिरिक्त व्यञ्जकत्वादिरूप और कोई तीसरा प्रकार नहीं हो सकता है ।

उत्तरका अभिप्राय यह है कि वह व्यापार तो मुख्य ही होता है परन्तु सामग्रीभेदसे वह वाचकत्वसे अलग है । यहाँ प्रायः जितना स्पष्ट है उत्तर उतना ही अस्पष्ट है । लौकिककारने जो "मुख्य एतामी व्यापार सामग्रीभेदाच्च वाचकादतिरिच्यत इत्यभिप्रायेणाह उच्यते इति" लिखकर जा राख्य की है यह पूर्ण स्पष्ट समाधानकारक नहीं है । भेदको स्पष्ट करनेके लिए गुणवृत्ति और व्यञ्जकत्वमें मुख्यतः तीन प्रकारके रूपभेद प्रतिपादित किये हैं ।

१—अमुख्य व्यापार गुणवृत्ति और मुख्य व्यापार व्यञ्जकत्व है । यहाँ मुख्य अमुख्यका अभिप्राय अस्त्रलङ्घित्व और स्त्रलङ्घित्वम है । इसका आशय यह है कि गुणवृत्तिमें स्त्रलङ्घित्व अर्थात् बाधितार्थ होकर शब्द दूसरे अर्थका बोधक होता है परन्तु व्यञ्जकत्वमें स्त्रलङ्घित्व अथवा बाधिताथ होना आवश्यक नहीं है । यह गुणवृत्ति और व्यञ्जकत्वका पहिला रूपभेद है । गुणवृत्तिमें अन्तर्गत उपचार और रक्षणा दोनों आ जात है । लक्षणवादि रूप पर शब्दाधित्व गुण यन्त्रक गुण यन्त्रक उपचार और अर्थाधित्व अमुख्य व्यन्त्रक रक्षणा रूप, ये दोनों गुणवृत्ति हैं । इन दोनोंमें शब्द स्त्रलङ्घित्व होता है और व्यञ्जकत्वमें नहीं, इस कारण व्यञ्जकत्व उन दोनोंमें भिन्न है ।

विषयभेदोऽपि गुणवृत्तिव्यञ्जकत्वयोः स्पष्ट एव । यतो व्यञ्जकत्वस्य रसाद्यो अलङ्कारविशेषा व्यङ्ग्यरूपावच्छिन्नं वस्तु चेति त्रयं विषयः^१ । तत्र रसादिप्रतीति-
गुणवृत्तिरिति न केनचिदुच्यते, न च शक्यते वक्तुम् । व्यङ्ग्य-यालङ्कारप्रतीतिरपि सयैव ।
वस्तु^२ चारुत्वप्रतीतये स्वशब्दानभिधेयत्वेन यत् प्रतिपादयितुमिच्छते^३ तद् व्यङ्ग्यम् । तच्च
न सर्वं गुणवृत्तेर्विषय । प्रसिद्ध-धनुरोधाभ्यामपि गौणानां शब्दानां प्रयोगदर्शनात् ।
तयोक्तं प्राक् । यदपि च 'गुणवृत्तेर्विषयस्तदपि च व्यञ्जकत्वानुप्रवेशेन । तस्माद्
गुणवृत्तेरपि व्यञ्जकत्वस्यात्यन्तविलक्षणत्वम् । वाचकत्वगुणवृत्तिविलक्षणस्यापि च तस्य
तदुभयाश्रितत्वेन व्यवस्थानम् ।

२—गुणवृत्ति और व्यञ्जकत्वका दूसरा भेद यह दिखलाया कि अमुरय रूपसे स्थित वाचकत्व ही गुणवृत्ति होता है । अर्थात् उद्यमं किसी न किसी रूपसं सङ्केतप्रहका प्रयोग होता है । इसीसे लक्षणाको 'अभिधापुच्छभूता' कहा है । परंतु व्यञ्जकत्वमें सङ्केतप्रहका उपयोग नहीं होता है ।

३—गुणवृत्ति और 'यञ्जकत्वका तीसरा भेद यह दिखलाया है कि गुणवृत्तिमें शक्यार्थ और लक्ष्यार्थका अभेद प्रतीत होता है, और 'यञ्जकत्वमें वाच्य और 'यङ्ग्यका अभेद नहीं, भेद होता है । दोनोंकी अलग अलग प्रतीति होती है ।

इस प्रकार इन तीन रूपोंसे गुणवृत्ति तथा 'यञ्जकत्वका स्वरूपभेद प्रतिपादन कर अब विषय भेदसे भी उन दोनोंका भेद दिखलाते हैं ।

गुणवृत्ति और व्यञ्जकत्वका विषयभेद भी स्पष्ट ही है । क्योंकि व्यञ्जकत्वके विषय 'रसादि', 'अलङ्कार' और व्यङ्ग्यरूप 'वस्तु' ये तीन हैं । उनमेंसे रसादिकी प्रतीतिको कोई भी गुणवृत्ति नहीं कहता है, और न कह ही सकता है । व्यङ्ग्य अलङ्कारकी प्रतीति भी ऐसी ही है [अर्थात् उसको न कोई गुणवृत्ति कहता है और न कह सकता है] । चारुत्वकी प्रतीतिके लिए वाच्यमिश्र [स्वशब्दानभिधेयत्वेन] रूपसे जिसका प्रतिपादन इष्ट हो वह 'वस्तु' व्यङ्ग्य है । वह सब गुणवृत्तिका विषय नहीं है । क्योंकि प्रसिद्ध [अर्थात् रुढिचरा लावण्य आदि शब्द] और अनुरोध [अर्थात् व्यवहारके अनुरोधसे 'वदति त्रिसिनीपत्रशयनम्' आदिमें] भी गौण शब्दोंका प्रयोग देखा जाता है । जैसा कि यहिले कह चुके हैं । और जहाँ ['गङ्गाया घोष' इत्यादि प्रयोजनधर्मी लक्षणामें शैत्यपायनत्वका अतिशय] गुणवृत्तिका विषय होता भी है वहाँ व्यञ्जकत्वके अनुप्रवेशसे [वस्तु-यङ्ग्य गुणवृत्तिका विषय] होता है । इसलिए गुणवृत्तिसे भी व्यञ्जकत्व अत्यन्त मिश्र है । वाचकत्व तथा गुणवृत्तिसे विलक्षण [मिश्र] होनेपर भी उन दोनों [वाचकत्व तथा गुणवृत्ति]के आश्रय ही उस [व्यञ्जकत्व]की स्थिति होती है ।

१ 'अस्त्रलक्षितैव समयानुपयोगित्वं पृथगवभासित्वं चेति त्रय' इत्यादि पाठ नि०, दी०में अधिक है ।

२ 'वस्तुचारुत्वप्रतीतये वा० प्रि० ।

३ 'प्रतिपादयितुं वा० प्रि० ।

४ 'गुणवृत्ते' यह पाठ नि० में नहीं है ।

व्यञ्जकत्वं हि क्वचिद् वाचकत्वाश्रयेण व्यवतिष्ठते, यथा विवक्षितान्यपरवाच्ये ध्वनौ । क्वचित्तु गुणवृत्त्याश्रयेण यथा अविवक्षितवाच्ये ध्वनौ । तदुभयाश्रयस्वप्रतिपाद-

इस अनुच्छेदमें 'वस्तु चेति त्रय विषय' इसके बाद निर्णयसागरीय संस्करणमें 'अस्तल द्रुतित्व समयानुपयोगित्व पृथगवभासित्व चेति त्रयम्' इतना पाठ और मिलता है। परंतु उसकी सङ्गति यहाँ नहीं लगती है। इस स्थलपर यह पाठ अनावश्यक और असङ्गत है। उसने बीचमें आ जानेसे अगले वाक्यकी पूर्ववाक्यसे जो स्पष्ट सङ्गति है उसमें बाधा पड़ती है। अतएव यहाँ तो यह निश्चित रूपसे प्रमादपाठ है। 'लोचनकार'ने इसकी व्याख्या 'उच्यते'के बाद और विषय भेदोऽपि' इमसे पूर्व करते हुए लिखा है—“एवमस्तलद्रुतित्वात्, कथञ्चिदपि समयानुपयोगात् पृथगाभाममानत्वाच्चेति त्रिभि प्रकारै प्रकाशकत्वस्यैतद्विपरीतरूपत्रयायाश्च गुणवृत्ते स्वरूपभेद व्याख्याय विषयभदमप्याह । विषयभेदोऽपीति ।” इससे प्रतीत होता है कि 'लोचनकार' दो वाक्य पहिले इस पाठको मानते हैं। दीधितकारने यहाँ इस पाठको रखकर उसकी व्याख्या की है। उनका यह प्रयत्न 'लोचनकार'के विपरीत भी है और सुसङ्गत भी नहीं। वाराणसेय दूसरे संस्करणमें इस पाठको कहीं स्थान नहीं दिया गया है। यह बात भी लोचनकारकी व्याख्याके प्रतिकूल होनेसे अनुचित है। अतएव लोचनकारकी व्याख्याका ध्यान रखते हुए 'तत्रोपयोग'के बाद और 'कथमपहनूयते' से पूर्व इस पाठको रखना चाहिये। तब 'उच्यते'से आगे वाक्य इस प्रकार बनेगा।

“उच्यते, प्रकरणाश्रयच्छिन्नशब्दोन्वैवार्थस्य तथाविध व्यञ्जकत्वमिति शब्दस्य तत्रोपयोग, अस्तलद्रुतित्वं समयानुपयोगित्वं चेति कथमपहनूयते ।”

इस प्रकारने पाठकी व्याख्या निम्नलिखित प्रकार होगी। इसके पूर्व प्रश्नकर्ताका प्रश्न यह था कि तुम्हारे अर्थात् व्यञ्जकत्ववादीके मतमें जब शब्द 'यद्गद्यत्रयको प्रकाशित करता है तब शब्दका व्यापार मुख्य या अमुख्य कैसा होगा। यदि मुख्य व्यापार होगा तो वाचकत्वके अंतर्गत होगा और अमुख्य होगा तो गुणवृत्तिसे अतगत होगा। इनके अतिरिक्त तीसरा कोई प्रकार स्थान नहीं है। इस प्रश्नका उत्तर 'उच्यते'स दिया है। उत्तरका आशय यह है कि प्रकरणादिसहकृत शब्दसामग्र्यसे ही अर्थका उस प्रकारका व्यञ्जकत्व बनता है इसलिए 'यद्गद्य' स्थलमें शब्दके व्यापारको मानना ही होगा, साथ ही वहाँ शब्दके अस्तलद्रुतित्व, समयानुपयोगित्व और पृथगवभासित्वको भी मानना ही होगा। इसके विपरीत लक्षणा या गुणवृत्तिमें स्वलद्गतित्व, समय अर्थात् सङ्केतग्रहका उपयोगित्व और वाच्य तथा लक्ष्यका पृथगवभासित्व प्रतीत होता है। अतएव 'यद्गद्यत्व' गुणवृत्तिसे सर्वथा भिन्न है। इसलिए रसादि तथा अलङ्कार और वस्तु तीनों 'यद्गद्य' अथ शब्द-व्यापारके विषय होनेपर भी समयानुपयोगित्व अर्थात् सङ्केतग्रहका उपयोग न होनेसे वाचकसे भिन्न, और अस्तलद्गतित्वके कारण लक्षणासे भिन्न, तथा पृथगवभासित्वके कारण उपचारसे भिन्न 'यद्गद्यत्व' व्यापारके विषय होते हैं यह मानना होगा। इस प्रकारकी व्याख्या करनेसे उस स्थलकी पंक्तिमें उत्तरमें जो अस्पष्टता आती है वह भी दूर हो जाती है। और इस पाठकी सङ्गति भी लग जाती है। इसलिए हमने इस पाठको उचित स्थानपर स्थानान्तरित कर दिया है।

व्यञ्जकत्व कहीं वाचकत्वके आश्रित रहता है जैसे विवक्षितान्यपरवाच्य [अभिधामूल] ध्वनिमें और कहीं गुणवृत्तिके आश्रयसे, जैसे अविवक्षितवाच्य [लक्षणांमूल] ध्वनिमें। उस [व्यञ्जकत्व]के उभय [अर्थात् वाचक तथा गुणवृत्ति]में आश्रितत्वके प्रतिपादनके लिए ही सबसे पहिले ध्वनिके [अविवक्षितवाच्य और

नायैव च ध्वनेः प्रथमतर द्वौ प्रभेदावुपन्यस्तौ तदुभयाश्रितत्वाच्च तदेकरूपत्वं तस्य न शक्यते वक्तुम् । यस्मान्न तद् वाचकत्वैकरूपमेव क्वचिद्व्यञ्जनाश्रयेण घृतेः न च लक्षणैकरूपमेव, अन्यत्र वाचकत्वाश्रयेण व्यवस्थानात् । न चोभयधर्मधन्वेनैव तदेकैकरूप न भवति, यावद्वाचकत्वलक्षणादिरूपरहितशब्दधर्मत्येनापि । तथाहि गीतध्वनीनामपि व्यञ्जकत्वमस्ति रसादिविषयम् । न च तेषां वाचकत्व लक्षणा वा कथञ्चित् लक्ष्यते । शब्दादन्यत्रापि^१ विषये व्यञ्जकत्वस्य दर्शनाद् वाचकत्वादिशब्दधर्मप्रकारत्वमयुक्तं वक्तुम् । यदि च^२ वाचकत्वलक्षणादीनां शब्दप्रकाराणां प्रसिद्धप्रकारविलक्षणत्वेऽपि व्यञ्जकत्व प्रकारत्वेन परिकल्प्यते तच्छब्दस्यैव प्रकारत्वेन वरमान्न परिकल्प्यते ।

विवक्षितान्यपरवाच्य] दो भेद किये गये हैं । उभयाश्रित होनेके कारण ही यह [व्यञ्जकत्व] उन [वाचकत्व और गुणवृत्ति]के साथ एकरूप [वाचकत्व या गुणवृत्ति रूप—उनसे भिन्न] नहीं कहा जा सकता है । [अपितु उन दोनोंसे भिन्न है] क्योंकि कहीं [अविषक्षितवाच्य लक्षणा मूलध्वनिमें] लक्षणाके आश्रय भी रहनेसे यह [व्यञ्जकत्व] वाचकत्वरूप ही नहीं हो सकता है । और कहीं [विवक्षितान्यपरवाच्यध्वनिमें] वाचकत्वाश्रय भी रहनेसे लक्षणारूप भी नहीं हो सकता है । और न कबल उभय [वाचकत्व तथा गुणवृत्ति]का धर्म होनेसे ही तदेकरूप [वाचकत्व तथा गुणवृत्ति] नहीं होता [अर्थात् व्यञ्जकत्वके वाचकत्व अथवा गुणवृत्तिरूप न होनेका कबल उभयाश्रित होना यह एक ही कारण नहीं है अपितु आगे बतलाये हुए और भी कारण उसको वाचकत्व तथा गुणवृत्तिसे भिन्न करते हैं] अपितु वाचकत्व और लक्षणा आदि व्यापारसे रहित [गीत आदि]के शब्दोंका धर्म होनेसे भी [व्यञ्जकत्व, वाचकत्व तथा गुणवृत्तिसे भिन्न है] । जैसे गीतकी ध्वनिमें भी रसादिविषयक व्यञ्जकत्व रहता है परन्तु उनमें वाचकत्व अथवा लक्षणा किसी प्रकार भी दिखाई नहीं देती । [इसके अतिरिक्त] शब्दसे भिन्न [चेष्टा आदि] विषयमें भी व्यञ्जकत्वके पाये जानेसे उसे वाचकत्व आदि रूप शब्दधर्मविशेष कहना उचित नहा है । और यदि प्रसिद्ध [वाचकत्व तथा गुणवृत्तिरूप] भेदोंसे [पूर्वोक्त हेतुओंसे] अतिरिक्त होनेपर भी व्यञ्जकत्वको वाचकत्व और लक्षणा आदि शब्दधर्मों [प्रकारधर्म]का विशेष प्रकार मानना चाहते हैं तो उस [व्यञ्जकत्व]को शब्दका ही [प्रकार] विशेष भेद क्यों नहीं मान लेते [जब प्रथमतर युक्तियोंसे वाचकत्व तथा गुणवृत्तिसे व्यञ्जकत्वका भेद स्पष्ट सिद्ध हो गया है फिर भी आप उस व्यञ्जकत्वको वाचकत्व या गुणवृत्तिभेदोंमें ही परिगणित करनेका असङ्गत प्रयत्न कर रहे हैं तो उसको शब्दका एक अलग प्रकार माननेमें आपको क्या आपत्ति है] ।

लोचननारने इस पंक्ति की व्याख्या करते हुए लिखा है “व्यञ्जकत्व वाचकत्वमिति यदि पयायो कल्प्येते तर्हि व्यञ्जकत्व शब्द इत्यपि पयायता कस्मान् कल्प्यते, इच्छाया अ वाह्यत्वात् ।” अर्थात्

१ च नि०, शी० में अधिक है ।

२ नि० में च नहीं है ।

तदेव शाब्दे व्यवहारे त्रय प्रकारा, वाचकत्व गुणवृत्तिर्व्यञ्जकत्वं च । तत्र व्यञ्जकत्वे यदा व्यङ्ग्यप्राधान्यं तदा ध्वनि, तस्य चाविवक्षितवाच्यो विवक्षितान्य-परवाच्यइति द्वौ प्रभेदावनुमान्तौ प्रथमतरौ सविस्तर निर्णयौ ।

अन्यो ब्रूयात् । ननु विवक्षितान्यपरवाच्ये ध्वनौ गुणवृत्तिता नास्तीति यदुच्यते तद्युक्तम् । यस्माद् वाच्यवाचकप्रतीतिपूर्विका यत्रार्थांतरप्रतिपत्तिस्तत्र कथं गुणवृत्ति-

यदि 'व्यञ्जकत्व' और 'वाचकत्व'को पयाय मानना चाहते हैं तो व्यञ्जकत्व और शब्दको भी पयाय क्यों नहीं मान लेते । क्योंकि आपकी इच्छा तो अप्रतिहत है, वह कहीं रोको नहीं जा सकती । इसका भाव यह हुआ कि जैसे शब्दको व्यञ्जकत्वका पयाय मानना युक्तिसङ्गत नहीं है उसी प्रकार व्यञ्जकत्व को वाचकत्वका पयाय मानना भी युक्तिविरुद्ध है । यह 'यारया' हमें रुचिजन प्रतीत नहीं होती । उसके स्थानपर 'तच्छब्दस्यैव प्रकारत्वेन कस्मान्न परिकल्प्यत'का अर्थ उस व्यञ्जकत्वका शब्दका ही एक अलग प्रकार या धर्म क्यों नहीं मान लेते, अर्थात् व्यञ्जकत्वको शब्दका एक अलग धर्म मान लेना अधिक युक्तिसङ्गत है । यह 'यारया' अधिक युक्तिसङ्गत प्रतीत होती है । इसका भाव यह हुआ कि प्रबल युक्तियोंसे वाचकत्व और 'व्यञ्जकत्व'का भेद सिद्ध हो जानपर भी उसे वाचकत्वरूप मानना तो अत्यन्त अनुचित है, उसके बजाय उस 'व्यञ्जकत्व'को वाचकत्व और गुणवृत्ति आदिसे भिन्न तीसरा शब्दधर्म मान लेना अधिक युक्तिसङ्गत है । अतः उसके माननमें कोई आपत्ति नहीं हानी चाहिये । इसके अनुसार व्यञ्जकत्वको वाचकत्वसे भिन्न सिद्ध करनेवाले अनुमानवाक्यका स्वरूप इस प्रकार बनेगा—“व्यञ्जकत्वम् अभिधालक्षणाद्यतरत्वावच्छिन्नप्रतिरोगिताकभेदवत् शब्दवृत्तित्वे सति शब्देतर वृत्तित्वात् प्रमेयत्ववत् ।” इस अनुमानमें गौणीको लक्षणाक ही अन्तर्गत मानकर वाक्यमें 'अभिधा लक्षणाद्यतरत्वावच्छिन्नप्रतिरोगिताकभेदवत्'का साध्य रखा है । परन्तु मीमांसकक यहाँ गौणीवृत्ति अलग है । उसके अनुसार अनुमानवाक्य बनाना हो तो 'व्यञ्जकत्वम् अभिधालक्षणागौण्यवतमत्वा वच्छिन्नप्रतिरोगिताकभेदवत्' यह साध्यका रूप होगा ।

इस तरह शाब्द व्यवहारके तीन प्रकार होते हैं, वाचकत्व, गुणवृत्ति और व्यञ्जकत्व । उनमेंसे व्यञ्जकत्व [भेद] में जब व्यङ्ग्यका प्राधान्य होता है तब ध्वनि [वाच्य] कहलाता है । और उस [ध्वनि] के अविवक्षितवाच्य [लक्षणा मूल] तथा विवक्षितवाच्य [अभिधामूल] ये दो भेद किये गये हैं और पहिले ही उनका सविस्तर वर्णन किया जा चुका है ।

यद्यपि उपर्युक्त प्रकरणमें अभिधा, लक्षणा और गौणासे भिन्न 'व्यञ्जकत्व'की सिद्धि की जा चुकी है फिर भी अविवक्षितवाच्य अर्थात् लक्षणा मूलध्वनि अथवा तरस्रमितवाच्य भेदमें सादृश्यमूलक गौणी अथवा अजहत्स्वाया उपादानलक्षणा और अत्यन्ततिरस्कृतवाच्यध्वनिमें जहत्स्वाया रूप लक्षणा लक्षणासे भेदका आरंभ स्पष्ट करनेके लिए यह अगला पृथक् उदाहृत है । पृथक्पत्र आशय यह है कि अभिधामूल अथवा विवक्षितान्यपरवाच्यध्वनिमें वाचकत्व और गुणवृत्तिसंभेद स्पष्ट है, परन्तु अविवक्षितवाच्य अथवा लक्षणा मूलध्वनि, गौणी तथा लक्षणासे भिन्न नहीं है ।

[पूर्वपत्र] अत्र [कोई] कह सकता है कि त्रिविधविनान्यपरवाच्यध्वनिमें गुणवृत्ति नहीं होती यह जो कहते हैं सो ठीक है । क्योंकि जहाँ [त्रिविधविनान्यपरवाच्यध्वनिमें] वाच्य वाचक [अर्थ और शब्द]की प्रतीतिपूर्वक [व्यङ्ग्यरूप] अर्थान्तरकी प्रतीति

व्यवहार । नहि गुणवृत्तौ यदा निमित्तेन केनचिद् विषयातरे शब्द आरोप्यतेऽत्यन्त-
तिरस्कृतस्वार्थो यथा 'अग्निर्माणवक' इत्यादौ, यदा वा स्वार्थमशेनापरित्यजस्तत्सम्बन्ध-
द्वारेण विषयान्तरमात्रामिति यथा 'गङ्गाया घोष' इत्यादौ तदा विवक्षित इत्यत्वमुपपद्यते ।
अत एव च विवक्षितान्यपरवाच्ये ध्वनौ वाच्यवाचकयोर्द्वयोरपि स्वरूपप्रतीतिर्याव-
गमन च दृश्यत इति व्यञ्जकत्वव्यवहारो युक्त्यनुरोधी । स्वरूपं प्रकाशयन्नेव पराव-
भासको व्यञ्जक इत्युच्यते । तथाविधे विषये वाचकत्वस्यैव व्यञ्जकत्वमिति गुणवृत्ति-
व्यवहारो नियममेतन्न न शक्यते कर्तुम्^१ ।

अविवक्षितवाच्यस्तु ध्वनिगुणवृत्ते कथं भिद्यते । तस्य प्रभेदद्वये गुणवृत्तिप्रभेद-
द्वयरूपता लक्ष्यत एव यत^१ ।

होती इ यहाँ गुणवृत्ति-व्यवहार हो ही कैसे सकता है । [क्योंकि यहाँ वाच्य और
व्यङ्ग्यकी अलग अलग और प्रमसे प्रतीति होती है । इसलिए विवक्षिता-परवाच्य
ध्वनिमें गुणवृत्ति नहीं रह सकती है । इसी प्रकार आगे कहे हेतुसे गुणवृत्तिमें
विवक्षिता-परवाच्यध्वनि नहीं रह सकती है ।] गुणवृत्तिमें जब किसी विशेष कारणसे
विषयान्तरमें [उसके अवाचक] शब्दका अपन अर्थको अत्यन्त तिरस्कृत कर आरोप
[मूलक व्यवहार] किया जाता है जैसे 'अग्निर्माणवक' इत्यादिमें [अग्नि शब्दका अपने
अर्थको छोड़कर तेजखितादि सादृश्यसे बालकमें आरोपित व्यवहार किया जाता
है तब यहाँ अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य या जहत्स्वार्था लक्षणा तो मानी जा सकती है
परन्तु विवक्षितान्यपरवाच्यध्वनि नहीं] अथवा कुछ अशमें अपने अर्थको छोड़कर
[सामीप्यादि] सम्यग् द्वारा [गङ्गा आदि शब्द जब] अर्थान्तर [तट आदि रूप अर्थ]
का बोध कराता है, जैसे 'गङ्गाया घोष' इत्यादिमें । तब ऐसे स्थलोंपर अविवक्षित
वाच्य [लक्षणा मूलध्वनि] हो सकता है । [परन्तु विवक्षिता-परवाच्य नहीं हो सकता
है । अतएव जहा विवक्षितान्यपरवाच्यध्वनि होता है वहाँ गुणवृत्ति न रहनेसे, और
जहाँ गुणवृत्ति रहती है वहाँ विवक्षितान्यपरवाच्यध्वनि न रहनेसे उन दोनोंकी एक
विषयता नहीं हो सकती है यह कहना तो ठीक ही है] इसीलिए विवक्षितान्तरवाच्य-
ध्वनिमें वाच्य और वाचक दोनोंके स्वरूपकी प्रतीति और [व्यङ्ग्य] अर्थका ज्ञान पाया
जाता है, इसलिए व्यञ्जकत्व-व्यवहार युक्तिसङ्गत है । [क्योंकि] अपने रूपका प्रकाशित
करते हुए [दीपकादिके समान] परके रूपको प्रकाशित करनेवाला ही व्यञ्जक
कहलाता है । ऐसे उदाहरणोंमें [वाचकत्व और व्यञ्जकत्व स्फुरूपसे अलग अलग
प्रतीत हाते हैं अतः] वाचकत्वका ही व्यञ्जकत्वरूप है इस प्रकारका गुणवृत्ति [मूलक]
व्यवहार निश्चितरूपसे नहीं किया जा सकता है [इसलिए विवक्षितान्यपरवाच्य
ध्वान गुणवृत्तिरूप नहीं है यह ठीक है] ।

परन्तु अविवक्षितवाच्य [लक्षणा मूल] ध्वनि गुणवृत्तिसे कैसे अलग हो सकता
है ? उसके दोनों भेदों [अर्थान्तरसङ्क्रामितवाच्य तथा अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य] में

१ 'कतुम्' नि० ।

२ नि०, धी० मंत्रत, को अगले वाक्यके साथ जोड़कर "यतोऽयमपि न दोष" पाठ रखा है ।

अयमपि न दोष । यस्मादविवक्षितवाच्यो ध्वनिर्गुणवृत्तिमार्गाश्रयोऽपि भवति, न तु गुणवृत्तिरूप एव । गुणवृत्तिर्हि व्यञ्जकत्वदान्यापि दृश्यते । व्यञ्जकत्व च ययोक्तचारुत्वहेतु व्यङ्ग्य विना न व्यवतिष्ठते ।

गुणवृत्तिस्तु वाच्यधर्माश्रयेणैव व्यङ्ग्यमात्राश्रयेण चाभेदोपचाररूपा सम्भवति, यथा 'तीक्ष्णत्वादिनिर्माणवक', 'आहादकत्वाच्च द्र एवास्याः सुरम्' इत्यादी । यथा च 'प्रिये जने नास्ति पुनरुक्तम्' इत्यादी ।

गुणवृत्ति के दोनों भेद [उपचार और लक्षणारूप स्पष्ट] दिखलाई देते ही हैं । [अर्थान्तर-सद्व्रमितावाच्यध्वनि उपादानलक्षणा अथवा अजहत्स्वार्था लक्षणा और अत्यन्त तिरस्कृतवाच्यध्वनि जहत्स्वार्था अथवा लक्षणलक्षणारूप या गुणवृत्तिस्वरूप प्रतीत होती है । अतएव वह लक्षणा या गुणवृत्तिसे कैसे भिन्न हो सकती है ? यह प्रश्नकर्ता का आशय है] ।

[उत्तर] यह दोष भी नहीं हो सकता है । क्योंकि अविवक्षितवाच्यध्वनि गुणवृत्ति, लक्षणाके मागका आश्रय भी लेता है किन्तु वह गुणवृत्ति लक्षणास्वरूप नहीं है । क्योंकि गुणवृत्ति व्यञ्जकत्वरहित भी हो सकती है । [जैसे लावण्यादि पदोंमें व्यङ्ग्य प्रयोजनके अभावमें भी गुणवृत्ति या केवल रूढिमूलक लक्षणा पायी जाती है । यहाँ गुणवृत्ति है परन्तु व्यञ्जकत्व नहीं] और व्यञ्जकत्व पूर्वोक्त चारुत्वहेतु 'व्यङ्ग्य' के विना नहीं रहता है [इसलिए गुणवृत्ति और अविवक्षितवाच्यध्वनि एक नहीं हैं] ।

गुणवृत्ति तथा अविवक्षितवाच्यध्वनिके भेदप्रतिपादनके लिए और भी हेतु देते हैं ।

अभेदोपचाररूप गुणवृत्ति तो वाच्यधर्मके आश्रयसे [रूढिहेतुक] और व्यङ्ग्य-मात्रके आश्रयसे [प्रयोजनवती] हो सकती है । जैसे 'तेजस्वितादि धर्मयुक्त होनेसे यह लड़का अग्नि है' तथा 'आनन्ददायक होनेसे इसका मुख चन्द्रमा है' इत्यादिमें । और प्रियजनमें पुनरुक्ति नहीं होती' इत्यादिमें ।

ये तीन उदाहरण अभेदापचाररूप गुणवृत्तिसे दिये हैं । माणवकमें अग्निका, मुखमें चन्द्रका अभेदारूपमूलक उपचार-यवहार होनेसे ये गौणीके उदाहरण हैं और वाच्यधर्माश्रयेण ये उदाहरण दिये गये हैं । वाच्यधर्माश्रयका अर्थ 'रूढिहेतुक' किया गया है । परन्तु 'अग्निनिर्माणवक' में तेजस्वितादि और दूसरे उदाहरणमें 'आहादकत्वादिशय'रूप प्रयोजन व्यङ्ग्य होनेसे ये दोनों तो वाच्यधर्माश्रयेणके स्थानपर 'व्यङ्ग्यधर्माश्रयेण' उदाहरण होने चाहिये थे । इनकी प्रतिकारने वाच्यधर्माश्रयके उदाहरणरूपमें कैसे प्रस्तुत किया है ! यह शक्य उत्पन्न हो सकती है । इसलिए लोचनकारने इसकी विशेषरूपसे व्याख्या करके लिखा है कि 'वाच्यविषयो यो धर्मो अमिधायापारस्तस्याश्रयेण तदुपवृत्तणामेत्यथ । श्रुतायापत्ताविधार्मातरस्यामिधेयायौपपादन एव पयवसानादिति भावः' । स्वयं मूलकारने भी उस व्यङ्ग्य प्रयोजनकी आशंकासे ही केवल 'अग्निमाणवक' इतना उदाहरण नहीं दिया है, अपितु तीक्ष्णत्वादि जो 'व्यङ्ग्य माना जा सकता है उसकी 'व्यङ्ग्यताकी आशंकाको मिटानेके लिए ही उस तीक्ष्णत्वादिका भी स्वशब्दसे वाच्यरूपमें प्रस्तुत करते हुए 'तीक्ष्णत्वादिनिर्माणवक' यह उदाहरण दिया है । इसमें तीक्ष्णत्व धर्म शब्द ही उपात्त है, अतः वह 'व्यङ्ग्य नहीं हो सकता । अतः ये उदाहरण वाच्यधर्माश्रयेणके ही हैं, व्यङ्ग्यधर्माश्रयणक नहीं, यह बात मूलसे ही स्पष्ट हो जाती

यापि लक्ष्णारूपा गुणवृत्ति साप्युपलक्षणीयार्थसम्बन्धमात्राश्रयेण चारुरूपव्यङ्ग्य-
प्रतीतिं विनापि सम्भवत्येव, यथा 'मञ्चा क्रोशति' इत्यादौ विषये ।

यत्र तु सा चारुरूपव्यङ्ग्यत्वेतुस्तत्रापि व्यञ्जकत्वानुप्रवेशेनैव, वाचकत्ववत् ।

है । फिर भी यदि किसीका आग्रह हो तो उसकी दृष्टिसे ही मूलम वाच्यधमाश्रयका तीसरा उदाहरण "प्रिये जने नास्ति पुनरुक्तम्" दिया है । यह उदाहरण पहिले पृष्ठ ६० पर उदाहृत प्राकृत पद्यका छायाभाग है ।

लोचनकारका आशय यह है कि 'पीनो देवदत्तो दिवा न भुङ्क्ते' यह श्रुतायापत्तिका उदाहरण है । देवदत्त दिनमें नहीं खाता परन्तु स्थूल हा रहा है ऐसा सुननाला उसके रात्रिमाजनकी कल्पना करता है । यहाँ रात्रिभोजन वाच्य न हाकर अथापत्तिसे आक्षिप्त हाता है परन्तु वह कवल श्रुयमाण पीनत्वका उपपादकमात्र होता है । चारुत्वहेतु नहीं इसी प्रकार 'अग्निमाणवक' अथवा 'चन्द्र एव मुखम्' इत्यादि उदाहरणोंमें तेजस्वितादि और आह्लादकत्वादि धम शब्दत उपात्त न भी हां तो भी अघाक्षिप्त होकर भी वे अग्नि और माणवकक अमदरूप वाच्याथक उपपादकमात्र होनेसे और चारुत्वहेतु न होनेसे रुदिने ही उदाहरण है । इसलिए वाच्यधमाश्रयणैरने उदाहरण रूपमे ये उदाहरण टीक ही हैं । यह लोचनकारका अभिप्राय है । इस प्रकार इन तीनों उदाहरणोंमें अभेदोपचाररूपा गुणवृत्तिका वाच्यधमाश्रयेण प्रयाग दियलाया है । अब लक्ष्णारूपा गुणवृत्तिका वाच्यधर्माश्रयेण प्रयोग दिखते हैं ।

और जो लक्ष्णारूपा गुणवृत्ति हे वह भी लक्ष्यार्थके साथ सम्बन्धमात्रके आश्रयसे, चारुत्वरूप व्यङ्ग्यप्रतातिक विना भी हो सकती हे । जैसे 'मञ्चा क्रोशन्ति' मञ्चान चिच्छाते हे इत्यादिमें ।

'मञ्चा क्रोशन्ति'में मञ्चानरूप अचेतन पदार्थमें चिच्छानेकी सामर्थ्य न हानेसे मञ्च पद उपादान [रुदि] लक्षणासे मञ्चस्थ पुष्पोका वाधक हाता है । इस प्रकार ऊपर अभेदोपचाररूपा गुणवृत्ति और 'मञ्चा क्रोशन्ति'म लक्ष्णारूपा गुणवृत्ति, व्यङ्ग्यप्रयाजन आदिक विना, रुदिसे ही अय अथवा बोधन कराती हैं । इसलिए 'यङ्गघन अभावम भी गुणवृत्तिकी स्थिति हानसे अविबन्धितवाच्य लक्ष्णामूल वनिके अथातरसन्नमितवाच्य और अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य दोनों भद गुणवृत्तिसे अत्यन्त भि न हैं—यह सिद्ध किया । अय आगे प्रयाजनवती लक्षणा भी अविबन्धितवाच्य लक्ष्णामूल वनिके भि न है यह प्रतिपादन करते ह ।

और जहाँ वह [लक्षणा], चारुत्वरूप व्यङ्ग्यकी प्रतीतिका हेतु [प्रयोजिका] होती हे, वहाँ [वह, लक्षणा] भी वाचकत्वके समान व्यञ्जकत्वके अनुप्रवेशसे ही [चारुत्वरूप व्यङ्ग्यप्रतीतिका हेतु] होती हे ।

अभिधामल विबन्धितापपरवाच्यध्वनिम गुणवृत्ति और 'यञ्जकत्वको आप भी अलग मान चुके ह । 'गताऽस्तमन' इत्याद अभिधामूलम अभिधरणहालादि 'यञ्जककी प्रतीति व्यञ्जनानुप्रवेश से ही हाती है । एसी प्रकार लक्ष्णामूलक अनिर्वातनाच्यध्वनिरूपां भी यदि लक्षणा चारुत्व हेतु होती है तो व्यञ्जनाके अनुप्रवेशसे ही वह चारुत्व हेतु हो सन्ती है, स्वत नहीं । इसलिए वहाँ ध्वनि पवहार होता है ।

धसम्मविना चार्थेन यत्र व्यवहार', यथा 'सुवर्णपुष्पा पृथिवीम्' इत्यादौ, तत्र चारुत्वरूपव्यङ्ग्यप्रतीतिरेव प्रयोजिकेति तथाविधेऽपि विषये गुणवृत्तौ सत्यामपि ध्वनि-
व्यवहार एव युक्त्यनुरोधी । तस्मादविवक्षितवाच्ये ध्वनौ, द्वयोरपि प्रभेदयोर्व्यञ्जकत्व-
विशेषाविशिष्टा गुणवृत्तिर्न तु तदेकरूपा सहृदयहृदयाहादिनी । 'प्रतीयमानाप्रतीतिहेतुत्वाद्
विषयान्तरे तद्रूपशून्याया' दर्शनात् । एतच्च सर्वं प्राक् सूचितमपि स्फुटतरप्रतीतये
पुनरुक्तम् ।

जहाँ असम्मत्र अर्थ [आरोपमूलक गुणवृत्ति] से व्यवहार होता है जैसे 'सुवर्ण
पुष्पा पृथिवीम्' इत्यादि [पृ० ५५ पर उदाहृत] में, वहाँ चारुत्वरूप व्यङ्ग्यकी प्रतीति
ही उस [आरोपमूलक गुणवृत्तिव्यवहार] का हेतु है, इसलिए इस प्रकारके उदाहरणोंमें
गुणवृत्ति होनेपर भी [अनायास प्रचुर धनोपार्जनरूप चमत्कारी व्यङ्ग्यके कारण ही
गुणवृत्तिव्यवहार होनेसे] ध्वनिव्यवहार ही युक्तिसङ्गत है । इसलिए अविवक्षित
वाच्य [लक्षणामूल] ध्वनिमें [अर्थान्तरसङ्क्रमितवाच्य और अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य]
दोनों भेदोंमें व्यञ्जकत्वविशेषसे युक्त गुणवृत्ति सहृदयहृदयाहादिनी होती है । तदेक
रूपा नहीं [अर्थात् गुणवृत्ति और व्यञ्जकत्व एक नहीं हैं] क्योंकि [गुणवृत्ति] प्रतीय
मान [चारुत्वहेतुरूप व्यङ्ग्य] की प्रतीतिका हेतु नहीं है । दूसरे स्थानोंपर [अग्नि
मार्णयक आदिमें] उस [गुणवृत्ति] को उस [व्यञ्जकत्व] से रहित पाते हैं । [अग्नि
मार्णयक, अथवा नास्ति पुनरुक्तम्, आदि उदाहरणोंमें गुणवृत्ति व्यञ्जकत्वशून्य पायी
जाती है । इसलिए 'सुवर्णपुष्पा पृथिवीम्' आदिमें भी व्यञ्जनाके द्वारा ही चारुत्वरूप
व्यङ्ग्यकी प्रतीति होती है । गुणवृत्तिरूपसे नहा । अत अविवक्षितवाच्यध्वनिसे
भी गुणवृत्ति अलग है] ये सब बातें पहले [प्रथम उद्योतमें] सूचित [सूक्ष्मरूपसे] की
जा चुकी हैं । फेर भी अधिक स्फुरूपसे प्रतिपादनार्थ यहाँ फिर कही हैं [स्वरूप
भेद और निमित्तभेद प्रतिपादनके कारण पुनरुक्त नहीं हैं] ।

यहाँ निर्णयसागरीय संस्करण 'प्रतीयमाना'के बाद विराम लगा दिया है और शेष वाक्यको
अलग रखा है । यह उचित नहीं है । लोचनकारने 'प्रतीयमानाप्रतीतिहेतुत्वात्'को सम्मिलित मानकर
ही 'नहि गुणवृत्तेश्चारुत्वप्रतीतिहेतुत्वमस्तीति दशयति' लिखा है ।

दीधितिकारने 'सहृदयहृदयाहादिनी'में से 'नी को हटाकर 'सहृदयहृदयाहादि'को प्रतीयमान
का विशेषण बनाकर एक समस्तपद कर दिया है । उनका यह प्रयत्न भी ठीक नहीं है । व्यञ्जकत्व
विशेषाविशिष्टा गुणवृत्ति ही सहृदयहृदयाहादिनी हो सकती है स्वयं गुणवृत्ति न सहृदयहृदयाहादिनी
होती है और न प्रतीयमानकी प्रतीतिका हेतु, यह अभिप्राय है । 'लोचन'की टीका 'बालप्रिया'में
'यतो गुणवृत्ति सहृदयहृदयाहादिनी प्रतीयमाना च न भवति अतो न तदेकरूपेति सम्बन्ध' लिखा
है । यहाँ बालप्रियाकारने निगमसागरीय पाठके अनुसार प्रतीयमानाके आगे विराम मानकर अथ
क्रिया जान पड़ता है । इसलिए उन्हें लोचनकी ऊपर उद्धृत की हुई पंक्ति की सन्नति लगानेका
विशेष प्रयास करना पड़ा है ।

१ 'प्रतीयमाना' नि० । 'सहृदयहृदयाहादिप्रतीयमानाप्रतीतिहेतुत्वात्' दी० ।

२ 'तद् रूपशून्यायाश्च' नि०, दी० ।

अपि च व्यञ्जकत्वलक्षणो य शब्दार्थयोर्धर्म स प्रसिद्धसम्बन्धानुरोधीति न कस्यचिद् विमतिविषयतामर्हति । शब्दार्थयोर्हि प्रसिद्धो य सम्बन्धो वाच्यवाचकमाया-
ख्यस्तमनुरुन्धान एव व्यञ्जकत्वलक्षणो व्यापार सामप्रत्यन्तरसम्बन्धादौपाधिकः
प्रवर्तते ।

अत एव वाचकत्वात्तस्य विशेषः । वाचकत्व हि शब्दविशेषस्य नियत आत्मा^१ ।
व्युत्पत्तिकालादारभ्य तदविनाभावेन तस्य प्रसिद्धत्वान् । स त्वनियतः, औपाधिकत्वात् ।
प्रकरणाद्यवच्छेदेन तस्य प्रतीतेरितरथा त्वप्रतीते ।

इस प्रकार अविमतितावाच्यत्वनिर्णय गुणवृत्तिसे पृथक् सिद्ध कर चुकनेसे उपरान्त दूसरे
प्रकारसे अभिधा [वाचकत्वव्यापार] से उसका भेद दिखानेके लिए अग्रिम प्रकरणकी व्यवस्था
करते हैं । इसमें वाचकत्वको स्वाभाविक या नियत धर्म और व्यञ्जकत्वको औपाधिक धर्म मानकर
दोनोंका भेदप्रतिपादन किया है ।

और शब्द तथा अर्थका व्यञ्जकत्वरूप जो धर्म है वह प्रसिद्ध सम्बन्ध
[वाचकत्व]का अनुसरण करता है, इसमें किसीका मतभेद नहीं होना चाहिये । शब्द
और अर्थका जो वाच्य वाचकभावसम्बन्ध प्रसिद्ध है उसका अनुसरण करते हुए ही
अर्थ सामग्री [प्रकरणादिवैशिष्ट्यरूप] को सम्बन्धसे व्यञ्जकत्व नामक [शब्द] व्यापार
औपाधिक रूपसे [व्यञ्ज्यव्यार्थबोधनार्थ] प्रवृत्त होता है ।

'उप स्वसमीपवर्तिनि स्वधर्ममादधातीति उपाधि ।' जो अपने समीपवर्ती, अपने सम्बन्ध,
पदात्म अपने धर्मका आधान करता है वह 'उपाधि' कहलाता है । यह उपाधिका लक्षण है । जैसे
जवाबुमुम [मुहहल] एक लाल रङ्गका फूल है, उसका जब दर्पणके पास रखा दिया जाय तो उसका
आरुण्य दर्पणम प्रतीत होने लगता है । जवाबुमुमन अपना आरुण्य धर्म समीपवर्ती स्फटिक अथवा
दर्पणम आधान कर लिया इसलिए जवाबुमुम 'उपाधि' कहलाता है और दर्पण या स्फटिकमें आरुण्य
'औपाधिक' कहलाता है । इसी प्रकार प्रकरणादिवैशिष्ट्यरूप अन्य सामग्रीक समवधानसे शब्द अर्थको
'यत्त' करता है इसलिए प्रकरणादिरूप जय सामग्री 'उपाधि' हुई और उसका सहकारसे शब्दमें
प्रतीत होनेवाला स्वस्वरूप धर्म 'औपाधिक' हुआ ।

इसीलिए वाचकत्वसे उसका भेद है । वाचकत्व शब्दविशेषका निश्चित स्वरूप
[अथवा आत्मा समान नियत धर्म] है [क्योंकि] सङ्केतग्रहणके समयसे लेकर वाचकत्व
शब्दसे अविनाभूत [रुदय साय रहनवाला] प्रसिद्ध है । और वह [व्यञ्जकत्व] तो
'औपाधिक' [प्रकरणादि स्वग्रन्थन्तर सम्बन्धानजय] होनेसे [शब्दका] नियत धर्म
नहीं है । प्रकरणादिक वैशिष्ट्यसे उस [व्यञ्जकत्व] की प्रतीति होती है अन्यथा नहीं
[अतः वह नियत या स्वाभाविक नहीं अपितु औपाधिक धर्म है] ।

१ नि० में इसके आगे 'सम्बन्धा' पाठ अधिक है । टी० में आत्माके बाद विराम देकर 'सम्बन्धव्यु-
त्पत्तिकालादारभ्य' पाठ रखा है ।

ननु यद्यनियतवृत्तिरस्य स्वरूपपरीक्षया । नैव दोषः । यतः शब्दात्मनि
एतानियतत्वम्, न तु स्ये विषये व्यङ्ग्यलक्षणम् ।

[प्रश्न] अथ यदि यह [व्यञ्जकत्व] नियत धर्म नहीं है [औपाधिक अर्थात्
ज्यास्तविक, फलित धर्म है] तो उसने स्वरूपकी परीक्षासे ही क्या काम है [‘सपुष्प’
या ‘कन्यापुष्प’की स्वरूपपरीक्षाके समान व्यञ्जकत्वके स्वरूपकी परीक्षा भी व्यर्थ है,
यह प्रस्तावकीका भाव है] ।

[उत्तर] यह दोष नहीं है । क्योंकि शब्दरूप [अर्थ] में ही उस [व्यञ्जकत्व] का
अनियत है परन्तु व्यङ्ग्यरूप अपने विषयमें [अनियत] नहीं है ।

अर्थात् अभिधा तो वाचक शब्दोंमें नियत है परन्तु यज्ञना किसी शब्दविशेषका नियत धर्म
नहीं है, प्रकरणादिके वैशिष्ट्यमें किसी भी शब्दमें व्यञ्जकत्व आ सकता है । इसलिए शब्दस्वरूपमें
तो व्यञ्जकत्व अनियत है । परन्तु अपने विषय व्यङ्ग्यार्थके बोधनमें व्यञ्जकत्व और केवल व्यञ्जकत्व
या ही उपयोग होनेसे वह नियत है । अतः उसके स्वरूपकी परीक्षाका प्रयास ‘सपुष्प’ अथवा ‘कन्या
पुष्प’की स्वरूपपरीक्षाके प्रयासके समान व्यर्थ नहीं है । यह उत्तरका आशय है ।

औपाधिकत्व रूपसे व्यञ्जकत्वका अभिधासे भेद सिद्ध कर अप ‘लिङ्गत्व-याय’से भी अभिधासे
व्यञ्जकत्वका भेद सिद्ध करते हैं । लिङ्गत्व-न्यायका अभिप्राय यह है कि न्यायशास्त्रप्रतिपादित अनुमान
की प्रक्रियामें धूम आदिको ‘लिङ्ग’ और वह्नि आदिको ‘साध्य’ कहा जाता है । ‘लिङ्ग’ शब्दका अर्थ
होता है ‘लीन अर्थे गमयति इति लिङ्गम् ।’ आ लीन अर्थात् छिपे हुए—प्रत्यक्ष दिखलाई न देनेवाले
अर्थका बोधक हो उसको ‘लिङ्ग’ कहते हैं । धूम पवतपर स्थित, परन्तु प्रत्यक्ष दिखलाई न देनेवाले
वह्निका बोध कराता है । धुआँ उठता हुआ देतार दूरसे ही यह ज्ञान हो जाता है कि “पर्वतो
वह्निमान् धूमन्त्वात् ।” पवतपर अग्नि है क्योंकि पवतपर धुआँ दिखलाई द रहा है । इस प्रकार धूम
‘लिङ्ग’ कहलाता है, वह्नि ‘साध्य’ और पवत ‘पञ्च’ । परन्तु पर्वतका यह ‘पञ्चत्व’ वह्निका ‘साध्यत्व’
और धूमका ‘लिङ्गत्व’ हर समय उस रूपमें काम नहीं करते हैं । जिस समय अनुमान करनेकी इच्छा
होती है उसी समय वह इस रूपमें उपयोगी होते हैं । घरकी रसोईमें धुआँ भी दलते हैं और वह्नि भी ।
परन्तु वहाँ न रसोई ‘पञ्च’ कहलाती है, न धूमको ‘लिङ्ग’ कहते हैं, और नार्हा वह्नि ‘साध्य’ है ।
क्योंकि वहाँ वह्नि प्रत्यक्ष प्रमाणसे सिद्ध है । उसी अनुमानसे सिद्ध करनेकी इच्छा नहीं है । इसलिए
पञ्च, लिङ्ग और साध्य-यवहार केवल अनुमानकी इच्छा अनुमिता या निराधरिपाके ऊपर निर्भर है ।
इसी प्रकार शब्दका व्यञ्जकत्व प्रयोक्ताकी इच्छापर निर्भर है । इसलिए व्यञ्जकत्वमें लिङ्गत्वका साम्य है ।
इसके अतिरिक्त धूमादि लिङ्ग व्याप्तिप्रारूप अन्य सामग्रीसे सहकारसे ही अर्थका अनुमापक होते हैं ।
‘व्याप्तिवलेन अर्थगमकं लिङ्गम्’ यह भी लिङ्गका लक्षण है । धूमसे वह्निना बोध करानेमें ‘यत्र यत्र धूमस्तत्र
तत्र वह्नि’ इस व्याप्तिये ग्रहणकी आवश्यकता होता है । उसमें बिना धूम वह्निका अनुमापक नहीं हो
सकता है । इसी प्रकार व्यञ्जक शब्दका व्यङ्ग्य अर्थना बोध करानेके लिए प्रकरणादिवैशिष्ट्यरूप
सामग्रीकी सहायता आवश्यक होती है । यह भी लिङ्गत्व और व्यञ्जकत्वकी एक समानता हो सकती
है । परन्तु इसको लिङ्गत्व-यायका प्रवर्तक नहा मानना चाहिये, क्योंकि नैयामिक अपने लिङ्गत्वको
औपाधिक धर्म नहीं, अपितु स्वामाधिक सम्यक् कहता है । इसीलिए आलोककारने यहाँ केवल
इच्छाधीनत्वको ही लिङ्गत्व-यायका प्रवर्तक माना है ।

लिङ्गत्वन्वायध्यास्य व्यञ्जकभावस्य लक्ष्यते । यथा^१ लिङ्गत्वमाश्रयेष्वनियताव-
भासम्, इच्छाधीनत्वात्, स्वविषयान्वयमिचारि च, तथैवेद यथा दक्षित व्यञ्जकत्वम् ।

शब्दात्मन्यनियतत्वादेव^१ च तस्य वाचकत्वप्रकारता न शक्या कल्पयितुम् । यदि
हि वाचकत्वप्रकारता तस्य भवेत्तच्छब्दात्मनि नियततापि स्याद् वाचकत्ववत् ।

और इस व्यञ्जकभावका लिङ्गत्वन्वाय [लिङ्गत्वसास्य] भी दिखलाई देता है ।
जैसे लिङ्गत्य आश्रयों [धूमादि] में इच्छा [अनुमिप्सा] के अधीन होनेसे अनियतरूप
[सदा न प्रतीत होनेवाला] होता है और अपने विषय [साध्य घट्टि आदि] में अन्य
मिचारी [सदा नियत] होता है । इसी प्रकार, जैसे कि ऊपर दिखलाया जा चुका है,
यह व्यञ्जकत्व [अपने आश्रय शब्दों में इच्छाधीन होनेसे अनियत और स्वविषये अर्थात्
व्यङ्ग्य अर्थके बोधनमें नियत [अव्यभिचारी] है ।

शब्दस्वरूपमें अनियत होनेसे ही उस [व्यञ्जकत्व] को वाच्यत्वका भेद नहीं
माना जा सकता है । यदि वह [व्यञ्जकत्व] वाचकत्वका भेद [प्रकार ही] होता तो
वाचकत्वके समान शब्दस्वरूपमें नियत भी होना चाहिये [परन्तु वह शब्दस्वरूपमें
नियत नहीं है] । प्रकरणादिसहकारसे ही व्यञ्जकत्व होता है । अत व्यञ्जकत्व
वाचकत्वसे भिन्न है] ।

मीमांसकमतमें व्यञ्जकत्व अपरिहार्य

वाचकत्वसे 'व्यञ्जकत्वका भेद सिद्ध करनेके लिए अभी 'व्यञ्जकत्वको औपाधिक घर्म बतलाया
गया है, अर्थात् शब्द और अथका 'व्यञ्जकत्वरूप औपाधिक सम्बन्ध भी होता है । यह बात मीमांसा
दशने "औत्पत्तिकस्तु शब्दस्यार्थे सम्बन्ध" इत्यादि [अ० १, पा० १, सू० ५] के विरुद्ध है ।
उस सूत्रमें शब्द और अथका नित्य सम्बन्ध माना है । औत्पत्तिकका अर्थ नित्य करते हुए सूत्रके
भाष्यकार शनरस्वामीने लिखा है कि "औत्पत्तिक इति नित्य ब्रूम । उत्पत्तिर्हि भाव उच्यते लक्षणया ।
अविपुक्त शब्दाथयो सम्बन्ध । नोत्पत्तयो पश्चात् सम्बन्ध ।" शबरस्वामीके इस भाष्य और
मीमांसासूत्रके साथ 'व्यञ्जकत्वरूप शब्द अथके औपाधिक सम्बन्धके विरोधका परिहार करते हुए
पौरुषेय तथा अपौरुषेय वाक्योंमें भेद माननेवाले मीमांसकके लिए भी औपाधिक व्यञ्जकत्वकी
अनिवार्यता प्रतिपादन करनेके लिए अगला प्रकरण प्रारम्भ करते हैं ।

मीमांसाके सिद्धान्तमें वेद 'अपौरुषेय' हैं और उनका स्वतः प्रामाण्य माना जाता है । लौकिक
वाक्य पुरुषनिमित्त हानसे पौरुषेय हैं, उनका प्रामाण्य बताने प्रामाण्यकी अपेक्षा रखनेसे परत है ।
वैदिक वाक्य स्वतः प्रमाण हैं और लौकिक वाक्य परत प्रमाण हैं । 'ज्ञानप्राप्तिकातिरिक्तानपेक्षत्वं
स्वतस्त्वम् ।' 'ज्ञानप्राप्तिकातिरिक्तानपेक्षत्वं परतस्त्वम् ।' अर्थात् जहाँ ज्ञानकी प्राप्ति सामग्रीसे भिन्न
सामग्री प्रामाण्यके ग्रहण करनेके लिए अपेक्षित हो वहाँ 'परत प्रामाण्य' होता है और जहाँ ज्ञान
प्राप्ति सामग्रीसे ही प्रामाण्यका भी ग्रहण ज्ञानके ग्रहणसे साथ ही हो जाता है वहाँ 'स्वतः प्रामाण्य'
होता है । लौकिक वाक्य पुरुषनिमित्त होते हैं । पुरुषम भ्रम, प्रमाद, विप्रलम्बिता आदि दोष हो सकते

१ 'तथाहि लिङ्गवमाश्रयेषु नियतावभासम्' नि० । (अ)नियतावभासम्' दी० ।

१ 'शब्दात्मनि नियतत्वादेव' नि० । (अ)नियतत्वादेव' दी० ।

स च तथाविध औपाधिको धर्म शब्दानामौत्पत्तिकशब्दार्थसम्बन्धवादिना वाक्य-
तत्त्वविदा पौरुषेयापौरुषेययोर्बाक्ययोर्विशेषमभिदधता नियमेनाभ्युपगन्तव्य । तदनभ्यु-
पगमे हि तस्य शब्दार्थसम्बन्धनित्यत्वे सत्यप्यपौरुषेयपौरुषेययोर्बाक्ययोरर्थप्रतिपादने

है, अतएव पुरुषके दोषोंके सम्बन्धसे लौकिक या 'पौरुषेय' वाक्योंमें अप्रामाण्य आ जाता है । परन्तु वेद 'अपौरुषेय' हैं, उनमें 'पुन्दोष'के ससर्गकी सम्भावना न होनेसे वे स्वतः प्रमाण हैं, यह मीमांसकोंका सिद्धान्त है ।

मीमांसक शब्द और अर्थका नित्यसम्बन्ध मानते हैं इसलिए उनके यहाँ शब्द भी नित्य है । परन्तु शब्दोंके समूहरूप लौकिक वाक्य पुरुषनिर्मित और अनित्य हैं । जैसे मालाकार पुष्पोंका उत्पादक नहीं होता फिर भी उनके क्रमिक सन्नित्वरूप मालाका निर्माता होता है, इसी प्रकार पुरुष नित्य शब्दोंका उत्पादक न होनेपर भी उनके क्रमबद्ध वाक्यस्वरूपका निर्माता होता है, अतः लौकिक वाक्य 'पौरुषेय' अर्थात् पुरुषनिर्मित होते हैं ।

इस प्रकार शब्द और अर्थका नित्यसम्बन्ध होनेसे उनके मतमें वाक्यको कमी निरर्थक अथवा मिथ्यार्थक नहीं होना चाहिये । इसलिए लौकिक वाक्य भी वैदिक वाक्यके समान स्वतः प्रमाण ही होने चाहिये । फिर भी मीमांसक लौकिक वाक्योंमें पुरुषदोषके सम्बन्धसे अप्रामाण्य मानते हैं । इस अप्रामाण्य अथवा पौरुषेय अपौरुषेय वाक्योंके भेदका उपपादन वाच्यायबोधकताके आधारपर नहीं हो सकता है, क्योंकि वाच्यायर्थाकी बोधकता तो पौरुषेय अपौरुषेय दोनों प्रकारके वाक्योंमें समान ही है । किन्तु तात्पर्यबोधकत्वके आधारपर ही उन दोनों वाक्योंका भेद सम्भव है । वाक्यनिमाता पुरुषकी इच्छा ही तात्पर्य है । पुरुषके असर्वज्ञ और भ्रान्ति आदिसे युक्त होनेके कारण उसके तात्पर्यविषयीभूत अथवा इच्छाके विषयीभूत अर्थमें मिथ्यात्व भी सम्भव हो सकता है । इसलिए पौरुषेय लौकिक वाक्योंमें वक्ताके भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा आदि दोषयुक्त होनेसे मिथ्यार्थकता हो सकती है । वैदिक वाक्य किसी पुरुष [यहाँ पुरुष शब्दसे इन्द्रका ग्रहण होता है] के निर्मित नहीं हैं । अतएव उनमें मिथ्याथकता सम्भव नहीं है । यही पौरुषेय अपौरुषेय वाक्योंका अन्तर है ।

इस प्रकार 'पौरुषेय' वाक्योंका तात्पर्य उन्हें 'अपौरुषेय' वाक्योंसे भिन्न करता है । यह तात्पर्य अभिधासे प्रतीत नहीं हो सकता, क्योंकि वह सङ्केतित अर्थ नहीं है और न लक्षणासे प्रतीत हो सकता है, क्योंकि वहाँ लक्षणाकी मुख्याथवाध आदिरूप सामग्री नहीं है । अतएव इस तात्पर्याथका बोध अभिधा और लक्षणासे भिन्न व्यञ्जनावृत्तिसे ही हो सकता है । इसलिए मीमांसकने न चाहनेपर भी उसे व्यञ्जनावृत्ति स्वाकार करनी ही होगी । इसलिए शब्दम तात्पर्यरूप 'औपाधिक' धर्म उसे भी स्वीकार करना होगा । उस औपाधिक धर्मके सम्बन्धसे पदाथके स्वभावमें परिवर्तन देला जाता है । इस युक्तिक्रमसे ग्रन्थकार मीमांसकोंके लिए औपाधिक धर्म 'यत्कत्वकी अनिवायता इस प्रकारणमें सिद्ध करते हैं ।

और इस प्रकारका यह [व्यञ्जकत्वरूप] औपाधिक धर्म शब्द और अर्थके नित्य सम्बन्धको माननेवाले और पौरुषेय तथा अपौरुषेय वाक्योंमें भेद माननेवाले, वाक्यके तत्त्वको जाननेवाले [और वाक्यमें शक्ति माननेवाले मीमांसक] को, अद्यय मानना पड़ेगा । उसके स्वीकार किये बिना शब्द और अर्थका नित्यसम्बन्ध होनेपर भी पौरुषेय तथा अपौरुषेय वाक्योंके अर्थबोधनमें समानता होगी । [भेदका उपपादन नहीं हो

निर्विशेषत्व स्यात् । तदभ्युपगमे तु पौरुषेयाणा वाक्याना पुरुषेच्छालुविधानसमाप्तेपि-
तौपाधिकव्यापारान्तराणा सत्यपि स्वाभिधेयसम्बन्धापरित्यागे मिथ्यार्थत्वापि भवेत् ।

दृश्यते हि भावानामपरित्यक्तस्वभावानामपि सामग्र्यन्तरसम्पात्सम्पादितौपाधिक-
व्यापारान्तराणा विरुद्धक्रियत्वम् । यथा हि हिममयूरप्रभृतीना निर्वापितसफलजीवलोक
शीतलत्वमुद्ब्रह्तामेव प्रियाविरहदहनदह्यमानमानसैर्जैरालोक्यमानाना सता सन्वापकारित्व
प्रसिद्धमेव । तस्मात् पौरुषेयाणा वाक्याना सत्यपि नैसगिकेऽर्थसम्बन्धे मिथ्यार्थत्व समर्थ-
यितुमिच्छता वाचकत्वव्यतिरिक्त किञ्चिद्रूपमौपाधिक व्यक्तमेवाभिधानीयम् । तद्य व्यञ्ज-
कत्वादते नान्यत् । व्यङ्ग्यत्वप्रकाशनं हि व्यञ्जकत्वम् । पौरुषेयाणि च वाक्यानि
प्राधान्येन पुरुषाभिप्रायमेव प्रकाशयन्ति । स च व्यङ्ग्य एव न त्वभिधेय । तेन सहा-
भिधानस्य वाच्यवाचकभावलक्षणसम्बन्धाभावात् ।

नन्वनेन न्यायेन सर्वेषामेव लौकिकाना वाक्याना ध्वनिव्यवहारः प्रसक्त । सर्वे-
षामप्यनेन न्यायेन व्यञ्जकत्वात् ।

सर्वेण] और उस [व्यञ्जकत्वरूप ओपाधिक धर्म]का स्वीकार कर लेनेपर पौरुषेय
वाक्योंमें अपने वाच्यवाचकभाव [रूप नित्य] सम्यग्धरा परित्याग किये गिना भी
पुरुषकी इच्छा [तात्पर्य]का अनुसरण करनेवाले दूसरे ओपाधिक [व्यञ्जकत्वरूप]
व्यापारयुक्त वाक्योंकी मिथ्यार्थता भी हो सकती है ।

अपने स्वभावका परित्याग किये गिना भी अन्व कारणसामग्रीके सयोगसे
औपाधिक अन्य व्यापारोंको प्राप्त करनेवाले पदार्थोंमें विपरीत प्रियाकारित्व देखा
जाता है । जैसे समस्त ससारकी शांति प्रदान करनेवाले शीतल स्वभावसे युक्त होनेपर
भी, प्रियाके विरहानलसे सतत चिन्तवाले पुरुषोंके दर्शनगोचर चन्द्रमा आदि [शीतल]
पदार्थोंका सन्वापकारित्व प्रसिद्ध ही है । इसलिए [शब्द और अर्थका] स्वाभाविक
[नित्य] सम्बन्ध होनेपर भी पारुषेय वाक्योंकी मिथ्यार्थताका समर्थन करनेकी इच्छा
रखनेवाले [मीमांसक] को वाचकत्वसे अतिरिक्त [वाक्योंमें] कुछ ओपाधिकरूप अवश्य
ही मानना पड़ेगा । और यह [ओपाधिकरूप] व्यञ्जकत्वके सिंगाय और कुछ नहीं
[हो सकता] है । व्यङ्ग्य अर्थका प्रकाशन करना ही व्यञ्जकत्व है । पौरुषेय वाक्य
मुख्यरूपसे [वक्ता] पुरुषके अभिप्रायको ही [व्यङ्ग्यरूपसे] प्रकाशित करते हैं । और
यह [पुरुषाभिप्राय] व्यङ्ग्य ही होता है, वाच्य नहीं । [क्योंकि] उस [पुरुषाभिप्राय]के
साथ वाचक वाक्यका वाच्य वाचकभावसम्बन्ध [सङ्केतग्रह] नहीं होता है [इसलिए
मीमांसकको वक्ताके अभिप्रायरूप ओपाधिक अर्थके बोधके लिए वाक्यमें व्यञ्जकत्व
अवश्य मानना होगा] ।

[प्रश्न] इस प्रकार तो सभी लौकिक वाक्योंका [पुरुषाभिप्रायरूप व्यङ्ग्यके
सम्यग्धके कारण] ध्वनिव्यवहार हो जायगा [सभी लौकिक वाक्य ध्वनि कहलाने
लगे] ।

सत्यमेतत्, किन्तु वक्त्रमिप्रायप्रकाशनेन 'यद्द्व्यञ्जकत्व तत्सर्वेषामेव लौकिकानां वाक्यानामविशिष्टम्, तत्तु' वाचकत्वात् भिद्यते । व्यङ्ग्यं हि तत्र नान्तरीयकतया व्यवस्थितम् । न तु विवक्षितत्वेन । 'यस्य तु विवक्षितत्वेन व्यङ्ग्यस्य स्थितिस्तद्द्व्यञ्जकत्व ध्वनिव्यवहारस्य प्रयोजकम् ।

यच्चमिप्रायविशेषरूप व्यङ्ग्यं शब्दार्थाभ्यां प्रकाशते तद्भवति विवक्षित तात्पर्येण प्रकाशयमानं सत् । किन्तु तदेव केवलमपरिमितविषयस्य ध्वनिव्यवहारस्य न प्रयोजकमव्यापकत्वात् । तथा दर्शितभेदत्रयरूप तात्पर्येण द्योत्यमानमभिप्रायरूपमभिप्रायरूपं च सर्वमेव ध्वनिव्यवहारस्य प्रयोजकमिति यथोक्तद्व्यञ्जकत्वविशेषे ध्वनिलक्षणे नातिव्याप्तिर्न चात्र्याप्तिः ।

[उत्तर] यह ठीक है । वक्त्रके अभिप्रायके प्रकाशनेसे जो व्यञ्जकत्व आता है वह तो सब लौकिक वाक्योंमें समान है । किन्तु वह वाचकत्वसे भिन्न नहीं है । क्योंकि उनमें व्यङ्ग्य, वाच्यके अग्रिनाभूतरूपमें स्थित है, विवक्षितरूपमें नहीं । [व्यङ्ग्यके विवक्षित न होनेसे उसमें ध्वनिव्यवहार नहीं किया जाता है] और जिस व्यङ्ग्यकी स्थिति तो [प्रधानरूपसे] विवक्षितरूपमें है वही व्यञ्जकत्व ध्वनिव्यवहारका प्रयोजक होता है [अतः सब लौकिक वाक्य ध्वनि नहीं हैं] ।

जो अभिप्रायविशेषरूप व्यङ्ग्य, शब्द और अर्थसे प्रकाशित होता है वह तात्पर्यरूप [प्रधानरूप] से प्रकाशमान हो तो विवक्षित [व्यङ्ग्य] कहलाता है । किन्तु केवल यह ही, अपरिमित [स्थलोंपर होनेवाले] ध्वनिव्यवहारका कारण नहीं है [ध्वनिव्यवहारकी अपेक्षा] अव्यापक होनेसे । जैसे कि ऊपर दिखलाये हुए भेदत्रय [रसादि, वस्तु, अलङ्कार] रूप, तात्पर्यसे द्यो यमान अभिप्रायरूप [रसादि] और अनभिप्रायरूप [वस्तु तथा अलङ्काररूप] सभी ध्वनिव्यवहारके प्रयोजक हैं । अतएव [यत्रार्थ शब्दो वा तमर्थमुपसर्जनीकृतस्वार्थं व्यञ्जकं चात्र्यविशेषे स ध्वनिरिति सूत्रमि धियत । १, १३ । इत्यादि कारिकाओं] पूर्वोक्त द्व्यञ्जकत्वविशेषरूप ध्वनिलक्षण माननेमें न अति व्याप्ति होती है और न अव्याप्ति ।

इहना अभिप्राय यह हुआ कि सभी लौकिक वाक्य वक्त्रके अभिप्रायके प्रयोजक होनेसे

- १ 'यदि द्व्यञ्जकत्व' नि० । 'यदिद्व्यञ्जकत्व दा० ।
- २ 'ननु' नि० ।
- ३ 'यस्य तु' यह पाठ नि० में नहीं है । 'न तु विवक्षितत्वेन व्यङ्ग्यस्य व्यवस्थिति । तद्द्व्यञ्जकत्व ध्वनिव्यवहारस्य प्रयोजकम्' ऐसा पाठ रखा है नि० ।
- ४ 'शब्दार्थाभ्यामेव' दी० ।
- ५ 'यत्' नि० ।
- ६ 'न प्रयोजकम्, व्यापकत्वात्' दी० । नि० अ 'प्रयोजकम् के बाद विराम है ।
- ७ 'तत्तु' दी० ।
- ८ 'यथोक्तद्व्यञ्जकत्वविशेषध्वनिलक्षण' नि०, दी० ।

तस्माद्वाक्यतत्त्वविदा मतेन^१ तावद् व्यञ्जकत्वलक्षणः शाब्दो व्यापारे न^२ विरोधी प्रत्युतानुगुण एव लक्ष्यते ।

परिनिश्चितनिरपभ्रंशशब्दब्रह्मणा विपश्चिता मतमाश्रित्यैव प्रवृत्तोऽयं ध्वनिव्यवहार इति तैः^३ सह किं विरोधाविरोधौ चिन्त्येते ।

कृत्रिमशब्दार्थसम्बन्धवादिना तु युक्तिविदामनुभवसिद्ध एवायं व्यञ्जकमायः शब्दानामर्थान्तराणामिवाविरोधश्चेति न प्रतिक्षेप्यपद्वीमघतरति ।

ध्वनि कहलाने रंगोंगे यह जो अति-याति अभी दिखायी थी, और उसीके आधारपर अभिप्रायरूप जो नहीं है ऐसे वस्तु या अलङ्कारके व्यञ्जकमें ध्वनिव्यवहार नहीं हो सकेगा यह अव्याप्ति, यह दोनों दोष तब ही सकते हैं जब सामान्यतः अभिप्राय-व्यञ्जकत्वको ध्वनिका लक्षण मानें । परन्तु अभिप्राय व्यञ्जकत्व सामान्यको ध्वनिलक्षण न मानकर अभिप्रायविशेषरूप और कहीं वस्तु आदि रूप धमत्कारी व्यङ्ग्यके प्राधान्यमें ध्वनि-व्यवहार माना गया है अतएव उक्त कारिकामें कहे ध्वनिलक्षणमें न अति-याति है और न अव्याप्ति है ।

इसलिए वाक्यतत्त्वज्ञों [मीमांसकों] के मतमें व्यञ्जकत्वरूप [वाचकत्व तथा गुणवृत्तिसे भिन्न] शाब्द व्यापार मानना विरोधी नहीं अपितु अनुकूल ही प्रतीत होता है ।

वैयाकरणमत ध्वनिसिद्धान्तके अनुकूल

इस प्रकरणके प्रारम्भमें मीमांसक, वैयाकरण और नैयायिक आदिकी ओरसे एक सामान्य व्यञ्जकत्वविरोधी पूर्वपक्ष उठाया गया था । अब उसका खण्डन कर उपसंहार करते हैं । उक्त उपसंहारमें मीमांसकमतमें व्यञ्जकत्व-व्यापार विरोधी नहीं अपितु अनुकूल जान पड़ता है—यह कहा । आगे वैयाकरण सिद्धान्तके साथ ध्वनिव्यवहारका अविरोध इस प्रकार दिखाते हैं कि हम आरंभकारिकोंने तो ध्वनि शब्द ही वैयाकरणोंसे लिया है, अतएव उनके सिद्धान्तके साथ ध्वनिसिद्धान्तके विरोधकी चर्चा करना ही व्यर्थ है ।

['निरपभ्रंश गलितभेदप्रपञ्चतया अविद्यासस्काररहितम्' इति लोचनकार] अविद्यासस्काररहित शब्दब्रह्मका निश्चय करनेवाले [वैयाकरण] विद्वानोंके मतका आश्रय लेकर ही [हमारे शास्त्रमें] यह ध्वनिव्यवहार प्रचलित हुआ है, इसलिए उनके साथ विरोध अविरोधकी चिन्ताकी आवश्यकता ही क्या है ? [अर्थात् उनका विरोध हो ही नहीं सकता है । अतः उसके परिहारकी चिन्ता भी व्यर्थ है] ।

न्यायमत व्यञ्जकत्वके अनुकूल

शब्द और अर्थका कृत्रिम [अनित्य] सम्बन्ध [सङ्केतवृत्त वाच्य-वाचकत्वरूप] माननेवाले प्रमाणविदों [नैयायिकों] के मतमें तो [दीपक आदि] अन्य अर्थोंके [व्यञ्जकत्वके] समान शब्दोंका व्यञ्जकत्व अनुभवसिद्ध और निर्विरोध [ही] है, अतः [नैयायिकमतमें व्यञ्जकत्व] निराकरण [खण्डन] करने योग्य नहीं है ।

१ 'मते न' नि०, क्षी० ।

२ '(न)' नि० ।

३ 'तै' वा० प्रि० ।

वाचकत्वे हि तार्किकाणा विप्रतिपत्तय प्रवर्तन्ताम्, किमिदं स्वाभाविकं शब्दानामाहोस्वित् सामयिकमित्याद्या । व्यञ्जकत्वे तु तत्पृष्ठभाविनि 'भावान्तरसाधारणे लोकप्रसिद्ध एवानुगम्यमाने को विमतीनामसर ।

अलौकिके ह्यर्थे तार्किकाणा विमतयो निखिला 'प्रवर्तन्ते न तु लौकिके । नहि नीलमधुरादिष्वशेषलोकेन्द्रियगोचरे वाधारहिते तत्त्वे परस्पर विप्रतिपत्ता दृश्यन्ते । न हि वाधारहित नील नीलमिति त्रुवत्रपरेण प्रतिपिष्यते नैतन्न्रील पीतमेतदिति । तथैव व्यञ्जकत्वं वाचकानां शब्दानामवाचकानां च गीतध्वनीनामशब्दरूपाणां च चेष्टादीनां यत्सर्वेषामनुभवसिद्धमेव तत्केनापह्नूयते' ।

अशब्दमर्थं रमणीयं हि सूचयन्तो व्याहारास्तथा व्यापारा निबद्धाश्चानिबद्धाश्च विदग्धपरिपत्सु विविधा विभाव्यन्ते । 'तानुपहस्यमानतामात्मन परिहरन् कोऽतिसन्दर्घीत' सचेता ।

तार्किकों [नेयायिकों] को वाचकत्वके विषयमें, क्या शब्दोंका वाचकत्व स्वाभाविक है अथवा सङ्केतवृत्त इत्यादि प्रकारकी विप्रतिपत्तियाँ भले ही हों परन्तु उस [वाचकत्व] के बाद आनेवाले, और [दीपक आदि] अन्य पदार्थोंके समान लोकप्रसिद्ध अनुभूयमान व्यञ्जकत्वके विषयमें ता मतभेदका अवसर ही कहाँ है [अर्थात् न्याय-सिद्धांतको भी व्यञ्जकत्वविरोधी सिद्धांत नहीं मानना चाहिये] ।

तार्किकों [नेयायिकों] को [आत्मा आदि] अलौकिक [लोकप्रत्यक्षके अगोचर] अर्थोंके विषयमें सारी विप्रतिपत्तियाँ होती हैं, लौकिक [प्रत्यक्षादिसिद्ध] अर्थके विषयमें नहीं । नील, मधुर आदि [मैंसे निर्धारणे सप्तमी] सर्वलोकप्रत्यक्ष और अर्थाघत पदार्थ-के विषयमें परस्पर मतभेद नहीं दिखलाई देता है । वाधारहित नीलको नील कहनेवाले किसीको [दूसरा] निषेध नहीं करता है कि यह नील नहीं है, यह पीत है । इसी प्रकार वाचक शब्दोंका, अवाचकशब्दरूप गीत आदि ध्वनियोंका और [अशब्दरूप] चेष्टा आदि [तीनों] का व्यञ्जकत्व जो सबके अनुभवसिद्ध ही है, उसका अपलाप कौन कर सकता है ?

पिदानोंकी गोष्ठियोंमें शब्दसे अनभिधेय [अभिधा द्वारा शब्दसे कथित न किये जा सकनेवाले] सुन्दर [चमत्कारजनक] अर्थको अभि-यक्त करनेवाले अनेक प्रकारके वचन और व्यापार [शब्दरूपमें] निबद्ध अथवा अनिबद्ध पाये जाते हैं । अपने आपको उपहास्यतासे वचानवाला कौन बुद्धिमान् उनको स्वीकार नहीं करेगा ?

१ 'भावान्तरसाधारणे' नि० ।

२ 'विमतयो निखिला' के स्थानपर नि०, दी० म 'अभिनिवेशा' पाठ है ।

३ 'एव' पद नि० में नहीं है ।

४ 'तत्केनाभिधूयते [पह्नूयते ?]' एता पाठ नि० में है ।

५ 'तथा व्यापारनिबद्धाश्च' नि०, दी० ।

६ 'तानु' नि० ।

७ 'कोऽभिसन्दर्घीत' नि० । 'रूपमभिसन्दर्घीत' दी० ।

'ब्रूयात् । अस्त्यतिसन्धानावसर । व्यञ्जकत्व शब्दाना गमकत्वम् तच्च लिङ्गत्वम् । अतश्च व्यङ्ग्यप्रतीतिर्लिङ्गिप्रतीतिरेवेति लिङ्गलिङ्गिभाव एव तेषाम्, व्यङ्ग्यव्यञ्जकभावो नापर कश्चित् । अतश्चैतदवश्यमेव बोद्धव्य यस्माद्ब्रूमिप्रायापेक्षया व्यञ्जकत्वमिदानीमेव त्वया प्रतिपादितम् । वक्त्रभिप्रायश्चानुमेयरूप एव ।

'अत्रोच्यते, नन्वेवमपि यदि नाम स्यात् तत्किन्नदिच्छन्नम् । वाचकत्वगुणवृत्तिव्यतिरिक्तो व्यञ्जकत्वलक्षण शब्दव्यापारोऽस्तीत्यस्माभिरभ्युपगतम् । तस्य चैवमपि न काचित् क्षति । तद्धि व्यञ्जकत्व लिङ्गत्वमस्तु अन्यद्वा । सर्वथा प्रसिद्धशब्दप्रकारविलक्षणत्व शब्दव्यापारविषयत्व च तस्यास्तीति नास्त्येषावयोर्विवाद ।

अनुमित्तिवादका निराकरण

[पूर्वपक्ष] कोई कह सकता है कि [व्यञ्जकत्वको] अस्वीकार करनेका अवसर है । शब्दोंके [अर्थ] बोधकत्व [गमकत्व] का नाम ही व्यञ्जकत्व है । और यह [गमकत्व] लिङ्गत्व [रूप] है । इसलिए व्यङ्ग्यकी प्रतीति लिङ्गीकी प्रतीति ही है । अत एव लिङ्ग लिङ्गिभाव ही उन शब्दोंका व्यङ्ग्य व्यञ्जकभाव है और [लिङ्ग लिङ्गिभावासे] अलग कुछ नहीं है । और इसलिए भी ऐसा अवश्य मानना चाहिये कि वक्त्रके अभिप्रायकी दृष्टिसे व्यञ्जकत्वका प्रतिपादन [अर्थात् व्यञ्जक और व्यङ्ग्यका लिङ्ग लिङ्गिभाव] तुमने [व्यञ्जकत्ववादीने] अभी [मीमांसकके खण्डनके प्रसङ्गमें] किया है । और वक्त्रका अभिप्राय अनुमेयरूप ही होता है [अतएव जिसे व्यञ्जकत्ववादी व्यञ्जनाव्यापारका विषय मानना चाहता है वह अनुमानका विषय है । अत व्यञ्जना अनुमित्तिके अन्तर्गत है यह पूर्वपक्षका अभिप्राय है] ।

[उत्तरपक्ष] इसका उत्तर यह है कि यदि [धोटी देरके लिए प्रोढियादसे] ऐसा भी मान लें तो हमारी क्या हानि है । हमने तो यह स्वीकार किया है कि वाचकत्व और गुणवृत्तिसे अतिरिक्त व्यञ्जकत्वरूप [अलग तीसरा] शब्दव्यापार है । उस [सिद्धान्त] को ऐसा [व्यङ्ग्य व्यञ्जकभावको लिङ्ग लिङ्गिभावरूप] माननेपर भी कोई हानि नहीं [होती] । यह व्यञ्जकत्व [चाहे] लिङ्गत्वरूप हो, अथवा अर्थ कुछ, प्रत्येक दशममें प्रसिद्ध [अभिधा तथा गुणवृत्तिरूप] शब्दव्यापारसे भिन्न और शब्दव्यापारका विषय यह रहता ही है, इसलिए हमारा तुम्हारा कोई झगडा नहीं है ।

यह 'प्रौढवाद'स उत्तर हुआ । अपनी प्रौढता या पाण्डित्यका प्रकट करनेके लिए किसी अनभिमत बातको कुछ समयके लिए स्वीकार कर लेना 'प्रौढवाद' कहलाता है । यहाँ यद्यप्य व्यञ्जकभावका लिङ्ग लिङ्गीरूप होना सिद्धांतपक्षको वास्तवम इष्ट नहीं है । फिर प्रौढता प्रदर्शनके लिए थोड़ी देरके लिए मान लिया है । अत यह उत्तर प्रौढवादका उत्तर है । वास्तविक उत्तर आगे देते हैं—

१ (ब्रूयात्) अस्त्यतिसन्धानावसरे' नि०, ही० ।

२ 'अत्रोच्यते' पाठ नि० में नहीं है ।

न पुनरय परमार्थो यद् व्यञ्जकत्व लिङ्गत्वमेव सर्वत्र, व्यङ्ग्यप्रतीतिश्च लिङ्ग-
प्रतीतिरेवेति ।

यदपि स्वपक्षसिद्धयेऽस्मदुक्तमनूदितम्, त्वया वक्तृभिप्रायस्य व्यङ्ग्यत्वेनाभ्युपग-
मात् तत्प्रकाशने शब्दानां लिङ्गत्वमेवेति तदेतद्यथास्माभिरभिहितं तद्विभज्य प्रतिपाद्यते,
श्रूयताम् ।

द्विविधो विषय शब्दानाम् । अनुमेय प्रतिपाद्यश्च । तत्रानुमेयो विवक्षा-
लक्षण । विवक्षा च शब्दस्वरूपप्रकाशनेच्छा शब्देनार्थप्रकाशनेच्छा चेति द्विप्रकारा ।
तत्राद्या न शब्दव्यवहारान्नाम् । सा हि प्राणित्वमात्रप्रतिपत्तिकला । द्वितीया तु शब्द-
विशेषावधारणावसितव्यवहितापि 'शब्दकरणव्यवहारनिबन्धनम्' । ते तु द्वे अप्यनुमेयो
विषय शब्दानाम् ।

प्रतिपाद्यस्तु प्रयोक्तुरर्थप्रतिपादनसमीहाविषयीकृतोऽर्थः । स च द्विविधो, वाच्यो

वास्तवमेव तो यह बात ठीक नहीं है कि व्यञ्जकत्व सत्र जगह लिङ्गत्वरूप और
व्यङ्ग्यकी प्रतीति सर्वत्र [अनुमिति] लिङ्गप्रतीतिरूप ही हो ।

और अपने पक्षकी सिद्धि करनेके लिए जो हमारे कथनका अनुवाद किया है कि
तुमने [व्यञ्जकत्वमादीने] वक्ताके अभिप्रायको व्यङ्ग्य माना है और उस [वक्ताके
अभिप्राय] के प्रकाशनमें शब्दानां लिङ्गत्व ही है । सो इस विषयमें जो हमने कहा है
उसको अलग अलग सोलकर कहते हैं, [अच्छी तरह] सुनो ।

शब्दोंका विषय दो प्रकारका होता है, एक अनुमेय और [दूसरा] प्रतिपाद्य ।
उनमेंसे [अर्थको कहनेकी इच्छा] 'विवक्षा' अनुमेय है । विवक्षा भी शब्दन [आनुपूर्वा]
स्वरूपके प्रकाशनकी इच्छा, और शब्दसे अर्थप्रकाशनकी इच्छारूप दो प्रकारकी होती
है । उनमेंसे पहिली [शब्दके स्वरूपप्रकाशनकी इच्छा] शब्दव्यवहार [शब्दबोध] का
अङ्ग [उपकारिणी] नहीं है । केवल प्राणित्वमात्रकी प्रतीति ही उसका फल है । [शब्दका
स्वरूपमात्र शर्चात् अर्थहीन व्यक्त या अव्यक्त ध्वनि छोड़ प्राणी कर सकता है, अचेतन
गर्हा । इसलिए शब्दके स्वरूपमात्र प्रकाशनसे प्राणीका ज्ञान तो अवश्य हो सकता
है, परन्तु उससे किसी प्रकारके अर्थका ज्ञान न हो सकेनेसे यह शब्दबोध या
शब्दव्यवहारमें अनुपयोगी है] । दूसरी [अर्थप्रकाशनेच्छारूप] शब्दविशेष
[वाचकादि]के अवधारणसे व्यवहित होनेपर भी शब्दकारणक व्यवहार अर्थात् शब्द
बोध व्यवहारका अङ्ग होती है । ये दोनों [शब्द सम्बन्धी इच्छाएँ] शब्दोंका अनुमेय
विषय हैं [विशेष प्रकारके शब्दको सुनकर शब्दस्वरूपप्रकाशनकी इच्छा अथवा शब्द
द्वारा अर्थप्रकाशनकी इच्छाका अनुमान होता है । इसलिए ये दोनों इच्छाएँ शब्दोंका
अनुमेय विषय हैं] ।

[शब्द] प्रयोक्ताकी अर्थप्रतिपादनकी इच्छाका विषयीभूत अर्थ [शब्दका]
प्रतिपाद्य विषय होता है । और यह वाच्य तथा ज्यङ्ग्य दो प्रकारका है । प्रयोक्ता कभी

व्यापारः सम्बन्धान्तरेण वा । न तापद्वाचकत्वेन यथोक्तं प्राक् । सम्बन्धान्तरेण व्यञ्जकत्वमेव ।

१ च व्यञ्जकत्व लिङ्गत्वरूपमेव, आलोकादिष्वन्यथा दृष्टत्वात् । तस्मात् प्रतिपाद्यो विषयः शब्दानां न लिङ्गत्वेन सम्बन्धी वाच्यवत् । यो हि लिङ्गत्वेन^१ तेषां^२ सम्बन्धी यथा दर्शितो विषयः, स न वाच्यत्वेन प्रतीयते, अपितुपाधित्वेन^३ । प्रतिपाद्यस्य च विषयस्य लिङ्गत्वे तद्विषयाणां विप्रतिपत्तीनां^४ लौकिकैरेव क्रियमाणानामभावात् प्रसज्येतेति । एतद्योक्तमेव ।

व्यङ्ग्य कहा है यहाँ 'उमामुग्धे' जैसे उदाहरणोंमें शिष्यके अभिप्राय आदिका ग्रहण है । इस वाक्यमें शिष्यका चुम्बनाभिलाष व्यङ्ग्य ही है । वाच्य या अनुमेय नहीं । इस प्रकार विषयभेदसे विरोधका परिहार हो जाता है] उनमें वाचकत्वसे तो यान्ता नहीं जैसा कि पहिले कह चुके हैं । क्योंकि व्यङ्ग्य अर्थके साथ सङ्केतग्रह नहीं । और सम्बन्धान्तर [मानने] से व्यञ्जकत्व ही होता है ।

[दीपकके] आलोक आदिमें अन्वया [अर्थात् लिङ्गत्वके अभावमें भी घटादिका व्यञ्जकत्व] देये जानेसे, व्यञ्जकत्व [सदा] लिङ्गत्वरूप ही नहीं होता है । [प्रकाश घटादिका अभि-यञ्जक तो होता है, परन्तु वह घटादिका अनुमितिहेतु न होनेसे लिङ्ग कहा होता । इसलिए व्यञ्जकका लिङ्ग ही होगा आवश्यक नहीं है] इसलिए प्रतिपाद्य [व्यङ्ग्य] विषय वाच्यकी तरह ही लिङ्गत्वेन शब्दसे सम्बन्ध नहीं है । [अर्थात् जैसे वाच्य अर्थ शब्दसे अनुमेय नहीं है इसी प्रकार व्यङ्ग्य अर्थ भी शब्दसे अनुमेय नहीं है] । और जो लिङ्गी रूपसे उन [शब्दों] का सम्बन्धी [शब्दोंसे अनुमेय] है जैसा कि [ऊपर] दिखलाया हुआ [वक्ताना अभिप्राय या विषयारूप] विषय, वह वाच्यरूपसे प्रतीत नहीं होता है, अपितु औपाधिक [वाच्यादि अर्थमें विशेषणीभूत] रूपसे प्रतीत होता है । प्रतिपाद्य विषयको लिङ्गी [अनुमेय] माननेपर उसके विषयमें लौकिक पुरुषों द्वारा ही की जानेवाली विप्रतिपत्तियोंका अभाव प्राप्त होगा । यह कह ही चुके हैं [पृष्ठ २८० पर कह चुके हैं कि अनुमेय अर्थ निश्चित ही होता है, उसमें सम्यक्, मिथ्यात्व आदि विप्रतिपत्तियोंका अवसर नहीं है] ।

जाके प्रामाण्यके विषयम दो प्रकारका दार्शनिक मत है । एक मीमांसका 'स्वत प्रामाण्यवाद' और दूसरा नैयायिकका 'परत प्रामाण्यवाद' । 'स्वत प्रामाण्य'का अर्थ है 'ज्ञानग्राहकातिरिक्तानपेक्षत्वं स्वतस्त्वम्' । अर्थात् ज्ञानग्राहक और प्रामाण्यग्राहक सामग्री यदि एक ही हो तो स्वत प्रामाण्य होता है । मीमांसकमतमें ज्ञान और प्रामाण्य दोनोंका ग्रहण 'शततान्यथानुपपत्तिप्रसूता अथापत्ति'से होता है, इसलिए स्वत प्रामाण्य है । 'ज्ञाततायथानुपपत्ति'का आशय यह है कि पहले 'अयं घट' यह ज्ञान होता है । उस ज्ञानसे घटम ज्ञातता नामका एक धर्म उत्पन्न होता है ।

१ 'लिङ्गत्वेन' नि०, दी० ।

२ 'तेषां' पाठ नि०, में नहीं है ।

३ 'लौपाधिकत्वेन' नि०, दी० ।

४ विप्रतिपत्तीनां के बाद 'लौकिकानां' नि० ।

'लौकिकीनां' दी० पाठ अधिक है ।

इस धर्मकी मीमांसक 'शानता' धर्म कहता है। यह शतता धर्म 'अय घट' इस ज्ञानसे पहिले नहीं था, 'अय घट' इस ज्ञानके बाद घटमें उत्पन्न हुआ है। इसलिए यह ज्ञानजय ही होता है अर्थात् उसका कारण ज्ञान ही होता है। शतता धर्मकी प्रतीति बादमें होनेवाले, 'शतो मया घट' इत्यादि रूपमें होती है। इस 'शतो मया घट'में, घटमें रहनेवाली शतता प्रतीत होती है। यह शतता अपने कारण ज्ञानके बिना घटमें नहीं आ सकती थी। इसलिए अन्यथा अयात् अपने कारणरूप ज्ञानके अभावमें अनुपपन्न होकर अपने उपपादक अर्थज्ञानकी कल्पना कराती है। इसीको 'शतता न्ययानुपपत्तिप्रसूता अर्थापत्ति' कहते हैं। इस प्रकार 'ज्ञातान्यथानुपपत्तिप्रसूता अर्थापत्ति'से ज्ञान का और उसके साथ ही ज्ञानमें रहनेवाले 'प्रामाण्य' दोनोंका ग्रहण एक ही सामग्रीसे हो जाने और 'ज्ञानप्राद्वक्तीरिक्तानपेक्षत्वरूप' स्वतस्त्वन बन् जानेसे शाको 'स्वत प्रमाण' ही मानना चाहिये, यह मीमांसकका मत है।

नैयायिक इस 'स्वत प्रामाण्यवाद'की आधारभूत 'शतता'को ही नहीं मानता है। उसका कहना है कि यदि 'शतो मया घट' इस प्रतीतिक बलपर घटमें आप एक 'शतता' धर्म मानते हैं तो फिर 'दृष्टो मया घट'के आधारपर 'दृष्टता' धर्म, 'कृतो मया घट'के आधारपर 'कृतता' धर्म, 'इष्टो घट'के आधारपर 'इष्टता' आदि धर्म भी मानने चाहिये।

इस प्रकार नये नये धर्मोंकी कल्पना की जाय तो बड़ा गौरव होगा, इसलिए 'शतता' नामका कोई धर्म नहीं है। मीमांसक यदि यह कहे कि विषयनियमने उपपादनके लिए शतताका मानना आवश्यक है तो उसका उत्तर यह है कि विषयनियमका उपपादन शतताके आधारपर नहीं होता है अपितु घट और ज्ञानका 'विषय विषयिभाव' स्वाभाविक है।

विषयनियमके उपपादनमें शतताका उपयोग मीमांसक इस प्रकार मानता है कि 'अय घट' इस ज्ञानका विषय घट ही होता है, घट नहीं होता। इसका क्या कारण है? नैयायिक यदि यह कहे कि 'अय घट' यह ज्ञान 'घट'से पैदा होता है इसलिए इस ज्ञानका विषय घट ही होता है घट नहीं, तो यह ठीक नहीं होगा, क्योंकि 'अय घट' ज्ञान जैसे घटसे पैदा होता है इसी प्रकार आलोक और चक्षु भी तो उसकी उत्पत्तिक कारण होते हैं। तब फिर घटके ही समान आलोक तथा चक्षुको भी 'अय घट' इस ज्ञानका विषय मानना चाहिये। इसलिए नैयायिकके पास विषयनियमके उपपादनका कोई मार्ग नहीं है। हम मीमांसकोंके मतमें शतता ही इस विषयनियमका उपपादन करती है। 'अय घट' इस ज्ञानसे उत्पन्न होनेवाली शतता घटमें ही रहती है, इसलिए 'अय घट' इस ज्ञानका विषय घट ही होता है, घट नहीं। इस प्रकार विषयनियमका उपपादन करनेके लिए 'शतता'का मानना आवश्यक है। उसी 'शतता'के द्वारा उसने कारणभूत ज्ञानका और ज्ञानगत धर्म 'प्रामाण्य'का एक साथ ही ग्रहण होनेसे ज्ञानका 'स्वत प्रामाण्य' मानना ही उचित है। यह मीमांसक मत है।

इसपर नैयायिकका कहना है कि 'शतता'के आधारपर विषयनियम माननेमें दो दोष आ जायेंगे। एक तो 'अतीतानगतयोर्विषयत्व न स्यात्' और दूसरा 'अनवरथा च स्यात्'। इसका अभिप्राय यह है कि मीमांसकोंके कहनेके अनुसार घटादि पदार्थ, ज्ञानका विषय इसलिए होते हैं कि उनमें शतता धर्म रहता है। धर्म उसी पदार्थमें रह सकता है जो विद्यमान हो। यदि धर्म पदार्थ ही विद्यमान न हो तो 'शतता' धर्म कहाँ रहेगा! परन्तु अतीत इतिहास आदिके पट्टनसे चाणक्य, चन्द्रगुप्त आदि अतीत व्यक्तियोंका और ज्योतिष आदिसे भावी गूयग्रहण आदिका ज्ञान हमको हाता है। अर्थात् वह अतीत और अनागत पदार्थ हमारे ज्ञानके विषय होते हैं। यह अतीत और अनागत

पदार्थ विद्यमान नहीं हैं इसलिए उनमें शतता धर्म नहीं रह सकता है। यदि शतता धर्मके रहनेसे ही विषय माना जाय तो फिर अतीत और अनागत पदार्थ विषय नहीं हो सकेंगे। यह एक दोष होगा।

दूसरा दोष अनवस्था है। उसका आशय यह है कि शतताका भी हमको ज्ञान होता है तो शतता उस ज्ञानका विषय होती है। इसलिए शततामें शतता माननी होगी। और वह दूसरी शतता भी ज्ञानका विषय होती है इसलिए उसमें तीसरी, इसी प्रकार चौथी आदि अनन्त शतताएँ माननी होंगी और इस प्रकार अनवस्था होगी। इसलिए इन दो महादोषोंके कारण शतताके आधारपर विषयनियम मानन उचित नहीं है। अपितु घट और ज्ञानका विषयविषयिभाव स्वाभाविक है। अतः शतताके माननेकी कोई आवश्यकता नहीं। यह शतता ही मीमांसकके स्वतः प्रामाण्यवादका मूल आधार थी। जब उसका ही लण्डन हो गया तब 'छिन्ने मूले नैव पत्र न शाला' यायके अनुसार स्वतः प्रामाण्यवादका स्वयं ही लण्डन हो जाता है। इस प्रकार मीमांसकके स्वतः प्रामाण्यवादका लण्डन कर नैयायिक अपने परतः प्रामाण्यवादको निम्नलिखित प्रकार स्थापित करता है।

'परतः प्रामाण्य'का लक्षण 'ज्ञानप्राहकतिरिक्तापेक्षत्व परतस्त्वम्' है, अर्थात् ज्ञानप्राहक और प्रामाण्यप्राहक सामग्री एक ही होकर अलग अलग होनेपर परतः प्रामाण्य होता है। नैयायिक मतमें ज्ञानप्राहक सामग्री तो 'अनु-यवसाय' है और प्रामाण्यप्राहक सामग्री प्रवृत्तिसाफल्यमूलक अनुमान है। ज्ञानविषयक ज्ञानको 'अनुयवसाय' कहते हैं। 'अयं घट' ज्ञानके बाद 'घटमह जानामि' यह ज्ञान होता है। 'अयं घट' इस प्रथम ज्ञानका विषय घट होता है और उसके बाद 'घटज्ञानवान् अहम्' या 'घटमह जानामि' आदि द्वितीय ज्ञानका विषय 'घटज्ञान' होता है। इस ज्ञानविषयक द्वितीय ज्ञानको नैयायिक 'अनु-यवसाय' कहता है। इसकी उत्पत्ति, प्रथम 'अयं घट' इस ज्ञानसे ही होती है। मीमांसककी 'शतता' भी 'अयं घट' इस ज्ञानसे ही उत्पन्न होती है और नैयायिकका 'अनुयवसाय' भी उसीसे उत्पन्न होता है। परन्तु उन दोनोंमें भेद यह है कि मीमांसककी 'शतता' घटमें रहनेवाला धर्म है, और नैयायिकका 'अनु-यवसाय' आत्मामें रहनेवाला धर्म है।

नैयायिकके मतमें ज्ञानका ग्रहण तो इस 'अनु-यवसाय'से होता है और उसके प्रामाण्यका ग्रहण पीछे 'प्रवृत्तिसाफल्यमूलक अनुमान'से होता है। प्रवृत्तिसाफल्यमूलक अनुमानका अभिप्राय यह है कि पहिले मनुष्यको जल आदि किसी पदार्थका ज्ञान होता है। उसके बाद वह उसके ग्रहण आदिके लिए प्रवृत्त होता है। इस प्रवृत्तिके होनेपर यदि उसकी प्रवृत्ति सफल होती है तो वह अपने ज्ञानको प्रमाण समझता है। और महमरीचिका आदिम प्रवृत्तिके बाद जलकी उपलब्धि न होनेसे प्रवृत्ति विफल होनेपर अप्रामाण्यका ग्रहण होता है। इस प्रकार प्रवृत्तिसाफल्यमूलक अनुमानसे प्रामाण्य और प्रवृत्तिवैफल्यमूलक अनुमानसे अप्रामाण्यका ग्रहण होता है। अतः ज्ञान और प्रामाण्यकी प्राहकसामग्री अलग अलग होनेसे प्रामाण्य और अप्रामाण्य दोनों परतः हैं। मीमांसक प्रामाण्यको स्वतः और अप्रामाण्यको परतः मानता है। नैयायिकका कहना है कि यह 'अधर्जतीय'—'आधा तीतर आधा बटेर' वाला न्याय ठीक नहीं है। अतः या तो प्रामाण्य और अप्रामाण्य दोनोंको स्वतः मानो या फिर दोनोंको परतः ही मानो और इन दोनों पक्षोंमेंसे दोनोंको परतः मानना ही ठीक है।

इस प्रकार प्रामाण्य और अप्रामाण्यके नियममें मीमांसक जिस अथापत्तिको प्रमाण कहता है वह भी नैयायिकके मतमें अनुमान ही मानी जाती है। इसलिए दोनोंके ग्रहणमें अनुमानका सम्बन्ध आता है। अतः प्रामाण्य और अप्रामाण्य, सत्यत्व और असत्यत्वके अनुमान साध्य होनेसे व्यङ्ग्य अर्थके सत्यत्व-असत्यत्वग्रहणके लिए भी अनुमानकी आवश्यकता होगी ही। अतः व्यङ्ग्य अर्थ भी

यथा च वाच्यविषये प्रमाणान्तरानुगमेन सम्यक्त्वप्रतीतिं क्वचित् क्रियमाणाया तस्य प्रमाणान्तरविषयत्वे सत्यपि न शब्दव्यापारविषयताहानिस्तद्वद् व्यङ्ग्यस्यापि ।

काव्यविषये च व्यङ्ग्यप्रतीतिना सत्यासत्यनिरूपणस्याप्रयोजकत्वमेवेति तत्र प्रमाणान्तरव्यापारपरीक्षोपहासायैव सम्पद्यते । तस्माल्लिङ्गिप्रतीतिरेव सर्वत्र व्यङ्ग्य-प्रतीतिरिति न शक्यते वक्तुम् ।

'यत्त्वनुमेयरूपव्यङ्ग्यविषय शब्दाना व्यञ्जकत्वम्, तद् ध्वनिव्यवहारस्याप्रयोजकम् । अपि तु व्यञ्जकत्वलक्षण शब्दाना व्यापार औत्पत्तिकशब्दार्थसम्बन्धादिनाप्यभ्युपगन्तव्य

अनुमानना विषय होता ही है । फिर लिङ्ग तप नी जासे उस व्यङ्ग्य अर्थकी अनुमानविषयता का जो लक्षण क्रिया गया है त्र उचित नहा है । त्र शब्दाको मात्र रखकर अमल प्रकरण आरम्भ करते हैं ।

जैसे वाच्य [अर्थ] के विषयम अन्य [अपत्ति अथवा अनुमान आदि] प्रमाणावे सम्बन्धसे प्रामाण्यका ग्रहण होतपर वही उक्त [वाच्य अर्थ] के प्रमाणान्तर [अर्थापत्ति, अनुमान आदि] का विषय होनेपर भी शब्दव्यापारक विषयत्वकी हानि नहा होती है [उसे शब्दव्यापार शब्दव्यवहारका विषय माना ही जाता है] । इसी प्रकार व्यङ्ग्यत्वार्थमें भी [प्रामाण्य और प्रामाण्यक निश्चयम अपत्ति अथवा अनुमान आदि प्रमाणांका उपयोग होनेपर भी उस व्यञ्जनारूप शब्द व्यापारका विषय माननमें कोई हानि नहीं है यह] समझना चाहिये ।

[अर्थ लोकि त्र तथा वदिक वाक्याने अनुष्ठान आदि परक होनेसे उनमें प्रामाण्य या अप्रामाण्यकानना उपयोग है, परन्तु का यवाक्योंका उपयोग तो केवल चामत्कारिक प्रतीति करणा ही है । उसमें प्रामाण्य अप्रामाण्यके ज्ञानका कोई उपयोग नहीं है इसलिए वहा हम दृष्टिम अनुमानना प्रवेश माननकी भी आवश्यकता नहीं है] काव्य के विषयम व्यङ्ग्यप्रतीतिने सत्यत्व और असत्यत्वके निरूपणका अप्रयोजकत्व होनेसे उनमें प्रमाणा तत्र व्यापारका विचार [यह काल शुष्क तर्कवादी है रसिक नहीं, इस प्रकार] उपहासजनक ही हागा । इसलिए सबन अनुमिति [लिङ्गि प्रतीति] ही व्यङ्ग्य प्रतीति होती है यह नहा कहा जा सकता है ।

जो अनुमेयरूप व्यङ्ग्य [विवक्षा आदि] के विषयमें शब्दोंका व्यञ्जकत्व है, वह ध्वनिव्यवहारका प्रयोजक नहा है । अपितु शब्द अर्थका निश्चयसम्बन्ध मानने वाले [मीमांसक] का भी [वक्ताने अभिप्रायादिमें] शब्दोंका [वाचकत्वसे भिन्न] व्यञ्जकत्वरूप व्यापार स्वीकार करना ही होगा इस बातक दिखलानेके लिए ही [वास्तवम अनुमेय परन्तु भिन्ना और गुणवृत्तिसे विलक्षण शब्दव्यापारके कारण व्यङ्ग्यरूपसे निदिष्ट वक्ताने अभिप्रायके विषयमें शब्दोंका व्यञ्जकत्वव्यापार] यह [मीमांसकने मतने प्रसङ्गमें] दिखलाया था । यह व्यञ्जकत्व वही अनुमानरूपसे [वक्ताने अभिप्रायरूप व्यङ्ग्यक वाधनमें] और कहा अन्य रूपसे [घटादिकी अभि

इति प्रदर्शनार्थमुपन्यस्तम् । तद्धि व्यञ्जकत्व कदाचिद्भिन्नत्वेन कदाचिद्रूपान्तरेण शब्दानां
वाचकानामवाचकाना च सर्वथादिभिरप्रतिक्षेप्यमित्ययमस्माभिर्यत्न आरब्ध ।

तदेव गुणवृत्तिवाचकत्वादिभ्यः शब्दप्रकारेभ्यो नियमेनैव तावद्विलक्षण व्यञ्जक-
त्वम् । तदन्तःपातित्वेऽपि तस्य 'दृढादभिधीयमाने तद्विशेषस्य ध्वनेर्यत्प्रकाशनं विप्रति-
पत्तिनिरासाय सहृदयव्युत्पत्तये वा तत्त्वियमाणमनतिसन्धेयमेव' । नहि सामान्यमात्र-
लक्षणेनोपयोगिविशेषलक्षणाना प्रतिक्षेप शक्यः कर्तुम् । एव हि सति सत्तामात्रलक्षणे
कृते सकलसद्वानुलक्षणाना पौनरुक्त्यप्रसङ्ग ॥३३॥

तदेवम्—

विमतिविषया य आसीन्मनीषिणा सततमविदितसतत्त्वः ॥

ध्वनिसञ्ज्ञितः प्रकारः काव्यस्य व्यञ्जितः सोऽयम् ॥३४॥

व्यक्तिमें दीपादिकी प्रत्यक्षरूपसे व्यञ्जकता, अवाचक भीतध्वनि आदिकी रसादिके
विषयमें स्वरूपप्रत्यक्षेण व्यञ्जकता, विवक्षितान्यपरवाच्यध्वनिमें अभिधासहकारसे
व्यञ्जकता, अविधक्षितवाच्यध्वनिमें गुणवृत्तिके सहयोगसे व्यञ्जकता इत्यादि किसी
रूपमें) वाचक अवाचक [सभी प्रकारके] शब्दोंका, सभी धादियोंको स्वीकार करना ही
पढेगा इसीलिए हमने यह यत्न प्रारम्भ किया है ।

इस प्रकार गुणवृत्ति और वाचकत्व आदि शब्दप्रकारोंसे व्यञ्जकत्व अवश्य
ही भिन्न है । दृढपूर्वक उस [व्यञ्जकत्व] को उस [अभिधा अथवा गुणवृत्ति] के अन्तर्गत
माननेपर भी, उसके विशेष प्रकार ध्वनिका विप्रतिपत्तियोंके निराकरण करनेके लिए
अथवा सहृदयोंकी व्युत्पत्ति [परिहान] के लिए जो प्रकाशन [ग्रन्थकारके द्वारा] किया
जा रहा है उसको अस्वीकार नहीं किया जा सकता है । [किसी पदार्थके] सामान्य
लक्षणमात्रसे [उसके अघा-तर] उपयोगी विशेष लक्षणोंका निषेध नहीं हो जाता है ।
यदि ऐसा [निषेध] हो तब तो [वैशेषिकमतमें द्रव्य, गुण, कर्म इन तीनोंमें रहनेवाली
जाति] सामान्यमात्रका लक्षण कर देनेपर [उसके अन्तर्गत पृथिव्यादि नौ द्रव्य, रूप-
रस आदि २४ गुण और उत्क्षेपणादि पञ्चविध कर्म आदि] सब सद् धस्तुओंके लक्षण
ही व्यर्थ [पुनरुक्त] हो जायेंगे । [इसलिए लक्षणा और गुणवृत्तिसे भिन्न व्यञ्जकप्रकाश
ध्वनिके बोधके लिए व्यञ्जनाको अलग वृत्ति मानना ही होगा] ॥३३॥

इस प्रकार—

ध्वनि नामक जो काव्यभेद [तार्किक आदि] विद्वानोंकी विमति [मतभेद] का
विषय [अतएव अयतक] निरन्तर अविदितसदृश रहा उसको हमने इस प्रकार
प्रकाशित किया ॥३४॥

गुणीभूतव्यञ्जकका निरूपण

इस प्रकार ध्वनि नामक प्रधान काव्यभेदका सविस्तर और सप्रभेद निरूपण करके अब

१ 'न प्रहादभिधीयमानमेतद्विशेषस्य' नि०, 'न प्रहादभिधीयमान तद्विशेषस्य' दी० ।

२ 'अनभिस-चेयमेव' दी० ।

प्रकारोऽन्यो गुणीभूतव्यङ्ग्य काव्यस्य दृश्यते ।

यत्र व्यङ्ग्यान्वये वाच्यत्वास्त्व स्यात् प्रकर्षवत् ॥३५॥

व्यङ्ग्योऽर्थो ललनालावण्यप्रख्यो य प्रतिपादितस्तस्य प्राधान्ये ध्वनिरित्युक्तम् । तस्य तु गुणीभावेन वाच्यचारुत्वप्रकर्षे गुणीभूतव्यङ्ग्यो नाम काव्यप्रमेद प्रकल्प्यते । तत्र घस्तुमात्रस्य व्यङ्ग्यस्य तिरस्कृतवाच्येभ्य प्रतीयमानस्य कदाचिद्वाच्यरूपवाक्यार्थापेक्षया गुणीभावे सति गुणीभूतव्यङ्ग्यता ।

यथा—

लावण्यसिन्धुरपरैव हि फेयमत्र यत्रोत्पलानि शशिना सह सम्प्लवन्ते ।

धन्मज्जति द्विरद्वकुम्भतटी च यत्र यत्रापरे कदलिकाण्डमृणालदण्डाः ॥

गुणीभूत व्यङ्ग्यरूप दूसरे काव्यभेदका निरूपण प्रारम्भ करते हैं । जहाँ व्यङ्ग्य अर्थसे वाच्य अर्थ अधिक चमत्कारी हो जाय उसे गुणीभूतव्यङ्ग्य कहते हैं । गुणीभूतव्यङ्ग्यन आठ भेद माने गये हैं—१ इतराङ्गव्यङ्ग्य, २ कानुसे आश्रित व्यङ्ग्य, ३ वाच्यसिद्धिका भङ्गभूत व्यङ्ग्य, ४ सन्दिग्ध प्राध्यायव्यङ्ग्य, ५ तुल्यप्राध्यायव्यङ्ग्य, ६ अस्पृष्टव्यङ्ग्य, ७ अगूढव्यङ्ग्य और ८ असुन्दर व्यङ्ग्य । इहाँका निरूपण आगे करगे ।

जहाँ व्यङ्ग्यका सम्बन्ध होनेपर वाच्यका चारुत्व अधिक प्रकर्षयुक्त हो जाता है वह गुणीभूतव्यङ्ग्य नामका काव्यका दूसरा भेद होता है ॥३५॥

[प्रतीयमान पुनरन्यदेव धन्मज्जति वाणीषु महाकधीनाम् । यत्तद् प्रसिद्धावयवातिरिक्त विभाति लावण्यभिप्राङ्गनासु ॥ १, ४ कारिकामें] ललनाशोके लावण्य के समान जिस व्यङ्ग्य अर्थका प्रतिपादन किया है उसका प्राधान्य होनेपर ध्वनि [काव्य] होता है यह कह चुके हैं । उस [व्यङ्ग्य] का गुणीभाव हो जानेसे वाच्य [अर्थ] के चारुत्वकी वृद्धि हो जानेपर गुणीभूतव्यङ्ग्य नामका काव्यभेद माना जाता है । उनमें [अधियक्षितवाच्य, लक्षणाभूलध्वनिके अर्थ-तिरस्कृतवाच्य प्रभेदमें] तिरस्कृत वाच्य [पाले] शब्दोंसे प्रतीयमान घस्तुमात्र व्यङ्ग्यके कभी वाच्यरूप वाक्यार्थकी अपेक्षा गुणीभाव [अप्राध्याय] होनेपर गुणीभूतव्यङ्ग्य [काव्य] होता है ।

जैसे—

[नदीके किनारे स्नानार्थ आयी हुई किसी तरुणीको देखकर किसी रसिक जाकी यह उक्ति है । इसमें गुणतीका स्वयं नदीरूपमें वर्णन है ।] यहाँ यह नयी कौन सी लावण्यकी नदी आ गयी है जिसमें चन्द्रमाके साथ कमल तैरते हैं, जिसमें हाथीकी गण्डस्थली उभर रही है और जहाँ कुछ और ही प्रकारके कदलीकाण्ड तथा मृणाल दण्ड दिखाई देते हैं ।

१ 'तस्यैव' नि०, धी० ।

२ 'शब्देभ्य' पाठ नि०, धी० में अधिक है ।

अतिरस्कृतवाच्येभ्योऽपि शब्देभ्यः प्रतीयमानस्य व्यङ्ग्यस्य कदाचिद्वाच्यप्राधान्येन 'काव्यचारुतापेक्षया गुणीभावे सति गुणीभूतव्यङ्ग्यता । यथोदाहृतम् 'अनुरागवती सन्ध्या' इत्येवमादि ।

तस्यैव स्वयमुक्त्या प्रकाशीकृतत्वेन गुणीभावो यथोदाहृतम् 'सङ्केतकालमनसम्' इत्यादि ।

रसादिरूपव्यङ्ग्यस्य गुणीभावो रसवदलङ्कारे^१ दर्शितः । तत्र च तेषामाधिकारिकप्राप्त्यापेक्षया गुणीभावो 'विग्रहप्रवृत्तभृत्यानुयायिराजवत्' ।

यहाँ सिद्ध शब्दों पर परिपूर्णता, उत्पन्न शब्दों से कटाभच्छन्, शशि शब्दों से मुल, द्विरदकुम्भतटी शब्दों से स्तनयुगल, कदलीनाण्ड शब्दों से ऊरुयुगल और मृगालदण्ड शब्दों से भुजारूप अर्थ अभिव्यक्त होता है । इन सब शब्दों का मुरयाथ यहाँ सबथा अनुपपन्न होनेसे 'निद्रासाध इवादर्शश्चन्द्रमान प्रजागत' इत्यादि उदाहरण समान उनका अत्यन्त तिरस्कार हो जानेसे, वह व्यङ्ग्य अर्थका प्रकाशन करत है । 'सालण अत्यन्त तिरस्कृतवाच्यवस्तु' अनि है । परन्तु उसका 'लावण्यसिद्धिरपैव हि प्रेयमत्र' वाच्य अक्षरी गोभातृदिमें ही उपयोग होता है अनप्य वद् वाच्यसिद्धयङ्ग्य रूप गुणीभूत यङ्ग्य है ।

कभी अतिरस्कृतवाच्य शब्दोंसे प्रतीयमान व्यङ्ग्यका वाच्यके चारुत्वकी अपेक्षा से वाच्यका प्राप्ताय होनेसे गुणीभाव हो जानेपर गुणीभूतव्यङ्ग्यता हो जाती है जैसे, 'अनुरागवती सन्ध्या' इत्यादि उदाहरण [पृ० ४२ पर] देखें ।

यहाँ 'अनुरागवती सन्ध्या' आदि श्लोकमें अतिरस्कृतवाच्य सन्ध्या दिवस शब्दमें व्यङ्ग्य तापत्र नायिका परहारणी प्रतीति वाच्यने ही चमत्कारका हेतु है, अतः इतराज्यङ्ग्य नामक गुणीभूत यङ्ग्य है ।

उसी 'व्यङ्ग्य वस्तु' के स्वरूप [अपने वचन द्वारा] प्रकाशित कर देनेसे [वाच्य सिद्धयङ्ग्यव्यङ्ग्य] गुणीभाव होता है । जैसे 'सङ्केतकालमनस' इत्यादि उदाहरण [पृ० १३३ पर] दिया जा चुका है ।

रसादिरूप व्यङ्ग्यका गुणीभाव रसवत् अलङ्कार [के प्रसङ्ग] में दिखला चुके हैं । वहाँ [रसवदलङ्कारमें] उन [रसादि] का आधिकारिक [मुख्य] वाच्यकी अपेक्षासे विवाहमें प्रवृत्त [वररूप] भृत्यके अनुयायी राजाके समान गुणीभाव होता है ।

इसका अभिप्राय यह है कि यद्यपि यङ्ग्य हानसे रस ही सर्वप्रधान होता है । परन्तु जैसे राजा यदि कभी अपने किसी कृपापात्र सेवक पराहमें सम्मिलित हो तो वहाँ पररूप होनेसे सेवकका प्राधान्य होगा और राजा उसका अनुयायी होनेसे गणनी होगा । इसी प्रकार रसवदलङ्कार आदिकी स्थितिमें रस प्रधान होते भी उम समय मुरयता किसी अर्थकी ही होनेसे रसादि उसके अङ्ग अर्थात् गुणीभूत होते हैं ।

'आधिकारिक' शब्दका लक्षण दण्डकारण्य दृष्ट प्रकार किया गया है—

१ 'काव्य पद नि०, दी० म नर्हा ह ।

२ गुणभाव नि०, दी० ।

३ 'गुणीभावे रसवदलङ्कारविषय प्राक् दाशत दी० गुणीभावे रसवदलङ्कारो दर्शित' नि० ।

४ 'विवाह' नि० ।

व्यङ्ग्य-अलङ्कारस्य गुणीभावे दीपकादिविषय ॥३५॥

तथा—

प्रसन्नगम्भीरपदा' काव्यवन्धा' सुखावहा ।

ये च तेषु प्रकारोऽयमेव' योज्यः सुमेधसा ॥३६॥

ये चैतेऽपरिमितस्वरूपा अपि प्रकाशमानास्तथाविधार्थरमणीया^१ सन्तो विवेकिना सुखावहा काव्यवन्धास्तेषु सर्वेष्वेवाय प्रकारो गुणीभूतव्यङ्ग्यो नाम योजनीय । यथा—

अधिकार फलस्वाम्यमधिकारी च तत्प्रभु ।

तत्रिवल्यमभिव्यापि वृत्त स्यादाधिकारिकम् ॥

—दशरूपक १, १२

फलने स्वामित्वमो अधिकार आर उस फलने भोक्तानो अधिकारी कहते हैं । उस अधिकारी द्वारा सम्पादित व्यापक वृत्तको 'आधिकारिक' वस्तु कहते हैं ।

व्यङ्ग्य अलङ्कारके गुणीभावका विषय दीपक आदि [अलङ्कार] हैं ।

प्रस्तुत और अप्रस्तुत पदांशोंमें एक धमका सम्बन्ध होनेपर दीपकालङ्कार होता है—'प्रस्तुता प्रस्तुतयोर्दीपकत्वं निगम्यते ।' द्वितीय उद्योतम् [पृष्ठ १४० पर] 'चन्द्रमऊण्हि गिशा' इत्यादि श्लोक उद्धृत करके यह दिखलाया है कि उसमें चन्द्रमयूरै, कमलै, कुसुमगुच्छै और सज्जनै म तथा निशा, गलिनी, लता और नायगोभाम सादृश्य व्यङ्ग्य है परन्तु वह सादृश्य या उपमा चमत्कारजनक नहीं है अपितु दीपकत्वं अथात् एकधमामिसम्बन्धने ही चमत्कारजनक होनेसे दीपक नामसे ही अलङ्कार-व्यवहार होता है, उपमा नामसे नहीं । अथात् उपमा व्यङ्ग्य होनेपर भी वाच्य दीपकालङ्कार का अङ्ग है अतएव गुणीभूत व्यङ्ग्य है । दीपकादिमें आदि पदसे उसी प्रकारके रूपक, परिणाम आदि अलङ्कारोंका भी ग्रहण कर लेना चाहिये । इस प्रकार व्यङ्ग्यने वस्तु, अलङ्कार तथा रसादि ये तीनों भेद गुणीभूत हो सकते हैं ॥३५॥

वैसे ही—

प्रसन्न [प्रसादगुणयुक्त] और गम्भीर [व्यङ्ग्य सम्बन्धसे अर्थगाम्भीर्ययुक्त] जो आनन्ददायक काव्यरचनाएँ [हों], उनमें बुद्धिमान् कविको इसी प्रकारका उपयोग करना चाहिये [धुनिके सम्भव न होनेपर गुणीभूत व्यङ्ग्यकी योजनासे भी कविको कविपदनी प्राप्ति होती है अथवा कविता उपहासयोग्य ही होती है ।] ॥३६॥

और जो यह नाना प्रकार [अपरिमितस्वरूपा] की उस [अलौकिक व्यङ्ग्यके सस्पश] प्रकारके अर्थसे रमणीय प्रकाशमान रचनाएँ विद्वानोंके लिए आनन्ददायक होती हैं उन सभी काव्यरचनाओंमें गुणीभूत व्यङ्ग्य नामका यह प्रकार उपयोगमें लाना चाहिये । जैसे—

१ 'प्रकारोऽयमेव' नि०, दी० ।

२ 'परिमितस्वरूपा' नि०, दी० ।

३ 'तथा रमणीयाः' नि०, दी० ।

लक्ष्मी दुहिता जामातुः हरी तस घरिणिआ गगा ।
 अमिअमिअङ्का च सुआ अहो कुडुव महोअहिणो ॥
 [लक्ष्मीदुहिता जामाता हरिस्तस्य गृहिणी गङ्गा ।
 अमृतमृगाङ्कौ च सुतावहो कुटुम्ब महोदधे ॥

—इति च्छाया ॥ ३६ ॥]

वाच्यालङ्कारवर्गोऽय व्यङ्ग्याशाशानुगमे सति ।
 प्रायेणैव परा त्रया विभ्रल्लक्ष्ये निरीक्ष्यते ॥३७॥

वाच्यालङ्कारवर्गोऽय व्यङ्ग्याशाशस्यालङ्कारस्य वस्तुमात्रस्य वा^१ यथायोगमनुगमे सति च्छायातिशय विभ्रल्लक्षणकारैरेकदेशेन दर्शित । स तु तथारूप प्रायेण सर्व एव परीक्ष्यमाणो लक्ष्ये निरीक्ष्यते ।

तथा हि दीपकसमासोक्त्यादिउदन्येऽप्यलङ्कारा प्रायेण व्यङ्ग्यालङ्कारान्तरवस्त्व

लक्ष्मी [समुद्रकी] पुत्री हे, विष्णु जामाता हैं, गङ्गा उसकी पत्नी है, अमृत और चन्द्रमा [सरीखे] उसके पुत्र हैं । अहो महोदधिका ऐसा [उत्तम] परिवार है

यहाँ 'लक्ष्मी' पदसे सव्यवस्थायता, 'विष्णु' पदसे परमैश्वर्य, 'गङ्गा' पदसे परमपावनत्व तथा सकलमनारुपपूरणक्षमत्व, 'अमृत' पदसे मरणभयापशमकत्त्व और 'मृगाङ्क' पदसे लोकोत्तराहादजनकत्वादि रूप व्यङ्ग्यमान वस्तु व्यङ्ग्य है, और यह 'अहो कुटुम्ब'से वाच्य विसयका पोषण होकर गुणी भूतव्यङ्ग्यरूपसे चमत्कारजनक होती है ।

लोचनकारने यहाँ 'अमृतपदका' अर्थ वाढणी दिया है और उससे गङ्गास्नान तथा हरिचरणाराधन आदि शतश उपयोग उपलब्ध लक्ष्मीका चन्द्रोदयपानगोष्ठी आदि रूपमें उपयोग ही मुख्य फल है । इसलिए वह लक्ष्मी त्रैलोक्यसारभूत प्रतीत होकर 'अहो' शब्द वाच्य विसयका अङ्ग होकर गुणीभूतव्यङ्ग्यताका उपपादन करती है, इस प्रकारकी वाख्या की है । यह वाख्या पाशुपत सम्प्रदायके अनुकूल प्रतीत होती है ॥ ६॥

यह [प्रसिद्ध] वाच्य अलङ्कारोंका वर्ग व्यङ्ग्य अशके सस्पर्शसे काव्योंमें प्राय अत्यन्त शोभातिशयको प्राप्त होता हुआ देखा जाता है ॥३७॥

यह [प्रसिद्ध] वाच्य अलङ्कारोंका समुदाय व्यङ्ग्याशरूप अलङ्कार अथवा वस्तुका सस्पर्श होनेपर अत्यन्त शोभातिशययुक्त होता हुआ लक्षणकारोंने स्थालीपुलाक^१वायसे [एकदेशेन] दिखलाया है । [अर्थात् व्यङ्ग्य उपमादि अलङ्कारके सस्पर्शसे दीपक तथा व्यङ्ग्य नायक-नायिकाव्यवहारादि वस्तुके सस्पर्शसे समासोक्ति आदि अलङ्कारोंमें शोभा घृष्टिके जो कतिपय उदाहरण दिये हैं यह स्थालीपुलाक^१वायसे ही दो तीन उदाहरण दे दिये हैं] परन्तु विशेष परीक्षा करनेपर तो प्राय सभी अलङ्कार उसी रूपमें [व्यङ्ग्यके सस्पर्शसे शोभातिशयको प्राप्त] काव्योंमें देखे जा सकते हैं ।

जैसे, दीपक और समासोक्ति [जिनके उदाहरण इस रूपमें दिये जा चुके हैं]

१ 'वा' नि० में नहीं है ।

न्तरसस्पर्शिनो' दृश्यन्ते । यतः प्रथम तावदतिशयोक्तिगर्भता सर्वालङ्कारेषु शक्यक्रिया ।
 कृतैव च सा महाकविभिः कामपि काव्यच्छर्विं पुष्यति' । कथं ह्यतिशययोगिता स्वविष-
 यौचित्येन क्रियमाणा सती काव्ये नोत्कर्षमावहेत् । भामहोनाप्यतिशयोक्तिलक्षणे
 यदुक्तम्—

सैषा सर्वैव' वक्रोस्तिरनयाऽर्थो विभाव्यते ।

यत्नोऽस्या कविना कार्यं कोऽलङ्कारोऽनया विना ॥ इति

तत्रातिशयोक्तिर्यमलङ्कारमधितिष्ठति कविप्रतिभावशात्तस्य चारुत्वातिशययोगोऽ-
 न्यस्य त्वलङ्कारमात्रतैवेति सर्वालङ्कारशरीरस्वीकरणयोग्यत्वेनाभेदोपचारात् सैव सर्वालङ्कार-
 रूपा, इत्ययमेवार्थोऽवगन्तव्यः ।

आदिके समान अन्य अलङ्कार भी प्रायः व्यङ्ग्य अथ अलङ्कार अथवा वस्तुके सस्पर्शसे
 युक्त दिखाई देते हैं । क्योंकि सभसे पहिले नो सभी अलङ्कार अतिशयोक्तिगर्भ हो
 सकते हैं । महाकवियों द्वारा विरचित यह [अन्य अलङ्कारोंकी अतिशयोक्तिगर्भता]
 काव्यको अनिर्वचनीय शोभा प्रदान करती ही है । अपने विषयके अनुसार उचित रूपमें
 किया गया अतिशयोक्तिका सम्यग्ध काव्यमें उत्कृष्ट कव्यों नहीं लायेगा [अवश्य लायेगा]
 भामहने भी अतिशयोक्तिके लक्षणमें जो कहा है कि—

[जो अतिशयोक्ति पहले कही जा चुकी है सत्र अलङ्कारोंकी चमत्कारजननी] यह
 सब कही यकोक्ति है । इसके द्वारा [पुराना] पदार्थ [भी विलक्षणतया 'वर्णित किये
 जानेसे] चमक उठता है । [अतः] कविको इसमें [विशेष] यत्न करना चाहिये । इसके
 विना [और] अलङ्कार [ही] क्या है ।

उसमें कविकी प्रतिभायश अतिशयोक्ति जिस अलङ्कारको प्रभावित करती है
 उसको [ही] शोभातिशय प्राप्त होता है । अन्य तो [चमत्कारातिशयरहित केवल]
 अलङ्कार ही रह जाते हैं । इसीसे सब अलङ्कारोंका रूप धारण कर सकनेकी क्षमताके
 कारण अभेदोपचारसे कही सवालङ्काररूप दे, यही अर्थ समझना चाहिये [भामहने
 जो कहा है उसका यह अर्थ समझना चाहिये इस प्रकार वहाँ कहा लभ्या अन्वय
 होता है] ।

निगद्यसागरीय सस्पर्शणम् 'सर्वव वक्रोक्ति'के स्थानपर 'सत्र वक्राक्ति' पाठ है । परन्तु यहाँ
 वृत्तिकारने जो 'सैव सर्वालङ्काररूपा' चारया की है उससे 'सर्वव वक्रोक्ति' यही पाठ उचित प्रतीत
 होता है । परन्तु भामहके काव्यालङ्कारके मुद्रित सस्पर्शणम् 'सत्र' पाठ ही पाया जाता है और अथ
 प्राचीन ग्रंथोंमें भी जहाँ जहाँ भामहकी यह कारिका उद्धृत हुई है उनमें 'सर्वव' पाठ ही रखा गया
 है । इससे भामहका मूल पाठ तो 'सत्र' ही जान पड़ता है परन्तु ध्वयालोचकारने उसके स्थानपर

१ 'व्यङ्ग्यालङ्कारवस्वन्तरसस्पर्शिनो' नि०, दी० ।

२ 'पुष्यताति' नि०, दी० ।

३ 'सर्वत्र' नि०, दी० ।

तस्याश्चालङ्कारान्तरसङ्कीर्णत्व कदाचिद्वाच्यत्वेन, कदाचिद् व्यङ्ग्यत्वेन । व्यङ्ग्य-
त्वमपि कदाचित् प्राधान्येन कदाचिद् गुणभावेन । तत्राद्ये पक्षे^१ वाच्यालङ्कारमार्ग ।
द्वितीये तु ध्वनावन्तर्भाव^२ । तृतीये तु गुणीभूतव्यङ्ग्यरूपता ।

अथ च प्रकारोऽन्येषामप्यलङ्काराणामस्ति । तेषां तु^३ न सर्वविषयोऽतिशयोक्तेस्तु
सर्वालङ्कारविषयोऽपि सम्भवतीत्यय विशेष । येषु चालङ्कारेषु सादृश्यमुखेन तत्त्वप्रति-
लम्भ, यथा रूपकोपमातुल्ययोगितानिदर्शनादिषु तेषु गम्यमानधर्ममुखेनैव यत्सादृश्य
तदेव शोभातिशयशालि भवतीति ते सर्वेऽपि चारुत्वातिशययोगिनः सन्तो गुणीभूत-
व्यङ्ग्यस्यैव विषया । समासोक्त्याक्षेपर्यायोक्तादिषु तु गम्यमानाशाविनामावेनैव
तत्त्वव्यवस्थानाद् गुणीभूतव्यङ्ग्यता निर्विवादैव ।

'सर्वैव' पाठ उद्धृत किया है और तदनुसार ही उसकी वृत्तिम व्याख्या की गयी है । इसलिए यहाँ
ध्वन्यालोककारका अभिमत पाठ ही मूलमें रखा गया है । भामहका वास्तविक पाठ नहीं ।

उस [अतिशयोक्ति] का अन्य अलङ्कारोंके साथ सङ्कर कभी वाच्यत्वेन और
कभी व्यङ्ग्यत्वेन [होता है] । व्यङ्ग्यत्व भी कभी प्रधानरूपसे और कभी गौणरूपसे
[होता है] । उनमेंसे पहिले [वाच्यरूप] पक्षमें वाच्यालङ्कारका मार्ग है । दूसरे
[प्राधान्येन व्यङ्ग्य] पक्षमें ध्वनिमें अन्तर्भाव होता है और तीसरे [व्यङ्ग्यके अप्राधान्य
पक्ष] में गुणीभूतव्यङ्ग्यता होती है ।

और यह [अलङ्कारांतरानुपवेश द्वारा तत्पोषणरूप] प्रकार अथ [उपमादि]
अलङ्कारोंमें भी होता है । उनके तो सब [अलङ्कार] विषय नहीं होते, अतिशयोक्तिके तो
सारे अलङ्कार विषय हो सकते हैं इतना भेद है । जिन अलङ्कारोंमें सादृश्य द्वारा
अलङ्कारत्व [तत्त्व] की प्राप्ति होती है जैसे रूपकोपमा, तुल्ययोगिता, निदर्शना आदिमें
उनमें गम्यमान [व्यङ्ग्य] धर्मरूपसे प्राप्त जो सादृश्य है वही शोभातिशययुक्त होता
है इसलिए वे सभी चारुत्वके अतिशयसे युक्त होनेपर गुणीभूतव्यङ्ग्यके ही भेद होते
हैं । समासोक्ति, आक्षेप, पर्यायोक्त आदिमें तो व्यङ्ग्य अशके अग्निनाभूतरूपमें ही
तत्त्व [उन अलङ्कारोंके स्वरूप]की प्रतिष्ठा होती है अतः उनमें गुणीभूतव्यङ्ग्यता
निर्विवाद ही है ।

रूप, उपमा, तुल्ययोगिता, निदर्शना आदि अलङ्कार सादृश्यमूलक हैं, इनमेंसे एक उपमाको
छोड़कर शेष सबमें सादृश्य गम्यमान, व्यङ्ग्य होता है । वह व्यङ्ग्य सादृश्य वाच्य अलङ्कारके
चारुत्वातिशयना हेतु होता है । इसलिए व्यङ्ग्यके वाच्यकी अपेक्षा गौण होनेसे गुणीभूतव्यङ्ग्यता स्पष्ट
ही है । इसीलिए उन अलङ्कारोंके नाम व्यङ्ग्यसादृश्यके आधारपर नहीं, अपितु वाच्य तुल्ययोगिता
आदिके अनुसार रखे गये हैं । इस सूचीमें रूपके साथ उपमाका नाम भी है । परन्तु उसके साथके
अन्य अलङ्कारोंमें जिस प्रकार सादृश्य गम्यमान होता है उस तरह उपमामें नहीं होता है । इसलिए
कुछ लोग रूप और उपमाको एक ही पद मानकर रूपकोपमाको रूपका ही वाचक मानते हैं ।

१ 'प्रकारे' दी० ।

२ 'तु' पाठ नि०, दी० में नहीं है ।

३ 'विषय' नि०, दी० ।

और दूसरे लोग 'चद्र इव मुखम्' इत्यादि स्थलाम आह्लादविशेषजनकत्वरूप साधम्यको व्यङ्ग्य मानकर उसका समन्वय करते हैं। और तीसरे लोग उपमा शब्दसे उपमामूलक अलङ्कारोंका ग्रहण करके सङ्गति लगाते हैं। समासोक्ति आदिमें तो 'यद्गम्य अशके त्रिना उनका स्वरूप ही नहीं बनता है अतः गुणीभूतव्यङ्ग्यता स्पष्ट ही है।

यहाँ प्रस्तुत किये गये अलङ्कारोंके लक्षणादि इस प्रकार हैं—

१—रूपक रूपितारोपो विषये निरपह्नवे ।
तत् परम्परित साङ्ग निरङ्गमिति च त्रिधा ॥

—सा० ६०, १०, २८

जैसे, मुखचन्द्र इत्यादिमें मुख और चन्द्रका आह्लादकत्वान्ति सादृश्य व्यङ्ग्य होता है। परन्तु वह वाच्य रूपकके चारुत्वातिशयका ही हेतु होता है अतः गुणीभूत-यद्गम्य होता है।

२—सम्भवन् वस्तुसम्बन्धोऽसम्भवन्नपि कुत्रचिन् ।
यत्र विम्बानुविम्बत्व बोधयेत् सा निदर्शना ॥

—सा० ६०, १०, ८१

जैसे—

स्व सुप्रमवो वश स्व चान्यविषया मति ।

तितीपुदुस्तर मोहाद्गुह्युपेनास्मि सागरम् ॥ —रघुवंश, १, ४

यहाँ स्ववशका वणन सागरके पार करनेके समान कठिन और मेरी मन्द मति प्रमथ [छोटी नौका] के समान है। यह सादृश्य व्यङ्ग्य होनेपर भी वह विम्बानुविम्बत्वरूप निदर्शनात् चारुत्वका हेतु होनेसे गुणीभूतव्यङ्ग्य है।

३—पदायाना प्रस्तुतानामन्येषा वा यदा भवेत् ।
एकधमाभिसम्बन्धो स्यात् तदा तुल्ययोगिता ॥

—सा० ६०, १, १०

जैसे—

दान वित्तादत वाच कीर्तिधमा तथायुष ।

परोपकरण कायादसारालसारमाहरेत् ॥

यहाँ वित्तका दान, वाणीका सत्य, आयुका कीर्ति और धम तथा अरुणका परोपकारकरण अरुणसे सहज हैं यह व्यङ्ग्य सादृश्य, दान आदिक साथ 'असारत् सारमाहरेत्' रूप एकधमने सम्बन्धसे होनेवाले वाच्य तुल्ययोगितालङ्कारका पोषक होनेसे गुणाभूत-यद्गम्य है।

४—समासोक्ति समैयत्र कायलिङ्गविशेषणै ।
व्यवहारसमारोप प्रकृतेऽन्यस्य वस्तुन ॥

—सा० ६०, १०, ५६

जैसे—

असमाप्तजिगीषस्य स्त्रीचिन्ता का मनस्विन ।

अनाक्रम्य जगत्सर्वं नो सप्या भन्ते रवि ॥

यहाँ रवि और सप्यामें नायक नायिकाके व्यवहारका आरोप गम्यमान है। परन्तु वह वाच्य समासोक्तिका अविनाभूत है। उसके बिना समासोक्ति बन ही नहीं सकती है, अतएव वह गुणीभूत होनेसे गुणीभूत-यद्गम्य है।

तत्र च गुणीभूतव्यङ्ग्यतायामलङ्काराणां केषाञ्चिदलङ्कारविशेषगर्भतायां नियमः ।
यथा व्याजस्तुते प्रयोऽलङ्कारगर्भत्वे ।

केषाञ्चिदलङ्कारमात्रगर्भतायां नियमः । यथा सन्देहादीनामुपमागर्भत्वे ।

जैसे—

५—पर्यायोक्तं यदा भङ्गया गम्यमेवाभिधीयते ॥ —सा० ६०, १०, ६०

स्पृष्टास्ता नन्दने शच्यां पेशसम्भोगलालिता ।

सावश पारिजातस्य भङ्गयो यस्य सैनिकैः ॥

यहाँ हयग्रीवने स्वर्गको विजय कर लिया है यह व्यङ्ग्य अश है परन्तु उसके बिना पर्यायोक्तका स्वरूप ही नहीं बनता है अतएव पर्यायोक्तका अविनाभूत होनेसे व्यङ्ग्य गुणीभूत होता है ।

६—वस्तुनो वक्तुमिष्टस्य विशेषप्रतिपत्तये ।

निपेधाभास आक्षेपो वश्यमाणोत्तमो द्विधा ॥

—सा० ६०, १०, ६४

जैसे—

तव विरहे हरिणाभी निरीक्ष्य नवमालिकां दलिताम् ।

हृत नितान्तमिदानीं आ किं हतजल्पितैरथवा ॥

यहाँ यङ्ग्य अर्थ है 'मरिच्यति', परन्तु वह वाच्य आक्षेपका अविनाभूत है । उसके बिना आक्षेप अलङ्कारका स्वरूप ही नहीं बन सकता है, अतएव यह गुणीभूत व्यङ्ग्य होता है ।

१—उस गुणीभूतव्यङ्ग्यतामें किन्हीं अलङ्कारोंका अलङ्कारविशेषगर्भित होनेका नियम है । जैसे व्याजस्तुतिके प्रयोऽलङ्कारगर्भत्वं [के विषय] में ।

उत्ता याजस्तुति पुन ।

निदास्तुतिभ्यां वाच्याभ्यां गम्यत्वे स्तुतिविदयो ॥

—सा० ६०, १०, ५६

'याजस्तुतिमें वाच्य निदासे प्रतीयमान राजा या देवादिविषयक रतिरूप 'भाव' व्यङ्ग्य होता है । और वह स्तावकनिष्ठ स्तवनीयविषयक प्रेमरूप 'यङ्ग्य 'भाव' वाच्य व्याजस्तुतिके गर्भमें अवश्य रहेगा । अन्यथा व्याजस्तुति बन ही नहीं सकती । अतएव गुणीभूत व्यङ्ग्य होता है । यह राजा या देवादिविषयक रति, 'भाव' कहलाती है । और भावके अयाङ्ग होनेपर प्रयोऽलङ्कार होता है । इसलिए 'याजस्तुतिमें प्रयोऽलङ्कारका होना आवश्यक है ।

२—किन्हीं अलङ्कारोंमें अलङ्कारमात्र गर्भित होनेका नियम है । जैसे सन्देहादिक उपमागर्भ होनेमें [उपमा शब्द यहाँ सादृश्यमूलक अलङ्कारोंका प्रादक है] ।

सन्देह अलङ्कारका लक्षण निम्नलिखित है—

सन्देहः प्रकृतेऽन्यस्य संशयः प्रतिभोत्थितः ।

गुह्यो निश्चयगर्भोऽप्यौ निश्चयान्त इति द्विधा ॥

—सा० ६०, १०, ३५

जैसे—

अयं मार्तण्ड किं स खलु तुरगैः सप्तमितितः

बृहान् किं सर्वां प्रसरति दिशो नैव नियतम् ।

केयाञ्चिदलङ्काराणा परस्परगर्भतापि सम्भवति, यथा दीपकोपमयो । तत्र दीप
कमुपमागर्भत्वेन प्रसिद्धम् । उपमापि कदाचिद्दीपकच्छायाऽनुयायिनी । यथा मालोपमा ।
तथा हि 'प्रभामहत्या शिलयेव दीप' इत्यादौ स्फुटैव दीपकच्छाया लक्ष्यते ।

तदेव व्यङ्ग्यथाशक्त्येव सति चारुत्यातिशययोगितो रूपकादयोऽलङ्कारा सर्वे एव
गुणीभूतव्यङ्ग्यव्यङ्ग्यस्य मार्ग । गुणीभूतव्यङ्ग्यत्व च तेषा तथाजातीयाना सर्वेषामेवो
छानामनुष्ठाना सामान्यम् । तल्लक्षणे सर्वे एवैते सुलभिता भवन्ति ।

वृत्तं किं वाधा महिषवहनाऽभाविति पुन
समालोक्याजौ त्वा विरुपति विरुहान् प्रतिभग ॥

इत्यादि सन्देहालङ्कारके उदाहरणोपमा निरमत्त गमन रहती है । वैसे वा उपमा भी एक
अलङ्कारविशेषका ही नाम है । अतएव इतरा भी अलङ्कारविशयगर्भताय नियमवाले वर्गमें ही रखना
चाहिये था । परन्तु उपमान नामा अलङ्कारका रूप धारण करनेकी सामर्थ्य है, इसलिए उसे अलङ्कार
सामान्य मानकर ही अलङ्कारमात्रगभताका उदाहरण मांगा है ।

३—किन्हीं अलङ्कारोंमें परस्परगर्भता भी हो सकती है, जैसे दीपक और
उपमानों । उनमेंसे उपमागर्भ दीपक प्रसिद्ध ही है, परन्तु कभी-कभी उपमा भी दीपककी
छायानुयायिनी होती है, जैसे मालोपमानों । इसीसे 'प्रभामहत्या शिलयेव दीप'
इत्यादिमें दीपककी छाया स्पष्ट ही प्रतीत होती है ।

प्रभामहत्या शिलयेव दीपत्रिमागयेव त्रिदिवस्य माग ।

सरकारकयेन गिरा मनीषी तथा स पृतश्च विभूषितश्च ॥—कुमारस०, १, २८

यह 'कुमारसम्भर'का श्लोक है । इसमें मालोपमा अलङ्कार है । मालोपमाका लक्षण है—
'मालोपमा यदेकस्योपमान बहु दृश्यते ।' यदि एक उपमेयके अनेक उपमान हों तो मालोपमा अलङ्कार
होता है । यहाँ पार्वतीके जामसे हिमालय ऐसे पवित्र और सुशोभित हुआ जैसे प्रभापुत्र दीपशिलासे
दीपक, अथवा जैसे त्रिमार्गंगा गङ्गासे आकाश, अथवा जैसे सरदारवती वाणीसे विद्वान् पुरुष पवित्र
और अलङ्कृत होता है । यहाँ एक उपमेयके तीन उपमान होनेसे मालोपमा है । परन्तु मालोपमाके
गर्भमें दीपक अलङ्कार है—'प्रस्तुताप्रस्तुतयोर्दीपकं नु निगद्यते ।' प्रस्तुत और अप्रस्तुत पदार्थोंमें एक
धर्माभिन्नत्व घटानेसे दीपक अलङ्कार होता है । यहाँ पावताके सम्बन्धसे हिमालयका पवित्र होना
प्रस्तुत है और उसका उपमानभूत तीनों अथ अप्रस्तुत हैं । उन चारोंमें 'पृतत्व' और 'विभूषितत्व' रूप
एकधर्मका सम्बन्ध होनेसे दीपकालङ्कार हुआ । अतएव यह दीपकगर्भ उपमाका उदाहरण हुआ ।

इस प्रकार व्यङ्ग्यव्यङ्ग्यका सस्पश होनेपर शोभातिशयको प्राप्त होनेवाले रूपक आदि
सब ही अलङ्कार गुणीभूतव्यङ्ग्यके मार्ग हैं । और गुणीभूतव्यङ्ग्यत्व उस प्रकारके
[व्यङ्ग्यसस्पशसे चारुत्वोपयोगी] कहे गये [दीपक, तुल्ययोगिता आदि] या न कहे हुए
[सन्देह आदि] उन सभी अलङ्कारोंमें सामान्य रूपसे रहता है । उस [गुणीभूतव्यङ्ग्य]
का लक्षण हो जानेपर [या समझ लेनेसे] यह सब ही [अलङ्कार] सुलक्षित हो जाते हैं ।

इसका अभिप्राय यह है कि विच्छित्तिविशेषने आधायक व्यङ्ग्यसस्पशके अभावमें, 'गौरव
गवय' यहाँ उपमा, 'आदित्यो युप' इत्यादिमें रूपक, 'स्याणुत्रा पुरुषो वा' इत्यादिमें सन्देह, श्रुतिमें

एकैकस्य 'स्वरूपविशेषकथनेन तु सामान्यलक्षणरहितेन प्रतिपदपाठेनैव' शब्दा न शक्यते तत्त्वतो निर्धारितुम् । जानन्त्यात् । अनन्ता हि वाग्विकल्पास्तत्प्रकारा एव चालङ्कारा ।

गुणीभूतव्यङ्ग्यस्य च प्रकारान्तरेणापि व्यङ्ग्यार्थानुगमलक्षणेन विषयत्वमस्त्येव ।

'इद रजतम्' इत्यादिमें भ्रातिमान्, उसी गुक्तिमें 'नेय गुक्ति इद रजतम्' इत्यादिमें अपहृति, इसने विपरीत उसी शुक्तिम 'नेद रजतम् इय शुक्ति' इत्यादिम निश्चय, 'आद्यन्तो टन्तौ' इत्यादिमें यथासख्य, 'अथा भव्यन्ताम् भुष्यताम् दी यताम्' इत्यादिमें श्लेष, 'पीनो देवदत्त दिवा न भुङ्क्ते' इत्यादिमें अथापत्ति, 'स्थाध्वारिष' इत्यादिम तुल्ययोगिता, 'गामस्य पुरुष पशु' इत्यादिम पुरुषके प्रस्तुत होनेपर दीपक, 'द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया' इत्यादिमें अतिशयोक्ति अलङ्कार नहीं हैं । इसलिए व्यङ्ग्यने अभावम अलङ्कारत्वका अभाव होनेसे 'तदभावं तदभावो व्यतिरेक' इत्यादिरूप व्यतिरेक, तथा चंद्र इव मुखम्, मुख चंद्र इत्यादिमें आह्लादकत्व आदि वद्वयका सम्बन्ध होनेपर अलङ्कारत्व होनेसे 'तत्सत्त्वे तत्सत्ताऽवय' रूप अवयवना ग्रहण होनेसे, अवयव व्यतिरेकसे यह निर्णय होता है कि 'यङ्ग्यसम्बन्ध ही अलङ्कारताका प्रयोजक है । जैसे इपत्रिगूढ कामिनीके कुचकलश अपनेसे सम्बद्ध हार आदि अलङ्कारोंके शोभाजनक होते हैं इसी प्रकार यह गुणीभूतव्यङ्ग्य, उपमादि अलङ्कारोंको चारुवातिशय प्रदान करता है । यह गुणीभूतव्यङ्ग्यत्व सभी अलङ्कारोंका साधारणधर्म है । गुणीभूत व्यङ्ग्यका लक्षण होनेसे ही अलङ्कारोंका लक्षण पूर्ण हो जाता है । इसीसे अलङ्कार सुलक्षित—पूर्णतया लक्षित—होते हैं अथवा 'गौरिव गवय' आदिके समान उनमें अयाति आदि आना अनिवाय है ।

सामान्य लक्षणरहित प्रत्येक अलङ्कारके अलग अलग स्वरूपकथनसे तो प्रतिपदपाठसे [अनन्त] शब्दोंके [ज्ञान] के समान उन [अलङ्कारों] का, अनन्त होनेसे, पूर्ण ज्ञान नहीं हो सकता । कथनकी अनन्त शैलियों हैं और ये ही अनन्त अलङ्कारके प्रकार हैं ।

सामान्य लक्षण द्वारा ही उनका ज्ञान हो सकता है । अलग अलग प्रत्येक अलङ्कारके समस्त यैदोपभेद आदिका ज्ञान सम्भव नहीं है जैसे प्रतिपदपाठसे शब्दोंका ज्ञान असम्भव है । यह 'प्रतिपदपाठ' शब्द महाभाष्यमें आये हुए प्रकरणकी ओर सङ्केत करता है । महाभाष्यमें शब्दानुशासन की पद्धतिका निर्धारण करते हुए लिखा है—

'अथैतस्मिन् शब्दोपदेशे क्व ये सति किं शब्दाना प्रतिपत्तौ प्रतिपदपाठ कर्तव्य, गौरस्य पुरुषो हस्ती शकुनिर्मुँगो ब्राह्मण इत्येवमादय शब्दा पठितव्या ? नेत्याह । अनभ्युपाय शब्दाना प्रतिपत्तौ प्रतिपदपाठ । एव हि श्रूयते बृहस्पतिरिद्राय दिव वर्षसहस्र प्रतिपदोक्ताना शब्दाना शब्द पारायण प्रोवाच, न चान्त जगाम । बृहस्पतिश्च प्रवृत्ता, इद्रश्चाप्येता, दिव्य वर्षसहस्रमध्ययनकालो न चान्त जगाम । किं पुनरयत्ने य सर्वथा चिर जीवति स वर्षशत जीवति ।

और गुणीभूतव्यङ्ग्यका विषय [केवल एक अलङ्कारमें दूसरे व्यङ्ग्य अलङ्कारके सम्बन्धसे ही नहीं अपितु यस्तु अथवा रसादिरूप अन्य] व्यङ्ग्य अर्थके सम्बन्धसे

१ 'रूपविशेषकथनेन' नि०, दी० ।

२ 'प्रतिपदपाठेनैव' नि०, दी० ।

तद्य ध्वनिनिष्पन्दरूपो द्वितीयोऽपि महाकविपयोऽतिरमणीयो लक्षणीय सहृदये ।
सर्वथा नास्त्येव सहृदयहृदयहारिणः काव्यस्य स प्रकारो यत्र न प्रतीयमानार्थसस्पर्शेन
सौभाग्यम् । तदिदं काव्यरहस्य परमिति सूत्रिभिर्विभाषनीयम् ॥३७॥

मुख्या महाकविगिरामलङ्कृतिभृतामपि ।

प्रतीयमानच्छायैषा भूषा लज्जेव योपिताम् ॥३८॥

अनया सुप्रसिद्धोऽप्यर्थ किमपि कामनीयकामानीयते । तथा—

विस्मन्भोत्या मन्मथाद्याविधाने ये मुग्धाद्या केऽपि लीलाविशेषा ।

अक्षुण्णास्ते चेतसा केवलेन स्थित्वैकान्ते सन्तत भावनीया ॥

अन्य प्रकारसे भी होता ही है । इसलिए अति रमणीय महाकविपयत्र यह दूसरा
ध्वनिप्रवाह भी सहृदयोंको समझ लेना चाहिये । सहृदयोंके हृदयको सुगम करनेवाले
कायका ऐसा कोई भेद नहीं है, जिसमें व्यङ्ग्य अर्थके सम्बन्धसे सोन्दर्य न आ जाता
हो । इसलिए विद्वानोंको यह समझ लेना चाहिये कि यह [व्यङ्ग्य, और फेवल,
व्यङ्ग्यसस्पर्श ही] कायका परम रहस्य है ।

यहाँ गुणीभूतव्यङ्ग्यको ध्वनिना निष्पन्द कहा है । उसका अर्थ उसकी दूसरी धारा या
उससे उत्पन्न दूसरा प्रवाह ही हो सकता है । उसका सार नहीं समझना चाहिये । दक्षिणा सार
नवनीत है । इस प्रकार गुणीभूतव्यङ्ग्यको ध्वनिना सार नहीं कहा जा सकता है । उसे अधिकसे
अधिक 'आमिशा' छेनाका स्थान दिया जा सकता है । गम दूधमें दही डाल देनेसे यह पट जाता है,
उसका जो घना अंश छना है उसे 'आमिशा' कहते हैं—'तते परसि दधानयति सा वैश्वदे' 'आमिशा
भवति ।' गुणीभूतव्यङ्ग्य अधिकसे अधिक आमिशास्थानीय ही हो सकता है, नवनीतस्थानीय
नहीं । इसी प्रकार उस गुणीभूतव्यङ्ग्य का यमें 'अतिरमणीयता' ध्वनिना अपेक्षा नहीं, अपितु चित्र
काव्यादिकी दृष्टि ही हो सकती है । प्रथम उद्योतमें ध्वनिका 'सत्त्वसत्त्विका योपनिपद्भूत' कहा
था, उसीका उपग्रह 'काव्यरहस्य' का यह उद्योत है । इसी बातको अगली कारिका में उपमा
द्वारा समर्पित करते हैं ॥३७॥

अलङ्कार आदिसे युक्त होनेपर भी जैसे लज्जा ही कुलवधुआका मुख्य अलङ्कार
होती है, उसी प्रकार [उपमादि अलङ्कारोंसे भूषित होनेपर भी] यह व्यङ्ग्यार्थकी छाया
ही महाकवियोंकी वाणीका मुख्य अलङ्कार है ॥३८॥

इस [प्रतीयमानकी छाया या व्यङ्ग्यार्थके सस्पर्श] से सुप्रसिद्ध [चटुवर्णित होनेसे
वासी हुए] अर्थमें भी कुछ अनिर्वचनीय [नूतन] सादृश्य आ जाता है । जैसे—

[अनुल्लस्यशासन] कामदेवकी आशापालनमें मुग्धाक्षी [वामलोचना सुन्दरी] के
विश्राम [परिचय, तथा मदनोद्रेकजन्य त्रपा, साधरस आदिरु ध्वस] से उत्पन्न और
केवल चित्तसे [भी] अश्रुण्ण प्रतिक्षण नवीन जो कोई अनिर्वचनीय हाव भाव [हाते] हैं
वह एकान्तमें घेठकर [तन्मय होकर] चिन्तन करने योग्य हाते हैं ।

इत्यत्र, केऽपीत्यनेन पदेन वाच्यमस्पष्टमभिद्वयता प्रतीयमानं 'वस्त्वच्छिष्टमन्त-
मर्षयता का छाया नोपपादिता ॥३८॥

अर्धान्तरगति' काक्वा या चैपा परिहृद्यते ।

सा व्यङ्ग्यस्य गुणीभावे प्रकारमिममाश्रिता ॥३९॥

या चैपा काक्वा क्वचिदर्थान्तरप्रतीतिर्दृश्यते सा व्यङ्ग्यस्यार्थस्य गुणीभावे सति
गुणीभूतव्यङ्ग्यलक्षण काव्यप्रभेदमाश्रयते ।

प्रथा—

'स्वस्या भवन्ति मयि जीवति धातराष्ट्रा ।'

इस उदाहरणम वाच्य अर्थकी स्पष्ट रूपसे न कहनेवाले 'केऽपि' इस पदो
अनन्त और अश्लिष्ट व्यङ्ग्यका बोधा कराते हुए कौन सा सौन्दर्य नहीं उत्पन्न कर
दिया है ॥३८॥

आगे काक्वाश्रित गुणीभूतव्यङ्ग्यका निरूपण करते हैं—

काक्वाश्रित गुणीभूतव्यङ्ग्य

और काकु द्वारा जो यह [प्रसिद्ध] अर्धान्तर [विलकुल भिन्न अर्थ, अथवा उसी
अर्थका वैशिष्ट्य, अथवा उसका अभावरूप अन्य अर्थ] की प्रतीति दिखलाई देती है
यह, व्यङ्ग्यके गोण होनेसे इसी [गुणीभूतव्यङ्ग्य] भेदके अन्तर्गत होती है ।

और वही काकुसे जो यह [प्रसिद्ध] अन्य [वाच्य अर्थसे भिन्न १ अर्धान्तर,
अथवा उसी वाच्य अर्थका २ अर्धान्तरसङ्गमित विशेष, अथवा ३ तदभावरूप
त्रिविध] अर्थकी प्रतीति देखी जाती है वह व्यङ्ग्य अर्थका गुणीभाव होनेपर गुणीभूत
व्यङ्ग्य नामक काव्यभेदके अन्तर्गत होती है । जैसे—

'मेरे [भीमसेनके] जीवित रहते धृतराष्ट्रके पुत्र [कौरव] स्वस्य रहें ।'

यह 'वेणिसहार' नाटकमें भीमसेनकी उक्तिका अंतिम चरण है । पूरा श्लोक इस
प्रकार है—

लाक्षाग्रहानलविषाजसभाप्रवेशी

प्राणेषु वित्तनिचयेषु च न प्रहृत्य ।

आश्रय पाण्डवधूपरिधानवेशान्

स्वस्या भवति मयि जीवति धातराष्ट्रा ॥

लाक्षाग्रहम भाग लगाकर, विषका अन्न खिलाकर, घूलसभा द्वारा हमारे प्राणों और धन
सम्पत्तिपर प्रहार कर और पाण्डवोंकी स्त्री द्रौपदीके वस्त्र खानेकी दुश्चेष्टा करके भी, मुझ भीमसेनके
जीतेजी धृतराष्ट्रके पुत्र निश्चित होकर बैठ जायें । यहाँ 'यह असम्भव है' यह अर्थ काकुसे अमि
व्यक्त होता है ।

बोलनेके दग या लहजेको 'काकु' कहते हैं—'भिन्नकण्ठध्वनिधरे काकुस्त्वभिधीयते ।' काकु
शब्द 'कक लौट्ये' धातुसे बना है । काकाक्ष या निराकाक्षरूपमें विशेष दगसे बोला जानेवाला काकु

यथा वा—

आम असइओ ओरम पइव्वए ण तुए मलिणिअं सीलम् ।

किं उण जणस्य जाअ व्व चन्दिल त ण कामेमो ॥

[आम असत्य, उपरम पतिव्रते न त्वया मलिनित शीलम् ।

किं पुनर्जनस्य जायेव नापित त न कामयामहे ॥

—इति च्छाया]

शब्दशक्तिरेव हि स्वाभिधेयसामर्थ्याक्षिप्तकाकुसहाया सती, अर्थविशेषप्रतिपत्ति-
हेतुर्न काकुमात्रम् । विषयान्तरे स्वेच्छाकृतात् काकुमात्रात् तथाविधार्थप्रतिपत्त्यसम्भवात् ।
स पार्थः काकुविशेषसहायशब्दव्यापारोपासुडोऽयर्थलभ्य इति व्यङ्ग्यरूप एव । वाच-
कत्वानुगमेनैव तु यदा चद्विशिष्टवाच्यप्रतीतिसदा गुणीभूतव्यङ्ग्यतया तथाविधार्थद्योतिन
काव्यस्य व्यपदेश । व्यङ्ग्यविशिष्टवाच्याभिधायिनो हि गुणीभूतव्यङ्ग्यत्वम् ॥ ३९ ॥

युक्त वाच्य प्रकृत वाच्यार्थसे अतिरिक्त अन्य अर्थकी भी आकाशा करता है यही उसका लोच्य है ।
इसीके कारण उसे 'काकु' कहते हैं ।

अथवा जैसे—

अच्छा ठीक है, हम असती हैं, पतिव्रता महारानी, पर आप चुप रहिये । आपने
तो अपना चरित्र भ्रष्ट नहीं किया । हम क्या साधारण जनकी स्त्रियोंके समान उस
नार्थकी कामना न करें ।

यहाँ 'स्वयं नीच नापितपर अनुरक्त होकर भी हमारे ऊपर आक्षेप करती है' इत्यादि अनेक
व्यङ्ग्य, अनेक पदोंमें, काकु द्वारा प्रतीत होते हैं । अतएव यह गुणीभूतव्यङ्ग्यका उदाहरण है ।

[काकुके उदाहरणोंमें] शब्दकी [अभिधा] शक्ति ही अपने वाच्यार्थकी सामर्थ्यसे
आक्षिप्त, काकुकी सहायतासे अर्थविशेष [व्यङ्ग्य]की प्रतीतिका कारण होती है,
अकेली काकुमात्र [ही] नहीं । क्योंकि अन्य स्थलोंमें स्वेच्छाकृत काकुमात्रसे उस
प्रकारके अर्थकी प्रतीति असम्भव है । और यह [काकुसे आक्षिप्त] अर्थ काकुविशेषकी
सहायतासे शब्दव्यापार [अभिधा] में उपाकृत होनेपर भी अर्थकी सामर्थ्यसे लभ्य
होनेसे व्यङ्ग्यरूप ही होता है । उस [आक्षिप्त अर्थ]से विशिष्ट वाच्यार्थकी प्रतीति जय
वाचकत्व [अभिधा] की अनुगामिनी [गुणीभूत] रूपमें होती है तब उस अर्थके प्रका-
शक काव्यमें गुणीभूतव्यङ्ग्यत्वरूपसे व्यवहार होता है । व्यङ्ग्यविशिष्ट वाच्यका
कथन करनेवाले [वाच्य] का गुणीभूतव्यङ्ग्यत्व [होता] है ।

इस उक्तवालीसवा कारिकामें 'सा व्यङ्ग्यस्य गुणीभावे प्रकारमिममाधिता' पाठ आया है ।
उससे कुछ लोग यह अर्थ लगाते हैं कि काकुसे जो अर्थांतरकी प्रतीति होती है उसका गुणीभाव
होनेपर गुणीभूतव्यङ्ग्य होता है । अर्थात् उसका प्राधान्य होनपर ध्वनिवाच्य भी हो सकता है । इस
प्रकार काकुम ध्वनि और गुणीभूतव्यङ्ग्य दोनों प्रकार मानते हैं और उन दोनों अर्थात् 'काकु
ध्वनि' और 'काकुगुणीभूतव्यङ्ग्य'की विषयव्यवस्था इस प्रकार करते हैं कि जहाँ काकुसे आक्षिप्त
अर्थके बिना भी वाच्यार्थकी प्रतीति पूर्ण हो जाय आर प्ररणादिही पर्यालोचनाके बाद व्यङ्ग्य

प्रभेदस्यास्य विषयो यश्च युक्त्या प्रतीयते ।

विधातव्या सहृदयैर्न तत्र ध्वनियोजना ॥४०॥

सङ्कीर्णो हि कश्चिद् ध्वनेर्गुणीभूतव्यङ्ग्यस्य च लक्ष्ये दृश्यते मार्गः । तत्र यस्य 'युक्तिसहायता तत्र तेन व्यपदेशः कर्तव्यः । न सर्वत्र ध्वनिरागिणा भवितव्यम् । यथा—

अर्थका बोध हो वहाँ काकुध्वनि होती है । और जहाँ काकुमे आक्षिप्त अथके बिना, वाच्यार्थकी प्रतीति ही समाप्त न हो वहाँ 'गुणीभूतव्यङ्ग्यकाकु' होता है । ऐस लागीने—

तथाभूता दृष्टा नृपसदसि पाञ्चालतनया
वने व्याधै सार्धं सुचिरमुपित वल्कलधरैः ।
विराटस्यावासे स्थितमनुचितारम्भनिभृत
गुरु रोद तित्रे मयि भजति नाचापिकुरुषु ॥

इत्यादि श्लोकको 'काकुध्वनि का उदाहरण माना है । यह श्लोक भी पूर्व उदाहृत श्लोकके समान 'वेणीसद्वार' नाटकमें भीमसेनके द्वारा कहा गया है । उसका भाव यह है कि राजा धृतराष्ट्रकी समामें नगी की जाती हुई द्रौपदीको देखकर गुरु युधिष्ठिरको दुःख नहीं हुआ । हम वल्कल धारण कर व्याधोके साथ बर्षों वनमें रहे, इससे भी उनको गन्द नहा हुआ । और विराटके यहाँ बृहन्नल तथा पाचक आदिका अनुचित वेश धारणकर जब हम सब पाण्डवोंके साथ रहे तब भी उनको क्रोध नहीं आया । पर आज जब मैं कौरवोंपर क्रोध करता हूँ तब वह मेरे ऊपर नाराज हाते हैं ।

यह वाच्य अर्थ यहाँ व्यङ्ग्य अथके बिना भी परिपूर्ण हो जाता है । परन्तु इसके बाद प्रकरण आदिकी आलोचना करनेपर 'मेरे ऊपर नाराज होना उचित नहीं है, कौरवोंपर ही क्रोध करना चाहिये' इस, काकुसे आक्षिप्त अर्थकी प्रतीति होती है । इसलिए इसको 'काकुध्वनि' का उदाहरण मानते हैं और पिछले 'स्वस्था भवन्ति मयि जीवति धार्तराष्ट्रा' इत्यादिको 'गुणीभूतव्यङ्ग्यकाकु' का उदाहरण मानते हैं ।

परन्तु लोचनकार काकुमे ध्वनि माननेके लिए तैयार नहीं है । वे काकुको सदैव गुणीभूत व्यङ्ग्य ही मानते हैं—'काकुप्रयोगे सवत्र शब्दसृष्टत्वेन व्यङ्ग्यस्योमीलितस्यापि गुणीभावात् ।' काकुके प्रयोगमें प्रतीयमान व्यङ्ग्य भी सदा शब्दसे सृष्ट हानेसे गुणीभूत ही रहता है । अतएव 'काकुध्वनि' मानना उचित नहीं है । इस मतके अनुसार कारिका 'गुणीभाव' पदकी सप्तमी, 'सति सप्तमी' नहीं, अपितु 'निमित्ते सप्तमी' है ॥३९॥

और जो [वाच्य] तर्क से [युक्त्या] इस [गुणीभूतव्यङ्ग्य] भेदका विषय प्रतीत होता है, सहृदयोंको उसमें ध्वनिको नहीं जोड़ना चाहिये ॥४०॥

ध्वनि और गुणीभूतव्यङ्ग्यके सङ्करका भी कोई मार्ग उदाहरणोंमें दिखलाई देता है । उनमें जो [पक्ष] तर्कसे समर्थित होता है उसीके अनुसार नामकरण [व्यवहार] करना चाहिये । सब जगह ध्वनिका अनुरागी नहीं होना चाहिये [बिना युक्तिके ध्वनिके अनुरागमें गुणीभूतव्यङ्ग्यको भी ध्वनि नहीं कहने लगना चाहिये] ।

जैसे—

पत्यु शिरश्चन्द्रकलामनेन स्पृशेति सख्या परिहासपूर्वम् ।
सा रक्षयित्वा चरणौ कृताशीर्माल्येन ता निर्बचन जघान ॥

यथा च—

प्रयच्छतोन्चै कुसुमानि मानिनी विपक्षगोत्र दयितेन लम्बिता ।
न किञ्चिद्दूचे चरणेन केवल लिलेख वाष्पाकुललोचना भुवम् ॥

इत्यत्र 'निर्बचन जघान', 'न किञ्चिद्दूचे' इति प्रतिषेधमुखेन व्यङ्ग्यस्यार्थस्यो-
क्त्या किञ्चिद् विपयीकृतत्वाद् गुणीभाव एव शोभते । 'यदा वक्रोक्तिं विना व्यङ्ग्योऽ
र्थस्तात्पर्येण प्रतीयते' तदा तस्य प्राधान्यम् । यथा 'एववादिनि देवर्षी' इत्यादी । इह
पुनरुक्तिभङ्गास्तीति वाच्यस्यापि प्राधान्यम् । तस्मान्नात्रानुरणनरूपव्यङ्ग्यध्वनिव्यप-
देशो विधेय ॥४०॥

[यह कुमारसम्भरके सत्रहर्ष सर्गका १९ वाँ श्लोक है । सखीने पार्वतीके]
चरणोंसे [लाशारागसे] रञ्जित कर [यह आशीर्वाद दिया कि] इस चरणसे [सुरतके
किसी बन्धविशेषमें, अथवा सपत्नी होनेसे] पति [शिख] के सिरपर स्थित चन्द्रकलाका
स्पर्श करना, इस प्रकार परिहासपूर्वक आशीर्वादप्राप्त प्रार्थनीने विना कुछ बोले मालासे
उस [सखी]का मारा ।

और जैसे—

यह 'त्रिराते'के अष्टम सगम अनुनके तपोभङ्गके लिए आयी हुई अप्सराओंके वर्णनप्रसङ्गमें
किसी अप्सराके उगना इलाक है ।

ऊँचे [उस अप्सराकी पहुँचसे अधिक ऊँचाईपर लगे हुए, अथवा उत्कृष्ट]
फूलोंको [तोड़कर] देते हुए प्रियसे द्वारा अथवा अप्सरा [विपक्ष]के नामसे सम्बोधित की
गयी मानिनी अप्सरा कुछ बोली नहीं, ओं-योंमें आँसू भरकर केवल पैरसे जमीनको
चुरेदती रही ।

यहाँ [इन श्लोकोंमें क्रमशः] 'निर्बचन जघान' विना कुछ कहे मारा, और
'न किञ्चिद्दूचे' कुछ कहा नहीं, इस प्रतिषेध द्वारा, व्यङ्ग्य अर्थ [प्रथम श्लोकमें लज्जा,
अपहिता, दप, इत्या, सोभाग्य, अभिमान आदि और दूसरे श्लोकमें सातिशय मन्थु
सम्भार] किसी अंशमें अभिवा [उक्ति]का ही निषेध हो गया है अतः [उसका] गुणीभाव
ही उचित प्रतीत होता है । और जत्र उक्तिके विना तात्पर्यरूपसे व्यङ्ग्य अर्थ प्रतीत
हाता है तत्र उस [व्यङ्ग्य]का प्राधान्य हाता है । जैसे 'एववादिनि देवर्षी' [पृ० १३२]
इत्यादिमें । यहाँ ['पत्यु शिरश्चन्द्रकलाम्' तथा 'प्रयच्छताच्चे' इत्यादि दोनों
श्लोकोंमें] तो ध्वनयी शलीस [व्यङ्ग्यकी प्रतीति] है, इसलिए वाच्यका भी प्राधान्य
है । इसलिए यहाँ सलक्ष्यममयङ्ग्यध्वान्यवहार उचित नहीं है [अर्थात्
ये दोनों गुणीभूत यङ्ग्य ही उदाहरण हैं । सलक्ष्यममयङ्ग्यध्वानिके उदाहरण
नहीं हैं] ॥४०॥

१ 'तस्माद् वक्रोक्तिं विना' शी० ।

२ 'तत्र' शी० ।

३ 'भक्ति' नि० ।

यथा—

राजानमपि सेवन्ते विपमप्युपभुञ्जते ।
रमन्ते च सह स्त्रीभिः कुशला खलु मानवा ॥

इत्यादौ ।

वान्यव्यङ्ग्ययोश्च प्राधान्याप्राधान्यविवेके पर प्रयत्नो विधातव्य । येन ध्वनि-
गुणीभूतव्यङ्ग्ययोरलङ्काराणां चासङ्कीर्णो विषय सुज्ञातो भवति । अन्यथा तु प्रसिद्धा-
लङ्कारविषय एव व्यामोह प्रवर्तते । यथा^१—

लाघण्यद्रविणव्ययो न गणित क्लेशो महान् स्वीकृत^२
स्वच्छन्दस्य मुप जनस्य वसतश्चिन्तानलो वीपित ।
एषापि स्वयमेव तुल्यरमणाभावाद्द्वराकी हता
कोऽर्थदत्तेतसि वेधसा विनिहितस्त्वव्यास्तनु तन्त्रता ॥

इत्यत्र^३ व्याजस्तुतिरलङ्कार इति व्याख्यायित केनचित्, तत्र चतुरस्रम् । यतोऽस्या-

जेसे—

चतुर मनुष्य [अत्यन्त दु साध्य] राजाकी सेवा भी कर सकते हैं, [सद्य प्राण
विनाशक] त्रिप भी या सकते हैं, और [त्रियाचरित्रवाली] स्त्रियोंके साथ रमण भी
कर सकते हैं । इत्यादिम ।

यहाँ राजाकी सेवा, विपका भक्षण और स्त्रियोंके साथ विशार अत्यन्त कष्टसाध्य और
विपरीत परिणामजनक होत हैं' इत्यादि व्यङ्ग्यसे विरिष्ट वाच्य अथ चमत्कारयुक्त हो जाता है ।
अत यहाँ गुणीभूत व्यङ्ग्य है । साथ ही शास्त्रसे अङ्ग निर्बेद स्वामिभावकी भी अभिव्यक्ति उनसे
होती है । परन्तु उसका प्राधा य विवक्षित न होइसे पद और वाक्य दोनों ही गुणीभूत व्यङ्ग्य है ।

वाच्य और व्यङ्ग्यके प्राधान्य अप्राधान्यके परिज्ञानके लिए अत्यन्त यत्न करना
चाहिये जिससे ध्वनि, गुणीभूतव्यङ्ग्य और अलङ्कारोंका सङ्कररहित विषय भली
प्रकारसे समझमें आ जाये । [अथथा तु] उसके विना तो प्रसिद्ध [वाच्य] अलङ्कारोंके
त्रिषयमें ही भ्रम हो जाता है । जेसे—

[इसके शरीरनिर्माणमें विधाताने] लाघण्यसम्पत्तिके व्ययकी चिन्ता भी नहीं
की, [स्वय] महान् कष्ट उठाया, स्वच्छन्द और सुखपूर्वक बैठे हुए [सम्प्रधी] लोगोंके
लिए चिन्ताग्न प्रदीप्त कर दिया और अनुरूप वरके अभावमें यह विचारी भी मारी
गयी । मालूम नहीं, विधाताने इस सुन्दरीके शरीरकी रचना करनेमें कौन काम
सोचा था ।

इसमें व्याजस्तुति अलङ्कार हे ऐसी व्याख्या किसीने की है, वह ठीक नहीं है ।

१ 'सयाहि' नि०, दी० ।

२ 'भ्रमित' नि० ।

३ 'स्वच्छन्द' चरतो जनस्य हृदये चिन्तावरो निमित्त' नि० । 'सखीजनस्य' दी० ।

४ 'इति' अत्र दी० ।

भिधेयस्य, एतदलङ्कारस्वरूपमात्रपर्यवसायित्वे 'न सुश्लिष्टता । यतो न तावदय रागिण कस्यचिद्विकल्प । तस्य 'एवापि स्वयमेव तुल्यरमणाभावाद्द्वाराकी हता' इत्येवविधोक्त्यनुपपत्ते । नापि नीरागस्य । तस्यैवविधविकल्पपरिहारैकन्यापारत्वात् ।

न चाय श्लोक क्वचित् प्रबन्ध इति श्रूयते, येन तत्प्रकरणानुगतार्थात्तास्य परिकल्प्यते ।

तस्मादप्रस्तुतप्रशसेयम् । यस्मादनेन वाक्येन गुणीभूतात्मना नि सामान्यगुणावलेपाध्मातस्य निजमहिमोत्कर्षजनितसमत्सरजनञ्जरस्य विशेषहमात्मनो न कञ्चिदेवापर

इसके अर्थका घेवल व्याजस्तुतिके स्वरूपमें पर्यप्रसान माननेसे वह [इसका धान्यार्थ] सुसङ्गत नहीं होता । क्योंकि यह किसी रागी [उस सुन्दरीमें अनुरक्त, अथवा मलिन वासनावाले पुरुष] का वितक [विचारधारा] नहीं है । क्योंकि उस [अनुरागयुक्त अथवा वासनायुक्त] की [ओरसे] 'अनुरूप पति ने न मिलनेसे यह विचारी भी मारी गयी' इस प्रकारका कथन सङ्गत नहीं जान पड़ता । [अनुरक्त पुरुष तो अपनेको ही उसके योग्य समझता है । उसके मुँहसे स्वयं अपनी निंदा अनुपपन्न है । और मलिन वासनावाले पुरुषकी ओरसे यह कारणोक्ति सम्भव नहीं हो सकती] और न किसी रागरहित पुरुषकी [यह उक्ति है] क्योंकि उस [धीतराग पुरुष] का इस प्रकारके [रागजन्य] विक्षेपोंका परिहार ही प्रधान व्यापार है [धीतराग पुरुष जगत्से अत्यन्त उदासीन होता है, वह इस प्रकारके विषयका विचार भी नहीं कर सकता है] ।

यहाँ निष्फल और असङ्गत काय करनवाले विधाताकी निंदा वाक्य है । उससे अन-यसामा य सौन्दर्यशालिनी रमणीके निमाणकीशक्ति द्वारा, यद्गुरूपसे विधाताकी स्तुति उचित होनेसे, व्याजस्तुति हो सकती है । यह व्याजस्तुति माननेवालेका आशय है । स्पष्टन करनेका आशय यह है कि इसमें असाधारण सौन्दर्यशालिनी रमणीके निमाणसे जा विधाताकी स्तुति गम्य मानी जा सकती है, वह तभी, तब कि यह किसी अनुरक्त पुरुषकी उक्ति हो । परन्तु अनुरक्त पुरुष पुरुष होने पर भी कामावेशमें अपनेको ही उसके अनुरूप समझता है, उसके मुँहसे 'तुल्यरमणाभावाद्द्वाराकी हता' यह उक्ति उचित नहीं प्रतीत होती । इसलिए यहाँ विधाताकी स्तुति गम्य न होनेसे यह व्याजस्तुति अलङ्कार नहीं ।

और यह श्लोक किसी प्रबन्ध [काव्य] में है, यह भी नहीं सुना है जिससे उसके प्रकरणके अनुकूल अर्थकी कल्पना की जा सके [और उसके आधारपर व्याज स्तुति अलङ्कारकी सङ्गति लगायी जाय] ।

इसलिए यह अप्रस्तुतप्रशसा [अलङ्कार] है । क्योंकि इस [गुणीभूतस्वरूप] अप्रस्तुत वाच्य [अर्थ] से अलोफसामान्य [लाकोत्तर ज्ञानादि] गुणोंके दृष्टसे गर्वित, अपने [पाण्डित्य आदि] महिमाके उत्पन्नसे इर्ष्यालु, प्रतिपक्षियोंके मनमें इर्ष्याज्वर उत्पन्न कर देनेवाले और किसीको अपने [द्रव्यादिना] विशेषज्ञ न समझनेवाले, किसी [धर्मकीर्ति सरोपे महाविद्वान्] का यह निर्वेदस्वप्न यत्न है । ऐसा प्रतीत होता है ।

पश्यत परिदेवितमेतदिति प्रकाशयो । तथा चायं धर्मकीर्त इत्येव इति प्रसिद्धि । सम्भाव्यते च तस्यैव । यस्मात्—

अनभ्यवसितायगाहनात्स्वधीशक्तिता
 ऽप्यष्टपरमार्थतत्त्वमधिकामियामैरपि ।
 मत मग जात्यन्धमन्त्रप्रतिप्राहक
 प्रयास्यति पयोविधे पय इव खण्डे जरात् ॥
 इत्यनेनापि श्लोकेनैवविधोऽभिप्राय प्रकाशित एव ।

जैसा कि एत धर्मकीर्तिका श्लोक ए, यह प्रसिद्धि भी है । [क्षेमेन्द्रा अपनी 'औचित्य विचारचर्चा'में लिखा है कि 'लाघण्यद्रविणाययो न गणित' इत्यादि 'धर्मकीर्त'] और उसका ही ही भी सक्त है । क्योंकि—

आरूप—प्रसुर—धीशक्ति [युक्ति] वाले पुरुष भी जिस में दाशानिक मतको [अथगाहन] पूर्णतया समझना सक्त है और अधिप ध्यान देनेपर भी उससे रहस्य तक नहीं पहुँच पाते हैं ऐसा मेरा मत [दाशानिक सिद्धांत] सत्साम्ये योग्य प्रदीताके अभावसे कारण, अनल्पशक्तियुक्त पुरुष भी जिस [समुद्रजल] के अथगाहनका साहस न कर सके और अत्यन्त ध्यान देनेपर भी जिससे रत्नोंको न देख सके, ऐसे समुद्रके जलके समान अपने [धर्मकीर्त अथवा समुद्रके] शरीरमें ही जीण हो जायगा ।

इस श्लोकमें भी इसी प्रकारका [अपने आचारसूत्रा पाण्डित्यका गर्व और योग्य प्रदीता न मिलनेसे अपने ज्ञानसे निष्फलत्वसे उत्पन्न निर्वेदरूप] अभिप्राय प्रकट किया ही गया है ।

यहाँ पहिले श्लोकमें प्रथम चरणक वाच्य 'लाघण्यद्रविणायय क रणनाभाव और नरशाशितय स्वीकारसे परिदेवक धर्मकीर्त अथवा उसकी कृतिसे बहुमुतगुणस्मिन्तर, द्वितीय चरणके वाच्य अपरुत स्वच्छद जाय विज्ञानलायादागे अपा थायना अपनी कृतिसे उत्पन्न कारण प्रतिस्पर्धी विद्वानोंमें 'श्रुतौद्रावनरूप' और तृतीय चरणक वाच्य अपरुत 'पुण्यमणाभावाद्वराधी हता' आदिसे साराधिषमन्यत्व और विघाताय त नीनिमाणनिष्फलरूप, चतुर्थ चरणक अपरुत वाच्य अपने अथवा अपनी कृतिसे निमाणक निष्फलसे निरुद्धरूप प्रस्तुतही प्रतीति हानसे 'अपरुतात्परुत वेद् गम्यते' इत्यादिरूप अपरुतप्रसाध अलङ्कार है ।

अगला 'अनभ्यवसितायगाहना' आदि श्लोक भी धर्मकीर्तिका श्लोक है । उसमें भी इसी प्रकार का निर्वेद अभिप्राय प्रकट होता है । धर्मकीर्त बोध दानिक हुए हैं । उनसे 'प्रमाणवतिक' और 'वाच्य विदु' प्रथम बोध वाच्यसे उत्पन्न प्रथम हैं और अत्यन्त प्रसिद्ध हैं । इस श्लोकमें उद्दिष्ट इस वातपर दु एव प्रकट किया है कि उक्त मतका य त्तरूपमें समझनेवाला बोध नहीं मिलता है । समझ सकने वाले वाग्य विद्वान् अभावसे उनका मत समुद्रक पानान समान उक्त भीतर ही पना पड़ा जराको प्राप्त हो जायगा । इस श्लोकके समानाथ ही पूर्वोक्त 'लाघण्यद्रविण' आदि श्लोक भी धर्मकीर्तिका ही श्लोक प्रतीत होता है और उसमें अपरुतप्रसाध अलङ्कार ही गानना उचित है । याजस्तुति मानना ठीक नहीं है ।

अप्रस्तुतप्रशसाया च यद्वाच्य तस्य कदाचिद्विबभितस्त्व कदाचिद्विवक्षितस्त्व कदा-
चिद्विबक्षिताविवक्षितस्त्वमिति त्रयी बन्धच्छाया । तत्र विरचितत्त्र यथा—

परार्थे य पीडामनुभरति भद्रऽपि मधुरो
यदीय सर्वेषामिह खलु विकारोऽप्यभिमत ।
न सम्प्राप्तो वृद्धिं यदि स भृगमक्षेत्रपतित
किमिक्षोर्दोषोऽसौ न पुनरगुणाया नरुभुव ।

यथा वा भवेव—

अमी ये दृश्यन्ते ननु सुभगरूपा सफलता
भवत्येषा यस्य क्षणमुपगताना त्रिपयताम् ।
निरालोके लोके कथमिदमहो चतुरधुना
सम जात सर्वेन सममथवान्यैरवयवै ॥

अनयोर्हि द्वयो श्लोकयोरित्युच्युपी विवक्षितस्वरूपे एव, न च प्रस्तुते । महा-

अप्रस्तुतप्रशसामें जो वाच्य होता है वह कहा [उपपद्यमान होनेसे] त्रिप्रक्षित,
कहीं [अनुपपद्यमान होनेसे] अप्रिप्रक्षित और कहीं [अज्ञान उपपद्यमान होनेसे] त्रि-
क्षिताविप्रक्षित होता है । इस प्रकार तीन प्रकारकी रचनाशैली होती है । [अप्रस्तुत
प्रशसाके पाँच भेदोंमेंसे अन्तिम तुल्य अप्रस्तुतसे तुल्य प्रस्तुतकी प्रतीतिरूप जो पञ्चम
भेद है उसके ही ये तीन भेद होते हैं । शेष चाराने नहीं उनमेंसे [वाच्य अप्रस्तुत] के
विवक्षितत्वका [उदाहरण] जैसे—

['परार्थे य पीडाम्' इत्यादि श्लोक प्रथम उद्योतमें पृष्ठ ६१ पर आ चुका है । वहाँ
से उसका अर्थ देखिये । यहाँ अप्रस्तुत विवक्षित वाच्य इत्थु पदसे प्रस्तुत महापुरुषकी
प्रतीति होनेसे अप्रस्तुतप्रशसा अलङ्कार है और वाच्यार्थ भी उपपद्यमान होनेसे
विवक्षित है ।]

अथवा जैसे मेरा ही—

यह जो सुन्दर आहृतिवाले [मनुष्योंके हाथ, पैर, मुख आदि अंगय] दिगलाई
देते हैं इन [अङ्गों] की सफलता जिस [चक्षु] के क्षणभंगसे त्रिपय होने [दिगलाई
देने]के कारण होती है, आश्चर्य है कि [इस समय] इस अन्धकारमय जगत्में वह चक्षु
भी कैसे अन्य सब अंगयवाके समान [अंग] अंगया समान भी नहीं [अपितु उनसे भी
गया घीता] हो गया है [क्योंकि अन्धकारम भी हाथ, पैर आदि अंगयोंसे काम लिया
जा सकता है परन्तु चक्षु तो निरवृत्त ही बेकार है । यहाँ अप्रस्तुत चक्षुसे किसी अत्यन्त
कुशल महापुरुषकी, निगलोक—त्रिवेदीन स्वामी आदिके सम्बन्धसे अन्य अवयवोंके
साम्यसे कायक्षमत्व आदि प्रस्तुतकी प्रतीति होनेसे अप्रस्तुतप्रशसा है और उसमें
वाच्यार्थ उपपन्न होनेसे त्रिप्रक्षित है ।]

इन दोनों ['परार्थे य पीडाम्' इत्यादि तथा 'अमी ये' इत्यादि श्लोकों] में इत्थु

गुणस्याविषयपतितत्वाद्प्राप्तपरभागस्य कस्यचित्स्वरूपमुपवर्णयितु द्वयोरपि श्लोकयोस्तात्पर्येण प्रस्तुतत्वात् ।

अत्रिवक्षितत्र यथा—

कस्य भोः ! कथयामि देवहतक मा विद्धि शाखोटक
वैराग्यादिव वक्षि साधु विदित कस्मादिद कथ्यते ।
वामेनात्र वटस्तमध्वगजन' सवात्मना सेवते
न ञ्छायाऽपि परोपकारकरणे मार्गस्थितस्यापि मे ॥

न हि वृक्षविशेषेण सहोक्तिप्रत्युत्पी सम्भवत इत्यविवक्षिताभधेयेनैवानेन श्लोकेन समृद्धासत्पुरुषसमीपप्रतिनो निर्घनस्य कस्यचिन्मनस्विन परिदेवित तात्पर्येण वाक्यार्थीकृतमिति प्रतीयते ।

विवक्षितत्राविवक्षितत्व यथा—

उष्णहृजाआए असोद्विणीएँ फलकुसुमपत्तरहिआए ।
वेरीएँ वड देतो पामर हो ओहसिग्जिहसि ॥

ओर चभु दोनों त्रिवक्षितस्वरूप ओर अप्रस्तुत हैं । अस्थान [निगुण स्वामी आवि] के सम्यग्प्रसे उत्कर्षको प्राप्त न हो सकनेवाले किसी महा गुणवान् पुरुषके स्वरूपकी प्रशंसाके लिए ही दोनों श्लोक तात्पर्यरूपसे प्रस्तुत हैं [अप्रस्तुत इधु तथा चक्षुसे प्रस्तुत महापुरुषकी प्रशंसा करना ही दोनों श्लोकोंका तात्पर्य है, अतः यहाँ अप्रस्तुत प्रशंसा अलङ्कार है ओर इधु चभु दोनों विवक्षित हैं] ।

अत्रिवक्षितवाच्य [का उदाहरण] जैसे—

अरे तुम कौन हो ? पताता हूँ, मुझे भाग्यका मारा [अभागा] शाखोट [सिंहोर नामक वृक्षविशेष] जानो । कुछ वेगम्यसे कह रहे हो ऐसा जान पड़ता है । ठीक समझे । ऐसे क्यों कह रहे हो [क्या बात है] । यहाँसे चार्या [गस्तेसे हटकर उलटी] ओर बढ़ा वटना वृक्ष है । पथिक लोग [उसके नीचे लेटने, बैठने, रोटी धनाने, सोने आदिमें] सब प्रकारसे उसका सहारा लेते हैं और ठीक गस्तेमें पड़ा होनेपर भी मेरी छायासे भी किसीका उपहार नहीं होता [इसी बातका मुझे दु प ह] ।

वृक्षविशेष[शाखोट] के साथ प्रश्नोत्तर नहीं हो सकते हैं इसलिए अधिवक्षित वाच्य [जिसका वाच्य अप्रस्तुत अर्थ शाखोट और प्रश्नकता पथिक आदि अर्थ विवक्षित नहीं हैं] इस श्लोकमें समृद्ध दुष्ट पुरुषसे समीप रहनेवाले किसी निर्घन मनस्वी पुरुषके दुष्टाचारको तात्पर्यरूपसे वाक्यार्थ बनाया है ऐसा प्रतीत होता है ।

त्रिवक्षितात्रिवक्षित [वाच्य अप्रस्तुतप्रशंसाका उदाहरण] जैसे—

कुमार्ग [दूसरे पक्षमें नीच कुल] में उत्पन्न हुई, कुरूप [वृक्षपक्षमें कँटीली और खीपक्षमें बदसूरत], फल, फूल और पत्रोंसे रहित [खीपक्षमें सतान आदिसे रहित],

[उत्पन्नजाताया अशोभनाया, फलकुसुमपत्ररहिताया ।
 वदर्या वृत्तिं ददत् पामर भो अवहसिष्यसे ॥] इति च्छाया ।
 अत्र हि वाच्यार्यो नात्यन्त सम्भवी न चासम्भवी^१ ।
 तस्माद्वाच्यव्यङ्ग्ययो प्राधान्याप्राधान्ये यत्नतो निरूपणीये ॥४१॥
 गुणप्रधानभावाभ्यां व्यङ्ग्यस्यैव व्यवस्थिते ।
 काव्ये उभे ततोऽन्यद्यत् तच्चित्रमभिधीयते ॥४२॥
 चित्र शब्दार्थभेदेन द्विविधं च व्यवस्थितम् ।
 तत्र किञ्चित्त्वंदचित्रं वाच्यचित्रमतः परम् ॥४३॥

व्यङ्ग्यस्यार्थस्य प्राधान्ये ध्वनिसञ्ज्ञितकाव्यप्रकार, गुणभावे तु गुणीभूतव्यङ्ग्यता ।
 ततोऽन्यद्रसभावादितात्पर्यरहित व्यङ्ग्यार्थविशेषप्रकाशनशक्तिशून्य च काव्य केवलवाच्य-
 बेरी [दूसरे पक्षमें ऐसी किसी स्त्री] की याद लगाते हुए [स्त्रीपक्षमें उसकी रक्षा करते
 या घरमें बसाते हुए] अरे मूर्ख, तेरा सब लोग उपहास करेंगे ।

यहाँ [अप्रस्तुत बेरीकी याद लगाना अनुचित होनेसे वाच्य अप्रियक्षित और
 प्रस्तुत स्त्रीपक्षमें किसी प्रकार वृत्ति—शरण—देना या घरमें बसाना आदि रूपसे उपयोगी
 होनेसे वाच्य विधक्षित हो सकता है । इस प्रकार विवक्षिताप्रिवक्षितवाच्य अप्रस्तुत
 प्रशंसाका उदाहरण है] वाच्य अथ न सर्वथा सम्भवी है और न अत्यन्त असम्भवी है ।

इसलिए वाच्य और व्यङ्ग्यके प्राधान्य और अप्राधान्यका यत्नपूर्वक निरीक्षण
 करना चाहिये ॥४१॥

इस प्रकार ध्वनि और गुणीभूतव्यङ्ग्यके निरूपणका उपसंहार कर अब आगे काव्यक तीक्ष्ण
 भेद चित्रकाव्यका निरूपण प्रारम्भ करते हैं ।

चित्रकाव्यका निरूपण

इस प्रकार व्यङ्ग्यके प्रधान और गुणभावसे स्थित होनेपर वे दोनों [ध्वनि और
 गुणीभूतव्यङ्ग्य] काव्य होते हैं । और उनसे भिन्न जो [काव्य रह जाता] है उसे
 [चित्रके समान काव्यके तात्त्विक व्यङ्ग्यरूपसे विहीन काव्यकी प्रतिष्ठितके समान
 होनेसे] 'चित्र' [काव्य] कहते हैं ॥४२॥

शब्द और अर्थके भेदसे चित्र [काव्य] दो प्रकारका होता है । इनमेंसे कुछ
 शब्दचित्र होते हैं और उन [शब्दचित्र] से भिन्न अथचित्र [कहलाते] हैं ॥४३॥

व्यङ्ग्य अर्थका प्राधान्य होनेपर ध्वनि नामका काव्यभेद [होता है] और गौण
 होनेपर गुणीभूतव्यङ्ग्यत्व होता है । उन [ध्वनि तथा गुणीभूतव्यङ्ग्य दोनों] से
 भिन्न रस, भाव आदिमें तात्पर्यसे रहित, और व्यङ्ग्यार्थविशेषके प्रकाशनकी शक्तिसे
 रहित, केवल वाच्य और वाचक [अर्थ और शब्द] के वैचित्र्यके आधारपर निर्मित, जो

१ नि०, दी० में 'न चासम्भवी' इतना पाठ नहीं है ।

२ 'ध्वनिसञ्ज्ञित' दी० । 'ध्वनिसञ्ज्ञित काव्यप्रकार' नि० ।

वाचकवैचिन्यमात्राश्रयेणोपनिबद्धमालेख्यप्रवरय यदाभासते तच्चित्रम् । न तन्मुख्य काव्यम् । काव्यानुकारो ह्यसौ । तत्र किञ्चिच्छब्दचित्रम्, यथा दुष्करयमकादि । वाच्यचित्र ततः शब्दचित्रादन्यद् व्यङ्ग्यार्थसंस्पर्शरहित प्राधान्येन वाक्यार्थतया स्थित रसादितात्पर्यरहितमुत्प्रेक्षादि ।

अथ किमिदं चित्रं नाम ? यत्र न प्रतीयमानार्थसंस्पर्शः । प्रतीयमानो ह्यर्थस्त्रिभेदः प्राक् प्रदर्शितः । तत्र, यत्र वस्त्वलङ्कारान्तरं वा व्यङ्ग्यं नास्ति स नाम चित्रस्य कल्प्यता विषयः । यत्र तु रसादीनामविषयत्वं स काव्यप्रकारो न सम्भवत्येव । यस्मादवस्तुसंस्पर्शिता काव्यस्य नोपपद्यते । वस्तु च सर्वमेव जगद्गतमवश्यं कस्यचिद् रसस्य 'भावस्य

काव्य आलेख्य [चित्र] के समान [तात्त्विक रूपरहित प्रतिवृत्तिमात्र] प्रतीत होता है उसको 'चित्र' [काव्य] कहते हैं । वह मुख्यरूपसे [यथार्थ] काव्य नहीं है अपितु काव्यकी अनुकृति[नकल] मात्र है । उनमेंसे कुछ शब्दचित्र होते हैं जैसे दुष्कर यमक आदि । और अथचित्र उस शब्दचित्रसे भिन्न, व्यङ्ग्यसंस्पर्शरहित, रसादि तात्पर्यसे शून्य, प्रधान वाक्यार्थरूपसे स्थित उत्प्रेक्षा आदि [अर्थचित्र या वाच्यचित्र] होते हैं ।

'चित्रकाव्य'को रसादितात्पर्यरहित और व्यङ्ग्यार्थविशेषने प्रकाशनकी शक्तिसे शून्य कहा है । ये दोनों विशेषण रसादिके अप्रतिपाद्य और व्यङ्ग्यार्थविशेषके अविकसितत्वको मानकर ही सङ्गत होंगे । वैसे तो प्रत्येक पदार्थना काव्यमें किसी न किसी रससे कुछ-न कुछ सम्बन्ध होता ही है । क्योंकि अतन्त विभावत्व तो सभी पदार्थोंमा आ सकता है । इसलिए उनका सवथा रसादिरहित होना सम्भव नहीं है । अतः 'रसादितात्पर्यरहित'का अर्थ यही है कि 'व्यङ्ग्य अर्थ होनेपर भी यदि वह विकसित नहीं है तो 'चित्रकाव्य' होगा । इसी प्रकार 'व्यङ्ग्यार्थविशेषप्रकाशनशक्तिशून्यता भी व्यङ्ग्य वस्तु आदिक अविकसित होनेपर ही समझनी चाहिये ।

[पूर्वपक्ष—] अच्छा यह 'चित्रकाव्य' क्या है ? जिसमें प्रतीयमान [व्यङ्ग्य] अर्थका सम्बन्ध न हो ? [उसीको चित्रकाव्य कहते हैं, न ?] प्रतीयमान अर्थ [वस्तु, अलङ्कार और रसादिरूप] तीन प्रकारका होता है इसका पहिले प्रतिपादन कर चुके हैं । उनमेंसे जहाँ वस्तु अथवा अलङ्कारादि व्यङ्ग्य न हो उससे उसे 'चित्रकाव्य' का विषय भले ही मान लो, [परन्तु] जो रसादिका विषय न हो ऐसा कोई काव्यमेव सम्भव नहीं है । क्योंकि काव्यमें किसी वस्तुका संस्पर्श [पदार्थबोधकत्व] न हो यह युक्तिसङ्गत नहीं है । और ससारकी सभी वस्तुएँ किसी रस या भावका अङ्ग अवश्य ही बन जाती हैं [अथ रूपसे रससम्बन्ध न सम्भव हो सके तो भी] अन्ततः विमाप रूपसे [प्रत्येक वस्तुका किसी-न किसी रससे सम्बन्ध हो ही जाता है] । रसादि [के अनुभववात्प्रक होनेसे और अनुभवके चित्तवृत्तिरूप होनेसे] चित्तवृत्तिविशेषरूप ही है । और [ससारमें] ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो किसी प्रकारकी चित्तवृत्तिको उत्पन्न न करे । अथवा यदि वह [वस्तु] उस [चित्तवृत्ति] को उत्पन्न नहीं करती है तो वह कविका विषय ही नहीं हो सकती है । [क्योंकि सारथ, योग आदि दर्शनोंके सिद्धान्तमें

वाङ्मय प्रतिपद्यते, 'अन्ततो विभावत्वेन । चित्तवृत्तिविशेषा हि रसादयः । न च तदस्ति वस्तु किञ्चिद् यन्न चित्तवृत्तिविशेषमुपजनयति । तदनुत्पादने वा कविविषयतैव तस्य न स्यात् । कविविषयश्च चित्रतया कश्चित्तिरूप्यते ।

अत्रोच्यते । सत्यं न तादृक् काव्यप्रकारोऽस्ति यत्र रसादीनामप्रतीतिः^१ । किन्तु यदा रसभावादिविवक्षाशून्यं कवि शब्दालङ्कारमर्थालङ्कारवोपनिर्गन्नाति तदा तद्विवक्षापेक्षया रसादिशून्यतार्थस्य परिकल्प्यते । विवक्षोपारूढ एव हि काव्ये शब्दानामर्थः । वाच्यसामर्थ्यवशेन च कविविवक्षाविरहेऽपि तथाविधे विषये रसादिप्रतीतिर्भवन्ती परिदुर्बला भवतीत्यनेनापि प्रकारेण नीरसत्वं परिकल्प्य चित्रविषयो व्यवस्थाप्यते । तदिदमुक्तम्—

रसभावादिविषयविवक्षाविरहे सति ।

अलङ्कारनिगन्धो च स चित्रविषयो मतः ॥

रसादिषु विवक्षा तु स्यात्तात्पर्यवती यदा ।

तदा नास्त्येव तत्काव्यं ध्वनेर्यत्र^२ न गोचरः ॥

इन्द्रियप्रणालिका अर्थात् श्रोत्र आदि द्वारा चित्तका विषयके साथ सम्बन्ध होनेपर चित्तका अर्थाकार जो परिणाम होता है उसीको चित्तवृत्ति कहते हैं । और उसीसे पुरुषको बोध होता है । चित्तवृत्ति प्रमाण अर्थात् प्रमाका साधनरूप होती है और उससे पुरुषको जो बोध होता है वही प्रमा या उसका फल कहलाता है । इसीको ज्ञान कहते हैं । इसलिए यदि चित्तवृत्ति उत्पन्न न हो तो उस पदार्थका ज्ञान ही नहीं हो सकता है । अतः वह कविके ज्ञानका विषय नहीं हो सकती है ।] कविका विषय [भूत] कोई पदार्थ ही चित्र [काव्य, कविकर्म] कहलाता है ।

[सिद्धांतपक्ष] इसका उत्तर देते हैं—टीक है, ऐसा कोई काव्यप्रकार नहीं है जिसमें रसादिकी प्रतीति न हो । किन्तु रस, भाव आदिकी विवक्षासे रहित कवि जब अशब्दालङ्कार अथवा शब्दालङ्कारकी रचना करता है तब उसकी निवक्षानी दृष्टिसे [काव्यमें] रसादिशून्यताकी कल्पना करते हैं । काव्यमें निवक्षित अर्थ ही शब्दका अर्थ होता है । उस प्रकारके [चित्रकाव्य] के विषयमें कविनी [रसादिविषयक] विवक्षा न होनेपर भी यदि रसादिकी प्रतीति होती है तो वह दुर्बल होती है इसलिए भी उसको नीरस मानकर चित्रकाव्यका विषय माना है । सो ऐसा कहा भी है—

रस, भाव आदिकी विवक्षाने अभावमें जो अलङ्कारोंकी रचना है वह चित्र [काव्य] का विषय माना गया है ।

और जब रस, भाव आदिकी तात्पर्यरूप [प्रधानरूप] से विवक्षा हो तब ऐसा कोई काव्य नहीं हो सकता है जो ध्वनिका विषय न हो ।

१ 'अन्ततो' पाठ नि० में नहीं है ।

२ 'रसादीनामविप्रतिपत्ति' नि० ।

३ 'यत्र' ही० ।

एतच्च चित्र कवीना विशृङ्खलगिरा रसादितात्पर्यमनपेक्षयैव काव्यप्रवृत्तिदर्शनादस्माभि
परिकल्पितम् । इदानीं तनाना तु न्याय्ये काव्यनयव्यवस्थापने क्रियमाणे नास्त्येव ध्वनि
व्यतिरिक्त काव्यप्रकार । यत् परिपाकवता कवीना रसादितात्पर्यविरहे व्यापार एव न
शोभते । रसादितात्पर्ये च नास्त्येव तद्वस्तु यदभिमतरसाङ्गता नीयमान न प्रगुणीभवति ।
अचेतना अपि हि भावा यथायथमुचितरसविभावतया' चेतनवृत्तान्तयोजनया वा न
सन्त्येव ते ये यान्ति न रसाङ्गताम् । तथा चेदमुच्यते—

अपारे काव्यससारे कविरैक प्रजापतिः ।
यथास्मै रोचते विश्व तथेद् परिवर्तते ॥
शृङ्गारी चेतकवि काव्ये जात रसमय जगत् ।
स एव वीतरागश्चेनीरस सर्वमेव तत् ॥
भावानचेतनानपि चेतनवच्चेतनानचेतनवत् ।
व्यवहारयति यथेष्ट मुकवि काव्ये स्वतन्त्रतया ॥

विशृङ्खल वाणीगले कवियोंकी, रसादिमें तात्पर्यकी अपेक्षा किये बिना ही
काव्य [रचनाकी] प्रवृत्ति देखनेसे ही हमने इस चित्र [काव्य] की कल्पना की है ।
उचित काव्यमार्गका निर्धारण कर दिये जानेपर [ध्वनिप्रस्थापनके वादके] आधुनिक
कवियोंके लिए तो ध्वनिसे भिन्न और कोई काव्यप्रकार है ही नहीं । रसादितात्पर्यके
बिना परिपाकवान् कवियोंका व्यापार ही शोभित नहीं होता [यत्पदानि त्यजन्त्येव
परिवृत्तिसहिष्णुताम् । तं शब्दन्यासनिष्णाता शब्दपाक प्रचक्षते ॥ रसादिकी दृष्टिसे
उचित शब्द और अर्थकी, जिसमें एक भी शब्दको इधर उधर अथवा परिवर्तन करने
का अयकाश न हो—इस प्रकारकी रचनाका जिनमें अभ्यास हो गया है वह कवि
परिपाकयुक्त कवि होते हैं] । रसादि [में] तात्पर्य होनेपर तो कोई वस्तु ऐसी नहीं है
जो अभिमत रसका अङ्ग बनानेपर अमक न उठे [प्रशस्तगुणयुक्त न हो जाय] ।
अचेतन पदार्थ भी कोई ऐसे नहीं हैं जो कि दृङ्गसे, उचित रसके विभावरूपसे अथवा
[उनके साथ] चेतन व्यवहारके सम्बन्ध द्वारा रसका अङ्ग न बन सकें । जैसा कि
कहा भी है—

अनन्त काव्यजगत्में [उसका निर्माता] केवल कवि ही एक प्रजापति [ब्रह्मा]
है । उसे जैसा अच्छा लगता है वह विश्व उसी प्रकार बदल जाता है ।

यदि कवि रसिक [शृङ्गारप्रधान] है तो यह सारा जगत् रसमय [शृङ्गारमय]
हो जाता है और यदि वह वीरगी है तो यह सब ही वीरस हो जाता है ।

सुकवि [अपने] काव्यमें अचेतन पदार्थोंको भी चेतनके समान आर चेतन
पदार्थोंको भी अचेतनके समान जैसा चाहता है वैसे व्यवहार कराता है ।

तस्मान्नास्त्येव तद्वस्तु यरसर्वात्मना रसतात्पर्यवत् कवेस्तदिच्छया तदभिमत-
रसाङ्गता न घत्ते । तथोपनिनध्यमान वा न चारुत्वातिशय पुष्णाति सर्वमेतच्च महाकवीना
काव्येषु दृश्यते । अस्माभिरपि स्वेषु काव्यप्रवन्धेषु यथायथ दर्शितमेव । स्थिते चैव
सर्वे एव काव्यप्रकारो न ध्वनिधर्मतामतिपतति । रसाद्यपेभ्याया कवेर्गुणीभूतव्यङ्ग्य-
लक्षणोऽपि प्रकारस्वदङ्गतामवलम्बते, इत्युक्त^१ प्राक् ।

यदा तु चाटुपु देवतास्तुतिपु वा रसादीनामङ्गतया व्यवस्थानम्, हृदयवतीपु च
'सप्रज्ञकगाथासु कासुचिद् व्यङ्ग्यविशिष्टवाच्ये प्राधान्य तदपि गुणीभूतव्यङ्ग्यस्य
ध्वनिनिष्पन्नभूतत्वमेवेत्युक्त प्राक् ।

तदेवमिदानीन्तनकविकाव्यनयोपदेशे प्रियमाणे प्राथमिकानामभ्यासार्थिना यदि
पर चित्रेण व्यवहार । प्राप्तपरिणतीना तु ध्वनिरेव काव्यमिति स्थितमेतत् ।

इसलिए पूर्णरूपसे रसमें तत्पर कविकी ऐसी कोई वस्तु नहीं हो सकती है
जो उसकी दृष्टासे उसने अभिमत रसका अङ्ग न बन जाय, अथवा इस प्रकार
[रसाङ्गतया] उपनिबद्ध होकर चारुत्वातिशयको पोषित न करे । यह सब कुछ, महा
कवियोंके काव्योंमें दृष्टिगोचर होता है । हमने भी अपने काव्यप्रवन्धों ['सप्रज्ञवाण
लीला', 'अर्जुनचरित', 'देवीशतक' आदि]में उचितरूपसे दिखलाया है । इस प्रकार
[सब पदार्थोंका रसने साथ सम्बन्ध] स्थित हो जानेपर [सर्व एव] कोई भी काव्य
प्रकार ध्वनिरूपतान्ता अतिग्रमण नहीं करता । कविको रसादिकी अपेक्षा होनेपर
गुणीभूतव्यङ्ग्यरूप भेद भी इस [ध्वनि] का अङ्ग बन जाता है, यह पहिले कह चुके हैं ।

जब राजा आदिकी स्तुतियों [चाटु, गुशामद राजादिकी स्तुति] अथवा देव
ताओंकी स्तुतियोंमें रसादिकी अङ्गरूपसे [भावरूपसे] स्थिति हो, ओर [प्राहत कवियों
की गोष्टीमें 'हिअललिया' नामसे प्रसिद्ध विशेष प्रशंसाकी] हृदयवती [नामक] सहृदयों
['सप्रज्ञका सहृदया उच्यते' इति लोचनम्] की किन्हीं गाथाओंमें व्यङ्ग्यविशिष्ट
वाच्यमें प्राधान्य हो तब भी गुणीभूतव्यङ्ग्य, ध्वनिकी विशेष धारारूप ही होता है
यह बात पहिले कह आये हैं [दीर्घतिकारने सप्रज्ञकी जगह पदप्रदक पाठ माना
है—धर्मार्थकाममोक्षेषु लोभतत्त्वावयोरपि । पदसु प्रशस्ति यस्योच्चै पदप्रज्ञ इति
सस्मृत ॥ इति त्रिकाण्डश्लोक] ।

इस प्रकार [ध्वनिने ही प्रयान होनेपर] आधुनिक कवियोंके लिए काव्यनीतिका
उपदेश [शिक्षण] करनेमें [स्थिति इस प्रकार है कि] केवल अभ्यासार्थी मले ही 'चित्र-
काव्य'का व्यवहार कर लें, परन्तु परिपक्व [सिद्धहस्त] कवियोंके लिए तो ध्वनि ही
[एकमात्र] काव्य है, यह सिद्ध हो गया ।

१ 'हृदयवती' नि०, दी० न नहीं है ।

२ 'सप्रज्ञादिगाथासु' नि०, 'पदप्रज्ञादिगाथासु' दी० ।

३ 'व्यङ्ग्यविशिष्टवाच्यत्' नि०, दी० ।

एतच्च चित्र कवीना विगृह्यल्लगिरा रसादितात्पर्यमनपेक्षयैव काव्यप्रवृत्तिदर्शनादस्माभि
परिकल्पितम् । इदानीन्तनाना तु न्याय्ये काव्यनयव्यवस्थापने क्रियमाणे नास्त्येव ध्वनि-
व्यतिरिक्त काव्यप्रकार । यत् परिपाकवता कवीना रसादितात्पर्यविरहे व्यापार एव न
क्षोभते । रसादितात्पर्ये च नास्त्येव तद्वस्तु यदभिमतरसाङ्गता नीयमान न प्रगुणीभवति ।
अचेतना अपि हि भावा यथायथमुचितरसविभावतया^१ चेतनवृत्तान्तयोजनया वा न
सन्त्येव ते ये यान्ति न रसाङ्गताम् । तथा चेदमुच्यते—

अपारे काव्यससारे कविरैकः प्रजापति ।
यथास्मै रोचते विश्व तथेद् परिवर्तते ॥
गृह्णारी चैकवि काव्ये जात रसमयजगत् ।
स एव वीतरागश्चेनीरस सर्वमेव तत् ॥
भावानचेतनानपि चेतनवच्चेतनानचेतनवत् ।
व्यवहारयति यथेष्ट सुकवि काव्ये स्वतन्त्रतया ॥

विगृह्यल्ल वाणीवाले कत्रियोंकी, रसादिमें तात्पर्यकी अपेक्षा क्रिये बिना ही
काव्य [रचनाकी] प्रवृत्ति देखनेमें ही हमने इस चित्र [काव्य] की कल्पना की है ।
उचित काव्यमार्गका निर्धारण कर दिये जानेपर [ध्वनिप्रस्थापनके वादके] आधुनिक
कत्रियोंने लिपि तो ध्वनिसे भिन्न और कोई काव्यप्रकार है ही नहीं । रसादितात्पर्यके
बिना परिपाकवान् कत्रियोंका व्यापार ही शोभित नहीं होता [यत्पदानि त्यजन्त्येव
परिवृत्तिसहिष्णुताम् । तं शब्दन्यासनिष्णाता शब्दपाक प्रचक्षते ॥ रसादिकी दृष्टिसे
उचित शब्द और अर्थकी, जिसमें एक भी शब्दको इधर उधर अथवा परिवर्तन करने
का अजकाश न हो—इस प्रकारकी रचनाका जिनको अभ्यास हो गया है वह कवि
परिपाकयुक्त कवि होते हैं] । रसादि [में] तात्पर्य होनेपर तो कोई वस्तु ऐसी नहीं है
जो अभिमत रसका अङ्ग बनानेपर अमक न उठे [प्रशस्तगुणयुक्त न हो जाय] ।
अचेतन पदार्थ भी कोई ऐसे नहीं हैं जो कि दृष्टसे, उचित रसके विभावरूपसे अथवा
[उनके साथ] चेतन व्यवहारके समन्वय द्वारा रसका अङ्ग न बन सकें। जैसा कि
कहा भी है—

अनन्त का यजगत्में [उसका निर्माता] केवल कवि ही एक प्रजापति [ब्रह्मा]
है । उसे जैसा अच्छा लगता है वह विश्व उसी प्रकार बदल जाता है ।

यदि कवि रसिक [गृह्णारप्रधान] है तो यह सारा जगत् रसमय [शृङ्गारमय]
हो जाता है और यदि वह चेरामी है तो यह सब ही नीरस हो जाता है ।

सुम्नि [अपने] काव्यम अचेतन पदार्थोंको भी चेतनके समान और चेतन
पदार्थोंको भी अचेतनके समान जैसा चाहता है वंसा व्यवहार कराता है ।

तदयमत्र समग्र —

यस्मिन् रसो वा भावो वा तात्पर्येण प्रकाशते ।

सवृत्त्याभिहित^१ वस्तु यत्रालङ्कार एव वा ॥

काव्याध्वनि ध्वनिर्व्यङ्ग्यप्राधान्यैकनिबन्धन ।

सर्वत्र तत्र विषयी ज्ञेय सहृदयैर्जनै ॥४३॥

सगुणीभूतव्यङ्ग्यैः सालङ्कारैः सह प्रभेदैः स्वैः ।

सङ्करससृष्टिभ्यां पुनरप्युच्योतते बहुधा ॥४४॥

तस्य च ध्वने स्वप्रभेद^२, गुणीभूतव्यङ्ग्येन, वाच्यालङ्कारैश्च सहस्रससृष्टिव्यवस्थायाः त्रियमाणायाः बहुप्रभेदता लक्ष्ये नश्यते । तथा हि स्वप्रभेदसङ्कीर्णं स्वप्रभेदससृष्टौ गुणीभूतव्यङ्ग्यसङ्कीर्णं गुणीभूतव्यङ्ग्यससृष्टौ वाच्यालङ्कारान्तरसङ्कीर्णं वाच्यालङ्कारान्तरससृष्टससृष्टालङ्कारसङ्कीर्णं ससृष्टालङ्कारससृष्टेति बहुधा ध्वनि प्रकाशते ।

इसलिए इस विषयमें यह सराश [समग्र] हुआ—

जिस काव्य मार्गमें रस अथवा भाव तात्पर्य [प्रधान] रूपसे प्रकाशित हों, अथवा जिसमें गाव्यमानरूपसे [कामिनीकुचकलशयन् सोऽर्थातिशयहेतुसे] वस्तु अथवा अलङ्कार प्रकाशित हों, उन समग्र कवल व्यङ्ग्यक प्राधान्यक कारण सहृदयजन, ध्वनिका विषयी [तीनों प्रकारकी ध्वनि जिसका विषय है ऐसा अथवा] प्रधान समग्र ॥४३॥

सङ्कर तथा ससृष्टि

अलङ्कारों सहित, गुणीभूत व्यङ्ग्यवाक्ये साथ, और अपने भेदोंके साथ सङ्कर तथा ससृष्टिस [ध्वनि] फिर अनेक प्रकारका प्रकाशित होता है ॥४४॥

उस ध्वनिके अपने भेदोंके साथ, गुणीभूत व्यङ्ग्यक साथ, और वाच्यालङ्कारोंके साथ, सङ्कर और ससृष्टि [दो या अधिक भेदोंकी परस्परनिरपेक्ष स्वतन्त्र रूपसे एक जगह स्थितिके ससृष्टि कहते हैं । और अङ्गाङ्गिभाव आदि रूपमें स्थिति होनेपर सङ्कर होता है । सङ्करके 'अङ्गाङ्गिभावसङ्कर', 'पकाश्रयानुप्रवेशसङ्कर' और 'सन्देहसङ्कर' ये तीन भेद होते हैं] की व्यवस्था करनेपर लक्ष्य [कार्यों] में बहुत भेद दिखाई देते हैं । इस प्रकार—१ अपने भेदों [ध्वनिके मुख्य भेदों] के साथ सङ्कीर्ण [त्रिविध सङ्कर युक्त] २ अपने भेदोंके साथ ससृष्ट [अनपेक्षतया स्थित], ३ गुणीभूतव्यङ्ग्यके साथ सङ्कीर्ण, ४ गुणीभूत व्यङ्ग्यके साथ ससृष्ट, ५ वाच्य अथवा अलङ्कारोंके साथ सङ्कीर्ण, ६ वाच्य अथवा अलङ्कारोंके साथ ससृष्ट, ७ ससृष्ट अलङ्कारोंके साथ सङ्कीर्ण, ८ ससृष्ट अलङ्कारोंके साथ ससृष्ट इस रूपमें बहुत प्रकारका ध्वनि प्रकाशित होता है ।

१ 'सवृत्त्याभिहितं' वा० प्रि० ।

२ 'ध्वनेव्यङ्ग्यप्राधान्यैकनिबन्धन' नि०, दी० ।

लोचनकारके अनुसार ध्वनिके ३५ भेदोंकी गणना

लोचनकारने द्वितीय उद्योतकी ३१ वीं कारिका तथा तृतीय उद्योतकी इस तैतालीसवीं कारिकाकी व्याख्या करते हुए दो जगह ध्वनिके प्रभेदोंकी गणना की है। पहिली जगह 'एव ध्वने प्रभेदान् प्रतिपाद्य' इस मूल ग्रन्थकी व्याख्या करते हुए ध्वनिके पैंतीस भेदोंकी गणना इस प्रकार की है—

“अविवक्षितवाच्यो विवक्षितान्यपरवाच्यश्चेति द्वौ मूलभेदौ । आद्यस्य द्वौ भेदौ, अत्यन्ततिरस्कृतवाच्योऽथान्तरसङ्घर्मितवाच्यश्च । द्वितीयस्य द्वौ भेदौ, अलक्ष्यक्रमोऽनुरणनरूपश्च । प्रथमोऽनन्तभेद द्वितीयो द्वित्रिषु, शब्दशक्तिमूलोऽर्थशक्तिमूलश्च । पदिचमस्त्रिविध कविप्रौढोक्तिवृत्तशरीर, कविनिबद्ध यन्मृप्रौढात्कृतशरीर, रसत सम्भवी च । ते च प्रत्येक यद्भवत्यञ्जकयोस्तु भेदनयेन चतुर्धेति द्वादश विधाऽथशक्तिमूल । अथाश्वत्वारो भेदा इति षोडश मुक्त्यभेदा । ते च पदवाक्यप्रकाशत्वेन प्रत्येक द्विविधा भवन्ते । अलक्ष्यक्रमस्य तु चणपदवाक्यसङ्घटनाप्रत्ययप्रकाशत्वेन पञ्चत्रिंशद् भेदा ।”

अथात् ध्वनिके अविवक्षितवाच्य [लक्षणात्मक] और विवक्षिता यपरवाच्य [अभिधामूल] ये दो मूल भेद हैं। उनमेंसे प्रथम अथात् अविवक्षितवाच्यक अथात्तरसङ्घर्मितवाच्य और अत्यन्त तिरस्कृतवाच्य ये दो भेद हात हैं। द्वितीय अथात् विवक्षिता यपरवाच्य [अभिधामूल] ध्वनिके असंख्य क्रमव्यङ्ग्य और सलक्ष्यक्रम यद्भव य दो भेद हात हैं। इनमेंसे प्रथम अलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य [रसादिध्वनि] क अनन्त भेद है। इसलिए वह सत्र मिलाकर एक ही माना जाता है। दूसर अथात् सलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यके शब्दशक्तिमूल और अर्थशक्तिमूल इस प्रकार दो भेद हात हैं। इनमेंसे अन्तिम अथात् अर्थशक्त्युद्भव ध्वनिके रसत सम्भवां, कविप्रौढात्कृतसिद्ध तथा कविनिबद्धयन्मृप्रौढात्कृतसिद्ध ये तीन भेद हात हैं। इन तानामसे प्रत्येक, यद्भव और यद्भव दानामें उक्तभेद [एस्तु और अलङ्कार] नीतिसे चार भेद होकर कुल बारह प्रकारका अर्थशक्त्युद्भव ध्वनि हाता है। इन बारह भेदाम पहिले चार भेद अथात् अविवक्षितवाच्यक दो भेद, तीसरा अलक्ष्यक्रम यद्भव और चाथा शब्दशक्त्युद्भव भेद मिला देनेसे बारह और चार मिलाकर सोलह भेद हुए। १४ सत्र पदगत और वाक्यगत हानम दो प्रकारक होकर ३२ भेद हुए। अलक्ष्यक्रम यद्भव पद और वाक्यगत अतिरिक्त चण, सङ्घटना तथा प्रत्यय भी प्रकाश्य होनेसे उससे तीन भेद और कुलकर ध्वनिके कुल ५१ भेद हो जात हैं। इनमें जहा 'व्यङ्ग्यव्यञ्जकयो रक्तभेदायन चतुर्धेति' लिखा १ वहाँ कुछ पाठ भ्रष्ट हा गया जान पडता है।

काव्यप्रकाशकृत ५१ ध्वनिभेद

जहाँ लोचनकारने ध्वनिके कुल ५१ भेद माने हैं, वहाँ 'काव्यप्रकाश'ने ५१ मुक्त भेदोंकी गणना की है। उनकी गणनाका शैली इस प्रकार है—

अविवक्षितवाच्यो यस्मिन् वाच्य भवद् ध्वनी ।
अथात्तर सङ्घर्मितवाच्यन्त या तिरस्कृतम् ॥ १४ ॥
विवक्षित चायपर वाच्य यत्रापरस्तु च ।
कोऽलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्या लक्ष्यव्यङ्ग्यक्रम पर ॥ २५ ॥
रसभावतदाभासभावशात्यादिरसम ।
भिन्नो रसात्सङ्घट्टारादलङ्कारतया स्थित ॥ २६ ॥
—
अनुस्वानामसलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यपरिधितस्तु य ॥ ३७ ॥

श-दार्योभयशक्त्युत्थत्रिधा स कथितो ध्वनि ।
 अलङ्कारोऽथ वसनेव शब्दाद्यत्रावभासते ॥ ३८ ॥
 प्रधानत्वेन स ज्ञेय श-दशक्त्युद्भवो द्विधा ।
 अर्धशक्त्युद्भवोऽप्यथो व्यञ्जक सम्भवी स्वतः ॥ ३९ ॥
 प्रौढोक्तिमानासिद्धो वा कवेस्तेनोन्मितस्य वा ।
 वस्तु चालङ्कृतिर्वेति पट्भेदोऽसौ व्यनक्ति यत् ॥ ४० ॥
 वरत्नलङ्कारमथवा तेनाय द्वादशात्मक ।
 श-दार्योभयभूरेक, भेदा अष्टादशाम्य तत् ॥ ४१ ॥
 रसादीनामनन्तत्वाद् भेद एको हि गण्यते ।

अथात् अविश्वितवाच्यम अथातरसहस्रमितवाच्य तथा अत्यन्तितररकृतवाच्य ये दो भेद और विवक्षिता परवाच्यम अ-दशकयुथके वस्तु, अलङ्काररूप दो भेद, अर्धशक्त्युत्थके बारह भेद, उभयशक्त्युत्थका एक भेद और अस्लक्ष्यमव्यञ्जयका एक भेद, इस प्रकार विवक्षितान्यपरवाच्यके २ + १० + १ + १ = १६, तथा अविश्वितवाच्यके दो, कुल मिलाकर अटारह भेद हुए ।

वाक्ये द्वयुत्थ, पट्ऽप्य ये, प्रथ येऽप्यर्थगतिभिः ॥ ४२ ॥

पदैकदेशरचनावणत्वपि रसादय ।

भेदास्तदेकपञ्चाशत्

॥ ४३ ॥

अथात् ऊपर जो १८ भेद दिखलाये थे उनमेंसे उभयशक्त्युत्थ भेद केवल पदम होनेसे एक, और शेष सत्रह भेद पद तथा वाक्यम होनेसे ३४ और अर्धशक्त्युद्भवने बारह भेद प्रथमगत भी होनेसे बारह और मिलाकर १ + ३४ + १२ = ४७ और रसादि अस्लक्ष्यक्रमके १ पदकदेश, २ रचना, ३ वण, तथा अपि श दसे ४ प्रथमगत चार भेद और मिलाकर ४७ + ४ = ५१ भेद होते हैं । साहित्यदण्णादिमें भी यही ५१ भेद प्रकारांतरसे दिखलाये हैं । 'साहित्यदर्पण'के भेदोंका यह प्रकार हम इस उत्रातके प्रारम्भम दिखला चुने हैं ।

'लोचन' तथा 'काव्यप्रकाश'के भेदोंकी तुलना

ऊपर दिये हुए विवरणने अनुसार 'लोचन'म ध्वनिके शुद्ध ३५ भेद दिखलाये हैं और 'काव्यप्रकाश' तथा 'साहित्यदर्पण' आदिमें उनसे स्थानपर ५१ भेद दिखलाये गये हैं । इस प्रकार 'लोचन' तथा 'काव्यप्रकाश' आदिके भेदोंमें १६ भेदोंका अंतर है । अर्थात् 'काव्यप्रकाश' आदिमें 'लोचन'से सोलह भेद अधिक दिखलाये गये हैं । यह सोलहों भेदोंका अंतर विवक्षितान्यपरवाच्य अर्थात् अमिधामूल ध्वनिके भेदोंमें ही हुआ है जिनमें मुरय भेद तो अर्धशक्त्युद्भव ध्वनिके भेदोंमें है । लोचनकारने अधशक्त्युद्भव ध्वनिसे बारह भेद दिखलाकर फिर उनके पद और वाक्यगत भेद दिखलाये हैं । इस प्रकार अधशक्त्युद्भव ध्वनिके २४ भेद हो जाते हैं । काव्यप्रकाशकारने पद और वाक्यने अतिरिक्त प्रथममें भी अर्धशक्त्युद्भवके बारह भेद माने हैं जो लोचनकारने नहीं दिखलाये । इस प्रकार 'लोचन'के मतसे अधशक्त्युद्भवके २४ भेद और 'काव्यप्रकाश'के अनुसार ३६ भेद होते हैं । अथात् बारह भेदोंका अंतर तो इसमें है । इसके अतिरिक्त शब्दशक्त्युत्थ ध्वनिके लोचनकारने केवल पदगत तथा वाक्यगत ये दो भेद किये हैं, वस्तु और अलङ्कारके भेदसे भेद नहीं किये हैं । 'काव्यप्रकाश'में शब्दशक्त्युत्थके वस्तु और अलङ्कार-युत्थके भेदसे दो भेद करके फिर उनके पदगत तथा वाक्यगत भेद किये गये हैं । अतः काव्यप्रकाश'में शब्दशक्त्युत्थके चार भेद होते

हैं और लोचनमें केवल दो भेद । अतः दो भेदोंका अन्तर यहाँ आता है । इसके व्यतिरिक्त 'लोचन'में उभयशक्त्युत्थ नामका षोडश भेद परिगणित नहीं किया है । 'काव्यप्रकाश'में उभयशक्त्युत्थको भी एक भेद माना है । इसलिए 'काव्यप्रकाश'में एक भेद यह बट जाता है । इस प्रकार शब्दशक्त्युत्थ म वस्तु तथा अलङ्कारके दो भेद, अथशक्त्युत्थम प्रथम धगत बारह भेद और उभयशक्त्युत्थका एक भेद यह सब मिलकर १५ भेद तो असल्यग्रम यद्गद्यके अतःगत काव्यप्रकाशमें अधिक दिखलाये हैं और सालहवों भेद असल्यग्रमकी गणनामें अधिक है । असल्यग्रममध्यङ्गय रसाधिष्णिका वैसे तो 'लोचन' तथा 'काव्यप्रकाश' दाना जगह एक ही भेद माना है परन्तु 'लोचन'में उस असल्यग्रम यद्गद्यके १ पद, २ वाक्य, ३ वर्ण, ४ सङ्घटना तथा ५ प्रथम धमें व्यङ्ग्य होनेसे पाँच भेद माने हैं । 'काव्यप्रकाश'म इन पाँचोंके अतिरिक्त पदैकदश अथात् प्रकृति प्रत्ययादिगत एक भेद और माना है । अतः 'काव्यप्रकाश'में असल्यग्रममध्यङ्गय भेदोंमें भी एक भेद अधिक होनेसे 'लोचन'की अपेक्षा कुल सालह भेद अधिक हो जाते हैं । इसलिए जहाँ 'लोचन'में ध्वनिके शुद्ध ३५ भेद दिखलाये हैं, वहाँ 'काव्यप्रकाश'में ध्वनिके शुद्ध ५१ भेद दिखलाये गये हैं ।

ससृष्टि तथा सङ्करभेदसे लोचनकारकी गणना

न केवल ही शुद्ध भेदोंकी गणनामें ही यह अन्तर पाया जाता है अपितु उन शुद्ध भेदोंका ससृष्टि तथा सङ्करभेदसे जन आगे विस्तार किया जाता है तो उस विस्तारमें भी साहित्यशास्त्रके विविध ग्रन्थोंमें जितने महत्त्वपूर्ण भेद पाये जाते हैं । लोचनकारने गुणीभूतव्यङ्ग्य, अलङ्कार तथा ध्वनि आदि भेदोंके साथ ससृष्टि तथा सङ्करके ध्वनिके ७४२० भेद दिखलाये हैं । काव्यप्रकाशकारने केवल ध्वनिके इत्यादि शुद्ध भेदोंकी ससृष्टि तथा सङ्करसे १०४०४ और उनमें ५१ शुद्ध भेदोंको जाहजर १०४ भेद दिखलाये हैं । और साहित्यदपणकारने सङ्कर तथा ससृष्टिकृत ५३०४ तथा १ शुद्ध भेदोंका जाहजर ५३०५ भेद दिखलाये हैं ।

“पूर्वे यं पञ्चविंशतिभेदा उच्यते गुणीभूतव्यङ्ग्यस्यापि मतं वा । स्वप्रभेदास्तावन्त । अलङ्कार इत्येवमस्ति । तत्र सङ्करभेदेण सम्प्राप्त्या च गुणेने द्वे शतं चतुरशीत्यधिनै [१८४] । तावता पञ्चविंशती सुरयभेदानां गुणनं शतं सहस्राणि चत्वारि शतानि विशत्यधिनानि [७४०७] भवन्ति ।

—लोचन० उद्योत ३, का० ४३

भगवत्तदपञ्चाशत् तेषां च यो योजने ।

सङ्करेण त्रिरूपेण ससृष्ट्या चैकरूपया ॥

वेत्त्यापि विविच्य च द्रा [१०४०४] शम्पुयुगलेदव [१०४०५] ।

—काव्यप्रकाश, चतुर्थोऽध्याय, सूत्र ६२, ६५

तत्रैवमपञ्चाशद्भेदास्तस्य ध्वनेमता ।

सङ्करेण त्रिरूपेण ससृष्ट्या चैकरूपया ॥

वेदत्यागिन्या [५३०४] शुद्धैरिषुवाणाग्निसायना [५३०५] ।

—साहित्यदपण, चतुर्थ परिच्छेद, १२

इन तानाम यद्यपि लोचनकार से अधिक प्राचीन और सबसे अधिक प्रामाणिक हैं, परन्तु इस विषयमें उनकी गणना सबसे अधिक विश्व है । उ होने ध्वनिके शुद्ध ३ भेद, उतन ही [३५ हा] गुणीभूतव्यङ्ग्यम और अलङ्कारोंका मिलकर एक भेद, इस प्रकार कुल ७१ भेदोंकी ससृष्टि तथा सङ्कर दिखलानके लिए ७१ को चारमें गुणाकर ७१ X ४ = २८४ भेद किये । और उनको फिर

शुद्ध यैतीस भेदोंसे गुणाकर $२८४ \times ३५ = ७४२०$ भेद दिये गये हैं। इसमें सबसे बड़ी त्रुटि तो यही दिखलाई देती है कि २८४ और ३५ का गुणा करनेसे गुणनफल ९९४० होता है परन्तु लोचनकार उसके स्थानपर केवल ७४२० लिख रहे हैं। यह गणनाकी प्रत्यक्ष दिखलाई देनवाली त्रुटि है। इसके अतिरिक्त और भी विशेष बात इस प्रसंगमें चिन्तनीय है।

‘लोचन’की एक और चिन्त्य गणना

लोचनकारने ‘पूर्वे ये पञ्चत्रिंशद्भेदा उच्यन्ते गुणीभूतव्यङ्ग्यस्यापि मन्तव्या ।’ लिखकर मितने ध्वनिके भेद होते हैं उतने ही गुणीभूतव्यङ्ग्यक भी भेद माने हैं। परन्तु काव्यप्रकाशकारने इस विषयका प्रतिपादन कुछ भिन्न प्रकारसे किया है। वे लिखते हैं—

एषा भेदा यथायोग वेदितव्याश्च पूर्ववत् ।

यथायोगमिति—

व्यज्यन्ते वस्तुमात्रेण यदालङ्कृतयस्तदा ।

श्रुव ध्वन्यङ्गता तासा काव्यवृत्तेस्तदाश्रयात् ॥ [ध्व० २, २९]

इति ध्वनिकारोक्तदिशा वस्तुमात्रेण यजालङ्कारो ययत न तत्र गुणाभूत यङ्गयवत् ।

—का० प्र० ५, ४६

‘तथा हि स्वत सम्भविक विप्रौढोत्तिसिद्धकविनिबद्धवक्तृप्रौढोत्तिसिद्धवस्तु यङ्गयालङ्काराणां पदवाक्यप्रबन्धगतत्वेन वस्तु यङ्गयालङ्कारस्य भवविधत्वमिति ध्वनिप्रमदभरयैकपञ्चाशतो नवयुनेन [५१ - ९ = ४२] अष्टाना भेदानां प्रत्येक द्विचत्वारिंशद् [४२] विधत्वमिति मिलित्वा $४२ \times ८ = ३३६$ । गुणीभूतव्यङ्ग्यस्य पञ्चत्रिंशदधिकत्रिंशत्भेदा [३३६] ।’

—काव्यप्रकाशटीका

इसके अनुसार काव्यप्रकाशकारने ध्वनिके अथशक्त्युद्भव भेदके अतगत वस्तुसे अलङ्कार-यङ्गयने स्वत सम्भवी, कविप्रौढोत्तिसिद्ध तथा कविनिबद्धवक्तृप्रौढोत्तिसिद्ध ये तीन भेद और उनसे प्रत्येकके पद, वाक्य तथा प्रबन्धगत होनसे $३ \times ३ = ९$, वस्तुसे अलङ्कार यङ्गयक कुल नौ भेद दिये गये हैं। इन नौ प्रकारोंमें केवल ध्वनि ही होता है, गुणीभूतव्यङ्ग्य नहीं जैसा कि ध्वन्यालोककी ऊपर उद्धृत कारिकासे सिद्ध होता है। अतः ध्वनिक ५१ भेदोंमेंसे इन नौको कम करके $५१ - ९ = ४२$ होते हैं। इसलिए कुल मिलाकर $४२ \times ८ = ३३६$ गुणीभूतव्यङ्ग्यके शुद्ध भेद होते हैं। यह काव्यप्रकाशकारका आशय है।

इसका अन्वय यह हुआ कि काव्यप्रकाशकारने ‘ध्वन्यालोक’की ऊपर उद्धृत की हुई [२, २९] कारिकाका आधारपर वस्तुसे अलङ्कार यङ्गयके नौ भेदोंको कम करके गुणीभूतव्यङ्ग्यक भेद माने हैं। क्योंकि जहाँ वस्तुसे अलङ्कार यङ्गय होता है, वहाँ ‘ध्वन्यालोक’की उक्त कारिकाके अनुसार ‘श्रुव ध्वन्यङ्गता’ ध्वनि ही होता है, गुणीभूतव्यङ्ग्य नहीं। लोचनकारने इस ओर ध्यान नहीं दिया है। न केवल इस गणनामें अपितु वस्तु तथा अलङ्कार-यङ्गयक भेदसे गणना करनका ध्यान भी उनका नहीं रहा है। इसलिए अथशक्त्युद्भवक जो बारह भेद उ हान दिखलाये हैं, उसमें भी त्रुटि रह गयी है। अथशक्त्युद्भवक भी लोचनकार छोड़ गये हैं, यह सब चिन्त्य है।

‘काव्यप्रकाश’ तथा ‘साहित्यदर्पण’की गणना

जैसा कि ऊपर दिखलाया जा चुका है ‘काव्यप्रकाश’ तथा ‘साहित्यदर्पण’ दोनोंमें ध्वनिके शुद्ध ५२ भेद माने गये हैं। परन्तु इनकी संसृष्टि और सङ्ग्रहप्रक्रियासे जो भेदसंख्या दोनों ग्रन्थोंमें

निकाली गयी है उसमें दोनों प्रयोगों में बहुत भेद है। 'काव्यप्रकाश'में ससृष्टिसंकरकृत भेदोंकी संख्या १०४०४ तथा 'साहित्यदर्पण'में ५३०४ संख्या दी गयी है। इस संख्याभेदका कारण वस्तुतः गणना शैलियोंका भेद है। 'साहित्यदर्पण'ने सङ्कलनप्रक्रिया'से और 'काव्यप्रकाश'ने 'गुणनप्रक्रिया'से भेदोंकी गणना की है। इसीलिए इन दोनोंमें सत्याका इतना भेद आता है।

'काव्यप्रकाश'की गुणनप्रक्रिया

इसका अभिप्राय यह है कि ध्वनिसे ५१ भेदोंका एक दूसरेसे साथ मिश्रण करनेसे प्रत्येक भेदका एक अपने सजातीय और पचास विजातीय भेदोंके साथ मिश्रण हो सकता है। उदाहरणके लिए अथान्तरसङ्कृतमितवाच्यध्वनिसे उसी उदाहरणमें दूसरे अथान्तरसङ्कृतमितवाच्यध्वनिकी भी निरपेक्षतया स्थिति हो सकती है। उस दशममें 'मिधाऽनपेक्षतेऽपि स्थितिः ससृष्टिरुच्यते।' एक उदाहरणमें दो जगह अर्थात्तरसङ्कृतमितवाच्यध्वनिसे रहनेसे उनही ससृष्टि हो सकती है। यह तो सजातीय भेदके साथ ससृष्टि हुई। इसी प्रकार उसकी पचास अन्य भेदोंके साथ जो ससृष्टि होगी, वह विजातीय भेदोंसे ससृष्टि कहलायेगी। इस प्रकार एक भेदसे ससृष्टि नये इक्यावन भेद हो सकते हैं।

ध्वनिसे गुण इक्यावन भेदोंमेंसे प्रत्येकके ये इक्यावन भेद हो सकते हैं। परन्तु उन सबका योग क्या होगा। इस प्रश्नपर जब विचार करते हैं तो वहाँ सङ्कलन और गुणनकी प्रक्रियाओंका भेद उपस्थित होता है। साधारणतः इक्यावन भेदोंमेंसे प्रत्येकके इक्यावन भेद होते हैं इसलिए इक्यावनको इक्यावनसे गुणा कर देनेपर $५१ \times ५१ = २६०१$ भेद ससृष्टिजन्य हो सकते हैं। यह परिणाम 'गुणनप्रक्रिया'से निकल सकता है। इसीसे यहाँ हमने 'गुणनप्रक्रिया' कहा है। इस ससृष्टिके अतिरिक्त १ अङ्गाङ्गिमात्रसङ्कर, २ सदेहसङ्कर और ३ एकाध्यायानुप्रवेशसङ्कर यह तीन प्रकारका सङ्कर भी हो सकता है। इसलिए इसमें तिगुने अर्थात् $२६०१ \times ३ = ७८०३$ सङ्करकृत भेद हो सकते हैं। ससृष्टि तथा सङ्करकृत इन कुल भेदोंको जोड़ देनेसे $२६०१ + ७८०३ = १०४०४$ भेद होते हैं। यही संख्या 'काव्यप्रकाश'में ध्यानभेदोंकी दी है। इससे ५१ गुण भेदोंका और जोड़ देनेसे १०४५० भेद काव्यप्रकाशसे अनुसार हो जाते हैं। इस प्रक्रियामें ससृष्टिके भेद मातृम करनेके लिए इक्यावन इक्यावनका गुणा किया गया है इसलिए हमने इस प्रक्रियाको 'गुणनप्रक्रिया' कहा है और 'काव्यप्रकाश'में इस गुणनप्रक्रियाको ही यहाँ अपनाया है।

'काव्यप्रकाश'में सङ्कलनप्रक्रिया

यहाँ ध्वनिभेदोंकी गणनामें काव्यप्रकाशकारने 'गुणनप्रक्रिया'का अवलम्बन किया है। परन्तु 'काव्यप्रकाश'के दशम उल्लासमें विरोधाभासद्वारण प्रकरणमें उन्होंने ऐसे भिन्न प्रक्रियाका अवलम्बन किया है।

जातिध्वनिचान्यात्रैर्विन्द्या स्याद् गुणत्रिभिः ।
त्रिया द्वान्यामपि द्रव्यं द्रव्यैरेति से दश ॥

इसका अभिप्राय यह है कि १ जाति, २ गुण, ३ त्रिया और ४ द्रव्य इन चारोंका परस्पर विरोधपूर्ण करनेपर विरोधाभासद्वारण होता है और उसके दस भेद होते हैं। साधारणतः जातिके जाति आदि चारोंके साथ विरोध हो सकता है। इसलिए उसके विरोधके चार भेद हुए, एक सजातीयके साथ आर तीन विजातीयके साथ। इस प्रकार गुणका भी एक सजातीय और तीन विजातीयके साथ विरोध होकर चार भेद हो सकते हैं। इसी प्रकार त्रिया और द्रव्यके भी चार चार

भेद हो सकते हैं। इसलिए यदि ध्वनित्यलवाची 'गुणनप्रक्रिया'का अवलम्बन किया जाय तो वहाँ भी चार और चारका गुणा करके विरोधके सोलह भेद होने चाहिये। परन्तु काव्यप्रकाशकारने यहाँ केवल दस भेद माने हैं। और उनका परिगणन इस प्रकार किया है कि यद्यपि चारोंके चार-चार भेद ही होते हैं परन्तु जातिका गुणके साथ जो विरोध है उसकी गणना जातिविरोधवाले चार भेदोंमें आ चुकी है। इसलिए गुणने जातिके साथ भेदकी गणनामें विद्यमान उस भेदको सबका हिसाब करते समय कम कर देना चाहिये। अन्यथा वह एक भेद दो जगह जुड़ जानेसे संख्या ठीक नहीं रहेगी। इसलिये जातिके विरोधके चार भेद हागे परन्तु गुणके विरोधमें तीन ही भेद रह जायेंगे। क्योंकि एक भेदकी गणना पहिले आ चुकी है। इसी प्रकार क्रियाविरोधके भेदोंमें एक और कम होकर दो और द्रव्यके विरोधके भेदोंमें त्रयश एक और कम हाकर केवल एक ही भेद गणनायोग्य रह जायगा। इसलिये विरोधकी कुल संख्या जाननेके लिए चार और चारका गुणा नहीं करना चाहिये अपितु एकसे लेकर चारतककी संख्याओंको जोड़ना चाहिये। क्योंकि जातिक ४, गुणक ३, क्रियाक २ और द्रव्यका १ भेद ही गणनामें सम्मिलित होने योग्य रह जाता है। अतएव एकसे लेकर चारतक जोड़ देनेसे विरोधके १० भेद होते हैं। इस प्रकार विरोध अलङ्कारके दस भेद होते हैं। इस प्रक्रियामें एकसे लेकर चारतकका सङ्कलन या जाड किया गया है। इसलिए इस प्रकारको हमने 'सङ्कलन प्रक्रिया' कहा है।

'साहित्यदर्पण'की सङ्कलनप्रक्रियाकी शैली

साहित्यदर्पणकारने ध्वनिभेदोंकी गणनामें इसी सङ्कलनप्रक्रियावाली शैलीका अवलम्बन किया है। ध्वनिके शुद्ध भेद तो 'कायप्रकाश' तथा 'साहित्यदर्पण' दानोंमें इक्यावन ही माने गये हैं। परन्तु उनके ससृष्टि तथा सङ्कृत भेदोंकी संख्यामें बहुत अधिक अन्तर हो गया है। इसका कारण यही गुणन तथा सङ्कलनप्रक्रियावाली शैलियोंका भेद है। कायप्रकाशकारने विरोधालङ्कारके स्थलमें जिस शैलीका अवलम्बन किया है, साहित्यदर्पणकारने ध्वनिभेदोंकी गणनामें उसी शैलीका अवलम्बन किया है। इस प्रक्रियाके अनुसार ध्वनित्रय प्रथम भेदकी एक सजातीय और पचास विजातीय भेदोंके साथ मिल करनेसे ५१ प्रकारकी ससृष्टि होगी। इसी प्रकार दूसरे भेदकी भी ५१ प्रकारकी ससृष्टि होगी। परन्तु उनमेंसे एककी गणना पहिले भेदके साथ हो चुकी है इसलिए दूसरे भेदकी केवल ५० प्रकारकी ससृष्टि परिगणनीय रह जायगी। इसी प्रकार तीसरे भेदकी ४९, चौथे भेदकी ४८ इत्यादि क्रमसे एक एक घटते घटते अन्तिम भेदका केवल एक प्रकारकी ससृष्टि गणनायोग्य रह जायगी। इसलिए ससृष्टिके कुल भेदोंकी संख्या जाननेके लिए इक्यावनको इक्यावनसे गुणा न करके एकसे लेकर इक्यावनतककी संख्याओंको जोड़ना उचित है। साहित्यदर्पणकारने एकसे इक्यावनकी संख्याओंको जोड़कर ही १३×६ प्रकारकी ससृष्टि और उससे तिगुने $१३२६ \times ३ = ३९७८$ सङ्कलन भेदोंको जाडकर यह $१३२६ + ३९७८ = ५३०४$ संख्या निकाली है। इसलिए 'साहित्यदर्पण'की शैलीको हमने सङ्कलनप्रक्रियाकी शैली कहा है।

सङ्कलनकी लघु प्रक्रिया

सङ्कलनप्रक्रियाके अनुसार एकसे लेकर इक्यावनतककी संख्याओंके जोड़नेके लिए गणितशास्त्रकी प्राचीन सङ्कृत पुस्तक 'श्रीलावती'में एक विशेष प्रकार दिया है—

एको राशिद्विधा रथाप्य एकमेकाधिकं कुरु ।

समाधेनासमो गुण्य एतत्सङ्कलितं लघु ॥

अथात् एकसे लेकर जहाँतक जोड़ करना हो उस अन्तिम राशिको दो जगह लिख लो, और उनमेंसे एक सख्यामें एक और जोड़ दो। ऐसा करनेमें एक सख्या सम हो जायगी और एक विषम। इनमें जो सम सख्या हो उसका आधा करके उससे विषम सरयाको गुणा कर दो। जैसे यहाँ एकसे लेकर इक्यावनतक जोड़ना है तो एक जगह इक्यावन और दूसरी जगह उसमें एक जोड़ कर बागन लिखा जाय। इसमें बावन सख्या सम है इसलिए उसका आधा कर छत्तीसमें विषम सरया इक्यावनको गुणा कर देनेसे $५१ \times २६ = १३०६$ सख्या आती है। यही एकसे लेकर इक्यावनतकका जोड़ होगा। इसको चागुना कर देनेसे ५३०४ मसृष्टि तथा सङ्करवृत्त भेद हुए और उनमें ५१ शुद्ध भेदोंको मिला देनेसे 'साहित्यदर्पण'की [सङ्कलन] प्रक्रियाके अनुसार ध्वनिके ५३०५ भेद होते हैं।

इस प्रकार 'काव्यप्रकाश' तथा 'साहित्यदर्पण'में ध्वनिभेदोंकी गणनामें जो यह भेद पाया जाता है इसका कारण दोनों जगह अपनायी गयी गुणनप्रक्रिया और सङ्कलनप्रक्रियावाली शैलियोंका भेद है, यह स्पष्ट हो गया।

'काव्यप्रकाश'की द्वित्रिध शैलीका कारण

'काव्यप्रकाश' और 'साहित्यदर्पण'में ध्वनिके भेदांकी सरयाम जो अंतर पाया जाता है उसका कारण शत हो जानेपर भी एक प्रश्न यह रह जाता है कि काव्यप्रकाशकारने ध्वनि तथा विरोधालङ्कारकी गणनामें प्रसङ्गमें अलग अलग शैलियोंका अवलम्बन क्यों किया? साधारणतः विरोधालङ्कारके स्थलमें उद्धाने जो 'सङ्कलनप्रक्रिया'का अवलम्बन किया है वही उचित प्रतीत होता है। उसीसे अनुसार ध्वनिभेदांकी गणना वैसे ही करनी चाहिये भी जैसे 'साहित्यदर्पण'में की गयी है। परन्तु काव्यप्रकाशकारने ध्वनिके प्रसङ्गमें उस शैलीका अवलम्बन नहीं किया है। यद्यपि उद्धाने इस भेदका कोई कारण स्वयं नहीं दिया है परन्तु उनके टीकाकारोंने उसकी सङ्गति लगानेका प्रयत्न किया है।

ऊपर यह दियेलाया था कि ध्वनिके ५१ शुद्ध भेदोंमेंसे प्रत्येककी इक्यावन प्रकारकी सृष्टि हो सकती है। परन्तु गणनाका योग करते समय प्रत्येक भेदके इक्यावन प्रकारके बाद दूसरे भेदके ५० प्रकार ही गिने जायगे क्योंकि दूसरे भेदके साथ प्रथम भेदकी जो सृष्टि होगी उसकी गणना तो प्रथम भेदकी गणनामें ही आ चुकी है। इसी प्रकार अगले भेदोंमें एक एक सख्या घटते घटते अन्तिम भेदकी केवल एक ही प्रकारकी सृष्टि गणनायोग्य रह जायगी। इसलिए सङ्कलनप्रक्रियावाली शैलीमें एकसे लेकर इक्यावनतकका जोड़ किया जाता है। परन्तु गुणनप्रक्रियावाली शैलीमें एक एक भेद घटानेवाला क्रम नहीं रहता है। उसमें प्रत्येक भेदकी इक्यावन प्रकारकी ही सृष्टि होती है। इसलिए ५१ से ५१ का गुणा ही किया जाता है। गुणनप्रक्रियामें जो एक एक भेदको घटाया नहीं जाता है इसका कारण उन सृष्टियोंमें वैजात्यकी कल्पना है। अथान्तरसङ्गमित वाच्यकी अत्यन्ततिरस्कृतवाच्यके साथ जो सृष्टि है वह इन दोनोंके भेदमें आयेगी। इसलिए सङ्कलनप्रक्रियामें उसको केवल एक ही जगह सम्मिलित किया जाता है। परन्तु यह भी हो सकता है कि अथान्तरसङ्गमितवाच्यकी अत्यन्ततिरस्कृतवाच्यके साथ जो सृष्टि हो वह अत्यन्ततिरस्कृत वाच्यके साथ अथान्तरसङ्गमितवाच्यकी सृष्टिसे भिन्न प्रकारकी हो। एकमें अथान्तरसङ्गमितका और दूसरेमें अत्यन्ततिरस्कृतका प्राधाप्य होनेसे वह दोनों सृष्टियाँ अलग अलग ही हों। इसलिए उन दोनोंकी ही गणना होना आवश्यक है। अतः उसको छोड़नेकी आवश्यकता नहीं है। ऐसा मानकर ही कदाचित् काव्यप्रकाशकारने ध्वनिभेदोंमेंसे प्रत्येकके ५१ सृष्टिप्रकार माने हैं। और उनका

तत्र स्वप्रभेदसङ्कीर्णत्व कदाचिदनुप्राहानुप्राहकभावेन, यथा 'एववादिनि देवर्षी' इत्यादौ । अत्र हार्थशक्त्युद्भवानुरणनरूपव्यङ्ग्यध्वनिप्रभेदेनालक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यध्वनिप्रभेदोऽनुगृह्यमाण प्रतीयते ।

एव कदाचित्प्रभेदद्वयसम्पातसन्देहेन यथा—

रगणपाहुणिआ देअर एसा जाआए किपि ते भणिदा ।

रुअइ पडोहरवलहीघरम्मि अणुणिञ्जउ वराई ॥

[क्षणप्राघुणिका देवर एषा जायया किमपि ते भणिता ।

रोदिति शून्यवलभोगृहेऽनुनीयता वराकी ॥इति च्छाया]

अत्र ह्यनुनीयतामित्येतत् पदमर्थान्तरसङ्गमितवाच्यत्वेन विवक्षितान्यपरवाच्यत्वेन च सम्भाव्यते । न चान्यतरपक्षनिर्णये प्रमाणमस्ति ।

गुणा वर $५१ \times १ = २६०१$ ससृष्टिके तथा उससे तिगुने $२६०१ \times ३ = ७८०३$ सङ्करभेदोंको मिलाकर $२६०१ + ७८०३ = १०४०४$ ससृष्टिगङ्करवृत्त भेद माने हैं ।

टीकाकारोंने 'वाच्यप्रकाश'की गुणनप्रक्रियाके समथनके लिए यह एक प्रकार लिखलाया है । उससे यहाँकी गुणनप्रक्रियावाली शैलीका समथन तो कथञ्चित् हो जाता है । परन्तु विराधालङ्कारवाले स्थलम भी इसी प्रकारका वैजात्य क्यों नहीं माना, इसका कोई विनिगमक हेतु नहीं दिया है । इसलिए मूल शङ्काका विचारण नहीं हो पाता है ।

उनमेंसे अपने भेदोंके साथ सङ्कर [तीन प्रकारसे होता है जिसमें पहिला प्रकार] कभी अनुप्राह्य अनुप्राहकभावसे [होता है] जैसे 'एववादिनि देवर्षी' [पृष्ठ १३२] इत्यादिमें । यहाँ अर्थशक्त्युद्भव 'सलक्ष्यक्रम यद्य' [लज्जा अथवा अवहित्था] भेदसे असलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य [अभिलापहेतुक् विप्रलम्भशृङ्गार] अनुगृह्यमाण [पोष्यमाण] प्रतीत होता है । [लज्जा यहाँ व्यभिचारिभावरूपसे प्रतीत हो रही है इसलिए भाव रूप न होनेसे सलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य है । और यह अभिलापहेतुक् विप्रलम्भशृङ्गारका पोषण कर रही है । इस प्रकार यहाँ अङ्गाङ्गिभावसङ्कर है ।]

कभी दो भेदोंके आ जानेसे सन्देहसे [सन्देहसङ्कर हो जाता है] जैसे—

हे देवर, तुम्हारी पत्नीने [क्षण] उत्सवकी पाहुनी [अतिथि, उत्सवमें आयी हुई] उससे कुछ कह दिया है [जिससे] यह दूय्य चलभीगृहमें रो रही है । उस विचारीको मना लेना चाहिये ।

यहाँ 'अनुनीयताम्' यह पद [उपभोगप्रकल्पमूर्चरूप प्रयोजनसे, तात्पर्यानुपपत्तिमूलक लक्षणा द्वारा] अर्थात्सङ्गमितवाच्य [रूप अविवक्षितवाच्य तथा रोदननिवृत्तिजनक व्यापाररूप अनुनय अभिव्या द्वारा बोधित होनेसे] और विवक्षितान्यपरवाच्य [ध्वनि दोनों] रूपसे सम्भव है । और [दोनों ही पक्षोंमें उपभोग व्यङ्ग्य होनेसे] किसी पक्षमें निर्णय करनेमें कोई [विनिगमक] प्रमाण नहीं है [अत यहाँ सन्देहसङ्कर है] ।

एक व्यञ्जकानुप्रवेशेन तु व्यङ्ग्यत्वमलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यस्य स्वप्रभेदान्तरापेक्षया बाहु-
ल्येन सम्भवति । यथा 'स्निग्धश्यामल' इत्यादी । स्वप्रभेदससृष्टत्व च यथा पूर्वोदा-
हरण एव । अत्र ह्यर्थान्तरसङ्क्रमितवाच्यस्यात्यन्ततिरस्कृतवाच्यस्य च ससर्ग ।

गुणीभूतव्यङ्ग्यसङ्कीर्णत्व यथा 'न्यक्कारो ह्ययमेव मे यदरय ' इत्यादी ।

असलक्ष्यक्रम-व्यङ्ग्य [रसादिध्वनि] का अपने अन्य प्रभेदोंके साथ [अन्य प्रभेदापेक्षया] एकाध्यायानुप्रवेश [रूप सङ्कर] बहुत अधिक हो सकता है [क्योंकि काव्योंमें एक ही पदसे अनेक रसादि, भागादिकी अभिव्यक्ति पायी जाती है] । जैसे 'स्निग्धश्यामल' इत्यादिमें [यहाँ स्निग्धश्यामल इत्यादिने विप्रलम्भशृङ्गार और उसके व्यभिचारिभाव शोभावेग दोनोंकी अभिव्यक्ति होनेसे एकाध्यायानुप्रवेशसङ्कर है] । अपने भेदके साथ ससृष्टि जेमे पूर्वोक्त [स्निग्धश्यामल] उदाहरणमें ही । यहाँ [राम पदके अत्यन्तदुःखसहिष्णु रामपरक होनेसे] अर्थान्तरसङ्क्रमितवाच्यध्वनि और [लित तथा सुहृत् शब्दसे व्यङ्ग्य] अत्यन्ततिरस्कृतवाच्यध्वनिका [निरपेक्षतया स्थितिरूप] ससर्ग [होनेसे ससृष्टि] है ।

इस प्रकार ध्वनिके अपा भेदोंके साथ सङ्कर तथा ससृष्टिको दिखला चुकनेके बाद अब गुणीभूतव्यङ्ग्यके साथ सङ्करके दो उदाहरण देते हैं । इन उदाहरणोंमें तीनों प्रकारके सङ्कर आ जाते हैं ।

गुणीभूतव्यङ्ग्यका [ध्वनिके साथ] सङ्कर [का उदाहरण] जैसे—'न्यक्कारो ह्ययमेव मे यदरय ' इत्यादि [श्लोक] में ।

इस श्लोककी व्याख्या पीछे हो चुकी है । इसने अलग अलग शब्दोंसे प्रकाशित गुणीभूत व्यङ्ग्यका समस्त श्लोकसे प्रकाशित असलक्ष्यक्रम-व्यङ्ग्य रसध्वनिके साथ अङ्गाङ्गिभावसङ्कर होता है । यहाँ समस्त वाक्यसे प्रकाशय असलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य रसादिध्वनि कौन-सा है इस विषयमें व्याख्याकारोंमें प्राय तीन प्रकारके मत दिखलाई देते हैं—

१—लोचनकारने इस श्लोककी व्याख्यामें लिखा है—“तथाहि मे यदरय इत्यादिभि सर्वैव पदार्थैर्विभावादिरूपतया रौद्र एवानुश्रुते ।” अर्थात् उनके मतमें रौद्ररस इस श्लोकका प्रधान ध्वनि है ।

२—‘साहित्यदर्पण’के टीकाकार सर्कवागीशजीने इस श्लोकमें शान्तिरसके स्थायिभाव निवेदको व्यङ्ग्य माना है । उन्होंने लिखा है—“जीवत्यहो रावण इत्यादिना यज्यमानेन स्वानौजस्यरूप दैन्येनानुभागेन संवलित स्वावमानन निवेदारय भावरूपोऽसलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यो ध्वनि ।”

ये दोनों मत एक-दूसरेसे विरुद्ध ध्वनि मान रहे हैं ।

३—तीमरा नवीन मत यह है कि रावणके क्रोध और निवेद आदिसे पोषित रावणका सुदोस्ताह ही आस्वादपदवीको प्राप्त होता है । अत वीररस ही इस श्लोकका प्रधान व्यङ्ग्य है ।

ध्वन्यालोककारने स्वय इसको खोला नहीं है । उन्होंने असलक्ष्यक्रम-व्यङ्ग्यको वाक्यार्थीभूत मानकर व्यङ्ग्यविशिष्ट वाक्यार्थका अभिधया बोधन करानेवाले पन्नेसे शोच्य, गुणीभूतव्यङ्ग्यके साथ सङ्कर दिखला दिया है । परन्तु वाक्यार्थीभूत असलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य रौद्र, वीर, अथवा निवेद कौन-सा है इस विषयपर उन्होंने कोई प्रकाश नहीं करा है ।

‘यथा वा—

कर्ता घृतच्छलाना जतुमयशरणोद्दीपन सोऽभिमानी
 कृष्णाकेशोत्तरीयव्यपनयनपटु पाण्डवा यस्य दासा ।
 राजा दुःशासनदेर्गुरुरनुजशतस्याङ्गराजस्य मित्र
 क्वास्ते दुर्योधनोऽसौ कथयत न रुपा द्रष्टुमभ्यागतौ स्व ॥

अत्र ह्यलक्ष्यक्रमयङ्गयस्य वाक्यार्थभित्तस्य व्यङ्ग्यप्रतिशिष्टवाच्याभिधायिभि
 पदै सम्मिश्रता^१ ।

इसी गुणीभूतव्यङ्ग्यके साथ सङ्करका दूसरा उदाहरण देते हैं । अथवा जैसे—

[‘विष्णुमहार’ नाटकके पञ्चम अङ्कमें कौरवोंका विध्वंस करनेके मत, भागे हुए, दुर्योधनको मोजते हुए भीम और अर्जुनकी यह उक्ति है ।] जुएके छलों [पाण्डवोंका राज्यापहरण करनेके लिए जुएके शटतापूर्ण छलप्रपञ्च] का करनेवाला, [पाण्डवोंके विनाशके लिए धारणावतमें वनवाये हुए] लावके घरमें आग लगानेवाला, द्रोपदीके केश और घट्ट घाँघनेमें चतुर, पाण्डव जिसके दास हैं [अर्थात् पाण्डवोंको अपना दास बतलानेवाला], दुःशासन आदिका राजा, सौ अनुजोंका गुरु [अपनेस छोटे सय कौरवोंका ज्येष्ठ या पूज्य], अङ्गराज [कर्ण] का मित्र वह अभिमानी दुर्योधन कहा है ? घतलाओ, हम [भीम और अर्जुन] क्रोधसे [उसे मारने] नहीं, [इस समय तो केवल] देखने आये हैं ।

यहाँ [अर्थात् ‘व्यङ्ग्यकारो’ और ‘कर्ता घृतच्छलाना’ इन दोनों श्लोकोंमें] वाक्यार्थभूत [समस्त श्लोकसे सूचित] असलक्ष्यक्रम-यङ्गय [रौद्र, धीर या निर्वेद आदि किसीका नामत उल्लेख नहीं किया है] का, व्यङ्ग्यप्रतिशिष्ट वाच्यार्थ [गुणीभूत व्यङ्ग्य] को अभिधासे बोधन करानेवाले पदै [से चोत्पद्य गुणीभूत-यङ्गय] वं साथ सङ्कर [अङ्गाङ्गिभाधरूप] हैं [‘पदे सम्मिश्रता’में ‘पदे’ से पदचोत्पद्य गुणीभूत-यङ्गय अर्थ ही लेना चाहिये । क्योंकि साक्षात् पदैके साथ ध्वनिना सङ्कर सम्भव नहीं है] ।

इन दो उदाहरणोंमें गुणीभूत-यङ्गयके साथ ध्वनिके तीनों प्रकारके सङ्कर आ जाते हैं । प्रथमप्रकारने वाक्यार्थभूत असलक्ष्यक्रम यङ्गय रसादिध्वनिके साथ पदप्रकाश य गुणीभूत यङ्गयका ‘अङ्गाङ्गिभाव’रूप एक ही सङ्कर दितलाया है । दूसरा ‘स देहसङ्कर’ इस प्रकार होता है कि दूसरे श्लोकमें ‘पाण्डवा यस्य दासा’ इस जगते यङ्ग्यप्रतिशिष्ट वाच्यार्थ ही नाधोदापर हो सकता है इसलिए यहाँ गुणीभूत यङ्गय हो सकता है । अथवा ‘कृतत्रय दामको जाजर रामीना दर्शन जनय करना चाहिये’ इस प्रकारका अथशक्युद्भवनि भी हो सकता है । य दाना ही चमत्कारजनक हैं, अत एव साधक साधकप्रमाणके अभावमें उन दोनोंका ‘स देहसङ्कर’ भी हो सकता है । और वाचक पदोंसे ही गुणीभूत-यङ्गयन साथ रसध्वनि भी रहता है इसलिए उन दोनोंका एकाश्रयानुप्रवेशसङ्कर भी हो सकता है । अतएव इन दो उदाहरणोंसे ही गुणीभूत यङ्गयन साथ त्रिविध सङ्करका निरूपण हो जाता है ।

१ ‘यथा वी० ।

२ ‘सङ्कमिता’ नि० ।

अत एव च पदार्थाश्रयत्वे गुणीभूतव्यङ्ग्यस्य, वाक्यार्थाश्रयत्वे च ध्वने सङ्कीर्ण-
तायामपि^१ न विरोध स्वप्रभेदान्तरवत् । यथा हि ध्वनिप्रभेदान्तराणि परस्पर सङ्कीर्यन्ते,
पदार्थवाक्यार्थाश्रयत्वेन च न विरुद्धानि ।

इन श्लोकोंमें गुणीभूतव्यङ्ग्य और ध्वनि अथात् प्रधानव्यङ्ग्यका [विविध] सङ्कर
दिखलाया है । इसमें यह शङ्का हो सकती है कि एक ही श्लोकमें अभिप्रेत होनेवाला व्यङ्ग्य अर्थ
प्रधान ध्वनिरूप भी रहे और गुणीभूतव्यङ्ग्य भी बन जाय यह कैसे हो सकता है ! आगे इसका
समाधान करते हैं । समाधानका आशय यह है कि गुणीभूतव्यङ्ग्य पदोंमें रहता है और ध्वनि या
प्रधान व्यङ्ग्य वाक्यमें रहता है । अतः उन दोनोंका आश्रयभेद हो जानेसे उनमें कोई विरोध
नहीं होता है ।

इसीलिए [उदाहरणोंमें ध्वनि और गुणीभूतव्यङ्ग्य दोनोंके एक साथ पाये
जानेसे] ध्वनिके अपने प्रभेदोंके समान गुणीभूतव्यङ्ग्यको पदार्थमें आश्रित और
ध्वनिको वाक्यार्थमें आश्रित माननेपर [उनका] सङ्कर होनेपर भी कोई विरोध नहीं
आता । जैसे ध्वनिके अन्य भेदोंका परस्पर सङ्कर होता है वार [एकके] पदार्थ
[और दूसरेके] वाक्यार्थमें आश्रित होनेसे विरोध नहीं आता [इसी प्रकार ध्वनि
और गुणीभूतव्यङ्ग्यको भी क्रमशः वाक्यार्थ और पदार्थमें आश्रित माननेसे उनके
सङ्करमें कोई विरोध नहीं होता] ।

यह किसी पुस्तकमें 'तथाहि' पाठ मिलता है और किसीमें 'यथाहि' । यह पाठभेद लोचन
कारके समयमें भी था । और वे स्वयं भी ठीक पाठका निश्चय नहीं कर सके, इसलिए उ होने 'तदेव
याचष्टे यथाहीति । तथाऽनापीत्यध्याहारोऽन कतव्य । तथाहि इति वा पाठ ।' यह लिखा है । अर्थात्
यदि 'तथाहि' यह पाठ माना जाय तब तो 'तथा अत्रापि' इतने पदका अध्याहार करना चाहिये ।
तब अर्थ ठीक होगा । अथवा फिर 'तथाहि' यह पाठ होना चाहिये । इससे प्रतात जाता है कि लोचन
कारको 'यथाहि' पाठ ही मिला था । और 'तथाहि' पाठका उनका सुझाव है । कदाचित्
इसीलिए आगे दोनों पाठ मिलने लगे हैं ।

ध्वनि और गुणीभूतव्यङ्ग्यको क्रमशः वाक्याश्रित और पदाश्रित मानकर उन दोनोंके सङ्कर
का जो उपपादन ऊपर किया है वह 'अद्वाङ्गिभावसङ्कर' और 'सन्देहसङ्कर'में ता ठीक हो जाता
है, परन्तु 'एकाभयानुप्रवेशसङ्कर'में ता दोनोंका एक ही आश्रय होगा अतएव आश्रयभेदसे ध्वनि
और गुणीभूतव्यङ्ग्यकी स्थितिका जो अविरोध निराय किया था, वह वहाँ लागू नहीं हो सकेगा ।
क्योंकि एकाभयमें ध्वनि और गुणीभूतव्यङ्ग्य दोनों कैसे रह सकेंगे ! यह शङ्का है, इसका
समाधान आगे करते हैं । समाधानका आशय यह है कि पहिला परिहार व्यङ्ग्यभेदसे किया था,
उसी प्रकार यहाँ व्यङ्ग्यभेदसे परिहार हो सकता है । अथात् एकाभयमें रहनेवाले दो अलग अलग
व्यङ्ग्य हैं, एक प्रधान या ध्वनिरूप और दूसरा गुणीभूत । ये दोनों भिन्न भिन्न व्यङ्ग्य एक जगह
रह सकते हैं । इसमें कोई विरोध नहीं है । यदि एक ही व्यङ्ग्यका ध्वनि और उसका गुणीभूत कहा
जाय, तब तो विरोध होगा । परन्तु दोनों व्यङ्ग्यका भिन्न हानस विरोध नहीं है । यह समाधान
'एकाभयानुप्रवेशसङ्कर'में प्रतीत होनेवाले विरोधका परिहार ता करता ही है, उसके साथ 'अद्वाङ्गि
भाव' और 'सन्देहसङ्कर'में भी लागू हो सकता है । क्योंकि उन दोनों भेदोंमें भी व्यङ्ग्य अलग

१ 'सङ्कीर्णतायामपि' नि०, दी० ।

दीर्घाकुर्वन् पटु मदकल वृजित सारसाना
 प्रत्यूपेषु स्फुटितकमलामोदमैत्रीकपाय ।
 यत्र स्त्रीणा हरति सुरतग्लानिमङ्गानुकूल
 शिप्रावात प्रियतम इव प्रार्थनाचाटुकार ॥

अत्र हि मैत्रीपदमविवक्षितवान्यो ध्वनि, पदान्तरेष्वलङ्कारान्तराणि ।

ससृण्वलङ्कारसङ्कीर्णो ध्वनिर्यथा—

[यह कालिदासके 'मेघदूत'का श्लोक है । विशाला उज्जयिनी नगरीका वर्णन करते हुए यक्ष मेघसे कहता है ।] जहाँ [जिस विशाला उज्जयिनी नगरीमें] प्रातः काल सारसोंके रमणीय और मदके कारण अत्यन्त मधुर शब्दको फलानेवाला, पिले हुए कमलोंकी सुगन्धके सम्पर्कसे सुगन्धित और अङ्गोंको अच्छा लगनेवाला, शिप्रा नदीका घासु नधनिधुवनकी] प्राथनामें [सुशामद करनेवाले] चाटुकार प्रियतमके समान, स्त्रियोंकी सुरतजन्य थातिका हरण करता है ।

यहाँ 'मैत्री' पदमें अविवक्षितवाच्यध्वनि और अन्य पदोंमें अन्य [पटु, 'दीर्घा कुर्वन्' में गम्योत्प्रेक्षा, 'प्रत्यूपेषु' में स्वभावोक्ति, 'प्रियतम इव' में उपमा आदि] अलङ्कार हैं [अतः ध्वनिकी ध्वन्यालङ्कारोंके साथ ससृष्टि है] ।

लोचनकारने लिखा है—“शिप्रापरिचितोऽसौ वात इति नागरिको, न त्वचिदग्धो ग्राम्यप्राय इत्यथ । यत्र च पवनोऽपि तथा नागरिः स तत्रावयमभिगत या देश इति मेघदूते मेघ प्रति कामिन इत्युक्ति ।” इसके नागरिक पदके प्रयोगपर टिप्पणी करत हुए 'लोचन' तथा 'मालप्रिया' टीका सहित मुद्रित वाराणसय सरकारणम टिप्पणीकारने लिखा है—

“अयं शब्दो 'नगरात्सुत्सुनप्रावीण्ययो' इति पाणिनीयसूत्रेण टया निष्पन्न । तत्र भवता भट्टोजि दीक्षितेन तु नागरिकश्चन्द्रश्चौराश्लियनोरुदाहृतो न तु सामान्यता निपुणे ।”

टिप्पणीकारका यह लेख एकदम प्रमादविवृतिभक्त जान पड़ता है । 'नगरात्सुत्सुनप्रावीण्ययो' सूत्रसे ठक् प्रत्यय नहीं 'सुञ्' प्रत्यय हाता है । नगर शब्दसे सुञ् प्रत्यय करके 'नागरक' शब्द बनता है, 'नागरिक' नहीं । भट्टाजिदीक्षितने भी कौमुदीमें इस सूत्रकी वृत्तिमें 'सुञ्' प्रत्ययना ही विधान किया है । “नागरशब्दाद् सुञ् स्यात् सुत्सुने प्रावीण्ये च गम्ये । नागरकश्चौर शिल्पी वा । सुत्सुन इति किम्, नागरा ब्राह्मणा ।” जान पड़ता है कि टिप्पणीकारने कौमुदी याद करते समय इस सूत्रमें 'नागरक'के स्थानपर 'नागरिक' यह अशुद्ध उदाहरण याद कर लिया है । उसी अशुद्ध स्मृतिके आधारपर यह टिप्पणी लिख दी है । और 'नगरात्सुत्सुनप्रावीण्ययो' सूत्रकी वृत्तिके देखनेका भी कष्ट उठाये बिना ही इस सूत्रसे ठक् प्रत्ययका विधान कर डाला है । इस प्रकार भट्टाजिदीक्षितके लेखकी भी दुर्गति कर डाली है ।

ससृष्ट अलङ्कारके साथ सङ्कीर्णध्वनिका [उदाहरण] जैसे—

अत्यधिक भूषणके कारण अपने ही बच्चेको स्वा जानेके लिए उद्यत किसी सिंहिनीको देखकर उस बच्चेको बचानेके लिए अपना शरीर भक्षणार्थ सिंहिनीको दे देनेवाले बोधिसत्वकी प्रशंसा करते हुए कोई कहता है—

दन्तश्रवानि परजीभ विपाटितानि
 प्रोद्भिन्नमात्रपुण्ड्रे भवतः शरीरे ।
 दसानि रक्षणमा मृगगजध्या
 जातसृष्टिमुनिभिरव्यपलोकिताणि ॥

अत्र हि समासोक्तिमृष्टेन विरोधालक्षणेन सङ्कीर्णव्यालक्ष्यमन्वयव्यपश्येः
 प्रकाशनम्, दयाधीरव्य परमायता वाक्यार्थीभूतत्वात् ।

संमृष्टालङ्कारसंरूप्यस्य ध्यनेयंथा—

अदिग्भयभाभरसिपसु पदिअसामाहणसु दिअदेसु ।

सोदइ पसारिअतिआनां लसिअं मोरयन्दाणम् ॥

[अनिवर्णयोदरसिपेपु पथिदस्यापामिपेपु [मातादिपेपु] दिवतेपु ।

शोभते प्रसारितधीवातां [गोतानां] नृत्त मयूरद्वयानाम् ॥ इति षष्ठाया]

अत्र ह्युपमारूपकाभ्यां दन्तश्रवण्युद्भवापुरणरूपव्यपश्येः ध्यनेः समुच्चयम् ॥ ४४ ॥

[कारणव्यपदा और दूसरे पक्षमें शृङ्गारवदा] तथा रोमाञ्जयुग भाषणे शरीरपर, रक्षणार्थी इच्छावाली और दूसरे पक्षमें अनुक्षण मयावाली, मृगगजधू [सिंहिनी, पद्माम्बरमें किन्नी राजपधू] ने जो दन्तगत और गणना विधे उन्ने मुनियोंने भी सङ्कण [दृष्टगोत्री प्राणरक्षामें अत्र शरीरका उपहार दे देनेका यह सीमाव्य दमको भी प्राप्त होता इस भाषणाने और शृङ्गारपक्षमें अनुष्णक मनवाली राजपधूके दन्तगत और नसक्षत प्राप्त करनेकी इच्छामें युग] हीकर दत्ता ।

यहाँ [सिंहिनीमें राजपत्नीके व्यवहारका समारोप होनेसे] समासोक्तिमें सूक्ष्म [मुनिभिरपि सङ्गृहः से मृगत] विरोध अलङ्कारके साथ सङ्कीर्ण [रोमाञ्जदि अनुमाय द्वारा परिपायित बोधिसत्त्वके दयाधीर रसका म्यायिभाव द्योत्साहरूप अभिप्रेत्य मान] अलक्ष्यमन्वयव्यपश्यनिका प्रकाशना होता है । क्योंकि शास्त्रवर्मे दयाधीर [रस] ही [मुख्य] वाक्यार्थीभूत है ।

संसृ टालङ्कारके साथ ध्यनिकी संसृष्टि [का उदाहरण] जैसे—

[यह 'गायामस्तज्ञाती का पक्ष है] अभि य मेघोंका गजा जिममें हो रहा है और पथिक्तरूप साम्राजिकोंमें युक्त, अधगा पथिकोंका श्याम-से मालूम हुए, [पथाके] दिनोंमें गर्दन फौजकर अधवा गान करते हुए मोरोंका नृत्य [यद्वा] सुन्दर लगता है ।

यहाँ उपमा और रूपक [की संसृष्टि] के साथ दाम्पशक्ययुद्भव संलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य [वस्तुध्वनि] की संसृष्टि है ।

यहाँ 'पदिअसामाहणसु' इस प्राकृत पदकी संसृष्ट लया दा प्रकारकी हो सपत्ती है—एक तो 'पथिक्तरवामावितपु' और दूसरी 'पथिक्तरसामाजिरपु' । इनमेंसे पहिली छाया अथात् 'पथिक्तरवामावितपु'के मातोपर दयामा अपेरी रातव समान आचरणवाले इस अर्थमें 'कर्तुं क्यद् सलोपम' [३, १, ११] सूत्रसे उपमानवाची दयामा शब्दसे क्यद् प्रत्यय होनेके कारण उपमा अलङ्कार

एव ध्वने' प्रभेदा' प्रभेदभेदाश्च केन शक्यन्ते ।
संख्यातु दिङ्मात्र तेषामिदमुक्तमस्माभि ॥४५॥

अनन्ता हि ध्वने प्रकारा । सहृदयाना व्युत्पत्तये तेषा दिङ्मात्र कथितम् ॥४५॥

इत्युक्तलक्षणो यो ध्वनिर्विवेच्यः प्रयत्नतः सद्भिः ।
सत्काव्य कर्तुं वा ज्ञातुं वा सम्यगभियुक्तैः ॥४६॥

उत्स्वरूपध्वनिनिरूपणनिपुणा हि सत्कवय सहृदयाश्च नियतमेव काव्यविषये
परा प्रकर्षपदवीमासादयन्ति ॥४६॥

अस्फुटस्फुरितं काव्यतत्त्वमेतद्यथोदितम् ।
अशक्नुवद्भिर्व्याकर्तुं रीतयः सम्प्रवर्तिता ॥४७॥

और 'पथिकसामाजिकेषु' ऐसी छाया माननेपर 'पथिका एव सामाजिका' इस प्रकार रूपक हो सकता है। इन दोनोंके परस्पर सापेक्ष न होनेसे दोनोंकी सृष्टि है। और उरुके साथ 'सामाहणम्' इस शब्दके परिवृत्त्यसह होनेके कारण शब्दशक्तिमूल, उद्दीपकत्वातिशयरूप वस्तुध्वनिही सृष्टि होती है। आलोककारने यहाँ उपमा और रूपककी सृष्टि मानी है परन्तु साहित्यदर्पणकारन 'पहिअसामाहणम्' इस एक पदमें ही दोनों अलङ्कारोंके हानसे 'एकाग्रयानुप्रवेशसङ्कर' माना है।

यहाँ ससृष्टालङ्कारसङ्कीर्णत्व तथा ससृष्टालङ्कारससृष्टत्व इन दोके उदाहरण दिये हैं। इनके साथ ही सङ्कीर्णालङ्कारसकीर्णत्व और सङ्कीर्णालङ्कारससृष्टत्व य दो भेद और भी हो सकते हैं परन्तु उनके उदाहरण इ हाँक अ तगत आ गये है इसलिए अलग नक्ष दिये गये हैं। जैसा कि अभा साहित्य दर्पणकारका मत दितलाया है उसके अनुसार 'पहिअसामाहणम्' पदमे उपमा और रूपकका सङ्कर होता है। उस दशामे यही सङ्कीर्णालङ्कारससृष्टत्वका उदाहरण बन जाता है। उसमे उपमा और रूपकके सङ्करके साथ वस्तुध्वनिकी सृष्टि है। और उ हीके साथ रसध्वनिका अङ्गाङ्गिभावसङ्कर माननेसे यही सङ्कीर्णालङ्कारसङ्कीर्णत्वका उदाहरण बन सकता है। अत इन दो भेदोंके अलग उदाहरण देनेकी आवश्यकता नहीं रही ॥४४॥

इस प्रकार ध्वनिके प्रभेद और उन प्रभेदोंके अधान्तर भेदोंकी गणना केन कर सकता है। हमने उनका यह दिङ्मात्र प्रदर्शन किया है ॥४५॥

ध्वनिके अनन्त प्रकार हैं। सहृदयोंके ध्यानके लिए उनमेंसे थोड़े से दिङ्मात्र [ही हमने] कहे हैं ॥४५॥

उत्तम काव्यको धनाने अथवा समझानेके लिए प्रस्तुत सज्जनोंको इस प्रकार जिस ध्वनिका लक्षण किया गया है उसका प्रयत्नपूर्वक विवेचन करना चाहिये ॥४॥

उत्स्वरूप ध्वनिके निरूपणमे निपुण सत्कवि और सहृदय निश्चय ही काव्यके विषयमें अत्यन्त उत्कृष्ट पदवीको प्राप्त करते हैं [यह प्रकर्षलाभ ही ध्वनिविवेचनाका फल है] ॥४६॥

अस्फुटरूपसे प्रतीत होनेवाले इस पूर्वोक्त काव्यतत्त्वकी व्याख्या कर सकनेमें असमर्थ [धामन आदि] ने रीतियों प्रचलित कीं ॥४७॥

एतद्ध्वनिप्रवर्तनेन^१ निर्णयति काव्यतत्त्वमस्फुटस्फुरित सदशक्नुवद्भिः प्रतिपादयितु
वैदर्भी गौडी पाञ्चाली चेति रीतयः प्रवर्तिताः । रीतिलक्षणविधायिना हि काव्यतत्त्व-
मेतदस्फुटतया मनाक् स्फुरितमासीदिति लक्ष्यते^२ । तदत्र स्फुटतया सम्प्रदर्शितमित्यन्येन^३
रीतिलक्षणेन न किञ्चित् ॥४७॥

ध्वनितत्त्वके वाद रीतियोंकी अनुपयोगिता

इस ध्वनिके प्रतिपादनसे [अत्र स्पष्टरूपसे] निर्णयित [परन्तु रीतिप्रवर्तक
वामन आदिने समयमें] अस्फुटरूपसे प्रतीत होनवाले इस [ध्वनिरूप] काव्यतत्त्वका
प्रतिपादन कर सम्मनेमें असमर्थ [वामन आदि आचार्यों] ने चैदर्भी, गोबी, पाञ्चाली
आदि रीतियों प्रचलित कीं । रीतिकारोंको यह [ध्वनिरूप] काव्यतत्त्व अस्पष्टरूपसे
कुछ थोड़ा थोड़ा भासता [अवश्य] था ऐसा प्रतीत होता है । उसका [अत्र हमने] यहाँ
स्पष्टरूपसे प्रतिपादन कर दिया । इसलिए अत्र [ध्वनिके भिन्न] अन्य रीतिलक्षणोंकी
काई आवश्यकता नहीं है ।

जब ध्वनिका वाद स्पष्ट चित्र लोगोंने सामने नहीं था, केवल एक अस्पष्ट धुँधली छाया प्रतीत
होती थी और उस समयके आचार्योंमें ध्वनिकी उस अस्पष्ट रूपरेखाको स्पष्टरूपसे चित्रित करनेकी
प्रतिभाका अभाव था, उस समय काव्यकौशलसे उस मूल तत्त्वका उद्घोष रीतिरूपमें प्रतिपादन
करनेका प्रयत्न किया । अत्र हमने काव्यके आत्मभूत उस मूल ध्वनितत्त्वका अत्यन्त स्पष्ट और
विरल रूपमें प्रतिपादन किया है, इसलिए उन रीतियोंके लक्षण आदि करनेकी आवश्यकता नहीं
है । ध्वनिका क्षेत्र बहुत विस्तृत है, रीतियाँ बहुत परिमित । इसलिए रीतियोंमें ध्वनिका नहीं,
अपितु ध्वनिके रीतियोंका अभाव ही सकता है । इसलिए रीतियोंके लक्षणकी आवश्यकता नहीं है,
यह प्रयत्नकारका अभिप्राय है ॥४७॥

ध्वनितत्त्वके वाद वृत्तियोंकी अनुपयोगिता

रीतियोंके अतिरिक्त शब्द और अर्थके उचित व्यवहारकी प्रवर्तक दो प्रकारकी वृत्तियोंका
उल्लेख प्राचीन साहित्यमें पाया जाता है । भरतने नाट्यशास्त्रमें "वृत्तयो नाट्यमातरः" तथा "सर्वेषां
मेव काव्यानां वृत्तयो मातृका स्मृताः ।" इत्यादि वचन मिलते हैं । नाट्यशास्त्रमें मुख्यतः
नाट्यापयोगी भारतीय, सावती, त्रैशिकी और आरभटी इन चार प्रकारकी रीतियोंका उल्लेख किया
है । दशकल्पकारने "तद्व्यापाराभिन्ना वृत्तिः" कहकर नाट्यशास्त्रिक व्यवहारको ही वृत्ति बताया है ।
ध्वनितत्त्वकारने भी "व्यवहारो हि वृत्तिरित्युच्यते" [३, ३३] लिखकर व्यवहारको ही वृत्ति बताया है ।
वृत्तियोंका निरूपण हम पहिले कर चुके हैं ।

भरतकी चारों वृत्तियोंका सम्बन्ध वरसोंसे है और वे व्यवहाररूप हैं, इसलिए ध्वनितत्त्वकारने
उनको 'जथाभित वृत्ति' कहा है । इसने अतिरिक्त उद्घट्ट आदिने जिन उपनागरिका आदि चार
वृत्तियोंका प्रतिपादन किया है उनका वर्णन भी हम कर आये हैं । इन उपनागरिका आदि वृत्तियों

१ 'वर्तनेन', नि० दी० ।

२ 'लक्ष्यते' पाठ नि०, दी० में नहीं है ।

३ 'सम्प्रदर्शितेन' वा० प्रि० ।

'शब्दतत्त्वाश्रया' काश्चिदर्थतत्त्वयुजोऽपराः ।

वृत्तयोऽपि प्रकाशन्ते ज्ञानेऽस्मिन् काव्यलक्षणे ॥४८॥

अस्मिन् व्यङ्ग्यव्यञ्जकभावविचेचनामये काव्यलक्षणे हाते सति या काश्चित्प्रसिद्धा उपनागरिकाद्या शब्दतत्त्वाश्रया वृत्तयो याश्चार्थतत्त्वसम्बद्धाः कैशिक्यादयस्ता सम्यग् रीतिपदवीमवतरन्ति । अन्यथा तु तासामदृष्टार्थानामिव वृत्तीनामश्रद्धेयत्वमेव स्यान्नानुभवसिद्धत्वम् । एव स्पृष्टतयैव लक्षणीय स्वरूपमस्य ध्वनेः ।

यत्र शब्दानामर्थानां च केषाञ्चित्प्रतिपत्तुविशेषसवेद्य जात्यत्वमिव रत्नविशेषाणां चारुत्वमनाख्येयमवभासते काव्ये तत्र ध्वनिव्यवहार इति यल्लक्षण ध्वनेरुच्यते केनचित् ,

का सम्य ध मुरयत शब्दोमे है इसलिए आलोककारने इनको 'शब्दाश्रित वृत्ति' माना है । इन दोनों प्रकारकी वृत्तियोंका प्रयोजन सहृदयानुभवगोचर चमत्कारविशेषको उत्पन्न करना ही है । और ध्वनि का प्रयोजन भी यही है । इसलिए अतः ध्वनिके सिद्धा तका स्पष्टरूपसे आविभाव नहीं हुआ था तबतक इन वृत्तियोंकी सत्ता अलग बनी रही सो ठीक है । परन्तु ध्वनिसिद्धान्तके स्पष्टीकरणक बाद जैसे 'रीति'की अलग आवश्यकता नहीं रही, इसी प्रकार 'वृत्तियों'की भी आवश्यकता समाप्त हो जाती है । यह ध्वनिकारका कथन है । इसी बातका उपपादन आगेके प्रकरण में करत हैं—

इस [ध्वनिरूप] काव्यस्वरूपके ज्ञान लेनेपर कुछ शब्दतत्त्वमें आश्रित [भट्टोद्भटादिकी अभिमत उपनागरिकादि] और दूसरी अर्थतत्त्वपर आश्रित [भरताभिमत कैशिकी आदि] जो कोई वृत्तियाँ हैं वे भी [रीतियोंके समान व्यापकरूप ध्वनिके अन्तर्गत] प्रकाशित हो जाती हैं [कारिकाके उत्तरार्द्धमें कुछ अध्याहार किये बिना ध्वन्य अपूर्ण रह जाता है । वृत्तिकारने भी उसकी व्याख्यामें 'ता सम्यग् रीतिपदवीमवतरन्ति' लिखकर उसकी व्याख्या की है । अर्थात् वे वृत्तियाँ भी रीतियोंके समान ध्वनिमें अन्तर्भूत हो जाती हैं] ॥४८॥

इस व्यङ्ग्यव्यञ्जकभावके विचेचनामय काव्यलक्षणके विदित हो जानेपर जो प्रसिद्ध उपनागरिकादि शब्दतत्त्वाश्रित वृत्तियाँ और जो अर्थतत्त्वसे सम्यग्द कैशिकी आदि वृत्तियाँ हैं वे पूर्णरूपसे रीतिमार्गका अद्वयत्व करती हैं । [अर्थात् जैसे व्यापक रूप ध्वनिमें रीतियोंका अन्तर्भाव हो जाता है, इसी प्रकार शब्दाश्रित उपनागरिकादि तथा अथाश्रित कैशिकी आदि दोनों प्रकारकी वृत्तियोंका अन्तर्भाव भी व्यापक ध्वनिमें हो जाता है । उनके अलग लक्षण आदिकी आवश्यकता नहीं रहती] अन्यथा [यदि चमत्कारविशेषजनक ध्वनिके साथ वृत्तियोंका तादात्म्य—अभेद न मानें तो सहृदयानुभवगोचर चमत्कारविशेषजनकत्वके अतिरिक्त वृत्तियोंका और कोई दृष्ट प्रयोजन नहीं रहता है इसलिए] अदृष्ट पदार्थोंके समान वृत्तियाँ, अश्रद्धेय हो जायँगी, अनुभवसिद्ध नहीं रहेंगी ।

'जहाँ कि—हाँ शब्दों और अर्थोंका चारुत्वविशेष, रत्नोंके जात्यत्व [उत्कृष्ट, जातीयत्व] के समान विशेषसवेद्य और अर्णनीय रूपमें प्रतीत होता है उस काव्य

तदयुक्तमिति 'नाभिधेयतामहति' । यत् शब्दानां स्वरूपाश्रयस्तावदक्लिष्टत्वे सत्यप्रयुक्त-
प्रयोग, वाचकाश्रयस्तु प्रसङ्गो व्यञ्जकत्व चेति विशेष । अर्थाणां च स्फुटत्वेनावभासन
व्यङ्ग्यपरत्व 'व्यङ्ग्यशक्तिप्रत्यय' चेति विशेष । तौ च विशेषौ व्याख्यातुं 'शक्येते
व्याख्यातौ च बहुप्रकारम् ।

तद्व्यतिरिक्तानारयेयविशेषसम्भावना तु विवेकावसादभासमूर्त्वे' । यस्मादनाख्ये-
यत्वं 'सर्वशब्दागोचरत्वेन न कस्यचित्सम्भवति । अततोऽनारयेयशब्देन तस्याभिधान-
सम्भवात् ।'

में च्चिन्वियवहार होता है' किसीने यह जो ध्वनिका लक्षण किया है, वह अयुक्त और
इसलिए कहने योग्य नहीं है । [दीधितिकारने 'अभिधेयता का जगह 'अवधेयता' पाठ
रहा है । इसके अनुसार ध्यान देने योग्य नडा है, यह अर्थ होगा] क्योंकि शब्दोंका
स्वरूपगत विशेष अक्लिष्टत्व [श्रुतिशब्द आदि दोषराहित्य] होकर अपुनरुक्तत्व तथा
[शब्दोंका ही दूसरा] वाचकत्व [बोधकत्व] गत विशेष प्रसाद [गुण] तथा व्यञ्जकत्व,
[ये दो शब्दके विशेष धर्म हो सकते हैं इसी प्रकार] और अर्थोंकी स्पष्ट प्रतीति,
व्यङ्ग्यपरता तथा 'व्यङ्ग्यप्रतिष्ठता ये विशेष [धर्म] हो सकते हैं । ये दोनों [शब्दगत
तथा अथगत] विशेष [धर्म] व्याख्या करने योग्य हैं । आर [उनकी हमन] अनक
प्रकारसे व्याख्या की [भी] है [दीधितिकारने 'व्याख्यातुमशक्यौ' पाठ माना है और
'किन्हींकी दृष्टिमें उनका व्याख्यान असम्भव होनेपर भी' यह अर्थ किया है] ।

इन [शब्द और अर्थनिष्ठ विशेष चारद्वहेतुओं] के अतिरिक्त किसी अपूर्णनीय
विशेषकी सम्भावना [करणता] विवेकसे अल्पन्ताभावसे [अर्थात् मूर्खतावश] ही हो
सकती है । क्योंकि अनाख्ययत्वं [अवर्णनीयत्व] का अर्थ समस्त शब्दोंका अविपर्यय
ही है । [आर] यह [सर्वशब्दागोचरत्वरूप अनाख्ययत्वं] किसी [भी पदार्थ] का सम्भव
नहीं है । [क्योंकि प्रत्येक पदार्थका कोई नाम होगा ही, उसी नामसे वह
आख्येय होगा । और दुर्जनतोपग्यायसे ऐसा कोई सक्षरहित पदार्थ मान भी लें तो
भी] कन्तत 'अनाख्यय' इस शब्दसे तो उसका अभिधान [कथन] सम्भव होगा ही
[इसलिए किसी पदार्थको अनाख्येय नहीं कहा जा सकता । अतएव ध्वनिको अना
ख्येय कहना उचित नहीं है] ।

१ 'नाभिधेयतामहति' नि०, दी० ।

२ 'स्वरूपभद्राम्नावत्' नि० ।

३ 'व्यङ्ग्यशक्तिप्रत्यय' नि०, दी० ।

४ 'व्याख्यातुमशक्यौ' व्याख्यातौ बहुप्रकारम् नि०, दी० ।

५ 'विवदावसादभासमूर्त्वे' नि०, दी० ।

६ 'शब्दागोचरत्वेन' दी०, शब्दागोचरत्वेन' नि० ।

७ 'तदभिधानात्' दी० ।

सामान्यसस्पर्शविकल्पशब्दागोचरत्वे सति प्रकाशमानत्व तु 'यदनाख्येयत्वमुच्यते ष्वचित्', तदपि काव्यविशेषाणा रत्नविशेषाणामिव न सम्भवति । तेषा लक्षणकारै-
र्व्याकृतत्वात् । रत्नविशेषाणा च सामान्यसम्भावनेयं मूल्यस्थितिपरिकल्पनादर्श-
नाच्च । उभयेषामपि तेषा प्रतिपत्तृविशेषसवेद्यत्वमस्त्येव । वैकटिका एव हि रत्नतत्त्व-
विद्, सहृदया एव हि काव्याना रसज्ञा इति कस्यात्र विप्रतिपत्ति ।

यत्त्वनिर्देश्यत्व सर्वलक्षणविषय यौद्धाना प्रसिद्ध तत् तन्मतपरीक्षाया प्रन्यान्तरे
निरूपयिष्याम । इह तु प्रन्यान्तरश्रवणलवप्रकाशन सहृदयवैमनस्यप्रदायीति न प्रक्रियते ।
यौद्धमतेन वा यथा प्रत्यक्षादिलक्षण तथाऽस्माक ध्वनिलक्षण भविष्यति ।

सामान्य [जात्यादि] को ग्रहण करनेवाला जो विकल्प शब्द [सविकल्पक ज्ञान,
नामजात्यादियोजनासहित सविकल्पकम्] उसका विषय न होकर [अर्थात् निर्विक-
ल्पक ज्ञानके रूपमें] प्रकाश्यमानतारूप जो अनाख्येयत्व [का लक्षण] कहीं बताया गया
है वह भी रत्नविशेषोंके समान काव्यविशेषमें सम्भव नहीं है । क्योंकि लक्षणकारोंने
उनकी ध्याय्या कर दी है [अतएव रत्न और काव्य दोनों ही विकल्पज्ञानके अविषय
नहीं अपितु विषय होनेसे अनाख्येय नहीं हो सकते हैं] ।

और रत्नोंमें तो सामान्य [रत्नत्व] सम्भावनासे ही मूल्य स्थितिकी कल्पना
देखी जाती है । और ये दोनों [रत्न और काव्य] विशेषणों द्वारा सवेद्य हैं । क्योंकि
[वैकटिक] जौहरी रत्नोंके तत्त्वको समझते हैं और सहृदय काव्यके रसज्ञ होते हैं ।
इसमें किसको मतभेद हो सकता है ।

यौद्धदर्शन क्षणभङ्गवादी दर्शन है । उसके मतमें सभी पदार्थ क्षणिक हैं । इसलिए उनके
लक्षण नहीं किये जा सकते हैं । अतएव ध्वनि पदार्थका भी लक्षण सम्भव नहीं है । और वह अना-
ख्येय ही है । यह पूर्वपक्ष होनेपर उत्तर देते हैं—

यौद्धोंके मतमें समस्त पदार्थोंका जो अलक्षणीयत्व [अनिवचनीयत्व] प्रसिद्ध है
उसका विवेचन हम अपने दूसरे ग्रन्थ ['विनिदचय' नामक यौद्धग्रन्थकी 'धर्मोत्तमा'
नामक विवृत्तिग्रन्थ] में उनके मतकी परीक्षाके अवसरपर करेंगे [जिसका सार यह
होगा कि यौद्धोंका क्षणभङ्गवादका सिद्धान्त ही ठीक नहीं है । अतएव उसके आधारपर
अलक्षणीयत्वका सिद्धान्त भी नहीं धन सकता है] ।

यहाँ तो [उस अत्यन्त शुष्क और कठिन] दूसरे ग्रन्थके विषयकी तनिक-सी
चर्चा [प्रकाशन] भी सहृदयोंके लिए वैमनस्यदायिनी होगी, इसलिए [हम उसको इस
समय] नहीं कर रहे हैं । [फिर भी इतना कह देना तो उचित होगा कि यौद्ध लोग सय
वस्तुओंको क्षणिक और अलक्षणीय मानते हुए भी प्रत्यक्षादि प्रमाणोंके लक्षण करते
हैं अतएव] यौद्धोंके मतमें [क्षणिकत्व और अलक्षणीयत्व होते हुए भी] प्रत्यक्षादिके
लक्षणके समान हमारा ध्वनिलक्षण भी हो सकता है ।

‘तस्मात्लक्षणान्तरस्याघटनादशब्दार्थत्वाच्च तस्योक्तमेव ध्वनिलक्षण साधीय ।
तदिदमुक्तम्—

अनाख्येयाशभासित्व निर्वाच्यार्थतया ध्वने ।
न लक्षण लक्षण तु साधीयोऽस्य यथोदितम् ॥
इति श्रीराजानकानन्दवर्धनाचार्यविरचिते ध्वन्यालोके
तृतीय उद्योत

इसलिए [हमारे लक्षणके अतिरिक्त] अन्य कोई लक्षण न किये जाने, और उस [ध्वनि] के घाच्य अर्थ न [अशब्दार्थ] होनेसे, पूर्वोक्त [हमारा किया हुआ] ध्वनि लक्षण ही ठीक है ।

इसीको [संग्रहरूपमें] इस प्रकार कहा है—

ध्वनिके निर्घञ्चनीय अर्थ होनेसे अनाख्येयाशभासित्व उसका लक्षण नहीं है ।
उसका ठीक लक्षण जैसा हमने कहा है यही है ॥४८॥

श्रीराजानक आनन्दवर्धनाचार्यविरचित ध्वन्यालोकमें

तृतीय उद्योत समाप्त हुआ

इति श्रीमदाचार्यविश्वेश्वरसिद्धान्तशिरोमणिविरचितायाम्

‘आलोकदीपिकाख्याया’ हिन्दीव्याख्याया

तृतीय उद्योत समाप्त

चतुर्थ उद्योतः

एव ध्वनि सप्रपञ्च विप्रतिपत्तिनिरासार्थं व्युत्पाद्य, तद्व्युत्पादने प्रयोजनान्तर-
मुच्यते—

ध्वनेर्यः स गुणीभूतव्यङ्ग्यस्याध्वा प्रदर्शित ।
अनेनानन्त्यमायाति कवीना प्रतिभागुणः ॥१॥

य एष ध्वनेर्गुणीभूतव्यङ्ग्यस्य च मार्गं प्रकाशितस्तस्य फलान्तर कविप्रतिभान-
न्त्यम् ॥१॥

कथमिति चेत्—

अतो ह्यन्यतमेनापि प्रकारेण विभूषिता ।
वाणी नवत्वमायाति पूर्वार्थान्वयवत्यपि ॥२॥

अथ आलोकदीपिकाया चतुर्थ उद्योत

इस प्रकार विप्रतिपत्तियोंके निराकरणके लिए भेदोपभेद सहित ध्वनिमा
निरूपण करके, उसके प्रतिपादनका दूसरा प्रयोजन [भी] बतलाते हैं ।

गुणीभूत-व्यङ्ग्य सहित ध्वनिका जो मार्ग प्रदर्शित किया गया है इस [मागका
अपलम्बन करने] से कवियोंकी प्रतिभाशक्ति अनन्तताको प्राप्त कर लेती है ॥१॥

यह जो ध्वनि और गुणीभूत-व्यङ्ग्यमा पद्य प्रदर्शित किया है उसका दूसरा
फल कविमी प्रतिभा [का-योरुत्पन्नशक्ति] का आनन्त्य [अभिच्छिन्नत्व] है ॥१॥

[प्रा] ध्वनि और गुणीभूत व्यङ्ग्य ये दाना का-यनिष्ठ धम हैं । प्रतिभागुण कविनिष्ठ धम है ।
अत ये दोनों अधिस्तरण धम हैं । अर्थात् इन दानाध अधिस्तरण आधार अलग अलग हैं । काय
कारणमात्र समानाधिस्तरण धमोंमें ही हा मकता है । अधिस्तरण धमोंमें कायकारणभाव माननेसे ता
द्वन्द्वका कम यजदत्तन फलभावना, अथवा दण्डदत्तना अन यजदत्तकी स्मृतिका कारण होने
लगेगा । अत यधिस्तरण धमोंमें कायकारणमात्र नहीं हा मकता । एही दशममें ध्वनि और गुणीभूत
व्यङ्ग्य, अत्र अधिस्तरणम रहनगली [व्यधिस्तरण] कविप्रतिभाक आनन्त्यक हेतु कैसे हो सकते ?
यह प्रश्नकतका आशय है । इसका उत्तरपत्रमा आशय यह है कि ध्वनि और गुणीभूत-व्यङ्ग्य नहीं
अपितु उनका 'जन' कविप्रतिभाके आनन्त्यका हेतु होता है । 'जन' और 'प्रतिभा' दोनों कविनिष्ठ
धम हैं । अतएव 'जन'कारण सामानाधिस्तरण्यको लेकर कायकारणभाव माननेमें कोई दोष नहीं
है । इसी आशयसे पृथक्पण उठाकर अगली कारिकामें उसका उत्तर देते हैं—

यदि कोइ पूछे कि [ध्वनि और गुणीभूत-व्यङ्ग्य कविप्रतिभाके आनन्त्यके हेतु]
कसे [होंगे] ता [उत्तर यह है कि]—

इन [ध्वनि तथा गुणीभूतव्यङ्ग्य] मेंसे किसी पदसे भी विभूषित [कवि] की
वाणी [चाहनीक, व्यास आदि अन्य कवियों द्वारा प्रतिपादित अतएव] पुराने अर्थोंसे
युक्त [गानपद्याचक्रमात्रसे सम्बद्ध] होनेपर भी नवीनता [अभिनव चाक्य] को प्राप्त
हो जाती है ॥२॥

अतो' ध्वनेरुक्तप्रभेदमध्यादन्यतमेनापि प्रकारेण विभूषिता सती वाणी पुरातन-
कविनिबद्धार्थसस्पर्शवत्यपि नवत्वमायाति । तथाह्यविषयव्यञ्जितवाच्यस्य ध्वने प्रकारद्वयसमा-
श्रयणेन नवत्व पूर्वार्थानुगमेऽपि यथा—

स्मित किञ्चिन्मुग्ध तरलमधुरो वृष्टिविभव
परिरपन्दो वाचामभिनवविलासोर्मिसरस ।^१
गतानामारम्भ किसलयितलीलापरिमल
सृशन्त्यास्तारुण्य किमिव हि न रम्य मृगदृश ॥

इत्यस्य—

सविभ्रमस्मितोद्भेदा लोलाक्ष्य प्रस्पलद्गिर ।
नितम्बालसगामिन्य कामिन्य कस्य न प्रिया ॥

इत्येवमादिषु श्लोकेषु सत्त्वपि तिरस्कृतवाच्यध्वनिसमाश्रयेणापूर्वत्वमेव प्रति-
भासते ।

इन ध्वनिके उक्त भेदों [ध्वनि और शुणीभूतव्यङ्ग्य] मेंसे किसी एक भी भेदसे युक्त [कविणी] पुरातन कविनिबद्ध अर्थोंका वर्णन करनेवाली वाणी [भी] नवीनता [अभिनव चारुत्व] को प्राप्त हो जाती है । पूर्व [कविवर्णित] अर्थका सम्यग्ध होनेपर भी अधिवक्षितवाच्य [लक्षणांमूल] ध्वनिके दोनों [अर्थान्तरसङ्प्रमितवाच्य, अत्यन्त तिरस्कृतवाच्य] प्रकारोंके आश्रयसे अर्थके पुराने होनेपर भी नवीनता [का उदाहरण] जैसे—

नवयौवनका स्पर्श करनेवाली [यय सन्धिमें वर्तमान] मृगनयनीकी तनिक सी मधुर मुसफान, चञ्चल और सुलक्षण भीठी दृष्टिका सौन्दर्य, नवीन [विलास] पूर्ण उक्तियोंसे सरस वाणीका प्रयोग, विविध हाव भावोंको विकसित करनेवाली गतियोंका उपक्रम [इत्यादिमेंसे] कौन सी चीज मनोहर नहीं है [सभी कुछ सुन्दर और रमणीय है] ।

इस [श्लोक] का—

विभ्रम [शृङ्गारचेष्टाविशेष] से युक्त, जिाकी मन्द मुसफान गिल रही है, ओंलें चञ्चल और वाणी लडखडा रही है और नितम्बों [के अतिभार] के कारण जा धीरे धीरे चलनेवाली कामिनियाँ हैं, वे किसको प्रिय नहीं लगती हैं ?

इत्यादि [पूर्वकविरचित] श्लोकोंके रहते हुए भी [उसी भावको लेकर लिखे गये 'स्मित किञ्चिन्मुग्ध' इत्यादि नवीन श्लोकमें मुग्ध, मधुर, विभव, परिरपन्द, सरस किसलयित, परिकर आदि पदोंमें उन शब्दोंके अत्यन्त वाधित होनेसे लक्षणांमूल अत्यन्त] तिरस्कृतवाच्यध्वनिके सम्यग्धसे नवीन चाम्त्व प्रतीत ही होता है ।

१ 'अतो हि' नि०, दी० ।

२ 'विलासोर्मिसरस' नि० ।

३ 'परिकर' नि०, दी० ।

तथा—

यः प्रथमः प्रथमः स तु तथा हि इतद्वस्तिवहलपललाशी ।
इवापदगणेषु सिंह सिंह केनाधरीक्रियते ॥

इत्यस्य—

स्वतेज क्रीतमहिमा केनान्येनातिशय्यते ।
महद्भिरपि मातङ्गै सिंह 'किमभिमूयते ॥

इत्येवमादिषु श्लोकेषु सत्स्वप्यर्थान्तरसङ्क्रमितवाच्यध्वनिसमाश्रयेण नवत्वम् ।
विवक्षितान्यपरवाच्यस्यापि उक्तप्रकारसमाश्रयेण नवत्व' यथा—

यहाँ 'मधुर' पदसे सौन्दर्यातिरेक, 'मुग्ध' पदसे सकलहृदयहरणसमत्व, 'विभव' पदसे अविच्छिन्न सौन्दर्य, 'परित्यज्' शब्दसे रुज्जापूर्वक मन्दोच्चारणजन्य चारुता, 'सरस' पदसे तृप्तिजनकत्व, 'विसलयित' पदसे सन्तापोपशमकत्व, 'परिवर' पदसे अपरिमितता और 'स्पश' पदसे स्पृहणीयत्व इत्यादि 'यङ्गणोंके वैशिष्ट्यसे पुराना अर्थ भी नवीन हो उठा है ।

तथा—

जो प्रथम है वह तो प्रथम [ही] है, जैसे हिंस्र प्राणियोंमें, मारे हुए हाथियोंके प्रचुर मांसको खानेवाला सिंह, सिंह ही है, उसे कौन नीचा [तिरस्कृत] कर सकता है ?

इसका,

अपने प्रतापसे गौरव प्राप्त करनेवाले [महापुरुष] से घटकर कौन हो सकता है । क्या बड़े-बड़े [विशालकाय] हाथी भी [सहको दबा सकते हैं ?

इत्यादि [प्राचीन] श्लोकोंके होते हुए भी ['य' प्रथम' इत्यादि नवीन श्लोकमें द्वितीय बार प्रयुक्त 'सिंह' तथा 'प्रथम' पदोंमें] अर्थान्तरसङ्क्रमितवाच्यध्वनिके आश्रयसे नवीनता आ गयी है ।

यहाँ 'य प्रथम' इत्यादि श्लोकके पूर्वोक्त दूसरी बार प्रयुक्त 'प्रथम' पद और उत्तरार्द्धमें दूसरी बार प्रयुक्त 'सिंह' पद पुनरुक्त होनेसे, यथाश्रुत अन्वित न हो सकनेके कारण अजहत्स्वार्था लक्षणाके द्वारा असाधारण्य, परानभिभवनीयत्व आदि विशिष्ट 'प्रथम' तथा 'सिंह' अर्थके बोधक होते हैं । अतः उनमें अर्थान्तरसङ्क्रमितवाच्यध्वनिके सम्बन्धसे यह नवीनता प्रतीत होने लगती है ।

अविवक्षितवाच्यध्वनिके सम्पर्कसे नूतन चारुत्वकी प्राप्तिके दो उदाहरण दिसलाकर अब विवक्षितान्यपरवाच्यध्वनिके असलक्ष्यक्रमयङ्गण भेदके स्पष्टीकरणसे नवीन चारुत्वकी प्राप्तिका उदाहरण देते हैं ।

विवक्षितान्यपरवाच्य [अभिधामूल ध्वनि] के भी पूर्वोक्त [सलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य तथा असलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य] प्रकारों [मेंसे असलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य ध्वनिरूप प्रकार] के समाश्रयसे नवीनता [प्राप्ति] का [उदाहरण] जैसे—

१ 'केनाभिमूयते' नि०, दी० ।

२ 'तत्रालक्ष्यक्रमप्रकारसमाश्रयेणान्वयात्' नि०, दी० में 'यथा'के पूर्व इतना पाठ अधिक है ।

निद्राकैतविनः प्रियस्य घटने विन्यस्य चक्र घधू-
 बंधत्रासनिष्ठचुम्बनरसाऽप्याभोगलोल स्थिता ।
 वैलक्ष्याद्विमुखीभवेदिति पुनस्तस्याप्यनारम्भिन
 साकाक्षप्रतिपत्ति नाम हृदय यात तु पार रतेः ॥

‘इत्यादे, श्लोकस्य—

शून्य वासगृह विलोक्य शयनादुत्थाय किञ्चिच्छनै-
 निर्द्राव्याजमुपागतस्य सुचिर निर्वर्ण्य पत्युर्मुत्सम् ।
 विस्रब्धं परिचुम्ब्य जातपुलकामालोक्य गण्डस्थलीं
 लज्जानम्रमुखी प्रियेण हसता बाला चिर चुम्बिता ॥

इत्यादिपु श्लोकेषु सत्स्वपि नवत्वम् ।

[नवपरिणीता] घधू नौदका घटाना करके लेटे हुए पतिके मुखपर अपना मुख रखकर उनके जग जानेके डरसे अपनी चुम्बनकी इच्छाको रोककर भी [आभोग] चुम्बनेच्छाके प्रतिक्षण घटनेके कारण चञ्चल [अथवा धार धार निद्राकी परीक्षा करते हुए चञ्चल] खड़ी है । और [मेरे चुम्बन कर लेनेसे] लज्जाके कारण यह कहीं विमुक्त न हो जाय, यह सोचकर [चुम्बनव्यापारका] आरम्भ न कर सकेनेवाले उस [नायक] का भी हृदय [मनोरथपूर्ति न हो पानेसे साकाक्ष भले ही हो, परन्तु] रति [रसास्वाद] के पार पहुँच गया ।

इत्यादि श्लोककी—

वासगृह [अपने सोनेके कमरे] को [अन्य सखी आदिसे] शून्य [खाली, एकान्त] देखकर, धीरेसे पलंगपरसे थोड़ा सा उठकर, नौदका बटाना किये हुए पतिके मुखको बहुत देरतक [कहीं जाग तो नहीं रहे हैं इस दृष्टिसे] देखनेके बाद [घास्तघमें सा रहे हैं ऐसा समझकर] विश्वासपूर्वक चुम्बन करके, उनके कपोलोंको [चुम्बनके कारण] रोमाञ्चयुक्त देखकर, लज्जासे नम्रमुखी उस नवोदा घधूका हैंसते हुए पतिने बहुत देर-तक चुम्बन किया ।

इत्यादि श्लोकोंके रहते हुए भी [‘निद्राकैतविन’ इत्यादि नवीन श्लोकमें] नूतनता प्रतीत होती है ।

‘शून्य वासगृह’ इत्यादि श्लोकमें ‘बाला’रूप आलम्बन, शून्य वासगृहादि उद्दीपनविभाव, लज्जा आदि व्यभिचारिभाव, उमथार-ध परिचुम्बनरूप अनुभाव आदिसे यद्यपि शृङ्गाररस चर्चणा गोचर होता है । परन्तु फिर भी लज्जा व्यभिचारिभावेके स्वशब्दवाच्यत्व तथा ‘निवर्ण्य’ पदमें भ्रुतिक दुःख आदि दोषोंके कारण रसापकर्ष होना अनिवाय है । उसकी अपेक्षा प्राय उमी अथवे बोधक ‘निद्राकैतविन’ इत्यादि श्लोकमें दोनोंकी परस्पर चुम्बनाभिलाषधारासे समुत्थमान रति, दोनोंकी समानाकार चित्तवृत्तिको प्रकाशित करती हुई कुछ अद्भुत रूपसे परिपोषको प्राप्त होकर आस्वादका

यथा वा 'तरङ्गभ्रमङ्गा' इत्यादिश्लोकस्य 'नानामङ्गिभ्रमद्भ्रू' इत्यादि-
श्लोकापेक्षयाऽन्यत्वम् ॥२॥

'युक्त्यानुसर्तव्यो रसादिर्बहुविस्तरः' ।

'मितोऽप्यनन्तता प्राप्तः काव्यमार्गो यदाश्रयात् ॥३॥

बहुविस्तारोऽयं रसभावतदाभासतत्प्रशमलभणो मार्गो यथास्य विभावानुभावप्रभेद-
कलनया, यथोक्त प्राक् । स सर्व एवानयायुक्त्यानुसर्तव्य । यस्य रसादेराश्रयादयं काव्य
मार्गं पुरातनैः कविभिः सहस्रसरयैरसरयैर्वा बहुप्रकारं क्षुण्णत्वान्मितोऽप्यनन्ततामेति ।

रसभावादीनां हि प्रत्येकं विभावानुभावव्यभिचारिसमाश्रयादपरिमितत्वम् । तेषां
चैकैकप्रभेदापेक्षयापि तावज्जगद्वृत्तमुपनिध्यमानं सुकविभिस्तदिच्छावशादयथा स्थित-
मप्यन्यथैव विवर्तते । प्रतिपादितं चैतन्निःप्रविचारावसरे ।

विषयं बनती है । और उस रसने आम्बादम काइ प्रतिबंध नहीं है । अतएव असलक्ष्यमयङ्गय
ध्वनिके साम्राज्यके कारण इसमें अपूर्वता प्रतीत होती है ।

अथवा जैसे 'तरङ्गभ्रमङ्गा' इत्यादि [पृ० ९२ पर दिये हुए] श्लोककी 'नाना
मङ्गिभ्रमद्भ्रू' इत्यादि [प्राचीन]श्लोककी अपेक्षा [असलक्ष्यमध्यङ्गयध्वनिके प्रभावसे]
अपूर्वता प्रतीत होती है ॥२॥

इसी प्रकार अत्यन्त विस्तृत रसादिका अनुसरण करना चाहिये । जिसके
आश्रयसे परिमित काव्यमार्ग भी अनन्तताको प्राप्त हो जाता है ॥३॥

जैसा कि पहिले कह चुके हैं, रस, भाव, तन्मात्र और तत्प्रशमरूप [रसादि]
मार्ग अपने विभाव, अनुभाव आदि प्रभेदोंकी गणनासे अत्यन्त विस्तृत हो जाता है ।
उस समयका उसी प्रकार अनुसरण करना चाहिये । जिस रसादिके आश्रयसे सहस्रों
अथवा असंख्य प्राचीन कवियों द्वारा नाना प्रकारसे क्षुण्ण हानेसे परिमित काव्यमार्ग
भी अनन्तताको प्राप्त हो जाता है ।

रस, भावान्मिसे प्रत्येक [अपने अपने] विभाव, अनुभाव, व्यभिचारिभाषके
आश्रयसे अपरिमित हो जाता है । उनमेंसे पर एक भेदकी दृष्टिसे भी सुकवियों द्वारा
वर्णित जगद्वृत्तात्, [वस्तुतः] अन्य रूपमें स्थित होते हुए भी उन [कवियों] के इच्छा
नुसार अन्य रूपसे प्रतीत होता है । यह वात चित्र [काव्य] के विचारके अवसरपर
[तृतीय उद्योतकी ४२ वीं कारिकाके 'भावानचेतनान् चेतनवद्' इत्यादि परिकर
श्लोकमें] कह चुके हैं ।

१ 'दिशा' नि०, दी० ।

२ 'रसादिबहुविस्ता' नि० ।

३ 'मितो' बा० प्रि० ।

४ 'दिशा' नि०, दी० ।

५ 'मितोऽप्यनन्ततामेति' बा० प्रि० ।

गाया चात्र कृतैव महाकविना—

अतद्वद्विष्ये वि तद्वद्विष्ये व्व द्विअअग्नि जा णिवेसेइ ।

अत्यविसेसे सा जअइ विकडकइगोअरा वाणी ॥

[अतथास्थितानपि तथासस्थितानिव हृदये या निवेशयति ।

अर्थविशेषान् सा जयति विकटकविगोचरा वाणी ॥ इति च्छाया]

तद्वित्य रसभावाग्राश्रयेण काव्यार्थानामान्त्य सुप्रतिपादितम् ॥३॥

एतदेवोपपादयितुमुच्यते—

दृष्टपूर्वा अपि ह्यर्था काव्ये रसपरिग्रहात् ।

सर्वे नचा इवाभान्ति मधुमास इव द्र मा. ॥४॥

तथा हि विवक्षितान्यपरवान्यस्यैव शब्दशक्त्युद्भवानुरणनरूपव्यङ्ग्यप्रकारसमाश्र-
येण नवत्वम् । यथा—

“धरणीधारणायाधुना त्व शेष” इत्यादे ,

शेषो हिमगिरिस्त्वञ्च महान्तो गुरव स्थिरा ।

यदलङ्कितमर्यादाश्चलन्ती 'विभ्रथ भुवम्' ॥

इस विषयमें महाकवि [शालिवाहन अथवा किसी अन्य] ने गाथा भी
बनायी है—

ओ उस [रमणीय] रूपमें [वस्तुतः] स्थित न होनेवाले [मुग्ध आदि] पदार्थ
विशेषोंको भी उस [लोकोत्तररमणीय] रूपमें स्थित सा हृदयमें जमा देती है । महा
कवियोंकी यह वाणी सर्वोत्कृष्ट है ।

इस प्रकार रस, भाव आदिके आश्रयसे काव्यार्थ अनन्त हो जाते हैं यह बात
भली प्रकार प्रतिपादित हो गयी ॥३॥

इसीका उपपादन करनेके लिए कहते हैं—

वसन्त क्रतुमें वृक्षोंके समान काव्यमें रसको पाकर पूर्वदृष्ट सारे पदार्थ भी
नयेसे प्रतीत होने लगते हैं ॥४॥

उदाहरणके लिए विवक्षितान्यपरवाच्यध्वनिके शब्दशक्त्युद्भवसंक्षयक्रम
व्यङ्ग्य भेदके आश्रयसे नवीनता [की प्रतीतिका उदाहरण], जैसे—

‘पृथ्वीके धारण करनेके लिए अब तुम ‘शेष’ हो ।’

इसकी याख्या पृ० १५९ पर हो चुकी है । यहाँ शेषनागने साथ राजाकी उपमा शब्द
शक्त्युद्भव अलङ्कारध्वनिरूपमें व्यङ्ग्य है । उसने कारण यह, लगभग इसी भावके प्रतिपादक अगले
प्राचीन श्लोककी अपेक्षा नवीन प्रतीत होता है ।

शेषनाग, हिमालय और तुम महान् [त्रिपुल आकारवाले तथा महत्त्वशाली]
शुभ [भूभारसहनक्षम और प्रतिष्ठित] और स्थिर [अचल तथा दृढप्रतिष्ठा] हैं । क्योंकि
मर्यादाका अतिक्रमण न करते हुए, चलायमान [कम्पायमान और सामाजिक मर्यादासे
च्युत होती हुई] पृथ्वीको धारण [तथा पालन] करते हैं ।

१ 'विभ्रते' धा० प्रि० ।

२ 'क्षितिम्' नि०, दी० ।

इत्यादिषु सत्स्वपि ।

तस्यैवार्थशक्त्युद्भवानुरणनरूपव्यङ्ग्यसमाश्रयेण नवत्वम्, यथा—

“एववादिनि देवर्षी” इत्यादि श्लोकस्य,

कृते धरकयालापे कुमार्य पुलकोद्गमे ।

सूचयन्ति स्पृहामन्तर्लज्जयावनतानना ॥

इत्यादिषु सत्सु^१ ।

अर्थशक्त्युद्भवानुरणनरूपव्यङ्ग्यस्य कविप्रौढोक्तिनिर्मितशरीरत्वेन नवत्वम्, यथा—

“सञ्जइ सुरहिमासो” इत्यादे,

सुरभिसमये प्रवृत्ते सहसा प्रादुर्भवन्ति रमणीया ।

रागवतामुत्कलिका सहैव सहकार्कलिकाभि ॥

इत्यादिषु सत्स्वयपूर्वत्वमेव ।

इत्यादिके होनेपर भी [पूर्वोक्त 'धरणीधारणायाधुना त्व शेष' इत्यादि उदाहरणमें नूतनता प्रतीत होती है, क्योंकि उसमें शब्दशक्त्युद्भव अलङ्कारध्वनिके कारण अभिनव चारुत्व आ गया है] ।

उसी [विवक्षिता-परवाच्य] के अर्थशक्त्युद्भवरूप सलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य [भेद] के आश्रयसे नवीनता [का उदाहरण] जैसे—

'एववादिनि देवर्षी' इत्यादि [पृष्ठ १३२ पर दिये हुए श्लोक] की,

धरकी चर्चाके अवसरपर लज्जासे मुख नीचा किये हुए कुमारियों पुलकोंके उद्गमसे ही आन्तरिक इच्छाको अभिव्यक्त करती हैं ।

इत्यादिके रहनेपर भी [इस श्लोकमें लज्जा और स्पृहा वाच्यरूपमें कथित होनेसे उतनी चमत्कारजनक नहीं प्रतीत होती है। 'एववादिनि' इत्यादि श्लोकमें वे ही अर्थशक्त्युद्भवध्वनिरूप व्यङ्ग्यके सम्बन्धसे, विशेष चमत्कारजनक होनेसे, अपूर्व प्रतीत होती हैं] ।

अर्थशक्त्युद्भव सलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यके कविप्रौढोक्तिसिद्ध भेदसे नवीनता । जैसे— 'सञ्जयति सुरभिमासो' इत्यादि [पृष्ठ १३७ पर उद्धृत] श्लोककी—

वसन्त ऋतुके आनेपर आश्रमञ्जरियोंके साथ ही प्रणयी जनोंकी रम्य उत्कण्ठाएँ सहसा आविभूत होने लगती हैं ।

इत्यादिके रहनेपर भी अपूर्वत्व ही होता है [यहाँ कविप्रौढोक्तिसिद्ध वस्तुसे मदनविजृम्भणरूप वस्तु ध्यङ्ग्य होनेके कारण नवीन चारुता आ जाती है] ।

अर्थशक्त्युद्भवानुरणनरूपव्यङ्ग्यस्य कविनिबद्धवक्तृप्रौढोक्तिसिद्धरूप सति,
नवत्वं यथा—

“घणिकाञ्ज हस्तिदन्ता ” इत्यादिगाथार्थस्य,
करिणीयेहृद्वअरो मह पुत्तो एककाण्डविणिवाई ।
हअसोन्हाएँ तह कहो जह कण्डकरण्डअ चहइ ॥
[करिणीवैधव्यकरो मम पुत्र एककाण्डविनिपाती ।
हतस्तुपया तथा कृतो यथा काण्डकरण्डक वहति ॥ इति च्याया]

एवमादिष्वर्थेषु सस्वप्ननालीढतैव ।

यथा व्यङ्ग्यभेदसमाश्रयेण ध्वने काव्यार्थानां नवत्वमुत्पद्यते, तथा व्यञ्जक-
भेदसमाश्रयेणापि । तस्यु प्रन्थविस्तरभयाञ्ज लिख्यते । स्वयमेव सङ्घट्टयैरभ्युहाम् ॥४॥

अर्थशक्त्युद्भव सलक्ष्यव्यङ्ग्यस्य कविनिबद्धवक्तृप्रौढोक्तिसिद्धरूप होनेपर
अभिनयत्थ [चारुताप्रतीतिक्ता उदाहरण] जैसे—

‘घणिकाञ्ज हस्तिदन्ता’ [पृष्ठ १६१ पर उदाहरत] इत्यादि गाथाके अर्थकी—

[केवल] एक ही घाणके प्रयोगसे [मदमत्त हाथियोंको मारकर] हथिनियोंको
विधवा करनेवाले मेरे पुत्रको उस अभागिनी पुत्रवधूने [निरन्तर सम्भोग द्वारा] ऐसा
[ह्रीणवीर्य] कर दिया है कि [अब वह साग] तृणार लादे घूमता है ।

इत्यादि अर्थों [समानार्थक श्लोकके रहते हुए भी [‘घणिकाञ्ज हस्तिदन्ता’
इत्यादि श्लोकमें कविनिबद्धवक्तृप्रौढोक्तिसिद्ध व्यङ्ग्यके प्रभावसे] नूतनता ही है ।

जैसे ध्वनिके व्यङ्ग्यभेदके आश्रयसे काव्यार्थोंमें नूतनता आ जाती है उसी
प्रकार व्यञ्जकभेदके आश्रयसे भी [हो सकती है], प्रन्थविस्तारके भयसे उसे नहीं
लिख रहे हैं । सङ्घट्टय [पाठक] उसको स्वय ही समझ लें ।

निर्णयसागरीय तथा दीपिति टीकावाले संस्करणमें ‘घणिकाञ्ज’ इत्यादि उदाहरणके पूर्व निम्न
लिखित पाठ और दिया है—

“साअरविङ्गणजोव्वणहत्थालम्भ समुण्णमन्तेहि ।
अम्मुट्टाणाम्मिव नम्महस्स दिण्ण तुह थगेहि ॥

अस्य हि गाथार्थस्य,

उदित्तरकआमोआ छइ जह थणआ विणन्ति बालानाम् ।

उह लद्धावासो एव मम्महो द्विअअमानिसइ ॥

[उदित्तरकन्नामोगा यथा यथा स्तनका वधन्ते बालानाम् ।

तथा तथा लद्धावास इव मम्मयो हृदयमाविशति ॥ इति च्याया]

एतद्गाथार्थं न पौनरुक्त्यम् ।”

[साअर इत्यादि गाथाकी छाया तथा व्याख्या पहिले पृष्ठ १३८ पर दी जा चुकी है ।] इस
गाथाके अर्थकी—

अत्र च पुन पुनरुक्तमपि सारतयेदमुच्यते—

व्यङ्ग्यव्यञ्जकभावेऽस्मिन्विविधे सम्भवत्यपि ।

रसादिमय एकस्मिन्कविः स्यादवधानवान् ॥५॥

अस्मिन्प्रधानन्त्यहेतो व्यङ्ग्यव्यञ्जकभावे 'विचित्रे शब्दानां' सम्भवत्यपि कथिरपूर्वा-
र्थलाभार्थी^१ रसादिमय एकस्मिन् व्यङ्ग्यव्यञ्जकभावे यत्नादनुदधीत । रसाभावतदाभासरूपे
हि व्यङ्ग्यव्यञ्जकेषु च यथानिर्दिष्टेषु वर्णपदवाक्यरचनाप्रबन्धेष्ववहितमनस कवे
सर्वमपूर्वं काव्य सम्पद्यते । तथा च रामायणमहाभारतादिषु सङ्ग्रामादय पुन पुनर-
भिहिता अपि नवनवा प्रकाशन्ते ।

प्रबन्धे चाङ्गी रस एक एवोपनिबन्धयमानोऽर्थप्रियेपलाभ छायातिशय च पुष्पाति ।
कस्मिन्निवेति चेत्, यथा रामायणे यथा वा महाभारते । रामायणे हि करुणो रसः

“केशपाशसे शोभायमान बालिकाओंके स्तन रसो रस है त्या त्या अवसरप्राप्त कामदेव
हृदयमें प्रविष्ट हो जाता है ।”

इस गायिकाके अर्थके साथ पुनरुक्ति नहीं होती है । यद्यो द्वितीय श्लोकमें वाच्योत्प्रेक्षा द्वारा
यौवनारम्भमें बालिकाओंके हृदयमें मदनके प्रवेशका वर्णन है । पर तु प्रथम श्लोकमें वही अर्थ कवि
निबद्धवक्त्रमौढोत्सिद्ध व्यङ्ग्यरूपसे प्रतीत होनेसे अधिक चमत्कारजनक प्रतीत होता है । काशीके
बालमिया टीकायुक्त संस्करणमें 'साअर' इत्यादि और 'उदित्वर' इत्यादि दोनों उदाहरण नहीं दिये
हैं । निर्णयसागरीय संस्करणमें उदिह क आगे कुछ पाठ छूटा हुआ है । दीधितिकारने उस
पाठको उदित्वर मानकर उसे पूरा कर दिया है ॥४॥

इस विषयमें चार चार कहे हुए होनेपर भी, साररूप होनेसे [फिर] यह
कहते हैं—

इस व्यङ्ग्यव्यञ्जकभावके नाना प्रकार सम्भव होनेपर भी कवि केवल एक
रसादिमय भेदमें [ही] ध्यान लगाये ॥५॥

अर्थोंकी अन्तताके हेतु इस व्यङ्ग्यव्यञ्जकभावके नाना रूप सम्भव होनेपर
भी, अपूर्व [लोकोत्तर चमत्कारपूर्ण काव्य] अर्थोंकी सिद्धिके लिए, कवि केवल एक
रसादिमय व्यङ्ग्यव्यञ्जकभावमें प्रयत्नपूर्वक ध्यान दे । रस, भाव और तदाभास
[रसाभास तथा भावाभास] रूप व्यङ्ग्य और उसके व्यञ्जक पूर्वोक्त वर्ण, पद, वाक्य,
रचना तथा प्रबन्धमें सावधान कविका सारा ही काव्य अपूर्व बन जाता है । इसीलिए
रामायण, महाभारत आदिमें संग्राम आदि अनेक चार वर्णित होनेपर भी [सय जगह]
नये-नये से प्रतीत होते हैं ।

प्रबन्ध [काव्य] में एक ही प्रधान रस उपनिबद्ध होकर अर्थप्रियेपकी सिद्धि
तथा सौन्दर्यानिशयकी पुष्टि करता है । जैसे कहाँ ? यह पूछो तो [उत्तर यह है कि]

१ 'विचित्र' वा० प्रि० ।

२ 'शब्दानां' पाठ नि०, दी० में नहीं है ।

३ 'अपूर्वलाभार्थी' नि०, दी० ।

स्वयमादिकविना सूत्रित “शोक श्लोकत्वमागत” इत्येववादिना । निर्व्येदश्च स एव सीतात्यन्तवियोगपर्यन्तमेव स्वप्रयन्धमुपरचयता ।

महाभारतेऽपि शास्त्रकाव्यरूपच्छायां न्वयिनि वृष्णिपाण्डवविरसावसानवैमनस्य-
दायिनीं समाप्तिमुपनिर्घन्ता महामुनिना वैराग्यजननतात्पर्यं प्राधान्येन स्वप्रयन्धस्य दर्शयता
मोक्षलक्षणं पुरुषार्थं शान्तो रसश्च मुख्यतया विप्रभाविपयत्वेन सूचितः । एतच्चाशेन
विपृत्तमेवान्यैर्व्याख्यात्रिघायिभिः । स्वयं चोद्दीर्णं तेनोद्दीर्णं महामोहमग्नमुज्जिहीर्षता
लोकमतिविमलक्षानालाकणायिना लोकनाथेन—

यथा यथा विपर्येति लोकतन्त्रमसारवत् ।

तथा तथा विरागोऽत्र जायते नात्र सशय ॥

इत्यादि बहुश कथयता । ततश्च शान्तो रसो रसान्तरं, मोक्षलक्षणं पुरुषार्थं
पुरुषार्थान्तरैस्तदुपसर्जनत्वेनानुगम्यमानोऽङ्घ्रित्वेन विवक्षाविपय इति महाभारततात्पर्यं
सुव्यक्तमेवावभासते ।

अङ्गाङ्गिभावश्च यथा रसाना तथा प्रतिपादितमेव । पारमार्थिका तस्तत्त्वानपेक्षया

जैसे रामायण में अध्या जैसे महाभारत में । रामायण में ‘शोक श्लोकत्वमागत’ कहने
वाले आदिकवि [वाल्मीकि] ने स्वयं ही करुणरस [त्रि-अङ्घ्रित्य, प्राधान्य] सूचित
किया है और सीताके अत्यन्त वियोगपर्यन्त ही काव्यकी रचना करके उसका निवाह
भी किया है ।

शास्त्र और काव्यरूप [दोनों] की छायास युक्त ‘महाभारत’ में भी यादवों और
पाण्डवोंके विरस विनाशके कारण वैमनस्यजनक समाप्तिकी रचना कर महामुनि
[व्यास] ने अपने काव्यके वैराग्योत्पादनरूप तात्पर्यको मुख्यतया प्रदर्शित करते हुए
मोक्षरूप पुरुषार्थ तथा शान्तरस मुख्य रूपसे [इस ‘महाभारत’ काव्यका] विप्रक्षान्त
विपय है यह सूचित किया है । अन्य व्याख्याकारोंने भी किसी अंशमें यही व्याख्या की
है । और उदङ्कते हुए घोर अज्ञानान्धकारमें निमग्न ससारका उद्धार करनेकी इच्छासे
उज्ज्वल ज्ञानरूप प्रकाशको प्रदान करनेवाले विद्वज्जाता [व्यासदेव] ने स्वयं भी—

जैसे जैसे इस विश्वप्रपञ्चकी असागरता और दिव्यारूपताकी प्रतीति होती
जाती है, वैसे वैसे इसके विषयमें वेगम्य होता जाता है इममें कोई स देह नहीं है ।

अनेक स्थानोंपर इस प्रकार कहकर प्रकट किया है । इसलिए गुणीभूत अन्य
रसोंसे अनुगत शान्तरस तथा गुणीभूत अन्य पुरुषार्थों [धर्म, अर्थ, काम] से अनुगत
मोक्षरूप पुरुषार्थ ही मुख्यतया वर्णनीय है यह ‘महाभारत’का तात्पर्य स्फूर्तरूपसे
प्रतीत होता है ।

[प्रधानरसके साथ अन्य] रसोंका अङ्गाङ्गिभाव जैसे होता है यह प्रतिपादन
कर ही चुके हैं । वास्तविक आन्तरिक तन्त्र [आत्मा] की उपेक्षा करके [गण] शरीरके
प्राधान्यके समान [‘महाभारत’में वास्तविक प्रधानभूत शान्तरस तथा मोक्षरूप

शरीरस्यैवाङ्गभूतस्य रसस्य च स्वप्राधान्येन चारुत्वमप्यविरुद्धम् ।

ननु महाभारते यावान्विषयविषय सोऽनुक्रमण्या सर्ध एवानुमान्तो न चैतत्तत्र दृश्यते, प्रत्युत सर्वपुरुषार्थप्रबोधहेतुत्व सर्वरसगर्भत्व च महाभारतस्य तस्मिन्नुद्देशे स्वशब्दनिवेदितत्वेन प्रतीयते ।

अत्रोच्यते—सत्यम्, शान्तस्यैव रसस्याङ्गित्व महाभारते, मोक्षस्य च सर्वपुरुषार्थेभ्यः प्राधान्यमित्येतत् स्वशब्दाभिधेयत्वेनानुक्रमण्या दर्शितम्, दक्षित तु व्यङ्ग्यत्वेन—

‘भगवा वासुदेवश्च कीर्त्यतेऽत्र सनातन ।’

इत्यस्मिन् वाक्ये ।

अनेन ह्ययमर्थो व्यङ्ग्यत्वेन विवक्षितो यदत्र महाभारते पाण्डवादिचरित यत्कीर्त्यते 'तत्सर्वमवसानविरसमविद्याप्रपञ्चरूपञ्च, परमार्थसत्यस्वरूपस्तु भगवान् वासुदेवोऽत्र कीर्त्यते । तस्मात् तस्मिन्नेव परमेश्वरे भगवति भवत भावितचेतसो, मा भूत विभूतिषु नि सारासु रागिणो गुणेषु वा नयविनयपराक्रमादिध्वमीषु श्वेवलेषु केषुचित्सर्वात्मना प्रतिनिविष्टधियः । तथा चामे—पश्यत नि सारता ससारस्येत्यमुमेरार्थं घातयन्' स्फुट

पुरुषार्थकी उपेक्षा करके अन्य वीर आदि रस तथा धर्म आदि पुरुषार्थ] रस तथा पुरुषार्थके अपने प्राधान्यसे भी चारुत्व माननेमें भी कोई विरोध नहीं है [परन्तु पारमार्थिक रूपमें वह मूढ़ विचारके सदृश ही होगा] ।

[प्रश्न] 'महाभारत'में जितना प्रतिपाद्य विषय है वह सब ही [उत्सर्फी] अनुक्रमणी में क्रमसे [स्वय ही] लिख दिया गया है । परन्तु वहाँ यह [शान्तरस तथा मोक्ष पुरुषार्थका प्राधान्य] दिखलाई नहीं देता है । इसके विपरीत 'महाभारत'का सब पुरुषार्थोंके ज्ञानका हेतुत्व और सर्वरसयुक्तत्व उस स्थान [अनुक्रमणी] में स्वय शब्दसे सूचित प्रतीत होता है ।

[उत्तर] इस विषयमें हम यह कहते हैं कि यह ठीक है, 'महाभारत'में शान्तरसका ही मुख्यत्व और [अ-य] सब पुरुषार्थोंकी अपेक्षा मोक्षका प्राधान्य, ये [दानों] अनुक्रमणीमें अपन घाचक शब्दोंसे नहीं दिखलाये हैं, परन्तु व्यङ्ग्यरूपसे दिखलाये हैं ।

‘इस [‘महाभारत’] में नित्य वासुदेव भगवान्की कीर्ति गायी गयी है ।’

इस वाक्यमें ।

इस [वाक्य] से यह अर्थ व्यङ्ग्यरूपसे विवक्षित है कि इस 'महाभारत'में पाण्डव आदिके चरित्रका घर्णन जो किया जा रहा है वह सब विरसावसान और अविद्याप्रपञ्चरूप है । परमार्थ सत्यस्वरूप भगवान् वासुदेवको ही यहाँ कीर्ति गायी गयी है । इसलिए उस परम ऐश्वर्यशाली भगवान्में ही अपना मन लगाओ । निसार

१ तत्सर्वमवसानविरसमविद्याप्रपञ्चरूपञ्च, परमार्थसत्यस्वरूपस्तु भगवान् वासुदेवोऽत्र कीर्त्यते' इतना पाठ नि०, दी० में नहीं है ।

२ 'तत्' नि० ।

३ 'घातयत्' नि०, दी० ।

मेवावभासते व्यञ्जकशक्त्यनुगृहीतश्च शब्द । एवविधमेवार्थं गर्भाकृत सन्दर्शयन्तोऽनन्तर-
श्लोका लक्ष्यन्ते । 'स हि सत्यम्' इत्यादय ।

अथ च निगूढरमणीयोऽर्थो महाभारतावसाने हरिवशवर्णनेन समाप्तिं विदधता
तेनैव कविवेषसा कृष्णद्वैपायनेन सम्यक् स्फुटीकृत । अनेन चार्थेन ससाराताते तत्त्वान्तरे
भक्त्यतिशय प्रवर्तयता सकल एव सासारिको व्यवहार पूर्वपञ्चीकृतोऽध्यक्षेण' प्रकाशते ।
देवतातीर्थतप प्रभृतीना च प्रभावातिशयवर्णन तस्यैव परब्रह्मण प्राप्त्युपायत्वेन तद्विभूति-
त्वेनैव देवताविशेषाणामन्येषा च । पाण्डवादिचरितवर्णनस्यापि वैराग्यजननतात्पर्याद्

विभूतियोंमें अनुरक्त मत हों । अथवा नीति, विनय, पराक्रम आदि क्वचल इन किन्हीं
गुणोंमें पूर्णरूपसे अपने मनको मत लगाओ । और आगे—'ससारकी नि सारताको
देखो' इसी अर्थको व्यञ्जकशक्तिसे युक्त शब्द अभिप्रेत करते हुए प्रतीत
होते हैं । इसी प्रकारके अन्तर्निहित अर्थको प्रकट करनेवाले आगेके 'स हि सत्य'
इत्यादि श्लोक दिएलाई दते हैं ।

अनुक्रमणीके ३ श्लोक जिनका निदेश यहाँ किया गया है, इस प्रकार है—

वेदा योग सविज्ञाना धर्माऽथ काम एव च ।
धर्मनामाथयुक्तानि शास्त्राणि विविधानि च ॥
लोकयात्राविधान च सद्य तद् दृष्टवान् ऋषि ।
इतिहासा सवैशारद्या विविधा श्रुतषोऽपि च ।
इह सर्वमनुना तमुक्त प्रथस्य लक्षणम् ॥

इत्यादिमें सर्वपुरुषार्थके प्रतिपादनका वर्णन है । ४ प्रश्नकर्ता अभिमत श्लोक हैं । उत्तर
पक्षकी ओरसे निर्दिष्ट श्लोक निम्नलिखित हैं—

भगवान् वासुदेवश्च कीर्त्यतेऽत्र सनातन ।
स हि सत्यमृत चैव पवित्र पुण्यमेव च ॥
शाश्वत ब्रह्म परम ध्रुव ज्योति सनातनम् ।
यस्य दि यानि कर्माणि कथयति मनीषिण ॥

इस निगूढ और रमणीय अर्थको 'महाभारत'के अन्तमें हरिवशके वर्णनसे समाप्ति
की रचना करते हुए उहाँ कविप्रजापति कृष्णद्वैपायन [व्यास] ने ही भली प्रकार
स्पष्ट कर दिया है । और इस अर्थसे लोकोत्तर भगवत् तत्त्वमें प्रगाढ भक्तिको प्रवृत्त
करते हुए [महाकवि व्यास] ने समस्त सासारिक व्यवहारको ही पूर्वपञ्चरूप [गोधित
विषय] बना दिया है यह बात प्रत्यक्ष प्रतीत होती है । दयता, तीर्थ और तप आदिके
अतिशयके प्रभावका वर्णन उसी परब्रह्मकी प्राप्तिका उपाय होनेसे ही और उसकी
विभूतिरूप होनेसे अथ देवताविशेषोंका वर्णन [महाभारतमें किया गया] है । पाण्डव
आदिके चरित्रके वर्णनका भी वैराग्योत्पादनमें तात्पर्य होनेसे और वैराग्यके मोक्ष हेतु

वैराग्यस्य च मोक्षमूलत्वान्मोक्षस्य च भगवत्प्राप्त्युपायत्वेन मुख्यतया गीताविषु प्रदर्शितत्वात् परब्रह्मप्राप्त्युपायत्वमेव परम्परया ।

वासुदेवादिसङ्घाभिधेयत्वेन चापरिमितशक्त्यास्पद पर ब्रह्म गीतादिप्रदेशान्तरेषु तदभिधानत्वेन लघुप्रसिद्धि मायुरप्रादुर्भावानुष्ठितसकलस्वरूप विवक्षित न तु मायुरप्रादुर्भावात् एव, सनातनशब्दविशेषितत्वात् । रामायणादिषु चानया सङ्घाया भगवन्मूर्त्यन्तरे व्यवहारदर्शनात् । निर्णयितश्चायमर्थः शब्दतत्त्वविक्रियेव ।

तदेवमनुक्रमणानिदिष्टेन वाक्येन भगवद्व्यतिरेकिण सर्वस्यान्यस्यानित्यता प्रकाशयता मोक्षलक्षण एवैक पर पुरुषार्थ शास्त्रनये, काव्यनये च तृष्णाक्षयसुखपरिपोषलक्षण शान्तो रसो महाभारतस्याङ्गित्वेन विवक्षित इति सुप्रतिपादितम् ।

अत्यन्तसारभूतत्वाच्चायमर्था व्यङ्ग्यत्वेनैव दर्शितो, न तु वाच्यत्वेन । सारभूतो ह्यर्थः स्वशब्दानभिधेयत्वेन प्रकाशित सुतरामेव शोभाभाववति । प्रसिद्धिश्चैयमस्त्येव

तथा मोक्षश्च मुख्यत परब्रह्मज्ञानी प्राप्तिरुपायरूपसे गीतादिमें प्रतिपादन होनेसे परम्परया [गण्डगादि चरितवर्णन भी] परब्रह्मज्ञानी प्राप्तिके उपायरूपमें ही है ।

‘वासुदेव’ आदि इन सङ्घाओंका वाच्यार्थ, गीतादि अन्य स्थलोंमें इस नामसे प्रसिद्ध, अपरिमित शक्तियुक्त, मयुरामें प्रादुर्भूत [तृष्णाघतार] द्वारा धारण किये [रामादि] समस्त रूपयुक्त, परब्रह्म ही अभिप्रेत है। केवल मयुरामें प्रादुर्भूत [वासुदेवके पुत्र तृष्ण] नहीं। क्योंकि उसके साथ सनातन विशेषण दिया हुआ है। और रामायण आदिमें इसी [वासुदेव] नामसे भगवान्के अन्य स्वरूपोंका भी व्यवहार दिखलाई देता है। शब्दतत्त्वके विशेषणों [वेदाकरणों] ने इस विषयका निर्णय भी कर दिया है।

‘श्राय धनृत्पुत्रुभ्यश्च’ इस पाणिनिसूत्रके भाष्यपर ‘महाभाष्य’के टीकाकार कैयटने लिखा है—

“कथं पुनर्नित्यानां शब्दानामपि या वक्रादिबशाभ्रयेणान्वाख्यानं दुष्यते ? अत्र समाधि । त्रिपुण्यानूक नाम युथादिति यथेना धनृदिवशा अपि नित्या एव । अथवाऽऽत्थोपाभ्रयेणापि नित्यान्वारयान दृश्यते । यथा शकाभ्रयेण कालस्य ।”

इसी सूत्रपर काशिकाकारने लिखा है कि—

“शब्दा हि नित्या एव सन्तोऽनन्तर वाक्यतालीयवशात् तथा सङ्केतिता ।”

इस प्रकार भगवान्को छोड़कर अन्य सब वस्तुओंकी अनित्यता प्रकाशित करनेवाले अनुक्रमणीनिदिष्ट वाक्यसे, शास्त्रदृष्टिसे केवल मोक्षरूप परम पुरुषार्थ [ही ‘महाभारत’का मुख्य पुरुषार्थ], और काव्यदृष्टिसे तृष्णाके क्षयसे जन्म सन्तोषसुखके परिपोषरूप शान्तरस ही ‘महाभारत’का प्रधान रस अभिप्रेत है यह भली प्रकार प्रतिपादन कर दिया गया ।

अत्यन्त साररूप होनेसे यह अर्थ [‘महाभारत’में शान्तरस और मोक्ष पुरुषार्थका प्राधान्य] व्यङ्ग्य [ध्वनि] रूपसे ही प्रदर्शित किया है, वाच्यरूपसे नहीं। सारभूत अर्थ

विदग्धविद्वत्परिपत्सु यदभिमततर वस्तु व्यङ्ग्यत्वेन प्रकारयत न साक्षाच्छब्दवाच्य-
त्वेनैव । तस्मात्स्थितमेतत्—अद्भूतरसाद्याश्रयेण काव्ये क्रियमाणे नवनवार्थलाभो
भवति वन्धच्छाया च महती सम्पद्यत इति ।

अत एव च रसानुगुणार्थविशेषोपनिग्रन्धनमलङ्कारान्तरविरहेऽपि छायातिशययोगि
लक्ष्ये दृश्यते । यथा—

मुनिर्जयति योगीन्द्रो महात्मा कुम्भसम्भव ।

येनैकचुलके दृष्टौ दिव्यौ तौ मत्स्यकच्छपी ॥

इत्यादौ । अत्र ह्यद्भुतरसानुगुणमेकचुलके मत्स्यकच्छपदर्शन छायातिशय
पुष्पाति । तत्र होकचुलके सकलजलनिधिसन्निधानादपि दिव्यमत्स्यकच्छपदर्शनमधुण-
त्वादद्भुतरसानुगुणतरम् । क्षुण्ण द्वि वस्तु लोकप्रसिद्धपादद्भुतमपि नाश्चर्यकारि
भवति । न चाक्षुण्ण वस्तूपनिग्रन्धमानमद्भुतरसस्यैवानुगुण यावद्रसान्तरस्यापि ।
तद् यथा—

सिज्जइ रोमञ्चिज्जइ वेवइ रच्छातुल्लगपडिलगो ।

सो पासो अज्ज वि' सुहअ तीइ जेणासि बोलीणो ॥

[स्विद्यति रोमाञ्चति वेपते रथ्यातुलाप्रप्रतिलग्न ।

स पादर्वोऽद्यापि सुभग येनास्यतिक्रान्त ॥ इति च्छाया]

अपने वाचक शब्दसे वाच्यरूपमें उपस्थित न होकर [व्यङ्ग्यरूपसे] प्रकाशित होता है
तो अत्यन्त शोभाकी प्राप्ति होता है । चतुर विद्वानोंकी मण्डलीमें यह प्रसिद्ध है ही कि
अधिक अभिमत वस्तु व्यङ्ग्यरूपसे ही प्रकाशित की जाती है, साक्षात् वाच्यरूपसे
नहीं । इसलिये यह सिद्ध हुआ कि प्रधानभूत रसादिके आश्रयसे काव्यकी रचना करनेपर
नवीन अर्थकी प्राप्ति होती है और रचनाका सौन्दर्य बहुत अधिक बढ़ जाता है ।

इसीलिए अन्य अलङ्कारोंके अभावमें भी रसके अनुरूप अर्थविशेषकी रचना
काव्योंमें सौन्दर्यातिशयशालिनी दिखलाई देती है । जैसे—

योगिराट् महात्मा अगस्त्य मुनि [की जय हो] सर्वोत्कृष्ट है, जिन्होंने एक ही
चुल्लूमें उन दिव्य मत्स्य और कच्छप [अघतारों] का दर्शन कर लिया ।

इत्यादिमें । यहाँ अद्भुतरसके अनुकूल एक चुल्लूमें मत्स्य और कच्छपका
दर्शन [अद्भुतरसके] सौन्दर्यको अत्यन्त बढ़ाता है । उसमें एक चुल्लूमें सम्पूर्ण
समुद्रके समा जानेसे भी अधिक दिव्य मत्स्य और कच्छपका दर्शन मिलकुल अपूर्व
होनेसे अद्भुतरसके अधिक अनुकूल है । लोकप्रसिद्धिसे अत्यन्त अद्भुत होनेपर भी
अनेक धारकी देखी हुई वस्तु आश्चर्योत्पादक नहीं होती । अपूर्व यन्तुका घर्षण न
केवल अद्भुतरसके अपितु अन्य रसोंके भी अनुकूल होता है । जैसे—

हे सुभग, उस सँकरी गलीमें [तुलाप्रेण, काफतालीयेन], अकस्मात् उस [मेरी
सखी, नायिका] के जिस पादरसे लगकर तुम निकल गये थे वह पादर अथ भी स्वेद
युक्त, रोमाञ्चित और कम्पित हो रहा है ।

एतद्गाथार्थाद् भाव्यमानाद्या रसप्रतीतिर्भवति, सा त्वा दृष्ट्वा खिद्यति रोमाञ्चते वेपते इत्येवविधादर्थात् प्रतीयमानामनागपि नो जायते ।

तदेव ध्वनिप्रभेदसमाश्रयेण यथा काव्यार्थानां नवत्व जायते तथा प्रतिपादितम् । गुणीभूतव्यङ्ग्यस्यापि त्रिभेदव्यङ्ग्यापेक्षया ये प्रकारास्तत्समाश्रयेणापि काव्यवस्तुना नवत्व भवत्येव । तत्त्वविविस्तरकारीति नोदाहृतम्, सहृदयै स्वयमुत्प्रेक्षणीयम् ॥५॥

ध्वनेरित्थं गुणीभूतव्यङ्ग्यस्य च समाश्रयात् ।

न काव्यार्थविरामोऽस्ति यदि स्यात्प्रतिभागुणः ॥६॥

सत्त्वपि पुरातनकविग्रन्थेषु यदि स्यात्प्रतिभागुण । तस्मिंस्त्वसति न किञ्चिदेव कवेर्वस्त्वस्ति । ग्रन्थच्छायाप्यर्थद्वयानुरूपशब्दसन्निवेशे ऽर्थप्रतिभानाभावे कथमुपपन्ते । अनपेक्षितार्थविशेषाक्षररचनेनैव ग्रन्थच्छायेति नेद नेदीय सहृदयानाम् । एव हि सत्यार्थ-

इस गाथाके अर्थकी भावना करनेसे जो रसनी प्रतीति होती है वह, तुमको देखकर [स्पृष्ट्वा पाठ भी है झूकर] वह [नायिका] स्वेद्युक्त, पुलकित और कम्पित होती है, इस प्रकारके प्रतीयमान अर्थसे विलकुल नहीं होती है । [त्वा दृष्ट्वा खिद्यति इत्यादि अर्थ चिरपरिचित है और] उसने व्यङ्ग्य होनेपर भी उतना चमत्कार नहीं प्रतीत होता [जितना ऊपरके श्लोकमें वर्णित नवीन कल्पनायुक्त अर्थके व्यङ्ग्य होनेपर प्रतीत होता है] ।

इस प्रकार ध्वनिभेदोंके आश्रयसे जिस प्रकार काव्यार्थोंमें नवीनता आ जाती है वह प्रतिपादन कर दिया । तीन प्रकारके व्यङ्ग्य [रसादि, वस्तु तथा अलङ्कारकी] दृष्टिसे गुणीभूतव्यङ्ग्यके भी जो भेद होते हैं उनके आश्रयसे भी काव्यवस्तुओंमें नवीनता आ जाती है । वह [उदाहरण देनेपर] अत्यन्त विस्तरजनक है इसलिए उसने उदाहरण नहीं दिये हैं । सहृदयोंको स्वयं समझ लेना चाहिये ॥५॥

यदि [कविमें] प्रतिभागुण हो तो इस प्रकार ध्वनि और गुणीभूतव्यङ्ग्यके आश्रयसे काव्य [वर्णनीय रमणीय] अर्थोंकी कभी समाप्ति ही नहीं हो सकती है ॥६॥

प्राचीन कवियोंने प्रवन्धों [काव्यों] क रहते हुए भी, यदि [कविमें] प्रतिभागुण है [तो नवीन वर्णनीय तत्त्वोंकी समाप्ति नहीं हो सकती है] और उस [प्रतिभा] के न होनेपर तो कविने [पास] कोई वस्तु नहीं है [जिससे वह अपूर्व चमत्कारयुक्त काव्यका निमाण कर सके] । दोनों अर्थों [ध्वनि तथा गुणीभूतव्यङ्ग्य] के अनुरूप शब्दोंके सन्निपेशरूप रचनाका सो-दर्थ भी [आवश्यक] अर्थकी प्रतिभा [प्रतिभान, प्रतिभा]के अभावमें कैसे आ सक्ता है ? [ध्वनि अथवा गुणीभूतव्यङ्ग्य] अर्थकी अपेक्षाक विना ही अक्षरोंकी रचनामात्र ही रचनाका सो-दर्थ [रचना सो-दर्थजनक] है यह बात सहृदयोंके [हृदयके] समीप नहीं पहुँच सकती । ऐसा होनेपर [ध्वनि अथवा गुणीभूतव्यङ्ग्यके

१ प्रतीयमानामना' नि० ।

२ सतिवेशोऽर्थं वा० प्रि० ।

नपेक्षचतुरमधुरवचनरचनायामपि काव्यव्यपदेश प्रवर्तते । शब्दार्थयो साहित्येन काव्यत्वे कथं तथाविधे विषये काव्यव्यवस्थेति चेत्, परोपनिर्द्धार्यविरचने यथा तत्काव्यत्वव्यवहारस्तथा तथाविधाना काव्यसन्दर्भानाम् ॥६॥

न चार्थानन्त्य व्यङ्ग्यथापेक्षयैव, यावद्वाच्यार्थापेक्षयापीति प्रतिपादयितुमुच्यते—

अवस्थादेशकालादिविज्ञेपैरपि जायते ।

आनन्त्यमेव वाच्यस्य शुद्धस्यापि स्वभावतः ॥७॥

शुद्धस्यानपेक्षितव्यङ्ग्यस्यापि वाच्यस्यानन्त्यमेव जायते स्वभावतः । स्वभावो ह्ययं वाच्यानां चेतनानामचेतनानां च यदवस्थाभेदादेशभेदात्कालभेदात्कालक्षण्यभेदाच्चा-
नन्तता भवति । तैश्च तथा व्यवस्थितैः सद्भिः प्रसिद्धानेकस्वभावानुसरणरूपया स्वभावो-
क्त्यापि तावदुपनिर्द्ध्यमानैर्निरवधि काव्यार्थं सम्पद्यते । तथा ह्यवस्थाभेदान्नवत्प्र-
यथा—

विना भी अक्षररचनामात्रसे रचनामें सान्दर्भ्य माननेसे] तो अर्थहीन [ध्वनि, गुणीभूत व्यङ्ग्य अर्थसे रहित] चतुर [समास आदि रूपसे सहटित] और मधुर [मृदुमोल अक्षरोंसे परिपूर्ण] रचनामें भी काव्यव्यवहार होने लगेगा । शब्द और अर्थ दोनोंसे सहभाव [साहित्य] में ही काव्यत्व होता है इसलिए उस प्रकारके [अर्थहीन, चतुर, मधुर रचना] विषयमें काव्यत्वकी व्यवस्था कैसे होगी [अर्थात् काव्यव्यवहार प्राप्त नहीं होगा] यह कहें तो [उत्तर यह है कि] कूर्मके [मतमें] उपनिर्द्ध्य [शब्दनिरपेक्ष उत्कृष्ट ध्वनिरूप] अर्थ [से युक्त रचनामें जैसे] [ध्वनि अर्थके वैशिष्ट्यसे] काव्यव्यवहार [यह करता] है, इसी प्रकार, इस तरहके [अर्थनिरपेक्ष शब्दरचनामात्र] काव्यसन्दर्भोंमें भी [काव्यव्यवहार] होने लगेगा [अतएव अर्थनिरपेक्ष अक्षररचनामात्र रचनासौन्दर्यका हेतु नहीं है] ॥६॥

ध्वनि व्यङ्ग्य अर्थके कारण ही अर्थोंमें अनन्तता [विचित्रता, नूतनता] नहीं आती है अपितु वाच्य अर्थ विशेषकी अपेक्षासे भी [अर्थकी अनन्तता, नूतनता] हो सकती है । इसीका प्रतिपादन करनेके लिए कहत हैं—

शुद्ध [व्यङ्ग्यनिरपेक्ष] वाच्य अर्थकी भी अवस्था, देश, काल आदि वैशिष्ट्यसे स्वभावतः अनन्तता हो ही जाती है ॥७॥

शुद्ध अर्थात् व्यङ्ग्यनिरपेक्ष वाच्य [अर्थ] का भी स्वभावतः अनन्त्य हो ही जाता है । चेतन और अचेतन वाच्य अर्थोंका यह स्वभाव है कि अवस्थाभेद, देशभेद, कालभेद और स्वरूपभेदसे [उनकी] अनन्तता हो जाती है । उन [वाच्यार्थों] का उस प्रकार [अवस्थादि भेदसे नये नये अर्थोंके प्रकाशनरूपमें] व्यवस्थित होनेपर अनेक प्रकारके प्रसिद्ध स्वभावोंके वर्णनरूप स्वभावोक्तिसे भी [वाच्यार्थों] रचना करनेपर वाच्यार्थ अनन्तरूप हो जाता है । इनमेंसे अवस्थाभेदके कारण नवीनता, जैसे—

१ 'प्रवर्तते' नि० ।

२ 'तन्नायवन्मप्यव्यवहार' नि० ।

३ 'य दी० में नही है ।

भगवती पार्वती कुमारसम्भवे 'सर्वोपमाद्रव्यसमुच्चयेन' इत्यादिभिरुक्तिभिः प्रथममेव परिसमापितरूपवर्णनापि पुनर्भगवत शम्भोर्लाचनगोचरमायान्ती 'वसन्तपुष्पाभरण वहन्ती'^१ मन्मथोपकरणभूतेन भङ्गयन्तरेणोपवर्णिता । सैव च पुनर्नवोद्वाहसमये प्रसाध्यमाना 'ता प्राङ्मुखी तत्र निवेश्य तन्वीम्' इत्याद्युक्तिभिर्नवैवैव प्रकारेण निरूपितरूपसौष्टवा^२ ।

न च ते तस्य कवरेकत्रैवासकृत्कृता वर्णनप्रकारा अपुनरुक्तत्वेन वा नवनवार्थनिर्भरत्वेन वा प्रतिभासन्ते ।

'कुमारसम्भवे' में 'सर्वोपमाद्रव्यसमुच्चयेन' इत्यादि उक्तियोंसे पहिले [एक बार] भगवती पार्वतीके रूपवर्णनके समाप्त हो जानेपर भी फिर शङ्कर भगवान्के सामने आती हुई पार्वतीको 'वसन्तपुष्पाभरण वहन्ती' इत्यादिसे कामदेवके साधनरूपमें प्रकाशान्तरसे फिर [दुबारा] वर्णन किया गया है । ओर फिर नवीन विवाहके समय [सती रूपमें विवाहके बाद फिर दूसरे जन्ममें पार्वतीरूपमें शिवके साथ विवाह, नवीन विवाह शब्दसे अभिप्रेत है] अलङ्कृत की जाती हुई पार्वतीके सौन्दर्यका 'ता प्राङ्मुखी तत्र निवेश्य तन्वीम्' इत्यादि उक्तियोंसे फिर [तीसरी बार] नये ढंगसे उसके सौन्दर्यका वर्णन किया गया है [अप्रत्याभेदसे किये ये सब वर्णन सुन्दर प्रतीत होते हैं ।]

परन्तु कविने एक ही जगह अनेक बार किये हुए वे [एक ही प्रकारके] वर्णन अपुनरुक्तरूप अथवा अभिनवाद्यपरिपूर्णरूप नहीं प्रतीत होते हैं [उसका ध्यान रखना चाहिये] ।

"न च ते तस्य कवरेकत्रैवासकृत्कृता वर्णनप्रकारा अपुनरुक्तत्वेन वा नवनवार्थनिर्भरत्वेन प्रतिभासते ।" यह पाठ आपातत कुछ अठपटा सा दीखता है । क्योंकि इसके पूर्व वाक्यमें यह दिखलाया है कि पार्वतीके रूपका तीन बार वर्णन करनेपर भी वह नवीन ही प्रतीत होता है । इसी प्रकार इस वाक्यके बादके वाक्य द्वारा 'विद्यमन्मथोपकरण'का जो श्लोक उद्धृत किया है वह भी इस प्रकारकी कविवाणीकी अपुनरुक्तताका ही प्रतिपादन करता है । इसलिए सामान्यतः वे वर्णन पुनरुक्त अथवा नवनवार्थपूर्ण प्रतीत नहीं होते हैं । इस प्रकारके अभिप्रायको प्रकट करनेवाला वाक्य होना चाहिये । अर्थात् 'अपुनरुक्तत्वेन'क स्थानपर 'पुनरुक्तत्वेन' और 'नवनवार्थनिर्भरत्वेन'के स्थानपर 'नवनवार्थपूर्णत्वेन' ऐसा पाठ होना चाहिये था । तब इस वाक्यकी सङ्गति ठीक लगती । परन्तु सभी संस्करणोंमें 'अपुनरुक्तत्वेन' और 'नवनवार्थनिर्भरत्वेन' यही पाठ पाया जाता है । अतएव 'स्थितस्य गतिदिचतनीया'के अनुसार हमने इसकी साराया करनेका प्रयत्न किया है ।

इस पाठके अनुसार इस पक्षिना भाव यह है कि यद्यपि एक पदाथका अनेक बार वर्णन होनेपर भी इसमें नवीनता आ जाती है, परन्तु वे सब वर्णन एक स्थानपर नहीं अपितु अलग अलग होन चाहिये, एक ही स्थानपर किये हुए ऐसे वर्णनोंमें तो पुनरुक्ति ही होती है । वे अपुनरुक्ति अथवा नवनवार्थनिर्भरत्वेन नहीं प्रतीत होते । अतएव कविको इस बातका ध्यान रखना चाहिये ।

१ '(इत्यादि)' कोष्ठक गत अधिक है नि० ।

२ 'निरूपितसौष्टवा' नि० ।

दर्शितमेव चैतद्विषमगणलीलायाम्—

ण अ ताण घटइ ओही ण अ ते दीसन्ति कह वि पुनरुत्ता ।

जे विन्नमा पिआण अत्था वा सुकइवाणीणम् ॥

[न च तेषा घटतेऽवधिर्न च ते दृश्यन्ते कथमपि पुनरुक्ता ।

ये विन्नमा मियाणामर्था वा सुकविवाणीनाम् ॥ इति च्छाया]

अयमपरञ्चावस्थाभेदप्रकारो यदचेतनाना सर्वेषा चेतन द्वितीय रूपमभिमानित्व-
प्रसिद्ध हिमवद्गङ्गादीनाम् । तच्चोचितचेतनविषयस्वरूपयोजनयोपनिर्ग्रह्यमानमन्यदेव
सम्पद्यते । यथा कुमारसम्भव एव पर्वतस्वरूपस्य हिमवतो वर्णन, पुन सत्तर्पिप्रियोक्तिपु
चेतनतत्त्वरूपापेक्षया प्रदर्शित तदपूर्वमेव प्रतिभाति । प्रसिद्धश्चाय सत्कवीना मार्ग । इद
च प्रस्थान कविव्युत्पत्तये विषमगणलीलाया सप्रपञ्च दर्शितम् ।

चेतनाना च बाल्याद्यप्रस्थाभिरन्यत्व सत्कवीना प्रसिद्धमेव । चेतनानामवस्थाभेदेऽ
प्यवान्तरावस्थाभेदानानात्वम् । यथा कुमारीणा कुसुमशरभिन्नहृदयानामन्यासा च ।
तत्रापि विनीतानामविनीताना च ।

यह एक विशेष बात थीचम इस वाक्य द्वारा प्रतिपादित कर दा है । इसके बाद जो 'विषम
गणलीला'का उदाहरण दिया है उसका सम्बन्ध इस वाक्यसे नहीं अपितु पूर्ववाक्यसे है, यह
समझना चाहिये । तभी उसकी सङ्गति ठीक होगी । इसीलिए हमने उम जलग अलग अनुच्छेदके
रूपमें रखा है । पहिले अनुच्छेदके साथ मिलानर पाठ नहीं रखा है ।

यह हम 'विषमगणलीला'में दिखला ही चुके हैं—

प्रियतमाओं [अथवा प्रियजनों]के जो ह्रासभाव और सुकरियोंकी वाणीके जो
अर्थ हैं इनकी न कोई सीमा ही उन सकती है और न वे [किसी भी दशामें] पुनरुक्त
प्रतीत होते हैं ।

अवस्थाभेदका यह और [दूसरा] प्रकार भी है कि हिमालय, गङ्गा आदि सभी
अचेतन पदार्थोंका [अभिमानी देवता] रूपमें दूसरा चेतनरूप भी प्रसिद्ध है । और वह
उचित चेतन विषयके स्वरूपयोजनासे उपनिर्ग्रह [ग्रथित] होकर [अचेतन रूपसे भिन्न]
कुछ और ही हो जाता है । जैसे 'कुमारसम्भव'में ही [आरम्भमें] पर्वतरूपसे हिमालय
का वर्णन [है], फिर सत्तर्पियोंके प्रिय वचनों [चाटुक्तियों]में उस [हिमालय]के चेतन
स्वरूपकी दृष्टिसे प्रदर्शित वह [हिमालयका] द्वारा किया हुआ वर्णन अपुव सा प्रतीत
होता है । और सत्कवियोंमें यह मार्ग [अचेतनोंके चेतनवद्वर्णनका मार्ग] प्रसिद्ध ही
है । कवियोंकी व्युत्पत्तिके लिए 'विषमगणलीला'में इस मार्गको हमने विस्तारपूर्वक
प्रदर्शित किया है ।

चेतनोंका वाच्य आदि अवस्थाभेदसे भेद सत्कवियोंमें प्रसिद्ध ही है । चेतनोंके
अवस्थाभेदके [वर्णन]में अचान्तर अवस्थाभेदने भी भेद हो सकता है । जैसे फामके
वाणसे विद्ध हृदयवाली तथा अय [स्वस्थ] कुमारियोंका [अचान्तर अवस्थाभेदसे] भेद
होता है । उनमें भी विनीत [नम्र] और उच्छृङ्खल [कन्याओं]का [अचान्तर अवस्था आदिके
भेदसे नानात्व हो जाता है] ।

अचेतनाना च भावानामारम्भाद्यवस्थाभेदभिन्नानामेवैकश स्वरूपमुपनिबध्यमानमान-
त्यमेवोपयाति । यथा—

हसाना निन्देषु ये पचलितैरासज्यते कृन्ता
मन्य कोऽपि कपायकण्ठलुठनादाघर्षरो विभ्रम ।
ते सम्प्रत्यकठोरवारणवधूदन्ताडकुरस्पर्धिना
निर्याता* कमलाकरेषु निसिनीकन्दाग्रिमप्रन्थय ॥

एवमन्यत्रापि दिशानयानुसर्तव्यम् ।

देशभेदानानात्वमचेतनाना तावत्, यथा वायूना नानादिग्देशचारिणामन्येषामपि
सलिलकुसुमादीना प्रसिद्धमेव । चेतनानामपि मानुषपशुपक्षिप्रभृतीना ग्रामारण्यसलिला
दिसमेधिताना परस्परं महान्विशेष समुपलभ्यते एव । स च विविच्य यथायथमुपनि-
बध्यमानस्तथैवान्त्यमायाति । तथा हि—मानुषाणामेव तावद्दिग्देशादिभिन्नाना ये
व्यवहारव्यापारादिषु विचित्रा विशेषास्तेषा केनात् शक्यते गन्तुम् विगोपतो
योपिताम् । उपनिबध्यते च तत्सर्वमेव सुकविभिर्यथाप्रतिभम् ।

कालभेदाद्य नानात्वम् । यथर्तुभेदादिग्व्योमसलिलादीनामचेतनानाम् । चेतनाना

आरम्भ आदि अवस्थाभेदसे भिन्न अचेतन पदार्थोंका स्वरूप [भी] अलग अलग
वर्णनसे अनन्तताको प्राप्त हो ही जाता है । जैसे—

जिनके स्थानसे कूजते हुए हसोंके निनादोंमें, मधुर कण्ठके सयोगसे, घघर ध्वनि
युक्त कुछ नया ही [अपूर्व ही] विभ्रम उत्पन्न हो जाता है, करिणीके नये फोमल
दन्ताड्कुरोंसे स्पर्धा करनेवाली मृणालकी घे नवीन श्रियियाँ इस समय तालगोंमें
वाहर निकल आयी हैं ।

यहाँ मृणालकी नवीन श्रियियाँ आरम्भका वर्णन होनेसे अवस्थाभेदमूलक चमत्कार प्रतीत
होता है ।

इस प्रकार और जगह भी इस मार्गका अनुसरण किया जाना चाहिये ।

देशभेदसे पहिले अचेतनोंका भेद जैसे [मलय आदि देश और दक्षिण दिशाओं]
विभिन्न दिशाया, और स्थानोंमें भ्रमण करनेवाले पवनोंका और अन्य जल तथा पुष्प
आदिना भी भेद प्रसिद्ध ही है । चेतनोंमें भी ग्राम, अरण्य, जल आदिमें पते हुए
मनुष्य, पशु, पक्षी प्रभृतिमें परस्पर भेद दिखलाई ही देता है । वह भी विचारपूर्वक ठीक
ढगसे धर्णित होनेपर उसी प्रकार अनन्त हो जाता है । जैसे नाना दिग्, देश आदिसे
भिन्न मनुष्योंके ही व्यवहार और व्यापार आदिमें जो नाना प्रकारके भेद पाये जाते हैं
उन सत्रका पार फोन पा सकता है ? विशपकर रिरयोंके [विषयमें पार पाना असम्भव
ही है] । सुकवि लोग अपनी प्रतिभासे अनुसार उस सत्रका वर्णन करते ही हैं ।

कालभेदसे भी भेद [होता है] । जैसे ऋतुओंके भेदसे दिग्, आकाश, जल आदि
अचेतनका [भेद होता है] और काल [वसन्तादि] विशेषके आश्रयसे चेतनोंके औत्सुक्य

चौस्तुभ्यादय कालविशेषाश्रयिण प्रसिद्धा एव । स्वालक्षण्यप्रभेदाच्च सकलजगद्गताना
वस्तूना विनिबन्धन प्रसिद्धमेव । तच्च यथावस्थितमपि तावदुपनिन्द्यमानमनन्ततामेव
काव्यार्थस्यापादयति ।

अत्र केचिदाचक्षीरन् । यथा सामान्यात्मना वस्तूनि वाच्यता प्रतिपद्यन्ते, न विशेष-
पात्मना । तानि हि स्वयमनुभूताना सुखादीना तन्निमित्ताना च स्वरूपमन्यप्रारोपयद्भि
'स्वपरानुभूतरूपसामान्यमात्राश्रयेणोपनिन्द्यन्ते कविभि । न हि तैरतीतमनागत वर्तमान
च परिचितादिस्त्रलक्षण योगिभिरिव प्रत्यक्षीक्रियते । तच्चानुभाव्यानुभावकसामान्य सर्व-
प्रतिपत्तसाधारण परिमितत्वात्पुरातनानामेव गोचरीभूतम् । तस्य विषयत्वानुपपत्ते ।
अत एव स प्रकारविशेषो यैरद्यतनैरभिनवत्वेन प्रतीयते तेषा भ्रममात्रमेव, भणितिकृत
वैचिन्यमात्रमत्रास्तीति ।

तत्रोच्यते । यत्तूक्त सामान्यमात्राश्रयेण काव्यप्रवृत्ति, तस्य च परिमितत्वेन
प्रागेव गोचरीकृतत्वान्नास्ति नवत्व काव्यवस्तूनामिति । तदयुक्तम् । यतो यदि सामान्य-

आदि प्रसिद्ध ही है । समस्त ससारकी वस्तुओंमें अपने स्वरूप [स्वालक्षण्य] भेदसे
[काव्यमें] विशेष वर्णन प्रसिद्ध ही है । आर वह [स्वरूप] जैसा कुछ है उसी रूपमें
उपनिन्द्य होकर भी काव्यके विषयकी अनन्तताको उत्पन्न करता है ।

[पूर्वपक्ष] यहाँ [स्वालक्षण्यरूप भेदके विषयमें] कुछ लोग कह सकते हैं कि—
वस्तुएँ सामान्य रूपसे ही वाच्य होती हैं, विशेष रूपसे नहीं । कवि लोग उन स्वय
अनुभूत सुखादि वस्तुओं और उन [सुखादि]के साधनों [स्वरूप, चन्दन, वनिता आदिके
स्वरूपको अन्यत्र [नायकादिमें] आगेपित करने अपने आर दूसरों [नायकादि]के
अनुभूत सामान्यमात्रके आश्रयसे उन [नायकादिके सुखादि और उसमें साधनों]का
वर्णन करते हैं । वे [कवि लोग] योगियोंके समान अतीत, अनागत, वर्तमान दूसरोंके
चित्त [व्यक्तियों और उनमें रहनेवाले सुख दुःख] आदिमा प्रत्यक्ष नहीं कर सकते हैं ।
और समस्त देखनेवालोंको एक क्रमसे प्रतीत होनेवाले वे अनुभाव [सुखादि] तथा
अनुभावक [उस सुखादिके साधन स्वरूप, चन्दन वनितादि] सामान्य, परिमित होनेसे
प्राचीनों [कवियों]को ही ज्ञात हो चुके हैं । अन्यथा वे [ज्ञानके] विषय ही नहीं हो
सकते थे । इसलिए उस [स्वालक्षण्यरूप] प्रकारविशेषको जो आजकलके लोग अभिनव
रूपमें अनुभव करते हैं, वह उनका अभिमानमात्र ही है । या केवल उक्तिवैचित्र्य
ही है [वस्तुमें नवीनता नहीं है, उक्तिवैचित्र्यके कारण ही नवीनताका भ्रम या अभिमान
होने लगा है । यह पूर्वपक्षका आशय है] ।

[उत्तरपक्ष] उस विषयमें हमारा कहना है कि [आपने] जो यह कहा है कि
सामान्यमात्रके आश्रयसे काव्यरचना होती है और उस [सामान्य]का ज्ञान पहिले ही
[कवियों]को हो चुका है अतएव काव्यवस्तुओंमें नवीनता नही हो सकती है । यह [कहना]
उचित नहीं है । क्योंकि यदि सामान्यमात्रके आश्रयसे काव्यकी रचना होती है तो

मात्रमाश्रित्य काव्य प्रवर्तते किंकृतस्तर्हि महाकविनिबन्धमानाना काव्यार्थानामतिशयः ।
वाल्मीकिव्यतिरिक्तस्यान्यस्य 'कविब्यपदेश एव वा । सामान्यव्यतिरिक्तस्यान्यस्य काव्या
र्थस्याभावात् । सामान्यस्य चादिकविनैव प्रदर्शितत्वात् ।

उक्तिवैचित्र्यान्नैप दोष इति चेत् ।

किमिदमुक्तिवैचित्र्यम् ? उक्तिर्हि वाच्यविशेषप्रतिपादि^१ वचनम् । तद्वैचित्र्ये^२ कथ
न वाच्यवैचित्र्यम् ? वाच्यवाचकयोरविनाभावेन प्रवृत्ते । वाच्याना च काव्ये प्रतिभास-
मानाना यद्रूप तत्तु 'ग्राह्यविशेषाभेदेनैव प्रतीयते । तेनोक्तिवैचित्र्यवादिना वान्यवैचि-
त्र्यमनिच्छताप्यवश्यमेवाभ्युपगन्तव्यम् ।

महाकवियों द्वारा वर्णित काव्यपदार्थोंमें विशेष तारतम्य किस [कारण] से होता है ?
अथवा वाल्मीकि [आदिकवि]को छोड़कर अन्य किसीको कवि ही किस आधारपर
कहा जाता है ? क्योंकि [आपके मतमें] सामान्यके अतिरिक्त और कोई काव्यका
वर्ण्य विषय नहीं हो सकता है और सामान्यका प्रदर्शन आदिकवि [वाल्मीकि] ही कर
चुके हैं [इसलिए अन्य किसीके पास वर्ण्य नहीं है प्रिय न होनेसे अन्य कोई कवि,
न कवि हो सकता है और न वाल्मीकिसे भिन्न उसकी रचनामें कोई नवीनता ही
आ सकती है ।

[यह सिद्धान्तपक्षकी ओरसे पूर्वपक्षी प्रश्न है । पूर्वपक्षी उक्तिवैचित्र्यके
आधारपर इसका उत्तर देता है] उक्तिने वैचित्र्यके कारण यह वाच्यविशेषता आ सकता है
[अर्थात् उक्ति—कथनशैली—के विचित्र होनेसे महाकवियोंकी रचनाभोम तारतम्य
होता है और इसी उक्तिवैचित्र्यके आधारपर अन्य कवियोंको कवि कहा जा
सकता है] ।

[आगे सिद्धान्तपक्षकी ओरसे इसीको अपने नवीनतापक्षका साधक बनाय
जाता है] यह कहो तो, यह उक्तिवैचित्र्य क्या [पदार्थ] है ? वाच्यविशेषता प्रतिपाद
करनेवाले वचनका नाम ही उक्ति है । उस [वचन]में वैचित्र्य माननेपर [उसके
वाच्यार्थमें वैचित्र्य क्यों नहीं होगा ? वाच्य और वाचककी तो अविनाभावसम्बन्धरं
प्रवृत्ति होती है [इसलिए वाचक उक्तिमें वैचित्र्य होनेसे वाच्यमें भी वैचित्र्य होना
आवश्यक है] । काव्यमें प्रतीत होनेवाले वाच्योंका जो स्वरूप है वह [कविने स्वयं
अनुभूत] ग्राह्यविशेष [प्रलुप्त प्रमाणसे कवि द्वारा स्वयं गृहीत सुप्तादि तथा उसमें
साधनादि]से अभिन्न रूपमें ही प्रतीत होता है [इसलिए केवल सामान्यमात्रके आश्रयसे
ही नहीं अपितु स्वयं अनुभूत विशेषके भी आश्रयसे काव्यरचना होती है । अतएव
उसमें अनन्तता होना अनिवार्य है] । इसलिए उक्तिवैचित्र्य माननेवालेको इच्छा न रहते
हुए भी वाच्यका वैचित्र्य अवश्य ही मानना होगा ।

१ 'कवि । एव वा' नि० ।

२ 'वाच्यविशेषप्रतिपादनवचनम्' नि० ।

३ 'वैचित्र्येण' नि० ।

४ 'ग्राह्य' नि० ।

तदयमत्र सक्षेपः —

वाल्मीकिव्यतिरिक्तस्य यद्येकस्यापि कस्यचित् ।

इष्यते प्रतिभार्थेपु^१ तत्तदानन्त्यमत्रयम् ॥

किञ्च, उक्तिवैचित्र्य यत्काव्यनवत्वे^२ निबन्धनमुच्यते तदस्मत्पश्चानुगुणमेव । यतो यावानय काव्यार्थानन्त्यभेदहेतु प्रकार प्राग्दर्शित स सर्व एव पुनरुक्तिवैचित्र्याद् द्विगुणतामापद्यते । यथायमुपमाश्लेषादिरलङ्कारवर्ग प्रसिद्ध स भणितित्रैचिन्यादुप निबध्यमान स्वयमेवानवधिर्घत्ते पुन शतशान्ताम् । भणितित्रै स्वभाषाभेदेन व्यवस्थिता सती प्रतिनियतभाषागोचरार्थवैचित्र्यनिबन्धन पुनरपर काव्यार्थानामानन्त्यमापादयति । यथा ममैव—

‘मह मह इति भणन्त उ वज्रदि कालो जणस्त ।

तोइ ण देओ जणहण गोअरी भोदि मणसो ॥

[मम मम इति भणतो जजति कालो जनस्य ।

तथापि न देवो जनार्दनो गोचरीभवति मनस ॥ इति च्छाया]

अतएव इस विषयका साराश यह हुआ कि—

यदि वाल्मीकिके अतिरिक्त किसी एक भी कविके पदार्थोंमें प्रतिभा [का सम्प्रघ] मानना अभीष्ट है तो वह आनन्त्य [सर्वत्र] अज्ञय है ।

और उक्ति वैचित्र्यको जो काव्यमें नवीनता लानेका हेतु कहते हैं वह तो हमारे पक्षके अनुकूल ही है । क्योंकि काव्यार्थके आनन्त्यके हेतुरूपमें यह [अवस्था, कालदेश आदि] जितने प्रकार पहिले दिखलाये हैं वे सब उक्तिवैचित्र्यसे फिर द्विगुण [अनन्त] हो जाते हैं । और जो ये उपमा, श्लेष आदि वाच्य अलङ्कारवर्ग प्रसिद्ध हैं वे स्वय ही अपरिमित होनेपर भी उक्तिवैचित्र्यसे उपनिबद्ध होकर फिर संश्लेष शायार्थोंसे युक्त हो जाते हैं । और अपनी भाषाओंके भेदस व्ययस्थित [विभिन्न] उक्ति [भणिति] भी विशेष भाषा [प्रतिनियत, उस विशेष भाषा] विषयक अर्थोंके वैचित्र्यके कारण काव्यार्थों में फिर और भी आनन्त्य उत्पन्न कर देती है । जैसे मेरा ही—

[यह] मेरा [वह] मेरा कहते-कहते ही मनुष्य [के जीवन]का [सारा] समय निकल जाता है परन्तु मनमें जनार्दन भगवान्का साक्षात्कार नहीं हो पाता ।

यहाँ प्रतिशण जनार्दनको मेरा मेरा कहनगलेका भी जनादन प्रत्यक्ष नश होत यह विरोध च्छाया ‘मह मह’ इस शै-घवभाषावादी भणितिस विचित्रतायुक्त हा जाती है ।

१ ‘प्रतिमानन्त्य’ नि० ।

२ ‘काव्यनवत्वेन’ नि० ।

३ ‘अलङ्कारवर्ग’ नि० ।

४ ‘कथाभेदेन’ नि० ।

५ ‘बहुमह इति भणित उ वं भोइ कलिघनस्त ते इणदे । ओ जाणइणुभोगो अरिसो विमिगं सा इत्थम् ॥’ नि० म यह पाठ दिया है और उसका उपायानुवाद नहीं दिया है ।

इत्थ यथा यथा निरूप्यते तथा न लक्ष्यतेऽत काव्यार्थानाम् ॥७॥

इदन्तून्यते,

अवस्थादिविभिन्नाना वाच्याना विनिबन्धनम् ।

यत् प्रदर्शित प्राक्,

भूमनैव दृश्यते लक्ष्ये,

न तच्छक्यमपोहितुम्,

तत्तु भाति रसाश्रयात् ॥८॥

तदिदमत्र सक्षेपेणाभिधीयते सत्कवीनामुपदेशाय—

रसभावादिसम्बद्धा यथौचित्यानुसारिणी ।

अन्वीयते वस्तुगतिर्देशकालादिभेदिनी ॥

तत्का गणना कवीनामन्येषा परिमितशक्तीनाम् ।

वाचस्पतिसहस्राणा सहस्रैरपि यन्नत ।

निबद्धापि क्षय नैति प्रकृतिर्जगतामिव ॥१०॥

इस प्रकार जितना ही जितना [रसपर] विचार करते हैं उतना-उतना ही काव्यार्थोंका अन्त नहीं मिलता है [उतना ही काव्यार्थमें अनन्तता प्रतीत होती है] ॥७॥

[अत्र] यह तो कहना है कि—

अवस्था आदिके भेदसे वाच्यार्थोंकी रचना,

जो पहिले [सान्नीध्य कारिकामें] कही जा चुकी है ।

काव्यों [लक्ष्य]में बहुतायतसे दिखलाई देती है,

उसका अपलाप नहीं किया जा सकता है ।

बहु रसके आश्रयसे [ही] शोभित होती है ॥८॥

इसलिए सत्कवियों [सत्कवि धननेके श्रेष्ठुक नवीन कवियों] के उपदेशके लिए

इस विषयमें सक्षेपसे यह कहना है कि—

यदि औचित्यसे अनुसार रस, भाव आदिसे सम्बद्ध और देशकाल आदिके भेदसे युक्त वस्तुरचनाका अनुसरण किया जाय ॥९॥

तो परिमित शक्तिवाले अन्य [साधारण] कवियोंकी तो बात ही क्या,

वाचस्पति सहस्रोंके सहस्र भी [हजारों, लाखों वृहस्पति भी मिलकर] यत्नपूर्वक उसका घणन करें तो भी जगत्की प्रकृति [उपादानकारण] के समान उसकी समाप्ति नहीं हो सकती है ॥१०॥

१ 'इत्थ' पद नहीं है नि० ।

२ नि० सरस्करणमें 'भूमनैव दृश्यते लक्ष्ये न तच्छक्यमपोहितुम्' को कारिकाके उत्तरादका पाठ रखा है और तत्तु भाति रसाश्रयात् को वृत्ति माना है ।

यथा हि जगत्प्रकृतिरतीतकल्पपरम्पराविर्भूतत्रिचित्रस्तुप्रपञ्चा सती पुनरिदानीं
'परिक्षीणापरपदार्थनिर्माणशक्तिरिति न शक्यतेऽभिधातुम् । तद्वदेवैय काव्यस्थितिर
नन्ताभि कविमतिभिरुपमुक्तापि नेदानीं परिहीयते प्रत्युत नवनवाभिव्युत्पत्तिभि
परिवर्धते ॥१०॥

इत्य स्थितेऽपि,

सवादास्तु भवन्त्येव बाहुल्येन सुमेधसाम् ।

स्थिन ह्येतत् सवादिन्य' एव मेधाविना बुद्धय । किंतु

नैकरूपतया सर्वे ते मन्तव्या विपश्चिता ॥११॥

कथमिति चेत्,

संवादो ह्यन्यसादृश्य तत्पुन प्रतिविम्बवत् ।

आलेख्याकारवत्तुल्यदेहिबन्ध शरीरिणाम् ॥१२॥

सवादो हि काव्यार्थस्योच्यते यन्त्येन काव्यवस्तुना सादृश्यम् । तत्पुन
शरीरिणा प्रतिविम्बवदालेरयाकारवत्तुल्यदेहिबन्ध त्रिधा व्यवस्थितम् । किञ्चिद्धि काव्य-

जैसे विगत कल्पकल्पान्तरोंमें विविध वस्तुमय प्रपञ्चकी रचना करनेवाली
जगत्क्री प्रकृति [मूल कारण] होनेपर भी, अन्य पना प्राके निर्माणम शक्तिहीन हो
गयी है, यह नहीं कहा जा सकता है। इसी प्रकार यह काव्यस्थिति, अनन्त
[असंख्य] कविवुद्धियोंसे उपभुक्त [वणित] होनेपर भी इस समय शक्तिहीन नहीं
है अपितु [उन कवियोंके वर्णनोंसे] नयी नयी व्युत्पत्ति [प्राप्त करने]से और
वुद्धिको प्राप्त हो रही है ॥१०॥

ऐसा दिश, काल, अत्रत्या आदि भेदसे जानत्य] होनेपर भी,

प्रतिभाशालियोंमें सवाद [समान उक्तियों] तो बहुतायतमें होते ही हैं ।

यह तो सिद्ध ही है कि प्रतिभाशालियोंकी बुद्धियाँ एक दूसरीसे मिलनी हुई
होती हैं ।

परन्तु,

विद्वान् पुरप उन सब [सवादों]को एक रूप न समझें ॥११॥

क्यों [न समझें] यह [प्रदान] हो तो [उत्तर यह है कि],

अन्यके साथ सादृश्यको ही सवाद कहते हैं । और यह [सादृश्य] प्राणियोंके
प्रतिविम्बके समान, चित्रके आकारके समान और दूसरे देहधारी [प्राणी]के समान
[तीन प्रकारका] होता है ॥१२॥

दूसरी काव्यवस्तुके साथ काव्यार्थका सादृश्य ही सवाद कहा जाता है । फिर
यह [सादृश्य] प्राणियोंके प्रतिविम्बके समान, अथवा चित्रगन आकारके समान और

१ 'परिक्षीणापरपदार्थनिर्माणशक्तिरिति' नि० ।

२ 'सवादिन्यो मेधाविना' नि० ।

वस्तु वस्त्वन्तरस्य शरीरिण, प्रतिविम्बकल्पम्, अन्यदालेख्यप्रख्यम्, अन्यतुल्येन शरीरिणा सदृशम् ॥१२॥

तत्र पूर्वमनन्यात्म तुच्छात्म तदनन्तरम् ।

तृतीय तु प्रसिद्धात्म नान्यसाम्य त्यजेत्कविः ॥१३॥

तत्र पूर्वं प्रतिविम्बकल्प काव्यवस्तु परिहर्तव्यं सुमतिना । यतस्तदनन्यात्म तात्त्विकशरीरशून्यम् । तदनन्तरमालेख्यप्रख्यमन्यसाम्य शरीरान्तरयुक्तमपि तुच्छात्मत्वेन त्यक्तव्यम् । तृतीयन्तु 'विभिन्नकमनीयशरीरसद्भावे सति ससवादमपि काव्यवस्तु न त्यक्तव्यं कविना । न हि शरीरी शरीरिणान्येन सदृशोऽप्येक एवेति शक्यते वक्तुम् ॥१३॥

एतदेवोपपादयितुमुच्यते—

'आत्मनोऽन्यस्य सद्भावे पूर्वस्थित्यनुयाय्यपि ।

वस्तु भातितरा तन्व्या शशिच्छायामिवाननम् ॥१४॥

तुल्य देहीके समान तीन प्रकारसे होता है । कोई काव्यवस्तु, अन्य शरीर [काव्य वस्तु]के प्रतिविम्बके सदृश [होती है] दूसरी चित्रके समान और तीसरी तुल्य देहीके समान [दूसरी काव्यवस्तुके सदृश होती] है ॥१२॥

उनमेंसे पहिला [प्रतिविम्बकल्प सादृश्य, पूर्ववर्णित स्वरूपसे भिन्न] अपने अलग स्वरूपसे रहित [अतः त्याज्य है] । उसके बादका [दूसरा चित्राकारतुल्य सादृश्य] तुच्छ स्वरूप [होनेसे वह भी परित्याज्य] है । और तीसरा [तुल्यदेहिचत्] तो प्रसिद्ध स्वरूप है [अतः] अथ वस्तुके साथ [इस तृतीय प्रकारके] साम्यका कवि परित्याग न करे ॥१३॥

बुद्धिमानको उनमेंसे पहिले प्रतिविम्बरूप काव्यवस्तुको छोड़ देना चाहिये । क्योंकि वह अनन्यात्म अर्थात् तात्त्विक स्वरूपसे रहित है । उसके बाद चित्रतुल्य साम्य, शरीरान्तर [स्वरूपान्तर]से युक्त होनेपर भी तुच्छरूप होनेसे परित्याज्य ही है । [सदृश होनेपर भी] भिन्न [और] सुन्दर शरीरसे युक्त तीसरे [प्रकार]की काव्य वस्तु अन्यसे मिलती हुई होनेपर भी कविको नहीं छोड़नी चाहिये । क्योंकि एक देह धारी [मनुष्य या प्राणी] दूसरे देहधारीके समान होनेपर भी एक [अभिन्न] ही है ऐसा नहीं कहा जा सकता है ॥१३॥

इसीका उपपादन करनेके लिए कहते हैं—

[प्रसिद्ध वाक्यादिसे विलक्षण 'यद्गद्य रसादि रूप] अथ आत्माके होनेपर, पूर्व स्थिति [प्राचीन कविवर्णित पदार्थों]का अनुसरण करनेवाली वस्तु भी चन्द्रमाकी आभा से युक्त कामिनीके मुपमण्डलके समान अधिक शोभित होती है ॥१४॥

१ 'विभिन्न' पद नि० में नहीं है ।

२ 'तावस्यान्यस्य' नि० ।

तत्त्वस्य सारभूतस्यात्मन सद्भावेऽप्यन्यस्य पूर्वस्थित्यनुयाय्यपि वस्तु भावितराम् ।
पुराणरमणीयच्छायानुगृहीत हि वस्तु शरीरवत्परा शोभा पुष्यति । न तु पुनरुक्तत्वेनाव-
भासते । तन्व्या शशिच्छायमिवाननम् ॥१४॥

एव तावत्सवादाना 'समुदायरूपाणा वाक्यार्थाना विभक्ता, सीमान । पदार्थ-
रूपाणा च वस्त्वन्तरसदृशाना काव्यवस्तूना नास्त्येव दोष इति प्रतिपादयितुमिदमुच्यते—

अक्षरादिरचनेव योज्यते यत्र वस्तुरचना पुरातनी ।

नूतने स्फुरति काव्यवस्तुनि व्यक्तमेव खलु सा न दुष्यति ॥१५॥

न हि वाचस्पतिनाप्यक्षराणि पदानि वा कानिचदपूर्वाणि घटायतु शक्यन्ते । तानि
'तु वान्येवोपनिन्दानि न काव्यादिषु नवता विरुध्यन्ति । तथैव पदाथरूपाणि श्लेषादि-
मयान्यर्थतत्त्वानि ॥१५॥

तस्मात्—

सार [रसाविरूप व्यङ्ग्य] आत्मभूत अन्य तत्त्वके होनेपर भी, पूर्वस्थितिरा
अनुसरण करनेवाली [प्राचीन कवियों द्वारा वर्णित] वस्तु भी अधिक शोभित होती है ।
पुरातन रमणीय छायामें युक्त [अन्य कवियों द्वारा पृथक् वर्णित] वस्तु [तुल्य] शरीरके
समान अत्यंत शोभाके प्राप्त होती है । पुनरुक्त सी प्रतीत नहीं होती । जैसे शशीकी
[पुरातन रमणीय] छायामें युक्त कामिनीका मुखमण्डल [पुनरुक्त-सा प्रतीत नहीं होता
अपितु अत्यंत] सुन्दर लगता है [इस प्रकार काव्यमें भी सम्यक्ता चाहिये] ॥१४॥

इस प्रकार [अन्तक] समुदायरूप [अर्थात्] वाक्यों द्वारा प्रतिपादित सादृश्य
युक्त [काव्यार्थों]की सीमाका विभाग किया गया । [अत्र आगे] अन्य [पुराने पदार्थ
रूप] वस्तुओंसे मिलती हुई 'पदार्थरूप' काव्यवस्तुओं [की रचना]में कोई दोष है ही
नहीं, इसका प्रतिपादन करनेके लिए कहते हैं—

[जहाँ जिस काव्यमें] नवीन स्फुरण होनेवाले काव्यार्थ [काव्यवस्तु]में पुरानी
[प्राचीन कविनिन्द कोई] वस्तु रचना अक्षर आदि [आदि पदसे पदका ग्रहण]की
[पुरातनी] रचनाके समान निबद्ध की जाती है यह निश्चितरूपसे दूषित नहीं होती यह
स्पष्ट ही है ॥१५॥

[स्वयं] वाचस्पति भी नवीन अथवा अथवा पदोंकी रचना नहीं कर सकते । और
काव्य आदिमें बार-बार उन्हीं उन्हींको उपनिन्द करनेपर भी [जैसे वे] नवीनताके
विरुद्ध नहीं होते, इसी प्रकार पदार्थरूप या श्लेषादिमय अर्थतत्त्व [भी नवीन नहीं बनाये
जा सकते हैं और अक्षरादि योजनाके समान उनको उपनिन्द करनेसे नवीनताका
विरोध नहीं होता । अर्थात् नवीनता आ ही जाती है] ॥१५॥

इसलिए—

१ 'वाक्यवेदानां वाक्यार्थाना विभक्ता सीमान' नि०

२ 'तु' नि० में नहीं है ।

यदपि तदपि रम्य यत्र लोकस्य किञ्चित्
स्फुरितमिदमितीय बुद्धिरभ्युज्जिहीते ।

'स्फुरणेय काचिदिति सद्दद्याना चमत्कृतिरुत्पद्यते—

अनुगतमपि पूर्वच्छायया वस्तु तादृक्
सुकविन्पमिन्धननिन्द्यता नोपयानि ॥१६॥

तन्नुगतमपि पूर्वच्छायया वस्तु तादृक् तादृक् सुकविविचित्रतन्वयद्वयवाच्यार्थ-
समर्पणसमर्पणशब्दरचनारचयया वन्धच्छायोपनिधननिन्द्यता नैव याति ॥१६॥

तदित्थ स्थितम्—

अहाँ [जिस वस्तुने प्रिययम] लोगों [सद्दयों]को 'यह कोई नहीं सूझ
[स्फुरणा] ह' इस प्रकारकी अनुभूति जाती है [नयी या पुरानी] जो भी हो, वही
उस्तु रम्य [कहलाती] है ।

जिसने प्रिययम 'यह कोई नहीं सूझ [स्फुरणा] ह' इस प्रकारकी चमत्कृति
सद्दयोंको उत्पन्न होती है—

पूर्व [प्रियोंके वर्णन]की छायामें युक्त होनेपर भी उस प्रकारकी वस्तुका
वर्णन करनेवाला कवि निन्दनीयताको प्राप्त नहीं होता ॥१६॥

पूर्व [प्रियोंने वर्णित प्रियोंकी] छायामें युक्त होनेपर भी उम प्रकारकी वस्तुको
जिसमें व्यङ्ग्य निवक्षित हो ऐसे वाच्यार्थके समर्पणमें समर्थ शब्दरचनारूप सन्निवेश
सौष्ठवसे उपनिबद्ध करनेवाला कवि कभी निन्दको प्राप्त नहीं होता ॥१६॥

इस प्रकार यह निर्णय हुआ कि—

१ इस कारिकाके पूर्वाद् और उत्तराद्के बीचमें वृत्तिकी एक पक्ति, जैसी कि हमने मूल पाठमें
दी है, बालप्रियावाले सस्करणमें पायी जाती है, परन्तु दीधिति तथा नि० सा० सस्करणमें नहीं
पाया जाता । लोचनकारके 'इति कारिका खण्डीश्रुय वृत्तौ पठिता' इस लेखके अनुसार दोनों
भागोंको अलग करनेवाली यह पक्ति बीचमें होनी ही चाहिये । इसलिए हमने मूल पाठमें
रखी है ।

इसी प्रकार इसी उद्योगकी आग्री कारिकाके पूर्वाद्के बाद, यत्प्रसिद्ध प्राक्' यह वृत्ति, तथा
उत्तराद्के दोनों चरणोंके बीचमें 'न तच्छब्दव्य व्यपोहितु' यह वृत्तिप्रच्य है । अन्य सस्करणोंमें
दूस पाठको अशुद्ध छापा है । इसी प्रकार ग्यारहवीं कारिकाके पूर्वाद् और उत्तराद्के बीचमें
भी गद्यभाग वृत्तिका है । सोलहवीं कारिकाके अन्तकी वृत्तिमें भी दीधिति तथा नि० सा०
सस्करणका पाठ जैसा कि टिप्पणामें दिखलाया है, बहुत भिन्न है । इसी प्रकार आठवीं १७ वीं
कारिकाके बीचमें भी एक पक्ति वृत्तिरूपमें है । ये सब बीच बीचके वृत्तिभाग लोचनसम्मत
होनेसे ही यहाँ मूलम रखे गये हैं ।

२ 'यद्यपि तदपि रम्य कायभारी यत्लोकस्य किञ्चित्स्फुरितमिदमितीय बुद्धिरभ्युज्जिहीते स्फुरणेय
काचिदिति सद्दद्याना चमत्कृतिरुत्पद्यते' इतने पाठ कायभारम्भमें अन्तिक १ नि० ।

३ स्थित' नि० ।

प्रतापन्ता वाचो निमित्तविविधार्थामृतरसा
न सादः^१ कर्तव्य कविभिरनवद्ये स्वविषये ।

सन्ति नवा काव्यार्था, परोपनिषद्दार्थविरचने न कश्चित् कवेर्गुण इति
भावयित्वा—

परस्वादानेच्छाविरतमनसो वस्तु सुकवे
सरस्वत्येवैषा घटयति यथेष्ट भगवती ॥१७॥

परस्वादानेच्छाविरतमनसं सुकवे सरस्वत्येषा भगवती यथेष्ट घटयति वस्तु ।
येषा सुकवीना प्राक्तनपुण्याभ्यासपरिपाकदर्शेन प्रवृत्तिस्तेषा परोपरचितार्थपरिग्रहनि-
स्पृहाणा स्वव्यापारो न क्वचिदुपयुज्यते । सैव भगवती सरस्वती स्वयमभिमतमर्थमावि-
भावयति । एतद्वद् हि महाकवित्व महाकवीनामित्योम ।

— [कविगण] विप्रिय अर्जुने अमृतरससे परिपूण प्राणियोंका प्रसार करें । अपने
[रूपनासे प्रसूत] विषयमें रुचियाको किसी प्रकारका सङ्कोच या प्रनाद नहीं करना
चाहिये ।

नवीन काचार्य गहुत हँ, दूसरोंके घणित जवाजी रचनाम करिका कोइ [प्रशसा]
लाभ नहीं होता ऐसा सोचकर—

दूसरेके अर्थको ग्रहण करनेकी इच्छासे रहित सुकविके लिए सरस्वती
देवी स्वय ही यथेष्ट वस्तु उपस्थित कर देती है ॥१७॥

दूसरे [कवि] के अर्थको ग्रहण करनेकी इच्छासे विरत मनवाले सुकविके लिए
यह भगवती सरस्वती यथेष्ट वस्तु सङ्घटित कर देती है । पूर्वजन्मोंके पुण्य और
अभ्यासके परिपाकदर्श जिन सुकवियोंकी [साधननिर्माणमें] प्रवृत्ति होती है, दूसरोंके
विरचित अर्थग्रहणमें निस्पृह उन [सुकवियों]को [साधननिर्माणमें] अपना प्रयत्न
करनेकी कोई आवश्यकता नहीं होती । वहीं भगवती सरस्वती अभिजाञ्छित अर्थको
स्वय ही प्रकट कर देती है । यही महाकवियोंका महाकवित्व [महत्त्व] है ।

इत्योम्

यह 'इत्योम्' शब्द वृत्तिग्रन्थकी समाप्तिना सूचक प्रतीत होता है । अत आगेउपरमहात्मन
दोनां श्लोक कारिकाग्रन्थके अंश समझने चाहिये, परन्तु उनका अर्थ स्पष्ट होनेसे उनपर काद वृत्ति
लिखनेकी आवश्यकता न समझकर ही वृत्ति नष्ट लिखी गयी है और वृत्तिभागका यहा समाप्त कर
दिया गया है । सभी गदकरणाम उनका वृत्तिभागवाले गदपत्र छापना है । उसी परम्पराके अनुसार
हम भी उनको वृत्तिवाले गदपत्र दे रहे हैं । इन श्लोकोंमें ग्रन्थके विषय, सम्बन्ध, प्रयोजन आदिना
पुन प्रदर्शन करते हुए प्रथमरूपे अपने ग्रन्थकी समाप्ति कर रहे हैं ।

‘इत्यक्लिष्टरसाश्रयोचितगुणालङ्कारशोभाभृतो’
 यस्माद्भस्तु समीहितं सुकृतिभिः सर्वं समासाद्यते ।
 काव्याख्येऽखिलसौख्यघाम्नि विबुधोद्याने ध्वनिर्दर्शित
 सोऽय कल्पतरूपमानमहिमा भोग्योऽस्तु भव्यात्मनाम् ॥

सत्काव्यतत्त्वनयवर्त्मचिरप्रसुप्त-
 कल्प मनस्सु परिपक्वधिया यदासीत् ।
 तद्वथाकरोत्सहृदयोदयलाभहेतो-
 रानन्दवर्धन इति प्रथिताभिधान ॥

इति श्रीराजानकानन्दवर्धनाचार्यविरचिते ध्वन्यालोके
 चतुर्थ उद्योत ॥
 समाप्तोऽय ग्रन्थ ॥

इस प्रकार सुन्दर [अक्लिष्ट] और रसके आश्रयसे उचित गुण तथा अलङ्कारोंकी शोभासे युक्त जिस [ध्वनिरूप कल्पतरु] से सौभाग्यशाली कविजन मनोवाञ्छित सब वस्तुएँ प्राप्त कर लेते हैं, सर्वानन्दपरिपूरित विद्वज्जनोंके काव्य नामक उद्यानमें कल्पवृक्षके समान महिमावाला वह ध्वनि [हृदये यहाँ] प्रदर्शित किया । यह [सौभाग्यशाली] सहृदयोंके लिए [भाग्य] आनन्ददायक हो ॥

उत्तम काव्य [रचना]का तत्त्व और नीतिका जो मार्ग परिपक्व बुद्धिवाले [सहृदय विद्वानों]के मनमें चिरकालसे प्रसुप्तके समान [अयक्त रूपमें] स्थित था, सहृदयोंकी अभिवृद्धि और लाभके लिए, आनन्दवर्धन इस नामसे प्रसिद्ध मैंने उसको प्रकाशित किया ।

श्रीराजानकानन्दवर्धनाचार्यविरचिते ध्वन्यालोकमें
 चतुर्थ उद्योत समाप्त हुआ

श्रीपद्माचकाशमासाभ्या द्विसहस्रेऽष्टकोत्तरे ॥
 ध्वन्यालोकस्य व्याख्येय पुरितालोकदीपिका ॥

उत्तरप्रदेशस्थ ‘पीलीभीत’ मण्डलात्गत ‘मकुल’ ग्रामनिवासिना

श्रीशिवलाल परशीमहोदयाना तनुजनुया,

वृन्दावनस्थगुरुकुलविश्वविद्यालयाधीतपित्रेण, तत्रत्याचायपदमधितिष्ठता,

एम० ए० इत्युपपदधारिणा, श्रीमदाचायविश्वेश्वरसिद्धान्तशिरोमणिना

विरचितायाम् ‘आलोकदीपिकारयाया’ द्वितीयाख्याया

चतुर्थ उद्योत समाप्त ।

समाप्तश्चाय ग्रन्थ ।

१ ‘नित्याक्लिष्ट’ नि० ।

२ ‘शोभाभृतो’ नि० ।

प्रथम परिशिष्ट

ध्वन्यालीककी कारिकाद् सूची

कारिका	पृष्ठ	कारिका	पृष्ठ
अक्राण्ड एव विच्छिन्ति	२१३	असुटसुरित काव्य	३३०
अज्ञाश्रितास्त्वलङ्कार	९८	आजित एवालङ्कार	११९
अभरादिरचनेव योज्यते	२६१	आत्मनोऽन्यस्य सद्भावं	३६०
अति यातेरथाध्यासे	८०	आनन्त्यमेव चाच्यस्य	३५१
अतो ह्यन्यतमेनापि	३३६	आलेख्याकारान्तुन्य	३५९
अनुगतमपि पूर्वच्छायया	३६०	आलोकार्थी यथा दीप	३४
अनुत्थानोऽपमव्यङ्ग्य	१३०	इतिवृत्तवशायाता	१८८
अनुत्थानोऽपमात्मापि	१९६	इत्यक्लिष्टरसाश्रयो	३६४
अनेनानन्त्यमायाति	३३६	इत्युत्कृष्टो य	३३०
अधीयते वस्तुगति	३१	उक्त्यन्तेरणाशक्यं यत्	६१
अप्रयग्यत्ननिर्वृत्य	१०८	उत्प्रेक्षयाप्यन्तराभीष्ट	१८८
अथशक्तेरलङ्कार	१२०	उद्दीपनप्रशमने	१८८
अथशक्त्युद्भवस्त्वय	१२१	एकाश्रयत्वे निर्दोष	२३१
अथान्तरगति कावा	२९१	एको रसोऽङ्गी कर्तव्य	२३०
अथान्तरे सत्प्रमित	६९	एतन्प्रयोक्तृमौचित्य	१८६
अथाऽपि द्विविधो ज्ञेय	१३६	एव ध्वने प्रभेदा	३३०
अलङ्कारान्तरयङ्ग्य	१८०	औचित्यवान् यस्ता एता	२४४
अलङ्कारान्तरस्यापि	१८०	कस्यचिद् ध्वनिभेदस्य	६७
अलङ्कृतीनां शक्तावपि	१११	कार्यमेकं यथा व्यापि	२३१
अलोऽसामान्यमभिव्यनक्ति	३१	काले च ग्रहणत्यागौ	१०९
अवधानातिशयवान्	२४१	काव्यप्रभेदाश्रयत	१८१
अवस्थादिविमितानां	३५८	काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति बुधै	२
अवस्थादेशकालादि	३५१	काव्यस्यात्मा स एवार्थ	२९
अविरोधी विरोधी वा	२३२	कायाख्येऽखिलसौख्य	३६४
अविवक्षितवाच्यस्य ध्वने	६९	काये उभे ततोऽन्यद्	३०९
अविवक्षितवाच्यस्य पदवाक्य	१८४	काव्ये तस्मिन्लङ्कार	८८
अयुक्तचेरशक्तेर्वा	१६३	कृत्तद्विगतसमासैश्च	१९८
अशक्तुवद्भिर्वाकर्तुं	३३०	केचिद् वाचा स्थितमविषये	२
असत्पुत्रमोत्रोत	७४	क्रमेण प्रतिमात्वात्मा	११८
असमासा समासेन	१६१	प्रौख्यद् द्विवियोगोऽय	२९

कारिका	पृष्ठ	कारिका	पृष्ठ
गुणप्रधानाभावान्या	००९	न तु केवल्या शास्त्र	१८८
गुणानाभित्य तिष्ठन्ती	१६९	निबद्धापि क्षय नैति	३१८
चाकत्वोत्कर्षतो व्यङ्ग्य	१५०	निवृत्तावपि चाङ्गत्वे	१०९
चित्र शब्दार्थभेदेन	३०९	निवर्तते हि रसयो	२४०
त एव तु निवेश्यन्ते	१६४	नृतने स्फुरति काव्यरस्तुनि	३६१
तत्परत्वं न वाच्यस्य	१४०	नैकरूपतया सर्व	३०
तत्र किञ्चिच्छब्दचित्र	३००	नोपहन्यङ्गिता सोऽस्य	२३१
तत्र पूर्वमनन्यात्म	३६०	परम्बादानेच्छाविरतमनस	०६३
तत्र वाच्य प्रसिद्धो य	१०	परिपोष गतस्यापि	०१३
सया दीर्घसमासेति	१६४	परिपोष न नेतव्य	२३२
तया रसस्यापि विधौ	०३१	प्रकारोऽस्यो गुणीभूत	२१०
तदन्यस्यानुरणनरूप	१४	प्रकारोऽय गुणीभूत	३००
तदा त दीपयन्त्येव	१६४	प्रतायता वाचो निमित्त	३६३
तदुपायतया तद्वत्	३४	प्रतीयमान पुनर यत्रैव	१३
तद्वत्सचेतसा सोऽय	३६	प्रतीयमानच्छायया	०९
तद्विरुद्धरसस्पर्श	२१	प्रधानेऽयत्र राग्यार्थ	८७
तद् यक्तिहेतु शब्दार्था	९१	प्ररक्ष्य रमादीना	१८८
तद् व्याकरोतु सहृदय	३६४	प्रबन्धे मुक्ते वापि	०१०
तमय काव्यमाभित्य	९४	प्रभेदस्यास्य विषया	०००
तमर्थमवलम्बन्ते	१०१	प्रसन्नगम्भीरपदा	०१०
तत्प्राज्ञाना प्रमेदा ये	३६०	प्रसिद्धेऽपि प्ररधाना	३३०
तृतीयन्तु प्रसिद्धात्म	१४०	प्रायेणैव परा उाया	०९०
तेऽलङ्कारा परा छाया	१०१	प्रौत्थेति मात्रनिष्पन्न	१०६
तेषामानन्त्यमर्थोन्य	१००	बहुधा यद्वृत्त सोऽयै	१०
दिङ्मात्र तृच्यते येन	३४१	बाव्यानामङ्गभाव वा	२११
दृष्टपूर्वा अपि ह्यथा	३०२	बुद्धिरासादितालोका	१०२
धत्ते रसादिताल्य	१५९	सुद्धौ तत्त्वाधदशिन्या	०६
धुव ध्वन्यङ्गता तासा	२८६	भक्त्या विभर्ति नैकत्व	१०
ध्वनिसंज्ञित प्रकार	१९६	भवेत्तस्मिन् प्रमादो हि	२४१
ध्वनेरस्य प्ररधेषु	७	भूमिब दृश्यते रूपे	३७१
ध्वनेरात्माङ्गिभावेन	३०	माधुयमाद्रता याति	९७
ध्वनेरित्य गुणीभूत	३३६	मितोऽयनन्तता प्राप्त	६०
ध्वनेय स गुणीभूत	१००	मुख्या वृत्ति परित्यज्य	६२
ध्वन्यात्मन्येव शृङ्गारे	१०३	मुख्या महाकविगिराम्	२९७
ध्वन्यात्मभूते शृङ्गारे यमकादि	१०८	यत्तत्प्रसिद्धावयवातिरिक्त	१३
ध्वन्यात्मभूते शृङ्गारे समीक्ष्य	३५०	यत्न कार्य सुमतिना	२१२
न काव्यार्थविरामोऽस्ति			

कारिका	पृष्ठ	कारिका	पृष्ठ
यज्ञत प्रत्यभिज्ञेयो	३३	लङ्गुण्यै कृते चास्य	६७
यत्र प्रतीयमानोऽथ	१८१	लावण्याया प्रयुक्तास्ते	६२
यत्र यज्ञयान्ये वाच्य	२८७	यस्तु भावितरां तन्या	३६०
यत्रार्थं शब्दा वा तमर्थे	१७	वाक्ये सञ्जुटनाया च	१६४
यत्राविधियते स्वोक्त्या	१३४	वाचक्याभयेणैव	६८
यथा पदायद्वारेण	३०	वाचस्पतिसहस्राणां	३८८
यथा व्यापारनिष्पत्तौ	३६	वाच्यप्रतीयमानास्यौ	११
यदपि तदपि रम्य यत्र	३६०	वाच्यवाचकसारत्व	८८
यदुद्दिश्य एव तत्र	६०	वाच्यस्याङ्गतया वापि	१८१
यद्व्यङ्ग्यस्याङ्गिभूतस्य	१५१	वाच्यानां वाचकानाञ्च	२६४
यन्मातर्यण वस्तुन्यद्	१३१	वाच्यार्थपूर्विका तद्गत्	३८
यस्त्वल्प्यक्रमव्यङ्ग्य	१६६	वाच्यालङ्कारवर्गोऽय	०९०
यस्मिन्ननुक्त शब्देन	११०	वाणी नवल्लमायाति	३३६
युक्त्याऽनयानुगर्तय	३६०	विशेषेत्थं रगादीनां	२६३
ये च तेषु प्रकाराऽय	२८०	विधातया भद्रस्य	३००
याऽर्थं सहृदयत्वाध्य	११	विधि कथाशारस्य	१८८
रचना विषयापि ।	१८६	विनेयानु मुग्नीकर्तुं	०१२
रगन-धातुमौचित्य	३८	विभाजभावाभुभाज	१८८
रमभाजत-भाज	१८६	विभक्तिविषया य	०८६
रमभावादिसम्बन्धा	७८	विरुद्धैकाग्रयो यस्तु	०३७
रसस्यार-धविभ्रान्त	१८८	विरोधमविराधञ्च	२४१
रसस्य स्याद् विरोधाय	२१३	विरोधिन स्यु शृङ्गारे	१६४
रमाभिमतया यस्य	१०८	विरोधिरससम्बन्धि	२१०
रमादिपरता यत्र	८५	विषया तत्परत्वेन	१०९
रसादिमय एकस्मिन्	३८४	विवक्षितामिधेयस्य	७४
रसादिविषयेणैतत्	२४४	विवक्षिते रसे ल-ध	२१८
रसाग्रनुगुणत्वेन	२४४	विशेषतस्तु शृङ्गारे	२४१
रसान् तत्रियमे हेतु	१६०	विषय मुक्त्वि काय	२४३
रसा-तरस्यवधिना	२३८	विषयाभ्रयमप्यन्यत्	१८१
रसा-तरसमावेश	२३१	विस्तरेणान्वितस्यापि	२१२
रसान्तग्रन्थरितया	२४०	वृत्तयाऽपि प्रकाशन्ते	३३०
रूढा ये विषयेऽयत्र	६०	वेद्यते स तु काव्यार्थ	३२
रूपकादिरलङ्कारवग	१०८	व्यङ्क्त काव्यविशेष स	३७
रूपकादिरलङ्कारवर्गो	१३९	व्यङ्ग्यव्यञ्जकभावेऽस्मिन्	३४४
रूपकादेरलङ्कारवर्गस्य	१०९	व्यङ्ग्यन्ते मन्त्रप्रमाणेन	१८०

कारिका	पृष्ठ	कारिका	पृष्ठ
शब्दोपपि प्रमादित्व	१०३	सङ्करस्यष्टिभ्यां	३१४
शब्दतत्त्वाश्च या काश्चित्	३३०	सत्त्वाप्ये कर्तुं वा शतु	३३०
शब्दस्य स च न शेष	१५३	सत्त्वा यतत्वनय०	३५४
शब्दार्थशक्तिमूलत्वात्	११८	सिधिसाप्यङ्गघटनम्	१८८
शब्दायशक्त्या वाशितोऽ	१३४	स प्रसादो गुणो शेष	१९
शब्दार्थशासनशान	३२	समर्पकत्व काव्यस्य	१९
शब्दो व्यञ्जकता विभ्रद्	६१	सरस्वती स्वादु तदर्धवस्तु	३१
शरीरीकरण येषां	१४९	सवत्र गद्यवधेऽपि	१८६
शायौ सरेषसयोगौ	१६४	सर्वे नवा इवामान्ति	३४१
शृङ्गारस्याङ्गिनो यत्नाद्	१०२	सर्वेष्वेव प्रभेदेषु	१०२, १५३
शृङ्गार एव मधुर	९५	स विभिन्नाभय काय	२३७
शृङ्गारे विप्रलम्भाख्ये	९७	स सर्वो गम्यमानत्व	१३९
श्रुतिबुद्धादयो दोषा	१००	सा यङ्गयस्य गुणीभावे	२९८
सख्यातु दिङ्मात्र	३३०	सुतिङ्चसम्न पै	१९८
सवादास्तु भवन्त्येव	३५९	सोऽर्थस्तद्व्यक्तिसामर्थ्य	३३
सवादो ह्यन्यसादृश्य	३५९	स्वसामर्थ्ययशोनैव	३६
स गुणीभूतव्यङ्ग्यै	३१४	स्येच्छावैसरिण स्वच्छ	१

द्वितीय परिशिष्ट

ध्वन्यालोककी उदाहरणादि-सूची

श्लोक	पृष्ठ	श्लोक	पृष्ठ
अद्भुतित पल्वित	२४८	उत्त प्रोल्सदार	१२५
अत्रापे पदारे	६०	उपोदरागेण [पाणिनि]	३९
अण्णत्त वच्च बालअ	२०३	उप्पहजाभाएँ असोहिणीएँ	३०८
अतद्वट्टिए वि तद्वसठिए	३४१	एवन्तो दअइ पिआ	२६३
अतिमान्तमुत्ता काला	२०१	एमेअ अणो तिस्सा	१५७
अत्ता एत्थ [गाथा ७, ६७]	१५	एववादिन [सु० स०]	१३२, ३४२
अत्रान्तरे कुसुमयुग	१२५	एहि गच्छ पतोत्तिष्ठ [व्यास]	२२४
अनप्यवसितावगाहन [धर्म]	३०६	कण्ठाच्छित्वाधमाला	२३३
अनवरतनयनजल्लव	१७१	कयाशरीरमुत्पाद्य [परि०]	१९३
अनिष्टस्य ध्रुतियदत् [परि०]	१६३	कपोले पत्राली	१०८
अनुरागवती सध्या	४२	कमलाअरा ण मल्लिआ	१५१
अनौचित्यादते [आ०व]	१९०	करिणीवेहत्वअरो	३४३
अपारे काव्य [आ०व०]	३१२	कटा शूतच्छलाना [वेणीस०]	३२४
अमी ये हस्यन्ते [आ० व०]	३०७	कस्तं भो कययामि	३०८
अग्ना द्रोतेऽत्र वृद्धा	१३५	य सन्नदे [मिघ०]	१५५
अयं स रशनोत्सपीं [महा०]	२२८	कस्त व ण होइ [गा०स०]	१७
अयमेकपदे तथा [विक्रमो०]	२०३	काव्यादध्वनि [समह]	३१४
अवसर रोउ विअ	२०२	किमिव हि मधुराणा [शाकु०]	१५५
अद्युत्पत्तिकृतो [परि०]	१७६	किं हास्येन न मे प्रयास्यसि	८६
अहिणअपओअर सिएसु	३२९	कुविआओ पसन्नाओ	६०
अहो बवासि सृष्ट० [कुमार०]	२०६	इते वरकधालपे	३४२
आत्तादा स्तनिते	११५	कोपात्कोमल [अमर०]	११६, २२३
आम असइओ ओरम	२९९	क्रमन्त्य क्षतकोमलाद्गुलि	२१९
आहुतोऽपि सहाये	४४	काकार्ये शश० [विक्रमो० ४]	२२२
इत्यन्वितरसा० [आ०व०]	३६४	क्षितो हस्तावग्न [अमरक]	८७
इत्यल्प्यक्रमा एव	२४६	खं येऽप्युज्ज्वल्यन्ति	१३०
इसाकल्लसस वि	१४७	खणपाहुगिआ देअर	३२२
उच्चिणसु पडिअ कुसुम	१५२	गअणं च मत्तमेह [गौडवहो]	७३
उत्कम्पिनी मय०	१६५	गाधो व पावनाना	२५१
उत्तमोत्कलिका [रत्ना०]	१११	चक्राभिघातप्रसभारुयैव	११०

श्लोक	पृष्ठ	श्लोक	पृष्ठ
चञ्चद्भुजभ्रमित [वेणीस०]	९८	पाण्डुशाम वदन	२२३
चन्दनासक्तभुजग	१४६	परिम्लान पीनस्तन [रत्ना०]	२१७
चन्दमऊर्णहिं णिसा	१३०	पूर्वेविशृङ्खलगिर	५९
चमहिभमाणस	१२१	प्रभामहत्या [कु० स०]	२०५
चलापाङ्गा दृष्टि [शाकु०]	१०९	प्रभ्रश्यत्युत्तरीयत्विति	२०५
चुम्बिज्जइ सअहुत्त	६०	प्रातु जनैरायजनस्य	१५९
चूअङ्कुरावअंस [हरिविजय]	१६०	प्राप्तशरीर्य कस्मात्	१४१
जाएज वणुदेसे [गा० स०]	१४५	प्रयच्छतोच्चै कुमु० [माघ०]	३०१
ण अ ताण घडइ ओही	३५३	प्रिये जने नास्ति पुनस्सत्तम्	२६७
त ताण सिरिसहो [वि० वा०]	१४३	पूर्वे विशृङ्खलगिर [परि०]	२१७
तद्गेह भतभित्ति	२०१	भगवान् वासुदेवश्च [महा०]	३४६
तन्वी मेघजलार्द्र [विक्रमो०]	९३	भम धम्मिअ [गा० स० श०]	१३
तत्परावेव शब्दार्थो [परि०]	५२	भावानचेतनानपि चेतनवद्	३१२
तमर्थवलम्बते [ध्वन्या०]	१७०	भूरेणुदिग्धात्रवपारिजात	२४०
तरङ्गभूमद्गा [विक्रमो०]	०२	भ्रमिमरतिमलसहृदयता	१२१, २२३
तस्या विनापि हारेण	१२०	मनुष्यवृत्त्या समुपाचरन्त	२०५
ताला जाअन्ति गुणा [विपम]	७२	मन्दारकुसुम्रेणुपिञ्जरिता	१७१
ताले शिञ्जद्वलय [मेघ०]	००१	मह मह इति भगन्त	३५७
तेषा गोपवधुविलासमुद्गदा	९३	मा पथं रुधीओ [गा० स० श०]	२०२
त्रासाकुल परिपतन् [माघ]	१४७	मा निपाद प्रतिष्ठा [वा० रामा०]	३०
दत्तानन्दा प्रजाना	१२७	मुख्या यापार [परि]	२१७
दन्तक्षतानि करजैश्च	३२९	मुनिजयति योगीन्द्रो	३४९
दीर्घाङ्गवन् पद्म मदकल [मे०]	३२८	सुदुरङ्गलिसवृता [शाकु०]	२०३
दुराराधा राधा सुभग	३०२	यमकादिनि य धे तु [समह]	१०८
दृष्ट्या केशव गोपराग	११४	य प्रथम प्रथम	३३८
दे आ पसिअ गिवत्तमु	१६	यत्र च मातङ्ग [हृप०]	१२८
देव्या एतग्मि फले	१४४	यच्च कामसुग्न लोने	२३९
धारणी धारणाया० [हर्ष]	१५९, ३४१	यथा यथा विपयति	३३५
निद्रार्कतविन प्रियस्य	३३९	यद्ब्रजनाहितमति [सुभा०]	२०७
नीगारा शुक्ल० [शाकु०]	२०४	यस्मिन्नस्ति न वस्तु [मनो०]	७
नीरसस्तु प्रव धो य [परि०]	२१७	यस्मिन् रसो वा [आ० व०]	३१४
नो नल्पावाय [सूर्य०]	११४	या निशा सवभूताना [गीता]	१५७
नयकारो क्षयमय मे [हतु०]	१९०	या व्यापारवती रसान्	३२७
पत्यु शिरश्चन्द्र [तु० स०]	३०१	ये जीवन्ति न माप्ति ये	२०६
पदाना स्माररत्नेऽपि [परि०]	१६३	यन ध्वन्मनो० [चन्द्र०]	११९
परार्थं य पीडा [ग० श०]	६१, ३०७	यो य शस्त्र [वेणी०]	९८, १७१

श्लोक	पृष्ठ	श्लोक	पृष्ठ
रत्नस्त्रिय नवपल्लवै	११२	शिशिरिणि न्व नु नाम	५६
रम्या इति प्रातवती [माघ]	१४८	शून्य वासगृह [अम०]	३३९
रविषट्प्रान्तसौभाग्य [घा०]	७३	शेषो हिमगिरिस्त्र्य [भामह]	३४१
रसभावादिविषय	३११	शोक श्लोकत्र [शामा०]	३४५
रसभावादिताल्पय [स०]	८८	शृङ्गारी चेत् कवि काव्ये	३१२
रसादिषु विवक्षा तु	३११	श्यामास्वङ्गं चकित [मेष०]	११६
रसवन्ति हि वस्तूनि [सप्रह]	१०८	श्लाघ्याशेषतनु	१२१
राजानमपि सेरन्ते	३०४	शङ्केतकाल्मनस	१३३
रसाभासाङ्गभाव [सप्रह]	१०८	सज्जेहि सुरहिमासो	१३७, १६१, ३४२
रामेण प्रियजीवितेन तु	१५६	सत्काव्यतत्वनय [आ० व०]	३६४
रञ्ज्डी दुष्टिदा जामाउओ	२९०	सत्यं मनोरमा रामा	२४३
लावण्यकान्ति [जयवर्धन]	१४२	सन्ति सिद्धरसप्रख्या	१९४
लावण्यद्रविणव्ययो न	३०४	सन्तैता समिध [व्यास]	१५५
लावण्यसि पुरपरैव	२८७	समविसमणिव्विसेसा	२०८
लीलाकमलयत्राणि [कु० स०]	२६०	सर्वैकशरणेमक्षयम	१३०
वच्च मह विभ [गा०]	१५	स वक्तुमखिलान् शक्त	१४४
वत्से मा गा विपाद	१३५	सविभ्रमसिताद्मेदा	३३७
वसन्तपुष्पाभरण [कु० स०]	३५२	सद्योणितै क्रव्यमुजा	२४०
वाणिभभ हरिधदन्ता	१६१	स हरिनाम्ना देव	११३
वाणीरकुडङ्गाइडीण	११२	साअरविष्णुजोव्वण	१३८
वाल्मीकव्यतिरिक्तस्य	३५७	सिञ्जइ रोमञ्चिञ्चइ	३४९
वाल्मीकिव्यास [परि०]	२१७	सिंहिपिन्डकण्णऊरा	१३८, १६१
विच्छित्तियोमि० [परि०]	१६३	सुरभिसमये प्रवृत्ते	३४२
विमानपयङ्कतले निपण्णा	२४०	सुवणपुष्पा पृथिवी	५६
विसमइओ [चञ्च काण वि	१५८	सैषा सर्वैव वक्तोक्ति [भामह]	२९१
विह्वम्भात्या मन्मथाशा	२९७	स्निग्धरयामल [महानाटक]	७१
वीराण रमइ युधिण	१४२	स्मरनवनदीपूरेणोढा	१६७
वृत्तेऽस्मिन् महाप्रलये [हर्ष०]	१५९	सित किञ्चिन्मुग्ध	३३७
व्रीढायामागत [शाङ्ग० प०]	१६६	स्वतेजःकीतमदिमा	३३८
व्यङ्ग्यव्यञ्जक [परि०]	३१	स्वस्था भवन्ति [विणी०]	२९८
व्यङ्ग्यस्य यत्रा [परि०]	५२	हसाना निनदेपु	३४४
व्यङ्ग्यस्य प्रतिभा [परि०]	५२	हिअभदृठाविअमण्णु	१४५

श्लोक	पृष्ठ	श्लोक	पृष्ठ
रक्तस्त्वं नवपल्लवै	११२	शिखरिणि नव तु नाम	५६
रम्या इति प्राप्तवती [माघ]	१४८	शून्य वासगृह [अम०]	३३९
रविसहस्रान्तसौभाग्य [वा०]	७३	शेषो हिमगिरिस्त्वं [भामह]	३४१
रसभावादिविषय	३११	शोक श्लोकत्व [रामा०]	३४५
रसभावादितास्य [स०]	८८	शृङ्गारी चेत् कवि काव्ये	३१०
रसादिषु विवक्षा तु	३११	श्यामास्वङ्गं चकित [मेष०]	११६
रसवन्ति हि वस्तूनि [सग्रह]	१०८	श्लाप्याशेषतनु	१२१
राजानमपि सेवन्ते	३०४	सङ्केतकालमनस	१३३
रसाभासाङ्गभाय [सग्रह]	१०८	सज्जेहि सुरहिमासो	१३७, १६१, ३४२
रामेण प्रियजीवितेन तु	१५६	सत्काव्यतत्वनय [आ० व०]	३६४
रञ्ज्ही दुष्टिदा जामाउओ	२९०	सत्य मनोरमा रामा	२४३
लावण्यकान्ति [जयवर्धन]	१४२	सन्ति सिद्धरसप्रख्या	१९४
लावण्यद्रविणव्ययो न	३०४	सन्तीता समिध [ध्यास]	१५५
लावण्यसिधुरपरैव	२८७	समविसमणिष्विसेसा	२०८
लीलाकमल्पत्राणि [कु० स०]	२६०	सर्वैकशरणमक्षयम	१३०
वच्च मह ब्विभ [गा०]	१५	स वक्तुप्रखिलान् शक्त	१४४
वत्से मा गा विपाद	१३५	सविभ्रमस्मिताद्भेदा	३३७
वसन्तपुष्पाग्रण [कु० स०]	३५२	सद्योणितै ऋष्यभुजा	२४०
वाणिभ्रम हस्तियदन्ता	१६१	स हरिनाम्ना देव	११३
वाणीरकुडङ्गाड्डीण	११२	साअरविहृणजोष्वण	१३८
वाल्मीकव्यतिरिक्तस्य	३५७	सिञ्जह रोमञ्चिञ्जह	३४९
वाल्मीकि-यास [परि०]	२१७	सिंहिपिञ्चकण्णज्ज	१३८, १६१
विच्छित्तशोमि० [परि०]	१६३	सुरमिसमये प्रवृत्ते	३४२
विमानपयङ्कतले निपण्णा	२४०	सुवणपुष्पा पृथिवीं	५६
विसमहओ च्विञ्च काण वि	१५८	सैषा सर्वैव वक्रोत्ति [भामह]	२९१
विस्रग्मात्या ममथाज्ञा	२९७	स्निग्धस्यामल [महानाटक]	७१
वीराण रमइ घुष्ठिण	१४२	स्मरनवनर्दाभूरेणोढा	१६७
वृत्तेऽस्मिन् महाप्रलये [हर्ष०]	१५९	स्मित किञ्चिन्मुग्धं	३३७
श्रीढायागाञ्जत [शाङ्ग० प०]	१६६	स्वतज्ज-श्रीतमहिमा	३३८
व्यङ्ग्यव्यञ्जक [परि०]	३१	स्वस्था भवन्ति [वेणी०]	२९८
व्यङ्ग्यस्य यत्रा [परि०]	७२	हसाना निनदेयु	३१४
व्यङ्ग्यस्य प्रातिभा [परि०]	५२	हिअअट्टाविअमण्णु	१४५